संस्कृत-वाङ्मय का बृहद् इतिहास

पञ्चदश-खण्ड
व्याकरण

प्रधान सम्पादक
पद्मभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय

सम्पादक
प्रो. गोपालदत्त पाण्डेय

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान
लखनऊ

संस्कृत-वाङ्मय का बृहद् इतिहास

पञ्चदश-खण्ड

व्याकरण

प्रधान सम्पादक

पद्मभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय

सम्पादक

प्रो. गोपाल दत्त पाण्डेय

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान

लखनऊ

संस्कृत-वाङ्मय का बृहद् इतिहास

पञ्चदश-खण्ड

व्याकरण

प्रधान सम्पादक

पद्मभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय

सम्पादक

प्रो. गोपाल दत्त पाण्डेय

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान

लखनऊ

प्रकाशक :
डॉ. सच्चिदानन्द पाठक,
निदेशक :
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ

प्राप्ति स्थान :
विक्रय विभाग :
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, नया हैदराबाद,
लखनऊ-२२६ ००७
फोन : ७८०२५१
वेबसाइट : **www.upsanskritsansthanam.org**
ई-मेल : **nidesans@sify.com**

प्रथम संस्करण :
वि.सं. २०५८ (२००१ ई.)
प्रतियाँ : ११००
मूल्य : रु. ३००/- (तीन सौ)

मुद्रक : **शिवम् आर्ट्स,** निशातगंज, लखनऊ। दूरभाष : ७८२३४८, ७८२१७२

अध्यक्षीयं प्राक्कथनम्

व्याकरणशास्त्रस्य मूलं वेद एव, तथा चाथर्वणे पठ्यते को धातुः किं प्रातिपदिकम् इत्यादि। पुराणेष्वप्याग्नेये कौमारं व्याकरणम्, शिवपुराणेऽपि अइउण् इत्यादि सूत्रं वृद्धिरादैच् इत्यादिसूत्रं स्वाध्याये निर्दिष्टमतः सिद्धं व्याकरणमनादि वर्तते, तथापि तत्र संक्षिप्ततया निर्दिष्टान् विषयानादायाचार्याः विशदी कुर्वन्ति। तत्र जिज्ञास्यते किमिदं व्याकरणम् ? इति

व्याकरणम्-व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्। वि+आङ् पूर्वक कृधातोः करणे ल्युट् विधानात् व्याकरणशब्दस्य सिद्धिर्भवति। प्रकृतिप्रत्ययादिभिः शब्दस्य व्युत्पत्तिः साधुत्वनिष्पत्तिः येन शास्त्रेण क्रियंते तच्छास्त्रं व्याकरणम्। अथवा असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दानां पृथक्करणं वा व्याकरणम्। एकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः सन्ति। तद्यथा एकस्य गोशब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिकेत्यादयो बहवोऽपभ्रंशाः सन्ति। तत्र गच्छतीति गौरिति व्युत्पत्त्या गम्धातोर्डोप्रत्ययविधानात् डित्वसामर्थ्यादभस्यपि टेर्लोपे गोशब्दः साधुर्भवति स एव प्रयोक्तव्यः। इत्थं गावी गोणीत्यादयोऽपभ्रंशाः स्वतोव्यावृत्ता भवन्ति।

अत उक्तं भर्तृहरिणा-
साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः। इति।

व्याकरणशास्त्रस्याचार्यपरम्परा

ऋक्तन्त्रप्रातिशाख्ये पठ्यते, "ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रोभरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः तं खल्विममक्षरसमाम्नायमित्याचक्षते" इति। अनया रीत्याऽवगम्यते ब्रह्माऽस्य व्याकरणशास्त्रस्य प्रथम आचार्यः बृहस्पति-द्वितीयः इन्द्रस्तृतीयः भरद्वाजश्चतुर्थः ऋषयः पञ्चमां कोटीमाटीकन्ते।

अन्ये आचार्याः
इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः।
पाणिन्यमर जैनेन्द्रा जयन्त्यष्टादि शाब्दिकाः।।

इन्द्रः, चन्द्रः, काशकृत्स्नः, आपिशलिः शाकटायनः, पाणिनिः, अमरः, जैनेन्द्रः इमे अष्टौ शाब्दिकास्तु ख्याताः सन्ति।

पाणिनिसूत्रादपि केषाञ्चिदाचार्याणां (शाब्दिकानां) नामानि ज्ञायन्ते। तथाहि तृषिमृशिकृषेः काश्यपस्य (१/२/२५) सूत्रे काश्यपस्य निर्देशः। अड्गार्ग्यगालवयोः (७/३/९९) इति सूत्रे गार्ग्यगालवयो निर्देशः। ई चाक्रवर्मणस्य (६/१/१३०) सूत्रे चाक्रवर्मणस्य निर्देशः। "ऋतो भारद्वाजस्य" (७/२/६३) सूत्रेभारद्वाजस्य निर्देशः। इकोऽसवर्णेशाकल्यस्य ह्रस्वश्च

(६/१/१२७) इति सूत्रेशाकल्यस्य निर्देशः। गिरेश्च सेनकस्य (५/४/११२) इति सूत्रे सेनकस्य निर्देशः चयोद्वितीयाशरि पौष्करसादेरिति वाच्यम् (८/४/३८) सूत्रे पौष्करसादे निर्देशः। "वष्टिभागुरिरल्लोपो अवाप्यो रुपसर्गयोः। आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा" इत्यत्र भागुरेर्निर्देशः उपलभ्यते।

एवम् 'अवङ्स्फोटायनस्य (६/१/१२३) सूत्रे स्फोटायनस्य निर्देशस्तथा-"अलं खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचांक्त्वा" (३/४/१८) सूत्रे प्राचामितिनिर्देशो लभ्यते अत ज्ञायते पाणिनेः पूर्वं बहूनि व्याकरणान्यासन्।

पाणिनिव्याकरणं परं लुप्तेषु सत्स्वपि बहुषु व्याकरणेषु पाणिनिव्याकरणस्यैव निरतिशयं महत्त्वम्। यतो हि व्याकरणेऽस्मिन् न केवलं लौकिकशब्दानाभपितु वैदिकशब्दानामप्यनुशासनं लभ्यते।

तथाहि भट्टोजि दीक्षितः सिद्धान्तकौमुद्यां वैदिकस्वरप्रकरणान्ते प्राह-

"इत्थं वैदिक शब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितम्।
तदस्तुप्रीतये श्रीमद्भवानीविश्वनाथयोः।। इति।"
विद्वद्भिः प्रशंसितमपि-
पाणिनीय महाशास्त्रं सर्वशास्त्रोपकारकम्।
कुत्रचित् 'पाणिनीयं कणादं च इति पाठो लभ्यते।

'मुखं व्याकरणं स्मृतम्' इत्युक्तेः प्रधानमङ्गं, व्याकरणम्। अतः प्रधानं च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम् इति महाभाष्योक्तेः। पाणिनीयव्याकरणे कात्यायनेन वार्तिकानि निर्मितानि शेषावतारेण महर्षिणा पतञ्जलिना महाभाष्यं सुललितभाषया निबद्धमत इदं त्रिमुनि व्याकरणं सम्पन्नम्।

महाभाष्यात् शब्दकौस्तुभ उद्धृतो भट्टोजिदीक्षितेन, तमाधारीकृत्य कौण्डभट्टेन वैयाकरण भूषणसारो निर्मितः, व्याकरणसिद्धान्तरत्नानां रक्षणाय नागशभट्टविदुषा वैयाकरणसिद्धान्त मञ्जूषा लघुमञ्जूषा च विरचिते, भर्तृहरिश्च "वाक्यपदीयम्" निर्मितवान, श्रूयते व्याडिकृतो लक्षश्लोकात्मकः संग्रहग्रन्थोऽप्यासीत् साम्प्रतं लुप्तः।

कथं न भवेदस्य व्याकरणस्यमहती प्रतिष्ठा। यतो हि महर्षिः पाणिनि सुचिरं तपस्तप्त्वा प्रीतेन भगवता सर्वासांविद्यानामीशानेन नटराजेन-"अक्षर समाम्नायमवाप्तवान्। नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्। उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धानेतद् विमर्शे शिव सूत्रजालम्। इति।"

अष्टाध्याय्यां प्रोक्तानां सूत्राणां प्राचीनैर्हरदत्तवामनादिभिः वृत्तयोरचिताः। अन्येऽपि वृत्तिकारा अभूवन् परं सिद्धान्तकौमुदी विद्वद्भिसमादृता, सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्याऽपि भट्टोजिदीक्षितेन प्रौढमनोरमाख्या रचिता हरिदीक्षितेन प्रौढमनोरमायां शब्दरत्ननामकं व्याख्यानं कृतम्। नागोजिभट्टेन च लघुशब्देन्दुशेखरो ग्रन्थो रचितः। लोकन्यायसिद्धाः वाचनिकीः

ज्ञापकसिद्धाश्च परिभाषाः संकलय्य परिभाषेन्दुशेखरो ग्रन्थो निर्मितः। व्याकरणमहाभाष्योपरि कैय्यटकृताप्रदीपटीका तदुपरि नागेशभट्टकृता उद्योत टीका विद्योततेतराम्। महाभाष्येणास्मिन् व्याकरणेऽति प्रौढिः समायाता। तथा महाभाष्यभाष्यकारः 'अथ शब्दानुशासनम्' इत्यत्राशंकते केषां शब्दानाम्, समाधत्ते च लौकिकानां वैदिकानां च। कस्तर्हि शब्दः? येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवतिसशब्दः। अथवा प्रतीत पदार्थकोलोकेध्वनिः शब्द इत्युच्यते। प्रतीतः पदार्थो येन स ध्वनिः शब्द इत्युच्यते इममेव ध्वनिशब्दं वस्तुतोध्वनिनाऽभिव्यक्तं ध्वनिं गृहीत्वा व्यङ्ग्यव्यञ्जकमखस्थले ध्वनिर्भवतीति सिद्धान्ततः प्रेरणां प्राप्यानन्दवर्धनाचार्यो ध्वनिसिद्धान्तं स्थापितवान् 'काव्यस्यात्माध्वनिरिति बुधैः यः समान्मात पूर्वः' इति।

कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, इति प्रश्ने रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इत्याह। तत्रागमः खल्वपिब्राह्णेन निष्कारणो धर्मः षडङो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च। प्रधानं च षडङ्गेषु व्याकरणम्। प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति।

पुनः प्रश्नः शब्दस्य ज्ञाने धर्मः उत्प्रयोगे। उत्तरितं च ज्ञानपूर्वके शब्दप्रयोगे धर्मः। तथा हि श्रुतिः एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुप्रयुक्तः शास्त्रान्वितः स्वर्गेलोके च कामधुग्भवति।। इति। व्याकरणं च न केवलं सूत्रं नवा केवलं शब्दोऽपितु लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम् इति शब्दानित्याः सन्ति, तेषां शब्दानां साधुत्वप्रतिपादनं व्याकरणेन क्रियते। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र, शब्दोनित्यः अर्थोऽपिनित्यः तयोः सम्बन्धोऽपिनित्य इति सिद्धान्तितम्।

व्याकरणस्य महत्त्वं प्रतिपादयति वाक्यपदीयम्

अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनम्।
तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते।।
तद् द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम्।
पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते।।
इयं सा मोक्षमाणानामजिह्मा राजपद्धतिः।। इति च।

एवं प्रकारेण महत्त्वपूर्णस्यास्य विषयस्य सम्यग् विवेचनमत्र ग्रन्थेऽधिकारिविद्वद्भिः कृतमिति महानामोदस्य विषयः विस्तृतस्य व्याकरणस्य व्याख्यानमेकेन केनापि विदुषा कर्तुमशक्यमेव विद्यते, कालप्रभावात्। परञ्च प्रधानसम्पादकेन पद्मभूषणेन पण्डितप्रवर बलदेवोपाध्यायेन सुचिन्तनं कृत्वा पण्डितगोपालदत्तपाण्डेयमहोदयस्य सम्पादकत्वेन विनियोजनं कार्यस्य सम्पादनं महत्वपूर्णमासीत्। यद्यपि श्री गोपाल दत्त पाण्डेयः शासकीयपदेषु आजीवनं कार्यं कृतवान् तथापि व्याकरणशास्त्रस्याध्ययनं तथा लेखने सिद्धता सुप्रमाणिता विद्यते। अन्तिमे वयसि विद्यमानोऽपि विद्वन्मूर्धन्योऽयं बहुपरिश्रमेणास्य व्याकरणखण्डस्य सम्पादने अभिरुचिं प्रदर्शितवान्। तस्यैवपरिश्रमस्येदं फलं व्याकरणखण्डम्।

अत्र ते सर्वेऽपि लेखकाः भृशमभिनन्दनीयाः सन्ति यैः मनोयोगेन विविधविषयेषु निबन्धाः दत्ताः। प्रो. गोपाल दत्त पाण्डेयः, डॉ. जानकी प्रसाद द्विवेदी, प्रो. दयानन्द भार्गवः, आचार्य रामाधीन चतुर्वेदी इत्यादयो विद्वांसः स्वकीयैः पाण्डित्यपूर्णलेखैः ग्रन्थं विभूषितवन्तः सन्ति, एतदर्थमहं स्वकीयं हार्दिकं कार्तज्ञ्यं ज्ञापयामि। डा. धनीन्द्रकुमार झा महोदयः केन्द्रीयसंस्कृत-विद्यापीठे लक्ष्मणपुरे व्याकरणशास्त्रस्य लब्धप्रतिष्ठिः प्राध्यापको विद्यते। अस्य व्याकरणपाटवमहमस्याध्ययनकालादेव विजानामि। प्रस्तुतस्यास्य व्याकरणखण्डस्य प्रकाशने, परिष्करणे, शब्दसूच्यादिसंशोधने चानेन सुप्रसिद्धवैयाकरणेन महती सारस्वती सेवा समर्पिता। डा. झा-महोदयस्य बुद्धिवैलक्षण्यं प्रातिभं ज्ञानञ्च शास्त्राणां परिशीलने संवर्धने च सुसमर्थं विद्यतेऽत्र नास्ति सन्देहावसरः। संस्थानपक्षतोऽहमस्य समुज्ज्वलभविष्यपथिसमुन्नतये शुभाशीर्वचोभिः भृशं वर्धापयामि, परिश्रमार्थञ्च हार्दिकीं शुभकामनां प्रकटीकरोमि। पुनश्चास्य व्याकरण खण्डस्य सम्यक् प्रकाशनार्थं संस्थानस्य निदेशको डॉ. सच्चिदानन्दपाठक महोदयो नूनं धन्यवादार्हः यः सद्यः प्रकाशनार्थं प्रेरितवान्। संस्थानस्य सहायकनिदेशकः डॉ. चन्द्रकान्त द्विवेदी महोदयः ग्रस्थस्यास्य प्रकाशने सर्वतो भावेन कार्यं सम्पाद्य पूर्त्यर्थं प्रयत्नं कृतवानेतदर्थं मम अस्य समुन्नत्यै हार्दिकी शुभकामना विद्यते। संस्थानस्यान्येऽपि कर्मचारिणः तत्परतया सम्पादने आवश्यकं कर्तव्यं पालितवन्तः, तदर्थं तेऽपि साधुवादार्हाः सन्ति। सम्यक् मुद्रणार्थं "शिवम् आर्ट" मुद्रणालयस्याधिपतयः कर्मचारिणश्च भृशं धन्यवादार्हाः इति शम्।

विदुषां वशंवदः
नागेन्द्र पाण्डेयः

निवेदन

व्याकरण शास्त्र का मूल वेद ही है। इसी क्रम में तन्त्रों एवं पुराणों में भी व्याकरण को सूत्र रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिनकी विशद व्याख्या सुव्यवस्थित रूप में परवर्ती व्याकरणाचार्यों द्वारा की गयी है।

......व्याकरण शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है जिस शास्त्र के माध्यम से शब्दों की व्याकृति या व्युत्पत्ति की जाय (वि+आङ्+ कृ-करणे +ल्युट्)।

इस प्रकार प्रकृति, प्रत्यय आदि के माध्यम से जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति की जाय अथवा साधुत्व की निष्पत्ति (सिद्धि) की जाय, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शब्दों के प्रयोग, अनुप्रयोग एवं संश्लेषण के साथ साथ विश्लेषण भी करता है। इसके माध्यम से ही शुद्ध शब्दों का अशुद्ध शब्दों से पार्थक्य किया जाना संभव है। इसलिये शब्दों के संस्कार के लिये व्याकरण का पढ़ना अनिवार्य बताया गया है :-

यद्यपि बहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र! व्याकरणम्।
स्वजनः श्वजनो माऽभूत्सकलः शकलः सकृच्छकृत् ।।

भाषा के प्रवाह में एक शब्द के अनेक अपभ्रंश हो जाते हैं। जैसे अकेले "गो" शब्द का गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका जैसे अपभ्रंश हैं, किन्तु गम् (गच्छ जाने के अर्थ में) धातु से डी प्रत्यय लगने के विधान (व्याकरण के नियमों) से "गो" शब्द ही शुद्ध माना जाता है। शेष गावी गोणी आदि अपने आप निराकृत हो जाते हैं।

इस प्रकार व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन यह है कि यह प्रयोग किये जाने वाले शब्दों के स्वरूप का निर्धारण करे, जिससे उसकी निरन्तरता और पहचान बनी रहे अन्यथा कालक्रम के प्रभाव से लम्बे समयान्तराल के बाद प्रयुक्त शब्दों का अर्थ निकालना भी सम्भव नहीं होगा, इससे भाषा के मुख्य प्रयोजन का ही व्याघात हो जायेगा और संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। अतः भाषा के संवादशीलता जैसे पुनीत उद्देश्य के संरक्षण के लिये व्याकरणशास्त्र एक अनिवार्यता है।

व्याकरण शास्त्र की प्राचीन परम्परा-शब्द ब्रह्म है, तो अर्थ उसकी शक्ति। नाद के माध्यम से सृष्टि की व्याकृति के क्रम में वाणी के विभिन्न रूपों में अर्थान्वयता से ही सृष्टि के नियति स्वरूप की सार्थकता है इसलिये श्रुति (वेदों) के अर्थानुसंधान के लिये प्रातिशाख्यों का अपना ही महत्त्व है। इस प्रकार वेदों के साथ ही व्याकरण का महत्व जुड़ा हुआ है। सृष्टि रचना के साथ शब्दानुवर्ती व्याकरण का प्रणयन स्वयं ब्रह्मा से माना गया है।

इस संबंध में ऋक्तन्त्र प्रातिशाख्य में जैसा कि उल्लिखित है- अक्षरसमाम्नाय ब्रह्मा से बृहस्पति, बृहस्पति से इन्द्र को और इन्द्र से भरद्वाज को, भरद्वाज से अन्य ऋषियों को और ऋषियों से ब्राह्मणों को प्राप्त हुआ।

व्याकरण शब्द शास्त्र से जुड़े अन्य शब्द शास्त्री (शाब्दिक) इन्द्र, चन्द्र, काशकृत्स्न आपिशलि, शाकटायन, पाणिनि, जैनेन्द्र का मुख्य रूप से उल्लेख प्रवर्तक आचार्यों के रूप में किया गया है। महर्षि पाणिनि ने भी अपने अष्टाध्यायी में अनेक ऐसे कतिपय विद्वानों का संदर्भ दिया है-

१.	आपिशलि	(सूत्र ६.१.९२)	२.	काश्यप	(सूत्र १.२.२५)
३.	गार्ग्य	(सूत्र ७.३.९९)	४.	गालव	(सूत्र ८.४.६७)
५.	चाक्रवर्मण	(सूत्र ६.१.१३०)	६.	भारद्वाज	(सूत्र ७.२.६३)
७.	शाकटायन	(सूत्र ८.३.१८)	८.	शाकल्य	(सूत्र ६.१.१२७)
९.	सेनक	(सूत्र ५.४.११२)	१०.	स्फोटायन	(सूत्र ६.१.१२३)
११.	पौष्करसादि	(सूत्र ८.४.३८)			

इस प्रकार पाणिनि के समय में ही वैदिक व्याकरण के क्रम में भाषा विकास को व्यवस्थित करने के लिये वैयाकरणों के दो सम्प्रदाय थे-१-प्राक् २-उदक्। इस प्रकार संस्कृत भाषा अनेक व्याकरणों के मत मतान्तरों के अन्तर्गत अनेक स्वरूपों में बिखर रही थी। अतः पाणिनि के जिम्मे जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था भाषा के स्वरूप को निर्धारित करने वाले इन शब्द-विश्लेषणों का संश्लेषण।

हम सभी जानते हैं कि विश्लेषण मस्तिष्क से होता है, संश्लेषण हृदय से और हृदय से किसी संश्लिष्ट तत्व के उद्गम के लिये अन्तः प्रेरणा की आवश्यकता होती है।

कहते हैं कि यह अन्तः प्रेरणा मन्त्र-सूत्रों के रूप में पाणिनि के हृदय में जहां से उतरी, वह मूल स्रोत थे-स्वयं शिव या महेश्वर और इसी प्रेरणा के उद्भाव ने पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पर्याय बना दिया। वास्तव में अष्टाध्यायी के माध्यम से तन्त्रशास्त्र के मन्त्र बीजों की व्याख्या प्रस्फुटित हुई है। जब वह 'विसर्जनीयस्य सः' जैसे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तो बिन्दु से विसर्ग की अभिव्यक्ति का क्रम परोक्ष की भूमिका के रूप में झलकने लगता है। यह प्रणव (ॐ) से सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम को स्पष्ट रूप से द्योतित करता है।

पाणिनि का व्याकरण लौकिक एवं वैदिक शब्दशास्त्रों का समीकरण है। यह केवल शब्दानुशासन ही नहीं, बल्कि निसर्ग एवं जीवन का अर्थानुशासन भी है जिसने 'संस्कृत' को

संस्कृत भाषा का रूप दिया। शिवशक्ति के शब्दार्थ के अन्वित स्वरूप की व्युत्पत्ति पाणिनि की अष्टाध्यायी में ही है, जिसमें वैदिक स्वर प्रकरण को भी संकेत भाव से अनुशासित किया गया है, जैसा कि भट्टोजि दीक्षित की 'सिद्धान्तकौमुदी' में उल्लिखित है।

व्याकरण को वेद का मुख माना गया है। वेद के ६ प्रमुख अंग हैं-शिक्षा २. व्याकरण ३. निरूक्त ४. ज्योतिष ५.छन्द, ६. कल्प। इनमें व्याकरण ही सर्वप्रधान है। वास्तव में पाणिनि के व्याकरण की सम्पूर्ति कात्यायन के वार्तिक और महर्षि पतञ्जलि के महाभाष्य से होती है और इन्हीं तीनों मुनियों की त्रिधा शक्तियों से समग्र व्याकरण की रचना सम्पन्न हुई।

इस प्रकार वैदिक साहित्य के शब्दों के अन्वाख्यान के लिये प्रातिशाख्य, उनकी निष्पत्ति के लिये निरुक्त तथा उच्चारण संबंधी नियमों के लिये शिक्षा का क्रम बनाये रखते हुये भाषा के प्रवाह एवं फैलाव को अनुशासित करने के लिये पाणिनि के पूर्ववर्ती वैयाकरणों ने जहां अपनी उपयोगी भूमिका निभायी वहीं भाषा की स्वच्छ प्रवहमाण सरिता के नागरिक सुसंस्कृत तथा स्थायी उपयोग के लिये उपरोक्त मुनित्रयी ने व्याकरण को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करते हुये पूर्वापर संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से तथा नागरिकों के उपयोगार्थ एक सरल किन्तु सुव्यवस्थित कुलिका का रूप प्रदान किया।

वस्तुतः कात्यायन के वार्तिक पाणिनि सूत्रों के उद्घोषक भी हैं, पूरक भी। पतञ्जलि से पूर्व व्याडि कुर्णि आदि आचार्यों के व्याख्यानग्रन्थ की चरमपरिणिति पतञ्जलि के महाभाष्य द्वारा अभिव्यक्त "शब्दानुशासन" से हुई, जिसे व्याकरण के क्षेत्र में आज भी चिरस्थायी मान्यता प्राप्त हैं। इसी महाभाष्य से भट्टोजि दीक्षित ने "शब्दकौस्तुभ" तथा कौण्डभट्ट ने 'व्याकरणभूषणसार' निर्मित किया जब कि व्याडिकृत एक लाख श्लोकों का संग्रह ग्रन्थ अनुप्रयोगाभाव में आज लुप्तप्राय है। पाणिनि के द्वारा प्रवर्तित इसी मुनित्रयी परम्परा में सर्वप्रथम सूत्रक्रमानुसार व्याख्या वामन तथा जयादित्य द्वारा रचित "काशिका" वृत्ति है। जिनका विशेष विवरण वर्तमान सम्पादक द्वारा लिखित प्रस्तावना में देखा जा सकता है।

यदि सच पूछा जाय तो पाणिनि की समस्त अष्टाध्यायी एक चरमोत्कर्ष प्राप्त ऋषि की तपःपूत उपलब्धि है, जिसका उद्घोष भगवान शिव के महेश्वर सूत्रों से हुआ। इन्हीं सूत्रों के जाल में पूरी अष्टाध्यायी तथा पाणिनि की परम्परा सुव्यवस्थित रूप से पिरोई हुयी है। इस प्रकार पाणिनि का आर्विभाव अक्षरब्रह्म के दृष्टा के रूप में एक महर्षि के रूप में हुआ, जिनका व्याकरण एक वैज्ञानिक शब्दानुशासन मात्र नहीं, अपितु अध्यात्म दर्शन एवं भाषा-विज्ञान का चमत्कारिक समन्वय है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में व्याकरण-जगत् में पाणिनि जैसे प्रकाशमान सूर्य के साथ-साथ संस्कृत वाङ्मय के पूरे व्याकरण को आच्छादित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास को सफलता के लक्ष्य के रूप में प्राप्त कराने वाले सूत्रधार हैं, प्रो. गोपाल दत्त पाण्डेय जो इस खंड के सम्पादक हैं और यशः शरीर से विद्यमान आदि संपादक पं. बलदेव उपाध्याय जी से अनुप्राणित हैं, जिनकी प्रेरणा पूरे ग्रन्थ में सूत्र के रूप में पिरोयी हुयी है।

संस्थान की ओर से तथा अपनी ओर से मैं प्रो. गोपाल दत्त पाण्डेय का अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने आदि प्रधान संपादक पं. बलदेव उपाध्याय की प्रेरणा से इस ग्रन्थ के रूप में साकार करने में महती भूमिका निभायी है। उन्होंने अपनी विद्वतापूर्ण भूमिका के साथ-साथ वैदिक परम्परा से व्याकरण से जुड़े महर्षियों, ग्रन्थकारों तथा उक्त क्रम में पाणिनि के द्वारा उल्लिखित पूर्व वैयाकरणों तथा अनुल्लिखित वैयाकरणों का प्रचुर रूप में परिचय दिया है। इसी क्रम में उन्होंने पाणिनि परम्परा से जुड़े स्वयं महर्षि पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि के परिचय के साथ-साथ अष्टाध्यायी, वार्तिक एवं महाभाष्य से जुड़े प्रसंगों ग्रन्थों का सटीक विवेचन किया है तथा उन्हें पूर्वापर अनुक्रम में प्रस्तुति कौशल के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान किया है।

अष्टाध्यायी के वृत्तिकार तथा शब्दकौस्तुभ एवं वैयाकरण सिद्धान्तनिधि पर ऐतिहासिक दृष्टि से एवं विशेषतापरक व्याख्या समग्र विश्लेषण के साथ डा. जानकी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य एवं अध्यक्ष, तिब्बती उच्च शिक्षण संस्थान, वाराणसी, डा. दयानन्द भार्गव, आचार्य एवं अध्यक्ष डा. सत्यप्रकाश दूबे, संस्कृत विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत की गयी है। उनकी इस विद्वतापूर्ण प्रस्तुति के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ।

इसी क्रम में प्रक्रिया ग्रन्थ एवं व्याख्या सम्पत्ति के अन्तर्गत ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेते हुए प्रौढ़मनोरमा, नागेश (नागोजी) भट्ट के कृतित्व का व्याख्यात्मक विवरण दिया गया है। नागेशभट्ट कृत 'लघु-मञ्जूषा' तथा 'शब्देन्दुशेखर' को क्रमशः सन्तति के स्थान पर पुत्री एवं पुत्र के रूप में उनके द्वारा भगवान शिव को अर्पित किया गया और इसे इनके शिव पार्वती की उपासना का फल भी माना जाता है। इस प्रकरण में वर्तमान संपादक के साथ श्री जानकी प्रसाद द्विवेदी, श्री द्वारिकाप्रसाद शास्त्री, श्री नरहरि शास्त्री धत्ते का योगदान उल्लेखनीय है। इन सभी के हम हृदय से आभारी हैं।

संस्कृत का व्याकरण सूत्रात्मक होने के साथ-साथ वैज्ञानिक भी है और इससे पाश्चात्य जगत चमत्कारिक रूप में प्रभावित हुआ। विशेषकर पाणिनि के व्याकरण से भारत की प्रतिष्ठा विशेषरूप से विदेशों में बनी है। इस प्रसंग में भी इस ग्रन्थ में संगति संदर्भों का समावेश किया गया है।

जैसा कि पहले ही विवेचित किया जा चुका है कि संस्कृत का व्याकरण आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। 'प्रकृति' और 'प्रत्यय' के समावेश से शब्दात्मक ब्रह्म की उपलब्धि दार्शनिक प्रक्रिया का ही एक अंग है। यह संबंध 'प्रकृति' और 'पुरुष' के संबंध के समान नित्य है। 'सुप्' 'तिङ' प्रत्यय से युक्त होने पर ही प्रकृति पद रूप से परिणित होती है। वस्तुतः केवल प्रकृति या प्रत्यय का उपयोग संभव नहीं है। भर्तृहरि का 'वाक्यपदीय' वस्तुतः व्याकरण की दार्शनिक व्याख्या का ही प्रतिफल है।

इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धि सोपानपर्वणाम्।
इयं सा मोक्षमार्णानामजिह्मा राजपद्धतिः।।

सांख्य दर्शन के अतिरिक्त तन्त्रागम के बीजाक्षर एवं बिन्दु और नाद से सृष्टि की नैसर्गिकी स्फुरता प्रकट है। माहेश्वर सूत्र के अ से लेकर ह तक 'अहम्' सम्पूर्ण विश्व के प्रकट रूप को समाहित करता है ताकि प्रथम अक्षर 'अ' से शिव और 'ह' से शक्ति का बोध होता है। जो मूल प्रकृति की अभिव्यक्ति करता है। दर्शन के विवर्त सिद्धान्त, सम्बुद्धि तत्व, स्फोटतत्त्व, आदि का विधिवत् प्रतिपादन सूत्रों के रूप में व्याकरण परम्परा में है। इसका विवेचन तथा शाब्द बोध विमर्श के अन्तर्गत किया गया है। इस प्रसंग में दार्शनिक स्वरूप को संकेत रूप में रखने के लिये हम डा. रामाधीन चतुर्वेदी पूर्व व्याकरण विभागाध्यक्ष, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के एवं परम्परा के लिये संपादक एवं श्री जगन्नाथ शास्त्री योगतन्त्र विभाग, वाराणसी के आभारी हैं।

पाणिनि की परम्परा से अलग भी व्याकरण का प्रचार प्रसार रहा है। पालि तथा प्राकृत भाषाओं से भी संस्कृत व्याकरण का गहरा एवं अभिन्न संबंध है। परिशिष्ट के रूप में पाणिनि ग्रन्थों के साथ-साथ लक्ष्यप्रधान काव्यशास्त्र तक पाणिनेतर व्याकरण के पक्ष को भी प्रस्तुत ग्रन्थ में समाविष्ट किया गया है। इसके लिये संपादक के साथ-साथ डा. जानकी प्रसाद द्विवेदी का हृदय से विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं। जिन्होंने ऐसे विषय पर अपना अभिमत व्याख्या सहित रखा है।

हमारा प्रयास रहा है कि वाङ्मय के प्रधान संपादक पं. बलदेव उपाध्याय की प्रेरणानुसार सभी पहलुओं को उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तथा विश्लेषणात्मक रूप समाहित किया जाय। यह प्रयास कितना सफल रहा है इसके प्रमाण तो विद्वद्वृन्द और जिज्ञासु ही हो सकते हैं जो इसका अध्ययन करेंगे।

केन्द्रीय संस्कृत संस्थान, लखनऊ के विद्वान प्राध्यापक डॉ. धनीन्द्र कुमार झा के हम हृदय से आभारी हैं जिन्होंने अपनी ज्ञानमञ्जूषा से इसे शुद्ध रूप में अभिव्यक्ति देने में

अपना अमूल्य समय और सहयोग दिया है। इसके प्रकाशन, परिष्करण, शब्दसूची निर्माण में इन्होंने जिस प्रतिभा और कौशल का योगदान दिया है इसके लिये आभार प्रदर्शन मात्र पर्याप्त नहीं है।

इस खंड के समय से प्रकाशित होने में निरन्तर शक्ति के रूप में अपने अमूल्य समय तथा वैयक्तिक सुविधा को संस्थान के हित में समर्पित करने वाले विद्वान् अध्यक्ष डा. नागेन्द्र पाण्डेय की सत्प्रेरणा के प्रति संस्थान सदैव आभारी रहेगा। संस्थान के सहायक निदेशक डा. चन्द्रकान्त द्विवेदी तथा संस्थान के अन्य सहयोगी को इस ग्रन्थ के समय से पूर्ण करने के निमित्त बनने के लिये मैं साधुवाद देता हूँ और मुद्रण की शुद्धता और नैरन्तर्य बनाये रखने के लिये शिवम् आर्ट प्रेस के जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ।

हम सभी अन्त में परमपिता परमेश्वर को हृदय से नमन करते हुए शिवत्व प्राप्त आदि संपादक पं. बलदेव उपाध्याय के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा अर्पित करते हैं जिनकी प्रेरणा से वाङ्मय के इतिहास की यह महत्त्वपूर्ण कड़ी सम्पन्न हुयी।

विनयावत

नागपञ्चमी (श्रावण शु. ५) सं. २०५६

डा. सच्चिदानन्द पाठक

निदेशक

आमुखम्

नैतावत् परोक्षं प्रेक्षावतां यद् वेदार्थप्रतिपादकेषु सुप्रसिद्धेषु षट्सु वेदाङ्गेषु प्रधानं व्याकरणमेवेति। तथा हि प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति। अतः शब्दसाधुत्वप्रतिपादनपरा व्याकरणस्मृतिः लोके सुप्रसिद्धा जाता। तथा चाह भर्तृहरिः-"शब्दसाधुत्वविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः"। वर्तमाने अस्याः स्मृतेः प्रथमः प्रवक्ता महर्षिः पाणिनिः शब्दशास्त्रकुलगुरुतां भजते। यद्यपि पाणिनेः पूर्वम् अनेके वैयाकरणा बभूवुः परं तेषां ग्रन्थाः साकल्येन नोपलभ्यन्ते। यत्र-तत्र विविधेषु ग्रन्थेषु तेषाम् उद्धरणानि अवलोक्यन्ते। अतएव तेषां विद्यमानत्वे न कोऽपि सन्देहः पूर्वेषामप्याचार्याणां कृतयः सूत्ररूप एव निबद्धा एवाऽऽसन्। परम्परानुसारम् अनेन कुलगुरुणा पाणिनिना च सैषा व्याकरणस्मृतिः सूत्रेषूपनिबद्धा। तानि च सूत्राणि अष्टभिरध्यायैर्गुम्फितत्वाद् 'अष्टाध्यायी' ति नाम्ना व्यवह्रियते। अस्यामष्टाध्याय्यां लौकिक वैदिकोभयविध-शब्दप्रक्रिया-विलासो विलसति। अनेन लोकवेदोभयमार्गेण सञ्चरमाणः स एष पाणिनिमुनिः अक्षरसमाम्नायादारभ्य शब्दसिद्धिप्रतिपादनपरं विलक्षणं तन्त्रं प्रणिनाय यस्मिन् पथि पाणिनेः प्राक् कोऽप्याचार्यः न सञ्चचार। इदमेव पाणिनिव्याकरणस्य व्याकरणान्तरेभ्यो वैशिष्ट्यम्। अतो वैशिष्ट्यविरहादेव प्राक्तनानि व्याकरणान्तराणि सहजमत्या विस्मृतिपथं गतानि। विलसति च लोकवेदोभयशब्दानुशासनपरत्वात् पाणिनीयं तन्त्रमेव निखिलव्याकरण-राशिशिरोरत्नायमानमिति।

भगवतः पाणिनेः स्वोपज्ञत्वविषये भगवान् पतञ्जलिरेवमाह -"सामर्थ्ययोगान्नहि किञ्चिदत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्" इति। किं बहुना पाणिनेः सूक्ष्मेक्षिकां दृष्ट्वा तस्य गौरवातिशयो महता कण्ठेन समादरेण च समुद्घोषितः। तथैव चावधारितं यत् पाणिन्युपज्ञं व्याकरणं मानवप्रतिभायां महनीयं विचित्रं चाविष्करणमिति।

पाणिनीसूत्राणामर्थं विशदीकर्तुं प्राचीनकालादेव बहवो वृत्तिकाराः प्रयतनपरा अभूवन्। तेषु व्याडिकुणि-प्रभृतिभिराचार्यैर्गुम्फिता वृत्तयः सुप्रसिद्धा आसन्, किन्तु ताः सम्प्रति न समुपलभ्यन्ते। किञ्चित्कालानन्तरं पाणिनेः सूत्राणि कात्यायनस्य वार्तिकानि च व्याचिख्यासुः शेषावतारो भगवान् पतञ्जलिः महाभाष्याख्यं ग्रन्थरत्नं प्रणिनाय। महाभाष्यविरचनानन्तरं पाणिन्युपज्ञं व्याकरणं सर्वाङ्गपूर्णं समभवत्। तस्य भासाभासमाना सर्वा लक्ष्यसिद्धिर्निर्दोषा सञ्जाता। तदेवं सूत्रानुसारिव्याख्यानमनुसृत्य व्याकरणाध्ययनाध्यापनरीतिर्विद्वद्भिरनुमोदिता प्रख्यापिता च। कालक्रमेण सूत्रानुसारिणी प्रक्रिया शनैः शनैः शैथिल्यमभजत। कालप्रभावादेव व्याकरणाध्यापने क्लेशमनुभवन्तो विद्वांसः कार्यकालपक्षाङ्गीकार एव छात्राणामभिरुचिं पश्यन्तो लक्ष्यसाधनात्मिकां सरणिमनुसृत्य प्रक्रियाग्रन्थान् व्यरचयन्। अस्य प्रभावेण नूतनप्रक्रियाग्रन्थानां प्रचारः समभवत्। नूतनप्रक्रियाग्रन्थकारेषु भट्टोजिदीक्षितः सर्वाग्रणीर्बभूव। तेन विरचिता "सिद्धान्तकौमुदी" सुप्रसिद्धा जाता। अन्ये "प्रक्रियासर्वस्व"-प्रभृतयो ग्रन्था अध्यापने प्रचलिता नाभवन्। काशिकाप्रभृतीनांतु का कथा ? भट्टोजिदीक्षितस्यापरोग्रन्थः शब्दकौस्तुभस्तु सूत्रक्रमानुसारी

एव। अतएव भट्टोजिदीक्षितः सूत्रक्रमानुसारिव्याख्यानमपि स्वीकरोति। सिद्धान्तकौमुद्या अन्ते भट्टोजिदीक्षित एवमाह-

'इत्थं लौकिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितम्' इति। अग्रे स एव इत्थं वदति-'विस्तरस्तु यथाशास्त्रं द्रष्टव्यं शब्दकौस्तुभे' इति।

दीक्षितानन्तरं व्याकरणाध्यापनप्रणाली नवीनतामभजत। सा खलु ''नव्यव्याकरणमिति नाम्ना सुविदिता' तत्र नवीनत्वं पदपदार्थयोर्विचारो भाषाया वैशिष्ट्येन वैलक्षण्यं जनयति तच्च नव्यन्यायानुप्राणितकलिताया भाषायाः प्रभावेण संवृत्तम्। परिष्कारपद्धत्याः सुविदितेषु विज्ञेषु विश्वेश्वर-नागेश-दण्डी-पायगुण्डे-बालशास्त्रि-प्रभृतयोऽनेके विद्वांसः समभूवन्। सैषापद्धतिरद्यत्वे शिथिलत्वं भजते, परिश्रमजन्यत्वात्। केवलं पारिभाषिकशब्दानां सिद्धान्तस्वरूपेणैव अध्येतारः परिष्काराणां पर्यवसानमेव भजन्ते।

लक्ष्य-लक्षणात्मकस्य व्याकरणस्य प्रयोजनं केवलं शब्दानुशासनमेव नासीदपि च शब्दस्य वास्तविकस्वरूपावबोधनमपि आवश्यकमासीत्। इत्थं च शब्दस्य शास्त्रत्वं, विज्ञानत्वं, दार्शनिकत्वं चेति त्रीणि रूपाणि त्रयीवत् प्रामाण्यकोटौ निवेशितानि। भर्तृहरिणा वाक्यपदीयस्य प्रारम्भ एव शब्दब्रह्मणः स्वरूपं प्रतिपादितम्। अग्रे च ध्वनितत्त्वस्य प्रतिपादनेन सहैव स्फोटस्य च निरूपणं कृतं-''ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते। अल्पो महांश्च केषाञ्चिदुभयं तत् स्वभावतः'' ध्वनेश्च नित्यत्वमधुना वैज्ञानिकैः आकाशवाण्यादि माध्यमेनापि दर्शितम्। स्फोटरूपेण च शब्दस्य अक्षरत्वं विज्ञापितम् अध्यापनविषये च नूतना प्रणाली काव्यस्य माध्यमेन अनेकैः कविभिः काव्यानि विरचयन्तो ह्याविष्कृता। भट्टिकाव्यादीनां प्रणेतारो महाकवयो व्याकरणाध्ययनमार्गं सरलमकुर्वन्। अनेन पथा विचरन्तस्छात्राः काठिन्यं न भजन्ते। अधुनापि अध्ययनाध्यापनं काव्यशास्त्रमाध्यमेन च प्रचलति।

केवलं पाणिनि-सम्प्रदाय एव भारतवर्षे प्रचलितो न बभूव तदतिरिक्तमन्ये व्याकरणसम्प्रदायाः सुविदिता आसन्। ते च-ऐन्द्र-चान्द्र-काशकृत्स्न-जैनेन्द्र-हेमचन्द्र-नामभिः संख्यावन्तः समभूवन्। किन्तु पाणिनिव्याकरणस्य सर्वोत्कृष्टत्वात् तेषां प्रचारो नाऽभवत्।

एवं हि व्याकरणाध्येतॄणां राष्ट्रभाषाभाषिणां कृते संस्कृतव्याकरणेतिहासः साकल्येनोपबृंहितः। अनेकैर्लेखकैः समष्ट्या विभिन्नेषु प्रकरणेषु व्याकरणशास्त्रस्य प्रस्तुतिः कृता। एते च धन्यवादार्हाः। सैषा प्रस्तुतिः व्याकरणशास्त्रेतिहासजिज्ञासूनां महतेऽवबोधाय वैदग्ध्यमूलाय श्रेयसे च कल्पिष्यत इति मतिर्मम। अस्य व्याकरणखण्डस्य संयोजनादिकार्ये ममान्तेवासी डा. रमाकान्त झा अपि साहाय्यमकरोदिति सोऽप्याशीर्वादभागिति शम्।।

बलदेव उपाध्यायः

गुरुपूर्णिमा

विद्या विलासः

वि.सं. २०५५

रवीन्द्रपुरी, वाराणसी।

प्राक्कथन

भारतीय विचार-सरणि में शब्दशास्त्र का सर्वाधिक महत्व है। भाषा का उद्‌गम स्थान शब्द ही हैं। यदि शब्द-ज्योति से यह संसार आलोकित न होता तो त्रैलोक्य में अंधकार व्याप्त हो जाता। ऐसी स्थिति में क्या दुर्गति होती ? यह कि प्रत्येक प्राणी मूक रहकर अपने दुर्भाग्य से ग्रस्त रहता। शब्द-ज्योति के वरदान को पाकर समस्त जगत प्रदीप्त हो उठा-

"इदमन्धन्तमःकृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते"।।
(काव्यादर्श - दण्डी)।

शब्द-संहिता के रूप में सर्वप्रथम वैदिक-वाङ्मय के प्रकट होने से व्याकरण वेद का अंग माना गया। कारण यह है कि वेद में अनेकों पदों की व्युत्पत्तियाँ उपलब्ध होती हैं जो व्याकरण की प्राचीनता सिद्ध करने के लिये पर्याप्त मानी जा सकती हैं इस सम्बन्ध में महर्षि पतञ्जलि ही प्रमाणभूत आचार्य हैं। उन्होंने महाभाष्य के प्रथम आह्निक में पांच ऋचाओं को उद्‌धृत कर व्याकरण शास्त्र के प्रयोजनों को सङ्केतित किया है। इसके साथ ही पतञ्जलि ने उनका व्याकरण शास्त्रपरक अर्थ भी दिया है। फलतः आचार्यों की दृष्टि में व्याकरण वेद का ही अंग है। वेद के छहों अंगों में व्याकरण ही सर्वप्रधान है। व्याकरण शास्त्र का उदय कब हुआ - इस संबंध में अधिकतर विद्वानों की यह धारणा है कि पदपाठ में प्रकृति का प्रत्यय से, धातु का उपसर्ग से तथा समस्त पदों के पूर्व का उत्तर पदों से विभाग पूर्णतया प्रदर्शित किया जाता है और यह विभाजन पद्धति व्याकरण शास्त्र के अनुशीलन पर पूर्णतः आधृत है। गोपथ ब्राह्मण (पूर्वार्ध १/२४) में व्याकरण के अन्तर्गत प्रातिपदिक आख्यात, लिङ्ग, वचन, विभक्ति, प्रत्यय आदि प्रख्यात पारिभाषिक पदों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी इस प्रकार के पारिभाषिक शब्दों की विद्यमानता से व्याकरण शास्त्र की प्राचीनता तथा वेदाङ्गता प्रतिफलित होती है।

व्याकरणाध्ययन के संबंध में भी प्राचीन वैयाकरणों ने सूक्ष्म विचार किया है, महाभाष्य के प्रथम आह्निक में इस संबंध में विचार व्यक्त करते हुए पतञ्जलि ने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरण कात्यायन द्वारा विचारित पांच प्रयोजनों की विषद व्याख्या करते हुए उससे सम्बद्ध अनेक वैदिक मन्त्रों को विवेचित किया है। इस प्रकार वैदिक तथा लौकिक शब्दों के वास्तविक रहस्य को ज्ञात करने में शब्दशास्त्र का महत्व सर्वविदित है।

यद्यपि अनेक शताब्दियों से पाणिनि व्याकरण का ही सर्वत्र प्रचलन दिखाई पड़ता है तथापि पाणिनि से पूर्व अनेक वैयाकरणों ने अपने सम्प्रदायों को जन्म दिया था। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में दस वैयाकरणों का उल्लेख किया है। इन दस वैयाकरणों के

अतिरिक्त दस अन्य व्याकरण सम्प्रदाय भी प्रचलित रहे जिनमें ऐन्द्र व्याकरण अत्यधिक विस्तृत तथा व्यापक रहा। वैदिक व्याकरण के सम्बन्ध में प्रातिशाख्यों की मान्यता है। उपरिनिर्दिष्ट पाणिनीयेतर व्याकरणों में विविधता है। कुछ वैयाकरणों ने केवल लौकिक शब्दों पर ही विचार किया है तथा अन्य विद्वानों ने लौकिक और वैदिक दोनों की परिधि स्वीकार की है। किन्तु उनके ग्रन्थों के उपलब्ध न होने से उनकी समग्रता का बोध नहीं हो सकता। विविध ग्रन्थों में यत्र-तत्र उपलब्ध उद्धरण प्राप्त होने से उनके सिद्धान्तों का थोड़ा बहुत परिचय होता है।

पाणिनि के व्याकरण ने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों को निस्तेज कर दिया। उनकी अष्टाध्यायी सूत्र रूप में प्रकट होकर वैदिक और लौकिक व्याकरणों को मूर्त रूप देने में समर्थ हुई। अष्टाध्यायी का वर्गीकरण अत्यधिक वैज्ञानिक है। प्राचीन अध्यापन की दृष्टि से पाणिनि ने यथोद्देश पक्ष को अंगीकार किया है। क्रमशः उसका अध्ययन करने से पौर्वापर्य संगति मिल जाती है। आगे चलकर प्रक्रिया ग्रंथों की रचना करते समय ग्रन्थकारों ने कार्यकाल पक्ष को अंगीकार कर पाणिनि-सूत्रों के क्रम को शब्दरचनानुरूप परिवर्तित कर दिया। पाणिनि के अनन्तर कात्यायन ने अपने वार्तिकों की रचना की और इसीलिये वे 'वार्तिक्कार' के नाम से प्रख्यात हैं। वार्तिकों का क्रमिक स्वरूप अष्टाध्यायी के समान मौलिक पाठ के रूप में विद्यमान नहीं है।

महाभाष्य में विकीर्ण होने से वार्तिकों का संकलन किया जा सका। तृतीय आचार्य पतञ्जलि ने महाभाष्य की रचना कर अष्टाध्यायी के सूत्रों तथा वार्तिकों पर विस्तृत व्याख्या लिखकर पाणिनीय व्याकरण को प्रौढ़ता के उच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। परन्तु इस युग का विशालकाय लक्ष श्लोकात्मक परिणाम वाला 'संग्रह' नामक ग्रन्थ सदा सर्वदा के लिए विस्मृति के गर्त में चला गया। इसके रचयिता महर्षि 'व्याडि' की स्मृति व्याकरण ग्रन्थों में उपलब्ध कतिपय उद्धरणों तथा उल्लेखों से ही जागरुक है। उपर्युक्त तीनों आचार्यों द्वारा विरचित व्याकरण को पतञ्जलि के महाभाष्य ने यद्यपि पूर्णता प्रदान कर दी, फिर भी उसको स्पष्टतर करने की आवश्यकता को देखते हुए इन ग्रन्थों पर वृतियाँ तथा व्याख्याएं लिखने की ओर अनेक विद्वान् अग्रसर हुए। प्रथम व्याख्याकारों में जयादित्य, वामन, हरदत्त, कैयट आदि अधिक प्रसिद्ध रहे।

प्रक्रिया ग्रन्थों में जयादित्य-वामन द्वारा विरचित काशिका सर्व प्रसिद्ध है। सूत्रक्रमानुसार काशिका ने व्याख्यान एवं उदाहरणों तथा वार्तिकों का यथास्थान समावेश कर ग्रन्थ की उपयोगिता विदित कराई। इस ग्रन्थ के टीकाकारों में जिनेन्द्रबुद्धि का 'न्यास' तथा हरदत्त की 'पदमञ्जरी' सुप्रसिद्ध है। आगे चलकर भट्टोजीदीक्षित आदि विद्वानों ने इनके मतों का समर्थन एवं खण्डन कर काशिका की उपादेयता को स्वीकार किया है। वस्तुतः काशिका ही पाणिनि सूत्रों की मौलिकता प्रदर्शित करती है। काशिकाकार ने यथोद्देश्य पक्ष को स्वीकार

किया है। सूत्रानुसारी व्याख्याताओं में महाभाष्य के टीकाकार 'कैयट' तथा 'नागेश' का नाम अविस्मरणीय है।

अनेक शताब्दियों तक काशिका की उपादेयता बनी रही, किन्तु अध्यापन में सरलता लाने हेतु कार्यकाल पक्ष को अङ्गीकार कर अनेक आचार्य सूत्रक्रम में विषयानुकूल परिवर्तन कर नवीन दृष्टिकोण लेकर अग्रसर हुए। यह परिवर्तन प्रयोगसिद्धि की दृष्टि से सरल प्रतीत हुआ। तथा परिवर्तनानुकूल सूत्रों की वृत्तियों में भी नवीनता लाई गयी। इस परिवर्तन के प्रवर्तकों में रामचन्द्राचार्य, शेष श्रीकृष्ण, भट्टोजीदीक्षित, नागेश आदि उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार इन विविध स्थितियों को पार कर पाणिनीय व्याकरण वर्तमान काल में उपनीत हुआ है जिसमें उसकी प्रौढ़ता तथा अंतरंग अध्ययन के साथ-साथ उसके बहिरंग अनुशीलन की ओर भी विद्वानों की प्रवृत्ति जागरुक है।

सूत्रों की इस परिवर्तित योजना करने वालों में भट्टोजिदीक्षित सर्वाग्रणी रहे। उनकी सिद्धान्तकौमुदी' सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। दीक्षित ने अष्टाध्यायी के समान लौकिक और वैदिक शब्दों की सिद्धि तथा वार्तिकों का एवं प्राचीन वैयाकरणों के सिद्धान्तों का यथास्थान समावेश कर अपने ग्रन्थ की सार्थकता सिद्ध कर दी। उनके पुत्र, पौत्र, भाई तथा भतीजे सभी विद्वान हुए। और प्रत्येक ने विविध ग्रन्थ लिखकर यश प्राप्त किया। दीक्षित को स्वयं अपने ग्रंथ 'सिद्धान्तकौमुदी' की व्याख्या 'प्रौढ़मनोरमा' लिखनी पड़ी। इन्हीं के समकालिक नारायण भट्ट भी महान वैयाकरण हुऐ। जिनका 'प्रक्रियासर्वस्व' पाणिनीय शब्दों के अतिरिक्त अपाणिनीय शब्दों की साधुता सिद्ध करने के कारण प्रसिद्ध हुआ। इनकी यह रचना फिर भी 'सिद्धान्तकौमुदी' के समान प्रचारित नहीं हो सकी।

कार्यकालपक्ष पर आधारित इस नवीन पद्धति की प्रतिक्रिया यह हुई कि जन-समुदाय व्याकरण के मुख्य नियमों को जानने तक ही अपने को सीमित रखने लगा। इसके फलस्वरूप कौमुदी-ग्रन्थों के संक्षेप करने की ओर वैयाकरण अग्रसर हुए। कुछ ही दिनों में सिद्धान्तकौमुदी के दो रूप-मध्यसिद्धान्तकौमुदी तथा लघुसिद्धान्तकौमुदी सामने आये। इन दोनों ग्रन्थों में 'सिद्धान्तकौमुदी' की अपेक्षा लाघव के अतिरिक्त क्रमविन्यास में भी भिन्नता है। भट्टोजिदीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी की टीका स्वयं लिखकर प्राचीन आचार्यों की अनेक स्थानों पर समालोचना भी की है तथा उनके पौत्र हरिदीक्षित ने प्रौढमनोरमा पर 'शब्दरत्न' नामक व्याख्या लिखी। कहा जाता है कि यह व्याख्या सुप्रसिद्ध विद्वान् 'नागेश' ने लिखी थी। दीक्षित के कुछ ही समय पश्चात 'शब्दकौस्तुभ' के समान विश्वेश्वर पाण्डेय ने 'व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि' नामक आकरग्रन्थ की रचना कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इन्होंने सब शास्त्रों में ग्रन्थ रचना की है। इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि इसमें व्याकरणशास्त्र के विचारणीय विषयों को तर्क एवं मीमांसा की कसौटी पर कस नवीनता प्रदान की है। प्रकृत-ग्रन्थ में दीक्षित के मतों की अनेक स्थानों में समीक्षा की गई है।

तदनन्तर ईसा की १८वीं शताब्दी के आरम्भ में व्याकरण की अध्यापन शैली में वैचारिक परिवर्तन हुआ। इसका यह परिणाम हुआ कि मूल ग्रन्थों की रचना एक प्रकारसे बन्द हो गई और व्याख्याऐं अधिक लिखी जाने लगीं। इसके फलस्वरूप शैली की नवीनता ने व्याकरण को तार्किकता के साथ समन्वित कर दिया। नागेश के दो ग्रन्थों- 'लघुशब्देन्दुशेखर' तथा परिभाषेन्दुशेखर'- का अध्ययन एवं अध्यापन विशेष रूप से प्रचलित हुआ और इन्हीं पर आधारित विशेष स्थलों पर शास्त्रार्थ करने की प्रथा चल पड़ी। इस कार्य में गंगाराम शास्त्री त्रिपाठी अग्रसर हुये। आगे चलकर इनकी शिष्य परम्परा ने इस शैली को समुन्नत किया। गुरु परम्परा के अनुसार शिष्य और प्रशिष्य इन परिष्कारों की कोटी-प्रकोटियों में नवीनता लाने का प्रयत्न करने लगे। इस शैली से प्रभावित हो सुदूर दक्षिण नेपाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आदि से विद्वानों का काशी आगमन होना प्रारम्भ हुआ। तथा इन स्थानों पर भी नूतन शैली का अच्छा प्रचार हुआ। इस नवीन परम्परा का प्रचार राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काशी के आचार्य सुप्रसिद्ध विद्वान् काशीनाथ शास्त्री अष्टपुत्रे के समय से प्रारम्भ हुआ और अद्यावधि चल रहा है। किन्तु अब वह पुरातन गतिशीलता नहीं रही है। 'शेखरद्वय' पर अनेक विद्वानों ने टीकाऐं लिखीं तथा शास्त्रार्थ के स्थल विशेषों पर क्रोडपत्र भी लिखे। इसी परम्परा में बाल शास्त्री रानडे के समय यागेश्वर ओझा प्राचीन परिपाटी के महनीय पंडित रहे। बालशास्त्री के ये वैयाकरण शिष्य नव्य व्याकरण के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध हुए-पं. शिवकुमार शास्त्री, पं. दामोदर शास्त्री, पं. तात्या शास्त्री, तथा पं. विश्वनाथ दण्डी भट्ट। बाल शास्त्री के ही शिष्य गङ्गाधर शास्त्री तैलंग का वैदुष्य सब शास्त्रों में निर्बाध रहा। इन सब विद्वानों के शिष्यों में से गङ्गाधर शास्त्री तैलङ्ग के शिष्य नित्यानंद पंत पर्वतीय अपनी विद्वत्ता तथा त्याग के कारण सुविदित रहे हैं। इन्होंने 'लघुशब्देन्दुशेखर' पर 'दीपक' टीका लिखकर गुरुपरम्परागत परिष्कारों की सुरक्षा की। अन्य वैयाकरणों में नेपाल के राजगुरु हेमराज जी, जयदेव मिश्र, हरिनारायण त्रिपाठी, रामयशस्त्रिपाठी, सभापति उपाध्याय, रामाज्ञा पाण्डेय आदि प्रसिद्ध हुए हैं। विशेष विस्तार के लिए काशी की पाण्डित्य परम्परा' ग्रन्थ अवलोकनीय है। इसके साथ ही प्राचीन प्रक्रियाग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन विद्यमान रहा। काशी में ही रामनाथ द्विवेदी, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, काशीनाथ शर्मा, रघुनाथ शर्मा आदि विद्वानों ने प्राचीन प्रक्रिया प्रणाली के साथ ही व्याकरण शास्त्र के दर्शनपरक ग्रन्थों का विशेषतया आलोडन किया।

व्याकरण शास्त्र केवल शब्द साधुता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है किन्तु उसका दार्शनिक पक्ष भी उसकी मौलिक देन है। इस पक्ष में 'भर्तृहरि' का नाम उल्लेखनीय है। इनके ग्रन्थ 'वाक्यपदीय' में व्याकरण का दार्शनिक पक्ष उभर कर आया है। कात्यायन के द्वारा आरोपित दार्शनिक पृष्ठ भूमि का प्रकीर्ण रूप पतञ्जलि ने पल्लवित कर आगे के ग्रन्थकारों को पूर्ण रूप से प्रतिफलित करने का अवसर दिया। इस कार्य को भर्तृहरि ने पूरा किया।

उन्होंने छन्दोबद्ध रचना कर 'वाक्यपदीय' के तीन काण्डों में दार्शनिक विश्लेषण के साथ ही शाब्दिक प्रक्रिया के अङ्गों पर भी पूर्ण रूप से विचार किया है। भर्तृहरि ने 'महाभाष्य' पर भी टीका लिखी है। यह व्याख्या सम्पूर्ण उपलब्ध नहीं है। इनके गुरु 'वसुरात' थे। यह वामन और जयादित्य से कुछ प्राचीन रहे। कौण्डभट्ट, नागेश आदि ने भी अपने-अपने ग्रन्थों में दाशनिक पक्ष को पल्लवित किया है। वर्तमान काल में ऐतिहासिक पक्ष की ओर भी अनेक विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। इनमें से कतिपय तो विदेशी विद्वान् रहे हैं तथा भारतीयों में अंग्रेजी भाषा में तथा अन्य विद्वानों ने देशी भाषाओं में भी "ज्ञान-कोष" के माध्यम से व्याकरण शास्त्र के इतिहास का समावेश किया है। इतिहास की गति क्षण-प्रतिक्षण बदलती रहती है और वह सदैव साकाङ्क्ष रहता है और उसकी स्वतः पुनरावृत्ति होती है।

प्रस्तुत ग्रंथ मेरे शिष्य श्री गोपाल दत्त पाण्डेय ने सम्पादित कर यथाशक्ति उपयोगी बनाया है। यद्यपि ग्रन्थ के आरम्भ करने के पश्चात् दृष्टि-मान्द्य होने पर इन्होंने अपनी कठिनाई विदित कराई थी किन्तु तत्कालीन निदेशक श्री मधुकर द्विवेदी के आग्रह पर इन्होंने कार्य पूर्ण करना स्वीकार कर लिया। संस्कृत संस्थान के सहायक निदेशक डा. चन्द्रकान्त द्विवेदी की कार्यतत्परता से बृहद् इतिहास के प्रकाशन का कार्य प्रशस्त हुआ है। देववाणी की सेवा के प्रति समर्पित अपने प्रिय शिष्य डा. रमाकान्त झा को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं। संस्कृत व्याकरण इतिहास का जिज्ञासु वर्ग प्रकृत ग्रन्थ से लाभान्वित होगा ऐसी मेरी धारणा है।

शुभं भवतु

शुभाकाङ्क्षी

गुरू पूर्णिमा

बलदेव उपाध्याय

वि.सं. २०५५

विद्या विलास

रवीन्द्रपुरी, वाराणसी।

भूमिका

'अथ शब्दानुशासनम्' इति शब्दयता शेषावतारेण भगवता पतञ्जलिना 'शासनात् शंसनात् शास्त्रम्' इति शास्त्रशब्दस्य निर्वचनं हृदयङ्गमय्य शास्त्रस्यास्य अनुशासनत्वं समर्थितम्। तथा च 'व्याक्रियन्ते = व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन व्याकरणमिति व्युत्पत्त्या शब्दसाधुत्वप्रातिपादनमेवास्य शास्त्रस्य प्रधानं प्रयोजनम्। 'प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति' इति महाभाष्यकारः सविशेषं प्राह। अथ च गीर्वाणवाणी द्विविधा-वैदिकी लौकिकी च। तत्र च वेदार्थ-प्रतिपादकानि षडङ्गानि सुप्रसिद्धान्येव। तत्र च व्याकरणमिदं वेदपुरुषस्य मुखमिवप्रधानतां भजते। अनेकविधेषु वाग्विलासेषु वैखरी वाक् मुखविवरणात् बहिराविर्भूय लोके शब्दस्वरूपतां धारयतीति सा शब्दानुशासनस्य प्रामुख्यं द्योतयति शब्दज्योतिरखिलं जगदभिव्याप्याखण्डमर्थजातं प्रकाशयल्लोकव्यवहारोपयोगिभाषास्वरूपे परिणमति। यथा चाह दण्डी-

> ''इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।
> यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते।।(काव्यादर्शः)

भाषाया उत्पत्तिसम्बन्धे भाषावैज्ञानिकानां मतवैभिन्न्यम्। वाग्विलासम् जगदीश्वरप्रसवं मान्यमान्येषु अन्यतमः श्रीमहामाहेश्वरो जयद्रथः स्वकीयस्य हरचरितचिन्तामणिः शब्दशास्त्रावतारनामके सप्तविंशप्रकाशे भाषायाः दैविकं प्रसवमाख्यापितवान्। तद्यथाऽनुश्रूयते-''पुरा किल प्रपञ्चमातापितरौ पार्वतीपरमेश्वरौ कैलासशिखरसमारूढौ परमां मुदमुपयेतुः। तत्र च सन्तोषातिरेकान्महेश्वरेण 'किं ते प्रियं करवाणीति सानुनयमनुरञ्जिता पार्वतीकेनाप्यश्रुतपूर्वा विस्मयावहा कथा श्रुतिविषयीकरणीयेति प्रार्थितवती। वार्तालापप्रसंगे अन्तः प्रवेशनिरोधाय द्वारि नन्दिकेश्वरो नियोजितः अत्रान्तरे महेश्वरभक्तिः गणान्यतमः पुष्पदन्तसंज्ञकः अन्तःप्रवेशं याचमानः नन्दिकेश्वरेण प्रतिरूद्धो योगाभ्यासबलेन गृहीतमधुकरवेषः महेश्वरनिवेदितम् अद्भुतं विद्याधरचरितं निशम्य स्वभार्यायै जयायै यथावत् श्रावयामास। प्रसङ्गविशेषे च पार्वत्या तच्चरिते सहचरीकृते निवेद्यमाने जया तच्चरितं परिचिनोतीत्यालोच्य नापूर्वं चरित महेश्वरेण श्रावितमिति रुष्टा महेश्वरमध्याक्षिपत्। महेश्वरोऽपि योगवलेन पुष्पदन्तः सर्वमिदमवगतवान्' इत्यालोड्य तस्मै पुष्पदन्ताय तत्सहचराय माल्यवते च 'मर्त्ययोनिं प्राप्नुतम्' इति शशाप। जययाऽनुरुद्धो भगवान् 'कुबेरशापात् पिशाचयोनिं समधिगतः महेश्वरामुचरः सुप्रतीकः विन्ध्यारण्यं पर्यटन् काणभूतिनाम्ना प्रसिद्धिमापन्नः पुष्पदन्तमुखात् मया निवेदितं विद्याधरचरितं श्रोष्यति, तदा पुष्पदन्तः शापमुक्तो भविष्यतीति अनुजग्राह।

ततः स **पुष्पदन्तः** कौशाम्बीनगर्यां प्रयागसमये यमुनातीरे 'कोसम' इति ख्यातायां सोमदत्तद्विजन्मना वसुदत्तायां पुत्रत्वं प्राप्तः **वररुचि** नाम्ना अवर्धत। पितरि दिवंगते सति

एकदा वीतसीनगरवास्तव्यौ महातपस्विनौ व्याडिः इन्द्रदत्तश्च आगत्य मातरं निवेदयामासतुः यत् नन्दराजस्य राजधान्यां पाटलिपुत्रे श्रीशंकरस्वामितनयौ वर्षः उपवर्षश्च निवसतः। तत्र ज्येष्ठः वर्षाचार्यः षडाननाराधनाद् अधिगतसमस्तविद्यासकृत्ग्राहिणं कंचन शिष्यं प्रतीक्षते, यस्मिन् सत्पात्रे निखिलां वाचं निक्षिप्य कृतार्थी बुभूषति।" इति। ततश्च व्याडीन्द्रदत्ताभ्यां साकं वर्षाचार्यसमीपम् उपेयिवान् वररुचिः समस्ताः विद्याः जग्राह। तदाच-

"सकृच्छ्रुतं वररुचिः व्याडिश्च द्विश्रुतं वचः।
निःश्रुतं चेन्द्रदत्तश्च जग्राह गुरुणोदितम्।।" इति।

ततो वर्षाचार्यसमीपं पेशावरप्रान्ते लाहौरनाम्नाऽद्यत्वे ख्याते शालातुरनगरे समुत्पन्नः दाक्षीपुत्रः पाणिनिरपि मन्दबुद्धिरगमत्। स च शिष्यान्तरविदितोपहासेन खिन्नचेताः विद्याकामः प्रयागतटेऽक्षय्यवटे तीव्रतपश्चरणेनं महेश्वरं प्रसाद्य तत्कृपया दिव्यं व्याकरणं प्रणिनाय। दिनसप्तकं यावत् वादं विधाय पाणिनिः वररुचिं विजितवान्। ततः पूर्वप्रचलितमैन्द्रव्याकरणं प्रायः लोपं लेभे। कार्तिकेयप्रसादेन पाणिनीयव्याकरणरहस्यं स्वयं बुद्ध्वा वर्षाचार्यः व्याडिमिन्द्रदत्तं च तद्ग्राहयामास। अपमानितो वररुचिश्च महेश्वरं समाराध्य प्रत्यावृत्त्य पाणिनीयशास्त्रं सहस्रशो वार्तिकानि निर्माय उक्तानुक्तदुरुक्तप्रख्यापनेन विशीर्णतां प्रापयत्। व्याडिश्च पाणिनीये लक्षसंख्यश्लोकात्मकं संग्रहग्रन्थं प्रणिनाय। पाणिनिस्तु वररुचिना कात्यायनेनकृतं स्वव्याकरण विवादात्मकं वार्तिकग्रन्थमसहमानो वररुचिं 'अचिरात् पतिष्यति' इति शशाप वररुचि रपि क्रुद्धः सन् 'त्वं हिंस्रेण व्यापादितो भविष्यतीति पाणिनिं प्रतिशशाप। तस्यामेव त्रयोदश्यां पाणिनिः सिंहेन व्यापादितः कैलासं जगाम। अतोऽद्यापि त्रयोदश्यां व्याकरणानध्ययनपरिपाटी न दृश्यते। पंचतंत्रे विष्णुशर्मा एवमाह-

"हिंस्रो व्याकरणस्य कर्तुरहनत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः
मीमांसाकृतमुन्ममाथ सहसाहस्तीमुनिं जैमिनिम्।
छन्दोज्ञाननिधिं जघान मकरो वेलातटे पिङ्गलं
ह्यज्ञानावृतचेतसां मतिरुषां कोऽर्थातिरश्वांगुणैः १ ।।"

वररुचिरपि साचिव्याद् विरक्तो निजशापावसानमनुसन्दधानः कुबेरशापाद् अधिगतपिशाचयोनेः काणभूतेः सुप्रतीकस्य उपकन्ठं समुपसर्पन् दिव्याः कथाः श्रावयित्वा शापात् निर्मुक्तः पुनरपि पुष्पदन्तरूपेण कैलासं समधिगतवान्। काणभूतिरपि वररुचि (पुष्पदन्त) पक्षपातित्वात् महेश्वरेण शप्ताय माल्यवते (गुणाढ्याय) पुप्पदन्तोदिताः बृहत्कथाः श्रावयामास। तेन गुणाढ्योऽपि शापमुक्तोबभूव" इति।

प्रसङ्गोपात्तेन अमुना कथावस्तुना विज्ञातुमिदं भवति यत् महर्षिः पाणिनिः शब्दज्योतिषः प्रकीर्णान् किरणान् उपादानकारणतां प्राप्तेन नृत्तावसाननिनादितडमरूसमुद्भूतवर्णसमाम्नाय

स्वरूपेण हृदयङ्गमय्य संचस्कार शब्दानुशासनव्याजेन लौकिकाऽलौकिकीं हृद्यां सुरगवीम्। समर्थयन्ति पाणिनीयशिक्षापद्यानीमानि-

"आत्मा बुद्धया समेत्याऽर्थान् मनो युंक्ते विवक्षया।
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्।। " इति
"सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः।
वर्णान् जनयते.................. इति च
वाल्मीकिरामायणे तु हनुमतः नवविधव्याकरणज्ञानवत्त्वं संसूचितम्।
पर्यगण्यन्तनवानि व्याकरणानि -
"ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनम्।
सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम्।।"

यद्यपि रामायणयुगे पाणिन्यादीनां प्रादुर्भावो न बभूव, तथापि पूर्वपूर्वकल्पीयनवविध व्याकरणसत्त्वं तन्मूलकत्वं चोत्तरकल्पीयव्याकरणस्य सिद्ध्यति। अतएव **'शताच्च ठन्यतावशते'** (५/१/२१) इति सूत्रे कैयटे शाकलकाशकृत्स्नव्याकरणत्वं 'शताच्च ठन्यतावग्रन्थे' इति सूत्र मुपन्यस्य तन्मते 'शत्यः शतिको वा गोसंघः' इति साधु। पाणिनिमते तु 'शतको गोसंघः' इत्येव साधु इति व्याकरणस्मृतीनां परस्परविरोधो नाशङ्कनीयः यतः सामान्यरूपेण अधुनापि प्रचलिताः भाषाः नदीजलधारा इव सततं परिवर्तनशालिन्यः तथैव सुरगवी अपि युगानुरूपं परिवर्तमाना नटीव जनमनांसि आवर्जयति रञ्जयति च। नियतकालाश्च स्मृतयः। लौकिक वैदिकोभयविधशब्दविषयकत्वाच्चाऽस्य वेदाङ्गत्वम् - तथैव च वृहत्कथादिषु पाणिनिव्याकरणस्य प्रसारविषये वर्णनं विद्यते। तदनुसारेण पाणिन्यादेरनन्तरं व्याघ्रभूति-श्वोभूतिभ्यां क्रमेण पाणिनिकात्यायनशिष्याभ्यामिदं व्याकरणं बहुतरप्रचारतामानायि। तदनुसारं श्रीशेषशायिनो वैकुण्ठनाथस्य समाधौ महेश्वरीयलीलाताण्डवदर्शनानन्दानन्दतुन्दिलितशरीरस्य गौरवमसहमानः शेषनागः समाध्युत्थानानन्तरं भगवन्तमाकस्मिकशरीरगौरवकारणमन्वयुङ्क्त। भगवांश्च प्रसन्नो महेश्वरलीलाताण्डवदर्शनजन्यानन्दतुन्दिलतया वपुषो गौरवं संजातमित्युक्त्वा, "भगवान् महेश्वरो" मन्मुखेन पाणिनीयव्याकरणस्य व्याख्यानं सारवत्तरं कुरु इति त्वामादिशतीति" शेषनागं निरदिशत्। तदन्तरं श्रीशेषनागोऽपि भगवतः महेश्वरस्य आज्ञां प्रसादरूपेण मन्यमानः जनकल्याणाय गोनर्ददेशे प्रादुरभवत्। तत्र कस्यचिन्महर्षेः सन्ध्यावन्दनसमये तस्य अर्घ्याञ्जलौ आगचछत् तदा महर्षिणा कोभवान्' इति पृष्टे 'सर्पोऽहम्' इति उत्तर दत्तवान्। 'रेफः क्वगतः' इति पृष्टे 'त्वया हृतः' इत्युक्तवान्। तदनन्तरं तस्य महर्षेः अञ्जलेः पतितः इति पतञ्जलिरिति लोके प्रख्यापितोऽभूत्। तदानीं पाणिनीयव्याकरणपिपठिषुभिश्छात्रैः प्रार्थितः पतञ्जलि उक्तवान् यद् अहं जवनिकान्तर्हितः सन् पाठयिष्यामि यदि कोऽपि छात्रः माम् अवलोकयिष्यति तर्हि अनिष्टं भविष्यतीति। प्रतिदिनं यावत् पाठितम् अभूत् तदेकमाह्निकमभूत्।

एवं क्रमेण द्वात्रिंशत दिनानि व्यतीतानि त्रयस्त्रिंशे दिने 'कृदतिङ्' (पा.सू. ३/१/९३) इति सूत्रव्याख्यानानन्तरं "कथमयं सहस्रानस्मान् युगपत् बहुभिः मुखैः सशङ्कासमाधानं पाठयति, तर्हि बहूनि अस्य मुखानि भवेयुरिति" शङ्कितास्छात्राः जवनिकामपसारयामासुः दृष्टवन्तश्चाभूतपूर्वं स्वरूपं सहस्रावधानपरकस्य सहस्रवदनस्य शेषनागस्वरूपस्य। तदैव ते शिष्याः शेषनागस्वरूपपतञ्जलेः फुत्कारेण भस्मसादभवन्। तैर्यावत् श्रुतं तदेव **वासरूपोऽस्त्रियाम्**' (पा.सू. ३/१/९४) इति सूत्रान्तं प्राथमिकं भाष्यमिति लोकप्रवादः। तदन्तराले कार्यवशाद्बहिर्गतः छात्रैकः तत्र समायातः तदा क्रुद्धः पतञ्जलिः तम् शशाप-त्वं पाठमध्ये बहिर्गतोऽतस्तेनापराधेन राक्षसो भव इति। सोऽपि छात्रः पुनः पुनः प्रार्थयामास स्वकीय शापावसानार्थं। प्रार्थितश्च पतञ्जलिः कृपां कृत्वा तमकथयत्-यः कश्चित् पचेः निष्ठान्तं रूपं यथार्थम् वदिष्यति सः मत्पद्धत्यनुसारेण त्वया महाभाष्यं पाठनीयः इति। स एव ते शापान्तकालः। अवशिष्टं महाभाष्यं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः प्रपाठ्य शेषनागस्वरूपी पतञ्जलिः तत्रैव योगबलेनान्तरधात्।

स च शापितश्छात्रः राक्षसीं योनिं प्राप्य चन्द्रगुप्त नामानं ब्राह्मणं पचेः निष्ठान्तं रूपं पप्रच्छ। तस्यमुखात् यथार्थं पक्वमिति रूपं श्रुत्वा तमेव ब्राह्मणं महाभाष्यमध्यापयामास। चन्द्रगुप्तोऽपि वटपत्रेषु महाभाष्यं संलिख्य उज्जयिनीं प्रतस्थे। मार्गे विश्रम्य स्वापं गते ब्राह्मणे सति काचिद् अजा कानिचन वटपत्राणि मुखे न्यवेशयत्। तेन जागरितः ब्राह्मणः खिन्नः सन् अवशिष्टानि वटपत्राणि गृहीत्वा उज्जयिनीम् आगतवान् समीचकार च खण्डितभागं स्वाधीतस्मृत्यनुसारेण। अनुश्रूयते च यत् अस्यैव ब्राह्मणस्य पुत्रेण महामान्येन भर्तृहरिणा महाभाष्यं गुम्फितं व्याख्यातञ्चेति लोकप्रसिद्धिः।

अनेन प्रकारेण त्रिमुनिव्याकरणमिति शब्दशास्त्रस्य परिनिष्ठिता संज्ञा विश्वविदिता वर्तते। तथैव च पाणिन्यादीनां त्रयाणां मुनीनाम् कालनिर्धारणे विविधानि प्रमाणानि प्राचीनैः नवीनैश्च इतिहासविद्भिः यथानुरूपं सङ्कलय्य प्रथितानि प्रकीर्णानि च विद्यन्ते। तेषु ऐकमत्याभावात् महर्षीणां विद्यमानत्वे निश्चयात्मकं ज्ञानं कठिनं सञ्जायते। तथाऽपि विद्वद्भिराकलिताः विचाराः प्राचीनपद्धत्यनुसारेण पूर्वं प्रदर्श्यन्ते। तथा च विष्णुपुराणानुसारेण कलेरारम्भात् ६५३ मितवर्षानन्तरं पाण्डवकालः ततः १५०० मितवर्षानन्तरं नन्दकालः ततः शतवर्षानन्तरं मौर्यकालः, ततः १३७ मितवर्षानन्तरं शुङ्ग (शृङ्ग) कालः (पुष्यमित्रशुङ्गस्य कालः)। अस्मिन्नेव काले पतञ्जलिराविर्बभूवेति प्राचीनाः इतिहासविदश्च। ततः पूर्वं पाणिनिः ९४८ ई.पू. मितकाले प्रादुर्बभूव तदनन्तरञ्च शतकद्वयानन्तरं शतकत्रयानन्तरं वा कात्यायनस्य विद्यमानता परिकल्प्यते। एषा परिकल्पना माधव शस्त्रिभाण्डारिभिः कृता।

पाणिनेः पूर्वं व्याकरणशास्त्रं सुविस्तृतं चासीदिति प्रमाणकोटिमाटीकते। तत्रापि केचन विद्वांसः पाणिनिना अष्टाध्याय्यां नामोल्लेखपूर्वकं सम्मानिताः, तथापि तेषां वैयाकरणानां ग्रन्थाः सुगुम्फिताः नोपलभ्यन्ते, परन्तु तेषां स्वरूपं समग्रं विदितं नास्ति। तेष्वपि आपिशलिः, काश्यपः, गार्ग्यः, गालवः, चाक्रवर्मणः, भारद्वाजः, शाकटायनः, शाकल्यः, सेनकः, स्फोटायनश्चेति

दशसङ्ख्याकाः पाणिनिसूत्रेषु निर्दिष्टाः सन्ति। तदा तेषां स्वरूपं कदाचिद् विज्ञातमेव स्यात्। तथापि शनैः शनैः पाणिनीयप्रकाशे तेषां प्रकाशः मन्दोऽभवत्। यतोऽग्रे प्रक्रियाग्रन्थेषु पाणिनिपूर्ववैयाकरणानाम् उद्धरणानि परिलक्षितानि सन्ति। तदतिरिक्तं पाणिनेः पूर्वं तेन अनिर्दिष्टा महान्तो वैयाकरणः अवातरन्। ते च इन्द्रः वायुः, भागुरिः, पौष्करसादिः, चारायणः, शान्तनवः, रौढिः, यास्कः, व्याडिः, वररुचिः, कुणिश्च सुप्रसिद्धा अवर्तन्त। तेऽधुनाऽपि पुण्यश्लोका एव।

अनुल्लिखितेष्वेतेष्वपि इन्द्रस्य प्राचीनत्वं सर्वमान्यम्। महर्षिणा पतञ्जलिना इन्द्रस्य महत्वमुट्टङ्कितम्। तथैव स प्राह-"एव हि श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां **शब्दपारायणं** प्रोवाच नान्तं जगाम। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इन्द्रश्चाध्येता, दिव्यं वर्णसहस्रमध्ययनकालो नान्तं जगामेति।" इत्थं च विज्ञायते व्याकरणमिदं पाणिनीयव्याकरणापेक्षया विशालतरमासीदिति कथासरित्सागरे वर्णितम्। अस्य व्याकरणस्य विद्यमानत्वं वैदिकयुगे आसीदिति अस्य पाणिनेः पूर्वतरत्वं सुस्पष्टम्। कानिचित् सूत्राणि अप्यस्य यत्र-तत्र ग्रन्थेषु विकीर्णानि सन्ति। अपरो विद्वान् व्याडिः-पाणिनेः सम्बन्धी समकालिकश्च लक्षश्लोकात्मकसङ्ग्रहग्रन्थस्य प्रणेता पतञ्जलिना निर्दिष्टो दाक्षायणापरनामधेयः यशःकायेनाद्यापि जीवति। व्याकरणदर्शनेऽपि व्याडेः सूक्ष्मेक्षिता सुविदिता वर्तते। 'द्रव्याभिधानं व्याडिः इत्यत्र व्याडेः दार्शनिकता महाभाष्ये प्रख्यापिता वर्तते।

एतेषु निरुक्तकारो यास्को वैयाकरणकोटिं नाटीकते। यद्यपि निरुक्तं वैदिकशब्दानामर्थ प्रकाशनं करोति, तथापि शब्दनिर्वचनमेव व्याकरणस्यादिमं रूपम्। अतो यास्कस्य गणना वैयाकरणेषु प्राचीनकालेऽपि कल्पिताऽऽसीत्। निरुक्ते शब्दस्य विविधा निरुक्तयो दृश्यन्ते। व्याकरणमन्तरा न प्रवर्तते निरुक्तम्। पाणिनिनाऽपि **'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्'** (पा. सू. ६/३/१०९) सूत्रे वर्णलोप-वर्णविकारादयो निरुक्तप्रकाराः समावेशिताः। अन्ये च पाणिनिना अनिर्दिष्टा वैयाकरणाः खद्योतवत् यत्र-तत्र प्रकाशन्ते।

त्रिमुनियुगम्

त्रिमुनिषु पाणिनिः सर्वप्रथममाविर्बभूव। तस्य कालविषये विविधानि मतानि यत्र-तत्र प्रतिपादितानि सन्ति। पाणिनेः विख्याता रचना अष्टाध्यायी सर्वाणि व्याकरणानि अतिक्रमते। विश्वस्मिन् जगति पाणिनेः व्याकरणस्य प्रभावः भाषाक्षेत्रे परिलक्ष्यते। अष्टके पाणिनीये लौकिक-वैदिकोभयशब्दानाम् निष्पत्तिः संलक्ष्यते।

अष्टस्वध्यायेषु शब्दराशिशेवधिः सुरक्षिताऽवभाति। तत्र तावत् प्रथमेऽध्याये संज्ञानां परिभाषाणां च वर्णनम्। विभक्त्यर्थाः समासाश्च द्वितीयाध्यायस्य वर्ण्यविषयाः। तृतीयाध्याये धातुभ्यो विहिताः प्रत्ययाः सुव्यवस्थापिताः। तुर्यपञ्चमाध्याययोः तद्धितप्रत्यया निरूपिताः। षष्ठेऽध्याये प्रकृति-सम्बन्धि-कार्यव्याजेन तिङ्-सन्धि-स्वरादीनां निरूपणं विद्यते। सप्तमे ह्यङ्गाधिकारस्थो विषयः सन्निवेशितः। तस्मिन्नेव प्रसङ्गे प्रत्ययसम्बन्धीनि निखिलानि

कार्याण्यपि निरूपितानि। अष्टमाध्यायस्य पूर्वचरणे द्वित्वसम्बन्धि-विधानानि समावेशितानि। तदनु पूर्वत्र प्रकल्पितानि असिद्धप्रकरणानि अष्टमाध्यायस्य अवशिष्टेषु द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-पादेषु समायोजितानि सन्ति। तानि च प्रकरणानि द्वित्व-स्वर-सन्धि-षत्व-णत्वादिनामभिः समाकलितानि सन्ति।

अल्पाक्षरेष्वपि सूत्रेषु महर्षिपाणिनेः महती सूक्ष्मेक्षिका परिलक्ष्यते। पाणिनीयायाः अष्टाध्याय्याः प्रायेण ४००० सूत्रेषु शब्दविषयिणी सर्वा जिज्ञासा परिसमाप्यते। तथा च अष्टकस्य अध्ययने कृते सति शब्दाक्षरविषयकं किमपि ज्ञानं नावशिष्यते। अस्य महामुनेः सूक्ष्मेक्षिकां दृष्ट्वा वैदेशिकैर्विद्वद्भिश्च महता कण्ठेन समादरेण च अस्य गौरवातिशयः समुद्घोषितः। सूत्राणामल्पाक्षरत्वादेव विषयसौकर्यमपेक्षितम्। अतः पाणिनिकाले एव सूत्राणां वृत्तयः विरचिता अभवन्। तेषु वृत्तिकारेषु व्याडिकुणिप्रभृतय आचार्याः स्व-स्वलेखनीं प्रावर्तयन्त।

वृत्तिकारैः प्रवर्तिता कृतयः पाणिनेः सूक्ष्मेक्षिकापर्यालोचने तादृशं साफल्यं नाप्नुवन् यादृशमासीत् अपेक्षितम्। द्विशताधिके काले ह्युपगते भाषायां परिवर्धनमपेक्षितमिति दृशा वार्तिककारः कात्यायनः विस्तरे प्रवृत्तो बभूव। अनेन कात्यायनेन भ्राजाख्याः श्लोका अपि रचिताः। तदन्तर्गत एव 'यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे' इत्ययं श्लोको व्याकरणप्रयोजनवर्णनावसरे भाष्यकृतोपन्यस्तः। वसुदत्तागर्भजः श्रुतधरापरनामधेयः कात्यायनगोत्रीयोः वररुचिः त्रिप्रवरधरः। कात्यायनगोत्रस्य कपिगणे पाठात् तस्य आङ्गिरसबार्हस्पत्यकापेयेति त्रिप्रवरत्वम्। पतञ्जलिना भाष्यकारेण दाक्षिणात्योऽयमिति स्वीकृतम्--'तद्धितप्रिया दाक्षिणात्याः यथा लौकिकवैदिकेषु'। वार्तिकानां निश्चिता सङ्ख्या क्रमिकत्वं च अज्ञातमेव। भाष्यकारेणैव सूत्राणां व्याख्याने वार्तिकस्वरूपं क्रमशो निदर्शितम्। तदन्तरा च यत्र-तत्र इष्टिकाश्च पठिताः। तानि वार्तिकानि दृष्ट्वा काशिकादिग्रन्थकारैः क्रमशस्तत्तत्सूत्रेषु वार्तिकानां सन्निवेशः कृतः। स एव क्रमः प्रक्रियादिग्रन्थेषु भट्टोजिदीक्षितादिभिः गृहीतः। यदि भाष्यकारेण वार्तिकोद्धारः न कृतः स्यात् तर्हि वार्तिकानि विलुप्तान्येव अभविष्यन्।

त्रिमुनिषु पतञ्जलिरेव मूर्धन्यतां भजते-
यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यमिति वचनात्।

एवमप्यनुश्रूयते-अयं च पतञ्जलिः योगसूत्रकृतः चरकादिप्रणेतुश्च पतञ्जलेरन्य इति केचित्। स एवायमिति प्रामाणिकाः।" केचित्तु 'पतञ्जलिरिति गोत्रनाम' इत्यपि वदन्ति। गोनर्दीय इति महर्षेः देशजं नाम। माताऽपि गोणिकेति विख्याता तथा चायं 'गोणिकासुत' इत्यपि नाम्ना विख्यायते। भर्तृहरिणा वाक्यपदीये अस्य महामुनेः शैलीमभिलक्ष्य एवं निगदितम्-

अलब्धगाधे गाम्भीर्यादुत्तान इव सौष्ठवात्।
तस्मिन्नकृतबुद्धीनां नैवावास्थित निश्चयः।।
- वा. प. (२, ४७८)

दुरुहोऽपि ग्रन्थोऽयं भाष्यकारेण विविधाभिः रीतिभिः व्याख्यानं कुर्वता बोधगम्यमकारि। गद्यमयी रीतिः चूर्णिका विशेषत उपन्यस्ता। प्रश्नोत्तरप्रणाल्या भाष्याशयं स्पष्टं कुर्वन् मध्ये वार्तिकानुप्रवेशैः अष्टाध्याय्याः आवश्यकत्वं वैशद्यं च तत्र-तत्र स्फुटीकृतम्। अग्रे भाष्यव्याख्यानकृता कैयटेन महाभाष्यस्य पारावारवत् महागभीरत्वमनुभूतम्-

भाष्याब्धिः क्वातिगम्भीरः क्वाहं मन्दगतिस्तथा।
छात्राणामुपहास्यत्वं यास्यामि पिशुनात्मनाम्।।

- कैयट प्रदीप

आह्निकेषु अष्टाध्याय्याः विषयविभाजनेन व्याकरणपिपठिषूणां मार्गः प्रशस्तः सञ्जातः। तथा च सर्वप्रथमं भर्तृहरिणा भाष्याब्धौ अवगाह्य भाष्यव्याख्यानेन सह शब्दशास्त्रस्य दार्शनिकताऽपि प्रदर्शिता। तमनुसृत्य कैयट-नागेशादिभिरनेकैः व्याख्यातृभिः भाष्याशयः स्वमतानुसारेण स्पष्टीकृत ः। तेषु कैयटव्याख्यानमेव समेषामेव आधारभूतम्। महाभाष्यभासा भासमाना सर्वा लक्ष्यसिद्धिर्निर्दोषा सञ्जाता। अस्य विरचनानन्तरं पाणिन्युपज्ञं व्याकरण सर्वाङ्गपूर्णं समभवत्।

प्रक्रियाविमर्शः-यद्यपि सूत्रार्थसम्पादने महाभाष्याद्याकरग्रन्थेषु प्राचीनप्रक्रियाग्रन्थेषु काशिकादिषु च पाणिन्यष्टकस्य-सूत्रपौर्वापर्यक्रममनुसृत्य यथोद्देशपक्षं चानुमन्य सर्वत्र समानेन रूपेण पतञ्जलिप्रभृतिभिः निर्वाहः कृतो दृश्यते, तथापि कालान्तरे प्रक्रियाग्रन्थेषु कार्यकालपक्षाग्रहेण सूत्राणि विभिन्नप्रकरणेषु यत्र-तत्र विकीर्णानि सञ्जातानि। अतो, विद्वांसः कार्यकालपक्षाङ्गीकार एव छात्राणामभिरूचिं पश्यन्तो लक्ष्यसाधनात्मिकां सरणिमनुसृत्य प्रक्रियाग्रन्थान् व्यरचयन्। अग्रे बहुतिथे काले गते प्रमादात् अष्टाध्यायीक्रमसूत्रपाठः प्रायशो विलुप्तः सञ्जातः, केवलं प्रक्रियाग्रन्थानां पठन-पाठनक्रम एव सर्वत्र प्रचलितोऽभूत्। तेन हेतुना विभिन्नप्रकरणेषु पठितानां सूत्राणां पारस्परिकज्ञानं काठिन्येन सञ्जायते। अष्टाध्याय्यां तु सर्वाणि प्रकरणानि वैज्ञानिकेन विधिना सुसम्बद्धानि वर्तन्ते, परन्तु प्रक्रिया सारल्येन विभिन्नस्थलेष्वपि पठितानि तदुपयुक्तानि सूत्राणि तत्र-तत्रापकृष्य समायोजितानि।

एवम् अष्टाध्यायीमनुसृत्य प्रक्रियाग्रन्थानां द्वैविध्यं परिदृश्यते। तयोः प्रथमं सूत्रक्रमानुसारम्, अपरञ्च प्रक्रिया क्रमानुसारम्। तथापि प्रथमे क्रमे जयादित्यवामनाभ्यां प्रणीता सुप्रसिद्धा **काशिका** काश्यां भवा सर्वथान्वर्था सञ्जाता। यद्यपीयं वृत्तिरिति विज्ञायते तथापि प्रक्रियाग्रन्थेषु अस्या एव आधारो धारितः। अष्टाध्याय्यां पूर्ववर्तिव्याकरणसूत्राणां यथास्थानं समावेशवत् काशिकायामपि पूर्ववर्तिनां पुरातनवृत्त्यंशानां यथास्थानं समावेशः कृतः। व्याख्याने च उदाहरण-प्रत्युदाहरण निगमनादीनां सन्निवेशेन तथैव च गणपाठादिभिः सूत्रोपयोगि-वार्तिकानाञ्च सङ्ग्रहेण प्रक्रियोपयोगिसामग्र्या : समाकलनं कृतम्। लोके वार्तिकानां समष्टिः सूत्रक्रमानुसारिणी काशिकाकारेणैव सन्निवेशिता। अयं महानुभावो भर्तृहरेः शिष्य इति सम्भाव्यते।

यथाष्टाध्याय्या व्याख्यानरूपम् महाभाष्यमनौपम्यं भजते तथैव काशिकाया व्याख्ये न्यासापरपर्याया जिनेन्द्रबुद्धिविरचिता काशिकाविवरणपञ्जिका हरदत्तमिश्रविरचिता पदमञ्जरी च प्रख्याते।

अस्मिन् सन्दर्भे शब्दकौस्तुभ-सिद्धान्तसुधानिध्योः स्मरणमावश्यकम्। यद्यप्येतयोः समावेशः आकरग्रन्थेषु महाभाष्यवत् सम्भवति, तथापि केचन विद्वांसः अष्टाध्याय्याःवृत्ति-ग्रन्थेषु काशिकादिवत् समावेशं कुर्वन्ति। उभावपि ग्रन्थकारौ ईशवीयस्य सप्तदशशतकान्तराले सञ्जातौ।

वस्तुतो लोकोपयोगिप्रक्रियाग्रन्थानामवतारः रुपावतारादेव प्रारब्धः अस्य प्रणेता धर्मकीर्तिः वर्तते। रूपारवतार एव प्रक्रियास्वरूपस्य आदिमो ग्रन्थः। अस्मिन्नेव ग्रन्थे साधनिकायाः प्रथमं स्वरूपं निर्दिष्टं वर्तते। परीक्षा-प्रणाल्याः आधारभूता सरणिः धर्मकीर्तिना एवप्रवाहिता। २६६४ सूत्राणि ग्रन्थेऽस्मिन् प्रक्रियया विस्तारितानि। रुपावतारानन्तरं विमलसरस्वत्या रूपमाला गुम्फिता। अत्र प्रत्याहार-संज्ञा-परिभाषा-सन्धि-सुबन्त-तिङ्न्त-स्त्री-कारक-कृत्-तद्धित समास प्रकरणानि समावेशितानि। अस्यामेव श्रेण्यां प्रक्रियाकौमुदी रामचन्द्राचार्यप्रणीता प्रक्रियाकौशलं वर्धमाना अशोभत। ग्रन्थकृतः पौत्रेण विट्ठलाचार्येण विशदीकृतोऽयं ग्रन्थः प्रसादटीकाप्रसादेन। स्वकीयपितामहेन रचितायाः वैष्णव सिद्धान्त दीपिकायाः न्यायस्नेहप्रपूरणी व्याख्याऽपि विट्ठलाचार्येण व्यरचि।

तदनन्तरं प्रक्रियाग्रन्थानां समग्रं स्वरूपं काशीत एव प्राकाश्यत। तत्र सर्वप्रथमं शेषवंशोद्भवेन कृष्णमहोदयेन **प्रक्रियाप्रकाशो** विरचितः। मुगलसम्राजः अकबरस्य सभा सचिवस्य बीरबलस्य बंशानुकीर्तनम् अनेनैव विदुषा कृतमिति तस्य समकालिकोऽयं विद्वानिति सुनिश्चितमेव। प्रक्रियाकौमुद्याः विस्तृतव्याख्यानभूतो ग्रन्थः प्रक्रियाप्रकाशः प्रक्रियायाः प्रकाशेन परवर्तिनो विद्वांसः समवाप्तज्योतिषः अभूवन्। तत्र अग्रगण्यः भट्टोजिदीक्षितः सिद्धान्तकौमुदीं पुरस्कृत्य लौकिकवैदिकोभयशब्दानुशासनात्मकं कौशलमदर्शयत्। समग्राष्टाध्यायी समावेशिता दीक्षितेनास्यां कौमुद्याम्। कौमुद्याः प्रकाशे पूर्वाचार्यैर्निबद्धाः सर्वेऽपि ग्रन्थतारका अभिभूताः। ग्रन्थनामविषये केचिदेवं वदन्ति यत् सिद्धान्तशुद्धिविबुभुत्सुजनानुरोधात् इति प्रकाशव्याख्यायाः सिद्धान्तशब्दोऽङ्गीकृतः अनेन विदुषा, प्रक्रियाकौमुद्याश्च कौमुदी शब्द इति। कौमुद्यामस्यां प्रक्रिया प्रकरणस्य प्रभावः स्पष्टतया परिलक्ष्यते। स्वाभाविकश्चैष एव। गुरूश्चास्य विदुषः **अप्पय्यादीक्षित** आसीत्। अन्येष्वपि शास्त्रेषु भट्टोजिदीक्षितविरचिता ग्रन्थाः प्रख्याताः सन्ति। कुटुम्बम् एवास्य विद्वत्तल्लजमासीत्। अस्यानुजो रंगोजिभट्टः अद्वैतचिन्तामणिप्रणेता। पुत्रश्च **भट्टोजिदीक्षितस्य** भानुजिदीक्षितो रामाश्रमापरनामा नामलिङ्गानुशासनपरनामामरकोशस्य व्याख्यासुधाटीका कारः शब्दविश्लेषणनिपुणतामगात्। स्वपितुः भट्टोजिदीक्षितस्य शिष्योऽयमिति स्वयमेतेनैव व्याख्यासुधारम्भे एवं निवेशितम्-**बल्लवीवल्लभं नत्वा गुरुं भट्टोजिदीक्षितम्। अमरे विदधे व्याख्यां मुनित्रयमतानुगाम्।**।-रामाश्रमी (प्रारम्भे)

व्याख्यासुधेयं शब्दानुशासनसुधापितैव। भट्टोजिदीक्षितस्य भ्रातुष्पुत्रः कौण्डभट्टः

रङ्गोजिदीक्षितात्मजोपि व्याकरणग्रन्थान् व्यरीरचत्। तेषु वैयाकरणसिद्धान्तदीपिका वैयाकरणसिद्धान्तभूषणं वैयाकरणसिद्धान्तभूषणसारः स्फोटवादश्चेति चत्वारः। भूषण- सारग्रन्थस्य व्याख्याद्वयं काशिकादर्पणञ्चेति सुप्रसिद्धे। तयोः निर्मातारौ च पं हरिरामकेशव काले पं. हरिवल्लभशर्माणौ विद्वत्समाजे मान्यौ।

भट्टोजिदीक्षितस्य महनीयाकृतिः शब्दकौस्तुभः समग्राष्टाध्यायीवृत्तिरूप आकरग्रन्थवद् विराजते। समग्रस्यास्य ग्रन्थस्य प्राप्तेरभावात् विषयक्रमानुसरणं कर्तुं नैव शक्यते। तृतीयाध्यायस्य चतुर्थाह्निकपर्यन्तमेव ग्रन्थोऽयं लिखित इति केषाञ्चिन्मतम्। 'फणिभाषित-भाषाब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः' इति रङ्गोजिभट्टः प्राह।

भट्टोजिदीक्षितस्यैव समकालिको नारायणभट्टः प्रक्रियासर्वस्वकारः प्रक्रियाविषये सर्वस्वं प्रतिपादितवान् दीक्षितभट्टयोः परस्परं दर्शनं न जातम्, नानेन वैयाकरणसिद्धान्त-कौमुदी विलोकिता, न च भट्टोजिदीक्षितेन प्रक्रियासर्वस्वं विलोकितम्। एवं ह्यनुश्रूयते यत् श्रीनारायणभट्टः दीक्षितमहोदयस्य दर्शनार्थं स्वस्थानात् प्रस्थितोऽभवत् किन्तु मार्गे एव दीक्षितस्य निधनं श्रुत्वा परावर्तितोऽभवत्। प्रक्रियासर्वस्वं विंशतिखण्डेषु विभाजितमस्ति। तेषु प्रकरणानुसारेण पूर्वेषां वैयाकरणानां **वामन जयादित्य हरदत्तादीनां** नामोल्लेखपूर्वकं तेषां तेषां मतानां विचारः कृतोऽस्ति। प्रक्रियासर्वस्वस्य सर्वतोऽधिकं महत्त्वम् यदत्र अपाणिनीयानां प्रयोगाणां युक्तायुक्तविचारः कृतोऽस्ति। अनेनैव महानुभावेन धातुकाव्ये पाणिनीयव्याकरणोदाहृत धातूनां क्रमशः प्रयोगः अक्रूरकथाप्रसङ्गेन उदाहृतः।

सिद्धान्तकौमुद्यादिप्राक्रियाग्रन्थपञ्चकम्

प्रक्रियाग्रन्थेषु भट्टोजिदीक्षितविरचितायाः सिद्धान्तकौमुद्याः अनन्तरं तामेवाभिलक्ष्य **मध्यसिद्धान्तकौमुदी** भट्टोजिदीक्षित शिष्येण श्रीमता **वरदराज भट्टाचार्येण** वैदिकांशं विहाय लाघवं कृत्वा व्यरचि। अस्यां कौमुद्यां २३१५ सूत्राणि समाकलितानि। तत्रापि लाघवं कृत्वा प्राथमिकछात्राणां कृते लघुसिद्धान्तकौमुदी रचिता तेनैव। सामान्यसंस्कृतज्ञानाय **लघुसिद्धान्त कौमुदी** व्याकरणशास्त्रं प्रकाशयति। अत्र १२७२ सूत्राणि समाहृतानि। अनया दिशा वरदराजेन तात्कालिकी पाठनपद्धतिः प्रदर्शिता। व्याकरणातिरिक्तानां शास्त्राणाम् अध्ययनार्थं सौकर्यमभिलक्ष्य अनेन विदुषा इदं लाघवं कृतम्। अनेनाऽपि लाघवेन छात्रसन्तोषो नाभवत्। तदा **सारसिद्धान्तकौमुदी** लघुतमा विरचिता। वस्तुतोऽनेन ग्रन्थेन प्रारम्भिकच्छात्राणामपि व्याकरणज्ञानं सम्यङ् न जायते।

सिद्धान्तकौमुद्या अनन्तरं तत्समानं ग्रन्थरत्नं नयपालदेशवास्तव्येन पं. सोमनाथ शर्मणा (२० ईशवीये) **प्रतिसंस्कृतासिद्धान्तकौमुदी** व्यलेखि। "प्रतिसंस्कृता" इति पदमस्या वैशिष्ट्यं सूचयति। सिद्धान्तकौमुद्या मूलग्रन्थे ये विषयाः सङ्केतिताः किन्तु अनुल्लिखिता अविद्यन्त, तेषां मूलग्रन्थे एव यत्र-तत्रापेक्षितो भावः परिलक्षितः स खलु मूलग्रन्थे एव नियोज्य

दूरीकृतः। लौकिकशब्दानां सिद्धिप्रदर्शने' एवास्य ग्रन्थस्य उपयोगः, लोके अनपेक्षिता वैदिकप्रयोगा अत्र परित्यक्ताः।

सिद्धान्तकौमुद्याः काठिन्यं स्वयं भट्टोजिदीक्षितेनैवानुभूय तस्याः स्वोपज्ञ व्याख्या **प्रौढ मनोरमा** विरचिता। सा खलु प्रौढानां मनांसि रञ्जयति। न जाने किमनुभूतं दीक्षितेन यत् स एव कौमुद्या व्याख्याने प्रवृत्तोऽभूत् ? अस्मिन् व्याख्याने विशेषतः प्राचीनमतानुयायिनां हरदत्तादीनां मतोल्लेखपूर्वकं युक्तायुक्त-विचारः प्रदर्शितः। अन्यच्च भट्टोजिदीक्षितेन प्रौढ़ मनोरमायां 'प्राञ्चपदेन' प्रक्रियाकौमुदीकारः प्रकाशकारः प्रसादकारश्च स्मृताः। अस्या अपि व्याख्यानमपेक्षितम्, यतोऽत्र सिद्धान्तमतानां विषये विचारो न कृतः। अतो दीक्षितस्य पौत्रेण हरिदीक्षितेन शब्दरत्नं नाम व्याख्यानं विहितम्। अस्य द्वे रूपे लघुशब्दरत्नं, बृहच्छब्दरत्नं चेति विदिते। अस्मिन् विषये वैयाकरणेषु किंवदन्तीयं यत् हरिदीक्षितस्य शिष्यः सुप्रसिद्धो नागेशः गुरोः नाम्ना स्वकीयानि मतानि उद्धृतवान्। गुरुभक्तेरपूर्वमुदाहरणमिदम्। फलतः शेखरादिग्रन्थेषु शब्दरत्नदिशैव विस्तरः कृतः। शब्दरत्नेऽधिकतो भाष्यमतानुसरणं विद्यते। पण्डितराजजगन्नाथेन यत्र-कुत्रचित् भट्टोजिदीक्षितस्य खण्डनं कृत्वा मनोरमाकुचमर्दिनीति लघुटीका अकारि। मनोरमामभिलक्ष्य एतदतिरिक्तम् **चक्रपाणिना** परमतखण्डनं, भट्टोजिदीक्षितस्य पुत्रेण भानुदीक्षितेन च मनोरमामण्डनं मण्डितम्। तात्कालिकी शिक्षामभिलक्ष्य आधुनिके काले श्रीमता सभापत्युपाध्यायमहाशयेन रत्नप्रभया मनोरमा प्रभासिता। तथैव च नेनेपण्डितगोपालशास्त्रिणा सरलाटीकया सरलीकृता। भाण्डारिमाधवशास्त्रिणा च प्रभाटिप्पण्या सन्देहस्थलानि न्यपाकृतानि। एतावतैव विदुषां चेतसि नाभवत् सन्तोषः, अतो मध्यकौमुदीमाश्रित्यापि मध्यमनोरमा मण्डिता। सिद्धान्तकौमुद्याः टीकासु ज्ञानेन्द्रसरस्वती कृता तत्त्वबोधिनी, मनोरमामाश्रयते। वासुदेदीक्षितकृता बालमनोरमा च नागेशमनुसरति।

भट्टोजिदीक्षितानन्तरं व्याकरणाध्ययनेऽध्यापने च काचिन्नवीनता अभिलक्षिताऽभवत्। तस्याः प्रवर्तको नागेशभट्टः शेखरद्वयं पुरस्कृत्य वैयाकरणसमाजे मण्डितोऽभवत्। परिष्कारपद्धतेः प्रवर्तको नागेशः नव्यन्यायसरणिमनुसृत्य कोटिप्रकोटिविस्तारेण शास्त्रार्थपद्धतिमवातारयत्। नागेशेन प्रकाण्डविदुषा सर्वपरिभाषावृत्त्यतिशायी परिभाषेन्दुशेखरो ग्रन्थो विरचितः। पूर्वपरिभाषाग्रन्थेभ्यः भिन्नोऽयं ग्रन्थः लक्ष्यसिद्ध्यनुसारी परिभाषाक्रम इह समाश्रितः तेन विदुषा। नागेशस्यान्येषु ग्रन्थेषु सिद्धान्त-लघु मञ्जूषे सुविदिते। तयोः प्रसिद्धिः व्याकरण-सिद्धान्तान् तात्विकविचारांश्चाभिलक्ष्य वर्तते। परिभाषेन्दुशेखरस्यापि विभिन्नासु व्याख्यासु पायगुण्डेवैद्यनाथेन गदानाम्नी व्याख्या ख्यापिता। पं. यागेश्वर-ओझामहोदयेन परिभाषेन्दुशेखरस्य हेमवती व्याख्या व्यरचि। तत्र विशेषतो परिभाषाणां विषये युक्तायुक्तत्वविवेचनं विद्यते अन्येषु व्याख्यातृषु पं. तात्याशास्त्रि-जयदेव मिश्रयोः प्रसिद्धिः सुविदिता। कौमुदीव्याख्यासु च नागेशेन स्वाभिप्रायपरौ बृहल्लघुशेखरौ मण्डितौ। एतयोरपि बहवो व्याख्यातारोऽभवन्। तेषु भावग्राहकपरो भैरव मिश्रः चन्द्रकलया शेखरमलङ्कृतवान्। नागेशस्य शिष्येण पायगुण्डेवैद्यनाथेन लघुशब्देन्दु

शेखरस्य चिदस्थिमाला व्याख्या विलिखिता। अव्ययीभावान्तभागे पठन-पाठनसौकर्याय परिष्कार पूरिता दीपकव्याख्यया प्रदीपितः शेखरः पं. नित्यानन्दपन्तमहोदयेन।[1] दण्डिभट्टादिभिश्च विद्वद्भिः प्रकरणविशेषेषु क्रोडपत्राणि विरचितानि प्रचारितानि च। नागेशेन मञ्जूषाग्रन्थानां सङ्क्षिप्तं संस्करणं परमलघुमञ्जूषेति नाम्ना विरचय्य सुप्रकाशितम्। नागेशस्य महनीयो ग्रन्थः महाभाष्यस्य कैयटप्रणीतप्रदीपव्याख्यायाः उद्योतटीका वर्तते।

नागेशानन्तरं ग्रन्थानां पठने पाठने च ये वैयाकरणा महामहिमशालिनः सञ्जाताः, तेषु सर्वाग्रगण्यो गङ्गारामशास्त्री पर्वतीयः व्यराजत। तेन प्रचलितायां शिष्यपरम्परायां क्रमशः पं. जगन्नाथशास्त्रिगाडगिलः, पं. काशीनाथ शास्त्री, पं. राजारामशास्त्रिकार्लेकरः, पं. बालशास्त्रिरानडे, पं. ओझा यागेश्वर शर्मा चेत्यादयः शब्दानुशासनपारावारपारङ्गताः विद्वांसः समभवन्। अस्यां परम्परायामेव बालसरस्वतीति प्रथितस्य रानडेमहोदयस्य वेदसङ्ख्यावन्तोऽपि श्रीमन्तो गङ्गाधरशास्त्रि (वि.सं. १९१०-१९१०) शिवकुमारशास्त्रि (वि. सं. १९०४-१९७५) दामोदरशास्त्रि (वि.सं. १९०४-१९६६) तात्याऽपरनामधेयरामकृष्णशास्त्रिणः (वि.सं. १९०२-१९७६) सङ्ख्यावन्तः समभूवन्। एभिर्विद्वद्भिः व्याकरणशास्त्रमधिकृत्य नूतनपरिष्कारयुता शास्त्रार्थप्रणाली या विस्तारिता सा एषां शिष्यैः प्रशिष्यैश्च परां कोटि-मधिरूढाऽभवत्। तेषु पं. नित्यानन्दपन्तपर्वतीयः, पं. रामभवनोपाध्यायः, पं. गणपति शास्त्रिमोकाटे, पं. सभापति शर्मोपाध्यायः, पं. देवनारायणस्त्रिपाठी, पं. बच्चाझा, पं. जयदेवमिश्रः, पं. रामाज्ञा पाण्डेयः, पं. रघुनाथ शर्मा, पं. सीताराम शास्त्रिशेण्डे, श्री माधवशस्त्रि भाण्डारी, पं. गोपालशास्त्रिनेने चेति वैयाकरणा विख्याता अभवन्। सर्वैरेवैभिः प्रायशो शब्देन्दुशेखर-परिभाषेन्दुशेखर-भूषणसार- मनोरमा-मञ्जूषा प्रभृतिग्रन्थानाश्रित्य व्याख्याः विरचिताः, एषामेव शिष्यपरम्परा अद्यावधि सर्वत्र भारतेदेशे व्याकरणाध्यापने संलग्ना दृश्यते।

अक्षरम् शब्दतत्त्वम्

षट्सु वेदाङ्गेषु पाणिनीयं व्याकरणमनितरसाधारणं महिमानमावहति। तत्र हेतुः सर्वन्यायबीजनिबन्धनं महाभाष्यमस्ति। भाष्यकारेण शब्दानुशासनं नाम शास्त्रं विस्तीर्णम्। तथा च स्वयमेव पतञ्जलिना महाभाष्यस्य प्रारम्भे एवं शब्दार्थसम्बन्धयोर्विचारे तयोः नित्यत्वं प्रतिपादयता 'सिद्धेशब्दार्थसम्बन्धे' इति प्रथमं वार्तिकं प्रख्यापितम्। तत्र सिद्धशब्दस्य नित्यार्थकत्वं स्पष्टीकृतम्। एतदनुसृत्य भर्तृहरिणा वाक्यपदीये सर्वारम्भे एव "शब्दतत्त्वं यदक्षरम्" इति वदता शब्दनित्यत्वं सुस्थापितम्। अग्रे च ब्रह्मकाण्डे एव भर्तृहरिः "व्याकरणागमस्य मूलप्रवर्तको सूत्रकारः पाणिनिरेवेत्यमन्यत। तथा च मुनित्रयमेव व्याकरणदर्शनस्य त्रयीवद् विचारका

---

१. श्रीराजाराम शास्त्रिप्रभृतिगुरुवरैर्वैदुषीशब्दशास्त्रे याऽपूर्वाऽऽविष्कृतासीदथ च निपुणता धर्मशास्त्रे च यादृक्। सा नित्यानन्द विद्वन्निकषमुपगता सम्प्रदायक्रमेण सम्प्रत्यग्रे न पश्यत्यपरमभिमतं संश्रयं कञ्चिदेषा।। मा.म. पं. नारायणशास्त्रिखिस्ते, ...उच्चरितपञ्चकम् (द्वितीय संस्करण, प १. ३०)

अभवन्निति नात्र सन्देहावसरः। अस्यां परम्परायां भर्तृहरिः नायकः सम्बभूव। तस्य ग्रन्थराशिः वाक्यपदीयं त्रिषु काण्डेषु विभक्तम्। तत्र तावत् शब्दब्रह्मणो विचारे पश्यन्तीमध्यमावैखरीणां व्याकरणविषयत्वं प्रतिपादयता महाभाष्योक्तिः वाग्रूपतया व्याख्याता। व्याख्यानस्य एतादृशी परम्परा भर्तृहरेः पूर्वमप्यासीदिति दृढं वक्तुं शक्यते। तत्र च परायाः सम्बन्धे वाक्यपदीये 'साऽनपायिनीति वदता अविश्लिष्टत्वं स्वीकृतम्। अतो वाचः पराख्ये भेदे सायणादिभिः विचारं कुर्वताऽपि तस्याः अविश्लिष्टत्वात् भर्तृहरिः 'त्रय्या वाचः परं पदम्' इति प्राह। अग्रे नागेशादिभिर्वैयाकरणैः तन्त्रशास्त्रोक्तं नादबिन्दुवादिस्वरूपं वर्णयद्भिः वाचः चतुष्ट्वं चर्चितम् किन्तु तत् भर्तृहर्यादिभिः पूर्वैः व्याकरणदर्शनप्रतिपादकैः वैयाकरणैः नोदाहृतम्। वाक्यपदीयस्य व्याख्यातारौ हेलाराजपुण्यराजौ विख्यातौ समभूताम्। भर्तृहरेः शब्दब्रह्मवादस्य उपजीव्य अद्वैतसिद्धान्त एवं। तमेवावलम्ब्य मण्डनमिश्रेण ब्रह्मसिद्धी रचितेति केषाञ्चिन्मतम्। परापश्यन्त्योस्तादात्म्यसम्बन्धे भर्तृहरेस्तदनुवर्तिनाञ्च शब्दब्रह्मवादिदर्शनिकानां मतानुसारं परात्वेन व्यवह्रियमाणा पश्यन्ती वागेव शब्दब्रह्मरूपा इति सोमानन्दस्य तच्छिष्यस्योत्पलाचार्यस्य च वचनैर्ज्ञायते। शब्दब्रह्मवादस्य आधारभूतो व्याडेः संग्रहग्रन्थ एव। अन्यैश्च मण्डनमिश्र-जयन्तभट्ट-शान्तरक्षितादिभिः मीमांसकैः स्वकीय सिद्धान्तदिशा शब्दब्रह्मविचारः कृतः। शङ्कराचार्येण तत्र किञ्चिद् वैषम्यं प्रदर्शितम्। अस्मिन् विषये पाणिनीयं व्याकरणं सर्वशास्त्रपारिषदमिति सिद्धान्तः सर्वमान्यः। परम्पराप्राप्तं व्याकरणदर्शनं त्रिपथगेव वाक्यपदीये त्रिभिः काण्डैर्विभक्तम्। अस्यामेव परम्परायां कैयटेन महाभाष्यप्रवेशाय प्रदीपस्यमाध्यमेन व्याकरणसिद्धान्तदीपिका वाक्यपदीययोः सेतुत्वं साधितम्। तदनन्तरं सेतुमेतमाश्रित्य भट्टोजिदीक्षितेन शब्दकौस्तुभे नवीना सरणिः प्रदर्शिता। तत्र न्यायमीमांसादिमतान्यालोच्य व्याकरणदर्शनमार्गः प्रदर्शितः। श्रीविश्वेश्वरसूरिणा च व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधौ न्यायादिदर्शनदृष्टिभेदं प्रदर्शयता व्याकरणदर्शनसिद्धान्ताश्च प्रतिपादिताः। तथैव च कौण्डभट्टेन वैयाकरणभूषणसारे शब्दकौस्तुभदिशा धात्वर्थ-लकारार्थ-सुबर्थ-नामार्थ-समासशक्ति-शक्ति-नञर्थ- निपातार्थ- स्फोटादिनिर्णयाय प्रयासो विहितः। अग्रे च नागशभट्टेन मञ्जूषाशेखरादौ किमपि अनितरसाधारणं व्याकरणदर्शनस्वरूपं निदर्शितम्। स्वगुरोः नागेशस्य विवेच्यविषयाः वैद्यनाथपायगुण्डेमहाशयेन स्वविरचितटीकाग्रन्थेषु समाहिताः। भर्तृहरेः आधुनिक-व्याख्यातृषु पं. रघुनाथ शर्मा उल्लेखनीयो वर्तते। तेन विरचितायां व्याख्यायामम्बाकर्तृयां सम्प्रदायानुसरणे सत्यपि स्वातन्त्रयम् वर्तते। तथैव च टीकाकारेण स्वयमेव "हरिवृषभवचः पयोधिमग्नं निखिलं वाक्यपदीयरत्नजालम्" इति कथनेन तत् स्वातन्त्र्यं प्रख्यापितम्। शब्दसृष्टिक्रमे च श्रीरामाज्ञापाण्डेयेन व्याकरणदर्शननामके ग्रन्थे पाणिनीययाकरणसिद्धान्तानवलब्य प्रयत्नः समनुष्ठितः। तत्र विशेषतः परिणामविवर्तवादौ निरूपितौ।

शब्दशक्तीनां विचारे पूर्वाचार्याः वैयाकरणाः अग्रेसराः। तासु शक्तिसु लक्षणाव्यञ्जने विशेषतो वैयाकरणैरेव प्रकाशिते। तास्तिस्रः शक्तयो न्यायमीमांसादिशास्त्राचार्यैरपि विचारिताः।

तासां विचारे प्रवर्तमानासु जगदीशभट्टाचार्यकृता शब्दशक्तिप्रकाशिका प्राधान्यं लभते। अयमेव ग्रन्थः वैयाकरणैः विशेषतः शब्दशक्तिविचारे प्राधान्येनोपस्थाप्य व्याकरणदृष्ट्या विशदीक्रियते। अनेन सह पदपदार्थविचारेऽपि व्युत्पत्तिवाद-शक्तिवादौ गदाधरभट्टाचार्यप्रणीतौ व्याकरणग्रन्थाविति मत्वा पठन-पाठनेऽङ्गीभूतौ। शास्त्रार्थे विशेषतो व्युत्पत्तिवादः प्रचलितोऽपि परीक्षकाणां कृते शास्त्रसामञ्जस्यमनुभावयते। विशेषतः कारकविचारे एवास्य ग्रन्थस्य महिमा विद्यते। अन्ये च पदपदार्थसम्बन्धे नैयायिकैः ग्रन्था विरचितास्तथाऽपि तेषां प्रचारः परीक्षादृष्ट्या न वर्तते। व्युत्पत्तिवादस्य द्वे व्याख्याने पं बच्चाझा-पं. जयदेव मिश्राभ्यां विरचिते स्तः, ते द्वे एव पण्डितसमाजेऽधुना मान्ये विद्येते। शक्तिवादस्यापि सरलं व्याख्यानं गोस्वामिदामोदरलालमहोदयैः कृतम् अध्येतृभिः उररीक्रियते। पठन-पाठने सारल्यमनुभूयमानत्वाद् पं. सुदर्शनाचार्यस्य व्युत्पत्तिवादव्याख्या विद्वद्भिः छात्रैश्च अङ्गीकृता।

वर्तमानसन्दर्भे व्याकरणाध्ययनेऽध्यापने च कश्चित् दृष्टिभेदोऽभिलक्ष्यते। प्रक्रियांशे औदासीन्यं माभवत्विति मत्वा विरजानन्ददयानन्दस्वामिप्रभृतिभिः आर्यसमाजप्रवर्तकैरपि पाणिनीयाष्टकमभिलक्ष्य तद्व्याख्यानेन सह उदाहरणादीनां प्रतिपादनं देववाण्या हिन्दीभाषया च सह कृतमस्ति। तयोरेव प्रेरणया पं. ब्रह्मदत्तजिज्ञासुना समग्राष्टाध्यायी तथैव विस्तारिता। विस्तारव्याजेनैव प्रासङ्गिकाः सिद्धान्तविशेषाश्चापि निवेशिता विद्यन्ते। अस्यां परम्परायां पं. युधिष्ठिर मीमांसकः विशेषत उल्लेखनीयोऽस्ति! यस्य जीवनं व्याकरणविद्यायामेव विलसितम्। पठनं, पाठनं ग्रन्थविरचनं, ग्रन्थप्रकाशनं चेति जीवनमस्य महोदयस्य। व्याकरण शास्त्रस्येतिहासोऽपि विलिख्य इतिहासाध्येतॄणां कृते प्रवेशद्वारमनावृतकपाटम् कृतम्। राष्ट्रपतिसम्माननं विश्वभारती पुरस्कारश्चेति विविधैः सम्मानैः अलङ्कृतोऽयं महापुरुष आसीत्। आङ्ग्लशासकानां शासनेन सहैव संस्कृताध्ययनेऽध्यापने च वैदेशिकानां चेतसि संस्कृताध्ययनचिन्ता विचकास। अभिज्ञानशाकुन्तलमेव संस्कृतभाषा संस्कृताभिज्ञानं समभवत्। क्रमशो महानगरेषु विद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च आगत्याधीत्य कोलब्रूक बोथ लिंक कीलहार्न प्रभृतयो विद्वांसः व्याकरणेऽपि विख्याता अभवन्। अन्येष्वपि च मैक्समूलर-मैक्डोनल-कीथ-वेबर-पीटरसन-विटरनिट्स गोल्डस्टूकर प्रभृतयोऽपि प्रख्याता आसन्। कीलहार्न गोल्डस्टूकर-लुई-रेनु-मैक्डोनल मैक्समूलर प्रभृतिभिश्च विशेषतो व्याकरणग्रन्थेषु व्याख्या विहिताः। तेषामेव प्रसादात् विदेशेषु संस्कृतस्य ज्ञानं प्रसृतमभूत्। भारतीयेष्वपि आङ्ग्ल भाषा प्रावीण्येन व्याकरणग्रन्थान् अवबोधयितुमौत्सुक्यं सञ्जातम्। तेन निबन्धादीनां माध्यमेन स्वातन्त्रेण च अनेकैर्विद्वद्भिः ग्रन्था विरचिताः तेषु डॉ. रामकृष्ण भण्डारकर श्रीशचन्द्रवसु-श्री. एम. आर-काले. श्री वी.एस आप्टे प्रमुखैः स्वकीया ग्रन्था उपस्थापिताः। एतेष्वपि वसुमहोदयस्य सिद्धान्तकौमुदी अष्टाध्यायी चेत्युभयस्य महनीयं स्थानं विद्यते। अनन्तरञ्च स्वातन्त्र्यप्राप्तौ हिन्दीभाषामाध्यमेन महनीयानां ग्रन्थानां व्याख्याप्रणयनं च सातत्येनावलोक्यते। भाविनि कालेऽपि सैषा धारा व्याकरणस्यागाधतां प्रतिष्ठापने समर्था भवेदिति। व्याकरणे इतिहासग्रन्थानां विरचने प्रथमं तावत् वैदेशिका एव

प्रवृत्ताः।ताननुसरन्तो भारतीया विद्वान्सः प्रवृत्ता अभवन्। तेषु डॉ. एस. के. बेल्वेल्करो वर्तते। तस्य कृति आङ्ग्लभाषायां विद्यते। अनन्तरमपि किञ्चित्कालपर्यन्तम् जनास्तमेवानुसरन्त आसन्। डॉ. क्षितीशचन्द्र चक्रवर्ती डॉ. प्रभात चन्द्र चक्रवर्ती डॉ. टी. आर. चिंतामणि प्रभृतयः इतिहास लेखने प्रावर्तन्त। हिन्दीभाषायां तु समग्रो व्याकरणेतिहासः पं. युधिष्ठिर मीमांसक महोदयै : अवतारितो वर्तते। तदतिरिक्तम् पद्मभूषण पं. बलदेवोपाध्याय विरचिते संस्कृत शास्त्रेतिहासे व्याकरणपरिच्छेदे सप्तसु खण्डेषु पाणिनिपूर्वत आरभ्य वर्तमानशतकपर्यन्तं क्रमबद्धः इतिहासः विस्तरेण प्रमाणोपन्यासपूर्वकं विवेचितः। तामेव सरणिमनुसृत्य अस्मिन् खण्डेऽपि व्याकरणेतिहासस्य क्रमिकत्वं प्रतिपादितम्। विशेषतः पूज्यैः उपाध्याय महोदयैः प्रणीतायां काशिकपाण्डित्यपरम्परायां महता विस्तरेण काशीस्थानां वैयाकरणानामवदानं समारोपितम्। अस्यामेव पद्धतौ डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल-डॉ. प्रभुदयाल अग्निहोत्री-डॉ. राम शङ्कर भट्टाचार्य प्रभृतिभिः पाणिनिपतञ्जल्योः विशेषतोऽध्ययनं सम्पाद्य स्वकीयाः ग्रन्था : हिन्दी भाषायामेवोपनिबद्धाः वर्तन्ते। तथैव च महाराष्ट्रभाषायां म.म. पं. काशीनाथ वासुदेवाभ्यङ्कर महाभागेन स्वपितुः म.म. पं. वासुदेव शास्त्रिणा कृतस्य महाभाष्यव्याख्यानस्य विस्तृतभूमिकायां व्याकरणशास्त्रेतिहाससमष्टिः संगुम्फिता। वृहदाकारमयेषु ४०८ पृष्ठेषु समष्टिरियं समायोजिता इति हर्षस्य विषयः। अनेनैव महाभागेन व्याकरणग्रन्थानां ग्रन्थकाराणाञ्च विषय सूची निर्मिता।

पाणिनीयं व्याकरणमेव देशेऽस्मिन् भारते वर्षे प्रचलितं प्रसारितं नाभूत् किन्तु सम्प्रदायविशेषानभिलक्ष्य तदितरव्याकरणान्यपि समये-समये बहुभिराचार्यैरूपनिबद्धानि। तत्र कारणं तु लौकिकसंस्कृतभाषाया वैचित्र्यम् तेषां-तेषां शब्दानां साधुत्वप्रतिपादनमेव। तेषु विद्वत्सु केचित् पाणिनितः पूर्वमपि आसन्। किन्तु इन्द्रः आपिशलः शाकल्यः शाकटायनश्च पाणिनिना प्रसङ्गेन उपात्ता : अन्ये चापि ये केचित् पाणिनेः पूर्वं विशिष्टा मान्याश्चासन् तेऽपि अष्टाध्याय्यां स्मारिता :। तथापि तादृशा "वैयाकरणा : अन्ये च विद्यन्ते, ये पाणिनेः पूर्वमपि तथा परमपि व्याकरणशास्त्रप्रवर्तका अविद्यन्त, तेषां कीर्तनमप्यावश्यकम्। एतेषां नाम-सङ्कीर्तनेन रचनाभिश्चैव वयं सन्तोषमनुभवामः। ऐन्द्रव्याकरणसम्बन्धे पूर्वम् उल्लेखितमेव। शर्ववर्माख्येन विदुषा कातन्त्रव्याकरणं प्रणीतम्। कातन्त्रस्य कद्भागो वररूचिभावित इति ज्ञायते दौर्गव्याख्यया। स च वार्तिककाराद् भिन्नः। कथासरित्सागरानुसारं सातवाहनस्य राजसंसदि गुणाढ्यशर्ववर्माणौ बुधवरावास्ताम्। कातन्त्रव्याकरणं न केवलं कालक्रमानुसारं प्रथममस्ति, प्रत्युत सरलतयाऽपि प्राथम्यं भजते। कातन्त्रादीनि व्याकरणान्यपि विभाजने पाणिन्यष्टकमनुसरन्ति तेषु कातन्त्रतन्त्रे चत्वारोऽध्यायाः समाहिताः। तेषु अध्यायेषु पाणिन्यनुसारं प्रक्रियाव्याख्यानादिकं सकलं शब्दजालमवगुण्ठितम् कालक्रमानुसारेण संस्कृत भाषायाः काठिन्यमपाकर्तुं लाघवमनुभूयमानश्चन्द्रगोमी चान्द्रं व्याकरणं विरचय्य शब्दाकाशं व्यद्योतत। अस्य अध्यायाष्टकमेव लौकिकशब्दानुशासनमभिलक्ष्य विलसतीति प्रवादः। अध्यायद्वयं वैदिकशब्दानां

दिग्दर्शनार्थं विरचितं स्यादिति कल्प्येत। अस्मिन्नेव क्रमे पाल्यकीर्तिरित्यपर नामधेयः शाकटायनः स्वोपज्ञया अमोघावृत्या सहितं व्याकरणं प्रणीतवान्। इदं व्याकरणमपि पाणिनिव्याकरणसदृशं सर्वाङ्गपूर्णम् आसीत्। नामभिन्नेष्वपि एतेषु व्याकरणेषु पाणिनेश्छाया सर्वत्र विद्यमाना वर्तते। तथैव च देवनन्दिप्रणीते जैनेन्द्रव्याकरणेऽपि पाणिनेः प्रभावः प्रभूततया परिलक्ष्यते। किन्तु जैनधर्मावलम्बनतया देवनन्दिना स्वरवैदिकप्रकरणयोर्विस्तारो नापेक्षितः। किं बहुना सिद्धहेमशब्दानुशासने हेमचन्द्रः सरस्वतीकण्ठाभरणरीत्या प्रभावितः स्पष्टतया परिदृश्यते। व्याकरणामिदं हेमचन्द्रप्रणीतया स्वोपज्ञवृत्या मण्डितं साङ्गोपाङ्गं संस्कृतप्राकृतोभय भाषयोः शब्दानुशासने वैशिष्ट्यं भजते। एतदतिरिक्तम् अनुभूतिस्वरूपाचार्यप्रणीतं सारस्वतं व्याकरणं, वोपदेवप्रणीतं मुग्धबोधव्याकरणं, रुपगोस्वामिप्रणीतं हरि-नामामृतं व्याकरणं, जुमरनन्दिप्रणीतं जौमरव्याकरणञ्चेति विविधानि व्याकरणानि विरचितान्यभूवन्। सर्वाण्येतानि व्याकरणानि बालानां बोधायैव विरचितानि। देववाण्याः प्रचारदृष्ट्यैव, शोद्भवो परमाखं भोजराजोऽपि सरस्वतीकण्ठाभरणं भाषाविदां कण्ठे माले व अर्पितवान्। इदं कण्ठाभरणमष्टपुष्पैरुपवृंहिप वर्तते।

सर्वमेतत् सङ्गमय्य सम्प्रति उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन प्रकाशनार्थं संकल्पितस्य 'संस्कृत साहित्य का वृहद् इतिहास' इत्याख्यस्य अष्टादशखण्डात्मकवृहद्ग्रन्थस्य व्याकरण खण्डः विदुषां समक्षमुपस्थाप्यते। अस्य सम्पादने मम प्रवृत्तिः गुरुवराणामुपाध्याय महोदया नाम् आदेशानुसारमजायत। तैःस्वीकृता सरणिरेव मयानुसृता, केवलं ग्रन्थानां ग्रन्थकाराणाञ्च नामोल्लेखनेनैवेतिहासस्य लक्ष्यं न सिद्ध्यति, अपितु पूर्वापरसम्बन्धमभिलक्ष्य विवेचनमप्य पेक्षते। दृष्टिमान्द्येन कार्यसम्पादने कष्टमनुभवन्नपि गुरुकृपयेदं कार्यं निर्विघ्नं समाप्ति मगमत्। 'गच्छतः स्खलनं वापि भवत्येव प्रमादत' इत्युक्तिमनुसरन्त : गुणैकदर्शिनो विद्वांसः दोषदृष्टिपरं मनो न विधाय मम परिश्रमं च सफलं विभावयिष्यन्तीति।

के. २३/८ दूधविनायक, वाराणसी
गुरुपूर्णिमा, सं. २०५५

विदुषां वशंवदः
गोपालदत्तपाण्डेयः

प्रस्तावना

विश्व साहित्य के इतिहास में संस्कृत भाषा की प्राचीनता सर्वमान्य है। संस्कृत भाषा का मूल उद्गम वैदिक संहितायें हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार संस्कृत व्याकरण के आदिम स्रोत का स्वरूप जानने के लिये वैदिक भाषा और वैदिक व्याकरण की मूल प्रकृति का सिंहावलोकन परमावश्यक है। लौकिक संस्कृत के प्रचार तथा प्रसार के साथ संस्कृत भाषा को अभिलक्षित कर लोक में व्याकरण शास्त्र का उद्गम तथा विकास अनेक शताब्दियों पूर्व होता रहा।

व्याकरण की रचना में भाषा मूल कारण है, क्योंकि भाषा ही मानव मात्र के भावों और विचारों के पारस्परिक आदान-प्रदान का सर्वोत्तम साधन है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। मनुष्य में भाषण शक्ति ईश्वरीय देन है। इस सम्बन्ध में आचार्य दण्डी का यह कथन है कि वाणी के बिना संसार का काम नहीं चल सकता–यदि शब्द नामक ज्योति संसार को प्रकाशित न करती तो यह सारा संसार अविद्या के अंधकार से व्याप्त रहता।

इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते।। (काव्यादर्श १/३-४)

भाषा का अर्थ है व्यक्त वाणी, अर्थात् जिसमें वर्णों का स्पष्ट उच्चारण होता है। उच्चारण में व्यक्तिगत विषमता तथा उच्चारण स्थानगत त्रुतियाँ होने के फलस्वरुप शब्दों के बाह्यस्वरुप में विभेद होना भी स्वाभाविक है, जो शब्दों के वास्तविक अर्थ को अभिलक्षित करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः व्याकरण शब्द अपने में सर्वथा सार्थक है–'व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृतिप्रत्ययादयो यत्र तद् व्याकरणम्' अतः भारतीय परम्परा में प्रत्येक विषय का सम्बन्ध वेदों से ही जोड़ने का प्रयत्न किया गया है।

वेदाङ्ग नामकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा, कल्प, छन्द, निरुक्त, व्याकरण तथा ज्योतिष इन छहों अङ्गों की पृथक रुप में मान्यता वेदों के संहिता-रुप में निबद्ध होने तथा उनकी स्वाध्याय प्रवृत्ति के बाद ही संभव हुई हो। वैदिक चिन्तन के साथ ही अर्थानुसन्धान के लिए शब्दों के विश्लेषण का आविर्भाव स्वाभाविक था। इसी विश्लेषण के फलस्वरुप वेद-पुरुष के इस अङ्ग का नाम 'व्याकरण' रखा गया तथा छहों अङ्गों में इसकी प्रधानता भी स्वीकार की गई–मुखं व्याकरणं स्मृतम्। उपर्युक्त छहों वेदाङ्गों में से 'शिक्षा' और 'निरुक्त' में उल्लिखित अनेक बातें विशुद्ध रूप से वर्तमान काल के प्रचलित व्याकरण के क्षेत्र में आती है। शिक्षा और निरुक्त–इन दोनों वेदाङ्गों के जो ग्रन्थ आजकल उपलब्ध हैं उनमें बहुत से वचन ऐसे विद्यमान हैं, जिन्हें हम पाणिनीय व्याकरण से अभिन्न

और समान रूप में पाते हैं। इस प्रकार व्याकरण, शिक्षा और निरूक्त ये तीनों परस्पर सम्बद्ध हैं, शिक्षा और निरूक्त एक तरह से व्याकरण के पूरक अङ्ग हैं। शेष तीनों वेदाङ्गों का सम्बन्ध वेदों से अवश्य है, व्याकरण से नहीं। इस दृष्टि से भर्तृहरि ने भी छहों अङ्गों में व्याकरण को सर्वप्रथम और सर्वप्रधान अङ्ग माना है–**'प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुर्व्याकरणं बुधाः।'**

प्रातिशाख्य

वैदिक साहित्य की विभिन्न शाखाओं से सम्बद्ध शब्दों का अन्वाख्यान प्रातिशाख्यों में मिलता है। इनका वेदों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वेद की शाखाओं से सम्बद्ध होने के कारण इनका नाम प्रातिशाख्य रखा गया। प्रातिशाख्यों में वेद की विभिन्न शाखाओं से सम्बद्ध व्याकरण के नियम दिये गए हैं। इनमें वर्णोच्चारण–शिक्षा, संहिता का पद पाठ में परिवर्तन, सन्धि ज्ञान, स्वरविधान, पदों का विभाजन, स्वर संचार आदि विषयों का विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रातिशाख्यों में व्याकरण के पारिभाषिक शब्द भी मिलते हैं, जिन्हें परवर्ती वैयाकरणों ने उसी रूप में ग्रहण किया है। प्रातिशाख्यों में 'ऋक्प्रातिशाख्य' सबसे प्राचीन माना गया है। अनेक शाखाओं के नाम पर वाजसनेय-प्रातिशाख्य, साम-प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य, मैत्रायणीय-प्रातिशाख्य, अथर्व-प्रातिशाख्य आदि सुप्रसिद्ध हैं।

प्रातिशाख्यों से पूर्व भी ब्राह्मण ग्रन्थों में व्याकरण सम्बन्धी अनेक संकेत मिलते हैं जिससे यह विदित होता है कि 'व्याकरण' शास्त्र की पर्याप्त चर्चा उस युग में होती रही हो। यद्यपि 'गोपथ ब्राह्मण' में–धातु, प्रातिपदिक, आख्यात, लिङ्ग, वचन, विभक्ति, स्वर, उपसर्ग, निपात, वर्ण, अक्षर, पद, संयोग आदि पारिभाषिक शब्द विद्यमान हैं तथा मैत्रायणी संहिता में भी छः विभक्तियों का उल्लेख मिलता है एवं ऐतरेय ब्राह्मण में वाणी की सात विभक्तियों की ओर निर्देश किया गया है–फिर भी इन ग्रन्थों को व्याकरण की संज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि इन ग्रन्थों का उद्देश्य व्याकरण का निर्वचन करना नहीं है। इस प्रकार का वर्णन प्रासङ्गिक रूप में जिज्ञासा मात्र है। आगे चलकर प्रातिशाख्यों ने इस कार्य को पूरा किया तथा उन्हें ही व्याकरण का प्रारम्भिक रूप समझना चाहिए। प्रातिशाख्यों के रूप में वैदिक काल में व्याकरण शास्त्र के उदय और विकास का यह परिणाम हुआ कि परवर्ती व्याकरण-ग्रन्थों के रचयिताओं को प्रातिशाख्यों से उपयुक्त सामग्री मिली। विशेषतः पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में वाजसनेयी प्रातिशाख्य से उपधा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, आम्रेडित आदि पारिभाषिक शब्दों को उसी रूप में ग्रहण कर लिया तथा कई सूत्रों को भी कुछ परिवर्तन के साथ संगृहीत किया।

यास्क

शाब्दिक प्रक्रिया की निष्पत्ति करने में 'निरूक्त' अधिक उपयोगी है। अन्य वेदाङ्गों में निरूक्त के अतिरिक्त यद्यपि 'शिक्षा' व्याकरण के साथ साम्य रखती है तथापि उसका उपयोग केवल उच्चारण सम्बन्धी नियमों तक ही सीमित है। यास्क ने भी शब्दों के चार भेद-नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात-प्रातिशाख्य के अनुसार ही स्वीकार किए हैं। यह चार भेद शाब्दिक प्रक्रिया के एक प्रकार से मेरुदण्ड हैं। आगे के वैयाकरणों ने भी इन भेदों को स्वीकार कर व्याकरण का स्वरूप सुदृढ़ किया है। भाषा वैज्ञानिक विद्वान् तो यास्क को भाषा विज्ञान का आदिम गुरु मानते हैं। वह पाणिनि के पूर्ववर्ती विचारकों में सर्वाग्रणी रहे। इस प्रकार लौकिक संस्कृत व्याकरण की पूर्व पीठिका पाणिनि से पूर्व ही तैयार हो चुकी थी। महाभारत के शान्तिपर्व में भी (अ. ३८२) यास्क के निरुक्तकार होने का स्पष्ट निर्देश है। अतः यास्क पाणिनि से कई शताब्दियों पूर्व विद्यमान रहे हों। व्याकरण का यह उदयकाल इस शास्त्र के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह इस शास्त्र का सृजनात्मक युग था, जिसमें पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि ने अपनी रचनाओं द्वारा व्याकरण के मौलिक तथ्यों का निर्वचन प्रस्तुत किया। व्याकरण शास्त्र में महर्षि पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि की प्रधानता ने वर्तमान काल में प्रचलित संस्कृत व्याकरण को प्रौढ़ता के शिखर पर पहुँचा दिया।

पाणिनि पूर्ववर्ती वैयाकरण

पाणिनि के पूर्व व्याकरण के अनेक रचयिता हो चुके थे, जिनके सम्बन्ध में विदित कराना परमावश्यक है। अन्यथा उन प्राचीन वैयाकरणों तथा पाणिनि आदि प्रसिद्ध वैयाकरणों की श्रृंखला के साथ समन्वित करने में कठिनाई उपस्थित होगी। भाषा के प्रवाहित होने के साथ-साथ व्याकरण का अनुगामी होना स्वाभाविक है। इस नियम को पाणिनि ने भी स्वीकार किया है तथा अपने अनेक सूत्रों में उन पूर्ववर्ती वैयाकरणों का आदर के साथ स्मरण किया है। ऐसे वैयाकरणों का अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि ने अपने इस ग्रन्थ में उल्लेख करते हुए नाम निर्देश भी किया है। संख्या में ये दस स्पष्ट रुप से उल्लिखित हैं- १. आपिशलि, २. काश्यप, ३. गार्ग्य, ४. गालव, ५. चाक्रवर्मण, ६. भारद्वाज, ७. शाकटायन, ८. शाकल्य, ९. सेनक तथा १०. स्फोटायन। इनमें से दो वैयाकरणों का विशेष प्रभाव रहा और यास्क ने भी उनका उल्लेख अपने निरुक्त में किया है। शब्दों की रचना के सम्बन्ध में ये दो वैयाकरण-गार्ग्य और शाकटायन अपने-अपने पृथक् मतों के कारण भाषा विज्ञान के क्षेत्र में आज भी सुविदित हैं। इनमें से गार्ग्य का यह मत था कि केवल वे ही शब्द 'धातुज' माने जा सकते हैं, जिनमें धातु और प्रत्यय स्पष्टतया अभिलक्षित हो सकें। इसके विपरीत शाकटायन ने सभी शब्दों को धातुज माना है। शाकटायन के मत

का ही प्रतिपादन यास्क ने अपने निरुक्त में किया है, जो आगे चलकर सिद्धान्त के रूप में मान्य हुआ। पाणिनि भी इसी मत के पोषक रहे। वर्तमान में इन विद्वानों के द्वारा लिखे गए ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। अतः उन ग्रन्थों के सम्बन्ध में निर्वचन करना कठिन ही रहा। प्राचीन विद्वानों की यह धारणा रही है कि इनमें से कुछ विद्वानों ने समग्र व्याकरण-वैदिक तथा लौकिक संस्कृत-को अभिलक्षित कर अपने-अपने ग्रन्थ रचे। शेष विद्वानों ने आंशिक रचना कर उन-उन क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त की। फिर भी यह कहना कठिन है कि इन सबके ग्रन्थों का स्वरूप किस कारण लुप्त हो गया। पाणिनि ने तो अपने कुछ सूत्रों में इनके मत का उल्लेख कर उन शब्दों का वैकल्पिक प्रचलन होना सूचित किया हैं तथा उन दस विद्वानों का नाम बड़े आदर के साथ लिया है।

इन दस आचार्यों के अतिरिक्त भी अनेक व्याकरण-प्रवक्ता प्रसिद्ध हुए हैं जिनका उल्लेख पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में नहीं किया है। ऐसे विद्वानों के मतों का प्रासंगिक उल्लेख वृत्तिकारों, वार्तिककारों, भाष्यकार, प्रक्रिया ग्रन्थों के विस्तारकों तथा उनके व्याख्याकारों ने बड़े आदर के साथ किया है। ऐसे विद्वानों में इन्द्र, काशकृत्सन, पौष्करसादि, भागुरि, माध्यन्दिनि, तथा व्याघ्रपद्य का उल्लेख पाणिनि के उत्तरवर्ती विद्वानों ने विशेष रूप से किया है।

पाणिनि द्वारा अनुल्लिखित आचार्यों में इन्द्र का नाम व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता के रूप में आज भी सुविदित है। कवियों ने जिस प्रकार प्रकृति का मानवीकरण किया है उसी प्रकार शास्त्रों के अन्य क्षेत्रों में भी महामानवों को देवों के रूप में प्रसिद्ध कर उनकी रचनाओं पर प्रामाणिकता की मुहर लगा दी है। अतः वृहस्पति, महेश्वर, इन्द्र आदि के नामों से पृथक्-पृथक् व्याकरणों का संकेत मिलता है। इनमें से इन्द्र की महत्ता सर्वमान्य है। महाभाष्यकार ने अपने ग्रन्थ में यह उल्लेख किया है कि वृहस्पतिसदृश गुरु ने इन्द्र को अपना शिष्य बनाया तथा दैवी हजार वर्षों तक शब्द रचना सम्बन्धी उपदेश देते रहे फिर भी शब्दों का आकलन नहीं हो सका। ऋक्तन्त्र के अनुसार भी इन्द्र के प्रथम वैयाकरण होने का उल्लेख मिलता है। तदनुसार इन्द्र ने भरद्वाज को शब्दशास्त्र की शिक्षा दी। यही व्याकरण आगे चलकर ऐन्द्र व्याकरण के नाम से प्रचलित हुआ। यह व्याकरण सम्प्रति प्राप्त नहीं है, किन्तु उत्तरवर्ती व्याकरण ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता है। कथा सरित्सागर के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण प्राचीन समय में ही नष्ट हो गया था। तिब्बतीय ग्रन्थों के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण का परिमाण पच्चीस हजार श्लोक था। विस्तार में ऐन्द्र व्याकरण पाणिनीय व्याकरण की अपेक्षा कई गुना अधिक रहा होगा। तमिल भाषा के व्याकरण 'तोलकाप्पियम्' पर ऐन्द्र व्याकरण का बहुत प्रभाव है। इनके अतिरिक्त पाणिनि द्वारा अनुल्लिखित बारह वैयाकरणों में **व्याडि** सुप्रसिद्ध हुए। इनका 'संग्रह' नामक ग्रन्थ लक्ष श्लोकात्मक रहा। व्याडि पाणिनि के सम्बन्धी थे। पाणिनीय व्याकरण पर उनके पूर्ववर्ती आचार्यों का प्रभाव पड़ने के सङ्केत परवर्ती ग्रन्थकारों के उल्लेखों से इङ्गित होते है।

त्रिमुनि व्याकरण

संस्कृत व्याकरण के इतिहास में आचार्य पाणिनि युगपुरुष के रुप में अवतीर्ण हुए। उन्होंने अतीत का सम्बल लेकर एक ऐसे व्याकरण की रचना की जिसने समकालिक तथा भविष्य में प्रयोग की जाने वाली संस्कृत भाषा का मार्गदर्शन किया, जिसके फलस्वरुप पाणिनीय व्याकरण ही संस्कृत व्याकरण का पर्यायवाची शब्द बन गया। इसका एक मात्र कारण उनकी अष्टध्यायी की विशेषता थी, जिसे एक स्वर से विश्व का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं प्रामाणिक व्याकरण ग्रन्थ स्वीकार किया गया। पाणिनि के आविर्भाव के साथ ही उनके पूर्ववर्ती वैयाकरणों का तेज मन्द हो गया और उन प्राचीन वैयाकरणों के ग्रन्थों का धीरे-धीरे लोप होता चला गया।

इस युग में वैदिक और लौकिक संस्कृत के साथ-साथ जन साधारण में प्राकृत भाषा का भी प्रयोग होता रहा। बाद में प्राकृत और लौकिक संस्कृत का अन्तर स्पष्ट करने के लिए 'भाषा' की अपेक्षा संस्कृत नाम रखना उचित समझा गया। वर्तमान काल में भाषा की अनेकरुपता होते हुए भी जनसाधारण में सर्वाधिक प्रचलित खड़ी बोली की तरह उस समय भी संस्कृत की प्रधानता होते हुए भी प्राकृत भाषा का व्यवहार में प्रचलन किसी प्रकार कम नहीं था। इस प्रकार पाणिनि युग में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं की त्रिवेणी समानान्तर रुप में प्रवाहित होते हुए भाषा सम्बन्धी एकरूपता को स्थिरता प्रदान करने में सदा सर्वदा के लिए सार्थक रही। जिसके फलस्वरूप पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना कर संस्कृत भाषा को व्याकरण के रूप में ऐसी धरोहर प्रदान की, जिससे परवर्ती आचार्यों के लिए शब्द शास्त्र का मार्ग प्रशस्त हो गया तथा उन आचार्यों ने पाणिनि की अष्टाध्यायी को ही आधारभूत ग्रन्थ मानकर इस शास्त्र पर विचार एवं विस्तार करना आरम्भ किया।

अष्टाध्यायी के पठन-पाठन द्वारा संस्कृत व्याकरण का प्रचार एवं प्रसार होने के साथ पाणिनि के समय से ही उस पर व्याडि सदृश महान आचार्यों के द्वारा मार्ग प्रशस्त किये जाने पर भी अनेक आचार्यों को कुछ परिवर्तन एवं परिवर्धन की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इसका एक मात्र कारण था संस्कृत भाषा की व्यापकता एवम् अनेकरूपता। उन महनीय आचार्यों ने न्यूनाधिक भाव से अष्टाध्यायी के नियमों में वैकल्पिक सुझाव रखना प्रारम्भ कर दिया। इस कार्य की पुष्टि आचार्य कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों के साथ ही समानान्तर रूप में उन विकल्पों को 'वार्तिक' के रूप में विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति को जनता के समक्ष विचारार्थ समाकलन करने में लगभग दो सौ वर्ष या उससे अधिक समय लगा होगा। इसके फलस्वरूप कात्यायन ने पाणिनि के अवशिष्ट नियमों को इनमें समेटते हुए अष्टाध्यायी के पूरक रूप में वार्तिक ग्रन्थ को उन्होंने प्रस्तुत किया। यद्यपि

अनेक विदेशी और देशी विद्वानों ने कात्यायन के इस प्रयास में विरोध की भावना भले ही पाई हो किन्तु उसमें शाश्वतिक विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी।

सूत्र और वार्तिकों के समन्वयात्मक दृष्टिकोण ने व्याकरणशस्त्र को अधिक व्यापक बना दिया। इस वैचारिक क्रान्ति ने जटिलता को दूर करने के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त किया। इन दोनों आचार्यों–पाणिनि और कात्यायन–के प्रयासों में पारस्परिक समन्वय को समझने के लिए एक अन्तर्दृष्टिसम्पन्न व्यक्ति की आवश्यकता थी उसे शेषावतार पतञ्जलि ने पहचान लिया। पतञ्जलि ने कात्यायन की तीखी पूरक दृष्टि का आशय भी समझा। उन्हें यह भी आभासित हुआ कि कात्यायन के अनेक वार्तिक ऐसे हैं जिनके अस्तित्व के बिना भी पाणिनि के सूत्रों की उपादेयता में कोई न्यूनता नहीं आ सकती। पतञ्जलि कुछ और आगे बढ़े, उन्होने पाणिनि की द्विरूक्तता को भी अपेक्षित नहीं समझा और स्थान-स्थान पर पाणिनि सूत्रों के प्रत्याख्यान के रूप में अपने बुद्धि-वैशद्य का परिचय दिया। वस्तुतः पतञ्जलि पाणिनि के पोषक ही रहे। महाभाष्य अष्टाध्यायी पर ही अक्षरशः आधारित रहा। उनका प्रमुख उद्देश्य पाणिनि की सरणि में पूर्णता को खोजना था। इसके साथ ही पतञ्जलि ने कात्यायन के मत की समीचीनता पर प्रसन्नता भी अभिव्यक्त की। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कात्यायन के वार्तिक पाणिनि-सूत्रों के उद्घोषक हैं। वार्तिकों की व्याख्या के फलस्वरूप पतञ्जलि इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कात्यायन के कतिपय वार्तिकों को ही अनिवार्य माना जा सकता है। तथा शेष वार्तिक एक प्रकार से सूत्रों के पूरक मात्र हैं। उनके इस ऊहापोह ने दोनों आचार्यों की कृतियों में सत्यान्वेषण करने पर ही विश्राम लिया। इस नीर-क्षीर-विवेक से पतञ्जलि की साख और बढ़ी तथा पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों में पतञ्जलि के सिद्धान्तों को सर्वाधिक मान्यता मिली-**यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यं** इन विशेषताओं ने पतञ्जलि के महाभाष्य को अपूर्व कृति बना दिया। यद्यपि पतञ्जलि से पूर्व भी व्याडि, कुणि, प्रभृति आचार्यों के अनेक व्याख्या ग्रन्थ बन चुके थे, किन्तु 'शब्दानुशासन' के क्षेत्र में केवल पतञ्जलि के महाभाष्य को ही चिरस्थायी मान्यता मिली।

महाभाष्य के प्रकाश में कात्यायन के वार्तिकों की विद्यमानता स्पष्ट हुई। वार्तिकों का क्रमानुसार पाठ प्राप्त नहीं रहा। पतञ्जलि के व्याख्यान के साथ ही वार्तिक इङ्गित हो सके। उनमें भी कुछ तो स्वतंत्र रूप में मान्य हुए तथा शेष इष्टियों के रूप में स्वीकार किये गए। भाष्य का आकलन करने के साथ 'काशिका' आदि वृत्ति ग्रन्थों में सूत्रानुसारी वार्तिकों का यथास्थान समावेश हुआ।

पतञ्जलि का समय इतिहास के विद्वानों के अनुसार पुष्यमित्र का राज्यकाल है। महाभाष्य में प्रयुक्त–**'इह पुष्यमित्रं याजयामः' 'पुष्यमित्रो यजते'** तथा **'अरूणद् यवनः साकेतम्' 'अरूणद यवनः मध्यमिकाम्'**–इन वाक्यों के आधार पर पतञ्जलि को पुष्यमित्र

का समकालिक माना है तथा मिनेंडर (मिलिन्द) के साकेत तथा मध्यमिका नगरी पर हुए आक्रमणों का भी लेखा जोखा प्राप्त होता है। तदनन्तर ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित शब्द शास्त्र का विस्तार समझने में प्रामाणिकता सिद्ध होती है।

सूत्रानुसारी व्याख्या ग्रन्थ (वृत्तिग्रन्थ)

त्रिमुनि के पश्चात् पाणिनि शाखा के वैयाकरणों को दो कोटियों में रखा जा सकता है–१. एक तो वे जिन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी को उपजीव्य मानकर उनके सूत्र क्रमानुसार व्याख्यायें की। २. दूसरे वे जिन्होंने अष्टाध्यायी को उपजीव्य मानते हुए भी शिक्षण की सुविधा के विचार से (भाषा के व्यावहारिकता के विचार से) प्रकरणों में वर्गीकरण कर प्रक्रिया की दृष्टि से-सूत्र क्रम में अपेक्षित परिवर्तन किया। इनमें से प्रथमकोटि को अष्टाध्यायी परम्परा कहना उचित होगा तथा दूसरी को प्रक्रियानुसारी परम्परा।

उपर्युक्त दोनों प्रकार की व्याख्याओं से प्रथम सूत्रक्रमानुसार व्याख्या ग्रन्थों में 'काशिका' सर्वप्रमुख मानी गई है। काशी में रचे जाने के कारण इसका नाम काशिका पड़ा। इसके रचयिता दो विद्वान् **वामन** तथा **जयादित्य** रहे। इनमें से प्रथम पाँच अध्याय तो जयादित्य द्वारा विरचित हैं तथा शेष तीन अध्याय वामन द्वारा विरचित हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने अपने यात्रा विवरण (वि.सं. ७१६-७२२) में इस ग्रन्थ की प्रसिद्धि का उल्लेख किया है। विद्वानों की सम्मति में जयादित्य की अपेक्षा वामन का लेख अधिक प्रौढ़ है। इत्सिंग के अनुसार वि.सं. ७१८ में जयादित्य की मृत्यु हो चुकी थी। काशिका में प्रत्येक पाणिनि सूत्र की व्याख्या की गई है। दूसरी विशेषता यह है कि काशिका-वृत्ति में महाभाष्य के मत से भिन्न आचार्यों के मत भी व्यक्त किये गए हैं। सबसे मुख्य बात तो यह है कि वार्तिकों का पूरा स्वरूप 'काशिका' में ही उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त दूसरी विशेषता यह है कि काशिका में अपेक्षित गण पाठ भी सूत्र की वृत्ति के साथ-साथ दिया गया है। काशिका में ऐसे अनेक ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है, जो आज अप्राप्य हैं। ऐसा विदित होता है कि काशिकाकारों के समय तक उन ग्रन्थों का अध्ययन अवश्य होता रहा होगा। काशिका का मुख्य उद्देश्य पाणिनि की प्रक्रिया को सिद्ध करना है। इसीलिए आवश्यकतानुसार अनेक वार्तिकों को पाणिनि की इच्छा का अभिव्यञ्जक मानकर 'इष्टियों' के रूप में पढ़ दिया है। कहीं-कहीं काशिकाकार ने वार्तिकों की मूल भाषा में परिवर्तन भी किया है। उसका कारण यह है कि उन्होंने वार्तिकों को भी संक्षेप के साथ भाष्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में सामान्य चर्चा का अङ्ग बना लिया है। इस कारण बहुत से वार्तिक छूट भी गए हैं।

इस ग्रन्थ पर लिखी गई टीकाओं में से **आचार्य जिनेन्द्र बुद्धि** कृत 'न्यास' तथा **हरदत्त** द्वारा लिखित 'पदमञ्जरी' अधिक प्रसिद्ध हैं। कैयट ने महाभाष्य की टीका (प्रदीप)

में न्यासकार का खण्डन किया है। कैयट का समय १०२५ ई. के आसपास माना गया है। बाणभट्ट ने भी 'कादम्बरी' में न्यास ग्रन्थ की ओर संकेत किया है। फलतः जिनेन्द्र बुद्धि का समय ६५० ई. के आसपास माना जा सकता है। 'न्यास' की अपेक्षा 'पदमञ्जरी' सामान्य अध्येता के लिए कम उपयोगी सिद्ध हुई है। इसका कारण उसमें पाण्डित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति का होना है। इनके गुरु अपराजित थे। यह द्रविड़ देश के निवासी थे। कावेरी नदी के तटवर्ती किसी ग्राम में इनका निवास-स्थान रहा। कैयट का खण्डन-मण्डन करने के फलस्वरूप इनका अविर्भावकाल ११०० ई. के लगभग माना गया है। काशिका की इन दोनों टीकाओं पर भी अनेक टीकायें लिखी गई हैं।

काशिका के पश्चात् भी वृत्ति ग्रंथ लिखने की परम्परा बनी रही। इन वृत्ति ग्रन्थों में **भागवृत्ति** विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पाणिनि ने लौकिक और वैदिक प्रयोगों का निर्वचन प्रसङ्गानुसार किया है। उन्होंने किसी प्रकार का भेद नहीं रखा, किन्तु आगे चलकर 'भागवृत्ति' नामक ग्रंथ में लौकिक तथा वैदिक सूत्रों का विभाजन किया गया तथा भागवृत्ति नाम की सार्थकता दिखाई गई। भागवृत्ति की रचना के पश्चाद्वर्ती वैयाकरणों ने भागवृत्ति के इस वैलक्षण्य से काशिका वृत्ति को पृथक् करने के लिए उसके लिए 'एक वृति शब्द का प्रयोग किया है। 'एकवृत्ति' का तात्पर्य यह हुआ कि एक तन्त्र से या एक क्रम से उभयविध सूत्रों का व्याख्यान प्रस्तुत करने वाली वृत्ति। 'एकवृत्ति' नाम का प्रयोग पुरुषोत्तम देव ने अपनी भाषा वृत्ति में किया है और उनके टीकाकार सृष्टिधर की व्याख्या से 'काशिका' के लिए 'एक वृत्ति' नामकरण का पूर्वोक्त वैशिष्टय भलीभाँति गम्य होता है। यद्यपि भागवृति उपलब्ध नहीं होती, फिर भी मीमांसक जी ने यत्र-तत्र बिखरे हुए अंशों को समाकलित कर उसका अस्तित्व सिद्ध किया है। विद्वानों ने भागवृत्ति का समय माघ तथा कैयट का मध्यवर्ती काल माना है। फलतः पण्डित बलदेव उपाध्याय जी ने इस वृत्ति का नवम शती के पूर्वार्ध में विरचित होना स्वीकार किया है। भागवृत्ति माहाभाष्य को ही अपना उपजीव्य मानती है। भागवृत्ति के अतिरिक्त पुरुषोत्तम देव (११५० ई. पूर्व) ने 'भाषावृत्ति' नामक ग्रन्थ लिखा। इसमें केवल लौकिक शब्दों की रचना पर ही प्रकाश डाला गया है। तीसरे ग्रन्थ दुर्घटवृत्ति में **शरणदेव** ने सामान्य रीति से अव्याख्येय तथा अपाणिनीय पदों की पाणिनि-सम्मत व्याख्या की है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त **भट्टोजि दीक्षित** का 'शब्दकौस्तुभ' भी वृत्तिग्रन्थों में समाख्यात है। इस बात की पुष्टि भट्टोजि दिक्षित ने सिद्धान्त कौमुदी में की है। उन्होंने कृदन्त के अन्त में स्वयं लिखा है कि सिद्धान्त कौमुदी लौकिक शब्दों का संक्षिप्त परिचय है। विस्तार तो शब्दकौस्तुभ में पूर्व ही दिखाया जा चुका है। शब्द कौस्तुभ सम्पूर्ण नहीं मिलता, केवल आरम्भ में ढाई अध्याय तथा चतुर्थ अध्याय ही उपलब्ध होते हैं। शब्दकौस्तुभ विशाल एवं विस्तृत वृत्तिग्रन्थ है। शब्दकौस्तुभ की शैली महाभाष्य के अनुसार विषय का प्रतिपादन करने के साथ ही आह्निकों के रूप में विभक्त है। शब्दकौस्तुभ

में विशेष रूप से प्राचीन आचार्यों के मतों का तुलनात्मक अनुशीलन प्रस्तुत किया गया है। भट्टोजि दीक्षित के अनन्तर तथा नागेश के पूर्ववर्ती महान् संस्कृतज्ञ पं. विश्वेश्वर पाण्डेय ने भी–'व्याकरण-सिद्धान्त-सुधानिधि' ग्रन्थ लिखकर वृत्तिग्रन्थों के इतिहास में प्रामाणिकता की मोहर लगा दी। पाण्डेय जी विविध शास्त्रों में पारङ्गत थे। अतः उनके इस ग्रन्थ में व्याकरण के अतिरिक्त न्याय, मीमांसा, वेदान्त आदि शास्त्रों के सिद्धान्तों का समीक्षात्मक सङ्गमन प्रतिबिम्बित है। जब तक इसके केवल तीन अध्याय ही प्रकाशित थे, किन्तु वर्तमान में समग्र ग्रन्थ उपलब्ध होने से इसका पूर्ण स्वरूप देखने को मिलता है। पं. नित्यानन्द पंत ने इस ग्रन्थ को 'आकर ग्रन्थ' की संज्ञा दी है। इसकी शैली महाभाष्य के समान व्याख्यात्मक है। पतञ्जलि के अनन्तर विश्वेश्वर पाण्डेय ने ही अपने समय तक के सब विद्वानों के मत-मतान्तरों के साथ सैद्धान्तिक समीक्षा की है।

प्रक्रियानुसारी व्याख्या ग्रन्थ

अष्टध्यायी की रचना का मूल उद्देश्य शब्दों की सिद्धि के साथ व्याकरण का शास्त्रीय परिचय कराना भी था। इस कारण अष्टाध्यायी के सूत्रों का क्रम यथानुरूप न होकर परिवर्तित हुआ। इस कार्य को अग्रसर करने में सुप्रसिद्ध विद्वान् धर्मकीर्ति ने पहल की, इन्होंने अपने ग्रन्थ का नाम रूपावतार रखा। धर्म कीर्ति का समय १२ वीं शताब्दी का मध्यभाग माना गया है। यह भी बौद्ध थे। रूपावतार दो भागों में विभक्त है। पूर्वार्ध में सुबन्त तथा उत्तरार्ध में तिङन्त का वर्णन है। यह वर्णन वाक्य को दृष्टि-पथ मे रखकर युक्ति सङ्गत है। आगे चलकर इसी उद्देश्य और विधेयगत वाक्यानुसारी प्रक्रिया का सभी प्रक्रिया ग्रन्थों में विधान स्वीकार किया गया है। इस ग्रन्थ में अष्टध्यायी के २६६४ सूत्र संकलित किए गये हैं। वैदिक प्रक्रिया को छोड़ दिया गया है।

तद्नन्तर इस दिशा में **विमल सरस्वती** की **'रूपमाला'** का नाम उल्लेखनीय है। इनका समय १३५० ई. माना गया है। रूपमाला की शैली तथा कौमुदी ग्रन्थों की शैली में समानता है। तदनन्तर शब्द रूपों और धातुरूपों का विवेचन विशेष रूप से किया गया है।

वाक्यानुगत प्रक्रिया शैली को विस्तृत करने में रामचन्द्राचार्य (१३७५ ई.) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने 'प्रक्रिया कौमुदी' ग्रन्थ लिखकर ख्याति प्राप्त की। इस ग्रन्थ का प्रमुख उद्देश्य सरल तथा सुबोध शैली में प्रक्रिया का ज्ञान करना है। इस ग्रन्थ की व्याख्याओं में इनके पौत्र विट्ठल द्वारा रचित 'प्रसाद' प्रमुख है। इसके अतिरिक्त शेषकृष्ण का 'प्रक्रिया प्रकाश' (१५०० ई.) भी इस संन्दर्भ में उल्लेखनीय है। प्रक्रिया कौमुदी दो भागों में विभक्त है। इसके पूवार्ध में सुबन्थ तथा उत्तरार्ध में तिङन्त विवरण है। रूपों की सिद्धि के लिए प्रत्येक प्रकरण में उपादेय सूत्रों को समाकलित कर, लघुवृत्ति के साथ उचित दृष्टान्त भी दिये गए हैं। वैदिक प्रक्रिया छोड़ दी गई है। ग्रन्थ में २४७० पाणिनीय सूत्र

सङ्कलित हैं। इसी ग्रन्थ से प्रेरणा प्राप्त कर भट्टोजिदीक्षित ने 'सिद्धान्त कौमुदी' की रचना की। प्रक्रिया कौमुदी की दूसरी विशेषता यह है कि रामचन्द्र ने १०० से अधिक अपाणिनीय शब्दों की सप्रमाण निष्पत्ति की है। रामचन्द्र को लोक व्यवहार की दृष्टि से मुनित्रय के अतिरिक्त कातन्त्र आदि वैयाकरणों की प्रामाणिकता मान्य है। इस क्रम में निरन्तर ग्रन्थ रचना होती रही। धर्मकीर्ति के लगभग तीन सौ से अधिक वर्ष बाद भट्टोजि दीक्षित की 'सिद्धान्त कौमुदी' के प्रकाशन ने अष्टाध्यायी की समग्रता को निखार दिया। उनका आविर्भाव लगभग १५६० से १६१० ई. के मध्य माना गया है। बंगाल की हस्तलिखित पुस्तकों के सूचीपत्र में म.म. पं. हर प्रसाद शास्त्री ने इनके शब्दकौस्तुभ के १६३३ ई. में लिखे हुए एक हस्त लेख का उल्लेख किया है। फलतः दीक्षित का काल इनसे पूर्व होना चाहिए। मूलतः वह दक्षिण के निवासी थे, किन्तु काशी में आकर रहने के कारण उनकी प्रसिद्धि काशी निवासी के रूप में ही हुई। उनका पूरा परिवार विद्या सम्पन्न था। उनके कुल को व्याकरण शास्त्र के पारङ्गत विद्वानों को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त है। उनके पिता **लक्ष्मीधर** भ्राता **रङ्गोजी भट्ट** पुत्र **भानु दीक्षित** (रामाश्रम), भ्रातुष्पुत्र **कौण्ड भट्ट** तथा पौत्र **हरिदीक्षित** थे। उन्होंने अपने गुरु **शेषकृष्ण** से व्याकरण और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। वेदान्त और मीमांसा का अध्ययन क्रमशः **नृसिंहाश्रम** तथा **अप्पय्य दीक्षित** से किया। इनके द्वारा विरचित प्रसिद्ध ग्रन्थ यह हैं-१. शब्दकौस्तुभ, २. सिद्धान्त कौमुदी, ३. प्रौढ़ मनोरमा, ४. वैयाकरणभूषण कारिका, ५. तत्त्वकौस्तुभ, ६. त्रिस्थली सेतु, ७. तिथि निर्णय, ८. प्रवर निर्णय तथा ९. चतुर्विंशतिमत व्याख्या। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त उन्होंने अन्य ग्रन्थों की भी रचना की। उनका सुपसिद्ध ग्रन्थ 'सिद्धान्त कौमुदी' प्रक्रिया शैली को प्राप्त कराने वाला अध्यवसाय है। भाषा की दृष्टि से वाक्य को अभिलक्षित कर तदनुसार ही इन्होंने अपने इस ग्रन्थ को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभक्त किया है। इसके अतिरिक्त अन्तिम दो प्रकरणों-वैदिक प्रकरण और स्वर प्रकरण-में वैदिक प्रयोग सम्बन्धी तथा वेदों में प्रयुक्त स्वर सम्बन्धी विशेषताओं का निदर्शन किया गया है। इन अन्तिम दोनों प्रकरणों में वैदिक प्रक्रिया तो अष्टाध्यायी के अध्ययनानुकूल संकलित है। परन्तु स्वर प्रक्रिया में यह नियम सर्वांशतः समाकलित नहीं है। इस प्रकार दीक्षित ने **लौकिक** और **वैदिक**-दोनों प्रकार के शब्दों की सिद्धि का अन्वाख्यान कर प्रक्रिया-शैली को पूर्णता के शिखर तक पहुँचा दिया। यदि दीक्षित वैदिक अन्वाख्यान से उदासीन रहते तो उनकी 'सिद्धान्त कौमुदी' भी पूर्ववर्ती अन्य प्रक्रिया ग्रन्थों की तरह एकाङ्गी ही रहती। इस प्रकार सिद्धान्त कौमुदी में अष्टाध्यायी के ३९७८ सूत्र व्याख्यात हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अष्टाध्यायी का प्रतिनिधित्व करने से इसकी लोकप्रियता बढ़ी। यही ग्रन्थ प्रक्रियानुसारी व्याख्यान का प्रतिनिधिस्वरूप स्वीकृत हुआ। अतः तब से आज तक इसका अध्ययन-अध्यापन अबाध गति से होता चला आ रहा है। दीक्षित ने 'सिद्धान्त कौमुदी' में सूत्रों की वृत्तियाँ अधिकतर 'काशिका' के

अनुसार लिखी हैं। उदाहरणों के विषय में भट्टोजि दीक्षित ने 'प्रक्रिया कौमुदी' का अनुसरण किया है। प्रक्रिया के सम्बन्ध में 'सुबन्त' से आरम्भ कर तिङन्त को उत्तरार्ध में रखने की प्रेरणा उन्हें 'रूपावतार' से मिली है। शेष प्रक्रियांश पर 'प्रक्रिया कौमुदी' का ही प्रभाव पड़ा है। 'प्रक्रिया कौमुदी' से प्रमुख अन्तर यह है कि सिद्धान्त कौमुदी में अष्टाध्यायी का एक भी सूत्र छोड़ा नहीं गया है। दूसरा अन्तर यह है कि सिद्धान्त कौमुदी में अधिकतर वार्तिकों, परिभाषाओं और पूर्व व्याख्याताओं के विचारों का समावेष भी किया गया है।

इस गन्थ पर टीकायें भी पच्चीस से अधिक लिखी गई हैं। इनमें से कुछ तो सम्पूर्ण ग्रन्थ पर लिखी गई हैं तथा कुछ टीकायें विभिन्न प्रकरणों तक ही सीमित रह गई हैं। डॉ. सूर्यकान्त बाली ने अपनी पुस्तक 'भट्टोजि दीक्षित और उनकी संस्कृत व्याकरण की देन' में २८ टीकाओं का उल्लेख किया है। इनमें से 'प्रौढ़ मनोरमा' को भट्टोजिदीक्षित ने स्वयं लिखा है। 'सिद्धान्तकौमुदी' में मतमतान्तरों का विवेचन कर भाष्योक्त सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा करना भट्टोजिदीक्षित का मुख्य उद्देश्य रहा है। फलतः उसी केन्द्र बिन्दु से दीक्षित ने अपने व्याकरण शास्त्र के गुरु द्वारा विरचित 'प्रक्रिया प्रकाश' में निहित पूर्वाचार्यों के मतों का खण्डन किया है। यह खण्डन-मण्डन भट्टोजिदीक्षित के अनन्तर तीन परम्पराओं तक चलता रहा। फलतः दीक्षित के मतों का खण्डन शेषकृष्ण के पौत्र शेषचक्रपाणि ने अपने ग्रन्थ 'परमतखण्डन' में किया। तत्पश्चात् पण्डितराज जगन्नाथ ने भी 'मनोरमा कुचमर्दन' में भट्टोजि दीक्षित के सिद्धान्तों की कटु आलोचना की है। इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भट्टोजि दीक्षित के पुत्र भानु जी दीक्षित ने अपने पिता के मत का समर्थन 'मनोरमामण्डन' लिख कर किया। डॉ. सत्यकाम वर्मा ने 'संस्कृत व्याकरण का उद्भव और विकास' नामक पुस्तक में प्रौढ़मनोरमा की उपयोगिता पर अपना यह विचार व्यक्त किया है कि "दीक्षित की इस रचना ने 'सिद्धान्त कौमुदी' की दुरूहता को दूर कर दिया है।" यद्यपि प्रक्रिया कौमुदी पर रची गई विट्ठल की टीका कई अंशों से प्रौढ़मनोरमा से अधिक महत्वपूर्ण है, किन्तु उस पूर्णता में पाण्डित्य की अधिकता विद्यार्थियों को सुबुद्ध बनाने में असफल रही है। यदि प्रौढ़मनोरमा न होती तो रामचन्द्र की 'प्रक्रियाकौमुदी' निःसन्देह सबसे अधिक प्रचार पाती। सिद्धान्तकौमुदी की प्रचलित व्याख्याओं में **'तत्त्वबोधिनी'** तथा **'बालमनोरमा'** अधिक प्रसिद्ध हैं। इन दोनों टीकाओं में से **ज्ञानेन्द्र सरस्वती** कृत तत्त्वबोधिनी 'प्रौढ़मनोरमा' पर ही अवलम्बित है तथा वासुदेव दीक्षित कृत 'बालमनोरमा' नागेश के लघुशब्देन्दुशेखर पर आधारित है। इन दोनों टीकाओं के अतिरिक्त नीलकण्ठ बाजपेयी द्वारा विरचित 'तत्त्व दीपिका' टीका भी सुविदित है।

व्याकरण शास्त्र के विकास को देखते हुए अनुमान होता है कि १६वीं शती से १८वीं शती का समय 'सूत्रानुसारी' एवं 'प्रक्रियानुसारी' व्याख्याओं तथा उन पर लिखी गई टीकाओं

का संक्रमण काल रहा। इसी क्रम में भट्टोजी दीक्षित के समकालिक ही एक दूसरे ग्रन्थकार नारायण भट्ट भी हुए है; जिन्होंने **'प्रक्रियासर्वस्व'** नामक ग्रन्थ लिखा। श्री कुन्हन राजा ने इनके इस ग्रन्थ का रचनाकाल १६०७ ई. में निश्चित किया है। दोनों विद्वानों के ग्रन्थ एक ही समय में लिखे जाने के कारण एक दूसरे से अप्रभावित रहे। इनके प्रक्रिया सर्वस्व ग्रन्थ की यह विशेषता है कि नारायण भट्ट ने पाणिनीय के अतिरिक्त अपाणिनीय ग्रन्थों का भी आदर किया है। इनकी तीन रचनायें व्याकरण से सम्बद्ध हैं–१. प्रकिया सर्वस्व, २. धातुकाव्य तथा ३. अपाणिनीय प्रमाणता, यह ग्रन्थ बीस प्रकरणों में विभाजित है। प्रक्रिया सर्वस्व की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक खण्ड में सूत्रों का क्रम यथा सम्भव पाणिनीय-सूत्र-क्रम के अनुसार ही है तथा इसमें समग्र अष्टाध्यायी समाकलित की गई है। उदाहरणों की दृष्टि से यह ग्रन्थ अपनी श्रेणी के ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त नारायण भट्ट ने अपाणिनीय शब्दों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए पाणिनीयेतर वैयाकरणों का समादर किया है। फलतः प्रक्रिया ग्रन्थों के प्रचार होने से जनसमुदाय ने अपने को उतने तक ही सीमित रहने दिया और कौमुदी ग्रन्थों के अध्ययन मात्र से ही सन्तोष रखा। इसका फल यह हुआ कि कौमुदी ग्रन्थों में भी लाघव करने की प्रवृत्ति होने लगी। इस कारण मध्यसिद्धान्त कौमुदी, लघुसिद्धान्त कौमुदी तथा सार सिद्धान्त कौमुदी की रचना वरदराज भट्टाचार्य ने की। भट्टाचार्य जी भी भट्टोजी दीक्षित के शिष्य रहे। लघुसिद्धान्त कौमुदी की रचना संस्कृत व्याकरण के प्रारम्भिक अध्येताओं के लिए की गई थी। माध्यमिक तथा प्रारम्भिक कक्षाओं के छात्रों की कठिनता दूर करने के लिए उसी समय से **लघु ग्रन्थों** पर भी व्याख्यायें लिखने की ओर विद्वान् अग्रसर हुए। इसी क्रम में **मध्यमनोरमा** नाम की टीका मध्य कौमुदी पर संस्कृत में लिखी गई। बीसवीं शताब्दी के दूसरे शतक में **पं. जीवाराम उपाध्याय** ने सर्वप्रथम लघुकौमुदी पर उदाहरण- सिद्धि समेत सरल व्याख्या लिखी। शिक्षा के स्तर में ह्रास होता देखकर व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिये 'सारसिद्धान्त कौमुदी' की प्रस्तुति भी सामने आई। इन सभी ग्रन्थों में ग्रन्थ विभाजन की प्रक्रिया में सिद्धान्त कौमुदी की अपेक्षा आवश्यकता-अनुसार तदनुरूप परिवर्तन किया गया है।

नव्य व्याकरण

भट्टोजी दीक्षित के ग्रन्थों की रचनाओं के अनन्तर व्याकरण शास्त्र में वैचारिक परिवर्तन हुआ। इसका यह परिणाम हुआ कि ग्रन्थ रचना करने की प्रवृत्ति अवरूद्ध हो गई और व्याख्याएँ अधिक लिखी जाने लगीं। एक प्रकार से मौलिकता का ह्रास दिखाई देने लगा। फिर भी टीकाकारों (व्याख्याताओं) ने प्राचीन ग्रन्थों की समीक्षा करने के साथ स्वतंत्र विचारों का निवेश यथासम्भव कर टीकाग्रन्थों का महत्व कम नहीं होने दिया। ये टीका ग्रन्थ

मौलिक ग्रन्थों के समकक्ष ही रहे। इन व्याख्याओं से पूर्व ग्रन्थों में प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं मतमतान्तरों का बड़ी गम्भीरता के साथ विवेचन किया गया है। यह विवेचन पदपदार्थ पर अधिकतर आधारित था। अतः शैली की नवीनता ने व्याकरण को नव्य न्याय या तार्किकता के साथ समन्वित कर दिया। इस शैली का श्रीगणेश नागेश भट्ट ने किया। इनके गुरु भट्टोजि दीक्षित के पौत्र हरिदीक्षित रहे, जिन्होंने अपने पितामह द्वारा रचित प्रौढ़मनोरमा की व्याख्या 'शब्द रत्न' लिखी थी। जनश्रुति के आधार पर नागेश ने हरिदीक्षित से १८ बार व्याकरण का अध्ययन किया था। नागेशभट्ट भी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता शिवभट्ट तथा माता सती देवी थीं। शृङ्गवेरपुराधीश राजा राम सिंह इनके आश्रय दाता रहे। इनका समय १८वीं शताब्दी के द्वितीय शतक के आसपास अनुमेय है। इन्होंने एक दर्जन स्वतंत्र और टीकाग्रन्थों का प्रणयन किया। इनमें से लघुशब्देन्दुशेखर (सिद्धान्त कौमुदी की टीका), वैयाकरण-सिद्धान्तमञ्जूषा, परिभाषेन्दुशेखर और प्रदीप-विवरण बहुत प्रसिद्ध हैं। उद्योत के द्वारा महाभाष्य तथा शब्देन्दुशेखर द्वारा प्रौढ़मनोरमा के गम्भीर रहस्यों का उद्‌घाटन करने में यह समर्थ रहे। परिभाषेन्दुशेखर में इन्होंने परिभाषाओं के स्वरूप तथा क्षेत्र का प्रतिपादन कर प्रतिपाद्य-विषय को नवीनता के साथ उपस्थित किया है। व्याकरण का दार्शनिक विवेचन करने में भी इन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की। शेखरद्वय की रचना द्वारा व्याकरण शास्त्र के अध्यापन में नवीनता आई। वैयाकरणों को यह आवश्यक प्रतीत होने लगा कि इन दोनों ग्रन्थों का अध्ययन करने से अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य का सङ्गमन स्वतः सिद्ध हो जाता है। नागेश के शिष्यों में सर्वप्रसिद्ध वैद्यनाथ पायगुण्डे थे। इन्होंने लघुशब्देन्दुशेखर और परिभाषेन्दुशेखर पर टीकायें लिखी हैं। ये टीकायें प्रमेय बहुल हैं। शेखर पर भैरव मिश्र ने भी विस्तृत टीका लिखी है। इस टीका की रचना १८२४ ई. में हुई। कौमुदी के विकास में नागेश द्वारा विशेष योगदान से अष्टाध्यायी की प्रक्रिया व्याख्या में पूर्णता का समावेश हो गया। नागेश के अनन्तर शेखरद्वय का पठन-पाठन प्रचलित होने से व्याकरण के अध्यापन में परिष्कारों की कोटियाँ समाविष्ट हो चलीं।

इन नवीन परम्परा को प्रतिष्ठित एवं पल्लवित करने का श्रेय पं. गङ्गाराम शास्त्री त्रिपाठी (१९वीं शती का प्रारम्भ) को है। इनके पिता अल्मोड़ा से १८वीं शती के अन्त में काशी आये। गङ्गाराम जी व्याकरण और नव्य न्याय के विशिष्ट विद्वान् थे। शेखरद्वय के अध्ययन-अध्यापन से इन्होंने नव्य व्याकरण में परिष्कार शैली को आरम्भ किया। फलतः इनके अनन्तर शिष्य-प्रशिष्यों को परिष्कार शैली को पल्लवित करने का अच्छा अवसर मिला। जहाँ पहले 'न्यास' और प्रक्रिया में ही शास्त्रार्थ हुआ करते थे वहाँ अर्थोन्मेष के कारण परिष्कारों की कोटि प्रकोटियों पर आधारित शास्त्रार्थ होने लगे। इस नवीन शैली से आकृष्ट होकर भारत के कोने-कोने से विद्वानों का आगमन होने लगा तथा तत्कालीन राजकीय संस्कृत कालेज नवीन परिष्कार शै‍ली का प्रमुख केन्द्र बना। पं. गङ्गाराम शास्त्री

के तीन प्रमुख शिष्य थे-१. नेपाल के राजगुरु एवं अमात्य पं. रङ्गनाथ जी, २. अन्तिम पेशवाओं के गुरु पं. जगन्नाथ शास्त्री तथा ३. पं. रघुनाथ शास्त्री। इनमें से दो शिष्य राजमान्य थे। उपर्युक्त शिष्यों के अतिरिक्त पं. गङ्गाराम शास्त्री के वाराणसीस्थ शिष्यों में सुप्रसिद्ध विद्वान् पं. काशीनाथ शास्त्री अष्टपुत्रे (८००० से १८५० ई.) का नाम उल्लेखनीय है। इनके पिता श्री गोविन्दाचार्य अष्टपुत्रे पुणे स्थित राजकीय पाठशाला के अध्यापक थे। काशीनाथ जी के पिता ने इन्हें वैदुष्य सम्पादन करने की प्रेरणा दी। यहां आकर गङ्गाराम शास्त्री का शिष्यत्व स्वीकार कर नव्य व्याकरण की नूतन परिष्कार-प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाया। उनके द्वारा यह शैली काशी की विद्वन्मण्डली में समादृत तथा मण्डित हुई। इनके प्रमुख शिष्य श्री राजाराम शास्त्री कार्लेकर प्रसिद्ध रहे। अध्ययन के पश्चात् राजाराम शास्त्री ने पेशवाओं के आग्रह से चित्रकूट में रहना स्वीकार किया। डॉ. मूर इनके वैदुष्य से बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिनों ग्वालियर रहने के पश्चात् काशी आकर राजकीय संस्कृत पाठशाला में बीस वर्षों तक अध्यापन किया। आपके दो शिष्य श्री यागेश्वर ओझा तथा श्री बाल शास्त्री रानाडे बहुत प्रसिद्ध हुए। रानाडे जी अद्‌भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। नौ वर्ष की अवस्था में चित्रकूट में पेशवाओं के आश्रित विद्वानों ने 'बालखिल्य' की परीक्षा लेने पर इनकी कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित हो इनका नाम 'बाल सरस्वती' रख दिया। कुछ दिनों तक ग्वालियर में इन्होंने मोर शास्त्री साठे तथा कृष्णा शास्त्री द्रविड से न्याय एवं मीमांसा शास्त्र का अध्ययन किया। वहाँ से काशी आकर राजाराम प्रभृति विद्वानों से अध्ययन कर उन्हीं का शिष्यत्व स्वीकार किया। आपने 'ज्योतिष्टोम' यज्ञ भी किया। वह भवन आज भी यज्ञशाला के नाम से प्रसिद्ध है। आपने 'परिभाषेन्दुशेखर' पर परिष्कार लिखे। आपके सतीर्थ्य पं. यागेश्वर ओझा जी प्रक्रिया के महनीय पण्डित थे। ओझा जी ने भी परिभाषेन्दु शेखर पर 'हैमवती' नामक व्याख्या लिखी है। बालशास्त्री के इन पाँच शिष्यों ने बहुत ख्याति प्राप्त की। वे क्रमशः शिवकुमार शास्त्री, गंगाधर शास्त्री, दामोदर शास्त्री, तात्या शास्त्री तथा रामनाथ द्विवेदी थे, इन्होंने ग्रन्थ रचनायें भी कीं। इनके अतिरिक्त विश्वनाथ दण्डी भट्ट भी बालशास्त्री जी के विरक्त एवं विद्वान् शिष्य भी थे। इस प्रकार क्रमशः बीसवीं शताब्दी के मध्य तक नव्य व्याकरण अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था तथा काशी से अन्यत्र भारत के दिग्विभागों से विद्वज्जन आकर अध्ययन करते थे। उस समय के प्रख्यात वैयाकरणों में से म.म. पं. जयदेव मिश्र तथा म.म.पं. नित्यानन्द पंत प्रभृति विद्वानों ने अनेक शिष्य तैयार किये। यह परम्परा यहीं तक प्रायः वर्धमान रही। भारत से बाहर निकटवर्ती देश नेपाल में भी राजगुरु पं हेमराज जी तथा गुरुपुरोहित पं. भुवनेश्वर प्रसाद जी ने भी व्याकरण शास्त्र में ख्याति प्राप्त की। इन सब विद्वानों के शिष्य-प्रशिष्य आज भी इस दिशा में कार्य करते हुए व्याकरण शास्त्र की परिष्कार-पद्धति को प्रचारित करने का सतत् प्रयत्न करने में संलग्न हैं। काल क्रम को देखते हुए इसकी गति अब शिथिल पड़ गई है। इस प्रकार वाराणसी व्याकरण शास्त्र के अध्ययन-अध्यापन में अग्रसर रहा है तथा पाणिनीय व्याकरण के वैदुष्य का मेरुदण्ड है।

शेखरद्वय पर अनेक विद्वानों ने कोटि-प्रकोटियों से विभूषित व्याख्यायें तथा क्रोडपत्र लिखकर शास्त्रार्थ में भाग लेने वाले विद्वानों तथा अन्य विचारकों को प्रोत्साहित किया। काशी से बाहर सुदूर दक्षिण भारत तथा गुजरात आदि से आने वाले विद्वानों की यह धारणा हो चली थी कि व्याकरण के समग्र सन्दर्भ ग्रन्थों का अध्ययन करने में बहुत अधिक समय लगता है तथा काशी से वापस होकर अपने-अपने प्रदेशों में अध्यापन करने का लाभ नहीं हो पाता। अतः व्याकरण शास्त्र के अध्ययन-अध्यापन को सीमित कर दिया जाय। इस प्रकार की धारणा ने सम्पूर्ण सिद्धान्त कौमुदी का अध्ययन करने के पश्चात् प्रौढमनोरमा (अव्ययीभावान्त), लघु शब्देन्दुशेखर (अव्ययीभावान्त) परिभाषेन्दुशेखर, नवाह्निक महाभाष्य के अतिरिक्त अङ्गाधिकार भाष्य, वाक्यपदीय के प्रसिद्ध अंश, वैयाकरणभूषणसार, लघुमञ्जूषा, आदि ग्रन्थों का विस्तृत अध्ययन करने के साथ ही पद-पदार्थ ज्ञान में प्रवेश करने हेतु व्युत्पत्तिवाद, शक्तिवाद तथा शब्दशक्तिप्रकाशिका आदि ग्रन्थों के अध्ययन-अध्यापन पर ही बल दिया जाने लगा। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त अवशिष्ट महाभाष्य तथा अन्य ग्रन्थों के शेष अंश स्वतः निरीक्षण के लिए निर्धारित किए गए। इसका प्रभाव यह हुआ कि अंश पर ही विद्वानों की दृष्टि गई और उसी पर ही सीमित टीका-टिप्पणियाँ लिखी जाने लगीं। समग्र ग्रन्थ पर प्राचीन टीकायें ही सुरक्षित रहीं। परीक्षोपयोगी ग्रन्थों के अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त तत्सम्बद्ध परिष्कारों की कोटि-प्रकोटियों के परिश्रम के अभाव से बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रारम्भ होते ही नव्य-व्याकरण शिक्षा प्रणाली में शिथिलता दिखाई पड़ने लगी। काशी में ही नागपञ्चमी के दिन 'नागकुआँ' नामक स्थान पर तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पाँच दिन पञ्चगङ्गा घाट पर शास्त्रार्थ का आयोजन स्वतः प्रेरित रहा तथा वहाँ पर विद्वन्मण्डली द्वारा प्रशिक्षित नये छात्रों के बुद्धि कौशल की सुरक्षा होती रही। किन्तु अब केवल कुछ स्थलों को तैयार करना ही स्मृतिमात्रावशेष रह गया है। यह भी शेष रह जाय तो नव्यव्याकरण की परिष्कार पद्धति के स्वरूप से भविष्य का छात्र वर्ग कम से कम परिचित तो रहेगा। शब्द की अनन्तता के साथ शब्दशास्त्र की निरन्तरता भी स्वतः सिद्ध है-**अनन्तपारम् किल शब्दशास्त्रम्**। भाषा का नियमन तथा प्रयोग साधन शब्दशास्त्र की सार्थकता के प्रमुख कारण हैं। संस्कृत भाषा को स्थिरता तथा व्यापकता प्रदान करने में पाणिनीय व्याकरण ही प्रमुख साधन है। शब्दशास्त्र के क्षेत्र के युगद्रष्टा और भारतीय प्रतिभा का अप्रतिम चमत्कार पाणिनी जो देन अपनी अष्टाध्यायी के माध्यम से दे गए, उतनी महत्वपूर्ण देन किसी एक मस्तिष्क ने कदाचित् ही विश्वसाहित्य में दी होगी। उसके विश्लेषण और परिणामों का साम्मुख्य आज के युग का कम्प्युटर ही कदाचित् कर सकता है।

व्याकरण अध्ययन के सम्बन्ध में यह प्राचीन उक्ति प्रसिद्ध है कि-**'द्वादशभिर्वर्षैः व्याकरणम् श्रूयते'** अर्थात् व्याकरण के सम्यक् अध्ययन के लिये बारह वर्ष का समय

अपेक्षित है। किन्तु वर्तमान समय में इतना अधिक समय बिताना सम्भव नहीं है। अतः ग्रन्थों का सीमित अंश ही उपयोगी समझा गया। संक्षिप्त करने वाली विधियों की गांठों को खोलने के लिए छात्र को गुरू की शरण आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य है। अतः पाठन विधि का ज्ञान प्राप्त करने हेतु गुरू-परम्परागत पद्धति ही मान्य है। अन्यथा व्याकरण का यथार्थ ज्ञान दुर्बोध एवं दुरूह बना रहेगा।

अंग्रेजों के शासन के समय से ही समस्या उत्पन्न हो गई थी की व्याकरण की प्राचीन महत्ता को कैसे विदित कराया जाय ? अंग्रेजों में भी संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने की आकांशा प्रबल होती चली गयी। इस दिशा में सर विलियम जोन्स का नाम चिर स्मरणीय रहेगा। अभिज्ञान शाकुन्तल का अध्ययन कर विलियम जोन्स ने विदेशी लोगों को संस्कृत का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। जिसके फलस्वरूप भारतवर्ष में तथा विदेशों में भी अनेक विद्वान् विख्यात हुए। इन विद्वानों में से कतिपय विद्वान् तो बम्बई के एलफिन्सटन कालेज में अध्ययन कर ग्रन्थ रचना करने में प्रवृत्त हुए। पाश्चात्य विद्वानों में ह्विट ने, मैकडोनल, कीथ, गोल्डस्टूकर, मैक्समूलर, वेबर, पीटरसन, विन्टरनिट्स, कॉलब्रूक, बोथलिंक, कीलहार्न आदि विद्वानों ने व्याकरण के क्षेत्र में अंगेजी भाषा के माध्यम से व्याकरण शास्त्र से पाश्चात्य जगत को परिचय कराया। कतिपय भारतीय विद्वानों ने भी तत्कालीन समय की आवश्यकता को देखते हुए अंग्रेजी भाषा का ही आश्रय कर व्याकरण शास्त्र सम्बन्धी रचनायें प्रस्तुत कीं। ऐसे विद्वानों में डाक्टर रामकृष्ण भण्डारकर, श्रीशचन्द्र वसु, श्री एम.आर. काले, श्री वी.एस. आप्टे, डॉ. क्षितीश चन्द्र चक्रवर्ती, डॉ. प्रभात चन्द्र चक्रवर्ती, डां. टी.आर. चिन्तामणि, डॉ. गुरूपद हालदार प्रभृत विद्वानों ने व्याकरण विषय तथा व्याकरणेतिहास सम्बन्धी रचनायें प्रस्तुत कीं। विश्वविद्यालयों में शोध प्रक्रिया को उत्साहित करने के फलस्वरूप अनेक विद्वानों ने संस्कृत भाषा में ग्रन्थ लिखे। जिनमें पण्डित रामाज्ञा पाण्डेय, डॉ. राम प्रसाद त्रिपाठी, डॉ. भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी तथा डॉ. रामशंकर भट्टाचार्य आदि का नाम उल्लेखनीय है।

देश के स्वतंत्र होने पर भारतीय शिक्षा पद्धति में राष्ट्रभाषा हिन्दी को स्थान मिलना स्वाभाविक था। हिन्दी के साथ अन्य प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं को भी यथावसर शिक्षा का माध्यम बनने का सुअवसर भी मिला। अतः उच्च शिक्षा सम्बन्धी ग्रन्थों की रचनायें भी होने लगीं। शास्त्रीय ज्ञान को भी अध्येताओं को हृदयंगम कराने हेतु हिन्दी भाषा में भी व्याकरण-सम्बन्धी मौलिक पुस्तकें तथा अनूदित पुस्तकें प्रकाशित होने लगीं। इस क्रम में अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि मौलिक सन्दर्भ ग्रन्थों के अनुवाद तो आर्यसमाज के प्रतिष्ठापकों स्वामी विरजानन्द तथा स्वामी दयानन्द आदि विद्वान् पहले की कर चुके थे। तत्पश्चात् इसी क्रम में पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, युधिष्ठिर मीमांसक, चारूदेव शास्त्री डॉ. बाबूराम सक्सेना, डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉ. प्रभुदयाल अग्निहोत्री, डॉ. राम

सुरेश त्रिपाठी, पं. बालकृष्ण पञ्चोली, डॉ. कपिलदेव द्विवेदी, डॉ. सत्यकाम विद्यालंकार, डॉ. बाबूराम त्रिपाठी पं. रामचन्द्र झा तथा इन पंक्तियों के लेखक ने यथावसर मूलग्रन्थों, आंशिक प्रकरणों तथा इतिहास सम्बन्धी रचनायें हिन्दी भाषा में प्रस्तुत कीं। व्याकरणशास्त्र के समग्र इतिहास को हिन्दी भाषा में लिखने का उपक्रम गुरुवर्य पद्मभूषण पं. बलदेव उपाध्याय जी ने ही किया है। उनकी रचना एकाङ्गी नहीं है, किन्तु इतिहास के साथ विषय का प्रतिपादन करना भी उनकी रचना की विशेषता है। हिन्दी भाषा के अतिरिक्त मराठी भाषा में म.म. पं. वासुदेव शास्त्री अभ्यङ्कर तथा उनके सुपुत्र पं. काशीनाथ शास्त्री अभयङ्कर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पं. वासुदेव शास्त्री का समग्र महाभाष्य व्याख्यान (छ-खण्ड) तथा काशी नाथ शास्त्री की उसकी भूमिका स्वरूप व्याकरण शास्त्र का इतिहास अवलोकनीय हैं।

व्याकरण दर्शन

संस्कृत भाषा पर पाणिनि का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था कारण यह कि उनके पास भाषा का अपरिमित ऐश्वर्य था तथा व्याकरण के प्रत्येक अङ्ग का रहस्य उन्हें हस्तामलकवत् था। व्याकरण का इतना सूक्ष्म ज्ञान और उसे नियमबद्ध करने की क्षमता पाणिनि जैसे कुछ इने-गिने व्यक्तियों को मिलती है, सबकों नहीं। उन सूत्रों के सूक्ष्म तन्तुजाल ने इतना विस्तार किया कि वह युग-युगान्तर पर्यन्त असीमित ही बना रहेगा। सूत्रों की सूक्ष्मता ने व्याकरण की दार्शनिक प्रक्रिया को भी विस्तारित करने का अवसर दिया। पाणिनि के सङ्केत द्वारा शब्द की नित्यता के आभास को तदुत्तरवर्तीय आचार्यों ने पहचान लिया और पाणिनि-दर्शन की भूमिका तैयार की। पतञ्जलि ने महाभाष्य के आरम्भ में ही 'शब्दानुशासन' का निर्वचन करते हुए कात्यायन के प्रथम वार्तिक को ही इसका द्योतक माना है। स्वयं पतञ्जलि ने भी स्थान-स्थान पर आवश्यकता-अनुसार 'शब्द ब्रह्म' के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं। तद्नन्तर व्याकरण दर्शन के स्वरूप को मण्डित करने का श्रेय भतृहरि को मिला। भतृहरि ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'वाक्यपदीय' में समग्र दार्शनिक स्वरूप का निर्वचन किया है। भतृहरि के काल निर्णय करने में भी विद्वानों में मतभेद है। भतृहरि बौद्ध अथवा शैव रहे - यह भी विवादास्पद है। बौद्ध होने का कारण उनके गुरू वसुरात (लगभग ४०० ई.) का होना है तथा शैव होने का कारण वाक्यपदीय का सर्वारम्भ श्लोक है। वाक्यपदीय व्याकरण-दर्शन का प्रथम निबन्ध ग्रन्थ है। काशिका में वाक्यपदीय का उल्लेख है। भतृहरि ने स्वयं वाक्यपदीय पर टीका लिखी थी। वर्तमान में वाक्यपदीय की तीन टीकायें सुविदित है:-१. हेलाराज की 'शब्दप्रभा', २. वृषभदेव की टीका तथा पुण्यराज की टीका। इनके अतिरिक्त वर्तमान समय में पं. रघुनाथ शर्मा ने भी 'अम्बाकर्त्री' नामक व्याख्या लिखी है। इनके अतिरिक्त डा. के. सुब्रमण्यम् अय्यर ने भी बड़े परिश्रम पूर्वक इसका सम्पादन किया था।

भर्तृहरि के वाक्यपदीय का अन्य दर्शन के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। छठी शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक भारत में जितने महान् चिन्तक उत्पन्न हुए वे सब किसी न किसी रूप में भर्तृहरि-दर्शन से परिचित जान पड़ते हैं। भर्तृहरि के वाक्य सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विचार करने का अवसर मीमांसकों तथा नैयायिकों को मिला। तदनुसार पार्थसारथि मिश्र, कुमारिल भट्ट आदि को मीमांसा-दर्शन के साथ भर्तृहरि के सिद्धान्तों में साधर्म्य तथा वैषम्य देखने का अवसर मिला। इनके साथ ही बौद्ध विद्वान् धर्मकीर्ति ने भी भर्तृहरि की मान्यताओं की समीक्षा की है। इनके साथ ही **शान्तरक्षित** तथा **कमलशील** भी भर्तृहरि के विचारों से प्रभावित हुए दीख पड़ते हैं। बौद्ध आचार्यों के अतिरिक्त जैन आचार्यों में **मल्लवादिक्षमाश्रवण, वादिदेव सूरि, प्रभाचन्द्र** आदि ने वाक्यपदीय के अनेक सिद्धान्तों पर विचार किया है। इन विद्वानों के अतिरिक्त **मण्डन मिश्र** का दृष्टिकोण भर्तृहरि के प्रति उदार रहा। प्राचीन नैयायिकों में जयन्त भट्ट ने न्यायमञ्जरी में व्याकरण दर्शन की कुछ मान्यताओं की आलोचना की है। जयन्तभट्ट अच्छे वैयाकरण भी थे। उनका हृदय व्याकरण-दर्शन की ओर है और मस्तिष्क न्यायदर्शन की ओर।

इन दार्शनिकों के अतिरिक्त छठी शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक जयादित्य-वामन, जिनेन्द्र बुद्धि-हरदत्त, कैयट-नागेश, भोज आदि ने यद्यपि व्याकरण-दर्शन के सम्बन्ध में स्वतन्त्र ग्रन्थ तो नहीं लिखे किन्तु अपनी टीकाओं में व्याकरण दर्शन सम्बन्धी प्रचुर सामग्री समाविष्ट की है। तदनन्तर ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर सत्रहवीं के मध्य कुछ ग्रन्थ व्याकरण के दार्शनिक पक्ष को सामने रख कर लिखे गए थे। ऐसे ग्रन्थ कारों में पुरुषोत्तमदेव, सायण, शेषश्रीकृष्ण, भट्टोजि दीक्षित आदि प्रमुख हैं। आगे चलकर सत्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक अनेक आचार्यों ने संस्कृत व्याकरण दर्शन की सुरक्षा में योग दिया जिनमें कुछ नैयायिक भी हैं। इनमें उल्लेखनीय कौण्डभट्ट, नागेश भट्ट, जगदीश भट्टाचार्य, कृष्ण मित्र, भारत मिश्र आदि हैं। वैयाकरण भूषण-सार के दो टीकाकार-श्री **हरिराम काले** तथा **हरिवल्लभ उप्रेती** प्रसिद्ध हुए हैं। नागेश का 'वैयाकरण सिद्धान्त मञ्जूषा' व्याकरण दर्शन का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। नागेश की मञ्जूषा पर अनेक विद्वानों ने टीकाएँ लिखी हैं। वर्तमान शताब्दी में पं. सभापति उपाध्याय द्वारा विरचित मञ्जूषा ग्रन्थ की व्याख्या विशेषतया प्रचलित है। नैयायिक विद्वानों में जगदीश भट्टाचार्य, गिरिधर भट्टाचार्य, कृष्ण मित्र आदि विद्वानों की रचनायें भी महत्वपूर्ण हैं। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में म.म. पं. गोपीनाथ कविराज, प्रो. के.एस.ए. अय्यर, आदि विद्वानों ने उच्चकोटि के निबन्ध लिखकर व्याकरण दर्शन सम्बन्धी वैशिष्ट्य का परिचय कराया, जिसके फलस्वरूप अनेक विद्वानों ने विचार संगत प्रबन्ध प्रस्तुत किये हैं।

पाणिनीयेतर व्याकरण

संस्कृत व्याकरण में पाणिनीय तन्त्र के अतिरिक्त अन्य व्याकरण भी प्राचीन काल में प्रचलित रहे। इनमें से कुछ रचनायें ऐसी हुई जो तत्कालीन संस्कृत भाषा के शब्दों में नवीनता को अभिलक्षित कर अष्टाध्यायी के नियमों से कुछ भिन्न दिखाई पड़ती है। संस्कृत वाङ्गमय में उल्लिखित आठ-नौ प्रकार के व्याकरणों के अन्तर्गत प्रमुख रूप से प्रचलित दो धाराओं में से माहेश्वर सम्प्रदाय की परम्परा में पाणिनीय-चान्द्र-सारस्वत आदि अनेक व्याकरणों की गणना की जा सकती है, जबकि ऐन्द्र परम्परा का निर्वाह करने वाला केवल कातन्त्र व्याकरण कालक्रम की दृष्टि से प्रथम माना जाता है। शर्ववर्मा द्वारा प्रोक्त होने के कारण **'शार्ववर्मिक'** नाम से भी इसका व्यवहार होता है। **डाक्टर बर्नेल** का यह मत है कि इसका सम्बन्ध प्रातिशाख्य, ऐन्द्र सम्प्रदाय व तमिल व्याकरण से है। इसका दूसरा नाम **कलाप व्याकरण** भी है। कातन्त्र व्याकरण का रचना काल अनिश्चित ही है। अधिकतर आधुनिक विद्वानों के मत से कातन्त्र का रचनाकाल यीशवीय सन् के प्रारम्भिक वर्षों में दिखाया जाता है।

पाणिनीयेतर व्याकरणों में चान्द्र सम्प्रदाय के **उपस्करता चन्द्रगोमिन्** बौद्ध मतानुयायी के रूप में ज्ञात हैं। अतः चान्द्र व्याकरण का प्रचार पहले तिब्बत की ओर हुआ। इनका समय भी अनिश्चित है। इतना निश्चित है कि कातन्त्र व्याकरण के पश्चात् चान्द्र व्याकरण की ही गणना की गई। लाघव-विस्पष्टता-सम्पूर्णता एवं संज्ञा सूत्रों का अभाव आदि विशेषताओं के कारण चान्द्र व्याकरण अपना एक स्वतंत्र व विशिष्ट स्थान रखता है। नेपाल में इसके हस्तलेख सुरक्षित हैं। इस व्याकरण पर पन्द्रह से भी अधिक वृत्ति-व्याख्यान लिखे गए हैं। सिंहल द्वीप में भी इसका प्रचार रहा। वसुरात ने चन्द्राचार्य को अपना गुरु माना है। अतः वाक्यपदीयकार के दो पुरुष पहले चन्द्रगोमिन् अवश्य विद्यमान थे।

इनके अतिरिक्त शाकटायन नाम के दो व्याकरण प्रसिद्ध हैं। एक पाणिनि से पूर्ववर्ती तथा दूसरा जैन व्याकरण। जैन शाकटायन के रचयिता का वास्तविक नाम पाल्यकीर्ति है। यह ग्रन्थकार पाणिनि पूर्ववर्ती आचार्य नहीं हैं अतः इन्हें **अभिनव शाकटायन** भी कहा जाता है। मूलरूप में इनका नाम पाल्यकीर्ति रहा हो, जिन्होंने बाद में जैन धर्म स्वीकार कर लिया परन्तु उनके साथ शाकटायन गोत्र नाम का व्यवहार रहा। इनका समय वि.सं. ८७१ से वि.सं. ९२४ के मध्य माना जाता है। इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतैक्य नहीं हैं। इस व्याकरण को निर्दोष बनाने के लिए उन त्रुटियों को दूर कर दिया गया है, जो जैनेन्द्र व्याकरण में देखी जाती हैं। शाकटायन ने पाणिनीय सम्प्रयदाय की सामग्री का पर्याप्त उपयोग किया है। समग्र सूत्र सं. ३२३६ है। पाणिनीय व्याकरण के समान शाकटायन व्याकरण भी साङ्गोपाङ्ग है।

इस वर्ग के व्याकरणों में जैनेन्द्र व्याकरण के कर्ता का सम्बन्ध महावीर से जोड़ा जाता है तथा पूज्यपाद उन्हीं का समान दर्शक नाम है। प्रो. पाठक के मतानुसार पूज्यपाद भिन्न ग्रन्थकार थे जिन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा व उसका दूसरा नाम देवनन्दि था। जैनेन्द्र व्याकरण का आधार पाणिनीय व्याकरण ही है। कन्नड़ कवि चन्द्रय्य के अनुसार उनके माता-पिता वैदिक मतानुयायी थे। माता के आग्रह करने पर पिता जैन हो गए तथा किसी बगीचे में सर्प के मुँह में मेढ़क को देखकर देवनन्दी को वैराग्य हो गया और वे भी जैन साधु बन गए। जैन लेखक इन्हें पूज्यपाद और जिनेन्द्र बुद्धि के नाम से स्मरण करते हैं। इनका समय ६५१ शाके (पट्टावलि) माना गया है। सम्प्रति इस व्याकरण के दो संस्करण उपलब्ध होते हैं-औदीच्य (३००० सूत्र) और दाक्षिणात्य (३७०० सूत्र) इस परम्परा के अनुसार व्याकरण की अनेकों व्याख्यायें भी उपलब्द्ध हैं। जैन धर्मावलम्बी विद्वानों का ध्यान व्याकरण शास्त्र पर विशेष रूप से केन्द्रित हुआ है।

इसी क्रम में सिद्धहैम शब्दानुशासन की रचना आचार्य हेमचन्द्र ने की हैं। इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते हैं। इस व्याकरण का रचना काल वि.सं. बारहवीं शती का अन्तिम दशक माना जाता है। यह व्याकरण पाँचों अङ्गों से मण्डित होने के कारण साङ्गोपाङ्ग है। पाँचों अंगों पर हेमचन्द्र ने स्वोपज्ञवृत्ति भी लिखी है। स्ववृत्तिक इस व्याकरण का परिमाण एक लाख पचीस हजार श्लोकात्मक कहा जाता है। स्ववृत्तिक हेमचन्द्र ने स्वोपज्ञ वृत्ति भी लिखी है। सवृत्तिक इस व्याकरण का परिमाण एक लाख श्लोकात्मक कहा जाता है। इनका जन्म वि.सं. ११४५ में हुआ। इन्होंने जैन मत का पर्याप्त प्रचार किया। ८४ वर्ष की आयु में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। हेमचन्द्र का रचित व्याकरण संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में निबद्ध है। इनमें ३५६६ सूत्र हैं। हैम-व्याकरण की रचना कातन्त्र के समान प्रकरणानुसारी है। कातन्त्र के अतिरिक्त हेमचन्द्र ने पाणिनीय-सरस्वती-कण्ठाभरण जैनेन्द्र तथा शाकटायन व्याकरण का भी कुछ स्थलों में अनुगमन किया है। आपने अपने व्याकरण में तीन व्याख्यायें लिखी है अन्य विद्वानों की टीकायें प्राप्त नहीं होतीं। आपका व्याकरण भी साङ्गोपाङ्ग है।

बारहवीं शताब्दी के समाप्ति के आसपास देश की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन होने के फलस्वरूप अधिकतर देश के भागों में विप्लव की स्थिति उत्पन्न हुई तथा संस्कृत भाषा का ह्रास होने लगा। फिर भी शासकों को संस्कृत भाषा के ज्ञान हेतु व्याकरण को सरल तथा लघु रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति उदित हुई। इस प्रकार १२५० ई. के अनन्तर **सारस्वत शाखा** का प्रादुर्भाव होने का अनुमान लगाया जाता है। इस शाखा के मूल प्रवर्तक **अनुभूतिस्वरूपाचार्य** माने जाते हैं। यह शाखा व्याकरण शास्त्र अत्यधिक संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। इस शाखा में ७०० सूत्र हैं। इनको आधार मानकर अग्रिम ४०० वर्ष

की अवधि तक १५ टीकाकार हुए किन्तु मौलिकता का अभाव ही रहा। टीकाकारों के निवास स्थान से यह विदित होता है कि सारस्वत शाखा का प्रचार उत्तर भारत, गुजरात, नागपुर, बीकानेर, उदयपुर व दिल्ली की ओर रहा। ऐसा विदित होता है कि सारस्वत व्याकरण का श्रेय मुसलमान लोगों को है क्योंकि उन्हें संस्कृत ग्रन्थों के अभ्यास के लिए सरल व संक्षिप्त व्याकरण की आवश्यकता थी। इस शाखा में सारस्वत प्रक्रिया के अतिरिक्त, छोटे ग्रन्थों में **रामचन्द्राश्रम** की 'सिद्धान्त चन्द्रिका' उल्लेखनीय है। वर्तमान समय में सारस्वत व्याकरण का क्षेत्र केवल बिहार और काशी के आसपास रह गया है।

संस्कृत को देशकाल की स्थिति के अनुसार सरल बनाने की रीति को **बोपदेव** ने भी स्वीकार कर **'मुग्धबोध'** व्याकरण की रचना की। ये केशव के पुत्र तथा धनेश्वर के शिष्य थे। इनके समय देवगिरी के यादव राजा राज्य करते थे। बोपदेव हेमाद्री के आश्रित थे जो महादेव नामक राजा के प्रधानमन्त्री थे। इन्होंने सरलता के लिए कातन्त्र शाखा का अनुसरण तथा संक्षेप के लिए पाणिनि के प्रत्याहारों का अनुसरण किया। इत्संज्ञकों को हटा देने के कारण इस व्याकरण को समझने में कुछ जटिलता हुई। अतः इसका प्रचार सर्वत्र नहीं होने पाया। मल्लिनाथ ने 'कुमार सम्भव' की टीका में इनका उल्लेख किया है। अतः इनका स्थितिकाल वि.सं.१३५० के आसपास कहा जा सकता है।

आगे चलकर संस्कृत भाषा पर कुठाराघात होने की प्रक्रिया निरन्तर बनी रही। १६वीं शताब्दी का समय इस कुचक्र से विशेषतः प्रभावित रहा। अतः संस्कृत भाषा तथा संस्कृत व्याकरण की रक्षा हेतु कुछ दूसरे उपाय सोचे गए। इस क्रम में सम्प्रदायगत-धर्म का आश्रय लिया गया। इस बात का उल्लेख गुरूपद हालदार ने 'व्याकरण दर्शनेर इतिहास' में किया है। उन्होंने प्रचलित और अप्रचलित नाम से व्याकरण के दो विभाग किये हैं। अप्रचलित व्याकरणों को भी दो भागों मे रखा गया है- क्षीण सम्प्रदाय तथा हीन सम्प्रदाय। क्षीण संम्प्रदाय में ही हरिनामामृत व्याकरण का उल्लेख किया है। इसके रचयिता रूप गोस्वामी नामक विद्वान् थें। इसका विस्तृत स्वरूप जीव गोस्वामी ने दिया तथा उन्हीं के नाम से हरिनामामृत व्याकरण प्रचलित हुआ। इस व्याकरण को हरि के नाम से सम्वलित किया है। इसमें ३१६२ सूत्र उपलब्ध होते हैं। इस पर आचार्य हरेकृष्ण की **'बालतोषिणी'** टीका तथा गोपीचरण दास की **तद्धितोद्दीपनी** टीका प्राप्त होती है।

वृहत्तर तथा लघुतर व्याकरण

उपर्युक्त स्वतंन्त्र तथा साम्प्रदायिक व्याकरणों की रचना तथा रचनाकाल के मध्य दो व्याकरणों का विवरण अपनी विशेषताओं के कारण पृथक् लिखा जाता है। इनमें से प्रथम **भोज व्याकरण**- सरस्वतीकण्ठाभरण, परमार वंशीय नरेश राजा भोज की सुप्रसिद्ध कृति

है। यह जगत्प्रसिद्ध है कि राजा भोज के समय जुलाहे तक संस्कृत में ही वार्ता करते थे। राजा भोज ने इस व्याकरण के अतिरिक्त योग सूत्र वृत्ति और राजमृगाङ्क ग्रन्थ की भी रचना की थी। इनके पिता सिन्धुराज भी इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ९२३ शकाब्द के एक उल्लेख के अनुसार इनका राज्यकाल यीशवीय ग्यारहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध सिद्ध होता है। पाणिनी व्याकरण की अपेक्षा इसकी विशेषता यह है कि इस व्याकरण में सर्वाधिक ६४३१ सूत्र हैं। इस व्याकरण के मुख्य आधार पाणिनीय और चांद्र व्याकरण माने जाते हैं। भोजराज शैव थे तथा इन्होंने कालिदास की भाँति पार्वती परमेश्वर की बन्दना की है। इस ग्रन्थ की वृत्ति भी स्वयं राजा भोज ने ही लिखी थी किन्तु वह अब उपलब्ध नहीं होती। सम्प्रति उपलब्ध होने वाली 'हृदयहारिणि' वृत्ति के रचयिता 'दण्डनाथ नारायण' ने भोजीय वृत्ति को ही अपना आधार माना है। इस वृत्ति का निर्माणकाल १२वीं शताब्दी है। विद्वानों का यह कथन रहा है कि 'सरस्वती कण्ठाभरण' पर 'पदसिन्धु सेतु' नामक 'प्रक्रिया ग्रन्थ' की रचना की गई थी। भोज व्याकरण के उपाङ्गो में धातु पाठ, गणपाठ उणादिपाठ, लिङ्गानुशासन भी समाविष्ट हैं। खिलपाठों में राजा भोज ने परिभाषा पाठ भी सम्मिलित किया है।

भोज व्याकरण के अतिरिक्त तदनन्तर इसी क्रम में व्याकरण की संक्षिपत रूप में प्रस्तुति आचार्य क्रमदीश्वर ने की। इस व्याकरण की प्रसिद्धी जौमर व्याकरण के नाम से है। इसका कारण यह है कि क्रमदीश्वर द्वारा प्रस्तुत व्याकरण को जुमरनन्दी ने परिष्कृत किया और उन्हीं के नाम से व्याकरण प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि क्रमदीश्वर ने स्वयं भी इस पर वृत्ति लिखी थी और शोधन जुमरनन्दी ने किया था। आचार्य क्रमदीश्वर का काल वि.सं. १३०० से पूर्व माना जाता है। इस सम्प्रदाय के दूसरे आचार्य गोपीचन्द्र भी विदित रहे। गुरूपद हालदार ने जौमर व्याकरण को प्रचलित व्याकरणों में सप्तम स्थान में रखा है। इसमें व्याकरण के उपाङ्गों का समावेश भी किया गया है। बेलवेलकर ने अपनी पुस्तक **व्याकरण-सम्प्रदाय** में यह उल्लेख किया है कि क्रमदीश्वर के ग्रन्थ का नाम संक्षिप्त सार रहा जो किसी वहद् ग्रन्थ का लघुतम स्वरूप दीख पड़ता है। व्याकरण की सामग्री को सुसम्बद्ध करने में तथा स्पष्टता व शैली रोचक होने के कारण गोपदेव की अपेक्षा यह व्याकरण अधिक उत्कृष्ट है। आफ्रेक्ट ने जौमर सम्प्रदाय को बोपदेव का पूर्ववर्ती माना है। मूलतः व्याकरण में सात पाद हैं तथा बाद में आठवां पाद प्राकृत के विषय में जोड़ा गया है। जौमर व्याकरण तत्कालिक देश की विशेषतः बंगाल की परिस्थिति के अनुसार संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार हेतु हुआ। इसका मूल उद्देश्य बालकों को सरलता के साथ व्याकरण की शिक्षा देना था। वस्तुतः यह पाणिनि व्याकरण का सार स्वरूप संक्षिप्त संकलन था। 'सारसंग्रह' के रचयिता 'पीताम्बर' की दूरदर्शिता ने संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार

में ह्रास होता हुआ देख अपनी लेखनी चलाई। वे अपने समय (सोलहवीं शताब्दी) के प्रख्यात वैयाकरण थे। उनके सद्उद्योग से व्याकरण-शिक्षण का क्रम निरन्तर बना रहा। वर्तमान समय में भी इसका अध्ययन-अध्यापन बंगाल में प्रचलित है। यह पाणिनीय व्याकरण के प्रभाव को अभिलक्षित करता है।

लक्ष्यप्रधान काव्य शास्त्रकार

व्याकरण शिक्षण की दुरुहता को दूर करने की चिन्ता विद्वानों के हृदय में प्राचीन काल से ही अभिव्याप्त रही। स्वयं पाणिनि भी चिन्ताग्रस्त रहे तथा उन्होंने ही व्याकरण शिक्षण की कठिनता को दूर करने के लिए एक अभिनव प्रणाली का अविष्कार किया। वह प्रणाली थी काव्य के माध्यम से उदाहरणों द्वारा व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना। स्वयं पाणिनि ही जाम्बवती-विजय नामक काव्य लिखकर व्याकरणात्मक काव्यों की परम्परा को प्रशस्त करने में अग्रसर हुए। इस परम्परा को पल्लवित करने में कात्यायन भी पीछे नहीं रहे। इनकी रचना भी 'स्वर्गारोहण' काव्य के नाम से प्रसिद्ध रही। तदनन्तर पतञ्जलि ने भी 'महानन्द' काव्य विरचित कर इस प्रणाली को प्रशस्त किया। यह क्रम किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा किन्तु आगे चलकर भट्टि महाकवि की रचना 'रावण वध' महाकाव्य में इस प्रणाली की पूर्णता अभिलक्षित हुई। इस परम्परा को विकसित करने में भट्टि के बाद वर्तमान शताब्दि के मध्य तक अनेक कवि हो चुके हैं जिनमें भट्ट भौम (७०० ई.) विशेषरूप से उल्लेखनीय है। इनके द्वारा विरचित 'रावणार्जुनीय' महाकाव्य में कार्तवीर्य और रावण के युद्ध का वर्णन विद्यमान है। इस परम्परा को पल्लवित करने का श्रेय कविवर हलायुध, हेमचन्द्र वासुदेव, नारायण भट्ट, मोहन आदि विद्वानों को है। इन काव्यों की परिणति 'सुभद्राहरण' महाकाव्य में हुई है। इसके रचयिता ब्रह्मदत्त के पुत्र **नारायण** ने बीस सर्गों में सुभद्रा के साथ भगवान कृष्ण का विवाह-वर्णन किया है। इस क्रम के सातत्य में वर्तमान शताब्दी के विद्वानों का योगदान बना रहा जिनमें म.म. पं. देवी प्रसाद कवि चक्रवर्ती ने कौमुदी के क्रम को अभिलक्षित कर **पाणिनी-प्रकाशः** नाम से काव्यात्मक रचना के कुछ अंश तत्कालीन सुप्रभातम् नामक संस्कृत मासिक पत्र में प्रकाशित करवाये थे। तद्नन्तर पं. केशव दत्त पाण्डेय का नाम भी उल्लेखनीय हे, जिन्होंने सिद्धान्त कौमुदी की फक्किकाओं को सरल बनाने की दिशा में ख्याति प्राप्त की। सिद्धान्त कौमुदी की दुरूह पंक्तियों की काव्यमयी सरसता संस्कृत मासिक पत्रिका 'अमर भारती' में देखी जा सकती है। पं. रामशरण त्रिपाठी द्वारा विरचित 'कौमुदी कथा कल्लोलिनी' में भी गद्यकाव्य के अनुरूप शाब्दिक प्रक्रिया को सरस बना दिया गया है।

प्रकृत ग्रन्थ योजना

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विनियोजित 'संस्कृत वाङ्गमय का बृहद् इतिहास' प्रकाशित करने की योजना के अन्तर्गत प्रकृत व्याकरण-खण्ड प्रस्तुत किया जा रहा है। वृहत् इतिहास के प्रधान सम्पादक पद्मभूषण पं. बलदेव उपाध्याय ने इस खण्ड को सम्पादित करने का मुझे आदेश दिया। मैने गुरूचरणों का आदेश शिरोधार्य कर उनके ही द्वारा निर्दिष्ट पद्धति का अनुसरण कर इस योजना को साकार रूप दिया। उन्होंने ही 'संस्कृत शास्त्रों का इतिहास' लिखकर लेखकों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया था। प्रकृत खण्ड को तैयार करने में कुछ विद्वान् लेखकों का सहयोग लिया गया है। सभी लेखक विद्वान् अनुभवी तथा अपने विषय की प्रस्तुति में पूर्णतया सक्षम हैं। उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। शब्दानुशासन का इतिहास प्रस्तुत करना गुरूतर कार्य है। अनादि और अनन्त शब्द को अभिलक्षित कर जिन शब्द शास्त्रज्ञों ने वैदिक और लौकिक व्याकरण लिखकर आजीवन विद्या की सेवा की। उन महर्षियों के द्वारा प्रवर्तित ज्ञानधारा में अवगाहन कर जिन विद्वानों ने इस शास्त्र का स्वरूप निर्वचन किया उन्हीं की शिष्य परम्परा से प्राप्त व्याकरण शास्त्र के क्रमबद्ध विकास की प्रस्तुति इतिहासकारों को अभीष्ट है, उस इतिहास के विकसित स्वरूप को अभिलक्षित कर पाणिनीय व्याकरण के आदिम स्वरूप से प्रारम्भ कर अठारहवीं शताब्दी तक के विभिन्न प्रकीर्ण स्वरूपों तथा आगे की दो शताब्दियों में घटित प्रतिक्रिया का यथाप्राप्त विवेचनात्मक क्रमिक विस्तार प्रस्तुत करना इस ग्रन्थ का प्रमुख उद्देश्य है। व्याकरण के इतिहास की समग्रता पाणिनियेतर सम्प्रदायों के इतिहास को समाविष्ट किये बिना नही सिद्ध हो सकती। आशा है कि व्याकरण शास्त्र के इतिहास की यह समष्टि अध्येताओं के लिए अवश्य उपयोगी होगी। इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, उसका अन्त नहीं। वह सदा सावशेष है पूर्ण नहीं। इतिहास में गतिशीलता बनी रहती है और उसकी पूर्ति सिंहावलोकन से होती है, जिसके लिए पैनी दृष्टि चाहिए इस गुरूतर कार्य में अज्ञानवश एवं प्रमादवश जो त्रुटियाँ रह गई हों उसके लिए पाठकगण क्षमा करेंगे। त्रुटियों के सम्बन्ध में सूचित किए जाने पर अगले संस्करण में उनका परिमार्जन किया जा सकेगा। पूज्य गुरूवर्य उपाध्याय जी के दिवङ्गत होने के पूर्व संस्थान की आर्थिक असुविधाओं के कारण प्रस्तुत खण्ड प्रकाशित नहीं हो सका। वर्तमान में संस्थान के निदेशक डॉ. सच्चिदानन्द पाठक तथा सहायक निदेशक डॉ. चन्द्रकांत द्विवेदी की तत्परता से उनकी सक्रियता विशेष रूप से उपादेय है। संस्थान के पूर्व निदेशक श्री मधुकर द्विवेदी का भी मैं कृतज्ञ हूँ जिनके विशेष आग्रह से दृष्टिमान्द्ध होने पर भी मैंने यह कार्य करना स्वीकार किया तथा इन्होंने इस बृहत् कार्य के प्रकाशन का मार्ग प्रशस्त किया है। मुद्रण कार्य में विशेष

रूप से **जागरूक विद्वान् डा. धनीन्द्र कुमार झा, प्रवक्ता केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ लखनऊ** का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, जिनकी दक्षता से यह खण्ड प्रकाशित हो सका। संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष डॉ. नागेन्द्र नाथ पाण्डेय महोदय ने मुझे उत्साहित कर प्रकाशन कार्य में शीघ्रता करने में विशेष भूमिका निभाई, मैं उनका भी आभारी हूँ।

विद्वत्कृपाभिलाषी
गोपाल दत्त पाण्डेयः

के. २३/७ दूध विनायक
वारणसी-२२१००१
गुरूपूर्णिमा वि.सं. २०५७

संस्कृत वाङ्मय का बृहद् इतिहास

विषय-सूची

पञ्चदश-खण्ड
व्याकरण

विषय एवं लेखक सङ्केत

क्र.सं.	विषय	लेखक
१.	पाणिनि पूर्व वैयाकरण-पाणिनि द्वारा उल्लिखित वैयाकरण	प्रो. गोपालदत्त पाण्डेय सेवानिवृत्त उप शिक्षा निदेशक
२.	पाणिनि द्वारा अनुल्लिखित वैयाकरण	प्रो. गोपालदत्त पाण्डेय
३.	पाणिनि महर्षि	प्रो. गोपालदत्त पाण्डेय
४.	कात्यायन	प्रो. गोपालदत्त पाण्डेय
५.	पतञ्जलि	प्रो. गोपालदत्त पाण्डेय
६.	(क) अष्टाध्यायी के वृत्तिकार	डॉ. जानकी प्रसाद द्विवेदी आचार्य एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग तिब्बती उच्च शिक्षण संस्थान, सारनाथ वाराणसी
	(ख) शब्दकौस्तुभ तथा वैयाकरण सिद्धान्त सुधानिधि	डॉ. दयानन्द भार्गव आचार्य एवं अध्यक्ष डॉ. सत्य प्रकाश दूबे तथा प्रवक्ता संस्कृत विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान
७.	प्रक्रिया ग्रन्थ एवं व्याख्या संपत्ति	
	(क) प्रक्रियाग्रन्थ (आरम्भ काल)	डा. जानकी प्रसाद द्विवेदी

	(ख) उत्कर्ष काल	प्रो. गोपालदत्त पाण्डेय
	(ग) व्याख्याएं प्रौढ़ मनोरमा	डॉ. द्वारिका प्रसाद शास्त्री व्याकरण विभागाध्यक्ष नन्दलाल बाजोरिया संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी
	नागेश भट्ट-एक सर्वेक्षण	श्री नरहरि शास्त्री थत्ते व्याकरणाचार्य, एम.ए. पूर्व प्रोफेसर राजकीय संस्कृत कालेज ग्वालियर एवं पूर्व प्रिसिंपल चमड़िया संस्कृत कालेज फतेहपुर, जयपुर
	शेखरद्वय की टीकाएं एवं लघुशब्देन्दुशेखर के टीकाकार	प्रो. गोपालदत्त पाण्डेय
	(घ) संस्कृत व्याकरण एवं पाश्चात्यजगत्	प्रो. गोपालदत्त पाण्डेय
८.	व्याकरणदर्शन एवं शाब्दबोध विमर्श	
	(क) दार्शनिक स्वरूप	डॉ. रामाधीन चतुर्वेदी पूर्व आचार्य एवं व्याकरण विभागाध्यक्ष, प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संकाय, का. हि. वि.वि., वाराणसी
	(ख) ऐतिहासिक परम्परा तथा शाब्दबोध सरणि	प्रो. गोपालदत्त पाण्डेय एवं श्री जगन्नाथ शास्त्री तैलङ्ग पूर्व शोध सहायक योग-तन्त्र विभाग सं.सं. वि.वि. वाराणसी

परिशिष्ट

पाणिनि पूर्व वैयाकरण-पाणिनि द्वारा उल्लिखित वैयाकरण

पूर्व पीठिका

भाषा-विज्ञान का सामान्य सिद्धान्त है कि जब एक भाषा दूसरी भाषा के सम्पर्क में आती है, तब व्याकरण को भाषा की स्थिरता तथा शुद्धता रखने के लिए अवसर मिलता है। इसी प्रकार अनिवार्य परिस्थितियों के कारण जब एक भाषा से अनेक बोलियों का समुद्भव तथा विकास होने लगता है, तब व्याकरण द्वारा भाषाओं को अनुशासित करने में व्याकरण का महत्त्व विदित होता है। विजेता और विजित का पूर्ववर्ती प्रभाव, जलवायु की स्थिति में अन्तर, व्यक्तियों का एक देश से दूसरे देश को स्थानान्तरण और उस अवधि में अपनी अभिव्यक्तिशैली और सङ्केतपद्धति में सुधार आदि बातें अनेक भाषाओं तथा उपभाषाओं को जन्म देती हैं। उन परिवर्तनों की असमीचीनता को ध्यान में रखते हुए व्याकरणशास्त्र के प्रवक्ता भाषा को नियमित कर उसको परिष्कृत कर उसके रूप को निखार देते हैं। प्राचीन काल में भाषा की दृष्टि से संस्कृत भाषा को दो नामों से अभिहित किया गया है-

(क) **प्राक्**

(ख) **उदक्**

शरावती के उत्तर-पश्चिम का भाग उदीच्य माना जाता था और पूर्व प्राच्य। इस तरह सिन्धु और सतलज नदियों के बीच का भाग उत्तर था। इसी भाग की भाषा विशेषतया मान्य थी तथा दूर-दूर के लोग वहाँ 'वाणी' सीखने जाते थे, और वहाँ से लौटने पर विशेष सम्मानित होते थे। पाणिनि को इसी भूभाग में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पाणिनि ने अपने व्याकरण को एकाङ्गी नहीं बनाया, अपितु समग्र देश को अभिलक्षित कर सर्वाङ्गपूर्ण बनाकर व्याकरण को अमरत्व प्रदान किया।

पाणिनिव्याकरण के विश्वव्यापी प्रभाव ने "पाणिनि" शब्द को संस्कृतव्याकरण का पर्यायवाची बना दिया। यह महर्षि पाणिनि की संस्कृत जगत् को अपूर्व देन थी। इस रचना को पाणिनि ने आठ अध्यायों में विभक्त कर समग्र व्याकरण को सूत्रमाला में गुम्फित कर दिया। इस माला की रचनाहेतु पाणिनि को अपने पूर्ववर्ती विद्वानों से पर्याप्त सहायता मिली। उनके समय की प्रचुर सामग्री अनेक रूपों में विद्यमान रही। कुछ तो ग्रन्थों के रूप में तथा अन्य सामग्री विद्वानों के नाम शेष होने पर भी यत्र-तत्र बिखरी हुई मिली। ऐसी स्थिति में पाणिनि ने उस विकीर्ण सामग्री का यथास्थित तथा परिवर्तित उपयोग कर अपने अष्टक-प्रासाद को भव्य रूप दिया। ऐसे विद्वानों में दस विद्वानों का पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नामपूर्वक सादर उल्लेख किया है। ये विद्वान् क्रमशः इस प्रकार प्रसिद्ध हैं-१. आपिशलि,

२. काश्यप, ३. गार्ग्य, ४. गालव, ५. चाक्रवर्मण, ६. भारद्वाज, ७. शाकटायन, ८. शाकल्य, ६. शेनक तथा १०. स्फोटायन। इन आचार्यों का निश्चित काल निर्धारण न होने के कारण इनके सम्बन्ध में परिचय एवम् अन्य विवरण वर्णक्रमानुसार दिया जा रहा है।

आपिशलि

वंशपरिचय-इनके सम्बन्ध में विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है। इन्होंने अपने सम्बन्ध में कुछ उल्लेख किया था अथवा नहीं-यह भी ज्ञात नहीं है। कारण यह है कि इनके ग्रन्थों का पूर्णस्वरूप उपलब्ध नहीं है। अतः बहिःसाक्ष्य के आधार पर ही निश्चय किया जाता है। पाणिनि ने केवल एक सूत्र में-**"वा सुप्यापिशलेः"**(६/१/६२) आपिशलि का नामोल्लेख किया है। प्रकृत सूत्र वृद्धि-सन्धि के प्रकरण में आया है। भाष्यकार पतञ्जलि ने इस सूत्र पर कोई विचार नहीं किया। आगे चलकर वृत्तिकारों में सर्वप्रमुख वामन ने काशिका में इनके नाम को तद्धितप्रत्ययान्त अपत्यवाचक शब्द के रूप में व्युत्पादित किया है। अधिकतर प्राचीन वैयाकरणों के अपत्यवाचक नामकरण की यही प्रक्रिया रही है। अतः पुनः (१) **वामन** ने काशिका में इस प्रकार कहा है-"अपिशलस्यापत्यमापिशलिराचार्यः। अत इञ्। (काशिका-६/२/३६) तत्पश्चात् (२) **पाल्यकीर्ति** ने रुधादिगण १/३/४ में अपिशलि शब्द से इञ् आपिशलि मानकर, स्त्रीलिङ्ग में आपिशल्या का निर्देश किया है। तदनन्तर (३) **गणरत्नमहोदधिकार वर्धमान** के मत में "आपिशलि" शब्द की रचना इससे कुछ भिन्न है। वे **"अपिशल"** शब्द की व्युत्पत्ति उणादि सूत्र के आधार पर करते हैं-

"पिंशतीत्यौणादिककलप्रत्यये पिशलः, न पिशलोऽपिशलः। कुलप्रधानम् तस्यापत्यम्-आपिशलिः (इञ्) प्रत्यय" (४) **उज्ज्वलदत्त** ने उणादि कोश में आपिशलि शब्द को भिन्न रूप में निष्पन्न किया है। उन्होंने "अपिशलि शब्द को दुःसह अर्थ में सिद्ध किया है-शारिहिंस, कपितकादित्वाल्लत्वम्। दुःसहोऽपिशलिः। बाह्वादित्वादिञ्-आपिशलिः"। इस व्युत्पत्ति के अनुसार आपिशलि के पिता का नाम अपिशलि होना चाहिये, परन्तु बाह्वादिगण में "अपिशलि" पद का पाठ न होने से उज्जवलदत्त की व्युत्पत्ति भ्रामक प्रतीत होती है।

पूर्व निर्दिष्ट **वर्धमान** के अनुसार पिशल शब्द का अर्थ कुलप्रधान है, किन्तु उसी व्युत्पत्ति के आधार पर "पिशल" शब्द क्षुद्रार्थक भी माना जा सकता है। उससे भिन्न "अपिशल" (न पिशलः) शब्द निष्पन्न होने से (महान्) अर्थ का अभिव्यञ्जक भी होता है। (५) **वाचस्पत्यकोश** में "अपि" पूर्वपदयुक्त "शल" धातु से अच् प्रत्यय कर अपिशल शब्द सिद्ध किया गया है। (अपि-शलते इति अपिशलः अच् प्रत्यय) इसके अनुसार ऋषिवाची "अपिशल" की कल्पना भी की गई है।

आपिशलि का नामान्तर

काव्यमीमांसाकार ने भी "आपिशल" शब्द माना है। (शिक्षा-आपिशलीयशिक्षा) दूसरे ग्रन्थकार वृषभदेव (वाक्यपदीय के टीकाकार) भी इनके मत से सहमत है। (तथेत्यापिशलीयशिक्षादर्शनम्) इन प्रयोगों में प्रस्तुत आपिशलीय पद अणन्त आपिशल शब्द से ही (छ-ईय्) प्रत्यय होकर सम्भव हो सकता है। इसी प्रकार ईञन्त आपिशलि से भी "इञश्च" (४/२/११२) के नियम से "आपिशल" शब्द निष्पन्न होता है।

परिवार एवं गोत्रादि

आपिशलि शब्द क्रौड्यादि गण में पढ़ा गया है। इसके अनुसार इनकी स्वसा का नाम आपिशल्या होना चाहिये। जिसका निर्देश **अभिनव शाकटायन** १/३/४ की चिन्तामणि टीका में मिलता है। **बौधायन प्रवराध्याय** के अनुसार "युधिष्ठिर मीमांसक" ने इन्हें भृगुवंशी माना है।[1]

१. अध्यापनस्थान

अष्टाध्यायी में छत्र्यादिगण में पठित आपिशलि शब्द से यह अभिव्यञ्जित होता है कि पाणिनि के समय तक "आपिशलि-शाला" विद्यमान रही। शाला शब्द अध्यापन स्थान के रूप में महाराष्ट्रादि प्रदेशों में प्रयुक्त होता रहा है और आज भी वाराणसी में शाला शब्द का प्रयोग विद्यालय के अर्थ में प्रचलित है। इसके साक्षि-भूत अनेक उदाहरण मिलते हैं। "पुराणपञ्चलक्षण" में रेमकशाला का वर्णन है इसमें पैप्पलाद आदि ने विद्याध्ययन किया था। तथा मुण्डकोपनिषद् में गृहपति शौनक के लिए "महाशाल" शब्द का व्यवहार उपलब्ध होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपिशलि ने व्याकरणाध्यापनहेतु पाठशाला की स्थापना की होगी।

२. देश-काल

आपिशलि कहाँ के निवासी थे- यह अनिश्चित ही है, फिर भी विद्वानों में उनको "शिक्षा-ग्रन्थ" के आधार पर उच्चारण-जन्य-विभेद को अभिलक्षित कर उत्तरदेशीय पाणिनि एवं वाल्मीकि के साथ आपिशलि को भी उत्तरभारतीय माना है। उत्तर भारत में भी वाराणसी पर्यन्त "व" तथा "ब" का भेद स्पष्टतया विद्यमान है, तदन्तर आगे पूर्व की ओर बढ़ने पर "व" तथा "ब" का विभेद परिलक्षित नहीं होता और बंगाल में यह स्थिति और सुदृढ़ हो जाती है। इस कारण **म.म.पं. काशीनाथ वासुदेव अभ्यङ्कर** ने इन्हें कदाचित् बंगाल का निवासी होना बतलाया है। इसके फलस्वरूप प्राग्देशों में उच्चारण साङ्कर्य

---

१. भृगूणामेवादितो व्याख्यास्यामः पैङ्गलायनाः वैहीनस्यः काशकृत्स्नाः पाणिनिर्वाल्मीकिः- अपिशलयः

बढ़ते-बढ़ते "व" "ब" रूप में परिणत हो गया है। भाषावृत्ति के व्याख्याता **सृष्टिधर** द्वारा उल्लिखित आपिशलीय शिक्षा के अंश से इस बात की पुष्टि होती है। "दन्त्योष्ठ्यत्वाद् वकारस्यवहव्यधवृधानभप्।

उदूतौ भवतो यत्र यो वः प्रत्ययसन्धिजः।
अन्तस्थं तं विजानीयाच्छेषो वर्गीय उच्यते।।

आपिशलि की स्थिति के सम्बन्ध में कोई अन्तःसाक्ष्य प्रमाण रूप से उपलब्ध नहीं है फिर भी इनका नाम पाणिनीय अष्टाध्यायी में साक्षात् उल्लेख होने से इनकी स्थिति का पाणिनिपूर्ववर्ती होना निश्चित है। पदमञ्जरीकार **हरदत्त** (काशिका के व्याख्याता) की इन पङ्क्तियों से-कथं पुनरिदं आचार्येण पाणिनिनाऽवगतमेते साधव इति ?आपिशलेन पूर्वव्याकरणेन, आपिशलिना तर्हि केनावगतम्? ततः पूर्वेण व्याकरणेन।। पाणिनिरपि स्वकाले शब्दान् प्रत्यक्षयन्नापिशलिनादिना पूर्वमस्मिन्नपि काले सत्रामनुसन्धत्ते एवमापिशलिः।। इससे स्पष्ट होता है कि पाणिनि के समय में आपिशलि[1] का प्रभाव विद्यमान रहा। तथा इन्हें पाणिनि से कम से कम १०० वर्ष पूर्व रखा जा सकता है।

आपिशल व्याकरण का स्वरूप

जैन आचार्य पाल्यकीर्ति ने अपने शाकटायन व्याकरण की अमोघा वृत्ति (२/४/१८२) में उदाहरण देते हुए यह बतलाया है कि आपिशल व्याकरण भी आठ अध्यायों में विभक्त था-"अष्टका आपिशल-पाणिनीयाः"। यह उदाहरण शाकटायन व्याकरण की यक्षवर्मकृत "चिन्तामणिवृत्ति" (२/४/१८२) में भी उपलब्ध होता है। आपिशलिविरचित-शिक्षा में भी आठ ही प्रकरण है।

विशेषतायें

काशिका के अनुसार "उपज्ञाते" (४/३/११५) सूत्र में दिये हुए उदाहरणों में "आपिशलम्" भी दिया हुआ है। इससे विदित होता है कि पाणिनीय व्याकरण के समान आपिशल व्याकरण भी विस्तृत तथा सर्वाङ्गपूर्ण रहा। अर्थात् लौलिक तथा वैदिक संस्कृत दोनों व्याकरणों का समावेश रहा। महाभाष्य (४/१/१४) से विदित होता है कि **कात्यायन** और **पतञ्जलि** के काल में आपिशल व्याकरण का महान् प्रचार था। इनके काल में कन्याएं भी आपिशल व्याकरण का अध्ययन करती थीं। अनेक व्याकरणग्रन्थों में इनके निम्नलिखित सूत्र उपलब्ध हुए हैं:-

---

१. पदमञ्जरी ।। अथशब्दानुशासनम्।। भाग-१

१. उभयस्योड्द्विवचनटापोः।
२. विभक्त्यन्तं पदम्।
३. मन्यकर्मण्यनादरे उपमाने विभाषाऽप्राणिषु।
४. चिरसाययोर्मश्च प्रगप्रावयोरेत्वम्।
५. धेनोरजः।

इन उदाहरणों के अतिरिक्त अन्य प्राचीन ग्रन्थों में आपिशलि के नाम से अनेक वचन भी उपलब्ध होते हैं।

१. **अनन्तदेव-भाषिकसूत्र** की व्याख्या में लिखा है- **यथापिशलिनोक्तम् ऋलृवर्णयोर्दीर्घा** (न) भवन्तीति
२. **कविराज** ने आपिशलि का उल्लेख "एकवर्णकार्यविकारः अनेकवर्णकार्यमादेश इत्यापिशलीयमतम्"- इस रूप में किया है।
३. **कातन्त्रवृत्ति** की टीका में **दुर्गाचार्य** ने आपिशलि का एक श्लोक भी उद्धृत किया है। वह इस प्रकार है-

आगमोऽनुपघातेन विकारश्चोपमर्दनात्।
आदेशस्तु प्रसङ्गेन लोपः सर्वापकर्षणात्।।

४. इन श्लोकों के अतिरिक्त भाषावृत्ति के व्याख्याता सृष्टिधर ने आपिशलि का निम्न डेढ़ श्लोक उद्धृत किया है-

दन्त्योष्ठत्वाद् वकारस्य वह्व्यधवृधां न भष्।
उदूती भवतो यत्र यो वः प्रत्ययसन्धिजः।।
अन्तःस्थं तं विजानीयाच्छेषो वर्गीय उच्यते।

जगदीश तर्कालंकार ने भी आपिशलि का मत उद्धृत किया है-

सदृशस्त्वं तृणादीनां मन्यकर्मण्यनुक्तके।
द्वितीयावच्चतुर्थ्यापि बोध्यते बाधितं यदि।।

इसके अतिरिक्त **उज्ज्वलदत्त** भी अपनी **उणादिवृत्ति** में आपिशलि के दो वचनों को उद्धृत कर इनकी विद्यमानता की पुष्टि करता है-

आपिशलिस्तु-न्यङ्कोर्नैच्भावं शास्ति न्याङ्कवं

(रामाश्रम) अमरकोष के सुप्रसिद्ध टीकाकार भट्टोजिदीक्षित के सुपुत्र भानुदीक्षित भी आपिशलि के वचनों से प्रभावित हुए है (१६०० ई.)-

"शश्वदभीक्ष्णं नित्यं च सदा सततमजस्रमिति सातत्ये इत्यव्ययप्रकरणे आपिशलिः।"

पाणिनि व्याकरण के अतिरिक्त कातन्त्र व्याकरण के दुर्ग-वृत्तिकार तथा त्रिलोचनदास ने कातन्त्रवृत्ति की पञ्जिका में क्रमशः ये दो श्लोक उद्धृत किये है-

१. **पादस्त्वर्थसमाप्तिर्वा ज्ञेयो वृत्तस्य वा पुनः।**
मात्रिकस्य चतुर्भागः पाद इत्यभिधीयते।।

२. **सामीप्येऽथ व्यवस्थायां प्रकारेऽवयवे तथा।**
चतुर्ष्वर्थेषु मेधावी आदिशब्दं तु लक्षयेत्।।

इन दोनों उद्धरणों में से प्रथम वचन आपिशल शिक्षा से गृहीत है तथा दूसरा वचन आपिशल व्याकरण में गृहीत है[1]।

आपिशल व्याकरण के सिद्धान्तों पर विचार

१. आपिशलि ने (ऋकार) दीर्घ ॠ के समान ऌ को भी दीर्घ माना है- जो पाणिनीय व्याकरण के सम्मत नहीं है।

२. आपिशलि ने वर्णों की भी परिभाषा की है, उनके व्याकरण में पवर्गीय ब और वकार का भेद दिखाया गया है।

३. आगम, विकार और लोप को भी परिभाषित किया था। पाणिनि के स्थानिभूत आदेश पद से लोप और विकार भी लिये गए हैं।

४. आपिशलि ने पदसंज्ञा- विधायक सूत्र को "विभक्त्यन्तं पदम्" के रूप में रखा है न कि "सुप्तिङन्तं पदम्"।

५. आपिशलि ने चतुर्थी विभक्ति के एक सूत्र को पाणिनि से कुछ भिन्न रूप में लिखा था-

"मन्यकर्मण्यनादरे उपमाने विभाषाऽप्राणिषु"

पाणिनि और आपिशलि में यह अन्तर है कि पाणिनि ने "उपमाने" पद को अपने सूत्र में निविष्ट नहीं किया है।

६. **(क) खण्डिकादिभ्यश्च** सूत्र की (४/२/४५) व्याख्या करते हुए पतञ्जलि ने महाभाष्य में यह सूचित किया है कि आपिशलि के अनुसार समूहार्थक तद्धित प्रकरण में तदन्तविधि होती थी। पाणिनि भी इस बात को मानते हैं।

---

१. *इन वचनों के सम्बन्ध में पं. युधिष्ठिर मीमांसक कृत "संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास" का चतुर्थ अध्याय देखें।*

ख. **सायंचिरंप्राह्णेप्रगे** (४/३/२३)
इत्यादि सूत्र के अनुसार पाणिनि ने "सायन्तन" प्राह्णेतन आदि रूपों का निपातन किया है। किन्तु आपिशलि ने इन रूपों की सिद्धि भिन्न प्रकार से की है उनके अनुसार मकारादेश तथा एत्व पृथक् रूप से विहित है।

ग. वाक्यपदीय के टीकाकार वृषभदेव ने आपिशलि और पाणिनि मत में "न्यङ्कु" शब्द में भेद दिखाया है। तदनुसार आपिशलि में ऐजागम न होकर न्याङ्क्वम् रूप तथा पाणिनि के मत में ऐच् आगम होने से नैयङ्क्वम् रूप निष्पन्न किये हैं।

घ. **"शताच्च ठन्यतावशते"** (५/१/२१) सूत्र के स्थान पर आपिशलि और काशकृत्स्न ने "अशते" के स्थान पर अग्रन्थे पढ़ा है। तदनुसार शत्यः शतिको वा गोसङ्घः इत्यादि अपाणिनीय प्रयोग बनते हैं। ऐसे प्रयोगों को कैयट आदि वैयाकरण टीकाकार एक मत से असाधु मानते हैं।

आत्मनेपद, परस्मैपद और उभयपद की व्यवस्था के सम्बन्ध में पाणिनि और आपिशलि दोनों आचार्य सहमत है। धातुपाठ में कुछ धातुओं में असमानता बतलायी जाती हैं। जैसे "अस्" धातु के स्थान पर "स"। अस्ति, आसीत् आदि प्रयोग आपिशलि ने क्रमशः "अट्" तथा "आट्" आगम से सिद्ध किये हैं।

पाणिनि के समान समग्र व्याकरण उपलब्ध न होने पर भी आपिशलि का आंशिक प्रभाव १६वें शतक तक टीकाग्रन्थों में भी विद्यमान रहा। किन्तु व्याकरण का पूर्ण रूप ज्ञात न होने से उसका अध्ययन असम्भव ही रहा। अतः समीक्षकों के लिए उसका द्वार बन्द ही रहा।

आपिशलि का पौर्वापर्य आचार्यों पर प्रभाव

आपिशलि के व्याकरण के जितने भी प्रमाण उपलब्ध हुए है, उनके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कम से कम दो बातों मे आपिशलि का प्रभाव पाणिनि पर अवश्य परिलक्षित होता है। (१) सर्वप्रथम पाणिनीयाष्टक की रचना का स्वरूप आपिशलि की रचना के समान प्रतीत होता है। आपिशलि की रचना पद्धति को परिष्कृत कर पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी को निर्दोष एवं सर्वाङ्गपूर्ण बनाया है। इस प्रकार पाणिनि ने लौकिक एवं वैदिक भाषा के प्रचलित स्वरूप को निर्धारित करने में आपिशलि का मार्गदर्शन स्वीकार किया है। (२) इसके अतिरिक्त पाणिनि के सूत्रों में उच्चरित कुछ प्रत्ययों का भी समाकलन आपिशलि के व्याकरण के समान ही हुआ है। उदाहरणार्थ-टाप्, ठन्, शप्, औङ् तथा आङ् आदि प्रत्यय भी तथैव पाणिनि ने स्वीकृत किये है। जिनका अस्तित्व आपिशलि के व्याकरण में यत्र-तत्र बिखरा हुआ है। इस सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि आपिशलि के पूर्व भी इस प्रकार की कल्पना प्रत्ययों के सम्बन्ध में विद्यमान रही हो और आपिशलि भी अपने

पूर्ववर्ती वैयाकरणों के ऋणी रहे हो। काशकृत्स्न के प्रभाव से इस सम्बन्ध में आपिशलि के व्याकरण में कुछ साम्य होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं आपिशलि पर ऐन्द्र व्याकरण का भी प्रभाव पड़ा है। पद की परिभाषा को अभिलक्षित कर कलापतन्त्र के व्याख्याता सुषेण विद्याभूषण[1] ने इस प्रकार "अर्थः पदम् आहुरैन्द्राः" "विभक्त्यन्तं पदम् आहुरापिशलीयाः" "सुप्तिङन्तं पदम् पाणिनीयाः"- परस्पर साम्य दिखाया है। न्यायसूत्र "ते विभक्त्यन्ताः पदम्" २.२.५७ भी आपिशलि के सूत्र पर आधारित विदित होता है। इन्द्र आदि पूर्व वैयाकरणों से प्रभावित होने पर भी आपिशलि को उन सबका अनुसरणकर्ता नहीं कहा जा सकता। क्योंकि व्याकरण-ग्रन्थों की रचना समानान्तर रूप से होती रही। अतः इस त्रिधारा में तीनों प्रकार की रचनाओं का न्यूनाधिक प्रभाव होना स्वतःसिद्ध है।

वर्णसमाम्नाय तथा प्रत्याहार एवं माहेश्वरसूत्रों के सम्बन्ध के पौर्वापर्यप्रभाव में भी विद्वज्जन एक मत नहीं हैं। इस दिशा में यह उल्लेखनीय है कि **सृष्टधर ने भाषावृत्ति** में आपिशलि की डेढ़ कारिका को उद्धृत कर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि आपिशलि द्वारा निर्दिष्ट भषु[2] प्रत्याहार के कारण उनका माहेश्वर सूत्रों से परिचय रहा हो। इस संबंध में यह विचारणीय है कि माहेश्वर सूत्रों की अविकलता पाणिनि से पूर्व विद्यमान थी या नहीं? कुछ लोगों के मत में ऐन्द्र व्याकरण के समान **माहेश्वर-तन्त्र** भी पृथक् विद्यमान था और उससे उत्तरवर्ती वैयाकरण प्रभावित हुये। अतः आपिशलि पर उसका प्रभाव पड़ना स्वतः सिद्ध है। किन्तु पाणिनि से सम्बद्ध परम्परा माहेश्वर सूत्रों की उद्भावना महर्षि पाणिनि से ही जोड़ती है।

अन्य विशेषतायें

आपिशलि के नाम से प्रचलित कारिकाओं की संख्या नगण्य है। उपलब्ध कारिकाओं के दो रूप स्पष्ट हैं (१) "आपिशलीय-श्लोकाः[3] तथा (२) "आपिशलीयानां मतम्"[4] अविकलरूप से उद्धृत हुये श्लोकों को आपिशलि की कारिकाएं समझनी चाहिये। सूत्रों के रूप में भी आपिशलि का व्याकरण स्वीकार्य है। इस प्रकार उनका रचना-कौशल दो प्रकार का विदित होता है। आपिशलि के शिक्षा-ग्रन्थ में भी यही पद्धति अपनाई गयी है। इसी प्रकार प्रातिशाख्यों में भी रचना का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। शब्दानुशासन के अतिरिक्त आपिशलि द्वारा प्रणीत शिक्षा-ग्रन्थ के अतिरिक्त धातुपाठ एवं गणपाठ के अस्तित्व के प्रमाण मिलते है। उद्धरण के रूप में इनके धातुपाठकी कल्पना की जाती है, यद्यपि वह मौलिक

---

१. द्रष्टव्य-पं. युधिष्ठिर मीमांसक-पृ. ६४ (प्रथम भाग)
२. "वहव्यघवृषां न भषु" भाषावृत्ति भूमिका पृ.६६
३. कातन्त्रवृत्ति, पृ. ४७६
४. कातन्त्रटीका २, ३, ३३

रूप में उपलब्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त धातुपाठ में कुछ धातुओं में असमानता भी बतलाई जाती है। जैसे-"अस्" धातु के स्थान पर 'स्', अस्ति, आसीत्, आदि प्रयोगों में आपिशलि ने क्रमशः अट् तथा आट् आगम द्वारा सिद्ध किया है।[1] "गणपाठ" के सम्बन्ध में इससे भिन्न स्थिति है। "भर्तृहरि" कृत महाभाष्य की टीका में इसका उल्लेख मिलता है। इस उल्लेख की पुष्टि कैयट आदि के कथनों से भी होती है। इन प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि पाणिनि द्वारा पठित सर्वादिगण को आपिशलि ने "त्यदादि" तथा "पूर्वादि" दो भागों में विभक्त कर दिया हो, किन्तु इन वक्तव्यों का सही और पूर्ण विश्लेषण करने पर यह विदित होगा कि भर्तृहरि और कैयट का संकेत आपिशलि द्वारा स्वीकृत इन तीनों गणों की ओर है। १. सर्वादि, २. त्यदादि ३. पूर्वादि। इसका कारण यह है कि "सर्वादि" पाठ पूर्वादि से भी पहले तथा त्यदादिका सर्वान्त में किया गया है। इस दृष्टि से त्यदादिके अनन्तर पूर्वादि के पाठ का संकेत करने के दो अभिप्राय हो सकते हैः- (१) सर्वादिगण का क्रमभेद बताने के लिये अथवा (२) सर्वादिगण के पृथक् विभाग या गण बताने के लिए। परिणामतः आपिशलि के सम्पूर्ण गणपाठ को देखने की लालसा का तीव्र हो उठना अनिवार्य ही है, विशेषतः ऐसे अन्तरों के कारण जिन के अनुसार "किम्" शब्द को त्यदादि के आरम्भ में पढ़ा गया है।

"उणादिसूत्रों" के सम्बन्ध में भी विद्वानों में प्रायः मतभेद है। युधिष्ठिर मीमांसक ने यह प्रतिपादित किया है कि आपिशलि भी "उणादिपाठ" के प्रकल्पक रहे हों। इनके अतिरिक्त उणादि सूत्र सम्बन्धी मतभेद में तीन पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये थे। इन तीनों में से **बोथलिंक** तथा **आफ्रेख्ट** के मत में उणादि की परिकल्पना पाणिनि के पूर्व हो चुकी थी। **नागोजी भट्ट** तथा अन्य साक्ष्यों के विचार के बाद उनका मत था कि इनका सम्बन्ध शाकटायन अथवा चाक्रवर्मण से ही हो सकता है, किन्तु **गोल्टस्टुकर** इनसे भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचे थे। उनके मत में उणादि सूत्रों के रचयिता पाणिनि रहे। इन विद्वानों के अतिरिक्त **मैक्समूलरप्रभृति** अनेक विद्वानों के इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये है, किन्तु उनमें से कोई भी आपिशलि का पक्षधर नहीं है। **म.म.पं. काशीनाथ वासुदेवशास्त्री अभ्यङ्कर** ने मराठी भाषा में निबद्ध अपनी "महाभाष्य-टीका" की भूमिका में तथा "संस्कृत व्याकरण कोष" में भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त संकेत दिये हैं। तदनुसार पाणिनि से पूर्व ही उणादि परम्परा विकसित हो चली थी। म.म.पं. का. वा. अभ्यङ्कर ने आपिशलि की जन्मभूमि के सम्बन्ध में भी विचार व्यक्त किया है। उन्हें आपिशलि के "भष्" भाव के निषेध विधान मे "वह्" और "व्यध्" धातुओं को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि वे बंगवासी रहे हो, क्योंकि बंगाल में "व" कार के

---

१. अधिक विस्तार हेतु पं. बलदेव उपाध्याय कृत सं.सा. का. इति. देखें।

स्थान पर "ब" कार का उच्चारण अब भी प्रचलित है, अन्यथा 'व' कार रहने पर 'भष्' भाव की प्राप्ति ही नहीं थी। उनके निवास के सम्बन्ध में एवं उनके गुरु के विषय में कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं फिर भी उनके वैदुष्य का प्रभाव सहस्रों वर्ष व्यतीत होने पर भी विद्यमान है। अतः आपिशलि को पाणिनि से लगभग दो शताब्दी पूर्व मानने पर उनका काल वि.पू. ८५० मानने में कोई आपत्ति नहीं है।

पाणिनीय व्याकरण में उन्हीं वैयाकरणों का सूत्रों के रूप में नामोल्लेख किया गया है, जो उस समय अधिक विख्यात रहे तथा जिनको पाणिनि ने आत्मसात् कर लिया हो एवं थोड़ा बहुत वैषम्य होने पर उनके प्रति आदर की भावना से उसका प्रकाशन करने में पाणिनि ने किसी प्रकार का संकोच नहीं किया है। अतः पाणिनि अपने से पूर्व विद्यमान आचार्यों के विरोधी नहीं रहे, अपितु प्रशंसक ही रहे। इस दृष्टि से पाणिनिपूर्व दश वैयाकरणों में शाकटायन तथा आपिशलि विशेष रूप से मान्य रहे हैं। इन दोनों वैयाकरणों को पाणिनि ने यथेष्ट सम्मान दिया है। शाकटायन तो उणादिसूत्रों के कारण व्याकरण के क्षेत्र में विशेषतः अद्यावधि समीक्षित होते चले आ रहे हैं। आपिशलि की रचना का विस्तृत स्वरूप उपलब्ध न होने पर भी उनकी विकीर्ण सामग्री का सम्यक् अवलोकन करते हुये उनके प्रशंसको ने यह निष्कर्ष निकाला है कि **ऐन्द्र** एवं **शाकटायन** तथा पाणिनि के मध्य आपिशलि ने व्याकरणमहार्णव को पार करने में सेतु की भूमिका अपनायी।

२. काश्यप

पाणिनि द्वारा उल्लिखित प्राचीन वैयाकरणों में काश्यप की भी गणना की जाती है। स्वयं पाणिनि ने इनका नाम निर्देश कर दो सूत्र अङ्कित किये हैं-(१) **तृषिमृषिकृशेः काश्यपस्य** (१.२.२५) तथा (२) **नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्** (८.४.६७) इन दोनो सूत्रों मे से प्रथम सूत्र का विषय 'इट्' सहित 'क्त्वा' प्रत्यय से सम्बद्ध है। तदनुसार 'तृषिमृषि' सूत्र में **"नोपधात्थफान्ताद्वा"** (१.२.२३) से 'वा' (विकल्प) तथा 'न' की अनुवृत्ति होने के कारण "तृष्, मृष्, कृष्, इन धातुओं से परे इट् संयुक्त 'क्त्वा' प्रत्यय काश्यप आचार्य के मत में विकल्प से 'कित्' नहीं होता है। प्रकृत सूत्र में 'काश्यप' ग्रहण न करने पर भी पूर्वाक्त अनुवृत्तियों का आश्रय लेते हुए इट्-संयुक्त वैकल्पिक किद्वद्भाव का निषेध स्वतः सिद्ध रहा। अतः पाणिनि के द्वारा प्रकृत सूत्र में 'काश्यप' पद का निवेश करने से उनके प्रति सम्मान पूर्वक प्रयोग की दृढ़ता सूचित की गयी है।

उपर्युक्त दूसरे सूत्र में तीन आचार्यो की सम्मति (काश्यप-गार्ग्य-गालव) समवेत रूप में दी गयी है। प्रकृत सूत्र वैदिक प्रकरण से सम्बद्ध है, और वह भी स्वर के सम्बन्ध में। सूत्रार्थ इस प्रकार है-"उदात्तपरक एवं स्वरितपरक अनुदात्त स्वरित नहीं होता।" "किन्तु गार्ग्य गालव तथा काश्यप आचार्यों के मत में स्वरित का निषेध नहीं होता"। यहाँ पाणिनि ने कित्त्व निषेध के सम्बन्ध में काश्यप आचार्य के साथ 'गार्ग्य' तथा 'गालव' का उल्लेख

करने से उस समय प्रचलित स्वरसञ्चालन की विभिन्नता पर प्रकाश डाला है। इसके साथ ही यह भी सूचित होता है कि इन तीनों आचार्यों ने स्वरवैदिकी पर विमर्श किया हो। किन्तु अभी तक इनका कोई व्याकरणग्रन्थ प्राप्त नहीं हो सका, फिर भी इनके पाण्डित्य की चर्चा अन्यत्र सुलभ भी है। यजुर्वेद प्रातिशाख्य में शाकटायन के साथ इनका उल्लेख मिलता है।

इनके कालक्रम के सम्बन्ध में भी निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पाणिनि से कुछ पूर्व अथवा समानान्तर होने की कल्पना से इन्हें लगभग ८०० वि.पू. रखा जा सकता है।

वंश एवं ग्रन्थ

परम्परा के अनुसार काश्यप शब्द अपत्य प्रत्ययार्थक है। तदनुसार इनके पिता का नाम 'कश्यप' होना चाहिए। वार्त्तिककार कात्यायन के अनुसार भी अष्टाध्यायी ४.३.१०३ में काश्यप के द्वारा प्रयुक्त कल्प का निर्देश है। पाणिनि के व्याकरण और कल्पप्रवक्ता का निर्देश करते हुए किसी विशेषण का प्रयोग नहीं किया, इस कारण **पं. युधिष्ठिर मीमांसक** ने वैयाकरण और कल्पकार (काश्यप) इन दोनो को एक ही व्यक्ति माना है। प्रातिशाख्य तथा व्याकरण का प्रवचन समानान्तर काल में होने से वैदिक प्रक्रिया पर ही काश्यप तन्त्र अवलम्बित रहा हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इनके सम्बन्ध में अन्य बहिःसाक्ष्य भी उपलब्ध हैं। न्यायवार्तिककार उद्योतकर कणादसूत्रों को काश्यपीय-सूत्र के नाम से उद्धृत करते हैं इसके अतिरिक्त प्रशस्तपादभाष्य के अन्त्य श्लोक से भी विदित होता है कि महामुनि कणाद का सम्बन्ध माहेश्वर-सम्प्रदाय के साथ था। यदि कणाद और काश्यप दोनों एक ही व्यक्ति हों तो काश्यप का सम्बन्ध किसी माहेश्वर तन्त्र से होना संभाव्य है। आचार्य पिंगल के छन्दःशास्त्र ७.९ में काश्यप का मत उद्धृत है। अतः काश्यप ने भी छन्दःशास्त्र का प्रवचन किया हो। इन दोनों विषयों के अतिरिक्त काश्यप के नाम से आयुर्वेदसंहिता भी प्रकाशित हो चुकी है (सं.१९९५)। इस नष्टप्राय कौमारभृत्य-तन्त्र के उद्धार का श्रेय नेपाल के राजगुरु **पं. हेमराज पाण्डेय** को है। उन्होंने महापरिश्रम करके एक मात्र त्रुटित ताडपत्रलिखित ग्रन्थ के आधार पर इसका सम्पादन किया है। ग्रन्थ की अन्तरंग परीक्षा से प्रतीत होता है कि यह चरक-सुश्रुत के समान प्राचीन आर्ष ग्रन्थ है। काश्यप नाम के किसी विद्वान् ने शिल्पशास्त्र पर भी लेखनी चलाई है। वह ग्रन्थ आनन्दाश्रम पूना से सन् १९२६ में प्रकाशित हो चुका है। आलङ्कारिकों ने भी काश्यप के मत का उल्लेख काव्यादर्श की हृदयंगमा टीका तथा श्रुतपालकृत टीका में भी किया है[1]।

इन्हें पौराणिक बनाने का गौरव भी अनेकत्र दिया गया है। चान्द्रवृत्ति में ३.३.७१ तथा सरस्वतीकण्ठाभरण ४.३.२२९ की टीका में किसी काश्यपीय पुराण का उल्लेख हैं। वायुपुराण के अनुसार वायुपुराण के प्रवक्ता का नाम अकृतप्रण काश्यप था। तथा विष्णुपुराण की श्रीधरी टीका[2] में भी पुराणप्रवक्ता अकृतप्रण को कायश्प ही कहा गया हैं।

---

१. द्रष्टव्य-पं. युधिष्ठिर मीमांसक कृत सं. व्याकरण का इतिहास पृ. १६०
२. आत्रेयः सुमतिर्धीमान् काश्यपोऽहयकृत्

अद्यावधि काश्यपकृत व्याकरण शास्त्र के विषय में कोई ग्रन्थ नहीं मिला है। 'कश्यप' तथा काश्यप- इन दोनों नामों में केवल एक मात्रा का अन्तर होने से इनका भिन्न व्यक्तित्व निश्चित है। प्रमुख सात गोत्र वाचक ऋषियों में 'कश्यप' शब्द का प्रयोग हुआ है। तदनुसार लोक में (कश्यप) तथा (काश्यप) ये दो भिन्न गोत्र ब्राह्मणों में प्रचलित हैं। कभी-कभी इनके सगोत्रज होने के विषय में शंका भी की जाती है, किन्तु धर्मशास्त्र के अनुसार भी ये समान गोत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि पूर्ववर्ती काश्यप के सम्बन्ध में 'कश्यप' का भ्रम नहीं होना चाहिए। कदाचित् वह भ्रम बौद्ध व्याकरण के प्रवक्ता 'कश्यप' के नामसाहचर्य से हो सकता था। इन्होंने चान्द्र सूत्रों पर बालवोधिनी नाम की व्याख्या लिखी थी। केवल यजुर्वेद प्रातिशाख्य (४.५) में शाकटायन के साथ काश्यप का उल्लेख मिलता है। इससे अधिक इनके विषय में ज्ञात नहीं है। पाणिनि के समय में इनकी रचना उपलब्ध रही हो।

३. गार्ग्य

पाणिनि पूर्व वैयाकरणों में गार्ग्य का स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है। व्युत्पत्ति के अनुसार गार्ग्य को गर्ग ऋषि का वंशज होना चाहिये। (**गर्गादिभ्यो यञ्** ४.१.१०५) अनेक ऋषि गार्ग्य अथवा गर्ग के नाम से विख्यात हो चुके है, फिर भी वैयाकरण गार्ग्य तथा नैरुक्त गार्ग्य एक ही व्यक्ति माने गये हैं। गार्ग्य का उल्लेख पाणिनि सूत्रों के अतिरिक्त "ऋक्प्रातिशाख्य" तथा "वाजसनेयि प्रातिशाख्य" में भी प्राप्त है। ऋक्प्रातिशाख्य में गार्ग्य के अतिरिक्त अन्य दो वैयाकरणों का नाम भी सम्मिलित है-"व्याडिशाकल्यगार्ग्याः (१३.३१) वाजसनेयि प्रातिशाख्य में भी गार्ग्य का मत उल्लिखित है- ख्याते खायौ कशौगार्ग्य सक्ख्योक्ख्यमुक्ख्यवर्जम्"। इन प्रमाणों के आधार पर गार्ग्य की स्थिति प्रातिशाख्यकारों तथा पाणिनि के पूर्व होनी चाहिये। यास्क के निरुक्त (१.२) में गार्ग्य के मत की समीक्षा विद्यमान है, और वह भी शब्दों के धातुज होने के सम्बन्ध में। गार्ग्य ने धातुज शब्द का सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार हम गार्ग्य का स्थितिकाल लगभग '६००वि.पू.' '८५० ई.पू.' मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त गार्ग्य ने 'साम-संहिता' का पदपाठ लिखा था। इस बात का उल्लेख दुर्गाचार्यविरचित निरुक्त की स्कन्द टीका में है।

पाणिनि ने गार्ग्य का उल्लेख इन तीन सूत्रों में किया है-

१. **अड् गार्ग्यगालवयोः** (७.३.६६) २. **ओतो गार्ग्यस्य** (८.३.२०) ३. **नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्** (८.४.६७) इन तीनों सूत्रों में से द्वितीय सूत्र **"ओतो गार्ग्यस्य** (८.३.२०)" द्वारा निष्पादित होने वाले यकार तथा वकार के लोप का विशेष फल है। पूर्वसूत्रों से अनु वर्तमान यकार-वकार दोनों वर्णो में से ओकार से पूर्ववर्ती वकार का उदाहरण न मिलने से केवल यकार का लोप ही अनुश्रुत है। अतः भो अत्र आदि उदाहरणों में यकार का लोप गार्ग्य के मत में होता है। प्रकृत सूत्र के अभाव में यकार

का पाक्षिक लोप तो पूर्वसूत्र से स्वतः सिद्ध रहा, अतः पुनः गार्ग्य के मत उल्लेख करते हुये, यकार के लोप की पुनरुक्ति से यह सूचित होता है कि ओकार से पर, पद के अन्त में विद्यमान विशेषरूप से उच्चार्यमाण यकार का 'नित्य' लोप होता है अन्यथा इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। पाणिनि ने उनका सम्मानपूर्वक उल्लेख कर अभीष्ट सिद्धि की है। पतञ्जलि ने महाभाष्य में प्रकृत सूत्र की व्याख्या करते हुए यही बात कही है- "किमर्थमिदमुच्यते, न लोपः शाकल्यस्येत्येव सिद्धम्। ओकाराल्लोपवचनं नित्यार्थम्। ओकाराल्लोपवचने क्रियते। किमर्थम्। नित्यार्थम्, नित्यार्थोऽयमारम्भः।" 'महाभाष्य' के व्याख्याता 'कैयट' ने भी अपनी सहमति प्रकट करते हुए इस विषय को और अधिक स्पष्ट कर दिया है- ओतो। किमर्थमिति। लोपः शाकल्यस्येत्यनेन पाक्षिकः सिद्ध एव लोपोऽनेनापि गार्ग्यस्य मतेन लोपो नान्येषामिति विकल्पेनैव विधेय इति प्रश्नः। ओकारादिति। गार्ग्यः स्वस्यां स्मृतावोतो नित्यमेव लोपं स्मरतीति पाणिनिरपि तथैवेच्छति। एवं च भो अत्रेति नित्यं भवति न तु भो यत्रेति।

इस प्रकार के शाब्दिक विश्लेषण से पाणिनि ने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिये गार्ग्य द्वारा साधित 'भो अत्र' आदि रूपों के प्रचलन में उनका मत और दृढ कर दिया है।

गार्ग्य के व्याकरण ग्रन्थ के सम्बन्ध में अभी तक निश्चयात्मक स्वरूप नहीं देखा गया। अन्यत्र वर्णित ग्रन्थों के उल्लेखों से विद्वानों ने कुछ निष्कर्ष निकाला है। पं. युधिष्ठिर मीमांसक ने व्याकारणशास्त्र के इतिहास (प्रथम भाग) (चतुर्थ संस्करण पृ. १६३) में गार्ग्य के ग्रन्थों की चर्चा करते हुए व्याकरणेतर आठ ग्रन्थों का उल्लेख किया है।:-

१. निरुक्त, २. सामवेद का पदपाठ, ३. शाकल्यतन्त्र, ४. भू वर्णन, ५. तक्षशास्त्र, ६. लोकायत शास्त्र, ७. देवर्षिचरित एवं ८. सामतन्त्र। इनमें से प्रथम व द्वितीय की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। तृतीय ग्रन्थ आयुर्वेद से सम्बन्ध में 'सुश्रुत' के टीकाकार 'डल्हण' के मतानुसार गार्ग्य धनवन्तरि के शिष्य रहे, उन्होंने इस आयुर्वेद ग्रन्थ की रचना की। चौथा ग्रन्थ 'भू-वर्णन' पुराणोक्त भौगोलिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। पाँचवे ग्रन्थ के सम्बन्ध में आपस्तम्ब शुल्बसूत्रकार द्वारा उद्धृत एक श्लोक को शुल्बसूत्र के टीकाकार करविन्दाधिप ने गार्ग्य के द्वारा प्रणीत 'तक्षशास्त्र ग्रन्थ' से उद्धृत किया गया है। कौटिल्य के टीकाकार गणपति शास्त्री ने इनके छठे ग्रन्थ को 'न्यायशास्त्र' का ग्रन्थ कहा है- "लोकायतं न्यायशास्त्रं ब्रह्मगार्ग्यप्रणीतम्"। सातवें ग्रन्थ देवर्षिचरित के सम्बन्ध में 'महाभारत' के कथन को यदि प्रमाण स्वरूप माना जाय तो, इस ग्रन्थ के पूर्व इसी नाम से प्रसिद्ध अन्य किसी गार्ग्य ने यह ग्रन्थ लिखा हो, और इन्होंने पुनः उसी नाम से इस ग्रन्थ की रचना की हो।

आठवें ग्रन्थ 'सामतन्त्र' का दूसरा नाम सामपदपाठ है। इसके सन्दर्भ में पहले कहा जा चुका है।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी गार्ग्य, व्याकरण तथा निरुक्त के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ गये हैं।

विशेषता

व्युत्पन्न शब्दों के सम्बन्ध में गार्ग्य और शाकटायन इन दोनों विद्वानों में मतभेद है। इस विषय में निरुक्तकार 'यास्क' का सिद्धान्त है कि सब 'नाम' धातुज हैं। भाषा का मूल धातु ही होता है। इस तथ्य का उद्घाटन यास्क ने आज से लगभग पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व किया था। यही तथ्य आधुनिक भाषाशास्त्र का मेरुदण्ड है। इस सम्बन्ध में यास्क ने 'निरुक्त' में अनेक प्रबल युक्तियाँ दी हैं। व्याकरणशास्त्र के व्युत्पत्तिमूलक शब्दों का यही प्रमुख आश्रय है। इसी के बल पर शब्दों में अर्थ की अभिव्यञ्जना सिद्ध होती है। शब्द और अर्थ के तादात्म्य का प्रवृत्तिजनक यह सिद्धान्त विज्ञानसिद्ध है। इस सिद्धान्त को अभिलक्षित कर गार्ग्य ने अनेक शङ्कायें समुपस्थापित की हैं।

शङ्का-"वस्तु का क्रियानुसार नाम रखने से अनेक वस्तुओं की एक क्रिया होने से अनेकों का एक नाम हो सकता है"। **समाधान**-असंगत है, क्योंकि तुल्य कर्म करने वाले लोगों में भी उसी कर्म द्वारा उनमें से व्यक्ति विशेष या श्रेणी-विशेष का ही नाम हुआ करता है, सब का नहीं। लोक-व्यवहार की यही शैली है। 'तक्षण' (काटना) और परिव्रजन (चारों ओर फिरना) क्रियाओं के अनेक लोगों के करने पर भी बढ़ई का नाम 'तक्षा' तथा संन्यासी का नाम 'परिव्राजक' है अन्य किसी का नहीं। शब्द का स्वभाव ही ऐसा है कि किसी क्रिया द्वारा किसी एक ही वस्तु का प्रतिपादन करता है, सभी वस्तुओं का प्रतिपादन नहीं। एक वस्तु के साथ अनेक क्रियाओं का योग रहने पर भी किसी एक क्रिया के अनुसार उसका नाम हुआ करता है, यह शब्द का स्वभाव और लोकप्रसिद्ध व्यवहार है। 'तक्षा' तथा 'परिव्राजक' अन्य क्रियाओं को भी करते हैं परन्तु क्रिया की विशिष्टता के कारण तक्षण तथा परिव्रजन क्रियाओं के कारण ही उनका नामकरण हुआ है। निष्पन्न नाम के सहारे वस्तु की क्रिया की परीक्षा या विचार करना असंगत नहीं होता। कारण यह है कि नाम की निष्पत्ति होने पर ही उसके योगार्थ की परीक्षा हो सकती है। (भवति हि निष्पन्नेऽभिव्याहारे योग परीष्टिः-निरुक्त १.१४) नाम के निष्पन्न न होने पर किसका अर्थ परीक्षित होगा? 'प्रथनात् पृथिवी'-विस्तृत किये जाने के कारण पृथिवी का यह नाम है। शाकटायन की इस व्याख्या पर गार्ग्य का यह कथन नितान्त अयुक्तिक है कि इसे किसने विस्तृत बनाया? या किस आधार पर स्थित होकर व्यक्ति ने इसे विस्तृत किया ? ये बातें तर्कहीन हैं क्योंकि पृथिवी का पृथुत्व तो प्रत्यक्षदृष्ट है। इसके कथन के विषय में प्रश्न ही व्यर्थ है। अतः गार्ग्य की यह आपत्ति भी सुसंगत नहीं है।

इस विषय पर शाकटायन की सूझ कुछ दूसरी तरह से है। उनका यह कथन है कि एक अभिन्न पद की व्याख्या में अनेक धातुओं का योग समन्वित हो सकता है। उन्होंने 'सत्य' शब्द के अर्थ को दो रूपों में प्रस्तुत किया है (१) सत्+य (२) इसमें प्रथम (सत्) अंश अस् धातु से अस्ति से निष्पन्न है तथा द्वितीय अंश (य) णिजन्त इण् धातु के 'आययति' रूप से गृहीत है। जिसका, संगत अर्थ वास्तविकता को अभिव्यक्त करता है (सन्तमेव अर्थम् आययति गमयतीति सत्यम्)। पुनः इस तोड़-मरोड़ पर गार्ग्य ने आपत्ति की है। गार्ग्य की आपत्तियों का निराकरण करते हुये यास्क ने शाकटायन के मतानुसार इस योगज अर्थ को सर्वथा युक्तिसंगत बतलाया है, क्योंकि अनन्वित अर्थ में शब्द का संस्कार करने वाला पुरुष निन्दनीय होता है, शास्त्र नहीं (सैषा पुरुषगर्ह्या न शास्त्रगर्ह्या) इसके फलस्वरूप निरुक्ति तथा पद का अन्वय होना ही न्याय्य है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में यह पद्धति मान्य रही है। उदाहरणार्थ- 'हृदय' शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये उसे तीन भागों में (हृ+दा+इण्- आययति रूप में) विभक्त कर समष्टिगत पद की सार्थकता अवलोकनीय है।

गार्ग्य की तीसरी शंका- परभाविनी क्रिया के द्वारा पूर्व जात वस्तु का नामकरण होना- भी युक्तिसंगत नहीं है। यास्क के अनुसार परभाविनी क्रिया के द्वारा पूर्वजात वस्तु की संज्ञा या व्यपदेश अनेक स्थानों पर देखा जाता है।

यास्क ने मीमांसादर्शन के इस सिद्धान्त का स्मरण कराया है कि भविष्यत् योग या सम्बन्ध के सहारे किसी व्यक्ति का 'बिल्वाद' तथा 'लम्बचूडक' नामकरण लोक में होता है। इसके अतिरिक्त गार्ग्य का यह कथन भी समुचित नहीं प्रतीत होता कि रूढ़ शब्दों की व्युत्पत्ति अनावश्यक है। इसके विपरीत वेद में रूढ़ शब्दों की व्युत्पत्ति अनेकत्र दृष्टिगोचर होती है। (यदसर्पत् तत् सर्पिः) इस प्रकार सर्पिष् (घी) शब्द की व्युत्पत्ति गमनार्थक 'सृप्' धातु से निष्पन्न होती है।

अपने तर्क से यास्क ने गार्ग्य के आक्षेपों का उत्तर देकर सब शब्दों की धातुज मान्यता स्थापित की है।

विशेष प्रमाणों के अभाव में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि गार्ग्य का 'निरुक्त' तथा 'व्याकरण' में समान रूप से अधिकार रहा।

४. गालव

गालव के नाम से विभिन्न विषयों पर लिखे गये ग्रन्थों के आधार पर इनकी विद्यमानता के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। फिर भी पाणिनि द्वारा निर्दिष्ट अपनी अष्टाध्यायी में इनके नाम का चार सूत्रों में उल्लेख होने से गालव के व्याकरण शास्त्र के रचयिता होने में कोई सन्देह नहीं है। पाणिनि ने निम्न चार सूत्रों में गालव का नाम-निर्देश किया है-

१. इको ह्रस्वोऽङ्यो गालवस्य (६.३.६१), २. तृतीयादिषु भाषितपुस्कं पुंवद् गालवस्य (७.१.७४), ३. अड् गार्ग्यगालवयोः (७.३.९९), ४. नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् (८.४.६७)। शाब्दिक प्रक्रिया के आधार पर इन सूत्रों में से प्रथम दो सूत्र सुबन्त शब्द सिद्धि को अभिलक्षित कर गालव का मत उद्धृत करते हैं। तदनुसार प्रथम सूत्र द्वारा समास प्रकरण के इकारान्त तथा उकारान्त भाषितपुंस्क शब्दों के सम्बन्ध में ह्रस्व विधान में 'गालव' का मत अभिलक्षित करते हुए केवल ह्रस्व विधि को अधिक मान्यता दी है। पूर्व सूत्र 'एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम्' (६.३.५९) से (अन्यतरस्याम्) की अनुवृत्ति होते हुए गालव पद का निर्देश न करने पर भी विकल्प सिद्धि स्वतः प्राप्त रही, अतः 'ग्रामणीकुलम्' तथा 'ग्रामणिकुलम्' दोनों प्रयोग मान्य होते है। इन में भी ह्रस्व विधि-युक्त 'ग्रामणिकुलम्' में एक मात्रा का लाघव होने से (णि) "पाणिनि" को यह ही अभीष्ट रहा हो- "अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः" उस समय कदाचित् प्रयोग बाहुल्य भी रहा हो। तीसरे सूत्र के सम्बन्ध में शाब्दिक विशेषता 'गार्ग्य आचार्य' के वर्णन में दर्शित की गयी है। चतुर्थ सूत्र वैदिक प्रक्रिया से सम्बद्ध है, और उसकी उपयोगिता भी आचार्य काश्यप के वर्णन में बतलाई जा चुकी है।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि 'गालव' ने भी 'लौकिक' तथा 'वैदिक' शब्दों की साधुता पर विचार एवं विश्लेषण किया हो। अतः उनका व्याकरण ग्रन्थ भी समग्रता का पारिचायक रहा हो।

देशकाल

१. इनके देश काल के सम्बन्ध में भी कुछ निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। 'पं. युधिष्ठिर मीमांसक' ने इनके (चाहे इस नाम के अनेक व्यक्ति भले ही हों) द्वारा विरचित अनेक विषय के ग्रन्थों का उल्लेख किया है। मीमांसक जी ने "पंडित भगवदत्त" द्वारा सम्पादित "वैदिक वाङ्मय का इतिहास" (भाग-१, पृ. १८७ द्वि.सं.) में उल्लिखित इस श्लोक द्वारा-मुद्गलो गालवो गार्ग्यः शाकल्यः तैत्तिरिस्तथा। पञ्चशौनक शिष्यास्ते शाखाभेदप्रवर्त्तकाः-इन्हें शौनक का शिष्य माना है।

२. महाभारत में क्रमपाठ एवं शिक्षाग्रन्थ के प्रवर्तक किन्हीं गालव का उल्लेख मिलता है।

३. महर्षियास्क ने निरुक्त (४/३) में गालव का एक निर्वचनसम्बन्धी सिद्धान्त उद्धृत किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि गालव ने कोई निरुक्त ग्रन्थ अवश्य रचा हो।

४. इन ग्रन्थों के अतिरिक्त गालव के नाम से दैवत ग्रन्थ, शालाक्य तन्त्र, कामसूत्र तथा भू-वर्णनका भी ऐतिहासिकों ने उल्लेख किया है।

गालव की गुरु-शिष्य परम्परा एवं देशकाल के सम्बन्ध में निश्चयात्मक रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। सभी बातें अनुमेय ही है। शब्दशास्त्र की दृष्टि से "महर्षि यास्क" द्वारा स्मरण किये जाने से इन्हें यास्क से पूर्व अथवा समानान्तर माना जा सकता है। अतः इनका स्थिति काल (६०० वि.पू.) के लगभग निर्धारित किया जा सकता है। 'तैत्तिरीय-शिक्षा' के अनुसार इनके गुरु का नाम शौनक रहा हो।

५. चाक्रवर्मण

चाक्रवर्मण का मत पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में केवल एक सूत्र में अभिव्यक्त किया है। इस बात का संकेत हमें "ई३चाक्रवर्मणस्य" ६.१.१३० से मिलता है। इनके व्याकरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्देश भी अन्यत्र नहीं मिलता। फिर भी पाणिनि के द्वारा एक सूत्र में उल्लेख होने के कारण वैयाकरणों ने कुछ अनुमान लगायें हैं। सभी वैयाकरणों के अनुसार इनका नाम भी अपत्यप्रत्ययान्त स्वीकार किया गया है। तदनुसार इनके पिता का नाम 'चक्रवर्मन्' रहा हो। गुरुपद हलदार द्वारा सम्पादित वायुपुराण में किसी चाक्रवर्मण को कश्यप का पौत्र बतलाया गया है।

पं. युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार पञ्चपादी उणादि सूत्रों के रचयिता एक आचार्य चाक्रवर्मण भी है। आपिशलि द्वारा भी इनका नाम उद्धृत होने के कारण इन्हें आपिशलि के कुछ पूर्व अथवा उनके समानान्तर माना जा सकता है। अतः इन्हें भी ८५० वि.पू. के आस-पास ही समझना चाहिए।

ई३ चाक्रवर्मणस्य (६.१.१३०) इस पाणिनि सूत्र के चिनुही ३ इदम् चिनुहीदम् इन उदाहरणों द्वारा यह विदित होता है कि (विभाषापृष्टप्रतिवचने हेः ८. २. ६३) सूत्र में निर्दिष्ट 'ही' के प्लुत में उभयत्र विभाषा मानी जाय। अन्यथा प्रत्युत्तर न देने पर अप्राप्त विभाषा स्थल पर विकल्प सिद्ध नहीं हो सकता था। पाणिनि के इस निष्कर्ष पर आगे के ग्रन्थकारों ने भिन्न-भिन्न विचार किये हैं। पतञ्जलि ने तो सूत्र को और संक्षिप्त करने के लिए "ई३" पद की अनावश्यकता पर भी विचार किया है।

भट्टोजिदीक्षित ने अपने शब्दकौस्तुभ (१.१.२६) में सर्वनाम संज्ञा के संदर्भ में "द्वय" शब्द को भी सर्वनाम कहा है[1] अन्यत्र (महाकवि माघ) (१२.१३) के एक उदाहरण में भी द्वय शब्द की सर्वनाम-सार्थकता मिलती है।

सर्वनाम संज्ञा का समाधान चाक्रवर्मण द्वारा रचित व्याकरण के अनुसार दिया जाता है। यद्यपि "नियतकालाः स्मृतयः" को अभिलक्षित कर भट्टोजिदीक्षित ने "द्वय" शब्द की सर्वनामसाधुता सम्पादित की है। फिर भी यह समाधान निर्विरोध नहीं कहा जा सकता।

---

१. चाक्रवर्मणव्याकरणे द्वयशब्दस्यापि सर्वनामताभ्युपगमात् (शब्दकौस्तुभ १.१.२७)

कारण यह है कि मुनिगण सम्मत शब्दशास्त्र की माला में अन्य महर्षिसम्मत शब्द की किस प्रकार साधुता मानी जाय? यदि शब्द की नित्यता पर विचार किया जाय तो पूर्वाचार्य प्रतिपादित शब्द की साधुता भी कैसे नकारी जाय? शब्द प्रयोग भी अर्हता तथा अनर्हता के सम्बन्ध में हमें भाष्यकार की यह उक्ति-"अस्त्यप्रयुक्तः" स्मरण करनी होगी। इस हेतु उणादिगण में "चाक्रवर्मण" शब्द का समावेश किया गया हो। उपर्युक्त वाक्य 'नियतकालाः स्मृतयः' पद यदि धर्मशास्त्र का ही बोधक हो तो शब्द शास्त्र में पूर्वाचार्यो द्वारा निष्पन्न शब्दों की नित्यता स्वयं सिद्ध हो जाती है। और उनमें अनन्तर आने वाले आचार्यो को उनकी सिद्धि का उपाय ढूँढ़ना पड़ता है।

इस अगतिकगति को सम्पन्न करने के लिए पाणिनि ने भी उणादयोबहुलम् (३.३.१) पढ़कर शब्द नित्यता समाहित की है। इसकी उपयोगिता पर विचार करते हुए "व्याकरण सिद्धान्त सुधानिधि" में प्रकृत सूत्र की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि उणादि की कल्पना केवल प्रकृति-प्रत्यय अनुपपन्न शब्दों के साधन करने में नहीं है अपितु पूर्व वैयाकरणों द्वारा निष्पन्न साधुशब्दों की प्रामाणिकता सिद्ध करने में है-

"प्रायेणैषां रूढतया प्रकृतिप्रत्ययार्थाननुगमाद्विशिष्य न व्युत्पाद्यन्ते किन्तु शास्त्रान्तरव्युत्पादितानां साधुत्वमात्रमनेन अभ्यनुज्ञायते" (३.३.१)

इस प्रकार पाणिनि पूर्ववर्ती वैयाकरणों का प्रामाण्य किसी प्रकार अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्यथा पाणिनि उनके द्वारा प्रतिपादित साधुता के सम्बन्ध में विचार क्यों करते? आगे पाणिनि के बाद भी अनेक वैयाकरणों ने इसी प्रकार के विभिन्न शब्दों की साधुता पर विचार किया है। इस संदर्भ में द्वय शब्द का समाधान "चन्द्रगोमिन" के व्याकरण में अवलोकनीय है। उन्होंने "प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च" (१. १. ३३) सूत्र में (द्वय) अंश का प्रक्षेप कर द्वय शब्द की सर्वनाम साधुता निष्पन्न की है।

६. भारद्वाज व्याकरण

पाणिनि से पूर्ववर्ती वैयाकरणों में भारद्वाज का नाम भी उल्लेखनीय है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में इनके मत का उल्लेख करते हुए केवल एक सूत्र में संकेत दिया है। वह सूत्र है-"ऋतो भारद्वाजस्य" (७.२.६३)। इसके अनुसार भारद्वाज के मत में "तास्" ('लुट्' लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन) के परवर्ती रहने पर ऋकारान्त धातुओं को नित्य अनिट्, उसके पश्चात तास् के समान थल् को इट् का आगम नहीं होता है। तदनुसार "स्मर्ता" (तास्) में 'इट्' आगम नहीं हुआ, तथा सस्मर्थ आदि ऋकारान्त धातुओं में "थल्" के परवर्ती रहते "इट्" आगम नहीं हुआ। यद्यपि "अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्" (७.२. ६१) तथा "उपदेशेऽत्वतः" (७.२.६२) इन दोनों सूत्रों से ही अभीष्ट प्रयोगों की सिद्धि सम्भव थी पुनरपि पाणिनि ने भारद्वाज के मत का उल्लेख कर इस सूत्र की नियामकता सूचित की है। तदनुसार उसका यह स्वरूप है कि यदि भारद्वाज आचार्य के मत में किसी

धातु को 'थल्' के परें रहने पर इट् का आगम न हो तो केवल वह ऋकारान्त धातु को ही, अन्य धातुओं को थल के परे रहने पर उनके मत से इट् का आगम हो ही जाता है। तों उसके फलस्वरूप "ययिथ" में इट् का आगम हो गया। इस कारण "स्तु" 'प्रु', स्रु" इत्यादि धातुओं को थल् के परे रहने पर भारद्वाज के मत से इट् का आगम विकल्प से नहीं होता है, क्योंकि "अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा"-परिभाषा के अनुसार नियम की ज्ञापकता "अचस्ता और उपदेशेऽत्वतः" इन दोनों सूत्रों को अभिलक्षित कर ही सिद्ध होती है।

इस नियम से विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कदाचित् भारद्वाज ने अपने व्याकरण में "आख्यात" पर अधिक बल दिया हो। इसके आधार स्वरूप विद्वानों ने कात्यायन के "वाजसनेय प्रातिशाख्य" से "भारद्वाजकमाख्यातम्"-प्रतीक को उद्धृत कर भारद्वाज ने व्याकरण में आख्यात पर अधिक बल दिया हो। ऐसा माना है इससे विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि आख्यात सम्बन्धी ऐन्द्र व्याकरण विषयक अपूर्णता को भारद्वाज ने विस्तार के साथ वर्णन किया हो।

उपर्युक्त वचन से यह आभास होता है कि सम्भवतः ऐन्द्र व्याकरण में प्रकृति-प्रत्यय का विभाग होने पर भी "धातु" और आख्यात का प्रकरण अपनी पूर्णता तक नहीं पहुँचा हो, तथा भारद्वाज और उनके परवर्ती वैयाकरणों ने उसका विस्तार किया हो।

भारद्वाज के सम्वन्ध में महाभाष्यकार पतञ्जलि ने कई बार इनका उल्लेख किया है-सूत्र संख्या-(१.१.२०.५६, १.२.२२, १.३.६७.३.१.३८.४८.८६.) महाभाष्यकार ने अपने ग्रन्थ से "भारद्वाजीयाः पठन्ति"-वाक्य द्वारा भारद्वाज के अनुयायियों की ओर संकेत किया है। इससे यह विदित होता है कि पतञ्जलि के समय तक भारद्वाज व्याकरण का किसी न किसी रूप में प्रचलन अवश्य रहा होगा। अन्यथा वह महाभाष्य में इतना अधिक उल्लेख न करते। उदाहरणार्थ "पूङः क्त्वा च" (१.२.२२)सूत्र में चर्चित भारद्वाजीय मत का उल्लेख किया जा रहा है। प्रकृत सूत्र कृदन्त प्रकरण से सम्बद्ध है। तदनुसार 'पू' धातु से परे इट् सहित निष्ठा प्रत्यय (क्त्वा, क्तवतु) भी 'कित्' नहीं होता। अतः गुण सन्धि का निषेध नहीं होगा। तदनुसार "पवितः" "पवितवान्" रूप सिद्ध होते है। "पूङश्च" (७.२.५१) सूत्र की प्रवृत्ति न होने पर इडागम पक्ष के अभाव में "क्त प्रत्यय" के कित् होने के कारण धातु को गुण नहीं हुआ-"पूतः पूतवान्"। इसी संन्दर्भ में महाभाष्यकार ने भारद्वाज के अनुसार इस प्रकार कहा है-"भारद्वाजीयास्तु पठन्ति नित्यमकित्त्वमिडाद्योः क्त्वाग्रहणं तु उत्तरार्थम्"।

वर्तमान में "शिक्षा" ग्रन्थों का अवलोकन करने पर "भारद्वाज शिक्षा" नामक ग्रन्थ भी देखने को मिलता है। इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है। श्री सिद्धेश्वर वर्मा तथा श्री युधिष्ठिर मीमांसक इसे प्राचीन नहीं मानते, किन्तु डा. गोल्टस्टुकर ने इसकी प्राचीनता स्वीकार की है और वह इसे पाणिनि के समानान्तर मानते हैं।

देशकाल

इनके देश-काल के सम्बन्ध में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, फिर भी भारद्वाजीय शिक्षा के आधार पर इन्हें सात सौ वि.पू. (७०० वि.पू.) माना जा सकता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय के "संस्कृत शास्त्रों का इतिहास" ग्रन्थ (पृष्ठ ३८६) में यह संकेत मिलता है कि तैत्तिरीय प्रातिशाख्य तथा मैत्रायणीय प्रातिशाख्य में इनके व्याकारणविषक मत का उल्लेख विद्यमान है।

ऐन्द्र व्याकरण के प्रसङ्ग में यह कहा गया है कि इन्द्र ने भारद्वाज को शब्दशास्त्र का उपदेश दिया। इसके प्रमाण ऋक्तन्त्र तथा तैत्तिरीय आरण्यक में उपलब्ध हैं[1] भरद्वाज तथा भारद्वाज की समानता के सम्बन्ध में मात्रा भेद होने के कारण समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। पाणिनि ने "ऋतो भारद्वाजस्य (पा.७.२.६३) सूत्र में स्पष्ट भारद्वाज नाम का उल्लेख किया है। अतः वैयाकरण के रूप में प्रसिध्दि भारद्वाज के नाम से रही। तत्पश्चात् भारद्वाज की विद्यापरम्परा तथा वंशपरंपरा को भारद्वाजीय नाम से संबोधित किया गया है। इससे विदित होता है कि इस परम्परा के आचार्यों का प्रभाव महाभाष्यकार के समय तक विद्यमान रहा।

७. शाकटायन

पाणिनि तथा यास्क आदि विद्वानों द्वारा विशेषतया सम्मानित "शाकटायन" का उल्लेख बाद के वैयाकरणों ने भी किया है। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने उणादयो बहुलम्" सूत्र में (३.३.१) अव्युत्पन्न शब्दों की सिध्दि के सम्बन्ध में "शाकटायन" का साक्षात् उल्लेख न करते हुए 'शकटस्य तोकम्' कह कर उनके प्रति अभिनिवेश नहीं दिखाया है। फिर भी वैयाकरणों की सुदीर्घ परम्परा में अनेक नवीन भावों को जन्म देने का श्रेय इस शाकटायन को ही है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में शाकटायन का तीन बार उल्लेख किया, वे सूत्र क्रमशः इस प्रकार पढ़े गये है- (१) लङः शाकटायनस्यैव (३.४.१११) (२) व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य (८.३.१८) तथा (३) त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य (८.४.५०)। सर्व प्रथम शाकटायन ने अपना मत "लङ्" लकार 'स्थ' आकारान्त धातुओं से प्रथम पुरुष के बहुवचन में "झि" प्रत्यय के स्थान पर उस आदेश द्वारा आख्यातसम्बन्धी मत को प्रकट किया है। अतः धातुज शब्दों की व्युत्पत्ति से उनका सम्बन्ध भी परिलक्षित होता है। एतदर्थ निरुक्तकार यास्क द्वारा निरूपित निर्वचनपद्धति से इनके मत की भी समीक्षा की जाती है। "शाकल्य" और "शाकटायन" इन दोनों आचार्यो का "य्" तथा "व्" इन दो वर्णो के लोप होने का तारतम्य "शाकल्य" आचार्य के निरूपणप्रसंग में विद्यमान् है। तीसरे सूत्र के विषय

---

१. द्रष्टव्य-ऋकतन्त्र-इन्द्रो भारद्वाजस्य (१.४) तथा तैत्तिरीय आरण्यक (२.२.४)

का उल्लेख भी शाकल्य आचार्य के प्रसंग में वर्णित है। जिसके अनुसार तीन संयुक्त वर्णों में द्वित्व निषेध किया गया है। "अन्यथा द्वित्वनिवारण के उपाय करने पड़ते। किन्तु काशिकाकार ने भी "शाकटायन" का बड़ा समादर किया है। ऐसा विदित होता है कि उनके समय तक शाकटायन व्याकरण किसी न किसी रूप में उपलब्ध रहा हो- अनुशाकटायनं वैयाकरणाः।

देशकाल

शाकटायन के सम्बन्ध में देशकाल की जिज्ञासा आज तक बनी हुई है। कोई निश्चित प्रमाण न होने पर इनके पितृ-स्थान तथा जन्म-काल के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना तो निश्चित है कि इनके पिता शकट होंगे, क्योंकि पतञ्जलि ने महाभाष्य में 'शकटस्य तोकम्' उल्लेख किया है और वहीं पर उन्होंने "तोक" शब्द को अपत्य का पर्यायवाची माना है। प्रसंगवश यह कहना अनुचित न होगा कि कूर्माचल (कुमायूँ) के काली-कुमायूँ क्षेत्र में लोहाघाट (पिथौरागढ़ जनपद) की पार्श्ववर्ती तपोभूमि से इनका कुछ सम्बन्ध अवश्य रहा होगा। वहाँ के कुछ ब्राह्मणों का उपनाम "शकटा" (शकट का अपभ्रंश) आज भी मिलता है और वे लोग दक्षिण से आए और इस सम्बन्ध में चर्चा भी करते हैं।

पाणिनि द्वारा निर्दिष्ट यकार-वकार-लोप के प्रकरण में "शाकटायन" तथा "शाकल्य" के मत उद्धृत होने से इन दोनों आचार्यों का समकालिक अथवा कुछ पूर्वापर होना अनुमेय है। अतः "शाकटायन" भी "यास्क" युग में विद्यमान रहे हों।

उपर्युक्त विवरण से "शाकटायन" का वैदुष्य और मौलिकता सिद्ध होती है। "नागेश भट्ट ने" अपनी "उद्योत" टीका में शाकटायन के व्याकरण-स्वरूप का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि इनका व्याकरण लौकिक संस्कृत को अभिलक्षित कर रचा गया था। वैदिक व्याकरण का निर्वचन इन्होंने नहीं किया।

इस प्रकार शाकटायन की स्थिति के संबन्ध में और युक्तियाँ भी दी जाती हैं-तदनुसार "ऋक्तन्त्र" "शतपथ-ब्राह्मण" "मैत्रायणीय प्रातिशाख्य" ऋक्प्रातिशाख्य और वाजसनेयप्रातिशाख्य आदि ग्रन्थों में उद्धृत शाकटायन के मत उन्हें बहुत आरम्भिक उन प्रमुख वैयाकरणों की कोटि में सिद्ध करते हैं, जिन्हें प्रातिशाख्य, निरुक्त और व्याकरण के क्षेत्र में युगपत् और तुल्यरूप से महान् ख्याति प्राप्त हुई। यह असम्भव नहीं कि शाकटायन अनेक हुए हों और शाकटायन नाम से प्रोक्त सब ग्रन्थों का प्रणेता एक ही शाकटायन हो। अन्यथा परम्परानुसार भिन्न-भिन्न शाकटायनों को भिन्न "अपत्यनामों" से सूचित किया जाता। इस प्रकार गार्ग्य, गालव, शाकल्य आदि के काल विवेचन करने में भी यही तथ्य माना गया है। शौनकोक्त "ऋक्प्रातिशाख्य" में भी "शाकटायन" का मत "बृहद् देवता" में उद्धृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त शाकटायन ऋक्प्रातिशाख्यकार शौनक के पूर्ववर्ती अथवा समकालिक रहे हों। पाणिनि ने प्राच्य और उदीच्य भाषागत देश विभाजन के अनुसार शब्दों का विश्लेषण किया है। उनके "गण" पाठ इस बात को सूचित करते हैं। शाकटायन अवश्य ही प्राच्य और औदीच्य शाखाओं के विभाजन से पूर्व ही अत्यन्त प्रसिद्ध और समादृत हो चुके थे।

अतः इनके व्याकरण को नागेश ने एकांगी माना है, फिर भी इनकी महत्ता को नागेश ने स्वीकार किया है-"लौकिकशब्दमात्रं शाकटायनादिशास्त्रमधिकृतम्।" पं. युधिष्ठिर मीमांसक इस कथन से सहमत नहीं है। उनका कथन है कि जब "उणादि" के कर्त्ता शाकटायन है तो नागेश के मत की सत्यता कैसे चरितार्थ होगी? कारण यह है कि उन उणादि सूत्रों में अनेक वैदिक शब्दों का व्याख्यान किया गया है। ऋक्तन्त्र के प्रेणता (कुछ लोगों के मत में शाकटायन भी किसी ऋक्तन्त्र के प्रणेता हैं) को वे विशुद्ध लौकिक व्याकरण का प्रणेता मानने को तैयार नहीं है। अतः मीमांसक जी यह मानते है कि सम्भवतः नागेश ने जैन पाल्यकीर्ति के प्राचीन शाकटायन के व्याकरण को ही शाकटायन व्याकरण माना हो।

इस सम्बन्ध में गोल्डस्टूकर मत भी अवधेय है। गोल्डस्टूकर ने "लन्दन की इण्डिया आफिस लाइब्रेरी" में एक अति प्राचीन मलयालम लिपि में हस्तलेख शाकटायन व्याकरण के नाम से देखा था। उसकी वह प्रतिलिपि नहीं कर सके। गोल्डस्टूकर ने उसका प्रतीक मात्र दिया है। उसका विवेचन अभी तक नहीं हो सका है कि वह ग्रन्थ इन दोनों शाकटायनों में से किसका है? फिर भी यह कहा जा सकता है कि शताब्दियों पूर्व लिखा गया काशकृत्स्न व्याकरण और धातुपाठ जब इतनी शताब्दियों के बाद भी दक्षिण में रह पाया तो कदाचित् किसी दिन शाकटायन व्याकरण भी समग्र रूप में उपलब्ध हो सके ? व्याकरण के इतिहास में वह दिन "हर्षजनक" होगा।

वैयाकरणों ने शब्द की प्रवृत्ति के आधार पर चार पदार्थों का उल्लेख किया है- १. जाति, २. गुण, ३. क्रिया, ४. द्रव्य, और इसी के अनुसार शब्दप्रवृत्ति भी चार तरह की मानी गई है। १.जातिशब्द, २. गुणशब्द, ३. क्रियाशब्द, ४. द्रव्यशब्द (यदृच्छाशब्द)। शब्द-प्रवृत्ति के विषय में प्राचीन काल से ही विवाद चला आ रहा है। जिनेन्द्रबुद्धि के अनुसार, निरुक्तकार और शाकटायन ने त्रयी शब्द प्रवृत्ति मानी है। उनके मतानुसार जातिशब्द, गुणशब्द और क्रिया-शब्द ही है। यदृच्छा शब्द नहीं है। कुछ लोगों के मत में केवल क्रिया-शब्द ही शब्द-प्रवृत्ति-निमित्त है। जाति-शब्द और गुण-शब्द भी क्रिया शब्द से ही निष्पन्न होते हैं- "तदेवं निरुक्तकार-शाकटायनदर्शनेन त्रयी शब्दानां प्रवृत्तिः। जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दाश्च। न सन्ति यदृच्छाशब्दा इति, अथवा जातिगुणशब्दानामपि क्रियाशब्दत्वमेव। धातुजत्वात्। ततश्चैकैव शब्दानां प्रवृत्तिः क्रिया शब्दा इति। पाणिनि को भी चतुष्टयी शब्द-प्रवृत्ति ही मान्य है। यदृच्छाशब्दों की मान्यता का आधार कैयट के मत में

"अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्(१.२.४५) सूत्र है। यद्यपि महाभाष्यकार इस सूत्र का प्रत्याख्यान करते हैं, फिर भी सूत्र की रचना से जान पड़ता है कि पाणिनि अव्युत्पन्न यदृच्छा शब्दों के ही समर्थक थे। "अर्थवत्सूत्रारम्भाच्च अव्युत्पन्ना यदृच्छाशब्दा सन्तीत्यवगम्यते" (कैयट प्रदीप महाभाष्य प्रत्याहारसूत्र ऋलृक्) तभी "उणादयो बहुलम्"(३.३.१) सूत्र से इसकी एकवाक्यता होती है।

अर्थवत् सूत्र के प्रत्याख्यान तथा यथास्थिति के सम्बन्ध में प्राचीन तथा नवीन वैयाकरणों ने अत्यधिक विचार किया है, जिनमें भट्टोजिदीक्षित तथा विश्वेश्वर पाण्डेय के मत अवलोकनीय हैं। इस पर्यालोचना में व्युत्पत्ति तथा अव्युत्पत्ति पक्षों के संदर्भ में अभिव्यक्ति विद्यमान है।

विश्वेश्वरपाण्डेयकृत वैयाकरणसिद्धान्तसुधानिधि की इन पंक्तियों से ये दोनों मत स्पष्ट हो जाते हैं-"नन्वेतत्सूत्रं व्युत्पत्तिपक्षे कृदन्तत्वादेव सर्वत्रसिद्धेरिति चेन्न अव्युत्पत्तिपक्षे सार्थक्यात्। तत्र च इदमेव ज्ञापकमिति प्राञ्चः"। निरुक्तेऽप्युक्तम्-"नामान्याख्यातजानीति शाकटायनः, नैरुक्तसमयश्च, न सर्वाणीति गार्ग्यो वैयाकरणानाञ्चैके" इति। व्युत्पत्तिपक्षेऽपि निपातार्थमनुकरणार्थञ्चेति हरदत्तोक्तं तु चिन्त्यम्। तत्रापि प्रकृत्यादिकल्पनसम्भवात्।

वस्तुतस्तु व्युत्पत्तिपक्षेऽपि बहुपटव इत्याद्यर्थं सूत्रम्। न चैवं बहुच्पूर्व इत्येव सूत्रयताम् इति वाच्यम्। मूलकेनोपदंशमित्यादौ कृदन्तत्वेनातिप्रसङ्गात्। अर्थवत्सूत्रं विना समासग्रहणस्य नियमार्थत्वायोगात् इति दीक्षिताः। "तदसत्" भेदविवक्षायामनुकरणानां प्रकृत्यादिकल्पने मानाभावात्। अयं तु विशेषः।। भेदविवक्षापक्षेऽनुकार्येणार्थवत्त्वात्प्रातिपदिकसंज्ञा "भुवो वुग्" इत्यादिवत्। अभेदविवक्षायां तु न, गवित्यहमाहेत्यादिवत्। मूलकेत्यादौ अतिप्रसंगस्य च निरस्तत्वात्"। (पृ. ६००)।

८. शाकल्य

पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में शाकल्य का नामोल्लेख करते हुए चार सूत्रों की रचना की है। इसके साथ ही वैदिक सम्प्रदाय में सर्वप्रथम ऋग्वेद के पदपाठ के उद्भावक शाकल्य ही प्रसिद्ध हैं। इन प्रमुख उल्लेखों से शाकल्य पाणिनि से पूर्व ही ग्रन्थकार के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। वैदिक सम्प्रदाय में पदपाठ के अनन्तर क्रमपाठ का प्रचलन हुआ हैं पाणिनि द्वारा विरचित "क्रमादिभ्यो वुन्" (४.२.६१) सूत्र में "क्रमादिगण" में "क्रम" के अनन्तर "पद" पढ़ा गया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अष्ट विकृतियों में क्रम-संचार का प्रचलन "शाकल्य" के पद के पाठ समानान्तर रूप में व्यवहृत होने लगा हो, अतः वैदिक संहिताओं की अष्टविकृतियों के संचालन में भी शाकल्यतन्त्र नितरां उपयोगी रहा।

शाकल्य नाम के अनेक आचार्य हो चुके हैं। प्रसंगवश उनके भी उल्लेख करने का कारण वैयाकरण शाकल्य से पार्थक्य विदित कराना है। इन में तो एक "स्थविर-शाकल्य"

हैं। किन्तु "ऋक्प्रातिशाख्य" (पटल-२ सूत्र ८१, ८२) की उव्वट व्याख्या के अनुसार शाकल्य और स्थविर शाकल्य भिन्न-भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते हैं- तासां शाकल्यस्य स्थविरस्य मतेन किञ्चिदुच्यते। (ऋक्प्राति.टीका २.८१) जिन विदग्ध-शाकल्य के साथ याज्ञवल्क्य का जनक सभा में शास्त्रार्थ हुआ था वह भी भिन्न व्यक्ति हैं। इन दोनों के अतिरिक्त वेदमित्रशाकल्य नाम से भी कोई विद्वान् प्रसिद्ध हो चुके हैं। इनका उल्लेख वायु पु. (अ.६१ /३२) में मिलता है इन्हें प्राचीन नहीं माना जा सकता हैं।

पाणिनि सूत्रों में उद्धृत शाकल्य के नाम से चार सूत्र अष्टाध्यायी में विद्यमान हैं- १. "सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे" (१.१.१६) २. "इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च" (६.१.१२७) ३. लोपः शाकल्यस्य (८.३.१९) तथा ४. "सर्वत्र शाकल्यस्य" (८.४.५१) इन सूत्रों में से प्रथम सूत्र में निविष्ट "अनार्षे" पद के कारण लौकिक संस्कृत में सम्बोधन निमित्तक ओकार के परवर्ती इति शब्द के साथ ओकार को प्रगृह्य संज्ञा शाकल्य आचार्य के मत में होने के पाक्षिक "अव्" आदेश होने के पश्चात्-"वायो इति" तथा "वायविति" ये दो रूप बनेंगे, वेद में प्रगृह्य संज्ञा न होने से प्रकृति भाव न होने से सन्धिकार्य "अव्" आदेश हो जाता है-"ब्रह्मवन्धवित्यब्रवीत्" इस प्रकार भाषागत वैशिष्ट्य सूचित होने से ऐसे स्थलों में संदेह नहीं रह जाता अन्यथा लोक और वेद दोनों में समानता होने से लौकिक और वैदिक शब्दों में ओकारान्त सम्बोधन के पश्चात् "इति" शब्द के रहते प्रयोगों की भिन्नता विदित नहीं होती। द्वितीय सूत्र (६.१.१२७) के अनुसार भी पद के अन्त में विद्यमान इगन्त वर्णो से पर असवर्ण अच् रहने पर आचार्य शाकल्य के मत में प्रगृह्य संज्ञा होती है। पाणिनि के मत में नहीं। इस प्रकार "दधि अत्र" "दध्यत्र" आदि स्थलों में उभय-विध रूपों में शाकल्य से अपनी भिन्नता दिखाने के लिए तथा शाब्दिक साधुता के प्रदर्शनार्थ पाणिनि ने शाकल्य को भी मान्यता दी है। ३. "लोपः शाकल्यस्य" (८.३.१९) सूत्र में शाकल्य का मत उद्धृत कर विशेषता दिखाई गयी हैं। यह प्रसंग "य्" के लोप होने के सम्बन्ध में है। प्रकृत सूत्र के पूर्व सूत्र से अनुवर्तमान प्रसङ्ग के वैकल्पिक होने के कारण यहाँ भी केवल "लोपः" कहने से विकल्प स्वतः सिद्ध था। किन्तु वह लोप "लघुप्रयत्नतर" उच्चार्यमाण "य्" तथा "व्" के विषय में ही सम्भव होता। पाणिनि को अलघुप्रयत्नतर में भी लोप अभीष्ट रहा, उसका भी निवेश करने के लिये "शाकल्य" पद की सार्थकता मानी गयी है। इसके फलस्वरूप अलघुप्रयत्नतर का एक पक्ष में लोप, एवं एक पक्ष में श्रवण होकर अनिवार्य रूप में तीन रूप बनेंगें-एक पक्ष लघुप्रयत्नतर आदेश का, एवं द्वितीय अलघुप्रयत्नतर के लोप, तथा तृतीय अलघुप्रयत्नतर के श्रवण का। इसी आशय को लेकर नागेशभट्ट ने "लघुशब्देन्दुशेखर" में प्रकृत सूत्र की व्याख्या भी की है- "इदं सूत्रं लघुप्रयत्ने न शाकटायनमते तयोर्विधानेन शाकल्यमते तदभावात्" इस रहस्य का उद्घाटन "महामहोपाध्याय पण्डित नित्यानन्द पन्त जी की लघुशब्देन्दुशेखर" की "दीपक" व्याख्या में

अवलोकनीय है। "ऋषिविशेषघटितशास्त्रबोधितं साधुत्वं ऋषिविशेषो न जानाति, सामान्यतो बोधितं सर्वे एव जानन्ति तथा च "व्योर्लघु" (८.३.१८) इतिशास्त्र बोधितं साधुत्वम् शाकल्यो न जानाति इति तयोर्लोपो न"। ४. शाकल्य पद से निर्दिष्ट "सर्वत्र शाकल्यस्य" (८.४.५१) सूत्र के द्वारा द्वित्व निषेध प्रकरण में संयुक्त वर्णो में द्वित्व जन्य वर्णाधिक प्रसक्ति विभिन्न आचार्यो पर अकुंश लगाने के लिए पाणिनि का यह प्रयास है। जिसके द्वारा सर्वत्र त्रिप्रभृति अथवा अत्रिप्रभृति संयुक्त वर्णो में द्वित्व नहीं होता है। अतः ऐसे द्वित्वनिषेध का वैकल्पिक विधान बतलाया गया है। प्रगृह्य संज्ञा के प्रकरण में "ऋत्यकः" सूत्र (६.१.१२४) में साक्षात् "शाकल्य" पद का निर्देश यद्यपि नहीं किया गया है किन्तु उस सूत्र में पूर्व सूत्र "इकोऽसवर्णे" (६.१.१२३) से अनुवर्तमान शाकल्य पद से पाणिनि ने उनका मत अभिव्यक्त किया है। तदनुसार यह ज्ञात होता है कि ऋकारपरक अक् (अ, इ, उ, ऋ, लृ) को शाकल्यआचार्यप्राप्त सन्धि कार्यनहीं होता। तथा उन वर्णो को "ह्रस्व" भी नहीं होता। पाणिनि को सन्धिकार्य भी अभीष्ट है इस प्रकार भाषागत प्रयोगों की साधुता का निर्वाह करने के लिये पाणिनि अपने पूर्ववर्ती आचार्यो को सम्मान देते है। अतः लोक में "ब्रह्म ऋषि" तथा ब्रह्मर्षिः आदि प्रयोग साधु माने गये हैं।

आचार्य शाकल्य को प्राचीन प्रातिशाख्य ग्रन्थों के रचयिताओं ने भी स्मरण किया है। विशेषतया शौनक तथा कात्यायन ने इनके मतों को उद्धृत कर इनके प्रति सम्मान प्रकट किया है। शाकल्य और शकल-ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, क्योंकि महाभाष्यकार ने ६. १. १२७ में शाकल्य के नियम का शाकल नाम से उल्लेख किया है। इन दोनों व्यक्तिवाचक शब्दों में मूल शब्द "शकल" है। अपत्यार्थक "यञ्" (गर्गादिभ्यो यञ्। अष्टा. ४. १. १०५) तथा "अण्" (तस्यापत्यम्। अष्टा. ४. १. ९२) प्रत्यय होने पर -ये दोनों रूप समानार्थक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखीय है कि अष्टाध्यायी में कार्तकौजपादिगण (६. २. ३७) में "शाकलशुनकाः पद पढ़ा है। काशिकाकार के मतानुसार शाकल्य के शिष्यों और शुनक के पुत्रों का द्वन्द्व समास है। इससे यह विदित होता है कि शाकल्यशिष्यों और शुनकपुत्रों (शौनक) का कोई घनिष्ठ सम्बन्ध था।

काल

पाणिनि ने शौनकादिभ्यश्छन्दसि (अष्टा. ४. ३. १०६) में शौनक का नाम उद्धृत किया है। शौनक ने अपने प्रातिशाख्य में शाकल्य के व्याकरणमत उद्धृत किये हैं। शौनक ने अधिसीम कृष्ण के राज्यकाल में नैमिषारण्य में किये गये किसी द्वादशाह सत्र में "ऋक् प्रातिशाख्य" का प्रवचन किया था। मीमांसक जी ने इनका काल विक्रम से २९०० वर्ष पूर्व माना है। इस प्रकार शाकल्य का समय इससे भी और पूर्व माना गया है, क्योंकि "महाभारत" अनुशासनपर्व १४ में किन्हीं सूत्रकार शाकल्य का उल्लेख हो। तदनुसार मीमांसक जी शाकल्य को विक्रम से ३१०० वर्ष पूर्व मानते हैं।

वर्तमान ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में शाकल्य (शाकल) की प्राचीनता पाणिनि से कई सौ वर्ष पूर्व मानी जा सकती है। ऋग्वेद के पदपाठकर्ता शाकल्य सर्वप्रथम वैदिक साहित्य के पदपाठकर्ता हैं। पाणिनि ने अपने स्वर-वैदिक प्रकरण में पदपाठ के आधार पर स्वरों का निवेश किया है, क्योंकि "पद" ही मूल प्रकृति है। शाकल्य की प्राचीनता के सम्बन्ध में "वाक्" के अव्याकृत रहने पर "इन्द्र" द्वारा सर्वप्रथम "व्याकृत" (पद रूप में विभक्त) किये जाने का उल्लेख इस विषय को और प्रमाणित करता है। इस प्रकार इन्द्र के अनन्तर पद विभाजन करने वाले वैदिक वैयाकरण और लौकिक वैयाकरण-दोनों रूपों में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। अतः इनका समय पाणिनि से लगभग ५०० वर्ष पूर्व स्थिर किया जा सकता है।

अन्य कृतियाँ

ऋक् पदपाठ के अतिरिक्त माध्यन्दिन पदपाठ का प्रवचन शाकल्यकृत है। इस मत की पुष्टि में मीमांसक जी ने अपने इतिहास की पुस्तक में यह उल्लेख किया है कि एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता में एक हस्तलेख विद्यमान है, जिसके अन्त में उसे "शाकल्यकृत" लिखा है। पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं होता था किन्तु १४७१ वि.सं. का लिखित पदपाठ प्राप्त होने पर यह सन्देह दूर हो गया, क्योंकि उसके अन्तिम १० अध्यायों के अन्त में शाकल्यकृते-यह शब्द विद्यमान है। इस सम्बन्ध में मीमांसक जी द्वारा सम्पादित "माध्यन्दिन" पदपाठ का संशोधित संस्करण अवलोकनीय है।

९. सेनक

पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जिन पूर्वाचार्यों का उल्लेख किया है, उनमें से एक "सेनक" भी हैं। अन्य उल्लिखित आचार्यों के प्रसंग में पाणिनि ने अष्टाध्यायी के दो, तीन या चार सूत्रों तक स्मरण किया है। आश्चर्य है कि आचार्य सेनक का स्मरण केवल एक सूत्र में ही किया है। वह सूत्र है- "गिरेश्च सेनकस्य" (५. ४. ११२)। अब तक इनके सम्बन्ध में कहीं भी किसी प्रकार का विवरण अप्राप्य है। पाणिनि में "तद्धिताः" (४.१.७६) अधिकार के अन्तर्गत आने वाले अव्ययीभाव समास से सम्बद्ध टच् प्रत्ययान्त गिरि शब्द की साधुता को अभिलक्षित कर आचार्य सेनक को सम्मानित किया है। केवल अन्तर्गिरि, उपगिरि, अनुगिरि आदि सीमित अव्ययीभाव समासान्त शब्दों से वैकल्पिक अभीष्ट "टच्" प्रत्यय से निष्पन्न अन्तर्गिर, उपगिर, अनुगिर आदि शब्दों की साधुता भी स्वतः सिद्ध रही, उसके लिये आचार्य सेनक की मुहर लगानी कोई आवश्यक नहीं थी। फिर भी इस सम्बन्ध में काशिका, न्यास, पदमञ्जरी तथा लघुशब्देन्दुशेखर में थोड़ा बहुत विचार किया गया है, काशिकाकार ने इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा है कि प्रकृत सूत्र में (५. ४. ११२) "नपुंसकादन्यतरस्याम्" ५. ४. १०९ सूत्र से अन्यतरस्याम् पद की अनुवृत्ति

किये जाने से विकल्प-लाभ हो सकता है। अतः सेनक पद का समावेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे चलकर इस सम्बन्ध में व्याख्याकारों में सर्वप्रथम जिनेन्द्रबुद्धि ने न्यास में कुछ विस्तार के साथ विचार किया है। उन्होंने दो वैकल्पिक विधियों के मध्यगत विधान के नित्य होने के फलस्वरूप तदनन्तर विकल्पसिद्धि के लिये सेनक ग्रहण की आवश्यकता का भी निराकरण किया है जिसके द्वारा यह बतलाया गया है कि "शरत्-प्रभृति" शब्दों में "झय्" प्रत्याहारान्तर्गत वर्णो के शब्दों का समावेश निरर्थक हो जायेगा, क्योंकि "झयः" (५.४.१११) सूत्र से ही उन शब्दों की निष्पत्ति स्वतः सिद्ध रही। अतः जिनेन्द्र बुद्धि के मत में भी सेनक ग्रहण पूजार्थ ही है। पद्मञ्जरीकार हरदत्त इतने से सन्तुष्ट नहीं हुए उन्होंने कुछ झयन्त शब्दों का पाठ टच् प्रत्यय की नित्यता को सूचित करने के लिये बतलाया है। अतः ऐसे शब्दों को शरत् प्रभृति शब्दों में सार्थक सिद्ध किया हैं तदनुसार प्रकृत सूत्र में केवल टच् प्रत्यय के वैकल्पिक विधान हेतु सेनक ग्रहण के सम्बन्ध में अरुचि ही दिखाई है। तथा हरदत्त भी सम्मानार्थ उसकी उपयोगिता मानते हैं। नागेशभट्ट ने भी "सेनक" पद का उल्लेख सम्मानार्थक ही माना है। सूत्र में "वा" पद का सन्निवेश करने पर भी विकल्पार्थक विधि सम्भव अवश्य थी, किन्तु दो विकल्पों के मध्य विधान की नित्यता स्वीकार होने के फलस्वरूप "झयः" (५.४.१११) सूत्र से विहित टच् प्रत्यय के नित्य होने की सम्भावना को हटाने के लिये सेनक ग्रहण की चरितार्थता अधिक उपयुक्त विदित होती है। इसके फलस्वरूप इससे आगे आने वाले सूत्र "बहुव्रीही सक्थ्यक्षणोः स्वांङ्गात्षच्" (५. ४. ११३) में विकल्प विधान की अनुवृत्ति नहीं होती। इस बात को नागेश ने लघुशब्देन्दुशेखर में बताया है[1]।

१०. स्फोटायन

पाणिनि ने केवल एक बार स्फोटायन का "स्मरण" किया है- वह भी "गवाग्र" आदि शब्द की सिद्धि के सम्बन्ध में। यद्यपि अच्परक ओकारान्त "गो" शब्द को अवङ् आदेश के प्रति पाणिनि उदासीन दिखाई पड़ते हैं, फिर भी उनसे स्फोटायन प्रभावित होने के कारण उन्हें वैकल्पिक विधान करने के लिए "अवङ् स्फोटायनस्य" (६.१.१२३) सूत्र की रचना करनी पड़ी, उन्हें स्वयं (गोऽग्रम्) आदि रूप अभीष्ट रहे हों, केवल अच्परक गो शब्द के उदाहरण मात्र देने से उन शब्दों की प्रायोगिकता को प्रमाणित करना ही पाणिनि का उद्देश्य रहा हो। लोक व्यवहार में "गवाग्र" आदि शब्दों की साधुता दिखाना ही पाणिनि को स्फोटायन के मत पर सम्मान देकर अपनी मुहर लगानी पड़ी हो। पाणिनि द्वारा स्फोटायन

---

१. "अन्यतरस्याङ्ग्रहणस्य तु स्वरितत्वं नास्त्येव अतएव नदीपौर्णमासी (५.४.११०) इति सूत्रं नदीशब्देन विशेषाणामग्रहणे शरदादिषुविपाट्शब्दपाठस्य ज्ञापकत्वमुक्तं संख्यासंज्ञासूत्रे भाष्ये नदीत्यादेर्वैकल्पिकत्वे नित्यत्वाय पाठस्य आवश्यकतया ज्ञापकत्वासंङ्गतिः स्पष्टैव"

का नाम निर्देश किये जाने पर उनके अस्तित्व में कोई सन्देह नहीं रह जाता। फिर भी उनके नाम की भिन्नता अन्यत्र निर्दिष्ट होने से अधिकतर विद्वानों ने स्फोटायन के नाम से उन्हें "स्फोट" सिद्धान्त का निर्वचनकर्ता भी माना है, इसी उधेड़बुन में आलोचक भी पड़े रहे।

पाणिनि द्वारा उल्लिखित होने से स्फोटायन नाम से ही वह अवश्य प्रसिद्ध रहे होगें। पाणिनि से कितने वर्ष पूर्व रहे हों-यह कहना कठिन है। काशिकाकार ने "अवङ् स्फोटायनस्य" (६.१.१२३) सूत्र में गो शब्द से अच् पर रहते सम्भावित उदाहरण दिये हैं। वामन-जयादित्य ने इस सूत्र से सम्बद्ध कतिपय उदाहरणों में वैदिक स्वरों की सूक्ष्मता भी बतलाई है। इसके साथ ही प्रकृत सूत्र में "स्फोटायनग्रहण" पूजार्थ कहकर स्फोटायन के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है।

दूसरी विशेषता यहाँ व्यवस्थित-विभाषा है। अतः "गवाक्ष" शब्द में नित्य अवङ् आदेश होता है। स्फोटायन नाम से इनकी प्रसिद्धि अवश्य रही होगी। पदमञ्जरीकार हरदत्त ने इनके नाम की व्युत्पत्ति इसी रूप में की है-"स्फोटाऽयनं परायणं यस्य स स्फोटायनः-स्फोटप्रतिपादनपरो वैयाकरणाचार्यः"। स्फोटायन नाम का उल्लेख आचार्य हेमचन्द्र ने अपने ग्रन्थ में किया है। किन्तु केशव ने भी अपने "नानार्थार्णवसंक्षेप" में इन्हें स्फोटायन नाम से कहा है। "स्फौटायन" नाम की साधुता को हरदत्त ने काशिका की टीका "पदमञ्जरी" में "नडादि" अथवा "अश्वादि" गण में स्फोट शब्द का पाठ मानकर आदि वृद्धि होने से स्फोटायन[1] शब्द सिद्ध किया है। हेमचन्द्र और केशव इन दोनों आचार्यों ने इन्हें कक्षीवान् कहकर इस सन्देह में डाल दिया है कि क्या स्फोटायन कुशिक-पुत्र कक्षीवान् रहे ? उपर्युक्त उद्धरणों से स्फोटायन के व्यक्तित्व में कोई सन्देह नहीं रह जाता।

आचार्य स्फोटायन का नाम स्फोट सिद्धान्त के आविष्कारक होने के कारण पड़ा हो। इस सम्भावना को लेकर विद्वानों में खलबली मची हुई है। शब्द-नित्यत्व-सम्पादक स्फोटवाद के चिन्तन में कात्यायन से लेकर भर्तृहरि तक अनेक वैयाकरणों ने अपना-अपना महत्त्वपूर्ण योग दिया है। स्फोट का वास्तविक स्वरूप आधुनिक भौतिक जगत् की आणविक शक्ति के समान ध्वनि की अभिव्यञ्जकता में प्रकाशित होता है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य के आरम्भ में ही किया है। "सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे" वार्तिक का अभ्युत्थान करते हुए महाभाष्यकार पतञ्जलि ने स्फोट और ध्वनि में परस्पर व्यङ्-व्यञ्जक-भाव सूचित किया है-ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते। अल्पोमहांश्च केषाञ्चिद् उभयं तत्स्वभावतः (१.१.१)।

वर्तमान में स्फोट की निष्पत्ति भर्तृहरि ने पूर्वा-पर समन्वय के साथ ही की है। उन्होंने अद्वैत वेदान्त के सदृश् शब्दब्रह्मवाद की स्थापना कर स्फोट सिद्धान्त को नया स्वरूप दिया

---

१. ये तु औकारं पठन्ति, ते नडादिश्ववादिषु वा पाठं मन्यते। (पदमन्जरी सूत्रांक ६. १. १२३)

है। वेदान्त के सदृश शब्द-सृष्टि की कल्पना विर्वतवाद को अभिलक्षित कर समग्र वैदिक और लौकिक वाङ्मय को उसके अन्तर्गत समाविष्ट कर दिया। भर्तृहरि ने भी स्फोट की व्याख्या ध्वनि के प्रसंग में की है। उसका आदि और अन्त ध्वनि से सम्बद्ध है। इसके अनन्तर कैयट, पुण्यराज, हेलाराज आदि मूर्धन्य विद्वानों ने स्फोटवाद के स्वरूप को बताने वाले भर्तृहरि को माना है। अतः स्फोट का सम्बन्ध किसी न किसी रूप में व्याकरण दर्शन से है और अपेक्षाकृत अर्वाचीन व्याकरण दर्शन में स्फोटवाद का पर्याप्त विवेचन किया गया है। यदि पतञ्जलि से लेकर नागेश तक के स्फोटसाहित्य को सामने रखकर स्फोट पर विचार किया जाय तो निम्नलिखित रूप में सामने आते हैं-

१. स्फोट ध्वनि के रूप में।
२. स्फोट शब्द के रूप में।
३. स्फोट नित्य शब्द रूप में।
४. स्फोट जाति के रूप में।
५. स्फोट वाक् रूप में।
६. स्फोट शब्दब्रह्मरूप में।

यह भेद विकास की दृष्टि से परिज्ञात है।

स्फोटवाद की लम्बी यात्रा में स्फोटायन का नाम औदुम्बरायण के रूप में भी व्यवहृत है। औदुम्बरायण के नाम से इस सम्बन्ध में यास्क, गार्ग्य, गालव, शाकटायन आदि के समानान्तर विचारों की संङ्गति की है। औदुम्बरायण इस नाम को स्वीकार करने में भरतमिश्र और हरदत्त ने अपने ग्रन्थों में उल्लेख किया है। इस दृष्टि से स्फोटवाद के प्रवर्त्तकों में औदुम्बरायण का नाम भी लिया गया है। निरुक्त में औदुम्बरायण के मतानुसार ध्वनि को अनित्य माना गया है। इसी को आधार मानकर यास्क ने भी सहमति प्रकट की है। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के वाक्यकाण्ड में औदुम्बरायण का उल्लेख किया है-

१. वाक्यस्य बुद्धौ नित्यत्वमर्थयोगं च शाश्वतम्।
दृष्ट्वा चतुष्ट्वं नास्तीति वार्ताक्षौदुम्बरायणे।। वा.२.३४३।।

इन तथ्यों के आधार पर औदुम्बरायण प्रातिभज्ञान के आधार माने गये हैं। "इन्द्रियनित्यं वचनं, तत्र चतु ट्वं नोपपद्यते" की धारणा औदुम्बरायण ने ही सर्वप्रथम दी थी।

उनका यह कथन वाणी "ध्वनि-पक्ष" के लिए था। वे वाणी के नामाख्यातादि बाह्यविभाग की अपेक्षा उनके अखण्ड और अविभाज्य स्वरूप को नित्य मानते थे। वाणी की इस अखण्डता का आधार है 'वाक्य'। और यह वाक्य शब्दों या ध्वनियों का परिणाम न होकर बुद्धिरूप किन्ही भावनाओं का परिणाम है। भावनाएँ शब्दों की ध्वन्यात्मक

अनित्यता की तुलना में अधिक नित्य और असीम होती हैं। भावनाएं बुद्धिरूप होते हुए अर्थ को अपने में संश्लिष्ट रखती हैं। अतः, शब्द और अर्थ दोनो बुद्धिरूप है। इसलिए बुद्धि भी संसृष्टार्थप्रत्ययावमर्शिनी है। संसृष्ट का प्रविभाग वास्तविक नहीं होता है। इसलिए चार पदजातों (नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात) की कल्पना भी वास्तविक नहीं है।[1]

संसृष्ट शब्द और अर्थ के परिज्ञान का साधन वैयाकरण दार्शनिक विद्वानों नें "अपोद्धार" माना है। इस मान्यता के आधार पर वाक्य को पदों में विभक्त किया जाता है। ये अवास्तविक होते हुए लोक व्यवहार की दृष्टि से सत्य प्रतीत होते हुए असत्य हैं। इस दृष्टि से "अपोद्धार" रूप में पद को सत्य मानकर नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात के रूप में पद का विभाजन उपपन्न होता है।[2]

यास्क द्वारा उल्लिखित तेरह (१३) निघण्टु व्याख्याकारों में औदुम्बरायण का नाम निर्दिष्ट है। गार्ग्य, गालव, शाकटायन आदि के समकक्ष विचारकों में औदुम्बरायण भी रहे हैं। शाब्दिक विश्लेषण तथा दार्शनिक विवेचन में अग्रणी औदुम्बरायण एवं स्फोटायन एक ही व्यक्ति मानने में विचारों की संङ्गति बैठ जाती है। अतः अधिकतर विद्वानों ने पूर्वापर विचार कर स्फोटायन नाम से स्फोट सिद्धान्त का प्रवर्तक मानते हुए उनका वास्तविक नाम औदुम्बरायण स्वीकार किया है। किसी ग्रन्थ की प्राप्ति न होने में अनेक कारण होते हैं। सीमित साधनों के अभाव में भी उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती। मौखिक रूप में जितनी उपयोगिता सम्भव रही हो, उसके उल्लेख मात्र से ही उनके प्रशंसकों को सन्तोष रखना पड़ेगा।

---

१. "इह कैश्चिद् वर्णातिरिक्ततया पदत्वमेकाकारप्रत्ययनिर्भासमानमप्यनन्तरदृष्टार्थहेतुतया च" "तदागमे हि दृश्यत" इत्यनेन न्यायेन प्रसिद्धमपि भगवद्-औदुम्बरायणाद्युपदिष्टाखण्डभावमपि- (स्फोट सिद्धि, भरतमिश्र पृ. १) दृष्टव्यः सं. व्या. द. डा. रामसुरेश त्रिपाठी (पृ. १३८)

२. "एतस्माद् एव औदुम्बरदर्शनात् तत्र चतुष्ट्वं नोपपद्यत इत्युच्यते। यथैव तु व्याप्तिमत्त्वात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टेषु अर्थेषु बहुभिरपि प्रकारैः दर्शयितुं अशक्येषु लाघवात् शब्दव्यवहारो लोके प्रसिद्धम् गतः, एवमत्यन्तसंसृष्टेष्वर्थात्मसु शब्देषु वा विभक्तेषु अपोद्धारः कल्पितः। पदव्यवहारो व्याप्तिमत्त्वात् लघुत्वाच्च लोके शास्त्रे च रूढिः प्रसिद्धो व्यवस्थित इति" (वाक्यपदीय २. ३४३ हर. हस्तलेख

इन्द्र (ऐन्द्र व्याकरण)

प्राक्पाणिनीय व्याकरणों में ऐन्द्र-व्याकरण की सत्ता भी स्वीकार की गई है। यद्यपि इस व्याकरण के स्वरूप की कोई रचना उपलब्ध नहीं होती, फिर भी इन्द्र को वैयाकरण स्वीकार करने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। भले ही इन्द्र देवराज हो अथवा कोई मानवविशेष हो-यह बात आस्तिक समुदाय के विश्वास पर ही छोड़ी जा सकती है। भारतीय प्राचीन मनीषियों ने किसी भी विषय के मूल प्रवक्ता को ईश्वरीय देन ही माना है। तदनुसार व्याकरणशास्त्र के मौलिक उद्धारक देवगुरु बृहस्पति और उनके प्रथम शिष्य ''देवराज इन्द्र'' ने लोक में संस्कृत-व्याकरण की आधारशिला रखी। इस बात का उल्लेख **महर्षि पतञ्जलि** ने अपने ग्रन्थ **''महाभाष्य''** के प्रथम आह्निक में ही किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि देवताओं के सहस्र-वर्षात्मक काल पर्यन्त शब्द पारायण करने पर भी व्याकरण अथवा शाब्दिक प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो सकी। अतः आगे चलकर पाणिन्यादि महर्षियों ने प्रकृति-प्रत्यय विभाग द्वारा व्याकरण को अभिनव स्वरूप दिया-**''बृहस्पतिश्च-प्रवक्ता, इन्द्रश्च्याध्येता, दिव्यं वर्षसहस्रमध्ययनकालः, शब्दपारायणम् प्रोवाच नान्तं जगाम''**। (प्रथमाह्निक) इस वाक्य में इन्द्र के गुरु आचार्य बृहस्पति की ओर अवश्य संकेत किया गया है, किन्तु उन्होंने किस रूप में प्रवचन किया-यह अज्ञात ही है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ''बार्हस्पत्यतन्त्र'' को राजशास्त्र से सम्बद्ध बतलाकर राजनीति-विषयक ग्रन्थ का आचार्य स्वीकार किया है, किन्तु विशिष्ट वैय्याकरणों ने ''बार्हस्पत्य'' व्याकरण के स्वरूप का कहीं उल्लेख नहीं किया है। वर्तमानकाल में व्याकरण शास्त्र के इतिहासकारों ने इस सम्बन्ध में आनुमानिक तथा अन्य विषयक ग्रन्थों के आधार पर बृहस्पतिप्रोक्त व्याकरण के सम्बन्ध में कल्पनाएँ की हैं। अतः ऐन्द्र व्याकरण से पूर्व बार्हस्पत्य व्याकरण पर भी लिखना युक्तिसंगत है।

बार्हस्पत्य-व्याकरण के सम्बन्ध में बृहस्पति को प्रवचनकर्ता के रूप में मानना ऋक्तन्त्र (१/४) में स्वीकार किया गया है। वहाँ बृहस्पति के द्वारा उपदिष्ट शिष्यपरम्परा का भी उल्लेख किया गया है-**''ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः''**।

ऋक्तन्त्र तो देवगुरु से एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गया है। उसमें तो देवगुरु के उपदेष्टा जगत् के स्रष्टा ब्रह्मा को मानकर व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति भी जगत् की उत्पत्ति के समान ब्रह्मा के नाभिकमल तक पहुँचा दी है। ऋक्तन्त्र का यह वर्णन ''वाक्'' की ''पश्यन्ती'' स्थिति का मौलिक चिन्तन है। बृहस्पति और ब्रह्मा इन दोनों उपदेष्टाओं को वाणी के पश्यन्ती-रूप तक सीमित रहने के कारण इनके व्याकरण को ''अविभाग व्याकरण'' की पूर्वोक्त कोटि में ही रखा जा सकता है। ऋक्प्रातिशाख्य में बृहस्पति और

ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ अन्य वैयाकरणों का भी उल्लेख किया गया है। वहाँ वे इस प्रकार अकारादि क्रम से परिगणित किये गये हैं-इन्द्र, औदव्रजि, नैगी, बृहस्पति, ब्रह्मा, भरद्वाज[1] और शाकटायन। ये सभी नाम पाणिनिपूर्ववर्ती ही है।

इन्द्र का व्यक्तित्व और ऐन्द्र व्याकरण का स्वरूप

महाभाष्य में वर्णित इन्द्र का आधिकारिक स्वरूप ऊपर बतलाया जा चुका है। वहाँ पर वर्णित बृहस्पति को उस उपदेश के "अविभाग व्याकरण" का आदिम रूप माना जाता है। संभवतः अविभाग व्याकरण के इन्द ही पाणिनि के समान प्रमुख प्रवक्ता रहे हों। किन्तु स्वयं इन्द्र को इस पद्धति से संतोष न हुआ हो और उन्होंने ही सविभाग व्याकरण पद्धति का श्रीगणेश किया हो। इस बात का संकेत हमें तैत्तिरीय संहिता से मिलता है-**"वाग्वै पराच्यव्याकृताऽवदत्। ते देवा इन्द्रमब्रुवन्, इमां नो वाचं व्याकुर्विति। तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्"** (६/४/७)। सायणाचार्य ने इस सन्दर्भ की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अखण्ड वाणी को इन्द्र ने सर्वप्रथम प्रकृतिप्रत्यय विभाग द्वारा विश्लिष्ट कर बोधगम्य बनाया[2]। तैत्तिरीय संहिता के उक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सविभाग व्याकरण का मूलाधार ऐन्द्र व्याकरण रहा हो।

ऐन्द्र व्याकरण के सम्बन्ध में चरकसंहिता की व्याख्या का एकमात्र उद्धरण उसकी अस्मिता का बोधक है। चरक के व्याख्याकार **हरिश्चन्द्र भट्टारक** (विक्रम की प्रथम शती) ने प्रसङ्गवश "अथ वर्णसमाम्नायः"-वाक्य द्वारा ऐन्द्र व्याकरण के आदिम सूत्र की ओर संकेत किया है[3]। इसी आधार पर ऐन्द्र व्याकरण को "सविभाग" का आदिम स्वरूप माना गया है। वर्ण-संघात की सार्थक ध्वनि को समुद्भूतकर "अखण्ड शब्द" (स्फोट) की अभिव्यञ्जना कर स्फोटसिद्धान्त की स्थापना करने में समर्थ हुआ है। इसी के अनुकरण पर पतञ्जलि ने अपने भाष्य का आरम्भ "अथ शब्दानुशासनम्" द्वारा किया हो। "शब्दानुशासन" के समान ही ऐन्द्र व्याकरण की "शब्दपारायण" संज्ञा भर्तृहरि तथा कैयट ने अपने-अपने विवरणों में दी है[4]। यदि यह कहा जाय कि इन्द्र के "वर्णसमूह" का वैज्ञानिक विश्लेषण महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहारसूत्रों के रूप में किया हो तो कोई अत्युक्ति

---

१. भरद्वाज के वैयाकरण होने का संकेत, और उसके व्याकरण की लोकप्रिय "शाखा" का संकेत अनेकत्र मिलता है श्री गोल्डस्टूकर ने उन्हें सम्मानास्पद स्थान दिया है।

२. तामखण्डां वाचं मध्ये विच्छिय प्रकृतिप्रत्ययविभागं सर्वत्राकरोत् (सायण भाष्य)

३. 'शास्त्रेष्वपि अथ वर्णसमूह" इति ऐन्द्रव्याकरणस्य'। चरक न्यास पृ. ५८ स्वर्गीय पं. मस्तराम शर्मा मुद्रापित। शब्दभेदप्रकाश के टीकाकार ज्ञानविमलमणि ने सिद्धिनुक्तानां सूत्र की टीका में इस सिद्धि' सूत्र को ऐन्द्र व्याकरण का प्रथम सूत्र लिखा है।

४. (अ) 'शब्दपारायणं रूढिशब्दोऽयं कस्यचित् ग्रन्थस्य वाचकः। (भर्तृ.)
(ब) शब्दपारायण-शब्दो योगरूढः शास्त्रविशेषस्य। (कैयट)

नहीं। इस प्रकार पाणिनि ने "वर्णसमूह' को माहेश्वर सूत्रों द्वारा विपरिणमित कर अष्टाध्यायी की रचना की हो। यह बात केवल कल्पित ही नहीं है, अपितु इसके प्रमाण **"ऋक्तन्त्र** तथा **"ऋक्प्रातिशाख्य"** आदि ग्रन्थ हैं। इन दोनों ग्रन्थों म "अक्षरसमाम्नाय" का उल्लेख है[1] इससे यह सिद्ध होता है कि लाघव के लिए व्याकरणग्रन्थों के प्रारम्भ में अक्षरसमाम्नाय के उपदेश की शैली अत्यन्त प्राचीन है। इस हेतु आधुनिक वैयाकरणों का अष्टाध्यायी के प्रारम्भिक अक्षरसमाम्नाय के सूत्रों को अपाणिनीय मानना युक्तिसंगत नहीं है। फिर भी यह विचारणीय है कि **ऐन्द्रतन्त्र** का वर्णसमूह शिक्षा-सूत्रों में निर्दिष्ट तथा लोकप्रसिद्ध क्रम से था अथवा स्वशास्त्र की दृष्टि से पाणिनीय अक्षरसमाम्नाय के सदृश विशिष्टक्रम से निर्दिष्ट था। **"वर्णसमूह"** के सम्बन्ध में पं. युधिष्ठिर मीमांसक ने एक युक्ति यह दी है कि "ऐन्द्रतन्त्र का वर्णसमूह" लोकप्रसिद्ध क्रमानुसार रहा हो, क्योंकि कातन्त्र व्याकरण में प्रतिपादित **"सिद्धो वर्णसमाम्नायः"** सूत्र द्वारा लोकप्रसिद्ध वर्णसंघात का ही बोध होता है। आगे चलकर दुर्गाचार्य (निरुक्त के टीकाकार) ने भी **"नैकपदजातम्"**, यथा **"अर्थः पदम्" इत्यैन्द्राणाम्"** अर्थात् ऐन्द्र व्याकरण में अन्य व्याकरणों की अपेक्षा कुछ भिन्नता है। उनके आगे नैरुक्तों तथा अन्य वैयाकरणों के सदृश नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात- ये चार विभाग नहीं हैं। कालाप व्याकरण के सुप्रसिद्ध विद्वान् सुषेण विद्याभूषण ने "पदसंज्ञा की व्याख्या के फलस्वरूप विभिन्न प्राचीन वैयाकरणों द्वारा लिखी गयी परिभाषा को इस प्रकार समाकलित करते हुए इन्द्र का मत सर्वप्रथम उद्धृत किया है-

"अर्थः पदम्" आहुरैन्द्राः, "विभक्त्यन्तं पदं" आहुरापिशलीयाः, सुप्तिङन्तं पदं पाणिनीयाः"[2] इन उद्धरणों के अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रन्थों में भी ऐन्द्र व्याकरण की ओर संकेत मिलता है। तदनुसार बोपदेव ने कविकल्पद्रुम में आठ वैयाकरणों में सर्वप्रथम इन्द्र का स्मरण किया है।

परिमाण-ऐन्द्र व्याकरण के परिमाण के सम्बन्ध में प्रायः सब एकमत हैं। ऐन्द्र व्याकरण परिमाण में अत्यधिक विस्तृत रहा। महाभारत के टीकाकार "देवबोध" (१२वीं शताब्दी से पूर्वभावी) ने लिखा है[3] कि इन्द्रकृत व्याकरण सविभाग होते हुए भी पदगणना को बिल्कुल छोड़ नहीं पाये। इसीलिए सम्भवतः गणना की दृष्टि से, और स्वरूप की स्थिति की दृष्टि से, उनमें अधिक पदों का समावेश रहा हो। इसके अतिरिक्त तिब्बती परम्परा के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण का परिमाण २५ सहस्र श्लोकात्मक था। पाणिनीय व्याकरण का

---

१. ऋक्तन्त्र-प्रपाठक। खण्ड ४

२. द्रष्टव्य व्याकरणदर्शनेर इतिहास-"गुरुपद हलदार" पृ. ४० शब्दावली-"कलापचन्दे सुषेण विद्याभूषण लिखियाछन"

३. "यान्युज्जहार माहेन्द्रात् व्यासो व्याकरणार्णवात्।
पदरत्नानि किं तानि सन्ति पाणिनिगो पदे।।"

परिमाण, उसी परम्परा के अनुसार एक सहस्र श्लोक है अर्थात ऐन्द्र व्याकरण आकार में पाणिनीय व्याकरण की अपेक्षा २५ गुना बड़ा रहा होगा। पाणिनीय व्याकरण के अनन्तर ऐन्द्र व्याकरण की मान्यता किसी न किसी रूप में अवश्य रही होगी, अन्यथा पतञ्जलि ने **"शब्दपारायण"** का उल्लेख न किया होता। अनेक आचार्य पाणिनीय व्याकरण की अपेक्षा इसे सरल बनाकर इसके संरक्षण और प्रसार में लगे रहे। इसी के फलस्वरूप उसका बीज नष्ट नहीं हो पाया और हम अनेकत्र अनेक रूप में इस व्याकरण के विकीर्ण दो-चार सूत्रों को, या इन्द्रसम्मत अर्थ को उद्धृत हुआ पाते हैं। उसके नष्ट होने के सम्बन्ध में **"कथासरित्सागर"** {प्राचीनवैयाकरणनये वाचनिकानि (परिभाषेन्दुशेखर **प्राचीनेति इन्द्रादीत्यर्थः**। काशिकाटीका।} अंतिम छोर समझा जाता रहा है किन्तु नागेशभट्ट के शिष्य वैद्यनाथ पायगुंडे के परिभाषेन्दुशेखर की टीका (काशिका) में उल्लिखित विचार में परिभाषाओं का स्रोत ऐन्द्र तन्त्र है[1]।

विवेचन

ऐन्द्र तन्त्र तथा कातन्त्र के परस्पर समानांशों को देखकर विद्वानों में इन दोनों तन्त्रों के परस्पर साम्य होने के सम्बन्ध में मतभेद हैं। अधिकतर विद्वानों ने इस विषय पर भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियायें व्यक्त की हैं। उनका उल्लेख **"डा. बेलवेल्कर"** ने अपनी पुस्तक **"सिस्टमूस आफ संस्कृत ग्रामर"** में किया है। तदनुसार डा. बर्नल का कथन है कि तमिल भाषा के आद्य व्याकरण "तोलकाप्पियम्" में ऐन्द्र व्याकरण से विशेष सहायता ली गई है और पाण्ड्य राजाओं के दरबार में उसका निर्वचन होता था।

(वररुचि के अद्यतनी, ह्यस्तनी आदि पारिभाषिक शब्द ऐन्द्र व्याकरण से गृहीत हैं ऐसा पण्डितों का अनुमान है।) "तोलकाप्पियम्" "कातन्त्र" से बहुत अधिक मिलता जुलता है जो कच्चायन के पालि व्याकरण से भी तथा प्रातिशाख्यों से भी समता प्राप्त किये है और ये ऐन्द्र सम्प्रदाय से ही गृहीत है। **डॉ. बर्नल** इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐन्द्र ग्रन्थ पाणिनि और इतर वैयाकरणों को अवश्य विदित थे तथा "प्रातिशाख्य" और "कातन्त्र" सम्प्रदाय में उसकी रक्षा हो रही है, यद्यपि वे स्वतन्त्र रूप में उपलब्ध नहीं हैं। ऐन्द्र व्याकरण के पारिभाषिक शब्द पाणिनि की अपेक्षा अधिक सरल हैं। अतः ऐन्द्र व्याकरण पाणिनि से पूर्व का होना चाहिए। वर्तमान समय में ऐन्द्र सम्प्रदाय न तो पाणिनि के द्वारा और न पतञ्जलि के द्वारा तथा न ही काशिकाकार के द्वारा उद्धृत है। पाश्चात्य विद्वान् "कीलहार्न" भी वर्तमान-कालिक प्राप्त ऐन्द्र सम्प्रदाय को पाणिनि का परवर्ती मानते हैं, चाहे वह मूलरुप में पाणिनि के पूर्व ही रहा हो।

---

१. आदि से तरंग ४, श्लोक २४-२५

प्रसंगवश तमिल व्याकरण "तोलकाप्पियम्" से परिचय होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में "पं युधिष्ठिर मीमांसक" ने लिखा है कि अगस्त्य के १२ शिष्यों में एक पणंपारणाथ थे। उसने तमिल व्याकरण लिखा। उसके ग्रन्थ का आधार ऐन्द्र व्याकरण था। "तोलकाप्पियम्" पर इसी पणंपारणाथ का भूमिकात्मक कथन है[१]। यह तोलकाप्पियम् ईसा से बहुत पूर्व का ग्रन्थ है। इसमें पाणिनीय-शिक्षा के श्लोकों का अनुवाद है[२]।

"डॉ. बेल्वेल्कर के मत से सहमत न होते हुए युधिष्ठिर मीमांसक ने यह लिखा है कि भट्टारक हरिश्चन्द्र और दुर्गाचार्य जैसे प्रामाणिक आचार्यों ने ऐन्द्र व्याकरण के जो सूत्र उद्धृत किये हैं, वे कातन्त्र व्याकरण में उपलब्ध नहीं होते। इतना ही नहीं भट्टारक हरिश्चन्द्र द्वारा उद्धृत सूत्रानुसार ऐन्द्र व्याकरण में "वर्णसमूह" का निर्देश था, परन्तु कातन्त्र में उसका अभाव स्पष्ट है। पुरानी अनुश्रुति के अनुसार ऐन्द्र तन्त्र पाणिनीय तन्त्र से कई गुना विस्तृत था, परन्तु कातन्त्र पाणिनीय तन्त्र का चतुर्थांश भी नहीं है। मीमांसक जी ने कृष्णमाचार्य द्वारा समीकृत कातन्त्र तथा ऐन्द्र तन्त्र की भावना का भी निःसारण किया है। प्रथम तो भरत नाट्य शास्त्र में युधिष्ठिर मीमांसक जी के अनुसार "नाट्यशास्त्र" में ऐन्द्र व्याकरण का कहीं नाम नहीं आया है। दूसरा कारण यह भी है कि नाट्यशास्त्र के पन्द्रहवें अध्याय में प्रासङ्गिक व्याकरण की चर्चा के सन्दर्भ में अधिकतर यह सम्भव हो सकता है कि कृष्णमाचार्य ने किसी टीकाकार के प्रमाण पर उस प्रकार के उल्लेखों को "ऐन्द्रपरक" समझा हो।

जैन विद्वानों की धारणा के अनुसार महावीर स्वामी ऐन्द्र व्याकरण के उपदेष्टा रहे। इस धारणा में "जैनेन्द्र" नामकरण ही प्रमाणस्वरूप माना गया है अर्थात् महावीर स्वामी की वाणी से उपदिष्ट किसी इन्द्र ने जैन व्याकरण लिखा जो ऐन्द्र व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध हुआ, किन्तु इस धारणा में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। केवल "इन्द्र" पद के निवेश मात्र से महावीर स्वामी को ऐन्द्र सम्प्रदाय का आरम्भक कैसे माना जाय ? अतः धारणा निर्मूल है। इसके सम्बन्ध में केवल इतना ही समझा जाय कि "जैनेन्द्र" व्याकरण के प्रचलन होने के समय ऐन्द्र व्याकरण का प्रचार रहा हो। जैनेन्द्र व्याकरण अधिकतर पाणिनि-व्याकरण के समान है। अतः ऐन्द्र व्याकरण के प्रतीक रूप में वह कैसे स्वीकार्य होगा ? प्राचीन वैदिक अनुश्रुति के अनुसार इन्द्र, बृहस्पति के शिष्य रहे न कि महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी तो गौतम बुद्ध से पूर्वतर अवश्य हैं किन्तु वैदिक ऋषियों में वे परिगणित नहीं हैं। अतः इतने अधिक दीर्घकाल के अन्तराल में वर्तमानकालिक

---

१. सूचीपत्र पृष्ठ ६

२. पी.एल. सुब्रह्मण्य शास्त्री एम.ए., पी.एच.डी. का लेख, जर्नल ओरियन्टल रिसर्च, मद्रास सन् १९३१ पृ. १८३

''जैनेन्द्र-व्याकरण'' की अधिक प्राचीनता सम्भव नहीं है। वस्तुतः प्रचलित जैनेन्द्र व्याकरण के आविष्कारक आचार्य देवनन्दी (वि.सं. ५५०) हैं। और वे पाणिनि से अर्वाचीन हैं।

अन्य कृतियाँ-अन्य विशेषताएँ

बृहस्पति सदृश उपदेष्टा के मुख से निर्गत वाणी का एकाङ्गी न होकर सर्वव्यापक होना स्वाभाविक है। तथा दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त काल तक सतत शब्दोपदेश के फलस्वरूप ज्ञानराशि की इयत्ता सम्भव नहीं। अतः इन्द्र के द्वारा प्रवर्तित ज्ञानराशि विभिन्न शास्त्रों का रूप धारणकर विकीर्ण होती चली गयी। विद्वानों ने आगे चलकर इस अवसर का लाभ उठाया और इन्द्र की ''वैखरी'' वाणी को भिन्न स्वरूप देकर अपने-अपने विषयों का आदिम वक्ता बनाकर स्वयं को धन्य माना। ज्ञान-विज्ञान की सीमा नहीं भौतिक शरीर ही वाह्य-जगत् में ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य आधार है। अतः **''शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्''** उक्ति को चरितार्थ करने के लिए इन्द्र ने भरद्वाज को आयुर्विज्ञान का उपदेश देकर मानव-जगत् के सुख प्राप्त कराने में सहयोग दिया। तदनुसार वायुपुराण में वर्णित आख्यान (९२/२२) के अन्तर्गत भरद्वाज ने आयुर्वेद संहिता की रचना की और उसके आठ विभाग करके शिष्यों को पढ़ाया[1] (क) इससे प्रतीत होता है कि भरद्वाज के लिए अष्टाङ्ग आयुर्वेद का भी प्रवचन किया था। (ख) इसी सम्बन्ध में सुश्रुत का वचन भी उल्लेखनीय है। वहाँ भी यह उद्धृत किया गया है कि भगवान् धन्वन्तरि भी इन्द्र के शिष्य रहे और उन्होंने शल्य चिकित्सा में दक्षता प्राप्त की[2] **काश्यप संहिता** के अनुसार इन्द्र ने काश्यप, वसिष्ठ, अत्रि, भृगु आदि ऋषियों को आयुर्विज्ञान में दीक्षित किया[3]। (ग) इन्द्र का उपदेश आयुर्विज्ञान तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु **वसिष्ठ** को पुराणों का उपदेश देकर वेदों के रहस्य को उद्घाटित कर सर्वसुलभ बनाया[4] (घ) इन्द्र के प्रवचन से मुग्ध होकर **शुक्राचार्य** ने भी उनका शिष्य बनकर छन्दःशास्त्र को प्रसारित किया[5]। (ङ) **पार्थसारथि** मिश्र ने श्लोकवार्तिक की टीका में उल्लेखकर इन्द्र को मीमांसाशास्त्र का प्रथम प्रवक्ता बताया। इन्द्र ने प्रजापति से मीमांसाशास्त्र का अध्ययन किया। (च) **कौटिलीय अर्थशास्त्र** में वर्णित **बार्हस्पत्य तन्त्र** का विस्तार भी इन्द्र के द्वारा हुआ हो। इस सम्बन्ध में अपने अर्थशास्त्र में **बाहुदन्ती**-पुत्र का मत उद्धृत किया है[6] (छ) प्राचीन टीकाकारों ने **बाहुदन्तीय**

---

१. आयुर्वेदं भरद्वाजश्चकार सभिषक्क्रियम्। तमष्टधा पुनर्व्यस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्।

२. इन्द्रादहम्। सूत्र. १/६

३. इन्द्र ऋषिभ्यश्चतुर्भ्यः काश्यप-वसिष्ठ-अत्रि-भृगुभ्यः। पृ. ४२

४. वायु पुराण १०३/६०

५. तस्माद् दुश्च्यवनस्ततोऽसुरगुरुः-(छन्द टीका के टीका में)

६. नेति बाहुदन्तीय-पुत्रः-शास्त्रविदष्टकर्माकर्मसु विषादं गच्छेत्
अभिजनप्रज्ञाशौचशौर्यानुरागयुक्तानमात्यान् कुर्वीत गुणप्राधान्यादिति। १.८

पुत्र से इन्द्र का समीकरण किया है। **महाभारत** के **शान्तिपर्व** (अ. ५९) में बाहुदन्तक तन्त्र का उल्लेख मिलता है।

बृहस्पतिप्रोक्त "शब्दपारायण" के मूल में चतुर्विध-वाक् ही आधारभूत रही है। शब्द की नित्यता के फलस्वरूप उसकी प्रतिध्वनि युग-युगान्तर से चली आ रही है। मूलाधार (मूलचक्र) से समुत्थित वायु को ध्वनि में प्रवर्तित कर नाभि-प्रदेश में **"पश्यन्ती वाक्"** के द्वारा समुत्थित हृदय-प्रदेश में मध्यमा नाद को स्फोट रूप देकर **"वैखरी"** नाद से **"वर्ण-समूह"** के सिद्धान्त को अभिव्यञ्जित करने में **"अन्तःप्रविष्ट वायु"** ही सहायक होता है। इस प्रक्रिया को बाह्य रूप देने में वायु की महत्ता को मानव रूप देकर तैत्तिरीय संहिता का प्रसिद्ध उद्धरण चरितार्थ होता है[1]। इन्द्र के साथ वायु को भी **"शब्दपारायण"** सुनने का अवसर मिला। इन्द्र के समान मनुज रूपधारी वायु को आलङ्कारिक न मानकर ऐतिहासिक व्यक्ति समझते हुए इन्द्र प्रोक्त तन्त्र का प्रमुख सहायक माना जाए। अनेकत्र वाणी के लिए "वाग् वा ऐन्द्र-वायवः" आदि प्रयोग मिलते हैं।[2] वायु पुराण के अतिरिक्त यामलाष्टक तन्त्र में अष्टविध व्याकरणों में "वायव्य" व्याकरण का अस्तित्व स्वीकार किया गया है।

शिष्य परम्परा

ऋक्तन्त्र के अनुसार इन्द्र की शिष्य परम्परा विस्तार के साथ दी गयी है। इन्द्र के शिष्य भरद्वाज प्रसिद्ध रहे। भरद्वाज ने "तृणञ्जय" से पुराणों का अध्ययन किया[3] धर्मशास्त्र में भी भरद्वाज की प्रमुखता रही है, उन्होंने भृगु से धर्मशास्त्र का अध्ययन किया[4]। इन्द्र प्रोक्त-तन्त्र के विस्तार तथा प्रचार में उनके प्रथम शिष्य "भरद्वाज" ही अग्रणी रहे। यह पहले वर्णन किया जा चुका है कि भरद्वाज ने आयुर्वेद का उद्धार किया तथा आत्रेय पुनर्वसु उनके आयुर्वेद के प्रमुख व्यक्ति रहे[5]। राजनीति विषयक बार्हस्पत्य तन्त्र की परम्परा में भरद्वाज ने राजशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में भी ख्याति प्राप्त की।

उपसंहार

ऐन्द्र व्याकरण के स्वरूप का वस्तुगत परिचय न मिलने पर भी बहिःसाक्ष्य के आधार पर उसके विषय का विद्वानों ने अनेक प्रकार से अनुमान किया है। प्राचीन तथा आधुनिक

---

१. वाग्वै पराच्यव्याकृतावदत् ते देवा इन्द्रमब्रुवन्निमां नो वाचं व्याकुर्विति सोऽब्रवीद्वरं वृणै, मह्यं चैव वायवे च सह गृह्याता इति। तैत्तिरीय संहिता ६.४.७

२. मै.सं. प४.५.८ विशेष अध्ययन के लिए द्रष्टव्य युधिष्ठिर मीमांसक कृत संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास प्रथम भाग पृष्ठ ८९-९६

३. तृणाञ्जयो भरद्वाजाय।

४. भरद्वाजाय ऋषिभ्यः १.४

५. ऋषयश्च भरद्वाजात्। अथ मैत्रीपरः पुण्यमायुर्वेदं पुनर्वसुः (१.२७.३०)

विद्वान् यद्यपि इस बात से एकमत नहीं हैं फिर भी ऐन्द्र व्याकरण के अस्तित्व पर किसी को सन्देह नहीं है। पाणिनि काल से बहुत पूर्व इन्द्र ने अपने शब्दशास्त्र का विस्तार कर दिया था तथा उनके शिष्यों के द्वारा अनेक शताब्दियों तक ऐन्द्र तन्त्र का प्रचार भी रहा होगा। किन्तु उसके मौलिक अवशेष न मिलने से किसी प्रकार का निश्चय नहीं किया जा सकता। उनके मिलने की अधिक सम्भावना भी नहीं है। नामशेष मात्र ही उनके तन्त्र को केवल स्मृति पथ पर आरूढ करते हुए उनके अनन्तर विरचित व्याकरण के साथ समीक्षात्मक पदचिन्हों को लेकर अग्रसर होना पड़ता है। संस्कृत भाषा को पुरातन काल में दो रूपों में देखा गया था। उनमें से एक तो "प्राच्य" देश में व्यवहृत भाषा थी और दूसरी "उदीच्य" देश में। इन दोनों का विभाजन "शरावती" नदी से किया गया है-

"प्रागुदञ्चौ विभजते हंसः क्षीरोदके यथा।
विदुषां शब्दसिद्धर्थं सा नः पातु शरावती।।

तदनुसार पुरातनकाल में प्राग् देश तथा उदीच्य भागों में व्यवहृत संस्कृत भाषा को अभिलक्षित कर व्याकरण शास्त्र की रचना हुई थी। **"पं. अभ्यङ्कर"** के मतानुसार ऐन्द्र व्याकरण प्रधानतः प्रागृदेशवर्ती था तथा पाणिनि का व्याकरण उदीच्य शाखा से सम्बद्ध था। इतना होते हुए भी इन्द्र का व्याकरण अनूठा तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। कदाचित् शाकटायन ने इन्द्र का अनुसरण किया हो। यह भी सम्भव है कि प्रातिशाख्यों की रचना इन्द्र के अनुसार हुई हो। इस आधार पर यह भी अनुमान किया गया है कि ऐन्द्र व्याकरण की रचना प्रक्रिया को दृष्टिपथ रखते हुए हुई हो क्योंकि अधिकांश "प्रातिशाख्य" कारिकाओं के रूप में लिखे गये हैं और उनमें स्थान-स्थान पर प्रक्रियाएँ भी गृहीत हैं। अथर्वप्रातिशाख्य की पद्धति डॉ. सूर्यकान्त जी ने सही स्वीकार की है। ऋक्तन्त्र तथा सामतन्त्र आदि ने भी इसी पद्धति को अपनाया है। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐन्द्र व्याकरण में जो मूल विद्यमान थे वे ही आगे चलकर संस्कृत व्याकरण की प्रकृति-प्रत्यय-विभाग शैली के स्रोत रूप में माने गये। अतः ऐन्द्र व्याकरण को निर्विवाद सविभाग पद्धति का प्रथम स्वरूप जाना जाए।

वायु

शब्दशास्त्र के प्रवर्तकों में मानवातिरिक्त देवगणों का भी मानवरूप में सहयोग मिलने की परम्परा में 'वायु' को भी नहीं छोड़ा। अतः, इतिहासकार 'वायव्य व्याकरण' का भी अस्तित्व स्वीकार करते हैं।

वाणी को व्याकृत करने में इन्द्र के सहायक के रूप में वायुदेव का भी उल्लेख मिलता है।[1] शब्दोच्चारण वायु के बिना असम्भव है। वायु पुराण के अनुसार वायु शब्द शास्त्र

---

१. वायवे च सह गृहयाता इति - तै. सं. (६।४।७)

विशारद थे।[1] यामलाष्टक तन्त्र में भी अष्ट व्याकरणों के अन्तर्गत 'वायव्य व्याकरण' का नामोल्लेख है।[2]

वायुदेव की पत्नी अञ्जनी के पुत्र हनुमान् के भी वैयाकरण होने में वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है।[3]

इनके शिष्य दैत्यगुरु शुक्राचार्य रहे।[4] मनुस्मृति (६।४२) तथा महाभारत (शान्तिपर्व ७२) में भी वायु के वैयाकरण होने के सम्बन्ध में गाथायें प्राप्त होती हैं।

भागुरि

पाणिनि द्वारा अनुल्लिखित आचार्यों में भागुरि का स्थान महत्त्वपूर्ण है। आश्चर्य तो इस बात पर है कि व्याकरणशास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्र के ग्रन्थों में भागुरि का नाम निर्देश उनके मत को विदित कराता है। उनके नाम को भी तद्धित-इञ्- प्रत्ययान्त होने से दाक्षिणात्य होने की अधिकतर विद्वानों द्वारा कल्पना की जाती है। यह बात अन्य आचार्यों की तरह अब तक अनिर्णीत ही है। अतः भागुरि का परिचय बाह्य प्रमाणों पर ही आधारित है। इन प्रमाणों के आधार पर यह भी विदित होता है कि भागुरी इनकी 'स्वसा' रही हों। यह विषय केवल आनुमानिक ही है। महाभाष्य में उद्धृत "न यासयोः (७.३.४५) सूत्र के अन्तर्गत "वर्णिका भागुरी लोकायतस्य, वर्तिका भागुरीलोकायतस्य - ये दो वाक्य उदाहरणस्वरूप दिये गये हैं। कैयट ने 'भागुरी' को टीका ग्रन्थ माना है और उसकी व्याख्या भी वर्णिका बतलाई है। (वर्णिकेति व्याख्यात्रीत्यर्थः भागुरी टीका विशेषः) इसके अतिरिक्त भागुरी किसी लोकायत विरचित ग्रन्थ की टीका के रूप में भी विदित है। इसका उल्लेख वात्स्यायन के अर्थश्च राज्ञः, तन्मूलत्वाल्लोक यात्रायाः (१.२.१५) तथा "वरं सांशाविकिन्नि कादसांशयिकः कार्षापण इति लोकायतिकाः (१.२.२८) इन दोनों सूत्रों को मिलाकर पढ़ने से प्रतीत होता है कि लोकायत शास्त्र भी अर्थशास्त्र के समान कोई अर्थप्रधान शास्त्र रहा हो। लोकायत शास्त्र के सम्बन्ध में कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित संस्करण में (भाग १ पृष्ठ २५) ईश्वरचन्द्र शास्त्री जी ने "लोकायतं न्यायशास्त्र ब्रह्मग्राग्र्योक्तं" इस वाक्य की ओर संकेत करते हुए यह बतलाया है कि प्राचीन लोकायतशास्त्र नास्तिक था।

उपर्युक्त किंवदन्ती के अनुसार "भाई-बहन" "भागुरि-भागुरी"-दोनों ही विद्वान् सिद्ध होते हैं। भागुरि वैयाकरण होते हुए भी नैयायिकों के लिए अधिक प्रभावशाली हुए।

---

१. वा.पु. (२।४४)

२. द्र. ऋग्वेद कल्पद्रुम की भूमिका (पृ. ११४) युधिष्ठिर मीमांसक

३. नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्।
बहु व्याहरताऽनेन न किञ्चिदपभाषितम्।। -रामायण (किष्किन्धा ३।२९

४. वा.पु. (१०।३।५९)

जगदीश तर्कालंकार की **शब्दशक्तिप्रकाशिका** में अनेकत्र इनके मतों की मान्यता देने के फलस्वरूप अर्थ मूलक-सिद्धान्त के द्वारा पाणिनीय कृत सिद्ध शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन प्रमाण स्वरूप उल्लिखित है। ऐसे शब्दों की वैकल्पिक मान्यता अब भी चली आ रही है। बहुत से अपाणिनीय शब्दों की साधुता बाद के वैयाकरणों को सिद्ध करने की प्रक्रिया कहीं नही दिखाई पड़ती, इनके मत का उल्लेख तर्कालंकार जी ने अधिकतर कारिकाओं में ही दिया है। यह निश्चित नहीं है कि कारिकायें मौलिक रूप में हैं अथवा परिवर्तित। अधिकतर विद्वानों की सम्मति में भागुरिकृत ही इन्हें माना गया है और भागुरि का ग्रन्थ स्वरूप भी कारिकाबद्ध रहा हो। उन कारिकाओं को **शब्दशक्तिप्रकाशिका** में यथा- प्रसङ्ग देते हुए इस प्रकार उद्धृत किया है -

१. **मुण्डादेस्तत् करोत्यर्थे गृहणात्यर्थे कृतादितः।**
वक्तात्यर्थे च सत्यादेर्, अंगादेस्तन्निरस्यति।

२. **तूस्ताद्विघाते, संघादेवस्त्रात्-पुच्छादितस्तथा।**
उत्प्रेक्षादौ, कर्मणो हि णिस्तदव्ययपूर्वतः।।

३. **वीणात उपमाने स्याद् हस्तिनोऽतिक्रमे तथा।**
सेनातश्चाभियाने णिः श्लोकादेरघुपरस्तुतौ।।

४. **गुप्-धूप-विच्छि-पणि पनेरायः कमेस्तु णिङ्।**
ऋतेरीयङ् चतुर्लेषु नित्यं स्वार्थे परत्र वा।

५. **गुपो वधेश्चनिन्दायां, क्षमायां तथातिजः।**
प्रतीकाराधर्थकाच्च कितः, स्वार्थे सनो विधिः।।

इन कारिकाओं के अतिरिक्त अन्य दो कारिकायें विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।

१. **वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरूपसर्गयोः।**
आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा।।

२. **हन्तेः कर्मण्युपष्टम्भात् प्रापुतुमर्थे तु सप्तमीम्।**
चतुर्थीं बाधिकामाहुश्चूर्णिभागुरिवाग्भटाः।।

उपर्युक्त दोनों कारिकाओं का व्याकरण के प्रक्रिया ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है। यद्यपि प्रथम कारिका के द्वितीयार्ध में पाठभेद विद्यमान है तथापि काशिका के दोनों व्याख्याताओं जिनेन्द्रबुद्धि तथा हरदत्त, ने "कार्त्तकौजपादयश्च" (६.२.३७) सूत्र के प्रसङ्गोचित उदाहरण "अवतण्ड"-"वतण्ड" दिये गये हैं। अन्य "प्रक्रिया ग्रन्थों में प्रचलित उदाहरणों "अपिधान" "पिधान" कौमुदी आदि "अवगाह" "वगाह" आदि द्वारा भागुरि के सम्मत अकार लोप का निदर्शन किया है। इसी प्रकार सिद्धान्तकौमुदी आदि प्रक्रिया ग्रन्थों में भी

हलन्त "वाच्" "निश्" तथा "दिश्" आदि शब्दों के विभक्ति रूपों में आबन्त "वाचा" "निशा" तथा "दिशा" आदि के साधुत्व का भी समाधान किया है।

पं. युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने इतिहास ग्रन्थ में भागुरि के नाम से विरचित अनेक ग्रन्थों का उल्लेख किया है। वे ग्रन्थ वेद विषयक, अलङ्कारशास्त्र परक, कोष विषयक, साङ्ख्यभाष्य, मनुस्मृतिभाष्य, राजशास्त्र निरूपक तथा अनुक्रमणिका आदि विषयों का निर्वचन करते हैं। उन ग्रन्थों का कर्त्ता वैयाकरण भागुरि है या भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं। इसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। फिर भी यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि भागुरि नाम भी अनेक शास्त्रों का परिचायक है। उनमें से प्रसिद्ध ग्रन्थों का परिचय इस प्रकार अन्यत्र मिलता है।

क. वैदिक विषय

किसी साम शाखा का प्रवाचक, जिसके आधार स्वरूप मीमांसक जी ने प्रपञ्चहृदय, चरणव्यूहटीका, जैमिनीय गृह्यप्रकाशिका तथा गोभिल गृह्यप्रकाशिका ग्रन्थ माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त संक्षिप्तसार के "अयाज्ञवल्क्यादेर्ब्राह्मणे" सूत्र की गोपीचन्द्रकृत व्याख्या में उद्धृत "शारङ्यायणिनः" भागुरिणः तथा ऐतरेयिणः उदाहरणों को देख श्री गुरुपद हलदार ने भागुरि को किसी सामशाखा के ब्राह्मण ग्रन्थ का प्रवचन कर्ता माना है।

ख. अलंकारशास्त्र

(अ) भागुरि के नाम से अलङ्कार शास्त्र में भी दो आचार्यों ने अपने मत का उल्लेख किया है उनमें से प्रथम सोमेश्वर कवि हैं।

(ब) दूसरे आचार्य अभिनवगुप्त हैं।

सोमेश्वर ने साहित्यकल्पद्रुम में यथासङ्ख्यालङ्कार प्रकरण में मत प्रदर्शित किया है। भागुरि ने यथासङ्ख्यालङ्कार के सम्बन्ध में अन्य आलङ्कारिकों की अपेक्षा कुछ विशेषता बतलाई है, - "भागुरिस्तु प्रथमं निर्दिष्टानां प्रश्नपूर्वकाणामर्थान्तरविषये निषेधोऽप्यनुनिर्दिष्टश्चेत् सोऽपि यथा सङ्ख्यालङ्कार इति'। ध्वन्यालोककार की "लोचन" टीका में भी भागुरि के मत को इस प्रकार दर्शाया गया है-"तथा च भागुरिरपि-किं रसनामपि स्थामि संचारिताऽस्तीत्याक्षिप्य अभ्युपगमेनैवोत्तरमवोचद् बाढमस्तीति'।

१. मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय का सूचीपत्र भाग१, खण्ड १ ए, पृष्ठ २८६५ ग्रन्थांग २।२६
२. तृतीय उद्योत पृष्ठ ३८५

ग. कोष

वेद[1] व्याकरण तथा साहित्यशास्त्र के ग्रन्थकारों तक ही भागुरि ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, अपितु कोश ''ग्रन्थों'' में भी अमरकोश के अनेक व्याख्यानों में भागुरि छाये हुए हैं। कोष के टीकाकारों तक ही भागुरि का नाम निर्देश सीमित नहीं रहा। सायणाचार्य ने तो उन्हें प्रथम कोशकार के रूप में भी परिगणित किया है। सायण ने इस सन्दर्भ में अमरकोश में वर्णित मेढक के पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख करते हुए सभी दीर्घ ईकारान्त शब्दों को ह्रस्व इकारान्त भी भागुरि सम्मत बतलाया है-तथा च भागुरिरपि ह्रस्वान्तं मन्यते यथाह च-भार्या भेकस्य वर्षाभ्वी शृंगी स्यान्मद्गुरस्य च। शिली गण्डूपदस्यापि कच्छपस्य डुलिः स्मृता।। (धातुवृत्ति, भूधातु पृष्ठ ३० तथा अमरटीकासर्वस्व भाग १ पृष्ठ १९३) स्त्रीलिङ्ग वर्षाभ्वी शब्द के सम्बन्ध में भानुदीक्षित ने अमरकोश की रामाश्रमी टीका में बड़े विस्तार के साथ विचार किया है। उन्होंने स्त्रीलिङ्ग में भी ''वर्षाभू'' शब्द ही व्याकरणसम्मत कहा है। भानुदीक्षित के मत में ङीबन्त असाधु है, क्योंकि तद् विधायकशास्त्र अष्टाध्यायी सम्मत नहीं है। भानुदीक्षित ने ''भागुरि'' और ''अमरमाला'' का सन्दर्भ देते हुए वर्षाभ्वी शब्द में ङीष् प्रत्यय दिखलाकर इस शब्द की साधुता अरुचि के साथ निष्पादित की है - ''वर्षाभ्वी इत्यसाधु। **ङीब्विधायकाभावात् स्त्रियामपि ''वर्षाभूः'' इत्येव। ''भेक्यां पुनर्नवायं स्त्री वर्षाभूर्दर्दुरि पुमान्'' इति यादवः। अन्ये तु गौरादित्वात् (४.१.४१) ङीषमिच्छन्ति अतएव भागुर्यमरमालयोः वर्षाभ्वी इति दृश्यते''।।**

भागुरि के कोषग्रन्थ निर्माण सम्बन्धी तर्क गुरुपद हलदार महोदय ने अपने ग्रन्थ ''व्याकरण दर्शनेर इतिहास पृष्ठ ४९९'' में प्रस्तुत किये हैं। हलदार महाशय ने भागुरि के ग्रन्थ का नाम त्रिकाण्ड कोश बतलाया है। उनका आधार ''पुरुषोत्तम देव कृत ''भाषावृत्ति'' की सृष्टिधर विरचित टीका है। इसके अतिरिक्त ''प्रभावृत्ति'' भी इस सम्बन्ध में उपादेय है। इन दोनों ग्रन्थों के अतिरिक्त सर्वानन्द कृत अमरकोश की टीका ''टीकासर्वस्व'' में त्रिकाण्ड कोश के अनेक वचन उद्धृत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में भाषावृत्तिकार कुछ वैदिकशब्दों को लौकिक संस्कृत में प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में भागुरि कृत त्रिकाण्ड शेष कोष का उल्लेख करते हैं, ऐसे शब्दों में से ''शिवतातिः शन्तातिः, अरिष्टतातिः'' आदि प्रस्तुत किये गये हैं। इन शब्दों की लौकिक साधुता ''प्रामाणिकता'' का समाधान भागुरि के द्वारा निर्दिष्ट होने से अथवा अव्युत्पन्न शब्दों की कल्पना द्वारा किया गया है।

---

1. अमरटीका सर्वस्व भाग १, पृष्ठ १११, १२५, १९३ इत्यादि, अमरक्षीरस्वामी टीका, पृष्ठ ५.९.१२ इत्यादि। हैम अभिधानचिन्तामणि स्वोपज्ञ टीका।

इन्हीं शब्दों के सम्बन्ध में "सृष्टिधर" ने भी अपने मत की पुष्टि के लिए आचार्य भागुरि की शरण ली है।[1]

इन शब्दों के पर्यालोचन से यह विदित होता है कि आचार्य भागुरि ने वैदिक और लौकिक शब्दों के सम्बन्ध में बहुत परिशीलन किया हो। इसके साथ ही कोषकार भी होना भागुरि के लिए असम्भव नहीं। शब्दों की वास्तविकता को वैयाकरण तथा कोशकार ही यथार्थ रूप में जानते हैं। अतः भागुरि का अनेक शास्त्र विषयक वैदुष्य रहस्यमय होते हुए भी अपनी छटा को आज भी फैलाये हुए है।

घ. अन्य शास्त्र-विषयक उल्लेख

वैदिक शब्दों के परिशीलन के अतिरिक्त भागुरि ने देव सम्बन्धी अनुक्रमणिका की रचना भी की थी। इसका उल्लेख गृहपति शौनक ने अपने "बृहद्देवता" में किया है। भागुरि राजनीतिशास्त्र का निरूपण करने में सिद्धहस्त रहे। नीतिवाक्यामृत की टीका में भागुरि के मतों को उद्धृत किया गया है। भागुरि का ज्ञान सीमित नहीं रहा कोश-व्याकरणादि शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों में भी उनकी गति रही। इन बातों का परिचय अनेक ग्रन्थों में मिलता है। ग्यारहवीं शताब्दी के धर्मशास्त्र निबन्धकार लक्ष्मीधर ने अपने ग्रन्थ "कृत्यकल्पतरु" में "अनपसर" शब्द का अर्थ भागुरि द्वारा प्रदर्शित विदित कराया है। धर्मशास्त्र के अतिरिक्त साङ्ख्यदर्शनभाष्य भी भागुरिकृत रहा-इसकी सूचना स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपनी संस्कार-विधि में दी है।

पाणिनि द्वारा भागुरि का नाम-निर्देश न किये जाने पर भी उनका अस्तित्व छिपा नहीं रहा, भले ही उनके ग्रन्थ प्रकाश में न आये हों, फिर भी उनके शब्द प्रति ध्वनित होते चले आ रहे हैं। कदाचित् पाणिनि के समय उनका प्रभाव कुछ कम हो गया हो अथवा उनका व्याकरण कुछ सीमित प्रकरणों तक ही रचा गया हो, इसी कारण उनके मत का उल्लेख वार्तिक तथा भाष्यादि ग्रन्थों में नहीं मिलता। अतः भागुरि को केवल "अपि" तथा "अव" उपसर्गों के अकार के लोप का विधायक समझना मूर्खता होगी।

पौष्करसादि

पाणिनि द्वारा उल्लेख न किये जाने पर भी पौष्करसादि नामक आचार्य को महाभाष्यकार पतञ्जलि ने एक वार्तिक–"चयो द्वितीयाः शरि पौ करसादेः" (८.४.४८)

---

१. (क) शिवतातिः शन्तातिः, अरिष्टतातिः अमी शब्दाश्छान्दसा अपि कदाचिद् भाषायां प्रयुज्यन्ते इति त्रिकाण्डे भागुरिनिबन्धनाद्वाऽव्युत्पन्नसंज्ञाशब्दत्वाद् सर्वथा भाषायां साधवः १४.४.१४३ (ख) त्रिकाण्डेकोशविशेषे भागुरेरेवाचार्य एव यदेषां निबन्धनं तस्माच्च ४.४.१४३ (ग) ऐभिर्नवभिः सूत्रैनर्निष्पन्नाश्छान्दसा अपि शब्दा भाषायां साधवो भवन्ति त्रिकाण्डे भागुरिनिबन्धनात्।

उद्धृत कर इनका स्मरण किया है। काशिकाकार **जयादित्य वामन** ने भी इन्हें आचार्य कहकर सूचित किया है। इनके व्याकरण के सम्बन्ध में आगे आने वाले वैयाकरण भी मौन दिखाई पड़े। अतः इनके ग्रन्थ का स्वरूप अविदित ही है।

इनका नामोल्लेख करने वाले अनेक ग्रन्थकार अवश्य हैं, उनमें काशकृत्स्न धातु-पाठ के व्याख्याता चन्नवीर प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं, उन्होंने कन्नड़ भाषा के विरचित टीका के आरम्भ में इन्द्र, चन्द्र, आपशलि, गार्ग्य, गालव आदि के साथ पौष्करसादि की चर्चा की है[1]। अन्य वैयाकरणों के अनुसार तद्धित् ''इञ्'' प्रत्ययान्त अपत्यवाची संज्ञा मानकर निर्वाह किया जाता है। तदनन्तर पाणिनि द्वारा प्रतिपादित तौल्वल्यादि गण में पौष्करसादि शब्द पढ़ा है। उससे युवार्थक फक् प्रत्यय (आयन) के अलुक् का विधान किया है। (२।४।६१) इससे इनका पाणिनिपूर्व होना निश्चित है। हरदत्त के मतानुसार आचार्य पौष्करसादि प्रागुदेशवासी रहे।-(पुष्करसदः प्राच्यत्वात्) पाणिनीय व्याकरण के उदाहरणों से भी इनका प्रागुदेशवासी होना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध जातकों में ''पोक्खरसदो का प्राग्दिशवासियों में उल्लेख किया गया है। यज्ञेश्वर भट्ट ने अपनी (४.१.९६) गणरत्नावली में इन्हें पुष्कर तीर्थ निवासी कहा है। इसमें उन्होंने इनके नाम की व्युत्पत्ति उसी प्रकार की है- ''पुष्करे तीर्थविशेषे सीदतीति पुष्करसद्-तस्यापत्यं पौष्करसादिः''। राजस्थान का प्राचीन भौगोलिक समानता का महत्त्व इसी बात से सिद्ध होता है कि प्राग्देश में तालाब को पोक्खर कहा जाता है।

महाभाष्य के अतिरिक्त इनका नामोल्लेख शाङ्खायन आरण्यक में भी किया गया है। इसके साथ ही हिरण्यकेशीय गृह्य (हि.के.गृ.सू. १.६.८) सूत्र तथा अग्निवेश्य (१.१) गृह्यसूत्र में पुष्करसादि के मत निर्दिष्ट हैं। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी दो बार पौष्करसादि आचार्य का उल्लेख हुआ है।

पौष्करसादि का अपर नाम पुष्करसादि भी है - इस सम्बन्ध में अनेक तर्क उपस्थित किये जाते हैं। इस प्रकार पं. युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने ग्रन्थ (सं.व्या.इ.प्र.भाग पृ.११२) में पौष्करसादि की प्राचीनता पर विचार किया है। उन्होंने आपस्तम्ब धर्मसूत्र की हरदत्त द्वारा लिखित व्याख्या को प्रमाण स्वरूप मानकर पौष्करसादि एवं पुष्करसादि की एकता मानी है। तथा आदिवृद्धि के अभाव को अपरनाम पुष्करसादि में वृद्धि का अभाव छान्दस स्वीकार कर सामञ्जस्य स्थापित किया है।

उपर्युक्त दोनों शब्दों का पाठ पाणिनि सूत्रों के विभिन्न गणों में मिलता है। तदनुसार यस्कादि, वाहवादि, तथा अनुशतिकादिगणों में ये दोनों शब्द यथास्थान पढ़े गये हैं। फिर भी कात्यायन तथा पतञ्जलि ने पुष्करसद् शब्द की प्रमुखता अनुशतिकादि गण में मानी है।

---

१. कन्नड़ टीका का रूपान्तर - ''सद्भिः = इन्द्रचन्द्रापिशलिगार्ग्यगालवपौष्करैः'' (पृ. १)

इसके फलस्वरूप उभय पद वृद्धि होकर पौष्करसादि शब्द (निष्पन्न) होने में कोई बाधा नहीं। अतः इस शब्द के प्रक्षिप्त न होने में और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं।

चारायण

आचार्य चारायण भी व्याकरण के प्राचीन प्रवक्ता रहे। उनके सम्बन्ध में कुछ विवरण प्राप्त होता है तदनुसार पिता का नाम 'चर' था। अपत्यवाची 'फक्' प्रत्यय होने पर 'चारायण' शब्द निष्पन्न होता है। प्राचीन वैयाकरणों के नामों में अपत्यवाची शब्दों की परम्परा प्रचलित रही है। इनका नाम संकेत महाभाष्य में मिलता है-

''कम्बलचारायणीयाः ओदनपाणिनीयाः घृतरौढीयाः''[1]

कैयट ने भी इसी स्थान पर कहा है-

'कम्बलप्रियस्य चारायणस्य शिष्या इत्यर्थः'

इनके अतिरिक्त वामन[2], वात्स्यायन[3] तथा कौटिल्य[4] आदि ने इनका नामनिर्देश किया है।

इन्हें कृष्णयजुर्वेद की चारयणीय शाखा का प्रवक्ता माना गया है। इनके विद्यमान होने के सम्बन्ध में समय अभी तक अनिर्णीत ही है। युधिष्ठिर मीमांसक इन्हें लगभग ३१०० वि.पू. मानते हैं।[5]

ग्रन्थ-१. चारायणीय संहिता-यह कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का ग्रन्थ है।

२. चारायणीय शिक्षा-यह कृष्णयजुर्वेद से सम्बद्ध शिक्षा ग्रन्थ है। इसका उल्लेख कीनहार्न ने इण्डियन एण्टीक्वेटी[6] में किया है।

इसके अतिरिक्त सागर नन्दी ने अपने ग्रन्थ नाटकलक्षणरत्नकोश में साहित्य के विद्वान् चारायण का उल्लेख किया है।[7]

शान्तनव (शन्तनु, शान्तनु)

पाणिनीय व्याकरण के वैदिक स्वरों के परिचायक कुछ अन्य सूत्र भी उपलब्ध होते

---

१. महाभाष्य (१।१।७३)
२. का. ६।२।६९
३. का. सू. (१.१.१२)
४. अ.शा. (अ. ५ अ.५)
५. भाग-१ (पृ. ११५)
६. १९७६ जुलाई
७. आह चारायणः-पृष्ठ १६

हैं। पाणिनिकृत न होने पर भी इनका समन्वयात्मक सम्बन्ध अष्टाध्यायी से जुड़ा हुआ है। वैदिक प्रक्रिया में उपयोगी होने के कारण इन सूत्रों के रचयिता को वैदिक वैयाकरण की कोटि में रखना उचित होगा। इन सूत्रों का नामकरण फिट्सूत्र से अभिहित है। इनके कर्ता शान्तनवाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। फिट् सूत्र-स्वयं अपने नाम के परिचायक हैं। सर्व प्रथम फिष् प्रत्यय को अभिलक्षित कर अन्तोदात्त का विधान किया गया है[1]। मूर्धन्य षकारान्त "फिष्" शब्द के प्रथमा एकवचन में फिट् रूप निष्पन्न होता है। फिट् शब्द के साथ सूत्र शब्द का समास, करने पर अन्वर्थक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिकों के स्वर विचार के लिए निबद्ध यह सूत्र पाठ "फिट् स्वर पाठ" के नाम से विख्यात है। फिट् सूत्र चतुष्पादी हैं, जिनकी सूत्र संख्या ८७ (सत्तासी) है।

फिट् सूत्रों के कर्ता पाणिनि के परवर्ती और पतञ्जलि के पूर्ववर्ती थे। काशिका के व्याख्याता हरदत्त ने पदमञ्जरी में "द्वारादीनां च (७.३.४) सूत्र में "सौवर" शब्द की सिद्धि[2] करते हुए फिट्सूत्रकर्ता शन्तनु का नामोल्लेख किया है[3] फिषोऽन्त उदात्तः" की व्याख्या करते हुए "तत्त्वबोधिनीकार" ने यह अभिव्यञ्जित किया है कि फिट् सूत्र पाणिनीयकृत नहीं है, यह तथ्य निर्विवाद है[4]।

पं. युधिष्ठिर मीमांसक जी ने शन्तनु शब्द को अभिलक्षित कर महाभारतकालीन भीष्म के पिता शन्तनु से फिट् सूत्रों के कर्ता का सम्बन्ध जोड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने एक दूसरी कल्पना भी की है, जिसका मूल चन्द्राचार्य का एक वक्तव्य है, तदनुसार मीमांसक जी "अष्" प्रत्याहार को अच् प्रत्याहार में परिवर्तन करते हैं[5]। इसी प्रकार शान्तनवाचार्य पाणिनि के भी पूर्ववर्ती होने चाहिए, किन्तु प्राचीन काल से पाणिनीय परम्परा ने इनको पाणिनि और पतञ्जलि के मध्यवर्ती अथवा पाणिनि के समकालिक स्वीकार किया है।

फिट् सूत्रों का स्वरूप

उपलब्ध फिट् सूत्रों की संख्या ८७ है, जो चार पादों में विभक्त हैं। वस्तुतः यह शन्तनुतन्त्र का अन्यतम भाग मात्र है। फिट् सूत्रों के पारिभाषिक शब्द अव्याख्यात हैं। जैसे

---

१. फिषोऽन्त उदात्तः (१.१.१)

२. स्वरमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः सौवरः । सौवरोऽध्यायः (काशिका)

३. स पुनः शन्तनुप्रणीतः फिषित्यादिकः
तथा "शन्तनुराचार्यः प्रणेतेति द्वारादीनां चेति सूत्रे हरदत्तः। नागेशभट्ट

४. अपाणिनीयान्यपि फिट्सूत्राणि पाणिनीयैराश्रीयन्ते भाष्याज्ञापकात्। तथा च "आद्युदात्तश्च"
पा. ३।१।३ इति सूत्रे भाष्यं प्रातिपदिकस्य चान्त इति प्रकृतेरन्तोदात्तत्वं शास्ति इति"

५. तृण धान्यानां च द्वयषाम्" (फि. सू. २७) और "लघावन्ते द्वयोश्च बह्वषोगुरुः (फि.सू. ४२) में "अष्" प्रत्याहार का परिगणन है। चन्द्राचार्य इसी की ओर संकेत कर रहे हैं।

फिट् (सूत्र १), (सू. ६१) इत्यादि के व्याख्यानपरक सूत्र अवश्य होने चाहिए, जो सम्प्रति अनुपलब्ध हैं।

विचारणीय

चन्द्राचार्य के मन्तव्य को अभिव्यञ्जित कर आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने अपने "संस्कृत शास्त्रों का इतिहास" (पृ. ५६६) में यह निर्णय लिया है कि शन्तनु भी व्याडि आदि के समान पाणिनि से कुछ पूर्व होंगे। क्योंकि प्रत्याहार सूत्रों में जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है, वह बाद में पाणिनि द्वारा प्रतिसंस्कृत किया गया है।

उपसंहार

निष्कर्ष यह है कि शन्तनुतन्त्र के फिट्सूत्र पाणिनीयतन्त्र के परस्परोपकारक अविभाज्य अंश हैं। इसी कारण पाणिनीयतन्त्र के व्याख्याताओं ने पाणिनीय व्याकरण के समान ही फिट् सूत्रों पर प्रकाश डाला है। विरोध होने पर यह कदापि सम्भव नहीं रहा। पाणिनि का अपने पूर्ववर्ती दस आचार्यों के समान अष्टाध्यायी में फिट्सूत्रकर्ता का उल्लेख न करना अपने समवर्ती अथवा कुछ पूर्व होने के कारण सर्वथा युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है। यही बात व्याडि के सम्बन्ध में अधिकतर विद्वानों ने मानी है। पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित किया है।

वैयाघ्रपद्य

यद्यपि पूर्वोक्त दस उल्लिखित वैयाकरणों के अनुसार पाणिनि ने वैयाघ्रपद्य का मत किसी सूत्र द्वारा उल्लिखित नहीं किया, किन्तु "गर्गादिभ्यो यञ्" (पा. ४.१.१०५) सूत्रस्थ गर्गादिगण पाठ में वैयाघ्रपद्य का उल्लेख किया गया है। इस आधार पर विद्वानों का यह निश्चित मत है कि वैयाघ्रपद्य भी पाणिनि पूर्ववर्ती व्याकरणप्रवचनकार रहे हों।

वैयाकरण पद्य शब्द भी अपत्यवाची (गोत्रापत्य) होने से अन्य वैयाकरणों की भांति तद्धित प्रत्ययान्त निष्पन्न होकर वैयाकरण परम्परा को उद्वेलित कर रहा है। इनका नाम शतपथ ब्राह्मण (१०.६.१.७,२११) शाङ्खायन आरण्यक (६.७११) तथा जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (३.७.४.१, ४.६.१.१) में प्राप्त होता है। अतः इन उल्लेखों के आधार पर भी वैयाघ्रपद्य पाणिनि के पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त महाभाष्य ने किसी वैयाघ्रपद्य को वसिष्ठ के उन्नीस पुत्रों में परिगणित किया है[1]। इन्हें वैयाकरण मानने में कोई अन्य प्रमाण नहीं मिलता।

---

१. व्याघ्रयोन्यां ततो जाता वसिष्ठस्य महात्मनः।
एकोनविंशतिः पुत्राः ख्याता व्याघ्रपदादयः।। महा. भा. अनु. प. ५३.३०

इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण- पूर्वत्रासिद्धम् (पा. ८.२.१) सूत्रस्थ काशिका में उद्धृत कारिका की व्याख्या भट्टोजिदीक्षित द्वारा विरचित शब्दकौस्तुभ में विद्यमान हैं[1]। इसके अनुसार भट्टोजिदीक्षित ने उल्लिखित कारिका को वैयाघ्रपद्य विरचित वार्तिक स्वीकार किया है[2]। अन्य श्लोक वार्तिकों के समान काशिका में उद्धृत कारिका महाभाष्य में उल्लिखित नहीं है। इसका कारण यह हो सकता है कि यह अन्य वार्तिकों के समान कात्यायनीय वार्तिक न रहा हो। तथापि आगे चलकर विद्वानों ने इसका सम्बन्ध **''पूर्वत्रासिद्धम्** (पा. ८.२.१) में समाविष्ट कर दिया हो।

तदनुसार उपर्युक्त वार्तिक वैयाघ्रपद्य द्वारा मानना ही समीचीन होगा। इसके अतिरिक्त म.म. अभ्यङ्कर जी ने **''ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च** (पा. ७.१.९४) सूत्रस्थ काशिका वृत्ति की कारिका[3] में व्याघ्रपाद का उल्लेख किया है, जिसके फलस्वरूप 'त्रिपु' शब्द के सम्बोधन में ''हे त्रिपु'' तथा ''हे त्रिपो'' ये दो रूप प्रदर्शित किये हैं। ये वैकल्पिक विधान वैयाघ्रपद्य के मत से सम्भव होना अभ्यङ्कर जी को अभीष्ट है। इसका हेतु कोष ग्रन्थों में उभय रूपों को उद्धृत करना है। **अमरकोष में त्रपु शब्द** केवल नपुंसकलिङ्ग में पठित है-

''त्रिपु पिच्चटम्'' (अमर २.९.१०५) इस शब्द को अभिलक्षित कर भट्टोजिदीक्षित के पुत्र भानुदीक्षित ने त्रपु शब्द के पुलिंग होने का भी प्रमाण दिया है[4]। त्रपु शब्द की व्युत्पत्ति ''त्रपूष् + उ'' दोनों लिङ्गों में समान है।

ग्रन्थ का स्वरूप

मौलिक रूप में वैयाघ्रपद्य की रचना उपलब्ध नहीं है। बहिःसाक्ष्य के आधार पर वैयाघ्रपद्य का व्याकरण विस्तृत रहा तथा इसका निर्वचन दस अध्यायों में हुआ हो। इसके प्रमाणभूत ''सूत्राच्च कोपधात्'' (पा. ४.२.६५) और "संख्यायाः सज्ञा संघसूत्राध्ययनेषु" (पा. ५.१.५८) के उदाहरण हैं[5]। इन काशिकोक्त उदाहरणों से परिज्ञात होता है कि उनके समय पर्यन्त किसी न किसी रूप में अध्यायत्रयव्यापी काशकृत्स्न व्याकरण आदि व्याकरणों के समान वैयाघ्रपद्य-व्याकरण का पठन-पाठन प्रचलित रहा हो।

---

१. शुष्किका शुष्कजङ्घा च क्षाभिमानीजदत्तथा।
मतोर्वत्वे झलांजश्त्वे गुडलिण्मान्निदर्शनम्।

२. अत एव ''शुष्किकाः इति वैयाघ्रपद्यवार्तिके
जिशब्द एव पठ्यते - (शब्द कौ. १.१.५९)

३. सम्बोधने तूशनसस्त्रिरूपं सान्ततथा नान्तमथाऽप्यदन्तम्।
माध्यन्दिनिर्वष्टि गुणंत्विगन्ते नपुंसके व्याघ्रपदांवरिष्ठः।।

४. रंगसीसकयोस्त्रपुः इतिरूढः। (अमर २.९.१०५) की रामाश्रमीव्याख्या।

५. ''दशकाः वैयाघ्रपदीयाः। ''दशकं वैयाघ्रपदीयम्''। (काशिकावृत्ति)

किन्हीं विद्वानों के मत में "आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासी" (पा. ६.२.३६) सूत्रस्थ आचार्य संश्लिष्ट अन्तेवासी शब्दों के परिगणन में "आपिशलपाणिनीयव्याडीयगौतमीयाः" यह उदाहरण महाभाष्य में विद्यमान है। इसमें व्याडीय का अन्यतम पाठभेद "व्याघ्रपदीय" कुछ लोगों ने स्वीकार किया है। तदनुसार व्याघ्रपात् भी किसी शब्दशास्त्र के प्रवक्ता रहे हों। इसके अतिरिक्त इनके सम्बन्ध में कल्पना करना आकाश पुष्प के समान ही है।

रौढ़ि

पाणिनिपूर्वकालीन अनुल्लिखित वैयाकरणों में आचार्य रौढि के भी अनेकत्र सङ्केत मिलते हैं। इन संकेतों में प्रमुख रूप से महाभाष्य[1], काशिका[2] आदि के उल्लेख सर्वविदित हैं।

इनका नाम भी अपत्यवाचक होने के कारण इनके पिता का नाम 'रूढ' विदित होता है। वर्धमान के द्वारा क्रौड्यादिगण में 'रौढि' पद उपदिष्ट होने से इनकी बहन का नाम 'रौढ्या' स्वीकार किया जाता है।

कैयट के अनुसार पूर्वाचार्यों ने क्रौड्यादि के स्थान पर रौढ्यादि पद का प्रयोग किया था। अर्थात् 'क्रौड्यादिभ्यश्च' सूत्र के स्थान पर 'रौढ्यादिभ्यश्च' सूत्र था। इससे सिद्ध होता है कि रौढ़ि पाणिनि से पूर्ववर्ती थे।

यास्क

पाणिनि से पूर्व व्याकरण की धारा अनेक रूपों में प्रवाहित हो रही थी। एक तो वैदिक भाषा को अभिलक्षित कर प्रातिशाख्यों के नाम से विख्यात हुई। दूसरी धारा वैदिक शब्दों के अर्थ को दृष्टिगत रखते हुए अनेक अर्थों तक सीमित रहकर "निरुक्त" प्रक्रिया के रूप में विकसित होती रही। तथा उच्चारण की सूक्ष्मता को निदर्शन करने में "शिक्षा" की सार्थकता भी अविस्मरणीय है। इन दोनों धाराओं में से लौकिक संस्कृत की दृष्टि से नैरुक्त प्रक्रिया अधिक समीप में आयी। इस प्रकार पाणिनि को अष्टाध्यायी की रचना करते हुए नैरुक्त सम्प्रदाय की विभिन्न शाखाओं का सामना करना पड़ा। निरुक्तकार अधिकतर वैदिक शब्दों के अर्थ का विश्लेषण करते हुए उन शब्दों को वैदिक ऋचाओं में तथा अन्यत्र प्रयुक्त होने वाले स्थलों को उद्धृत कर उन शब्दों की सार्थकता सिद्ध करते रहे। वे शब्दों के साधुत्व की प्रक्रिया अर्थात् प्रकृति-प्रत्ययात्मक संगमन की ओर ध्यान नहीं देते थे। इस अभाव की पूर्ति आगे चलकर पाणिनि सदृश बैयाकरणों ने की। किन्तु नैरुक्त सम्प्रदाय का प्रभाव किसी न किसी रूप में व्याकरण शास्त्र पर अवश्य पड़ा है। आधुनिक भाषा विज्ञान इन्हीं निरुक्त

---

१. घृतरौढीयाः (म.भा. १।१।७३)

२. पाणिनीयरौढीयाः रौढीयकाशकृत्स्नाः (का. ६।२।३६)

ग्रन्थों की देन है, जिनमें सर्वप्रमुख यास्क उल्लेखनीय है। अतः पाणिनीय व्याकरण के इतिहास में यास्क की भूमिका बड़ी महनीय है।

वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण के प्रणेताओं में तीन प्रकार के कृतिकार हमारे सामने आते हैं :-

१. आधुनिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से विचार करने वाले प्राचीन और आधुनिक भाषाविद् वैयाकरण।
२. सूत्रकार और परम्परानुयायी वैयाकरण तथा
३. दार्शनिक वैयाकरण।

भाषावैज्ञानिक वैयाकरणों में तो प्रातिशाख्यकारों, नैरुक्तों और शिक्षाकारों का समावेश हो जायेगा, उनके साथ ही आधुनिक युग के भाषावैज्ञानिकों का भी परिगणन हो जाएगा। इन चारों तथा शुद्ध वैयाकरणों में अन्तर यह है कि शुद्ध वैयाकरण शब्दों के रूप की रचना-प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तथा वहीं निरुक्तकार शब्दों के ध्वनितत्त्व और अर्थतत्त्व की महत्ता पर बल देते हैं। इस सन्दर्भ में यास्क की महत्ता पर विचार करना प्रसङ्गसङ्गत है।

यास्क पाणिनि से कम से कम लगभग दो शतक पूर्व रहे होंगे। इन्हें लगभग ८०० वि. पूर्व के आसपास रखा जा सकता है। इसी आस-पास शाकटायन, गार्ग्य, गालव, आदि अनेक निरुक्ताचार्य समानान्तर रूप में अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करते रहे। फिर भी यास्क ने जो महानीय स्थान प्राप्त किया वह वैदिक कोष निघण्टु की व्याख्या के इतिहास में बेजोड़ है। यास्क के टीकाकार दुर्गाचार्य (वि.सं. ६००) ने यद्यपि १४ निरुक्त गिनाये किन्तु यास्क ने स्वयं १२ निरुक्तकारों के नाम गिनाये तथा स्वयं अपने को तेरहवां निरुक्तकार कहा है। तदनुसार १४वें निरुक्तकार के रूप में वे दुर्गाचार्य ज्ञात हुए। यास्क के अनुसार १. आग्रायण, २. औपमन्यव, ३. औदुम्बरायण, ४. और्णवाभ, ५. कात्थक्य, ६. क्रौष्टुकि, ७. गार्ग्य, ८. गालव, ९. तैटीक, १०. वार्ष्यायणि, ११. शाकपूणि १२. स्थौलाष्ठीवि। यास्क के समानान्तर विचारक शाकटायन तथा औदुम्बरायण के सिद्धान्तों के साथ समीक्षा करने पर यह सिद्ध होता है कि महर्षि यास्क को पाणिनि-पूर्व वैयाकरणों की कोटि में भी रखा जा सकता है। पाणिनि के अध्येताओं को यास्क के निरुक्त का अध्ययन अर्थतत्त्व की दृष्टि से करना आवश्यक प्रतीत होता है। शाकटायन के मत "नामान्याख्यातजानि" और अपने स्वोपज्ञ सिद्धान्त "अर्थनित्यं परीक्षेत" की स्थापनात्मक समीक्षा करने वाले यास्क निश्चय ही व्याकरण की तथाकथित सङ्कीर्ण चारदीवारी को मानने के विरोधी हैं। उनके द्वारा मान्य "चत्वारि पदजातानि" एवं औदुम्बरायण के "इन्द्रियनित्यं वचनम्", तत्र चतुष्ट्वं नोपपद्यते" की सयुक्तिक विवेचना उन्हें वैयाकरणों की कोटि में ही खींच लाती है। इस सम्बन्ध में एक बात विशेष रूप से विचारणीय है कि

औदुम्बरायण की इस महत्त्वपूर्ण उपस्थापना को यास्क उसी द्वारा कथित ''व्याप्तिमत्त्वात्तु शब्दस्य'' तथा ''अणीयस्त्वाच्च'' आदि सूत्रों द्वारा उतना स्पष्ट न कर सके जितना कि भर्तृहरि ने अपनी ''वाक्यपदीय'' में एक कारिका में ही स्पष्ट कर दिया[1]। भाषा-विज्ञान तथा पाणिनि सम्प्रदाय के अनुसार प्रायः सभी शब्द धातुज हैं। इस संदर्भ में गार्ग्य इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं। उन्होंने इस असहमति में छः (६) हेतु प्रस्तुत किये हैं, जो इस प्रकार हैं-

(१) यदि सभी नाम आख्यातज होते, आख्यात से जिन-जिन वस्तुओं का सम्बन्ध होता, उन सबों का एक ही तरह के नाम होते, जैसे ''अश्व'' शब्द में ''अश्'' धातु तय करने के अर्थ में है। यदि यह स्वीकार किया जाय तो सभी तय करने वालों की अश्व संज्ञा होने लगेगी। इसका समाधान यास्क ने इस प्रकार किया है कि एक क्रिया से सम्बद्ध सब वस्तुओं या व्यक्तियों में से कुछ को तो क्रिया सम्बन्ध बताने वाला नाम (संज्ञा) दे देते हैं, तथा कुछ को नहीं।

(२) यदि सभी नाम आख्यातज होते, तो जिन-जिन क्रियाओं से किसी वस्तु का सम्बन्ध होता उन सभी के आधार पर उसका नाम पड़ता है जैसे - खम्भे को ''दरशया'' कहते, क्योंकि यह छेद में सोती है। धरन पर आधारित होने के कारण उसे ''आसंजनी'' भी कहा जाता है। इसका समाधान भी यास्क ने पूर्व उत्तर के अनुसार ही किया है। अर्थात् सभी धातुओं के आधार पर नामकरण असम्भव है।

(३) यदि नाम (संज्ञा) में धातु का स्वरूप विद्यमान हो, तो भी उसे तत्सदृश ही रहना चाहिए था तो वह व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध हुआ होता। तो उसका अर्थ भी मालूम हो जाता ? जैसे ''पुरुष'' शब्द में पुर + शी दिखाई पड़ता तो इससे अच्छा शुद्ध नाम होता ''पुरिशय''। यास्क के अनुसार एकपदिक-काण्ड में कुछ कृदन्त प्रत्ययों से बने शब्दों का प्रयोग सर्वत्र नहीं मिलता। जैस व्रतति, जागरूक इत्यादि शब्द।

(४) सभी नामों की प्रकृति आख्यात मानने से लोक में प्रचलित शब्दों का व्यवहार चल पड़ने पर उन शब्दों का मूल अन्वेषण करने की प्रक्रिया निरर्थक होती है। जैसे- ''पृथिवी'' शब्द विस्तारार्थक पृथ् से निष्पन्न माना जाता है। तथा उसका विस्तारं किसने किया ? यह शंका उपस्थित होती है। यास्क ने इसे हास्यास्य कहकर समाहित किया है कि पृथिवी के विस्तार को कौन नहीं देखता है ?

(५) पुनः गार्ग्य शाकटायन पर आक्षेप करते हुए इस सिद्धान्त की आलोचना करते हैं कि यदि एक धातु से व्युत्पत्ति करने में असुविधा होती है, तो और रचना व्याकरण

---

१. वा. २.२३०

सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में शाकटायन शब्द के अवयवों की कल्पना करने लगते हैं। उदाहरणार्थ-"सत्य" शब्द में "इ" धातु तथा "अस्" इन-दोनों धातुओं को निविष्ट कर देते हैं।

(६) सब शब्दों के आख्यातज होने पर क्रिया के पहले ही नाम कैसे पड़ जाता है ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि कुछ वस्तुओं का नाम आगे होने वाली क्रियाओं के आधार पर रखा जाता है। उदाहरणार्थ-बिल्वाद पक्षी के नाम की सार्थकता जन्मतः बिल्व भक्षण न करने पर भी बाद में उस क्रिया के सम्पन्न होने के कारण "यथानाम तथा गुणः" लोकोक्ति द्वारा सिद्ध होती है। इन युक्तियों द्वारा महर्षि यास्क ने भाषा विज्ञान के सर्वमान्य सिद्धान्त "धातुज शब्दों" की सिद्धि पर अपनी मुहर पहले ही लगा दी थी।

इतना होने पर भी यास्क का महत्त्व संस्कृत-व्याकरण के विद्यार्थियों के लिए इतना अधिक है कि उसे पढ़े बिना वह व्याकरण के पूर्णकालिक उपलब्धियों से वंचित रह जायेगा।

शाकपूणि

यास्क द्वारा उल्लिखित पूर्व नैरुक्ताचार्यों में से यास्क को **शाकपूणि आचार्य** की परम्परा का शिष्य कहा जाता है। **आचार्य शाकपूणि** महान् वैयाकरण एवं भाषाशास्त्र के पण्डित रहे। आचार्य शाकपूणि की शिष्य परम्परा का आरम्भ विदेह जनक के समय से होता है। विदेह जनक के समकालिक **उद्दालक आरुणि** एक प्रसिद्ध विद्वान् और विचारक हुए, जिन्होंने ब्रह्मवेत्ता **अश्वपति** से तत्त्वज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी। इनका पुत्र **श्वेतकेतु औद्दालकी** हुआ, जिसकी प्रसिद्धि एक विलक्षण ब्रह्मवेत्ता और कामशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में विश्रुत है। श्वेतकेतु की वंश-परम्परा में वैयाकरण एवं भाषाशास्त्री शाकपूणि हुए। जिनका उल्लेख यास्क ने किया है। शाकपूणि की अगली पीढ़ी में **आसुरी** नामक एक अद्भुत विद्वान हुए, जिनके यशस्वी शिष्य का नाम था **पंचशिख**। इसी पंचशिख को अनीश्वरवादी दर्शन सांख्य का निर्माता कपिल भी कहा जाता है। इन्हीं कपिल पंचशिख की तीसरी पीढ़ी मे यास्क हुए। इस दृष्टि से इतिहासकारों ने यास्क का स्थितिकाल वि.पू. नवम शतक निर्धारित किया है।

पदार्थ सम्बन्धी विमर्श

अधिकतर आचार्यों ने पद अपोद्धार को चार भागों में विभक्त किया है-१. नाम, २. आख्यात, ३. उपसर्ग तथा ४. निपात। ये ही सबसे प्राचीन विभाग मान्य हैं-यास्क ने ऋग्वेद के (१.१६४.४५) **"चत्वारि वाक् परिमिता पदानि"** की व्याख्या, वैयाकरणों की दृष्टि से नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात के रूप में की है। महाभाष्यकार ने भी इसका

समर्थन किया है। नाम और आख्यात से उपसर्ग और निपात इस दृष्टि से अलग माने जाते हैं कि नाम और आख्यात साक्षात् वाचक हैं, जबकि उपसर्ग और निपात साक्षात् अर्थवान् नहीं है, वे विशेष अर्थ के द्योतक मात्र हैं। उपसर्ग और निपात में परस्पर भेद यह है कि निपात सिद्ध (कारक) और साध्य (क्रिया) दोनों के अर्थ-विशेष के द्योतक होते हैं, जबकि उपसर्ग केवल साध्य के अर्थ-विशेष के द्योतक होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से ध्वन्यालोककार के मत में निपात को वाचक इसलिए नहीं माना जाता है कि "च" आदि निपातों का वाक्य के आरम्भ में प्रयोग नहीं होता, उनका स्वतन्त्र प्रयोग भी नहीं होता। जैसे "इव" आदि का। उसके साथ षष्ठी आदि विभक्तियाँ भी नहीं होतीं लिङ्ग एवं संख्या का योग भी उसके साथ नहीं होता[1]। निपात का प्रयोग पाद-पूरण के लिए भी होता रहा है[2]। इसके विपरीत गार्ग्य के अनुसार उपसर्ग स्वतन्त्र रूप से भी वाचक रहे। जैसे उत्तर = - उद्. तर, उत्तम = उद. तम, उद्वत् = उद्. वत् आदि शब्द इस बात के द्योतक हैं कि कभी उपसर्ग भी स्वतन्त्र अर्थ रखते थे। अन्यथा उनसे तर और तम आदि प्रत्यय सम्भव नहीं थे। परन्तु **शाकटायन,** यास्क के अनुसार, उपसर्गों को नाम और आख्यात से अलग रूप में वाचक नहीं मानते थे। वैयाकरण सम्प्रदाय में उपसर्ग द्योतक रूप में गृहीत हैं। इसी प्रकार कर्मप्रवचनीय भी क्रियाजनित सम्बन्ध-विशेष के द्योतन के द्वारा क्रियाविशेष के प्रकाशक होते हैं इसलिए कुछ लोगों के अनुसार, कर्म प्रवचनीय का उपसर्ग में अन्तर्भाव गृहीत हैं। फलतः पद चार प्रकार के ही माने गये हैं। कुछ आचार्य कर्मप्रवचनीय को चार प्रकार के अतिरिक्त पाँचवां पद भी मानते हैं। उनके मत में कर्मप्रवचनीय और उपसर्ग में मौलिक भेद हैं। कर्मप्रवचनीय अतिक्रान्त क्रियागत सम्बन्ध को द्योतिक करते हैं, जबकि उपसर्ग वर्तमान क्रियागत विशेष को द्योतित करते हैं, यहाँ वर्तमान पद का तात्पर्य क्रियाविशेष के सम्बन्ध के द्योतन से है[3]। महाभाष्यकार ने सम्प्रति शब्द का प्रयोग किया है। अतिक्रान्त क्रिया का तात्पर्य अप्रयुज्यमान से है। आशय यह है कि सभी प्रकार के सम्बन्ध क्रिया-कारक होते हैं। कभी तो क्रिया सम्बन्ध को उत्पन्न कर विरत हो जाती है। जैसे-राजपुरुष में। यह राजा का पुरुष है, क्योंकि राजा इसका पालन-पोषण करता है। इसलिए पालन रूप क्रिया आश्रयाश्रयिभावलक्षण सम्बन्ध को उत्पन्न कर अलग हो जाती है। कभी क्रियापद स्वयं श्रूयमाण होते हुए सम्बन्ध व्यक्त करती है। जैसे-मातुः स्मरति" में माता सम्बन्धी स्मरण के रूप में स्मृतिक्रिया श्रूयमाण-रूप में ही निमित्तभावलक्षणसम्बन्ध को उत्पन्न करती है। तब यह सन्देह हो सकता है कि वह सम्बन्ध क्रियाजनित है या नहीं। ऐसी अवस्था में कर्मप्रवचनीय की उपयोगिता होती है।

---

१. "वैयाकरणगृहेषु हि प्राक्प्रयोगस्वतन्त्र्यप्रयोगाभावात् षष्ट्याद्यश्रवणाल्लिंगसंख्याविरहाच्च वाचकवैलक्षण्येन द्योतक-निपाता इत्युद्घोष्यत एवेति"

२. "क्रियावाचकमाख्यातमुपसर्गो विशेषकृत्।

३. "क्रियागतविशेषद्योतनपूर्वकं हि सम्बन्धावच्छेदनमत्र वर्तमानम्" (हेलाराज की वाक्यपदीय टीका)

वह उस अश्रूयमाण क्रिया के विशेष सम्बन्ध को द्योतित करता है।[1] निरुक्त तथा व्याकरण एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का भाषा से निकट सम्बन्ध है। संस्कृत भाषा की समग्रता के सम्बन्ध में महर्षि पाणिनि पर निरुक्तकार यास्क का प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है। यास्क का प्रभाव विशेषतः वैदिक और लौकिक संस्कृत की विभिन्नता को अभिव्यञ्जित कर वैदिक शब्दों के अर्थ की अभिव्यञ्जना में परिलक्षित होता है। कारण यह है कि भाषा सम्बन्धी सिद्धान्त किसी एक की धरोहर नहीं होती। इनका प्रयोग-क्षेत्र आपस में टकराता भी है, पुनरपि उपकारक होता है। इस प्रकार विचार करने पर तीनों वेदाङ्ग-शिक्षा, निरुक्त तथा व्याकरण-भाषा के परस्पर उपकारक हो गये हैं। अतः महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी की रचना अपने पूर्ववर्ती व्याकरणोपयोगी ब्राह्मण ग्रन्थ, प्रातिशाख्य तथा निरुक्त आदि ग्रन्थों से सामग्री ग्रहण कर पाणिन्यष्टक को सर्वाङ्गपूर्ण बनाकर संस्कृत जगत् को अर्पित कर दिया[2]।

व्याडि

संस्कृत व्याकरण के इतिहास में व्याडि ने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ''संग्रह'' की रचनाकर अभूतपूर्व कान्ति उत्पन्न कर दी। वह अपना सानी नहीं रखती। यदि आज वह रचना उपलब्ध हुई होती तो व्याडि के समकालिक तथा समवर्ती विद्वानों की रचना तथा उनके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में अधिक प्रकाश मिलता। फिर भी ''संग्रह'' के नामोल्लेख मात्र से महाभाष्यकार पतञ्जलि तथा वाक्य-पदीयकार भर्तृहरि के ग्रन्थों को देखकर विद्वानों ने उनके ग्रन्थ के सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। भले ही संग्रह आज उपलब्ध न हो, किन्तु कुछ उद्धरणों के सन्दर्भ में ही व्याकरण की दार्शनिक प्रक्रिया का श्री गणेश मिल जाता है। इस दार्शनिक प्रक्रिया को पल्लवित एवं पुष्पितकर परवर्ती ग्रन्थकारों ने संग्रह के सौरभ को प्रसारित करने में अपनी इति-कर्त्तव्यता समझी।

व्याडि भी शाकटायन, आपिशलि, यास्क, गार्ग्य तथा पाणिनि के समान भाषा तथा व्याकरण के स्वतन्त्र विचारक थे, इन विचारकों के समय में एक ओर तो वैदिक शब्दों की साधुता प्रातिशाख्यों द्वारा प्रतिपादित की जा रही थी, दूसरी ओर वैदिक शब्दों का निर्वचन निरुक्तकारों द्वारा किया जा रहा था, तो लौकिक संस्कृत के व्याकरण पर विचार होना नितरां आवश्यक रहा।

इस त्रिधारा ने अपने प्रवाह से अपने-अपने क्षेत्र को अभिव्याप्त कर देववाणी को स्थिरता प्रदान करनी चाही। ऐसे समय में अनेक धाराओं के प्रवाह से भाषा में कुछ प्रौढि

---

१. ''तदयम् अश्रुतक्रियाविषयसम्बन्धे कर्मप्रवचनीयां महिमा'' (हेलाराज, वाक्यपदीय ३)

२. विस्तृत अनुसन्धान के लिए आचार्य बलदेव उपाध्याय विरचित संस्कृतशास्त्रों का इतिहास (३३१-३३५ पृ.) द्रष्टव्य है।

अपेक्षित रही, कारण यह है कि भाषा की गतिशीलता में वैयक्तिक उच्चारण भेद प्रमुख रूप में विकार उत्पन्न कर देता है। इस कारण अनेक दशकों के बाद भाषा की साधुता में शनैः-शनैः यदृच्छा- शब्द विरोध उत्पन्न कर देते हैं। अतः अपभ्रंश शब्दों की वर्धमान गति को अवरुद्ध करने के लिए शब्दानुशासन अपेक्षित है। इस दृष्टि से प्रत्येक वैयाकरण की रचना शैली परस्पर भिन्न होना स्वाभाविक है। यद्यपि प्रातिशाख्यों के समय से भाषा की शुद्धता अक्षुण्य रखने के लिए सूत्र शैली का प्रचलन रहा। संक्षेप में विचार की अभिव्यक्ति सूत्र शैली से ही सम्भव थी। सूत्र-शैली में यही एक कठिनाई थी कि रचनाकार के अनन्तर उसका यथार्थ स्वरूप किस प्रकार जाना जाय ? यह कठिनाई तभी दूर हो सकती है जब उस विद्वान् की भिन्न परम्परा अविकल रूप में चलती रहे। इस कठिनाई को तथा सूत्रों की जटिलता एवं शुष्कता को दूर करने के लिए 'शब्द' का वास्तविक ज्ञान काव्य के माध्यम से सरल किया जाय। व्याडि की दृष्टि कदाचित् इस ओर गयी हो और उन्होंने अपने ''संग्रह'' का माध्यम गद्यपद्यबद्ध स्वीकार किया हो।

वंश तथा काल

व्याडि की वंश परम्परा किसी न किसी रूप में ज्ञात है। अन्य पाणिनि पूर्व वैयाकरणों के समान इनका प्रचलित नाम पितृ-परम्परा के अन्तर्गत तद्धित प्रत्ययान्त विदित नहीं होता। महाभाष्यकार ने ''दाक्षायण'' नाम से इन्हें सम्बोधित किया है। ''शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृतिः''। (म.भा.२.३.६६) वाक्यपदीयकार भर्तृहरि भी इसका समर्थन करते हैं-''वाजप्यायनस्याकृतिः व्याडेस्तु द्रव्यम्। (म.भा. दीपिका) पाणिनि से इनका वंशगत सम्बन्ध रहा। पाणिनि दाक्षी पुत्र कहे जाते हैं और व्याडि दाक्षि के साक्षात् अपत्य अथवा गोत्रापत्य रहे हों, क्योंकि इगन्त ''दाक्षि'' शब्द से 'ष्फ' प्रत्यय का विधान माना जाता है। इस प्रकार दाक्षायण पाणिनि के ममेरे भाई कहे जाने चाहिए किन्तु लोक प्रसिद्धि इन्हें पाणिनि का मामा मानती है। अतः निश्चित रूप से पाणिनि से कुछ वर्ष पूर्व अथवा आसन्नकालिक विदित होते हैं। इस प्रकार इनका समय ऐतिहासिक दृष्टि से लगभग ७५० वि.पू. माना जा सकता है।

ग्रन्थ समीक्षा

व्याडि का एकमात्र ग्रन्थ ''संग्रह'' नाम से सुविदित है। उसे ''लक्षग्रन्थ'' कहा गया है। यहाँ पर लक्ष शब्द पद्य का विशेषण नहीं है किन्तु प्राचीन मत के पारिभाषिक शब्द ''ग्रन्थ'' का विशेषण है। प्राचीनकाल में तथा आज भी किसी ग्रन्थ के परिमाण को मापने की एक ही प्रणाली है। उसमें अक्षरों को गिन कर ३२ की संख्या से भाग देने पर जो संख्या निष्पन्न होती है वह ''ग्रन्थ'' कहलाती है। संग्रह में ऐसे ही एक लाख ग्रन्थ विद्यमान थे।

एक लाख पद्यात्मक श्लोक नहीं। इस सुबृहत् परिमाण की पुष्टि भर्तृहरि के द्वारा निर्दिष्ट १४ सहस्र वस्तुओं के परीक्षण की घटना से सर्वथा होती है।

अतः यह निबन्धग्रन्थ है व्याख्याग्रन्थ नहीं। निबन्ध ग्रन्थ से अभिप्राय ऐसी रचना से है जो किन्हीं विषयों पर तदुपलब्ध समग्र सामग्री का विधिवत् परिशीलन कर स्वाभिमत व्यक्त कर लिखी गयी हो।

व्याडि स्वतन्त्र विचारक थे। उन्हीं के आधार पर पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में व्याकरण सम्बन्धी दार्शनिक विचारों की उद्‌भावना की है। यदि यह कहा जाय कि पतञ्जलि ने व्याडि के सिद्धान्तों का विश्लेषण किया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं।

हम यह निःसंकोच कह सकते हैं कि महाभाष्य व्याडि के **संग्रहग्रन्थ** का दूसरे शब्दों में सैद्धान्तिक व्याख्यान है। इस सन्दर्भ में भर्तृहरि का कथन अकाट्य है। भर्तृहरि के कथनानुसार इन्होंने चर्तुदश[1] सहस्र वस्तुओं पर विचार किया था। संग्रह[2] भर्तृहरि के समय से बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था। संग्रह के कुछ उद्धरण भर्तृहरि के ग्रन्थों में मिल जाते हैं। उनमें भी अधिकांश वाक्य भर्तृहरि द्वारा रचित वृत्ति में हैं। दो-तीन उद्धरण जो दूसरे लेखकों द्वारा दिये गये हैं वे भी भर्तृहरि से ही लिए जान पड़ते हैं। पहिले यह भी उल्लेख किया जा चुका है कि **''शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृतिः** । यहाँ पतञ्जलि द्वारा प्रयुक्त ''शोभना'' शब्द संग्रह के गौरव को व्यक्त कर देता है। विभिन्न ग्रन्थों में उपलब्ध स्फुट उद्धरणों से यह विदित होता है कि व्याडि ने संग्रह ग्रन्थ में प्राकृत ध्वनि वैकृत ध्वनि, वर्ण, पद, वाक्य, अर्थ, मुख्यगौणभाव, सम्बन्ध, उपसर्ग, निपात, कर्मप्रवचनीय आदि पर विचार किया था। उन्होंने दशधा अर्थवत्ता मानी थी[3]। उन्होंने शब्द के स्वरूप पर मौलिक विचार किया है, इसके साथ ही शब्द का नित्यानित्य विवेचन भी किया है। इन दोनों मतों की समीक्षा के पश्चात् व्याडि इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्याकरण सम्बन्धी नियमों का शब्द के नित्य पक्ष और शब्द के कार्य पक्ष दोनों के अनुसार परिशीलन किया जाय। उपलब्ध सामग्री के अनुसार उनकी सर्वाधिक देन निम्नलिखित मानी जा सकती है।

१. शब्द द्वारा द्रव्य का अभिधान

इस मान्यता के आधार पर भारतीय चिन्तन परम्परा में व्याडि का एक स्वतन्त्र दर्शन ही उपस्थित हो जाता है। **वाजप्यायन** ने शब्द द्वारा जाति का अभिधान निश्चित किया है। व्याडि और वाजप्यायन दोनों के दर्शन व्याकरण शास्त्र में स्वीकृत हैं। इन दोनों आचार्यों ने अपने दर्शनों का आधार पाणिनि के अनेक सूत्र माने हैं। इस सम्बन्ध में कात्यायन ने

---

१. चतुर्दश सहस्राणि वस्तूनि अस्मिन् संग्रहग्रन्थे (महाभाष्य दीपिका)

२. संग्रहेऽस्तमुपागते - (वाक्यपदीय २.४.८४)

३. तदुभयं परिगृह्य दशधा अर्थवत्ता स्वभावभेदिका इति संग्रहे (वाक्यपदीय २.२०७)

भी दोनों मतों में विवरण दिये हैं। और उन्हीं के आधार पर द्रव्यवाद व्याडि द्वारा स्वीकृत माना जाता है[1]। भर्तृहरि[2] ने भी ऐसा ही माना है।

२. अर्थसिद्धान्त

शब्द की परिणति अर्थ में ही निहित है। वे एक दूसरे में परस्पर समाश्लिष्ट हैं। उनका पार्थक्य केवल अर्थ की प्रतीति के पूर्व तक ही सीमित है। इस पर व्याडि ने "संग्रह" ग्रन्थ में सूक्ष्म विचार किया है। उनके अनुसार शब्द और अर्थ में अर्थ की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त व्याडि पद और वाक्य का निर्णय अर्थ द्वारा ही करते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य अपना समर्पण पद समुदाय को अभिलक्षित कर अर्थ के प्रकाशन में कर देता है।[3]

३. अपभ्रंश सम्बन्धी विचार

भाषा की गति जल-प्रवाह के समान वेगवती है। अतः प्राकृतिक नियमानुसार दो-तीन कोश के अन्तर होने पर भाषा में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन में भाषा की शुद्धता विकृत हो जाती है। अधिक समय व्यतीत होने पर भाषा में विकृत शब्दों का आधिक्य होने से उसका मौलिक स्वरूप नष्ट होने की आशंका रहती है। ऐसे विकृत शब्दों की संज्ञा "अपभ्रंश" है। इन पर इस दृष्टि से विचार करना और आवश्यक है कि कालान्तर में साधारण जन मौलिक स्वरूप को भूल न जाय। व्याडि इस सम्बन्ध में प्रथम विचारक हैं। व्याडि प्रथम आचार्य हैं जो अपभ्रंश की प्रकृति "संस्कृत" को मानते हैं। आगे चलकर वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने व्याडि के मत का इन शब्दों में उल्लेख किया है- "शब्दप्रकृतिरपभ्रंश इति संग्रहकारः" (वाक्यपदीय १.१४८)

४. सिद्ध शब्द का रहस्य

महाभाष्यकार ने शब्दानुशासन पर विचार करते हुए सर्व-प्रथम सिद्ध शब्द के रहस्य का उद्घाटन किया है। उन्होंने शब्द और अर्थ का पृथक्-पृथक् विचार तथा शब्द और अर्थ के परस्पर सम्बन्ध की नित्यता अभिव्यञ्जित की है।

इस सिद्धान्त को लोक में बतलाते हुए इसके प्रमाणस्वरूप कात्यायन के सर्वप्रथम वार्तिक **"सिद्धेशब्दार्थसम्बन्धे"** को प्रमाण स्वरूप उपस्थापित किया है। इस सम्बन्ध में पतञ्जलि ने प्रकृत वार्तिक में प्रयुक्त "सिद्ध" शब्द को व्याडि के "संग्रह" ग्रन्थ का उद्धरण माना है। इसका उद्घाटन भर्तृहरि कृत महाभाष्य दीपिका द्वारा किया गया है। भर्तृहरि ने शब्द के सम्बन्ध में अनित्य अथवा नित्य की आशंका का निवारण "संग्रह" ग्रन्थ के शब्दों

---

१. द्रव्याभिधानं व्याडिः।

२. वाजप्यायनस्याकृतिः, व्याडेस्तु द्रव्यम्।

३. "न हि किञ्चित् पद नाम रूपेण नियतं क्वचित्। पदानां रूपमर्थो वा वाक्यार्थदेव जायते।।" (वाक्यपदीय १.२४)

द्वारा किया है-"किं कार्यः शब्दोऽथ सिद्ध इति" (महाभाष्य दीपिका) पतञ्जलि ने सिद्ध शब्द को नित्यार्थक माना है। सिद्ध शब्द का उपर्युक्त वार्तिक में सर्वप्रथम प्रयोग किया जाना मङ्गलार्थ-वाची भी माना गया है। इसके अतिरिक्त सिद्ध शब्द का प्रयोग "उपपत्ति" तथा "निष्पत्ति" के रूप में लोक विदित है।

अतः अनेकार्थक सिद्ध शब्द की अभिव्यक्ति में व्याडि सर्वाग्रणी हैं। पिछले पच्चीस सौ वर्षों से संस्कृत व्याकरण के मर्मज्ञ लेखक अपनी कृतियों के अन्त में सिद्ध शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं और यह परम्परा वर्तमान में भी अविच्छिन्न रूप में चली आ रही है।[1]

व्याडिकृत संग्रहग्रन्थ इतना शीघ्र लुप्त हो जायेगा- यह आशंका अवश्य खटकती है। फिर भी पाणिनि और पतञ्जलि के मध्यकाल तक संग्रह ग्रन्थ की सत्ता अवश्य रही होगी। अन्यथा कात्यायन ने वार्तिकों के प्रारम्भ में "सिद्ध" शब्द का प्रयोग कर सर्वोच्च सम्मान न दिया होता। इसके साथ ही पतञ्जलि का भी सर्वप्रथम शब्द के सम्बन्ध में महाभाष्य में सर्वप्रथम विचार करने की प्रेरणा भी व्याडि के महत्त्व का द्योतक है। उस संग्रह ग्रन्थ का प्रभाव कतिपय शताब्दियों तक अपनी प्रभा और प्रभाव को बिखेर कर महाभाष्य की रचना (द्वितीय शती वि. पू.) से पहिले ही अस्तङ्गत हो गया किन्तु दैव की इतनी कृपा अवश्य रही कि वह अस्तङ्गत-महिमा नहीं हुआ।

आचार्य वररुचि

आचार्य वररुचि प्राकृत व्याकरण के विद्वानों में अग्रगण्य माने गये हैं किन्तु एक नाम के विद्वान् विषयान्तरों में भी उल्लिखित होने से किसी बात पर निर्णय करने में कठिनाई होती है। यही स्थिति वररुचि के सम्बन्ध में भी आती है। कुछ विद्वानों की पदवी साम्य होने से भ्रम होता है और कुछ विद्वानों का नामैक्य होने से भी। फिर भी वररुचि के सम्बन्ध में यह कहना पड़ता है कि वैयाकरण वररुचि का अपर नाम 'श्रुतिधर' रहा, इन्हें वररुचि की उपाधि महाराज विक्रमादित्य ने दी हो। इस सम्बन्ध में धोयी महाकवि (वि.सं. ११७६) विरचित 'सदुक्तिकर्णामृत' का एक श्लोक प्रमाण भूत उपस्थित किया जाता है। इस श्लोक के अनुसार श्रुतिधर का 'वररुचि' पदवी से विभूषित होना सिद्ध होता है।[2]

विक्रम समकालिक वररुचि 'श्रुतिधर' की विद्यमानता के सम्बन्ध में श्री भगवद्दत्त ने अपने "भारतवर्ष का इतिहास" नामक ग्रन्थ में अनेक प्रमाण दिये हैं। उनमें सबसे प्रमुख

---

१. विशेष अध्ययन के लिए द्रष्टव्य-राम सुरेश त्रिपाठी कृत व्याकरण दर्शन (प्रथम संस्करण पृ. १२)

२. ख्यातो यश्च श्रुतिधरतया विक्रमादित्यगोष्ठी
विद्याभर्तुः खलु वररुचेराससाद प्रतिष्ठाम्।। (सदुक्तिकर्णामृतम् पृ. २६७)

वररुचि कृत 'लिङ्गानुशासन' प्रकरण के अन्त में दी हुई पुष्पिका को विशेष महत्त्व दिया है।

इससे यह अनुमान होता है कि आचार्य वररुचि विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में वैयाकरण के रूप में प्रसिद्ध रहे हों।[1]

उपर्युक्त प्रमाण के अधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि श्रुतिधरापर वररुचि नामक वैयाकरण 'प्राकृत प्रकाश' के रचयिता से भिन्न व्यक्ति रहे। इस सम्बन्ध में अन्य उल्लेखनीय प्रमाण 'आफ्रेक्ट' कृत 'कैटेलागस कैटेलागरम्' में दिया हुआ वर्ण्य विषय है। तदनुसार उपर्युक्त ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति का मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय में होना सूचित किया है[2]।

देशकाल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व

विक्रम संवत् प्रवर्तक विक्रमादित्य के साथ ही इन्हें भी ५७ ई. पूर्व के आसपास ही माना जा सकता है, इनके समग्र ग्रन्थ का स्वरूप तो विदित नहीं है। पं. युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार जो वृत्ति उन्हें प्राप्त हुई है वह भी अपूर्ण है। केवल अष्टाध्यायी के आरम्भ से लेकर २। ४। ३४ तक ही प्राप्त है। ग्रन्थकर्ता आदि का विवरण इनमें न होने से स्वयं मीमांसक जी भी अभी निर्णय नहीं कर पाये हैं।

इस ग्रन्थ के अतिरिक्त इनका दूसरा ग्रन्थ 'निरुक्त समुच्चय' प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रन्थ में १०७ मंत्रों की व्याख्या निरुक्त सम्प्रदायानुसार वररुचि ने की है। यह निरुक्तसम्प्रदाय का प्रामाणिक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का सम्पादन पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने किया है।[3] इन दोनों ग्रन्थों के अतिरिक्त इनके नाम से ''कातन्त्र उत्तरार्ध' नामक वृत्ति भी प्रसिद्ध है जिसके सम्बन्ध में विवेचन कातन्त्र व्याकरण शीर्षक भाग में किया गया है।

कात्यायनापर-वररुचि नामक विद्वान् इन कात्यायन से भिन्न हैं। उनके वार्तिक पाणिनि और पतञ्जलि के मध्यवर्ती काल में लिखे गये-यह बात निर्विवाद है। अतः वार्तिककार कात्याययन इनसे अवश्य भिन्न रहे उनकी प्राचीनता इनकी अपेक्षा कहीं अधिक है।

---

१. इति श्रीमदखिलवाग्विलासपण्डित-सरस्वती-कण्ठाभरण-अनेक-विशरण-श्रीनरपति-विक्रमादित्य-किरीट कोटीनिधृष्टचरणारविन्द-आचार्यवररुचिविरचितो लिङ्गविशेषविधिः समाप्तः। (लिङ्गानुशासनम्) वररुचिकृत।

२. देखिये-सूचीपत्र सन् १८८० का छपा, पृष्ठ ३४२।

३. निरुक्त समुच्चय के तीन संस्करण हो चुके हैं तृतीय संस्करण का प्रकाशन वि.सं. २०४० में हुआ है।

वररुचि के सम्बन्ध में एक ही नाम से अनेक विद्वानों के प्रसिद्ध होने से पं. काशीनाथ अभ्यङ्कर ने वररुचि नामक वैयाकरण का होना तो माना है, किन्तु उन्हें वृत्तिकार के रूप में मानने का आग्रह नहीं किया है।

आचार्य कुणि

पाणिनि के अनन्तर महर्षि व्याडि के पश्चात् पाणिनीय व्याकरण का मन्थन करने वालों में अज्ञात विद्वान् कुणि भी व्याकरण के क्षेत्र मे विदित रहे हैं। यद्यपि इनके कार्य विवरण का उल्लेख महर्षि पतञ्जलि ने इनके नामोल्लेख सहित नहीं किया है, फिर भी भर्तृहरि आदि विद्वानों ने पतञ्जलि के महाभाष्य के कुछ स्थलों पर कुणि के मत का उल्लेख किया है। भर्तृहरि के अतिरिक्त कैयट एवं हरदत्त ने जिनको उदधृत किया है उनमें से 'कुणि' भी एक हैं। वृत्तिकार कुणि के सम्बन्ध में यद्यपि अधिक ज्ञात नहीं है, फिर भी पतञ्जलि द्वारा विषम स्थलों पर उद्धृत इनके मतों से यह ज्ञात होता है कि कुणि का व्याख्यान पतञ्जलि के समय किसी न किसी रूप में अवश्य रहा होगा।

सर्वप्रथम भर्तृहरि ने 'कृन्मेजन्तः' (१।१।३८) सूत्र की व्याख्या में यह लिखा है कि -''अतः एषां व्यावृत्त्यर्थं कुणिनापि तद्धितग्रहणं कर्तव्यम्-अतो गणपाठ एव ज्यायान् अस्यापि वृत्तिकारस्य इत्येतदनेन प्रतिपादयति।

कैयट ने 'एङ् प्राचां देशे' (१।१।७५) सूत्र की महाभाष्य की टीका में कुणि के मत का पतञ्जलि के समर्थन करने की बात लिखी है-

''कुणिना प्राग्ग्रहणमाचार्य निर्देशार्थं व्यवस्थितविभाषार्थं च व्याख्यातम्। .... भाष्यकारस्तु कुणिदर्शनमशिश्रयत्''

हरदत्त ने भी इसी सूत्र की व्याख्या के प्रसङ्ग में अपनी 'पदमञ्जरी' में भी इस बात की पुष्टि की है कि ''एङ् प्राचां देशे'' (१।१।७५) सूत्र में ''प्राचाम्'' पद पूर्वाचार्यों की ओर सङ्केत करता है, और वही महाभाष्यकार को भी इष्ट है[1] तथा कुणि द्वारा यह अर्थ ग्राह्य रहा-

''कुणिना तु प्राचां ग्रहणमाचार्यनिर्देशार्थं व्याख्यातम् भाष्यकारोऽपि तथैवाशिश्रयत्।'' इन उद्धरणों से यह ज्ञात होता है कि आचार्य कुणि ने पाणिनीय सूत्रों पर कोई व्याख्या अवश्य लिखी होगी।

---

१. ''एङ् प्राचां देशे शैषिकेषु। एङ् प्राचां देशे शैषिकेष्विति वक्तव्यम्। सैपुरिकी, सैपुरिका, स्कौनगरिकी, स्कौनगरिकेति।'' (महाभाष्य-१।१।७५)

पाणिनि

उपक्रम

विश्व की भाषाओं में संस्कृत की सर्वप्राचीनता के साथ संस्कृत व्याकरण का महत्त्व भी सर्वमान्य है। व्याकरण शास्त्र के इतिहास में संस्कृत भाषा को परिष्कृत करने में पाणिनीय व्याकरण का नाम अविस्मरणीय रहेगा। यद्यपि पाणिनि से पूर्व अनेक आचार्यों ने इस संदर्भ में अपना-अपना महत्त्वपूर्ण योग दिया है किन्तु उनकी कृतियाँ सर्वाङ्गपूर्ण न होने से अपना अमिट प्रभाव नहीं छोड़ सकीं। पाणिनि ही केवल ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने संस्कृत-व्याकरण की अक्षुण्णता बनाये रखने के लिए अपना जीवन अमर-वाणी की साधना में समर्पित कर दिया। उनकी तपश्चर्या के फलस्वरूप व्याकरण का अद्‌भुत सृजन हुआ। तथा पाणिनि ने उसे लोकार्पित कर अपने को धन्य माना। अनेकों शताब्दियाँ व्यतीत हो गयी, फिर भी पाणिनि के प्रकाश में आज भी देववाणी का स्वरूप जन-साधारण के हृदय को आन्दोलित करता चला आ रहा है। यह परम्परा अनन्त काल तक संस्कृत जगत् को ज्योतिर्मय करती हुई सदैव विद्यमान रहेगी।

देश-काल और व्यक्तित्व

पाणिनि ने जिस भवन का शिलान्यास रखा उसकी पूर्ति आगे चलकर कात्यायन तथा पतञ्जलि ने की। व्याकरण के समग्र रूप का निदर्शन इन तीनों मुनियों के ग्रन्थों में मिलता है। सूत्र, वार्तिक तथा महाभाष्य, तीनों ही पृथक् एवं स्वतन्त्र होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। इस त्रिधारा का सङ्गम ही पाणिनीयव्याकरण की समष्टि हैं। इनका ही आश्रय लेकर प्रक्रिया ग्रन्थों का सृजन हुआ तथा पाणिनि-व्याकरण की सफलता प्रत्यक्ष रूप में विदित हुई। इतने महान् तपस्वी तथा भाषा-शास्त्र के परिष्कर्ता पाणिनि के उद्‌भव काल की वास्तविक घड़ी का अभी तक निश्चय नहीं हो सका। किन्तु भारतीय तथा वैदेशिक प्रमाणों के आधार पर इनके जन्म-काल, गुरुकुल, माता-पिता तथा अन्य सम्बन्धियों के विषय में निश्चित प्रमाण मिलते हैं। इनके पिता का नाम इनकी अपत्यवाचक संज्ञा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। काशिका के अनुसार नकारान्त पणिन् शब्द से अपत्य अर्थ में 'अण्' प्रत्यय होने पर पाणिन, शब्द निष्पन्न होता है। पाणिन शब्द से पुनः 'इञ्' प्रत्यय संयुक्त होने से पणिनि शब्द को अपत्यवाचक मानकर तदनन्तर इनकी कृति को 'पाणिनीय' संज्ञा दी गयी हैं (पाणिनिना प्रोक्तं-महाभाष्य)। इस व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ लोग पणिन्. अ (अण्) प्रत्ययान्त निष्पन्न स्वतन्त्र 'पाणिन' शब्द से पुनः (इञ्) प्रत्ययान्त निष्पन्न पाणिनि शब्द मानते हैं। इसके अतिरिक्त पं. युधिष्ठिर मीमांसक ने पाणिनि के पिता

की संज्ञा 'पणिन्' (पणि) बतलायी हैं। उनका कथन है कि नकारान्त पणिन् शब्द बह्वादि गण में पठित हैं। अतः उस शब्द से इञ् प्रत्यय होने पर अपत्यार्थक पाणिनि शब्द निष्पन्न होता है। भले ही उनके पिता के मौलिक शब्द में विवाद हो किन्तु 'पाणिनि' संज्ञा विश्वमान्य हैं। इनकी माता का नाम 'दाक्षी' था। पतञ्जलि का कथन ही इस सम्बन्ध में निश्चित प्रमाण (सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षी-पुत्रस्य पाणिनेः-महाभाष्य १/१/२० सूत्र) महाभाष्य के अतिरिक्त दाक्षीपुत्र का उल्लेख पाणिनीय शिक्षा में भी मिलता हैं। ('शङ्करः शाङ्करीं प्रादाद् दाक्षीपुत्राय धीमते') दाक्षी शब्द को अभिलक्षित कर महाभाष्यकार ने सङ्ग्रहग्रन्थकार 'व्याडि' को दाक्षायण कहा हैं। इस प्रकार पाणिनि तथा व्याडि में कौटुम्बिक सम्बन्ध प्रतीत होता हैं। पं. बलदेव उपाध्याय जी के अनुसार व्याडि पाणिनि के मातुल-पुत्र रहे हैं।

पाणिनि के गुरु का नाम वर्षाचार्य रहा। काव्यमीमांसा के अनुसार इनका गुरुकुल पाटलिपुत्र रहा हो किन्तु 'तक्षशिला' ही इनका सर्वमान्य विद्या-अध्ययन केन्द्र था। वि.पू. ८वीं शताब्दी के आस-पास तक्षशिला-विश्वविद्यालय भारतवर्ष का प्रमुख विद्या-केन्द्र था। इसका आधार काव्यमीमांसा है। उस समय के दोनों विश्वविद्यालयों में परस्पर आदान-प्रदान की परम्परा रही हो। अतः पाणिनि ने दोनो विश्वविद्यालयों में अपना अध्ययनकाल व्यतीत किया हो। इनका जन्म स्थान 'शलातुर' नामक ग्राम रहा हैं। यह स्थान गान्धार प्रदेश के निकटवर्त्ती जनपद में स्थित रहा हो। 'शलातुर' ग्राम का निवासी होने के कारण पाणिनि व्याकरण की 'शालातुरीय' संज्ञा सर्वविदित हैं। (शालातुरो नाम ग्रामः-गणरत्न महोदधि-लेखक-वर्धमान)। शलातुर का स्थल-निर्देश करते हुए वहीं पर यह सूचित किया गया है कि यह स्थान उद्भाण्ड नामक प्रसिद्ध स्थान से दो कोस के भीतर 'लहुर' ग्राम के पास है। और यही पाणिनि की जन्मभूमि थी। फलतः वे उदीच्य थे। इस प्रान्त का बौद्ध काल में सबसे विख्यात विश्वविद्यालय (या विद्यापीठ) तक्षशिला था और अपने जन्मस्थान से समीपस्थ इस विद्यापीठ में सम्भवतः पाणिनि की शिक्षा-दीक्षा हुई थी। पाणिनि किस समय हुए- यह कहना आज भी सम्भव नहीं है। प्राचीन काल में विद्वान् अपने विषय में लिखना उचित नहीं समझते थे। अपने ग्रन्थ की विशेषताओं को वे दूसरों पर छोड़ देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राचीन काल के विद्वानों और उनकी रचना-काल का निर्णय करना बड़ी कठिन समस्या हैं। फिर भी उन विद्वानों के सम्बन्ध में शताब्दियों बाद जो विद्वानों की धारणाएँ होती है उनके अनुसार प्राचीन विद्वानों का स्थितिकाल एवं ग्रन्थ-रचना काल के सम्बन्ध में अनुमान किया जाता है। इतिहासकारों ने गौतम बुद्ध की निर्वाण तिथि के आधार पर उनसे पूर्व ग्रन्थकारों के स्थितिकाल के सम्बन्ध में निर्णय करने का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। अतः पाणिनि के स्थिति काल का निर्णय भगवान् बुद्ध की स्थिति के समय संस्कृत भाषा के अस्तित्व तथा उसके प्रचार-प्रसार को देखकर किया जाता है। इस सम्बन्ध में भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धान्तों में मतभेद हैं। किन्तु उन सबके मतों की

विवेचना करते हुए इतिहासकारों ने पाणिनि के स्थितिकाल का निर्णय किया है, किन्तु वह अभी तक सर्वमान्य नहीं है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में अपने पूर्ववर्ती कुछ वैयाकरणों का उल्लेख अवश्य किया है। तथापि उनके समय तथा परिचय आदि के वर्णन करने में पाणिनि मौन रहे हैं। वैयाकरणों के साथ निरुक्तकारों में यास्क पाणिनि से पहले हो चुके थे। अतः पाणिनि के काल-निर्णय करने में इन विद्वानों के रचना-काल एवं पाणिनि के रचना-काल के मध्य कितना समय अपेक्षित रहा हो- इस बात का भी ध्यान पाणिनि के काल-निर्णय करने में रखना होगा। पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों के नाम तथा व्याकरण-शास्त्र के अतिरिक्त प्रातिशाख्यों निरुक्तग्रन्थों, तथा ब्राह्मणग्रन्थों की व्याख्या करने वालों के नामों की समता भी दिखाई पड़ती है। इस कठिनाई से भी काल-निर्णय करने में असुविधा अवश्य होती है। फिर भी यह अनुमान लगाया जाता है। पाणिनि से पूर्व वैयाकरणों की प्रवृत्ति प्रातिशाख्यों आदि लिखनें में रही होगी। अतः पाणिनि पर उस पूर्व काल का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा, यद्यपि पाणिनि ने प्रातिशाख्य तथा निरुक्त पर अपनी लेखनी नहीं चलायी।

पाणिनि के स्थिति काल का निर्णय करने में अन्य बातें भी अपेक्षित हैं। उनके समय की उपलब्ध सामग्री का आकलन भी हमें करना होगा। संस्कृत के विशाल भाण्डार का उन्होंने अपनी अष्टाध्यायी मे् यथोचित उपयोग किया हैं। सामाजिक उपकरणों कौटिलीय अर्थशास्त्र तथा देश की भौगोलिक स्थिति का उन पर पूर्ण प्रभाव पड़ा हैं। इन सब बातों पर दृष्टिपात करते हुए मैक्समूलर, भाण्डारकर, गोल्डस्टूकर, बेलवेलकर, वासुदेवशरण अग्रवाल, पं. युधिष्ठिर मीमांसक[1] आदि विद्वानों ने इस सम्बन्ध में अपना-अपना मत प्रकट किया है। गोल्डस्टूकर ने पाणिनि का स्थिति काल सात सौ पचास वि.पू. (सात सौ इ.पू.) स्वीकार किया है। उनका आधार कुछ विचित्र सा हैं। गोल्डस्टूकर के अनुसार पाणिनि ऋग्वेद से अपरिचित रहे। इसके अतिरिक्त गोल्डस्टूकर ने पाणिनि को दर्शन शास्त्र, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद् आदि ग्रन्थों से अपरिचित होना माना है। यह कथन वस्तुतः उपहासास्पद है। जो व्यक्ति संस्कृत भाषा के सर्वाङ्गपूर्ण व्याकरण का प्रवक्ता हो उसे वैदिक वाङ्गमय, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक एवं उपनिषदों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक हैं। वैदिक संहिताओं का ही नहीं किन्तु वेद की पदपाठ आदि विकृतियों के भी वह पूर्ण ज्ञाता रहे-यह उनके सूत्रों से विदित होता है। किन्तु पाणिनि ने नटसूत्र, भिक्षुसूत्रों का भी उल्लेख किया है। अतः पाणिनि के सामने सर्वविध सामग्री विद्यमान रही। भाण्डारकर तो गोल्डस्टूकर से एक कदम और आगे बढ़ गये वे कहते हैं कि पाणिनि को दक्षिण भारत का परिचय न था। उनके कथन पर भी तरस आता है। डॉ. बेलवेलकर के अनुसार भी यह तर्क युक्तिसंगत नहीं

---

१. पाणिनि का काल भारतयुद्ध से २०० वर्ष से अधिक अर्वाचीन नहीं हो सकता सं. व्या. शा. इ. (भाग-१, चतुर्थ संस्करण पृ. २१६)

हैं, क्योंकि लगभग दो शताब्दी के बाद वार्त्तिककार ने 'प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः कहकर दक्षिण भारत का स्पष्ट उल्लेख किया है।

इस प्रकार बहिःसाक्ष्य के आधार पर वर्तमान परिपेक्ष्य में पाणिनि का स्थिति काल वि. पू. ७५० एवं ५०० वि.पू. के मध्य माना जा सकता है।

माहेश्वर-सूत्र

पाणिनीय व्याकरण के आधार भूत माहेश्वर सूत्रों (१४ प्रत्याहार सूत्रों) के सम्बन्ध में प्राचीन काल से मतभेद चला आ रहा है। वस्तुतः ये चौदह सूत्र ही पाणिनीयाष्टक इष्टिका सदृश हैं। इनके चयन से ही पाणिनीय प्रासाद की सुदृढता अद्यावधि विद्यमान है। इन चौदह सूत्रों के रचयिता पाणिनि थे अथवा कोई अन्य आचार्य? अन्य आचार्यों का सम्बन्ध महेश्वर को अभिलक्षित कर समझा गया है। यह शक ही सन्देह का बीज है। इस सन्दर्भ में चीनी यात्री न्यूआन चुआङ् ने भी महेश्वर की कल्पना 'ईश्वर देव' का रूपक देते हुए स्वीकार की है। इस कल्पना का मूल नन्दिकेश्वर कृत प्रथम कारिका है। महेश्वर शब्द के प्रयोग से किसी अन्य प्राचीन व्याकरण के कर्ता अभिलक्षित कर उनके द्वारा इन[1] सूत्रों की प्रणयनकथा प्रायः जोडी जानी है। माहेश्वर-व्याकरण की उपलब्धि न होने से इन्हें महेश्वर कर्तृक कैसे कहा जा सकता है ? महेश्वर के दो रूप उपस्थित होते हैं-(१) देवरूप, तथा (२) मानवीय। देवरूप स्वीकार करने से तो किसी भी विषय के निर्वचन में सन्देह नहीं रह जाता, किन्तु अधिकतर शास्त्रों के प्रणयन-सम्बन्ध में 'देवरूप' तथा 'मानवरूप' का संदेह कर विषय को रहस्यमय कर दिया गया है। यही प्रथा माहेश्वर सूत्रों के सन्दर्भ में अपना कर इतिहास लेखकों ने इसकी पुनरावृत्ति की है। मीमांसक जीनें प्रत्याहार सूत्रों के रचयिता महर्षि पाणिनि को मानते हुए उसके समर्थन में अनेक युक्तियाँ दी हैं। उनका कथन है कि-(१) महाभाष्य में 'हयवरट्' सूत्र पर विचार करते हुए 'आचार्य' शब्द से पाणिनि का ही संकेत किया है, न कि कात्यायन अथवा अन्य किसी आचार्य का[2] (२) 'वृद्धिरादैच्' सूत्र में पतञ्जलि के अनुसार 'वृध्' धातु, क्तिन् प्रत्यय और 'ऐच्' प्रत्याहार सबका उपदेष्टा पाणिनि ही है।[3] (३) निरुक्त के टीकाकार स्कन्दस्वामी (६८७ वि.) ने प्रत्याहार सूत्रों को पाणिनीय स्वीकार किया है।[4] (४) 'आश्चर्यमञ्जरी' के कर्ता कुलशेखर वर्मा (११०० वि.)

---

१. भाग १, अध्याय ३, चतुर्थ संस्करण

२. एषा हि आचार्यस्य शैली लक्ष्यते। यत्तुल्यजातीयांस्तुल्येषूपदिशति अचोऽक्षु हलो हल्षु प्रत्याहार सूत्र ५

३. 'कृतमनयोः साधुत्वम्। कथम् वृद्धिरस्माय अविशेषेणोदिपदिष्टः प्रकृतिपाठे तस्मात् क्तिन्' प्रत्ययः आदैचोऽप्यक्षरसमाम्नाये उपदिष्टाः- निरुक्त१/१/१

भी इस सिद्धान्त से सहमत हैं।[२] तथा (५) अनेक हस्तलेखों में १४ सूत्रों के अन्त में अधिकतर इति प्रत्याहार सूत्राणि पाठ भी इसका समर्थक है।

इन समर्थक प्रमाणों के बाद मीमांसक जी नें भ्रांति के कारणों पर प्रकाश डालते हुए 'वृद्धिरादैच्' १/१/१ सूत्रास्थ 'वृधि' पद की महत्ता मङ्गलाचरण के रूप में प्रतिपादित की है। इस सूत्र की व्याख्या में[३] 'आदितः' का प्रयोग प्रत्यहार सूत्रों को अपाणिनीय मानने का संकेत ग्राहक नहीं है। ग्रन्थ के मध्य में भाष्यकार नें आदि मध्य तथा अन्त में मङ्गलाचरण की प्रथा को पारम्परिक बताकर 'भूवादयो धातवः' १/३/६ सूत्रस्थ वकारागम सहित 'भू' मध्यम-मङ्गल[४] तथा 'नोदात्त-स्वरितोदयम्' ८/४/६७ में काशिकाकार ने इन्हें 'उदय' शब्द अन्तमङ्गल[५] स्वीकार किया है। इस भ्रम का समाधान करने में आदि मध्य तथा अन्त शब्द को सामीप्यादि सम्बन्ध द्वारा लाक्षणिक माना गया है।

महेश्वर के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में मीमांसक जीने अपने ग्रन्थ में उनका उभयस्वरूप स्वीकारकरते हुए उन्हें सत्ययुग के चतुर्थ चरण में अवस्थित किया है। ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार इनकी माता सुरभि और पिता प्रजापति कश्यप थे। इनके दस सहोदर भाई थे और ये सब में ज्येष्ठ थे। यही एकादश रुद्र के रूप में विख्यात रहे। अभिधान चिन्तामणि की स्वोपज्ञ-वृत्ति के अनुसार वे 'गुह्यगुरु' (साक्षात्कृतधर्मा) थे। प्रकृत संदर्भ में मीमांसक जी ने इन्हे ही वेदाङ्गो का प्रवर्तक कहा है। इस संबंध में इन्होंने महाभारत के शान्तिपर्व के इस उदाहरण की ओर सङ्केत किया है-"वेदात् षडङ्गकान्युद्धृत्यं (महा. शान्ति २८४/१८२) साथ ही शिव सब शास्त्रों के प्रवर्तक भी थे। शिव के पर्यायवाची अन्य नामों के द्वारा भी व्याकरण रचना के संकेत हेम बृहद्वृत्त्यवचूर्णि[६] और 'यामलाष्टक तन्त्र[७] में प्राप्त होते हैं। इनमें से प्रथम में आपिशलि तथा पाणिनि का स्पष्ट नामोल्लेख है। 'पाणिनीय

---

१. 'नापि' अइउण् इति पाणिनीयप्रत्याहारसमाम्नायवत्-निरुक्त १/१ की टीका
२. पाणिनिप्रत्याहार इव महाप्राणझषाश्लिष्टो झयालङ्कृतश्च'-अमरटीका सर्वान्त, भाग १, पृ. १८६ पर उद्धृत
३. माङ्गलिक आचार्यो महतः शास्त्रौघस्य मङ्गलार्थं वृद्धिशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते
४. माङ्गलिक आचार्यो महतः शास्त्रौघस्य मङ्गलार्थं वकारागमं प्रयुंक्ते। मङ्गलादीनिमङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते।
५. उदात्तपरस्येति वक्तव्ये उदयग्रहणं मङ्गलार्थम्
६. ब्राह्ममैशानमैन्द्रं च प्राजापत्यं बृहस्पतिम्।
स्वाष्ट्रमापिशलंचेति पाणिनीयमथाष्टमम्।।
७. यास्मिन् व्याकरणान्यष्टौ निरूप्यन्ते महान्ति च।।
तत्राद्यं ब्राह्ममुदितं द्वितीयं चान्द्रमुच्यते।
तृतीयंयाम्यमाख्यातं चतुर्थं रौद्रमुच्यते।।
वायव्यं पञ्चमं प्रोक्तं षष्ठवारुणमुच्यते।
सहायं सौम्यमाख्यानमष्टमं वैष्णवं तथा।। १०-१२।।

शिक्षा में[1] महेश्वर को 'अक्षरसमाम्नाय' का उपदेष्टा कहा है। पाणिनि ने अपने तपोबल से शिव की उपासना कर डमरू-निनाद जन्य चतुर्दशसूत्री को आत्मसात् कर लिया था यही चतुर्दशसूत्री (प्रत्याहार सूत्र) वर्ण समाम्नाय नाम से विख्यात है। नन्दिकेश्वर नें अपनी कारिकाओं में सर्वप्रथम इसी विषय का उपनिबन्धन किया है।[2] आपिशलि पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य है। उन्होंने भी वर्णसमाम्नाय के माध्यम से अपने सूत्रों में प्रत्याहारों का उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि वे भी महेश्वर सूत्रों से परिचित थे। इस सन्दर्भ में डॉ. सत्यकाम वर्मा ने आपिशलि के एक सूत्र में प्रयुक्त 'भाष्' प्रत्याहार[3] का सङ्केत किया है। दूसरी ओर उनका यह कथन भी है कि ऐन्द्रव्याकरण की प्राचीनता सर्वप्रधान है। तैत्तिरीयसंहिता' में इन्द्र को ही शब्दशास्त्र का आदिप्रवक्ता (प्रकृति-प्रत्यक्ष्य विभाजक)[4] कहा है। वाग् वै पराच्यव्याकृताऽवदत्। ते देवा इन्द्रमब्रुवन्-इमां नो वाचं व्याकुविर्ति। तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्।" (तैत्तिरीय ६/४/७) ऐन्द्रव्याकरण में प्रत्याहार की कल्पना से वर्णसमूह सम्बन्धी विस्तार आवश्यक है। इसकी ओर किसी चरक व्याख्याकार के द्वारा "अथ वर्णसमूहः" ऐन्द्र व्याकरण का आरम्भ सूत्र उद्धृत किया गया है।

प्रत्याहारात्मक वर्ण समूहों के साथ अन्त्य व्यंजन 'इत्संज्ञक' मूक वर्गों के रूप में पाणिनि की तरह ऐन्द्रव्याकरण में भी प्रयुक्त हुए हैं। चाहे उनमें वर्ण संख्या तथा उनका क्रम ज्ञात न हो[5] फिर भी इतना कहा जा सकता है कि इन्द्र ने इत्संज्ञक वर्णों की कल्पना अवश्यक की होगी। इस सम्बन्ध में नन्दिकेश्वर कारिकाओं के व्याख्याता उपमन्यु ने धात्वर्थ समुद्भूत अन्तिम बर्णों की चर्चा करते हुए उसके वर्ण समूह में भी इत्संज्ञक परिकल्पित किया हो। इस से यह अनुमान किया जाता है कि ऐन्द्रव्याकरण में 'समुद्भूत' शब्द इत्संज्ञक का शब्दान्तर है, अतः उनका अधिकतर धातु पाठ स्वरार्थ है। प्राकृतव्याकरण (हेमसूत्र में)

---

१. येनाऽक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्।
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।। पाणिनि शिक्षा।

२. नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्
उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।

३. वह-व्यध-वृधां न भष्'-सृष्टिधर कृत भाष्यवृत्ति

४. तामखण्डां वाचं मध्ये विच्छिद्य प्रकृतिविभागं सर्वत्राऽकरोत्-तैतरीय सं ६/४/७ सायण भाष्य।

५. "अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यवर्णचतुर्दशम्।
धात्वर्थं समुपादिष्टं पाणिन्यादीष्टसिद्धये।। नन्दिकेश्वरकारिका के 'धात्वर्थम्' पद पर उपमन्यु की व्याख्या इस प्रकार है। 'धात्वर्थं धातुमूलकशब्दशास्त्रप्रवृत्त्यर्थमित्यर्थः। अन्त्यवर्णजालं शब्द इतिन्यायेन। तथा चोक्तमिन्द्रेण-'अन्त्यवर्णसमुद्भूता धातवः परिकीर्तिता' इति।

इसी का अनुसरण वर्णित है। ऐन्द्र वर्ण समूहों में तेरह 'समुद्भूत' (इत्संज्ञक) वर्ण सम्भावित हैं, जिनका चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में प्रयोग होने के साथ 'ण्' की पुनरावृत्ति हुई है।

महेश्वरकृत व्याकरण के सम्बन्ध में 'महाभारत' के टीकाकार देवबोध का उद्धरण माननीय है। इन्होंने "यान्युज्जहार माहेन्द्राद् व्याप्तो व्याकरणार्णवात् पदरत्नानि किं तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे?" इस श्लोक में महेन्द्र पद के स्थान 'माहेश' पद पाठान्त के रूप में स्वीकार किया है। फलतः दो प्रकार के पाठों से दो भिन्न व्याकरणों का अस्तित्व परिकल्पित है। तदनुसार इन दोनों में प्राचीनता किस की हो यह प्रश्न उपस्थित होता है? श्रुति के अनुसार तो इन्द्र ही व्याकरण के सर्वप्रथम प्रवक्ता थे। किन्तु महेश्वर के अनादिदेवत्व ने माहेश व्याकरण को भी अनादि रूप देकर ऐन्द्र व्याकरण को माहेश व्याकरण का अनुगामी सिद्ध किया है। पाणिनीय शिक्षा' में तिरसठ अथवा चौसठ वर्णो की परिगणना में माहेश्वर सिद्धान्त (शम्भुमत) प्रमाण रूप में पुरस्कृत किया है। जिसे पाणिनि ने अक्षरशः स्वीकार किया है। व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि' में पाणिनीयशिक्षा की उक्त कारिका में शम्भुमत का उल्लेख नहीं है। वहाँ केवल ब्रह्मा के द्वारा ही प्रोक्त तिरसठ अथवा चौसठ वर्णो का उल्लेख है।[२] पाणिनि द्वारा उच्चरित चौदह माहेश्वर सूत्रों के सम्बन्ध में नागेश भट्ट ने अपने लघु शब्देन्दुशेखर मे महेश्वर द्वारा प्राप्त अर्थात् महेश्वर की कृपा से पाणिनि को उनका प्राप्त होना स्वीकार किया। इन चौदह सूत्रों में प्रयुक्त वर्णसमुदाय को अक्षरसमाम्नाय संज्ञा दी है। 'निरुक्तकार ने उसकी व्याख्या कर भिन्न रूप में उपस्थित की है, जब कि नागेश 'समाम्नाय को आम्नाय (वेद) का पर्यायवाची मानते हैं। जब 'अक्षरसमाम्नाय का सम्बन्ध वेद से है, तो महेश्वर भी उसका अनादिकर्ता हो ही सकता है। अतः महाभाष्य में आचार्य शब्द महेश्वर अर्थ का अभिव्यञ्जक है, न कि पाणिनि का। भर्तहरि ने भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन महाभाष्य की व्याख्या में किया है। इन चतुर्दशसूत्रों की दर्शन परक व्याख्या नन्दिकेश्वर ने अपनी २७ कारिकाओं में की है उसकी उपमन्युकृत 'सूत्रविमर्शिनी' व्याख्या एवं पण्डित श्रीकाशीनाथ शास्त्रीकृत टिप्पणी मैसूर से १९३६ में प्रकाशित हुई है। उसके अनुसार इसके पूर्व भी पं. केशवदत्त शास्त्री ने काशी से इसका संस्करण प्रकाशित किया था।

फलतः महेश्वर सूत्रों को आम्नाय स्वरूप मानते हुए नागेश भट्ट ने लघुशब्देन्दुशेखर में केवल पाणिनीय व्याकरण की तन्मूलक होने के कारण वेदाङ्ग के रूप में परिगणनाकी

---

१. "त्रिषष्टिश्चतुर्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः
प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयम्भुवा।। पाणिनिशिक्षा

२. त्रिषष्टिश्चतुर्षष्टिर्वा वर्णाः सम्भवतो मताः" - विश्वेश्वरपाण्डेय, चौखम्बासंस्करण पृ. २१६

है।[1] इस बात की समालोचना करते हुए म.म.प. नित्यानन्द पन्त जी ने यह प्रतिपादित किया है कि पाणिनीय व्याकरण से पूर्व वेदों की 'षडङ्गता कैसे सम्भव होगी।[2] क्योंकि उसके पूर्व ऐन्द्र व्याकरण की विद्यमानता के सम्बन्ध में तैत्तिरीयसंहिता का उल्लेख उसकी श्रुतिमूलकता सिद्ध कर रहा है। फलतः उसकी वेदाङ्गता पाणिनीय व्याकरण से प्राचीन है।

किंवदन्ति है कि महर्षि पाणिनि अपने गुरु वर्षाचार्य के आश्रम में अध्ययन करते समय बुद्धि न होने के कारण खिन्न रहा करते थे। तदनुसार महेश्वर की आराधनास्वरूप उनके डमरू निनाद से अभीष्ट आकाश देशस्थ वर्णसमाम्नाय (चौदह सूत्रों) की उस रूप में कल्पना कर पाणिनि ने स्वर व्यंजन विभाग बड़े वैज्ञानिक ढंग से किया है। इस रूप में स्वर व्यंजनों के विभाग से प्रत्याहारों की कल्पना द्वारा विषय का निरूपण करने में बड़ा लाघव हुआ है। ये प्रत्याहार व्याकरण में उसी प्रकार उपयोगी होते हैं, जिस प्रकार गणित आदि में सूत्र मूल पारिभाषिक शब्द अपनी उपयोगिता प्रतिस्थापित कराते हैं। प्रत्याहारों का अर्थ है संक्षेप में कथन अनेक वर्णों का बोध संक्षेप में हो जाने से कार्य पद्धति में सुगमता हुई। अक्षर समाम्नाय द्योतक अइउण् इत्यादि भी सूत्र कहे जाते हैं। व्याकरण शास्त्रीय छः प्रकार के सूत्रों में माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार सूत्र संज्ञासूत्रों में समाविष्ट होते है। प्रत्याहारसूत्रों अन्तिम व्यंजन इत्संज्ञक हैं, जिनका समावेश वर्ण समाम्नाय में न होकर शास्त्रीय पारिभाषिक संज्ञाओं में होता है। प्रत्याहार सूत्रों में तेरह इत्संज्ञक वर्ण हैं, किन्तु प्रत्याहारसूत्रों की संख्या १४ है। अतः 'लण्' सूत्र में पाणिनि ने 'ण्' की पुनरावृत्ति करते हुए चौदह सूत्रों का प्रवचन किया है। इसका मुख्य प्रयोजन 'र' प्रत्याहार की सिद्धि करना है। वह तभी सम्भव है। जब 'हमवरट्' सूत्र के उपरान्त 'ल' कारोत्तर वर्ण 'अ' कार को सानुनासिक अनुबन्ध माना जाय। 'ह' कार के द्विवार उच्चारण का फल भाष्यकार ने पृथक् वर्णित किया है। तदनुसार 'हयवरट ।। २।। सूत्र में हकार का ग्रहण करने से 'अट्' 'अश्' हश तथा 'इण्' प्रत्याहारों में उसकी उपादेयता है। अन्तिम प्रत्याहार सूत्र 'हल्' में हकार की उपादेयता 'वल्' 'रल्' 'झल्' और 'शल्' प्रत्याहारो में हैं। तथा इन प्रत्याहारों को मानकर होने वाले कार्य सिद्ध होते हैं।

---

१. ननु चतुर्दश सूत्र्यामक्षरसमाम्नाय इति व्यवहारानुपपत्तिराम्नायसमाम्नायशब्दयोर्वेदे एव प्रसिद्धेरित्यत आह-माहेश्वराणीति। महेश्वरादागतानीत्यर्थः। महेश्वर प्रसादलब्धानीति फलितम् एवञ्चैवमानुपूर्वीका श्रुतिरेवैषा। तत्प्रसादात् पाणिनिना लब्धा श्रुतिमूलकत्वादस्यैव वेदांगत्वम्। अत्र प्रमाणम् येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्। कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।। पा.शि. ५७ इति शिक्षावचनम् 'लण्सूत्रे णकारविषयाचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति व्याख्यानत इति' इत्यादावाचार्यपदेन महेश्वरः। अनुबन्धाश्च महेश्वरकृता एवेत्यनुपदं स्फुटीभविष्यति-लघुशब्देन्दुशेखर संज्ञाप्रकरणम्।

२. अस्यैव वेदाङ्गत्वमिति। चिन्त्यमिदम्। पाणिनीयव्याकरणोत्पत्तेः प्राग्वेदस्य पञ्चाङ्गत्वापत्तेः। तैत्तिरीयशाखायामैन्द्र-व्याकरणस्य प्रशंसादर्शनेन तस्यापि वेदमूलकत्वाच्च। शेखर दीपक- म. म. नित्यानन्द पन्तकृत १९५४ ई.

पाणिनि ने ४३ प्रत्याहारों में से 'अच' तथा 'हल्' दो प्रत्याहारों में क्रमशः स्वर तथा व्यञ्जन वर्णों का समावेश किया है। इस 'अक्षरसमाम्नाय' की वर्ण मातृका संज्ञा भी है। प्रत्याहार सूत्रों में नौ स्वर, और तैतींस व्यञ्जन समाविष्ट हैं। किन्तु पाणिनीय शिक्षा में ६३ अथवा ६४ वर्णों की गणना है। तदनुसार २२ स्वर, २४ व्यंजन, ४ अन्तस्थ वर्ण, ४ ऊष्म वर्ण, ४ यम, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार तथा विसर्ग (:) = ६३ १ दुःस्पृष्ट 'ळ'= ६४ वर्ण हैं। इस विषमता का समाधान स्वर वर्णों में 'सवर्ण' संज्ञा द्वारा बाईस स्वरों का नौ में अन्तर्धान होता है। तथा ४ यम १ जिह्वामूलीय, १ उपध्मानीय, १ अनुस्वार, १ विसर्ग और १ अस्पृष्ट वर्णों आदि में अथवा अन्तिम अवयव में व्यजनों के रूप में समावेश है।

परम्परा यह चली आ रही है कि चौदह माहेश्वर सूत्र अष्टाध्यायी के प्रधान अङ्ग हैं, तथा इतिहासकारों ने इन सूत्रों की संख्या समाविष्ट कर 'पाणिनीयाष्टक' की पूर्णता मानी है। परिणामतः नटराज महेश्वर इन सूत्रों के उपदेश तथा उनकी कृपा से पाणिनि इनके प्रवक्ता है। पाणिनि की तपोभूमि के सम्बन्ध में नेपाल से प्रकाशित "पाणिनि-तपोभूमि पणेनाग्राम" से ज्ञात होता है कि पाणिनि ने हिमालय की किसी सिद्धस्थली में तपस्या कर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करते हुए अक्षरों को सार्थक कर दिया।

"अष्टाध्यायी"

महर्षि पाणिनि की अमरकृति अष्टाध्यायी के नाम से सुविदित है। इसका दूसरा नाम पाणिनीयाष्टक भी प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा के परिष्कृत एवं सुदृढ़ स्वरूप का मानदण्ड अष्टाध्यायी ही है। इसके रचना-विधान से यह विदित होता है कि भाषा के आधार को अभिलक्षित कर पाणिनि ने अष्टाध्यायी में अपना रचना-कौशल दिखाकर अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों की छवि को धूमिल कर दिया। लोक में भाषा के आधार शब्द हैं और शब्दसमूह द्वारा निष्पन्न वाक्य अर्थाभिव्यक्ति में प्रधान हैं, यही भाषा विज्ञान का सर्वमान्य सिद्धान्त है, वाक्य में उद्देश्य और विधेय-दोनों का ही प्राधान्य है, "उद्देश्य" और "विधेय"- इन दोनों की परिष्कृति के लिए विस्तार की आवश्यकता अवश्य होती है, किन्तु इन दोनों का मौलिक स्वरूप जाने बिना इनका विस्तार सम्भव नही। अतः महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी क्रम का विस्तार इसी सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए प्रतिपादित किया है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पाणिनि का यह दावा सर्वथा सत्य है और उन्होंने अष्टाध्यायी का रचना विधान आधुनिक भाषा में "वैज्ञानिक स्वरूप" देकर जनमानस को अनुरञ्जित किया है।

पाणिनि की अष्टाध्यायी में आठ अध्याय है। इन आठों अध्यायों में लगभग ४००० सूत्र है। सिद्धान्तचन्द्रिका के अनुसार वास्तविक सूत्रों की संख्या ३९६५ है। जिनमें १४ प्रत्याहार सूत्र भी सम्मिलित है। प्रसन्नता की विशेष बात तो यह है कि पाणिनि के सूत्रों में लगभग सभी सूत्र यथाश्रुत मिलते है, इसका प्रमुख कारण यह है कि कण्ठस्थ करने

की परम्परा चली आ रही थी। केवल पाँच सूत्रों (४-३-१३१-१३२, ५-१-३६, ६-१-६२, तथा ६-१-१००) की प्रामाणिकता में थोड़ा सा सन्देह है, क्योंकि महाभाष्य में ये सब वार्तिक के रूप में दिये हैं। इनके अतिरिक्त काशिका वृत्ति में २० सूत्र अधिक हो गये है। कहीं-कहीं तो योग विभाग के द्वारा और कहीं वार्तिकों को सूत्र मान लेने से यह सम्भावना की गयी है। किन्तु इस प्रकार के स्थल भाष्य और अन्य टीकाओं से पहिचाने जा सकते हैं।

समग्र व्याकरण को संक्षेप में प्रस्तुत करने हेतु पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना सूत्रों में की है। फिर भी संक्षेप होने के कारण व्याख्यान सर्वथा अपेक्षित रहा है। यद्यपि सूत्र रचना बड़ी सरलता के साथ की गयी है, किन्तु उनका यथार्थ-बोध बिना व्याख्या के सम्भव नहीं। व्याकरण के अनुसार वाक्य ही भाषा की प्रधान इकाई है और वाक्य क्रिया-प्रधान है-सर्वं वाक्यं क्रियया परिसमाप्यते" और क्रिया में भी उसके विभिन्न काल, वाच्य और परस्पर विभक्तियों का सम्बन्ध वर्णित है। अतः वाक्य से सम्बद्ध क्रिया के रूप तथा उनमें जोड़े जाने वाले प्रत्यय अपेक्षित हैं, जिसके कारण क्रिया के वाच्यों का जन्म होता है। किन्तु पाणिनीय व्याकरण को दुर्गम समझने का एक मात्र कारण लाघव की प्रवृत्ति रही है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए सूत्रों के व्याख्यान करने की रीति को समझ रखना पड़ेगा। तब सूत्रों के वास्तविक अर्थ को जानने में कठिनाई नहीं होगी। वाक्य में उद्देश्यगत शब्द "कर्ता" होता है, और विधेयगत अर्थ क्रिया के द्वारा परिलक्षित होता है। इन दोनों के विस्तार हेतु विशेषण, क्रिया-विशेषण आदि अनन्तर अपेक्षित हैं। इस दृष्टि से अष्टाध्यायी के प्रथम दो अध्याय सामान्यतः उद्देश्य के अन्तर्गत समाविष्ट होते हैं, तथा तृतीय अध्याय का विषय विधेय को परिलक्षित कर वाक्य की पूर्णता को द्योतित करता है। अन्य अध्याय इन दोनों के विस्तार में अपेक्षित विन्यास हेतु अनुप्राणित होते हैं। इनके अतिरिक्त वैदिक शब्दों की समीचीनता का विचार भी बाद के अध्यायों में समाविष्ट है।

उपर्युक्त वाक्य-रचना का स्वरूप अष्टाध्यायी में तीन सोपानों में विभक्त है- (१) वाक्यों से पदों का संकलन (१-२अ.) (२) (पदों का प्रकृति-प्रत्यय में विभाग (३-५ अध्याय) (३) प्रकृति-प्रत्ययों के साथ आगमादेशादि का समायोजन के साथ परिनिष्ठित पदों का निर्माण (६-८ अध्याय)। यह तो रहा संक्षिप्त सूत्रभूत परिचय। पाणिनि के रचना-कौशल की वैज्ञानिकता का क्रमिक रूप इस प्रकार है।

प्रथम अध्याय-प्रथम अध्याय का प्रथम पाद प्रमुख रूप में व्याकरण की संज्ञाओं का निर्देशक है। इस पाद में पूर्णतया पाणिनीय व्याकरण में व्यवहृत संज्ञाओं का समावेश है। प्रकरणोपयुक्त "उपपद" आदि संज्ञायें तत् तत् प्रकरणों में ही वर्णित हैं। इसके साथ ही परिभाषाओं का समायोजन अपेक्षित होने के कारण उनका समावेशन संज्ञा सूत्रों के साथ किया गया है। इस प्रकार अष्टाध्यायी के आरम्भ में ही १/१/१० तक वर्ण संबन्धी संज्ञायें

हैं। जो वृद्धि, गुण, संयोग, सवर्ण तथा अनुनासिक नाम से विदित हैं। तदन्तर वर्णसमूह के रूप में जो संज्ञायें प्रसिद्ध है उनका आख्यान पाणिनि ने १/१/११ से १/१/४३ तक किया है उनका नाम सङ्कीर्तन इस प्रकार है-प्रगृह्य, घु, घ, संख्या, निष्ठा, सर्वनाम, अव्यय तथा सर्वनामस्थान। तत्पश्चात् १/१/४४-४५ में आर्थी संज्ञारूप विभाषा और सम्प्रसारण संज्ञायें उल्लिखित हैं। संज्ञा कार्यों को नियमित करने के लिए पाणिनि ने प्रसङ्गवश इसी अध्याय में परिभाषा सूत्रों का सृजन किया है इनमें अन्तय विधि, स्थानेयोग, परविधि, अन्तरतम विथि आदि प्रमुख है। मध्य में पठित ये परिभाषा सूत्र प्रासगिक हैं। क्योंकि आगे चलकर १/१/६० में अर्थ संज्ञा रूप "लोप" का विधान किया गया है। इसी क्रम में आदेश और "लोप" विधानों में उपयोगी (टि) (१/१/६४) तथा "उपधा" (१/१/६५) संज्ञाओं का निर्देश किया गया है। इस पाद के अवशिष्ट अन्तिम दश सूत्रों में अन्य सूत्रगत शब्दोपयोगी परिभाषाओं का संकलन है। जिनमें वृद्ध संज्ञा-शब्दस्थ वृद्धि संज्ञागत आदि अच् वर्ण का बोध कराती है। उसका उपयोग तद्धित-प्रकरण में "छ" प्रत्यय के विधान में सार्थक होता है। (वृद्धाच्छः ४/२/११४)।

प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में संज्ञाओं और परिभाषाओं का दिग्दर्शन कराने के उपरान्त पाणिनि ने द्वितीय पाद के आरम्भ में प्रत्ययसंबंधी संज्ञाओं का विशिष्ट रूप में निदर्शन किया है, जो "ङित्, कित्" आदि के अतिदेश स्वरूप मानी गयी हैं। इस प्रकार का निर्देशन १/२/१ से १/२/२६ तक अष्टाध्यायी में विद्यमान है, तत्पश्चात् पुनः मौलिक संज्ञाओं का विविध प्रकार से निर्वचन किया गया है। इन संज्ञाओं को हम दो स्वरूपों में देखते हैं। एक तो लौकिक संज्ञाओं तथा दूसरा वैदिक भाषा में समुपयुक्त संज्ञाओं के रूप में दृष्टिगत होता है। इनमें से लौकिक व्याकरण की उपयुक्त संज्ञायें केवल तीन हैं- ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत ऊकालोऽज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः (१/२/२७) तथा अचश्च (१/२/२८)। वैदिक मन्त्रों में उपयोगी "उदात्त, अनुदात्त" तथा "स्वरित"-ये तीनों स्वर उच्चारण हेतु प्रमुख हैं, जिनका सङ्कलन पाणिनि संज्ञाओं के निर्वचन प्रसङ्ग में लोकोपयोगी होने के कारण यहीं किया है। यह क्रम १/१/२९ से १/१/४० तक विन्यस्त है। इसी के अन्तर्गत उदात्तादि तीनों स्वरों के मिश्रित भेद भी बतला दिये गये हैं, जिनमें "एकश्रुति" सबसे महत्तपूर्ण है। "एकश्रुति" का तात्पर्य स्वरों के उच्चारण न करने पर है। अर्थात् पृथक्-पृथक् उदात्तादि स्वरों का श्रवण न होकर समस्त स्वरों का मिश्रित एक ही स्वर सुनायी देना- (एका श्रुतिः यस्य तत्)।

एकश्रुति का विधायक सूत्र "एकश्रुति दूरात् सम्बुद्धौ- (१/२/३३) है। यहाँ सम्बुद्धि पद "सम्बोधन" संज्ञा को अभिलक्षित कर नहीं लिखा गया है किन्तु वह सामान्य रूप में बुलाने के अर्थ में अपेक्षित है। सम्यग् बोधनं ज्ञापनं सम्बुद्धिः अतः "आगच्छ भो माणवक देवदत्त ३" में उदात्तादि स्वरों में एकश्रुति मानी जाती है। एकश्रुति में स्वराङ्कन नहीं किया

जाता। तत्पश्चात् पुनः केवल एक अपृक्त वर्ण विषयक संज्ञा का क्रम प्राप्त निर्वचन किया गया है। (अपृक्त एकाल्प्रत्ययः १/२/४१)। यहीं पर पाणिनि ने समास प्रकरणस्थ कर्मधारय (तत्पुरुषः समानाधिकरणः- कर्मधारयः १/२/४२) तथा "उपसर्जन" (प्रथमा-निर्दिष्टं समास उपसर्जनम्। १/२/४३) संज्ञाओं का अक्रम निर्वचन इसलिए किया है कि प्रातिपदिक संज्ञा के पहले जिन संज्ञाओं तथा परिभाषाओं का ज्ञान अपेक्षित है उनका पाठ करना वहाँ उचित नहीं रहा। वर्ण तथा वर्ण संघात रूप संज्ञाओं के निर्वचन करने के पश्चात् वर्ण संघात, अर्थवत् स्वरूप प्रतिपादित संज्ञा की उपस्थिति होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा सम्बन्धी विमर्श करने के पश्चात् १/२/६४ से "एकशेष" का विचार किया गया है। इस प्रकार उद्देश्यगत संज्ञाओं का निर्देश प्रथमाध्याय के प्रथम दो पादों मे करने के पश्चात् विधेयगत संज्ञाओं का निर्वचन अग्रिम पाद में यथाक्रम किया जा रहा है।

तृतीय पाद के आरम्भ में धातुसंज्ञा का उल्लेख कर सामान्य धातु तथा अन्य रूपों द्वारा निष्पन्न क्रियाशब्दों को भी धातु मानकर धातुसंज्ञा के अन्तर्गत ही दिखाया गया है। यह क्रम 'भूवादयो धातवः' (१/३/१) से आरम्भ कर (१/३/११) तक चलता है जिनमें धातुसंज्ञोपयोगी अनुबन्ध सम्बन्धी इतादि संज्ञायें भी समाविष्ट हैं। इस क्रम के अन्त में एक महत्त्वपूर्ण विषय की चर्चा की गयी है, जिसका निर्वचन "स्वरितेनाधिकारः (१/३/११) सूत्र द्वारा किया गया है। तदनुसार पाणिनि ने अधिकारगत सूत्रों का अन्तिमवर्ण स्वरित चिन्ह से अंकित किया हो, उदाहरणार्थ- "भूवादयो धातवः (१/३/१) का प्रभाव (१/३/९३) लुटि च क्लृपः तक है। इन दोनों सूत्रों के मध्य आत्मनेपद, परस्मैपद आदि की चर्चा की गयी है, जो प्रमुख रूप में धातुओं से ही सम्बद्ध हैं। इन दोनों में प्रथम आत्मनेपद तथा द्वितीय परस्मैपद के निर्वचन क्रम में "विप्रतिषेध" सूत्र ही नियामक है (विप्रतिषेधे परं कार्यम्) (१/४/२)।

प्रथम अध्याय के अन्तिम चतुर्थ चरण में पदोपयोगी संज्ञा कार्यों का निरूपण करते हुए तदुपयोगी कारकों एवं तत्सम्बद्ध विभक्ति कार्यों का निर्वचन किया गया है। वाक्य की पूर्ति के लिए न्यूनतम एक क्रियापद अवश्य अपेक्षित होता है (एकतिङ् वाक्यम्) इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए तिङ् प्रत्यय सम्बन्धी संज्ञाओं का समावेश भी इस चरण के अन्त में हुआ है। तिङ् प्रत्ययों में अपेक्षित अन्य विधान भी विविध प्रकार से व्यवहृत हुए हैं। उसका कारण यह है कि धातुगत परस्मैपद और आत्मनेपद भेदों के सम्बन्ध में वाच्य की अभिव्यक्ति सापेक्ष है। अतः परस्मैपद और आत्मनेपद संज्ञाओं को पहले ही बतला दिया गया है। तथा इस चरण के प्रारम्भ में कारक संज्ञाओं में परस्पर अति प्रसक्ति के निवारणार्थ "आकडारादेका संज्ञा" १/४/१। एवं "विप्रतिषेधे परं कार्यम् (१/४/२) -सूत्रों द्वारा परिभाषित कर कार्य नियमन की प्रतिज्ञा करायी है। तदुपरान्त "नदी" (१/४/३), घि (शेषोघ्यसखि १/४/७), लघु (ह्रस्वं लघु) (१/४/१०), गुरु (संयोगे गुरु १/४/११), अङ्ग

(यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्) १/४/१३, पद (सुप्तिङन्तं पदम् १/४/१४), भ (यचि भम् १/४/१८), बहुवचन (बहुषु बहुवचनम्, १/४/२१) द्विवचन तथा एकवचन द्वयेकयोर्द्विवचनैकवचने १/४/२२), कारक (कारके १/४/२३) अपादान (ध्रुवमपायेऽपादानम् (१/४/२४) सम्प्रदान (कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् १/४/३२), करण (साधकतमं करणम् १/४/४२), अधिकरण (आधारोऽधिकरणम् (१/४/४५) कर्म (कर्तुरिप्सिततमं कर्म १/४/४६), कर्ता (स्वतंत्रः कर्ता १/४/५४) इन संज्ञाओं का क्रमशः निर्वचन किया गया है। इनमें भी कारकों के निर्वचन प्रसङ्ग में विशेष पदों अथवा विशेष अर्थों की अभिव्यक्ति के कारण विभिन्न कारकों मे यथास्थान अपादानादि कारकों की प्रथम प्रसक्ति का प्रख्यापन किया है। वचन और सङ्ख्या का अवबोधन कारक से पूर्व अपेक्षित होने के कारण पाणिनि ने सङ्ख्यागत-एकत्व, द्वित्व तथा बहुत्व की प्रतिष्ठा उससे पूर्व ही कर दी गई।

इसी प्रसङ्ग में अष्टाध्यायी के प्रथमाध्याय चतुर्थपादान्त में आचार्य ने निपात संज्ञा (प्राग्रीश्वरान्निपाताः १/४/५६) के अधिकार में, "उपसर्ग" (उपसर्गाः क्रियायोगे १/४/५९) तथा कर्मप्रवचनीय (कर्म प्रवचनीयाः १/४/८३) अधिकारों को संश्लिष्ट कर दिया है। यद्यपि निपातादि का कारकों से कोई साक्षात् सम्बन्ध नहीं है। फिर भी जहाँ प्रमुख कारक अर्थ विशेष के कारण अथवा किसी पद विशेष के सन्निधान से अपने मौलिक अर्थ को त्यागकर कर्मादिरूप नवीन अर्थ का बोध कराते हैं, तब कर्म प्रवचनीय की सार्थकता अवबोधित होती है। अतः विभिन्न कारकों के कर्म प्रवचनीयों के सन्दर्भ में क्रियागत अर्थ-विशेष की अभिव्यक्ति उपसर्गों के बिना सम्भव नहीं होती, इस हेतु उपसर्ग तथा उससे सम्बद्ध गति संज्ञा (उपसर्गाः, क्रियायोगे गतिश्च वं) १/४/५९, ६० की चर्चा प्रसङ्गानुगत है, क्योंकि उपसर्ग ही क्रिया योग से शून्य होने पर किसी विशेष गुण से युक्त होने के कारण गतिसंज्ञक होते हैं। अतः वाक्य की विधेयगत आकाङ्क्षा की पूर्ति करने में तिङ् प्रत्ययों की सार्थकता सर्वमान्य हैं इसी प्रसङ्ग में परस्मैपद (लः परस्मैपदम् (१/४/९९) तथा आत्मनेपद (तङ्ानावात्मनेपदम् १/४/१००) का उल्लेख है। तिङ् और अस्मद् आदि उपपद के साथ "पुरुष" का सम्बन्ध होने के कारण प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का बोध कराया गया है। (१/४/१०१-१०२)। पाणिनि द्वारा अभीष्ट सुबन्त तथा तिङन्त शब्दों की पदसंज्ञा होने में जिन उपकरणों की आवश्यकता थी उनकी समष्टि प्रथमाध्याय में समाहित की गयी है। सामान्य वाक्य का स्वरूप ज्ञात होने पर तदनन्तर सुबन्त तथा तिङन्त शब्दों के विस्तार हेतु अन्य प्रक्रिया यथाक्रम आगे के अध्यायों में निरूपण की गयी है।

प्रथमाध्याय का विराम संहिता (परः सन्निकर्षः संहिता १/४/१०९), तथा अवसान (विरामोऽवसानम् १/४/११०) संज्ञा का यथोचित ख्यापन करते हुए सम्पन्न हुआ है, क्योंकि वाक्य की अन्विति को सम्पन्न करने में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान है।

द्वितीय अध्याय

पद विषयक उपयोगी संज्ञा विधान में एक पदात्मक सुबन्त तथा तिङन्त शब्दों का स्वरूप निर्वचन करने के पश्चात् संश्लिष्ट सुबन्त पदों के सम्बन्ध में आकाङ्क्षित विधान का निरूपण द्वितीय अध्याय का प्रमुख विषय है। अतः समास प्रकरण में अपेक्षित समास भेद तथा उसके विवरणों का प्रतिष्ठापन कर द्वितीय अध्याय की सार्थकता प्रमाणित की है। इस अध्याय के चारों चरणों में मिलाकर २६८ सूत्र हैं। पद सामर्थ्य की दृष्टि से चतुर्विध समासों का पूर्वापरभाव नियोजित कर पाणिनि ने क्रमशः अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि तथा द्वन्द्व समासगत भेद प्रदर्शित किये हैं। यह क्रम सर्वथा वैज्ञानिक है क्योंकि समासों में पूर्वपद-प्रधान अव्ययीभाव तथा उत्तरपद-प्रधान तत्पुरुष माने गये हैं, तत्पुरुष के शेष स्वरूप (शेषो बहुव्रीहिः २/२/२३) बहुव्रीहि को तदनन्तर रखना समुचित ही है, इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि बहुव्रीहि समास में अनेक पदों की विद्यमानता होने से तद्गत अर्थ का सङ्कोच होकर अन्य पदार्थ का प्राधान्य स्वीकार किया गया है। (अनेकमन्यपदार्थे २/२/२४)।

इन चार समासों के अतिरिक्त लोक में द्विगु और नञ् समास के रूप में प्रचलित है, किन्तु द्विगु तो तत्पुरुष का कर्मधारयगत भेद है (संख्या पूर्वो द्विगुः २/१/५२ (तत्पुरुषोऽनञ् कर्मधारयः २/४/१९)। विशेषण वाची पूर्वपद समास कर्मधारय के नाम से प्रसिद्ध है। अव्ययीभाव समास में पूर्वपद अव्ययवाची शब्द की विद्यमानता होने से उसके नाम की सार्थता है। वस्तुतः अव्ययीभाव समास में सामासिक स्थिति के पूर्व केवल प्रथम पद अव्यय रहता है किन्तु दूसरा पद अव्यय न होने पर भी समस्त-पद अव्ययीभाव संज्ञक होता है, और इस पद की अव्ययीभाव संज्ञा होती है। अन्यथा इस नाम का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ सार्थक नहीं होता। अव्ययीभाव शब्द ही इस बात का समर्थन करता है- न अव्ययः = अनव्ययः तदेव सम्पद्यते इत्यव्ययीभावः। चारों समासों में द्वन्द्व समास का निरूपण उभयपदार्थ-प्रधान होने के कारण समास क्रम में सर्वान्त रखा गया है।

समासोपयोगी अन्य विवरणों में उपसर्जन (१/२/४३) की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। अतः तद्वाची शब्द की स्थिति समास में सर्वप्रथम रहती है- उपसर्जन पूर्वम् २/२/३० उपसर्जन संज्ञा सम्बन्धी कार्यों का क्रम द्वितीयाध्याय के (२/२/३०) उपसर्जन पूर्व से ही हुआ है।

पद संज्ञा की पूर्ण निष्पत्ति समस्त शब्दों में सम्पन्न होती है सुबन्त शब्दों की निष्पत्ति में "सुप्" विभक्तियों तथा तत्सम्बद्ध कारकों की विवक्षा के फलस्वरूप पाणिनि ने समास के साथ तृतीय पाद में सुप् विभक्तियों का अर्थ प्रतिपादित किया है।

सुबन्त पदों की सिद्धि में लिङ्ग और वचन-पद की समग्रता में हेतु हैं। उनका निदर्शन द्वितीय अध्याय के अन्तिम चरण में किया है। इस प्रकरण के बाद पद सम्बन्धी

विधि के उपयोगी विकीर्ण विषयों में "अन्वादेश" एवं धात्वादेश, लुक् आदि का समावेश कर पद सम्बन्धी आकांक्षा की पूर्ति कर दी है। इनमें से "अन्वादेश" तो विशिष्ट पद के रूप में स्थित रहते हैं। क्योंकि वाम्, नौ, ते आदि की सिद्धि प्रातिपदिक मानकर नहीं की जाती किन्तु द्वितीया आदि विभक्तियों के रूप सिद्ध होने पर उनके स्थान में त्वा, वां, आदि आदेश होते हैं। अतः इसका वैशिष्ट्य "अन्वादेश" संज्ञा से ही विदित है। इस अध्याय के सर्वान्त में लुक् प्रकरण का समावेश पद सम्बन्धी विषय होने के कारण आनुषंगिक है। वैसे भी- लुक्, अर्थात् अभाव या वस्तु का अदर्शन होना भाव निरूपण के बाद ही करना समुचित प्रतीत होता है।

अन्त में लुट् लकार के प्रथम पुरुष में डा,रौ, रस् आदेशों का (२/४/८५) अभ्युत्थान करते हुए अग्रिम तृतीयाध्याय में वर्णित तिङ् प्रत्ययों के अधिकार को सङ्गमित किया है।

तृतीयाध्याय

आचार्य पाणिनि ने प्रथम दो अध्यायों में उद्देश्यगत विषय निर्वचन करने के उपरान्त इस अध्याय में विधेयगत प्रत्ययों का निर्वचन किया है। विधेयगत प्रत्यय "तिङ्" कहलाते हैं। तिङ् प्रत्ययों का समावेश भी विभक्तियों के अन्तर्गत माना गया है। अतः प्रत्यय अधिकार भी यहाँ संज्ञा के रूप में वर्णित है। कारण यह है कि अधिकार के रूप में प्रत्ययों के अन्तर्गत सभी प्रकार के प्रत्ययों का समावेश हो जाता है। इस दृष्टि से क्रिया सिद्धि में उपयोगी प्रत्ययों के अनन्तर तद्धित प्रत्यय भी प्रत्ययाधिकार (प्रत्ययाः ३/१/१) के विस्तार में समायोजित हो जाते हैं। इसी के साथ ही पाणिनि ने यह भी निर्देश कर दिया है कि "प्रत्यय" मूल प्रकृति से परवर्ती होते हैं (परश्च ३/१/२)। क्रिया वाची शब्दों की मूल प्रकृति धातु है। इन धातुओं की संख्या लगभग २००० है। इन्हीं धातुओं को आगे चलकर प्रक्रिया ग्रन्थकारों ने दशगणों में विभाजित कर दिया है। धातुओं से क्रियाशब्दों की निष्पत्ति होने में प्रत्ययों के साथ विकरण एवं आगमादि भी सन्निविष्ट होते हैं। अतः साक्षात् प्रत्ययों तथा क्रिया शब्दगत अन्य सहायक विधान प्रत्ययाधिकार के प्रसङ्ग में व्यवहृत हुए हैं। तिङ् प्रकरण प्रमुख रूप में धातुओं से सम्बद्ध है। पाणिनि ने धातुओं के रूप सिद्ध करने में "लकार" द्वारा क्रियागत काल को इङ्गित किया है। लकार का अर्थ केवल "ल्" है लकार दश हैं। कुछ लकार वर्तमानादि कालों में तथा कुछ वृत्तियों में उपदिष्ट किये गये हैं। आज्ञा देना, निमन्त्रण करना आदि "वृत्ति" कहलाती है। अइउण्, ऋलृक्, एओङ् इन तीन प्रत्याहार सूत्रों की सहायता से लटादि दश लकारों को अभिव्यञ्जित किया गया है, इन दशों लकारों में ट् एवं ङ् तथा "अ इ" आदि अच् वर्णो की इत् संज्ञा होने पर अवशेष ल् ही लकार नाम से अभिप्रेत है। इन दश लकारों में छः लकार टित् तथा चार लकार ङित् है।

धातुओं से प्रत्यय जोड़े जाने पर कुछ अन्य सहायक विधान अपेक्षित हैं। उन विधानों में विकरण प्रमुख है। विकरण से तात्पर्य है धातुओं में विकार (परिवर्तन) करने वाले कुछ उपायों (विधानों) का समावेश होना। विकरण के कारण ही धातुओं में गुण तथा वृद्धि रूप विकार होते हैं। प्रमुख विकरण तथा इनके अतिरिक्त अन्य विकरण लिट् के अतिरिक्त आर्धधातुक लकारों में आते हैं। तिप् तस् आदि अठारह (१८) प्रत्ययों के पहले आते हैं। इन लकारों में लेट् का 'सिप्' लृट् तथा लृङ्. का 'स्य' लुट् का' तासि' लुङ्. का 'सिच्' विकरण है तथा लिट् का विकरण नहीं होता। इन विकरणों के साथ किसी विशेष का सम्बन्ध नहीं है। अतः ये साक्षात् धातुओं से विहित-प्रमुख विकरण हैं। शेष लट्- लोट् लङ् और विधिलिङ् लकारों में गण भेद से शप् श्यन् आदि विकरण भेद हो जाता है। इसी भेद के कारण धातुओं का भ्वादि अदादि दश गणों में विभाजन किया गया है-

भ्वाद्यदादी जुहोत्यादिर्दिवादिः स्वादिरेव च।
तुदादिश्च रूधादिश्च तनुक्र्यादिचुरादयः।।

ये विकरण सार्वधातुक तथा आर्धधातुक संज्ञाओं से पृथक् पृथक् विहित है। अतः इनका क्षेत्र अपनी अपनी सीमा के अन्तर्गत आता है। 'कित्' और 'ङित्' होने के कारण विकरणों में भी गुण एवं वृद्धि का निषेध अन्य प्रत्ययों के समान होता है। दश लकारों में से कुछ का विधान इस अध्याय के तृतीय पाद के लकारार्थ निर्णय प्रकरण में तथा कुछ का विधान द्वितीयपाद में किया गया है। यह सभी प्रक्रिया इस अध्याय के अन्तर्गत धातोः (१/१/९१) अधिकार के अन्तर्गत होने से तिङ् प्रत्ययों में समाविष्ट की गयी है। इसी अधिकार के अन्तर्गत तिङ् भिन्न कृत् प्रत्यय भी समायोजित हैं। अतः वे भी धातुओं से विहित है (कृदतिङ ३/१/९३)। पाणिनि ने सभी कृत् प्रत्ययों का विधान कर्ता में ही किया है (कर्तरिकृत् ३/४/६७)। इन प्रत्ययों का विधान एक दूसरे उद्देश्य से भी किया गया है। वह यह है कि ये प्रत्यय कभी कभी अपादान सम्प्रदान, करण, अधिकरण आदि कारकों में तथा धातुओं के अर्थ को सूचित करने के लिए आते हैं।

कृत्य प्रत्यय कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होते हैं (तयोरेवकृत्यक्त-खलर्थाः ३/४/७०) कृत् एवं कृत्य प्रत्यय दोनों ही साक्षात् धातुओं से ही विहित हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त कृदन्त प्रकरण में पाणिनि ने धातुओं से पूर्व सुबन्त पदों का समावेश कर, "उपपद" कृत् प्रत्ययों का समावेश कर उपपद समास के साथ कृदन्त शब्दों की पृथक् परिकल्पना भी की है। उपपद एवं तदर्थ को सूचित करने के लिए कृदन्त प्रकरण के सूत्रों में सप्तमी विभक्ति द्वारा इस विधान का समर्थन किया गया है। (तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् ३/१/९२)।

कृदन्त की सिद्धि में तिङ्न्त की सिद्धि के समान धातु विहित कार्य यहाँ भी होते हैं। तृतीयाध्याय के तृतीय पाद के आरम्भ में पाणिनि ने कृदन्त प्रत्ययों के अन्तर्गत उणादि

प्रत्ययों को भी इंगित किया है। यहाँ पर उन्होंने केवल एक सूत्र "उणादयोबहुलम्" (३/३/१) द्वारा यह सूचित किया है कि लोक में प्रचलित अन्य प्रकार के शब्दों की शास्त्रीय व्युत्पत्ति द्वारा सभी शब्दों का व्युत्पादित होना समर्थित है। उणादि सूत्रों का स्वरूप पृथक् पाँच पादों में मिलता है। जिसके द्वारा सहस्रों शब्द जो अष्टाध्यायी की परिधि में समाविष्ट नहीं हो पाये एवं जिनकी व्युत्पत्ति शास्त्रीय दृष्टि से अपेक्षित है, वे सभी उणादि प्रत्ययों द्वारा सिद्ध किये गये हैं। इस सम्बन्ध में पण्डित विश्वेश्वर पाण्डेय द्वारा रचित व्याकरण सिद्धान्त सुधानिधि की निम्नलिखित पंक्तियाँ मननीय है-"प्रायेणैषां रूढतया प्रकृति-प्रत्ययार्थाननुगमाद्विशिष्य न व्युत्पाद्यन्ते। किन्तु शास्त्रान्तरव्युत्पादितानां साधुत्वमात्रमनेनाभ्यनुज्ञाम। अत्र वार्तिकम्।

"बाहुलकं तनुदृष्टेः नैगमरूढिभवं हि सुसाधु।"
"नाम च धातुजमाह निरुक्ते, व्याकरणे शकटस्य च तोकम्"।।
(शकटस्य तोकमपत्यं शाकटायनरित्यर्थः)

यहाँ पर उणादि प्रत्ययों के सम्बन्ध में दूसरी विशेषता यह बतलायी है कि इन प्रत्ययों का विधान भूतकाल में भी होता है। (भूतेऽपि दृश्यन्ते ३/३/२) इस विधान की आवश्यकता यह पड़ी है कि उणादयो बहुलम् (३/३/१) सूत्र में बर्तमाने लट् (३/२/१२३) से बर्तमान पद अनुवर्तमान है। अतः उणादि प्रत्ययों का विधान केवल वर्तमान काल में ही हो पाता।

तृतीयाध्याय के अन्तिम पाद में "अव्यय रूप" कृत् प्रत्ययों का विवरण दिया गया है ३/४/७७। सूत्र **"लस्य"** से लादेश का प्रसंग है। लादेश विशेष्य वाची होता है। अतः विशेष पद निष्पादक अव्ययकृत के बाद उसका उपन्यास है। यह युक्ति संगत है।

चतुर्थ पञ्चम अध्याय

प्रातिपदिक शब्दों की मौलिक अवस्था पर विचार करने के पश्चात् उनसे निष्पादित विभिन्न शब्दों की सिद्धि हेतु तदर्थ प्रत्ययों का उपक्रम अष्टाध्यायी में चतुर्थ तथा पञ्चम अध्यायों में यथाक्रम विद्यमान है। प्रक्रिया ग्रन्थकारों ने वाक्यगत रचना का अनुसरण कर उद्देश्य में समाविष्ट शब्दों की रचना के सम्बन्ध में समग्र उपयोगी सामग्री को पूर्वार्द्ध में रखा है। तदनन्तर धातु सम्बन्धी रचना-विधान पर विचार किया है। अष्टाध्यायी के क्रमानुसार वाक्य-विश्लेषण की दृष्टि से धातु सम्बन्धी रचनाविधान के अनन्तर उद्देश्यगत विस्तार को सामान्य विधेयगत क्रिया-सम्बन्धी निरूपण करने के पश्चात् करने में औचित्य ही है। इसमें भी सर्वप्रथम स्त्री प्रत्ययों की चर्चा की गयी है। तद्धित प्रत्ययों के पूर्व स्त्री प्रत्ययों का निरूपण करना युक्तिसंगत है, क्योंकि प्रातिपदिक मात्र ही नपुंसक या पुल्लिंग होता है। लेकिन स्त्रीलिङ्ग के लिए अधिकतर प्रातिपदिक के पश्चात् स्त्रीलिङ्ग का द्योतक प्रत्यय लगाया जाता है इसलिए स्त्रीप्रत्यय का प्रकरण आवश्यक था।

प्रमुख रूप में दीर्घ ईकारान्त "ङीप्, ङीष्, तथा ङीन् एवं दीर्घ आकारान्त "टाप्", डाप् तथा चाप्-ये छह स्त्री प्रत्यय हैं। इन्हीं छह प्रत्ययों का ङ्याप् प्रातिपदिकात् (ङी आप्) (४/१/१) में निर्देश किया गया है। इस प्रकरण में ४/१/१३ तक तो "साधारण स्त्री प्रत्यय" परिगणित है तदनन्तर ४/१/१४ से "अनुपसर्जनात्" से (४/१/८१) देवयज्ञि तक अनुपसर्जन स्त्री प्रत्ययों की चर्चा है।

स्त्री प्रत्ययों के अनन्तर शब्द रचना की दृष्टि से पाणिनि द्वारा उपस्थापित तद्धित प्रत्यय-प्रकरण विशेष महत्तवपूर्ण हैं। यह प्रत्यय विधान आचार्य ने तद्धिताः (४/१/७६) से लेकर पञ्चम अध्याय पर्यन्त किया है। समग्र अष्टाध्यायी में यह प्रकरण सर्वाधिक विस्तृत हैं। इसे महारण्य के समान ही जानना चाहिए, इसका अधिकार सूत्र तद्धिताः (४/१/७६) ही इस बात का ज्ञापक है इसका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है- तस्मै हितम् तद्धितं ते तद्धिताः- अर्थात् मूल प्रकृति शब्दों से विदित प्रत्यय तद्धित प्रत्ययों के रूप में अभिहित है। तद्धित प्रकरण में अर्थों के तथा प्रत्ययों के अधिकार हैं। उदाहरणार्थ प्राग्दीव्यतोऽण् (४/१/८३) यह प्रत्यय का अधिकार है। तथा "तस्यापत्यम्" यह अर्थ का अधिकार है। इन दोनों की व्यवस्था में थोड़ा सा अन्तर है जब प्रत्यय का अधिकार चलता है और उस मध्य दूसरा विधान नहीं है तभी अधिकार प्राप्त प्रत्यय चरितार्थ होते हैं। तथा जहाँ किसी प्रत्यय का विधान किया गया है वहाँ अधिकार प्राप्त प्रत्यय नहीं लगता।

तद्धिताधिकार के प्रत्ययों को "अस्वार्थिक और स्वार्थिक रूप में अविन्यस्त किया गया है। तदनुसार तद्धिताः (४/१/७६) अधिकार के अन्तर्गत तीन प्रत्ययों का महाधिकार है ये हैं- अण्, ढक् और यत्। चतुर्थ अध्याय के अनन्तर पञ्चम अध्याय (१-२) में अस्वार्थिक प्रत्ययों का विधान है इनमें भी तीन प्रत्यय महाधिकारी हैं- "छ", ठक् और ठञ्"। पञ्चमाध्याय का चतुर्थ चरण तद्धित प्रत्ययों का परिशिष्ट भाग है। तृतीय चतुर्थपादों में स्वार्थिक तद्धित प्रत्यय परिगणित है। पञ्चमाध्याय के सर्वान्त में "समासान्त" प्रत्यय भी निरूपित किये गये हैं। समासान्ताः (५/४/६८)। इसका कारण यह है कि प्रक्रिया की दृष्टि से समासान्त को तद्धित प्रत्यय मानना पड़ता है। अतः तद्धिताधिकार में समासान्त को सन्निविष्ट किया गया है।

षष्ठ अध्याय

पूर्व पाँच अध्यायों में महर्षि पाणिनि ने शब्दगत विचारों का निदर्शन करने के पश्चात् छठे अध्याय से आठवें अध्याय पर्यन्त प्रकृति एवं प्रत्ययगत कार्यों की सूक्ष्मता का विचार किया है। इस विचार की समग्रता वैदिक शब्दों के निवर्चन करने में समापित होती है। इस कारण शब्दशास्त्र के विचारकों ने इन अन्तिम तीनों अध्यायों को अष्टाध्यायी के उपसंहार का द्योतक स्वीकार किया है। इस दृष्टि से विचार करने पर विधि और तदङ्गभूत नियम,

अतिदेश, आगम, आदेश, स्वरूप-विधान इन अध्यायों के अन्तर्गत समाविष्ट हैं। उनमें भी छठे अध्याय में "अङ्गाधिकार" (अङ्गस्य ६/४/१) विशेष महत्वपूर्ण है। इस अधिकार पर महर्षि पतञ्जलि ने महाभाष्य में विशेष रूप से विचार किया है। इसी मध्य संहिता का अधिकार भी निरूपित किया गया है जो वाक्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। संहिता की परिधि में ही सन्धि, आगम, आदेशादि समाहित हुए है। शब्द-रचना में संहिता विधान की महत्वपूर्ण भूमिका है।

व्याकरणशास्त्र के पठन-पाठन में "अङ्गाधिकारभाष्य" का स्थान बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यह अधिकार अष्टाध्यायी के विस्तार में लगभग एक अध्याय के समान आकलित किया जा सकता है। तदनुसार ६/४/१ से प्रारम्भ होकर ७/४/९७ तक समाविष्ट हुआ है। इस अङ्गाधिकारप्रकरण" में संकलित सूत्रों की संख्या ५८३ है। अङ्ग संज्ञा के सम्बन्ध में भर्तृहरि का निर्वचन अनुसन्धेय है। उन्होंने अपने ग्रन्थ "वाक्यपदीय" (२/७७) में जिन वाक्य धर्मों का परिगणन किया है उनमें सामर्थ्य, अधिकार, अतिदेश, समुच्चय, गुरुलाघव आदि के साथ "अङ्गाङ्गिभाव" को प्रमुखता दी है। जिस प्रकार लोक में "अङ्गों" के द्वारा "अङ्गी" की पूर्णता परिलक्षित होती है उसी प्रकार 'सिद्ध' शब्द की पूर्णता को निर्देशित करने के लिए प्रक्रिया दशा में मूल प्रकृति से प्रत्यय परवर्ती होने पर तदादि शब्द-स्वरूप की "अङ्ग" संज्ञा कही गयी है। इस वैशिष्ट्य को अभिलक्षित कर पाणिनि ने प्रथमाध्याय में ही अङ्ग संज्ञा (१/४/१३) का निर्देश किया है। अङ्ग-कार्य में भी "सिद्ध" और "असिद्ध" का सामञ्जस्य दिखाने के लिए अङ्गाधिकार प्रकरण के अन्तर्गत एक दूसरा असिद्ध प्रकरण परिकल्पित है। यह असिद्धप्रकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी में अष्टमाध्याय के अन्तर्गत समाविष्ट असिद्ध प्रकरण से भिन्न है। अष्टमाध्यायस्थ असिद्ध-प्रकरण का उपयोग समग्र अष्टाध्यायी से सम्बद्ध है। अङ्गकार्य सम्बन्धी सिद्ध तथा असिद्धकार्यों का पौर्वापर्य यहाँ निर्वचन किया जाना वैलक्षण्य सूचक है। कारण यह है कि इस प्रकरण से सम्बद्ध असिद्ध कार्य-अतिदेशपरक है। अतः पाणिनि ने यहाँ पर उसका निर्देश "असिद्धवदत्राभात्" (६/४/२२) सूत्र में असिद्धवत् शब्द द्वारा उपस्थापित किया है। तदनुसार इस सूत्र का अर्थ- "एक ही निमित्त होने पर आभीय कार्य सिद्ध के समान नहीं होता अर्थात् असिद्ध के समान माना जाता हैं-" (अर्थात् आभीय कार्य होने पर भी वह न होने जैसा माना गया है) उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यथार्थ विदित होता है। अतः इस अतिदेश को अङ्गाधिकार के अन्त में निवेश कर अङ्गाङ्गिभाव की समष्टि को पुष्ट कर दिया है। इस प्रकार का निर्देश प्रकृत सूत्रस्थ "आभात्" पद के सन्निवेश से प्रतीत होता है। तदनन्तर ६/४/१२९ भस्य- से "भ" संज्ञा का अधिकार आरम्भ हुआ है, जो पाद की समाप्ति पर्यन्त प्रभावी होता है। "भ" संज्ञा भी अङ्ग संज्ञा का उपाङ्ग रूप ही है। "भ" संज्ञक प्रक्रियांश में अङ्ग को असिद्धवद्भाव से बचाने के लिए प्रकृत प्रकरणस्थ

असिद्धवद्भाव को भस्य अधिकार के पूर्व तक ही सीमित रखा गया है, अन्यथा "भ" संज्ञक अङ्गों में भी असिद्धवद्भाव की प्रसक्ति हो जाती।

सप्तमाध्याय

भाषागत वाक्यस्थ उद्देश्य और विधेय के प्रमुख अङ्गों का तात्त्विक विवेचन करने के पश्चात् महर्षि पाणिनि ने तद्गत उभयविध (नाम एवं क्रिया) शब्दों की निरुक्ति में प्रकृति-प्रत्यय विधान को स्पष्ट करने हेतु अष्टाध्यायी के सप्तम एवं अष्टम अध्यायों को उपस्थापित किया है। इन दोनों अध्यायों में भी सातवाँ अध्याय तथा आठवें अध्याय का कुछ अंश लौकिक संस्कृत की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण है। आठवें अध्याय का परिशेष वैदिक संस्कृत की उपादेयता बतलाने के साथ "असिद्ध" प्रकरण के निर्वचन में अपनी सार्थकता संजोये हुए है। अतः सर्वप्रथम "प्रत्ययः (३/१/१) अधिकार में समाविष्ट समग्र प्रक्रियांश की सम्पूर्णता हेतु तदुपयोगी विधानों का समाकलन करते हुए सम्बद्ध आगमों की भी चरितार्थता उपन्यस्त की है। इसके साथ ही सातवें अध्याय की दूसरी विशेषता यह है कि विप्रतिषेध (तुल्यबलविरोध) परक नियमों का उपन्यास कर शब्द-निरुक्ति को प्रमाणित किया है। इनके साथ ही कुछ धातुगत आदिम अक्षरों में वर्ण-परिवर्तन, (ष = स, ण = न) दीर्घसन्धि गुणसन्धि आदि सन्धिकार्य तथा इनके निषेध स्वरूप प्रकृतिभाव आदि विषयों का निरूपण कर लौकिक संस्कृत की भाषा को सुसङ्गत कर दिया है।

लौकिक संस्कृत की उपादेयता के अनन्तर सप्तम अध्याय के उत्तरार्ध से वैदिक व्याकरण की अवधारणा प्रारम्भ की है, जिसकी पूर्णता अष्टमाध्याय में होती है, वैदिक प्रयोगों के साथ लौकिक प्रयोगों में भी उपयोगी "इट् आगम" तथा धातु को द्वित्व होने पर पूर्व समुदाय की अभ्यास संज्ञा पर भी विचार किया गया है। इट् आगम हेतु अनुदात्त-एकाच् धातुओं की अपेक्षा होने के कारण प्रासङ्गिक अनुदात्त तथा अन्यत्र उपयोगी उदात्त तथा स्वरित स्वरों का ज्ञान अपेक्षित होने से वैदिक एवं स्वर-प्रक्रिया का अवदान भी यही पर उचित प्रतीत होता है।

अष्टमाध्याय

लौकिक संस्कृत की दृष्टि से अष्टमाध्याय का प्रथमपाद प्रक्रियांश का पर्यवसित स्वरूप है। उसके साथ ही वैदिक व्याकरण का परिज्ञान होने हेतु तदुपयोगी कार्यों का विवेचन भी किया गया है। सप्तमाध्याय के अन्त तक पदप्रक्रिया के निष्पन्न हो जाने पर तदुपयोगी द्वित्व-विधान का आरम्भ यथाक्रम अष्टमाध्याय में किया जाना सर्वथा वैज्ञानिक है। अतः अष्टमाध्याय के प्रथम पाद में ही द्वित्वानुशासन प्रभावी हो जाता है। यह द्वित्व विधि पद-विषयक है। नाम और धातु विषयक द्वित्व विधान में अन्तर दृष्टिगोचर होता है।

प्रातिपदिक शब्दों में प्रत्यय पर होते हुए द्विवचन में शब्दगत द्वितीय रूप परिलक्षित नहीं होता, क्योंकि वहाँ एकशेष "प्रभावी" हो जाता है। धातुगत पद को द्वित्व होने पर वह विशेष परिवर्तन परिलक्षित होते हैं, जिनमें प्रथम पद का "अभ्यास" संज्ञा होने के फलस्वरूप शब्द रचना में विशेष प्रक्रिया का विधान किया गया है। द्वित्व प्रक्रिया को पाणिनि ने अष्टामाध्याय के प्रथम पादस्थ १५ सूत्रों में समाविष्ट कर दिया है। तदनन्तर दो अधिकार-पदस्य (८/१/१६) तथा "पदात् (८/१/१७)- विशेषतः उल्लेखनीय हैं, क्योंकि यही से 'वैदिक' तथा 'स्वर' सम्बन्धी विचार आरम्भ होता है। इन दोनों अधिकारों में थोड़ा-बहुत अन्तर है। प्रथम सूत्र पदस्य तो षष्ठ्यन्त विभक्तिक है। अतः उसका प्रभाव सामान्यतः पद के स्थान पर ही होता है, वह भी षष्ठी निर्दिष्ट होने के कारण पद के अन्त में कार्यान्वित होता है। उदाहरणार्थ- "पचन्, यजन्" आदि शतृ प्रत्ययान्त शब्दों में विभक्ति लोप होने के अनन्तर "संयोगान्त" लोप (तकारलोप) पद के अन्त में प्रभावी हुआ है। यह अधिकार अपदान्तस्य मूर्धन्यः (८/३/५४) के पूर्व तक निर्दिष्ट है। इसके साथ ही दूसरा "पदात्" (८/१/१७) अधिकार पञ्चमी विभक्ति से निर्दिष्ट होने के कारण प्रथम निष्पन्न पद से अनन्तर आने वाले द्वितीय पद में समासादित होते हैं। यहीं से स्वर-प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है, क्योंकि सिद्ध पूर्व पद के अनन्तर निष्पन्न उत्तरपद में स्वर परिवर्तन हो जाता है। इसके फलस्वरूप "प्रचति देवदत्तः" में पूर्वपद 'पचति' से उत्तरवर्ती 'देवदत्तः' पद में आमन्त्रित संज्ञा होने के कारण सर्वानुदात्त हुआ है। इस अधिकार की परिसमाप्ति **'कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ'** (८/१/६६) सूत्र में होती है।

अष्टमाध्याय के द्वितीयपाद का समारम्भ "असिद्ध" प्रकरण से होता है। यह प्रकरण भी महत्त्वपूर्ण है, महर्षि पाणिनि ने पद सिद्धि के समग्र साधन प्रस्तुत करने के उपरान्त भाषागत कुछ विकल्पों की प्रामाणिकता निर्वचन करने हेतु "सिद्धकाण्ड" के पश्चात् "असिद्धकाण्ड" का निर्वचन किया है। तदनुसार पाणिनि ने सिद्धकाण्ड को अष्टाध्यायी के प्रथम सवा सात (सपादसप्ताध्यायी) अध्यायों में बतलाकर अवशिष्ट अन्तिम केवल तीन पादों में असिद्धप्रकरण को व्यवस्थित किया है। इसका विधायक सूत्र "पूर्वत्रासिद्धम्" (८/२/१) है। अधिकार सूत्र होने के कारण अष्टाध्यायी के अन्तिम सूत्र "अ अ" ८/४/६८ तक इसका प्रभाव विद्यमान रहता है। यहाँ पर "पूर्वत्र" पद श्लिष्ट होने के कारण आरम्भिक सवासात अध्यायों का अवबोध कराने के साथ तदुत्तर त्रिपादी में भी प्रभावित होता है। अतः वहाँ से आगे अध्याय की समाप्ति पर्यन्त ३ पाद के सूत्र (पूर्वम) पूर्व-पूर्व की दृष्टि में असिद्ध होते है तथा अधिकार होने के कारण यहाँ से आगे भी प्रति सूत्र में भी उत्तरोत्तर के सूत्र उसके पूर्व सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध हो जाते हैं।

असिद्धकाण्ड में भी वैयाकरणों ने विचार कर दो मत आविष्कृत किये- १. शास्त्रासिद्धत्व तथा कार्यासिद्धत्व। वस्तुतः ये दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। शास्त्र

का प्रभाव प्रक्रिया दशा में कार्यान्वित होने से उस कार्य की असिद्धता स्पष्ट हो जाती है, "सिद्धकाण्ड" के अनन्तर ही असिद्धकाण्ड का निर्वचन युक्तिसंगत है क्योकि वस्तु सत्ता के ज्ञात होने पर ही उसका अभाव ज्ञात होता है। इस सम्बन्ध में महर्षि पाणिनि ने एक और सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जो अवशिष्ट त्रिपादी में विशेष उपादेय है। वह तुल्यबल विरोध होने पर कार्य की प्रवृति न होने देना "विप्रतिषेधे पर कार्यम् (१/४/२) तुल्यबल विरोध होने पर पूर्व कार्य की प्रवृत्ति का बाधक है।

असिद्धत्व की अनवस्थ को दूर करने के लिए इसी प्रकरण में कुछ कार्यो में असिद्धत्व का निषेध भी किया गया है। यह निषेध लौकिक संस्कृत के स्थलों के अतिरिक्त उदात्तादि स्वरों में विशेष रूप से परिलक्षित होता है।

इस "असिद्ध प्रकरण" में आमन्त्रित, आम्रेडित, वाक्य का उपान्त्यवर्ण (टि) दूराह्वान, आदि के प्रसंग में महर्षि पाणिनि को तत्सम्बद्ध अनुदात्त, उदात्त तथा स्वरित स्वरों के निर्वचन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन तीनों स्वरों में अनुदात्त स्वर का आधिक्य वर्णन परिलक्षित हुआ है। तदुत्तर उदात्त स्वर का विधान किया गया है। अनुदात्त स्वर-युक्त वर्णों की अधिकता होना स्वाभाविक है क्योंकि उदात्त के अनन्तर अनुदात्त वर्णो के उच्चारण करने में अस्वाभाविकता होने के फलस्वरूप स्वभावतः मध्यमोच्चारण जन्य स्वरित की उत्पत्ति स्वतः सिद्ध है। तदनन्तर तत्पदस्थ अवशिष्ट वर्ण प्रत्यय अर्थात् 'निघात' के रूप में ही अवस्थित रहते है। स्वरित स्वर स्वतन्त्र न रहने के कारण विशेष प्रभावी नहीं रहता। इसी सम्बन्ध में अनेक स्थलों पर स्वरित की "टि" को प्लुत विधान किया गया है, कारण यह है कि आह्वान करने पर अनुदात्त-स्वर की अनुपयुक्तता होने से उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती, तथा दूर से आह्वान करने के लिए उसकी अनुपयोगिता प्रतीत होती। तभी स्वभावतः वहाँ प्लुत विधान युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है। पाणिनि ने अष्टमाध्याय का पर्यवसान स्वरित स्वर को अभिलक्षित कर लिया है। यहाँ तक की इस सम्बन्ध में उन्होंने गार्ग्य, गालव तथा काश्यप इन तीनों आचार्यों तथा अपने मत के वैषम्य का उल्लेख किया है-नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् (८/४/६७) अर्थात्- उदात्तपरक एवं स्वरितपरक अनुदात्त को स्वरित आदेश नहीं होता किन्तु गार्ग्य, काश्यप, गालव के मत में स्वरित ही होता है। इस प्रकार पाणिनि ने अष्टमाध्याय को समाप्त करते हुए अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को सम्मानित करने के साथ उनके प्रति अपनी कृतज्ञता स्वीकार की है।

अष्टाध्यायी सर्ववेदपारिषद शास्त्र

पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन को सीमित न रखकर बड़ा व्यापक बनाया है। उन्होंने किसी प्रदेशविशेष को सामने रखकर सूत्र-रचना की हो-ऐसी बात नहीं। उनके समक्ष विशाल भारत देश का चित्र उपस्थित रहा, और उस समय की संस्कृत भाषा का स्वरूप

उनकी आँखों में प्रतिबिम्बित होता रहा। इस बात का प्रसिद्ध चीनी यात्री युवाङ्. च्वाङ् ने अपने यात्रावृत्त में उल्लेख किया है। तदनुसार पाणिनि ने अपनी सामग्री के सञ्चय के लिए विस्तृत यात्रा की हो, उसकी छाप अष्टाध्यायी में संकलित विस्तृत शब्द-समूह पर स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है। यात्रा के फलस्वरूप महर्षि पाणिनि ने बोलियों, जन-विश्वासों तथा स्थानीय प्रथाओं से भी शब्दों का सञ्चयन किया हो। जिसके प्रमाणस्वरूप अष्टाध्यायी में उन सबकी छाया परिलक्षित होती है और सामाजिक परिवेश में भी पाणिनीयाष्टक का अवदान स्पष्ट दिखलायी पड़ता है। पाणिनि केवल मानव-जगत् के आचार-व्यवहार तक ही सीमित नहीं रहे, किन्तु उन्होनें उद्यान, क्रीडाओं, महोत्सवों तथा व्यक्तिगत नाम, प्रतिष्ठा आदि के विषय में भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। इस सम्बन्ध में उनके "नित्यं क्रीडा-जीविकयोः (२/२/१७), संज्ञायाम् (३/३/१००), प्राचां क्रीडायाम् (६/२/७४)" आदि सूत्र उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार नाप-तोल, सिक्के, धन, धान्य, भोजन, फलों के सम्बन्ध में भी उनकी अष्टाध्यायी में तद्विषयक सूत्रों का सर्जन हुआ है।

पाणिनि ने अपने शब्द समाम्नाय में भूतकालिक तथा समकालिक शब्दसामग्री का अतिक्रमण कर एक नवीन मापदण्ड उपस्थापित किया है। यह मूल्यवान्, सूचना अष्टाध्यायी का मनन करने से सत्य ही ज्ञात होती है। महर्षि पतञ्जलि भी इस लोभ का संवरण नहीं कर सके और उन्होंने पाणिनीयाष्टक को "शास्त्रौघ" बतलाकर उसमें प्रवेश किया। वैदिक व्याकरण की रचना तो प्रत्येक वेद-शाखा से सम्बद्ध मन्त्रों को दृष्टिगत रखते हुए प्रातिशाख्यों के रूप में हुई। वैदिक शाखाओं के अध्ययन के लिए स्थापित आचार्य-कुल "चरण" कहलाते थे। प्रत्येक चरण में अपनी "परिषद्" होती थी उन परिषदों में शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त आदि शब्द सम्बन्धी विषयों का विचार किया जाता था। पाणिनि की अष्टाध्यायी इससे कुछ परिमार्जित अवस्था को सूचित करती है। इस ग्रन्थ का क्षेत्र किसी विशेष वैदिक-परिषद् तक सीमित नहीं था, पाणिनि ने सभी परिषदों की उपादेय सामग्री को अपने शास्त्र में ग्रहण किया। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि महर्षि पतञ्जलि ने अष्टाध्यायी की इस स्थिति का निरूपण करते हुए बड़े पते की बात कही है- **"सर्व-वेद-पारिषदं हीदं शास्त्रम्"** (भा.२/१/८५) अर्थात् आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी शब्दशास्त्र सभी वेद-परिषदों से सम्बन्ध रखता था। पाणिनि की अनेक रूपात्मक शैली की दुरूहता के आक्षेप को पतञ्जलि ने निरस्त किया है-तत्र नैकः पन्थाः शक्यः आस्थातुम् (२/१/५८)। अर्थात् आवश्यकतानुसार पाणिनि की शैली में यथोचित परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है।

पाणिनिद्वारा सङ्केतित पूर्व सामग्री

पाणिनि ने पूर्व-विदित सामग्री का यथोचित अवलोकन कर अष्टाध्यायी का स्वरूप निर्धारित किया। इस सम्बन्ध में यद्यपि अष्टाध्यायी में विशेष अन्तःसाक्ष्य विद्यमान नहीं है,

फिर भी पाणिनि के बाद भाष्यकार पतञ्जलि से लेकर कैयट पर्यन्त विद्वानों के उद्धरणों से इस बात की पुष्टि होती है। पतञ्जलि ने व्याकरण को सब वेदाङ्गों में मुख्य कहा है उसकी इस स्थिति में अद्यावधि कोई अन्तर नहीं आया है। विद्वानों के आपेक्षिक मूल्यांकन में व्याकरण को वेद का चक्षु कहा गया है क्योंकि प्रकृति और प्रत्यय के विश्लेषण द्वारा शब्द के मूल अर्थ तक पहुँचने की जैसी युक्ति व्याकरणशास्त्र द्वारा ही उपलब्ध होती है न कि अन्य वेदाङ्गों से।

पाणिनि से पूर्व कुछ आचार्यों के स्फुट सूत्रों के आधार पर यह अनुमान किया गया है कि उन्होंने तद्विषयक विचार अपने शास्त्र में ग्रहण किये हों। इस सम्बन्ध में पाणिनीय अष्टाध्यायी का "यथास्वे यथायथम् (८/१/१४) सूत्र मननीय है, इस सूत्र पर कात्यायन ने किसी पूर्व सूत्र का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त भाष्यकार पतञ्जलि ने भी यह सङ्केत किया है कि 'अनुपसर्जनात्' (४/१/१४) सूत्र किसी पूर्व व्याकरण में भी विद्यमान रहा हो। इसके अतिरिक्त पतञ्जलि ने एक अन्य कारिका में कहा है कि पूर्व आचार्य के सूत्रों में वर्ण को अक्षर कहा गया है। (पूर्वसूत्रे वर्णस्य अक्षरमिति संज्ञा क्रियते)। महाभाष्य के प्रसिद्ध व्याख्याकार कैयट ने भी इस सम्बन्ध में एक स्थान पर ऐसा ही संकेत दिया है। उन्होंने "मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु (२/३/१७) सूत्र का पाठान्तर भी परिकल्पित किया है, जो कदाचित् आपिशलि के व्याकरण में रहा हो-"मन्यकर्मण्यनादरे उपमाने विभाषाऽप्राणिष्विति आपिशलिरधीते स्म"।

न्यासकार हरदत्त ने पतञ्जलि द्वारा समवप्रविभ्यःस्थः (१/३/२२) सूत्र के भाष्य में उद्धृत उदाहरण "अस्ति सकारमातिष्ठते" से सम्बन्ध आत्मनेपद प्रयोग को आपिशलि द्वारा प्रमाणित किया हुआ माना है। इसके अन्यत्र पतञ्जलि ने भी "खण्डिकादिभ्यश्च" (४/२/४५) सूत्र के श्लोकवार्तिक-

अञ्सिद्धिरनुदात्तादेः कोऽर्थः क्षुद्रकगालवात्।
गोत्राद्वुञ् न च तद्गोत्रं तदन्तान्न च सर्वतः।।
ज्ञापकं स्यात्तदन्तस्य तथा चापिशलेर्विधिः।।

में निर्दिष्ट "धेनुरनञि ठकमुत्पादयति" द्वारा आपशलि का संकेत किया है। न्यासकार हरदत्त ने तदर्थक सूत्र का मौलिक रूप धेनोरनञः" स्वीकार किया है।

सूत्रसामग्री के अतिरिक्त पाणिनि ने कृत्रिम पारिभाषिक संज्ञाओं की परिकल्पना में भी प्राचीन आचार्यों का आधार स्वीकार किया है उन्होंने टि, घु, भ, युव, गोत्र, वृद्ध, कृत्य आदि कितनी ही संज्ञायें बनायी है किन्तु यहाँ से संज्ञायें पहले से ही चली आ रही थी जिन्हें महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में ग्रहण किया है-जैसे समास, अव्यय तथा कर्मप्रवचनीय आदि। पाणिनि द्वारा उपज्ञात ऐसी कृत्रिम संज्ञाएँ महत्त्वपूर्ण है और शास्त्र में लाघव हेतु

उनका उपयोग गणितीय वैज्ञानिक प्रक्रिया के समान सिद्ध परिलक्षित होता है। उनकी कुछ सर्वनाम आदि महासंज्ञाएँ भी विशेष महत्त्वपूर्ण हैं, जो नामानुसार विशेष कार्यों को विद्योतित करती हैं। इसी प्रकार उनके द्वारा प्रयुक्त कालवाचक संज्ञाओं के नाम भी प्राचीन आचार्यों द्वारा संङ्केतित होते हुए उनका शाब्दिक परिवर्तन काल की सूक्ष्मता का परिचायक है। उनके अवान्तर भेद दिखाते हुए ऐसे शब्दों के साम्य को सूचित किया है। अन्य आचार्यों द्वारा प्रयुक्त "श्वस्तनी" शब्द के स्थान पर पाणिनि ने "अनद्यतन" (भूत) तथा चर्करीत के स्थान पर यङ्-लुगन्त शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार "आत्मनेभाषा" के स्थान पर आत्मने-पद, "अभिनिष्ठान" की जगह "विसर्जनीय" तथा आङ् को "टा",चेक्रीयित की जगह यङ् इत्यादि अन्य शब्दों की जगह भी नवीनीकरण किया है।

यद्यपि ऐसी अनेक संज्ञायें पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों और प्रातिशाख्यकारों से अपनायी है फिर भी उन्होंने अनेक प्रतीकात्मक संज्ञाओं का निर्माण कर मौलिकता दिखाई है, जो पाणिनि को अन्य वैयाकरणों से पृथक् आधार पर स्थित करता है। आगे चलकर पतञ्जलि ने संज्ञाओं पर विचार करते हुए कुछ विशिष्ट संज्ञाओं को "महती संज्ञा" का स्थान दिया है। वे इस प्रकार की संज्ञा को अन्वर्थक संज्ञा "महतीयं संज्ञा (म.भा. १. १.५.२३) कहते हैं। तदनुसार पतञ्जलि को दो प्रकार की संज्ञायें ही अभीष्ट हैं- सार्थक और शब्दार्थहीन।

इन दोनों प्रकार की संज्ञाओं में अन्तर यह है कि व्याकरणात्मक कार्यों की सुविधा उत्पन्न करने वाली संज्ञायें अन्वर्थक के रूप में व्यवहृत होती हैं, किन्तु वे अर्थसंङ्केत नहीं करती। और दूसरी प्रकार की वे संज्ञायें हैं जो व्याकरणात्मक कार्य के साथ-साथ अर्थगौरव को भी वहन करती हैं, वे यथा नाम तथा गुणः उक्ति को चरितार्थ करती हुए "महतीसंज्ञा" के रूप में अभिहित हैं।

सर्वप्रधान विशेषता

पतञ्जलि के कथनानुसार व्याकरण का अध्ययन अनन्त एवं असंख्य शब्दों के स्वरूप का ज्ञान लघुभूत उपाय से करना एक मात्र साधन है-(लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणम्-म.भा. १.१ आह्निक)। अतः शब्दशास्त्र रचयिताओं में पाणिनि को "संङ्क्षेप" में निरूपण करने वाला महान् आचार्य कहा गया है। यद्यपि पाणिनि के परवर्ती वैयाकरणों ने उसके ही अनुसरण पर और भी संङ्क्षेप करना चाहा फिर भी यह गौरव पाणिनि को ही दिया गया है। भर्तृहरि ने भी इस कथन पर अपनी मुहर लगा दी है।[1]

---

१. तेषां च ज्ञाने व्याकरणादन्यो लघुरूपायो नास्ति। तस्माद् व्याकरणं लघुरूपायः। शब्दज्ञानं प्रति अन्य उपाय एव न सम्भवति। .अथवा अचिरकाला संप्रतिपत्तिर्लाघवम्। तस्य व्याकरणमुपायः त्रि ०१.१.१

इस मत के सन्दर्भ में यह कहा जाता है कि पाणिनि ने लघुकरण की प्रक्रिया को इतनी पूर्णता तक पहुँचाया कि उनके व्याकरण का आकार ऐन्द्र व्याकरण के पच्चीसवां भाग रह गया अतः महाभारत में यह उल्लिख्ति है कि ऐन्द्र व्याकरण महार्णव था, जबकि पाणिनीय व्याकरण गोष्पद ही था। (यान्युज्जहार इत्यादि)

इनकी संक्षेप वृत्ति का ही परिणाम था कि इन्होंने सूत्र के प्रयोग के लिए सभी शब्द रूप अपने ही व्याकरण के नियमों के अनुरूप न अपनाकर "सौत्र" रूप में अपनायें हैं। उनकी इस पद्धति को विद्वानों ने एक महत्त्वपूर्ण कौशल" माना है।

दार्शनिक पक्षः

यद्यपि पाणिनि का मुख्य क्षेत्र "पद" रहा, फिर भी हम यह स्वीकार करेगें कि पाणिनि ने भाषा के दार्शनिक पक्ष को छोड़ा नहीं है। उनका दार्शनिक पक्ष प्रसङ्गानुरूप स्वतः समुद्भूत होकर व्याकरणपक्ष को भी उद्भासित करता रहा है। इस सम्बन्ध में यह कहना अनुचित न होगा कि उनका व्याकरण-पक्ष सर्वोपरि रहकर दार्शनिकता को संजोते हुए "शब्दब्रह्म" की महिमा को स्थापित किये हुए है। इसी प्रकार व्याडि, कात्यायन और पतञ्जलि आदि के दार्शनिकरूप के नीचे उन लोगों का भी वैयाकरण रूप नहीं दबा है।

पाणिनि का प्रमुख ध्येय तो शब्दानुशासन को प्रकाशित करना ही है, फिर भी उन्होंने सच्चे भाषा-दार्शनिक की भांति भाषा के हर दार्शनिक पक्ष पर अपने विचार यथा-स्थान सूत्रों द्वारा अभिव्यञ्जित किये हैं। यह पाणिनि की सूक्ष्मेक्षिता का निदर्शन है। पाणिनि के कतिपय सूत्रों पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है- उदाहरणार्थ- समर्थः पदविधिः (२/१/१), स्वतन्त्रः कर्ता (१/४/५४), वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा (३/१/८७), स्वं रूपं शब्दस्याऽशब्दसंज्ञा (१/१/६८) यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् (१/४/१३), आकडारादेका संज्ञा (१/४/१) आदि अनेक सूत्रों में दार्शनिक रहस्य छिपा हुआ है। फलतः उनके प्रकृति-प्रातिपदिक-अङ्ग, पदादि के भीतर दार्शनिक तथ्यों की सजगता छिपी हुई है, जो उनसे पूर्ववर्ती किसी भी वैयाकरण में पूर्णता के साथ उपलब्ध नहीं होती।

इसी प्रकार पाणिनि ने अन्य कई सूत्रों द्वारा दार्शनिक विचार अभिव्यक्त किये हैं। यद्यपि उन परिभाषिक शब्दों का सम्बन्ध प्रमुख रूप में व्याकरण-परक ही है, किन्तु पाणिनि की व्यापक दृष्टि ने उन शब्दों का समन्वय दार्शनिक सिद्धान्तों के साथ किया है। व्याकरण के अनुसार अखण्ड वाक्य ही स्फोट सिद्धान्त का परम लक्ष्य है। वाक्य के अवयव "पद" आदि सब काल्पनिक हैं, वाक्यस्थ पद की पङ्गुता के विषय में पाणिनि ने 'समर्थः पदविधिः (२/१/१) सूत्र द्वारा पद के सामर्थ्य का अभिप्राय विदित कराया है, जो उनकी शब्द सम्बन्धी अखण्डता का परिचायक प्रतीत होता है, तदनुसार "समर्थः पदविधिः" सूत्र का अभिप्राय केवल समासविधान से ही नहीं हैं। इसी प्रकार "सुप्तिङन्तं पदम्" (१/४/१४)

सूत्र में भी पद संज्ञा अखण्ड वाक्य के अवयवी भूत सुबन्त और तिङन्त शब्दों को अभिव्यञ्जित कर वाक्य की अपेक्षा "पद" की न्यूनता को ही सूचित करती है।

सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक बात को पाणिनि ने प्रातिपदिक संज्ञक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया है, शब्द की नित्यता के साथ अर्थ भी व्याकरण-दर्शन के अनुसार नित्य माना गया है। पाणिनि ने प्रातिपदिक मात्र को "अर्थवत्" या प्रत्ययधातुव्यतिरिक्त, अर्थवत् शब्दमात्र को प्रातिपदिक कहकर उसे स्पष्ट कर दिया है[1]। जाति और व्यक्ति पक्ष के सिद्धान्त को भी महर्षि पाणिनि ने "जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्" (१/२/५८)। सूत्र द्वारा अभिव्यञ्जित किया है, जिसका आगे चलकर वैयाकरण दार्शनिकों ने "वाक्यपदीय," "शब्दकौस्तुभ" "भूषणसार" तथा "सिद्धान्तमञ्जूषा" आदि ग्रन्थों में बड़े विस्तार के साथ विवेचन किया है। इतना ही नहीं उनकी "महती शब्द संज्ञाओं" के प्रयोग के पीछे भी दार्शनिक रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने ही व्याकरण के "शब्दसाधुत्व" पक्ष द्वारा ही शब्द की नित्यता और अखण्डता का बोध कराते हुए व्याकरण के वास्तविक रूप का निदर्शन कराया है। इसी कारण उनकी अष्टाध्यायी में वैशेषिक और न्याय की शब्दावली अविशेषभाव से प्रयुक्त हुई पायी जाती है। इस बात को पाणिनि ने "सामान्य, विशेष, जाति, व्यक्ति, सत्, सत्त्व, असत्त्व भाव, अभाव, द्रव्याद्रव्य, यदृच्छा आदि अनेक शब्दों का प्रयोग कर तात्त्विक विवेचन प्रदर्शित किया है।

अकालक व्याकरण

दार्शनिक विचारों के सम्बन्ध में "काल" कृत समस्या का विवेचन पाणिनीय दर्शन के अनुसार विद्वानों के सामने एक चुनौती बना हुआ है, पाणिनीय व्याकरण को कुछ लोगों ने "अकालक" संज्ञा दी है जिसका अर्थ यह किया जाता है कि पाणिनीय व्याकरण "काल विवेचन" से शून्य है। पं. युधिष्ठिर मीमांसक भी इसी मत के परिपोषक है, किन्तु उनका यह सिद्धान्त भी किसी प्रकार अपने में पूर्ण नहीं है। पाणिनि-दर्शन के उद्भावक भर्तृहरि ने एक कारिका द्वारा यह स्पष्ट किया है कि काल तो अखण्डनीया सत्ता के रूप में शब्द ब्रह्म की अध्याहित या अन्तर्हित शक्ति है। जिसके अनुसार तत्त्वतः जन्मादि षड् विकार भाव भेद हैं, न कि काल[2] । अतः पाणिनि को कालविवेचनारहित दार्शनिक मानना समुचित प्रतीत नहीं होता।

कारण यह है कि पाणिनि काल सम्बन्धी नियम अशिष्य मानते थे, क्योंकि काल का ज्ञान लोक में सहज ही हो जाने के कारण काल विशेष द्योतक अनद्यतन शब्दों की परिभाषा

---

१. अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् (१/२/४५)।

२. अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः।
जन्मादयो विकाराः षड् भावभेदस्य योनयः।। भर्तृहरि वा.प. (१.३)

करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसी हेतु पाणिनीय व्याकरण को "अकालक" कहा जाने लगा था। यदि पाणिनि ने "काल" का विचार न किया होता तो पतञ्जलि द्वारा भी यह विषय अछूता रहता। किन्तु बात तो इसके विपरीत है। पतञ्जलि ने काल के सम्बन्ध में विचार किया है। और वह उन्हें किसी रूप में परम्परा द्वारा अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

महाभाष्य में काल के सम्बन्ध में अनेक प्रकार से प्रकाश डाला गया है। एक स्थान पर भाष्यकार ने क्रिया को ही काल के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि क्रिया से ही काल का बोध होता है[१]। कैयट ने अपनी व्याख्या में इसी मत को स्वीकार किया है।[२] उसे स्पष्ट करते हुए कैयट कुछ और आगे बढ़ते हैं। और बतलाते हैं कि उस प्रसिद्ध परिभाषा की क्रिया को काल संज्ञा दी गयी है जो अप्रसिद्ध परिभाषा वाली दूसरी किसी क्रिया की परिच्छेदिका है।

आगे चलकर सुप्रसिद्ध वैयाकरण दार्शनिक भर्तृहरि ने काल को क्रिया से भिन्न माना है और काल को क्रिया का परिच्छेदक बतलाया है। क्रिया अनेक क्षणों का समाहार रूप है, और क्षण युगपत् नहीं होते किन्तु क्रम से होते हैं। इसीलिए क्रिया को सक्रमा बतलाया है। इस प्रकार क्रम काल का धर्म माना गया है[३]।

यदि पतञ्जलि ने काल पर विचार न किया होता तो आगे चलकर महाभाष्य में उनका यह कथन कैसे संगत होता- येन मूर्तीनाम् उपचयाश्चापचयाश्च लक्ष्यन्ते तं कालमित्याहुः (महाभाष्य २/२/५) अर्थात् लोक में तरु, तृण, लता आदि का कभी उपचय देखा जाता है और कभी अपचय, अतः लोक में पदार्थों के प्राकृतिक वृद्धि एवं ह्रास से काल का अनुमान होता है। अतः पाणिनीय व्याकरण कालविचारशून्य नहीं कहा जा सकता।

'अष्टाध्यायी के अभिनव व्याख्याता'

भट्टोजि दीक्षित (१५७० से १६५० वी.) के उपरान्त 'पाणिनीयाष्टक' के मौलिक स्वरूप को लोगों ने भुला दिया, जिसके फलस्वरूप 'पाणिनीयाष्टक के क्रमिक पठन-पाठन का ह्रास हो गया। इसका पुनरुद्धार करने की दृष्टि से आधुनिक भाषाओं में तथा देववाणी में सरल व्याख्यान करने की ओर विद्वानों की प्रवृत्ति हुई। इनमें सर्वप्रथम बीसवीं सदी के प्रारंभ में (१) मथुरावासी स्वामी विरजानन्द सरस्वती ने सं. १६१२ में उसका पठन-पाठन प्रारम्भ किया। इनके प्रमुख शिष्य (२) स्वामी दयानन्द सरस्वती (१८८१-१६४० वि.) ने

१. नान्तरेण क्रियां भूत-भविष्यत् वर्तमानकालाः व्यज्यन्त। (महाभाष्य १/१/७०)

२. कालो हि प्रसिद्धपरिमाणा क्रिया, अप्रसिद्धपरिमाणस्य क्रियान्तस्य परिच्छेदिका- (महाभाष्यप्रदीप १/१/७०)

३. अक्रमः क्रमरूपेण भेदवानिव जायते। (वाक्यपदीय प्रथमकाण्ड)

विभिन्न स्थानों पर अष्टाध्यायी पाठशालाएं स्थापित की। आर्यसमाज ने इस परम्परा को पुनरूजीवित किया। इसके पूर्व आप सं.१६१७ में स्वामी विरजानन्द जी के सम्पर्क में आ चुके थे। स्वामी जी ने राष्ट्रभाषा हिन्दी माध्यम से 'अष्टाध्यायी भाष्य रचने का १६३५ वि. मे. उपक्रम किया, किन्तु उसे वे समाप्त नहीं कर सके। १६३५ वि. में. चार अध्यायों तक लिखे गए इस भाष्य के कुछ अंश को इनके निधन के उपरान्त परोपकारिणी सभा ने दो भागों में इसके तीसरे अध्याय तक का भाष्य प्रकाशित किया, जिसका सम्पादन डॉ. रघुवीर, एम.ए. ने किया था। तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय का प्रकाशन पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के सम्पादकत्व में किया गया, जिसमें मीमांसक जी सहयोगी रहे। इसके पश्चात् (३) श्री देवदत्तशास्त्री (१६४३) (हरिद्वास निवासी) द्वारा विरचित संस्कृत व्याख्या लखनऊ से प्रकाशित हुई। तदनन्तर श्री गोपालदत्त देवगण शर्मा और (५) श्री गणेशदत्त शर्मा (सं. १६५०) द्वारा प्रणीत हिन्दी व्याख्या केवल तीन अध्यायों तक लाहौर में मुद्रित हुई। इस कार्य की सम्पूर्ति पं. भीमसेन शर्मा १८११-१६७४ दि.) द्वारा पदच्छेद, विभक्तिनिर्देश और उदाहरणों के द्वारा संभवतः १६५१ एवं १६५५ वि. के मध्य विधिपूर्वक की गयी है। इसी क्रम मे इटावा के, पं. ज्वालादत्त शर्मा नें भी वृत्ति लिखी थी। इसी शृङ्खला में मुरादाबादनिवासी बलदेव आर्य संस्कृत पाठशाला के प्रधानाध्यापक (८) पं. जीवाराम शर्मा (सं. १६६२ वि.) द्वारा विरचित संस्कृत-हिन्दी वृत्ति का प्रथम संस्करण (१६०५ ई.) उल्लेखनीय है। इन्होंने संस्कृत शिक्षा (अनेक भागों में), पंचतंत्र (अश्लीलांश वर्जित) व्याख्या सहित तथा लघुकौमुदी की साधनिका पर संस्कृत व्याख्या लिखकर ख्याति प्राप्त की। इस परम्परा को जागरूक रखनें में बुलन्दशहर निवासी (६) पं. श्री गंगादत्त शर्मा (१६२१-१६६० वि.) अग्रणी रहे, जिन्होंने 'अष्टाध्यायी' की टीका 'सत्त्यप्रकाशिका' का प्रणयन किया। ये गुरुकुल कांगडी में अध्यापन काल में ही इनके अष्टाध्यायी के गुरु स्वामी विरजानन्द जी के शिष्य उदय प्रकाश जी तथा नव्य-व्याकरण के गुरु पं. काशीनाथजी थे। वे सेवाकाल के अन्त में ज्वालापुर के गुरुकुल महाविद्यालय के आचार्य थे। अन्त में आप चतुर्थाश्रम को स्वीकार कर १६६० में ब्रह्मलीन हुए। व्याख्यान पद्धिति के विशेषज्ञ (१०) श्री जानकीलाल माथुर कुछ नवीनता के साथ इस कार्य मे प्रवृत्त हुए। ये राजस्थान की विद्वत्-परम्परा के प्रकाशक जयपुर निवासी श्री राजकुमार माथुर के पुत्र थे। आपने जयपुर नरेश सवाई माधव सिंह की माता रूप कुमारी के आदेशानुसार अष्टाध्यायी-वृत्ति का प्रणयन किया। इसके सम्पादक भी राजस्थान के विशिष्ट विद्वान् तथा लाहौर (वर्तमान पाकिस्तान) के प्राच्यमहाविद्यालय के प्रधानाचार्य अनेक ग्रन्थों के सम्पादक (११) म.म.पं. शिवदत्त दाधिमथ रहे। यह वृत्ति संस्कृत भाषा में सारगर्भित एवं सोदाहरण होते हुए वार्तिकों के समावेश के साथ समुद्भासिट है। दूसरी विशेषता यह है कि स्वर-वैदिक प्रक्रिया के उदाहरण सस्वर संगृहीत हैं। अध्येताओं के लाभार्थ लाहौर के 'मुफीद आम' प्रेस में छपवा कर कर इसका निशुल्क

वितरण किया गया। इसका मुख्य काल वि. संवत् १६८५, १६२८ ई. है। राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से अष्टाध्यायी के वृत्ति प्रणेताओं में (१२) पं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु (१६४१- २०२१ वि.) महर्षि पाणिनि के रहस्य को प्रकट करते हुऐ व्याकरणाध्येताओं के लिए अभिनव उपहार लेकर अवतीर्ण हुए। अपका जन्म जालन्धर जनपद के मल्लू पेसा ग्राम में सं. १६४६ (१४ अक्तूबर १८६२ ई.) में हुआ। तात्कालिक पंजाब के वातावरण से प्रभावित होने के कारण आपने प्रारंभ में उर्दू भाषा के साथ ही सामान्य संस्कृत का अध्ययन किया। आभिजात्य संस्कारों के प्रभाव से आधुनिक माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त प्राच्य विद्याध्ययन में संलग्न हुए। सुरभारती की कृपा से आपको स्वर्गीय स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती जैसे गुरु प्राप्त हुए। इनके चरणों पर बैठकर आपने अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरूक्त आदि ग्रन्थों को आत्मसात् किया। देश के विभाजन के पश्चात् सहज ही काशी नगरी में आपका पदार्पण हुआ। यहाँ पर व्याकरण के विशिष्ट विद्वान् पं. काशीनाथ तथा मीमांसक शिरोमणि म.म.पं. चिन्नस्वामी शास्त्री जी से विविध शास्त्रों का अध्ययन किया। आर्य समाज से प्रभावित होने के कारण 'सत्यार्थ प्रकाश' में वर्णित अष्टाध्यायी की पठन-पाठन विधि की ओर प्रवृत्त हुए तदनुसार ही 'अष्टाध्यायी भाष्य' का निबन्धन किया। तदनुसार आपने संस्कृत भाषा में प्रतिसूत्र पदच्छेद, विभक्ति, समास, अनुवृत्ति, सूत्रवृत्ति और उदाहरण के साथ हिन्दी विवरण प्रस्तुत किया है। आपके द्वारा १६६० ई. से १६६३ के मध्य पांच अध्यायों की पाण्डुलिपि तैयार की गयी, तथा १६६४ ई. तक इसका प्रथम भाग मुद्रित हुआ। अवशिष्ट कार्य का सम्पादन आपकी शिष्या आचार्या प्रज्ञा देवी ने कर उसकी पूर्ति की। वर्तमान में यह समग्र भाष्य तीन भागों में प्रकाशित है। इनकी अन्यकृतियों में दयानन्द सरस्वती विरचित यजुर्वेदभाष्य का सम्पादन और विवरण लेखन उल्लेखनीय है। काशी में महमूर गंज (तुलसीपुर) स्थित पाणिनि कन्या संस्कृत महाविद्यालय आपकी प्रमुख देन है, जो पाणिनीयाष्टक की प्राचीन पठन-पाठन परम्परा जीवित रखने वाला एकमात्र केन्द्र है। स्वर्गीया प्रधानाचार्या प्रज्ञादेवी ने उस विद्याकेन्द्र में सम्पूर्ण अष्टाध्यायी संगमरमर की भित्ति शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाते हुए अविस्मरणीय कार्य किया है। संस्कृत वाङ्मय के इतिहास में यह एक घटना है।

जिज्ञासु जी का नाम वस्तुतः अन्वर्थक है। आप आजीवन जिज्ञासु ही रहे। फलस्वरूप आप अध्यापन करते हुए भी लेखन और प्रकाशन में संलग्न रहे। इसका प्रतिफल युधिष्ठिर मीमांसाक सदृश शिष्य आपके समान ही प्राचीन व्याकरण को अक्षुण्ण बनाने में समर्थ रहे। १६६३ ई. में राष्ट्रपति सम्मान द्वारा अलंकृत एवं पुरस्कृत होकर आजीवन विद्यादान करते हुए आप १६६४ ई. २१-२२ दिसंबर की मध्यरात्रि में दिवंगत हुए। बहालगढ (सोनीपत हरियाणा) में रामलाल कपूर ट्रस्ट प्राच्यविद्याप्रकाशन आप के सदुद्योग का प्रतिफल है। जिज्ञासुजी द्वारा प्रवर्तित 'अष्टाध्यायीभाष्य' के अवशिष्ट तीन अध्यायों की पूरयित्री (१३)

आचार्या प्रज्ञादेवी का अध्यापन महिला कन्या हाईस्कूल (सतना) से प्रारम्भ हुआ। आपके पिता स्वर्गीय कमला प्रसाद जी आर्य भी जिज्ञासु जी के ही शिष्य रहे, अपने पिता से प्रज्ञाजी ने मूल अष्टाध्यायी पाठ कण्ठाग्र की थी। आगे चल कर यही पाठ इनके व्याकरण की विद्वत्ता का संबल बना। जिज्ञासुजी की जीवन की सान्ध्य वेला में आप उनके सम्पर्क में आईं। आपने गुरुमुख से अष्टाध्यायी के अतिरिक्त महाभाष्य, निरुक्त, श्रौत, मीमांसा का मुख्यभाग एवं वैदिक विषय के अनेक ग्रन्थों का अध्ययन कर व्याकरणाचार्य परीक्षा भी उत्तीर्ण की तथा जिज्ञासुजी के साथ 'अष्टाध्यायीभाष्य' लेखन में प्रारंभ से ही संलग्न रहीं। फलतः गुरुवर्य के निर्वाण के उपरान्त शेषभाग लिखकर समग्र ग्रन्थ प्रकाशित करवाया। अन्तिम अध्ययन में वैदिक उदाहरणों में स्वरप्रक्रिया तथा यथार्थ स्वराङ्कन आदि दुस्तर कार्य गुरुकृपासे ही पूर्ण हो सके। व्याख्या शैली में पूर्णतः जिज्ञासुजी द्वारा निर्दिष्ट विधि का ही अनुसरण किया गया है। फलतः प्रत्येक सूत्र के आठों अङ्गों-(१) पदच्छेद, (२) विभक्ति, (३) समास, (४) अनुवृत्ति, (५) अधिकार, (६) अर्थ, (७) उदाहरण और (८) सिद्धि पर जो प्रक्रिया प्रदर्शित की गयी है, वह व्याकरण ज्ञान के लिए उपादेय और अनुपम है। इनका यह भी विचार था कि रचनात्मक दृष्टि से अष्टाध्यायी के (काशिका-महाभाष्य के) सभी उदाहरणों का पाणिनिकोष तैयार किया जाय, तो वह अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त आपकी इच्छा यह भी रही कि अनुवृत्ति तथा अधिकार वाली 'अष्टाध्यायी' का मूल पाठ प्रकाशित किया जाय, जिससे पाठकों को संस्कृत अनुगम के साथ अर्थ बोध हो सके।

'अष्टाध्यायी' के मूल पाठ को परिष्कृत करने की दृष्टि से मूलतः गोरखपुर के निवासी पं. क्षेमधरात्मज (१४) पं. श्री गोपालशास्त्री दर्शनकेसरी १६०० ई. का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और उन्होंने अष्टाध्यायी का उपयोगी संस्करण तैयार कर जिज्ञासुओं के समक्ष प्रस्तुत किया। १६८१ ई. में प्रकशित इस संस्करण में प्रत्येक अधिकार सूत्र तथा अनुवृत्ति पदों के सम्मुख प्रभावित अङ्कों को पृथक्-पृथक् निर्दिष्ट कर टिप्पणी में तदन्तर्गत कातिपय विशेषताएं आवश्यक वार्तिक-स्मरण तथा भाष्योक्त सिद्धान्त उपन्यस्त हैं। दर्शन केसरी जी अष्टाध्यायी पाठन पद्धति के अनुगामी होने के कारण इस परम्परा के अक्षुण्य निर्वाहक रहें तथा उन्होंने प्रवेशार्थियों से लेकर प्रौढ अध्येताओं तक अपनी कृतियों द्वारा पाणिनीय व्याकरण को सरल एवं सारगर्भित स्वरूप प्रदान किया। इन कृतियों में (१) पाणिनीयप्रबोध, (२) ऋजुपाणिनीयम्, (३) पाणिनीयप्रदीप मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त लक्ष्य प्रधान काव्यशास्त्र में प्रसिद्ध "भट्टिकाव्य" की 'काव्यमर्मविमर्शिका' नामक व्याख्या में आपने उदाहरणों की सिद्धिपूर्वक ग्रन्थपरिष्कार किया है। इस दशा में यह उनकी अभिनव कृति है। अन्य विषयों में भी आपने अपनी लेखनी चलाई है। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत होते हुए आप आजीवन विद्योपासना में लगे रहे। ८ जून १६८३ ई. को आपने चिरविश्राम लिया।

पाणिनीय परम्परा के प्रचलन में (१५) डॉ. वेदप्रकाश पातञ्जल की 'अष्टाध्यायी प्रकाशिका' वि.सं. २०१२ नें वाञ्छनीय सहयोग दिया है। आप जिज्ञासुजी के अन्तेवासी थे। और इन्द्रप्रस्थीय पाणिनि महाविद्यालय के प्राचार्य रहे। आपने व्याकरण तथा निरुक्त में आचार्योपाधि प्राप्त करने के साथ ही एम.ए. पी.एच्. डी. शोधोपाधि प्राप्त की। पातञ्जल जी ने 'अष्टाध्यायी' प्रकाशिका विशेष उद्देश को लेकर लिखी है। इसके द्वारा आपको संस्कृत सीखने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों को अनुवर्ती पद्धति से सुगमतापूर्वक व्याकरण ज्ञान कराना अभीष्ट रहा। इस दृष्टि से पाणिनीयाष्टक के उपयोगी सूत्रों का यह संकलन प्रस्तुत किया है। इस संकलन की व्याख्या में अष्टाङ्ग पद्धति स्वीकृत की गयी हैं तथा अधिकतर उदाहरण काशिका से संगृहीत है। समास-विग्रह के सम्बन्ध में यह विशेषता है कि कहीं पर जाति पक्ष कहीं पर व्यक्तिपक्ष और कहीं पर उभय पक्ष का समाश्रयण किया गया है। विषय की सरलता को अभिलक्षित करते हुए ग्रन्थकार ने अभिनव पाठन विधि अपनायी है। इस प्रकार ग्रन्थ को बारह प्रवचनों में समाविष्ट किया है। इनमें से प्रथम चार व्याख्यान संस्कृत भाषाज्ञान के लिए लिखे गये है। तदन्तर पञ्चम व्याख्यान से द्वादश व्याख्यान पर्यन्त क्रमशः (५) अष्टाङ्ग पद्धति (६) सूत्र प्रकार प्रकरण भेद तथा अनुवृत्ति, (८) विकरण धातुप्रक्रिया वाच्य परिवर्तन-टित् डित् लकार धातुरूपसिद्धि, (९) कृत् प्रत्यय (१०) स्त्रीप्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और समासन्त, (११) द्विर्वचन-संहिता-वृद्धि प्रकरण तथा (१२) वर्णोच्चारण शिक्षा निरूपित हैं।

आपने अध्ययनाध्यापन, ग्रन्थरचना तथा परंपरागत विद्या के संरक्षण के फलस्वरूप राष्ट्पतिसम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त कर संस्कृत-जगत् को गौरवान्वित किया।

(१६) पं. श्री हरीशंकर पाण्डेय

अष्टाध्यायी का क्रमिक पाठन केवल आर्य समाजी विद्वानों तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु नव्यव्याकरण के विद्वानों की प्रवृक्ति भी इस भ्रान्तिका निराकरण करने के लिए सर्व तंत्रस्वतंत्र म.म.पं. श्री गंगाधरशास्त्री तैलङ् सी.आई. ई. महोदय के शिष्य (१२) पं. हरिशंकर पाण्डेय १८८५ ई. के लगभग अग्रसर हुए। इनके इस प्रयत्न नें अष्टाध्यायी के विवरण को नया स्वरूप दिया। यह उनके पटना कॉलेज में अध्यापन करने का प्रतिफल रहा। पाण्डेय जीने इस सन्दर्भ में अपने पिता पं. श्रीरामजीवन का नमन किया है।[1] आप वहीं व्याकरण शास्त्र के प्रधान थे। आपकी पुस्तक "आर्षं पाणिनीयं व्याकरणम्" संस्कृत भाषा में निबद्ध है। पुस्तक के नामानुसार अष्टाध्यायी के समग्र सूत्रों पर भाष्योक्त उदाहरण तथा वार्तिकों का यथास्थान समावेश किया गया है। स्थान-स्थान पर टिप्पणी द्वारा कठिन

---

१. गुरुं गंगाधरं ध्यात्वा पितरं रामजीवनम्।
पाणिनीयमिदं शास्त्रं चारुरूपं प्रकाशये।।-आर्य पाणिनीय व्याकरण मं.४

सूत्रों का अर्थ स्पष्ट करने से अध्येताओं की कठिनता दूर की गयी है। आपके द्वारा इस पद्धति के स्वीकार करने से पुस्तक की उपादेयता बढ़ गयी है[1] पाण्डेय जी ने आक्षेपकों की भ्रान्ति को दूर करने के लिए ग्रन्थ के आरम्भ में उल्लेख किया है कि प्राचीन काल में भी व्याकरण शास्त्र के टीकाग्रन्थों के अध्ययन के पूर्व अष्टाध्यायी का क्रमिक सोदाहरण अध्ययन निरन्तर चलाता रहा।[2] पुस्तक का प्रथम प्रकाशन सन् १६३८ ई. में आपके ही पारिवारिक सदस्यों द्वारा यूनाइटेड प्रेस में मुद्रापित करवाया गया। प्रारम्भ में अष्टोत्तरशत् पद्यवद्ध 'पाणिनीयमाहात्म्य' तथा अन्त में खिल सामग्री- धातुपाठः गणपाठ, उणादिसूत्रपाठ, लिङ्गानुशासन फिट्सूत्र, परिभाषापाठ, तथा पाणिनीयशिक्षा संकलित है। भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी पाणिनि के प्रति विशेषसम्मान एवं आदर की भावना आज भी विद्यमान है। अंग्रेजी शासन में विश्वविद्यालयों में अष्टाध्यायी का पाठ्यक्रम में समावेश किये जाने पर अंग्रेजी भाषा में उसके व्याख्यान की आवश्यकता भी प्रतीत हुई। इस अभाव की पूर्ति के लिए प्रयाग निवासी श्री श्रीशचन्द्र बसु इसकी ओर प्रवृत्त हुए। आपके पिता श्री श्यामाचरण बसु शिक्षासङ्गम के ऐतिहासिक व्यक्ति रहे। उन्होनें सार्वजनिक शिक्षा का स्वरूप पंजाब में निर्धारित कर ख्याति अर्जित की। श्रीशचन्द्रजी ने प्रयाग में ही 'पाणिनी ऑफिस, की स्थापना की और स्वयं 'अष्टाध्यायी' का अंग्रेजी में भाष्य लिखा। यह अनुवाद मात्र नहीं था, प्रत्युम मूल अनुवाद के साथ प्रक्रिया विधि की समग्रता का मानदण्ड रहा। उदाहरण-प्रत्युदाहरणों के वैशिष्ट्य को लेते हुए जहाँ-कहीं अतिरिक्त विधि-नियम अपेक्षित रहे, वहाँ उनका निर्वचन करते हुए आपने उस भाष्य में चार चाँद लगा दिये। उनके इस प्रशंसनीय कार्य से पाश्चात्य जगत् में अष्टायायी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गयी। वहाँ के विश्वविद्यालयों ने बीसवीं सदी के अनेक भाषावैज्ञानिकों को जन्म दिया और पाणिनि व्याकरण को भाषा विज्ञान का मूल स्रोत समझा। आपने 'सिद्धान्तकौमुदी' की भी आंग्लभाषा में व्याख्या लिखकर विशेष नाम कमाया, जो १६०६ ई. में प्रथमबार 'पाणिनि-आफिस' द्वारा ही प्रकाशित हुई। इस व्याख्या में प्राचीन-अर्वाचीन शैली का समन्वय करते हुए श्री बसु ने सूत्रस्थ पदों का विच्छेद कर पूर्वसूत्रों से आती हुई अनुवृत्तियों का सन्निवेश पूर्वक सूत्रार्थ निष्पन्न किया है। उदाहरणों में यथाप्राप्त पूर्व कार्यों का निर्देश करते हुए समायोजन पूर्वक उसकी पूर्णता प्रतिपादित की है। प्रत्युदाहरणों में सूत्रस्थित पदों की युक्तता द्वारा गणित के समान सूत्र की यथार्थता प्रमाणित की है। सबसे दुश्तर कार्य प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण है, जो पूर्वापर विषय संगति के साथ उपन्यस्त है। वैदिक और स्वर-प्रक्रिया के उदाहरणों में

---

१. "तपस्यता पाणिनिना महात्मना यथाक्रमं व्याकरणं प्रदर्शितम् तथैव सोदाहरणं सवार्तिकं वितन्यते सूचिनिवेशपूर्वकम्।। लक्ष्यलक्षणविज्ञानं पूर्णं व्याकरणं स्मृतम् (तत्रैव)

२. "अष्टकं पाणिनेस्त्यक्त्वा महाभाष्यं पतंजलेः तदेवेदं मया दर्शि नूतनरूपं प्रयत्नतः। वैयाकरणतां लब्धुं मुधा मुग्धाभिलाषिता।"

क्रमशः लौकिक और वैदिक शब्दों का वैकल्पिक स्वरूप तथा 'स्वरसंचार' में 'संहिता' तथा पदजन्य स्वरों के पार्थक्य का समाधान यथाविधि निष्पादित है।

अत्यंत खेद का विषय है कि आपके अनन्तर आपके द्वारा स्थापित संस्था जीवित न रह सकी। सम्प्रति आपके ग्रन्थों का पुनः प्रकाशन मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है।

१८ डॉ. रामशंकर भट्टाचार्य

पाणिनीय व्याकरण विषयक आधुनिक अनुशीलकों में डॉ. रामशंकर भट्टाचार्य अग्रणी रहे। मेधासम्पन्न भट्टाचार्य जी व्याकणाचार्य, एम.ए. तथा शोधोपाधि परीक्षाओं में विशेष योग्यता प्रदर्शित कर अनुशीलन कार्य में निरन्तर बद्धपरिकर थे। व्याकरणशास्त्र के अतिरिक्त पुराण सम्बन्धी विशाल साहित्य के सम्पादन तथा परिष्कार करने में अग्रसर होते हुए आपका समस्त जीवन व्यतीत हुआ। आपने माननीय काशी नरेश द्वारा संस्थापित अखिलभारतीय काशिराज न्यास के तत्त्वावधान में विविध पुराणों के हस्तलेख, सम्पादन, पाठ, भेद, संकलन, (आंग्ल तथा संस्कृत) भाषाओं में प्रकाशित 'पुराणम्' शोधपत्रिका के संपादन कार्य में दत्तचित्त हो अशेष देश तथा विदेश में विशिष्ट ख्याति अर्जित की। इसमें गरुड़ पुराण, अग्निपुराण आदि प्रमुख हैं। त्रिमुनि व्याकरण को अभिलक्षित कर आपके द्वारा किया गया शोधकार्य पाण्डित्य पूर्ण है, जिसे मीमांसक प्रभृति व्याकरणेतिहासकारों ने स्थान-स्थान पर उद्धृत किया है। शब्दानुशासन संबन्धी अनुसंधान "पाणिनीय व्याकरण का अनुशीलन" नामक ग्रन्थरूप में प्रतिबिम्बित है। इसका प्रथम संस्करण 'इण्डोलौजिकल बुक हाउस' द्वारा प्रकाशित है। ३६ परिच्छेदों में विभक्त प्रकृत ग्रन्थ में त्रिमुनिव्याकरण दर्शन प्रस्तुत करते हुए अष्टविध व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण का उसमें स्थान, अष्टाध्यायी की प्रकरणसंगति, प्राचीन वृतियों का स्वरूप, निपातन सूत्र, 'छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति का प्रकृत तात्पर्य, 'संज्ञायाम्' परघटित सूत्रों का तात्पर्य, कारक विमर्श, पाणिनि स्मृत भिक्षु सूत्र का स्वरूप, महाभाष्योक्त के अर्थ विषयक भ्रम, राष्ट्रीय शब्द की साधुता, लोक प्रामाण्यवाद आदि विषय परिशीलित हैं। स्वयं लेखक अनुसार प्रकृत अनुशीलन में विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। इसमें जहाँ एक ओर पूर्वाचार्यों के मतों की पर्यालोचना है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक गवेषकों से मतवैषम्य भी प्रदर्शित है। साथ ही अष्टाध्यायी के गूढ रहस्यों का उदघाटन करते हुए, व्याकरण वाङमय की अविकल सामग्री संकलित है। इस अनुशीलन में अस्पष्ट और सूक्ष्म स्थलों का स्पष्टीकरण, शब्दसाधुत्व विचार अष्टाध्यायी का रचना कौशल एवं संस्कृत भाषा और व्याकरण का स्वरूप आदि विषय समाविष्ट है। संस्कृत जगत के आप अन्य ख्यातिलब्ध मनीषियों के लिए भी जीवन्त संन्दर्भ के रूप में विद्यमान थे। जीवन की सान्ध्य वेला में भी थियोसोफिकल सोसाइटी के ग्रन्थालय के ग्रन्थाध्यक्ष के पद को सुशोभित करते हुए विशिष्ट सन्दर्भ ग्रन्थलेखन में दत्तचित्त थे। प्रायः डेढ़ वर्ष पूर्व अचानक काल के मुख में भट्टाचार्यजी के समाने से विद्वज्जगत् की अपूरणीय क्षति हुई है।

कात्यायन

परिचय–संस्कृत व्याकरण की त्रिधारा में अन्तःसलिला सरस्वती की भाँति महाभाष्य की इष्टियों में सन्निहित कात्यायन के वार्तिक अपने अस्तित्व को संजोये हुए कात्यायन की यशःपताका को आज भी नभो- मंडल में फहरा रहे हैं। यदि कात्यायन के वार्तिक उपलब्ध न हुए होते तो संस्कृत व्याकरण की त्रिवेणी में सामञ्जस्य की कमी रह जाती। रेखागणित के त्रिभुजात्मक स्वरूप की सार्थकता त्रिमुनि-व्याकरण के रूप में आज भी संस्कृत भाषा को स्थिरता प्रदान करते हुए पाणिनीय व्याकरण को "वेदाङ्ग" के रूप में मान्यता देकर चरितार्थ हो रही है। "पाणिनि" और "कात्यायन" के समय निर्धारण करने में पतञ्जलि को मापदण्ड के रूप में माना गया है। कारण यह है कि पतञ्जलि का समय निर्धारित करने में तो अन्तःसाक्ष्य ही प्रमुख कारण है। अतः पतञ्जलि और पाणिनि के मध्यवर्ती कात्यायन के देश-काल का निर्णय करने में भी महाभाष्य की ही शरण में जाना पड़ता है। भाषा-विद् भी इन दोनों आचार्यों के अन्तराल को लगभग दो सौ पचास वर्ष (लगभग २५० वर्ष) मानकर इस दिशा में अग्रसर हुए हैं।

पाणिनि की अष्टाध्यायी के अध्यापन करने के फलस्वरूप ही कात्यायन को वार्तिकों की रचना करने का अवसर मिला। उनके पूर्व पाणिनि के अन्तर अनेक शिक्षकों द्वारा प्राप्त परम्परा से भी अष्टाध्यायी की कठिनता तथा भाषागत वैशिष्ट्य के समाधान में परिवर्धन तथा परिष्कार की आवश्यकता को जानकार कात्यायन को अपनी लेखनी उठानी पड़ी। इस उद्देश्य की पूर्ति में २००-२५० वर्ष यदि लगे हो तो कोई आश्चर्य नहीं। कात्यायन को अपने पूर्ववर्ती अनेक अध्यापकों के द्वारा परम्परागत पाठन-शैली तथा पाणिनीय सूत्रों पर पारम्परिक सामग्री प्राप्त अवश्य रही होगी। इन आचार्यों में भारद्वाज, सौनाग, कुणरवाडव, क्रोष्ट्रीय आदि उल्लेखनीय है। इन आचार्यों ने भी इसी प्रकार के वार्तिक लिखे हों, जिनके द्वारा पाणिनीय सूत्रों पर विचार लाघव-गौरव एदं परिवर्तन-परिवर्धन किये गये हों।

कात्यायन नाम से भी अनेक विद्वान् हुए। अतः वार्तिककार कात्यायन कब कहाँ और कौन से हैं-यह भी बताना कठिन ही रहा। अधिकतर विद्वान् शुक्लयजुःप्रातिशाख्य के रचयिता कात्यायन को ही वार्तिककार कात्यायन मानते हैं। इनका जन्म पाणिनि के लगभग २५० वर्ष बाद हुआ हो। इस समय तक पाणिनि-काल में प्रचलित अनेक शब्द अप्रयुक्त हो गये हों, कुछ के अनेक अर्थो में कुछ अर्थ अव्यवहृत हो चुके हों और कुछ को विशेष महत्व प्राप्त हो चुका हो। इसके साथ ही पाणिनि के समकालिक लेखकों की गणना प्राचीन वैयाकरणों की श्रेणी में रखी जा चुकी हो। ऐसे उपयुक्त समय में किसी कात्यायन ने वाजसनेयी प्रातिशाख्य लिखा, जिसमें उन्होंने संहिताक्षेत्र में आने वाले पाणिनीय सूत्रों की समीक्षा की थी। कदाचित् कात्यायनश्रौतसूत्रों के आदिम रचयिता भी यही रहे हों। इस

प्रकार आरम्भ में इन्होंने अपनी रचनायें वैदिक वाङ्मय तक ही सीमित रखीं। किन्तु बाद में समसामयिक विद्वानों द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर सम्पूर्ण अष्टाध्यायी को अपने विवेचन का विषय बनाया हो। इन दोनों प्रकार की रचनाओं में साम्य होने से विद्वान् लोग प्रातिशाख्य और वार्तिककार को एक ही व्यक्ति मानने का आग्रह करते हैं। कारण यह है कि इनके प्रातिशाख्य के अनेक सूत्र प्रत्याहार तथा अनुबन्ध पाणिनिवत् ही हैं। कहीं-कहीं पर अपेक्षित परिवर्तन अवश्य किये गये हैं। इन्हीं परिवर्तनों को इन्होंने आगे चलकर "वार्तिकों" का स्वरूप दे दिया[1]। इस प्रकार का साम्य प्रातिशाख्य और कात्यायन के वार्तिकों में अनेकत्र दृष्टिगोचर होता है।

अष्टाध्यायी	कात्यायन प्रातिशाख्य
१. अदर्शनं लोपः (१.१.६०)	१. वर्णस्यादर्शनं लोपः (१.१.४१)
२. तस्मादित्युत्तरस्य (१.१.६७)	२. तस्मादित्युत्तरस्यादेः (१.३५)
३. मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः (१.१.८१)	३. मुखनासिकाकरणोऽनुनासिकः (१.७५)

वैयाकरण वार्तिककार कात्यायन के देशकाल के विषय में थोड़ा सा उल्लेख महाभाष्य में ही मिलता हैं वह भी इनके नाम का निर्देश न होते हुए भी अनुमेय है। भाष्यकार ने इन्हें दाक्षिणात्य माना है और वह भी कात्यायन के वार्तिक "यथा लौकिकवैदिकेषु" (म.आ. १ आह्निक) के आधार पर स्वीकार किया जाता है। भाष्यकार ने यही कहकर सन्तोष किया है कि "लोक" और "वेद" शब्दों का प्रयोग न कर तदर्थक "लौकिक" तथा "वैदिक" तद्धितान्त शब्दों का गुरुतर प्रयोग करने से इनके दक्षिण देश निवासी होने का दृढ़तर प्रमाण माना है। दक्षिण भारत में इन्हें किस जनपद का निवासी माना जाय- इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कात्यायन के नाम सम्बन्ध में भी विद्वानों ने अनेक कल्पनायें की हैं। कुछ विद्वानों के मत में इनका वैयक्तिक नाम "वररुचि"गोत्रवाची नाम कात्यायन था। इस सम्बन्ध में भी अनेक कल्पनायें की गयी हैं। महाभाष्य में प्रयुक्त "वाररुचम्" शब्द से इनकी कृति-विशेष का बोध होता है। इसके साथ ही भाष्यकार नें अन्यत्र "कात्य"[2] और "कात्यायन"[3] शब्दों का प्रयोग वार्तिककार के लिए किया गया है। ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के लिये प्रयुक्त हुये हैं। अधिक आदर देने के लिये पतञ्जलि ने "आचार्य" और "भगवान्" आदि आदरवाचक शब्दों का प्रयोग भी वार्तिककार के लिए किया है। इनके अतिरिक्त पुरुषोत्तमदेव ने त्रिकाण्डशेष-कोष में इनके अनेक नाम सङ्कलित कर गिनायें

---

१. द्रष्टव्यः-गोल्डस्टूकर पाणिनि-हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर पृ. १५४ से १५७

२. महाभाष्य ३.२.३

३. महाभाष्य ३.२.११८

हैं, जो इस प्रकार हैं-१. कात्य, २. कात्यायन, ३. पुनर्वसु, ४. मेधाजित् और ५. वररुचि। इनमें से "वररुचि" नाम ही इनके सम्बन्ध में अधिक प्रसिद्ध है। इस सम्बन्ध में महाराज समुद्रगुप्त के नाटक "कृष्णचरित" की भूमिका या परिचायिकामें उल्लिखित "वररुचि" और कात्यायन ये दो नाम एक ही व्यक्ति के सम्बन्ध में कहे गये हैं। इस सम्बन्ध में भी अभी तक अनेक भ्रान्तियाँ[1] विद्यमान हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त के पूर्व भी विक्रम के नवरत्नों में कालिदासके साथ "वररुचि" भी रहे। उनका भी कोई ग्रन्थ रहा हो, जिसका सामञ्जस्य भाष्योल्लिखित "वाररुचम् काव्यम्" पदावली द्वारा किया जाता है।[2] इससे वररुचि के कवि होने में भी कोई सन्देह नहीं है। इन नामों के अतिरिक्त कथासरित्सागर और बृहत्कथामञ्जरी में कात्यायन का "श्रुतधर" नाम भी मिलता है[3]।

किन्तु इस सम्बन्ध में कोई दूसरा प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वार्तिककार का सर्वाधिक प्रचलित नाम कात्यायन ही है, जो वंशपरम्परा के बोधक "युव्" प्रत्ययान्त (कत्. यन् त्र कात्य. फक्) शब्द का निदर्शन है। पतञ्जलि ने वाऽन्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति (४.१.१६६) सूत्रस्थ "वृद्धस्य च पूजायाम्" वार्तिक द्वारा उक्त व्युत्पत्ति को प्रमाणित किया है। भाष्यकार ने अपने पूर्ववर्त्ती कात्यायन का स्मरण "लट् स्मे" ३.२.११८ सूत्रस्थ विवरण में बड़े आदर के साथ किया है- "न स्म पुराद्यतन इति ब्रुवता" कात्यायनेनेह।। स्मादिविधिः पुरान्तो यद्यविशेषेण भवति किं वार्तिककारः प्रतिषेधेन करोति न स्म पुराद्यतन इति (३.२. ११८) सिद्धयत्येवं यत्त्विदं वार्त्तिककारः पठति-विप्रतिषेधात्तु टापो बलीयस्त्वं इति एतदसंगृहीतं भवति (७.१.१)

भाष्यकार के स्मरण करने से वार्त्तिककार कात्यायन का उनसे पूर्ववर्ती होना तो निश्चित है किन्तु कात्यायन नाम के अनेक ग्रन्थकारों के रूप में प्रसिद्ध होने से वार्त्तिककार कात्यायन का साम्य स्थिर करना बड़ा कठिन है। अनेक कात्यायनों का विवरण पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने बड़े विस्तार के साथ दिया हैं तदनुसार-१ कौशिक कात्यायन, २. आङ्गिरस कात्यायन, ३. भार्गव कात्यायन, ४. द्वयामुष्यायण कात्यायन, ५. चरकसूत्र स्थान १/१० में स्मृत कात्यायन (शालाक्यतन्त्र का रचयिता) ६. कौटिल्य अर्थशास्त्र में निर्दिष्ट कात्यायन तथा ७. याज्ञवल्क्य पुत्र कात्यायन (स्कन्दपुराण नागर खण्ड अ. १३० श्लोक ७१ में निर्दिष्ट) उल्लिखित हैं। इनमें से एक से छः तक कात्यायन विषयान्तरों से सम्बद्ध होने के कारण वैयाकरण वार्तिककार नहीं हो सकते। याज्ञवल्क्य के पुत्र एवं पौत्र वररुचि कात्यायन के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इनका साम्य वार्तिककार

१. "यः स्वर्गारोहरणं कृत्वा" और न केवलं व्याकरणं इत्यादि, कृष्णचरित तथा अन्यत्र कथासरितसागर लम्बक। तरंग २, श्लोक-६६-७० मे द्रष्टव्य।

२. महाभाष्य ४.३.१०१

३. कथासरित्सागर लम्बक १, तरंग२, श्लोक ६६-७० में द्रष्टव्य

कात्यायन के साथ सम्भव हो। इस सम्बन्ध में युधिष्ठिर मीमांसक ने प्रमुख युक्ति यह दी है कि वाजसनेय प्रातिशाख्य की रचना तथा पाणिनीय व्याकरण के वार्तिकों में पर्याप्त विचार-साम्य दिखायी पड़ता है। इसके अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं। यह कात्यायन याज्ञवल्क्य का पौत्र कात्यायन का पुत्र वररुचि कात्यायन अष्टाध्यायी का वार्तिककार है। मीमांसक जी ने इस सम्बन्ध में काशिका के उदाहरणों का उल्लेख करते हुये इस मत को प्रधानता दी है। काशिकाकार ने "पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु" (४.३.१०५) सूत्र की व्याख्या करते हुए आख्यानों के आधार पर "शतपथ ब्राह्मण" को अचिरकालकृत लिखा हैं परन्तु वार्तिककार ने "याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधस्तुल्यकालत्वात्" (महाभाष्य ४.२.६६) में याज्ञवल्क्यप्रोक्त "शतपथब्राह्मण" को अन्य ब्राह्मणों का समकालिक कहा है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वार्तिककार का याज्ञवल्क्य के साथ कोई सम्बन्ध रहा हो। अतएव उसने तुल्यकालत्व हेतु से "शतपथ" को पुराणप्रोक्त सिद्ध करने का यत्न किया है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि कात्यायन शाखा का अध्ययन प्रायः महाराष्ट्र में होने से पतञ्जलि द्वारा निर्दिष्ट वार्तिककार के दाक्षिणात्य होने की पुष्टि होती है। इनके अतिरिक्त शुक्लयजुः प्रातिशाख्य के अनेक सूत्र कात्यायनीय वार्तिकों से समानता रखते हैं। यह समानता भी इनके पारस्परिक सम्बन्ध को पुष्ट करती हैं :-

वाजसनेय प्रातिशाख्य	कात्यायनीयवार्तिक
१. पूर्वो द्वन्द्वेष्ववायुषु ३.१२७ इस सूत्र में "अवायुषु" पद "द्वन्द्वेषु" का विशेषण है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस द्वन्द्व में वायु पूर्व पद में या उत्तरपद में हो, उसके पूर्वपद को दीर्घ नहीं होता जैसे "इन्द्रवायुभ्याम् त्वा" किन्तु वाजसनेयिसंहिता में पूर्वपदस्थ वायु का उदाहरण नहीं मिलता परन्तु म. सं.३.१५.११ में वायुसवितृभ्याम् में भी दीर्घत्वाभाव देखा जाता है।	१. उभयवायोः प्रतिषेधो वक्तव्यः (महा.६.३.२६) प्रकृतवार्तिक के प्रसंग में महाभाष्यकार ने "अग्निवायू वाय्वग्नी" उदाहरण तो दर्शाये हैं किन्तु उस प्रसंग में उत्तरपदस्थ वायु वाला उदाहरण तो युक्ति संगत है, परन्तु वायूग्नी में दीर्घ होने पर भी यण् सन्धि का रूप वही होगा। इसके आधार पर प्रातिशाख्य और वार्तिक में स्पष्ट साम्य दिखाई पड़ता है।
२. इचशेयास्तालौ, उवोषोपध्मा ओष्ठे (१.६६.७०) इस सूत्रों में "ए" का तालु और ओ का ओष्ठ स्थान लिखा है।	२. "सिद्धभेदः सस्थानत्वात्" प्रकृत वार्तिक में भी इ, उ और ए, ओ का समान स्थान तालु और ओष्ठ मानकर ए ओ के ह्रस्वादेश में इ उ का स्वतः प्राप्त होना दर्शाया है (एच इग्ह्रस्वादेशे १.१.४८)

इन उदाहरणों के अतिरिक्त पाणिनि और कात्यायन द्वारा निर्दिष्ट साम्य भी विषयगत स्पष्टता को दर्शाने में एक दूसरे के पूरक रूप में प्रमाणित हो सकते है :-

पाणिनि	कात्यायन
१. तिङि चोदात्तवति (८.१.७१) सूत्र में मति और तिङ् पदों को पृथक्-पृथक् दो पद मान-कर गति के अनुदात्त विधान के पक्षधर है।	१. उदात्तगतिमता च तिङा (२.२.१८) वार्तिक द्वारा कात्यायन ने समास का विधान किया है।
२. सर्वस्यद्वे, अनुदात्तं च ८.१.१-२ द्वारा द्विवचन (द्वित्व) में दोनों को स्वतन्त्र पद माना गया है।	२. अव्ययव्ययेन २.२.१८ वार्तिक द्वारा कात्यायन के अव्यय के द्विवचन में समास का विधान किया है।
३. चादयोऽनुदाताः नियम के अनुसार पाणिनि इव शब्द के प्रयोग में दोनों को स्वतन्त्र पद मानकर इव से भी अनुदा-त्तं स्वीकार करते हैं	३. इवेन विभक्त्यलोपः पूर्वपद-प्रकृतिस्वरत्वं च (२.२.१८) वार्तिक द्वारा कात्यायन इवके समास को विधान करता है और पूर्वपदप्रकृति स्वर का विधान करके इव को अनुदात्तं पदमेकवर्जम् (६.१.१५८) नियम से अनुदात्त मानता है।

वाजसनेयि प्रातिशाख्य में भी "इव" के सम्बन्ध में अवग्रह करने पर पाणिनि तथा कात्यायन के समान सैद्धान्तिक साम्य विद्यमान है तदनुसार अनुदात्तोपसर्गेचाख्याते (५/१६) उपस्तृणन्तीत्युपस्तृणैन्ति। अवधावतीत्यवधावति। इवकाराम्रेडितायनेषु च (५/१८) स्रुचीवेतिसुचि इव। प्रप्रेतिप्रप्र। सायर्णाचार्य ने अपने ऋग्वेदभाष्य की भूमिका में स्पष्ट रूप से वार्तिककार का नाम "वररुचि" लिखा है। अतः वररुच कात्यायन की संमति बैठायी गई है।

उपर्युक्त मीमांसक जी के वार्तिककार कात्यायन के सम्बन्ध में डॉ. सत्यकाम वर्मा ने अपनी अरुचि अभिव्यक्त की है। वे अपनी रचना "संस्कृत व्याकरण का उद्भव और विकास" (पृ. १८४) में लिखतें हैं-हमारा प्रश्न है कि समान नाम होते हुए भी या उस प्रकार की समानता रखते हुए भी, यदि वाजसनेयि प्रातिशाख्य और वार्तिकों के कर्ता कात्यायन को अलग-अलग मानना ही है, तब क्या यह अनिवार्य है कि उन्हें एक दूसरे का पिता-पुत्र ही स्वीकार किया जाय ? यह सम्बन्ध तीन या चार पीढ़ी के अन्तर से क्यों नहीं हो सकता ? क्या तब "निरुक्त समुच्चय" का कर्ता "वररुचि" जिसे श्री मीमांसक कात्यायन भी कहते हैं, इस वार्तिककार कात्यायन से भिन्न ठहर सकता है, जबकि दोनों के नाम और वंश तक मिलते हैं ? पर वहाँ वे उनके बीच सदियों का व्यवधान मानते हैं"। इस अरुचि के सम्बन्ध में वर्मा जी ने मीमांसक जी के सैद्धान्तिक स्वरूप को उन्हीं के शब्दों द्वारा "वदतोव्याघात" कहा है- "पदे-पदे मत बदलने की अपेक्षा यह अधिक उचित होगा कि हम उक्त दोनों को अलग-अलग ही मानें, क्योंकि मीमांसक जी ने भी स्वयं वार्त्तिक और

प्रातिशाख्य के कर्ता को अन्यत्र एक ही बताकर उसे पाणिनि का समकालिक सिद्ध किया है।" इस सम्बन्ध में वर्मा जी ने अपनी पुस्तक के प्रातिशाख्य सम्बन्धी विमर्श में अनेक उद्धरण देकर "वाजसनेयि प्रातिशाख्य" के कर्ता तथा व्याकरण के वार्त्तिककार-इन दोनों के साम्य पर विचार करते हुए अपने मत की पुष्टि इस प्रकार की है-"हम यहाँ "वाजसनेयि प्रातिशाख्य" की ऐसी बहुत सी विशेषताओं का उल्लेख करेंगे, जिनसे हमें किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में सहायता मिल सकती है।"

समान सूत्र

पाणिनीय अष्टाध्यायी से इस प्रातिशाख्य के एकदम समान आकार-प्रकार और अनुकरण वाले सूत्र निम्न हैं -

१. उच्चैरुदात्तः। वा. प्रा. १.१०८ पा. अ. १.२.२९
२. नीचैरनुदात्तः। वा. प्रा. १.१०९ पा. अ. १.२.३०
३. षष्ठी स्थाने योगा। वा. प्रा. १.१३६, पा. अ. १.१.४९
४. तस्मिन्नितिनिर्दिष्टेपूर्वस्य। वा. प्रा. १.१३४, पा. अ.१.१.६६

किन्तु सूत्रों में अक्षरशः साम्य न होने पर भी विषय साम्य प्रदर्शित करने वाले दोनों व्याकरणों में उपलभ्य ऐसे कुछ सूत्रों का तुलनात्मक रूप इस प्रकार हैं :-

वा. प्रा.	पाणिनि
१. उभयास्वरितः १.११४	१. समाहारः स्वरितः १.९.३१
२. तस्मादित्युत्तरस्यादेः ११.३५	२. तस्मादित्युत्तरस्य १.१.६७
३. नृन् पकारे विसर्जनीयः १.३.१४०	३. नृन् पे ८.३.१०
४. व्ययवांश्चान्तः १.२.२६	४. अन्तरं बर्हिर्योगोपसंव्यानयोः १.१.३६
५. विप्रतिषेधे उत्तरं बलवदलोपे ९.१५९	५. विप्रतिषेधे पर कार्यम् १.४.२
६. एकवर्णपदमपृक्तम् ९.१५१	६. अपृक्त एकाल् प्रत्ययः १.२.४१
७. स एवादिरन्तश्च १.१५२	७. अन्तादिवच्च ४.१.८४
८. अन्त्याद् वर्णात् पूर्व उपधा ९.३५	८. अलोऽन्त्यात् पूर्व उपधा १.१.६५
९. नश्चाम्रेडिते ४.९	९. कानाम्रेडिते ८.३.१२
१०. वर्णस्यादर्शनं लोपः १.१४१	१०. अदर्शनं लोपः १.१.६०

११. समानस्थानकरणास्यप्रयत्नः सवर्णम् १.१४३ तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम् १.१.९ इत्यादि।

प्रातिशाख्य के सूत्रों तथा कात्यायनीय वार्तिकों में शास्त्र-विषयक साम्य के साथ शब्द साम्य भी परिलक्षित होता है। इस प्रकार का शब्द-साम्य पाणिनि के सूत्रों से भिन्न तथा गौरवयुक्त होने के कारण इस कात्यायन को पाणिनि के समकालिक अथवा पूर्ववर्ती होने

की कल्पना की जाती है। अतः गोल्टस्टूकर का तर्क इस सम्बन्ध में उपस्थित किया है। तदनुसार कुछ प्रमाण विद्वानों ने दर्शाये हैं।

(क) पद-

पद संज्ञा को अभिलक्षितकर पाणिनि ने "सुप्तिङन्तम् पदम्" (१.१.१४) सूत्र द्वारा समष्टिगत वाक्य के उपकरणों को बड़े सौष्ठव के साथ समाश्लिष्ट कर दिया है। वहीं कात्यायन ने इसकी परिभाषा विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में प्रस्तुत कर परिवर्धित गुरुता दर्शायी है-

१. स्वरितवर्जमेकोदात्तं पदम् (२/१)
२. अर्थं पदम् (३/२)
३. अक्षर समुदायः पदम् (८/४६)
४. अक्षरं वा (८/४७)

इन चार सूत्रों में प्रातिशाख्यकार ने यद्यपि "पद" संज्ञा के विषय को पाणिनि के प्रतिकूल नहीं लिखा है, फिर भी ऐसा विदित होता है कि उनका ध्यान पाणिनिकृत परिभाषा की ओर आकृष्ट न हुआ हो।

ख-इसी प्रकार पद संज्ञा के अनन्तर प्रातिपदिक संज्ञा के विधान में भी पाणिनि की अपेक्षा इस कात्यायन में गौरव दिखाया है जहाँ पाणिनि ने "कृत्तद्धितसमासाश्च" १.२.४६ सूत्र द्वारा प्रातिपदिक के सम्बन्ध में नियमन कर अपने बुद्धि-कौशल को प्रदर्शित किया है, वहीं पर प्रकृत कात्यायन "तिङ्कृत्तद्धितचतुष्टयसमासाः शब्दमयम् कहकर प्रक्रिया-गौरव को संकेतित करते हैं। इसके द्वारा इन्होंने प्रातिपदिक होने का वारण किया है। और वे "प्रातिपदिक" तथा "कृत्तद्धितसमास" में भिन्नता भी नहीं मानते। किन्तु पाणिनि का यह बुद्धि कौशल है कि वे "अर्थवान्" को "कृत्तद्धितसमास" से भिन्न एवं धातु और प्रत्यय से भी भिन्न एक विशिष्ट शब्दराशि मानते है।

ग-स्वरसम्बन्धी विवरण प्रकृत कात्यायन के प्रातिशाख्य में अधिक होना स्वभाव संगत है। पाणिनि का स्वर प्रकरण सीमित होने के कारण अधिक विस्तृत नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य लौकिक संस्कृत को परिष्कृत करने का ही रहा।

इस सम्बन्ध में जो तथ्य सामने आये हैं वे इस प्रकार है-फलतः कात्यायन के क्रमशः १.१२७ से १३० तक स्वरों की गणना सात, तीन, दो और एक के रूप में की है। उनके मत में सामवेद में उदात्तादि त्रिविध स्वरयोजना निरर्थक और महत्त्वहीन है। अतः वहाँ षड्जादि सात स्वर ही स्वर कहलाते हैं। उदात्त और अनुदात्त के रूप में दो स्वतन्त्र स्वरों से ही संतोष है। यज्ञकर्म में "तान" नामक एक ही स्वर अभिप्रेत है। अतः सामान्य तीन स्वरों की परिभाषा करने के बाद भी उनकी गणना वे आवश्यकता और वैज्ञानिकता के आधार पर करते हैं।

अन्य विवरण

प्रकृत कात्यायन और पाणिनि के पूर्वापर काल का विचार करने में कुछ और भी हेतु दिये जाते हैं। उनमें से प्रमुख तो यह है कि विचार्यमाण कात्यायन ने माहेश्वर सूत्रों के सन्दर्भ में मौन ही रहना श्रेयस्कर समझा है। यदि वह पाणिनि से परवर्ती होते तो किसी न किसी रूप में वर्णसमाम्नाय की चर्चा अवश्य करते इसके अतिरिक्त इन्होने आपिशलिकृत शिक्षा ग्रन्थ का उल्लेख भी नहीं किया है। उनके वर्णों का वर्गीकरण वर्णाक्षरादि की परिभाषा आदि पाणिनीय ढंग से सर्वथा भिन्न है। इसके विपरीत उनका अक्षर-सम्बन्धी-विन्यास ऋग्वेद प्रातिशाख्य से अधिकर मिलता है। इनके साथ ही समानाक्षर, सन्ध्यक्षर एवं अन्य अनेक परिभाषाओं तथा गुरु-लघु आदि के विवेचन में भी ये ऋक्प्रातिशाख्य का ही अनुसरण करते है। इसके विपरीत पाणिनि व्याकरण के वार्त्तिककार की अपेक्षा प्रकृत कात्यायन का "वाक्, ज्ञान, वर्ण, अक्षर (संहिता)" सम्बन्धी विचार सर्वथा भिन्न हैं।

आलोच्य कात्यायन वार्त्तिककार से भिन्न हैं-इस सम्बन्ध में कुछ और बातें भी मननीय हैं। यथा "पदगणना" में प्रस्तुत कात्यायन का यास्क की भाँति नामाख्यातोपसर्गनिपाताः, परिगणित करना, न कि पाणिनि के समान "नामाख्याताव्यय" रूप में प्रतिपादित करना। इसके अतिरिक्त इन्होंने वर्ण संख्या भी ६५ मानी है। पाणिनि सम्प्रदाय से भिन्न होने का एक प्रमाण यह भी है कि पाणिनीय परिभाषा "तपरस्तत्कालस्य" सूत्र (१.१.७०) के स्थान पर "अइति" आदि के द्वारा "तपर" के स्थान पर "इतिपरक" निर्देश करते हैं। जो इन्हें शाकल्य के पदपाठ सम्बन्धी "इति करण" का अनुयायी होने से इन्हे पाणिनि का परवर्ती होने में निश्चित बाधक है।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ सूत्रों के विषय की केवल समानता से ही प्रातिशाख्यकार कात्यायन को वार्त्तिककार स्वीकार करना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। पुनश्च कात्यायन का यह प्रातिशाख्य पाणिनीय क्रम से विचलित ही होता रहा है। इसके अतिरिक्त प्रातिशाख्यकार कात्यायन ने शाकटायन, शाकल्य, शौनक और जातूकर्ण्य आदि निरुक्तकारों व वैयाकरणों का नामोल्लेख तो अवश्य किया है किन्तु पाणिनि का उन्होंने कहीं नाम ग्रहण नहीं किया। अतः वह पाणिनि का परवर्ती कैसे माना जा सकता है ? रही सूत्रों की समानता की बात। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि पाणिनि को भी अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों से कुछ सूत्र अवश्य प्राप्त रहे, जिनको चान्द्रादि परवर्ती वैयाकरणों ने भी तथैव स्वीकार किया है। अतः प्रतिपठित समान सूत्रों को दोनों ने ही अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से प्राप्त किया हो।

कुछ अन्य प्रकरणस्थ सूत्रों के सम्बन्ध में प्रातिशाख्यकार कात्यायन ने अधिक जटिलता तथा विस्तार कर पाणिनीय सूत्रों की अपेक्षा अधिक गौरव ही दिखलाया है। इस सम्बन्ध में यण् सन्धि, अयादि सन्धि, पूर्वरूप सन्धि आदि के वर्णन में सरलता को छोड़

प्रत्येक वर्ण को ग्रहण कर पृथक् पृथक् नियमों की परिकल्पना द्वारा अनपेक्षित अधिक विस्तार किया है। इस प्रकार का विस्तार पाणिनि के परवर्ती वैयाकरण नहीं करते, इसके विपरीत "कातन्त्र" आदि शाखा के वैयाकरणों ने इन विषयों को संक्षेप रूप में ही प्रस्तुत किया है। ऐसी ही स्थिति "प्रगृह्य" एवं "प्रकृतिभाव" के सम्बन्ध में भी दिखायी पड़ती है। वहाँ भी अनावश्यक विस्तार किया गया है।

वस्तु-स्थिति

१. उपर्युक्त मत का खण्डन करते हुए पं. युधिष्ठिर मीमांसक ने यह सिद्ध किया है कि वाररुच निरुक्त समुच्चय का लेखक भी वररुचि कात्यायन था। किन्तु वह कात्यायन हमारा वार्त्तिककार नहीं, अपितु वह पतञ्जलि से परवर्ती विद्वान् रहा। उस कात्यायन वररुचि ने निरुक्तसमुच्चय में अपने आश्रयदाता के सम्बन्ध में कुछ आभास तो अवश्य दिया है[1] फिर भी मीमांसक जी ने अनुमान लगाकर यह निष्कर्ष निकाला है कि निरुक्त समुच्चय का लेखक वररुचि विक्रम का समकालिक अथवा उसके आस-पास ही उसकी स्थिति रही हो।

२. मीमांसक जी ने वार्त्तिकार कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पौत्र तथा वाजसनेयि प्रातिशाख्यकार कात्यायन को एक ही व्यक्ति मानकर वैदिक और लौकिक व्याकरण के समीकरण की विशेषता दिखाई है। उनके इस कथन से यह पूर्णतया सिद्ध होता है कि याज्ञवल्क्य के पुत्र कात्यायन तथा उनके पुत्र वररुचि-अपरनामा-कात्यायन दोनों पृथक् व्यक्ति थे और प्रथम कात्यायन के पुत्र वररुचि ने अपने पिता का नाम अपने अनन्तर रखकर दाक्षिणात्य लोगों की नाम-परम्परा का भी दिग्दर्शन कराया है। महाराष्ट्र में आज भी नाम लिखने की वैसी परम्परा विद्यमान है जिसका कारण महर्षि पतञ्जलि का-प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः वाक्य प्रमाणित होता है। इस सम्बन्ध में मीमांसक जी ने स्कन्दपुराणान्तर्गत नागरखण्ड के उद्धरण आदि दिये है, जिनका निर्देश हम पहले कर चुके हैं। भ्रम केवल इस अंश में रहता है कि प्रथम कात्यायन वाजसनेय प्रातिशाख्य तथा कातीयश्रौतसूत्र के प्रारम्भक हैं या द्वितीय कात्यायन। मीमांसक जी ने यह भी विदित कराया है कि याज्ञवल्क्य-पुत्र-कात्यायन ने वाजसनेयि-शाखा का परित्याग कर आङ्गिरसशाखा को स्वीकार किया था[2]। यही कात्यायन शुक्ल-यजुर्वेद के आङ्गिरसायन की कात्यायन शाखा का प्रवर्तक है। इस सम्बन्ध में प्रातिशाख्य तथा पाणिनिसूत्रों की विषयगत समानता का

---

१. युष्मत्प्रसादादहं क्षपितसमस्तकल्मषः सर्वसम्पत्संगतो धर्मानुष्ठानयोग्यश्च जातः।।
(निरुक्त समुच्चय पृ. ५१ संस्क. २

२. एवं वाजसनेयानामङ्गिरसां वर्णानां सोऽहं कौशिकपक्षः शिष्यःपार्षदः पञ्चदशसु तत्तच्छाखासु साधीयक्रमः (प्रतिज्ञा परिशिष्ट, अण्णाशास्त्री द्वारा प्रकाशित, कण्डिका ३१ सूत्र ५)

निर्देश पहिले किया जा चुका है। विषय निर्विवाद न होने पर भी इतना तो कह सकते है कि ऐतिहासिक आधार पर कालगत सीमा को लेते हुए वार्त्तिककार कात्यायन पाणिनि के लगभग तीन सौ वर्ष (३००) के अनन्तर ही हुए। यद्यपि नागेश ने वार्त्तिककार को पाणिनि का साक्षात् शिष्य कहा है[1]। किन्तु इसमें अन्यत्र कोई प्रमाण नहीं, न किसी ग्रन्थकार ने इस प्रकार का उल्लेख किया है।

वार्तिकग्रन्थ

कात्यायन-कृत ग्रन्थ वार्तिक नाम से अभिधेय है। इसे "वृत्तिग्रन्थ" नहीं कहा जाता क्योंकि कात्यायन के वार्त्तिक पाणिनि-सूत्रों की क्रमशः व्याख्या नहीं है। अतः "वार्त्तिक" शब्द का अर्थ अनेक प्राचीन व्याख्याकारों ने भिन्न-भिन्न रूप में दिया है। यद्यपि वार्त्तिकों का स्वरूप अधिकतर गद्यात्मक एवं सूक्ष्म ही है। फिर भी मीमांसाशास्त्र में "श्लोकवार्तिक" विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वार्तिक नाम से व्यवहृत ग्रन्थों के दो प्रकार हैं। एक वार्तिक वे है जिनकी रचना सूत्रों पर आधारित है और उन पर भाष्य रचे गये। इसीलिए कात्यायनीय वार्तिकों के लिए "भाष्यसूत्र" शब्द का व्यवहार होता है। दूसरे वार्तिक ग्रन्थ वे है जो भाष्यों पर आधारित रहे हैं। वार्तिक का सर्वप्रसिद्ध लक्षण पराशर उपपुराण के अनुसार आज भी निम्नलिखित रूप में सर्वाधिक प्रचलित है-

"उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते।
तं ग्रन्थं वार्त्तिकं प्राहुर्वार्त्तिकज्ञा मनीषिणः।।"

इसी को राजशेखरकृत काव्यमीमांसा में और संक्षिप्त कर सूत्रात्मक रूप दे दिया है- "उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ता वार्तिकम्" वार्तिक शब्द पर हरदत्त, कैयट, नागेश प्रभृति विद्वानों ने भी प्रकाश डाला है। उपर्युक्त वार्तिकलक्षण के अतिरिक्त विष्णुधर्मोत्तरपुराण में भी वार्तिक शब्द की व्याख्या की गयी है। तदनुसार प्रयोजन, संशय, निर्णय, विशेष व्याख्यान, गौरव तथा लाघव, कृतव्युदास तथा उससे पूर्व अवर्णित विषय वार्तिक नाम से प्रख्यात हैं -

प्रयोजनं संशयनिर्णयौ च व्याख्याविशेषो गुरुलाघवं च।
कृतव्युदासोऽकृतशासनं च स वार्तिको धर्मगुणोऽष्टकश्च।।

उपर्युक्त लक्षण अधिकांश रूप में कात्यायनीय वार्तिकों पर संगत होता है।

नागेशभट्ट ने भी इसी से मिलता-जुलता वार्तिक का लक्षण दो प्रकार से किया है-

---

१. द्रष्टव्य-संख्या वंश्येन (२/१/६५ पा.सू.) सूत्रस्य उदाहरण, द्वौमुनी-प्राणिनिकात्यायनौ, त्रिमुनि-भाष्यकृत् तौ च त्रिमुनिव्याकरण पर नागेश की अरुचि।

१. सूत्रेऽनुक्तदुरूक्तचिन्ताकरत्वं वार्तिकत्वम्। तथा उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ताकरत्वं हि वार्तिकत्वम्। काशिका के टीकाकार हरदत्त ने भी इस सम्बन्ध में अपना मन्तव्य विदित कराया है। जिसके अनुसार सूत्रकार के द्वारा विस्मृत अथवा अदृष्ट विषय को स्पष्टतः प्रतिपादन करने वाले विद्वान् "वाक्यकार" नाम से विदित है तथा उनसे अदृष्ट विषय का विवेचन भाष्यकार द्वारा किया जाता है -

यद् विस्मृतमदृष्टं वा सूत्रकारेण तत् स्फुटम्।
वाक्यकारो ब्रवीत्येवं तेनादृष्टं च भाष्यकृत्।।

वार्तिक के सम्बन्ध में कैयट कुछ और आगे बढ़े हैं। उनका दृष्टिकोण अधिक व्यापक होता हुआ दिखाई पड़ता है। अतः कैयट वार्तिक ग्रन्थ को "व्याख्यान सूत्रों" के रूप में मानते है। तदनुसार कैयट वार्तिकों को पाणिनीय मूलभूत सूत्रों का व्याख्यान ही स्वीकार करते हैं। कैयट ने इस प्रकार की व्याख्या महाभाष्य का अनुसरण कर की है, क्योंकि पतञ्जलि ने इस शब्द के व्यापक तात्पर्य के भीतर उदाहरण, प्रत्युदाहरण तथा वाक्याध्याहार इन तीनों को समाविष्ट किया है। भाष्यकार ने वार्तिक-ग्रन्थ की इयत्ता निर्धारित न करते हुए यह भी कहा है कि वार्तिकों में केवल सूत्र सम्बद्ध विस्तार अथवा परिष्कार ही विवेचित नहीं है, अपितु कहीं-कहीं सूत्रों में कथित विषय का प्रत्याख्यान करना भी वार्तिककार का ध्येय है-"इदं किञ्चिदक्रियमाणं चोद्यते, किञ्चिच्च क्रियमाणं प्रत्याख्यायते" (महाभाष्य ३.१. १२)। ये दोनों वैशिष्ट्य प्रकारान्तर से वार्तिक के लक्षणोक्त अनुक्तचिन्ता तथा उक्त-चिन्ता के प्रतीक हैं। पद्मभूषण आचार्य पं. बलदेव उपाध्याय ने वार्तिक के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए पतञ्जलि के अनुसार उक्तानुक्तचिन्ता तथा प्रत्याख्यान को ही वार्तिक अभिलक्षित किया है। तथा कैयट ने इसी मत का विशलेषण किया है। कारण यह है कि उक्तानुक्त चिन्ता अल्पवुद्धि वालों के लिए अपेक्षित है तथा प्रत्याख्यान श्रोताओं तथा पाठकों की प्रतिपत्ति की दृष्टि से किया जाता है[1]।

इन विचारकों से बहुत पूर्व भर्तृहरि ने अपने महाभाष्य की भाव प्रबोधिनी व्याख्या करते हुए यथा स्थान "वार्तिकों" के रहस्य का उद्घाटन किया है। लौकिक दृष्टि से उनका व्याख्यान सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण प्रामाणिक है। भर्तृहरि के मत में "वार्तिक" "भाष्यसूत्र" की महनीय संज्ञा का प्रतिरूप है। यह नाम सर्वथा सार्थक है। वस्तुतः वार्तिक भाष्यकार के द्वारा सूत्रों का विश्लेषण करने में गम्भीरार्थक वाक्यों की निष्पत्ति का सर्जन ही वार्तिकों के स्वरूप का निर्णायक वन जाते है। वार्तिकों के स्वरूप का निर्णय किये जाने

---

१. अबुध-बोधनार्थं तु किञ्चिद् वचनेन प्रतिपाद्यते न्याय-व्युत्पादनार्थं च आचार्यः किञ्चित् प्रत्याचष्टे नहि अनेकः पन्थाः समाश्रीयते।। कैयट, प्रदीप ७. २. ६६

पर भाष्यकार ने उनका आधार लेकर पाणिनिसूत्रों का अवबोधन कराया है। भाष्यकार अपने इस प्रयत्न में पूर्णतः सफल हुए हैं। अतः भर्तृहरि ने भी भाष्यकार के इस गूढ़ाशय का अनुसरण कर अपने को धन्य माना है और कहा भी है कि महाभाष्यकार ने (क) गुरु लाघव का अनाश्रयण तथा (ख) लक्षण प्रपञ्च का आश्रयण करना ही वार्तिकों का प्रमुख उद्देश्य माना है। फिर भी वार्तिक के इस लक्षण का पाणिनि[1] सूत्रों के साथ तुलनात्मक विचार करने पर दोनों के लक्षणों में सामीप्य होते हुए भी सन्निकटता का कहीं-कहीं अभाव परिलक्षित होता है- क्योंकि पाणिनि-सूत्रों में सर्वत्र गुरुलाघव का पूर्ण विचार किया गया है तथा लाघव की ओर समधिक दृष्टि है। परन्तु वार्तिकों में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस विषय में सूत्रों से वार्तिकों में यह अन्तर विद्यमान है कि सूत्र अपने में पूर्णतः समर्थ है तथा वार्तिक परवश होने के कारण अपने में सामर्थ्यरहित हैं। तथापि उनमें (वार्तिकों में) सूत्रों के समान लक्षण प्रपञ्च का समाश्रयण विद्यमान है। लक्षण का अर्थ है सामान्य नियम और प्रपञ्च का तात्पर्य विशेष रूप से है। पाणिनि की विशेषता यह है कि वह अपनी अष्टाध्यायी में बड़ी कुशलता के साथ प्रथमतः लक्षण का निरूपण करते हैं। तदनन्तर क्रमशः लक्षण के वैशिष्ट्य का प्रतिपादन करते हैं। किन्तु वार्तिक ग्रन्थ में भी इसी प्रकार का अनुसरण होते हुए भी पौर्वापर्य का अभाव खटकता है। इसके फलस्वरूप वार्तिक ग्रन्थ में कहीं-कहीं तो लक्षण के अनन्तर प्रपञ्च है और कहीं उसके पूर्व ही प्रपञ्च विद्यमान है। इस प्रकार वार्तिक ग्रन्थ अपने स्वरूप द्वारा पाणिनि के सामीप्य का अवबोधक हो जाता है।

वार्तिक और वृत्तियों में अन्तर

निष्कर्ष यह है कि वार्तिक वस्तुतः पाणिनि सूत्रों के व्याख्यानरूप होते हुए भी वे मौलिक हैं। फिर भी उनमें एक विशिष्टता और है, वह है दार्शनिक स्वरूपता। वृत्तिग्रन्थों की अपेक्षा वार्तिक-ग्रन्थों में दार्शनिकता अधिक होने से-इन दोनों प्रकार की व्याख्याओं में भेद होना स्वभावसिद्ध है। व्याकरणशास्त्र के आचार्यों को सर्वप्रथम व्याकरण-दर्शन के तात्त्विक स्वरूप की देन कात्यायन से ही मिली है। कात्यायन के द्वारा निर्धारित शब्दनित्यता को अभिलक्षित कर महर्षि पतञ्जलि ने शब्द-नित्यता के सिद्धान्त को महाभाष्य में सर्वप्रथम पल्लवित किया है, "सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे" (वार्तिक) कात्यायन को शब्दनित्यता की प्रेरणा प्राणिनि से ही प्राप्त हुई है। अतः भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्धों को नित्य बतलाते हुए सूत्रकार को भी इस सिद्धान्त का आरम्भक कहा है[2] इसके

---

१. भाष्यसूत्रे गुरूलाघवस्यानाश्रितत्वात् लक्षणप्रपञ्चयोस्तु मूलसूत्रेऽप्याश्रयणाद् इहापि लक्षणप्रपंचाभ्यां प्रवृत्तिः।-महाभाष्यदीपिका

२. नित्याः शब्दार्थसम्बन्धास्तत्राम्नाता महर्षिभिः। सूत्राणामनुतन्त्राणाम् भाष्याणाञ्च प्रणेतृभिः।। वाक्यप्रदीय काण्ड, १.११

अतिरिक्त अन्य वार्तिकों में भी प्रसङ्गानुसार व्याकरण दर्शन के तत्त्वों पर विवेचन किया गया है। यह विषय दार्शनिक विवेचकों के लिये स्पृहणीय है। इस प्रकार वृत्तिग्रन्थों से वार्तिक का पार्थक्य स्वतः विदित हो जाता है। वृत्तिग्रन्थों का प्रमुख उद्देश्य सूत्रार्थ, उदाहरण, प्रत्युदाहरण तथा उनसे सम्बद्ध अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने में अभिलक्षित होता है। वे दार्शनिक सिद्धान्तों से परिचित होते हुए भी प्रक्रिया के स्वरूप में उनका बलात् निवेश करने में दूर ही रहे। अतः वार्तिक और वृत्तिग्रन्थों के उद्देश्यों से सर्वत्र समानता ही विद्यमान है। इस समानता के प्रेरक कात्यायन ही रहे। कारण यह है कि किसी भी व्याख्या का मुख्य तात्पर्य होता है १. भाव को प्रकट करना, २. असंङ्गतियों को सुलझाना, ३. आक्षेपों का उत्तर देना तथा ४. त्रुटियों की ओर संकेत करना। इस प्रकार के व्याख्यान तत्त्वों की विद्यमानता कात्यायन के वार्त्तिकों में अन्तर्निहित है। फिर भी वृत्ति और वार्त्तिकों में शैली का पार्थक्य है।

मत-मतान्तर समीक्षा

महाभाष्य के गहन अध्ययन किये जाने के फलस्वरूप विद्वानों ने वार्तिकों की संख्या का अनुमान लगाया है। तदनुसार पाणिनीय सूत्रों (३९९५) पर कात्यायन के अधिकाधिक ४२६३ वार्तिकों का उल्लेख पो. वासुदेवशरण अग्रवाल ने किया है, किन्तु डॉ. प्रभुदयाल अग्निहोत्री ने वार्तिकों की संख्या ४२०० मानी है। कदाचित् यह विभेद वार्तिकों तथा इष्टियों के पार्थक्य के कारण रहा हो। अतः काशिकाकार का कथन "इष्ट्युपसंख्यानवती" सर्वथा प्रासङ्गिक है। अग्निहोत्री जी की निर्दिष्ट वार्तिक-संख्या के अनुसार १२५४ मूलसूत्र लिये गये है। कात्यायन के अतिरिक्त २६ पाणिनीय सूत्रों पर महाभाष्य में अनेक आचार्यों का वार्तिककार के रूप में उल्लेख हुआ है। १२५४ सूत्रों में से १०१ सूत्रों की व्याख्या कात्यायन ने की। ५३७ को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया तथा ८ सूत्रों का प्रत्याख्यान किया है। वार्तिकों के स्वरूप को देखते हुए अग्निहोत्री जी ने इन्हें आठ रूपों में प्रस्तुत किया है– १. सूत्र-व्याख्यान, २. सूत्रपदप्रयोजन, ३. सूत्र-प्रयोजन, ४. सूत्रपद-प्रत्याख्यान, ५. सूत्र प्रत्याख्यान, ६. शङ्कोद्भावन-समाधान, ७. सम्बद्धार्थकथन और ८. स्वतन्त्रार्थकथन। प्रायः ३६ सूत्रों पर पतञ्जलि ने कात्यायन और पाणिनि के विषयगत भेद को दिखाते हुए उन दोनों आचार्यो का पार्थक्य प्रतिपादित कर सूत्रकार का ही समर्थन किया है। पाश्चात्य विद्वानों की भ्रान्त धारणा का कारण वार्त्तिकों तथा भाष्यान्तरगत समीक्षा का ठीक से न समझना रहा। इन विद्वानों में बर्नेल, डा. गोल्टस्टूकर, वेबर प्रमुख रहे। वस्तुतः यह भ्रान्त धारणा उन विद्वानों की विषयगत पहुँच तक न होने के कारण रही। अतः उन्होंने कात्यायन को पाणिनि का कटु आलोचक बतलाया। इसका कारण उन विद्वानों ने केवल भाषा में कुछ नवीन शब्दों के आधार पर इस प्रकार परिकल्पना की। वे उन शब्दों में अन्तः प्रविष्ट न

हो सके। इन विद्वानों ने कात्यायन के "भगवतः पाणिनेः आचार्यस्य सिद्धम्" (भा. ८.४. ६८) वाक्य की ओर ध्यान नहीं दिया। अन्यथा वे कात्यायन को पाणिनि का समर्थक ही कहते। इस तथ्य को डा. कीलहार्न समझ पाये और उन्होंने यह अवधारणा की कि वार्तिकों का उद्देश्य यह है कि उनमें पाणिनि-सूत्रों पर आधारित शङ्काओं और आपत्तियों का निष्पक्ष या पूर्वाग्रह का विवेचन करना और निराधार आक्षेपों का खण्डन करना तथा उनका औचित्य सिद्ध करना है। इसके साथ ही कीलहार्न ने और अधिक स्पष्ट किया है कि जहाँ किसी प्रकार सूत्रों का समर्थन या औचित्य-सिद्धि सम्भव न हो वहाँ कात्यायन ने सूत्रों पर संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन प्रस्तावित किया है। डा. कीलहार्न ने वार्तिकों की सुन्दर समीक्षा भी की है। उनके मतानुसार भाष्य में उपलब्ध होने वाले वार्तिकों में अधिकांश कात्यायन के और थोड़ी सी इष्टियाँ पतञ्जलि की हैं। डा. कीलहार्न ने भाष्यकार के द्वारा वार्तिकों के व्याख्यान में प्रयुक्त कुछ साङ्केतिक शब्दों के सम्बन्ध में भाष्यकार की शैली की ओर संकेत करते हुए कुछ निष्कर्ष बतलाये है। उन्होंने यह आग्रह किया है कि भाष्यकार ने कात्यायन के वार्तिकों पर शङ्का व्यक्त करने के लिए कहीं-कहीं "चेत्" अव्यय का और अपना निजी निरूपण करते समय विशेषतया "यदि", "अथ" शब्दों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त भाष्यकार ने वार्तिक सम्बन्धी शंका-समाधान स्थलों में "न वा.....सिद्धं तु" आदि शब्दयोजना की है। किन्तु सैद्धान्तिक स्थलों पर "न वा...तत्रहि वक्तव्यम्" आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इतना होने पर भी डा. कीलहार्न कुछ विद्वानों-वेबर, बर्नेल आदि के दुराग्रह से बच नहीं सके। उन्होंने भी दबी जवान से भाषा के पूर्वापर विचारों से अपनी सहमति भी प्रकट की है। किन्तु डा. कीलहार्न इस बात को भूल गये कि पाणिनि और कात्यायन के मध्यवर्ती काल में जो वृत्तिकारों की अनुपलब्ध सामग्री रही तथा अष्टाध्यायी के विवरण में परम्परागत शब्दविवेचन हुआ- उन सब को संकलित, परिवर्धित तथा परिष्कृत कर कात्यायन ने पाणिनि की अष्टाध्यायी को महत्ता प्रदान की। वस्तुस्थिति तो यह है कि कात्यायन ने वार्तिक सूत्रों की रचना करके पाणिनीयशास्त्र को जीवनदान दिया। आगे चलकर इन्हीं वार्तिकों की खोज में भाष्यकार ने अपना जीवन समर्पित कर वार्तिकों का अस्तित्व स्वीकार कराया, यदि पतञ्जलि अष्टाध्यायी का विवरण करते हुए अपनी इष्टियों द्वारा वार्तिकों के स्वरूप का परिज्ञान न कराते तो आज का व्याकरण-जगत् वार्तिकों के वास्तविकरूप से वञ्चित रह जाता।

कात्यायन के समकालीन वार्तिककार

पाणिनीयाष्टक के पूरक कात्यायन के अतिरिक्त अन्य वार्तिककारों का उल्लेख भी यत्र-तत्र मिलता है। 'अष्टाध्यायी' की सूक्ष्मता तथा संक्षेप को स्पष्ट करने हेतु अन्य वार्तिककारों का अग्रसर होना पाणिनि की महत्ता का द्योतक है। यद्यपि उन वार्तिककारों

का समग्र कार्य तो प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी पतंञ्जलि से लेकर कैयट पर्यन्त ग्रन्थकारों नें अनेक वार्तिककारों का प्रसंगवश नामोल्लेख करते हुए उनके मतों का प्रतिपादन किया है। महाभाष्यकार ने दो वार्तिककारों का स्पष्टतः उल्लेख किया है-(१) कात्यायन तथा (२) कुणखाडव। वैयाकरण सम्प्रदाय में इन दोनों के अतिरिक्त भारद्वाजीय, क्रोष्ट्रीय और सौनाग भी प्रसिद्ध रहे है और भाष्य में भी इनके वचन उद्धृत हैं। तदनुसार भारद्वाज के दस और सौनाग के सात वचन प्रसिद्ध है तथा एक वचन क्रोष्ट्रीय का भी उपलब्ध है[1] इनके अतिरिक्त कुणखाडव का भी दो बार उल्लेख है। भट्टोजी दीक्षित ने 'शब्द कौस्तुभ' में एक काशिका का संकेत व्याघ्र के नाम से किया है। काशिका में भी वह श्लोक वार्तिक प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त श्री हरिदीक्षित के समकालिक श्री विश्वेश्वर पाण्डेय ने[2] भी उनका उल्लेख किया है। कैयट और नागेश ने महाभाष्य में गोनर्दीय, गोणिकापुत्र, अयक, अन्य तथा पूर्वाचार्य शब्दों से संकेतिक मतो के नामनिर्देश द्वारा भाष्यकार के ही वार्तिकों को अभिलक्षित किया है साथ ही सौर्य भगवान् और वैयाघ्र पदों आदि के पूर्वचार्यो के मतान्तर भी भाष्य में निर्दिष्ट हैं।

भारद्वाज-कात्यायन के समसामयिक अथवा तदुत्तरवर्ती वार्तिककारों में भारद्वाज विशेषतया प्रसिद्ध हैं। उन्हें पाणिनि द्वारा निर्दिष्ट सूत्रकार तो माना नहीं जा सकता। उनके सम्बन्ध में भी कोई प्रवल प्रमाण नहीं मिलते। फिर भी भाष्य में पठित 'भारद्वाजीयाः पठन्ति' आदि वाक्यों से उनकी विद्यमानता निःसंदिग्ध है। कहा जाता है कि भारद्वाजीय तन्त्र अत्यन्त विस्तृत था। वहिःसाक्ष्य ही इनके वार्त्तिको का स्वरूप तथा उनके विस्तार का अनुमापक हैं मीमांसक जी ने इसके दो स्थानों पर अन्तर प्रस्तुत किया है-

---

१. 'भारद्वाजीयाः पठन्ति' इस उपक्रम से प्रारम्भ करते हुए ये वचन उपलब्ध है। उनमें से 'एकदेशविकृतेरूपसंख्यानम् अनादेशचान, रूपान्यत्वाच्च,।। १.१.५६ भाष्य।।, यकृविणोः प्रतिषेधे।। ३ १.३८ भाष्य।।, णिश्रन्थि-ग्रन्थि ।।३.१.४८ भाष्य।।, नाविष्ठवतः।।६.४.१५५ भाष्य।।, घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिद्विकृतार्थम् ।।१.१.२० भाष्य।। ये कुछ अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कात्यायन के वचन पर जरा बल किया गया है। इसके अतिरिक्त।।१.२.५६, १.१.१२, १.३.६७, ३ १.३८, ३.१.४८, ३.१.८६, ४.१.७६, ६.४.१५५, ६.४.४७ इन सूत्रों पर भाष्य में भारद्वाज वचन दिये गये हैं। सौनाग के वचन २.२.१८, ४.१.७४, ४.१.८७, ४.३.१५५, ६.१.६६, ६.३.४३ सूत्रस्थ भाष्यों पर उपलब्ध हैं। क्रोष्ट्रीय का उल्लेख १.१.३ सूत्रस्थ भाष्य पर मिलता है। इन सब वार्तिकों का उल्लेख भाष्यकार ने अपने विधि नियम के समर्थन मे किया है।

२. द्विर्वचनेऽचि।।१.१.५६।।-सूत्रस्य व्याख्यावसरे पण्डित श्रीविश्वेश्वर पाण्डेयविरचित व्याकरणसिद्धान्त सुधानिधौ वैयाघ्रपद्यवार्तिकमेवम् उद्धृतम्-"तथैव नन्दिक्षीरस्वाम्यादिभिर्धातुपाठेषूदाहृतम्- शुष्किकाशुष्कपक्षांच शामिमानौजिढत् तथा इति वैयाघ्रपद्यवार्तिकेऽपि इकारपाठ एव साम्प्रदायिकः" इति शब्दकौष्तुभेऽप्येवमेव-'अतएव शुष्किका वैयाघ्रपदीयवार्तिके-जिशब्द एव पट्यते।। शब्दकौ. १.१ ५६

कात्यायन	भारद्वाज
१. घुसंज्ञायां प्रकृत्ति ग्रहणं शिदर्थम्	१. घुंसज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिद्विकृतार्थम।
२. यक्चिणोः प्रतिषेधे हेतुमण्णिश्रि	२. यक्चिणोः प्रतिषेधे णिश्रि-श्रन्थि-ग्रन्थि ब्रूनामात्मनेपदाकर्मकाणामुपसंख्यानम्

ब्रूञामुपसंख्यानम्[1]

प्रोक्तार्थ में तद्धित प्रत्ययों के विधान द्वारा तीनों वार्तिककारों-भारद्वाज, क्रोष्ट्र और सुनाग ने पाणिनि तंत्र पर ही वार्तिक लिखे यह निर्विवाद है।

सुनागः-इनके वात्तिकों के सम्बन्ध में भी महाभाष्यकार मौन ही हैं। भाष्य में सुनाग के मत का प्रत्याख्यान-दृष्टान्त प्रमाण स्वरूप है। कैयट ने भी उसका अनुमोदन किया है १. इसके अतिरिक्त 'पदमञ्जरीकार हरदत्त नें वार्तिको को सुनाग के शिष्यों की रचना बतायी है-'सुनागस्याचार्यस्य शिष्याः सौनागाः[2] श्री गुरुपद हलदार ने 'नाग' शब्द प्रयोग देखकर इन्हें नागवंशीय कहा है। इनके वार्तिकों के विस्तार के सम्बन्ध में भाष्यकार भी सहमत हैं। एतदेव च सौनागैर्विस्तरेण पठितम्[3] शृङ्गार प्रकाश में उल्लिखित महावार्तिककार सम्भवतः सुनाग ही हो तदनुसार उस वार्तिक का स्वरूप महाभाष्य (२.१.५१) में पठित है।[4] इनके अतिरिक्त काशिका, भाषावृत्ति, सरितरङ्गिणी, धातुवृत्ति, मल्लवादिकृत, द्वादशारनयचन्द्र की सिद्धभूरि की टीका आदि ग्रन्थ भी द्रष्टव्य हैं।[5]

क्रोष्टा-महाभाष्यकार, पतञ्जलि ने वार्तिककार क्रोष्टा का भी एक बार उल्लेख किया है-'परिभाषान्तरमिति च मत्वा क्रोष्ट्रीयाः पठन्ति नियमादिको गुणवृद्धी भवतो विप्रतिषेधेन इति (भा. १.१.३)।

कुणर वाडवः-इनका उल्लेख वाडव और कुणर वाडव नाम से भाष्य में उपलब्ध है। अनिष्टिज्ञो वाडवः पठति, कुणर वाडव संवाद।[6] इससे अधिक इनके सम्बन्ध में सूचनीय तथ्य नहीं हैं। 'नामैकदेशे नाम ग्रहणम् न्याय से ये दो नाम एक ही व्यक्ति को हो सकते हैं।

---

१. महाभाष्य ३.१.८९ सं.व्या.शा. इ. भा. १ पृ-३४०
२. पदमंञ्जरी ७.२.६७
३. महाभाष्य २.२.१८
४. उत्तरपदे नित्यसमासवचनमिति महावार्तिककारः पठति-शृंगार प्रकाश।
५. का.सू.७.२.१७, भा.वृ.७.२. १७, क्षी.त-'धातूनामर्थनिर्देशोऽयं प्रदर्शनार्थम् इति सौनागाय-मीमांसक-व्या.शा.इ.पृ.३४२, सिहंभूरि करोतेः कर्तृभावे च सौनागा हि प्रचक्षते
६. म.भा.८.२.१०६, ६.२.१४, ७.३.१

व्याघ्रभूति-इस सन्दर्भ में महाभाष्य से २.४.३६ सूत्र के अन्तर्गत उल्लिखित कुछ अंश कैयट के अनुसार व्याघ्रभूति विरचित है।[1] इसी प्रकार 'कातन्त्रवृत्ति पञ्जिकाकर्ता' त्रिलोचनदास 'काशिका' ७.१.६४ में, पठित एक श्लोक व्याघ्रभूति प्रणीत मानते हैं।[2] सुपद्यमकरन्दकार भी इनसे सहमत हैं[3] परन्तु न्यासकार ने उपर्युक्त वचन को आगम प्रोक्त माना है।[4] इनके अतिरिक्त काशिका (७.२.१०) में अनेक अनिट् कारिकाएं 'शब्दकौस्तुभकार भट्टोजी दीक्षित'[5] तथा 'धातुवृत्तिकार'[6] के मत में व्याघ्रभूति विरचित है। यद्यपि गुरु पद हालदार व्याघ्रभूति को महर्षि पाणिनि का शिष्य स्वीकार करते हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। वैयाघ्रपद्य-इस शब्द की निरुक्ति को अभिलक्षित कर इनके दो स्वरूप उपस्थित होते हैं (१) सूत्रकार (२) वार्तिककार। महर्षि पाणिनि ने गर्गादिगण में व्याघ्रकार शब्द पढ़ा है। तदनुसार अपत्यार्थ वाची 'यञ्' प्रत्ययान्त 'वैयाघ्रपद्य' निष्पन्न होता है। प्रोक्तार्थ 'छ' प्रत्यय के विधान से 'वैयाघ्रपदीय' पद निष्पन्न होता है। काशिका कार ने 'अष्टकाः पाणिनीयाः' के सदृश 'दशकाः वैयाघ्रपदीयाः[7] एवं 'दर्शकं वैयाघ्रपदीयं[8] उदाहरणों द्वारा इन्हें भी सूत्रकार के रूप में प्रस्तुत किया है। तदनुसार इनके शास्त्र का परिमाण दस अध्याय रहा हो। गणपाठ के अनुसार सूत्रकार के रूप में इनकी प्राचीनता पाणिनि पूर्व होनी चाहिए, किन्तु पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती दस आचार्यों के अतिरिक्त इनका नामोल्लेख नहीं किया है। महाभाष्य में अनेकत्र वैयाघ्रपद्य का उल्लेख होने से इनका वार्तिककार होना अधिक युक्ति-युक्त प्रतीत होता है। इस नाम के विद्वान व्याकरण शास्त्र के अतिरिक्त अनेक विषयों के रचयिताओं के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। शथपथ, जैमिनिब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद्, साङ्ख्यायन आरण्यक आदि में वैयाघ्रपद्य नाम उपलब्ध है। महाभारत में तो वैयाघ्रपद्य वसिष्ठ के १९ पुत्रो में प्रथम परिगणित है।[9] नामैक्य काल तथा शास्त्र के सम्बन्ध में भ्रान्ति का हेतु है।

अल्पाक्षर सूत्रों की अस्पष्टता को दूर करने के लिये अनेक वार्तिककार कटिबद्ध हुए, जिनमें कात्यायन की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही और उन्हें पाणिनीयाष्टक के पूरक की संज्ञा दी

---

१. अयमेव व्याघ्रभूतिनाप्युक्त इत्याह।
२. तथा च व्याघ्रभूतिः-संबोधने तूशनसस्त्रिरूपं सान्तं तथा नान्तं यथाप्यदन्तमिति
३. सुपद्य सुबन्त २४
४. न्यास ७.१.६४
५. थमित्रमन्तोष्वनिडेक इष्यते इति व्याघ्रभूतिना व्याहतस्य शब्दकौस्तुभ अ.१, पा.१, आ.२
६. तर्वि-तिपिमिति व्याघ्रभूतिवचन विरोधाच्च
७. सूत्राच्च कोपधात्।।४.२६५।। का उदाहरण
८. संख्यायाः संज्ञा संघसूत्राध्ययनेषु-५.१.५८ का उदाहरण
९. व्याघ्रयोन्यां ततो जाता वसिष्ठस्य महात्मनः। एकोनविंशतिः पुत्राःख्याता व्याघ्रपदादयः।। महा. अनु. ५३/३०।।

गयी। इतने पर भी उनके समकालीन तथा अनन्तरकालीन वैयाकरण संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने भी 'अष्टाध्यायी' के पूरक वार्तिककारों में अपना नाम सम्मिलित किया। पठन पाठन में अग्रसर विद्वानों ने भविष्य में स्वानुभूति से परिचित कराने हेतु वार्तिकों की व्याख्या (वृत्ति) लिखने का उपक्रम किया और यह प्रथा प्रत्येक शास्त्र में सतत बनी रहीं। इस परम्परा का अनुसरण कर कात्यायन वार्तिको पर भी अनेक वृत्तियां लिखी गयी। इन वृत्तिकारों में कतिपय विद्वानों का परिचय एवं कार्य विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।- (१) हेलाराज, (२) राघवसूरि तथा (३) राजरुद्र।

(१) हेलाराज तो 'वाक्यपदीय' के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। उनका क्षेत्र 'व्याकरण दर्शन' में अधिक व्याप्त है। वार्त्तिको में प्रकीर्ण दार्शनिक विषयों के वर्णन में इनकी लेखनी प्रामाणिक है। इनके द्वारा विरचित 'वाक्यपदीय' की टीका के अनुसार वार्त्तिक पाठ पर 'वार्त्तिकोन्मेष' नाम की टीका 'यथानामतथागुणः' है।[1]

आप भी कश्मीर के राजा मुक्तापीड के अमात्य लक्ष्मण के वंशज थे।[2] आपके पिता का नाम भूतिराज है। अभिनवगुप्त के अनुसार भूतिराज के पुत्र इन्द्रराज अभिनवगुप्त के गुरू थे। यदि दोनों भूतिराज एक ही व्यक्ति हो तो आप इन्दुराज के भ्राता होंगे। यह इन्दुराज और हेलाराज यदि दोनों भाई हो, तो इनका समय ९८५ ई. (१०३२ वि.) के आस पास होना चाहिए।

हेलाराज प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे, जिन्होंने क्रिया विवेक और अद्वयसिद्धि ग्रन्थ लिखे थे। वाक्यपदीय (प्रथम और द्वितीय खण्ड) की टीका 'शब्दप्रभा' और 'प्रकीर्ण प्रकाश' ग्रन्थ भी इनकी कृतियां है। 'राजतरंगिणीकार कह्लण ने काश्मीर नरेशों की चरितावली के रचयिता किसी हेलाराज द्विजन्मा का उल्लेख किया है, ये वार्त्तिक व्याख्याकार हेलाराज से भिन्न हैं अथवा नहीं यह अन्वेषणीय है।

इनके अतिरिक्त वार्त्तिको के दो व्याख्याकारों का उल्लेख मीमांसक जी ने अपने इतिहास में किया है। इसका आधार भी उन्होंने मद्रास के राजकीय पुस्तकालय स्थित हस्तलेख सूची में वर्णित ग्रन्थों का नाम निर्देश माना है। इन दोनों में से प्रथम 'अर्थप्रकाशिकाकार श्री राघवसूरी हैं। द्वितीय विद्वान् श्री राजरुद्र भी वहीं उल्लिखित हैं। इनके विषय में यह अधिक ज्ञात है कि इन्होंने काशिका के अन्तर्गत श्लोक वार्त्तिको का व्याख्यान किया है। इसके सम्बन्ध में यह पुष्पिका प्रमाण है-इति राजरुद्रीये (काशिका) वृत्ति श्लोकव्याख्यानेऽष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पाठः।

---

१. वाक्यकारस्यापि तदेव दर्शनमिति वार्त्तिकोन्मेषे कथितमस्माभिः। इत्यादि

२. मुक्तापीड इति प्रसिद्धिमगमत् कश्मीरदेशे नृपः। श्रीमान् ख्यातयशा बभूव नृपतेस्तय प्रभावानुगः।।
मन्त्री लक्ष्मण इत्युदारचरितस्तस्यान्वयाये भवो। हेलाराज इमं प्रकाशमकरोच्छ्रीभूतिराजात्मजः।।
वाक्यपदीय (तृतीयकाण्ड) की टीका का अन्तिम पद्य

इन वार्त्तिककारों के ग्रन्थों के विषय में अधिक ज्ञान नही है।

महर्षि पाणिनि के अनन्तर कात्यायन प्रभृति वार्त्तिककारों ने अष्टाध्यायी के पूरक स्वरूप वार्तिकों का निबन्धन कर महर्षि पतञ्जलि को महाभाष्य रचना के लिए प्रचुर सामग्री दी। वस्तुतः कात्यायन ने अष्टाध्यायी के विषय को पल्लवित कर सूत्र परक तथा अन्य चार स्वरूपों में वार्त्तिको की प्रस्तुति करते हुए अभिव्यञ्जित किया। ये चार स्वरूप हैं-(१) विवेचनात्मक (२) चिकित्सात्मक (३) व्याख्यानात्मक और (४) प्रवचनात्मक है। सूत्रों के इन चतुर्विध वार्तिकों ने पाणिनीयाष्ट को सम्भवतः मौलिक स्वरूप प्रदान किया है, जो भाषा वैज्ञानिकों को पूर्णतया मान्य है। स्वरूप की दृष्टि से वार्त्तिक लधु तथा श्लोक वद्ध रचे गए हैं। श्लोक वार्त्तिकों की परम्परा दर्शनशास्त्र में भी उपलब्ध है। उनके लघुस्वरूप सांराश की दृष्टि से और श्लोक स्वरूप कण्ठस्थीकरण की दृष्टि से लिपिबद्ध है। यद्यपि स्वभावतः सूत्र परक वार्त्तिको की संख्या अधिक है, तथापि उपरिअङ्कित चतुर्विध स्वरूप के वार्त्तिक भी प्रचुर संख्या में है। आम सूत्रों की अपेक्षा वार्त्तिको की संख्या अधिक होना स्वाभाविक है।

भाष्यकार ने प्रथम वार्त्तिक-सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे-अभ्युस्थान करते हुए शब्दार्थ युगल की नित्यता सिद्ध कर व्याकरणशास्त्र की दार्शनिकता प्रतिपादित की है। व्याकरण दर्शन के साधन चतुष्टय का प्रतिपादन दार्शनिकता पर अवलम्बित है। तदनुसार (१) शब्दार्थ युगल प्रमुख तत्त्व (२) प्रकृतिपुरुषयुगल के समान नियम सम्बन्धता सम्बन्ध (३) अर्थ सहित शब्दज्ञान, तत्त्व ज्ञान और (४) अष्टाध्यायी अध्ययन साधन है इस तत्त्व को वार्त्तिको के सूक्ष्म अनुसन्धाता ही हृदयङ्ग कर सकते हैं।

पतञ्जलि

परिचयः-पाणिनीय व्याकरण का स्वर्णिम प्रभात महर्षि पतञ्जलि के प्रादुर्भूत होते ही मध्याह्न के क्षितिज पर पहुँच गया। पतञ्जलि के प्रदीप्त प्रकाश द्वारा संस्कृत व्याकरण खरी कसौटी पर उतर गया और उसकी विशुद्धता भू-मण्डल में अनन्त काल के लिए स्थिर हो गयी। भले ही अनभिज्ञजन संस्कृत व्याकरण को अपरिवर्तित न हाने के कारण नवीन कल्पना एवं भाषा की प्रगति का बाधक समझें, किन्तु संस्कृत भाषा की एकरूपता स्थिर रखने में "मुनित्रय" की रचनायें शाश्वत रहेंगी।

संस्कृत व्याकरण के तीनों ऋषियों में पतञ्जलि सर्वाधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। उनकी अमरकृति "पातञ्जलमहाभाष्य" ने संस्कृत व्याकरण के अध्येता को विशाल दृष्टि देते हुए शब्दविषयक उहापोह के लिए फिर कोई अवसर नहीं दिया। इसी कारण व्याकरण-जगत् में "यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्" उक्ति चरितार्थ हो गयी।

संस्कृत व्याकरण के इतिहास में पतञ्जलि से ही तिथियों का निश्चय आरम्भ होता है। आधुनिक इतिहास के विद्वान् अन्तःसाक्ष्य के आधार पर महर्षि पतञ्जलि को शुंग-वंशीय शासक पुष्यमित्र का समकालिक मानते हैं। ये इतिहासज्ञ पतञ्जलि द्वारा प्रवर्तित-"इह पुष्यमित्रं याजयामः" (३.२.१२३ महाभाष्य) वाक्य के आधार पर वर्तमानकालिक क्रिया प्रयुक्त किये जाने के कारण अग्निमित्र के पुत्र पुष्यमित्र का समवर्ती सिद्ध करतें हैं। पुष्यमित्र का यज्ञ कराना अग्निमित्र की युद्ध में विजय का द्योतक है।-"प्रवृत्तस्या विरामे शासितव्या अवन्ती" काण्ववंशीय राजा ब्राह्मण थे। इस वंश के प्रवर्तक पुष्यमित्र ने तत्कालीन अवशिष्ट मौर्यवंशीय बौद्धराजाओं को पराजित कर पुनः याज्ञिकप्रक्रिया को प्रतिष्ठित कराने हेतु विजय के उपलक्ष्य में दो बार अश्वमेध यज्ञ किया था। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में इसी यज्ञ का निर्देश किया है। अन्तःसाक्ष्य के अनुसार एक दूसरी घटना भी पतञ्जलि के कालनिर्धारण में सहायक रही है। प्रसङ्ग वश महाभाष्यकार के कालविभाजक प्रकरण में भूतकाल की सूक्ष्मता के परिचायक "अनद्यतन भूत" अर्थ में "लङ्" लकार होने के सम्बन्ध में उसके उदाहरण स्वरूप वाक्यों में जिन दो घटनाओं का उल्लेख किया है, वे पतञ्जलि के समय में ही हुई थीं। "लङ्" लकार का प्रयोग "परोक्ष" सत्ता के अभाव को सूचित करने के लिए किया गया है। कहाँ तो "काल" की सूक्ष्मता और कहाँ घटना की सत्यता ? इन दोनों में सामञ्जस्य दिखलाकर अपनी विद्यमानता को प्रमाणित कर इतिहास की भ्रान्ति को दूर कर दिया है। तदनुसार भाष्य में तृतीयाध्यायस्थ (३.२.१११) "अनद्यतने लङ्" सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है-"परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुर्दर्शनविषये लङ् वक्तव्यः। अरुणद्यवनः साकेतम्। अरुणद् यवनो मध्यमिकाम्। परिणामतः यवन के द्वारा साकेत (प्राचीन अयोध्या) तथा मध्यमिका (चित्तौर की समीप

नगरी) के अवरोध की घटना पतञ्जलि के जीवन काल में ही सम्पन्न हुई थी यह यवन आक्रामक "मिनाण्डर" के ग्रीक नाम से प्रख्यात था जो बौद्ध हो जाने पर "मिलिन्द" कहलाया। पंजाब तथा अफगानिस्तान पर वह १३२ ई.पू. के आस-पास शासन करता था। इन उदाहणों के आधार पर महाभाष्य की रचना का काल ई. पू. द्वितीयशती का मध्य अथवा २०० वि. पू. (१५० ई. पू.) के आस-पास स्वीकार किया गया है। शुंगकालिक वैदिक धर्म के अभ्युदय के साथ महाभाष्य जैसे वेदज्ञानोपयोगी व्याकरण ग्रन्थ की रचना की संगति भी ठीक बैठती है। फलतः इस ब्राह्मण युग में पतञ्जलि की स्थिति मानना नितान्त औचित्यपूर्ण है।

देश एवं व्यक्तित्व

यद्यपि पतञ्जलि के जीवन के विषय में प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती, फिर भी उस सामग्री में अनेक-रूपता दृष्टिगत होती है। सर्वप्रथम "रामभद्र दीक्षित" विरचित पतञ्जलिचरित" में इन्हें शेषावतार कहा गया है। यह अनुश्रुति आज भी वाराणसी में सर्वप्रसिद्ध है। यहाँ "नागकूप" (नागकुआँ) नामक स्थान से पतञ्जलि का सम्बन्ध जोड़ा जाता है। और उनकी स्मृति में चिरकाल पर्यन्त दर्शन और शास्त्रार्थ होते रहे हैं। उपर्युक्त ग्रन्थ के अनुसार भगवान् विष्णु शिव के ताण्डव नृत्य को मनश्चक्षुओं से देखते-देखते ध्यानमग्न हो गये। उनके स्थित भार से शेषनाग को अत्यन्त त्रास हुआ। ध्यान टूटने पर शेष ने विष्णु से उनके अपूर्व गुरुभार का कारण पूछा। विष्णु द्वारा मनोरम वर्णन सुनकर शेष के मन में भी ताण्डव देखने की इच्छा हुई। शेष के प्रार्थना करने पर विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि भगवान् नीलकण्ठ की कृपा से पाणिनि ने व्याकरण-शास्त्र तथा कात्यायन ने उस पर वार्तिकों की रचना की है। वे वार्तिक अत्यन्त कठिन हैं। नीलकण्ठ भगवान् तुम्हें उन वार्तिकों का भाष्य करने की आज्ञा देगें। तब तुम उनकी आज्ञा से भूतल पर अवतार लेकर चिदम्बर-क्षेत्र को जाओगे और वहाँ शिव- नृत्य का दर्शन करोगे। तदनुसार भू-मण्डल पर स्वानुरूप माता की चिन्ता में भ्रमण करते हुए एक तपोवन में शेष ने, "गोणिका" नाम की मुनिकन्या देखी, जो पुत्र प्राप्ति की कामना से अखण्ड तप में संलग्न थी। उसे देखकर शेष ने मन में उसे मातृरूप में स्वीकार कर लिया। और एक दिन जब वह भगवान् सूर्य को अर्घ्य दे रही थी तब तापस का रूप धारण कर अंजली से नीचे गिर पड़े। और फिर ज्यों ही प्रणाम के लिए माता के चरणों पर झुके कि तब माँ ने उठाकर कहा-तुम मेरी अंजलि से नीचे गिरे हो, अतः तुम्हारा नाम पतञ्जलि होगा। पतञ्जलि ने बाल्यावस्था में ही अपनी अखण्ड तपश्चर्या के द्वारा शिव को प्रसन्नकर चिदम्बर-तीर्थ में शिव-नृत्य का दर्शन किया। वहीं शिव ने उन्हें पदशास्त्र वार्त्तिकों पर भाष्य करने का आदेश दिया। तदनुसार उन्होंने व्याख्या की। उनके अध्यापन करते समय छात्रों तथा पतञ्जलि के मध्य परदा पड़ा रहता

था। विभिन्न विषयों की व्याख्या को एक ही समय सुनते हुए अध्येताओं को बड़ा आश्चर्य होता रहा। जिसके फलस्वरूप एक दिन छात्रों ने उस आवरण को हटा दिया और शिष्यवर्ग शेष रूप के तेज से भस्म हो गये। केवल एक शिष्य बाहर रहने के कारण बचा रहा। और उसे भी बिना आज्ञा के बाहर जाने से पतञ्जलि द्वारा अभिशप्त होने से उसे राक्षस शरीर धारण करना पड़ा। छात्र के अनुनय पर प्रसन्न होकर "शेष" ने यह आज्ञा दी कि "पच्" धातु से निष्ठा प्रत्ययान्त रूप सिद्ध करने वाले व्यक्ति को ही भाष्य पढ़ाना इससे तुम शाप-मुक्त हो जाओगें। फिर पतञ्जलि वहाँ से तिरोहित हो गोनर्द देश को प्राप्तकर अपनी माता "गोणिका" को प्रणाम किया और माता के स्वर्गस्थ हो जाने पर वे शेष रूप को प्राप्त हो गये। इनके सम्बन्ध में यह भी प्रसिद्धि है कि इन्होंने "योगसूत्र" एवं वैद्यकशास्त्र के भी ग्रन्थ लिखे।[1]

उपर्यक्त कथानक में कल्पनांश अधिक होने पर इतना तो अवश्य है कि पतञ्जलि "गोणिका"-पुत्र तथा "गोनर्द"-निवासी के रूप में प्रसिद्ध रहे। कामसूत्र में भी पतञ्जलि के लिए गोनर्दीय और गोणिका-पुत्र नामों का उल्लेख है। अन्यत्र नागनाथ, वासुकि, अहिपति, फणी, फणिभृत्, चूर्णिकार और पदकार आदि नामों से भी इन्हें स्मरण किया जाता है। यादव प्रकाश आदि कोशकारों ने "गोनर्दीय" को पतञ्जलि का पर्याय माना है। नागेश, भर्तृहरि तथा कैयट आदि भी गोनर्दीय को पतञ्जलि का अपरनाम स्वीकार करते हैं। स्वयं भाष्यकार ने भी इन "गोनर्दीयस्त्वाह" नामों में से गोर्नदीय का प्रयोग चार बार किया है[2]।

"गोनर्दीय" शब्द "गोनर्द" प्रदेश अथवा स्थान के निवासी के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस उक्ति के द्वारा उस स्थान के निवासी ने अपनी जन्मभूमि होने के महत्व को भी दर्शाया है-यह बात निर्विवाद है। पतञ्जलि "गोनर्द" प्रदेश के निवासी रहे या नहीं-इस प्रश्न के उत्तर में अधिकतर विद्वानों की सम्मति इसके पक्ष में ही है। वही तर्कसंगत जान पड़ती है।

---

१. सूत्राणि योगशास्त्रे वैद्यकशास्त्रे च वार्तिकानि ततः कृत्वा पतञ्जलिमुनिः। प्रचारयामास जगदिदं त्रातुम्। गोनर्दाख्यं देशं प्राप्य नमस्कृत्य गोणिकां जननीम् तस्यां त्रिदिवगतायां तस्याः शेषः स्वयं स मुनिः (ग्रन्थ पतञ्जलिचरित, ५-२५, २६)

२. (क) आद्यन्तवदेकस्मिन् (१.१.२१) सूत्र के भाष्य में "आदि" और "अन्त" की "अपूर्वलक्षण आदिरनुत्तरलक्षणान्तः" इस परिभाषा में "सति त्वन्यस्मिन्" यह जोड़ने का परामर्श दिया है।
(ख) न बहुव्रीही (१.१.२९) सूत्र के भाष्य में वे "अकच्स्वरौ तु कर्तव्यौ प्रसङ्गमुक्तसंशयौ" निर्वचन करते हुए "त्वकत्पितृकः" मकत्पितृकः प्रयोगों का समर्थन किया है।
ग. तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् (३.१.९२) सूत्र पर विचार करते हुए भाष्यकार ने काशकटीकारम्" प्रयोग का समर्थन करने में अपने मत को "इष्टमेवैतद् गोनर्दीयस्य" कथन से पुष्ट किया है। तथा
(घ) जराया जरसन्यतरस्याम् (७.२.१०१) सूत्र के भाष्य मे "अतिजरम्, अतिजरैः" प्रयोगों के समर्थन में "गोनर्दीय आह इष्टमेवैतत् सङ्गृहीतं भवति" का उल्लेख किया है।

कुछ विद्वान् "कश्मीर" को पतञ्जलि की जन्मभूमि मानने का आग्रह करते हैं किन्तु पतञ्जलि ने "गोनर्दीयस्त्वाह" के समान "कश्मीरजस्त्वाह" कथन नहीं किया है। यद्यपि वे उस शारदाक्षेत्र में अध्ययनार्थ अथवा विचार-विमर्शार्थ गये तथा भारतवर्ष की स्वर्गभूमि कश्मीर से उनका विशेष लगाव रहा हो, फिर भी कश्मीर उनकी जन्मभूमि अन्तःसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं होती, हाँ कश्मीर उनका अस्थाई निवास अवश्य रहा हो[1]।

महाभाष्य का विभाजन

प्रथमाह्निक में पतञ्जलि ने अष्टाध्यायी के अनुरूप सूत्रों को अभिलक्षित कर तथा प्रतिदिनात्मक अध्यापन के विषय को अभिलक्षित कर "आह्निक" के नाम से व्याख्या का विषयभेद बतलाया है। इन आह्निकों की संख्या ८५ है। इस प्रकार समग्र महाभाष्य को उन्होंने ८५ दिनों में पूर्णकर छात्रों को पढ़ा दिया। तदनुसार पतञ्जलि ने प्रथमाध्याय के प्रथम पाद कों ९ आह्निकों में विभक्त किया है। विषय की गम्भीरता को देखकर पतञ्जलि का यह विभाजन बड़ा महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से नवाह्निक का अध्ययनाध्यापन अद्यावधि चला आ रहा है। इसके अन्तर्गत अधिकतर महत्वपूर्ण प्रक्रियांश समाविष्ट हो गया है। यह प्रथमाह्निक प्रस्तावना के सदृश ग्रन्थ की महत्ता को सूचित करता है। इसके प्रथम आह्निक को भाष्यकार ने "पस्पशाहिक" संज्ञा दी है। इसका अर्थ दूर से निरीक्षण करना अथवा "किसी वस्तु को निर्बाध रूप से देखना है। 'पस्पशा' शब्द का यह अर्थ व्युत्पत्तिलभ्य है। पस्पशा शब्द की व्युत्पत्ति यह दर्शायी गयी है-स्पश् (अपपूर्वक) + अ स्त्रीलिङ्गबोधक) = अप-स्पश् + अ, पस्पशा (अकारलोप तथा टाप्) इस शब्द को अभिलक्षितकर माघ कवि ने शिशुपालवध के द्वितीय सर्ग में "अपस्पशा" शब्द का प्रयोग किया है-"अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना। शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा"। वैयाकरण "पस्पशा" शब्द की व्युत्पत्ति दूसरे रूप में कराते है-स्पश् धातु से यङ्लुगन्त में "अ" प्रत्यय कर स्त्रीलिङ्ग में टाप् होकर इस शब्द को सिद्ध किया है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार पस्पशा शब्द "सूक्ष्मनिरीक्षण" अर्थ का द्योतक होता है। पस्पशा शब्द का यह यौगिक अर्थ महाभाष्य के प्रथम आह्निक के विषय को अभिव्यञ्जित करने में पूर्णतया सार्थक होता है। पस्पशाह्निक में प्रमुख रूप से अष्टाध्यायी में प्रतिपाद्य-विषय की पूर्णतया अभिव्यक्ति हुयी है और उसमें पतञ्जलि ने व्याकरण के अध्ययन स्वरूप प्रयोजनों का मुख्यतया वर्णन किया है।[2] इसके साथ ही व्याकरण के मूलभूत "शब्द" को ध्वनिपरक मानते हुए उसके उच्चारण करने से तद्वाचक वर्णस्वरूप समष्टि के द्वारा पृथक्-पृथक् अर्थ को ग्रहण करते हुए द्रव्य, गुण, क्रिया

---

१. द्रष्टव्यः- विभाषा साकाङ्क्षे (३.२.११४) किमुदाहरणम् ? अभिजानासि देवदत्त कश्मीरान् गमिष्यामः। तत्र सक्तून् पास्यामः। अभिजानासि देवदत्त, कश्मीरानगच्छाम तत्र सक्तूनपिबाम।

२. रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्। म. भाष्य (आह्नि०)

व आकृति का ज्ञान कराया है। अर्थात्-शब्द-द्रव्य, गुण, क्रिया तथा आकृति से भिन्न है। इसी ध्वनिवाचक शब्द को भर्तृहरि का अनुसरण कर प्रदीपकार कैयट ने क्षणिक ध्वनि की अपेक्षा भिन्न नित्य स्फोट रूप माना है। आगे चलकर भट्टोजिप्रभृति वैयाकरणों ने लौकिक व्यवहार में सामञ्जस्य स्थापित करने के लिए वाक्यस्फोटादि ८ प्रकारों की कल्पना की है, जिसका वर्णन उन अध्यायों में किया गया है। "शब्द" के प्रसङ्ग में ही भाष्यकार ने उसके निर्वचन के साथ व्याकरणशास्त्र के पर्यायवाची "शब्दानुशासन" की सार्थकता के फलस्वरूप महाभाष्य ने प्रथममाङ्गलिक वाक्य "अथ शब्दानुशासनम्" की सार्थकता सिद्ध की है। तदनन्तर क्रम प्राप्त व्याकरणशास्त्र के पाँच प्रयोजनों का विस्तार के साथ निरूपण किया है। ये पाँचों प्रयोजन वैदिक और लौकिक शब्दों के शुद्ध स्वरूप निर्धारण करने में हेतुभूत बतलाएँ हैं। शब्दनिरुक्ति के साथ ही शब्द और अर्थ का सम्बन्ध भी नित्य है-इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में कात्यायन के प्रथमवार्तिक-"सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे" का उल्लेख करते हुये वार्तिककार का मत अभिव्यक्त किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि व्याकरण-दर्शन का उद्भव कात्यायन से भी पूर्वकाल में हो चुका था, जिसकी पुष्टि भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में ग्रन्थारम्भ करते ही निरूपित की है-"नित्याः शब्दार्थसम्बन्धास्तत्राम्नाता महर्षिभिः। सूत्राणामनुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः।"

द्वितीय आह्निक

महाभाष्य के द्वितीय आह्निक में शब्द योजना के हेतुभूत वर्णो का दिग्दर्शन कराने हेतु वर्णसमाम्नाय के द्योतक प्रत्याहार सूत्रों का विवरण किया है। ये चौदह सूत्र माहेश्वर सूत्रों के नाम से विख्यात हैं। अ इ उ ण् इत्यादि चौदह माहेश्वर सूत्रों में ९ स्वर वर्ण तथा ३३ व्यञ्जन वर्ण पठित हैं। इस वर्णसमुदाय को मातृका-वर्ण भी कहा जाता है। इनके दीर्घादिभेदों को वर्णसमाम्नायमें पृथक् नहीं दिखाया गया है। लाघवात्मक प्रवृत्ति का सर्वप्रथम यही निदर्शन है। लाघवप्रवृत्ति के लिये ही इत्संज्ञक वर्णों का समावेश कर प्रत्याहार की सिद्धि द्वारा स्वल्प शब्द से ही अनेक वर्णो का बोध कराना महत्त्वसूचक है। इस प्रकार प्रत्याहारों की कल्पना द्वारा पाणिनि ने "४२" सङ्ख्या में ही सबको सीमित कर दिया है। तदनुसार भाष्यकार ने यह सूचित किया है कि इत्संज्ञक वर्णो को छोड़कर अन्य अवान्तरभेदों को सम्मिलित करते हुए कुल वर्ण ६३ हैं तथा दुः स्पृष्ट (ळ) को सम्मिलितकर कुल वर्ण ६४ हो जाते हैं-"त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः"।[1] इनका निर्वचन इस प्रकार किया गया है-२२ स्वर, २४ व्यञ्जनों, ४ अन्तःस्थ वर्ण, ४ ऊष्मवर्ण, ४ यम, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार तथा विसर्ग एवं दुःस्पृष्ट (ळ)। इस स्पष्टीकरण में वार्तिककार की मौलिक देन को भाष्यकार ने मान्यता दी है। इस आह्निक में "अ" कार सम्बन्धी संवृत एवं विवृत्त प्रयत्नजन्य विवाद को सुलझाकर भाष्यकार ने सिद्धान्त संबंधी

---

१. पाणिनीयशिक्षा

अपनी मुहर लगा दी है। इसके अतिरिक्त प्रत्याहारों पर विचार करते हुए माहेश्वर सूत्रों में "ह" कार के दो बार उच्चारण करने का कारण भी स्पष्ट किया है। इसके साथ ही "ऋलृक्" सूत्र में वार्तिककार द्वारा "लृ" कार सम्बन्धी शंका के प्रति उदासीनता दिखाते हुए "लृ" की स्थिति का समर्थन किया है। पं. अभ्यंकरजी ने इस प्रकार के निर्वचन को भाष्यकार की विनोदप्रिय शैली माना है।[1] प्रत्येक वर्ण का किसी पद में अर्थ न होते हुए वर्णसमूहात्मक पद में ही अर्थवत्त्वका विधान प्रतिपादित किया है। इसी के साथ ही भाष्यकार ने दो बार "ण" कार के इत्संज्ञक होने का फल भी स्पष्ट किया है, जो "पूरेणैवेणग्रहाः सर्वे पूर्वेणैवाणग्रहा मताः। तदन्तर प्रत्येक प्रत्याहार सूत्र का यथाक्रम उद्देश्य वर्णित किया है। सर्वान्त में वर्णो के पर्यायवाची शब्द "अक्षर" का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ "नित्य" रूप में स्वीकार करते हुए वर्णवैशिष्ट्य को ध्वनित किया है।

तृतीय आह्निक

अष्टाध्यायी का विवरण इस आह्निक से प्रारम्भ होता है। प्रथम सूत्र में "वृद्धि" शब्द को मङ्गलार्थक सूचित करते हुये महर्षि पतञ्जलि ने जनसाधारण को मङ्लाचरण की उपादेयता बतलायी है। इसी मङ्गलवाची "वृद्धि" शब्द को संज्ञाविशेष के रूप में प्रतिध्वनित कर "आ, ऐ तथा औ "वर्णो को संज्ञाविशेष के रूप में प्रसिद्ध किया है। इसी प्रकार आगे "गुण" आदि संज्ञाओं का समावेश कर उनके सम्बन्ध में विचार किया है। इस प्रकार अष्टाध्यायी प्रथम अध्याय के संज्ञासूत्रों को आगे चलकर प्रक्रियाग्रन्थकारों ने संज्ञाप्रकरण के नाम से प्रचलित किया। इस संदर्भ में प्रसंगवश परिभाषासूत्रों की उपादेयता भी सिद्ध की है। आदेशों के सम्बन्ध में अनेकप्राप्ति होने पर उसका नियमनकर एकरूपात्मकता का निर्वचन करने हेतु नियम सूत्रों को भी यथास्थान समाविष्ट किया है।

चतुर्थ आह्निक

इस आह्निक में क्रमप्राप्त गुणवृद्धि निषेधविषयक विचार किया गया है और वह भी लौकिक, वैदिक शब्दों के सम्बन्ध में पृथक् रूप में।

प्रकृत आह्निक में संयोगादिसंज्ञाविधायक सूत्र में "अनन्तर" शब्द पर विशेष रूप से विचार किया गया है। भाष्यकार ने अनन्तर शब्द की व्याख्या दो प्रकार से की है-१. अंतर न रहते हुये उच्चारित व्यञ्जन वर्ण अथवा २. जिनमें दूसरे प्रकार का वर्ण नहीं है ऐसे व्यञ्जन वर्ण। तदनन्तर "अनुनासिक" संज्ञा के सम्बन्ध में विचार करते हुए अनुनासिक वर्ण के उच्चारण की ध्वनि-विशेषता बताई गयी है। अनुनासिक वर्ण में मुख एवं नासिका इन

---

१. स एष सूत्रभेदेन लृकारोपदेशः प्लुत्याद्यर्थः सन् प्रत्याख्यायते। सैषा महतो वंशस्तम्बाल्लट्वानुकृष्यते।" महाभाष्यम्।

दोनों से उच्चारित संयुक्त ध्वनि पर प्रकाश डाला है। तत्पश्चात् भाषा सम्बन्धी सवर्णसंज्ञाविषयक महत्त्वपूर्ण निर्वचनकर आभ्यन्तर प्रयत्न की प्रमुखता द्योतित की है। "तुल्यास्य-प्रयत्नं सवर्णम्" (१.१.९) सूत्रस्थ "आस्य" पद का विशेष यौगिक अर्थ (आस्ये भवमास्यम्) स्वीकार करते हुये मुखान्तर्गत कण्ठादि उच्चरित स्थानों का ही प्राधान्य सूचित किया है। ये ही उच्चारणस्थान वैखरी ध्वनि के करण माने गये हैं। (वैखरी कण्ठदेशगा) इसी प्रसंग में ऋ तथा लृ का सावर्ण्यविचार किया गया है।

पञ्चम आह्निक

इस आह्निक में १. प्रगृह्यसंज्ञा, (सूत्र ११-१९) २. घुसञ्ज्ञा, (सू. २०) ३. घसंज्ञा (सू. २२) सङ्ख्यासंज्ञा (सू. २३-२५) निष्ठासंज्ञा और निपात आदिसंज्ञाओं (सू. २६) पर विचार किया गया है। इन संज्ञाओं में कुछ तो अन्वर्थक हैं तथा घु और घ कृत्रिम हैं। इस प्रकार की संज्ञाओं की विषमता में पाणिनि से पूर्वाचार्यों ने भी विचार किया था। किन्तु पाणिनि का मत कुछ विशेषता लिये हुये है। प्रकृत संज्ञाओं में से प्रगृह्यसञ्ज्ञा का फल सन्धिकार्य का न होना है, अतः उसे "प्रकृति-भाव" कहा गया है। पारम्परिक प्रवक्ताओं ने प्रकृतिभाव को "सन्धि" में समाविष्ट कर पञ्चसन्धि की अन्वर्थकता सिद्ध की है। प्रगृह्यसञ्ज्ञा की उपयोगिता अधिकतर वैदिक उदाहरणों में विदित होती है। केवल दीर्घ "ईकारान्त" "ऊ" कारान्त, "ए" कारान्त द्विवचनरूपों में लौकिक उदाहरण भी मिलते हैं। कृत्रिम सञ्ज्ञाओं टि, घु, घ, भ आदि के व्यवहार से पाणिनि ने प्रक्रियासूत्रों में लाघव प्रदर्शित किया है। यह पाणिनि की मौलिकता है। इस सञ्ज्ञाओं के फलस्वरूप विभिन्न कृत्रिमसंज्ञावाचक शब्दों के वाचक प्रातिपदिक शब्दों से सन्धिकार्यादि लोपादि सम्पादित किये गये हैं। इस आह्निक के अन्त में प्रसंग-वश "आद्यन्तवद्भाव (१.१.२१) तथा व्यपदेशिवद्भाव" का निर्वचन किया है। यद्यपि इन दोनों का उपयोग असहाय अवस्था में होता है एवं केवल व्यपदेशिवद्भाव से ही निर्वाह हो सकता था तथापि "एकाच्" धातुओं में द्वित्व होने पर गुण आदि सन्धि करने के पश्चात् व्यञ्जन वर्ण के अधिक हो जाने पर "आदि" तथा "अन्त" का कथन चरितार्थ होता है। यद्यपि वार्तिकार ने इस सम्बन्ध में कुछ भिन्नता व्यक्त की है और लोक दृष्टान्त द्वारा किसी अङ्ग विशेष के छिन्न होने पर भी व्यक्ति विशेष का बोध सम्भव होता है फिर भी भाष्यकार ने महर्षि पाणिनि के द्वारा पठित सूत्रोक्त व्यपदेशिवद्भाव को न्यायसंगत माना है।[1]

षष्ठ आह्निक

यह आह्निक संज्ञाओं की दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इसमें "सर्वनाम, अव्यय,

---

१. गोनर्दीयस्त्वाह- सत्यमेतत् सति त्वन्यस्मिन्निति।

सर्वनामस्थान तथा विभाषा" संज्ञाओं का निर्वचन किया गया है। इनमें से सर्वनामसंज्ञा को महासंज्ञाके रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अवशिष्ट संज्ञाएँ अन्वर्थक हैं। सर्वनाम एवं अव्यय इन दोनों संज्ञाओं के गणपाठों की यथाक्रम समीक्षा भी की गयी है। महासंज्ञा के कारण सर्वनाम शब्दों को व्यक्ति के रूप में अथवा विशेषण के रूप में प्रयोग किये जाने पर वे सर्वनामसंज्ञक नहीं होते। फलतः उन शब्दों में विशेष कार्यों की प्रसक्ति नहीं होती। भाष्यकार ने इस कथन पर अरुचि दिखाते हुए यह सूचित किया है कि यहाँ स्वतः ही "सर्वनाम" शब्द व्यक्ति विशेष का एवं विशेषणवाची का बोध नहीं करायेगा, क्योंकि "पूर्वपरावर....." १.१.३४ तथा "अनुपसर्जनात्" ४.१.१४-इन दोनों सूत्रों के प्रभाव से संज्ञावाची शब्दों[1] एवं उपसर्जनीभूत[2] शब्दों का निवारण सम्भव है।

सप्तम आह्निक

प्रकृत आह्निक में प्रक्रियोपयोगी आगम, आदेश आदि विधान प्रमुख रूप में वर्णित है। इसी सन्दर्भ में प्रथमतः सम्प्रसारण संज्ञा के सम्बन्ध में "यण्" के स्थान में "इक्" आदेश पर विचार करते हुए सम्प्रसारण को वाक्यसंज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार आगमों के स्थिति विषयक सन्देह को दूर करने के लिए उन्हें "आदि" और "अन्त" अवयव माना गया है (१.१.४६)। उसी प्रकार आदेश को शत्रुवत् बतलाकर स्थानी की निवृत्ति मानकर आदेश और आगम के भेद को स्पष्ट किया है। आदेश सम्बन्धी विचार महाभाष्य में १.१.४८ से १.१.५५ तक किया गया है। इनमें ङित्, शित्, अनेकाल्, रपर (अर्) तथा लपर (अल्) आदि आदेशों का नियमन किया गया है।

अष्टम आह्निक

प्रस्तुत आह्निक में स्थानिवद्भाव पर विशेष विमर्श किया गया है। वस्तुतः व्याकरण-शास्त्र के सूत्रों में "अतिदेश" सूत्रों का बड़ा महत्व है, अन्यथा स्थानीसम्बन्धी कार्यों की प्रसक्ति सर्वत्र नहीं हो पाती। इस सम्बन्ध में शास्त्रोक्त वाक्य "गुरुवद्गुरुपुत्रेषु वर्तितव्यम्" का आश्रय लेकर स्थानिवद्भाव की चरितार्थता अङ्कित की गयी है। अतः स्थानिवद्भाव का महत्त्व व्याकरण में प्रक्रिया को उपयोगी बनाने के लिए सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। अतिदेश के दो स्वरूपों-कार्यातिदेश तथा शास्त्रातिदेशों पर विस्तृत विचार कर दोनों पक्षों की उपयोगिता यथास्थान प्रदर्शित की गयी है। अतिदेश में भी एक वर्णविषयक निषेध पर (अनल्विधौ) विस्तृत समीक्षा कर भाष्यकार ने वार्तिककार के द्वारा उद्धृत दोषों का निराकरण कर सब गुत्थियाँ सुलझा दी हैं। इसी प्रसङ्ग में अल्विधिनिषेध का प्रतिप्रसव तथा रूपातिदेश पर भी सम्यक् विचार किया है (१.१.५७)।

---

१. संज्ञाप्रतिषेधस्तावन्नवक्तव्यः। उपरिष्टाद्योगविभागः करिष्यते। म.भा.

२. 'अनुपसर्जना'दित्येषयोगः प्रत्याख्यायते।

नवम आह्निक

प्रस्तुत आह्निक को परिभाषाह्निक कहा जाना सर्वथा युक्तिसंगत है। भाष्यकार इस आह्निक के प्रारम्भ में ही प्रत्ययलक्षण, टि व उपधा संज्ञाएँ, आगम व आदेशों की व्यवस्था, प्रत्याहार व वृद्धि संज्ञा आदि पर विस्तार के साथ विचार किया गया है। इनके अतिरिक्त पाणिनीय व्याकरण में अदर्शन अर्थ में प्रयुक्त "लोप" शब्द के रहस्य को इङ्गित किया है। इस रहस्य को स्पष्ट करने के लिये पतञ्जलि ने "प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्" (१.१.६२) एवं" न लुमताङ्गस्य (१.१.६३) सूत्रों का आश्रय लेकर स्थानिवद्भावसदृश "अतिदेश" के रूप में प्रत्यय लक्षण नामक शास्त्र संकेत का विचार करते हुये इस समस्या का समाधान किया है। ऐसी अवस्था में "लुक्, श्लु, लुप्" आदि शब्दों से व्यवहृत प्रत्ययों के लोप होने पर भी इष्टसिद्धि हो जाती है। केवल अङ्गकार्य में प्रत्ययलक्षण नहीं होता है। तदनन्तर भाष्यकार ने "शब्दस्वरूपग्रहणसंकेत" शीर्षक का निर्देश कर सप्तमी, पञ्चमी आदि विभक्तियों द्वारा उपदिष्ट सूत्रों की उपयोगिता बतलायी है, जिनकी सहायता से निर्दिष्ट विधियों में अव्यवहृत पर एवं पूर्व निमित्तक कार्य क्रमशः एवं पर वर्ण के स्थान में होने की व्यवस्था की है। इस प्रकार के नियमन द्वारा परिभाषा सूत्रों की उपयोगिता बतलाकर यथास्थान उन्हें चरितार्थ करने के लिये निर्देश दिये है। व्याकरणशास्त्र में यथानिर्दिष्ट शब्दों का वर्णसमूहात्मक रूप ही स्वीकार किया गया है न कि उन शब्दों के पर्यायवाची अन्य भिन्नवर्णात्मक समुदायक को। इस सिद्धान्त के अपवादस्वरूप कुछ सूत्रों में गृहीत शब्दों से पर्यायवाचियों का ग्रहण भी होता है। भाष्यकार ने इस सम्बन्ध में गण आदि की कल्पना तथा विशेष विधानों द्वारा अनेक युक्तियाँ उपस्थापित की हैं। इस आह्निक के अन्त में सावर्ण्यग्रहण, अच् और हलों में सावर्ण्याभाव, तपरोच्चारण करने पर तत्काल का बोध (उसी मात्रा का ग्रहण), प्रत्याहार रचनाविधि तथा तदन्तविधिविषयक प्रक्रियोपयोगी विचार किया गया है।

नवाह्निक के बाद का-भाष्यविवरण

आचार्य पतञ्जलि ने 'अष्टाध्यायी' के प्रथमाध्याय स्थित प्रथम पाद (नवाह्निक) का विस्तृत भाष्य करने के उपरान्त उसके द्वितीय पाद के तीन आह्निकों में, तृतीय पाद के दो आह्निकों में और चतुर्थ पाद की चार आह्निकों में विस्तारपूर्वक व्याख्या की है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रथम अध्याय 'संज्ञाध्याय' नाम से प्रसिद्ध है। इसमें दशम आह्निक 'ङित् किदादिदेशाह्निक' (अ.१, पा.२ आ,१) नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः गुण और वृद्धि संज्ञायों के सम्बन्ध में आतिदेशिक विचार किया गया है। कुछ धातुओं के साथ जो ङित्' और 'कित्' प्रत्यय आते हैं, उन्हें गुण एवं वृद्धि नहीं होती। कुछ ऐसे भी प्रत्यय होते हैं, जो कि 'ङित् 'और 'कित्' न होने पर भी उन्हें तद्वान् समझकर उनके आने पर गुण और वृद्धि नहीं होती। ऐसे सभी सूत्र 'ङिद्वत्' और किद्वत् अभिधान से अतिदेश करते है, संबंध, आदेश अथवा संज्ञा का नहीं। अत एव 'चुकुटिष' जैसे धातुओं को 'ङिद्वत् समझकर आत्मने पद आदि कार्य नहीं करने चाहिये, यह भाष्यकार का आदेश है।

इस आह्निक में 'ऊकालोऽज् ह्स्वदीर्घप्लुतः सूत्र के अन्तर्गत भाष्यकार ने कहा कि वक्ता के भेद से उच्चारण काल में अन्तर आने पर भी उस स्वर के स्वरूप में अन्तर नहीं पड़ता। स्वर के सानिध्य में व्यञ्जन स्वर युक्त प्रतीत होते हैं। वस्तुतः व्यञ्जनों का उच्चारण विना स्वर के सम्भव ही नहीं है। सम्बोधन का उच्चारण एकश्रुति होता है। लोक व्यवहार में बोलते समय एकश्रुति का प्रयोग होता है। उदात्त, उदात्ततर आदि षड्विध उच्चारणों के साथ कुछ वैयाकरण सप्त स्वर मानते हैं सम्भवतः भाष्कार के समय सप्तृस्वरयुक्त गान प्रचलित था।

एकादशवें प्रातिपदिक संज्ञाह्निक' (१.२.२) दिन एवं उसके स्वरूप की विवेचना है। तद्धित् और कृत्, प्रत्ययान्त, समासान्त और केवल ये चतुर्विध सार्थक शब्द स्वरूप प्रतिपादित हैं, धातु, प्रत्यय एवं वाक्य प्रातिपदिक नहीं हैं। समास से भिन्न क्रियापद प्रातिपदिक नहीं होते इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से अर्थ निरपेक्ष होने पर वर्ण समूह की सार्थकता क्रमिक वर्णों की अर्थवत्ता को स्वीकार करती है। यहाँ पर वार्तिककार द्वारा प्रतिपादित निरर्थक निपातों की प्रातिपदिक संज्ञा की भाष्यकार ने उपादेयता प्रतिपादित की है। विभक्त्यर्थ द्योतक और क्रियाद्योतक अव्यय लिंग संख्या रहित होते हैं, जिसका समर्थन भाष्यकार ने किया है। इसके साथ ही प्रत्यय का लोप होने पर प्रतिपादिक स्वरूप विवेचन किया गया है। एकशेषाह्निक (१-२-३) में बताया है कि किसी एक शब्द के द्विवचन अथवा बहुवचन में प्रयोग होने पर उस शब्द के दो अथवा उससे अधिक अर्थ होते हैं। जबकि एक बार उच्चरित शब्द एक अर्थ को ही द्योतित करता है, किन्तु लोक में शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है। अतः सूत्राकार को एकशेष' का विधान करना पड़ा। वार्तिककार ने

इस सम्बन्ध में विभिन्न वैयाकरणों के अनेक मत प्रतिपादित किये हैं, जिसका भाष्यकार ने स्पष्टीकरण किया है। काव्यस्थ श्लेष अलंकार में श्लिष्ट पदों में एकशेष दृष्टिगोचर होता है। वार्तिककार के अनुसार भिन्न भिन्न पुरुष द्योतक एक ही धातु के तिङन्त पदों का भी 'एकशेष' होता है। लिंग विचार के सम्बन्ध में यद्यपि लिंग कल्पना लोक में स्त्री एवं पुरुष के नैसर्गिक भेद पर आधारित है, तथापि व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से 'प्रवृत्ति' (उद्यत होना) पुल्लिङ्ग का द्योतक है। और 'स्त्यान' (जुड़ना) स्त्रीलिंग, का दोनों के अभाव में नपुंसकलिंग होता है। इस प्रकार 'एकशेष प्रकरण' (१-३-१) भाग से संबधित इस आह्निक में 'भूवादयो धातवः (१/३/१) इस पाणिनिसूत्र का और तत्सम्बद्ध वात्तिकों का भाष्यकार ने सुन्दर विवेचन किया है, जिसके अनुसार पाणिनि द्वारा सूत्र पाठ के पूर्व गणपाठ का निर्माण सम्भावित है। आचार्य वार्ष्यायणि के अनुसार छह प्रकार के भावों में 'सत्ता' विशिष्ट प्रकार का भाव है। 'भू' अर्थात् 'भाव' (अथवा सत्तासाध्य किया द्योतक) शब्द धातु कहलाते हैं। इसके साथ ही प्रासंगिक इत् संज्ञा को अभिलक्षित कर गणपाठ में उच्चारण धातु, सूत्रपाठ में उच्चरित प्रातिपदिक, प्रत्यय, निपात, आगम और आदेश के अन्तिम व्यंजन तथा उनके अनुनासिक स्वर साधारणतया इत् संज्ञक होते हैं। भाष्यकार ने 'स्वरितेनाधिकारः' (सूत्र ११) सूत्र की व्याख्या करते समय अधिकार गति, 'अधिकार्य और अधिककार इस प्रकार के त्रिविध स्वरित वर्णो के उच्चारण के प्रयोजन सोदाहरण विवेचित किये हैं।

पञ्चदश आह्निक विप्रतिषेधाह्निक (१.४.१) है। 'आकडारादेका संज्ञा' और 'विप्रतिषेधे परं कार्यम्' इन दो सूत्रों की व्याख्या करते समय वार्तिककार नें विप्रतिषेधस्थल के संपूर्ण सूत्रपाठ के सभी महत्वपूर्ण स्थलों का विवेचन किया है। भाष्यकार नें इस आह्निक में उनकी सुन्दर विवेचना की है इस आह्निक में इसका विचार किया गया है कि दो संज्ञासूत्र अथवा विधिसूत्र एक साथ अचानक प्रवृत्त होने पर किस सूत्र को अवसर देना चाहिये ? अथवा दो सूत्रों में एक के पश्चात् अनन्तर के सूत्र को स्थान देना चाहिये। यहीं संज्ञा समावेश का विचार किया गया है। साथ ही 'विप्रतिषेध' सूत्र का परामर्श कराते समय अष्टायायी सूत्रपाठ में अग्रिम उच्चरित सूत्र को प्रधानता दी गयी है। एवं पूर्ववर्ती सूत्रों की प्रवृति नहीं होती। किन्तु 'कडाराधिकार', आभीयाधिकार एवं 'त्रिपादी' के सूत्रों के सम्बन्ध में ये नियम भिन्न भिन्न है। इसके लिए 'बहिरङ्गत्व' का मापदण्ड निर्धारित किया गया है।

षोडश नद्यादि संज्ञाह्निक (१.४.२)- इस आह्निक में नदी, लघु, गुरु पद, भ, बहुवचन, द्विवचन और एकवचन इन संज्ञाओं पर प्रकाश डाला गया है। सप्तदश आह्निक में कारकों पर विचार किया गया है। कारकाह्निक जिसमें कारक संज्ञा, कर्ता कारक का स्वातंत्र्य, दूसरे कारकों का पारतंत्र्य होने पर भी उसकी अनुपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सत्ता, अपादान, सम्प्रदान, करण, अधिकरण कारकों का परामर्श, कर्मकारक और अकथित कर्म का विवेचन प्रतिपादित है अष्टादश निपाताह्निक (१.४.४) में प्रमुखता से निपात संज्ञा का परामर्श

एवं उसके उपरान्त परस्मैपद, आत्मनेपद, वचन, विभक्ति, पुरुष, संहिता और अवसान इन संज्ञाओं पर विमर्श किया गया है।

इस प्रकार अष्टाध्यायी के प्रथमाध्याय के प्रथमपाद का नौ आह्निकों में तथा अवशिष्ट तीन पादों का नौ आह्निकों में सविस्तर भाष्य विद्यमान है, इन में प्रधान रूप से सभी संज्ञाओं का परामर्श करने के कारण इसका संज्ञाध्याय नाम सार्थक है। द्वितीय अध्याय 'पदविधि-अध्याय' के नाम से अभिहित है, जिसके प्रथम, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पादों को क्रमशः तीन, दो, तीन और दो, कुल दस आह्निकों में विवेचन किया गया है। इस अध्याय में सुबन्त एवं तिङन्त पदों के कार्यों का विवेचन है और यह निर्धारित किया गया है कि 'सामर्थ्य' होने पर ही पदसम्बन्धी कार्यो का विधान है। अतः उन्नीसवें. समर्थाह्निक (अ.२, पा.१,आ.१) में समर्थः पदविधिः इस एकमात्र 'समर्थसूत्र का भाष्य प्रस्तुत है। यह 'अधिकारसूत्र' है अथवा 'परिभाषा सूत्र ?' 'अधिकार सूत्र' होने की स्थति में प्रत्येक अग्रिम सूत्र में उनकी अनुवृत्ति का और परिभाषा सूत्र होने की स्थिति में दो पदों के लिये विधीयमान कार्यों के 'सामर्थ्य' का विचार करते हुए दोनों के गुण दोषों पर प्रकाश डाला गया है। 'समर्थ' शब्द का अभिधेय समास इत्त्यादि वृत्ति में वर्तमान 'एकार्थीभाव सम्बन्ध हो अथवा वाक्यों में वर्तमान पद स्थित 'व्यपेक्षा' सम्बन्ध यह विचार करते हुए इसे 'परिभाषा सूत्र' मानकर एकार्थीभाव सम्बन्ध रूप अर्थ निर्धारित किया गया है।

बीसवां 'अव्ययीभाव समासाह्निक' (अ.२, पा १, आर २) है, इस में सर्वप्रथम 'सुबामन्त्रिते' (२.१.२) सूत्र के विवेचन में वेदों में दृष्टिगोचर 'पराङ्गवद्भाव' पदवृत्ति का विवेचन किया गया है। जो स्वभाव सदृश ही है। इसी सूत्र के वार्तिक परमपिच्छन्दसि (२/१/२ वा. ६) द्वारा विवेचित विषय को 'पूर्वांगवद् भाव होगा। 'प्राक्कडारात् समासः' (२/१/३) से प्रारंभ कर कडाराः कर्मधारये' (२.२.३८) तक प्रतिपादित पदकार्यों की 'समास' संज्ञा की गयीं है। तदन्तर अव्ययीभाव संज्ञा का विवेचन और समास में पद की प्रधानता के आधार पर समास के चार मुख्य भेद निर्धारित किये गये हैं।

इक्कीसवें 'समानाधिकरण तत्पुरुषाह्निक (अ.२, पा.१, आ.३) में तत्पुरुष के दो भेदों द्विगु एवं कर्मधारय का विवेचन है।

बाईसवें व्यधिकरण तत्पुरुष समासाह्निक (अ.२, पा.२ आदि) में एकदेशितत्पुरुष नञ् तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष का प्रतिपादन किया गया है। तेईसवें अनेक पद समासाह्निक-(अ.२, पा.२, आ.२) में अनेक पदों के दो समासों (बहुव्रीहि और द्वंद्व) का विवेचन है।

द्वितीयाध्याय के तृतीय पाद का तीन आह्निकों में विभाजन है, क्रम की दृष्टि से ये चौबीसवें पचीसवें और छब्बीसवें आह्निक हैं एवं सभी विभक्ति निरूपणाह्निक नाम से अभिहित है। इसके प्रथम आह्निक में अनभिहित कर्म एवं संप्रदान कारक में प्रयोगार्थ

विभक्तियाँ निरूपित हैं तथा कारक विभक्ति एवं उपपद विभक्ति भी विवेचित हैं। द्वितीय आह्निक में अनभिहित कर्ता-करण अपादान व अधिकरण कारकों में प्रयोगार्ह विभक्तियाँ निरूपित हैं। तीसरे आह्निक में प्रथमा विभक्ति विषयक विवेचन है।

द्वितीयाध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम आह्निक "एकवद्भावाह्निक" है, जिसमें द्विगु और द्वन्द्व समास में आने वाले एकवचन का प्रमुखता से विचार किया गया है। तदनन्तर द्विगु समाहारार्थी द्वंद्व और अव्ययीभाव समास के सामासिक शब्दों का लिंग निर्धारण करते हुए यह निश्चित किया गया है कि ये सदा नपुंसकलिंग होते हैं। इसी संदर्भ में धातु, प्रातिपदिक और प्रत्ययों को होने वाले आदेशों पर विचार किया गया है। इस दृष्टि से यह सत्ताईसवां आह्निक है।

अट्ठाइसवें प्रत्ययलोपाह्निक (अ.२, पा.४, आ.२) में निहित प्रत्यय, सुप् प्रत्यय, शप् विकरण, सिच् प्रत्यय, इत्यादि प्रत्ययों का लोपे होने पर किये जाने वाले पदकार्यों का विवेचन भाष्यकार ने किया है। इसी के साथ यह पद विध्यध्याय समाप्त होता है।

अष्टाध्यायी का तृतीय अध्याय 'तिङ् कृत् प्रत्ययाध्याय' है, जिसका प्रथम पाद छः आह्निकों में व्याख्यात है। उनतीसवें 'सन्प्रत्ययाह्निक-(अ.३, वा.१, आ.१) में 'प्रत्यय' की परिभाषा, उसका परत्व और आद्युदात्तत्व प्रतिपादित करते हुए समान धातुओं के विषय में विचार किया गया है।

तीसवें क्यजादि प्रत्ययाह्निक- (अ.इ, पा.१ आ.२) में 'क्यच्' आदि प्रत्ययों पर भाष्य प्रस्तुत है। एकतीसवाँ और बत्तीसवाँ, आह्निक 'विकरणाह्निक' (अ.इपर.१, ३.११ ३-४) हैं, जिनमें क्रमशः यक्, आय, इयङ् और णिङ्. प्रत्यय, स्य, सात्, सिप् और आम विकरण, चित्र विकरण और उसका आदेश, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग, शप्, श्यन् आदि विकरण और उनके व्यत्ययों पर विचार किया गया है। तैंतीसवें कर्मवद्भावाह्निक (अ.३, पर १, आर.५) में कर्मकर्तृ प्रयोग' पर विचार किया गया है। कृत्य प्रत्ययाह्निक (अ.३, या १,आ.६)-प्रसिद्ध 'वासरूपविधि' पर विचार करते हुए कृत्यप्रत्ययों पर प्रकाश डाला गया है।

पैतीसवें सामान्य कालार्थक कर्तरि कृत् प्रत्ययाह्निक (अ.३, पा.२, आ.१) में बहुधा कर्मवाचक सुबन्त शब्द उपपद होने पर एवं कुछ विशिष्ट स्थलों पर करण वाचक और अधिकरण वाचक आदि उपपद होने पर धातु से सामान्य काल द्योतक कर्ता अर्थ में 'अण्' आदि प्रत्ययों का विवेचन किया गया है। 'अण्' प्रत्यय के अपवाद प्रत्ययों का भी विवेचन है। भूतकाल प्रत्ययाह्निक (अ.३, पा२, आ.२) में भूतकालिक प्रत्ययों का विधान, परोक्षे लिट् (३/२/११५) और वर्तमाने लट्' सूत्रों की व्याख्या करते हुए 'परोक्ष' शब्दार्थ और वर्तमान काल की व्याख्या की गयी है। सैतीसवें वर्तमान काल वाचक कृत्प्रत्ययाह्निक (अ.३, या. २, आ.३) में वर्तमान काल में सतृ प्रत्यय और ताच्छीलिट् प्रत्ययों के विधान है।

अड़तीसवें भाववाचक 'कृत्' प्रत्ययाह्निक (अ.३, पा.३, आ.१) में उणादि प्रत्यय, भविष्यत्काल वाचक प्रत्यय तथा काल सामान्य विवक्षा में विवक्षित धातुओं से विवक्षित अर्थ के घञ् अप् आदि अनेक प्रत्ययों के प्रयोग विवेचित हैं। उन्तालीसवें लकारार्थाह्निक (अ.३,पा.३, आ.२) में विशिष्ट अर्थ में विशिष्ट लकारों के प्रयोग विवेचित हैं।

चालीसवें केवल भावार्थ कृत् 'प्रत्ययाह्निक् (अ.३, पा.४.आ.१) में केवल भावार्थ कृत् प्रत्यय और लकारादेश निरूपित है। "क्त्वा," 'णमुल्' और तुमुन् प्रत्यय इसीके अन्तर्गत हैं। इसके बाद चतुर्थ एवं पञचम दोनों तद्धिताध्याय हैं। इसके अन्तर्गत इकतालीसवें तथा बयालीसवें दोनों स्त्री प्रत्ययाह्निक के रूप में (अ.४, पा.१ आ.१,२) इन दोनों आह्निकों में विदित हैं क्योंकि स्त्रीलिंग के अर्थ में विवक्षित टाप् और ङीप् प्रत्यय विवेचित हैं। साथ ही विशिष्ट परिभाषा, प्रातिपदिक से स्त्रीत्व का बोध, लिङ्गकल्पना, लिङ्गशब्द की शास्त्रीय परिभाषा, स्त्रियाम् सूत्र का अर्थ, स्त्रीत्व अर्थ का प्रतिपादन, अनुपसर्जन प्रतिपादिक से होने वाले स्त्री प्रत्यय, गुण एवं जाति इन शब्दों की व्याख्या प्रस्तुत है। तिरालिसवां प्राग्दीव्यतीय तद्धितप्रत्ययाह्निक (अ. ४, वा. ६, आ. ३) और ४४ वा अपत्यप्रत्ययाह्निक (अ.४, पा.१, पा.४) है, जिसमें अपत्य संज्ञा का अर्थ और अपत्यवाचक प्रत्यय विवेचित है। इसके पश्चात् पैतालिसवें रक्ताद्यर्थक प्रत्ययाह्निक (अ.४, पा.२, आ.१) रक्ताद्यर्थक समूहार्थक आदि प्रत्यय तथा शेषार्थ प्रत्ययाह्निक ४६ वाँ (४.२.२) में शैक्षिक प्रत्यय विवेचित हैं। तदनन्तर ४७ ४८ तथा ४९वें प्राग्धीतीय प्रत्ययाह्निक (४.३.१), ४६वाँ विकाराद्यर्थक प्रत्याह्निक (अ.४.३.२), और प्राग्वहतीय प्राग्धीतीय प्रत्ययाह्निक (अ.४, पा.४, आ.१) हैं।

पंचमाध्याय के चार पाद सात आह्निकों में हैं, जिसमें क्रमशः सामान्यतः छ प्रत्यय भावार्थ, प्रकीर्णार्थक, मत्वर्थीय विभक्तिसंज्ञक, आतिशायिक और स्वार्थबोधक तद्धित प्रत्ययों का विवेचन है।

षष्ठ अध्याय के तीन पादों में, जो ग्यारह आह्निकों में विभक्त हैं क्रमशः द्विवचन, सम्प्रसारण, आत्व-सत्वादि आदेश पर एकादेश, पूर्वसर्वर्ण-पररूप, प्रकृतिभाव, उदात्तादिस्वर विधान, पूर्व पदस्वर, उत्तर पदस्वर, स्वर से अर्थपरीक्षण, सामान्यविचार, अलुक् समास, पुंवद्भाव, और उत्तरपदनिमित्तक आदेश आदि पर भाष्य किया गया है।

अङ्गाधिकार

षष्ठाध्याय के चतुर्थ पाद एवं सप्तमाध्याय के चारों पाद 'अङ्गस्य' (६/४/१) अधिकार में समाविष्ट हैं। यह अधिकार शाब्दिक प्रक्रिया (रचना) की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अङ्ग के होन वाले और उसके सम्मुखस्थित प्रत्यय को होने वाले कार्यों का निरूपण है, अतः इस 'पञ्चपादी' को अङ्गाधिकार कहते हैं। 'अङ्गस्य' में षष्ठी का अर्थ स्थान लिया जाय अथवा अवयव इसका विचार करते हुए सम्बन्ध सामान्य अर्थ का

निर्धारण किया गया है। अङ्गाधिकार का वैशिष्टय विविधता है। शब्द रचना में कभी कभी इन सूत्रों से भी अधिक सूत्रों का उपयोग करना पड़ता है। साथ ही उतने ही सूत्रों के परिहार भी इस प्रश्न में 'विप्रतिषेधे परं कार्यम्' (१/४/२) सूत्रस्थ 'पर' शब्द भाष्यकार के अनुसार इष्टार्थक और विरोधपरिहार का राजमार्ग है। इष्ट कार्य सम्पादन के लिए वार्तिककार जहाँ एक ओर 'नित्यबलीयस्त्व' और 'अन्तरङ्ग बलीयस्त्व' के मार्ग निर्देशित करते हैं, वहीं भाष्यकार बहिरङ्गसिद्धि को कहीं-२ स्थान तदन्तर पूर्वाचार्यों के श्लोकवार्तिक उद्धृत किये हैं। तथा अनेक परिभाषावचन भी सूत्रान्तर्गत ज्ञापकों से सिद्ध किये हैं। कुछ स्थानों पर पूर्वत्रासिद्धत्व योगविभाग, नियमविधि और भूतपर्वूविधि का तथा अन्यत्र संनिपातपरिभाषा, निर्दिश्यमानपरिभाषा, अननुबन्धक परिभाषा और तदनुबन्धक परिभाषा का अवलम्बन कराते हुए रूपसिद्धि की गयी है। यही वार्त्तिककार के मत से अङ्गाधिकार के प्रयोजन बतलाये हैं तथा यह कहा है कि 'अर्थवत्' और 'प्रत्ययग्रहण' परिभाषाओं का उपयोग करने पर 'अङ्गस्य' इस अधिकार की आवश्यकता ही नहीं है जिसका भाष्यकार ने अनुमोदन किया है। इन आह्रिकों के नाम इस प्रकार हैं-आभीयासिद्धत्वाह्रिक आभीयकार्याह्रिक, असंज्ञिताङ्गकार्याह्रिक, अङ्गनिमित्तक विभक्तिप्रत्ययादेशाह्रिक, विभक्ति प्रत्यय-निमित्तक अङ्गकार्याह्रिक, इडागमनिषेधाह्रिक इडागमविधानाह्रिक् उत्तरपदकार्याह्रिक, ह्रस्व-गुण-वृद्धयादि अङ्गकार्याह्रिक और सामान्य अङ्गकार्याह्रिक।

अष्टमाध्याय के प्रथम पाद का दो आह्रिकों में विवेचन है-द्वित्वपदकार्याह्रिक और पदानुदात्तविवेचनाह्रिक। इन आह्रिकों के विषय इनके नामों से ही अवगत होते हैं। सप्तमाध्याय के चारों पाद और अष्टमाध्याय का प्रथम पाद मिलाकर 'सपादसप्ताध्यायी' पूर्ण होती है।

त्रिपादी अष्टमाध्याय के अवशिष्ट तीन पाद 'त्रिपादी' हैं। 'त्रिपादीस्थकार्यों के सपाद सप्ताध्यायी की दृष्टि से होना न होना बराबर है। उसी प्रकार 'त्रिपादी' में अवस्थित पूर्वसूत्र के लिए पर सूत्र स्थकार्य का होना न होना बराबर है। अतः 'सपादसप्ताध्यायी' का उपयोग करने पर ही 'त्रिपादी' का महत्व है और 'त्रिपादी' में भी पूर्व स्थित सूत्र कार्य का उपयोग करने पर ही उत्तर सूत्रस्थ कार्य का महत्व है यह पाणिनि ने मानदण्ड निर्धारित किया है। भाष्यकार ने इसका विवेचन इन आह्रिकों में किया है-असिद्धत्वानुशासनाह्रिक, प्लुतविधानाह्रिक, सन्धिकार्याह्रिक, षत्वादेशाह्रिक और णत्वादेशाह्रिक।

इस प्रकार भाष्यकार ने 'अष्टाध्यायी' का भाष्य पच्चासी दिनों में अपने शिष्यों के लिये व्याख्यानस्वरूप प्रस्तुत किया और पाणिनि-व्याकरण को वेदाङ्ग के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 'अष्टाध्यायी' का भाष्य प्रस्तुत करते समय पूर्ववर्ती व्याकरण-ग्रन्थों का तथा लौकिक और वैदिक प्रयोगों का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत करने के कारण ही महाभाष्य में कोई विषय छूटा नहीं है।

महाभाष्य की भाषा-शैली

लेखक का व्यक्तित्व उसकी शैली में ही अभिव्यञ्जित होता है, वाचक या पाठक को अपने विचारों से परिचित कराने के लिये व्याकरण सदृश-कठिन विषय को बोधगम्य बनाना साधरण बात नहीं है। भाष्यकार ने स्वयं अपनी प्रवचन-शैली का व्यावहारिक रूप महाभाष्य में प्रतिविम्बित कर दिया है। उन्होंने महाभाष्य में चार प्रकार से विद्या की उपयोगिता बतलाकर इस बात को स्पष्ट कर दिया है।[1] अतः महाभाष्य की शैली बड़ी सरस और रोचक सिद्ध हुई है। वर्तमान समय में प्रायः लोग पाश्चात्य देशों की प्रवचन शैली अथवा डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् की व्याख्यान शैली की प्रंशसा करते है, किन्तु पतञ्जलि की पाठन शैली बड़ी प्रभावशालिनी है। विरोधियों के तर्को का उत्तर देते समय भाष्यकार बड़ी चुभती व्यंङ्ग्यमयी और कटाक्षपूर्ण भाषा का प्रयोग करते है। प्रसङ्गवश तर्को को काटते समय उनकी भाषा में चिढ़ और झुंझलाहट की भी झलक मिलती है। उनके समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई कात्यायन के वार्त्तिको को प्रवचन के साथ प्रकाश में लाना था। अतः उन्होंने अपनी सरल और सरस भाषा को संवादात्मक रूप देकर प्रश्नोत्तर शैली को अपनाया। उनकी इस शैली की सरसता का प्रकृत उदाहरण संस्कृत-जगत् में बड़ा प्रसिद्ध है। इस वाक्य में एक शब्द के साधुत्व (समुचित प्रयोग) के विषय में वैयाकरण तथा सूत का रोचक वार्तालाप इन शब्दों में अकिंत किया है-

वैयाकरण- इस रथ का प्रवेता (बुननेवाला) कौन है?

सूत -आयुष्मन्, मै इस रथ का प्राजिता (हाँकने वाला) हूँ।

वैयाकरण- 'प्राजिता' तो अपशब्द है।

सूत- देवानां प्रिय (महाशय) आप प्राप्तिज्ञ है, इष्टिज्ञ नहीं। यह प्रयोग इष्ट है, यही रूप अभिलक्षित है।

वैयाकरण- अहो यह दुष्ट सूत (दुरुत) हमे बाधा पहुँचा रहा है।

सूत - आपका 'दुरुत' प्रयोग ठीक नहीं है। 'सूत' शब्द सू (प्रसव उत्पन्न करना) धातु से निष्पन्न हुआ है; वेञ् धातु (बुनना) से नहीं है। यदि आपको निन्दा अभीष्ट हो तो 'दुःसूत' शब्द का प्रयोग करें।

इस रोचक संवाद से इस युग की भाषा, आचार तथा प्रयोग की बातें ध्यान में आती है। 'प्राप्तिज्ञो देवानां प्रियः, न तु इष्टिज्ञः'- सूत का वैयाकरण के लिये प्रयुक्त यह वाक्य बड़े महत्त्व का है।[2] इस संवाद से लोक में व्यवहृत शब्द अधिक उपयुक्त माने जाते है।

---

१. चतुर्भिः प्रकारैः विद्योपयुक्ताभवति-१. आगमकालेन स्वाध्यायकालेन २. प्रवचनकालेन ३. व्यवहार कालेन, म.भा.१ आह्निक

२. द्रष्टव्य-पद्मभूषण आचार्य बलदेव उपाध्यायः संस्कृतशास्त्रों का इतिहास।। पृष्ट ४६०।। ।। नवीन संस्करण।।

इस बात को भाष्यकार ने 'प्राप्तिज्ञ' तथा 'इष्टिज्ञ' शब्दों द्वारा प्रकाशित किया है। इसके अतिरिक्त यह भी विदित होता है कि भाष्यकार के समय 'देवानां प्रिय' शब्द आदर तथा सम्मान के लिये प्रयुक्त किया जाता है। फलतः मूर्ख की कल्पना इस शब्द के साथ संयुक्त नहीं हुई थी।

महाभाष्य के उपमान, न्याय[1] दृष्टान्त और सूक्तियाँ भी कम मनोरम नहीं है। उनके उपमान सुपरिचित और प्रभावकारी भी है।[2] उपमानों और दृष्टान्तों[3] के द्वारा भाष्यकार ने जीवन के सामान्य विषयों के सहारे व्याकरण के अनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों और परिभाषाओं की सृष्टि की है।

महाभाष्य में प्रवर्तित सूक्तियाँ अधिकतर जीवन के वास्तविक अनुभव पर आधारित है।[4] कहीं-कहीं पर भाष्यकार ने ऐसी सूक्तियों का प्रयोग सोदाहरण किया है। तथा अन्यत्र साररूप में भी सूक्तियों का प्रयोग किया गया है।[5] इस प्रकार की सूक्तियों के प्रयोग से विषय के प्रतिपादन में बल मिलता है। कभी-कभी ऐसी सूक्तियाँ सोदाहरण मिलती हैं और कभी तथ्य को प्रकाशित करने में योग देती हैं।

भाष्यकार शब्दों के वास्तविक स्वरूप को परखने वाले आचार्य हैं। इस प्रकार विशिष्ट अर्थ में और विशिष्ट अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले बहुमूल्य शब्दों और वाक्यांशों से सम्पूर्ण भाष्य भरा पड़ा है। ऐसे शब्दों में 'काकपेया नदी' (कम जलवाली नदी), 'समाश' (सहभोज), 'प्रत्यङ्गवर्ती लोक' (पास की वस्तु को पहले देखने वाले), 'आर्त्ततर' (अधिक उपयुक्त), 'अक्तपरिमाण' (निश्चित माप), 'पुष्पक' (आँख में फुल्ली वाला व्यक्ति), विपादिका (पैरों का फोड़ा), 'विप्रलाप' (परस्पर विरुद्ध बोलना) आदि शब्द विशिष्ट अर्थ का बोध कराने में भाषा की श्री वृद्धि में विशेष सहायक सिद्ध हुए हैं। भाष्यकार ने तर्क समाश्रयण करते समय विषय को निर्णय तक पहुँचाने के लिए लोकाचार सम्मत पक्ष को आधार भूत माना है। ऐसे अवसरों पर आप बड़े मनोविनोद के साथ लौकिक उदाहरण द्वारा निर्णय कर देते हैं। एक स्थान पर उन्होने प्रत्ययों के अन्त, मध्य तथा पूर्व में स्थित होने के सम्बन्ध में निर्णय करते हुए उपहास द्वारा लोक का आश्रय प्रमुख माना है। उन्होने यह बतलाया कि जैसे गाय का बछड़ा कभी माँ के आगे, कभी पीछे और कभी पार्श्व में चलता[6] है। ऐसे उदाहरणों द्वारा भाष्यकार ने अनेक परिभाषाएँ और नियम स्थिर किये है। भाष्यकार ने शब्दलोक को

---

१. कूपखानकन्याय ।।१- आह्निक।। काकतालीयन्याय।। १.३.७।। इत्यादि
२. 'यदि पुनरिमे वर्णा आदित्यवत्स्यु' तद्यथा एक आदित्यो नैकाधिकरणस्थो युगपद्देश पृथक्त्वेषूपलभ्यते म.भा.२ आ.
३. नष्टाश्वदग्धरथवत् -१.१.५०, वृक्षः प्रचलन् सहावयवैः प्रचलति- १.१.५६
४. द्विर्बद्धं सुबद्धं भवति-६.१.२२३
५. बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् २. ३. २
६. ३.१.२

सर्वोपरि सिद्ध कर उसकी इयत्ता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। स्वयं उन्होंने एक ही शब्द को भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न अर्थो में प्रयुक्त हुआ दिखला कर शब्द की अनेकार्थता प्रमाणित की है। व्याकरण सदृश क्लिष्ट विषय को बोधगम्य बनाने में पतञ्जलि की प्रवचन शैली आदर्श-स्वरूप सिद्ध हुई है। आपने अपने से पूर्व दोनों आचार्यो के सिद्धान्तों तथा उनके ग्रन्थों में वर्णित शब्द-रचना-विधान का विश्लेशण कर जो अपूर्वता समाविष्ट की है, वह साधारण कार्य नहीं है। किसी व्यक्ति के अभाव में उसकी रचना के माध्यम से उसके रहस्य को स्वयं ज्ञात कर आगे आने वाली पीढ़ियों के उपकारार्थ भाष्यकार की मनोरम शैली भाषा की ध्वनि अध्येताओं के कानों में गूँजती रहेगी।

लघु भाष्य-विषयक किंवदन्ती

'महाभाष्य' में 'महत्' शब्द का प्रयोग किये जाने से यह शङ्का उठती है कि क्या इसकी रचना के पूर्व कोई 'लघुभाष्य' भी रहा? इस सम्बन्ध में यह कल्पना की जाती है कि लघु रचना से पतञ्जलि को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने अपने व्याख्यान का बहुत विस्तार किया इन कल्पनाओं के मूलभूत आधार 'गोनर्दीय' तथा 'पतञ्जलि' ये दोनों नाम हैं। कहा जाता है कि एक दिन सन्ध्या करते हुये उस ऋषिकन्या की अञ्जलि से एक बालक ऋषि गिरा, जिसका अन्वर्थ नाम पतञ्जलि पड़ गया। पतञ्जलि ने मूल भाष्य में शास्त्रीय विवेचन कर अधिक जोड़कर इसे महाभाष्य नाम दे दिया। लघुभाष्य और महाभाष्य के भेद के सम्बन्ध में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। दोनों भाष्यों के एकत्र आत्मसात् हो जाने से दोनों का पृथक स्वरूप कहीं दिखाई नहीं पड़ता। कुछ विद्वानों ने दो भाष्यों का आधार 'गोनर्दीय' शब्द का महाभाष्य में प्रयोग होना माना है। इस मत की पुष्टि में अन्य प्रमाण भी दिये गये है। महाभाष्य के कुछ प्रयोग उक्त कथन की ओर संकेत करते है। जैसे महाभाष्य का 'उक्तो भावभेदो भाष्ये'-यह कथन किसी अन्य भाष्य की ओर संकेत करता है। प्रस्तुत ग्रन्थ के नाम का उल्लेख कोई नहीं करता। इसी प्रकार, महाभाष्य में 'तस्यानुदात्तेन्।। ६.१.१८६।। सूत्र के प्रसंग में 'वक्ष्यत्यस्य परिहारम्' कहा है और उसका परिहार 'आनेमुक'।। ७.२. ८२।। सूत्र के भाष्य में दिया भी है। यहाँ भी वक्ष्यति क्रिया का कर्ता लघुभाष्यकार ही है, अन्यथा 'वक्ष्यति' के स्थान पर 'वक्ष्यामि' प्रयोग किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि महाभाष्य में प्रयुक्त "तेभ्य एव विप्रतिपन्नबुद्धिभ्योऽ-ध्येतृभ्यः सुहृद्भूत्वाऽऽचार्य इदं शास्त्रमन्वाचष्टे"-वाक्य यह द्योतित करता है कि ग्रन्थकार अपने लिये 'आचार्य' शब्द का प्रयोग करते हुये किसी पूर्ववर्ती आचार्य की ओर संकेत करते हैं। यह संकेत 'गोनर्दीय' के पृथक व्यक्ति होने की कल्पना में सहायक है। इस समस्या के समाधान में केवल एकमात्र प्रमाण विद्वानों की परम्परा है। लघु और महाभाष्य का विवाद तो पण्डित-परम्परा में आकलित नहीं हुआ है, किन्तु महाभाष्य के कई बार लोप

हो जाने की कथा प्रचलित होना इस बात का आधार हो सकता है। चन्द्राचार्य ने लुप्त महाभाष्य का पुनः उद्धार किया- इस बात से इसके लघु और महत् संस्करणों की कल्पना निराधार मानी गयी है। महाभाष्य के लोप होने का कारण भी उसका अधिक विस्तार होना, पाणिनि के सूत्रों का संक्षेप उनकी यथार्थता को समेटने में समर्थ रहा। पतञ्जलि के महाभाष्य के अनुरूप न्याय मीमांसा तथा बौद्ध विद्वानों के महान भाष्य ग्रन्थों के अध्ययन से महाभाष्य की ओर कुछ उदासीनता सी छा गयी, फलतः उसका पठन-पाठन कम होने से उसकी प्रतियाँ लुप्त सी हो गयीं। कहा जाता है कि महाभाष्य की प्रतियाँ उस समय दक्षिण भारत में ही सुरक्षित रही तथा दाक्षिणात्य पर्वत प्रदेश से महाभाष्य की प्रतियाँ प्राप्त कर उसका पुनरुद्धार किया गया।

महाभाष्य के पुनरुद्धार का प्रसंग "राजतरंगिणी" में दूसरे रूप में दिया गया है। महाभाष्य के प्रथम उद्धार-कर्ता कश्मीर के राजा अभिमन्यू को माना है। उन्हीं के आदेश से आचार्य चन्द्रगोमी ने महाभाष्य का पुनः प्रवर्त्तन किया। उन्होंने एक नया व्याकरण भी बनाया।[1] डा. ओटो बोथलिंक के अनुसार अभिमन्यु का काल ई.पू. १०० तथा लैसेन के अनुसार ४० से ६५ ई. तक है। अन्य विद्वानों के मत से चन्द्रगोमिन् का समय पाँचवी शती का अन्तिम चरण है। छटी शताब्दी के आस-पास पूर्वोक्त कारणों से महाभाष्य का प्रचलन फिर से कम हो गया था। तब कश्मीर के राजा जयापीड ने देशान्तरों से विद्वानों को आमन्त्रित कर विच्छिन्न भाष्य-परम्परा को पुनः प्रवर्तित किया।[2]

उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त आचार्य भर्तृहरि (वि.स. ६१७- ५६० ई.) ने महाभाष्य का पुनः प्रवर्तन किया। उन्होंने अपने दोनों ग्रन्थों 'वाक्यपदीय' तथा महाभाष्य-दीपिका' की रचना कर महाभाष्य की प्रामाणिकता को पुनः प्रतिष्ठापित कर उसे अमरता प्रदान की। बड़े खेद का विषय है कि भर्तृहरि की 'दीपिका' भी खण्डित रह गयी वह समग्र प्राप्त नहीं होती। 'दीपिका' के केवल सात ही आह्निक प्रकाशित हुए है। 'दीपिका' विस्तृत रही। इसके प्रमाण में नागेश भट्ट ने अपने ग्रन्थ लघुशब्देन्दुशेखर में 'वर्णसमाम्नाय' के प्रसंग में 'दीपिका' टीका का उल्लेख किया है। आगे चलकर विक्रम के सातवें शतक में ही चीनी यात्री इत्सिंग (६१० ई.) ने भी अपने संस्मरणों में महाभाष्य का भी उल्लेख किया है। उसने भ्रमवश महाभाष्य के विस्तार को २४००० श्लोकों का चूर्णी ग्रन्थ कहा।[3] यद्यपि वह कात्यायन के वार्तिको को भूल से 'काशिका वृत्ति' सूत्र गया। डा. भण्डारकर ने इस भूल की ओर संकेत

---

१. आविर्बभूवाभिमन्युः शतमन्युरिवापरः। चन्द्राचार्यादिभिर्लब्ध्वा देशंतस्मात्तदागमत्।। प्रवर्तितं महाभाष्यं स्वञ्च व्याकरणं नवम्।। राजतरंगिणी, १-१७४ तथा १७६।।

२. देशान्तरादागमय्यव्याचक्षाणान् क्षमापतिः। प्रावर्त्तयत विच्छिन्नं महाभाष्यं स्वमण्डले।राजत:४.४८८।।

३. -(There is a comentry on it (The kashika vritti-The vritti sutra). Entitild chumi, containing 24000 shlokes. It is a work of the learned patanjaliऽ मैक्समूलर द्वारा अपने रिनेसां आफ संस्कृत लिटरेचर में उद्धत

करते हुए कहा कि काशिका या जयादित्य के किसी अन्य ग्रन्थ को वृत्ति-सूत्र कहकर मान लेना या तो इत्सिंग की भूल है या उसे समझने में और आगे चलकर उसका अनुवाद करने में दूसरों की भूल है।[1]

भारतीय परम्परा किसी भी महनीय कार्य के प्रवर्तन करने में दैवी शक्ति का समावेश करती चली आ रही है। जिसके फलस्वरूप शब्द शक्ति के सामर्थय की प्रवर्तना में गोनर्दीय गोणिका-पुत्र पतञ्जलि को शेषनाग का स्वरूप देने में किसी प्रकार संकोच नहीं किया। शेषनाग के सहस्र फणों की अवतारणा पतञ्जलि के सहस्रावधान के रूप में विदित कराती है। पिछले शतक तक अनेक शतावधानी व्यक्तियों के नाम सुनाई पड़ते रहे है। भाष्यकार पतञ्जलि यदि एक ही समय में हजारों लोगों का समाधान कर देते रहे हों तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। काशी में 'नागकूप की प्रसिद्धी इस रूप में मान्य रही। हो सकता है कि यहाँ उन्होंने हजारों विद्यार्थियों का समाधान एक ही क्षण में किया हो। पुराणों में भी शेषनाग के रूप में पतंञ्जलि का आख्यान देखने को मिलता है।

पतञ्जलिकालिक वाङ्मय

भाष्यकार का अवतरण इतिहास के अनुसार पुष्यमित्र शुङ्ग के शासनकाल में हुआ था। वह समय वैदिक पुनर्जागरण का था। अतः वैदिक साहित्य का पूर्णरूप से उपलब्ध होना स्वाभाविक रहा। आचार्य पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम आह्निक में ही शब्द की नित्यता अखण्डता तथा व्यापकता पर विचार करते हुए यह सङ्केत दिया है कि वेदों में ऋग्वेद की २१ शाखाएँ, यजुर्वेद की १०१ शाखाएं, सामवेद की १००० शाखाएं तथा अथर्ववेद की ६ शाखाएं हैं। सम्मिलित रूप से ११३१ वेदों की शाखाएं परिगणित है।

परम्परा के अनुसार शतक्रतु के वज्रप्रहार से वेदों की अनेक शाखाएं नष्ट हो गयीं, और ऋग्वेद और सामवेद की १२-१२ शाखाऐं रह गयीं। आथर्वण परिशिष्ट में ऋग्वेद की सम्पूर्ण शाखाओं का सात चरणों में अन्तर्भाव किया है। महाभाष्य में यत्र-तत्र प्रसङ्गवश ऋग्वेद की १८ शाखाएं नामतः उल्लिखित है।[2] इनमें नौ शाक्य चरण व्यूह के अन्तर्गत हैं जो भाष्यकार के समय अत्यधिक लोकप्रिय थीं। इसी प्रकार महाभाष्य में वाजसनेय संहिता

---

१. -(When itsing speaks of patanjali s work as a comentry on the vritti sutra and of Jayaditya kashika are some work of Jayaditya are has been misunders food or mistranslated later-1-collected works of Bhandarkar, (भाग-१, पृ. १५८)

२. चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा विभिन्नाः। एकशतमध्वर्युशाखाः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः एकविंशतिधा बाह्वृच्यम्, नवधाऽथर्वणो वेदः वाको वाक्यमितिहासः, पुराणं वैद्यकमित्येतावाञ्शब्दस्य प्रयोगविषयः म.भा. आह्निक १।

की छः शाखाओं का उल्लेख है। किन्तु सामवेद की सहस्रशाखाओं के रहते हुए भाष्य में उसकी केवल कौथुम आदि छः शाखाओं का उल्लेख किया है। अथर्ववेद की नौ शाखाओं में पतञ्जलि काल में मौद और पैप्प. शाखाएँ सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। इनके अतिरिक्त भाष्यकार ने कुछ ऐसी शाखाओं का उल्लेख किया है, जो किसी वेद विशेष से सम्बद्ध नहीं है। ऐसी शाखाओं में काश्यपी, कौशिकी, क्रौड, भारद्वाज आदिनाम उल्लिखित है। जो कश्यपादि ऋषि विशेषों से प्रोक्त ग्रन्थों का अध्ययन करने से इन्हें भी शाखा विशेष से अभिहित किया गया है। महाभाष्य में वाङ्मय को पांच रूपों में प्रस्तुत किया गया है, वे क्रमशः दृष्ट, प्रोक्त, व्याख्या, उपज्ञात और कृत इन नामों से उल्लिखित हैं। इनमें से दृष्ट साहित्य में चार वेदों की गणना की गयी है। इन्हें चार वेद अथवा चतुर्वेद कहते थें। अर्थवेद को छोड़कर यह त्रिविद्या नाम से अभिहित थी। दृष्ट साहित्य के अतिरिक्त पतञ्जलि ने अदृष्ट साहित्य पर भी प्रकाश डाला है। इसमें सर्वप्रथम प्रोक्तसाहित्य पर विचार करते हुए विभिन्न शाखीय संहिताएं, उनके अङ्गभूत ब्राह्मण और सूत्र ग्रन्थों का परिगणन किया गया है। भाष्यकार ने इसके द्वारा यह स्पष्ट किया है कि प्रोक्त साहित्य किसी व्यक्ति विशेष की कृति नहीं होती, अपितु वह पूर्वाचार्यों का कथन विशेष होता है। अतः उन्होने तैत्तिरीय संहिता काश्यपकल्प, कल्याणी, वैशम्पायन आदि द्वारा निर्वाचित ग्रन्थों को प्रोक्त साहित्य के रूप में मान्यता दी है। प्रोक्त साहित्य का प्राप्त उपबृंहित स्वरूप व्याख्यात साहित्य कहा गया है, निरुक्त व्याकरण आदि विषयों का इसमें समावेश है। क्रमशः अभिव्यक्ति के वैशिष्टय की ओर अग्रसर होते हुए पतञ्जलि उपज्ञात साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। इसके द्वारा पतञ्जलि को यह अभिप्रेत है कि लौकिक विषय को अपनी प्रतिभा के बल पर विश्लेषित करते हुए अध्येताओं को उससे परिचित कराया जाय। ऐसे साहित्य में कुछ विषय लौकिक, तथा अन्य स्वयं की प्रतिभा से प्रस्तुत होते थे। ऐसे साहित्य में आपिशलि का व्याकरण काशकृत्स्न का गौरव लाघव आदि परिकल्पित है।

तदनतर पतञ्जलि ने कृत साहित्य के कई अध्येताओं का ध्यान आकर्षित किया है। भौतिक रचनाओं को कृतसाहित्य द्वारा महत्व दिया गया है। 'कृत' शब्द 'यथा नाम तथा गुणः' उक्ति को सार्थक करता है। वेदाङ्ग तथा लौकिक विषयों के ग्रन्थ कृत साहित्य में समाविष्ट है।

उपज्ञात और कृत साहित्य का अन्तर काशिकाकार ने स्पष्ट किया है। उसके अनुसार विद्यमान ज्ञान का उपबृंहण 'उपज्ञात' तथा स्वयं कृत मौलिक रचना 'कृत' है।[१] इसी प्रसङ्ग में शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, मीमांसा, धर्मशास्त्र तथा अन्य विषयों

---

१. विनोपदेशं ज्ञातमुपज्ञातम् स्वयमाभिनिबद्धम्, उत्पादितं कृतम्। विद्यमानमेव ज्ञातमुपज्ञातमित्यनयोर्विशेषः। काशिका-४.३

में अङ्गविद्या, क्षेत्रविद्या, वायसविद्या, गोलक्षण, श्वलक्षण, शकुन, निमित्त और उत्पात आदि विषय यथा प्रसङ्ग विवेचित हैं। आख्यान-आख्यायिका में ब्राह्मण का ऐत्त/शुनःशेपी आख्यान सर्वप्रथम उल्लिखत है।[1] शतपथ ब्राह्मण में आख्यान को व्याख्यान कहा गया है।[2] पतञ्जलि ने आख्यान आख्यायिका, इतिहास और पुराण चारों को पृथक-पृथक माना है। इस विषय में व्यास का मत भिन्न है, वे इतिहास को साहित्य में ही समाविष्ट करते हैं।[3] कृतसाहित्य में पतञ्जलि के समय रामायण और महाभारत प्रसिद्ध रहे। उन्होंने पाणिनीय सूत्रों की व्याख्या में तदनुकूल उदाहरणों द्वारा प्रचलित नामों की सार्थकता स्पष्ट की है। इसके साथ ही पुराण और इतिहास का नामाल्लेख भाष्य में है। यद्यपि पुराण विशेष का नाम उसमें दृष्टिगोचर नहीं होता फिर भी पौराणिक तथा वैदिक आख्यान यत्र-तत्र[4] वर्णित हैं।

उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त पतञ्जलि नें महाभाष्य में काव्य ग्रन्थों की ओर भी संकेत किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि पतञ्जलि के पूर्व तथा उनके समय काव्य ग्रन्थों की निर्मिति होती रही। ऐसी रचना उन्हें वाररूच काव्य, जालूकश्लेष भ्राजश्लोक, त्तित्तिरि प्रोक्तश्लोक आदि उस समय विदित रहे। उस समय पद्य रचना का एक दूसरा उद्देश्य भी था, जो व्यक्ति विशेष की ध्यान शक्ति का परिचायक, स्मारक रहा। कण्ठस्थ करने की प्रणाली ने भौतिकता की रक्षा कर साहित्य में पाठ भेद के विकार को आने नहीं दिया।

पतञ्जलि की काव्य रचना

महर्षि पतञ्जलि ने भी स्वयं काव्य रचना की थी। इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि महाराज समुद्रगुप्त द्वारा विरचित 'कृष्णचरित' प्रस्तावना में कहा गया है कि महानन्द काव्य प्रणेता पतञ्जलि रहे, जिन्होंने इस काव्य में योगविषयक अनुभूतियां सम्मिलित की।[5] इससे यह स्पष्ट होता है कि महाभाष्यकार पतञ्जलि का चरक संहिता और योग दर्शन के साथ कुछ सम्बन्ध अवश्य है। इसके अतिरिक्त 'सदुक्तिकर्णामृत' में भाष्यकार कृत एक पद्य उद्घृत है।[6] महानन्द काव्य की रचना कर महर्षि पतञ्जलि ने व्याकरण की दुरुहता दूर

---

१. ऐस. ब्रा. १८-१०
२. वही ३.२५.१
३. निरुक्त ४-६१
४. इन्द्रवृत्ताख्यान वा. १, देवासुर युद्ध वा. १, ४-३-८८
५. 'विद्ययो द्रोवत गुण तथा भूमावरतां गतः।
पतञ्जलि मुनिवरो नमस्यो विदुषा सदा।।
कृतं येन व्याकरण भाष्यं बचनशी ।
धर्माविपुक्ता चरके योगा रोगमुथः सदा।।
महानन्दमय काव्यं योगदर्शनमद्भूतम।
योगव्याख्याभूततद् रचितचित्रदोषहम् (सं. व्या.इ.भाग१ ३ ६ ४)
६. यद्यपि स्वच्छभावेन दर्शयायम्बुधिर्मणिम्।
तथापि मानुदग्धेयामिसिं चेतसि मा कृथाः।
(सं. व्या. इ. युधिष्ठिर मीमांसक भाग, ३, पृ. ४६५)

करने के लिऐ उदाहरणों द्वारा नियमों का प्रतिपादन किया और इस रचना को इतिहासकारों नें यथार्थ-प्रधान काव्य कहकर काव्यशास्त्र' का आरम्भिक प्रयास माना है।

भारतीयता का दर्पण महाभाष्यः-पाणिनि की अष्टाध्यायी के समान महाभाष्य में भी समग्र भारत का चित्र प्रतिबिम्बित होता है। महाभाष्य में देश की भौगोलिक स्थिति, समग्र विद्यायें, संस्कृति, समाज, आदि का स्वरूप चित्रित है। वर्तमान भारत और पाकिस्तान के अन्तर्गत समस्त भू-भाग में विखरे पर्वतों, नदियों, अरण्यों, जनपदों और नगरों या ग्रामों के नाम महाभाष्य में आयें हैं। उनमें से अनेक के विषय में उन्होंने विशेष जानकारी भी प्रस्तुत की है। महाभाष्य में पाणिनिकालीन भारत की परिधि की अपेक्षा अधिक विस्तार के साथ वर्णित है। अतः उत्तर पश्चिमि भू-भाग के अतिरिक्त पतञ्जलि ने मध्यदेश का परिचय भी दिया है। प्रमुख रूप में पतञ्जलि ने भारत को दो भागों में विभाजित किया है (१) आर्यावर्त तथा (२) बाह्यवर्त पश्चिम में कुरूक्षेत्रान्तर्गत आदर्श जनपद, पूर्व में प्रयाग के समीप का कालक वन, उत्तर प्रदेश में हिमालय और दक्षिण में पारियात्र उनके आर्यावर्त्त की सीमा थी। यही प्रदेश सभ्य तथा शिष्ट जनों की निवास भूमि था। इस क्षेत्र से बाहर रहने वाले लोगों को उन्होंने 'बाह्य' संज्ञा दी है, और वे एक प्रकार से निर्वासित अथवा असंस्कृत माने जाते थे। दिशाओं के आधार पर पतञ्जलि ने वाहीक प्रदेश के आगे के स्थलों को उन्होंने 'उदीच्य' कहा है तथा विन्ध्य से दक्षिण की ओर के प्रदेश को दक्षिणापथ कहा है। इसी आधार पर पजञ्जलि ने कात्यायन को दाक्षिणात्य माना है।

आर्यावर्त्त की सीमा के भीतर भी प्राच्य, उदीच्य ओर मध्यम विभाग थे। पर्वतों में उन्होंने हिमवान्, पारियात्र, विन्ध्य, विदूर, खलतिक, आदि पर्वतों का उल्लेख किया है। मरूप्रदेश की उन्होंने धन्वन् सज्ञा दी है। नदियों में सिन्धु, सप्त सिन्धवः (झेलम आदि नदियां+ सरस्वती+ सिन्धु), गंगा समूह आदि वर्णित है। जनपदों में कम्बोज, गान्धार, वाह्लीक, दरद, यवनदेश, शकस्थान, कश्मीर, सिन्धु, सौवीर, पुरू, शिवि, केकरय, कोसल, काशी, केरल, चोल, पाण्ड्य आदि प्रमुख थे। नगरों में तक्षशिला, शाकल, हस्तिनापुर, मथुरा, स्रुघ्न (अनेक बार वर्णित), अहिच्छत्र कान्यकुब्ज (कन्नौज), कौशाम्बी, साकेत, पाटलिपुत्र, उज्जयिनी, मध्यमिका (चितौड़ से ११ मील दूर), नासिक्य, आदि अधिक प्रसिद्ध रहे।

सामाजिक दशा

समाज में शिष्ट जनों के नाम पर 'कुल' का उल्लेख होता रहा। कभी-कभी पद, जाति तथा कार्य से सम्बद्ध कर कुल का अविधान भी होता रहा। ऐसे उदाहरण महाभाष्य में यथा-प्रसङ्ग दिये गये हैं-सेनानिकुल, ब्राह्मण कुल याज्यकुल आदि। अतः परिवार में शिष्टाचार के नियम निश्चित थे और ये नियम धर्मशास्त्र के अनुकूल रहे। कुल के सन्दर्भ

में यह उल्लेखनीय है कि रक्त सम्बन्ध के अतिरिक्त विद्या सम्बन्ध भी प्रचलित था। विद्या सम्बन्ध में गुरू परिवार के अतिरिक्त 'सतीर्थ्य' सम्बन्ध भी सम्मिलित था। सामाजिक व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल प्रचलित थी। समाज के संरक्षण हेतु 'कृषि' को जीवन-दाता के रूप में पतञ्जलि ने स्वीकार किया है। पतञ्जलि ने देश की व्यावसायिक स्थिति की दृढता हेतु अनेक शिल्पों तथा शिल्पियों का उल्लेख किया है। समाज की आर्थिक स्थिति को समुन्नत बनाने हेतु व्यापार तथा वाणिज्य का उत्तकर्ष स्वीकार किया है। राज्य तन्त्र सरल तथा प्रपञ्च रहित था। अनेक राज्यों में देश विभक्त था तथा उनमें परस्पर सहयोग की भावना थी तथा नियमानुसार प्रशासन व्यवस्था में अधिक बाधायें नहीं होती थीं। 'गणतंत्र' का उत्तकर्ष भी भाष्यकार ने राज्य शासन के अन्तर्गत श्रेष्ठ माना है।

यह गणतत्र सङ्घो के रूप में विभक्त था। सङ्घो के शासक क्षत्रिय वंश के होते थे। इन्हें राजन्य भी कहा गया है।[1] परिवार का स्थविरतर सदस्य ही सङ्घराज्य शासन में प्रतिनिधित्व करता था।[2] राजन्य शब्द केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रयुक्त होता था जो शास्त्र के अनुसार अभिषिक्त थे। अमरकोश के अनुसार राजाओं की समान्य सभाओं को 'राजक' और गण को 'राजन्य' कहते थे।[3] सङ्घो में कुछ तो विकसित थे और कुछ अविकसित। इनमें से अन्धक, वृष्णि, क्षुद्रक, मालव, यौधेय और पंचाल समुन्नत सङ्घ थे। अविकसित सङ्घ शासन तन्त्र में विशेष अभिरूचि तथा आस्था न रखने के कारण केवल अस्त्र-शस्त्रों पर भरोसा रखने से आयुध जीवी कहलाते थे। डा. जायसवाल के मत से जिनके शासन-विधान में युद्ध कला का सर्वोपरि महत्त्व था पाणिनि के अनुसार आयुधिक केवल शस्त्रोपजीवी ही नहीं थे किन्तु उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य वर्ण के लोग भी सम्मिलित थे।

जनतन्त्रात्मक सङ्घो में श्रेणि सबसे छोटा सङ्घ था। ये श्रेणियाँ भिन्न-भिन्न जीविका या व्यापारवालों के छोटे-छोटे संगठन थे। भाष्यकार के अनुसार अविद्यमान श्रेणियों का श्रेणिरूप में संगठन ही श्रेणीकरण कहलाता है। श्रेणि व्यापारिक संगठन था, राजनीतिक संस्था नहीं। सम्भव है। इनका विधान राजनीतिक विधानों के समान रहा हो। भाष्यकार के अनुसार सङ्घ का क्षेत्र कुछ विस्तृत है वह उसे समूह अथवा समुदाय का पर्यायवाची भी मानते हैं।[4] इन समूहों के कार्यान्वयन में जितनी संख्या अपेक्षित रही उसे महाभाष्यकार ने 'पूरणी-संख्या' कह कर अभिलक्षित किया है।

---

१. राज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणं कर्त्तव्यम्। राजन्यो नामजातिः क्व माभूत? राजन् इति म. भा.(४-१-१३१)

२. ४-१-१६३

३. अथ राजकम्। राजन्यकं च नृपतिक्षत्रियाणां गणे क्रमात्। अ.को. (का.२, क्षत्रवर्गः३)

४. सङ्घसमूहः समुदाय इत्यनर्थान्तरम् १- (५-१-५९)

न्याय व्यवस्था- विवादों का निपटारा न्यायालयों द्वारा यथा सम्भव शीघ्र किया जाता था। ये विवाद-अधिकतर साम्पत्तिक तथा आपराधिक- दो प्रकार से जाने जाते थे। सम्पत्ति सम्बन्धी मामले 'व्यवहार' नामसे प्रसिद्ध थे। निर्णय करने में धर्मपति साक्षी के कथन पर विशेष ध्यान देता था।

न्याय में पक्षपात का स्थान नहीं होता। न्याय सब के लिए एक समान है। ऐसी स्थिति में कभी-कभी मात्स्य-न्याय के अनुसार अरण्यों में रहने वाले बलवान् निर्बलों को निगल जाते हैं।

अपराधों के सम्बन्ध में भी महाभाष्य में उस युग में सम्भाव्य मानवीय दोषों पर भी व्यवस्था दी है। ऐसे अपराधों में स्तैन्य, दस्युकार्य तथा हत्या प्रमुख थे। चोरों के नाम उनके चौर्य-प्रकार पर रखे गये थे। यथा, ऐकागरिक, पाटघ्न आदि। सामान्य चोर के लिए तस्कर,[१] प्रणाय्य[२] आदि तथा डकैत के लिए दस्यु शब्द का प्रयोग भाष्य में मिलता है। दण्ड वैयक्तिक भी होते थे तथा सामूहिक भी। सामूहिक दण्ड कुटुम्ब-विशेष के लिए दिये जाते थे। अधिक भयानक अपराधों के लिए अङ्गच्छेदन तथा वध तक दण्ड की व्यवस्था रही।[३]

जीवन के प्रत्येक अंग पर विचार करते हुए भाष्यकार ने देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में सैन्य-चिन्तन को नहीं छोड़ा। उन्होंने युद्ध कला के चारों अंगों-हस्थी, घोड़े, रथ और पैदल, द्वारा संग्राम का प्रतिविधान बतलाया है। सेना में क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्यवर्ण के लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार नियुक्त किये जाते थे।[४] परिणाम की दृष्टि से पत्ति, सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, चमू, अनीकिनी और अक्षौहिणी क्रमशः उत्तरोत्तर विशाल संगठन थे।

सामाजिक परिवेश में नारी के महत्तव को भी यथास्थान अङ्कित किया है। समाज में नारी अनेक स्वरूप धारण करती है। उसका मातृत्व, पत्नीत्व तथा पुत्रीत्व रूप विशेष रूप से उपयोगी हैं। इनके अतिरिक्त वय बोधक शब्दों के द्वारा सूक्ष्मातिसूक्ष्म विश्लेषण कर तदनुसार उनके कर्तव्यों का अवबोधन कराया है[५] 'पत्नी' शब्द के साथ ही 'सपत्नी'[६] शब्द की व्याख्या द्वारा यह विदित होता है कि अवस्थाविशेष में पुरुष के एक से अधिक विवाह होने की प्रथा रही हो। सन्तान न होने पर ही अधिकतर प्रथम पत्नी के रहते हुए द्वितीय विवाह किया जाता हो, किन्तु इसके अपवाद भी कहीं-२ देखने को मिलते हैं। पति का गौरव

---

१. १-३-४४
२. ३-२-४४
३. १-६५
४. २-४-२५- ब्राह्मणसेनम् (काशिका)
५. वयसि प्रथमे- (४-१-२०), (३-१-६०६)
६. नित्यं सपत्न्यादिषु -(४-१-३५)

पत्नी की गौरव वृद्धि में सहायक था। पत्नी के भरण पोषण का भार पुरुष पर होता था। पोषित होने के कारणही पत्नी को भार्या भी कहा गया है।[1] मातृरूप में स्त्री का महत्त्व पत्नी से बढ़कर था। कारण यह है की सन्तान की अच्छाई या बुराई माता पर निर्भर करती है।

महाभाष्य में वर्णित सामग्री के आधार पर यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता कि शब्द कोष के माध्यम से वह भारतीय समाज के चित्रण करने में पूर्णतयां सफल हुए हैं।

महाभाष्य पर टीका ग्रन्थ

भर्तृहरि-संक्षिप्त ग्रन्थों पर तो व्याख्या का होना सर्वथा युक्तिसंङ्गत प्रतीत होता है, किन्तु ग्रन्थों की महनीयता देखकर उन पर भी आगे चलकर टीका-उपटीकाओं की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो महाभाष्य ही है और पाणिनि सूत्रों की अल्पाक्षरता उसमें हेतु है। अत्यधिक विस्तृत महाभाष्य पर टीकाएं लिखी जाने में एक मात्र कारण यही हो सकता है कि उसमें वर्णित विषयों के सन्दिग्ध स्थलों का निवारण सर्वतः हो जाय। अनेक विद्वान् पतञ्जलि के अनन्तर टीका लेखन के लिए उद्यत हुए, किन्तु उसमें से भर्तृहरि कृत दीपिका के कुछ अंश आज प्राप्त होते हैं। यद्यपि भर्तृहरि व्याकरण दर्शन की भूमिका का निर्वाह करने में सर्वाग्रणी रहे, फिर भी उनकी महाभाष्य दीपिका अपनी शैली में दूसरा सानी नहीं रखती। भर्तृहरि ने अपनी महाभाष्य दीपिका में अपने पूर्ववर्ती भाष्य टीकाकारों का 'अन्ये' 'अपरे' 'केचित्' आदि शब्दों द्वारा संकेत किया है। पं. युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार महाभाष्य पर कम से कम ब्याख्यान लिखी गयी है किन्तु उन ग्रन्थकारों के तीन नाम अभी तक उपलब्ध नहीं हुए है।

देशकाल-भर्तृहरि का काश्मीर निवासी होना सम्भावित है। काशिकाकार वामन एवं जयादित्य ने वाक्यपदीय का नामतः उल्लेख दिया है। इससे यह अनुभव होता है कि काश्मीर निवासी काशिकाकारों का भर्तृहरि से निकट देशज सम्बन्ध था।

भर्तृहरि के काश्मीर निवासी होन के सम्बन्ध में अन्य प्रमाण आचार्य सोमानन्द (६३० वि.-८८० ई.) द्वारा विरचित 'शिवदृष्टि' में वाक्यपदीय की काशिकाओं का उद्धरण प्राप्त होना है। इसके अतिरिक्त आचार्य सोमानन्द के साक्षात् शिष्य श्री उत्पलाचार्य (६८२ वि. -१००७ वि.) ने 'शिवदृष्टि' की भर्तृहरि की प्रथम कारिका तथा स्वोपज्ञ वृत्ति का उल्लेख किया है। आचार्य अभिनव गुप्त के गुरू हेलाराज द्वारा विरचित 'वाक्यपदीय' के तीनों काण्डों की व्याख्या उपलब्ध है। ये सभी भर्तृहरि के काश्मीर होने की पुष्टि करते हैं।

---

१. ६-३-२६

गुरू-वाक्यपदीय के टीकाकार पुण्यराज ने भर्तृहरि के गुरू वसुरात का उल्लेख किया है। उसके अनुसार भर्तृहरि ने वाक्यपदीय को-'आगम' रूप में विरचित करने का श्रेय अपने गुरू वसुरात को दिया है।[1] वसुरात के स्वतंत्र मत का उल्लेख कराते हुए मल्लवादिक्षमा श्रमण ने भी उसको भर्तृहरि का उपाध्याय माना है और इन दोनों गुरू शिष्यों के मतभेद का भी अपने द्वादशारनय चक्र में उल्लेख किया है।[2]

भर्तृहरि के काल निर्धारण में अनेक भर्तृहरि के नाम से विद्वानों की विद्यमानता विवाद का कारण है उनमें से भी अधिकतर विवाद दो भर्तृहरि नामक विद्वानों में है-(१) शतकत्रय के रचयिता भर्तृहरि तथा (२) वाक्य पदीय के रचयिता भर्तहरि। शतकत्रय के रचयिता का सम्बन्ध महाराज विक्रमादित्य से है। अतः उनके काल निर्णय में विक्रमादित्य नाम के उज्जयिनी नरेश द्वारा प्रवर्त्तित विक्रम संवत् (ई. ५७) को मान बिन्दु माना गया है। प्रकृत भर्तृहरि के काल निर्णय में विद्वानों ने दो प्रमुख प्रमाण उपन्यस्त किये हैं-(१) चीनी यात्री इत्सिंग ने ६९१ ई में अपने यात्रा वर्णन में लिखा है कि 'भर्तृहरि धर्मपाल का समकालिक था। उसकी मृत्यु हुए चालीस वर्ष हुए है। इस आधार पर भर्तृहरि का निर्वाण समय ७०७ वि. के आस-पास ठहरता है। किन्तु इत्सिंग की कल्पना अन्य प्रमाणों के समक्ष खरी नहीं उतरती। इसी के विपरीत प्रथम चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा के अनुसार वामन जयादित्य द्वारा विरचित काशिका का प्रचार पठन-पाठन में हो चुका था। काशिका में भर्तृहरि का प्रभाव विद्यमान होने से उन्हें इतना आधुनिक कहना युक्ति-संङ्गत प्रतीत नहीं होता, फिर भी इतना कहा जा सकता है कि इत्सिंग ने भी भर्तृहरि द्वारा विरचित व्याकरण ग्रन्थों की महनीयता ज्ञात की हो।

डा. रामसुरेश त्रिपाठी ने इस सम्बन्ध में प्रथम भास्कर द्वारा लिखित आर्य भट्टीय भाष्य का उद्धरण देते हुए भर्तृहरि के काल निर्णय की उत्तर सीमा ६५७ वि. (६०० ई.) निर्धारित की है। उक्त भाष्य में कहा है कि प्रकृति, प्रत्यय, लोप, आगम, वर्णविकार आदि उपायों से व्याकरणशास्त्र में शब्द साधुत्व प्रतिपादित किया जाता है। किन्तु यह नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है। 'वाक्यपदीय' कार भी इसका समर्थन करते हैं।[3] स्वयं प्रथम

---

१. "न्याय प्रस्थानमार्गास्तानभ्यस्य स्वं च दर्शनम्। प्रणीतो गुरुणाऽस्माकमयमागमसङ्ग्रहः।। वा.प.२/४८४।। इस कारिका की व्याख्या समाप्ति मे पुण्यराज की वृत्ति इस प्रकार है-'अथ कदाचित् योगतो विचार्य तत्रभवता वसुरातगुरूणा ममायमागमः सञ्ज्ञाय वात्सल्यात् प्रणीत इति स्वरचितस्यास्य ग्रन्थस्य गुरुपूर्वक्रममभिधातुमाह-'न्यायप्रस्थानेति।

२. तथा-"आचार्य वसुरातेन न्यायमार्गान् विचिन्त्य सः। प्रणीतो विधिवत्त्वायं मम व्याकरणागमः।।" द्रष्टव्य-संस्कृत व्याकरण दर्शन-डा. राम सुरेश त्रिपाठी ।।१.१५।।

३. यथा प्रकृतिप्रत्ययलोपागमवर्णविकारादिभिः उपायैः साधुशब्दः साध्यते, एवमत्रापि। तस्मात् उपेय साधकाः तेषां न नियमः उक्तं च-उपादायापि हेया ये तानुपायान् प्रचक्षते। उपायानां च नियमो नावश्यमवतिष्ठते।। वा.प. २/३८।।

भास्कर ने कालगणना के आधार पर (मनु-युगादि) ६७६ वि. ६२६ ई. अपना समय निर्धारत किया है।[1]

भर्तृहरि की काल सीमा का निर्धारण करने में जैनाचार्य मल्लवादिक्षमा श्रमण विरचित द्वरदशारनय चक्र महाशास्त्र उल्लेखनीय है, तदनुसार विशेषावश्यक भाष्य से प्राचीन होने के कारण भर्तृहरि का समय ५६६ वि. (५०६ ई.) के पूर्व संभावित है, क्योंकि उसकी रचना उक्त काल में हुई थी, इस आधार पर डा. राम सुरेश त्रिपाठी ने वाक्यपदीय का रचनाकाल ५०७ वि. (४५० ई.) के पूर्व अनुमानित किया है।

अन्य प्रमाणों के आधार पर भर्तृहरि का समय विक्रम की पांचवी शताब्दी के आस-पास स्थिर किया जा सकता है, इसमें हेतु यह है कि भर्तृहरि के गुरू वसुरात तथा बौद्ध विद्वान् वसुबन्धु (३६७ वि.-४६७वि.)[2] इन दोनों का समकालिक होना सर्वमान्य है। इस आधार पर वसुरात के शिष्य होने के कारण भर्तृहरि का ४८२ वि.स. (४२५ ई.) के आस-पास होना अवश्यंभावी है।

इन प्रमाणों की पुष्टि में सर्वप्रबल साधक हेतु श्री बृषभ देवकृत 'स्फुटाक्षर' पद्यति में विष्णुगुप्त (५६२-६०७ वि.) का नामोल्लेख होता है।[3] अतः भर्तृहरि इनसे प्राचीन अवश्य सिद्ध होते हैं।

व्यक्तित्व-भर्तृहरि के जीवन सम्बन्ध में भी अनेक किंवदन्तियां तथा संदिग्ध बाते अनेकत्र प्रसिद्ध है। इस सन्दर्भ में चीनी यात्री इत्सिंग तथा पाश्चात्य विद्वान् मैक्समूलर द्वारा उल्लिखित भर्तृहरि का बौद्ध होना भ्रामक हैं इसके विपरीत जैनग्रन्थों में भर्तृहरि का उल्लेख होने पर भी उनका बौद्ध होना उल्लिखित नही है। फिर भी वे बौद्ध धर्म से प्रभावित अवश्य रहे। अतः इत्सिंग का संकेत किन्ही दूसरे भर्तृहरि के सम्बन्ध मे हो सकता है। भर्तृहरि वैदिक धर्मानुयायी थे और उन्होंने व्याकरण शास्त्र को 'आगम' की मान्यता दी तथा धर्म के अवस्थान में तर्क की उपेक्षा की है।[4] (रामार्क रसवसुरन्ध्रेन्दवः अर्हरपि १६८६.१२.३७.३० अस्मिन् बुधादिपातभगणगुणिति स्वयुगाविभक्ते भगणादयः पातभोगा लभ्यन्ते।-आर्यभट्टीयभाष्यम्,गी.८, हस्तलेख पृ.३३ द्र.-संस्कृत व्याकरण दर्शन-डा. रामसुरेश त्रिपाठी, पृ.१६) बौद्ध और जैन धर्म न होना तो एक **बात रही, किन्तु भर्तृहरि का समन्वयवादी**

---

१. 'सर्वेषां' कल्पादेर्गतकालात् गणनीयमतो गतिस्तेषाम्, तदानयनमिदानीं कल्पादेरब्दनिरोधादयं अब्दराशिरितीरितः

२. द्र. तत्त्वसंग्रह की भूमिका के आधार पर डा. राम सुरेश त्रिपाठी ने संस्कृत व्याकरण दर्शन ।। पृ.१७।। में यह काल निर्धारण किया है।

३. विमलचरितस्य राज्ञो विदुषः श्री विष्णुगुप्तदेवस्य। भृत्येन तदनुभावमच्छीदेवयशस्तनूजेन।। बन्धेन विनोदार्थं श्रीवृषभेण स्फुटाक्षरं नाम। क्रियते पद्धतिरेषा वाक्यपदीयोदधेः सुगमा।।

४. न चागमादृते धर्मस्तर्केण व्यवतिष्ठते ।। वा.प. ब्रह्मकाण्ड।।

होना सबसे बड़ी बात है, दार्शनिक विचारों में शब्दशास्त्र की उत्कृष्टता सिद्ध करने में भारतीय दर्शन की प्रौढ़ता सापेक्ष है मीमांसा, वेदान्त, तथा न्याय दर्शन के सिद्धान्तों को बिना जाने हुए व्याकरणागम का सिद्ध करना कठिन रहा। भर्तृहरि के सैद्धान्तिक पक्ष का समर्थन करते हुये ध्वन्यालोक-लोचनकार अभिनवगुप्तपादाचार्य ने भर्तृहरि के दार्शनिकदृष्टि को प्रतिबिम्बित किया है।[1]

महाभाष्य दीपिका-महाभाष्य के सर्वप्रथम व्याख्याता भर्तृहरि की विद्यमानता में कोई सन्देह नहीं है। उनके पूर्व महाभाष्य का कोई व्याख्यान अद्यावधि उपलब्ध नहीं हुआ है। ऐसा विदित होता है कि महाभाष्य के अनेक वार लुप्त होने के कारण इतने लम्बे समय तक उसकी व्याख्या नहीं लिखी गयी हो। पुनः प्रकट होने पर क्रमिक व्याख्यानों का प्रकाश में आना स्वाभाविक है। फिर चन्द्राचार्य (३५० विक्रम) के अनन्तर महाभाष्य का पुनरुद्धार होने के साथ भर्तृहरि की भाष्य-व्याख्यान लिखने की प्रेरणा हुई हो। प्रकृत व्याख्यान सम्पूर्ण लिखा जाने पर भी आज तक उसका हस्तलेख पूरा नहीं मिला है। जितना अंश प्राप्त हो सका, वह भी भारत से बाहर जर्मनी में (बर्लिन पुस्तकालय में) रहा इसकी सर्वप्रथम सूचना विदेशी विद्वान् डा. कीलहार्न ने दी। इस हस्तलेख की छायाप्रति लाहौर, मद्रास आदि पुस्तकागारों में सुरक्षित हैं। आश्चर्य तो यह है कि उसका दूसरा हस्तलेख अद्यावधि प्राप्त नहीं हुआ तथा बर्लिन में उसकी मूल प्रति कैसी पहुँची यह भी विस्मयावह है। पं. युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार इसका प्रारम्भिक कुछ अंश खण्डित है। डा. श्री वी. स्वामिनाथन द्वारा सम्पादित दीपिका का अन्त 'नाज्झलौ' १.१.१० सूत्र के 'स्याम् यदि नित्योलोपः स्यात्' इस भाष्योक्त के व्याख्यान से होता है और यहीं चतुर्थ आह्निक की व्याख्या सम्पन्न होती है।[2] डा. स्वामिनाथन द्वारा सम्पादित पुस्तक का अंश किसी दूसरी प्रतिलिपि पर आधारित हो, इसके विपरीत पं. मीमांसक द्वारा उल्लिखित हस्तलेख 'ङिच्च' (१.१.५३) सूत्र पर्यन्त उपलब्ध है। इसका परिमाण प्रायः ५७०० श्लोक है। भाष्यदीपिका के विस्तार का परिणाम चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार २५००० श्लोक है। 'भाष्यदीपिका' की समग्रता के विषय में विक्रम की द्वादश शती ११०० के जैन वैयाकरण वर्धमान ने 'गणरत्न महोदधि'[3] में केवल 'त्रिपादी' पर व्याख्यान लिखे जाने की सूचना देते हुए व्याख्यान की सम्पूर्णता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। उनके उल्लिखित प्रमाणों के आधार पर भाष्य दीपिका का सम्पूर्ण होना

---

१. "भर्तृहरिणेदं कृतं यस्यायमौदार्यमहिमा, यस्यास्मिन् शास्त्रे एवंविधा सारो दृश्यते, तस्यायं श्लोकः प्रबन्धस्तस्मादादरणीयमेतदिति लोकः प्रवर्तमानो दृश्यते इति।"ध्वन्यालोकलोचन पृ. ५५३ चौखम्भासंस्करण

२. महाभाष्य टीका (चतुर्थाह्निक पर्यन्त) हिन्दूविश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण, १९६५, पृ. १७८

३. भर्तृहरि वाक्यप्रदीयप्रकीर्णकयोः कर्ता महाभाष्यत्रिपाद्या व्याख्याता च-जी.आर.एम नं. ५१.२

निर्विवाद है।[1] मीमांसक जी ने अपने इतिहास में (पृ. ४०३) स्वयं भर्तृहरि द्वारा लिखित 'वाक्यपदीय' (ब्रह्मकाण्ड) की 'स्वोपज्ञ टीका का उद्धरण देते हुए यह सिद्ध किया है कि भाष्य दीपिका सम्पूर्ण ग्रन्थ पर लिखी गयी थी। इसके अतिरिक्त पुरुषोत्तम देवकृत 'भाषावृत्ति' 'दैवम' ग्रन्थ व्याख्याकार कृष्ण लीला शुकमुनि, परिभाषा भास्कर' कार हरि भास्कर 'दुर्घटवृर्त्तिकार शरणदेव, तंत्रप्रदीपकार मैत्रेय रक्षित, परिभाषावृत्तिकार, अरिदेव, ज्ञापकसमुच्चयकार पुरुषोत्तम देव आदि विद्वानों के स्वविरचित ग्रन्थों से भर्तृहरि की टीका का सम्पूर्ण अतिस्त्व सिद्ध होता है।[2]

व्याख्या की विशेषता-'वाक्यपदीय' के काण्ड विभाजनों से यह विदित होता है कि उन्होंने उसके पूर्व 'भाष्यप्रदीप' की रचना की हो। प्रकृत सामग्री के अध्ययन से यह निश्चित है कि शब्द शास्त्र के शब्दतत्व की ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ तथा उसका निर्वचन करने में उन्हें अभीष्ट सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः उन्होंने महाभाष्य के प्रथम वाक्य 'अथशब्दानुशासनम्' के अन्तर्भूत 'शब्द' की शक्ति का वास्तविक स्वरूप अथवा उसके दार्शनिक तत्व की खोज में अपनी शक्ति लगा दी। उन्हें इस दिशा में पतञ्जलि से पूर्व व्याडि, कात्यायन, आपिशलि, शाक्टायन, प्रभृति आचार्यो के 'शब्द-दर्शन से नई दिशा प्राप्त हुई। भर्तृहरि ने महाभाष्य में निर्दिष्ट लौकिक तथा 'वैदिक' शब्दों के अन्वाख्यान का अवलम्बन कर, शब्द के सिद्धान्त को प्रवर्तित किया तथा स्फोट-विमर्शन की ब्रह्मपूर्व पीठिका भाष्य की टीका के रूप में निर्मित कर 'वाक्यपदीय' प्रासाद को उपस्थापित किया। भर्तृहरि ने इसका स्पष्टीकरण दीपिका व्याख्या में किया है। वाक्यपदीय में उनका कथन है- 'शब्द स्फोटात्मा है इसकी अभिव्यक्ति के बाद वैकृत ध्वनियां समुद्भूत होती है। किन्तु स्फोटात्मा शब्द उससे भिन्न है।[3] इस सिद्धान्त की भर्तृहरि ने दीपिका व्याख्या में उच्चरित शब्द की व्याख्या करते हुए वस्तुगत अर्थबोधक स्वरूप को ही 'स्फोट संज्ञा दी है, वही शब्दात्मा एवं नित्य भी है।[4] दीपिकाकार ने ध्वनि का निरूपण करते हुए इसी बात की पुष्टि की है।[5]

इसी प्रकार प्रत्याहाराह्निक के अन्त में प्रकृत विषय को अभिव्यंजित करते हुये प्रसङ्गवश 'अक्षर' शब्द का निर्वचन कर शब्द ब्रह्मपरक पर्यवसान किया है। 'अक्षर' अविनाशी है, अर्थात आकाशदेश स्थित शब्द की व्यञ्जना को अभिलक्षित कर स्फोट को व्यङ्ग्य रूप में प्रस्तुत करते हुए 'ध्वनिसिद्धान्त' की उपस्थापना द्वारा अभिनव क्रान्ति की

---

१. संहितासूत्र भाष्यविवरणे बहुधा विचारितम्, भाग-१, ४ संस्करण

२. द्र. स्व व्या. शत. इ.पृ. ४०३-४०५

३. वा. १.७७, ८१, १०६

४. एतच्च अर्थस्वरूपं स्फोटः अयमेव शब्दात्मा नित्यः प्रदीप व्याख्या-पस्पशाह्निक का.हि.वि.वि. संस्करण पृ. ४

५. उक्तं च-'स्फोटः शब्दो ध्वनिस्तस्य व्यायामादुपजायते-दीपिका १.१.३

लहर फैलायी। इस संदर्भ में भर्तृहरि कहते हैं-'अक्षर'शब्द का अर्थ ह्रास रहित न होकर नाश रहित है। (नित्य) जिस प्रकार क्षय क्रिया समाहृत काल संज्ञा धारण करता है, और वह क्षय क्रिया का कर्म बन जाता है। इसके विपरीत 'अक्षर' कालातीत होने के कारण, नित्य है।[1] इस प्रकार का निर्वचन उनकी सूक्ष्मदर्शिता का परिचायक है वर्ण भी 'अक्षर' पद वाच्य है- इस विषय पर डा. कीलहार्न ने 'पूर्वपाणिनीय' सूत्रों की ओर संङ्केत किया है। तदनुसार पं.जीवराम कालिदास राजवैद्य द्वारा सम्पादित और काठियावाड़ से प्रकाशित (प्रायः २०३० वै.मे) २४ सूत्रात्मक ग्रन्थ में निर्दिष्ट छः स्थानों पर महाभाष्यस्थ 'वर्णंवाऽऽहुः पूर्वसूत्रे' का अंश 'पूर्वसूत्रे' विद्यमान् है। उक्त ग्रन्थ का एक सूत्र 'अक्षराणि वर्णाः २२वां सूत्र है। तथा भाष्यस्थ 'वर्ण' वाऽऽहुः पूर्वसूत्र का स्पष्टीकरण भी यही द्योतित करता है। कि पूर्वाचार्यो को भी अक्षरार्थक 'वर्ण' पद अभीष्ट है। (अथवा पूर्वसूत्रे वर्णस्याक्षरमिति संज्ञा क्रियते) वस्तुतः यह अर्थ यौगिक न होकर रूढ़ है। यहाँ किन्ही, आचार्यों का उल्लेख न होने से किस आचार्य को यह अर्थ अभीष्ट है, यह विदित नहीं होता। फिर भी पारम्परिक इन्द्रादि आचार्यो के द्वारा यह मान्यता दी गयी है। म.म.पं.माधव शास्त्री भाण्डारी ने अपनी स्फोटविमर्शिनी व्याख्या में स्पष्टतया 'वर्णः' अक्षराणि को ऐन्द्रसूत्र माना है।[2] तृतीय आह्निक के प्रारम्भिक दो सूत्रों- वृद्धिरादैच् १.१.१ तथा 'अदेङ् गुणः'१.१.२- की व्याख्या प्रकृत वी. स्वामिनाथन सम्पादित में उपलब्ध नहीं है किन्तु तदनन्तर 'इकोगुणवृद्धी' १.१.३ सूत्र का भाष्य विशद रूप आलोडित किया गया है और आरम्भ में ही इसकी ओर संकेत किया गया है कि इस परिभाषा सूत्र के अनुसार विधि शास्त्र में प्रयुक्त 'गुण' और 'वृद्धि', शब्द अपनी संज्ञा के रूप में जहां विधीयमान होते है, वहां वे 'इक्' के स्थान में समझे जांये।[3]

विशिष्ट स्थलों पर भर्तृहरि ने इसी प्रकार अपने विशेष मन्तव्य की झलक देकर 'प्रदीप' नाम को सार्थक बना दिया है। और प्रस्तुत संस्करण के सर्वान्तिम सूत्र 'नाज्झलौ' १.१.१० के व्याख्यान में सवर्ण संज्ञा के निषेध का ग्रन्थि सुलझाने में महत्वपूर्ण योग दिया है। सामान्यतः स्थान तथा समान प्रयत्न वाले वर्ण 'सवर्ण' संज्ञक होते हैं। ऐसी स्थिति में कतिपय स्वर एवं व्यञ्जन भी सवर्ण संज्ञक होने लगते और उनमें परस्पर यथाश्रुत सन्धिकार्यादि कर अनिष्ट रूप सिद्ध होने की आशंङ्का व्याप्त होती। इस सन्देह का निराकरण करने में महर्षि पाणिनिकृत केवल तीन अक्षरों का सूत्र 'नाजुझलौ १.१.१०

---

१. न क्षीयते इति। यथा क्षणः क्षणोन्तेः प्रक्ष्णुतः कालो भवति। क्षणोतिः क्षयकर्मेति। मं. दीपिका, आर.-२पृ.-१०७ ।। का.हि.वित्रवि. संस्करण।।

२. इदानी योगार्थ परित्यज्य रूढ्या अक्षरशब्दस्य वर्णवाचकता इत्याह-वर्णवाऽऽहुः पूर्वसूत्रे इति। पूर्वेषां सूत्र पूर्वसूत्रम्, पूर्वेषाम् इन्द्रादिव्याकरणप्रणेतृणाम् आचार्याणां सूत्रमित्यर्थः। तथा च सूत्रम्-वर्णा अक्षराणीति।। लाहौर संस्करण, सन १९२९।। पृ. ११७।।

३. गुणवृद्धिसहचरिते ये गुणवृद्धी, ते इकः स्थाने भवतः।। म.भा.दी.पृ.११०।। का.हि.वि.वि. संस्करण।।

अस्पष्ट रहा। फिर भी महाभाष्य ने कहा है आभ्यन्तर प्रयत्न चार के स्थान पर पांच प्रकार के मान कर ऊष्म वर्णों-श, ष, स, ह, का ईषद्-विवृत एवं स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न मान कर 'दधि + हरति' इत्यादि उदाहरणों में प्रयत्न भेद होने के कारण कोई दोष नहीं है। साथ ही नाज्झलौ १.१.१० सूत्र का प्रत्याख्यान किया है। पुनश्च 'वाक्य परिसमाप्तिन्याय' से सूत्र की उपयोगिता भी बतलायी है। भर्तृहरि के अनुसार महावाक्य का अर्थ उपवाक्यों के अर्थ पर निर्भर रहता है। 'अणुदित सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः (१.१.६९) सूत्रस्थ सवर्ण पद का अर्थ निर्धारित करने में 'तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्' (१.१.९) और 'नाज्झलौ' (१.१.१०) ये दो सूत्र-वाक्य उसके अंङ्ग हैं। इसके अतिरिक्त'अण्' पद का अर्थ ज्ञापक वाक्य भी उसका अंङ्ग है। तथा 'अण् पद के निरूपक 'आदिरन्त्येन सहेता' (१.१.७१) सूत्र की उपयोगिता 'नाज्झलौ' १.१.१० सूत्र से सम्बद्ध 'अच्' (स्वर) एवं हल् (व्यजन) ज्ञान के लिए आवश्यक है। अतः आदिरन्त्येन सहेता' वाक्य 'नाज्झलौ' का भी अङ्ग है। आदिरन्त्येन सहेता तथा 'हलन्त्यम्' ये दोनों सूत्र भी परस्पर सापेक्ष हैं। इन सबकी एकवाक्यता होने पर ही महावाक्य बनेगा।[1]

उपर्युक्त विवेचन से भर्तृहरि की निर्वचन शैली का परिज्ञान होता है। महाभाष्यकार की 'चूर्णिका शैली' को भर्तृहरि ने और अधिक स्पष्ट करते हुए विषयगत विवेचन में विश्लेषणात्मक दृष्टि अपनाई है। इस कारण भर्तृहरि ने भाष्यगत अनेकस्थल पाणिनि और पतञ्जलि के दृष्टिकोणो में समन्वयात्मक पक्ष को प्रबल कर सैद्धान्तिक स्वरूप प्रदान किया है। वैयाकरणों में यह परम्परा कैयट के समय से चलकर आज तक विद्यमान है। उनकी शैली की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने 'टीका' करते समय मीमांसा पर आधारित निर्णय पक्ष उपस्थिति किया है। जब कि वाक्यपदीय का निर्णय पक्ष न्याय पद्धति पर आश्रित है।

भर्तृहरि कृत 'महाभाष्यदीपिका' के प्रकाशन का सर्वप्रथम श्रेय पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु महोदय को है, जिन्होंने १९६१ ई. में सुप्रभातम पत्र के माध्यम से ३२ पृष्ठ सम्पादित कर प्रकाशित किये, परन्तु कार्य व्यस्तता के कारण यह कार्य अधूरा ही रह गया। इसके अतिरिक्त पं. काशीनाथ अभ्यंकर द्वारा सम्पादित संस्करण की चर्चा भी मीमांसक जी ने अपने इतिहास के प्रकाशन में की है एवं उसका प्रकाशन भण्डारकर शोध संस्थान पूना से हुआ था। अभ्यंकर जी ने अपने प्रस्तावना खण्ड में यह उल्लेख किया है कि वह इसकी प्रकाशन योजना में लगे हैं। यह उल्लेख अपनी भूमिका में सन १९५४ ई. में किया था।

---

१. वाक्यापरिसमाप्तेर्वा।। वा।। 'नास्ति ग्रहणमिति इदं वाक्यम्, अपरिसमापत्यर्थत्वपरः अणुदितसवर्णस्य च ।।१.१.६९।। इत्यपरिसमाप्तमित्युचयते। कथं पुनरस्यापरिसमाप्तत्वम् ? अङ्गयोरनिर्ज्ञानाद् बाह्यस्य इमे अङ्गे अणिति च, सवर्णस्य चेति। तेपश्चनिर्ज्ञाते भवतः अयमस्य सवर्ण इति, तदा ग्रहणम्। तत्रोपदेशः इत्संज्ञा प्रत्याहार इत्येतेष्वस्य ग्रहणं प्रति नास्ति व्यापारः। यत्रैव तावत् अणिति रूपमुच्चारितम् अन्यः अणुदित् सर्वणस्येति तत्रैव तावत् ग्रहणम।। म.भ.प्र.पृ.१७७।। वी. स्वामिनाथन् संस्करण।।

कैयट-भर्तृहरि के अनन्तर अनेक शताब्दियों तक महाभाष्य का अध्ययन-अध्यापन तो किसी रूप में अवश्य होता रहा हो, किन्तु उसके साक्षिस्वरूप किसी व्याख्या ग्रन्थ की उपलब्धि नहीं होती। इसके कारणों में से विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि काशिका की रचना के अनन्तर बौद्ध ग्रन्थों के प्रभाव से महाभाष्य का पठन-पाठन अवरूद्ध हो गया। अथवा भाष्य ग्रन्थ के बार-बार प्रायः लुप्त होने से उसके प्रति रुचि शिथिल पड़ गई। फिर भी महाभाष्य का सर्वथा लोप नहीं हुआ और उसके रहस्य का उद्‌घाटन करने के लिये कैयट सदृश महावैयाकरण अवत्तीर्ण हुए और उन्होंने भर्तृहरि विरचित 'दीपिका' के प्रकाश में अपने प्रदीप की ज्योति समाविष्ट कर दी। भर्तृहरि को ज्योति प्रज्वलित करने में चन्द्राचार्य का प्रमुख हाथ रहा और उन्होंने लुप्त महाभाष्य को पुनः प्रकट किया। इनके तीन सौ वर्षों के अनन्तर काश्मीर नरेश जयापीड के सभा पंडित शब्द विद्योपाध्याय ने द्वितीय बार महाभाष्य का उद्धार किया। इस परम्परा की अन्तिम शृखला को सुदृढ़ करने वाले कैयटोपाध्याय प्रसिद्ध हुए। महाभाष्य के अध्ययन की विषमता की ओर श्री हर्ष कवि ने अपने **नैषधीय चरित** में इस प्रकार उल्लेख किया है-'फणिभाषित भाष्यफक्किका विषमा कुण्डलनामनापिता' **कैयट किसके अनुगामी रहेः**-यह प्रश्न सुलझ नहीं सका है। किसी अज्ञातनामा टीकाकार के सम्बन्ध में विद्वानों का यह अनुमान है कि 'निरुक्त' के व्याख्याता स्कन्द स्वामी से कुछ पूर्व किसी विद्वान् ने महाभाष्य पर व्याख्यान लिखा हो। इसके प्रमाण स्वरूप स्कन्द स्वामी की व्याख्या के 'भाव' पद को 'शब्द' परक मानना बताया है। इस प्रकार की पद योजना 'महाभाष्य के ५.१.११ सूत्र में विद्यमान है। इसके व्याख्या स्वरूप स्कन्दस्वामी ने अपने ग्रन्थ में उस प्रतीक को लेकर थोड़ा सा विस्तार दिखाते हुए भाष्य के अज्ञातनामा टीकाकार का स्मरण कराया है।[1]

परिचय देश-कालः- कैयट ने अपने विषय में अधिक परिचय नहीं दिया है। अतः उनके देश के सम्बन्ध में आनुमानिक आधार ही सुविचार्य है। कैयट के समान उव्वट, मम्मट, वज्रट आदि नामें के कश्मीर में होने के कारण इन्हें निश्चित रूप में कश्मीर निवासी माना गया है। कश्मीर में बहुत प्राचीनकाल से व्याकरण का अध्ययनाध्यापन चला आ रहा था। स्वयं महाभाष्यकार पतञ्जलि और भर्तृहरि आदि भी कश्मीर को अलंकृत करते रहे। कैयट का महाभाष्य के प्रति आकर्षण इस बात का द्योतक है। इनके पिता जैयट थे, जैसा

१. 'तस्यभावस्त्वतलौ' ५.१.११९ यद्वा सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति, समेषां भावे यद्वा सर्वे शब्दाः स्वेनार्थेन भवन्ति, समेषामर्थ इति- इस प्रकार महाभाष्य पर 'निरुक्त' व्याख्याकार स्कन्दस्वामि द्वारा परकिल्पित अज्ञातनामा व्याख्याकार का मत--"अन्येवर्णः-भावशब्दः शब्दपर्यायः तथाच प्रयोगः- यद्वा सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति समेषां भाव इति, 'सर्वे शब्दाः स्वेनाऽर्थेनाऽर्थभूताः सम्बध्या भवन्ति स तेषां स्वभाव इति तत्र व्याख्यायते।"।। निरुक्त १२।। -आधार द्रष्टव्य-पं. मीमांसक जी का इतिहास भाग १, ४१८ चतुर्थ संस्करण ।। २०४१ वि.।।

कि वह अपने प्रदीप की पुष्पिका में-इत्युपाध्यायजैयटपुत्रकैयट कृते महाभाष्य प्रदीपे इत्यादि उल्लेख करते है। इसके अतिरिक्त अन्य कैयट 'देवीशतक' के व्याख्याकार है, जिनके पिता चन्द्रादित्य हैं। इनके गुरू के सम्बन्ध में केवल डा.वेल्वल्कर ने ही उल्लेख किया है और उनका 'महेश्वर' नाम निर्देश किया है।[1] पुनरपि अन्यत्र प्रमाण न मिलने से यह चिन्तनीय है। किन्हीं उद्योतकर को इनका शिष्य बतलाया गया है, जो 'न्यायवार्तिककार' उद्योतकर से भिन्न हैं यह उद्योतकर भी व्याकरण शस्त्र के विशिष्ट विद्वान् रहे, जिसके ग्रन्थ के उद्धरण पं. चन्द्रसागर सूरि विरचित 'हेमबृहद्वृत्ति' की आनन्द बोधिनी टीका और श्री विजयानन सूरि शिष्य अमर चन्द्र विरचित 'हेमवृहद्वृत्त्यवचूर्णि' में होने का संकेत पं. युधिष्ठिर मीर्मीसक ने अपने इतिहास में किया है।[2] उव्वट, अल्लट तथा मम्मट को इनका भाई कहा जाता है, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं होते है।'यजुर्वेदभाष्यकार' उव्वट अपने भाष्य के अन्त में अपने पिता का नाम बज्रट लिखते हैं।[3] मम्मट के विषय में कैयट के भ्राता होने का उल्लेख 'सुधासागर कार' भीमसेन (१७७६) करते है। इससे अधिक इनके परिवार के विषय में विवरण उपलब्ध नहीं है।[4]

इनका स्थिति काल बाह्यसाक्ष्यों पर ही आधारित है। स्वयं उन्होंने 'भाष्यप्रदीप' में अपने समय आदि का उल्लेख नहीं किया है। कैयट के अनन्तर अनेक वैयाकरणों ने अपने-अपने ग्रन्थों में इनके ग्रन्थों के उदाहरण दिये है। इनके आधार पर इनका समय विक्रम संवत् के ११ वें शतक का आरम्भ स्थित किया जाता है। इन ग्रन्थकारों में 'टीकासर्वस्वकार' सर्वानन्द (१३१५ वि.सं.) धातुप्रदर्शन टीकाकार (११६ वि.सं.)

'धातुप्रदीपकार मैत्रेय रक्षित (११६५ वि) 'रूपावतारकार' धर्मकीर्ति (११४०वि.सं.) 'पदमंजरी' कार हरदत्त (१११५ वि.सं.) प्रभृत्ति हैं। तत्पश्चात प्रदीप का कैयट का आर्विभाव माना जाने से उनका स्थिति काल विं.स.१०६० कल्पित है। पं. काशीनाथ अभ्यंकर जी ने इनका स्थितिकाल ११ वीं सदी का उत्तरार्ध माना है। यह काल काश्मीर का सारस्वत स्वर्णयुग था।

---

१. द्र.सिस्टम्स आफ् संस्कृत ग्रामर,पैरा २८
२. द्र. व्या. इतिहास युधिष्ठिर मीमांसक, भाग १, पृ. ४१६।। च०स्व।।
३. आनन्दपुरवास्तव्य बज्रटस्य च सूनुना। उव्टेन कृतं भाष्यम्
४. पं. मुकुन्द शास्त्री खिस्ते द्वारा सम्पादित 'काव्यप्रकाश' चौखम्बा प्रकाशन १९२७ ई.

'महाभाष्य प्रदीप' का वैशिष्ट्य

कैयट द्वारा लिखित 'महाभाष्य प्रदीप' ने अपने नाम को सार्थक बनाकर पतञ्जलि की कीर्ति को शब्दशास्त्र के क्षेत्र में प्रसारित किया। महाभाष्य के रहस्य का उद्‌घाटन, पूर्वकालिक आचार्यों के मत-मतान्तरों का विवेचन, भाष्यस्थ फक्किकाओं का स्पष्टीकरण आदि विषय संयोजित कर व्याकरण के अध्येताओं को नई दृष्टि दी। भर्तृहरि की दीपिका तथा वाक्यपदीय के प्रकीर्ण काण्ड से उन्हें जो प्रेरणा मिली[1] उसका प्रतिफल कैयट का 'प्रदीप' उस समय से आजतक महाभाष्य को वैयाकरणों का कण्ठहार बननें में अपनी भूमिका निभा रहा है।

कैयट ने भाष्य के प्रत्येक शब्द पर व्याख्या लिखी है। सर्व प्रमुख महत्व इतने बड़े ग्रन्थ को संक्षिप्त रूप में विवेचित करना है। निश्चय ही इस संक्षेप के विषय में भर्तृहरि की 'दीपिका' उनका मार्गदर्शक है। अन्यथा महाभाष्य के विस्तार का ध्यान रखते हुए व्याख्या कदाचित् समाप्त भी न हो पाती[2]।

महाभाष्य की 'त्रिपादी' स्थित भर्तृहरि कृत व्याख्यान को ध्यान में रखते हुए कैयट कृत 'प्रदीप' का अवलोकन करने से यह बात स्पष्ट होती है। कि भर्तृहरिकृत व्याख्यान उनके समय अवष्य उपलब्ध रहा था उन्होंने उससे पर्याप्त लाभ उठाया। निम्नलिखित कतिपय अंशों की परस्पर तुलना करने पर यह बात अधिक स्पष्ट होती है-

भर्तृहरि	कैयट
१. यथार्थ वैदिकानां पृथगुपादानम्। प्राधान्यस्यापि हि सामान्ये नामार्थ भूतस्य पृथगुपदेशो दृश्यते ब्राह्मणा आयाता, वसिष्ठोऽप्यायात' इति।	१. वैदिकानामपि लौकिकत्वे प्रधान्याख्यापनाय पृथगुपादानम। यथा-ब्राह्मणा आयाता वशिष्ठोऽप्यायात इति वसिष्ठस्य।
२. भाष्येशब्दानामेवेदमनुशासनं न वैदिकानाम्।	२. अथवा-भाषाशब्दानामेव लौकिकत्वमिति भेदेन निर्देशः
३. आकृतिरिति तत्संस्थानम् किं तर्हि जातिरेव। आक्रियेत अनयेति आकृतिः। आक्रियतेति भिद्यते पदार्थान्तरेभ्य इत्याकृतिः	३. आकृतिः-जातिः संस्थाने च।आक्रियते व्यवच्छिद्यते स्वाश्रयाऽनयेति।

एक बात और विशेष रूप से उल्लेखनीय है कैयट नें अधिकतर पतञ्जलि के विचारों को ही प्रमुखता दी है। नागेश उनसे एक कदम और आगे बढ़ गए हैं उदाहरणार्थ पतञ्जलि ने 'चत्वारि वाक्परिमिता पदानि' में अवस्थित 'चत्वारि' की व्याख्या में नाम, आख्यात्,

१. 'तथापि हरिवदृब्धेन सारेण ग्रन्थसेतुना' महाभाष्य प्रदीप का प्रारम्भ
२. विस्तरेण भर्तृहरिणा प्रदर्शित ऊट्ः 'अहशब्द का व्याख्यान।

उपसर्ग और निपात का उल्लेख किया है, जब कि भर्तृहरि ने कर्मप्रवचननीय का अन्तर्भाव निपात में किया है। यही पर कैयट ने कर्मप्रवचनीय के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया है। नागेश ने 'चत्वारि' पद को परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा बैखरी का अन्वर्थक माना है। उन्होंने इस प्रकार का अर्थ शिवदृष्टिपरक स्वीकार किया है।

शाब्दिक प्रक्रिया के अतिरिक्त व्याकरण का दार्शनिक पक्ष भी कैयट ने पल्लवित किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह परम्परा भर्तृहरि, वामन-जयादित्य, जिनेन्द्रबुद्धि, कैयट तथा भोज आदि के समय से चली आ रही है। फिर भी कैयट नें भर्तृहरि का अनुसरण उनके ग्रन्थ 'वाक्यपदीय' को आधार मानकर यथेष्ट किया है। किन्तु कैयट का विशेष अभिनिवेश महाभाष्य के दार्शनिक तत्वों को सुलझाने में पतञ्जलि के प्रामाण्य[1] पर निर्भर है।

इसके साथ ही कैयट द्वारा सूचित पाठकारों से भर्तृहरि कृत 'दीपिका' में उपलब्ध पाठों का परिज्ञान होता है। प्रदीप के अध्ययन से व्याकरण शास्त्र की शास्त्रार्थ परम्परा परिपुष्ट होती है। इस प्रसङ्ग में म.म.पं. काशीनाथ वासुदेव अभ्यंकर ने अपने मराठी व्याकरण महाभाष्य के प्रस्तावना खण्ड (पृ-३६०) में यह श्लोक उद्‌धृत करते हुए शास्त्रार्थ के विकास की ओर संङ्केत किया है-

"सुधे-सुधे वारिवधात् सुराणां सुका रणे लाघवतश्च रामः।
विशेषणे द्वे य इहादिकर्तुर्वेददधीती स हि कैयटीयः।।"

यह श्लोक अज्ञातनाम किसी विद्वान् द्वारा विरचित है अथवा कैयट के अध्ययन की पूर्णता की समीक्षा को ज्ञापित करने के उद्देश्य से विरचित किया गया है। 'सुधे' और 'सुका' ये प्रकृत श्लोकस्थित दो पद क्रमशः 'सुधिन्व' और 'सुकृण्व' इन शब्दों के प्रथमा एक वचनों के रूप में है। ये दोनों शब्द 'कैयट-प्रदीप' में उपलब्ध हैं। इस श्लोक से यही निष्कर्ष निकलता है कि कैयट का अध्ययन किये विना भाष्य का स्वारस्य अनुभवगम्य नहीं हो सकता। अतः यह पारम्परिक प्रवाद है कि 'भाष्य' और 'कैयट' (प्रदीप) परस्पर पूरक हैं इसी बात को टीका-ग्रन्थकार 'तदुक्तं भाष्यकैयटयोः' कहकर अपने ग्रन्थों को प्रमाण कोटि में उपन्यस्त करते हैं। व्याकरण की दुरूहता का परिहार 'प्रदीप' के प्रकाश से भी नहीं हो सका। इसके फलस्वरूप कैयट के अनन्तर भाष्य की व्याख्या में भी अनेक विद्वान् अग्रसर हुए इनकी टीका सम्पत्ति विपुल है। फिर भी मीमांसक जी ने अपनी पुस्तक में इन टीकाकारों की संख्या इक्कीस दी है, जिनमे एक अज्ञातकर्तृत्व भी है।

---

१. भाष्यकारस्तु कुणिदर्शनम् आशिश्रियत-प्रदीप १.३.४, ज्ञानस्य शब्दरूपत्वापत्तिरिति दर्शनमत्रभाष्यकारस्य-प्रदीप १.४.२६

कैयट से परवर्ती भाष्य व्याख्याता काल क्रमानुसार इन व्याख्याताओं में ज्येष्ठ कलश (सं. १०८५-११३५ वि.) सर्वप्रथम उल्लेखनीय है, किन्तु उनकी व्याख्या का कुछ भी अंश कहीं प्राप्त नही हुआ है। पता नहीं, कौन से ऐतिहासिकों ने इस प्रवाद को प्रचलित किया। मीमांसक जी ने इस प्रवाद का आधार कृष्ण-आचार्य को माना है।[1] कृष्णामाचारी ने विह्लण के विक्रमाङ्क देवचरित के १८/७६ श्लोक में वर्णित भाष्य व्याख्यान के अध्यापन की ओर संकेत किया है, वस्तुतः वह ज्येष्ठकलश की स्वयं व्याख्या नहीं है।[2] द्वितीय व्याख्या का मैत्रेयरक्षित (सं.११४५-११७५ वि) को सीरदेव ने अपनी 'परिभाषावृत्ति' में उद्धृत किया है। इन्होंने तीन उद्धरणों को रक्षितकृत स्वीकार किया है। मीमांसक जी ने चतुर्थ उदाहरण कैयट का स्वीकार किया है, क्योंकि वह अंश प्रदीप टीका में (७/४/२) में अक्षरशः मिलता है। मैत्रेय रक्षित बौद्ध वैयाकरण विद्वानों में प्रसिद्ध है।[3] इसके तृतीय व्याख्याता बंगदेश निवासी श्री पुरुषोत्तम देव (सं. १२२० वि.) 'प्राणपणा' नामक टीका के सम्बन्ध में प्रथम परिचय पं. दिनेश चन्द्र भट्टाचार्य ने दिया है। इसके सम्बन्ध में मीमांसक जी ने विदित कराया है कि इस लघुवृत्ति का कुछ अंश पुरुषोत्तम देव कृत 'परिभाषावृत्ति' के अन्त में उपलब्ध है, जो वारेन्द्र रिसर्च म्यूजियम, राजशाही, बंगाल (बंगला देश) से प्रकाशित है। इसकी व्याख्या के होने का प्रमाण श्री वैद्यनाथ पायगुण्डे कृत 'छाया' टीका में इनके मत का खण्डन करना है।[4] डा. दिनेश चन्द्र भट्टाचार्य के अनुसार इनकी लघुवृत्ति पर नवद्वीप निवासी शंकर ने एक टीका लिखी थी, जिसके कुछ अंश शोध पत्रों में प्रकाशित है। इस पर भी मणिकण्ठ ने विस्तृत टीका रची है। इसकी दूसरी व्याख्या किसी अज्ञातनामा में 'भाष्य व्याख्याप्रपञ्च' नाम से की है। इसके चौथे व्याख्याता बोपदेव के गुरू धनेश्वर (१२५०-१३००) उल्लेखनीय हैं। इनके द्वारा विरचित 'चिन्तामणि' नाम की टीका का उल्लेख पं. गुरुपद हालदार ने अपने 'व्याकरण दर्शन के इतिहास' में पृ. ४५७ पर किया है। इस क्रम में काशी का शेष वंश भी पीछे नही रहा। श्री नारायण शेष (१५१०-१५५० वि.) इसके पञ्चमव्याख्याता रहें। इनके पिता का नाम वासुदेव दीक्षित और पितामह का नाम अनन्त दीक्षित था। ये दोनों वैदिक विद्वान् थे। इन दोनों में श्री नारायण शेष के भाष्य की टीका के सम्बन्ध में 'सूक्तिरत्नाकर' में ही उल्लेख किया है। इसके अनुसार इनके आश्रयदाता श्रीफिरिन्दाय राजराज थे, जिनकी प्रेरणा से यह भाष्य व्याख्या लिखी गयी। मीमांसक जी के अनुसार इसका हस्तलेख बडौदा के 'राजकीय प्राच्यशोध हस्तलेख पुस्तकालय' में सुरक्षित है।

---

१. हिस्ट्री आर्फ क्लासिकल संस्कृत लिट्रेचर, पु. १६५।। कृष्णामाचार्य।।
२. "महाभाष्यव्याख्यामखिलजनवन्द्यां विदधातः। सदा यस्यच्छात्रैस्तिलकितमभूत् प्राङ्गणमपि।।
विक्रमांक-१८/७६
३. द्रष्टव्य-मीमांसक जी का इतिहास भाग-१, पृ-४२७
४. यत्तु च्व्योरित्यूइइति देवा तन्न..। नवाह्निक, निर्णयसागर, पृ. ३८३ का. २

श्री शेष नारायण के अनन्तर अनेक विद्वानों ने महाभाष्य को किसी न किसी रूप में दोहन करने में श्रेय समझा।[1] इसके फलस्वरूप ६ठें व्याख्याता श्री विष्णु मिश्र (सं. १६०० वि.) ने क्षीरोद नामक टिप्पणी लिखी, जिसका उल्लेख शिवरामेन्द्र विरचित महाभाष्य टीका[2] तथा भट्टोजीदीक्षितकृत शब्दकौस्तुभ में मिलता हैं।[3] यह विष्णु के अपर नाम से भी विदित रहे। रीवा स्थित श्री सीताराम दांत्तरे द्वारा सूचित किये जाने पर श्री मीमांसक जी ने सप्तम (७) व्याख्याता श्री नीलकंठ वाजपेयी (सं. १६००-१६७५) को भी भाष्य के व्याख्याताओं में परिगणित किया है। इनके 'भाष्यतत्वविवेक' का उल्लेख मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय के सूचीपत्र, भाग२, खण्ड १ए, पृ. १६, १२,, ग्रंथांक १२८८ पर किया गया है।

इसके अतिरिक्त इन्होंने सिद्धान्त कौमुदी की सुखबोधिनीं नामक व्याख्या तत्त्वबोधनी के आधार पर लिखी थी- जिसका उल्लेख नीलकंठ यज्वा ने 'सुखबोधिनी' के प्रारम्भ में वंश परिचय श्लोकों में दिया है।

> "रामचन्द्रमहेन्द्राख्यं पितामहमहं भजे।
> आत्रेयाब्धिकलानिधिः कविबुधालंङ्कारचूडामणिः
> तातः श्रीवरदेश्वरो मखिवरो योऽयष्ट देवान् मखे।
> अध्यैष्टाऽप्पयदीक्षितार्यतनयान् तन्त्राणि काश्यां पुनः
> षड् वर्षाणित्यज्येष्ट शिवतां प्रापनःसोऽवतात्।।
> श्रीवाजपेयिना नीलकंठेन विदुषां मुदे।
> सिद्धान्तकौमुदीव्याख्या क्रियते सुखबोधिनी।।
> अस्मद् गुरूकृतां व्याख्यां बह्वर्थां तत्त्वबोधिनीम्।
> विभाव्य तत्रानुक्तं च व्याख्यास्येऽहं यथामति।।"

इसके अतिरिक्त इनके पाणिनीय दीपिका, (ख) परिभाषा वृत्ति (ग) तत्त्वबोधिनी व्याख्यान गूढ़ार्थदीपिका आदि ग्रन्थों का भी उल्लेख मिलता है।

८. **शेष विष्णु**-(सं. १६००-१६५० वि.)-शेष वंश के ही एक दूसरे विद्वान् श्री शेष विष्णु कृत महाभाष्य के प्रारम्भिक दो आह्निकों की व्याख्या 'महाभाष्य प्रकाशिका'

---

१. श्रीमान् फिरिन्दायपराजः श्रीशेषानारायणपण्डितेन। फणीभाष्यस्य सुबोधटीकामकारयत् विश्वजनोपकृत्यै।।

२. तदिदं सर्वं क्षीरोदाख्ये त्रिलिङ्गतार्किकविष्णुमित्रविरचिते महाभाष्यटिप्पणे स्पष्टम्। काशी सरस्वती भवन की पाण्डुलिपि पन्ना ८,। प्रदीपव्याख्यानानि, भाग २, पृ. ५७

३. हयवट्सूत्रे क्षीरोदकारोऽप्याह। शब्दकौस्तुभ १.१.८

की पाण्डुलिपि बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में उपलब्ध होने से यह विदित होता है कि प्रारम्भ के दो आह्निकों का पठन पाठन पूर्वकाल में भी प्रमुख रूप से होता रहा। आज भी ये दो आह्निक विविध विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में समाविष्ट है। पुस्तिका से यह विदित होता है कि ये शेष नारायण के प्रपौत्र, कृष्णसूरि के पौत्र और महादेव सूरि के पुत्र थे।

९. **निरुमल यज्वा- (सं. १५५० वि. के आस-पास)**-व्याख्याओं की पंक्ति में श्री निरुमल यज्वा ने समाविष्ट हो 'अनुपरा' व्याख्या लिख कर वैयाकरणों में प्रसिद्धि पाई। इनके पिता श्री मल्लययज्वा ने कैयट के प्रदीप पर टिप्पणी लिखकर इन्हें भाष्यव्याख्यान लिखने के लिए प्रेरित किया मीमांसक जी के मतानुसार यह अन्नंभट्ट के पिता थे। इस सम्बन्ध में अन्य कोई प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है।

१०. **गोपाल कृष्ण शास्त्री (सं. १६५०-१७०० वि.)** भाष्यव्याख्यानों के सातत्य में श्री गोपाल कृष्ण शास्त्री विरचित 'शाब्दिकचिन्तामणि' का उल्लेख करते हुए कुछ संकोच होता है। यद्यपि अडियार सभा मद्रास के पुस्तकालयों के हस्तलेखों की सूची पत्रों में इसे महाभाष्य टीका के अन्तर्गत निबद्ध किया है तथापि इसके आद्यन्तपाठ से इस सम्बन्ध में कुछ सन्देह हो जाता है। तदनुसार यह ग्रन्थ 'शब्दकौस्तुभ' के सदृश 'अष्टाध्यायी' की स्वतंत्र व्याख्या के रूप में मान्य होना चाहिए। तदनन्तर-

११. **शिवरामेन्द्र सरस्वती (सं. १६७५-१७५०वि.)**- ने अपनी योगजशक्ति से महाभाष्य का रहस्य प्रस्फुटित कर शब्दशास्त्रियों को एक नई दिशा दी। फिर भी यह सम्पूर्ण रूप में प्रकाशित दृष्टिगोचर नहीं हुई। फिर भी षष्ठ अध्याय तक इसका संस्करण एम. एस. नरसिंहाचार्य के सम्पादकत्व में फ्रांसिस इण्डालाजी इंस्टिट्यूट, पाण्डिचेरी द्वारा 'महाभाष्य प्रदीप व्याख्यानानि' के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका है। प्रस्तुत व्याख्या में कैयटकृत प्रदीप तथा भर्तृहरि दीपिका की आलोचना होने से इस व्याख्या को कैयट प्रदीप की व्याख्या कहना कहां तक समुचित है ? यह भ्रम वश ही हुआ होगा। योगिराज श्री शिवरामेंन्द्र सरस्वती के गुरू श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य हरिहरेन्द्र भगवत् पूज्यपाद थे। 'महाभाष्य सिद्धान्त रत्न प्रकाश' नाम से इनकी भाष्य टीका विख्यात है, इससे विदित होता है कि दार्शनिक की भांति इन्होंने अपनी व्याख्या में स्वतंत्र तत्त्वान्वेषण द्वारा शाब्दिक सिद्धान्तों का निर्वचन प्रमाण पुरस्सर किया होगा। कैयट प्रदीप के अतिरिक्त शिवरामेन्द्र सरस्वती ने विष्णु मिश्र विरचित 'क्षीरोद' नामक महाभाष्य टिप्पण, कैयटकृत प्रदीप पर विवरण, शब्दकौस्तुभ, सिद्धान्त कौमुदी, प्रोढ़ मनोरमा, आदि ग्रन्थों पर यत्र-तत्र अपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत कर समालोचना की है। इसका संकेत स्वयं शिवरामेन्द्र सरस्वती ने

अपने 'सिद्धान्तरत्न प्रकाश' में यत्र-तत्र किया है।[1] इन्होंने इसके अतिरिक्त अन्यग्रन्थ 'मयूखमाला' लिखा था इसका उल्लेख स्वयं उन्होंने अपने 'सिद्धान्त रत्न प्रकाश' में किया है। केवल इन दो ग्रन्थों की रचना से ही इन्हें संतोष नहीं हुआ, किन्तु सिद्धान्त कोमुदी पर इन्होंने-रत्नाकर' टीका लिखकर तत्कालोचित परम्परा का निर्वाह किया। आफ्रेक्ट ने अपनी बृहत् सूची में इसे अकिंत किया है और जम्मू के रघुनाथ मंदिर पुस्तकालय में 'णेरणौ' (१.१.६७) सूत्र पर शिवरामेन्द्रयति के नाम से विरचित एक व्याख्यान ग्रन्थ भी है, इसका विरचनकाल सूचीपत्र के सम्पादक स्टाईन के अनुसार वि.सं. १७०१ वि. है। इस परम्परा का निर्वाह करने में-

१२. **श्री प्रयाग वेङ्कटाद्रि ने** भी 'विद्वन्नुमुखभूषण' अथवा 'विद्वन्मुखमण्डन' नामक टिप्पणी लिखकर अपना योग दिया। इसके हस्तलेख मद्रास और आडियार पुस्तकालयों में उपलब्ध है। अन्य विवरण कहीं उपलब्ध नहीं हुआ है। ऐसे ही अप्रसिद्ध लेखकों में

१३. कुमारतातय (सप्तदशशतक) परिगणित है। महाभाष्य की टीका का उल्लेख अपने दूसरे ग्रन्थ 'पारिजात' नाटक की प्रस्तावना में उन्होंने स्वयं किया है। इसके वर्णन से यह विदित होता है कि इन्होंने अनेक दार्शनिक भाष्य व्याख्यान विरचित किये।[2]

१४. **सत्यप्रिय तीर्थ स्वामी** (सं.१७६४-१८०१ वि)- विशेष रूप से अपेक्षित विद्वानों में मीमांसक जी ने उत्तरवधीश सत्यप्रियतीर्थ का भाष्य विवरण लिखने के विषय में उल्लेख किया। यह सूचना उनके मित्र श्री पद्मनाथ राव के पत्र के आधार पर की गयी है।

१५. **नारायण**-इसी प्रकार मीमांसक जी ने नेपाल दरवार के पुस्तकालय के सूची पत्र के आधार पर किन्हीं श्री नारायण विरचित 'महाभाष्य विवरण का सन्देहास्पद संकेत किया है। उनके विचार से यह नारायण 'प्रदीप विवरण' कार से अभिन्न हैं।

१६. **सर्वेश्वर दीक्षित**-ऐसी ही संदिग्ध व्याख्याओं में अन्य व्याख्या 'महाभाष्य स्फूर्ति' मैसूर राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र में अंकित है। यह व्याख्या भी अडियार पुस्तकालय सूची पत्र के अनुसार प्रदीप पर ही होनी चाहिए।

१७. **सदाशिव-(सं. १७२४ वि.)** इनके द्वारा विरचित 'महाभाष्यगूढार्थ दीपिनी' नामक टिप्पणी पूना स्थिति भण्डारकर प्राच्यविद्या शोध प्रतिष्ठान में सुरक्षित है उसके अन्त में ग्रन्थकार द्वारा लिखित श्लोक के अनुसार इनका काल शक. सं. १५८९- १७२४ है। इनके परिचय के सम्बन्ध में भी निश्चित रूप से उल्लेख मिलता है। तदनुसार ये दत्तात्रेय शिष्य श्री कमलाकर दीक्षित के शिष्य और श्री नीलकंठ के आत्मज थे।

---

१. द्र.-'महाभाष्य प्रदीप व्याख्यानानि' का उपादेयात्, भाग १, भाग २, भाग ३

२. "व्याख्याता फणिराट्-कणाद कपिल श्री भाष्यकारादिक- ग्रन्थानां पुरीदृशांचकरणे ख्यातः कृतीनामसौ।।"

१८. **राघवेन्द्राचार्य गजेन्द्रगडकर (१६ वीं सदी का उत्तरार्ध वि.)** उपर्युक्त संदिग्ध व्याख्याओं के अतिरिक्त गजेन्द्रगडकर जी द्वारा विरचित महाभाष्य की व्याख्या पर भी प्रश्नचिह्न उपस्थित कर मीमांसक जी ने समस्या उपस्थित कर दी है। म.म.प. श्री काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर जी ने अपने विस्तृत विवरण में इन्हें महाभाष्य व्याख्याता का कोई स्थान नहीं दिया है। इनके अन्य ग्रन्थों में लघुशब्देन्दुशेखर की 'विषमी' तथा 'परिभाषेन्दु शेखर' की त्रिपथगा' व्याख्याए वैयाकरणों में समादृत हैं। इनकी गुरुशिष्य परम्परा दोनों ही प्रसिद्ध रही है। सातारा निवासी गजेन्द्रगडकर जी की प्रसिद्धी इनके मातामह मध्य पीठ के सुधीन्द्र स्वामी के कारण हुई। आपने पुणेवासी श्री नीलकंठ शास्त्री थस्थे (वि. १८०७-१८६१) जी से अध्ययन किया।। आपके सतीर्थ्यों में म.म.पं. वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर सर्वाग्रणी रहे। पूना में अध्ययन के पश्चात् (१८६६ वि) वे सतारा वापस आ गए थे। वहीं इन्होंने अध्यापन कर अपनी शिष्य सम्पत्ति बढ़ाई। इन्होंने अपने पुत्र नारायणाचार्य, पौत्र अनन्ताचार्य के साथ ही श्री अनन्त शास्त्री पेंढारकर आदि को विद्यादान दिया। जीवन के अन्तिम दशक में इन्होंने ब्रह्मावर्त को अपनी विश्रामस्थली बनाया। यह विद्वद्वंश परम्परा अनन्ताचार्य के अनन्त इनके पुत्र बालचार्य तथा उनके पांच पुत्रों में से नरसिंहाचार्य, सेतुमाधवाचार्य और अश्वत्थामाचार्य ने अध्यापन का निर्वाह किया और अन्तिम दोनों पुत्रों ने ग्रन्थ सम्पत्ति की भी वृद्धि की। ब्रह्मावर्त में इस परिवार को अन्तिम पेशवाओं ने प्रश्रय दिया।

उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होता है के भर्तृहरि के अनन्तर लिखी गयी भाष्य व्याख्याओं में कुछ तो पूर्ण रही हों तथा अन्य स्थलविशेषों पर ही रची गयी हो। इस प्रकार महाभाष्य के व्याख्यानों की बाढ़ आने पर भी जनमानस इस कार्य से विरत नहीं हुआ। इसका प्रतिफल यह हुआ कि कैयट के अनन्तर उनके प्रदीप पर भी व्याख्याएं लिखी जाने लगी। व्याख्याएं न लिखकर यदि तत्कालीन विद्वान् महाभाष्य को आधार मानकर विषयबद्ध पृथक ग्रन्थ-रचना कराते तो वह अधिक उपकारी होती। सामयिक प्रवाह के अनुसार व्याख्यानों द्वारा ही विद्वानों ने अपना मनस्तोष किया।

महाभाष्य प्रदीप की व्याख्या किरणावली- (१) कैयट के अनन्तर उनके 'प्रदीप' की किरणों को समेटने तथा संजोने में उनके अनन्तर वर्ती विद्वानों ने अपने को धन्य माना। महाभाष्य के समय से ग्रन्थ के लुप्त होने की प्रक्रिया चिरकाल प्रर्यन्त चलती रही अतः ग्रन्थ की रक्षा हेतु विद्वानों ने आत्मसर्पण करना ही श्रेयकर समझा। इस दृष्टि से 'प्रदीप' के व्याख्याताओं में अनेक विद्वानों की व्याख्याएं लुप्त भी हुई और उनका नाम तथा कार्य कार्य शेष आगे आने वाले विद्वानों ने सुरक्षित रखा। इस परम्परा में 'उद्योत' की प्रखरता ने कुछ पूर्ववर्ती मनीषियों की किरणावली को आत्मसात् कर लिया। ऐसे पूर्ववर्ती विद्वानों में नौ तथा परवर्ती विद्वानों में चार की ग्रन्थसम्पति यत्र-तत्र सुरक्षित है। सर्वप्रथम कालक्रम

की दृष्टि से नागेश से पूर्व प्रदीप के व्याख्याकारों में (१) श्री रामसेवक (सं. १६५०-१७०० वि.) के सम्बन्ध में केवल अडयार पुस्तकालय में 'महाभाष्य प्रदीपव्याख्या' का संकेत ही प्रमाण है। इनके पुत्र कृष्ण मिश्र ने शब्दकौस्तुभ की भाव प्रदीप और सिद्धान्त कौमुदी की 'रत्नार्णव' व्याख्याएं लिखी थी। इसी प्रकार किन्हीं (२) चिन्तामणि (१५००-१५५० वि.) द्वारा विरचित (१.१.८ सूत्र से १.१.५७ तक) व्याख्यान बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में प्राप्त हैं। इसी श्रेणी में (३)मल्ल्य यज्वा (सं. १५२५ वि.प्रायः) ने समाविष्ट हो 'प्रदीप' पर टिप्पणी लिखी थी, जिसकी सूचना उनके पुत्र तिरुमलयज्वा ने अपने दर्शपौर्णमास मन्त्र भाष्य के प्रारम्भ में दी है।[1] प्रदीप के 'लघु' तथा 'बृहद्' विवरणों को अभिलक्षितकर (४) रामचन्द्र सरस्वती (सं. १५२५-१६०० वि. तथा (५) ईश्वरानन्द सरस्वती (सं.१५५०-१६००वि.) की रचनाओं में जो मद्रास, मैसूर और जम्मू के पुस्ताकालयों में सुरक्षित हैं- उनसे लेखकों की निश्चित कृति का बोध नहीं होता। इसी प्रकार उनके कर्ताओं का नाम भेद भी भ्रमोत्पादक है। इस बीच 'लघुविवरण' के प्रकाशित होने से उसे रामचन्द्र सरस्वती की कृति मानने में संदेह नहीं रह जाता[2] आफ्रेक्ट के अनुसार सत्यानन्द रामचन्द्र जी का नामान्तरण है। इस क्रम में (६) प्रसिद्ध तार्किक अन्नम्भट्ट (१५५०-१६०० वि.) का 'प्रदीपोद्योतन' विशेषरूप से उल्लेखनीय है। इनके सार्वदेशिक वैदुष्य से संस्कृतजगत् सुपरिचित है। ये राघव सोमयाजी कुल भूषण श्री तिरूमलाचार्य के पुत्र थे। अन्नंभट्ट ने काशी में शेष वीरेश्वर से महाभाष्य का अध्ययन किया था। इन्होंने वृद्धिरादैच् (१.१.१) के उद्योतन में प्रसंगवश अपने पूर्ववर्ती विवरणकार ईश्वरानन्द सरस्वती का उल्लेख किया है।[3] इन्होंने इसके पूर्व 'पाणिनीयाष्टक' पर 'मिताक्षरा' की रचना की थी। 'प्रदीपोद्योतन' के प्रकाशन की सूचना भी मीमांसक जी ने अपनी पुस्तक में दी है। (पृ. ४६०) 'विवरण' नाम से प्रभावित हो श्री (७) श्रीनारायण (सं. १६५४ वि. पूर्व) भी इसका संवरण न कर सके। इनकी कृति भारतवर्ष के विभिन्न पुस्तकालयों में सुरक्षित है। इनकी रचना के प्रकाशन में पाण्डचेरी ही अग्रणी रहा। वहां से एम.एम. नरसिंहाचार्य के सम्पादकत्व में इस 'विवरण' ने प्रदीप को उद्योतित किया। आदिम दो अध्यायों को छोड़कर तृतीयाध्याय से प्रकाशन के संबंध में मीमांसक जी ने उल्लेख किया है। होसियारपुर के हस्तलेख के आधार पर सम्पादक ने उन्हें केरल देशीय अग्रदार निवासी ऋग्वेदी, सामवेदाध्यायी आर्या तथा देवशर्मा का पुत्र कहा है। इन्होंने समग्र

---

१. यत्तुनित्रातु कृर्तिकैयटस्यापि टिप्पणी-दर्शपौर्णमासमन्मत्रभाष्य
२. मीमांसकजी की सूचना के अनुसार यह 'प्रदीप व्याख्यान' के अन्तर्गत भारतीय कला संकाय पाण्डिचेरी से प्रकाशित है।। द्र. भाग १, पृ. ४५६
३. समुद्रामावयव सन्निधौ क्व द्वित्व (३) तात्पर्यमिति वक्ष्यमाण विचारासङ्गतेश्च त्वमेव सम्यगिति विवरणवृतः- द्र. प्रदीप व्याख्यानानि भाग १, पृ. २२८

व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर अपनी शिष्यमण्डली तैयार की। भाण्डारकर शोध संस्थान के हस्तलेखक काशीवासी श्री माधव विद्यार्थी ने पाण्डुलिपि के अन्त में सं. १६५४ वि का लेखनकाल सूचित किया है, अतः इनका पूर्ववर्ती होना निश्चित है। इसके समर्थन में पृषोदरादीनि यथोपरिष्टम् (अ.६.३.१०६) सूत्र के श्री नारायणकृत 'प्रदीप विवरण' में 'निरुक्तश्लोकवार्तिक' कार केरलदेशीय श्री नीलकण्ठ गार्ग्य (वि. १४वी सदी) के उद्धरण की विद्यमानता प्रबल प्रमाण है।[1] विवरणों के प्रकाशन क्रम में (८) श्री नारायण शास्त्री (सं.१७१०-१७३०वि.) और (९) श्री प्रवर्तकोपाध्याय (सं.१६५०-१७३० वि.) भी उदीयमान हुए। इन दोनों में से श्री नारायण शास्त्री की पाण्डुलिपि मद्रास में तथा प्रवर्तकोपाध्याय की पाण्डुलिपियां आडियार, मैसूर, त्रिवेन्द्रम आदि में मिली है। आफेक्ट ने भी श्रीनारायण शास्त्री की पाण्डुलिपि का उल्लेख किया है। श्रीनारायण ,शास्त्री के अनुसार इनके गुरू श्रीमहामहोपाध्याय धर्मराजयज्वा थे। इनके भाई श्री नल्ला दीक्षित के पौत्र श्री रामभद्रयज्वा ने स्वयं को तञ्जौर नरेश शाह (राज्यारम्भ सं. १७४४ वि) का समकालिक कहा है। इसी के आधार पर श्री नारायण शास्त्री का काल १७०० वि. से १७६० वि. के मध्य अनुमानित है। प्रवर्तकोपाध्याय कृत व्याख्यान 'प्रदीपप्रकाशिका' अथवा प्रदीप प्रकाश के नाम से अभिहित है। मीमांसक जी के अनुसार श्री वैद्यनाथपायगुण्डे की अनेकत्र छाया में उल्लेख होने से श्री प्रवर्तकोपाध्याय का नागेश भट्ट से पूर्ववर्ती होना सुनिश्चित है। यदि नरसिंहाचार्य ने अपनें उपोद्घात् में प्रवर्तकोपाध्याय तथा विवरणकार नारायण को अन्नंभट्ट से पूर्ववर्ती लिखकर इस सम्बन्ध में संशय उत्पन्न किया है। किन्तु पायगुण्डे की 'छाया' में इसका शमन होने से निश्चय कोटि में अब अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

(२) **श्री नागेशोपाध्याय (१७३२ वि.- १८०२ वि.) कृत भाष्य प्रदीपोद्योत तथा उनके अनुयायी** कैयट कृत 'प्रदीप' की 'उद्योत' टीका लिखकर नागेशभट्ट नें पाणिनीय व्याकरण के सिद्धान्तों को अभिलक्षित कर एक नई दिशा दी। वह नव्य व्याकरण के प्रवर्तकों में प्रसिद्ध हुए। व्याकरण को इस नई विधा ने उसमें दार्शनिकता का पुट तो अवश्य दिया, किन्तु उसके विधान की शैली में कठिनता ला दी। नई शैली पर न्याय शास्त्र की शब्दावली का अधिक प्रभाव पड़ा। तदनुसार किसी भी विषय के निर्णय होने के पूर्व उसे परिष्कारों की कसौटी पर कसना आवश्यक समझा जाता रहा है। अतः अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों की उपस्थापना के साथ शास्त्रीय पदार्थो का विवचेन कर दोष रहित लक्षण को सिद्धान्त के रूप में मान्यता दी जाने लगी। इस शैली का शुभारम्भ नागेश भट्ट ने यत्र-तत्र उद्योत में समाविष्ट किया है। यद्यपि उद्योत किसी प्रकरणविशेष को अभिलक्षित कर विरचित नहीं किया गया है। फिर भी उसमें पूर्ववर्ती टीकाकारों ने भाष्य

१. तथा च व्याख्यातम्-"प्रथमा प्रतिभानेन द्वितीयास्तु परेशतः। अभ्यासेन तृतीयास्तु वेदार्थान् प्रतिपेदिरे।।" इति

के सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने में जहां अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है वहीं नागेश नें प्राचीन वैयाकरणों के सिद्धान्तों की समीक्षा कर अपनी नई कल्पना से 'प्रदीप' को उद्योतित कर ग्रन्थ की सार्थकता सिद्ध ही है। इस कल्पना ने नागेश के समय से वैयाकरणों में 'प्राचीन' और 'नवीन' दो धाराएं प्रवाहित हुई है।

परिचय (देश-काल):- नव्य-व्याकरण के प्रवर्तक 'प्रदीप' के उद्योतक श्री नागेश मूलतः सतारा जनपदस्थ तासगांव के निवासी महाराष्ट्रीय देशस्थ ब्राह्मण थे। आप सती देवी के गर्भज[1] शिवभट्ट के आत्मज थे आपके गुरू सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री हरिदीक्षित भट्टोजीदीक्षित के पौत्र और 'अमरकोष' टीकाकार श्री रामाश्रम के पुत्र थे। इन्होंने न्याय शास्त्र का अध्ययन प्रसिद्ध श्री रामभट्टाचार्य से किया था।[2] आपके शिष्यों में वैद्यनाथ पायगुण्डे तथा उनके पुत्र श्री बाल शर्मा थे। उपनाम काले होने पर भी उन्होंने अपने को उपाध्याय कहने में गौरव माना है। काशी में प्रचलित जनश्रुति के अनुसार आपने १८ बार महाभाष्य का गुरूमुख से अध्ययन किया था। बारम्बार अध्ययन करने के फलस्वरूप इन्हें प्रदीपोद्योत के लेखन की प्रेरणा हुई हो।

जन आख्यायिका के अनुसार आपने विभिन्न शास्त्रों पर बारह शेखर और उतने ही उद्योत ग्रन्थ लिखे। इनमें 'भाष्य प्रदीपोद्योत' तथा गोविन्द ठाकुर के द्वारा काव्य प्रदीप की व्याख्या काव्यप्रदीपोद्योत महत्वपूर्ण है। 'शेखर' ग्रन्थों में लघु तथा बृहद्शब्देन्दुशेखर व्याख्याग्रन्थ है तथा परिभाषेन्दुशेखर स्वतंत्र ग्रन्थ, व्याकरण ग्रन्थों में लघु मंजूषा, परमलघु मंजूषा, स्फोटवाद् और महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह शब्दकौश्तुम की 'विषमी' व्याख्या आदि इनकी सुविदित कृतियाँ है।

संतति के अभाव में आप शेखर को पुत्र तथा मंजूषा को अपनी कन्या मान कर गौरव का अनुभव करते थे।[3] इनके वैदुष्य से प्रभावित होकर शृंगवेरपुराधीश्वर महाराज राम सिहं ने इन्हें प्रश्रय देकर स्वयं को धन्य माना। (याचकानां कल्पतरोररिकक्षहुताशनात्। शृंगवेरपुराधीशात् रामतो लब्धजीविकः।।)

भाष्यप्रदीपोद्योत का महत्त्व

प्रक्रिया ग्रन्थों की रचना समाप्ति के अनन्तर उन पर विचार विमर्श प्रारम्भ हुआ। यह विचार विमर्श श्री भट्टोजि दीक्षित के पौत्र श्री हरि दीक्षित के समय अपनी चरम सीमा पर अवश्य पहुँच गया था, किन्तु वह साकार नहीं हो पाया। केवल विद्वानों के परस्पर संवादों तक ही समिति रहा। वस्तुतः यह प्रतिक्रिया 'सिद्धान्त कौमुदी' के अनन्तर प्रारम्भ

---

१. शिवभट्टसुतो धीमान् सतीदेव्यास्तु गर्भजः

२. अधीत्य फणिभाषाब्धिं सुधीन्द्रहरिदीक्षितात्, न्यायतन्त्रं रामरामाद् वादिरसोघ्नरामतः।। लघुमंजूषा।।

३. शब्देन्दुशेखरः पुत्रो मञ्जूषा दुहिता तव। एतयोः संनिधाने हि कीदृशी मनसोरुजाता।।

हो गयी थी। फलस्वरूप वामन-जयादित्य, पुरुषोत्तमदेव, हरदत्त आदि विद्वानों तथा श्रीभट्टोजी दीक्षित के व्याकरण सम्बन्धी सिद्धान्तों पर ऊहापोह होने लगा था। इनके साथ ही कैयट-प्रदीप की भी आलोचना प्रारम्भ हो चली थी। नागेश ने अपने भाष्य प्रदीपोद्योत में विषयानुकूल प्रसङ्गों का निरूपण करते हुए इस समष्टि को स्वरूप प्रदान किया। फलतः नागेश के पूर्ववर्ती विचारक प्राचीन मतानुयायी कहलाये। इसके बाद नागेश नव्यमतकों की श्रेणी में अग्रणी हुए। यह वैचारिक क्रान्ति व्याकरणशास्त्र में विलक्षण रही। मतभेद में शास्त्रीय भौतिकता की प्रतिष्ठा रहते हुए व्याख्यान पद्धति का परस्पर अन्तर इस विभेद का कारण रहा।

उद्योतकार ने स्थान-स्थान पर स्वविवेक से नवीन-अर्थ कल्पना की है। इस विवरण की यह विशेषता है कि भाष्याब्धि मात्र को समझाना ही इसका लक्ष्य नहीं है। नागेश अपना कर्तव्य यह समझते हैं। कि जो पक्ष पूर्वस्थापित नहीं हुए उन्हें स्थापित कर स्पष्ट किया जाय। इसके साथ ही नागेश ने भाष्य, दीपिका तथा प्रदीप के उद्धरणों को यथावत रखते हुये उनमें 'च', 'वा' आदि के समावेश से मौलिक अर्थान्तर की अभिव्यक्ति की है।

महाभाष्य के आरम्भ में ही चार प्रकार के पदों-नाम आख्यात, उपसर्ग और निपात- का विवेचन किया गया है। इसका आधारभूत ऋग्वेद संहिता में यह मंत्र पठित है-

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि
तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः।
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति।। ऋ.सं.१/१६४/६५।।

इस ऋचा में प्रतीकस्वरूप 'चत्वारि पदानि' से अभीष्ट अर्थ का निरूपण विभिन्न विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया है। सर्वप्रथम भाष्यकार के अनुसार नाम आख्यात-उपसर्ग-निपात चारों को जो जानते हैं वे मनीषी है। कैयट के अनुसार इनमें से प्रत्येक के चार-चार अंश होते हैं। प्रत्येक के चारों में से केवल वैयाकरण ही सभी अंश जानते है। अन्य तीन अंश सर्व साधारण के लिये अज्ञान रूपी गुहा में प्रविष्ट होने के कारण बोगम्य नहीं है। सर्व साधारण जन प्रत्येक के केवल चतुर्थांश को जानते है। भाष्यकार का चिन्तन इससे कुछ भिन्न है उनके अनुसार लोक में प्रचलित संज्ञा शब्द, क्रिया वाची शब्द, उपसर्ग वाची शब्द तथा निपातवाचक शब्द पद जाति बोधक हैं वैयाकरण ही इस रहस्य को जानते हैं। जन साधारण के लिए अन्तर्धान अज्ञान रूपी गुहा में निविष्ट है। जन साधारण वाणी के चारों प्रकारों का प्रयोग करते हैं। इसकी अस्पष्टता के कारण कैयट ने कुछ भिन्न रूप में प्रस्तुत चिन्तन किया है। नागेश ने भाष्यस्थ व्याख्यान के साथ-साथ दार्शनिकता का पुट देकर वाणी परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखारी चारों भेदों की उपस्थापना की है, जिनमें

तीन (परा, पश्यन्ती, और मध्यमा) मूलाधार-नाभ और हृदय रूपी गुहा में निविष्ट है। तथा सर्वसाधरण चतुर्थ वैखरी वाणी का प्रयोग करते हैं। यद्यपि कैयट, भर्तृहरि आदि नागेश से पूर्ववर्ती वैयाकरण वाणी के चार भेदों से परिचित थे तथा भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से परा के अतिरिक्त पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी तीन भेदों को स्वीकार किया है।[1] नागेश ने परा वाणी के व्याकरण में समावेश शिवदृष्टि के अनुसार किया है। यही दोनों आचार्यो में सैद्धान्तिक अन्तर है। नागेश के शिष्य 'छाया' कार श्री वैद्यनाथ पायगुण्डे (सं. १७५०-१८२५ वि) अपने गुरू द्वारा प्रतिपादित ग्रन्थ में बताते है कि नाम-आख्यात-उपसर्ग-निपात से प्रत्येक के चतुर्थ भाग का बोध परम्परया परा आदि चतुरस्य के द्वारा होता है। तदनुसार 'सुरभि' शब्द से विवक्षित अर्थ में कुछ भिन्नता है। इसका निष्कर्ष यह है कि नाम-आख्यात-उपसर्ग और निपात इनमें प्रत्येक के परा आदि द्वारा चार भाग होते है। सर्वसाधारण से उनमें प्रत्येक के वैखरी नामक चतुर्थ भाग का उपयोग ही करते है।[2] वस्तुतः इन सब कल्पनाओं में 'चत्वारि पदानि'-इस पदद्वय के अभीष्ट अर्थ में अनिश्चितता के फलस्वरूप 'अनेकार्थ कल्पना' दोष का निवारण सम्भव नहीं होता। अतः वैयाकरणों की इस रीति से उपर्युक्त मंत्र की मौलिक व्याख्या रहस्यमय ही रह जाती है।

वैदिक याज्ञिक प्रक्रिया में उपर्युक्त ऋचा का पाठ सोमयाग में आदित्य को अभिलक्षित कर किया गया है। अर्थ की दृष्टि से सोगयाग में सवनों का क्रम उसी प्रकार होता है। जिस प्रकार आदित्य क्रमशः तीनों लोकों-भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और द्युलोक में आरोहण करता है। प्रातः भूलोक और प्रातः सवन मध्याह्न में अन्तरिक्ष लोक और माध्यदिन सवन तथा उसके पश्चात् द्युलोक और तृतीय सवन होता है। प्रतिदिन आदित्य इसी क्रम से तीनों लोको में आरोहण और विपरीत क्रम में अवरोहण करता है। इस संबंध में 'वाक' शब्द का अभीष्ट अर्थ उस सूर्य से है जो पूर्व दिन के अस्तकाल से लेकर आगामी उदय के पूर्व तक दृष्टिगोचर नहीं होता। उसके चार स्थान (पद) है। इस प्रकार अदृश्य सूर्य का स्थान रात्रि है, उपाधि भेद से जिनके चार याम (प्रहर) हैं और ये ही उसके चार स्थान (पद) है जो सूर्य द्वारा विभाजित है। (वाचा मीयन्ते इति वाक्परिमितानि) उनका परिज्ञान ब्रह्मवेत्ता मनीषियों को है। इन चारों प्रहरों में अन्धकारमय प्रथम तीन प्रहर प्रकाशित नहीं रहते। अतः 'वाक्' (अदृश्य सूर्य) का चतुर्थ स्थान (पर) रात्रि का चतुर्थ प्रहर है। वही मनुष्यों

---

१. अनेकतीर्थभेदायास्त्रय्या वाचः परं पदम्-वाक्यपदीय ।। ब्रह्मकाण्ड

२. एतदर्थं छायाकारेण उद्योतस्थस्य नामादिमध्ये एकैकं चतुष्पादमित्यस्य व्याख्या क्रियते, चतुष्पादं पदादिभिस्त्वयमर्थः इति। तत्र संख्यानामादिमध्ये कतिपयपर त्वं न तुरीयशब्दस्य किन्तु नामादीनां प्रत्येकं परादयो ये भेदास्तत्रान्तिमभेदो यो वैखर्याख्यस्तत्परत्वं तुरीय शब्दस्येति। -वेदार्थ विचार प्रथम भा, नृ-५०-म.न.प. सीताराम शास्त्री रोड

का आवास (भूलोक) है। अर्थात 'वाक्' (सूर्य) का चतुर्थ स्थान (पद-प्रहर) मनुष्यों की जागरूकता का द्योतक है।[1]

मानववाणी के सम्बन्ध में महाभाष्यस्थ उपर्युक्त ॠचा के संन्दर्भ में अनेक अर्थों की परिकल्पना द्वारा विभिन्न आचार्यो ने अपनी-अपनी प्रतिभा के बल से विषय को स्पष्ट अवश्य किया है, किन्तु शब्दों की तोड़-मरोड़ से जन साधारण को सन्तोष नहीं होता। शास्त्र बल में उसका समाधान कर आगे की प्रक्रिया को पल्लवित करने में विद्वानों ने अपना-अपना समर्थन दिया। नागेश ने अपने नये सिद्धान्त से अपनी प्रतिभा से विषय को अग्रसारित करने में परवर्ती विद्वानों को प्रेरणा दी। इस संबंध में थोड़ा सा आश्चर्य अवश्य होता है कि भट्टोजि दीक्षित ने अपने 'शब्दकौस्तुभ' में वाक्शक्ति सम्बन्धी विश्लेषण पर विचार नहीं किया। इससे यह विदित होता है कि कैयट नें भर्तृहरि कृत 'दीपिका' का आधार लेकरशास्त्रीय (दार्शनिक) विवेचन किया, जब कि नागेश स्वतंत्रता के साथ अन्य दर्शनों को समेटते हुए अपनी मौलिकता को प्रतिष्ठापित कर रहे थे। उनके दार्शनिक सिद्धान्तों का चिन्तन 'उद्योत' के अतिरिक्त 'सिद्धान्त मञ्जूषा', 'लघु मंञ्जूषा', तथा परमलघुमञ्जूषा में विशेषतः प्रस्फुटित हुआ है। इन तीनों ग्रन्थों की रचना का लक्ष्य दार्शनिक तत्त्वों को स्पष्ट करना है। महाभाष्य में तो 'शब्द' 'स्फोट' तथा 'ध्वनि' आदि दार्शनिक तत्त्वों के प्रसङ्ग में उन्होंने अपनी स्वतंत्र व्याख्या की है। नागेश ने स्वयं इस विचार सरणि को शिष्यों को हृदयंगम कराते हुए समग्र भारत में अपने शिष्यों को नवव्याकरण का प्रतिष्ठापना के लिए प्रेरित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि काशी, महाराष्ट्र, मध्य भारत तथा सुदूर दक्षिण तक व्याकरण पाठशालाओं की स्थापना हुई, जिनमें श्री नागेश के ग्रन्थों का पठन पाठन होने लगा। फलस्वरूप विद्वानों में यह धारणा दृढ़ हुई कि लघुशब्देन्दुशेखर, परिभाषेन्दु शेखर, मञ्जूषा और उद्योत में ही समग्र पाणिनीय व्याकरण सीमित है। केवल लघुशब्देन्दु शेखर का अध्ययन करने से सिद्धान्तकौमुदी तथा प्रौढ़ मनोरमा के अध्ययन का प्रयोजन पूर्ण होता है। परिणामतः उनके विद्यावंश द्वारा मञ्जूषा पर पांच, उद्योत पर दो, लघुशब्देन्दुशेखर पर पन्द्रह और परिभाषेन्दुशेखर पर सोलह टीकाएं उपलब्ध हुई। व्याकरण शास्त्राध्ययन की समग्रता का काल बारह वर्ष माना जाता था। इस अध्ययन काल में प्राचीन विद्वान् अष्टाध्यायी, तथा समग्र भाष्य अध्ययन कर अपने जीवन को सफल बनाते थे। इसके प्रतिनिधि स्वरूप नागेश के अनन्तर समग्र सिद्धान्तकौमुदी और मनोरमाशब्दरत्न के कारकान्त अध्ययन के बाद दोनो शेखरों के अध्ययन की प्रथा प्रचलित हुई। इसके

१. वाचस्तुरीयं पदं रात्र्याश्चतुर्थयामरूपं स्थानं मनुष्या इति मनुष्यावासस्थानं भूलोक इति वदन्ति। एवं सति मंत्रे मनुष्या इति पदं प्रथमान्तं न वदनक्रियाकर्तुरभिप्रायेण किन्तु अध्याहृतेति पदवशतः उक्तकर्मकारकविभक्तिरूपप्रथमान्तं कर्मकारकबोधकम्। अर्थाद् वाचश्चतुर्थपदं मनुष्यलोक इति भवति।। वेदार्थविचार, भाग १, पृ५२, म.म.पं.सीताराम शास्त्री शेण्डे)।

साथ-साथ नागेश की मञ्जूषा तथा नवाह्निक और अंगाधिकार महाभाष्य का अध्ययन पूर्ण होने पर वार्षिक अध्ययन फलीभूत होता था। फलतः व्याकरण शास्त्र के अवशिष्ट ग्रन्थों का गुरुमुख के बिना अध्ययन करने पर भी उत्तर शास्त्रों में प्रवेश हो जाने की योग्यता स्वतः प्राप्त होती थी।

'उद्योत' के अनन्तर श्री वैद्यनाथ पायगुण्डे की 'छाया' में व्याख्या-परम्परा ने विश्राम ग्रहण किया। 'छाया' भी केवल नवाह्निकपर्यन्त अपना प्रसार कर सकी। 'छायापथ' में विश्रान्ति लाभ कर पं. पायगुण्डे जी ने चार शिष्य तैयार कर व्याकरण विद्या का चतुर्दिक प्रसार किया। उनके सतीर्थ्यों में (१) राम चन्द्र भटतारे, (२) भैरव मिश्र और (३) अथोबलशास्त्री विख्यात रहे। मीमांसक जी के अनुसार बाल शर्मा 'धर्मशास्त्र संग्रह' कार भी उनके सतीर्थ्य थे। श्री पायगुण्डे जी के शिष्यों में पुणे निवासी पं. श्री नीलकंण्ठ शास्त्री थस्थे (१८१७-१८८८वि.) उल्लेखनीय रहे।

महाभाष्य आधुनिक व्याख्याता

वर्तमान परिपेक्ष्य में महाभाष्य की हिन्दी व्याख्या लिखने वालों में पं. चारूदेव शास्त्री तथा पं. मधुसूदन प्रसाद मिश्र ने भी उसके छात्रोपयोगी संस्करण प्रकाशित किये हैं। इनमें प्रथम पं. श्री चारूदेव शास्त्री भारत-विभाजन के पश्चात् पंजाब प्रान्त से दिल्ली आने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्षपद पर आसीन रहे। आपका अध्ययन पंजाब में ही हुआ तथा जीवन के मध्यकाल तक वे वहीं अध्यापनकार्य करते थे। व्याकरणशास्त्र के आप प्रौढ विद्वान् तो थे ही किन्तु उनके साथ ही आपने जनसाधारण के हृदय में संस्कृत के प्रति रुचि जागाने के लिए विशेष योग दिया। महाभाष्य के नवाह्निकभाग का हिन्दी भाष्यपूर्ण करने के पूर्व शास्त्रीजी नें ' स्वोपज्ञवृत्ति तथा वृषभ देव की व्याख्यान के उपयोगी अंशों सहित 'वाक्यपदीय' ब्रह्मकाण्ड का सम्पादन कर उसे लाहौर के रामलाल कपूर ट्रस्ट से प्रकाशित किया था।

(२) पं. मधुसूदन प्रसाद मिश्र जी ने प्रथम पांच आह्निकों पर संस्कृत तथा हिन्दी में व्याख्या लिखी हैं। दोनों भाषाओं के माध्यम के अध्येताओं और अध्यापकों को इससे प्रचुर सहायता मिलती आई है।

(३) अंग्रेजी भाषा के व्याख्याताओं में डॉ. कीलहॉर्न के अतिरिक्ति श्री एस. डी. जोशी और श्री जे. ए. आई. रुद्रब्रजेन द्वारा व्याख्या 'महाभाष्य' के अनेक आह्निकों का उल्लेख परमावश्यक है। इनके द्वारा सम्पादित संस्करण में अग्रिम निर्दिष्ट नौ आह्निकों का विवरण प्रस्तुत है-(१) कारकाह्निक (श.सू.१-४.२३ से १-४-५३ सन), समर्थाह्निक (२.१.१) (३) अव्ययीभाव-(२-१-१ से २-१-४१ तक) (४) तत्पुरुषाह्निक (२-२-२ से २-२-२३ तक), (६) बहुब्रीहि-द्वन्द्वाह्निक (२-२-२३ से २-२-३८ तक) (७) अनभिहिताह्निक (२-३-१ से

२-३-१७ तक) (८) विभक्त्याह्निक (२-३-१८ से २-३-४५) तथा (६) प्रातिपदिकाह्निक से शेषाह्निक तक (२-३-४६ से २-३-७१ तक)। सम्पादक-युगल ने उपर्युक्त भाग की व्याख्या द्वारा सुबन्त शब्दोपयोगी समग्रप्रक्रिया को स्पष्टरूप से निदेर्शित किया है। इनकी 'आह्निक' स्थापना अपने विवरण के अनुसार अभिनव और सार्थक है।

पं. युधिष्ठिर मीमांसक (१६६६-२०५२ वि.) (१६०१-१६६५ ई०) वेद-वेदाङ्गों के समुद्धारक एवं संस्कृत विद्याओं के मनीषी पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक का जन्म इन्दौर राज्य के नीमाड जिले के मुहम्मद ग्राम में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी संवत् १६६६ तदनुसार २२ सितम्बर १६०६ ई. को हुआ। आपके पिता श्री गौरीलाल आचार्य नें मूलस्थान पुष्कर क्षेत्र (अजमेर) के परंपरागत कृषिकार्य को छोड़कर अध्यापन कार्य स्वीकार किया और स्त्री-शिक्षा के प्रति निष्ठा होने के कारण आपने अपनी पत्नी यमुनाबाई को स्वयं सुशिक्षित किया था। भारद्वाज गोत्रोत्पन्न सारस्वत-ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अपनी शुक्लयजुर्वेदीय माध्यन्दिन शाखा को गौरवान्वित किया। प्रारम्भिक शिक्षा के उपरान्त ही उसहयोग आन्दोलन का प्रभाव पड़ने से आपके पिताजी ने राजकीय आंग्ल पाठशाला से मीमांसक जी को हटालिया और गुरुकुल कांगड़ी में प्रविष्ट कराना चाहा। परन्तु अवस्था अधिक होने के कारण वहां आपकों प्रवेश नहीं मिला तथा सांताकूज मुम्बई के गुरूकुल में आप प्रविष्ट हुए। तदन्तर यद्यपि इन्हें हरिद्वार स्थित सनातन धर्म ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम में अध्ययनार्थ स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तथापि अलीगढ़ स्थित स्वामी सर्वदानन्द द्वारा संस्थापित साधुआश्रम में स्थान मिलने से वे हरिद्वार नहीं रहे। कुछ काल के अनन्तर वह आश्रम अमृतसर स्थानान्तरित हो गया और १६३१ ई. तक आप दस वर्ष वहीं रहे। इस अवधि में पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के चरणों में बैठकर आपने पातञ्जल महाभाष्य पर्यन्त पाणिनीय व्याकरण निरुक्तशास्त्र एवं अन्य सिद्धान्त ग्रन्थों का अध्ययन किया। वहाँ से बलवती ज्ञान पिपासा के शमनार्थ आपका काशी आगमन हुआ और वहाँ आपकों सर्वश्री म.म.पं. चिन्नस्वामी शास्त्री पद्मभूषण पं. पट्टाभिराम शास्त्री, पं. ढुण्ढिराज शास्त्री टोपले वेदाचार्य पंत् भगवन प्रसाद मिश्र प्रभृति गुरुजनों का प्रसाद प्राप्त हुआ। फलस्वरूप पूर्वमीमांसा, न्याय-वैशेषिक, कात्यानीय श्रौतयज्ञयागादिप्रक्रिया आदि विविध शास्त्रों में आप पारंगत हुए। आपने अध्ययनोपरान्त १६३६ ई. से १६५० ई. के मध्य लाहौर और अजमेर में रहते हुए 'विरजानन्द सांगवेद विद्यालय' में तथा स्वतंत्र रूप से परिश्रमपूर्वक अध्यापन कार्य किया। तदनन्तर जिज्ञासु जी के आज्ञा से आप ने पुनः काशी में आना स्वीकार किया। यहाँ लाहौर से स्थानान्तरित पाणिनि कन्या महाविद्यालय नाम से परिवर्तित उक्त संस्थान में अध्यापन कार्य किया। इनके अध्यापन कार्य से प्रभावित होकर गुरुजनों नें इन्हें अन्य संस्थाओं को लाभान्वित कराने हेतु अनेक स्थानों पर भेजा। फलतः आपने काशी छोड़कर सन् १६५५ः ई. से १६६७ ई. के मध्य दिल्ली, टंकारा, अजमेर, भुवनेश्वर (उड़ीसा)

सोनीपत (हरियाणा) प्रभूतसंस्थानों में स्वतंत्र रूप से तथा संस्थागत रूप में पाठन पूर्वक शोधकार्य किया। शोधकार्य तो आपके जीवन का अंग रहा और वह आजीवन चलता रहा। 'रामलाल कपूर ट्रस्ट स्थापना ने आपको शोधकार्य की ओर प्रवृत्त किया। फलतः इस संस्था को उच्च शिखर तक पहुँचाने में मीमांसक जी का प्रसाद प्राप्त हुआ।

वेद-वेदाङ्गों में विख्यात मीमांसक जी ने अनेक ग्रन्थों का प्रणयन एवं सम्पादन किया। व्याकरणशास्त्र में सर्वप्रथम स्वामी दयानन्द विरचित वेदाङ्ग प्रकाश (१४ भाग) को परिष्कृत एवं सम्पादित कर अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया। उत्तरोत्तर ग्रन्थ प्रणयन कार्य में अग्रसर होते हुए पाणिनीय धातु पाठ और तत्संबंधी ग्रन्थेतिहास (१) क्षीर तरङ्गिणी पाणिनीय धातुपाठ की स्वामी विरचित व्याख्या। (२) निरूक्तसमुच्यय (वररुचिकृत), (३) भागवृत्तिसंकलनम (अष्टाध्यायी की प्राचीन वृत्तियों का संकलन), (४) दशपादी उणादिवृत्तिः (उणादिसूत्रेतिहास सहित), (५) शिक्षासूत्राणि (आपिशलि पाणिनि और चन्द्रगोभिकृत, शिक्षासूत्र संकलन), (६) काशकृत्स्न धातुपाठ (कन्नडयेका का संस्कृतरू पांतर सहित), (७) काशकृत्स्नव्याकरण १३५ सूत्रों की संस्कृत में व्याख्या, (८) उणादिकोष (दयानन्दसरस्वतीकृत उणादि पाठ की व्याख्या) (९) महाभाष्य (हिन्दी व्याख्या ३ भागों में) सन् १९७४ (१०) संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास (तीन भागों में भाग १ पुरस्कृत -१९५२ ई.) आदि व्याकरण शास्त्रीय ग्रन्थों को लिखकर व्याकरण जगत का बड़ा उपकार किया है। उपर्युक्त ग्रन्थ रचना के अतिरिक्त मीमांसकजी ने संस्कृत-हिन्दी भाषाओं में विरचित अनेक ग्रन्थों का प्रणयन तथा सम्पादन किया। ये सभी ग्रन्थ प्रायः वेद-वेदांगों तथा इतिहास को उजागर करते हैं। जिनमें (१) माध्यन्दिन-पदपाट (पुरस्कृत १९७३) (२) ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, (३) ऋग्वेद भाष्यम् (पुरस्कृत १९७५ १९७६) ई. (४) मीमांसाशाबर भाष्य, (५) वैदिक स्वर मीमांसा (पुरस्कृत १९५९), (६) वैदिक छन्दोमीमांसा (पुरस्कृत १९६१) आदि विशेषरूप से उल्लेखनीय है। अहर्निश लेखनी के धनी मीमांसक जी के स्फुट शोध-लेखों की संख्या भी कुछ कम नहीं हैं। ऐसे लेखों का समाकलन अनेक महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं में हुआ है। आपके विशिष्ट लेखों का नामनिर्देश अनुचित न होगा। इनमें से संस्कृत भाषा में लिखे गए प्रमुख लेखों में-(१) वैदिकछन्द संकलनम्, (२) ऋग्वेदस्य संख्या, (२) काशयोधातुस्नीपाठः, (४) अष्टाध्याय्या अर्धजरतीया व्याख्या, आदि तथा राष्ट्रभाषा के निबन्धों में-(१) महाभाष्यस्थ सूत्र-वृत्तियों का स्वरूप, (२) महाभाष्य के टीकाकार भर्तृहरि, (३) सामस्वराङ्कनप्रकार, (४) वेदप्रतिपादित आत्मा का शरीर में स्थान, (५) जैनेन्द्र व्याकरण और उसके लिखित पाठ प्रभृति विचारोत्तेजक निबन्ध शोधार्थियों के प्रेरणास्रोत हैं।

विविध प्रशासन तथा संस्थाओं नें आपकी आजन्म संस्कृतविद्या की सेवा को देखते हुए समय-समय पर आपके अध्ययनाध्यापन, शोधकार्य, ग्रन्थरचना और वैदुष्य का सम्मान

किया है। तथा विविध पुरस्कार प्रदान द्वारा स्वयं को गौरवान्वित किया है। जिसका विवरण इस प्रकार है। (१) राजस्थानशासन (१९६३ ई.) (२) राष्ट्रपतिपुरस्कार (१९७७ ई.) (३) उत्तरप्रदेश संस्कृत अकादमी १९८४ ई. १९७१ ई. (४) आर्य-समाज पानीपत १९७५ ई (५) गंगाप्रसाद उपाध्याय स्मारक समिति (१९७५ ई.) (६) परोपकारिणी सभा, अजमेर (१९८३ ई.) (७) श्री घूडमल, आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट (१९८४ ई.) तथा (८) उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्वभारती पुरस्कार इनके अतिरिक्त आपके ग्रन्थों पर भी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान (अकादमी) द्वारा समय समय पर पुरस्कार प्रदान किये गए हैं। इस प्रकार अन्तिम क्षण तक लेखनी निरन्तर चलती रही और १९९२ ई. में उसने आपके साथ ही विराम लिया।

अष्टाध्यायी के वृत्तिकार
इतिहास और विशेषताएँ

सूत्रग्रन्थ संक्षिप्त होने के कारण अपने में विस्तृत अर्थों को गुम्फित किए रहते हैं, इस सभी का अभिप्राय हृदयङ्गम करने के लिए व्याख्यानग्रन्थों की आवश्यकता होती है। इनमें से लघु व्याख्यानग्रन्थों का व्यवहार "वृत्ति" शब्द से होता है। वृत्ति में "पदच्छेद, पदार्थ, समासादि विग्रह, अनुवृत्ति, वाक्ययोजना, उदाहरण, प्रत्युदाहरण, पूर्वपक्ष और समाधानदि "अंश प्रायः रहा करते हैं, परन्तु इन सभी अंशों का व्याख्यान संक्षेप में किया जाता है, जबकि भाष्यग्रन्थों में स्वाभिप्राय, मूल ग्रन्थकार के अभिप्राय और अन्य विद्वानों दारा व्यक्त किए गए अभिप्राय का भी स्पष्टीकरण होता है, इसीलिए भाष्यग्रन्थ विस्तृत होते हैं। इस प्रकार बृहद्व्याख्यान के रूप में भाष्यग्रन्थों की तथा लघु व्याख्यान के रूप में वृत्तिग्रन्थों की मान्यता है।

महामुनि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर भी अनेक व्याख्यानग्रन्थ लिखे गए थे। कुछ संकेतों के आधार पर ऐसा भी माना जा सकता है कि पाणिनि ने भी अपने सूत्रों पर कोई वृत्ति लिखी हो। इसके अतिरिक्त "कुणि" आदि वृत्तियों के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। कुछ वृत्तियाँ तो ग्रन्थक्रम के अनुसार लिखी गई हैं, जबकि कुछ में प्रक्रिया या प्रकरणक्रम का अनुसरण किया गया है। यहाँ काशिका आदि कुछ प्रमुख वृत्तियों का ही विस्तृत परिचय दिया जाएगा। अनुपलब्ध तथा सामान्य वृत्तियों का परिचय सांकेतिक रूप में ही रहेगा। सुविधा की दृष्टि से ग्रन्थक्रमवाली वृत्तियों को एक खण्ड में तथा प्रक्रियाक्रमवाली वृत्तियों को दूसरे खण्ड में सम्मिलित किया गया है।

ग्रन्थक्रमवाली प्रमुख वृत्तियाँ

१. काशिकावृत्ति (जयादित्य और वामन)

२. भागवृत्ति (विमलमति भर्तृहरि)।

३. भाषावृत्ति (पुरुषोत्तमदेव)

४. दुर्घटवृत्ति (शरणदेव)

५. शब्दकौस्तुभ (भट्टोजिदीक्षित)

६. व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि (विश्वेश्वरसूरि)

७. व्याकरणदीपिका (ओरम्भट्ट)

८. अष्टाध्यायीभाष्य (स्वामी दयानन्द)

ग्रन्थक्रमवाली सामान्य, ज्ञात तथा अनुपलब्ध वृत्तियाँ

१. श्वोभूतिकृत, २. व्याडिकृत, ३. कुणि-विरचित, ४. माथुरी वृत्ति, ५. वररुचिरचित, ६. शब्दावतारन्यास (पूज्यपाद देवनन्दी) ७. शब्दावतार (महाराज दुर्विनीत) ८. अष्टाध्यायीवृत्ति (चुल्लिभट्टि) ९. निर्लूरवृत्ति, १०. दुर्घटवृत्ति (मैत्रेयरक्षित), ११. पाणिनीय मिताक्षरा (अन्नम्भट्ट), १२. सूत्रप्रकाश (अप्पय्यदीक्षित), १३. पाणिनीयदीपिका (नीलकण्ठ वाजपेयी), १४. शाब्दिकचिन्तामणि (गोपालकृष्ण शास्त्री), १५. चूर्णिवृत्ति, १६. भर्त्रीश्वरवृत्ति, १७. भट्टजयन्तवृत्ति, १८. श्रुतपालवृत्ति। १९. केशववृत्ति, २०. इन्दुमती वृत्ति (इन्दुमित्र), २१. गोकुलचन्द्रवृत्ति आदि।

इनके अतिरिक्त भी अज्ञातकालिक अथवा अज्ञातकर्तृक कुछ वृत्तिग्रन्थों के नाम मिलते हैं, जिनका परिचय प्रायः उपलब्ध नहीं होता।

काशिकावृत्तिकार आचार्य जयादित्य (छठी-सातवीं शताब्दी)

देश-काल

१. **इत्सिङ्** ने अपने यात्रावर्णन में केवल जयादित्य का ही नामोल्लेख किया है, **वामन** का नहीं। उनके अनुसार **जयादित्य** की मृत्यु ई. सन् ६६१= वि. सं. ७१८ के लगभग हुई थी (द्र.-इत्सिङ् की भारतयात्रा, पृ. २६२)। इसी आधार पर मैक्समूलर ने काशिकावृत्ति का समय ई. सप्तम शताब्दी के मध्य का पूर्वभाग स्वीकार किया है (इण्डियन एण्टिक्वेरी, खण्ड १२, १८८३ ई., पृ. २८४)। **इत्सिङ्** की भारतयात्रा के अंग्रेजी -अनुवाद **तुक्कुसु** ने भी इसका समर्थन किया है (पृ. ३४४)। इत्सिङ् ने जयादित्य की मृत्यु अपनी भारतयात्रा से ३० वर्ष पहले बताई है। उक्त ग्रन्थ के हिन्दी-अनुवादक पण्डित भगवद्दत्त के अनुसार इत्सिङ् के यात्रावर्णन की तिथि वि. सं. ७४८ = ६९१ ई. के लगभग है। प्रो. मैक्समूलर (उनके द्वारा लिखा गया तुक्कुसु के नाम पत्र) तथा पी.वी. काणे (Jounrnal of Bombay branch of Royal Asiatic Society Vol २३, P ४४) ने इत्सिङ्-द्वारा मिली सूचनाओं को अप्रामाणिक एवं संदिग्ध कहा है, क्योंकि ये सूचनाएँ जनश्रुति के ही आधार पर संगृहीत की गई हैं।

२. **मैक्समूलर** ने (The Kashika-Indian Antiquary p. 36) नामक अपने शोधपत्र में डॉ. बोथलिङ्क का मत दिखलाया है कि कश्मीर के राजा जयापीड का ही नाम जयादित्य था और वामन उसका सभापण्डित था। राजतरङ्गिणी के अनुसार जयापीड का काल ८वीं शताब्दी है। अतः वामन का भी यही काल है।

पं. युधिष्ठिर मीमांसक ने काशिकावृत्ति के लेखक वामन को जयापीड के सभासद् वामन तथा काव्यालंकारवृत्ति के रचयिता वामन से भिन्न व्यक्ति सिद्ध किया है। यह मत भी डॉ. रघुवीर वेदालंकार के विचारानुसार कोई प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं करा सकता है। ह्विटलिङ्क तथा डॉ. कपलर का मत भी अधिकांश अनुमान पर ही आधारित प्रतीत होता है, क्योंकि इनके द्वारा निर्धारित काल ८वीं तथा १२वीं शती में ४ शताब्दियों का अन्तर है।

३. "शिशुक्रन्दयमसभ." (४.३.८८) सूत्र पर काशिका में "वाक्यपदीय" का एक उदाहरण दिया गया है, जिसके रचयिता भर्तृहरि हैं, अतः काशिकाकार इनके उत्तरवर्ती सिद्ध होते हैं। प्रो. बेल्वेल्कर (Belvalkar) ने Systems of Sanskrit Grammer (पेज ३३) में, प्रो. के. वी. अभ्यंकर ने 'डिक्शनरी ऑफ संस्कृत ग्रामर' (पेज. २६६) में, प्रो. विन्टरनित्ज ने 'हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिट्रेचर' (Vol III Part-2 p. 246) में तथा प्रो. के.वी. पाठक के Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute (Vol-XII Part III p. 247, 248 Part VI p 380 में भतृहरि का काल ७वीं शती तथा काशिका की रचना ६५० ई. में स्वीकार की है। डॉ. सी. कुन्हन् राजा भर्तृहरि का काल वि. सं ६०७ = ५५० ई. मानते हैं (द्र. इत्सिंग एण्ड भर्तृहरीज़ वाक्यपदीय Krishna swami Aiyangar Commemorationd Vol 2, 1936 A.D. P 285-298)

४. काशिकाकार ने "प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च" (पा. १.३.२३) की व्याख्या में भारवि का 'संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः" (किराता. ३.१४) का पद्य, उद्दृत किया है। डॉ. कीथ ने (H.S.I. P. १०६) भारवि का समय (वि. सं. ५५७-६०७) ५००-५५० ई. के मध्य स्थापित किया है। युधिष्ठिर मीमांसक ने (व्या. शा. का इति., भाग १, पृ. ४२५) महाराज दुर्विनीत के काल के आधार पर भारवि का काल (वि.सं. ०५६६-६१६) ५३६-५६६ ई. माना है, जो डॉ. कीथ के काल से सामञ्जस्य रखता है। काशिकाकार ने "संघे चानौत्तराधर्ये" (३.३.४२) सूत्र पर दिङ्नागकृत प्रमाणसमुच्चय का उल्लेख किया है-"प्राणिविषयत्वात् संघस्येह न भवति-कृताकृतसमुच्चयः, प्रमाण समुच्चयः"। प्रो. अय्यर ने दिङ्नाग का काल (वि. स. ५३४-५६७) ४८०-५४० ई. माना है (वा.प.-डेक्कन कालेज, पूना, १६६६ ई०, पृ. २)। इन दोनों प्रमाणों के आधार पर काशिका की पूर्व सीमा वि.सं. ५६७ (५४० ई.) मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त काशिकाकार का काल भट्टिकाव्य-माघ-काशिकान्यास तथा शंङ्कराचार्य के काल के आधार पर भी विद्वानों ने निर्धारित करने का यत्न किया है (विस्तार के लिए द्र.-काशिका का समालोचनात्मक अध्ययन, पृ. ३६-४८)।

प्रो. बलदेव उपाध्याय की समीक्षा के अनुसार भर्तृहरि तथा भारवि दोनों का आविर्भाव काल पञ्चम शती है। भर्तृहरि[1] का समय (वि.सं. ४५७-५०७) ४००-४५० ईशवीय तथा महाकवि भारवि[2] का भी पाँचवी शती (मध्यकाल ४५० ई.) वि.सं. ५०७ प्रामाणिक रूप से निश्चित किया गया है। काशिका का रचनाकाल ईशवी पाँचवी शती ही ऊपरी सीमा है। निचली सीमा काशिका न्यास के रचयिता के आविर्भावकाल से निश्चित की गई है, जो ६०० ई.-६५० ई. है। इन दोनों सीमाओं के मध्य में आविर्भूत काशिका का समय छठी (वि.सं. ६५०-७०७) शताब्दी मानना सर्वथा समुचित है।

देश

"काश्यादिभ्यष्ठञ्ञिठौ" (४.२.११६) सूत्र द्वारा "काशि" शब्द से ठञ् तथा ञिठ् प्रत्यय करने पर "भव" अर्थ में "काशिका" शब्द निष्पन्न होता है। इसी कारण पदमञ्जरीकार हरदत्त ने काशिका का सम्बन्ध काशी से मानते हुए कहा है-"काशिकेति देशतोऽभिधानम् "काशिषु भवा" (प.म., भा. १, पृ.६)। तदनुसार काशिका की रचना काशी में स्वीकार की जाती है। डॉ. हर्षनाथ मिश्र ने लिखा है कि ४.२.११६ सूत्र पर यद्यपि काशिकाकार ने "काशिका" यह उदाहरण दो बार दिया है, परन्तु ग्रन्थनाम के सन्दर्भ में उन्होंने कोई संकेत नहीं किया है। पदमञ्जरीकार हरदत्त के लेख से देशनाम पर काशिकानाम के आधारित होने की सम्भावनामात्र ही की जा सकती है, निश्चय नहीं। यह भी संभव है कि केवल सूत्रार्थप्रकाशनकारिता के कारण "काशिका" नाम दिया गया हो, क्योंकि संस्कृतग्रन्थकार प्रायः अपने देश-काल का प्रख्यापन नहीं करते रहे हैं (द्र.-चा. व्या. वृ.स. अ.,पृ. ५६-५८)-"अतः काशिका इति नामकरणमर्थप्रकाशनकारित्वात् कृतमिति संभाव्यते"। सृष्टिधर ने "भाषावृत्यर्थविवृति" (८.४.६८) में लिखा है- "काशयति प्रकाशयति सूत्रार्थमिति काशिका जयादित्यविरचिता वृत्तिः"। डॉ. वेदालंकार ने एक दूसरे प्रकार से काशिकाकार का रचनास्थान काश्मीरदेश होने की संभावना की है। उन्होंने लिखा है- डॉ. बूलर के अनुसार जयादित्य तथा वामन दोनों ही कश्मीर निवासी हैं। यह मत काशिका में अपेक्षाकृत यजुर्वेद तथा उसकी शाखाओं के उदाहरण अधिक होने से समर्थित भी होता है। यदि डॉ. बूलर के अनुसार जयादित्य तथा वामन को कश्मीरनिवासी मान लिया जाए तो काशिका में दिए गए उदाहरणों के आधार पर कश्मीर में काशिका की रचना होने का अनुमान किया जा सकता है।

यजुर्वेद तथा तत्सम्बन्धी साहित्य का सृजन उत्तर-पश्चिम भारत में स्वीकार करने पर भी काशिका की रचना काशी में मानने वाले डॉ. महेशदत्त शर्मा (काशिकावृत्ति के

---

१. द्रष्टव्य बलदेव उपाध्यायः विमर्शचिन्तामणिः पृ. १२६-१२८ (प्रकाशन-शारदा संस्थान, वाराणसी।)
२. बलदेव उपाध्यायः संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ. १८१-१८२ (प्रकाशन-वही)

रचयिता एक समाधान, प्राच्यप्रज्ञापत्रिका-वर्ष ३, १६७० ई., पृ. ६२) के विचार को डॉ. वेदालंकार ने संगत नहीं माना है। इस प्रकार हरदत्त आदि के मतानुसार "काशी" तथा डॉ. वेदालंकार के अनुसार काशिका का रचनास्थान कश्मीर माना गया है।

काशिकावृत्तिकार आचार्य वामन

संस्कृतवाङ्मय में वामनप्रणीत चार ग्रन्थ हैं-१. विश्रान्त-विद्याधरव्याकरण। २. काशिकावृत्ति, ३. काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति तथा ४. लिङ्गानुशासन। "उक्त ग्रन्थों के रचयिता वामन एक ही व्यक्ति थे या अनेक इस विषय पर विचार करना ही गुरुपद हालदार अनावश्यक समझते हैं (व्या.द. इ., पृ. ४२६)। युधिष्ठिर मीमांसक चारों ग्रन्थों के रचयिता वामन को भिन्न-भिन्न व्यक्ति मानते हैं (सं. व्या.शा. इ., भाग १) प्रो. के. वी. अभ्यंकर (डिक्शनरी ऑफ संस्कृत ग्रामर) विश्रान्तविद्याधर के रचियता तथा लिंगानुशासनकार वामन को अभिन्न व्यक्ति तथा काशिकाकार को उनसे भिन्न व्यक्ति मानते हैं।

इस विषय में कुछ अन्य भी विचार मिलते हैं- (द्र. बेंगालस् कन्ट्रीब्यूशन टू संस्कृत ग्रामर) डॉ. हर्षनाथ मिश्र, मीमांसक जी के ही विचारों से सहमत होने के कारण चार वामन मानते हैं (चा.व्या.वृ. स. अ.)। मीमांसक जी का मत है कि पुरुषोत्तमदेव ने अपनी भाषावृत्ति में जयादित्य तथा वामन के मतों का भागवृत्ति-द्वारा किया गया खण्डन दिखाया है। जैसे-"साहाय्यमित्यपि ब्राह्मणादित्वाद् इति जयादित्यः, नेति भागवृत्तिः" (पृ. ३१०), "दृशिग्रहणादिह पुरुषो नारक इत्यादावप्ययं दीर्घ इति वामनवृत्तिः, अनेनोत्तरपदे विधानाद् अप्राप्तिरिति पुरुषादयो दीर्घोपदेशा एवं संज्ञाशब्दा इति भागवृत्तिः" (पृ. ४२७)- पृ. ३१४, पृ. ४२० भी द्रष्टव्य हैं।

भागवृत्ति का काल वि. सं. ७०२-७०५ है, तदनुसार काशिकाकार वामन का काल वि. सं. ७०० से पूर्व मानना होगा। काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति तथा लिङ्गानुशासन के प्रणेता वामन का काल विक्रम की नवम शताब्दी एवं विश्रान्तविद्याधर वामन का समय ३७५ अथवा ५७३ से पूर्वभावी है। अतः उनके मत से ४ ग्रन्थों के रचयिता वामन भी चार व्यक्ति सिद्ध होते हैं।

काशिकावृत्ति के दोनों आचार्यों द्वारा स्वतन्त्र रचना

सम्प्रति उपलब्ध काशिका जयादित्य-वामन दोनों की मिश्रित रचना मानी जाती है। इसमें कितना भाग वामन का है और कितना भाग जयादित्य का-इस विषय में विद्वानों के अनेक विचार इस प्रकार हैं-१. काशिका के बालशास्त्री-संस्करण, शोभितमिश्र-संस्करण, तारा पब्लिकेशन्स् तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय-संस्करण में प्रारम्भिक चार अध्यायों को जयादित्य तथा अन्त के चार अध्यायों को वामनकृत माना गया है।

२. हरिदीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा (भा. १, पृ. ५०४) की शब्दरत्ननामक टीका में १, २, ५, ६ अध्यायों का कर्ता जयादित्य तथा अध्याय ३, ४,७, ८ का कर्ता वामन को कहा है। पुरुषोत्तमदेव ने भाषावृत्ति में प्रारम्भिक पाँच अध्यायों के वचन जयादित्य के नाम से तथा अन्तिम तीन अध्यायों के वचन वामन के नाम से उदृत किए है। कृष्णलीलाशुकमुनि ने दैवम् में प्रथम अध्याय का उद्धरण जयादित्य के नाम से दिया है (पृ. ८६)। सीरदेव की परिभाषावृत्ति में अध्याय तीन को जयादित्यकृत (पृ. ८१) तथा अध्याय ७ को वामनकृत (पृ. ८, २४) कहा गया है। स्वामी दयानन्द ने अष्टाध्यायीभाष्य में सर्वत्र तीन अध्यायों तक जयादित्य का नाम लिया है, वामन का नहीं। गोपीचन्द्र ने लिखा है-"नौषेचनमिति तु जयादित्यः" (१.२.३३, द्र.-चा.व्या ०६.४.८६, पृ. ३७७, भा०२ पर सं.टि. क्षितीशचन्द्र चटर्जी)। यह उदाहरण काशिका में ८.३. ६८ सूत्र पर मिलता है। अतः गोपीचन्द्र के लेख से यह संकेत मिलता है कि "सुषामादिषु च" (८.३.६८) सूत्र की वर्तमान व्याख्या भी जयादित्यप्रणीत है। प्रो. कीलहार्न ने सिद्धान्तकौमुदी के प्रामाण्य के आधार पर सूत्र ३.२. १३६ से अगले भाग को वामनकृत स्वीकार किया है। (Katyayana and Patanjali, p.12) डॉ. विण्टरनित्ज (H.I.LVol III, Part 1,2 p 433-Footnote 2) izks- Jh kpUnz (Nyasa Introduction, p.16), izks- csYoYdj (Sy. Skt. gr. p. 36), डॉ. कीथ, पं. युधिष्ठिर मीमांसक, पं. बलदेव उपाध्याय (सं. शा. का इ, पृ. ४८२), डॉ. सत्यकाम वर्मा (सं. व्या उद्‌भव और विकास, पृ. २६३) तथा पं. रमाकान्त मिश्र (सं. व्या. का सं. इ., पृ. ८२) ने प्रथम पाँच अध्याय जयादित्यकृत तथा अन्तिम तीन अध्याय वामनकृत माने हैं। प्रो. दिनेशचन्द्र के अनुसार (परि.वृ.-१६४६ इन्ट्रोडक्शन पृ. २) जयादित्य ने सम्पूर्ण काशिका वि.सं. ७०७ = ६५० ई. तक लिखी थी, किन्तु उसके ३ अध्याय नष्ट हो गए, जिनको वामन ने (वि.सं.७५७-८०८) ७०० ई. से ७५० ई. के मध्य पूर्ण किया है।

इस परिप्रेक्ष्य में कुछ अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग प्रमाणों के आधार पर विद्वान् ऐसा मानने लगे हैं कि जयादित्य और वामन ने पूर्ण काशिकावृत्ति की रचना स्वतन्त्र रूप में पृथक्-पृथक् की थीं, परन्तु आज वे पूर्णरूप में उपलब्ध नहीं होतीं। इत्सिङ् द्वारा जयादित्य को ही काशिकाकार के रूप में लिखे जाने से कालीचरण शास्त्री आदि ने यही संभावना की है कि जयादित्य ने इत्सिङ् की यात्रा से पूर्व अपनी सम्पूर्ण काशिका की रचना कर दी थी, परन्तु वामन ने अपनी सम्पूर्ण काशिका की रचना उनसे बाद में की थी। संभवतः इसीलिए इत्सिङ् ने वामन का नाम नहीं लिया हो।

युधिष्ठिर मीमांसक तथा डॉ. हर्षनाथमिश्र ने प्रौढमनोरमा (५.४.४२, (न्यास) १.१. ५, ३.१.३३) पदमञ्जरी (२.२.१७, ३.१.३३) एवं शब्दकौस्तुभ (१.१.५, ४२) में दर्शित मतों से यह स्वीकार कर कि वामन ने जयादित्य के मतों का खण्डन भी किया है, जयादित्य

तथा वामन द्वारा अपनी-अपनी सम्पूर्ण वृत्तियों की रचना वाले पक्ष को अधिक प्रामाणिक माना है।

काशिकाकार का अभिमत धर्म

यद्यपि डॉ. रघुवीर वेदालंकार ने "काशिका का समालोचनात्मक अध्ययन" (पृ. ४८-५६) में काशिकाकार को वैदिक धर्मावलम्बी तथा पं. बालशास्त्री रानाडे ने (का. वृ.-बालशास्त्री सं., सं. १८९२, भूमिका-पृ. २) जैन स्वीकार किया है, तथापि बौद्धधर्मावलम्बी होने के पक्ष में अधिक आधार मिलते हैं, अतः इन्हें बौद्ध कहने में भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। विस्तार के लिए द्रष्टव्य ग्रन्थ- संस्कृत के बौद्ध वैयाकरण, पृ. १७४-१७६.

काशिकावृत्ति के उपजीव्य ग्रन्थ

१. काशिका से पूर्ववर्ती अनेक वृत्तिग्रन्थ. २. पतञ्जलिकृत महाभाष्य ३. धातुपारायण (सम्भवतः पूर्णचन्द्रकृत) ४. नामपारायण (गणपाठ का व्याख्यान)-वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु। विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः।। (काशिका के प्रारंभ में)। ५. कातन्त्रव्याकरण ६. चान्द्रव्याकरण आदि।

काशिकावृत्ति में पठित इष्टियाँ

काशिकाकार ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही "इष्ट्युपसंख्यानवती" कहकर काशिका की एक विशेषता का संकेत किया है। काशिका से पूर्ववर्ती वृत्तियों में यह विशेषता संभवतः नहीं थी। यद्यपि कुछ इष्टियाँ भाष्य में तथा कुछ उससे भी पूर्ववर्ती हैं। कात्यायन के कुछ वार्तिकों को भी इष्टि माना जाता है। मङ्खक कवि ने भाष्यकार को "इष्टिकृत्" शब्द से उद्धृत किया है-"न सूत्रकृद् वार्तिककृन्न चेष्टिकृत्" (म. भा. के अन्तर्गत वा. वि., पृ. १२७, डॉ. रामसुरेश त्रिपाठी)। कात्यायन एवं पतञ्जलि के ही समान काशिकाकार की भी अपनी कुछ इष्टियाँ हैं। इष्टियों की आवश्यकता इष्टरूपों को सिद्ध करने के लिए होती है, जो सूत्र-वार्तिक द्वारा सिद्ध होने पर भी लोक में इष्ट नहीं होते या लोक में इष्ट होने पर भी सूत्र-वार्तिक द्वारा उनकी सिद्धि नहीं हो पाती (शास्त्रमिष्ट सिद्धयर्थत्वात्-म.भा. प्र.७. १.६२)। करण अर्थ में यज् अथवा इषु धातु से क्तिन् प्रत्यय करने पर "इष्टि" शब्द निष्पन्न होता है-"श्रुयजिषिस्तुभ्यः करणे" (३.३.९५-वा.)। "इज्यतेऽनयेति इष्टिः"-यह तो यज्ञविषयक है। व्याकरण में तो "इष्यतेऽनयेति इष्टिः का ग्रहण होता है। "सूत्रेणासंगृहीतं लक्ष्यं येन संगृह्यते तदुपलक्षणमित्युपसंख्यानग्रहणम्" (प.म., भा.१, पृ. ५)। इन इष्टियों का प्रयोग "इष्टिः, इष्यते, इष्टः, इच्छन्ति" शब्दों से किया गया है। जिन इष्टियों का मूल भाष्य में नहीं मिलता या जो चान्द्रव्याकरण आदि में नहीं देखी जाती, वे काशिकाकार की अपनी भी मानी जा सकती हैं। काशिका में लगभग १३८ इष्टियाँ उपलब्ध होती हैं।

काशिकाकार-द्वारा पाणिनीयव्याकरण-परम्परा के विकास का प्रयास

काशिकावृत्ति में जो संशोधन-परिवर्धन दृष्ट होते हैं, वे कात्यायन तथा पतञ्जलि की शैली से बिल्कुल भिन्न हैं। काशिकाकार ने न तो कात्यायन आदि वार्तिककारों की भाँति अष्टाध्यायी पर वार्तिक ही लिखे तथा न शर्ववर्मा-चन्द्रगोमी आदि की तरह नया व्याकरण रचने का उद्यम ही किया। उन्होंने ऐसे शब्दों के भी समाधान का यत्न किया है जो पाणिनि सूत्रों द्वारा समाहित नहीं किए गए थे। एतदर्थ उन्होंने भाष्य आदि की तरह पाणिनीयेतरव्याकरणों का भी आश्रय लिया है, इनमें कातन्त्र तथा चान्द्र प्रमुख हैं। अनेक नए वार्तिकों तथा इष्टियों का भी निर्माण किया है। "प्रणाय्यान्तेवासिने" (३.१.१२८) आदि उपनिषत्प्रयुक्त, "प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली" आदि रामायणप्रयुक्त (४.१.८५) तथा "मणीवोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम" आदि महाभारतप्रयुक्त (१.१.११) एवं अन्य अनेक प्राचीन प्रयोगों के साधुत्व का भी उन्होंने सफल प्रयास किया है "ईदूदेद् द्विवचनं प्रगृह्यम्" (१.१.११) आदि ४१ स्थानों में उनके मौलिक विचार स्पष्ट प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार काशिका के उदाहरणों से गर्ग-कठचरणवालों का दूसरो की निन्दा करना, उच्चारण आदि में एक-दूसरे का अनुकरण करना, गुरुशुश्रूषा में सुख का अनुभव करना, उपाध्याय के पैदल तथा शिष्य के रथ पर बैठकर चलने को निन्दनीय मानना आदि विविध सामाजिक, राज्यव्यवस्थासम्बन्धी नदी-ग्राम-नगर-कूप आदि भौगोलिक सामग्री प्राप्त होती है, जिससे तात्कालिक समाज, धर्म, राजनीति, शिक्षा, भूगोल आदि विषयों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इनमें से कुछ तथ्य इस प्रकार के भी हैं, जिनके विषय में भाष्यकार ने भी मौनावलम्बन किया है।

उक्त विशेषताओं के अनुसार पाणिनीय वैयाकरण तो काशिका के ऋणी हैं ही, इनके अतिरिक्त अभयनन्दी, पाल्यकीर्ति (शाकटायन), भोज, नारायणभट्ट आदि पाणिनीयेतर वैयाकरणों ने भी काशिक का यथेष्ट उपयोग किया है। पाल्यकीर्ति शाकटायन की अमोघावृत्ति ने काशिका के अधिकांश उदाहरणों को अपना लिया है। जैनेन्द्रव्याकरण की अभयनन्दीवृत्ति भी काशिका से प्रायः अनुप्राणित रही है। उत्तरवर्ती पाणिनीय वैयाकरण तो काशिका के आधार पर ही आगे बढ़े हैं, इनमें रामचन्द्र तथा भट्टोजिदीक्षित ने सर्वाधिक रूप में काशिका का नाम लिया है। इस प्रकार यद्यपि काशिकारूपी सरोवर से प्रायः वैयाकरणों ने अपने ग्रन्थघट भरे हैं, फिर भी खेद और आश्चर्य का विषय है कि पुरुषोत्तमदेव आदि कुछ अपवादों को छोड़कर किसी ने काशिकाकार के प्रति आभार तक भी प्रकट नहीं किया है।

काशिका की मुख्य टीकाओं का सङ्क्षिप्त परिचय

काशिकावृत्ति की कम से कम ८ टीकाएँ ज्ञात हैं-१. न्यास (काशिकाविवरणपञ्जिका), २. अनुन्यास, ३. महान्यास, ४. प्रक्रियामञ्जरी, ५. पदमञ्जरी, ६. वृत्तिप्रदीप, ७. वृत्तिरत्न तथा ८. चिकित्सा। इनमें से यहाँ तीन का अनतिविस्तृत परिचय प्रस्तुत है-

१. न्यास (काशिकाविवरणपञ्जिका बोधिसत्त्वदेशीय आचार्य जिनेन्द्रबुद्धि)

उक्त आठ टीकाओं में जिनेन्द्रबुद्धि-रचित न्यास सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण है। व्याकरणदर्शनेर इतिहास (पृ. ३६७) के सूचनानुसार इसे बोधिन्यास भी कहते हैं। इस न्यासरूपी नौका को प्राप्तकर विद्वज्जन काशिकारूपी समुद्र को पार कर लेते हैं। इसकी प्रशंसा में दो श्लोक द्रष्टव्य हैं।[1]

शिशुपालवध महाकाव्य (२.११२) में जिस (अनुत्सूत्रपदन्यासा) का उल्लेख हुआ है, उसे समीक्षक विद्वान् जिनेन्द्रबुद्धिकृतन्यास नहीं मानते, क्योंकि माघ कवि जिनेन्द्रबुद्धि से परभावी नहीं हैं। अन्य भी अनेक न्यासों का उल्लेख प्राप्त होता है-

"न्यास" शब्द का अर्थ है, जिससे मूलोक्त विषय का समर्थन किया जाए-न्यस्यते = स्थाप्यते दृढीक्रियते मूलोक्तोऽर्थोऽनेनेति न्यासः। न्यास का अर्थ निक्षेप = किसी वस्तु की सुरक्षा भी होती है। सम्भवतः काशिकाप्रोक्त सिद्धान्तों की इसमें रक्षा = प्रायः पूर्णतः पालन किए जाने के कारण ही विद्वानों ने इसे "न्यास" नाम दिया है। इसकी रचना सप्तम शताब्दी में मानी जाती है।

इसमें काशिकावृत्ति का विरोध प्रायः नहीं देखा जाता है। न्यासकार ने कहा भी है- "नहि वृत्तिं व्याख्यातुमुद्यतस्य तद्विरुद्धं व्याख्यानं युज्यते कर्तुम्" (पृ. ३५)। फिर भी क्वचित् विरोध परिलक्षित होता है। जैसे-"प्रमादपाठोऽयम्", "अयुक्तोऽयं पाठः" (४.१.७८ आदि)। "उदाहरणदिगियं दर्शिता वृत्तिकृता, प्रत्युदाहरणदिगियं दर्शिता वृत्तिकृता" (२.३.५४, ३.२.६१, ४.६२, ५.३.१)-ऐसे कुछ स्थलों को छोड़कर न्यासकार ने वृत्तिप्रोक्त भाव को विशदरूप में समझाने का यत्न किया है। इसमें कुछ ऐसे गुण विद्यमान हैं, जिनसे वह व्याकरणजगत् में लोकप्रिय रहा है। कैयट-हरदत्त आदि उत्तरवर्ती व्याख्याकारों ने यद्यपि सैकड़ों स्थानों में न्यास के मतों का निराकरण किया है, तथापि न्यास की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनी हुई है। इसकी कुछ विशेषताएँ इस प्रकार कहीं जा सकती हैं-दुर्बोध स्थलों का उद्घाटन, भाषासौष्ठव और भाषासारल्य, रूपसिद्धि, अनुत्सूत्रपदत्व, प्राचीन सामग्री का बाहुल्य।

दुर्बोधस्थल उद्घाटन के अवबोधार्थ द्रष्टव्य स्थल हैं-१.३.८४, ४.३., ३.३.१०५. भाषासौष्ठव और भाषासारल्य १.४.२४, २६,१.३.७०, ३.४.५, ५.१.१२, ८.१.४ आदि स्थलों में सन्निहित है। न्यास में अधिकांश प्रयोगों की सूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्धि दिखाई गई है।

---

१. यत्पञ्जिकानावमिमामासाद्य सुधियः सुखम्।
तरन्ति काशिकाम्भोधिं स जिनेन्द्रो जयत्ययम्।।
उच्चारितं शेषमुखैरशे व्र्व्याख्यामृतं शब्दमहार्णवस्य।
न्यासीकृतं येन जिनेन्द्रकेण तस्मै नमः शाब्दिकवन्दिताय।।

इस कार्य में ग्रन्थ का लगभग १/६ भाग प्रयुक्त हुआ है। न्यास की सबसे बड़ी विशेषता है-अनुत्सूत्रपदत्व।[1] इन विशेषताओं को विस्तार से-न्यासपर्यालोचन" ग्रन्थ में देखा जा सकता है।

इस न्यास पर भी पाँच टीकाएँ लिखी गई थीं

१. मैत्रेयरक्षितकृत तन्त्रप्रदीप, २. मल्लिनाथकृत न्यासोद्योत, ३. नरपतिमहामिश्रकृत न्यासप्रकाश, ४. पुण्डरीकाक्ष विद्यासागरकृत न्यासटीका तथा ५. रत्नमतिकृत न्यासटीका। इनमें से रत्नमतिकृत तथा पुण्डरीकाक्ष विद्यासागरकृत टीकाओं के हस्तलेख किसी भी प्रकार आज सुरक्षित नहीं हैं।

२. अनुन्यास (इन्दुमित्र)

"अनुन्यास" इस नाम से ऐसा कहा जा सकता है कि इसकी रचना "न्यास" के अनन्तर हुई थी। कुछ समीक्षक इसे "न्यास" की टीका मानते हैं। एक विचार के अनुसार "तन्त्रप्रदीप" का नाम अनुन्यास माना गया है, परन्तु यह मत इसलिए चिन्त्य प्रतीत होता है कि सीरदेव ने अपनी परिभाषावृत्ति में अनुन्यासकार और तन्त्रप्रदीपकार के शाश्वतिक विरोध का उल्लेख किया है (पृ. ७६)। कुछ विद्वान् अनुन्यास तथा न्यास को मिलाकर महान्यास कहते हैं। अनुन्यास को माधवीय धातुवृत्ति (पृ. २०१), उज्ज्वलदत्त कहते हैं। अनुन्यास को माधवीय धातुवृत्ति (पृ. २०१), उज्ज्वलदत्त की उणादिवृत्ति (पृ. १,१५, ८८), सीरदेवीय परिभाषावृत्ति (पृ. २८, ७६), दुर्घटवृत्ति (पृ.१२०, १२३, १२६) प्रक्रियाकौमुदी की प्रसाद टीका (भा. १ पृ. ६१०, भा० २ पृ. १४५) और अमरटीकासर्वस्व (भा. १ पृ. ६०) भा० २ पृ. ३३६) आदि ग्रन्थों में उद्धृत किया गया है।

इस अनुन्यास पर श्रीमान् शर्मा ने अनुन्याससार नामक टीका लिखी थी-

अनुन्यासादिसारस्य कर्त्रा श्रीमानशर्मणा।
श्रीलक्ष्मीपतिपुत्रेण विजयेयं विनिर्मिता।।

(सीर.परि.वृ. की दिनेशचन्द्र भट्टाचार्यकृत भूमिका पृ. १६-१७)

३. पदमञ्जरी (हरदत्त)

काशिका की उपलब्ध तथा प्रसिद्ध व्याख्याओं में न्यास के बाद पदमञ्जरी का स्थान है, जिसकी रचना द्रविड़ देशवासी हरदत्त ने की है। इन्होंने ग्रन्थ के प्रारम्भ में अपने पिता का नाम 'पद्मकुमार', माता का नाम 'श्री', ज्येष्ठ भ्राता का अग्निकुमार और गुरु का नाम

---

१. "अनुत्सृष्टसूत्राक्षर इष्टायुपसंख्याननैरपेक्ष्येण सूत्राक्षरैरेव सर्वार्थप्रतिपादको न्यासो वृत्तिव्याख्यानग्रन्थविशेषः" (माघ ०२.११२-११२-मल्लिनाथटीका)

'अपराजित' बताया है। ये प्रक्रिया के प्रकाण्ड पण्डित थे, जैसाकि स्वयं ही इन्होंने घोषित किया है -

> **प्रक्रियातर्कगहनप्रविष्टो हृष्टमानसः।**
> **हरदत्तहरिः स्वैरं विहरन् केन वार्यते (ग्रन्थारम्भ)**

इनका समय ११वीं शताब्दी तथा देश द्रविड़ माना जाता है। ये केवल व्याकरण के ही नहीं, गृह्यसूत्र-धर्मसूत्र आदि के भी प्रौढ़ पण्डित थे। व्याकरणविषयक महापदमञ्जरी एवं परिभाषाप्रकरण नामक इनके ग्रन्थ सम्प्रति अप्राप्य हैं। इनके अतिरिक्त गौतमधर्मसूत्र की "मिताक्षरा" आपस्तम्बधर्मसूत्र की "उज्ज्वला" एवं आश्वलायन गृह्यसूत्र की "अनाविला" आदि व्याख्याएँ प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान् इन ग्रन्थों के रचयिता हरदत्त को पदमञ्जरीकार हरदत्त से भिन्न मानते हैं, परन्तु पदमञ्जरी के साथ तुलना करने पर एक ही व्यक्ति को इनका कर्ता कहा जा सकता है।

भागवृत्तिकार विमलमति

पाणिनीय अष्टाध्यायी की वृत्तियों में वामन-जयादित्य की काशिकावृत्ति के अनन्तर भागवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। वह वृत्ति सम्प्रति उपलब्ध नहीं होती। इसके १६८ उद्धहरणों का संग्रह युधिष्ठिर मीमांसक ने किया है। (प्रकाशित ग्रन्थ-भागवृत्तिसंकलनम्) इन उद्धरणों का संग्रह २४ मुद्रित, ६ हस्तलिखित तथा ४ अन्य सहायक ग्रन्थों से किया गया है। पुरुषोत्तमदेवकृत भाषावृत्ति के अन्तिम श्लोक से ज्ञात होता है कि यह वृत्ति काशिका के समान प्रमाणिक मानी जाती थी।[1]

बड़ौदा से प्रकाशित कवीन्द्राचार्य के सूचीपत्र में भागवृत्ति का नाम मिलता है (पृ. ३)। भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ और सिद्धान्तकौमुदी में भागवृत्ति के अनेक उद्धहरण दिए हैं। इससे यह संभावना की जा सकती है कि १६-१७ वि. शतीं तक भागवृत्ति उपलब्ध थी।

भागवृत्तिकार के विषय में विविध विचार

भाषावृत्ति के व्याख्याता सृष्टिधर चक्रपर्ती ने लिखा है-"भागवृत्तिर्भतृहरिणा श्रीधरसेननरेन्द्रादिष्टा विरचिता" (भा. वृ. वि. ८.१.६७)। इस लेख से विदित होता है कि वलभी के राजा श्रीधरसेन की आज्ञा से भर्तृहरि ने भागवृत्ति की रचना की थी। कातन्त्रपरिशिष्टकार श्रीपतिदत्त के लेखानुसार भागवृत्ति के रचयिता का नाम विमलमति

---

१. काशिका-भागवृत्त्योश्चेत् सिद्धान्तं बोद्धुमस्ति धीः।
तदा विचिन्त्यतां भ्रातर्भाषावृत्तिरियं मम।। (पुरुषोत्तमदेवकृत भाषावृत्ति)

था (सन्धिसूत्र १४२) गुरुपद हालदार ने सृष्टिधर के उक्त लेख को प्रामाणिक नहीं माना है। (व्या.द.इति.) परन्तु युधिष्ठिर मीमांसक के विचार से सृष्टिधर तथा श्रीपतिदत्त दोनों के ही वचन ठीक हैं, उनमें परस्पर विरोध नहीं है। जैसे अनेक कवियों का "कालिदास" यह औपाधिक नाम मिलता है, वैसे भागवृत्तिकार का भी "भर्तृहरि" नाम औपाधिक तथा विमलमति यह मुख्य नाम था। भट्टिकाव्य के कर्ता भट्टि का भी "भर्तृहरि" यह औपाधिक नाम था। युधिष्ठिर मीमांसक ने व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, पृ. ३४६ से पृ. ३५१ तक एतद्विषयक विस्तृत विवेचन कर यह निष्कर्ष निकाला है-

१. प्राचीन ग्रन्थों में भर्तृहरि या हरि के नाम से जितने उद्धरण उपलब्ध होते हैं, वे सभी आद्य भर्तृहरि के हैं।
२. भट्टिकाव्य के सभी उद्धरण भट्टि के नाम से दिए गए हैं। केवल श्वेतवनवासीविरचित उणादिवृत्ति के एक हस्तलेख में भट्टिकाव्य के उद्धरण भर्तृकाव्य के नाम से प्राप्त होते हैं। दूसरे हस्तलेख में "भट्टिकाव्य" पाठ है।
३. भागवृत्ति के उद्धहरण "भागवृत्ति-भागवृत्तिकृत अथवा भागवृत्तिकार नाम से दिए गए हैं। भागवृत्ति का कोई उद्धरण भर्तृहरि के नाम से नहीं दिया गया है। (पृ. ३५३)।

प्रो. के. वी. अभ्यङ्कर ने भी भागवृत्ति तथा विमलमति के विषय में ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं।

भागवृत्तिकार का काल

सृष्टिधर ने महाराज श्रीधरसेन की आज्ञा से भागवृत्ति की रचना का उल्लेख किया है। वलभी के राजकुल में श्रीधरसेन नामक चार राजा हुए हैं, जिनका राज्यकाल सं. ५५७ से सं. ७०५ तक माना जाता है। इस भागवृत्ति में काशिकावृत्ति का अनेकत्र खण्डन किया गया है (न्यासभूमिका पृ. २६)। इससे स्पष्टतः सिद्ध है कि काशिका के अनन्तर ही भागवृत्ति की रचना हुई थी। चतुर्थ श्रीधरसेन का राज्यकाल सं. ७०२ से सं. ७०५ तक है। अतः, भागवृत्ति की रचना इन्हीं चतुर्थ श्रीधरसेन की आज्ञा से हुई होगी।

न्यास के संपादक ने भागवृत्ति का काल सन् ६२५ ई. (वि. सं. ६८२) और काशिका का सन् ६५० ई. (वि.सं. ७०७) माना है। अर्थात् भागवृत्ति का रचनाकाल काशिका से भी पूर्व है। गुरुपद हलदार ने इसकी रचना नवम शताब्दी में मानी है। ये दोनों ही मत युधिष्ठिर मीमांसक ने ठीक नहीं माने हैं। उनके अनुसार भागवृत्ति की रचना सं. ७०२ से सं.७०५ के मध्य हुई है।

"भागवृत्ति" नाम का कारण

इस वृत्ति से पूर्ववर्ती अष्टाध्यायी की सभी वृत्तियाँ अष्टाध्यायी के क्रमानुसार बनाई गई थीं, परन्तु विमलमति ने सर्वप्रथम इस क्रम का अतिक्रमण करके लौकिक तथा वैदिक सूत्रों की दो भागों में अलग-अलग व्याख्या प्रस्तुत की थी। इसकी संभावना गोपीचन्द्र की संक्षिप्तसारटीका में प्राप्त उल्लेख से होती है-"अथतन्न वक्तव्यम्, छान्दसत्वात्। अत एव भागवृत्तौ भाषाभागेऽस्त्येव तत्। अत एव भाषाभागे भागवृत्तिकृत्, भाषावृत्तिकारश्च क्वसुकानज्विधानुलक्षणं न लक्षितवान्" (सं.सा.-सन्धि प्र०, पृ. १६०, तिङन्त पृ. ८२६)। इसमें भागवृत्ति के भाषाभाग का स्पष्ट उल्लेख है जिससे उक्त संभावना की संपुष्टि होती है। उपलब्ध काशिकावृत्ति में सभी सूत्रों की अष्टाध्यायीक्रमानुसार व्याख्या उपलब्ध है, संभवतः इसीलिए पुरुषोत्तमदेव (भा.वृ. १.१.१६) तथा सृष्टिधराचार्य ने उसे एकवृत्ति कहा है। अधिक संभव है कि लौकिक तथा वैदिक शब्दसाधक सूत्रों का विभाग करके लिखी जाने वाली वृत्ति का नाम भागवृत्ति रखा गया हो।

भागवृत्ति का वैशिष्ट्य

१. शरणदेव, जयादित्य, पुरुषोत्तमदेव आदि तो त्रिमुनि द्वारा प्रदर्शित तथा अपने द्वारा भी कुछ व्युत्पत्तियों एवं शब्दों की कल्पना करते हैं, जिससे लक्ष्यैकचक्षुष्क भी कहा जाता है, परन्तु भागवृत्ति में त्रिमुनि से अनुगत न होने वाले प्रयोगों को प्रामादिक बताकर लक्षणैकचक्षुष्क होने का परिचय दिया है। (सीरदेवपरिभाषावृत्ति, पृ. १३६-३७, पुरातन-पुराणशब्द)

२. भागवृत्तिकार ने "आजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्षः, आहध्वं मा रघूत्तमम्, नभः समाक्रामति नष्टवर्त्मना स्थितैकचक्रेयं रथेन भास्करः, कण्डूतिः, पाण्डुरः, त्वया ज्ञातो मया ज्ञातः" इत्यादि कविप्रयुक्त वचनों को प्रामादिक ही कहा है।

३. भागवृत्तिकार नवीन वचनों को स्वीकार नहीं करते। जैसे-"मणीवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः" वचन को स्वीकार न करके इवार्थ में ही व-शब्द का प्रयोग मानते हैं। इसी प्रकार "यौवन-यौवत-साहाय्यम् इत्यादि शब्दों पर जयादित्य से मतभेद आदि भी द्रष्टव्य है।

भागवृत्ति की व्याख्या

श्रीकृष्णलीलाशुकमुनि के उल्लेखानुसार (दिवम्-पुरुषकार, पृ. १५) श्रीधर ने भागवृत्ति की कोई व्याख्या लिखी थी। युधिष्ठिर मीमांसक ने पुरुषकार व्याख्या (पृ. ६०) में उल्लिखित श्रीधर और मैत्रेय के उद्धरणों की तुलना करके श्रीधर को मैत्रेय रक्षित से भी प्राचीन माना है (सं. व्या. शा. का इति. भाग १, पृ. ४३६)।

भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव

बारहवीं शताब्दी के वङ्गदेशीय वैयाकरणों में पुरुषोत्तमदेव एक प्रामाणिक बौद्ध वैयाकरण माने जाते हैं। शरणदेव तथा वन्द्यघटीय सर्वानन्द आदि अनेक प्रौढ़ आचार्यों ने पुरुषोत्तमदेव के मतों का उल्लेख प्रमाण के रूप में किया है। कहीं-कहीं इन्हें केवल "देव" नाम से भी उद्धृत किया गया है। इनके द्वारा रचित १९ ग्रन्थों में भाषावृत्ति, परिभाषावृत्ति तथा ज्ञापकसमुच्चय प्रमुख हैं। भाषावृत्ति में पाणिनि के लौकिक सूत्रों की व्याख्या है। परिभाषावृत्ति में व्याडीय परिभाषाओं की सरल और संक्षिप्त व्याख्या की गई है। ज्ञापकसमुच्चय में अष्टाध्यायी के क्रमानुसार सूत्रों से ज्ञापित होने वाले विविध नियमों का विवरण विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य की व्याख्याओं के मङ्गलश्लोक से इनका बौद्ध होना असंदिग्ध है। जैसे भाषावृत्ति के मङ्गलश्लोक में बुद्ध को नमस्कार किया गया है-

नमो बुद्धाय भाषायां यथात्रिमुनिलक्षणम्।
पुरुषोत्तमदेवेन लघ्वी वृत्तिर्विधीयते।।

कारकचक्र नामक ग्रन्थ में "सर्वज्ञ" को प्रणाम किया है-

मुनिं प्रणम्य सर्वज्ञं सर्वज्ञानप्रकाशम्
बालानां कथ्यतेऽर्थाय मया कारकचक्रकम्।।

महाभाष्य की "प्राणपणा" नामक लघुवृत्ति में बुध-विशेषणविशिष्ट बुद्ध के लिए नमस्कार है-

नमो बुधाय बुद्धाय यथात्रिमुनिलक्षणम्।
विधीयते प्राणपणा भाषायां लघुवृत्तिका।।

देश-काल

वङ्गमहीपति लक्ष्मणसेन की आज्ञा से भाषावृत्ति की रचना पुरुषोत्तमदेव ने की थी इस भाषावृत्यर्थविवृतिकार सृष्टिधर के उल्लेख से इन्हें वङ्गदेशीय माना जाता है। "वङ्ग जनपदो रमणीयः" आदि उदाहरण भी उक्त का समर्थन करते हैं।

लक्ष्मणसेन का राज्य (वि. सं. १२२६) ११६९ ई. से प्रारम्भ हुआ था। इन्हीं की आज्ञा से पुरुषोत्तमदेव ने भाषावृत्ति लिखी, अतः पुरुषोत्तमदेव का काल वि.सं.१२५७ ई. सन् १२०० के आसपास माना जा सकता है। शरणदेव ने शकाब्द १०९५, तदनुसार वि.सं. १२३० में दुर्घटवृत्ति की रचना की थी।

दुर्घटवृत्ति में पुरुषोत्तमदेव और उनकी भाषावृत्ति अनेक स्थलों पर उद्धृत है। अतः पुरुषोत्तमदेव को सं. १२३० से पूर्वभावी होना चाहिए। सर्वानन्द ने अमरटीकासर्वस्व (१०८१ शकाब्द, १२१६ वि. सं.) में पुरुषोत्तमदेव और उनके भाषावृत्ति-त्रिकाण्डशेष आदि अनेक ग्रन्थ उद्धृत किए हैं। अतः पुरुषोत्तमदेव ने निर्विवाद रूप में अपने ग्रन्थ की रचना सं. १२१६ (११५६ ई.) से पूर्व अवश्य ही कर ली होगी। फलतः इनका काल बारहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है।

रचनाएँ

१. भाषावृत्ति (लघुवृत्ति), २. कारकचक्र, ३. परिभाषावृत्ति (ललिता वृत्ति), ४. ज्ञापकसमुच्चय, ५. महाभाष्यलघुवृत्ति प्राणपणा, ६. गणवृत्ति, ७. उणादिवृत्ति, ८. कारककारिका, ६. उपसर्गवृत्ति, १०. ऊष्मभेद, ११. दशबलकारिका, १२. कुण्डलीव्याख्यान, १३. रत्नमाला, १४. त्रिकाण्डशेष, १५. हारावली, १६. द्विरूपकोश, १७. एकाक्षरकोश १८. वर्णदिशना तथा १६. दुर्घटवृत्ति। "णकारभेद" नामक ग्रन्थ भी पुरुषोत्तमदेव के नाम से उपलब्ध होता है, परन्तु उसके मंगलश्लोक में शिव के प्रति किए गए नमस्कार से वे इनसे भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते हैं।

भाषावृत्ति की विशेषताएँ

इसमें पाणिनि के केवल ३५८२ सूत्रों की व्याख्या की गई है तथा स्वरविधायक सभी सूत्र-अधिकांश वैदिकशब्दसाधक सूत्र छोड़ दिए गए हैं। अतः "भाषावृत्ति" यह नाम सार्थक ही प्रतीत होता है। सभी सूत्रों की व्याख्या न होनें से लघुवृत्ति भी कहते हैं। इसमें भी काशिकाकार की तरह "अथ शब्दानुशासनम्" से व्याख्या प्रारम्भ की गई है। चन्द्राचार्य जयादित्य की तरह "अ इ उ ण्" आदि को केवल प्रत्याहारसूत्र ही स्वीकार किया है, न कि माहेश्वरसूत्र। भट्टिकाव्य आदि काव्यग्रन्थों से इसमें उदाहरण दिए गए हैं। पुरुषोत्तमदेव ने "इको यणचि" (६.१.७७) पर "इकां यण्भिर्व्यवधानं व्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम्" यह वार्तिक स्वीकार कर "दधियत्र, भूवादयः" आदि शब्दरूपों को साधु माना है। काशिकावृत्ति तथा भागवृत्ति का महत्त्व अंगीकार कर यह सूचित किया गया है कि भाषावृत्ति में उनके मत पूर्णतः अपनाए गए हैं -

काशिका-भागवृत्योश्चेत् सिद्धान्तं बोद्धुमस्ति धीः।
तदा विचिन्त्यतां भ्रातर्भाषावृत्तिरियं मम।।

भाषावृत्ति की ३ व्याख्याएँ उपलब्ध होती हैं -

१. सृष्टिधर चक्रवर्ती की भाषावृत्त्यर्थविवृत्ति, २. सनातन तर्काचार्य की फक्किकावृत्ति तथा ३. विश्वरूप की भाषावृत्तिपंजिका।

दुर्घटवृत्ति

सर्वानन्द ने अमरकोश-टीकासर्वस्व में लिखा है- "पुरुषोत्तमदेवेन गुर्विणीत्यस्य दुर्घटेऽसाधुत्वमुक्तम्" (भा.२, पृ. २७७) । इस पाठ से प्रतीत होता है कि पुरुषोत्तमदेव ने दुर्घटवृत्ति की भी रचना की थी। शरणदेव ने अपनी दुर्घटवृत्ति में "गुर्विणी" पद का साधुत्व दर्शाया है। सर्वानन्द ने टीकासर्वस्व सं. १२१६ में लिखा था। शरणदेवीय दुर्घटवृत्ति का रचनाकाल सं. १२३० है। शरणदेव ने दुर्घटवृत्ति में पुरुषोत्तमदेव के नाम से अनेक ऐसे पाठ उद्धृत किए हैं जो भाषावृत्ति में उपलब्ध नहीं होते (पृ. १६, २७,७१)। संभवतः शरणदेव ने उन पाठों को पुरुषोत्तमदेव की दुर्घटवृत्ति से उद्धृत किया होगा। इसी प्रकार अन्य ग्रन्थों की भी कुछ अपनी विशेषताएँ हैं -

दुर्घटवृत्तिकार शरणदेव

श्री शरणदेव का "दुर्घटवृत्ति" नामक एकमात्र ग्रन्थ उपलब्ध होता है, जिसका प्रकाशन पेरिस से १९४०-१९५६ में हुआ था। रोमनलिपि में मुद्रित यह ग्रन्थ दो भाग तथा छह खण्डों में है। प्रथम खण्ड केवल परिचयात्मक है। यह व्याख्या पाणिनि के विशिष्ट सूत्रों पर की गई है। संस्कृतभाषा के जो पद साधारणतया व्याकरण से सिद्ध नहीं होते, उन पदों की सिद्धि दिखाने के लिए यह ग्रन्थ लिखा गया है। इसीलिए ग्रन्थकार ने "दुर्घटवृत्ति" यह सार्थक नाम रखा है। जिन दुःसाध्य पदों की सिद्धि इसमें दर्शायी गई है, वे पद संस्कृतवाङ्मय के प्राचीन ग्रन्थों में प्रयुक्त हुए हैं। प्राचीनकाल में इस प्रकार के अनेक ग्रन्थों की रचना हुई थी। मैत्रेयरक्षित और पुरुषोत्तमदेवविरचित दो दुर्घटवृत्तियों का उल्लेख मिलता है। सम्प्रति केवल शरणदेव की ही दुर्घटवृत्ति उपलब्ध है। उज्ज्वलदत्त, सर्वानन्द, सायण, भट्टोजिदीक्षित, रायमुकुट तथा दुर्गादास आदि आचार्यो ने इन्हें उद्धृत किया है। शरणदेव ने अपनी दुर्घटवृत्ति में ५४ ग्रन्थकारों तथा ७३ ग्रन्थों का स्मरण किया है, जिनमें अमरकोशटीका, कलापवृत्ति, कादम्बरी, जाम्बवतीविजय, भागवृत्ति, मेघदूत, रामायण, चन्द्रगोमी, मैत्रेयरक्षित, वाल्मीकि तथा व्यास प्रमुख हैं। ऐसा माना जाता है कि काशिकावृत्ति के अनुयायी वैयाकरणों या व्याकरणग्रन्थों को इन्होंने अधिकांश उद्धृत किया है (Die, Skt gr. p. २८७) इसके प्रारम्भ में भगवान् बुद्ध को "सर्वज्ञ" नाम से नमस्कार किया गया है। अतः शरणदेव का बौद्धमतावलम्बी होना सिद्ध होता है-

नत्वा शरणदेवेन सर्वज्ञं ज्ञानहेतवे।
बृहद्भट्टजनाम्भोजकोशविकाशहेतवे ।।

इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रन्थों में प्रयुक्त अनेक शब्दों पर विशेष विचार किए जाने से भी उन्हें बौद्ध माना जा सकता है।[1]

इसके नामकरण के विषय में डॉ. हर्षनाथमिश्र लिखते हैं-दुर्घट प्रयोगों अथवा दुर्घट सूत्रों की वृत्ति=व्याख्या होने से इसे दुर्घटवृत्ति कहते हैं-"दुर्घटाः प्रयोगा यस्यां सा दुर्घटप्रयोगा, दुर्घटानिसूत्राणि वा यस्यां सा दुर्घटसूत्रा, सा चासौ वृत्तिः दुर्घटवृत्तिः। शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः इतिवन्मध्यपदलोपी समासः" (चा.व्या. वृ. स.अ.)।

छात्रों की कठिनाई को ध्यान में रखकर तथा शरणदेव के आग्रह पर आचार्य सर्वरक्षित ने इसका प्रतिसंस्कार या संक्षेप किया था। संभवतः वे शरणदेव के गुरु थे, जैसाकि नाम के पूर्व आदरवाचक "श्री" शब्द के उल्लेख से प्रतीत होता है।[2]

देश-काल

वङ्गदेशीय बौद्ध वैयाकरण शरणदेव ने स्वयं ही ग्रन्थ के प्रारम्भ में दुर्घटवृत्ति की रचना का समय १०९५ शकाब्द लिखा है। तदनुसार वि.सं. १२३० तथा सन् ११७३ निश्चित होना है[3]।

काव्यशास्त्र आदि में बहुधा प्रयुक्त होने के कारण जो शब्द प्रसिद्ध तो हो गए, परन्तु पाणिनीयसूत्रनिर्देशानुसार सिद्ध नहीं हो पाते, ऐसे शब्दों की निष्पत्ति में समापतित शंकाओं का समाधान शरणदेव ने उपपत्तिपूर्वक किया है। ऐसे शब्दों की संख्या १००० से भी अधिक है (संभवतः १०१४)। इन शब्दों में कहीं पर परस्मैपदव्यवहार का समाधान किया गया है, तो कहीं पर लिङ्गविषयक विवेचन।[4]

शरणदेव का पाण्डित्य और उनका व्याकरण के लिए योगदान-दुर्घटवृत्तिकार ने सन्दिग्धसिद्धि वाले प्रयोगों की सिद्धि के लिए २३ प्रकार या रीतियों का आश्रय लिया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-१. ज्ञापनात्मकरीति २. व्यवस्थितविभाषा का समाश्रयण. ३. व्याकरणान्तर का आश्रयण इत्यादि।

---

१. क. "भिक्षुणी कथमुच्यते? भिक्षुं भिक्षुत्वं नयति प्राप्नोति इसि क्विपि "कृदिकारादक्तिनः" (४.१.४९) इति ङीष्"। ख. "कथं मान्यचरैर्भिर्गन्धरैभिरिति बौद्धप्रयोगः ? बहुलग्रहणमिहापि संबद्ध्यते, येन क्वचिदैस्त्वं न भविष्यति (७.१.९)" इत्यादि।

२. वाक्याच्छरणदेवस्य छात्रावग्रहपीडया।
श्रीसर्वरक्षितेनैषा संक्षिप्य प्रतिसंस्कृता।। (दुर्घटवृत्ति, पृ. ७)

३. शाकमहीपतिवत्सरमाने एकनभोनवपञ्चविताने।
दुर्घटवृत्तिरकारि मुदे वः कण्ठविभूषणहारलतेव।।

४. "कथं नप्ता कुमारी" ऋन्नेभ्यो ङीप्" इति ङीप्प्रवृत्तेः? उच्यते, भागवृत्तिकृन्नप्तृशब्दं स्वस्रादौ पठितवान्। तेन "न षट्स्वस्रादिभ्यः" इति ङीपो निषेधः। कथन्तर्हि "नप्त्री पौत्री सुतात्मजा" इत्यमरः? उच्यते, ये स्वस्रादौ न पठन्ति, तन्मतेन" (दु.वृ.)।

२३ प्रकार के उपायों से शरणदेव ने १५ प्रकार की विप्रति-पत्तियों का समाधान किया है। विप्रतिपत्तियाँ इस प्रकार हैं-१. आगमविप्रतिपत्ति २. आदेशविप्रतिपत्ति, ३. विकरणविप्रतिपत्ति, ४. उपग्रहविप्रतिपत्ति, ५. लिङ्गविप्रतिपत्ति, ६. कारकविप्रतिपत्ति, ७. कालविप्रतिपत्ति, ८. स्वरविप्रतिपत्ति। ९. हलुविप्रतिपत्ति, १०. प्रत्ययविप्रतिपत्ति, ११. संज्ञाविप्रतिपत्ति, १२. समासविप्रतिपत्ति, १३. पूर्वप्रयोगविप्रतिपत्ति, १४. अनुप्रयोगविप्रतिपत्ति तथा १५. वचनविप्रतिपत्ति।

विप्रतिपत्तियों के कुछ उदाहरण

१. **आगमविप्रतिपत्ति अडागम**-"मा बालिपथमन्वगाः (वा.रा. किष्किन्धा) मुमागम-"मध्यन्दिन" (अरूर्द्विषदजन्तस्य मुम् (६.३.६७)

२. **विकरणविप्रतिपत्ति**-"वासुदेवं परित्यज्य योऽन्यदेवमुपासते" में "आस्" धातु के अदादिगणपठित होने के कारण उससे शप् का लुक् प्राप्त होता है, परन्तु यहाँ वह गणकार्यों के अनित्य होने से प्रवृत्त नहीं होता।

३. **कारकविप्रतिपत्ति**- "परापवादशस्येषु गां चरन्तीं निवारय" में "वारणार्थानाम् ईप्सितः" (१.४.२७) से अपादानसंज्ञा प्राप्त होती है, परन्तु यहाँ उसकी विवक्षा न होने से अधिकरणसंज्ञा हुई हैं इसी प्रकार "जातं वंशे भुवनविदिते" (मेघ. पू. ६) में "जनिकर्तुः प्रकृतिः" (१.४.३०) से प्राप्त अपादान नहीं हो सकता, क्योंकि "वंश" प्रकृति नहीं होता, किन्तु वंश्य प्रकृति है।

इसी प्रकार "वाहनम्" में स्वरविप्रपत्ति का तथा "क्लीबे च पतिते पतौ" में संज्ञाविप्रतिपत्ति का समाधान दिखाया गया है।

शब्दकौस्तुभकार भट्टोजिदीक्षित

भट्टोजिदीक्षित ने अष्टाध्यायीसूत्रक्रम के अनुसार "शब्दकौस्तुभ" नामक एक महती वृत्ति की रचना की थी। सम्प्रति यह समग्र रूप में उपलब्ध नहीं होती है, लगभग इसका पूर्वार्द्ध ही प्राप्त है। प्रथमाध्याय का प्रथमपाद अपेक्षाकृत विस्तार से लिखा गया है, जबकि अग्रिम भाग संक्षिप्त हैं।

इनके पिता का नाम लक्ष्मीधर था, कुछ लोगों के अनुसार आन्ध्रदेशीय ब्राह्मण थे। इन्होंने नृसिंह के पुत्र शेषकृष्ण से व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया था, जैसाकि शब्दकौस्तुभ में उल्लिखित प्रक्रियाप्रकाशकार के लिए "गुरु" शब्द के प्रयोग से कहा जा सकता है[1]।

---

१. "तदेतत् सकलमभिधाय प्रक्रियाप्रकाशे गुरुचरणैरुक्तम्" (पृ. १४५)

आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय वि. सं. १६१७- ६७, १५६० ई.-१६१० ई. के बीच माना है। इसके लिए उन्होंने दीक्षित के गुरु तथा शिष्य की चर्चा की है। गुरु और शिष्य का जो समय निश्चित होता है, उसका मध्यवर्ती समय ही दीक्षित का समय मानना उपयुक्त होगा। उन्होंने कहा है कि दीक्षित के गुरु नृसिंहाश्रम ने वि. सं. १६०४, १५४७ ई. में अपना दार्शनिक ग्रन्थ "वेदान्ततत्वविवेक" तथा अगले वर्ष उस पर स्वोपज्ञ व्याख्यान "दीपन" का निर्माण किया था। दीपन पर दीक्षित ने "वाक्यमाला" या "दीपनव्याख्या" नामक टीका लिखी थी। भट्टोजिदीक्षित के शिष्य **नीलकण्ठ** शुक्ल ने १६९३ वि. सं. (१६३७ ई.) में **"शब्दशोभा"** नामक व्याकरणसम्मत ग्रन्थ लिखा था। इन्हीं दोनों संवतों (वि.सं. १६०४-वि सं. १६९३) के बीच अर्थात् (सं. १६१७-१६६७) लगभग १५६० ई. से १६१० ई. तक के बीच ही दीक्षित का समय मानना संगत प्रतीत होता है (प्र.सं.शा. इति., पृ. ५१०-११)। भट्टोजिदीक्षित ने शबदकौस्तुभ को सिद्धान्तकौमुदी से पूर्व रचा था। उत्तरकृदन्त के अन्त में लिखा है-

इत्थं लौकिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितम्।
विस्तरस्तु यथाशास्त्रं दर्शितः शब्दकौस्तुभे।।

शब्दकौस्तुभ के प्रथमपाद की छह टीकाओं का उल्लेख ऑफ्रेक्ट के बृहत्सूची पत्र में इस प्रकार मिलता है-१. विषमपदी (नागेशभट्ट), २. प्रभा (वैद्यनाथ पायगुण्डे), ३. उद्द्योत (विद्यानाथ शुक्ल), ४. प्रभा (राघवेन्द्राचार्य), ५. भावप्रदीप (कृष्णमित्र), ६. शब्दकौस्तुभदूषण (भास्कर दीक्षित) प्रौढमनोरमाखण्डन के एक वचन से ऐसा कहा जा सकता है कि पण्डितराज जगन्नाथ ने शब्दकौस्तुभ के भी खण्डन में कोई ग्रन्थ लिखा था, जो सम्प्रति उपब्ध नहीं हैं। वचन इस प्रकार है-"इत्थं च 'ओत्' सूत्रगतकौस्तुभग्रन्थः सर्वोऽप्यसङ्गत इति ध्येयम्। अधिक कौस्तुभखण्डनादवसेयम्।'

भट्टोजिदीक्षित तथा पं. विश्वेश्वर पाण्डेय

भट्टोजिदीक्षित-ये पाणिनीय व्याकरण के अद्वितीय विद्वान् थे। संस्कृतव्याकरण के प्रचार-प्रसार में इन्होंने जितना अद्भुत योगदान किया है, उतना संभवतः अन्य किसी वैयाकरण ने नहीं। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है- सिद्धान्तकौमुदी। यद्यपि इससे पूर्व "शब्दकौस्तुभ" नामक अष्टाध्यायी सूत्रवृत्ति ग्रन्थ इन्होंने लिखा था, परन्तु सिद्धान्तकौमुदी का प्रचार-प्रसार अधिक हुआ। इसके अध्यापन में महाभाष्य इत्यादि ग्रन्थों का भी प्रचुर उपयोग करते थे, जिससे यह प्रसिद्धि हो गई थी कि यदि सिद्धान्तकौमुदी अच्छी तरह से आती है तो महाभाष्य पृथक् से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं और यदि सिद्धान्तकौमुदी नहीं आती तो महाभाष्य पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है -

कौमुदी यदि (कण्ठस्था) वृथा भाष्ये परिश्रमः।
कोमुदी यदि (अकण्ठस्था) वृथा भाष्ये परिश्रमः।।

कुछ लोगों के मतानुसार ये आन्ध्रदेशीय तैलङ्ग ब्राह्मण थे। इनके कुल को व्याकरणशास्त्र के पारङ्गत तथा प्रकाण्ड विद्वानों को उत्पन्न करने का श्रेय प्राप्त है। इनके पिता का नाम लक्ष्मीधरभट्ट और भ्राता का नाम रङ्गोजिभट्ट था। इनके पुत्र भानुजिदीक्षित (रामाश्रम), पौत्र हरिदीक्षित तथा भ्रातुष्पुत्र कौण्डभट्ट थे। भट्टोजिदीक्षित व्याकरण, धर्मशास्त्र आदि शास्त्रों के पारङ्गत पण्डित थे। इन्होंने शेषकृष्ण से व्याकरण तथा धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। वेदान्त का पाठ नृसिंहाश्रय से तथा मीमांसाशास्त्र का अध्ययन अप्पय दीक्षित से किया था। ये वैयाकरणों के द्वारा स्थापित मतों का खण्डन करने में बद्धपरिकर थे। पूर्व वैयाकरणों के सिद्धान्तों का खण्डन करने में ये गौरव का अनुभव किया करते थे। तभी ये कहा करते थे कि कैयट से लेकर आज तक के विद्वानों के ग्रन्थ शिथिल ही हैं। इसीलिए इन्होंने अपने ही गुरू शेषकृष्ण द्वारा रचित "प्रक्रियाप्रकाश" के मतों का अपनी प्रौढमनोरमा में पर्याप्त खण्डन किया है, जिससे पण्डितराज जगन्नाथ ने इन्हें गुरुद्रोही कहा है।

वर्तमान समय की सर्वाधिक लोकप्रिय इस सिद्धान्तकौमुदी को ७३ प्रकरणों में विभक्त किया गया है तथा इसमें अष्टाध्यायी के समस्त (लगभग चार हजार) सूत्रों की व्याख्या है। रूपावतार और रूपमाला नामक ग्रन्थों में वैदिक सूत्रों को बिल्कुल छोड़ दिया गया था। संभवतः इसकी प्रसिद्धि में एक कारण अष्टाध्यायी के समस्तसूत्रों को सम्मिलित किया जाना था। इसके पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध दो खण्ड हैं। दीक्षित ने इन दोनों ही खण्डों के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण किया है। प्रारम्भ में "पाणिनि कात्यायन-पतञ्जलि इन तीन मुनियों की तथा मध्य में महर्षियों द्वारा स्तूयमान परमेश्वर की वन्दना की गई है।

उत्तरकृदन्तप्रकरण के अन्त में कहा गया है कि इस ग्रन्थ में तो लौकिक शब्दों की साधनिका संक्षिप्तरूप में दिखाई गई है, परन्तु विस्तार शब्दकौस्तुभ में किया गया है। यह भी कामना की गई है कि सिद्धान्तकौमुदी भवानी और विश्वनाथ की प्रीति का संवर्धन करे। इसी प्रकार की कामना वैदिकप्रकरण के भी अन्त में की गई है -

इत्थं वैदिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितम्।
तदस्तु प्रीतये श्रीमद्भवानीविश्वनाथयोः।।

यद्यपि अनेक मत पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रदर्शित हुए हैं, जिसके लिए ग्रन्थ या ग्रन्थकार का स्मरण किया गया है, परन्तु अनेक मत ऐसे भी हैं जिन्हें बिना ही ग्रन्थ-ग्रन्थकार-नाम के दिखाया गया है। इनके द्वारा उद्धृत ग्रन्थ-ग्रन्थकारों के मतों की समीक्षा करना आज अत्यन्त आवश्यक है। समीक्षा से यह स्पष्ट हो सकेगा कि दीक्षित ने

कितने मत बिना ही सन्दर्भ के दिए है और जिनमें सन्दर्भ हैं उनकी वस्तुस्थिति क्या है? असंदर्भित वचनों के बल पर यह भी कहा जा सकता है कि या तो दीक्षित मूल सन्दर्भो के विषय में उदासीन रहें अथवा मूल वचनों की प्रसिद्धि के कारण सन्दर्भो का उल्लेख नहीं किया।

शब्दकौस्तुभ तथा व्याकरण-सिद्धान्तसुधानिधि की क्रमानुगत समीक्षा भट्टोजिदीक्षित-व्यक्तित्व एवं कृतित्व समय भट्टोजिदीक्षित महाराष्ट्र के सारस्वत ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, किन्तु काशी आकर उन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया। उनके पिता का नाम **लक्ष्मीधर** था। पण्डितराज **जगन्नाथ** ने अपने गुरु के पिता **शेष श्रीकृष्ण** को **भट्टोजिदीक्षित** का गुरु माना हे। **शेष श्रीकृष्ण** के पुत्र **शेष वीरेश्वर पण्डितराज** जगन्नाथ के गुरु थे इस प्रकार **भट्टोजिदीक्षित पण्डितराज जगन्नाथ** से एक पीढ़ी पहले हुए। पण्डितराज जगन्नाथ का समय वि.सं. १६७७ से १७२३ (१६२० से १६६६ ई.) के बीच माना जाता है क्योंकि **जहाँगीर, शाहजहाँ, आसफरवान, जगतसिंह** तथा **प्राणनारायण** का उल्लेख किया है। जिनका समय वि.सं. १६६२ से १७२३ (१६०५ से १६६६ ई.) के बीच है। अतः भट्टोजिदीक्षित का समय वि.सं. की १६वीं शताब्दी का मध्यकाल (ईसा की १६वीं शताब्दी) का अन्तिम चरण माना जा सकता है। भट्टोजिदीक्षित ने शेष श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अप्पय दीक्षित से भी विद्याध्ययन किया था।

शब्दकौस्तुभ

शब्दकौस्तुभ का उल्लेख वैयाकरण भूषण कारिका में भी मिलता है इससे स्पष्ट होता है कि शब्दकौस्तुभ वैयाकरण भूषण कारिका से पहले लिखा गया। इसी प्रकार शब्दकौस्तुभ का नाम वैयाकरण-सिद्धान्त-कौमुदी के अन्त में भी आता है-

इत्थं लौकिक शब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितम्।
विस्तरस्तु यथाशास्त्रं दर्शितः शब्दकौस्तुभे।।

यद्यपि **ऑफ्रेक्ट** ने अपनी **बृहद् ग्रन्थसूची** में शब्दकौस्तुभ पर छः टीकाओं के नाम गिनाये हैं किन्तु वे टीकायें उपलब्ध नहीं हैं। उन टीकाओं के नाम इस प्रकार हैं-

१. नागेश की विषमपदी
२. वैद्यनाथ पायगुण्डे की प्रभा
३. विद्यानाथ शुक्ल की उद्योत
४. राघवेन्द्राचार्य की प्रभा
५. कृष्णमित्र की भावप्रदीप
६. भास्करदीक्षित की शब्दकौस्तुभ दूषण

भट्टोजिदीक्षित ने **शब्दकौस्तुभ** में अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय तक महाभाष्य की शैली अपनायी है, किन्तु शेषभाग में काशिका की शैली का प्रयोग किया है। प्रकृत ग्रन्थ में भट्टोजिदीक्षित ने काशिका से लेकर महाभाष्यपर्यन्त ग्रन्थों के गूढ़ातिगूढ़ अभिप्राय को उजागर तथा अन्य दार्शनिक प्रस्थानों द्वारा उठायी गयी शङ्काओं का पूर्णरूप से परिहार किया है। अपने सम्बन्ध में स्वयं भट्टोजिदीक्षित मौलिकता का दावा नहीं करते। **डॉ. सूर्यकान्त बाली** के अनुसार उनके ग्रन्थों का रचनाक्रम इस प्रकार है-**शब्दकौस्तुभ, वैयाकरणभूषण कारिका, वैयाकरण-सिद्धान्त कौमुदी, तथा प्रौढ़ मनोरमा**। अर्थात् शब्दकौस्तुभ उनकी पहली रचना है। अन्तिम दो रचनाओं में दार्शनिक विचार बहुत कम हैं किन्तु प्रथम दो रचनाओं में दार्शनिक विचारों का बाहुल्य है।

शब्दकौस्तुभ के द्वारा भट्टोजिदीक्षित ने यह प्रदर्शित किया है कि पाणिनि के सूत्रों पर कहने के लिए बहुत कुछ नया है। इस समय शब्दकौस्तुभ के प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ अध्याय ही तथा तृतीय अध्याय के मात्र दो पाद ही उपलब्ध हैं। शब्दकौस्तुभ के मङ्गलश्लोक में भट्टोजिदीक्षित ने इसे फणि के भाष्यरूपी समुद्र से निकला हुआ कौस्तुभ बताया है- **फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभमुद्धरेः**।

भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ में भर्तृहरि के **वाक्यपदीय** में चर्चित शब्दब्रह्म की भी विवेचना की है तथा भर्तृहरि का नामोल्लेख भी शब्दकौस्तुभ में किया है। उन्होंने **बोपदेव, कैयट, हरदत्त** तथा **क्षीरस्वामी** आदि आचार्यों के मतों से अपने मत की तुलना की है। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी का दार्शनिक पक्ष शब्दकौस्तुभ में उभारा है। भर्तृहरि एवं कैयट को छोड़कर मात्र भट्टोजिदीक्षित ही एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने व्याकरण दर्शन की चर्चा की है। मण्डनमिश्र और भरतमिश्र जैसे लेखक स्फोट की चर्चा करते हैं, अन्य विषयों की नहीं जबकि भट्टोजिदीक्षित ने सभी विषयों पर समान रूप से चर्चा की है। पतञ्जलि तथा भट्टोजिदीक्षित के बीच के काल में व्याकरणदर्शन के सम्बन्ध में पर्याप्त विवेचन हुआ है। शब्दकौस्तुभ में उन सभी विचारों का समावेश है किन्तु उसमें भट्टोजि का अपना कोई विशेष योगदान नहीं है।

आचार्य विश्वेश्वर-व्यक्तित्व एवं कृतित्व-सिद्धान्तसुधानिधि- आचार्य विश्वेश्वर पाण्डेय के "ग्रन्थ" व्याकरण सिद्धान्तसुधानिधि के बारे में सूचना के दो आधार मुख्य हैं प्रथम तो स्टाइन ने जम्मू में स्थित रघुनाथ मन्दिर पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थों का विवरण देते हुए न केवल इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है अपितु अन्त में जिन विशिष्ट पाण्डुलिपियों के सन्दर्भ में अपनी टिप्पणी दी है उसके अन्तर्गत इस ग्रन्थ पर भी सङ्क्षिप्त टिप्पणी की है और यह बताया है कि "व्याकरणसिद्धान्त-सुधानिधि" नामक ग्रन्थ को १७वीं शताब्दी में श्री लक्ष्मीधर के पुत्र आचार्य विश्वेश्वर ने लिखा है। स्टाइन ने यह भी सूचना दी है कि प्रकृत ग्रन्थ पतञ्जलि के महाभाष्य का विस्तृत व्याख्यान है इस ग्रन्थ में परवर्ती

दार्शनिकों के द्वारा दार्शनिक प्रस्थानों में महाभाष्य के विरूद्ध जो आपत्तियां उठायी गयी हैं, उनका विस्तार से निराकरण किया गया है तथा महाभाष्य का समर्थन किया गया है। स्टाइन ने बताया है कि इस ग्रन्थ में उदयनाचार्य, कैयट तथा भर्तृहरि आदि आचार्यों के ग्रन्थों के उद्धरण विस्तार से दिये गये हैं।

इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में दूसरी रचना म.म. पण्डित माधवशास्त्रीभाण्डारी की उस भूमिका में मिलती है जो उन्होंने ग्रन्थ के प्रथम तीन अध्यायों के अन्त में दी है। ये तीन अध्याय चौखम्बा-संस्कृत सीरीज के अन्तर्गत दुर्लभ तथा असाधारण संस्कृत ग्रन्थों के प्रकाशन की श्रृङ्खला में १९१४ ई. में क्रमसङ्ख्या १९३ पर छपने चालू हुए तथा पन्द्रह खण्डों में १९२५ ई. में छपकर सम्पन्न हुआ। इस ग्रन्थ का सम्पादन व्याकरणाचार्य नेपाल देशवासी दधिराम शर्मा ने प्रारम्भ किया किन्तु वे सप्तम खण्ड तक ही सम्पादन कर पाये। आठवें खण्ड से पन्द्रहवें खण्ड तक का सम्पादन म.म. पण्डित माधवशास्त्री भाण्डारी ने किया। इन्होंने ही अन्तिम पन्द्रहवें खण्ड के अन्त में अपनी भूमिका में "व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि" के सम्बन्ध में जानकारी दी है। पण्डित माधवशास्त्री भाण्डारी को रघुनाथ मन्दिर जम्मू के सङ्ग्रहालय में सुरक्षित "सिद्धान्तसुधनिधि" की पाण्डुलिपि की कोई सूचना नहीं है क्योंकि अपनी भूमिका में वे लिखते हैं-"स चायं ग्रन्थो ग्रन्थकृताऽष्टाध्यायी सूत्रक्रमेणाध्यायत्रयपर्यन्तं भाष्यवचस्तात्पर्यकुसुमामोदविस्तारगर्भग्रथितोऽपि निश्शेषतः सिद्धान्तप्रतिपादनेन क्वचिदन्भाष्यवार्तिककृन्मतयो-र्लाघवगौरव-विचारोट्टङ्कनात् तथा क्वचित् "अत्रेदमवधेय" मित्यादिना भाष्यवार्तिकादितः स्फुटमनवगम्यमानविषयाणमाञ्जस्येन बोधनाच्च-

"शास्त्रैकदेशसम्बद्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम्।
आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विचक्षणाः।।"

इत्युक्तदिशा व्याकरणप्रकरणग्रन्थतां भजते। अतएव चाग्रिम पञ्चाध्याय्या अव्याख्यानमपि न न्यूनतामापादयतीत्येके। अग्रिम पञ्चाध्याय्यामप्येतद् व्याख्यानमस्ति अनुपलम्भस्तु कारणान्तरेणापि सम्भवति। तथा च कैयटप्रदीपादिवदाकरग्रन्थएवायमित्यस्मद्गुरुचरणाः"।

(व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि-सम्पा. माधवशास्त्री भाण्डारी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी १९२५ ई.)

यदि उन्हें इस ग्रन्थ की पूरी पाण्डुलिपि जम्मू में होने की सूचना होती तो वे ऐसा न लिखते। पण्डित माधवशास्त्री भाण्डारी के अनुसार उन्होंने इस ग्रन्थ के सम्पादन में दो पाण्डुलिपियों की सहायता ली है। एक काशी के पर्वतीय श्रीकेशवदत्त शास्त्री के पास से प्राप्त होने वाली शुद्ध, किन्तु खण्डित पाण्डुलिपि। दूसरी बरेली के आङ्गल महाविद्यालय के संस्कृत-अध्यापक पन्त श्री रामदत्त शास्त्री से प्राप्त होने वाली पाण्डुलिपि। इस ग्रन्थ में आचार्य विश्वेश्वर के काल का निर्णय इस आधार पर करने का प्रयत्न किया गया है कि

इसमें भट्टोजिदीक्षित के ग्रन्थ शब्दकौस्तुभ का उल्लेख है किन्तु हरिदीक्षित के ग्रन्थ शब्दरत्न का उल्लेख नहीं है। अतः इनका समय भट्टोजिदीक्षित तथा हरिदीक्षित के मध्य अथवा हरिदीक्षित के समकालिक होना चाहिये जो समय विक्रय (अथवा ईसा) की १७वीं शताब्दी होगा। स्टाइन तथा युधिष्ठिर मीमांसक ने भी इनका यही समय माना है। इस दृष्टि से "व्याकरणसिद्धान्त-सुधानिधि" को महाभाष्य का अर्वाचीनतम भाष्य कह सकते हैं[1]।

जम्मू के श्री रणवीर केन्द्रीय-संस्कृत-विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर कार्य करते हुए डॉ. दयानन्द भार्गव ने स्टाइन के सूचीपत्र से इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में जानकारी मिलने पर इसकी पाण्डुलिपि देखी और यह पाया कि पाण्डुलिपि के रूप में इस ग्रन्थ के आठों अध्याय रघुनाथ मन्दिर की लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं, यद्यपि जहाँ-तहाँ से उसके पत्रों को दीमक अवश्य खा गयी है। इस पर भी मूलग्रन्थ लगभग सुरक्षित बच गया है। उन्होंने मद्रास जैसे केन्द्र पर जहाँ "न्यू कैटेलागस्" तैयार हो रहा था, पत्र द्वारा यह सूचना प्राप्त करनी चाही कि क्या इस ग्रन्थ की कोई अन्य भी पाण्डुलिपि कहीं अन्यत्र उपलब्ध है। उन्होंने भारत के केन्द्रों से तथा विदेश के व्यक्तियों से यह सूचना मिली की इस ग्रन्थ की कोई अन्य पाण्डुलिपि अन्यत्र कहीं नहीं हैं। डॉ. भार्गव ने इस ग्रन्थ की जम्मू की प्रति का महत्व समझकर१९७२ ई. से १९७५ ई. के बीच इसकी प्रतिलिपि भी कर ली किन्तु कार्यान्तर में व्यस्त रहने के कारण वे इसका सम्पादन करके प्रेस में न दे पाये अभी जून १९९२ ई. में उन्होंने इसकी पाण्डुलिपि की फोटो कापी भी डॉ. कर्णसिंह जी की अनुमति से प्राप्त कर ली है और वे अपने सहकर्मी डॉ. सत्यप्रकाश दुबे, व्याकरणाचार्य के सहयोग से उसका सम्पादन कर रहे हैं। प्रथम अध्याय के लगभग पाँच सौ पृष्ठों का मुद्रण होकर प्रथम खण्ड इसी वर्ष प्रकाशित हो जाने की पूरी सम्भावना है। शेष भाग का भी सम्पादन चल रहा है। ग्रन्थ की पाण्डुलिपि की फोटोकापी करवाने में जोधपुर की राजमाता श्रीमती कृष्णकुमारी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और ग्रन्थ के प्रकाशन का भार राजस्थान के मुख्यतम दैनिक पत्र राजस्थानपत्रिका के संस्थापक-सम्पादक तथा वेदविज्ञान के अन्यतम विद्वान् श्री कर्पूरचन्द्र जी कुलिश ने अपने ऊपर ले लिया है।

प्रकृत ग्रन्थ के अलावा आचार्य विश्वेश्वर ने न्याय एवं साहित्य के तर्ककौतूहल, न्यायदीधितिटीका अलङ्कारकौस्तुभ, अलङ्कारकुलप्रदीप, अलङ्कारमुक्तावली, नैषधचरित की भावप्रदीप-टीका, रसचन्द्रिका, रसमञ्जरी टीका, मन्दारमञ्जरी (गद्यकाव्य), रुक्मिणी परिणय, आर्या सप्तशती, एवं तन्त्र के ग्रन्थ का प्रणयन किया है।

---

१. "अयञ्च ग्रन्थकृत् श्रीभट्टोजिदीक्षितानन्तरं कालोत्पन्नो हरिदीक्षिताच्च प्राचीन इति प्रकृतग्रन्थे शब्दकौस्तुभादिग्रन्थस्य बहुशः समुद्धरणात् शब्दरत्नादीनत्रासमुद्धरणतो निर्णीयते"

शब्दकौस्तुभकार एवं सिद्धान्तसुधानिधिकार के अनुसार "निपात" अर्थों के वाचक या द्योतक-महाभाष्यकार पतञ्जलि ने पाणिनि के सूत्रों एवं कात्यायन के वार्तिकों पर व्याकरण महाभाष्य का आरम्भ "अथ शब्दानुशासनम्" से किया है जिसमें "अथ" शब्द को लेकर निपातों के वाचक अथवा द्योतक पक्ष का अतिविशद गम्भीर एवं सूक्ष्म विवेचन किया गया है। कतिपय आचार्यों के मत से निपात वाचक तथा कतिपय के मत में वे द्योतक माने गये हैं तथा किन्हीं के मत में वे उभयविध भी हैं जैसाकि वाक्यपदीयकार लिखते हैं-

"निपाता द्योतकाः केचित् पृथगर्थाभिधायिनः।
आगमा इव केऽपि स्युः सम्भूयार्थस्य वाचकाः।।
स वाचको विशेषाणां सम्भवाद्द्योतकोऽपि वा।
शक्त्याधानाय धातोर्वा सहकारि प्रयुज्यते।।"

नैयायिक आचार्य निपातों को वाचक मानते हैं। जगदीश तर्कालङ्कार के अनुसार जिस तरह प्रकृति-प्रत्यय के ऐक्य से अर्थ का ज्ञान होता है उसी तरह निपात भी आख्यात के साथ मिलकर अर्थ के अवबोधक होते हैं। उपसर्ग, नाम तथा धातु के अवयव होकर प्रयुक्त होते हैं परन्तु निपात इस तरह के नहीं होते । इसी आधार पर नैयायिक उपसर्गों को द्योतक तथा निपातों को वाचक मानते हैं। परन्तु वैयाकरण उपसर्ग तथा निपात दोनों ही को द्योतक मानते हैं। वाक्यपदीयकार ने द्योतक एवं वाचक के भेद को स्पष्ट करते हुए कहा है कि द्योतक वह है जो पद होने पर भी स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त न हो। निपात पद होते हुए भी स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते इसीलिए वे द्योतक हैं, वाचक नहीं।

वस्तुतः जिन निपातों का प्रयोग पादपूर्ति के लिए किया जाता है वे सभी निपात उन स्थलों में निरर्थक ही होते हैं। सार्थकता एवं निरर्थकता का निर्धारण तो प्रकरण देखकर ही समझा जा सकता है। निरुक्तकार यास्क ने भी निपातों को सार्थक एवं पादपूरक (निरर्थक) दोनों ही माना है। निपातों एवं उपसर्गों की एकरूपता के लिए वैयाकरणों ने दोनों को ही द्योतक माना है परन्तु यह चिन्त्य है क्योंकि उपसर्ग तो नाम एवं आख्यात के अर्थ होते हैं परन्तु निपात किसी रूप में स्वतन्त्र सत्ता वाले होते हैं अतः दोनों को एक ही श्रेणी में रखना उचित नहीं है इसीलिए निरूक्तकार सार्थक निपातों को वाचक मानते हैं।

महाभाष्यकार ने निपातों को द्योतक एवं वाचक उभयविध स्वीकार किया है। "अव्ययं विभक्ति .... (२.१.६) आदि सूत्र में विभक्ति इत्यादि अर्थ जो अवययीभाव समास के द्वारा बताया जाता है वह अव्ययों (निपातों) का ही अर्थ है-"अव्ययार्था इमे निर्दिश्यन्ते। एते वर्थ्येषु यदव्ययं वर्तते तत् सुबन्तेन सह समस्यते।"

कैयट आदि आचार्यों ने महाभाष्यकार के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि लक्ष्य के अनुसार ही निपात कहीं द्योतक होते हैं तथा कहीं वाचक।

"निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं च। लक्ष्यानुरोधाच्च व्यवस्था।
(व्या. महा० २.१.६)

प्रकृत स्थल में प्रदीपकार ने "अथ" को द्योतक के रूप में स्वीकार किया है। भट्टोजिदीक्षित का भी यही मत है कि जिस तर्क से प्रादि उपसर्ग द्योतक है उसी तर्क से निपात भी द्योतक हैं-

"अथ शब्दः प्रारम्भस्य द्योतको न तु वाचकः निपातत्वात् उपसर्गवत्।"

परन्तु वहीं आगे भट्टोजि दीक्षित ने किसी अन्य मत को उद्धत करते हुए कहा है कि निपात उभयविध भी होते हैं-"अस्तु वा मतान्तरं निपाता वाचका इति"। परन्तु सर्वथा रूप से नैयायिकों के द्वारा प्रादि को द्योतक एवं चादि को वाचक मानने का खण्डन कर दिया है।

"सिद्धान्तसुधानिधि" कार आचार्य विश्वेश्वर ने "अथ" शब्द की द्योतकता का खण्डन करते हुए नैयायिकों के उस पूर्वोक्त पक्ष को भी अस्वीकार कर दिया है। उनके अनुसार-"अथ शब्दश्चारम्भवाचकः। यत्तु अथ शब्दः प्रारम्भस्य द्योतको न तु वाचकः निपातत्वादुपसर्गवदिति तन्न, व्याप्यत्वासिद्धेः उपसर्गत्वस्योपाधित्वाच्च।"

शब्दकौस्तुभ एवं सिद्धान्तसुधानिधि में स्फोटविचार

भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ में आठ प्रकार के स्फोट को स्वीकार किया है- "तत्रचाष्टौ स्फोटाः-वर्णस्फोटः पदस्फोटः वाक्यस्फोटः अखण्डपदस्फोटः, तादृग्वाक्यस्फोटः। इत्थं पञ्चव्यक्तिस्फोटाः। वर्णपदवाक्यभेदेन त्रिविधो जातिस्फोट इतिः"। स्फोट को समझाते हुए शब्दकौस्तुभ में कहा गया है कि एक-एक वर्ण बोले जाते समय नष्ट होता जाता है किन्तु उसका संस्कार बना रहता है। यह संस्कार ही अर्थ को बतलाता है। यही स्फोट है। आठ प्रकार के स्फोटों में वर्णस्फोट प्रथम है। उदाहरण के रूप में "राम" और "पचति" शब्दों को लें। इसमें विसर्जनीय और तिप् वाचक नहीं हैं अपितु लकार जिसके स्थान पर तिप् आया है वाचक है। अतः तिप् इत्यादि में वर्णस्फोट नहीं है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि वर्णस्फोट तिङ् में है या लकारों में। फिर "रामः" का विसर्ग कलापव्याकरण" के अनुसार सि के स्थान पर है और पाणिनीय व्याकरण के अनुसार सु प्रत्यय के स्थान पर। अतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वाचकता सि में है या 'सु' में। अतः वर्णस्फोट विसर्ग में मानना चाहिये। वर्णस्फोट के सिद्ध होने के पश्चात् पदस्फोट एवं वाक्यस्फोट स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार वर्णस्फोट के मिलने से पदस्फोट बनता है उसी प्रकार पदस्फोट के मिलने से वाक्यस्फोट बनता है। पदस्फोट एवं वाक्यस्फोट दो प्रकार के होते हैं अखण्ड और सखण्ड। भट्टोजिदीक्षित का मत है कि अखण्डस्फोट सम्बन्धी मत अधिक समीचीन है। भट्टोजिदीक्षित ने प्रायः भर्तृहरि और कैयट के मतों को उचित मानकर उद्धृत किया है।

सिद्धान्तसुधानिधि में स्फोटवाद

"सिद्धान्तसुधानिधि" कार आचार्य विश्वेश्वर ने स्फोटतत्व की चर्चा विशद रूप से की है जिसमें वर्ण, पद व वाक्य के भेद पर विचार करते हुए नैयायिकों, मीमांसकों एवं साहित्यिकों के मतों का उपस्थापन किया है। सर्वप्रथम वर्णस्फोट के प्रकरण में ही यह प्रश्न उठाया गया है कि आख्यातार्थ के वाचक तिप् प्रभृति प्रत्यय हैं या लकार। जिसमें वैयाकरणों ने विधिकोटि तथा नैयायिकों ने निषेधकोटि को माना है। नैयायिक लकारों को ही अर्थ का वाचक मानते हैं। उनके अनुसार जातिरूपता के आधार पर उनके एक होने से उन्हें वाचक मानना चाहिये क्योंकि पाणिनि ने भी "लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः (३.४.६९) सूत्र के द्वारा भी लकारों की ही वाचकता का प्रतिपादन किया है। पाणिनि अपने सूत्रों में जिस प्रकार लकारों का अर्थ निर्देश करते हैं उस तरह तिबादि आदेशों का नहीं। यहाँ उन्होंने नैयायिकों के न्यायसम्बन्धी विविध दृष्टान्तों को भी उद्धृत किया है। परन्तु नैयायिकों के इस विचार से वैयाकरण सहमत नहीं है। वे तिप् आदि आदेशों को ही अर्थ का वाचक मानते हैं। जिसमें भाष्यकार का तो यह कथन है कि आख्यात के प्रयोगों में तिबादि आदेशों का ही उच्चारण होता है लकारों का नहीं अतः तिबादि ही वाचक हैं।

इसी प्रकार का विचार स्फोट के अन्य भेदों में भी किया गया है जिसके अन्तर्गत आचार्य विश्वेश्वर ने अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय न्याय की शैली में दिया है। वहीं प्रसङ्गवश अभिधा, लक्षणा आदि शक्तियों पर भी विचार किया गया है। अखण्ड स्फोट में विप्रतिपत्तियों को प्रस्तुत करते हुए आचार्य विश्वेश्वर ने "न्यायलीलावती" कार एवं अन्य नैयायिकों के मतों को प्रस्तुत करके अन्ततः "तन्न" से निषेध करके वैयाकरण मत से उसका समाधान किया है।

जातिविस्फोट के सम्बन्ध में विचार करते हुए इन्होंने नैयायिकों के विचारों में गौरव दिखाया है तथा प्रसङ्गानुरूप काव्यप्रकाशकार के मत को भी उद्धृत किया है। "बुधैर्वैयाकरणैः प्रधानीभूतस्फोटव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृत इति। जातिश्च तत्तद्व्यक्तिविशिष्टाऽविद्या तदीयो धर्मविशेषो वा।"

"शब्दकौस्तुभ" तथा "सिद्धान्तसुधानिधि" की शैली का परिचय स्फोटवाद के प्रसङ्ग में दिये गये निम्न दो उदाहरण से हो सकेगा-

"शब्दकौस्तुभ" में स्फोटतत्व का विवेचन करते हुए भट्टोजिदीक्षित लिखते हैं-" तथाहि, किञ्चिद्वर्णव्यत्यासादिना शक्ततावच्छेदकानुपूर्वीभङ्गस्य प्रतिपदमौत्सर्गिकत्वात्तत्र च केनचित्क्वचित् प्रथमं शक्तिग्रहात् केन कस्य स्मारणमित्यत्र विनिगमनाविरहादृषभो वृषभो वृष इत्यादिविव कर् कार् कुर् चकर् इत्यादिनां प्रयोग समवायिनां सर्वेषामेव वर्णानां

तत्तदानुपूर्व्यवच्छिन्नानां वाचकतेति वर्णस्फोटपक्षः (१) कर् प्रभृतयो वाचका न वेति चेह विप्रतिपत्तिशरीरम्। "रामं रामेण रामाय, हरौ हरीन् इत्यादौ परिनिष्ठिते रूपे कियानंशो द्रव्यादिवाचकः कियांश्च कर्मत्वादेरित्यस्य विनिगन्तुमशक्यतया राममित्यादि परिनिष्ठितं पदमेव वाचकं कर्मत्वादिविशिष्टस्येति पदस्फोटपक्षः (२) दधीदं, हरेऽव, विष्णोऽव इत्यादावपि विनिगमनाविरह-तौल्याद्वाक्यमेव विशिष्टार्थे शक्तिमिति वाक्यस्फोटः (३) इसी प्रसङ्ग में "सिद्धान्तसुधानिधि" में आचार्य विश्वेश्वर सूरि इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं- "अथ वर्णस्फोटे विप्रतिपत्तिः। तिप्प्रभृतयो वाचका न वेति। यदि तिबादिभिः स्मृतानां लादीनां बोधकत्वं तदा निषेधकोटिः। अथ श्रूयमाणानामेव तदा विधिः। अन्ये तु प्रयुज्यमानपदसमभिव्याहारानन्तर्गता वर्णा वाचका न वेति स्थानिपक्षिकां विप्रतिपत्तिमाहुः। आद्यानां विधिकोटिर्वैयाकरणानां निषेधकोटिनैयायिकादीनाम्। द्वितीयायां तु वैपरीत्यम्। अतो लकारस्यैव न्यायमते वाचकत्वमित्येकान्तकल्पनं प्रामादिकमेव।

वाक्यस्फोटे त्विदमपि विचार्यते। विशिष्टवाक्यार्थबोधे विशिष्टवाक्यशक्तिज्ञानस्य हेतुत्वे मानाभावः। तथाहि वाक्यशक्तिवादिना पदानां शक्तिस्तज्ज्ञानस्य शाब्दधीकारणत्वं च स्वीक्रियते न वा। नाद्यः तत एव वाक्यार्थबोधोपपत्तौ वाक्यशक्तिकल्पनाऽनवतारात्। नान्त्यः। पदशक्तिज्ञानविरहे वाक्यशक्तिज्ञानाद् बोधापत्तेः। पदशक्तिज्ञानसत्वे वाक्यशक्तिज्ञानविरहेण शाब्दधीव्यतिरेकानुपलम्भाच्च। ...."

"शब्दकौस्तुभ" एवं "सिद्धान्तसुधानिधि" का कारकदर्शन

कारकों को व्यवस्थित रूप देते हुए महामुनि पाणिनि के सूत्र "स्वतन्त्रः कर्ता" (१.४.५४) के स्वतन्त्र पद का महाभाष्यकार ने "प्रधान" अर्थ किया है। यथा "स्वतन्त्रोऽसौ ब्राह्मण इत्युच्यते। स्वप्रधान इति गम्यते। तद्यः प्राधान्ये वर्तते तन्त्र शब्दस्तस्येदं ग्रहणम्"।

तात्पर्य यह है कि क्रिया की निष्पत्ति में प्रधानस्वरूप से विवक्षित अर्थ कर्तृसंज्ञक होता है। जयादित्य-वामन, प्रदीपकार आदि का भी यही मत है। भट्टोजिदीक्षित ने कारक की वहीं परिभाषा दी है जो महाभाष्य में दी गयी है अर्थात् करोतीति कारकः। इनके अनुसार प्रातिपदिक के पांच अर्थ हैं- जाति, व्यक्ति, लिङ्ग, संख्या और कारक। मीमांसक केवल जाति में ही विश्वास करते हैं। व्याडि के अनुसार केवल व्यक्ति ही प्रातिपदिक का अर्थ है। "शब्दकौस्तुभ" कार के अनुसार समस्त कारक कर्ता कारक का ही विस्तार है। उनके अनुसार जिस प्रकार इन्द्रिय विषयों को ग्रहण करती है शब्दों में भी उसी प्रकार अर्थ प्रकट करने की शक्ति होती है।

"तत्वबोधिनी" कार ने स्वतन्त्र पद का अर्थ" प्रधानीभूत- धात्वर्थाश्रयत्वं स्वातन्त्र्यम्" रूप से प्रतिपादित किया है। वस्तुतः विवक्षातः कारकाणि भवन्ति अतः क्रिया की सिद्धि में स्वतन्त्र होने से प्रायः सभी कर्ता हो सकते हैं। "देवदत्तः काष्ठैः स्थाल्यां तण्डुलान् पचति"

देवदत्तः असिना काष्ठं छिनत्ति" इन वाक्यों में यद्यपि देवदत्त" पद ही स्वतन्त्र होने से कर्त्ता है तथापि विवक्ष्यते" पद से यह ध्वनित होता है कि स्थाली पचति काष्ठानि पचन्ति आदि उदाहरणों में काष्ठ आदि पद भी कर्त्ता के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। आचार्य विश्वेश्वर ने वार्तिककार के एक वचन को उदधृत करते हुए कहा है कि अपने व्यापार में सभी के स्वतन्त्र होने से तथा उसके मुख्य क्रिया में सहायक होने से कर्त्ता के सामीप्य से युक्त रहने पर भी अपने-अपने व्यापार से निवृत्त न होने से परतन्त्रावस्था में भी उनका कारकत्व विद्यमान रहता है।

"सिद्धं तु प्रतिकारकं क्रियाभेदात्। पचादीनां करणाधिकरणयोः कर्तृभाव इति।" इसीलिए भाष्यकार ने "स्थालीस्थे यत्ने कथ्यमाने स्थाली स्वतन्त्रा" अर्थात् जब पच् धातु स्थाली के व्यापार का बोध कराता है तब "स्थाली पचति" यह वाक्य ही बनता है। यह कर्त्ता शुद्ध, हेतु तथा कर्मकर्तृ भेद से तीन प्रकार का होता है। स्वव्यापार में शुद्ध कर्त्ता का प्रेरक हेतु तथा कर्त्ता भी होता है जिसे प्रयोजक कर्त्ता कहते हैं। देवदत्तः यज्ञदत्तं गृहं गमयति यहां देवदत्त शुद्धकर्ता (यज्ञदत्त) का प्रेरक तथा हेतु है। सम्बोधन पद सदा युष्मद्' पद के अर्थ के साथ अभिन्न रूप से स्वार्थ का ज्ञान कराता है। इसीलिए उसमें अभिमुखीभवनानुकूल व्यापार होने से क्रियान्वयन की योग्यता रहती है। "वाक्यपदीयकार" के अनुसार सम्बोधन पद क्रिया का साक्षात् निवर्तक न होकर परम्परया ही क्रिया का निवर्तक होता है (१.४.४६)। कर्मकारक के सम्बन्ध में पाणिनि ने "कर्तुरीप्सिततमं कर्म" सूत्र के द्वारा स्पष्ट किया है कि कर्त्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे अत्यधिक रूप से चाहता है उसी की कर्मसंज्ञा होती है। "सिद्धान्तसुधानिधि" कार आचार्य विश्वेश्वर इसे परिष्कृत रूप देकर लिखते हैं-

"कर्तृनिष्ठा या आत्यन्तिकी प्राप्तीच्छा तद्विषयः कारकं कर्मसंज्ञम्। यद् व्यापारवत्वप्रयुक्तं कर्तृत्वं तेनैव प्राप्तुमिष्टमिति सन्निधिलभ्यम्। तेन क्रियाजन्यफलशालित्वलाभः। फलेच्छाया उपायेच्छाविषया क्रियेच्छाजनकत्वात्, फलस्यैवेप्सिततमत्वात्।"

यहाँ प्रसङ्गवश आचार्य विश्वेश्वर ने "खण्डन" कार एवं नैयायिकों के मतों को भी उदधृत करते हुए उनके आक्षेपों का भाष्यमत से निराकरण किया है।

करणकारक के प्रतिपादक "साधकतमं करणम्" (१.४.४२) सूत्र का आशय स्पष्ट करते हुए "काशिका" कार कहते हैं कि क्रिया की निष्पत्ति में प्रकृष्टरूप से उपकारक होने वाला करणसंज्ञक होता है। भट्टोजिदीक्षित का भी यही विचार है, जिसपर "तत्वबोधिनी"-कार का कहना है कि जिस व्यापार के अनन्तर फल की निष्पत्ति होती है वह प्रकृष्ट है। "सिद्धान्तसुधानिधि-" कार ने करण के लक्षण के रूप में प्राचीन एवं नव्य दोनों ही प्रकार के आचार्यो के मत को उद्धृत किया है। प्राचीन आचार्यों के विचार से करण वह है जो अन्य कारकों में चरितार्थ न होकर क्रिया का निमित्त बनता है।

"कारकान्तरे अचरितार्थत्वे सति क्रियानिमित्तत्वं कारणत्वम्। अन्ये तु व्यापारवत्वे सति कारणत्वं करणत्वम्। अन्ये तु कर्तृव्यापारविषयत्वं करणत्वम्।"

"सुधानिधि" कार ने करण शब्द को नानार्थक भी माना है। सम्प्रदानसम्बन्धी "कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् (१.४.३२) सूत्र में प्रयुक्त सम्प्रदान पद को वार्तिककार ने अन्वर्थक माना है। किसी वस्तु पर से अपने अधिकार की निवृत्ति तथा अन्य के अधिकार की सम्प्राप्ति हो जाना ही सम्प्रदान है- "शब्दकौस्तुभ" कार तथा "काशिका" कार ने कर्मणा पद का "अर्थदान क्रिया का कर्म" अर्थ लिया है। "दानस्य कर्मणायमभिप्रैति स सम्प्रदान-संज्ञः। "सिद्धान्तसुधानिधि" कार ने सम्प्रदान को परिभाषित करते हुए कहा है कि-तत् क्रियाकर्मणाकरणभूतेन तत् क्रिया कर्ता यमभिप्रैति स सम्प्रदानसंज्ञः। करणीभूतकर्मजन्यफल-भागित्वेनोद्देश्यत्वं सम्प्रदानत्वमिति यावत्।"

वेद विज्ञानमर्मज्ञ पण्डित मधुसूदन ओझा ने कर्मत्रय यज्ञ, तप एवं दान के स्वरूप को स्पष्ट करते समय दान के सम्बन्ध में कहा है कि-"तत्र परनिष्ठानां धर्माणां परस्मिन् सम्पादनम् यद्वा परनिष्ठानां धर्माणामात्मनिसम्पादनं यद्वा आत्मनिष्ठानां धर्माणां परस्मिन् सम्पादनम्। अथवा आत्मस्थितानां विषयाणामितरात्मसम्पत्तये समर्पणं दानम्। अथवा स्वस्मिन् सतोऽर्थस्यान्यस्मै तदपेक्षावते समुपयुक्तपात्राय समर्पणं दानम्।"

अपादान को परिभाषित करते हुए "ध्रुवमपायेऽपादानम्" (१.४.२४) सूत्र पर भट्टोजिदीक्षित तथा आचार्य विश्वेश्वर एक ही विचार प्रकट करते हैं- "अपायो विश्लेषस्तस्मिन् साध्ये यद् ध्रुवमवधिभूतं च तदपादानसञ्ज्ञम्।" यहीं अपादान के लक्षण के सम्बन्ध में आचार्य विश्वेश्वर की न्याय शैली भी द्रष्टव्य है-"यन्निष्टविभागजनकत्वेन यन्निष्ठाऽन्योन्याभाव-प्रतियोगितावच्छेदकत्वेन च या क्रिया विवक्षिता तत्त्वं तत् क्रियाऽपादानत्वम्।"

यह अपादान कारक है पाणिनीय व्याकरण में आचार्यों ने कारकों का यह क्रम रखा है कि सर्वप्रथम अपादान फिर सम्प्रदान, करण, अधिकरण तथा कर्म एवं कर्त्ता। इस तरह ये छः कारक हैं। इनमें पूर्व में पटित अपादान की अपेक्षा अन्य सभी कारक प्रवल हैं अतः "विप्रतिषेधे परं कार्यम्" के वचन से अपादान कारक को अन्य सभी कारक बाध लेते हैं इनमें कर्त्ता कारक सभी कारकों का बाधक है जैसाकि "भाष्यवार्तिक" कार लिखते हैं- "अपादानमुत्तराणि"

अपादानसंज्ञाविधायक सूत्रों में "ध्रुवमपायेऽपादानम्" (१.४.२४) सूत्र ही प्रमुख है। यह अपादान तीन प्रकार का होता है १. निर्दिष्टविषय, २. उपात्तविषय एवं ३. अपेक्षितक्रिया।

"निर्दिष्टविषयं किञ्चिदुपात्तविषयं तथा।
अपेक्षितक्रियं चेति त्रिधाऽपादानमुच्यते।।"

जिस क्रिया में अपादान सम्बन्धी विषय निर्दिष्ट होता है वह निर्दिष्ट-विषय अपादान होता है यथा-"ग्रामादागच्छति" इस उदाहरण में आगमन क्रिया में अपादान का विषय निर्दिष्ट है। उपात्तविषय वह है जहाँ क्रिया किसी अन्य क्रिया को अङ्ग रूप से उपादान करके अपादान का विषय बनती है यथा "बलाहकाद् विद्योतते विद्युत्" यहाँ विद्युत् बलाहक से निकलकर ही चमक सकती है अन्यथा नहीं अतः विद्योतन क्रिया निःसरण क्रिया को अङ्ग बनाकर अपादान का विषय बनती है। अपेक्षित-क्रिया वह है जहाँ क्रियावाची पद के सुनाई न पड़ने पर भी क्रिया की प्रतीति होती है। इसके उदाहरण के रूप में "साङ्काश्येभ्यः पाटलिपुत्रा अभिरूपतराः" वाक्य प्रस्तुत किया है जिसे कैयट एवं आचार्य विश्वेश्वर के पितृचरण ने स्वीकार किया है। वे लिखते हैं- "अत्र कैयटोऽस्मत्पितृचरणाश्च साङ्काश्येभ्यः पाटलिपुत्रा अभिरूपतराः इति तृतीयोदाहरणम्।" इन विषयों को आधार बनाकर आचार्य विश्वेश्वर ने इनका अतिविशद एवं गम्भीर चिन्तन किया है। "महाभाष्य" कार पतञ्जलि अपादानसंज्ञाविधायक जिन सूत्रों का प्रत्याख्यान करते हैं उनका "शब्दकौस्तुभ"कार पहले संक्षेप में निरूपण करते हैं किन्तु बाद में इन सूत्रों की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं- "वस्तुतस्तु निवृत्तिनिःसरणादि धात्वन्तरार्थविशिष्टे स्वार्थे वृत्तिमाश्रित्य यथाकथञ्चित् उक्तप्रयोगाणां समर्थनेऽपि मुख्यार्थपुरस्कारेण षष्ठीप्रयोगो दुर्वारः नटस्य गाथां शृणोतीतिवत् न ह्युपाध्यायनटयोः क्रियानुकूलव्यापारांशे विशेषो वक्तुं शक्यः।

अनभिधानमाश्रित्य प्रत्याख्यानं तु नातीव मनोरमम्। एवं जुगुप्साविरामप्रमादार्थानाम् इत्यादि वार्तिकमप्यवश्यमारम्भणीयम्।"........ (शब्दकौस्तुभ १.४.३१)

अधिकरण कारक के सम्बन्ध में भट्टोजि ने पर्याप्त विचार किया है "सिद्धान्तसुधानिधि"कार ने इसके सम्बन्ध में कोई विशेष विचार नहीं किया है।

"शब्दकौस्तुभ" एवं "सिद्धान्तसुधानिधि" में लिङ्गविचार

लिङ्ग का निर्धारण वस्तुतः दो प्रकार से होता है-लोक एवं शास्त्र। लिङ्ग-निर्धारण की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लौकिक लिङ्गों का लक्षण प्रस्तुत करके यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या इन लौकिक लिङ्गों से ही शास्त्रीय लिङ्ग का भी निर्धारण सम्भव है। लिङ्ग क्या है ऐसी जिज्ञासा होने पर **"स्तनकेशवती स्त्री स्याल्लोमशः पुरुषः स्मृतः। एतयोरन्तरं यच्च तदभावे नपुंसकम्।।"**

यह लक्षण दिया गया है। इस लक्षण को शास्त्रीय लिङ्ग के रूप में घटित करने पर भ्रूकुंस, खरकुटी, खट्वा आदि शब्दों में अव्याप्त्यतिव्याप्ति आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। एवं तट शब्द के "तटे च सर्वलिङ्गानि दृष्ट्वा कोऽध्यवस्यति" से तीनों लिङ्गों में ग्रहण किये जाने से लौकिक लिङ्ग का शास्त्र में निर्धारण असम्भव है। अतः भाष्यकार पतञ्जलि ने लौकिक लिङ्ग का शास्त्र में ग्रहण करने से निषेध किया है-

**"तस्मान्न वैयाकरणैः शक्यं लौकिकं लिङ्गमास्थातुम्
अवश्यमेव कश्चित् स्वकृतान्त आस्थेयः (व्या.महा. ४.३.१)**

इस प्रकार पूर्वपक्ष का उपसंहार करके सिद्धान्त के रूप में "संस्त्यानप्रसवौलिङ्गमास्थेयौ स्वकृतान्ततः" वार्तिककार ने लक्षण प्रस्तुत किया है जिसका तात्पर्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने "संस्त्याने सत्यायतेर्ड्रट् स्त्री सूतेः सप् प्रसवे पुमान् अर्थात् अधिकरण-साधनालोके स्त्री, स्त्यायत्यस्यां गर्भ इति कर्तृसाधनश्च पुमान् सूतेपुमान् इति। इहपुनरुभयं भावसाधनं संस्त्यानं स्त्री प्रवृत्तिश्च पुमान्। "प्रदीपकार इसे और भी स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-"स्त्यायत्यस्यां इति। संघातरूपं प्राप्नोतीत्यर्थः। कर्तृसाधनश्च इति। सूतेऽपत्यं जनयतीति पुमान् इत्यर्थः। संस्त्यानमिति तिरोभावः प्रवृत्तिराविर्भावः साम्यावस्था स्थितिः। एताश्चावस्थाः शब्दगोचरा एवेत्यवसेयम्"। संस्त्यान एवं प्रवृत्ति में सत्व रज एवं तम गुणों का आविर्भाव ही पुंस्त्व तिरोभाव स्त्रीत्व एवं उनकी स्थिति की अन्तरालता ही नपुंसकत्व है। वाक्यपदीयकार ने भाष्यकार के इस लक्षण का विस्तार से प्रतिपादन किया है। साङ्ख्यशास्त्र के आचार्य भी भाष्यकार के इसी मत को स्वीकार करते हैं। उनके मत में सत्त्व, रज एवं तम गुणों के सतत परिणामी होने से उनकी उपचयावस्था पुंस्त्व, अपचयावस्था स्त्रीत्व तथा साम्यावस्था नपुंसकत्व है। "संस्त्यानं प्रसवलिङ्गम्। सर्वाश्चमूर्तय एवमात्मिकाः संस्त्यानप्रसवगुणाः" (व्या. महा.४.१.३) इस कथन के द्वारा भाष्यकार ने वृक्षादि में भी लिङ्ग व्यवस्था का प्रतिपादन करते हुए उनकी भी त्रिलिङ्गता का समर्थन किया है। आचार्य व्याडि ने अपने ग्रन्थ "संग्रह" में लिङ्ग-व्यवस्था को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया है।

"संस्त्यानं संहननम्, तमः निवृत्तिः अशक्तिः उपरतिः, प्रवृत्तिप्रतिबन्धः तिरोभावः स्त्रीत्वम्। प्रसवो विष्वग्भावः। वृद्धिः शक्तिः वृत्तिलाभः अभ्युद्रेकप्रवृत्तिराविर्भाव इति पुंस्त्वम्। अविवक्षातः साम्यं स्थितिः। औत्सक्यनिवृत्तिः अपरार्थत्वम्। अङ्गाङ्गिभावनिवृत्तिः कैवल्यमिति नपुंसकत्वम्।"

यह लिंगव्यवस्था शब्दनिष्ठ एवं अर्थनिष्ठ भेद से दो प्रकार की होती है। भाष्यकार के "एकार्थेशब्दान्यत्वात् दृष्टं लिंगान्यत्वम्" इस कथन से एकार्थ के होने पर भी शब्दों के भिन्न-भिन्न होने से ही बुद्धि प्रत्यय, ज्ञान इत्यादि शब्दों में भिन्न-भिन्न लिंग के देखे जाने से किन्हीं आचार्य के मत में लिङ्ग शब्दनिष्ठ होता है। परन्तु महाभाष्य का पूर्णरूप से पर्यालोचन करने पर अर्थनिष्ठ लिङ्ग ही स्वीकरणीय है। "प्रदीपकार" ने इस सन्दर्भ में लिखा है कि एकस्मिन्नेवार्थे पुष्पतारका नक्षत्रमिति शब्दनानात्वदर्शनात् कुटीकुटीरादौ रेफाद्यवयवोपजनने लिङ्गभेद-दर्शनात् स्तनकेशाद्यतिरिक्तमेव लिङ्गमित्यर्थः।"

भट्टोजिदीक्षित ने 'शब्दकौस्तुभ में "स्त्रियाम्" सूत्र पर इससे सम्बन्धित कोई चर्चा नहीं की है परन्तु इसी विषय का सरूपाणामेकशेषएकविभक्तौ" (१.२.६४) सूत्र के अन्तर्गत विस्तृतरूप से प्रतिपादन करते हुए मीमांसकों द्वारा प्रयुक्त कुछ स्थल पर लिङ्गसम्बन्धी

दोषों का व्याकरण की रीति से निराकरण किया है। "सुधानिधि" कार आचार्य विश्वेश्वर ने भाष्यकार के पूर्वोक्त वचन को स्पष्ट करते हुए कैयट, माधव आदि आचार्यों के मतों को भी प्रस्तुत किया है। यथा-"यद्यपि लोकेऽपि स्त्रीपुंसशब्दौ स्त्यायति सूतिभ्यामेव व्युत्पन्नौ, तथापि यत्र स्त्यायसि सङ्घातरूपं प्राप्नोत्यस्यां गर्भ इत्यधिकरणसाधनः स्त्रीशब्दः, सूतेऽपत्यं जनयतीति पुमानिति कर्तृसाधनः पुंस शब्दः औणादिको मसुन् सस्यपकारः बाहुलकात् ह्रस्व इति कैयटः, सूते डुमसुन्निति माधवः। यत्तु पातेर्डुमसुन् इत्युज्ज्वलदत्तेन पुनातेर्मकसुन् इति न्यास तद् भाष्याननुगुणत्वात् उपेक्ष्यमिति दीक्षिताः। "सुधानिधि" कार ने भी "भाष्य" "वाक्यपदीय" आदि के व्याख्यानों के आधार पर लिङ्ग के अर्थनिष्ठत्व को ही मान्यता प्रदान की है।

लिङ्गानुशासन-व्यवस्था पर दृष्टिपात किया जाय तो यह ज्ञात होता है कि "गणरत्नमहोदधि" नामक ग्रन्थ में जो व्यवस्था अर्धर्चादि गण की दी गयी है उसे "शब्दकौस्तुभ" कार यथावत् प्रस्तुत करते हुए "शाश्वत" अमरकोश आदि कोशों के अनुसार उनके अर्थो का भी स्पष्टीकरण करते चलते हैं। "सिद्धान्तसुधानिधिकार" ने उसी संग्रह को अध्ययन के सौकर्य की दृष्टि से अक्षरक्रम में निबद्ध कर दिया है इसी के साथ इन दोनों ही आचार्यो ने पाणिनीयलिंगानुशासन से सम्बन्धित सूत्रों की भी व्याख्या की है।

"शब्दकौस्तुभ"कार एवं "सिद्धान्तसुधानिधि" कार के अनुसार सामर्थ्यविचार

"वृत्ति" संस्कृत व्याकरण का एक पारिभाषिक शब्द है जिसके सम्बन्ध में भाष्यकार कहते हैं कि दूसरे शब्द के अभिप्राय का प्रकटीकरण ही वृत्ति है-"परार्थाभिधानं वृत्तिः।" प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार यह "वृत्ति" पांच प्रकार की होती है। "कृत्तद्धितसमासैकशेषसनद्यन्तधातुरूपा पंचवृत्तयः।" इनमें "समास" भी एक वृत्ति है जो एकार्थीभाव रूप है। जैसाकि भाष्यकार कहते हैं- "यद्यपि शब्दान्तरमेव वृत्तिः अवयवा वर्णवदनर्थकाः तथापि सादृश्यात् तत्वाध्यवसायं पदानामाश्रित्य पृथगर्थानामेकार्थीभाव इत्युक्तम्"। (व्या.महा.२.१.१)

एकार्थीभाव सामर्थ्य समास आदि पांच वृत्तियों में अन्यतम है क्योंकि इन सब में समुदाय में ही अभीष्ट अर्थ के प्रकाशन की क्षमता होती हे, अव्यव में नहीं। पाणिनि के समर्थः पदविधिः (२.१.१) सूत्र में विद्यमान समर्थ पद का अभिप्राय वैयाकरणों की दृष्टि में एकार्थीभाव रूप सामर्थ्य ही है जिसका तात्पर्य है पृथक्-पृथक् पदों का अपनी विभिन्नार्थकता छोड़कर एक अर्थवाला हो जाना। पूरे समुदाय द्वारा एक ही विशिष्ट अर्थ का कहा जाना। "पृथगर्थानां पदानां एकार्थीभावः। इस तरह सूत्र के समर्थ का अभिप्राय होगा-संगतार्थ अवयवों का सुसंगत अर्थ वाला होना अवयवों के अर्थों का परस्पर संसृष्ट होना।

"तद् यदा यावत् एकार्थीभावः सामर्थ्यम् तदा एवं विग्रहः करिष्यते संगतार्थः समर्थः। संसृष्टार्थः समर्थः।" (व्या. महा.२.१.१) इस एकार्थी भाव सामर्थ्य को मानने पर उन-उन समस्त पदों से जो जो विशिष्ट अर्थ प्रकट होते हैं जिनका प्रकाशन अवयवों से नहीं हो पाता है वे अर्थ समुदाय में शक्ति मानने से स्वतः प्रकट हो जाते हैं।

नैयायिक तथा मीमांसक एकार्थीभाव सामर्थ्य के विपरीत व्यपेक्षा नामक सामर्थ्य मानते हैं इसमें जिस प्रकार पद वाक्य में पृथक्-पृथक् रहते हुए अपने अर्थ को प्रकट करते हैं तथा तदनन्तर उन अर्थों का आकाङ्क्षा आदि के कारण परस्पर अन्वय होता है उसी प्रकार समास आदि वृत्तियों में विद्यमान अवयवभूत पद भी पहले अपने अपने अर्थों को प्रकट करते हैं बाद में आकाङ्क्षा आदि के कारण उनका परस्पर अन्वय होता है।

व्यपेक्षावादी आचार्यों की दृष्टि में समास आदि के प्रयोगों में समुदाय आदि में विशिष्ट शक्ति की कल्पना न करके अवयवों का अपनी-अपनी शक्ति के द्वारा विशिष्ट अर्थ का बोध होना मानते है इस दृष्टि से समर्थ पद का अभिप्राय है समस्त पद के अवयवों का परस्पर सम्बद्ध होना। "यदा व्यपेक्षा सामर्थ्यं तदा एवं विग्रहः करिष्यते-सम्प्रेक्षितार्थः समर्थः, सम्बद्धार्थः समर्थः।" (व्या.महा.२.१.१) "सिद्धान्तसुधानिधि"कार ने समर्थ पद का स्वरूप निर्धारित करते हुए उसे अधिकार एवं परिभाषा भेद से तीन प्रकार से स्पष्ट किया है, जिसमें एकार्थी भाव सामर्थ्याधिकार प्रथम पक्ष है, व्यपेक्षा सामर्थ्याधिकार द्वितीय पक्ष है तथा एकार्थी भाव एवं व्यपेक्षा सामर्थ्याधिकार तृतीय पक्ष है। इसी प्रकार परिभाषा में भी तीन पक्ष स्वीकार किये गये हैं। इनमें सिद्धान्तसुधानिधिकार ने सिद्धान्तरूप से एकार्थी भाव सामर्थ्य के परिभाषा पक्ष को स्वीकार किया है। शेष पूर्वपक्ष के रूप में आकरग्रन्थ महाभाष्य में रखा गया है।

"शब्दकौस्तुभ" एवं "व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि" में लकारार्थ विचार

संस्कृत व्याकरण में लकार की व्यवस्था क्रिया के रूपभेदों के आधार पर निर्धारित की गयी है। पाणिनि ने भिन्न-भिन्न कालभेदों के आधार पर भिन्न-भिन्न सूत्रों के द्वारा दस लकारों को व्यवस्थित किया है। जो क्रमशः लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लुङ्, लृङ् हैं। लौकिक संस्कृत में लेट् लकार का प्रयोग नहीं होता है तथापि लिङ्. लकार के विधि एवं आशीः भेद से वे दस ही रहते हैं[1]।

लोट् लकार का प्रयोग सामान्यतया आज्ञार्थक ही माना जाता है किन्तु पाणिनि ने विधिलिङ् एवं आशीर्लिङ् के समवेत अर्थों में लोट् लकार का प्रयोग किया है अतएव उन्होंने

---

१. तत्रादौ दश लकाराः प्रदर्श्यन्ते- लट् .... लृङ्.। एषु पञ्चमो लकारश्छन्दोमात्रगोचरः (भट्टोजिदीक्षित)

"लोट च" (३.३.१६२) तथा आशिषि लिङ्लोटौ" (३.३.१७३) इन दो सूत्रों को उपनिबद्ध किया है। वेद में प्रयुक्त होने वाला लोट् लकार भी विधि तथा हेतुहेतुमद्भाव आदि अर्थो में होता है। लट्, लिट्, आदि छः टित् टकारेत्संज्ञक लकार क्रमशः वर्तमान आदि अर्थो में होते हैं। वर्तमान शब्द का स्वरूपनिर्धारित करते हुए "सिद्धान्तसुधानिधि" कार लिखते हैं- "प्रारब्धापरिसमाप्तक्रियोपलक्षिते काले धातोर्लिट्।" अर्थात् क्रियात्मक काल में प्रारम्भ होने पर परन्तु क्रिया की पूर्णता न होने वाली क्रिया से उपलक्षित काल में धातु से लट् लकार का प्रयोग होता है। "लट्" यह प्राचीन आचार्यों द्वारा ही गयी संज्ञा है[1]-

भट्टोजिदीक्षित ने 'वर्तमाने लट्' (३.२.१२३) सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है- वर्तमान् क्रियावृत्तेर्धातोर्लट् स्यात्।" लिट् लकार से सम्बन्धित परोक्षे लिट् (३.२.११५) सूत्र के स्वरूप के सम्बन्ध में भट्टोजिदीक्षित तथा सिद्धान्तसुधानिधिकार का एक ही मत है-

"भूतानद्यतनपरोक्षार्थवृत्तेर्धातोर्लिट् स्यात्"। अर्थात् अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ को कहने वाली धातु से लिट् लकार का प्रयोग होता है। परोक्ष पद के स्पष्टीकरण हेतु आचार्य विश्वेश्वर ने एक वार्तिक उपन्यस्त किया है-

"परभावः परस्याक्षे परोक्षे लिटि दृश्यते।
उत्वं पादेः परादक्ष्णः सिद्धं वा स्यान्निपातनात्।।
परोक्षे लिटीत्येतत्सूत्रस्थत्वेन परोक्षशब्दोपलक्षणम्।
परमक्ष्णः परोक्षम्। अक्षि च बाह्येन्द्रियमात्रपरम्।"

अर्थात् अक्षि पद चक्षुमात्र का वाचक न होकर सभी इन्द्रियों का वाचक है। भाष्यकार ने जो सौ वर्ष या सहस्र वर्ष के वृत्त को अथवा दो तीन दिन पूर्व घटित वृत्त को परोक्षरूप से कहा है वह प्रदर्शन मात्र है। परन्तु उदयन के किरणावली ग्रन्थ में उपनिबद्ध मङ्गलाचरण की क्रिया "व्यातेने" किरणावलीमुदयनः" में यह सन्देह होता है कि "व्यातेने" यह लिट् लकार का प्रयोग स्वयं के लिए उचित नहीं है क्योंकि स्वयं की क्रिया स्वयं के लिए प्रत्यक्ष ही होती है न कि परोक्ष। यद्यपि ग्रन्थरचना काल में मन के विषयान्तर में संलग्न रहने पर अपनी क्रिया का भी परोक्षत्व उपपादन किया जा सकता है किन्तु शास्त्रीय अर्थ के निर्णायक ग्रन्थ की रचना में मन को बहुत ही एकाग्र करना पड़ता है अतः ग्रन्थरचनारूपी स्वकीय क्रिया में परोक्ष्य कथन अनुचित है। तथा किरणावलीग्रन्थ कर्मक विस्तारक्रिया काल में अवद्यतनत्व एवं अतीतत्व असम्भव है अतः यहां लिट् लकार का प्रयोग अनुचित है इसका समाधान करते हुए आचार्य विश्वेश्वर लिखते हैं-

१. भवन्तीति लट् संज्ञा प्राचाम्।

"तिङन्तप्रतिरूपकनिपात इति केचित्। शिष्यश्लोकोऽयमित्यन्ये। इदं च वर्धमानतद् विवरणादौ स्पष्टम्।" भूतकाल से सम्बन्धित अन्य लकारों के क्रम में लङ् लकार को स्पष्ट करने के लिए पाणिनि ने "अनद्यतने लङ् (३.२.१११) सूत्र का विधान किया है।

अनद्यतन काल की सीमा के सम्बन्ध में आचार्यो में एक मत नहीं है। आचार्य विश्वेश्वर इसका स्वरूप निर्धारित करते हुए लिखते है कि अनद्यतन भूतार्थकालिक क्रिया का ज्ञान कराने वाली धातु से लङ् लकार का प्रयोग होता है। अद्यतन एवं अनद्यतन क्या है इस सम्बन्ध में-"सम्पूर्णो दिवसस्तुतत्पूर्वोत्तरवर्तिन्योः रात्र्योश्चरमप्रथमयामौ चेत्येतावान् समयोऽद्यतनस्तद्भिन्नोऽनद्यतन इति सम्प्रदायः। दिवसश्च शब्दप्रयोगाधिकरणं ग्राह्यो न तु शाब्दबोधाधिकरणम्। प्रयोगाधिकरणादिना अतीतस्यापि भाविदिनवृत्तिशाब्दबोधापेक्षया अनद्यतनत्वेन लङ् प्रयोगापत्तेः। न विद्यते अद्यतनो यस्मिन् सोऽनद्यतनः तेन द्वयोर्विषये लुङेव।"

इस अद्यतन एवं अनद्यतन पद के सम्बन्ध में भट्टोजिदीक्षित का विचार है- "अतीतायाः रात्रेः पश्चार्धेन आगामिन्याः पूर्वार्धेन च सहितो दिवसोऽद्यतनः" अर्थात् बीती हुई रात्रि के उत्तरार्ध से लेकर आगामी रात्रि के पूर्वार्ध सहित दिन अद्यतन कहा जाता है। कैयट ने "लुङ्" सूत्र पर भाष्य की व्याख्या करते हुए लिखा है कि पूर्व रात्रि का चतुर्थ प्रहर सम्पूर्ण तथा द्वितीय रात्रि के प्रथम प्रहर का काल अद्यतन कहलाता है।

"एकस्याः रात्रेः चतुर्थोयामो दिवसश्च सर्वो द्वितीयायाश्च रात्रेः प्रथमोऽद्यतन इत्याहुः।" कैयट के इसी लक्षण को हरदत्त आदि आचार्य भी स्वीकार करते हैं।

भूत सामान्य अर्थ में लुङ् की व्यवस्था दिखाते हुए आचार्य विश्वेश्वर लिखते हैं "वसेर्लुङ रात्रिशेषे अनद्यतने जागरणसन्तताविति वाच्यम्। रात्रेराद्ययामत्रयं जागरित्वा चतुर्थे यामे यदा अमुत्र अवात्समिति प्रयुङ्क्ते तदा अतिक्रान्तरात्रिप्रहरत्रयवासस्यानद्यतनत्वाल्लङ् प्रसंगे लुङ् विधीयते।"

अनद्यतन भूत के अनन्तर अनद्यतन भविष्य के स्पष्टीकरण हेतु पाणिनि ने अनद्यतने लुट् (३.३.१५) सूत्र का विधान किया है जिस पर "सिद्धान्तसुधानिधिकार" ने पूर्वाचार्याणां लुटः संज्ञा कहकर लुट् को प्राचीन आचार्यो द्वारा की गयी संज्ञा प्रतिपादित की है। अनद्यतन शब्द में "न अद्यतनोऽनद्यतनः" यह तत्पुरुष समास न करके बहुव्रीहि समास करते हुए यह कहा है कि जहाँ अद्यतन काल मिश्रित होगा वहाँ लुट् लकार की प्रवृत्ति नहीं होगी।

भविष्यत् सामान्य हेतु पाणिनि द्वारा उपनिबद्ध "लृट् शेषे च" सूत्र के स्वरूप के सम्बन्ध में भट्टोजिदीक्षित तथा आचार्य विश्वेश्वर का मत है कि क्रियार्था क्रिया के विद्यमान होने या न होने पर भविष्यत्काल के अर्थ का ज्ञान कराने वाली धातु से लृट् लकार का प्रयोग होता है। "लृट् शेषे च"(३.३.१३) सूत्र में शेष पद का ग्रहण क्रिया में प्रतिपद विधि हेतु किया गया है- लृटि शेषवचनं क्रियायां प्रतिपदविध्यर्थम्"। पाणिनि ने प्रकृत सूत्र में शेष

पद का ग्रहण करके इसके क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है। तथा अष्टाध्यायी के ३.३.३ सूत्र से लेकर ३.३.१५ सूत्र तक लृट् के साथ विविध स्थितियों को स्पष्ट किया है। अन्य लकारों में भी प्रायः इसी तरह की व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है।

"भाष्यकार" के क्रियार्था क्रिया के उपपद के रूप में विद्यमान रहने पर शेष (अनद्यतन भविष्य से इतर) अर्थ में लृट् लकार का प्रयोग करते हुए चकार ग्रहण का प्रत्याख्यान कर दिया है।

लेट् लकार विधायक सूत्र लिङर्थे लेट् (३.४.७) है, जिससे लिङ् अर्थात् विधिनिमन्त्रण एवं हेतुहेतुमद्भाव आदि अर्थों में वेद में लेट् लकार का प्रयोग देखा जाता है इसीलिए पाणिनि ने वैदिक प्रयोगों की दृष्टि से ही लेट् लकार का विधान किया है।

लिङ् लकार विधायक विधिनिमन्त्रणाऽऽमन्त्रणाऽधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् (३.३.१६१) सूत्र के इन्ही छः अर्थो में विधि की प्रमुखता होने से इस लकार को विधिलिङ् कहा जाता है। तथा आशिषि लिङ्लोटौ (३.३.१७३) सूत्र से जिस लकार का विधान किया जाता है वह आशीर्लिङ् है।

भट्टोजिदीक्षित का मानना है कि विधि निमन्त्रण आमन्त्रण एवं अधीष्ट इन चार अर्थो में कोई तात्विक अन्तर नहीं है क्योंकि सभी में प्रवर्तना होती है अतः इनके स्थान पर मात्र प्रवर्तना शब्द का प्रयोग करना चाहिए। चारों का कथन तो स्पष्ट प्रतिपत्ति हेतु किया है- "प्रर्वर्तनायां लिङ् इत्येव सुवचम्। चतुर्णां पृथगुपादानं प्रपञ्चार्थम्।" सिद्धान्तसुधानिधिकार" ने कैयट आदि आचार्यों का भी यही मत दिया है-"एषु विधिरूपतासत्वेऽपि प्रपञ्चार्थं पृथगुपादानमिति कैयटादयः।" तथापि उन भेदों की संगति बैठाने के लिए हरदत्त का कथन है-

"न्यायव्युत्पादनार्थं वा प्रपञ्चार्थमथापि वा।
विध्यादीनामुपादानं चतुर्णामादितः कृतम्।।
अस्तिप्रवर्तनारूपमनुस्यूतं चतुर्ष्वपि।
तत्रैव लिङ् विधातव्यः किं भेदस्य विवक्षया।।"

अर्थात् "विधित्व आदि व्याप्य धर्म का प्रवर्तनात्व व्यापक धर्म" इस न्याय के सम्यक् ज्ञान के लिए विधि आदि चारों का पृथक् रूप से ग्रहण किया गया है अथवा यह समझना चाहिये कि प्रवर्तनारूप से लिङ् लकार की शक्ति विधि आदि चार में ही है। इसी बात के विस्तृत ज्ञान हेतु सूत्र में विधि आदि का ग्रहण किया गया है।

विधि पद का तात्पर्य है- अपने से छोटे को किसी कार्य में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करना। भाष्यकार का भी यही मत है जिसपर कैयट लिखते हैं-

"विधिर्नाम प्रेरणम्-भृत्यादेः कस्यांश्चिद् क्रियायां नियोजनम्।" निमन्त्रण अर्थात् आवश्यक रूप से भोजनादि में दौहित्र आदि का प्रवर्तन। "सिद्धान्तसुधानिधि"कार के अनुसार "आवश्यके श्राद्धभोजनादौ दौहित्रादेः प्रवर्तनं तत्। तदतिक्रमणे च निमन्त्रणीयस्य प्रत्यवायः। "न्यासकार" के अनुसार इच्छा न होने पर भी अधर्म की उत्पत्ति की सम्भावना को दूर करने के लिए कार्य में प्रवृत्ति ही निमन्त्रण पद का अर्थ है। आमन्त्रण का अर्थ है प्रेरणा किये जाने पर भी कर्त्ता की इच्छा पर निर्भर करना अर्थात् जिसके न करने पर भी दोष न लगाना। "आमन्त्रणं कामचारानुज्ञा यदकरणेऽपि न प्रत्यवायः। श्रोतरि सम्मान व्यञ्जकेच्छाऽधीष्टम्। अभिधानप्रयोजिका जिज्ञासा प्रश्नः। लाभेच्छाप्रार्थना"। अर्थ स्पष्ट है।

विधि क्या है इस विषय में मीमांसक, नैयायिक एवं वैयाकरण अलग-अलग विचार रखते हैं। भाट्टमतानुयायी मीमांसक प्रवर्तना को विधि कहते हैं अर्थात् लिङ् लकार में रहने वाला प्रेरणार्थक व्यापार ही प्रवर्तना है। प्रभाकरमतानुयायी मीमांसक कार्य को ही विधि मानते हैं। नैयायिकों के विचार से प्रवृत्तिजनक ज्ञान का विषय विधि है जो कृतिसाध्यता, इष्टसाधनता तथा बलवदनिष्टाननुबन्धिता भेद से तीन प्रकार का होता है। वैयाकरण सम्प्रदाय में प्रवर्तना को ही विधि माना गया है। कौण्डभट्ट आदि ने प्रवर्तना का लक्षण नैयायिकों की तरह इष्टसाधनता ही माना है। शाब्दिक दृष्टि से तो विधि का अर्थ प्रवृत्तिजनक व्यापारमात्र है अतः व्याकरण नय में प्रवृत्तिजनकता ही विधि पद का अर्थ है। लिङ् लकार द्वारा विधि आदि अर्थों की द्योतकता एवं वाचकता के विषय में वैयाकरण सम्प्रदाय दोनों ही पक्ष स्वीकार करता है।

भाष्यकार पतञ्जलि "विधिनिमन्त्रणा (३.३.१६१) सूत्र की व्याख्या में दोनों ही पक्षों का समर्थन करते हैं। लकार विध्यादि अर्थों के द्योतक हैं इसका अभिप्राय यह है कि विधि आदि अर्थ धातु से ही प्रकट होते हैं लिङ् लकार तो केवल तात्पर्य का ग्राहक बनता है। विधि अर्थ लिङ् आदि के वाच्य हैं। कहने का तात्पर्य है कि लिङ् लकार कर्त्ता,कर्म तथा भाव के साथ ही विध्यादि अर्थों के भी वाचक हैं। "सिद्धान्तसुधानिधिकार" यद्यपि दोनों ही पक्षों का उपस्थापन करते हैं तथापि सिद्धान्त रूप से वे लिङ् को विधि आदि अर्थों का वाचक ही मानते हैं-"अत्र विध्यादयोऽर्था द्योत्या इत्येकः पक्षः .... सिद्धान्तस्तु, वाच्या एवैतेविध्यादिभिर्विरोधाभावात् लः कर्मणि चेत्यत्र सर्वसङ्ग्रहार्थात् बहुवचननिर्देशाद् वोभयानुग्रहाच्च।"

लृङ् लकार की व्यवस्था हेतु पाणिनि ने लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ (३.३.१३९) सूत्र को उपनिबद्ध किया है जिस पर भट्टोजिदीक्षित एवं आचार्य विश्वेश्वर का एक ही विचार है अर्थात् क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान होने पर भूत एवं भविष्यत् काल तथा हेतुहेतुमद्भाव की स्थिति में लृङ् लकार होता है। यहाँ लृङ् एवं अतिपत्ति शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए "सिद्धान्तसुधानिधि" कार लिखते हैं-"अत्र लृङो भविष्यत्त्वं हेतुहेतुमद्भावोपपत्तिश्चार्थः। यस्मिन् देशे काले वा यस्याः क्रियायाःसम्भवस्तदन्यत्र तत्क्रियायाः

प्रसञ्जनं अतिपत्तिः। तत्र भवि यत्वंष्कृत्यर्थकाख्यातस्थले कृतौ आश्रयत्वार्थकस्थले च धात्वर्थेऽन्वेति। हेतुहेतुमद्‌भावश्च क्रियायाम्। धात्वर्थः प्रसञ्जने प्रकारतया प्रथमान्तार्थश्च विशेष्यतयाऽन्वेति। यथा-यदि वर्षसहस्रमजीविष्यं तदा पुत्रशतमजनयिष्यम्।" इस प्रसङ्ग में आचार्य विश्वेश्वर ने प्राचीन वैयाकरणों एवं अन्य कतिपय आचार्यों के मतों का उपस्थापन किया है। निष्कर्षतः काल के मुख्य दो भेद हैं अद्यतन एवं अनद्यतन। पुनः अद्यतन के तीन भेद हैं भूत, भवि यत् एवं वर्तमान। अनद्यतन के भी दो भेद हैं भूत एवं भविष्यत्। इन्हें इस प्रकार भी समझा जा सकता है -

इनमें वर्तमान क्रिया से उपलक्षित काल में लट्, भूतसामान्य अर्थ में लुङ् तथा भविष्यत् सामान्य अर्थ में लृट् लकार होता है। हेतुहेतुमद्‌भाव आदि अधिक अर्थ की विवक्षा में भूत एवं भविष्यत् दोनों में लृङ् लकार होता है। अनद्यतन भूत की विवक्षा में लङ्, परोक्ष विशेषण से विशिष्ट अनद्यतन भूत में लिट् तथा अनद्यतन भविष्यत् में लुट् लकार होता है। यह उन-उन लकार विधायक सूत्रों से स्पष्ट होता है।

पाणिनि-व्याकरण की परम्परा के इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ के तीन अध्याय आज से ६८ वर्ष पूर्व १९२५ में प्रकाशित हो जाने पर भी यह बात विद्वज्जगत् के समक्ष नहीं आयी कि इस ग्रन्थ की पूर्ण पाण्डुलिपि जम्मू के रघुनाथ मन्दिर पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसकी सूचना सर्वप्रथम पं. युधिष्ठिर मीमांसक के "व्याकरण-शास्त्र के इतिहास" में दी गयी जिसमें डॉ. दयानन्द भार्गव के इस आशय के पत्र को प्रकाशित किया गया कि उन्हें यह पाण्डुलिपि जम्मू में मिल गयी है। इस घटना को भी आज ६ वर्ष हो गये। अब इस ग्रन्थ के पूर्व में प्रकाशित अंश का पाठभेद सहित मुद्रण तथा पूर्व में अप्रकाशित अंश का प्रकाशन वैयाकरणों के लिए इस ग्रन्थ को सम्पूर्ण रूप से उपलब्ध करा देगा ताकि वे पाणिनीय-व्याकरण के विकास-क्रम में आचार्य विश्वेश्वर के योगदान का सर्वाङ्गीणमूल्यांकन कर सके।

सिद्धान्तसुधानिधि के अप्रकाशित अंश का सङ्क्षिप्त परिचय

पूर्व में प्रकाशित तीन अध्याय की विषयवस्तु तो तृतीय अध्याय के अन्तिम भाग के अन्त में विषयानुक्रमणिका के रूप में दी गयी है। चतुर्थ भाग के आरम्भ में आचार्य विश्वेश्वर ने "ङ्याप्प्रातिपदिकात्" (४.१.१) सूत्र के ङ्यन्त, आबन्त एवं प्रातिपदिक में से प्रातिपदिक संज्ञक स्वादि प्रत्ययों की संख्याकारक आदि का वाचक मानकर एवं ङीप्, ङीष्,

ङीन्, टाप्, डाप्, चाप् आदि स्त्रीप्रत्ययों को द्योतक मानकर विस्तृत व्याख्यान किया है। साथ ही स्त्रीप्रत्ययों के वाचकत्व को स्वीकार करने पर कैयट आदि आचार्यों के मत में बहुत सा दोष दिखाये हैं। लिंग निर्धारण के सम्बन्ध में "स्त्रियाम्" (४.१.३) सूत्र के अन्तर्गत लौकिक लिङ्गों के शास्त्र में स्वीकार किये जाने पर उपस्थित होने वाले दोषों का भाष्यमत से निराकरण करके भाष्यकार के सिद्धान्त पर विशद विवेचन किया है। यहाँ प्रसङ्गवश सांख्य, मीमांसा, वेदान्त, न्याय आदि आचार्यों के मतों को भी उचित स्थान दिया गया है। मीमांसाशास्त्र का वचन उद्धृत करते हुए आचार्य विश्वेश्वर का कथन है-"ननु पशुना यजेत इत्यत्र छागो वा मन्त्रवर्णादिति न्यायेन पशुपदेन छागस्य वपाया मेदस इति वर्णनात् छागोपादानेऽपि छाग्यायागःस्यात्। उक्त पुंस्त्वादीनां केवलान्वयित्वेन विवक्षायामप्यव्यावर्तकत्वात्। मैवं लौकिक स्त्रीत्वविशिष्टे शास्त्रीयपुंस्त्वे तत्रशक्तेः।" इसी प्रकार वेदान्त एवं साङ्ख्यशास्त्र सम्बन्धी चर्चायें भी प्रसङ्गवश प्रस्तुत की गयी हैं। कहीं-कहीं तो विषयों से सम्बन्धित न्याय आदि शास्त्रों के मतों को आचार्य विश्वेश्वर ने इतना विस्तृत कर दिया है कि जिससे लगता है यह व्याकरण का विषय न होकर न्याय आदि शास्त्रों का ही विषय हो। परन्तु काफी आगे चले जाने पर पुनः "प्रकृतमनुसरामः" कथन से प्रकृत सन्दर्भ को पुनः पकड़ लेते हैं। भाष्यकार ने जिन सूत्रों का प्रत्याख्यान कर दिया है उन पर भी इन्होंने पूर्णरूप से विचार किया है वे चाहे किसी भी अध्याय के हों। दृष्टान्त रूप में द्वितीय अध्याय के २.२.१ से २.२.३ तक के प्रत्याख्यात सूत्रों के सम्बन्ध में वे लिखते हैं-"न चात्रापि पूर्ववत् कर्मधारयषष्ठीसमासाभ्यां सूत्रवैयर्थ्यम्। पूरणगुणेति षष्ठीसमासनिषेधात्। न च सूत्रारम्भेऽपि तद्दोषसाम्यम्। विभाषाग्रहणसामर्थ्यान्निषेधाप्रवृत्तेः।" पंचम अध्याय के अन्तर्गत तद्धित प्रत्ययविधायक अधिकार सूत्रों से लेकर विधि आदि सभी सूत्रों पर पूर्ण ऊहापोह करते हुए वैयाकरण मत का उपस्थापन करते हैं अन्त में समासान्त प्रत्ययविधायक सूत्रों पर भी चर्चा करते हैं।

छठें अध्याय का आरम्भ दो अधिकार सूत्रों से किया गया है जो धातुरूपों की निष्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रथमसूत्र "एकाचो द्वे प्रथमस्थ" में पठित "प्रथम" पद पर यह आक्षेप किया गया है कि प्रस्तुत पद का ग्रहण व्यर्थ है क्योंकि व्यपदेशिवद्भाव से तो इसका ग्रहण सुतरां हो जाता। "अनेकाचो द्वित्वानापत्तेः। प्रथमग्रहणवैयर्थ्याच्च। एकाचोऽपि व्यपदेशिवद्भावेन प्राथम्यसिद्धेः। न च मुख्ये चरितार्थत्वात् गौणे न स्यादिति वाच्यम्। लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्, दीर्घ इणः किति (६.१.१७) इत्यादि लिङ्गेन गौणस्याप्युपादानात्। (व्या. सि. सुधानिधि-६.१.१)

अन्य शास्त्रों में जहाँ भी व्याकरणसम्बन्धी विषयों का विवेचन करते हुए व्याकरणेतर मतों को प्रबल माना गया है उन्हें यथाप्रसङ्ग उद्धृत करते हुए "तन्न" तदप्यसत् "तच्चिन्त्यम्" आदि कथन से निराकरण करके व्याकरण के ही प्रमाण को निष्कर्ष रूप से रखा गया है।

सातवां एवं आठवां अध्याय यद्यपि आकार की दृष्टि से बहुत बृहत् नहीं है तथापि विषय की दृष्टि से ये भी अन्य अध्यायों की तरह ही महत्वपूर्ण है। सप्तम अध्याय में कृत् प्रत्यय से सम्बन्धित सूत्रों पर विशद विवेचन किया गया है। आठवें अध्याय में तद्धित के प्रकरण से सम्बन्धित सूत्रों पर विवेचना करते हुए आचार्य विश्वेश्वर आगे चलकर "दीर्घादाचार्याणाम्" (८.४.५२) सूत्रस्थ आचार्य पद पर काफी चिन्तन करते हैं, जिसके अन्तर्गत माधव आदि अन्य आचार्यो के मतों का उपस्थापन करते हुए भट्टोजिदीक्षित कैयट तथा भाष्यकार के वचनों से उसका निराकरण कर देते हैं। "यथा-आचार्यग्रहणं निषेधवैकल्पिकत्व लाभार्थम्। यत्तु आचार्यग्रहणं पूजार्थमिति तच्चिन्त्यम् वाक् वाक् इति भाष्योदाहरण-विरोधात्। आत्वा रथे आस्ते इत्यत्र तकारसकारयोर्द्वित्वविकल्पस्य प्रातिशाख्यभाष्ये वेदभाष्ये चोक्तत्वात् पूर्वसूत्रे शाकटायनस्यापि पूजार्थत्वापत्तौ संस्कर्त्तेत्यत्र त्रिसकारकरूपाभ्युपगमपरकैयटा-दिग्रन्थविरोधाच्च। एवं चानचि चेत्यत्र यरोऽनुनासिक इत्यतो वा शब्दानुवृत्तेर्नाज्झलाविति सूत्रे कैयटेनैवोक्तत्वात् तत एवं सिद्धौ त्रिप्रभृतिष्वित्यादित्रिसूत्री स्पष्टार्थेति केचित्। अन्ये त्वाचार्यग्रहणं पूजार्थमेव न च भाष्योदाहरणविरोधः, अनचि इत्यनुवर्त्य हलीति तद् व्याख्याय हलि परत एव निषेधस्य व्याख्येयत्वात् माधवग्रन्थस्य च प्रामादिकत्वात्। इस प्रकार विषय के गाम्भीर्य को ध्यान में रखकर स्थालीपुलाकन्याय से कतिपय विषयों पर दृष्टिपात किया गया है। इस ग्रन्थ के पूर्व में अप्रकाशित चतुर्थ से अष्टम अध्याय के शीघ्र ही प्रकाशित हो जाने पर आंखों से वैयाकरणों के हाथ में आ जाने से ग्रन्थ की गम्भीरता से उन्हें और भी गम्भीर चिन्तन एवं विचार-विमर्श का अवसर मिल जायगा।

प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्तर्गत आचार्य विश्वेश्वर ने लगभग ३५ व्याकरणशास्त्र के, ५ वेदान्तशास्त्र के ५ मीमांसा ४ न्याय तथा ७ साहित्यशास्त्र के आचार्यो, उनके ग्रन्थों एवं विचारों को यथाप्रसङ्ग उद्धृत किया है।

प्रक्रियाग्रन्थ तथा व्याख्या सम्पत्ति

क. प्रक्रिया ग्रन्थ (आरम्भ काल)

अष्टाध्यायीसूत्रक्रम से हटकर प्रक्रियाक्रम से भी अष्टध्यायीसूत्रों पर अनेक वृत्तिग्रन्थ लिखे गये हैं, जिनमें प्रयोगों का साधुत्व दर्शाने के लिए सद्यः रूपसिद्धि की भावना से अपेक्षित सूत्रों को उठाकर एक स्थान पर उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया है। प्रक्रियाक्रमानुसार लिखे गये ऐसे ग्रन्थ अपेक्षाकृत लघु तो होते ही हैं, पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट भी करते हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी के प्रक्रियाक्रम से पठन-पाठन की नई प्रणाली का आचार्यों ने जो आविष्कार किया, उसके फलस्वरूप विक्रम की १६वीं शताब्दी के अनन्तर पाणिनीय व्याकरण का समस्त पठन-पाठन प्रक्रियाक्रमानुसार होने लगा और धीरे-धीरे सूत्रपाठक्रमानुसारी पठन-पाठन का उच्छेद ही हो गया।

अष्टाध्यायी की प्रक्रियाग्रन्थानुसारी वृत्तियाँ

१. रूपावतार (आचार्य धर्मकीर्ति), २. प्रक्रियारत्न, ३. रूपमाला (विमल सरस्वती), ४. प्रक्रिया कौमुदी (आचार्य रामचन्द्र), ५. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (भट्टोजिदीक्षित), ६. प्रक्रियासर्वस्व (नारायणभट्ट), ७. मध्यसिद्धान्तकैमुदी-लघुसिद्धान्तकौमुदी-सारसिद्धान्त कौमुदी (आचार्य वरदराज) तथा ८. पण्डित सोमनाथ सिग्देल कृत (प्रतिसंस्कृत सिद्धान्तकौमुदी)।

रूपावतारकार धर्मकीर्ति

संस्कृत-वाङ्मय में पाँच धर्मकीर्ति उपलब्ध होते हैं। प्रथम तो बौद्ध दार्शनिक हैं, जिन्होंने न्यायबिन्दु आदि उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रन्थों की रचना की है। इन्हें माधवाचार्य ने सर्वदर्शनसंग्रह में उद्धृत किया है। पण्डितमण्डली की किंवदन्ती के अनुसार 'नाभाव उपलब्धेः' (वें.सू.२.२.२८) की व्याख्या में इन्हीं के मत का अनुवाद शङ्कराचार्य ने भी किया है। इस प्रकार बौद्धसिद्धान्तप्रवक्ता धर्मकीर्ति को बौद्धजन भी शङ्कर से पूर्ववर्ती मानते हैं। इनका समय सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने दिङ्नाग तथा धर्मोत्तराचार्य के मध्य में होने की संभावना की है। इनका समय सामान्यतया सप्तम शताब्दी माना जाता है।

द्वितीय धर्मकीर्ति कवि हैं। इन्हें आनन्दवर्धन ने उद्धृत किया है। रूपावतार-भूमिका, पृ. ५ के अनुसार भदन्त धर्मकीर्ति के बहुत से पद्य सुभाषितावली में देखने को मिलते हैं। भदन्त विशेषण के कारण संभावित है कि कवि धर्मकीर्ति ने बौद्धसम्प्रदाय में प्रचुर ख्याति अर्जित की थी। वासवदत्ता नामक प्रसिद्ध संस्कृत-गद्यकाव्य में वासवदत्ता नायिका के वर्णन-प्रसंग में सुबन्धु ने कहा है-"बौद्धसङ्गतिम् इवालङ्कारभूषिताम्"। टीकाकार शिवराम

ने बौद्धसङ्गति को धर्मकीर्तिविरचित ग्रन्थविशेष बताया है-"बौद्धसंङ्गतिर्नाम धर्मकीर्तिकृतो ग्रन्थविशेषः"। इनका समय बाणभट्ट तथ सुबन्धु से भी पूर्व माना जाता है।

तृतीय धर्मकीर्ति की चर्चा महापण्डित राहुल साङ्कृत्यायन (बौद्ध संस्कृति, पृ. ८२) ने की है। इनके अनुसार सुवर्णद्वीपीय धर्मकीति के पाण्डित्य की कीर्ति सुनकर तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले विक्रमशिला के आचार्य दीपङ्कर श्रीज्ञान (६८१-१०५४ ई.) उनके पास बारह वर्षो तक पढ़ते रहे थे।

चतुर्थ धर्मकीर्ति ने "धातुमञ्जरी" नामक ग्रन्थ की रचना की है। इसका १६२ पत्रों का एक देवनागरी-हस्तलेख (आई.ई. ६३ ऐशियेटिक सोसायटी, कलकत्ता) में सुरक्षित है। अन्तिम पाठ के अनुसार इस धर्मकीर्ति को शैवमतानुयायी कहा जा सकता है। यह हस्तलेख सं. १८५७ का है, अतः इससे पूर्व ही कोई समय इनका होना चाहिए।

पंचम धर्मकीर्ति "रूपावतार" नामक पाणिनीय प्रक्रियाग्रन्थ के आदि प्रणेता माने जाने जाते है, ये भी बौद्ध थे। यद्यपि एक रूपावतार के कर्ता कृष्णदीक्षित माने जाते हैं, इनके हस्तलेख की प्रतियाँ श्री रघुनाथमन्दिर, पुस्तकालय- जम्मू तथा तञ्जौर आदि में उपलब्ध है, परन्तु प्रमाण तथा प्रसिद्धि के अनुसार धर्मकीर्ति ही असन्दिग्धरूप से रूपावतार के कर्ता मान्य हैं, जैसाकि ग्रन्थ के प्रारम्भिक तृतीय श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है-

कृता सुकृतिना चेयं प्रक्रिया धर्मकीर्तिना।
पोतानां पोतवत् क्षिप्रं शब्दाब्धौ पारगामिनाम्।।

"तत्वार्थदीपिका" नामक रूपावतार-व्याख्या के रचयिता ने भी कहा है-

"अभिगतषडभिज्ञप्रक्रियोऽपि स्वयं यः प्रथमसमयसज्जद्वासनावासितात्मा।
अकलयदतिहृद्यं शब्दविद्यानुमोदं स जयति नवकीर्तिः सन्मतो धर्मकीर्तिः।।"

रूपावतार का उत्तरभाग धातुप्रत्ययपञ्चिका है, इसके भी रचयिता धर्मकीर्ति ही माने जाते है। ये पाँच ग्रन्थों के रचयिता के रूप में समादृत हैं-१. रूपावतार, २. धातुप्रत्ययपञ्चिका, ३. वररुचिप्रणीत कारकचक्र प्रयोगमुख की टीका, ४. धातुमंजरी, ५. रूपावतार-व्याख्या।

इनमें से रूपावतार की रचना प्रकरणक्रम का अनुसरण करती है। यही ग्रन्थ प्रक्रियाकौमुदी तथा सिद्धान्तकौमुदी आदि ग्रन्थों का आधार है। यह ग्रन्थ रायबहादुर म. रङ्गाचार्य के सम्पादकत्व में मद्रास से प्रकाशित हुआ है।

धर्मकीर्ति प्रारम्भ में वैदिक ब्राह्मण तथा बाद में बौद्ध हुए। प्रो. के.वी. अभ्यंकर "डिक्शनरी आफ संस्कृत ग्रामर" में रूपावतार तथा धातु-प्रत्ययपंचिका के रचयिता धर्मकीर्ति को जैन कहा है-[1]

---

१. 'रूपावतार A well known work of word formation written by धर्मकीर्ति' a Jain grammarian of the twelfth century.

देश-काल

रूपावतार के सम्पादक रायबहादुर म. रङ्गाचार्य ने इन्हें सिंहलद्वीप का तथा डा. हर्षनाथ मिश्र ने केरल या द्रविड देश का माना है। रूपावतार की भूमिका (पृ. १४-१५) के अनुसार धर्मकीर्ति बारहवी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए थे, परन्तु बृहत् सूचीपत्र के रचयिता ने धर्मकीर्ति का काल ११वीं शताब्दी माना है।

रूपावतार में वर्णित विषय

भाग-१	भाग-२ धातुप्रत्ययपञ्चिका
संज्ञावतारः	(सार्वधातुकपरिच्छेदे)
संहितावतारः	लट्-लङ्-लोट्-लिङ् यक् प्रकरणानि (आर्धधातुकपरिच्छेदे)
विभक्त्यवतारः	
अव्ययावतारः	आशीर्लिङ्-लिट्- लुङ्-लुट्
स्त्रीप्रत्ययावतारः	लृङ्-लृट्-भावकर्मलिङ्प्रकरणानि-
कारकावतारः	चिण्वद्भाव-सन्नन्त-यङन्तप्रकरणानि
समासावतारः	यङ्लुक्-हेतुमण्णिच्-प्रत्ययमाला-
तद्धितावतारः	सुब्धातु-तिङ्विभक्त्यर्थ-प्रकरणानि (कृदन्तपरिच्छेदे) कृत्य-कृत्प्रकरणे-

परिभाषा-उणादि-धातुसूत्रपाठानां सूची श्लोकानुक्रमणी च

रूपावतार के कुछ वचन

तुक् स्वरः प्रकृतिश्चैव व्यञ्जनं च ततः परम्।
ततो विसर्जनीयश्च स्वादिः षट्सन्धिरुच्यते।। भाग १, पृ. २८।।

वृक्षस्तिष्ठति कानने कुसुमिता वृक्षं लता संश्रिता।
वृक्षेणाभिहतो गजो निपतितो वृक्षाय देयं जलम्।।

वृक्षादानय मञ्जरीमभिनवां वृक्षस्य शाखोन्नता।
वृक्षे नीडमिदं कृतं शकुनिना हे वृक्ष, किं कम्पसे ?।। पृ. ३६।।

रूद्रो विश्वेश्वरो देवो युवयोः कुलदैवतम्।
स एव नाथो भगवान् आवयोः शत्रुकर्शनः ।। पृ.१२६।।

परमप्रकृतिर्गर्गो गार्गिस्तु तदनन्तरः।
गोत्रे गार्ग्यस्तृतीयः स्यात् तुर्यो गार्ग्यायणो युवा।। पृ. २२२।।

रूपावतार की विशेषताएं

१. "बहुल-सत्व" आदि पाणिनिप्रयुक्त शब्दो का अर्थ उपस्थित करने के बाद ही उदाहरण दिखाना। जैसे-"मघवा बहुलम्" (६.४.१२८) १-'बहून अर्थान् लाति ददाति इति बहुलम्'। "चादयोऽसत्वे" (१. ४. ५७)-"वस्तूपलक्षाणं यत्र-तद् द्रव्यं परिकीर्तितम्"।
२. महाभाष्यकार-निर्दिष्ट कार्यकालपक्ष के अनुसार परिभाषा प्रकरण (सूत्र) पृथक् नहीं पढ़ा गया है, किन्तु विधिसूत्रों के साथ ही संज्ञाओं तथा परिभाषाओं का पाठ किया गया है।
३. अव्यय को असंख्य कहना-"अलिङ्गानि असंख्यानि, अविभक्ति-भेदानि अव्ययानि सुबन्तानि" (पृ. १२८)। चन्द्रगोमी ने अव्यय को असंख्य कहा है।
४. "संख्या वंश्येन" (२.१.१९) का उदाहरण "द्विमुनि व्याकरणस्य"दिया है। उनका मत है कि पाणिनि-कात्यायन के गुरु शिष्य होने से यही उदाहरण उचित है। पतञ्जलि के साथ इनका गुरु-शिष्यभाव प्रामाणिक नहीं है। अतः "त्रिमुनि व्याकरणस्य" देना इतिहासानभिज्ञता को ही सिद्ध करता है।
५. श्लोकबद्ध उदाहरणों से स्वरसता उत्पन्न की है-

ईक्षमीक्षं तदा बाला रोदं रोदं चमूमनु।
आयमायं निवृत्ताया जीवेदेकाकिनी कथम्।।
गत्वा स्नात्वा च दध्यन्नं भुक्त्वा पीत्वाम्बु शीतलम्।
वटे शयित्वा क्रीडित्वा यातो मन्दातपे सुखी।। पृ.३००।। इत्यादि।

रूपावतार की टीकाएँ

इसकी पाँच टीकाओं का विवरण उपलब्ध होता है-

१. बृहत् सूचीपत्र में धर्मकीर्ति द्वारा रचित एक व्याख्या का उल्लेख किया गया है, जिसका हस्तलेख बड़ौदा-प्राच्यविद्याशोधसंस्थान में प्राप्त है।
२. तत्वार्थदीपिका। इसके कर्ता का उल्लेख नहीं है। प्रारम्भिक पाठ इस प्रकार है-

अभिगतषडभिज्ञप्रक्रियोऽपि स्वयं यः प्रथमसमयसज्जद्वासना वासितात्मा।
अकलयदतिहृद्यं शब्दविद्यानुमोदं स जयति नवकीर्तिः समन्तो धर्मकीर्तिः।।

३. तत्वार्थदीपिका इसका हस्तलेख मलयालमलिपि में ४६ ताडपत्रों पर मिलता है। इसमें संज्ञावतार-श्लोक में प्रक्रियासर्वस्वकार नारायणभट्ट को नमस्कार किया गया है।[1]

४. **नीवी-**

इसके रचयिता पारशवकुलतिलक शङ्कराचार्य ने अन्त में लिखा है-

> **अस्तु मद्वागशेषाऽपि देवस्य श्रीपतेः स्तुतिः।**
> **भवेद् वा स्वयमेवायं शब्दो विष्णुपदाश्रयः।।**

५. **प्रक्रियासार-**

इसके रचयिता नारायणार्य ने आरम्भ में गणेश-सरस्वती आदि को नमस्कार किया है।[2]

व्याख्याकार ने इसकी रचना का फल हरिसेवा और बुद्धिशुद्धि बताया है-

> **ग्रन्थेऽस्मिन् मे हरिः सेव्यः स्मृत्या तन्नामकीर्तनैः।**
> **मद्धीशुद्धिः फलमिति द्वयमन्यदतोऽस्तु वा।।**

रूपमालाकार विमलसरस्वती

अष्टाध्यायी की प्रक्रियाक्रमानुसारिणी टीकाओं में रूपावतार के बाद रूपमाला का नाम चर्चित रहा है। इसके रचयिता आचार्य विमलसरस्वती का काल सामान्यतया १४ वीं शताब्दी माना गया है। भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना में प्राप्त हस्तलेख के आधार पर इसका सम्पादन वाराणसेय संस्कृतविश्वविद्यालय व्याकरण विभागाध्यक्ष श्रीमुरलीधर मिश्र ने किया था। यह ग्रन्थ भारत सरकार की आर्थिक सहायता से १६७० में श्री मिश्र जी के ही द्वारा प्रकाशित भी किया गया है। इसमें व्याख्यात सूत्रों की संख्या २०१६ है।

ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा के अनुसार पाणिनि के सूत्रों से रूपकुसुमों की इस लघुमाला की रचना शिशुजनों के कण्ठ की शोभा बढ़ाने के लिए की गई है। अतः इसमें प्रक्रिया के वे कठिन पक्ष नहीं दिखाए गए हैं, जिनसे प्रौढ़ विद्वानों की शोभा होती है। विमल सरस्वती द्वारा अपनाए गए प्रकरणक्रम का अनुसरण लघुसिद्धान्तकौमुदीकार ने यत्र तत्र किया है। जैसे-रूपमाला का क्रम, तिङन्त, कृदन्त, तद्धित, समास। सिद्धान्तकौमुदी का क्रम समास, तद्धित, तिङन्त, कृदन्त। लघु सि.कौ. का क्रम-तिङन्त, कृदन्त, कारक, समास, तद्धित।

---

१. "अविघ्नमस्तु शिवयोः सुचरित्राङ्कुरं महः।
बन्धुजीवच्छविनिभं बन्धुरं बन्धुराननम्।।
नत्वा सर्वस्वकृतं नारायणममलचरितमाचार्यम्।
रूपावतारटीकां करोति तत्वार्थदीपिकां कश्चित्।।"

२. गजाननं गिरां देवीं व्यासं कंसहनं गुरुम्।
भूतेशमीशमाशासितार्थदान् प्रणमाम्यहम्।।
व्युत्पादयितुमल्पेन ग्रन्थेनाल्पधिया मया।
विलिख्यते प्रक्रियायाः सारं नारायणाश्रयात्।।

सम्पादकीय समीक्षा के अनुसार लाघव के कारण इस ग्रन्थ का अध्ययन उपकारक ही कहा जा सकता है। प्रारम्भिक तथा अन्तिम वचन इस प्रकार हैं -

(प्रारम्भ) **शिवमभिवन्द्य विदध्मो मालामाल्यां सुरूपकुसुमानाम्।**
शिशुकण्ठभूषणार्थं पाणिनिसूत्रैरनेकगुणैः।।

(अन्त) **त्रिविक्रमादेः कृपया गिरीशत्वच्चिन्तनस्याल्पतरान्तरायः।**
मयैष सोढः कतिचिद् दिनानि प्रीत्यै तवैवातिकृपाप्रियस्य।।

पं. युधिष्ठिर मीमांसक ने भी रूपमालाकार विमल सरस्वती का समय वि. सं. १४०० से पूर्व माना है। अतः "रूपमाला" का भी काल इसी के आसपास ही होना चाहिए। कोई निश्चित वर्ष इस सम्बन्ध में प्रमाणित नहीं हो पाया है।

प्रक्रियाकौमुदीकार रामचन्द्र

पूर्ववर्ती प्रक्रियाग्रन्थों की अपेक्षा आचार्य रामचन्द्र ने प्रक्रियाकौमुदी में कुछ विशेष परिष्कार किया है। यद्यपि इसमें भी वैदिक स्वर-प्रकरण के सूत्र व्याख्यात नहीं है, फिर भी लौकिक भाग के प्रायः सभी सूत्रों की इसमें व्याख्या की गई है। रूपावतार-रूपमाला में इसकी अपेक्षा कम सूत्र व्याख्यात हुए हैं। यतः पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इस ग्रन्थ की रचना हुई है। अतः इसमें सरल पद्धति और सरल शब्दों का आश्रय लिया गया है। ऐसी मान्यता है कि भट्टोजिदीक्षित ने इसी ग्रन्थ से प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्राप्त कर अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ "सिद्धान्तकौमुदी" की रचना की थी। यह तथ्य इन दोनों ग्रन्थों की तुलना में स्पष्ट प्रतीत होता है। लोकव्यवहार में प्रचलित एक सौ से भी अधिक अपाणिनीय शब्दों को सिद्ध करने का इसमें प्रयास किया गया है। पाणिनि से भिन्न अनेक आचार्यो के मत यथास्थान दिखाए गए हैं।

आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार मध्ययुग में काशी की प्रतिष्ठा में पाणिनीय व्याकरण के उपबृंहण का भी विशेष योगदान रहा। १४वीं शताब्दी से लेकर १८वीं शताब्दी तक के समय को व्याकरण के इतिहास में स्वर्णयुग कहा जा सकता है और इस स्वर्णयुग को लाने का श्रेय काशी के वैयाकरणों को प्राप्त है। इसी युग के प्रख्यात वैयाकरण रामचन्द्राचार्य ने "प्रक्रियाकौमुदी" नामक अपनी विशद रचना के द्वारा व्याकरण के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया।

रामचन्द्राचार्य आन्ध्रदेशीय शेषवंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम कृष्णाचार्य था, जिन्हें कौण्डिन्यगोत्रीय तथा ऋग्वेदी ब्राह्मण माना जाता है। रामचन्द्र ने अपने पितृव्य गोपालाचार्य तथा पिता कृष्णाचार्य से अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था। रामचन्द्र ने

प्रक्रियाकौमुदी से अतिरिक्त कालनिर्णयदीपिका तथा वैष्णवसिद्धान्तदीपिका नामक ग्रन्थों की भी रचना की थी।

रामचन्द्र ने अपने प्रक्रियाकौमुदी ग्रन्थ में रचनाकाल का कोई उल्लेख नहीं किया है। रामचन्द्र के शिष्य शेष श्रीकृष्ण द्वारा रचित प्रक्रियाकौमुदीप्रसादटीका का हस्तलेख सं. १५३६ का उपलब्ध होता है, इस आधार पर १४वीं शताब्दी का अन्त और १५वीं शताब्दी का प्रारम्भ रामचन्द्र का समय सम्भावित है। प्रक्रियाकौमुदी के सम्पादक के अनुसार हेमाद्रि ने रघुवंश की टीका में प्रक्रियाकौमुदी तथा प्रसाद टीका के उद्धरण दिये हैं, इससे रामचन्द्र और विट्ठल का काल यीशवीय १४ वीं शताब्दी माना जा सकता है।

इसका तिब्बती भाषा में अनुवाद भोट पण्डित वागीश्वर लक्ष्मी निराभोग (१७वीं शताब्दी) ने किया था, जो ४५२ पत्रों में आज भी प्राप्त है।[1]

प्रक्रियाकौमुदी पर लगभग १० टीकाएं लिखी गई थी, परन्तु इनमें दो विशेष प्रसिद्ध है और मुद्रित रूप में उपलब्ध होती है। १-शेषकृष्णरचित प्रक्रियाकौमुदीप्रकाश तथा २. विट्ठलरचित प्रक्रियाकौमुदीप्रसाद।

प्रक्रियाकौमुदीप्रकाश

इसके रचयिता शेषवंशावतंस शेष श्रीकृष्ण हैं। ये अकबर के समकालिक थे। अकबर के प्रसिद्ध मन्त्री बीरबल के पुत्र कल्याण को व्याकरण सिखाने के लिए उन्हीं के आदेश से यह व्याख्या लिखी गई थी। शेष कृष्ण रामचन्द्र के ज्येष्ठ भ्राता शेष नृसिंह के पुत्र थे और १६ वीं शताब्दी के वैयाकरणों में प्रधान थे। शेष कृष्ण ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में अपने आश्रयदाता राजा बीरबल के वंशवृक्ष का ऐतिहसिक विवरण प्रस्तुत किया है। यह व्याख्या बड़ी ही विशद तथा विस्तृत है। इसमें प्रदर्शित कुछ मतों का भट्टोजिदीक्षित ने प्रौढ़मनोरमा में खण्डन किया है। पण्डितराज जगन्नाथ इसे सहन नहीं कर सके। उन्होंने मनोरमाकुच-मर्दन नामक अपने व्याकरणसम्बन्धी ग्रन्थ को लिखकर दीक्षित के प्रत्याख्यानों का बुरी तरह से खण्डन किया है और शेष श्रीकृष्ण के मूल आशय बड़ी ही प्रौढता के साथ प्रतिपादित कर उनके मत का मण्डन किया है।

प्रक्रियाकौमुदीप्रसाद

रामचन्द्र के पौत्र नृसिंह के पुत्र विट्ठल ने यह टीका लिखी है। विट्ठल ने शेष कृष्ण के पुत्र रामेश्वर अपरनाम वीरेश्वर से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया था। टीका अत्यन्त सरल है, इसमें प्रौढता प्रतीत नहीं होती। लेख से ऐसा कहा जा सकता है कि उस

---

१. ग्र.सं. ४४२० तिब्बती तन्-ग्युर ग्रन्थसूत्री-देगे संस्करण, जापान, १६३४ ई (वि.सं. १६६१)

समय तक प्रक्रियाकौमुदी में पर्याप्त प्रक्षेप हो चुके थे। इसमें अनेक ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों को उद्धृत किया गया है। विट्ठलपुत्र के हाथ का लिखा हुआ एक हस्तलेख पूना के डेक्कन कालेज-पुस्तकालय में है, इसका लेखनकाल सं. १५८३ है। सं. १५६० का एक हस्तलेख बड़ौदा के राजकीय पुस्तकालय में है। इससे भी पुराना सं. १५३६ का हस्तलेख लन्दन के इण्डिया ऑफिस पुस्कालय में सुरक्षित है।

प्रक्रियासर्वस्व का संक्षिप्त परिचय

नारायणभट्ट ने प्रक्रियासर्वस्व नामक एक विशाल वृत्तिग्रन्थ की रचना की है, इसमें पाणिनि के समस्त सूत्रों की प्रक्रियाक्रम से व्याख्या गी गई है। समस्त ग्रन्थ बीस खण्डों में विभक्त है, परन्तु अधावधि तद्धित-उणादि आदि ५-६ खण्ड ही मुद्रित हुए हैं। १-४ खण्डों का प्रकाशन त्रिवेन्द्रम सीरीज (सं. १०६) के अन्तर्गत १६३१ ई. में तथा तद्धित खण्ड एवं उणादिप्रकरण का मद्रास विश्वविद्यालयीय संस्कृत सीरीज के अन्तर्गत वि. सं. १६६८-१६४१ ई. (सं. १५) तथा वि.सं. १६६०-१६३३ ई. (सं. ७) में हो चुका है। जो सामग्री प्रकाशित है उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ भट्टोजिदीक्षित की वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी नामक वृत्ति से भी अधिक विस्तृत है।

ग्रन्थकार नारायणभट्ट

संस्कृत-वाङ्मय के विलक्षण प्रतिभाशाली आचार्य तथा कवि नारायणभट्ट का जन्म मलावार (केरल) प्रान्त में आज से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व हुआ था। मेलपुत्तूर (उपरिनवग्राम) नामक ग्राम में जन्म लेने के कारण इनका पारिवारिक नाम "मेलपुत्तूपुर" भी था। मेलपुत्तूर ग्राम केरल देशान्तर्गत निला नदी के उत्तर नावाक्षेत्र में स्थित है। इसी ग्राम को मीमांसादि शास्त्रों में निष्णात मातृदत्त नामक ब्राह्मण के पुत्ररूप में नारायणभट्ट ने जन्म लेकर सुशोभित किया था। यह परिचय नारायणभट्ट ने स्वयं "प्रक्रियासर्वस्व" नामक ग्रन्थ के "न्यायखण्ड" (१७ वां भाग, रूल्स ऑफ इन्टरप्रेटेशन) की समाप्ति से पूर्व इस प्रकार दिया है।[1]

राजा देवनारायण भगवान् कृष्ण के परम भक्त और वेद-शास्त्र-कला-नाटकों के परम ज्ञाता भी थे। इन्होंने नारद से ध्रुव की तरह वृन्दावननिवासी किसी महात्मा से उपदेश

---

१. भूखण्डे केरलाख्ये सरितमिह निलामुत्तरेणैव नावा-क्षेत्रे गव्यूतिमात्रे पुनरूपरिनवग्रामनाम्नि स्वधाम्नि। धर्मिष्ठाद् भट्टतन्त्राद्यखिलमतपटोर्मातृदत्ताद् द्विजेन्द्राज्जातो नारायणाख्यो निरवहदतुलां देवनारायणाज्ञाम्।। नावा-Modern Tirunāvāy. mifjuoxzke & Here uparinavagrama is the sanskrit form of the Malayalam name Melpattur (Introduction-तद्धितखण्ड, पृ-१३)

प्राप्त किया था। इन्हीं राजा देवनारायण ने अपने गुणों से नारायणभट्ट को आकृष्ट किया और उन्हें पाणिनि के समस्त सूत्रों की स्पष्ट तथा सारगर्भित व्याख्या करने का आदेश भी दिया।[1]

राजा के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही नारायणभट्ट ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से प्रक्रियासर्वस्व नामक महान् ग्रन्थ की रचना ६० दिनों[2] में ही पूर्ण कर ली थी। नारायणभट्ट ने मीमांसकमूर्धन्य माधवाचार्य से वेद, पिता मातृदत्त से पूर्वमीमांसा, दामोदर से तर्कशास्त्र तथा अच्युत से व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया था।[3]

लेखक ने अपने प्रयत्न के सफल होने की कामना करने के साथ यह भी कहा है कि शब्दविद्या का अनुशीलन करने वाले विद्वानों का अनुराग इसमें बना रहे।[4]

केरल में गणना की प्रचलित कतिपय-पद्धति[5] के अनुसार तद्धितप्रकरण के संपादक सी कुन्हन् राजा ने "यत्नः फलप्रसूः स्यात्" से १७२३२०१ तथा "कृतरागरसोऽध" से १७२३२६१ संख्या मानी है, जो कलिसंवत् के दिनों की है। उनके अनुसार यह समय वि. सं. १६६४ सन् १६०७ में पड़ता है, इसमें कुछ न्यूनाधिक्य भी संभव है। प्रक्रियासर्वस्व[6] (खण्ड१-३) के सम्पादक साम्बशास्त्री ने नारायण का काल १५६०-१६७६ ई. माना है। प्रक्रियासर्वस्व के टीकाकार केरल वर्मदेव के अनुसार भट्टोजिदीक्षित ने नारायणभट्ट से मिलने हेतु केरल के लिए प्रस्थान किया, परन्तु मार्ग में नारायणभट्ट की मृत्यु का समाचार सुनकर वे वापस लौट गये। संपादक के अनुसार नारायणभट्ट भट्टोजिदीक्षित से मिलने के लिए चले थे, परन्तु मार्ग में भट्टोजिदीक्षित की मृत्यु सुनकर केरल वापस चले गये। समीक्षा करने पर इसका समय १६-१७ वीं शताब्दी सिद्ध होता है।

---

१. वृत्तौ चारु न रूपसिद्धिकथना रूपावतारे पुनः कौमुद्यादिषु चात्र सूत्रमखिलं नास्त्येव तस्मात् त्वया। रूपाणीति समस्तसूत्रसहितं स्पष्टं मितं प्रक्रिया-सर्वस्वाभिहितं निबन्धनमिदं कार्यं मदुक्ताध्वना।।
२. प्रक्रियासर्वस्व के टीकाकार केरल वर्मदेव ने लिखा है-"प्रक्रियासर्वस्वं स मनीषिणाचरमः षष्टिदिनैर्निर्ममे"।। भूमिका-भाग २, पृ. २।।
३. द्र., भूमिका-अपाणिनीयप्रामाणिकता।
४. अयमच्युतगुरुकृपया पाणिनिकात्यायनादिकारुण्यात्। यत्नः फलप्रसूः स्यात् कृतरागरसोऽद्य शब्दमार्गजुषाम्।।
५. द्र., प्राचीनभारतीय लिपिमाला-गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा, पृ. १२३, तृ.सं. १९७१ ई.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	०
क्	ख्	ग्	घ्	ङ्	च्	छ्	ज्	झ्	ञ्
ट्	ठ्	ड्	ढ्	ण्	त्	थ्	द्	ध्	न्
प्	फ्	ब्	भ्	म्	-	-	-	-	-
य्	र्	ल्	व्	श्	ष्	स्	ह्	ळ	-

६. भूमिका-भाग - १, पृ. - ३

नारायणभट्ट की दृष्टि में पाणिनि की तरह चन्द्र, भोज आदि शाब्दिकाचार्य भी प्रमाणिक हैं, जैसा कि उन्होंने लार्थविशेष (दि डिफरेन्ट मीनिग्सं ऑफ टेन्सेस् एण्ड मूड्स) प्रकरण के प्रारम्भ में कहा भी है[1]।

मलावार में प्रचलित किंवदन्ती के अनुसार नारायणभट्ट अनियमित जीवन वाले प्रमादशील या असावधान नवयुवक थे। एक दिन प्रातः जब वे अपना कक्ष छोड़ रहे थे, तब "अच्युत पिषारोटि" नामक एक विद्वान् व्यक्ति किसी शिष्य को पढ़ा रहे थे। विषय था-नक्षत्रों के साथ सूर्य और चन्द्रमा की गणना। वे कलि-संवत् को निश्चित रूप में प्राप्त करने का प्रयत्न कर ही रहे थे उस समय नारायण ने बिना सोचे समझे तत्काल कहा- "लिङ्गव्याधिरसह्या" (१७२६१३३)। यह तिथि प्रक्रियासर्वस्व में दी गई तिथि से ५६३२ दिन बाद की है। अतः यह संङ्गत नहीं कही जा सकती।

इनके विषय में जो अन्य पारम्परिक कथाएँ हैं, उनसे यही माना जाता है कि नारायण अपने समय के विशिष्ट व्यक्ति थे। जब वे अम्पलपुज में पहले गए और राजा ने पुराणव्याख्या तथा पुराणपाठ के लिए बुलाया, जब उन्होंने पढ़ा -

"भीमसेनगदात्रस्ता दुर्योधनवरूथिनी।
शिखा खर्वाटकस्येव कर्णमूलमुपागता।।"

अर्थात् दुर्योधन की सेना भीमसेन की गदा से व्याकुल होकर गन्जे पुरुष की शिखा (चोटी) की तरह कर्ण के समीप आ गई। राजा ने पूछा कि क्या यह मूलवचन है ? नारायण ने उत्तर दिया कि मैने तो यह बताने के लिए इसे प्रस्तुत किया कि "नई सामग्री जोड़कर भी पढ़ सकता हूँ"। परन्तु यह परिहासवचन वास्तव में सत्य सिद्ध हुआ, क्योंकि राजा स्वंय गन्जा (Bald men) था। तबसे नारायण राजा के प्रीतिपात्र बन गये। राजसभा में रहते हुए नारायण ने प्रक्रियासर्वस्व तथा अनेक चम्पूगन्थों की रचना की थी।

एक अन्य कथा के अनुसार मलावार की तात्कालिक कट्टरपन्थी पण्डित-मण्डली में नारायणभट्ट की प्रसिद्धि विद्वान् के रूप में नहीं थी। नारायणभट्ट पय्यूरमन के एक महान् भट्ट के भतीजे थे। पय्यूरमन में मीमांसाशास्त्र पर रचना करने वाले तथा कवि अनेक हो चुके थे। कभी किसी मन्दिर में एक भोज का आयोजन था। ऐसे अवसरों पर वेदपाठ तथा शास्त्रार्थ हुआ करते थे। इस बार शास्त्रार्थ के लिए जब अन्य कोई पण्डित उपस्थित नहीं हुआ तो नारायण को ही कवितालेखक समझकर बुलाया गया, विद्वान समझकर नहीं। परन्तु बाद में विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें विद्वान् भी समझा जाने लगा।

---

१. पाणिन्युक्तं प्रमाणं न तु पुनरपरं चन्द्र-भोजादिशास्त्रम्, केऽप्याहुस्तल्लघिष्ठं न खलु बहुविदामस्ति निर्मूलवाक्यम्।।

नारायणभट्ट की यह मान्यता थी कि व्याकरणशास्त्र भाषागत उपयोगिता की व्याख्या कर सकता है, उन पर शासन नहीं। उन्होंने कवियों द्वारा प्रयुक्त कुछ शब्दों को व्याख्याकारों द्वारा अपशब्द सिद्ध किए जाने की आलोचना की है और इसी आधार पर उन्होंने अनेक अपाणिनीय शब्दों का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। जैसे "त्रेपे" के स्थान पर "तत्रपे" का प्रयोग -

प्रकटमहल्याजारेत्याहूते प्रमुदिते मघोनि तदा।
आश्रितपत्नीशाला गौतमगृहिणीतो तत्रपे नितराम्।। (राजसूयचम्पू)

उन्होंने शब्दप्रयोग के विषय में अपनी मान्यता इन शब्दों में अभिव्यक्त की है-

विश्रामस्यापशब्दत्वं वृत्युक्तं नाद्रियामहे।
मुरारि-भवभूत्यादीन् अप्रमाणीकरोति कः।।

कहा जाता है कि इन्होंने संस्कृत में ३८ ग्रन्थों की रचना की थी, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

१. **मानमेयोदयः (मीमांसा)**-त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज-१६, द्वितीय संस्करण, १९३३ ई। अंग्रेजी-अनुवाद एवं टिप्पणी के साथ प्रकाशित।
२. **नारायणीयम्**-त्रिवेनद्रम संस्कृत सीरीज-१८. यह प्रक्रियासर्वस्व से १०६६१ या ११०५१ दिन पहले लिखा गया था-"आयुरारोग्यसौख्यम्" (१७१२२१०) यह लघु काव्य है।
३. **सुभद्राहरणम्**- इसमें पाणिनि के सूत्र व्याख्यात[1] हैं, अर्थात पाणिनीय सूत्रों के उदाहरण दिये गये हैं।
४. **राजसूयचम्पूः**-इसका एक श्लोक ऊपर उद्धृत हैं-"प्रकटमहल्याः" इत्यादि।
५. **निरनुनासिकचम्पूः**-लक्ष्मण ने जब शूर्पणखा के नाक-कान काट लिए तो शूर्पणखा नासिकाहीन होने के कारण अनुनासिक वर्णो का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकती थी। उस अवस्था में उसने रावण से जो कुछ कहा, उसका वर्णन इसमें किया गया है। प्रथम पद्य इस प्रकार है-"हा हा राक्षसराज। दुष्परिभवग्रस्तस्य धिक् मे भुजाः"। यहाँ "भुजान्" के स्थान में स्त्रीलिंग "भुजा" शब्द मानकर द्वितीया बहुवचन में "भुजा" शब्द का प्रयोग किया गया है। सभापण्डित चाक्यार ने जब अपराह में इसकी व्याख्या की तो राजा तथा अन्य सभासद् अत्यन्त प्रसन्न हुए।
६. **धातुकाव्य**-इस काव्य का हस्तलेख (व्याख्या के साथ) मद्रास शासकीय हस्तलेख संग्रह में विद्यमान है। इसका प्रारम्भिक लेख इस प्रकार है -

१. पाणिनीय सूत्रों का व्याख्या परक काव्यशास्त्र- प्रक्रियासर्वस्व-तद्धितप्रकरण पृ. १२

उदाहृतं पाणिनिसूत्रमण्डलं प्राग् वासुदेवेन तदूर्ध्वतोऽपरः।
उदाहरत्यद्य वृकोदरोदितान् धातून् क्रमेणैव हि माधवाश्रयात्।।

इस ग्रन्थ का प्रकाशन "काव्यमाला" प्रकाशन में हो चुका है।

७. **अपाणिनीयप्रामाणिकता**-ब्रह्मविलास मठ, मेरूरकाडा-त्रिवेन्द्रम तथा युधिष्ठिर मीमांसक संस्करण।

८. **प्रक्रियासर्वस्व**-यह नारायणभट्ट का महान् और अन्तिम कार्य है। इसे बीस खण्डों में पूर्ण करने की योजना केरल के राजा देवनारायण के द्वारा बनाई गई थी। उनके विचार से काशिकावृत्ति में रूपों की व्युत्पत्ति और व्याख्यापद्धति समीचीन नहीं कही जा सकती और रूपावतार प्रक्रियाकौमुदी आदि ग्रन्थों में सभी सूत्रों की व्याख्या नहीं की गई है। अतः उन्होंने पाणिनि के सभी सूत्रों की व्याख्या तथा शब्दरूपों की समीचीन व्युत्पत्ति करने के उद्देश्य से "प्रक्रियासर्वस्व" ग्रन्थ की रचना का आदेश नारायणभट्ट को दिया था। बीस खण्डों या प्रकरणों के नाम हैं[1]।

१. संज्ञा, २. परिभाषा ३. सन्धि ४. कृत् ५. तद्धित ६. समास ७. स्त्रीप्रत्यय ८. सुबर्थ ९. सुब्विधि १०. आत्मनेपद-विभाग ११. तिङ् १२. लार्थविशेष १३. सन्नन्त १४. यङ् १५. यङ्लुक् १६. सुब्धातु १७. न्याय १८. धातु १९. उणादि २०. वैदिक

बीस खण्डों में से अभी तक मुद्रित खण्डों का विवरण इस प्रकार है।

खण्ड १- ३ त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज-१०६, १९३१ ई.।

खण्ड ४ प्रथम भाग सं. साम्ब शास्त्री।

खण्ड ५, तद्धित-मद्रास विश्वविद्यालय-संस्कृत सीरीज-१५, १९४१ ई.। सं.-सी. कुन्हन राजा।

खण्ड उणादि-मद्रास विश्वविद्यालय-संस्कृत सीरीज-७, १९३३ ई. (द्वितीय भाग) सं. टी. आर. चिन्तामणि। इसे १५८६ ई. में पूर्ण किये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है[2]।

प्रक्रिया सर्वस्व में लेखक ने सामान्यतया महाभाष्य, काशिकावृत्ति, माधवीयधातुवृत्ति, हरदत्तकृत काशिकाव्याख्या, प्रक्रियाकौमुदी, सरस्वतीकण्ठाभरण, दण्डनाथवृत्ति, भट्टिकाव्य, सुभद्राहरण, अमरटीकासर्वस्व (सर्वानन्द), क्षीरतंरगिणी, शिशुपालवध, दुर्गसिंहवृत्ति, कविकल्पद्रुम, रूपावतार आदि ग्रन्थों के मत तथा वचन उद्धृत किए हैं- इसके तद्धितखण्ड में नारायणभट्ट

---

१. इह संज्ञा परिभाषा सन्धिः कृत् तद्धिताः समासाश्च।
स्त्रीप्रत्ययाः सुबर्थाः सुपां विधिश्चात्मनेपदविभागः।।
तिङपि च लार्थविशेषाः सन्नन्त-यङ्-यङ्लुकश्च सुब्धातुः।
न्यायो धातुरूणादिश्छान्दसमिति सन्तु विंशतिः खण्डाः।।

२. द्र. उणादिखण्ड, प्रस्तावना-पृ.-९

ने वार्त्तिकशैली में व्याख्या की है और उसका विस्तार भी किया है। जब कोई वार्त्तिकसूत्र महाभाष्य के अनुसार संबद्ध सूत्र में दिया गया है तो संपादक ने उसका सन्दर्भ नहीं दिया है, परन्तु भिन्न सूत्र वाले वार्त्तिक का सन्दर्भ दिया है। तद्धितप्रकरण में ऐसे अनेक वैयाकरणों के उदाहरण दिये गये हैं, जिनके ग्रन्थ आज प्रायः उपलब्ध नहीं होते और न वे प्रसिद्ध ही हैं। तद्धितप्रकरण की रचना पातञ्जल महाभाष्य, काशिकावृत्ति, कैयट-हरदत्त-रामकृत व्याख्या, प्रक्रियाकौमुदी, क्षीरतरङ्गिणी, माधवीयधातुवृत्ति, सरस्वतीकण्ठाभरण, श्रृंगारप्रकाश, दण्डनाथवृत्ति, भट्टिकाव्य, सुभद्राहरण, वासुदेवविजय, अमरटीकासर्वस्व, क्षीरस्वामिकृत-अमरटीका तथा रूपावतारनीवी आदि ग्रन्थों का परिशीलन करने के अनन्तर की गई है। ग्रन्थकार का प्रतिज्ञा वचन इस प्रकार है -

वृत्तिं तद्धरदत्तरामविवृती भाष्यादिकं कौमुदीं,
तद्व्याख्यामपि धातुवृत्तियुगलं दैवं च कल्पद्रुमम्।
भोजोक्तिद्वयदण्डनाथविवृती भट्ट्यादिकाव्यत्रयं,
तिस्रश्चामरकोशनामविवृतीः संप्रेक्ष्य संक्षिप्यते।।

भिन्न-भिन्न प्रकरणों कर रचना में लेखक ने अपने नये विचार व्यक्त किए हैं। जैसे कृत्प्रकरण के प्रारम्भ में कहा गया है कि यद्यपि मैने गहनतम विस्तृत ग्रन्थों का अवलोकन करके ही ग्रन्थ-रचना की है, तथापि त्रुटियाँ हो सकती हैं, जिनके विषय में विगतमत्सर विद्वान् ही प्रमाण होगें। समासप्रकरण के विषय में उन्होंने कहा है कि यद्यपि मैने संक्षेप करने का प्रयत्न किया है, फिर भी कहीं विस्तार हो गया है। पर्याप्त स्पष्टीकरण किये जाने पर भी सम्भवतः गहन अंश कुछ अस्पष्ट से प्रतीत हो सकते है। स्त्री प्रत्ययप्रकरण के विषय में उनकी धारणा है[1] कि माधव आदि के काशिकावृत्ति के अनेक दोषों को दिखाया है। प्रकाण्ड पण्डित भी सभी दोषों को छोड़ नहीं पाते। अर्थात् उनकी रचनाएं सर्वथा निर्दोष नहीं होती। यदि कृशबुद्धि वाले मेरे द्वारा भी कहीं भ्रान्ति हो गई तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

सुबर्थ-प्रकरण में लेखक ने प्रतिज्ञा की है[2] कि मैं स्वकल्पित कुछ भी नहीं कहूँगा। पूर्वाचार्यों के जो श्रेष्ठ हृदयग्राही मत है, उन्हीं का मै कथन करूँगा।

---

१. वृत्तौ नाना प्रमादा विवृतिषु कथिता माधवाद्यैश्च, सर्व- व्याख्यास्वाख्यायिदोषा बहुलमघटिताः प्रक्रियाः काव्यपङ्क्तौ। नामव्याख्यास्वनन्ताः किल तदिह महाकोविदैरप्यवर्ज्याः, विभ्रान्तिश्चेत् कृशाभ्यासिनि कृशधिषणे मादृशे किन्न वाच्यम्।।

२. न किञ्चिदत्र स्वकपोलकल्पितं लिखामि शास्त्रे क्वचिदीक्षितं विना। अनेकधा यत्र पुराविदां मतं मनोहरं तत्र वरं ग्रहीष्यते।।

कारक (विभक्ति) प्रकरण में उन्होंने गुण-दोषों के समीक्षक विद्वानों से अपने वचनों के संशोधनार्थ निवेदन किया है,[1] क्योंकि विद्वान् भी अपनी रचना के प्रति अनुरक्त होने के कारण अपने काव्यदोषों को नहीं जान पाते।

आत्मनेपदविभाग में उन्होंने संभावना की है कि मेरे ग्रंन्थ को विद्वज्जन इसलिए नहीं देखेगें कि उन्हें सब विदित ही होता है। मन्दबुद्धि वाले प्रारम्भ करने पर भी विस्तार से भयभीत होकर छोड़ देगें। इनके अतिरिक्त तो ईर्ष्यालु हैं वे तो इसकी चर्चा भी नहीं करेगें, फिर भी इससे मेरी कोई क्षति नहीं हैं, क्योंकि मैंने तो अपनी बुद्धि को विशद करने तथा राजा देवनारायण को प्रसन्न करने हेतु इसकी रचना की है।[2]

तिङ्प्रकरण कर रचना को लेखक ने विष्णु की आराधना मानते हुए कहा है कि मुझे इस रचना का अन्य कोई फल न भी मिले तो भी कोई हानि नहीं है। न्यायखण्ड में लेखक ने अपनी कृति को पीयूष-लहरी स्वीकार किया है, उसमें की गई क्रीड़ा से जनित आनन्द से ही वे परम सन्तुष्ट हैं। उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को सभी वस्तुएँ न तो प्रिय ही होती हैं और न अप्रिय ही। यदि विद्वान् ग्रन्थ के कुछ अंश को भी देखेंगें तो मेरी रचना सार्थक है। यदि अन्य लोग न भी ग्रहण करें तो मुझे कष्ट नहीं होगा, क्योंकि इस पीयूषलहरी में विहार करने से मुझे जो आनन्द मिला है, वही क्या कम है।[3]

उणादिसूत्रों की व्याख्या पञ्चपादी पाठ पर आधारित है। अर्थात उन उणादिसूत्रों पर नारायणभट्ट ने व्याख्या लिखी है, जिन पर पूर्ववर्ती आचार्य उज्ज्वलदत्त तथा श्वेतवनवासी आदि की व्याख्याएँ उपलब्ध होती है। पादानुसार सूत्रसंख्या इस प्रकार है-१-१५०, २-१२३, ३-१६०, ४-२४६, ५-८८-७६५। श्वेतवनवासी की अपेक्षा इसमें १२ सूत्र अधिक हैं।

बीस खण्डों की स्थापना में १८वाँ खण्ड धातुओं का, १६वाँ उणदि का तथा अन्तिम बीसवाँ वैदिक (छान्दस) सूत्रों का रखा गया है। उणादि खण्ड की सङ्गति बताते हुए ग्रन्थकार ने कहा है[4]।

---

१. स्वनिर्मितत्वप्रणयावकुण्ठितः, स्वकाव्यदोष न बुधोऽपि बुध्यते। अतोऽत्र सूरीन गुणदोषभेदकान्, मदुक्तिसंशोधनकार्यमर्थये।।

२. विद्वांसो विदितं हि सर्वतिति नो द्रक्ष्यन्ति मन्दाः पुनः प्रारम्भ्याधिकमार्गदर्शनभ्रान्ता विरंस्यन्ति च। अन्ये मत्सरिणः कथामपि न नो किमेतैः क्षतं यन्मद्बुद्धिविशुद्धये च नृपतेर्मोदाय चैतत् कृतम्।।

३. न सर्वं सर्वस्य प्रियमपि भवेदप्रियमपि, क्वचित् किञ्चित् किश्चिद् दधति यदि सार्था मम कृतिः। न वा गृह्णन्त्वन्ये तदपि वद पीयूषलहरी-परिक्रीडानन्दः फलमिदमिदानीं मम न किम् ?।।

४. धात्वर्थमसश्रित्य भवन्त्युणादिका उणाद्यधीना निगमेऽपि च स्वराः। अतः कृदन्तर्गतमप्युणादिकं धातोः परं छान्दसतोऽपरं ब्रुवे।।

अन्य प्रकरणों की तरह इसमें भी भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण आदि से अधिक सहायता ली गई है। पाणिनि और भोज के अन्तर का स्पष्टीकरण सकारण अनेकत्र देखने को मिलता है। जैसे "मी" धातु से "ऊरन्" प्रत्यय करके "मयूर" शब्द की निष्पत्ति पाणिनि करते हैं[1] परन्तु भोज "ऊर" प्रत्यय ही मानते हैं। इसमें भिन्नता का कारण बताया गया है कि ऊरन् (नित्) प्रत्यय् से "मयूर" शब्द मध्योदात्त नहीं हो सकता। अतः "न्" अनुबन्ध अनावश्यक है।[2]

इसी प्रकार "पद्म" शब्द की सिद्धि जो "पत्" धातु से मानते हैं, उन्हें भ्रान्त कहा गया है। (१.१३०) "तड आघाते" (चु. ३६) धातु से "आक" प्रत्यय करके "तडाकः" शब्द काशिकाकार निष्पन्न करते हैं। भोज " आकच्" प्रत्ययान्त "तडाकम्" शब्द मानते हैं परन्तु टीकासर्वस्वकार सर्वानन्द ने वैकल्पिक टकारादेश करके "तटाक" शब्द भी साधु माना है।[3]

पञ्चवादी ७६५ उणादिसूत्रों की व्याख्या के अनन्तर अनेक ऐसे शब्दों को सूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्ध किया गया है, जिनके लिए प्रत्यय तो उणादिसूत्रों में निर्दिष्ट हैं, परन्तु प्रकृति का निर्देश नहीं किया गया है और इन शब्दों को भोज ने अपने उणादिव्याख्यान में दिखाया भी है। इन शब्दों को दिखाने से पूर्व उन्होंने कहा भी है-

"उक्तेषु प्रत्ययेष्वेव प्रकृत्याधिक्यगोचराः।
भोजोक्तयः पुरा दृष्टा अवशिष्टानथ ब्रुवे।। पृ.१४२।।"

कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-"कायः किः"। काकिः स्वरदोषः। "वर्धेरकिः"। छिनत्ति वर्धकिः तक्षाः। "लाक्षाद्राक्षामिक्षादयः"। लान्त्येनं लाक्षा। द्रवति मध्वस्माद् द्राक्षा। आमिक्षा हविर्भेदः। आद्युक्तेः पीयुक्षो वृक्षः। इति भोजोक्ताः। इस प्रकरण का अन्तिम वचन इस प्रकार है-

"उणादिवृत्तित्रितयं दण्डनाथकृतिं तथा।
दृष्ट्वैतत् कृतमस्माभिर्देवनारायणाज्ञया।।"

उणादिसूत्रों की व्याख्या के बाद नारायणभट्ट ने "वर्णनीतिः" शीर्षक के अन्तर्गत १५ सूत्रों द्वारा "अ आ" आदि वर्णरूपों को भी सिद्ध किया है। जैसे-"अवतेर्विड् वलोपो दीर्घश्च वा" (१) अवति विश्वम् अः विष्णु। "इष्युषिभ्यां क्विप व्यञ्जनलोपश्च" (२) इच्छन्त्यनेन इः

---

१. मीनातेरूरन्।। १.६६

२. मध्योदात्तो मयूरोऽयमि टो नित्वान्न सिध्यति। तस्मादूरान्त एकोक्तो मयूरो भोजभूभुजा।। १.६६।।

३. तड आघात इत्यस्मात् तडाकोऽत्रेति वृत्तिकृत्। तडाकं मन्यते भोजस्तडेरागजितीरयन्।।
टीकासर्वस्वकारस्तु तटाकमपि रक्षितुम्। आके कृते तडेरेव बाहुल्याट्टत्वमिच्छति।।
४.१६।। पिनाकादयश्च।।

कामः। ओषति दहति विश्वम् उः शिवः। "कनिखनिगमिघसिङ्ङ्भ्यो डः। (८) कनति दीप्यते कः ब्रह्मादिः।

(ख) उत्कर्षकाल सिद्धान्त कौमुदी आदि चार ग्रन्थ

प्रक्रियानुसारी ग्रन्थों में भट्टोजीदीक्षित द्वारा विरचित "सिद्धान्तकौमुदी" की लोकप्रियता उसके सर्वाङ्गपूर्ण होने के कारण आज तक निरन्तर बनी हुई है। समग्र पाणिनीयाष्टक को समाकलित कर दीक्षित ने व्याकरण के इतिहास में अपनी अमिट छाप लगा दी। यह ग्रन्थ प्रक्रियाशैली की पूर्णता को प्राप्त कराने वाला अध्यवसाय है। भाषा की दृष्टि से "सुप्तिङन्तचयो वाक्यम्" को अभिलक्षित कर अपने इस ग्रन्थ को दो भागों में विभक्त किया है। तदनुसार पूर्वार्द्ध में सुबन्त शब्दों की सिद्धि में उपयोगी प्रकरणों का उसके अन्तर्गत विभाजन किया गया है जिसमें संज्ञा, परिभाषा, सन्धि, सुबन्त अव्यय, स्त्रीप्रत्यय, कारक, समास तथा तद्धित प्रकरणों को निबद्ध किया है। उत्तरार्द्ध में तिङन्त शब्दों तथा तदुपयोगी तिङन्त (दशगण) ण्यन्तादि प्रक्रियाएँ तथा कृदन्त प्रकरण समकलित हैं। यहाँ तक तो लौकिक शब्दों के निर्वचन की प्रक्रिया समाहित हुयी है। इसके अतिरिक्त वैदिक शब्दों के अन्वाख्यान की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए अन्तिम दो प्रकरणों "वैदिक प्रकरण" और "स्वर प्रकरण" में वैदिक प्रयोग सम्बन्धी तथा वेदों में प्रयुक्त स्वर सम्बन्धी विशेषताओं का निदर्शन किया गया है। इन दोनों प्रकरणों में वैदिकी प्रक्रिया तो अष्टाध्यायी के अध्यायानुकूल सङ्कलित है, परन्तु स्वर प्रक्रिया में यह नियम सर्वांशतः संगृहीत नहीं है। अन्तिम दो प्रकरणों के पार्थक्य से यह विदित होता है कि पहले दीक्षित को "लौकिक" शब्दों की ही सिद्धि अभीष्ट रही हो, क्योंकि उत्तर कृदन्त में विद्यमान पुष्पिका इसी की उपसंहार सूचक है। फिर भी उन्हें वैदिक प्रयोगों के सम्बन्ध में निवर्चन करने का अभाव खला हो और उन्होंने "स्वरवैदिकी" को सर्वान्त में जोड़ दिया। तदनुसार उसके अन्त में पृथक् पुष्पिका की पूर्ति की। यदि दीक्षित वैदिक अन्वाख्यान से उदासीन रहते तो उनकी सिद्धान्त कौमुदी भी पूर्ववर्ती अन्य प्रक्रिया-ग्रन्थों की तरह एकाङ्गी ही रहती। इस प्रकार "सिद्धान्तकौमुदी" में अष्टाध्यायी के ३९७८ सूत्र व्याख्यात हैं। जिनमें से लौकिक प्रक्रिया में व्याख्यात सूत्रों की संख्या ३३८६ है। वैदिक-प्रक्रिया में २६३ तथा स्वर प्रक्रिया में ३२९ सूत्रों की व्याख्या की गयी है। इस तरह इनका योग ३३८६. ३६३. ३२९ = ३९७८ होता है। १४ माहेश्वर सूत्रों को सम्मिलित कर यह संख्या ३९९२ हो जाती है। किन्तु "स्वर सिद्धान्त चन्द्रिका" में सूत्रों की संख्या ३९९५ बतलाई गई है। निम्नलिखित प्रकरण-सारिणी से सिद्धान्त कौमुदी का प्रक्रिया-विवरण स्पष्ट हो जायेगा :-

१. संज्ञा-प्रकरण (सूत्रपाठ संख्या ३३, वार्तिक पाठ संख्या ३)

२. परिभाषा-प्रकरण (सूत्र सं. १३, वा. ३८, परि. ३)

३. सन्धि-प्रकरण (सूत्र सं. १३१, १३, वा. ३८, परि. ३)

(क) अच् सन्धि (सूत्र सं. १३, वा. ३८, परि. ३)

(ख) हल्-सन्धि (सूत्र सं. ३६, वा. ८, परि. १)

(ग) विसर्ग-सन्धि (सूत्र सं. १२, वा. ५)

(घ) स्वादि-सन्धि (सूत्र सं. १६, वा. २)

४. सुबन्त-प्रकरण (सूत्र सं. २६६, वा. २६, परि. ११)

क. अजन्त पुलिङ्ग (सूत्र सं. १०६, वा. ५, परि. ६)

ख. अजन्त स्त्रीलिङ्ग (सूत्र सं. २२, वा. १, परि. १)

ग. अजन्त नपुंसकलिङ्ग (सूत्र सं. १५, वा. ५)

घ. हलन्तपुलिङ्ग (सूत्र सं. ११६, वा. ७, परि. ४)

ङ. हलन्त स्त्रीलिङ्ग (सूत्र ३)

च. हलन्त नपुंसकलिङ्ग (सूत्र सं. ४, वा. ४)

५. अव्यय (सूत्र ६)

६. स्त्रीप्रत्यय (सूत्र सं. ७६, वा. ५४, परि. १)

७. कारक (सूत्र ११५, वा. ३७, परि. १)

८. समास (सूत्र ४२५, वा. १२८, परि. ५)

क. अव्ययीभाव (सूत्र ३७, वा. २)

ख. तत्पुरुष (सूत्र १४५, वा. ३७, परि. २)

ग. बहुव्रीहि (सूत्र ७२, वा. २५, परि. १)

घ. द्वन्द्व (सूत्र ३०, वा. ११)

एकशेष (सूत्र ६, वा. ५)

सर्वसमासान्त (सूत्र १८, वा. ७)

अलुक् (सूत्र २७, वा. १३)

समासाश्रयविधि (सूत्र ८७, वा. २६ परि. २)

९. तद्धित (सूत्र १०७६, वा. २२२)

अपत्याधिकार (सूत्र १३०, वा. २३)

रक्ताद्यर्थ (सूत्र ७७, वा. ३१)

चातुरर्थिक (सूत्र ३३, वा. ४)

शैषिक (सूत्र २०२, वा. ३३)

	प्राग्दीव्यतीय	(सूत्र ३४, वा. ५)
	ठगधिकार	(सूत्र ७८, वा. ११)
	प्राग्घितीय	(सूत्र ३५)
	छयतोरधिकार	(सूत्र १६, वा. ६)
	आर्हीय	(सूत्र ४५, वा. ६)
	ठञधिकार	(सूत्र ३६, वा. १२)
	ठजधिकार	(सूत्र १७, वा. ३)
	भावकर्मार्थ	(सूत्र २३, वा. ४)
	पाञ्चमिक	(सूत्र १०१, वा. २७)
	प्राग्देशीय	(सूत्र २७, वा. ६)
	प्रागिवीय	(सूत्र ७७, वा. १६)
	स्वार्थक	(सूत्र ८८, वा. १४)
	द्विरुक्त	(सूत्र १२, वा. ६)
१०.	तिङन्त **प्रक्रिया**	(सूत्र ६७८, वा. १०८, परि. १०, धातुपाठ १६६७)
११.	भ्वादि	(सूत्र २७२, वा. २३, परि. ४ धातु १०३५)
	अदादि	(सूत्र ६६, वा. ६, परि. ३, धातु ७२)
	जुहोत्यादि	(सूत्र १६, धातु २४)
	दिवादि	(सूत्र १८, धातु १४०)
	स्वादि	(सूत्र ११, वा. १, धातु ३५)
	तुदादि	(सूत्र ६, वा. ४ धातु १५६)
	रुधादि	(सूत्र ४, धातु २५)
	तनादि	(सूत्र ७, धातु ६)
	क्र्यादि	(सूत्र ६, वा. १, धातु ६१)
	चुरादि	(सूत्र १२, वा. १, धातु ४१०)
	णिजन्त प्रक्रिया	(सूत्र ३३, वा. ६, परि. १)
	सन्नन्त	(सूत्र २२, वा. ३, परि. १)
	यङन्त	(सूत्र २१, वा. ४)
	यङ्लुगन्त	(सूत्र ७, परि. १)

	नामधातु	(सूत्र २१, वा. २२)
	कण्ड्वादि	(सूत्र १)
	प्रत्ययमाला	(वा. २)
	आत्मेनपद	(सूत्र ६६, वा. २२)
	परस्मैपद	(सूत्र ११, वा.२)
	भावकर्म	(सूत्र १०, वा. १)
	कर्मकर्तृ	(सूत्र ७, वा. ७)
	लकारार्थ	(सूत्र ५६, वा. ४)
१२.	कृदन्त	(सूत्र ५५८, वा. ११८)
	कृत्य प्रक्रिया	(सूत्र ६६, वा १४)
	पूर्वकृदन्त	(सूत्र २७३, वा. ६७)
	उत्तरकृदन्त	(सूत्र २१६, वा. ३७)
१३.	वैदिकी प्रक्रिया	(सूत्र २६१, वा. ४१)
	प्रथम अध्याय	(सूत्र ७, वा. ३)
	द्वितीय अध्याय	(सूत्र ६, वा. १)
	तृतीय अध्याय	(सूत्र ४२, वा. ७)
	चतुर्थ अध्याय	(सूत्र ४५, वा. ३)
	पञ्चम अध्याय	(सूत्र १८, वा. ५)
	षष्ठ अध्याय	(सूत्र ४७, वा. ८)
	सप्तम अध्याय	(सूत्र ४२, वा. ८)
	अष्टम अध्याय	(सूत्र ५१, वा. ६)
१४.	स्वर प्रक्रिया	(सूत्र ३२८, वा. १२६, फिट् सूत्र ८५)
	साधारण स्वर	(सूत्र २०, वा. १०)
	धातु स्वर	(सूत्र ६)
	प्रातिपदिक स्वर	(सूत्र २८)
	फिट् स्वर	(सूत्र ८५)
	प्रत्यय स्वर	(सूत्र २६, वा. ४)
	समास स्वर	(सूत्र २००, वा. ६)
	तिङ्न्त स्वर	(सूत्र ४५, वा. ६)

इसके अतिरिक्त भट्टोजीदीक्षित ने सिद्धान्त कौमुदी में ग्रन्थान्त में चार परिशिष्ट और जोड़े हैं-(क) पाणिनीय शिक्षा (ख) गणपाठ, (ग) धातुपाठ, (घ) लिङ्गानुशासन।

सूत्रों के व्याख्यान में दीक्षित ने "काशिका" ग्रन्थ का अनुसरण किया है। इसके अतिरिक्त उदाहरणों के सम्बन्ध में वह कुछ आगे बढ़े और प्रक्रियाकौमुदीकार "रामचन्द्र" को अपना निदर्शक माना। इस प्रकार व्याख्यान शैली तथा उदाहरणों में प्रायः समानता ही विदित होती है। फिर भी प्रक्रियाकौमुदी तथा "सिद्धान्तकौमुदी" में स्पष्ट अन्तर विद्यमान है। इस सम्बन्ध में विशेषता यह है कि दीक्षित प्रक्रिया ग्रन्थों के शुभारंभक **धर्मकीर्ति** को भी नहीं भूले। उन्होंने प्रक्रिया का आरम्भ सुबन्त से किया तथा तिङन्त को उत्तरार्ध में रखा। इस वैज्ञानिक पद्धति को दीक्षित ने रूपावतार से ग्रहण किया। सबसे प्रमुख दीक्षित की विशेषता यह है कि उन्होंने अष्टाध्यायी का समग्र अन्वाख्यान किया। तथा उन्होंने पाणिनीयाष्टक का एक भी सूत्र नहीं छोड़ा। दूसरी विशेषता यह है कि सिद्धान्तकौमुदी में अधिकतर वार्तिकों, परिभाषाओं और पूर्व व्याख्याताओं का समावेश किया गया है। सूत्र-वृत्ति के अनुसार वार्तिकों का समावेश भी काशिका के आधार पर ही हुआ है। दीक्षित के सिद्धान्तकौमुदी नाम की सार्थकता केवल रूप-निष्पत्ति के कारण नहीं है, अपितु "कौमुदी" में प्रक्रिया के साथ ही प्रासङ्गिक सिद्धान्तों का ऊहापोह कर समावेश करना मुख्य लक्ष्य रहा है। इन्हीं विशेषताओं के कारण परवर्ती समय में केवल "सिद्धान्तकौमुदी" का ही प्रचार हो पाया। अन्य प्रक्रिया ग्रन्थ उपेक्षित ही रह गये। आगे चलकर इनकी कौमुदी पर भी व्याख्यानों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इसका कारण व्याकरणशास्त्र की शुष्कता ही हो सकती है। टीकाकारों ने अपनी-अपनी लेखनियाँ उठायी और कौमुदी के प्रकाश को प्रसारित करने की दिशा में आगे बढ़े।

भट्टोजीदीक्षित ने "सिद्धान्तकौमुदी" ग्रन्थ की सार्थकता विदित कराने हेतु "सिद्धान्त" शब्द का निवेश किया है। जिसके फलस्वरूप दीक्षित जी ने प्राचीन मतमतान्तरों का विवेचन कर भाष्योक्त सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा की है। उनसे पूर्व महाभाष्य के टीकाकार **कैयट, जिनेन्द्रबुद्धि, हरदत्त, उज्जवलदत्त** आदि ने अपने-अपने ग्रन्थों में यथास्थान सैद्धान्तिक आदर्शों का प्रतिष्ठापन किया है। इन ग्रन्थकारों का यथाश्रुत सिद्धान्त प्रक्रिया ग्रन्थों के आचार्यों ने "प्रक्रियाकौमुदी" तथा "प्रक्रियाप्रकाश" आदि ग्रन्थों में विद्यमान रखा। यहाँ तक कि दीक्षित जी ने अपने गुरु के द्वारा प्रक्रिया प्रकाश में सन्निविष्ट हरदत्त आदि पूर्वाचार्यों के मतों की समालोचना की है। और स्वयं उन पर विचार कर स्थान-स्थान पर भाष्योक्त सिद्धान्तों की पुनः प्रतिष्ठा की है।

व्याकरणशास्त्र के विकास की दृष्टि से अनुमान होता है कि १६वीं सदी से १८वीं सदी तक का समय सूत्रानुसारी एवं प्रक्रियानुसारी व्याख्याओं का संक्रमण काल रहा है। अतः भट्टोजीदीक्षित ने भी स्वयं पहले "शब्दकौस्तुभ" की रचना की। यह व्याख्या भाष्यानुसारी

है। सूत्रक्रम अष्टाध्यायी के अनुसार ही है। भाष्य के समान इसके प्रकरण भी आह्निकों में विभक्त हैं। आलोच्य वस्तु भी स्वयं भाष्य ही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्दकौस्तुभ में प्रक्रिया विषयक बातें कम हैं, ऊहापोह अधिक है। शैली की दृष्टि से महाभाष्य की परम्परा में रहकर भी विषय की दृष्टि से यह "वाक्यपदीय" की परम्परा में रहा है। यह ग्रन्थ समग्र नहीं मिलता - इसके आरम्भ में ढाई अध्याय तथा बीच का चतुर्थ अध्याय इतना ही अंश उपलब्ध है। "शब्दकौस्तुभ" के आधार पर ही इनके भतीजे[1] (भट्टोजीदीक्षितमहं पितृव्यंनौमिसिद्धये-भूषणकारिका) (मंगलाचरण)) कौण्ड भट्ट ने वैयाकरण भूषणसार की रचना की है जिसमें धात्वर्थनिर्णय, लकारार्थनिर्णय आदि विषय "शब्दकौस्तुभ" पर आधारित हैं। यद्यपि इस ग्रन्थ पर पच्चीस से अधिक टीकायें लिखी गयी हैं किन्तु **डा. सूर्यकान्त बली** ने अपनी पुस्तक "भट्टोजीदीक्षित उनकी संस्कृत व्याकरण की देन" में निम्नलिखित २४ टीकाओं का उल्लेख इस प्रकार किया है जिनमें कुछ तो प्रकाशित हैं तथा कुछ अप्रकाशित। १. प्रौढ मनोरमा (भट्टोजीदीक्षित) २. तत्त्वबोधिनी (ज्ञानेन्द्र सरस्वती), ३. सुखबोधिनी (नीलकण्ठ वाजपेयी), ४. तत्त्वदीपिका (रामानन्द), ५. बृहच्छब्देन्दुशेखर (नागेश भट्ट), ६. लघुशब्देन्दुशेखर (नागेश भट्ट), ७. रत्नाकर (रामकृष्ण), ८. पूर्णिमा (रङ्गनाथ यज्वा), ९. बालमनोरमा (वासुदेव दीक्षित), १०. रत्नार्णव (कृष्णमित्र), ११. स्वरप्रक्रिया व्याख्या (रामचन्द्र), १२. सुमनोरमा (तिरूमल द्वादश यात्री), १३. प्रकाश (तोप्पर दीक्षित), १४. लघुमनोरमा (अज्ञातनामा), १५. शब्दसागरी (अज्ञातनामा), १६. शब्दरसार्णव (अज्ञातनामा), १७. विकाश (लक्ष्मीनृसिंह), १९. रत्नाकर (शिवराम सरस्वती), २०. फक्किका प्रकाश (इन्द्रदत्त उपाध्याय), २१. बालबोध (सारस्वत व्यूढ़ मिश्र), २२. मानसरञ्जनी (वल्लभ देव), २३. सुबोधिनी (जयकृष्ण), २४. चन्द्रकला-लिंगानुशासन विवरण (भैरव मिश्र)।

भट्टोजीदीक्षित का वंश व्याकरण शास्त्र के विकास में प्रयत्नशील रहा है। उनके भाई तथा उनके भतीजे भी शब्दशास्त्र के उन्नयन में लगे रहे और उन्होंने भी भट्टोजीदीक्षित की परम्परा को आगे बढ़ाया।

प्रक्रियाग्रन्थों के चूडान्त निदर्शन-स्वरूप सिद्धान्त कौमुदी की रचना होने के बाद भी यह प्रतिक्रिया हुई कि जन समुदाय व्याकरण के मुख्य नियमों को जानने तक ही अपने को सीमित रखने लगा। इसके फलस्वरूप सिद्धान्त कौमुदी के सङ्क्षेप करने की ओर विद्वानों की प्रवृत्ति होने लगी। कदाचित यह कार्य भट्टोजीदीक्षित के जीवनकाल के चतुर्थ चरण में ही आरम्भ हो गया। इस कार्य में श्री वरदराजभट्टाचार्य अग्रगामी हुए। और उन्होंने प्रक्रिया ग्रन्थ के सर्वप्रथम ग्रन्थ "रूपावतार" को आधार मानकर "लघुसिद्धान्तकौमुदी" की रचना की। इस ग्रन्थ की रचना में उनका उद्देश्य पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने वाले बालकों के लिए शब्दशास्त्र की दुरूहता को दूर करना था। लघुकौमुदी में सिद्धान्तकौमुदी

के समान विषय विभाजन होने पर भी भट्टाचार्य ने कुछ भिन्नता रखी। सन्धि, षड्लिंग और अव्यय प्रकरणों के बाद स्त्री प्रत्यय और कारक प्रकरण को पहले न रखकर तिङन्त प्रत्यय से पहले रखा गया है। बाद में कृदन्त कारक समास तद्धित और सबके अन्त में स्त्री प्रत्यय प्रकरण रखा गया है। अर्थज्ञान की दृष्टि से यह परिवर्तन किया गया है।

इस परिवर्तन से नया प्रवेशार्थी आरम्भ में ही सुबन्त और तिङन्त का परिचय प्राप्त कर लेता है। ''लघुकौमुदी'' में १२७२ पाणिनि सूत्र समाकलित किये गये हैं। वरदराज की प्रसिद्धि भट्टोजीदीक्षित के शिष्य के रूप में है। अतः इनका आविर्भाव भट्टोजीदीक्षित के कुछ अनन्तर ही हुआ हो। इन्होंने अपने ग्रन्थों में समय का निर्देश नहीं किया है। तथापि इन्हें भानुदीक्षित के समकालिक मानने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। इस प्रकार इनका स्थितिकाल (वि.सं. १६७२ = १६२५ ई.) के आसपास होना चाहिए।

''सिद्धान्त'' तथा लघुसिद्धान्त कौमुदियों के मध्य-स्वरूप मध्यसिद्धान्त कौमुदी की रचना भी वरदराज भट्टाचार्य ने की। व्याकरण के प्रवेशार्थियों के उपयोगी ''लघुकौमुदी'' का अध्ययन करने के पश्चात भट्टाचार्य को यह अनुभव हुआ कि अष्टाध्यायी के चतुर्थांश सूत्रों का अध्ययन करने के पश्चात् सिद्धान्त कौमुदी का अध्ययन करने में छात्रों को कठिनाई होगी, अतः उन्होंने सेतु स्वरूप ''मध्य सिद्धान्त कौमुदी'' की रचना की। इसके अनन्तर सिद्धान्त कौमुदी का अध्ययन करने में कठिनाई नहीं होती। साथ ही सिद्धान्त कौमुदी का प्रक्रिया-विधान छात्रों के समक्ष बड़ी सरलता के साथ उपस्थित हो जाता है। सिद्धान्त कौमुदी में प्रतिपादित मतमतान्तरों तथा शास्त्रान्तरोपयोगी विषयों को न रखने से मध्य सिद्धान्त कौमुदी की उपयोगिता अधिक सिद्ध हुयी, वरदराज का यह सम्पादन व्याकरण के छात्रों को द्वितीय सोपान के समान सिद्ध हुआ। इस प्रकार इस सेतु ने ''सिद्धान्त'' तथा ''लघु'' का परस्पर समन्वय कर आगे आने वाली पीढ़ी का उपकार किया। मध्य सिद्धान्त कौमुदी में अष्टाध्यायी के २३१५ सूत्रों को लिया गया है। इसका विषयक्रम लघुसिद्धान्त कौमुदी के समान ही है।

सार सिद्धान्त कौमुदी

सिद्धान्त कौमुदी को सङ्क्षेप करने का प्रयास आगे भी चलता रहा। ऐसा विदित होता है कि शास्त्रान्तर में प्रवेशार्थी छात्रों के हित को ध्यान में रखकर अल्प समय में पारिभाषिक शब्दों के उपयोगी पद पदार्थों का बोध कराने हेतु लघुतर उपायों के अन्वेषण के फलस्वरूप सार ''सिद्धान्त कौमुदी'' की रचना हुई। इस कार्य का नेतृत्व भी वरदराज ने ही किया। भट्टाचार्य महाशय ''लघु कौमुदी'' सदृश संक्षिप्त रचना से संतुष्ट नहीं हुए। अतः उन्होंने

चान्द्रव्याकरण आदि से प्रभावित होकर सार सिद्धान्त कौमुदी की रचना की। चान्द्रव्याकरण की प्रमुखता न होते हुए भी सारसिद्धान्तकौमुदी में विषय विवेचन पाणिनीय व्याकरण के समान प्रक्रिया को अभिलक्षित कर धर्मकीर्ति की शैली का निदर्शन किया गया है[1]। अपनी दोनों कौमुदियों की रचना के अनन्तर उन्हें यह आभास हुआ हो कि चान्द्र आदि व्याकरण का पाणिनीय व्याकरण पर प्रभाव न पड़े अतः अधिक सरलतया छात्रों को व्याकरण की शिक्षा दी जा सकती है। फिर भी उनके इस ग्रन्थ का प्रचार अनेक शताब्दियों तक नहीं हो पाया। अत्यधिक सङ्क्षेप विद्वानों को प्रभावित नहीं कर सका। इस कारण सारसिद्धान्तकौमुदी का कौमुदीद्वय के समान प्रचलन नहीं हो पाया। इस सङ्क्षिप्त रचना में इन्होंने ७५० पाणिनीय सूत्रों का समावेश किया[2]। यह न्यूनता विद्वानों को खटकती रही। पंडित लोकमणि दहाल द्वारा व्याख्यात एवं सम्पादित संस्करण में (१९९२ ई. में = वि. सं. २०४९) ६७२ सूत्र ही समायोजित हुए हैं। दहाल जी ने यह उल्लेख किया है कि कुछ सूत्रों का समावेश "वृत्ति" के अन्तर्गत हुआ है। इस बीच अनेक संस्थाओं द्वारा पाठ्य ग्रन्थों में इसका समावेश किये जाने पर थोड़ा बहुत तो प्रचार अवश्य हुआ, किन्तु "लघु" तथा "मध्य" कौमुदी की भांति यह उपकारी सिद्ध नहीं हुई। ग्रन्थकार ने भी प्रकृत ग्रन्थ की रचना के प्रारम्भ में प्रयोजन दिखलाते हुए स्पष्ट किया है कि अत्यधिक सुकुमारमति बालकों के उपयोगार्थ ही मैं इस कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ -

"नत्वा वरदराजः श्रीपाणिन्यादिमुनित्रयम्।
करोति बालबोधाय सारसिद्धान्तकौमुदीम्।।"

अन्यत्र वरदराज ने अपने उद्देश्य की सफलता हेतु कामना की है[3]।

प्रकृत ग्रन्थ का विषय विभाजन लघुकौमुदी के समान ही है। तदनुसार संज्ञा प्रकरण, (२) सन्धि (३) षड्लिङ्ग (४) अव्यय, (५) दशगणी (६) ण्यन्त (७) सन्नन्त, यङ्न्त, नामधातु, कण्ड्वादि, आत्मनेपद-प्रक्रिया, भावकर्म (७) कृदन्तप्रकरण-कृत्यप्रत्यय, तथा पूर्वकृदन्त, उणादि, उत्तरकृदन्त (८) कारक (९) समास-केवलसमास अव्ययीभाव, तत्पुरुष,

---

१. धर्मकीर्तिसमारब्धा रामचन्द्रविकासिता।
भट्टोजिं प्राप्य या विज्ञं प्रक्रिया पूर्णतां गता।।
सा मध्यलघुरूपेण पूर्वं सङ्गृह्य यत्नतः।
कृता वरदराजेन सार सिद्धान्तकौमुदी।।
सैव व्याख्यायते छात्रज्ञानसौकर्यदृष्टितः।
अनेन प्रीयतामीशो देवः प्रथमशाब्दिकः।। (ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा)

२. कृतावरदभट्टेन दुर्गातनयसूनुना।
वेदवेदप्रकाशाय सारसिद्धान्तकौमुदी।।
सर्वशास्त्रप्रवेशाय सार्द्धसप्तशती कृता।
सुखेन बालबोधाय तेनतुष्यतु शङ्करः।। ग्रन्थकार द्वारा निर्दिष्ट ग्रन्थान्त पुष्पिका।

बहुव्रीहि, द्वन्द्व, समासान्त, (१०) तद्धित प्रकरण-साधारण प्रत्यय, अपत्य प्रत्यय, चातुरर्थिक प्रत्यय, शैक्षिक प्रत्यय, प्राग्दीव्यतीय, प्राग्घितीय, नञ्-स्नञ् अधिकार, पाञ्चमिक प्रत्यय, मत्वर्थीय प्रत्यय प्रागिवीय प्रत्यय, स्वार्थिक प्रत्यय तथा (११) स्त्री प्रत्यय अत्यधिक सङ्क्षेप भी ग्रन्थ की दुरूहता के कारण बन जाता है। वह भी व्याख्या-सापेक्ष हो जाता है। इस हेतु संक्षिप्त संस्करणों में मूल की अपेक्षा व्याख्या का विस्तार बहुत बढ़ जाता है। ग्रन्थकार कदाचित् इस बात को भूल जाते हैं कि ग्रन्थ के अधिक साकाङ्क्ष होने से उसकी वास्तविकता न्यून हो जाती है। कहाँ तो दीक्षित की प्रक्रिया-प्रवीणता और कहाँ सारकौमुदी की सार लघुता ? अत्यधिक लघुता को दूर करने हेतु सार सिद्धान्त कौमुदी से व्याख्या सहित दो संस्करण (-एक) पं. लोकमणि दहाल दूसरा लखनऊ से प्रकाशित व्याख्या सहित मिलते हैं। व्याख्याकारों ने ग्रन्थ के स्पष्टीकरण के लिए सैद्धान्तिक प्रक्रिया को अपनाया है तथा सूत्रार्थ, अनुवृत्ति, उदाहरण, प्रत्युदाहरण आदि द्वारा रूप सिद्धि करने में सफल प्रयत्न किया है।

कौमुदी की अन्य विशेषतायें

भट्टोजीदीक्षित ने केवल सिद्धान्त कौमुदी की रचना नहीं की। यह पहले कहा जा चुका है कि उनका मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया के साथ व्याकरण के सिद्धान्तों का समन्वय स्थापित करना था। आगे चलकर इस समन्वय के फलस्वरूप कौमुदी की समीचीनता तथा अविछिन्नता को देखते हुए भाष्य का समग्र समाकलन कौमुदी में समाविष्ट होने का प्रवाद चल पड़ा। फलतः सिद्धान्त कौमुदी की रचना के बाद यह किंवदन्ती ही चल पड़ी-

''कौमुदी यदि कण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः।
कौमुदी यद्यकण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः।।''

उनका कौमुदी ग्रन्थ सामान्य धारणा के अनुसार पाणिनीय व्याकरण के प्रतिकूल न होकर महाभाष्य के भावानुकूल चलकर उसका प्रसारक ही रहा है। इस उक्ति पर पाणिनायाष्टक के क्रमानुसारी सिद्धान्त के प्रतिपादकों की यह आशंका कार्यकाल पक्ष के अनुसार प्रक्रिया की स्थापना में निर्मूल हो जाती है भले ही ग्रन्थकार को सूत्र-विन्यास के पाठ्यक्रम में हेर-फेर करना पड़ा हो। इतना तो अवश्य मानना पड़ता है कि प्रक्रिया ग्रन्थों के आरम्भ करने के पूर्व छात्र यदि पाणिनीयाष्टीक का अध्ययन करें तो कौमुदी आदि को समझने में अधिक सरलता होगी। भट्टोजी से पूर्व यह सरणि लगभग चार सौ वर्ष पूर्व आरम्भ हो चुकी थी और उसे विस्तीर्ण करने का मार्ग भी प्रशस्त हो चला था। केवल उसकी पूर्णता सम्पन्न करने में भट्टोजीदीक्षित ने सहयोग दे भाष्योक्त सिद्धान्तों की मुहर लगा दी।

सिद्धान्त कौमुदी की टीकायें

प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु प्रक्रिया ग्रन्थों की रचना हो जाने से ही संस्कृतज्ञों को सन्तोष नहीं हुआ। उन ग्रन्थों में भी दुरूहता का अनुभव होने लगा। यहाँ तक कि स्वयं भट्टोजीदीक्षित अपनी ही कौमुदी पर व्याख्या लिखने के लिए अग्रसर हुए। और उन्होंने "प्रौढमनोरमा" नामक ग्रन्थ की रचना की। वस्तुतः ग्रन्थकार ही अपने ग्रन्थ की दुरूहता का अनुभव स्वयं कर सकता है। और उसके द्वारा प्रणीत व्याख्या दुरूह स्थलों की कठिनाई को दूर करने में समर्थ होती है। प्रौढ़ मनोरमा में अपेक्षित स्थलों पर दीक्षित जी ने "प्रक्रिया कौमुदी" तथा "प्रक्रियाप्रकाश" आदि ग्रन्थों की आलोचना की है। इस ग्रन्थ पर उनके पौत्र "हरिदीक्षित" ने वृहच्छब्दरत्न तथा लघुशब्दरत्न दो व्याख्याएँ लिखी हैं। यह व्याख्या विषम स्थलों पर भाष्योक्त निर्णय को प्रकाशित करने में उजागर हुई है। यह किंवदन्ती है कि हरिदीक्षित के शिष्य नागेशभट्ट ने अपने गुरु के नाम से यह रचना कर दी। लघुशब्दरत्न पर भी टीकाएँ रची गयीं।

इसके अतिरिक्त सिद्धान्त कौमुदी की २४ टीकाएँ विज्ञात हैं। उनमें सर्वाधिक प्रचलित ज्ञानेन्द्र सरस्वती की "तत्त्वबोधिनी' है। तत्वबोधिनी में अधिकतर प्रौढ़ मनोरमा का ही आश्रय लिया गया है। यह **वामनेन्द्र सरस्वती** के शिष्य थे। नीलकण्ठ वाजपेयी भी ज्ञानेन्द्र सरस्वती के शिष्य रहे। **नीलकण्ठ** ने महाभाष्य की "भाष्य तत्त्वविवेक" नामक टीका लिखी है। भट्टोजीदीक्षित और ज्ञानेन्द्र सरस्वती प्रायः समकालिक हैं। युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने इतिहास में (पृ. ४४२) ज्ञानेन्द्रसरस्वती को दीक्षित जी का समकालिक बताया है। एक किंवदन्ती के अनुसार भट्टोजीदीक्षित ने भिक्षा के बहाने ज्ञानेन्द्र सरस्वती जी को बुलाया और उनसे सिद्धान्त कौमुदी पर व्याख्या लिखने का आग्रह किया। पहले ज्ञानेन्द्र सरस्वती कौमुदी पर टीका लिखने में उदासीन ही रहे। भट्टोजी का आग्रह होने पर उन्होंने "तत्वबोधिनी" टीका रची तथा "प्रौढमनोरमा" का ही आश्रय लिया। यह दर्शनशास्त्र के मनीषी तथा पारदर्शी रहे हैं। इनके ही चरणों पर बैठकर पण्डितराज जगन्नाथ के पिता "पेरंभट्ट" ने वेदान्त का अध्ययन किया। इससे भी **ज्ञानेन्द्र सरस्वती** के स्थितिकाल की पुष्टि होती है। भट्टोजीदीक्षित की वृद्धावस्था में इनका स्थितिकाल रहा हो तथा इन्होंने उसके पूर्व अपनी द्वितीयावस्था में संन्यास ग्रहण किया हो।

"तत्त्वबोधिनी" पर भी **ज्ञानेन्द्रसरस्वती** के शिष्य नीलकण्ठ वाजपेयी ने "गूढ़ार्थदीपिका" नाम से टीका लिखी। इन्होंने अपनी परिभाषा वृत्ति में इस बात का संकेत किया है-

"अस्मद्गुरुचरणकृततत्त्वबोधिनीव्याख्याने गूढार्थदीपिकाख्याने प्रपञ्चितम्। नीलकण्ठ

---

१. नत्वा विश्वेश्वरं साम्बं कृत्वा च गुरुवन्दनम्। सिद्धान्तकौमुदीव्याख्या क्रियते तत्त्वबोधिनी-मंगलाचरण श्लोक तत्त्वबोधिनी

बाजपेयी ने महाभाष्य की व्याख्या, कौमुदी की सुखबोधिनी[1] व्याख्या तथा अन्य दो ग्रन्थ लिखे-पाणिनीय दीपिका तथा परिभाषावृत्ति। इनका स्थितिकाल ज्ञानेन्द्र सरस्वती के द्वितीय चरण में अनुमानित है। तदनुसार मीमांसक जी ने इन्हें वि.सं. १६०० = (१५४३ ई.) वि. सं. १६७५ (१६१८ ई.) के मध्य स्थिर किया है इनकी सुखबोधिनी टीका का दूसरा नाम "वैयाकरणसिद्धान्तरहस्य" भी है।

३. कौमुदी के अन्य टीकाकार पं. **रामानन्द** भी रहे। इनकी व्याख्या का नाम "तत्त्वदीपिका" है। यह टीका अपूर्ण उपलब्ध केवल स्त्रीलिंग तक ही उपलब्ध होती है। इनके पिता **मधुकर त्रिपाठी** थे।

रामानन्द दाराशिकोह के गुरु थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे-कुछ हिन्दी में तथा अन्य "संस्कृत" में। इनमें से लगभग ५० ग्रन्थ समग्र तथा खण्डित उपलब्ध हैं।

४. पं. रामचन्द्र भट्ट ने कौमुदी रत्नाकर नामक टीका लिखी। इनके पिता तिरुमल भट्ट तथा इनके पितामह का नाम वेंकटाद्रिभट्ट था। यह अभी तक अप्रकाशित है और इनका हस्तलेख तञ्जौर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। जम्मू के एक हस्तलेख का लेखनकाल सं. १७४४ है। इसके अतिरिक्त भण्डारकर प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान पूना में भी चार हस्तलेख हैं। उनमें से किसी लिपिकाल हस्तलेख के पुष्पिका में १७७५ सं. का संकेत विद्यमान है[2]। पुष्पिका में निर्दिष्ट संख्या के अनुसार सं. ५१७१ वर्ष सूचित होता है। यह संख्या गतकलि वर्ष के अनुसार आंकलन करने पर कोई सं. १७१५ मानी गयी है। उक्त निर्देश के अनुसार रामकृष्ण भट्ट का काल सामान्यतया सं. १६६० से १७५० तक होना चाहिए।

५. नागेशभट्ट के **"बृहच्छब्देन्दुशेखर, लघुशब्देन्दुशेखर** नाम के दो ग्रन्थ कौमुदी की टीका के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। बृहच्छब्देन्दुशेखर चिर प्रतीक्षा के बाद (सं. २०१७) में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित हो चुका है। लघुशब्देन्दुशेखर अधिक प्रचलित है। इनके सम्बन्ध में पृथक् वर्णन विशेष रूप से आगे किया गया है।

६. रंगनाथ यज्वा-"पूर्णिमा" नाम की टीका के लेखक चोल देश निवासी थे। अडियार सूचीपत्र में इनका अपरनाम "परिमल" भी है। इन्होंने स्वयं अपना परिचय "मञ्जरीमकरन्द" (पदमन्जरी की टीका) में इस प्रकार दिया है-यो **नारायणदीक्षितस्य नप्ता नल्लादीक्षितसूरिणस्तु पौत्रः। श्री नारायणदीक्षितेन्द्रपुत्रो व्याख्याम्येष रङ्गनाथयज्वा** इनके पिता आदि का उल्लेख भी उसी टीका के प्रथमाध्याय के अन्त में मिलता है।

---

१. विस्तरस्तु वैयाकरणसिद्धान्तरहस्याख्यास्मत्कृतसिद्धान्तकौमुदीव्याख्याने अनुसन्धेयः-परिभाषावृत्ति।

२. चन्द्रर्षिभूमीषु (१७१५) वत्सरे कौवेरादिभाजि रवौ मघौ सिते।
श्री रामकृष्णः प्रतिपत्तिधौ बुधे रत्नाकरं पूर्णमचीकरद्वरम्।।

तदनुसार रंगनाथ यज्वा के पिता नारायण दीक्षित तथा पितामह नल्लादीक्षित थे। इनके मातामह का नाम भी नारायण दीक्षित ही था। इनके मातामह नल्लादित्य के भ्राता धर्मराज यज्वा के शिष्य थे।

उन्होंने कैयट विरचित महाभाष्य की टीका लिखी थी। रंगनाथ के चचेरे भाई-रामचन्द्र अध्वरी श्रौतयज्ञों में पारंगत रहे। तञ्जौर के पुस्तकालय के सूचीपत्र में रंगनाथ का काल १७वीं शताब्दी है। इनके चचेरे भाई रामचन्द्र यज्वा विरचित उणादिवृत्ति में किये गये उल्लेख से विदित होता है कि रंगनाथ तञ्जौर के "शाहजी" नामक राजा के समकालिक थे। शाहजी के राज्यकाल का प्रारम्भ १७४४ से माना जाता है। अतः रंगनाथ यज्वा का काल भी विक्रम की १८वीं शताब्दी का मध्य होगा।

७. वासुदेव वाजपेयी कौमुदी ग्रन्थ के प्रसिद्ध टीकाकारों में हैं। इनकी बाल मनोरमा टीका अद्यावधि पठन-पाठन में प्रचलित है। इनके पिता महोदय वाजपेयी व माता अन्नपूर्णा थीं। तञ्जौर के महाराष्ट्र राजा शाह जी (१६८७ ई.-१७३८ ई.) के प्रधानमन्त्री प्रख्यात त्र्यम्बक राय मरवी तथा शरफ तथा तुक्कोजी महाराजाओं के मुख्य अमात्य आनन्दराय भरवी द्वारा सम्पादित यज्ञों में महादेव वाजपेयी ने अध्वर्यु का कार्य किया था। अतः दीक्षित का समय १८वीं शती का पूर्वार्द्ध है। यह वैयाकरण होने के साथ ही मीमांसाशास्त्र के भी विद्वान् थे। पूर्व मीमांसा के सूत्रों पर इन्होंने "अध्वरमीमांसा-कुतूहलवृत्ति" नामक टीका प्रणीत की। कौमुदी की टीकाओं में इनकी बाल मनोरमा बहुत प्रसिद्ध है। इसका कारण इनकी लेखन शैली की विशेषता है। इनकी टीका का आधार मुख्यतः काशिका, महाभाष्य तथा लघुशब्देन्दुशेखर है। इन्होंने पूर्वाचार्यों के सिद्धान्तों की समीक्षा करने में इन तीन ग्रन्थों का आश्रय लिया है। माधवाचार्य तथा कैयट का खण्डन करने में विशेषतया भट्टोजीदीक्षित के मत को खण्डित किया है। इन पर नागेश का प्रभाव अधिक पड़ा है। अतः इन्होंने अनेक स्थानों पर विस्तार के लिए लघुशब्देन्दुशेखर देखने के सम्बन्ध में निर्देश दिया है।

विशेषताएँ

वासुदेव दीक्षित ने सूत्रों की व्याख्या करने में अनुवृत्त पदों का आश्रय लेकर आवश्यकतानुसार विभक्तिविपर्यय आदि से सूत्रस्थ पदों में आकाङ्क्षित विशेष-विशेषण भाव द्वारा सूत्रार्थ निष्पन्न किया है। सूत्रों की व्याख्या करने में अनुवृत्ति, विभक्ति, विपर्यय, लुप्त विभक्तिक पदों का स्पष्टीकरण तथा विशेष-विशेषण भाव की योजना आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। उदाहरण तथा प्रत्युदाहरणों की समीचीनता के साथ प्रासंगिक शंका-समाधान द्वारा सैद्धान्तिक विवेचन करते हुए विषय को स्पष्ट करने में वासुदेव वाजपेयी ने अपना बुद्धिवैभव प्रदर्शित किया है। बाल मनोरमा में अपेक्षाकृत विस्तार अधिक विद्यमान है। तत्त्वबोधिनी जितनी संक्षिप्त है उतनी ही बालमनोरमा विशद है। जिन

सिद्धान्तों का मूल ग्रन्थ में स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, उन्हें वासुदेव दीक्षित ने अपनी व्याख्या में स्पष्ट कर दिया है।

वासुदेव दीक्षित ने फक्किकाओं की दुरूहता को शास्त्रार्थ-शैली में सोपान-परम्परा द्वारा सरल किया है। इन्होंने लौकिक शब्दों के निर्वचन पर्यन्त ही बालमनोरमा टीका रखी। कुछ स्थलों पर प्रतिलिपि करने वाले व्यक्तियों के अज्ञानवश अथवा अन्य कारणवश बालमनोरमा में त्रुटियां परिलक्षित होती हैं। यह निर्विवाद है कि बालमनोरमा टीका व्युत्पादक होते हुए अत्यधिक उपयोगी है।

कौमुदी की अन्य टीकाएँ अधिकतर पुस्तकालयों में ही हस्तलेखों के रूप में सुरक्षित हैं। उनका परिचय यथाक्रम दिया जा रहा है। (८) इनमें से **कृष्ण मित्र** ने **''रत्नार्णव''** नामक व्याख्या तथा शब्द कौस्तुभ पर भी **''भावप्रदीप''** व्याख्या की रचना की थी। साङ्ख्यशास्त्र पारंगत आपने तत्त्वमीमांसा के प्रणयन से ख्याति प्राप्त की। इनके पिता का नाम ''रामसेवक'' और पितामह का नाम 'देवीदत्त' था। पं. रामसेवक ने महाभाष्य प्रदीपव्याख्या, कौमुदी व्याख्या तथा तीन अन्य ग्रन्थ **''युक्तिरत्नाकर, वादचूणामणि** और **वादसुधाकर** निर्मित किये। अन्तिम तीन ग्रन्थ जम्मू, रघुनाथ मन्दिर, पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। अन्य व्याख्याकारों में **''तिरुमलद्वादशाहयाजी''** की सुमनोरमा का उल्लेख मिलता है। इनके पिता का नाम **वेंकट** है। इनके स्थितिकाल के सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। अनुमानतः इनकी स्थिति वि.सं. १७०० (१७५७ ई.) के आसपास रही हो। इनकी **सुमनोरमा** का हस्तलेख तञ्जौर के पुस्तकालय में बताया जाता है। (सूचीपत्र भाग सं. पृष्ठ ४२११ ग्रथांक ५६४६) कुछ टीकाओं में से। (१०) **तोप्पल दीक्षित** कृत-प्रकाश, (११) अज्ञातकर्तृक-लघुमनोरमा, (१२) अज्ञातकर्तृक-शब्दसागर, (१३) अज्ञात कर्तृक-शब्दरसार्णव, (१४) अज्ञातकर्तृक-सुधाञ्जन् नामक व्याख्यायें तञ्जौर पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। (१५) लक्ष्मीनृसिंहकृत-विलास नामक व्याख्या राजकीय पुस्तकालय मद्रास में उपलब्ध हुयी है। (सूची पूत्र भाग २६ पृ. १०५७५, ग्रन्थांक १६२३४) ऐसी ही कुछ अन्य व्याख्याओं का उल्लेख **आफ्रेक्ट** ने अपने बृहत्सूचीपत्र में किया है। तदनुसार (१६) **शिवराम चन्द्रसरस्वती** (वि.सं. १६७५-१७५०) **रत्नाकर,** (१७) **इन्द्रदत्तोपाध्याय-फक्किकाप्रकाश** (१८) **सारस्वत व्यूडमिश्र-बालबोध** (१६) **बल्लभ मानसरञ्जनी** नामों से विभिन्न पुस्तकालयों के वेस्टनों में बंधी हुई है।

कौमुदी चतुष्टय की आधुनिक व्याख्याएँ

'सिद्धान्तकौमुदी' के लगभग चार शतकों तक चले आ रहे प्रचार-प्रसार ने वर्तमान युग में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में भी लेखन के लिए विद्वान अग्रसर हुए। यद्यपि इस

दिशा में अंग्रेजी शासनकाल में श्री श्रीशचन्द्र वसु द्वारा लिखित सिद्धान्तकौमुदी' की अंग्रेजी व्याख्या प्रकाशित हो चुकी थी। श्री वसु का अनुसरण करते हुए पी.वी. सागरनाथ शास्त्री ने सिद्धान्त कौमुदी विश्लेषणात्मक विचारवीथी प्रदर्शित की। फिर भी हिन्दी व्याख्यानों के पूर्व मराठी भाषा में पं. श्री शङ्कर शास्त्री ने 'सिद्धान्तकौमुदी' का विवरण प्रस्तुत कर दिया था। इसी बीच काशी के मूर्धन्य वैयाकरण पं. श्री सभापति उपाध्याय जी ने लक्ष्मी नामक विस्तृत संस्कृत व्याख्या लिखनी प्रारम्भ की, किन्तु वह उसे पूर्ण न कर पाये। इसमें व्याकरण शास्त्र के भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में उस सूत्र के विषय में भी जो सिद्धान्त स्थापित किये हैं, उन सब के एकत्र अनुशीलन ने इस ग्रन्थ को महत्त्वपूर्ण बनाया है। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा विरचित नागेश विरचित 'लघुमंजूषा' की 'रत्नप्रभा' टीका कतिपय अंशों पर ही है। तथा शब्दरत्न सहित **'प्रौढ़ मनोरमा'** की **प्रभा** टीका भी अत्यन्त सुबोध है, जिससे मूल ग्रन्थ के दुरूह तथा विषम विषयों को समझने में सरलता होती है। इसके अतिरिक्त आपने **'वैदिकधर्मरहस्य'** का भी प्रणयन किया है। इन्होंने पं. दामोदर शास्त्री जी, **पं. शिव कुमार शास्त्री जी** तथा **पं. देवनारायण तिवारी जी** से व्याकरण वेदान्त शास्त्रों का अध्ययन किया था। आप आजीवन बिरला संस्कृत महाविद्यालय (वाराणसी) में प्रधानाचार्य पद पर आसीन रहे। आपके अनेक शिष्यों में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित तथा पुरस्कृत सुप्रसिद्ध वैयाकरण पं. **श्री बालकृष्ण पंचोली** रहे जिन्होंने सर्वप्रथम **'सिद्धान्तकौमुदी'** पर सम्पूर्ण हिन्दी व्याख्या लिखकर मार्ग प्रशस्त किया है। 'कौमुदी' के देववाणी व्याख्याताओं में **पं. श्री गोपाल शास्त्री नेने** के द्वारा लिखित स्त्री प्रत्ययान्त **'सरला'** टीका अपने भाव को चरितार्थ करती है।

इसी क्रम में मुंबई के जी.टी. संस्कृत कॉलेज के व्याकरणाध्यापक व्याकरणाचार्य पण्डित नागेश पाण्डेय द्वारा सिद्धान्तकौमुदी (स्त्रीप्रत्ययान्त) व्याख्या 'आशुबोधिनी' नाम से विरचित १९९० वि. (१९३३ ई.) में प्रकाशित हुई थी।

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में हिन्दी माध्यम के द्वारा अध्यापन कार्य सहित किये जाने पर कौमुदी ग्रन्थों की हिन्दी व्याख्या लिखने की ओर अनेक विद्वान् प्रवृत्त हुए। इस दिशा में चौखम्बा प्रकाशन के संपादक पं. **श्री रामचन्द्र झा** ने **'लघु' 'मध्य'** और **'सिद्धान्त'** कौमुदी ग्रन्थों की हिन्दी संस्कृत व्याख्या लिखी। 'सिद्धान्तकौमुदी' के कारक प्रकरण पर श्री बाबू राम त्रिपाठी, श्रीधरानन्द शास्त्री, श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय प्रभृति विद्वानों ने विस्तृत व्याख्यायें भी लिखीं। श्री झा जी की व्याख्या में काशिका के आधार पर सूत्रार्थ और प्रयोग साधनिका समाविष्ट है। **'सिद्धान्तकौमुदी'** पर विस्तृत **'दीपिका'** व्याख्या प्रारम्भ से द्विरुक्त प्रक्रियान्त तक दो भागों (१९७९ व १९८६ ई.) में **पं गोपाल दत्त पाण्डेय** जन्म (वि. सं. १९७२ = १९१५ ई.) लिखकर छात्रों, अध्यापकों तथा शोधकर्ताओं का मार्ग सुगम कर दिया है। सूत्रों की व्याख्या में अष्टाध्यायी क्रम को अभिलक्षित कर अनुवृत्ति, सूत्रभेद,

विभक्ति, विपर्यय; तथा अधिकार प्रभाव आदि के साथ एक वाक्यता स्थापित करते हुए समन्वय किया है। गणितीय पद्धति का अनुसरण करते हुए प्रक्रियानुसारी सोपानक्रम से उदाहरणों की सिद्धि की गयी है तथा प्रत्युदाहरणों द्वारा सूत्रस्थ पदों की यथाविदित सार्थकता प्रतिपादित की गयी है। प्रसंगवश शंका समाधानों तथा फक्किकाओं का स्पष्टीकरण विशेष विधान के अन्तर्गत समाविष्ट किया गया है।

आप सन् १६६२ ई. में राष्ट्रपति सम्मान पुरस्कार तथा इसी वर्ष का उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का विशिष्ट सम्मान १६६५ ई. में प्राप्त कर गौरवान्वित हुए हैं। इनके अतिरिक्त 'सिद्धान्तकौमुदी' (प्रथम भाग) की 'दीपिका' व्याख्या तथा स्कन्द पुराणान्तर्गत 'मानसखण्डे के विशिष्ट विवरण पर उ. प्र. संस्कृत अकादमी (संस्थान) तथा हनुमान् मन्दिर न्यास (कलकत्ता) द्वारा आपको पुरस्कार प्रदान किये गये हैं।

इस बीच सम्पूर्ण **'सिद्धान्तकौमुदी'** का हिन्दी व्यापक लेखनक्रम चल ही रहा है। श्री संन्यासी संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पं. **श्री प्रभाकर शास्त्री** की 'सिद्धान्तकौमुदी' की चार भागों में हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हुई है। **श्री उमाशंकर 'ऋषि'** की **'सिद्धान्तकौमुदी'** की वैदिकी प्रक्रिया की व्याख्या समासविग्रह, व्युत्पत्ति प्रयोगसाधनिका तथा अन्य विवरणों से विभूषित है।

काशी विद्यापीठ के संस्कृत विभाग के आचार्य **डॉ. वामदेव मिश्र** ने 'स्वर प्रक्रिया' का व्याख्यान प्रस्तुत किया है। विश्वविद्यालयों की एम.ए. परीक्षाओं में संश्लिष्ट 'लघुसिद्धान्तकौमुदी' सम्पूर्ण तथा 'सिद्धान्तकौमुदी' के कारक प्रकरण पर **पदमूश्री डॉ. कपिल देव द्विवेदी** कुलपति, गुरुकुल महाविद्यालय, तथा पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, उत्तराखण्ड) ने **'संस्कृतव्याकरण'** (हिन्दी व्याख्या सहित) लिखकर अध्येताओं का उपकार किया है। व्याख्या-शैली तथा साधनिका एवं ऐतिहासिक विश्लेषण द्वारा पुस्तक को विभूषित किया गया है। देश-विदेशों में संस्कृत प्रचार कार्य में आपका योगदान अविस्मरणीय है। 'लघुकौमुदी' के हिन्दी व्याख्याताओं में **डॉ. महेश सिंह कुशवाहा** उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने प्रथम भाग में व्याख्यांश तथा द्वितीय भाग में रूपसिद्धि का समावेश किया है। ग्रन्थकार ने व्याख्या को संश्लेषणात्मक स्वरूप देकर वृत्ति, उदाहरण, प्रत्युदाहरण, आदि स्थलों पर विशद विवेचन के साथ 'शब्द रचना' की पूर्णता निष्पादित की है। ऐसे व्याख्याताओं में **श्री भीमसेन शास्त्री,** एम.ए. साहित्यरत्न पं. **श्री धरानन्द शास्त्री** कृत 'लघुकौमुदी' की विस्तृत व्याख्याएं भी महत्त्वपूर्ण हैं। पं. श्री धरानन्द शास्त्री की 'सिद्धान्तकौमुदी' के कारकप्रकरण पर भी विस्तृत व्याख्या प्रकाशित हुई है। कौमुदीत्रय के अन्तर्गत **पं. विश्वनाथ शास्त्री** ने लघु तथा 'मध्य कौमुदी' की सम्पूर्ण व्याख्याएं (हिन्दी) भी लिखी हैं। अन्य आंशिक हिन्दी व्याख्याकारों में सर्वश्री **के.के. आनन्द** (लघुकौमुदी तिङन्त), **राम विलास चौधरी** (सिद्धान्त एवं लघु कौमुदी के विभिन्न प्रकरण)

डॉ. रामकरण शर्मा आदि के साथ ही **करोड़ी मल महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली** के पंडित **शिवनारायण शास्त्री** ने वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी के भ्वादिगण पर 'भवतोषिणी' नामक विशद हिन्दी व्याख्या लिखी है, जो वहीं **से हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय** द्वारा १६८६ ई. में प्रकाशित हुई है। प्रकृत ग्रन्थ में मूल पाठ को नूतन पद्धति से व्यवस्थित कराते हुए उसका हिन्दी रूपान्तर किया गया है। साथ ही इस गण की प्रक्रिया से तथा धातुपाठ के इस अंश से सम्बद्ध सभी शास्त्रीय पक्षों का ऊहापोह सप्रमाण प्रस्तुत करते हुए हिन्दी भाषा के शास्त्रीय साहित्य की श्रीवृद्धि की है। लेखक के दो दशकों की साहित्य साधना का यह प्रतिफल है।

व्याकरण शास्त्रीय परम्परा में कौमुदीत्रय के पठन-पाठन का उद्देश्य शब्दसाधुत्व की दिशा का ज्ञान कराना है। साथ ही इस प्रसंग में परम्परा प्राप्त पूर्वाचार्यों की युक्तायुक्तता भी आवश्यक मानी जाती है। इसी कारण 'सिद्धान्तकौमुदी' अध्येताओं के लिए प्रमुख तथा मान्य है।

शब्दरचना के माध्यम से 'सिद्धान्तकौमुदी' का रूपान्तरण

आंग्लभाषा के व्याकरण के अनुसार आरम्भ में शब्द के आठ भेद मान्य हैं- (१) संज्ञा, (२) सर्वनाम (३) विशेषण (४) क्रिया, (५) क्रियाविशेषण (६) उपसर्ग (७) संयोजक अव्यय एवं (८) विस्मय सूचक अव्यय। इस क्रम को अभिलक्षित कर 'सिद्धान्तकौमुदी' में प्रतिपादित प्रक्रिया के साथ समन्वय स्थापित करते हुए **श्री मोरेश्वर रामचन्द्र काले** एवं रचनाविधान को प्रतिष्ठापित करते हुए **श्री वामन सदाशिव आप्टे, डॉ. रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर, डॉ. कपिलदेव द्विवेदी** प्रभृति विद्वानों ने संस्कृत व्याकरण को प्रतिसंस्कृत किया है। इनमें सर्वप्रथम श्रीयुत् काले द्वारा विरचित "हायर संस्कृत ग्रामर" में सिद्धान्तकौमुदी का मन्थन कर नवनीत प्रस्तुत किया है। 'अर्थवान्' शब्दों को अभिलक्षित कर 'संज्ञा' तथा सर्वनाम वाची शब्दों की निष्पत्ति के अनन्तर विशेषण वाची शब्दों का समावेश किया गया है। विशेषणवाची शब्दों की रचना को प्रस्तुत करने में तत्सम्बन्धी तद्धित प्रत्ययों तथा बहुव्रीहि समास आदि के साथ संगति प्रदर्शित की गयी है। क्रियावाची (धातु) शब्दों में अनुवादक (डा. कपिलदेव द्विवेदी) ने आंग्लपद्धति का अनुसरण न करते हुए भारतीय पद्धति का अनुसरण किया है। श्री काले ने क्रिया के काल भेद, वाच्य भेद, परस्मै पदादि लकार भेदों का विश्लेषण सूक्ष्मतापूर्वक प्रदर्शित किया है। दश-गणों के प्रसिद्ध एवं प्रचलित धातुरूपों के विभिन्न लकारों में प्रसिद्ध धातुओं के रूप निष्पत्ति के नियम उपन्यस्त किये हैं। वाक्य योजना के सम्बन्ध में कारक प्रकरण पर समीचीन प्रकाश डाला गया है। डॉ. कपिल देव द्विवेदी ने इस पुस्तक का हिन्दी भाषान्तर मौलिक रूप में प्रस्तुत किया है। इसका मूल संस्करण श्री गोपाल नारायण एण्ड कम्पनी (बंबई) से प्रकाशित हुआ

था। हिन्दी संस्करण का प्रकाशन प्रयाग के राम नारायण लाल बेनी प्रसाद द्वारा किया गया है। **श्री काले** ने अवर कक्षाओं के उपयुक्त **लघुव्याकरण (स्मालर संस्कृत ग्रामर)** की रचना की है।

रचना विधाने के क्रम में व्याकरण शिक्षा की उपयोगिता का निदर्शन करने हेतु डॉ. द्विवेदीकृत **प्रौढरचनानुवाद कौमुदी** तथा **रचनानुवाद कौमुदी** उपादेय है। **श्री आप्टे 'ए गाइड टू संस्कृत ट्रांसलेशन एण्ड् कम्पोजीशन्स** की रचना इसके पूर्व हो चुकी थी। जिसका हिन्दी रूपान्तर भी हो चुका है। श्री आप्टे का प्रमुख उद्देश्य भी माध्यमिक कक्षाओं को संस्कृत व्याकरण का शिक्षण देना रहा। **डा. भाण्डारकर** भी इस दिशा में अग्रसर रहे हैं और उनकी पुस्तकें भी क्रमशः पूर्व माध्यमिक तथा उत्तरमाध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए विरचित हैं। शताब्दियों से चली आ रही पाणिनीय परम्परा की निरन्तरता कभी विच्छिन्न नहीं हो सकती। रूपान्तर का होना कालचक्र के अनुसार स्वाभाविक एवं अवश्यंभावी है। उसकी जड़ें अक्षयवट के समान अत्यन्त गहरी हैं, जिसकी छाया में इस मार्ग का पथिक विश्राम लेते हुए संबल प्राप्त करता रहेगा।

प्रतिसंस्कृता सिद्धान्तकौमुदी

सिद्धान्तकौमुदी की रचना के अनन्तर प्रक्रिया ग्रन्थों का निर्माण एक प्रकार से अपनी चरमावस्था को प्राप्त हो कर अष्टाध्यायी के कार्यकाल पक्ष का अनुसरण करते हुए स्थिर हो गया था। भले ही सिद्धान्तकौमुदी मध्य और लघु संस्करण काल-क्रमानुसार प्रचलित रहे तदनन्तर "सार सिद्धान्तकौमुदी" के नाम से अत्यधिक संक्षिप्त रचना भी अवश्य हुई, किन्तु सिद्धान्तकौमुदी के प्रभाव ने लगभग ४०० वर्षों तक अपनी प्रतिष्ठा कायम रखी और वह आज भी उसी प्रकार बनी हुई। उसकी पूर्णता ने किसी अन्य विद्वान् को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया। पाणिनि की समग्र अष्टाध्यायी को समाकलितकर "रूपावतार" की शैली में व्याकरण के छात्रों तथा विद्वानों को समानरूप से जो दृष्टि प्रदान की, वह चिरन्तन होते हुए भी चिरस्मरणीय रहेगी। सिद्धान्तकौमुदी में "अपाणिनीय" शब्दों के सम्बन्ध में यद्यपि विचार नहीं किया गया है। फिर भी वह अपने में पूर्णत्व को लिये हुए है। इस अभाव की पूर्ति भट्टोजिदीक्षित के समकालीन विद्वान "नारायणभट्ट" ने "प्रक्रियासर्वस्व" में की है, फिर भी वे सफल-मनोरथ नहीं हो सके।

अनेक विद्वानों ने सिद्धान्तकौमुदी पर व्याख्याएँ लिखीं और अनेकत्र अपना मतभेद भी यथा-स्थान प्रकट किया। स्वयं भट्टोजिदीक्षित ने भी सिद्धान्तकौमुदी की "विवृत्ति" प्रौढ़ मनोरमा लिखी। नागेश के बाद भट्टोजिदीक्षित पर मौलिक विचार का संकल्प किसी ने नहीं किया।

आज से लगभग २८ वर्ष पूर्व नेपाल के सुप्रसिद्ध विद्वान पं. सोमनाथ शर्म्मा (जन्म १६४१ वि.सं.) (सिग्देल) ने सिद्धान्तकौमुदी को अभिलक्षित कर उसकी विशेष-विवृति के रूप में "प्रतिसंस्कृता-सिद्धान्तकौमुदी" नामक ग्रन्थ की रचना की। पं. जी नव्यन्याय, व्याकरण, धर्मशास्त्र, वेदान्त आदि विषयों के प्रौढ़ विद्वान रहे है। काशी ही उनकी विद्यास्थली रही। शास्त्रार्थ करने में भी उन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की है। इन्होंने नव्यन्याय का अध्ययन म. म. प. कैलासचन्द्र शिरोमणि तथा व्याकरणादि शास्त्रों का अध्ययन म.म. पं. गङ्गाधर शास्त्री तैलङ्ग के चरणों पर बैठकर किया था। आपने रानीपोखरी संस्कृत महाविद्यालय (नेपाल) में प्रधानाध्यापक पद पर प्रतीष्ठित होकर सुर-भारती की आजन्म सेवा की तथा अनेकों शिष्य तैयार किये। वहाँ के तत्कालीन श्री ३ महाराज युद्ध शमशेर ने इनके वैदुष्य से प्रभावित होकर इन्हें 'सेवापट्ट' प्रदान किया। इनका निधन वि.स. २०२६ में हुआ। इस ग्रन्थ की रचना ने भट्टोजिदीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी की प्रक्रिया पद्धति एवं सैद्धान्तिक निर्णयों पर विशेष विचार कर उनके युक्तायुक्तत्व पर प्रकाश डाला हैं। इसके आलोक में यदि सिद्धान्तकौमुदी को देखा जाय तो आलोचक पं. सोमनाथ के विचारों से तथा उनकी यथार्थता से परिचित हो सकेगें। उन्होंने लौकिक शब्दों की सिद्धि पर्यन्त अपने ग्रन्थ को सीमित रखा है। वैदिक शब्दों की सिद्धि लोक में अपेक्षित न होने से स्वर वैदिकी प्रक्रिया के सूत्रों को छोड़ दिया है। लौकिक शब्दों की सिद्धि में प्रसंगवश वैदिकी प्रक्रिया आवश्यक होने पर उसका यथा-स्थान विवेचन किया हैं।

विषय विभाजन-प्रकृत ग्रन्थ में सर्वप्रथम संज्ञा प्रकरण के पूर्व अक्षरसमाम्नाय से सम्बद्ध विषयों को पृथक् शीर्षकों में विभाजित किया है। भट्टोजीदीक्षित ने इन विषयों को संज्ञा प्रकरण में ही समाविष्ट किया है। इन नये शीर्षकों को क्रमश (१) वर्णसमाम्नायः (२) प्रत्याहाराः (३) स्वरभेदाः (४) व्यञ्जनभेदाः (५) स्थानप्रयत्नाः (६) सावर्ण्यम्- नामों द्वारा अभिव्यक्त किया हैं। इन विषयों का आधार माहेश्वर सूत्र तथा सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र हैं। अतः प्रसङ्गवश माहेश्वर सूत्रों के अनन्तर स्वकीय वृत्ति में "स्वर" और व्यञ्जनों के अर्थ की अभिव्यक्ति "उच्चैरुदात्तः (१/२/२६) सूत्र के भाष्य के अनुसार की हैं-न पुनरनन्तरेणाचं व्यंजनस्योच्चारणमपि भवति, अन्वर्थ च निर्वचनं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः अन्वग्भवति (अनुगच्छति) इति व्यंजनम् इति। आगे चलकर नागेश द्वारा गृहीत अर्थ भी बतलाया है। (विविधे गच्छत्यजुपरागवशादित्ययमर्थः पर्यायान्तरेण भाष्यकृताऽभिहितः-प्रदीपः) उब्बट द्वारा गृहीत अर्थ भी इस सम्बन्ध में प्रमाणभूत मानकर पं. सोमनाथ ने स्वकीय वृत्ति में उसे भी जोड़ दिया हैं "स्वर्यन्ते पठ्यन्ते इति स्वराः इत्युब्बटीये। व्यंजनों के सम्बन्ध में भी अपेक्षित अर्थाभिव्यक्ति को तैत्तिरीयप्रातिशख्य में वर्णित शब्दावली द्वारा स्पष्ट किया है-

उपरि स्थायिनानेन व्यङ्ग्यं व्यंजनमुच्यते" इति तैतिरीयप्रातिशाख्यव्याख्यायाम्। स्वर और व्यंजनों के स्वरूप का विवेचन करने के पश्चात् ग्रन्थकार ने व्याकरणशास्त्रानुसार अभीष्ट प्रत्याहारों के सम्बन्ध में स्वोपज्ञवृत्ति में भाष्यस्थ वार्तिक को उद्‌धृत किया है[1]। छात्रों की ६३ या ६४ वर्णसम्बन्धी जिज्ञासा को दूर करने के लिए वर्णो के प्रकार को ग्रन्थकार ने यही पर बतलाया है- ह्रस्व दीर्घप्लुता अइउऋवर्णा = १२, ह्रस्वप्लुतो लृकारो = २, दीर्घप्लुता एचः = ८, पंचविंशतिः स्पर्शाः = २५, यादयोऽष्टौ = ८, चत्वारो यमाः = ४, अनुस्वारविसर्ग-जिस्वामूलीयो उपदूधमानीया ऐतेत्रिषष्ठि। ये सब मिलकर वर्णो की ६३ संख्या की सार्थकता बतलाते हैं। उक्त प्रकार से वर्णो का विभाजन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार लौकिक संस्कृत में सर्वमान्य है। पं. सोमनाथ ने यही प्रसंगवश वैदिक संस्कृत में अपेक्षित वर्ण-विभाजन को प्रातिशाख्यों के अनुसार दिखलाकर न्यूनाधिक संख्या बतलाकर इस विषय की संक्षेप में समग्रता सिद्ध की है।

आगे चलकर यथाक्रम वर्णो के स्थान तथा प्रयत्नों का विवेचन करने में भी मूलग्रन्थों के उद्धरणों को प्रमाण स्वरूप देते हुए वैखरी वाक् से समन्वित, उच्चरित वर्णो के सम्बन्ध में आचार्य अभिनवगुप्त तथा तन्त्रालोक ग्रन्थ भी प्रमाणस्वरूप उद्‌धृत हैं।

वर्णो का निवर्चन करने के उपरान्त प्रत्याहारों की सिद्धि के सम्बन्ध में सर्वप्रथम "हलन्त्यम्" (१.३.३) सूत्र की आवृति का प्रयोजन बतलाते हुए माहेश्वर सूत्रस्थ लकार तथा समग्र सूत्रों के अन्त्य व्यंजनों की इत्संज्ञा का फल प्रत्याहारों के रूप में बतलाकर पारम्परिक मान्यता की प्रामाणिकता सूचित की है। 'हलन्त्यम्' सूत्र की यदि आवृत्ति नहीं की जायेगी तो अन्योन्याश्रय दोष का निवारण नहीं हो सकेगा। कारण उसका यह है कि एक बार उच्चरित शब्द एक ही अर्थ का बोधक होता है- सकृदुच्चरितः शब्दःसकृदेवार्थं गमयतीति।

वर्णसमाम्नाय के अनन्तर आकाङ्क्षित प्रत्याहारों की संख्या एवं माहेश्वर सूत्रस्थ इत्संज्ञक वर्णो का समावेश न होने के विषय में भी शिष्यों के लिए अपेक्षित भाष्यादि ग्रन्थों के उद्धरणों को स्वोपज्ञवृत्ति में समाविष्ट कर अपने ग्रन्थ का अंग ही बनाया है। उदाहरणार्थ- इस अपेक्षित वार्तिक की प्रत्याहारों की संख्या गिनाने के पूर्व ही उद्‌धृत कर छात्रों की जिज्ञासा का समाधान किया है-"प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमज्ग्रहणेषु न, आचारादप्रधानत्वाल्लोपश्च बलवत्तरः।

---

१. "अक्षरं न क्षरं" इत्युच्यते। अत्र स्वाभीष्टक्रमेण वर्णोपदेशः प्रत्याहारार्थः प्रत्याहारो लाघवार्थः। उक्तं च वार्तिककृता" वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते। तदर्थमिष्टबुद्ध्यर्थं लघ्वर्थं चोपदिश्यते। धर्म्यश्चायुपदेशः इति। भाष्यकृताप्युक्तम्-सोऽयमक्षर-समाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः सर्ववेदपुण्यफलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति माता-पितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयते" इति (म. भा. आह्निक(दो)

इसी प्रकार आगे अण् अक् आदि प्रत्याहरों की संख्या चौवालीस भी यथापेक्षित गिना दी हैं।

क्रमप्राप्त स्वरवर्णो के भेद को बतलाने में भी 'ऊकालोऽझस्वदीर्घप्लुतः' सूत्र की वृत्ति में भी परिवर्तनकर भट्टोजीदीक्षित की वृत्ति में अपेक्षित परिष्कार कर आकांक्षा की पूर्ति की हैं। अपेक्षित अर्थ "उ इत्येकमात्रिकः" ऊ इति द्विमात्रिकः ऊ३ इति त्रिमात्रिकः का समावेश कर अधिक बोधगम्य बनाने का प्रयत्न किया हे १(उ ऊ ऊ३ इति कुक्कुटशब्दानुकरणम्। ऊकाल इत्युच्चारणकालः। एकमात्रोह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घः, त्रिमात्र प्लुतः व्यञ्जनं त्वर्धमात्रिकम्। द्रष्टव्य" प्रतिसंस्कृता सिद्धान्तकौमुदी पृष्ठः, त्रिमात्र प्लुतः त्वर्धमात्रिकम्। द्रष्टव्य" प्रतिसंस्कृता सिद्धान्तकौमुदी पृष्ठ ६ प्रथम संस्करण २.१५) वैक्रमाशब्दः।)।

तदनन्तर इसी प्रकार उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों के सम्बन्ध में "उच्च" "नीच" तथा "समाहार" शब्दों की व्याख्या को सरल बनाने के लिए उपर्युक्त तीनों शब्दों की अभिव्यञ्जना इस प्रकार की है "उच्चैर्नीचैरिति स्वरस्योच्चत्वं नीचत्वं न विवक्षितमपितु ताल्वादिस्थानानामुच्चभागे नीचभागे चोत्पन्नत्वमेव, तेनोपांशुपठितस्यापि स्थानभागविशेषेण तथात्वं भवति। समाहारो मिश्रः। इन संक्षिप्त शब्दों द्वारा अभिप्रेत उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों के उच्चारण में आन्तर्य तथा वेदों में इन स्वरों के परिचयार्थ चिन्स्नों आदि का विवरण भी देकर स्वोपज्ञवृत्ति को सार्थक बनाया है[1]।

क्रमप्राप्त अनुनासिक का निर्वचन करने में उच्चारणगत वैशिष्ट्य का प्रदर्शन नासिका के भीतर अवयवों की हलचल को बतलाना स्वोपज्ञवृत्ति की मौलिकता का सूचक है- "नासिका नाम अन्तरास्ये वितते चर्मविशेषे सम्बद्धा रेखा, (तस्यापि वायोराघातेन निष्पन्नः) अनुनासिकस्तद्भिन्नोऽननुनासिकः। अचोऽनुनासिकाअननुनासिकाश्च। अणोऽप्रगृह्यस्या-नुनासिक इति सूत्रान्तरेणाप्रसृह्यस्याणोऽ वसानस्थस्यानुनासिको वा विधीयते, यथा-दधि दधि। अन्यत्रापि क्वचनानुनासिको विधीयते। व्यंजनेषु य-व-ला अनुनासिका अननुनासिकाश्च, वर्णपञ्चमा

---

१. उदात्ते उच्चार्यमाणे मात्राणामायामः कण्ठविवरस्यसंवरणं, वायोः शनैर्निष्क्रमेण गलावयव-शोषणातृस्वरस्य रूक्षता। (अरिनगृधता) अनुदात्ते तूच्चार्यमाणे मात्राणामन्वय सर्गः (शैथिल्य) कण्ठविवरस्य विवरणं, वायोर्महत्वेन शीघ्रं निष्क्रमणे गलावयवानामशोषणात्स्वरस्य स्निग्धता (मृदुला) च भवति, उदात्तानुदात्तत्वमिश्रे स्वरिते आदितोऽर्धमात्रांशे उदात्तता शेषांशेऽनुदात्तता। उत् = उपरिभागे, आत्तः = गृहीतः उदात्तः अनुत्= अधोभागे आतः गृहीतः अनुदात्तः स्वरौ = उदात्तानुदात्तत्वे, अंशभेदेन जाते उपरिलम्बरेखा, उदात्ते अविशेषेण नामानि। उदात्तदिव्यवहारो वेदे प्रसिद्धतरः। तत्रानुदात्तेऽधस्तियग्रेरवया, स्वरिते उपरिलम्बरेखया उदात्ते अविशेषेण परिचयो विधीयते, यजुर्वेदि हस्तस्य उपर्यधो-मध्यभागावस्थापनेनापि स्वरविशेषो व्यक्तीक्रियते। यथा आये इत्यत्राकारै- कारावुदात्तौ, अर्वाङ् इत्यत्राद्याकारोनुदात्तः। द्रष्टव्य प्रतिसंस्कृता सिद्धान्तकौमुदी, पृष्ठ सं. ७

अनुनासिका एव, अन्ये त्वननुनासिकाः। अपञ्चमेष्वनुनासिकेषु तत्प्रत्यायनाय उपर्यर्धचन्द्रचिह्नं बिन्दुद्वयं वा लिख्यते। अनुस्वारोप्यनुनासिक एव।

स्वर वर्णो का निर्वचन करने के पश्चात् व्यञ्जन वर्णो को निदर्शित करते हुए स्पर्श, ऊष्मो, अन्तस्थ, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, विसर्ग आदि के अर्थों को सप्रमाण स्पष्ट करते हुए "अयोगवाह" तथा "यम" आदि वेदस्थ पारिभाषिक शब्दों के व्याख्यान में प्रातिशाख्य ग्रन्थों का यथास्थित उद्धरण देकर सिद्धान्तकौमुदी के टीका ग्रन्थों का समावेश कर अध्येताओं को ग्रन्थान्तरों के आयाम से बचा लिया है। आभ्यन्तर और वाह्य प्रयत्नों के सम्बन्ध में मुख-विवर के भीतर तथा वायु के बाहर आने पर उसके विभिन्न स्वरूपों का निर्वचन वैज्ञानिक रीति से सप्रमाण निरूपित किया है। शिक्षा ग्रन्थों, प्रातिशाख्यों आदि का वैषम्य भी यथास्थान दिखा दिया है। यदि स्थान प्रयत्न सम्बन्धी चित्र बनाकर प्रस्तुति की गई होती तो अधिक प्रभावशाली हुआ होता। वर्णोत्पत्तिप्रक्रिया के सम्बन्ध में भी अपनी स्वोपज्ञवृत्ति में "आत्माबुद्ध्या समेत्यार्थान् आदि कारिकाओं को समाविष्ट कर नवीनता लायी है। सवर्ण संज्ञा के प्रसङ्ग में भी नाऽज्झलौ (१.१.१०) सूत्र के प्रत्याख्यान की चर्चा भी प्रसङ्गवश स्वोपज्ञवृत्ति में करते हुए काशी के पंडितों की अध्यापन शैली का अनुसरण किया है।

उपर्युक्त विषयों का विवेचन करने के पश्चात् प्रतिसंस्कृता सिद्धान्तकौमुदी में संज्ञा प्रकरण आरम्भ किया गया हैं। उपर्युक्त विषय वस्तुतः संज्ञाओं से सम्बद्ध न होने से उन्हें पाणिनीय संज्ञाओं के परिचय देने के पूर्व पृथक् निरूपित किया है। कारण उसका यह है कि शब्द संज्ञाओं में वर्ण परिचय के बिना पद-पदार्थ का बोध नहीं हो सकता है। अतः वर्णसमाम्नाय आदि का परिचय और उसका विवरण प्राक् पाणिनीय व्याकरणों में भी इसी प्रकार मिलता हैं। कदाचित् ऐन्द्र सम्प्रदाय के प्रारम्भिक वाक्य से प्रेरणा ग्रहणकर पंडित सोमनाथ जी ने अपने ग्रन्थ का उपक्रम इस प्रकार किया हो। संज्ञाओं के परिचयार्थ वृद्धि संज्ञा से आरम्भ कर अवसान संज्ञा पर्यन्त उन्नतीस सूत्र समाविष्ट कर उनके व्याख्यान में अपेक्षित परिवर्धन का समावेश कर उसे "वृत्ति" के रूप में ही समाविष्ट किया है। सर्वप्रथम मंगलाचरण-स्वरूप वृद्धि शब्द के प्रयोग करने में भाष्योक्त पंक्तियों को उद्धृत कर तत्सम्बन्धी शंका का निराकरण वही कर दिया हैं। दीक्षित जी ने इस प्रकार के विषयों में लाघव दिखाते हुए वैसी चर्चा नहीं की है। ये सब बातें उन्होंने अध्यापकों के लिए छोड़ दी हो। संज्ञा सूत्रों सम्बन्धी क्रम में भी सोमनाथ जी ने सिद्धान्तकौमुदी का क्रमिक अनुसरण नहीं किया हैं। उदाहरणार्थ-वृद्धि और गुण संज्ञाओं के सूत्रों के अनन्तर संयोग संज्ञा का सूत्र प्रस्तुत कर उसकी सार्थकता सिद्ध की है। कारण यह है कि वृद्धि और गुण होने के पश्चात् वर्णो की संयुक्तता के सम्बन्ध में जिज्ञासा होनी स्वाभाविक हैं। उसका समाधान तत्काल हो जाना भी आवश्यक है। इसी प्रकार अन्य संज्ञाओं के साथ भी पूर्वापर साम्य

दिखलाकर स्थान परिवर्तन किया जाना वैज्ञानिक हैं। दीक्षित जी ने संज्ञा प्रकरण में प्रसंगवश पूर्वत्राऽसिद्धम् सूत्र का समावेश किया है किन्तु वह प्रकरण सम्बद्ध नहीं है। अतः पं. सोमनाथ ने उसका समावेश नहीं किया हैं। "यणू" के प्रसंग में सम्प्रसारण संज्ञा की आवश्यकता को दिखाते हुए उस सूत्र का समावेश कर दोनों विद्वानों द्वारा परिगणित इस प्रकरण के ३३ सूत्रों का योग समाहित हो जाता हैं। संज्ञाओं के निर्वचन करने के पूर्व वर्णसमाम्नाय सम्बन्धी चार सूत्र सोमनाथ जी ने संज्ञाप्रकरण में न दिखलाकर उन्हें इससे पूर्व उपक्रम के अन्तर्गत रखा हैं।

संज्ञा प्रकरण के अनन्तर परिभाषा प्रकरण की प्रस्तुति में दोनों ग्रन्थों में विशेष अन्तर है। भट्टोजीदीक्षित ने इस प्रकरण में केवल तेरह सूत्र समाविष्ट किए हैं। वही सोमनाथ जी ने इस प्रकरण में तेईस सूत्रों का समावेश कर इस विषय की व्यापकता प्रतिपादित की है। उन्होंने इस प्रकरण में ही असिद्ध विधान का परिचय दिया है। परिभाषा प्रकरण की सार्थकता को उन्होंने इस प्रकरण के आरम्भक सूत्र इको गुणवृद्धी (१.१.३) सूत्र के पूर्व उपक्रम में स्वोपज्ञवृत्ति द्वारा प्रतिपादित कर स्पष्ट कर दिया है "संज्ञासूत्रं सर्वेषु स्वप्रदेशेषूपतिष्ठते परिभाषात्वनियमे नियमकारिणी सती स्वप्रदेशे वर्तमानापि सर्वान्प्रदेशानभिप्रकाशयति, स्वसीमान्तमनुवर्तते।" परिभाषा प्रकरण के समग्र सूत्रों में प्रसङ्गानुसार भाष्योक्तियाँ समाविष्ट कर कौमुदी को प्रतिसंस्कृत किया है।

संज्ञा प्रकरण के अनन्तर स्वर, व्यञ्जन, विसर्ग तथा स्वादि संधियों का निर्वचन यथाक्रम करने के पश्चात् वाक्य का अनुगमन कर सुबन्त पदों को अभिलक्षित करते हुए षड्लिंग प्रकरण का समावेश किया हैं। भट्टोजीदीक्षित ने सर्वनाम शब्दों का समावेश लिंगानुसार षड्लिंग प्रकरण में ही किया हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि पं. सोमनाथ ने सर्वनाम प्रकरण का पार्थक्य कर उन शब्दों का वैशिष्ट्य सूचित किया हैं।

सर्वनाम शब्दों में अन्य शब्दों की अपेक्षा विशेष विधान होने के कारण उन्हें विशेष प्रकरण के अन्तर्गत समाविष्ट किया है।

तदनन्तर दूसरी नूतनता सोमनाथ जी ने "विशेषण प्रकरण" का पृथक् सर्जन कर उसकी आवश्यकता विदित करायी है। विशेषणवाची शब्दों की विभिन्नता ने ही प्रतिसंस्कर्ता को इस ओर प्रेरित किया है। सामान्यतः विशेषण दो प्रकार के है- (१) गुणवाचक, तथा (२) संख्यावाचक। प्रातिपदिकों से बने विशेषण तद्धित अथवा कृत् प्रत्ययों के संयुक्त होने के अपने विशेष्य के अनुसार यथाक्रम पुम्, स्त्री तथा नपुंसक लिङ्गों में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के शब्दों में स्त्री प्रत्यय संयुक्त होकर गुणवाची विशेषण अपने-अपने विशेष्यों से समन्वित होते हैं। नियम विधान दर्शित करते हुए गुणवाचक विशेषणों के लिंग सहित शब्द रूपों तथा कवियों द्वारा प्रसिद्ध विशेषण वाची शब्द प्रयोगों को समाविष्ट कर छात्रों के शब्द ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में श्लाघ्य प्रयत्न किया हैं इसी प्रकार सर्वनाम वाची शब्दों

से विशेषणों का निर्वचन कर तत्सम्बद्ध सुन्दर प्रयोगों का भी समावेश किया है।

सङ्ख्यावाची विशेषणों पर विचार करते हुए सर्वप्रथम "एक शब्द सम्बन्धी" विभिन्नार्थो में क्या विशेषता है तथा उसका प्रयोग बहुवचन में क्यों हाता है- इस शङ्का का समाधान प्रारम्भ में ही किया गया है।[1] द्वि शब्द से लेकर आगे शतशब्द पर्यन्त संख्या वाची शब्दों के शब्द-रूपों का संक्षेप में निदर्शन कर विंशत्यादि शब्दों के सङ्ख्या तथा सङ्ख्येय प्रकारों के वैषम्य को यथा स्थान सूचित कर इस प्रकरण की पृथक्ता का निर्वाह किया है। सर्वनामवाची संङ्याबोधक शब्दों का भी अन्त में सङ्केत कर दिया हैं।

प्रसङ् प्राप्त अव्यय प्रकरण में अव्यय की परिभाषा तथा स्वरादि, निपातादि एवं चादि अव्ययों का परिगणन कर अव्ययों के सम्बन्ध में शब्दशक्तिप्रकाशिका में वर्णित अव्यव की परिभाषा तथा तद्गत भेदों का समावेश कर न्याय तथा व्याकरण का समन्वय दिखाया है।[2] अव्यय शब्दों के भेदों का भाष्यानुसार निदर्शन कराते हुए अध्येताओं की आकांक्षा इस सम्बन्ध में पूर्ण कर दी है। तदनुसार कुछ अव्यय विभक्त्यर्थ प्रधान अन्य अव्यय क्रियाप्रधान होते हैं। कुछ लोगों के मत में अव्यय क्रियाप्रधान तथा साधनप्रधान भी माने गये हैं। अन्यत्र अव्ययों के चार प्रकार बतलायें हैं-

> "प्रयोगतः शब्दयोगि क्रियान्वयूर्यर्थयोजकम्।
> भावोद्गारकमित्येवं चतुर्धाऽव्ययमीरितम्।"

स्त्री प्रत्यय प्रकरण में चेतन और अचेतन पदार्थो के लिङ् भेद के सम्बन्ध में शास्त्रीय एवं लौकिक परिभाषाओं का उल्लेख करते हुए कोषगत शब्दों में लिंङ् साधुता की विशेषता पर प्रकाश डालकर इस विषय को स्पष्ट किया है। 'स्त्रियाम्' अधिकार के अन्तर्गत स्त्री प्रत्ययों का निर्वचन करने के साथ ही तद्धित, कृदन्त आदि प्रकरणों में वर्णित प्रत्ययों से निष्पन्न स्त्रीलिंगवाची शब्दों का प्रयोग सौष्ठव भी साथ ही रख दिया है। इस प्रकरण की निष्पत्ति में सार-स्वरूप पुस्त्व, स्त्रीत्व तथा नपुंसकत्व के सैद्धान्तिक स्वरूप की स्थिति को इस प्रकार समझाया है-

---

१. एकोन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा। साधारणे समाने च संङ्ख्यायां च प्रयुज्यते"।। संख्यामेवासौ नित्यैकवचनान्तः अर्थान्तरे बहुवचनान्तोऽपि। बहुवचनेऽपि सर्वनामकार्याणि। यथा एके (अन्ये) इत्यमाहुः। एकेषां (अन्येषां) मते नैवमिदम्"

२. उक्तं च शब्दशक्तौ-स्वार्थे शब्दान्तरार्थस्य तादात्म्येनान्वयाक्षमः। स्वरादन्यो निपातोऽसौ विविधश्चादियोगतः इति। निपाता अद्रव्यवाचिन एव स्वरादयस्तु द्रव्यार्था अद्रव्यार्थाश्च। स्वास्ति (कर्म) वाचयति, स्वस्ति (कर्ता) स्यात् स्वः (कर्म) पश्य। स्वः (अपादान) आगतः स्व) अधिकरण) तिष्ठ इति स्वरादौ क्रियासम्बन्धेऽनेककारक-शक्तिदर्शनात्, लोहितगङ्गमित्यादौ द्रव्यधर्मनपुंसकत्वदर्शनाच्च द्रव्यार्थत्वं स्पष्टमेव।

"गुणों की ये अवस्थाएँ केवल शब्दगोचर होती है। उपचय, अपचय सापेक्ष होते हैं। तदनुसार गुणों की प्रवृत्ति अथवा उपचय पुंस्त्व का प्रतीक है। गुणों का संस्त्यान अथवा अपचय स्त्रीत्व का प्रतीक है। गुणों की स्थिति अथवा साम्यावस्था नपुंसकत्व का द्योतक है। सर्वत्र सभी शब्दों में तीनों लिङ्गों की सत्ता होते हुए भी किसी विशेष शब्द से किसी विशेष लिङ्ग की अभिव्यक्ति शिष्टों के प्रयोगवश हैं।"

पं. सोमनाथ ने स्त्री प्रत्यय प्रकरण में टापु, डापु, चाप् डीप् डीष्, डीन् तथा ऊङ् विधायक सूत्रों के यथास्थित उदाहरणों को केवल उन्नतीस सूत्रों को उद्धृत कर अपने मूल ग्रन्थ में समाविष्ट किया हैं। इन प्रत्ययों के विधान में प्रासंगिक सूत्रों को टिप्पणी के अन्तर्गत दिखाया है। भट्टोजीदीक्षित ने स्त्री प्रत्यय प्रकरण में ७६ सूत्रों का समावेश किया है। विशेष रूप से "प्रतिसंस्कृता सिद्धान्तकौमुदी" में स्त्री प्रत्यय प्रकरण का लाघव अपेक्षाकृत महनीय है। इन्होंने इस लाघव की प्रवृत्ति में प्रमुख प्रत्यय विधानों के प्रसङ्ग में अपेक्षित प्रक्रिया को स्वकीय वृत्ति के मध्य विशेष द्रष्टव्य के रूप में अंकित किया हैं। इस तारतम्य में लाघव चाहे हो किन्तु प्रक्रिया के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। रूप सिद्धि की विशदता को ध्यान में रखते हुए सोमनाथ जी ने इस प्रकार की पद्धति अपनायी है। वस्तुतः इस पद्धति में लाघव के साथ गौरव भी विद्यमान है। उदाहरणार्थ इस प्रकरण के आरम्भ में ही प्रासङ्गिक सूत्र "न यासयोः" (७.३.४५) में उदाहरणों का निदर्शन करते हुए तदन्तर्गत वार्तिक "वर्णका तान्तवे" में रूप सिद्धि के विश्लेषण में काशिकादि वृत्ति ग्रन्थों के मत-मतान्तरों का उल्लेख किया है।[1] इसी प्रसंग में ही "भस्त्रैषाजा" (७.३.४७) आदि सूत्र भी स्वोपज्ञ विशेष निदर्शन द्वारा उदाहृत किया हैं- स्वेतिलुप्तषष्ठीकम्। एषामत इद्वा स्यान्मंत्र पूर्वाणामपि। तदन्तविधिनैव सिद्धौ न पूर्वाणामपीति स्पष्टार्थम्। भस्त्राग्रहणमुपसर्जनार्थमन्यत्र तूत्तरसूत्रेणैव सिद्धम्। भस्त्रिका, भस्त्रका, अभस्त्रिका, अभस्त्रका अनजिका, स्विका-स्वका। इसी प्रकार "इतो मनुष्यजातेः (४.१.६५) सूत्रस्थ उदाहरणों में अपेक्षित दाक्षी के सम्बन्ध में पाणिनि का स्मरण कराते हुए यह श्लोकांश उद्धृत कर इस प्रकरण की समाप्ति की है- "दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः। त्रेण्या शलल्या केशान्विनीय।

स्त्री प्रत्यय प्रकरण की समाप्ति के अनन्तर पं. सोमनाथ ने विभक्त्युपयोगी "वचन प्रकरण" शीर्षक देकर एकवचन, द्विवचन और बहुवचन विधायक-सूत्रों का संकलन कर उनकी उपादेयता पृथक् बतलायी है। इस सम्बन्ध में अष्टाध्यायी में यत्र-तत्र विकीर्ण समग्र सूत्रों का समाकलन कर सोदाहरण व्याख्या प्रस्तुत की है। व्याख्या के अतिरिक्त

---

१. "वान्तवे प्रावरणे वाच्य एव वर्णका अन्यत्र तु वर्णिका भागुरी लोकायते, पक्षिविशेषे वाच्यं एव मतभेदेन वार्तिका वर्तिकेति शुकनेरन्यत्र, तु नित्यमेवेत्वं, वर्तिका भांगुरी लोकायतस्येति काशिकोक्ती भागुरी-व्याख्या टीकाविशेष इति हरदत्तोक्तेर्लोकायतग्रन्थस्य भागूरी व्याख्या वर्णिता वार्तिका नामाऽऽसीदिति ज्ञायते।

लोक-व्यवहार में आने वाले तथा कोश आदि में निर्दिष्ट एक. द्विव. बहुव. आदि शब्दों के प्रयोग संबंधी प्रमाणादि प्रस्तुत कर इस प्रकार की शब्दावली भी समाविष्ट की है। इस प्रकरण के अन्तर्गत "द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने" (१.४.२२) बहुषु बहुवचनम् (१-४-२१) के अतिरिक्त अन्य नौ सूत्र मिलाकर समष्टि रूप में (११) ग्यारह सूत्रों का विवरण दिया गया हैं। इन सूत्रों का विवरण तो सिद्धान्तकौमुदी प्रभृति ग्रन्थों में षड्लिङ्ग प्रकरण में अधिकतर मिलता है, किन्तु लोक-व्यवहार निर्दिष्ट विभक्ति विशेषों का समाकलन इस ग्रन्थ की नवीन विशेषता है। उसे बड़ी सुन्दरता से लौकिक उदाहरणों द्वारा बोधगम्य बनाया गया हैं।

सुबन्त शब्दों की निष्पत्ति विभक्त्यर्थक प्रत्ययों के बिना सम्भव नहीं। अतः विभक्ति निर्वचन के पूर्व समष्टि रूप में प्रातिपदिक के स्वरूप का बोध कराने के पश्चात् सुप् प्रत्ययों के समबन्ध में ज्ञान होना आवश्यक है, २१ सुप् प्रत्ययों के साथ प्रथमादि विभक्तियाँ प्रयुक्त होती है। इन विभक्तियों का अवबोधन कारकों से होता है क्योंकि कारकों का क्रिया के साथ साक्षात् सम्बन्ध रहता है। इस प्रकार सुप् प्रत्ययों को तीन रूप में व्यवहृत होते देखा गया है- (१) कारकार्थ में (२) सम्बन्ध मात्रार्थ तथा (३) उपपद योग में। ये तीनों प्रकार के भेद विभक्ति प्रकरण अर्थात् कारक प्रकरण में व्याख्यात है। प्रकृत ग्रन्थ में विभक्ति प्रकरण के अन्तर्गत पैसठ (६५) सूत्रों का समावेश किया गया है। पूर्वकथित तीनों प्रकार की सुब्विभक्तियाँ प्रधान रूप में वर्णित कर प्रत्येक विभक्ति प्रकार के निदर्शन इस प्रकरण के अन्त में "परिशेष" शीर्षक द्वारा किया गया हैं। उपपद विभक्ति और कारक विभक्तियों के सम्बन्ध में बराबर विचार तथा उनका अर्थविशेष स्पष्टतः अभिव्यक्त किया गया है। इस सन्दर्भ में प्रयोग बाहुल्य भी दर्शनीय है। निर्धारण तथा अधिकरण आदि की व्याख्या शब्दशक्ति के सन्दर्भ में महनीय है।

विभक्ति प्रकरण में कारकों के अर्थ को अवगत कराने में पं. सोमनाथ जी को परिष्कारसरणि का स्मरण हो गया और वे अपने न्यायशास्त्रोक्त परिष्कार संयुक्त लक्षणों को दिखाने में तत्पर है। उदाहरणार्थ अपादानकारक का लक्षण दिखाकर उन्होंने अपनी बुद्धि वैषद्य का परिचय दिया है- "प्रकृतिविभागोत्पादकव्यापारानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयोऽवधिध्रुवं, तदपादानं भवति"। इस प्रकार की परिष्कृत परिभाषाएँ वैयाकरणों में सर्वप्रथम परमलघूमंजूषा में नागेशभट्ट ने लघु वाक्यों में समाहृत कर प्रदर्शित की है। सिद्धान्तकौमुदीकार ने वाक्य का अथवा परिभाषाओं का अर्थ सीधे-सीधे शब्दों में बतलाया है। इसी प्रकार प्रकृत ग्रन्थ के इस प्रकरण में अन्य सभी परिभाषाओं को सरलतया परिष्कारों के रूप में दर्शाया गया है।

विभक्ति प्रकरण के अन्त में "परिशेष" द्वारा ग्रन्थकार ने प्रासङ्गिक विषयों का सन्निवेशकर इस प्रकरण का समापन किया है। जिसके अन्तर्गत कृदन्त और आख्यातों के साथ कर्ता और कर्म आदि के उक्तानुक्त होने से विभक्तियों के परिवर्तन होने की विशेषता बतलाने के साथ सर्वान्त में-एक क्रिया में अनेक प्रकार के अर्थ सम्भव होने पर अपादानादि

के क्रम से पर-पर विभक्तियाँ बलवती होती है। इस विषय को स्पष्ट कर सोपपत्तिक उदाहरणों द्वारा परिलक्षित किया है। विभक्ति प्रकरण के साथ प्रातिपदिक शब्दों की उपयोगिता निष्पन्न हो जाती है। शब्द निष्पत्ति के अनन्तर वह शब्द क्रिया के साथ अन्वित हो अपनी सार्थकता सिद्ध करता है। सुबन्तशब्द वाक्य में उद्देश्य के रूप में प्रयुक्त होकर कर्तृत्वादिशक्ति द्वारा सामर्थ्य-विशेष को अभिव्यंजित कर शब्द और अर्थ के तादात्म्य का अवबोध कराते है।

समास प्रकरण-सुबन्त पदों की सिद्धि के अनन्तर अनेक सुबन्त पदों के एक साथ रहते हुए उनके समष्टिगत स्वरूप के सम्बन्ध में क्रमप्राप्त समास प्रकरण का आरम्भ हुआ है। समास के चार भेद, विग्रह तथा प्रक्रिया के स्वरूप के साथ प्रत्येक समास के अन्त में तत्सम्बद्ध समासान्त प्रत्ययों का निरूपण भी यथाप्रसङ्ग किया गया हैं। समस्त प्रकरण का क्रम "समास चक्र" नामक लघु ग्रन्थ के विस्तार के साथ समन्वित कर सार्थक बनाया है। विशेषता यह है कि समग्र समास प्रकरण को कारिकाओं के अन्तर्गत रखकर उनके विस्तार में व्याख्यान स्वरूप सूत्रों तथा वृत्ति का निदर्शन किया है। उदाहरणों के साथ समस्त शब्दों का विग्रह तथा अर्थ स्पष्ट करते हुए यत्र-तत्र कवियों द्वारा प्रयोगों की सार्थकता भी दिखायी गयी है। सिद्धान्तकौमुदी के अनुसार सूत्रों के क्रम में भिन्नता प्रक्रिया भेद होने के कारण स्वतः सिद्ध है।

पं. सोमनाथ ने समास प्रकरण का आरम्भ इस क्रम में कारिकाओं द्वारा किया हैं-
"समास एकीकरणं पदयोर्मिलितार्थयोः। क्वचिन्नानापदानां च, नित्यो नित्यश्च स द्विधा।।

समासेऽन्तर्विभक्तीनां प्रायो लोपः क्वचित्तु न।
समस्तात्प्रातिपदिकाद्यथायोग्यं पुनः सुपः।।

बहुव्रीह्यव्ययीभावौ द्वन्द्वस्तत्पुरूषश्च सः।
भेदस्तत्पुरूषस्यैव सद्विगुः कर्मधारयः।।

समासान्तैर्विकाराद्यैः पुंवद्भावेन च स्त्रियाः।
समस्तशब्दाकृतयो भवन्ति क्वचिदन्यथा।।"

इन कारिकाओं में वर्णनानुसार समास प्रकरणको गर्भित कर उसका उपसंहार भी इसी प्रकार निम्नलिखित कारिकाओं द्वारा किया गया हैं-

"समासभेदादर्थस्य विशेषोपि क्वचिन्मतः, समस्तयोः समासेन पददैर्घ्यं च जायते" समासान्तः प्रधानांश एवान्यस्य मत्तोऽन्वयः, कारकादेस्त्वेकदेशेप्यन्वयः क्वचिदिष्यते। सापेक्षत्वेप्येकदेशान्वयेनार्थाववोधने, समास इष्यते क्वापि शिवभागवतादिवत्। क्वचिल्लक्ष्यार्थमादाय सामर्थ्येपि समस्तता, तथा विधेषुसंक्षेपादन्यथावपि विग्रहः। पृषोदरादिकल्पने विकृतानां परिग्रहः, शाकपार्थिवकल्पेन पूरणीयार्थसंग्रहः।"

व्याकरण-शास्त्र की शुष्कता को सरसता में परिवर्तित करने हेतु ग्रन्थकार ने पद्य बद्ध निर्वचन करने का स्तुत्य प्रयास किया है। प्रकरण के अन्त में समस्त समास"-प्रकरण के उपयोगी प्रश्नों का सप्रमाण उत्तर देकर छात्रों का उचित मार्ग निर्देशन किया है।

तद्धित प्रकरणम्

समास प्रकरण के आरम्भ में यह निर्देश दिया जा चुका है कि शब्दों में सामर्थ्य (परिनिष्ठित होना-अभिव्यक्ति की योग्यता रहना) रहने पर ही एकार्थीभावरूप वैशिष्ट्य सम्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार पद-विधान में समस्त कार्य एकार्थीभावरूप समार्थ्य में ही होते हैं। अतः समासानन्तर तद्धितवृत्ति के आरम्भ-स्वरूप सर्वप्रथम अपत्यादि विकारान्तार्थोपयोगी "साधारण" प्रत्ययों का निर्वचन किया गया है। उसमें भी परस्पर-सम्बद्ध होने की उपयोगिता को अभिलक्षित कर परिभाषा रूप से आधिकारिक प्रवृत्ति के द्योतक सूत्र "समर्थानां प्रथमाद्वा (४.१.८२) की उपस्थिति की गई है। तद्धित का अधिकार पाणिनि अष्टाध्यायी में चतुर्थ-पञ्चम अध्याय से लिया गया हैं।

संस्कृत मे शब्दरचना की दृष्टि से दो प्रकार के प्रत्यय महत्वपूर्ण है-कृत् और तद्धित। "कृत् प्रत्यय धातुओं से विहित हैं, किन्तु तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिक (शुद्ध या कृदन्त) से विहित हैं। ये भिन्न-भिन्न अर्थो को अभिलक्षित कर प्रयुक्त होते है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में तद्धित प्रकरण सबसे बड़ा है।

"प्रतिसंस्कृता सिद्धान्तकौमुदी" में तद्धित प्रकरण के आरम्भ में समग्र तद्धितोपयोगी विषय का समाकलन किया गया है। इसके फलस्वरूप विभिन्नार्थक तद्धित प्रत्ययों की प्रक्रिया दशा में सर्वसाधारण विधान का स्मरणमात्र अपेक्षित होगा। इस प्रकार के विधायक सूत्रों से पहले ही परिचित करा दिया है। तदनन्तर अपत्याधिकारादि अर्थों में अभीष्ट प्रत्ययों का यथाक्रम वर्णन विधान किया गया है। सामान्य अपत्यप्रत्ययों के साथ ही विशिष्ट गोत्रप्रत्ययों का विधान भी सप्रसंग करते हुए "अपत्य" और "गोत्र" के वैषम्य पर प्रकाश डाला है। प्रत्ययों के निर्वचन में सूत्र में निर्दिष्ट गणपाठ में समाविष्ट शब्दों के उदाहरण भी उन्हीं सूत्रों में समाविष्ट कर अन्यत्र खोजने से बचा लिया है। इस प्रकार विधान में विस्तार तो अवश्य हुआ हैं। किन्तु शब्द बाहुल्य का ज्ञान सहज ही हो जाता है। रक्ताद्यर्थक प्रत्ययों के बाद प्रकृत ग्रन्थ में सिद्धान्तकौमुदी के समान शैषिक आदि प्रयत्ययों के नाम से प्रत्यय अभिहित नहीं हैं। पं. सोमनाथ ने उन प्रकरणों को प्रचलित नाम देकर शीर्षकों में भिन्नता की हैं। हम यहाँ समष्टि रूप में इस ग्रन्थ में निवेशित शीर्षकों के नाम दे रहे हैं। वे इस प्रकार हैं-युक्तार्थ, दृष्टार्थ, देवतार्थ, प्रकीर्णार्थ, समूहार्थ तथा अध्येतृवेदित्रर्थ। इन्हीं अर्थों में वर्णित, तद्धित प्रत्ययों का निवेश करते हुए प्रक्रिया सम्पादित की गयी है तथा उक्त अर्थो में विहित प्रत्ययों से निष्पन्न शब्द समाविष्ट किये गये है। उदाहरणार्थ- पौषमहः, वासिष्ठं

साम, ऐन्द्रं हविः, पाकयाज्ञिक कालः, काकानां समूहः काकम्, वैयाकरणः नैयायिकः आदि शब्द विभिन्न प्रत्ययों से निष्पन्न है। तदनन्तर चातुरर्थिक प्रत्ययों का विधान हैं। तदनन्तर क्रमप्राप्त शैषिक प्रकरण का समावेश है। तद्धित प्रकरण का यह सबसे विशालकाय प्रकरण है, जैसाकि इसके नाम से ही सूचित होता है। इस प्रकरण के अन्तर्गत संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों से निष्पन्न विशेषण शब्दों का बाहुल्य विद्यमान हैं। इसी प्रकार "प्राग्दीव्यतीय विकारार्थ प्रत्यय", प्राग्वहतीय ठगादि प्रत्यय, प्राग्घितीय छयतोऽधिकार प्रत्यय, आर्हीयप्रत्यय, प्राग्वतीय प्रत्यय, तुल्यार्हभावकर्मार्थ प्रत्यय मत्वर्थीय प्रत्यय, प्राग्दिशीय प्रत्यय, प्रागिवीय तथा स्वार्थिक प्रत्यय का विधान कर तद्धित प्रकरण समाप्त किया गया है।

द्विरूक्त प्रकरण

सुबन्त शब्दों की परिणति तद्धित प्रकरण में होने के पश्चात् उनके द्विरूच्चरित होने की जिज्ञासा को समाहित करने के लिए सिद्धान्तकौमुदी के अनुसार पं.सोमनाथ ने अपने ग्रन्थ में "द्विरूक्त प्रकरण" का समावेश किया है। इस प्रकरण के आरम्भ में ही दोनों ग्रन्थों में थोड़ा सा अन्तर है। कौमुदी में द्विरूच्चरित शब्दों के पर रूप की आम्रेडित संज्ञा का सूचक सूत्र अच् सन्धि प्रकरण में ही प्रसंगवश अंकित किया गया है। इसके विपरीत प्रतिसंस्कृता सिद्धान्तकौमुदी में द्विरूक्त प्रक्रिया से सम्बद्ध होने के कारण "तस्यपरमाम्रेडितम्" (८.१.२) सूत्र का सन्निवेश द्वित्वाधिकार के प्रसंग में इस प्रकरण में समाविष्ट किया गया है। आधिकाधिक प्रभाव होने से यह समावेश प्रसंगसंगत है। कौमुदी की अपेक्षा सोमनाथ जी ने अपने ग्रन्थ में कुछ लाघव किया है। जहाँ कौमुदी में इस प्रकरण के अन्तर्गत बारह सूत्र समाविष्ट है वहाँ प्रतिसंस्कृता में पाँच सूत्रों से ही काम चला लिया है। उसमें भी तीन सूत्र तो संज्ञा विधान तथा सामान्य कार्य विधान में ही उपात्त है, वहाँ केवल दो सूत्रों की व्याख्या तथा उदाहरण देकर इस प्रकरण को समाप्त किया है। कारण यह है "वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्त्सनेषु" (८.१.८) तथा "यथास्वे यथायथम्" (८.१.१४) इन दो सूत्रों के उदाहरणों का द्विरूक्त प्रयोग अधिकतर प्रचलित है। अन्य अवशिष्ट सूत्रों के उदाहरणों का अधिक प्रयोग इस प्रकरण के अवसान के साथ कर ग्रन्थ का पूर्वार्ध सम्पन्न हुआ है।

उत्तरार्द्ध के आरम्भ में प्रसंग प्राप्त क्रियावाची शब्दों की निष्पत्ति दिखाने के पूर्व भ्वादि-चूरादि पर्यन्त दस गणों के धातुओं से निष्पन्न रूपों में सर्वसाधारणोपयोगी प्रक्रिया का समाकलन किया है। धातु संज्ञा से आरम्भ कर परस्मैपद, आत्मनेपद, दसों लकार, उनके स्थान में होनें वाले अठारहों प्रत्यय, शबादि दसों विकरण, इडादि आगम, णकार के स्थान में नकार विधान, सकर्मक अकर्मक, भाव-भावार्थ निर्णय, सार्वधातुक-आर्धधातुक संज्ञा, प्रथममध्यम-उत्तम पुरुष, वर्तमानादित्रिकालभेद तथा अन्य प्रत्ययों एवं आगमों का

परिचय प्रारम्भ में ही दे दिया है। इस प्रकार कार्य-काल में सामान्य ज्ञान होने के साथ विशेष विधान पर अधिक बल देना समुचित होता है। पूर्वार्द्ध के प्रकरण के अनुसार उत्तरार्द्ध के प्रारम्भ में भी उक्त विषयों को कारिकाओं में निबद्ध कर दिया है। भ्वादिगण के आरम्भ में ही दस लकारों का परिचय वर्तमान, सामान्यभूत, परोक्षभूत, सामान्य भविष्यत्, अनद्यतनभविष्यत् तथा क्रियातिपत्ति भविष्यत् कालों का परिचय अष्टाध्यायी पठित सूत्रों के अनुसार दिया है। इसी क्रम में विधिलिङ्ग, आशीर्लिङ् तथा लोट् लकारों में निर्दिष्ट काल-विशेष वर्णित हैं। यह क्रम सिद्धान्तकौमुदी की अपेक्षा यद्यपि कुछ भिन्न हैं तथापि कालक्रम को देखते हुए तर्कसंगत प्रतीत होता हैं। तत्पश्चात् भू आदि धातुओं की सिद्धि अभिलक्षित कर इसी कालक्रम के अनुसार प्रक्रिया को दर्शाते हुए अन्य प्रासङ्गिक सूत्रों का समावेश कर धातुरूप निष्पन्न किये गये हैं। धातु रूपों के सिद्ध करते समय मध्य में प्राप्त शंकाओं का समाधान कर निर्णयात्मक स्वरूप निश्चित हो जाता है। तदनुसार छात्रों की सुविधा के लिए आरम्भ में ही परस्मैपदी भू धातु तथा आत्मनेपदी एध् धातु के दसों लकारों में रूप संकलित कर दिये गये हैं। कौमुदी की अपेक्षा प्रतिसंस्कृता में एक विशेष बात प्रतिलक्षित होती हैं। वह यह है कि धातु रूप बतलाने के बाद उन्हीं धातुओं से विभिन्न कृत् प्रत्ययों में किस प्रकार रूप बनेंगें, उन्हें भी इसी प्रकरण में समाविष्ट किया गया है। धातुरूपों के क्रम में उदात्तेत्, अनुदात्तेत् तथा स्वरितेत् धातुओं को अभिलक्षित कर उनकी प्रक्रिया का स्वरूप बतलाया है। इस प्रकार अवलम्बन करने में "सेट्" तथा अनिट् धातुओं की परिचायक कारिकाओं का आश्रय लिया गया है। हलन्त धातुओं का प्रक्रिया क्रम कवर्गादि पवर्गान्त व्यंजनों को परिलक्षित कर स्वीकृत किया गया हैं। इनमें भी 'नासिक्यान्त' धातुओं को पृथक् गिनाया दिया है। तदनन्तर क्रमप्राप्त अन्तस्थान्त तथा उष्मान्त धातुओं की सिद्धि बतलायी गई है। शुद्ध धातुओं के अतिरिक्त "सन्" "क्यच्" तथा "काम्यच्" आदि प्रत्यान्त शब्दों की धातुसंज्ञा पाणिनि ने बतलायी है। जिसके फलस्वरूप उन प्रत्ययान्तशब्दों से धातु-विहित कार्यो का होना नियमानुकूल है। अतः, इन बारह प्रत्ययान्त शब्दों से निष्पन्न धातु रूप प्रक्रिया प्रसङ्गानुरूप "प्रतिसंस्कृता" में यहीं बतला दिये गये हैं। भ्वादि गण के अन्त में कुछ धातुओं के सम्बन्ध में पं. सोमनाथ ने नया रुख अपनाया है। कुछ धातुओं को "भ्वादि" के अन्तर्गणित कर उनकी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। यद्यपि उनमें से अधिकतर धातु दूसरे गणों में पठित है, फिर भी प्रक्रियासाम्य होने से उनके रूपों में भी समता है। उदाहरणार्थ दीप्त्यर्थक "ज्वल्" धातु णिजन्त होने पर भी "घटादि" में समाविष्ट होने पर "मित्" संज्ञक माना गया हैं। अतः मित् संज्ञा निमित्तक कार्य होना (ह्रस्व) उसका फल है। अधिकतर घटादि धातुओं का समावेश विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा सूचित किया गया है।

भ्वादिगण के अनुसार ही अवशिष्ट नवों गणों में क्रमशः परस्मैपदी, आत्मनेपदी तथा उभयपदी धातुओं की प्रक्रिया के निर्वचन करने के उपरान्त उन्हीं धातुओं से निष्पन्न कृत् प्रत्ययान्त रूपों का स्वरूप ही नहीं दिखा दिया है। धातुओं के क्रम में भी एकाच्, इऱ्, इत्संज्ञक तथा द्वयच्क, आदि समाविष्ट है। उदात्तेत् अनुदात्तेत् तथा स्वरितेत् धातुओं का समावेश भी पूर्वोक्त प्रकार से क्रमशः ही दिया गया है। प्रक्रिया के मध्य में विशेष विधान तदनुकूल सूत्रों का समावेश कर प्रस्तुत कर दिया गया है। क्वचित् कारिकाओं द्वारा विषय को स्पष्ट करने में रूक्षता को दूर करने का प्रयास किया गया है। चुरादिगण में सामान्य णिजन्त धातुओं के मध्य "मित्संज्ञक" धातुओं का परिगणन कर भ्वादिगण के अन्त में निरूपित विशेष विधान का स्मरण कराते हुए उस वर्ग के धातुरूप सम्पन्न किये गये हैं।

दशगणी के उपरान्त "प्रतिसंस्कृता सिद्धान्तकौमुदी" में भी णिजन्तादि पाँच प्रक्रियाएँ कौमुदी के अनुसार ही यथा-निर्दिष्ट है। तदनन्तर कौमुदी में पठित् कण्डवादि गण-प्रक्रिया को पं. सोमनाथ ने "आख्यातविशेषप्रकरण के अन्तर्गत नवीन रूप दिया है। कण्ड्वादि के दो भेदों-धातु तथा प्रातिपदिक-का निर्वचन कर तदनुकूल धातु प्रक्रिया का निरूपण किया है। साथ ही इस गण पठित धातुओं से अन्य प्रत्ययान्तों में निष्पन्न रूपों का समावेशकर उनका प्रातिपादित होना भी सिद्ध किया हैं। तथा प्रकरण के अन्त में अन्य प्रत्ययान्तों से निष्पन्न रूपों के विभिन्न उदाहरणों का संकलनकर आख्यात विशेष प्रकरण का समापन किया गया है। धातुओं में परस्मैपदादि विधान के सम्बन्ध में इस प्रकरण को पदव्यवस्थाप्रकरण नाम देकर तद्विधायक सूत्रों का पार्थक्य दिखाते हुए परस्मैपदादि प्रक्रिया का विधान किया है। सर्वान्त में लकारार्थ प्रक्रिया का निरूपण कर आख्यात प्रकरण की समाप्ति की गयी है। लकारार्थ प्रक्रिया का आरम्भ सामान्यभूत काल से परिगणित कर उस काल के सूक्ष्म भेदों का निर्वचन करते हुए अन्य सभी कालों का भी सूक्ष्म भेद परिलक्षित किया गया है। विभिन्न उदाहरणों की श्रृंखला जोड़कर विषय को स्पष्ट करने में ग्रन्थकार ने अपने बुद्धि कौशल का अच्छा परिचय दिया है। तीनों कालों में सामीप्य, सातत्य तथा वैविध्य आदि का निरूपण करने में ग्रन्थकार की कुशलता दर्शनीय है। णिजन्तादि प्रक्रियाओं का स्वरूप निष्पादित करने में लकारार्थ प्रक्रिया का विशेष महत्त्व है। कालविशेषों की सूक्ष्मता ज्ञात होने पर दश लकारों की सार्थकता सिद्ध होती है। इन लकारों का कालविशेष में आत्मसमर्पण करने में अर्थविशेष का अवबोध कराता है। लकारों के विधिविधान-विकल्प तथा निषेध प्रकरणों द्वारा दसों लकारों की व्यापकता को परिलक्षित कराते हुए तिङन्त प्रकरण का समापन किया गया है।

कृदन्त प्रकरण

अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय में विहित प्रत्यय धातुओं से ही निष्पन्न होते है। इसका कारण "धातोः" (३.६.६१) सूत्र का आधिकारिक विस्तार होना है। अतः धातुओं से केवल काल विशेष को द्योतित करने वाले लकार सम्बन्धी प्रत्ययों का निर्वचन करने के उपरान्त

तिङ् भिन्न कृत्प्रत्ययों का निर्वचन करना क्रम प्राप्त है। इस प्रकरण में "कृत्" तथा "कृत्य" संज्ञक प्रत्ययों का विधान है। ये प्रत्यय धातुओं से निष्पन्न होने पर भी केवल क्रियार्थक, पूर्वकालिक क्रियार्थक, विशेषण बोधक, क्रिया विशेषण बोधक तथा अव्यय वाचक भी हैं। इसी क्रम में कृदन्त प्रकरण को दो भागों में विभक्त किया गया है-(१) पूर्वकृदन्त तथा (२) उत्तर कृदन्त। इसी पूर्वपीठिका को प्रकरण संगति के रूप में "कृदतिङ्" (३.१.९३) "तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्" (३.१.९२) तथा "वाऽसरूपोऽस्त्रियाम् (३.१.९४) आदि सूत्रों का उल्लेखकर प्रकृत ग्रन्थ में इस प्रकरण की उपादेयता बतलायी गई है। पूर्वोक्त अन्य प्रकरणों के समान इस प्रकरण में उपयोगी णत्वादि सामान्य विधानों का प्रकरण के आरम्भ में ही समावेश कर दिया है, जिससे प्रक्रिया में तत्काल उनका स्मरण हो सके। सिद्धान्तकौमुदी के समान ही प्रथम भाव और कर्मों में विहित कृत्यप्रत्ययों का निर्वचन करने के पश्चात् कृत् प्रत्ययों का निर्वचन किया गया हैं। यह युक्तिसंगत भी है, क्योंकि कृत् प्रत्यय अनेकार्थक है। भूत, वर्तमान तथा भविष्यत् अर्थ का बोध कराने वाले "क्त" क्तवतु "शतृ" "शानच्" आदि प्रत्ययों के अर्थ-विशेष की निष्पत्ति को विभिन्न उदाहरणों द्वारा काव्यादि में प्रयुक्त विशिष्ट स्थलों द्वारा अवबोधित कराया गया हैं।

पूर्व और उत्तर कृदन्त के मध्य में उणादि प्रकरण का समावेश करते हुए उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में "बहुल" शब्द की अपेक्षित व्याख्या की गयी है। जिसके अनुसार उणादि प्रत्ययों का स्वरूप तथा रूढ़िगत शब्दों के निर्वचन की प्रामाणिकता बतलायी गयी है। इस सम्बन्ध में भाष्यादि ग्रन्थों में उद्धृत वार्तिक तथा पतञ्जलि स्वीकृत व्याख्यान विशेष का उल्लेख किया गया है-"सूत्रान्तरेभ्यो निष्पन्नाः कृदन्तशब्दा उणादयोबहुलमिति समष्ट्या पाणिनिना साध्यन्ते, तेनोणादिप्रत्ययान्तानामपि कृदन्तत्वात्प्रातिपदिकत्वेन स्वादियोगः। तत्र प्रकृतिप्रत्ययादिनियमपरिहाराय बहुलग्रहणम्। बहूनर्थाल्लाति (आदत्ते) इति बहुलम्। तथाचात्र वार्तिकम्-" बाहुलकं प्रकृतेस्तनुदृष्टेः प्रायसमुच्चनादपि तेषाम्। कार्यसशेषविधेश्च तदुक्तं नैगमरूढिभवं हि सुसाधु" नाम च धातुजमाह निरूक्ते व्याकरणेशकटस्य च तोकम्।" इसी प्रसंग में धातुजशब्दों के सम्बन्ध में निर्वचित शाकटायन के मत का उल्लेख भी कर दिया है। उणादि प्रत्ययों की संख्या ३२५ भी गिनाई गयी है। इनमें केवल लोक व्यवहारोपयोगी प्रसिद्ध शब्दों के साधक प्रत्ययों का विधान ही बतलाया गया है। उणादि प्रत्ययों से निष्पन्न कुछ ऐसे शब्द भी है जो पाणिनीय सूत्रों द्वारा सिद्ध किये जा सकते हैं। फिर भी उनकी उपादेयता में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है।[1]

---

१. उणादि प्रकरणोक्तानप्रसिद्धानंशान्विहाय प्रसिद्धानामेव शब्दानां साधनोपयोगीनि सूत्राणि, तेष्वपि व्यवहारप्रसिद्धान्येवोदाहरणान्यत्र प्रदर्शितानि (प्रकृत ग्रन्थ-प्रतिसंस्कृता सिद्धान्तकौमुदी-पृष्ठ संख्या ३०५)

उणादि प्रत्ययों के अनन्तर क्रियार्थक क्रिया के अवबोधक प्रत्यय, स्त्रीत्वबोधक प्रत्यय, अजादि प्रत्यय तथा ल्युडादि प्रत्ययों का विधान करते हुए ग्रन्थ को समाप्त किया है। ग्रन्थ समापन में पं. सोमनाथ ने मङ्गलान्त बोधक श्लोक का समावेशकर अपने उद्देश्य की पूर्ति की है-

"प्रीणातु श्रीपशुपति कला भट्टकलानिधेः।
अवापोद्वापनिकषा प्रतिसंस्कृतकौमुदी"।।

उपसंहार

प्रतिसंस्कृता सिद्धान्तकौमुदी को अवगत करने के पश्चात् उसके लेखक से सहमत होते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि कौमुदी में अपेक्षित विषयों का सन्निवेश करना ही इसका प्रमुख लक्ष्य है। इसके साथ ही प्रक्रिया के मध्य जो फक्किकाएँ ग्रन्थ को कहीं-कहीं दुरूह बनाती थी उनका परित्याग कर कौमुदी में लाघव लाना यह दूसरा प्रयोजन है। स्थल विशेषों में विकीर्ण विषयों का अवबोध कराने के लिए उनका एकत्र समाकलन करने का प्रयास भी प्रकृत ग्रन्थकार की दूरदर्शिता का परिचायक हैं। महाभाष्य, शेखर, काशिका, पदमञ्जरी, वाक्यपदीय, शब्दशक्तिप्रकाशिका आदि ग्रन्थों से समुपयुक्त विषयों का यथास्थान निवेशकर सिद्धान्तकौमुदी को प्रतिसंस्कृत कर उसकी उपयोगिता के लिए अध्येताओं को प्रेषित कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है।

(ग) व्याख्याएँ

प्रौढमनोरमा

समग्र अष्टाध्यायी को अभिलक्षित कर भट्टोजी दीक्षित ने लौकिक एवं वैदिक शब्दों की प्रक्रिया के 'कार्यकाल' पक्ष का अनुगमन कर सिद्धान्त कौमुदी की रचना की। फिर भी उन्हें उसमें कमी दिखलाई पड़ी जिस कारण स्वयं स्वोपज्ञवृत्ति के रूप में 'प्रौढ़मनोरमा' की निर्मिति उन्हें आवश्यक प्रतीत हुई। उन्होंने स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में रचना न करते हुए कौमुदी के आवश्यक विस्तार योग्य स्थलों के प्रतीक मात्र के संकेत से उसका व्याख्यान किया। इस विधा में यद्यपि सौविध्य नहीं है, तथापि यह परंपरा का अनुसरण तथा निज विनय प्रदर्शन मात्र है।

समस्त महाभाष्य के रहस्यमय अर्थों तथा सकल दर्शनों के रहस्यों को जानने वाले को प्रसन्नता देनेवाली इस व्याख्या की संज्ञा प्रौढ़मनोरमा अन्वर्थ है, अतएव उनके पौत्र

'शब्दरत्न' कार हरिदीक्षित ने इसका समर्थन किया है।[1] लघुशब्देन्दुशेखर सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्या है तथापि वह अर्धनारीश्वर के अर्धदेह के समान इन्दुशेखर का अर्धांग ही है।[2] उनके पौत्र हरिदीक्षित जी ने 'जनिकर्तुः प्रकृतिः' (१/४/३०) की सूत्रस्थ 'प्रकृति' शब्द की व्याख्या वेदांतपरक की है।[3] सृष्टि में शून्यवादी बौद्ध 'असत्', चार्वाक स्वभाव, नैयायिक 'परमाणु' तथा साङ्ख्यशास्त्रज्ञ 'प्रकृति' को कारण मानते है। किन्तु इन सिद्धान्तों का प्रत्याख्यान करते हुए 'प्रौढमनोरमा'कार ने सृष्टिक्रम में ब्रह्म को उपादान कारण माना है[4]।

विषय वस्तु-कौमुदी के समान प्रौढ़मनोरमा का विभाजन भी पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध के रूप में किया गया है। पूर्वार्ध में संज्ञाप्रकरण से प्रारम्भ कर द्विरुक्त प्रक्रिया पर्यन्त तथा उत्तरार्द्ध में भ्वादि से प्रारम्भ कर कृदन्त पर्यन्त भाग समाविष्ट किया है। तदनन्तर वैदिक भाग में वैदिकी एवं स्वरप्रक्रिया समाकलित की गई है। इस विभाजन के फलस्वरूप वाक्यगत उद्देश्य एवं विधेयगत शाब्दिक प्रक्रिया सम्पन्न की गयी है। ग्रंथारम्भ में संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण समस्त ग्रन्थोपयोगी है, क्योंकि संज्ञा ही सकल ग्रंथगत विषयों का आधार है। वही सर्वत्र संकेत ग्राहक है।[5] प्रसंगवश इत्संज्ञा का आरम्भ करते हुए कौमुदीकार ने 'उपदेश' शब्द के व्याख्यान में उसका अर्थ आद्योच्चारण स्वीकार किया है तथा उसे भावघञन्त मानकर उसका व्याख्यान किया है। किन्तु हरिदीक्षित, नागेश, भैरवमिश्र आदि परवर्ती विद्वान महाभाष्योक्त करणघञन्तव्युत्पत्ति को स्वीकार करते हैं। 'भावप्रकाश' कार वैद्यनाथ पायगुण्डे[6] भी महाभाष्य सरणि का ही समर्थन करते है। संज्ञाप्रकरण में संज्ञा संबंधी तैतीस विषयों का विवेचन किया गया है। तदनुसार क्रमशः 'परिभाषा' के सम्बन्ध में विचार किया गया है। "अनियमें नियमकारिणी परिभाषा" इस प्रकार परिभाषा को परिभाषित किया गया है और इसके अंतर्गत आने वाले सूत्रों को इस प्रकरण में समाविष्ट किया गया है, जो 'अष्टाध्यायी' में यत्र-तत्र समाकीर्ण हैं।

पञ्चसन्धि प्रकरण के आरम्भ में सर्वप्रथम 'अच्सन्धि' का निरूपण किया गया है स्वरसंधि को 'अच्' के नाम से अभिलक्षित करते हुए इस प्रकरण को सार्थक बनाया है। 'स्वेन राजते' इति स्वरः इस व्युत्पत्ति के अनुसार व्यंजननिरपेक्ष होने से स्वरों की प्रधानता

---

१. प्रौढ़त्वं च सकलदर्शनार्थपूर्वकमहाभाष्यगूढ़ार्थज्ञानवत्वम्-शब्दरत्ने
२. मनोरमोमार्धदेहम्-नागेशभट्ट-१
३. "ब्रह्म हिरण्यगर्भः सच हेतुरेव, न तूपादानम्, किञ्च मायाशक्तम् तदिदं सर्वं कार्योपादानम् इति वेदान्तसिद्धान्तः।
४. यदभेदेन कार्यमुत्पद्यते, तदुपादानम्।
५. "संकेतग्राहकत्वं संज्ञात्त्वम्।"-संज्ञाप्रकरणे।
६. "प्रागुक्तमुक्तेः एकदेशित्वेन तथा बाधकाभावाच्चेति भाष्यकृतसरणिरेव शरणमिति दिक्।"-वैद्यनाथपायगुण्डे।

इस प्रकरण में है। भट्टोजिदीक्षित ने 'सिद्धान्तकौमुदी' का अनुसरण करते हुए 'प्रौढमनोरमा में भी सन्धिकार्य को अवरोहक्रम से प्रारम्भ किया गया है। तदनुसार 'इकोयणचि' सूत्र का प्रारम्भ युक्तिसंगत है अतः अकः सवर्णे दीर्घः का प्रथमोपन्यास नहीं किया गया है। 'शब्दरत्न' कार ने भी स्वरसन्धि की विशद व्याख्या की है। भट्टोजिदीक्षित ने प्रोढ़मनोरमा में उन्हीं विषयों का स्पर्श किया है, जो सिद्धान्तकौमुदी में व्याख्या के रूप में उनकी दृष्टि से अपेक्षित रहे तथा जिन स्थलों पर कैयट आदि प्राचीन वैयाकरणों ने उन पर विशेष विचार किया था। फिर भी उन्होंने जहां प्रक्रियाकौमुदी के विपरीत अपने मत को अभिव्यक्त करना चाहा, वहां भी अपनी व्याख्या के अनुसार लेखनी का उपयोग किया है। पञ्चसन्धि की परिगणना में इन्होंने प्रकृतिभाव का पृथक् संकेत नहीं किया है, तथापि प्रच्छन्न रूप में इसे पंचम संधि के रूप में स्वीकार किया है। अतएव 'भैरवी' कार ने स्वर सन्धि के रूप में स्पष्ट उल्लेख इसका किया है।[1] स्वरसन्धिप्रकरण में दीक्षित जी ने प्रकृतिभाव सहित अपेक्षित ७२ विषयों की (५०+२२-७२) व्याख्या की है। तदनन्तर क्रम प्राप्त 'हल्' सन्धि प्रारम्भ मे व्यञ्जन[2] को परिभाषित करते हुए स्वर निरपेक्ष 'हल्' (व्यञ्जन) संधि का प्रतिपादन किया है। इस संधि प्रकरण में कौमुदीस्थ २६ स्थलों पर विचार किया गया है। यद्यपि विसर्ग (:) का समावेश व्यञ्जनों में नहीं है, तथापि 'अयोगवाह[3] में समाविष्ट होने के कारण हल सन्धि के पश्चात् इस प्रकरण को पृथक स्थान दिया गया है, जो अन्वर्थक है इस प्रकरण में अपेक्षित चौदह स्थल व्याख्यात है। सन्धि प्रकरण का उपसंहार करते हुए स्वादि सन्धि विवेचित है। इस नामकरण का उद्देश्य यह है कि प्रातिपदिक शब्दों में प्रथमा आदि विभक्तियों के रूप में २१ सुप् प्रत्ययों का विधान किया जाता है। इन प्रत्ययों के जोड़े जाने पर जो सन्धिजन्य परिवर्तन होते है, उन्हें स्वादिसन्धि के अन्तर्गत रखा गया है। इस प्रकारण में प्रायः बारह स्थलों का विशद व्याख्यान है। स्वादि सन्धि के साथ ही सन्धि प्रकरण समाप्त होता है। इस सम्बन्ध में परम्परया 'पञ्चसन्धि' शब्द का प्रयोग होता आ रहा है। सामान्यतः 'स्वर' 'व्यञ्जन' तथा 'विसर्ग' इन तीनों के परस्पर पौर्वापर्य होने से वर्णो में परिवर्तन होता है फिर भी कुछ विशेषताओं के कारण 'प्रकृतिभाव' तथा 'सुप्' प्रत्ययों के सन्धिजन्य परिवर्तनों को पृथक् नाम देकर सन्धियों की संख्या पांच मान ली गयी है।

---

१. इति स्वरसन्धिः। सन्धिरयमित्यर्थः द्वित्वरूपप्रकृतिभावमादाय अतएव 'सिद्धः लुतः स्वरसन्धिषु इतिभाष्येऽभिहितम्। अतएव पञ्चसन्धिरित्यस्योपपत्तिरिति-भैरवमिश्रः

२. "अचं विना विगता-अभिव्यक्तिर्यस्य तद् 'व्यञ्जनम्'।

३. 'अकरादिना वर्णसमाम्नायेन सहिताः सन्तः ये वदन्ति आत्मलाभं ते अयोगवाहाः-विसर्जनीय-जिह्वमूलीयोपध्मा-नीयाऽनुस्वारनासिक्ययमाः 'अयोगवाहाः'।। म.भा.हयवरट् सूत्र।। तथा च शुक्लयजुः प्रातिशाख्ये-'अथायोगवाहाः-कः इति जिह्वामूलीयः-इत्युपध्मानीयः, अँ इत्यनुस्वारः, अः इति विसर्जनीयः, हुँ इति नासिक्यः। कुँ खुँ गुँ घुँ इति यमाः।

तदनन्तर क्रम प्राप्त षड्लिङ्ग प्रकरणों का विवेचन अजन्त (स्वरान्त) तथा हलन्त (व्यञ्जनान्त) दो भागों में किया गया है। अजन्त (स्वरान्त) लिंगत्रयी के अन्तर्गत अजन्त पुल्लिंग प्रकरण का शुभारम्भ करते हुए शब्दों की निष्पत्ति में सर्वप्रथम 'प्रातिपदिक' को परिभाषित किया गया है।[1] भट्टोजिदीक्षित ने इस पर विशेष विचार किया है। 'प्रातिपदिक' की परिभाषा करते हुए 'अर्थवत' पद का विवेचन करते समय 'प्रकृति-प्रत्यय विभाग' तथा 'प्रकृत्यर्थ-प्रत्ययार्थ विभाग' को काल्पनिक स्वीकार करते हुये सिद्धान्त रूप में स्फोट की ही अर्थवत्ता स्वीकार की है। दीक्षित जी के पौत्र 'शब्दरत्न' कार हरिदीक्षित ने इस विषय को अधिक परिष्कृत करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रकृति प्रत्यय विभाग से युक्त पद की तरह प्रकृत्यर्थ और प्रत्ययार्थ का बोध होने के कारण शास्त्र की उपादेयता सिद्ध है।[2] शास्त्रीय विचार के अनन्तर इस प्रकरण में ८८ स्थलों पर तर्कपूर्ण विशद विवेचन है। अजन्त स्त्रीलिंङ्ग में लिङ्ग विशिष्ट परिभाषा के सहकार से स्त्रीलिङ्गवाची शब्दों को प्रातिपदिक स्वीकार करते हुए तत्सम्बद्ध २२ स्थलों पर कौमुदी की अपेक्षा अधिक विषय परामृष्ट किये गये हैं एवं क्रम प्राप्त अजन्त नपुंसकलिंङ्ग प्रकरण में सर्वप्रथम 'सु' विभक्ति के स्थान पर 'अम्' आदेश के सम्बन्ध में 'अतोऽम्' (७.१.२४) सूत्र को अभिलक्षित कर प्राच्य मतोपस्थानपूर्वक स्वाभिमत का प्रतिपादन किया है। अपने अभीष्ट सूत्रार्थ के अनुसार 'सु' और 'अम्' के स्थान पर 'म' का विधान ही अपेक्षित है। इसी प्रसंङ्ग में 'अतिजरसम्' की सिद्धी के सम्बन्ध में 'शब्दरत्न' कार 'प्रौढ़मनोरमा' कार के मत से असहमत हैं। उन्होंने 'जरा' के स्थान पर पहले परत्वात् 'जरम्' का विचार करते हुए उनके सिद्धान्त में अरुचि दिखलाई है। इसी प्रकार अन्य स्थलों पर भी विचार किया गया है।

हलन्त (व्यन्जनात) लिङ्गत्रयी का विचार हलन्त पुल्लिङ्ग प्रकरण से प्रारम्भ होता है। हलन्त शब्दों की रूप सिद्धी में माहेश्वर सूत्रस्थ व्यञ्जन क्रम का अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम हकार व्यंजनान्त शब्द रूप प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है। इस प्रकरण में केवल एक स्थान पर 'शब्दरत्न' कार ने विशेष प्रकाश डाला है। नलोपः सुप्-स्वर-संज्ञा-तुग्विधिषु कृति (८.२.२) सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में हरिदीक्षित ने नियम शास्त्रों की विधि मुख से प्रवृत्ति तथा सामान्य शास्त्रों के तात्पर्य संकोच को परिभाषित किया है। हलन्त स्त्रीलिंङ्ग प्रकरण में केवल चार स्थलों को लेकर कौमुदी की अपेक्षा अधिक विस्तार किया गया है। हलन्त नपुंसक लिंङ्ग प्रकारण में नौ विषय विशेष रूप से परिवर्धित है, जिनकी विशेष व्याख्या 'शब्दरत्न' में भी है। तदनन्तर जिज्ञासावश 'स्त्रियाम्' (४.१.३) अधिकार सूत्र के अन्तर्गत विहित प्रत्ययों का विधान स्त्रीप्रत्यय प्रकरण में किया गया है। वह प्रातिपदिक निर्वचन में

---

१. अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् ।। १.२.४५।।

२. शास्त्रेण प्रकृति-प्रत्ययविभागव्युत्पादनेन विशिष्टपरस्यैव तत्तदर्थबोधनद्वारा विशिष्टपदविशिष्टार्थ-बोधकत्वमेव बोध्यते।- अर्थवत् सूत्रस्थ व्याख्या -'शब्दरत्न-हरिदीक्षित।

स्त्रीलिंग में विदित ङीबन्त तथा आबन्त शब्दों से प्रातिपादिक शब्दों का निरूपण हुआ है जिनका विधान इस प्रकरण में निरूपित है। शब्दों का लिङ्ग निर्धारण लौकिक स्त्री-पुरुष लिङ्ग के आधार पर नहीं होता, किन्तु 'संस्त्यान' अर्थ में प्रत्यय करने पर स्त्रीवाची शब्द तथा पुरुषवाची शब्द निष्पन्न होते है।[1] संस्त्यान का अर्थ तिरोभाव है प्रवृत्ति का अर्थ आविर्भाव है। सत्त्व, रज एवं तम इन गुणों का तिरोभाव स्त्री है, आविर्भाव पुरुष है तथा साम्यावस्था नपुंसक है। गुणों की ये अवस्था केवल शब्द गोचर है। उपचय तथा अपचय दोनो सापेक्ष होते है। तदनुसार गुणों की प्रवृत्ति अथवा उपचय प्रसव का द्योतक है। गुणों का संस्त्यान अथवा अपचय स्त्रीत्व का द्योतक है गुणों की स्थिति अथवा साम्यावस्था नपुंसकत्व का द्योतक है। इसके साथ ही 'शब्दरत्न' कार ने अनुपसर्जनात् (४.१.१४) अधिकार सूत्रस्थ ज्ञापनों का तात्विक विवेचन किया है। फलतः इस प्रकरण में स्त्रीत्व बोधक 'टाप्', 'डाप्', 'चाप्', 'ङीप्', ङीष्' तथा ङीन् प्रत्ययों का विधान स्त्रीलिङ्ग के रूप में किया गया है।

षड्लिंग प्रकरण एवं स्त्रीप्रत्यय प्रकरण के अनन्तर वाक्यस्थ शब्दों के परस्पर सम्बन्ध का बोध कराने के लिए भट्टोजीदीक्षित ने कारक प्रकरण को प्राथमिकता दी है। उसका कारण यह है कि समास तद्धित आदि उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए कारकों की उपयोगिता भी सर्वविदित हेतु कारक विभक्ति सापेक्ष है, अतः दीक्षित जी ने आरम्भ में ही प्रातिपदिकार्थ की 'नियतोपस्थितिक के रूप में विशेष व्याख्या की है। इस प्रसङ्ग में 'शब्दरत्न' कार ने 'प्रवृति निमित्त तदाश्रय को ही प्रातिपदिकार्थ स्वीकार किया है। जो प्राचीनों के प्रातिपदिकार्थ के अधिक सन्निकट है। तदन्नतर यह छहों कारको तथा तत्सम्बद्ध सातों विभक्तियों के निर्वचन के साथ अभीष्ट पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या यथा स्थान की गयी है कारक प्रकरण में अनेक विशिष्ट स्थल स्वतन्त्र व्याख्यान है, जो लघुशब्देन्दुशेखर से गतार्थ नहीं होते।

समास प्रकरण-सुबन्त पदों की सिद्धि एवं सुप्प्रत्ययों के अर्थ विशेष का निवर्चन करते हुए भट्टोजीदीक्षित द्वारा एक से अधिक पदों के समूहात्मक स्वरूप को अभिलक्षित कर कारक प्रकरण के अनन्तर समास प्रकरण का उपन्यास यथोचित ही है। चतुर्विध प्रमुख समासों में प्रथम अव्ययीभाव समास की व्याख्या के पूर्व समस्यमान पदों में सामर्थ्य होना अपेक्षित कहा है। अतः समर्थपद की समर्थाश्रित में लक्षणा मान्य है। इसी प्रकार अव्ययीभाव की व्याख्या में आवयश्क स्थलों पर विचार किया है। तत्पश्चात् सत्पुरुष समास के साथ उसके दो भेद-कर्मधारय और द्विगु समास मनोरमाकार ने निरूपित किये है। इन दोनों भेदों के विशिष्ट विधानों के अन्तर्गत समासान्त प्रत्ययों का समावेश आपने किया है। मनोरमाकार

---

१. संस्त्यानप्रसवौ लिङ्गमास्थेयौ स्वकृतान्ततः। संस्त्याने स्त्यायने इट् स्त्री सूतै सुप् प्रसवे पुमान्।।

के अनुसार कर्मधारय समास में गुण-क्रिया-जाति वाचक शब्द के मध्य में जातिवाचक शब्द ही विशेष्य होते है। दीक्षित जी ने तत्पुरुष समास के अन्तर्गत विभिन्न संदर्भों पर विशेष दृष्टिपात किया है। बहुव्रीहि समास में पाणिनि सूत्रस्थ 'शेष' पद के अभाष्ट अर्थ की ओर संकेत करते हुए दीक्षित जी ने 'प्रौढ़मनोरमा' में तत्पुरुषादिक के अतिरिक्त इसकी पृथकता को परिलक्षित किया है। यहां पर समस्त पदों में पृथक्शक्ति वाद (व्यपेक्षावाद) का प्रत्याख्यान करते हुए एकार्थीभाव की प्रतिष्ठा की है।[1] इन तीनों समासों के अनन्तर अवशिष्ट द्वन्द्व समास को भी 'चार्थे द्वन्द्वः' (२.२.२९) सूत्रों से परिभाषित किया है। मनोरमाकार के अनुसार द्वन्द्व समास का चकारार्थ में प्रयोग होता है, जिसमें 'च' पद चार अर्थों समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतरयोग और समाहार में संकेतित है। चार समासों के अनन्तर इनके उपांगभूत विषय, एकशेष, सर्वसमास शेष, समासान्त, अलुक् समास तथा समासाश्रयविधि आदि पृथक्-पृथक् प्रकरणों में निरूपित है। इसमें से 'एक शेष' पद के व्याख्यान में दीक्षित जी ने प्राचीन आचार्यों की अपेक्षा विशेष विचार किया है। 'सरूप' और 'विरूप' शब्दों का परस्पर अर्थभेद होने पर भी भट्टोजी ने यहां पर सामंजस्य प्रदर्शित किया है। यह विभेद 'सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ' (१.२.६४) तथा वहीं पठित वार्तिक 'विरूपाणामपि समानार्थानाम्' (वा) को अभिलक्षित कर किया गया है क्योंकि उनके अर्थ सूत्राक्षरों से ही सुलभ है।[2] पूर्वाचार्यो के द्वारा स्वीकृत कृत, तद्धित, समास, एकशेष तथा धातु इन पांचों को वृत्ति रूप में मानने के फलस्वरूप सर्वसमास शेष प्रकरण में इनका समावेश किया गया है।[3] समासान्त प्रकरण में समस्त शब्द के अनन्तर विधीयमान प्रत्ययों के अर्थो का निवर्चन है। अलुक्समास प्रकरण में यथासंज्ञ विभक्तियों का लोप न होने के कारण इस समास की सार्थकता सिद्ध की गयी है। समास प्रकरण का उपसंहार करते हुए समासाश्रयविधि का निरूपण किया है, जिसमें संकलित विधियाँ सामान्यतया सभी समासों-उपपद एवं तद्धितार्थोत्तर पद समास को दृष्टि में रख कर अष्टाध्यायी के भिन्न-भिन्न अध्यायों से एकत्र की गयी है। इन सूत्रों के द्वारा वर्ण एवं पद संम्बन्धी परिवर्तन तथा निपातन आदि की व्यवस्था हुई है। साथ ही इस प्रकरण में उपदिष्ट 'पृषोदरादीनि यथोपादिष्टम्' (६.३.१०९) सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्टोजी ने प्रौढ़मनोरमा में हरदत्त का व्याख्यान प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार निरुक्तादि शास्त्र सिद्ध असमस्त पदों की उणादिशास्त्र से सिद्धि होती है इस मत से अरूचि प्रकट करते हुए भट्टोजी कहते है कि "उणादिशास्त्र केवल समास विषयक ही नहीं है अपितु इस शास्त्र से तो हंस, सिंह आदि सभी प्रकार के पदों की सिद्धि की जाती है।"

---

१. "बहुनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेव साधने। स्यान्महद् गौरवं तस्मादेकार्थीभाव आश्रितः।।"

२. "एतच्च सूत्राक्षरैरेव सुलभम्। (रूप्यते बोध्यते यत् तद्रूपम्) रूप्यते इति व्युत्पत्त्या सौत्रस्थरूप शब्दस्याऽर्थपरतयापि व्याख्यानात्"-प्रौढमनोरमा।

३. परार्थाभिधानं वृत्तिः

तद्धित प्रकरण-समास निरूपन के पश्चात 'मनोरमा' कार ने तद्धित प्रत्ययों का विवेचन किया हैं शब्द रचना की दृष्टि से 'कृत्' और 'तद्धित' प्रत्ययों में तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिक (शुद्ध या कृदन्त) से विहित होने के कारण तद्धित प्रत्ययों का निर्वचन क्रम प्रकरण संगत है। इस प्रकरण में प्रधानतया 'समर्थ' एवं 'प्रातिपदिक' इन दोनों का समन्वयात्मक प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। सर्वप्रथम साधारण प्रत्ययों का विशेष रूप से परामर्श निर्दिष्ट स्थलों को अभिलक्षित कर किया गया है। तदनन्तर अपत्यार्थक से आरम्भ कर स्वार्थिक प्रत्ययान्त तथा द्विरुक्त प्रक्रिया में तत्तदर्थक प्रत्ययों की सार्थकता विदित करायी गयी है। इन अधिकारों के अन्तर्गत 'प्रौढ़मनोरमा' में 'गोत्र' संज्ञा रक्ताद्यर्थ, अदूरभवादि अर्थ, शेषाद्यर्थ एवं मयट् प्रत्यय प्रर्यन्त चातुरर्थिक प्रत्ययों का विस्तार निरूपित है। तदनन्तर छ-यदूविधि से प्रारम्भ कर स्वार्थिक प्रकरण पर्यन्त 'पाञ्चमिक' प्रत्ययों का विवेचन है। अन्त में द्विरुक्त प्रकरण का समावेश तद्धित प्रकरण के अन्तर्गत कर पूर्वाद्ध की समाप्ति की गयी है। विशेषता यह है कि केवल आभीक्ष्ण्य अर्थ में कृदन्त प्रकरणस्थ 'णमुल्' प्रत्यय का विधान धातु से होता है। यहाँ 'नित्यवीप्सयो' (८.१.४) सूत्रस्थ 'नित्य' एवं 'वीप्सा' पदों के आभीक्ष्ण्य और वीप्सा इन दो अर्थों मे 'सर्वस्य द्वे' (८.१.१) सूत्र का अधिकार निर्दिष्ट है। अतः केवल तिङन्तरूप एवं अव्ययसंज्ञक कृदन्त शब्दों में आभीक्ष्ण्य अर्थ में द्वित्व होता है, तथा वीप्सा अर्थ में सुबन्तशब्दों में भी द्वित्व होता है। इस सम्बन्ध में दीक्षित जी के अनुसार नित्यता एवं आभीक्ष्ण्य में थोड़ा अन्तर है। आभीक्ष्ण्य से केवल क्रिया की आवृत्ति प्रतीत होती है, जब कि नित्यता में क्रिया का अविच्छेद बना रहता है। यहीं पूर्वार्ध का समापन किया गया है।

उत्तरार्ध प्रकरण- इस प्रकरण में दशगण, प्रक्रियाएं तथा कृदन्त प्रत्ययों का विवेचन करते हुए लौकिक संस्कृत की शब्दरचना निष्पादित की गयी है। मूल धातुओं की संख्या प्रायः दो हजार पठित है। १. (भूवादयो धातवः १. ३. १) पुनरपि सनाद्यन्त को एवं कण्ड्वादि २. (सनाद्यन्त धातवः ३.१.३२) का भी धातुओं में समाकलन करने पर उनकी संख्या अगणित होगी। ग्रन्थकार ने कौमुदीस्थ दुरुह पंक्तियों को हृदयग्राही बनाने हेतु उनका स्वयं विस्फोरण किया है। भ्वादि के आरम्भ में ही 'मनोरमा' कार ने लकार का अर्थ करते समय नैयायिकों के सिद्धान्त में अरुचि प्रदर्शित की है। वैयाकरणों के अनुसार दीक्षित जी ने लकार का अर्थ 'कर्त्ता' स्वीकार किया है। इसके विपरीत नैयायिक उसे 'कृति' परक मानते है।[1] इसी प्रकार उक्त स्थल पर नैयायिक सम्मत तिङर्थ व्यापार से असहमति प्रकट की है। भ्वादिगण में धातु संबंधी विषयों का विचार होने के कारण कौमुदीस्थ तथा तदितर

---

१. अत्र नैयायिकाः-लकाराणां कृतावेव शक्तिर्लाघवान्न कर्तरि।..... तन्न, पचन्तं देवदत्तं पश्य, पचते देवदत्ताय देहि इत्यादौ .... संसर्गत्वात्- मनोरमा। ३.४.६९ सूत्र की व्याख्या 'प्रौढ़मनोरमा'।

विषम स्थलों पर सवोपज्ञ व्यख्यान में प्रायः २७५ स्थल चयन किये गये है। इन स्थलों में पूर्वार्ध से सम्बन्द्ध कुछ आवश्यक फक्किकाओं की पुनरावृत्ति भी हुई है। अन्य नव गणों में गणसंबंधी विकरणों पर यथास्थान विचार करते हुए कुछ धातुओं के विभिन्न अर्थ तथा विपरीत-तिङ्' और 'तङ्' प्रत्ययान्त धातु रूपोंके प्रामादिक प्रयोगों पर अपनी आपत्ति दिखाई है।[1] इसी क्रम में अदादि अन्यगणों के भी विषय परामृष्ट हैं तदन्तर्गत तुदादिगण में 'भ्रस्जोरोपधयोरमन्यतरस्याम् (६.४.४७) सूत्र में 'पदमञ्जरी' कार हरदत्त द्वारा परिकल्पित 'न्यास' (भ्रस्जरसोऋदन्यतरस्याम्) पर अरुचि प्रकट की है। इसी प्रकार चुरादिगण में प्रक्रिया कौमुदी के 'प्रसाद' टीकाकार द्वारा 'अचूचुरत्' की सिद्धि में निर्दिष्ट सन्वद्भाव के प्रति असहमति प्रकट करते हुए इसके फल के सम्बन्ध में प्रतिप्रश्न किया है। दशगणी के अनन्तर ण्यन्त प्रक्रिया के आरम्भ में 'हेतुमति च' ३.१.२६ सूत्र की विशद व्याख्या के अंतर्गत प्रेरणाद्यर्थ के विवेचन में उसकी अनेकार्थता पर प्रकाश डाला है। इसी के साथ प्रयोजक और प्रयोज्य के भेद को भी स्पष्ट किया है। हरिदीक्षित ने णिजर्थ तथा लोडर्थ का अन्तर स्पष्ट किया है। तदनन्तर णिजन्त से प्रारम्भ कर लकारार्थ प्रक्रिया तक विशिष्ट स्थलों की व्याख्या की है। इसी क्रम में विशेषाभिधान में भट्टोजीदीक्षित ने यङन्तप्रकरण के अन्तर्गत 'नित्यं कौटिल्येगतौ' (३.१.२३) का व्याख्यान करते हुए नित्यग्रहण करने को 'तक्रकौण्डिन्य' न्याय की अनित्यता सूचित की है। अतएव 'पूजितो यः सुरासुरैः' उदाहरण में तृतीया विभक्ति के साथ भूतकालिक 'क्त' प्रत्यय का प्रयोग समीचीन ही है।[2] हरिदीक्षित के अनुसार यह मत कैयट के अनुरोध से प्रतिपादित है। तदनुसार 'तक्रकौन्डिन्य न्याय' की यहां प्रसक्ति नही है, क्योंकि यह न्याय विधेय कोटि में प्रसक्त होता है, उद्देश्यकोटि में नहीं। प्रस्तुत प्रकरण में यङ् प्रत्यय क्रिया समभिहारार्थक होने के कारण वह उद्देश्य कोटि में है। तिङन्त प्रकारण में कण्डवादि का परिगणन धातुकार्यों के लिए विहित है, वैसे ये शब्द प्रातिपदिक भी हैं।[3] धातुपाठ में समाविष्ट होने से कण्ड्वादि से 'यक्' प्रत्यय का विधान चरितार्थ होता है। तदुपरान्त 'आत्मनेपद प्रक्रिया के अन्तर्गत' णेरणौ यत्कर्म णौचेत् स कर्त्ताऽनाध्याने (१.३.६७) सूत्र व्याख्यान में 'गणसूत्र' के रूप में इस सूत्र की प्रसिद्धि वर्णित है। तदनुसार इसकी अर्थ सम्पत्ति में चार वाक्य गज के चार पादों के समान है।-(१) 'णेः आत्मनेपदं स्यात्' (२) 'अणौ यत्कर्म णौचेत्' (३) सः कर्ता तथा (४) अनाध्याने। अतः णिच् प्रत्यय से रहित अवस्था मे प्रयुक्त कर्मकारक के णिजन्त अवस्था में कर्ता होने पर णिजन्त

---

१. तेन दोषो इति केषाञ्चित् प्रयोगोऽसाधुरेव। 'स्मराग्नौ जुह्वन्त' इत्यानन्दलहरी प्रयोगस्तु साधुरेव।। इतश्चत्वारः परस्मैपदिनः की व्याख्या दीव्यति।।

२. "तक्रकौण्डिन्यन्यायेनैवेष्टे सिद्धे नित्यग्रहणं तस्य न्यायस्य अनित्यत्वज्ञापनार्थम् तेन...... पूजार्थे भूते क्तः सिद्धयति ततश्च ..... षष्ठी न प्रवर्तते।"

३. तदुक्तं भाष्ये-धातुप्रकरणाद्धातुर्कस्य नासज्जनादपि। आहचायमिमं दीर्घं मन्ये धातुर्विभाषितः।।

धातु से आत्मने पद होता है किन्तु आध्यान 'उत्कण्ठापूर्वक स्मरण' अर्थ में णिजन्त अर्थ में आत्मने पद नहीं होता। आगे चलकर 'भावकर्म प्रक्रिया' के प्रारम्भ में 'प्रौढ़मनोरमा' में 'भाव' शब्द भावनार्थक है जो 'भू' धातु से निष्पन्न है। इसी प्रकार 'क्रिया' शब्द उत्पादनार्थक है, और वह 'कृ' धातु से निष्पन्न है। वह उत्पादन क्रिया सकल धातुवाच्य है। प्रकृत्यर्थ और प्रत्ययार्थ में प्रत्ययार्थ की प्रधानता सामान्य रूप से स्वीकृत है, तथापि 'क्रियाप्रधानमाख्यातम्' यह विशेष नियम उसका बाधक है। इस प्रकार धातु सम्बन्धी गणों तथा प्रक्रियाओं का विचार लकारार्थ प्रक्रिया के साथ परिपूर्ण होता है।

कृदन्त प्रकरण

क्रिया वाचक शब्दों की सिद्धि के पश्चात् भट्टोजि दीक्षित ने धातुओं से निष्पन्न होने वाले लकारों के अतिरिक्त 'कृत्य' एवं 'कृत्' प्रत्ययान्त शब्दों की निष्पत्ति के सम्बन्ध में यत्र-तत्र विशेष विचार व्यक्त किये हैं। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वप्रथम धातोः (३.१.९१) अधिकार के सम्बन्ध में विशेष अभिधान किया गया है। इसके पूर्व भी धातुओं से यङन्त शब्दों का विधान करते हुए धातोरेकाचो क्रियासमभिहारे यङ् (३. १. २२) सूत्र से धातु की अनुवृत्ति संभव रही। अतः पुनः धातोः (३.१.९१) अधिकार के फलस्वरूप 'आर्धधातुक' आदि संज्ञाएं केवल शुद्धधातुओं में ही स्वीकार होगी। फलतः धातुओं के अनन्तर सर्वलोपी 'क्विप्' आदि प्रत्ययान्त प्रातिपदिक शब्दों में 'धातु' सम्बन्धी 'इट्' एवं 'गुण' आदि कार्य प्रवृत्त नहीं होते। इसके अतिरिक्त इस अधिकार का फल यह भी है कि 'तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्' (३.१.९२) के आधारस्वरूप सप्तमी निर्दिष्ट पद कहीं-कहीं उपपद संज्ञक तथा कहीं-कहीं अर्थवाचक होते हैं। तथा 'कृदतिङ्' (३.१.९३) के फलस्वरूप तिङ्भिन्न कृत् तद्धित और समास प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। कृदन्त प्रकरण में क्रियावाची, कर्तृवाची, विशेषणवाची, एवं क्रियाविशेषणवाची शब्दोपयोगी विभिन्न प्रत्यय विहित है। दोनों कृदन्तप्रकरणों के मध्य में संज्ञा शब्दों के साधुत्व हेतु पञ्चपादी उणादि व्याख्यात है। दीक्षित जी नें अव्युत्पन्न शब्दों की सिद्धि के समर्थन में यत्र-तत्र विभिन्न कोषों के उदाहरण भी प्रमाण स्वरूप उपन्यस्त किये हैं। साथ ही शब्द निपत्ति की रचना उपयुक्त स्थलों पर प्रदर्शित की गयी है। प्रौढ़मनोरमा में प्राचीनमत की अस्पष्टता का निराकरण कर उणादि प्रत्ययों की उपयोगिता विवेचित करते हुए उणादि प्रकरण को सम्पन्न किया गया है।

वैदिक और स्वर प्रकरण-इन दोनों प्रकरणों में क्रमशः वेदोक्त प्रयोग तथा स्वरसंचार पर विचार किया गया है। वैदिक प्रकरण के सूत्र प्रायः अष्टाध्यायी के अन्त में पठित होने से वैकल्पिक विधान एवं निपातन की सुविधा पर यथास्थान परामर्श किया गया है। इसके अन्तर्गत साधारण, प्रकृति, प्रत्यय, समास एवं तिङन्त स्वर प्रकरण समाविष्ट है। इसमें 'प्रकृति' से 'धातु' तथा 'प्रातिपदिक' दोनों का ग्रहण किया गया है। स्वर सञ्चार प्रक्रिया

के अन्त में 'अक्षर' ब्रह्म की वन्दना करते हुए काशी विश्वेश्वर की प्रसाद कामना के साथ प्रौढ़ मनोरमा का उपसंहार किया गया है।

प्रौढ़मनोरमा की व्याख्याएँ

सम्पूर्ण प्रौढ़मनोरमा की सर्वोत्कृष्ट व्याख्या महामहोपाध्याय भट्टोजि दीक्षित के पौत्र एवं आचार्य नागेश भट्ट के गुरु महावैयाकरण हरिदीक्षित विरचित बृहच्छब्दरत्न तथा लघुशब्दरत्न है, इसका रचनाकाल प्रायः १७१० वैक्रमाब्द है।

लघु शब्दरत्न के विषय में किंवदन्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों की मान्यता है कि नागेश भट्ट ने गुरुनिष्ठा के कारण अपने गुरु हरिदीक्षित के नाम से लघुशब्दरत्न की व्याख्या लिखी, किन्तु यह सर्वमान्य नहीं है क्योंकि हरिदीक्षित ने उत्तरकृदन्त के अन्त में "किन्तु क्त्वेति" प्रतीक के व्याख्यान में लिखा **"उपपदसमासोऽपि नेति बोद्ध्यम्। इति शिवम्। विस्तरस्तु बृहच्छब्दरत्ने मदन्तेवासिकृते बृहच्छब्देन्दुशेखरादौ च द्रष्टव्यः।**

इन पङ्क्तियों से सुस्पष्ट है कि लघुशब्दरत्नव्याख्या आचार्य हरिदीक्षित विरचित है। अपने शिष्य की प्रतिभा तथा पाण्डित्य का सम्मान करने के लिए "मदन्तेवासिकृते बृहच्छब्देन्दुशेखरादौ च" कहा।

क्योंकि भारतीय परम्परा सुयोग्य पुत्र एवं सुयोग्य शिष्य को उत्कृष्ट देखना चाहती है। गुरुवर हरिदीक्षित के सिद्धान्त को शिष्यवर नागेश भट्ट के द्वारा अपनाना स्वाभाविक है।

इस विषय में काशी हिन्दूविश्वविद्यालय से प्रकाशित "अव्ययीभावान्त प्रौढ़मनोरमा" की व्याख्या बृहच्छब्दरत्न की भूमिका आचार्य डॉ. सीताराम शास्त्रिकृत द्रष्टव्य है।

वैदिकी की समाप्तितक 'लघुशब्दरत्न' उपलब्ध है तथा उत्तरकृदन्त पर्यन्त 'बृहच्छब्दरत्न' था। इसमें प्रमाण स्वरूप "विस्तरस्तु बुहच्छब्दरत्ने द्रष्टव्यः" स्वीकार्य है। इसी क्रम में वैदिक तथा स्वर का 'बृहच्छब्दरत्न' तथा स्वर का 'लघुशब्दरत्न' अन्वेषणीय है।

मनोरमा की अन्य व्याख्यायें

(१) महामहोपाध्याय पायगुण्डोपाह्व वैद्यनाथ कृत सशब्दरत्न प्रौढ़मनोरमा की व्याख्या 'भावप्रकाश' का रचना काल प्रायः १७५० वैक्रमाब्द प्रतीत होता है, व्याख्याकार महामहोपाध्याय नागेश भट्ट के शिष्य है।

(२) भावप्रकाश व्याख्या कारक प्रकरणान्त ही उपलब्ध है। भैरवमिश्र कृत सशब्दरत्न प्रौढ़मनोरमा की व्याख्या "रत्नप्रकाशिका" (कारकान्त) इसका रचना काल प्रायः १८७५ वैक्रमाब्द है।

(३) काशीनाथ के शिष्य भागवतोपनामक हरिशास्त्रिकृत शब्दरत्न व्याख्या चित्रप्रभा (कारक पर्यन्त) रचनाकाल प्रायः १६३० वैक्रमाब्द है।

महामहोपाध्याय नित्यानन्द पन्त पर्वतीय जी के शिष्य श्री गोपालशास्त्रि नेनेकृत सशब्द रत्न प्रौढ़मनोरमा की टिप्पणी (अव्ययी भावान्त) इसका रचना काल १६६६ वैक्रमाब्द के लगभग है।

महामहोपाध्याय वैयाकरणकेशरी दामोदर शास्त्री के शिष्य महावैयाकरण सभापतिशर्मोपाध्यायकृत "रत्नप्रभा" टीका (अव्ययीभावान्त) का रचनाकाल २००० वैक्रमाब्द के लगभग है।

महामहोपाध्याय माधव शास्त्री भाण्डारी की प्रभानाम्नी टिप्पणी (अव्ययी भावान्त) है। महामहोपाध्याय जगन्नाथ शास्त्रीकृत 'रत्नदीपक' टिप्पणी (अव्ययी भावान्त) है। जगन्नाथ शास्त्रीकृत सशब्दरत्न प्रौढ़मनोरमा व्याख्या "ज्योत्सना" भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पं. सदाशिव शास्त्रीकृत 'विभा' टिप्पणी (अव्ययीभावान्त) प्रकाशित है। श्री राघवेन्द्रानन्द सरस्वती के शिष्य तथा इन पंक्तियों के लेखक द्वारका प्रसाद द्विवेदी कृत सशब्दरत्न प्रौढ़मनोरमा की 'बालप्रकाशिका' नामक संस्कृत हिन्दी व्याख्या पञ्चसन्ध्यन्त २०३४ वैक्रमाब्द में प्रकाशित है। प्रौढ़मनोरमा के खण्डन में रसगङ्गाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ कृत "कुचमर्दिनी" व्याख्या पञ्चसन्ध्यन्त मिलती है। आचार्य चक्रपाणी ने भी प्रौढ़मनोरमा के खण्डन में व्याख्या लिखी किन्तु वह अनुपलब्ध है। उपर्युक्त व्याख्याओं के सन्दर्भ में प्रसिद्ध व्याख्याओं की विशेषताओं का निदर्शन इस प्रकार है महावैयाकरण भैरवमिश्र विरचित सशब्दरत्न प्रौढमनोरमा की वैयाकरण निकाय में "भैरवी" नाम से प्रसिद्ध रत्न प्रकाशिका व्याख्या गूढ़ार्थबोधिनी है। निष्कर्ष यह है कि 'प्रौढ़मनोरमा' दीक्षित जी का व्याख्या ग्रन्थ है, जिसकी आलोचना नागेश भट्ट आदि आचार्यो ने बड़ी सूक्ष्मता से ही है। भट्टोजि दीक्षित के मूल ग्रन्थ 'सिद्धान्त कौमुदी' का समर्थन तथा उसी पर उनकी आलोचना यह एक विचित्र बात मनोरमा के विषय में शेखर आदि ग्रन्थो से ज्ञात होती है। साथ ही यह भी तथ्य है कि मनोरमा से ही सिद्धान्त कौमुदी की महिमा ज्ञात होती है "न कौमुदी भाति मनोरमां विना।"

इस प्रकार व्याकरण शास्त्र में मनोरमा का एक विशेष स्थान सिद्ध है।

नागेश (नागोजी) भट्ट

व्याकरणशास्त्र, व्याकरणसूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन तथा महाभाष्यकार पतञ्जलि इन तीनों को ही सर्वतोपरि प्रमाण मानता है। अर्थात् ये ही तीन मुनि व्याकरण के आधाररूप में सर्वमान्य हैं। इसी कारण भट्टोजीदीक्षित ने स्वकीय "सिद्धान्तकौमुदी" के आरम्भ में "मुनित्रयं नमस्कृत्य" इन शब्दों से पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि को ही

नमस्कार किया है। इन तीन मुनियों के ग्रन्थों को आधार मानकर आज तक सैकड़ों ग्रन्थ प्रणीत हुए और हो रहे हैं।

वामन-जयादित्य (छ सौ इस्वी) की काशिकायें, उन पर हरदत्त, उज्ज्वलादित्य आदि की "पदमञ्जरी (११००ई.) आदि व्याख्यायें, रामचन्द्र की "प्रक्रिया कौमुदी",(१३७५ ई.) उस पर शेष श्रीकृष्ण, प्रक्रिया प्रकाश (१५०० ई.), विट्ठल (१४२५ ई.), न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि आदि की व्याख्यायें, भट्टोजीदीक्षित (१६००ई.) की "सिद्धान्तकौमुदी", उसपर भट्टोजीदीक्षित की ही "प्रौढमनोरमा", ज्ञानेन्द्रसरस्वती की "तत्त्वबोधिनी, बालमनोरमा, "सिद्धान्कौमुदी" की वैदिकी प्रक्रिया तथा स्वर प्रक्रिया पर जयकृष्ण की व्याख्या, "सिद्धान्तकौमुदी" पर नागेशभट्ट (नागोजी भट्ट) का "बृहच्छब्देन्दुशेखर", तथा लघुशब्देन्दुशेखर" और व्याकरणशास्त्र का दर्शनत्व सिद्ध करनेवाली "गुरुमञ्जूषा" या "बृहन्मञ्जूषा", "लघुमञ्जूषा" तथा "परमलघुमञ्जूषा" ये तीनों मञ्जूषायें, नागेशभट्ट का ही परिभाषेन्दुशेखर, महाभाष्य की कैयटकृत "प्रदीप" टीका पर नागेशभट्ट की "उद्द्योत" टीका, "स्फोटवाद" तथा "प्रौढमनोरमा" की "शब्दरत्न" या "लघुशब्दरत्न" टीका, जो नागेशभट्ट के व्याकरणविषय के गुरू हरिदीक्षित की रचितरूप से प्रसिद्ध होने पर भी विद्वानों में नागेशभट्ट की ही रचित मानी जाती है, एवं व्याकरणशास्त्र से संबद्ध अन्य विद्वानों के ग्रन्थ तथा नागेशभट्ट के अन्य विषयों के अन्य ग्रन्थ ये सभी विद्वन्मान्य हुए इसमें कोई संदेह नहीं है, तो भी "नागेशभट्ट के ग्रन्थों का प्रामाण्य सर्वोच्य माना गया" यह कहना अतिशयोक्ति न होगी। आज भी नागेशभट्ट का आधार मिलते ही अन्य किसी ग्रन्थ को देखने की आवश्यकता नहीं, ऐसा समझा जाता है। शृङ्गवेरपुर के अधीश रामसिंह की रचितरूप में प्रसिद्ध "वाल्मीकिरामायण" की "तिलक" टीका भी नागेशभट्ट ने रचकर उनके आश्रय रामसिंह को उन्होंने अर्पित की, ऐसा माना जाता है।

नागेशभट्ट के व्याकरणसंबद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त उनके ही रचित अन्य ग्रन्थ, जैसे "पातञ्जलदर्शनम्", "प्रायश्चित्तेन्दुशेखर", "व्रात्यताप्रायश्चित", "रसगङ्गाधर", "अमरटिप्पण", "परमार्थ-सारविवरणम्", "काव्यप्रकाश" की टीका, न्यायशास्त्रविषयक "युक्तिमुक्तावली", दुर्गासप्तशती" की व्याख्या, "प्राधानिकरहस्य" की व्याख्या आदि ग्रन्थ भी अति उत्कृष्ट हैं। कहते हैं कि संस्कृत का ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर नागेशभट्ट ने लेखनी न चलाई हो। स्वयं नागेशभट्ट ने ही अपने लिये "लघुमञ्जूषा" के अन्त में "सर्वतन्त्रार्थतत्वज्ञः सर्वतन्त्रनिबन्धकृत्" कहा है।

नागेशभट्ट का इतिवृत्त

नागेशभट्ट काशी के थे। काशी में "दूधविनायक" मुहल्ले के चौराहे की वायव्य दिशा के कोण पर जो पक्का बड़ा मकान है वह नागेशभट्ट काले का था, यह वहां के लोग कहते

थे। संभवतः नागेशभट्ट को प्रौढावस्था में कन्या हुई थी जो "देव" उपनाम के विद्वान् वर को दी गई और नागेशभट्ट ने अपना "सिद्धेश्वरी" मुहल्ले का बड़ा मकान उस कन्या को अर्पण किया, जिसमें आज भी "देव" उपनाम के उनके वंशज रह रहे हैं।

नागेशभट्ट के पिता का नाम शिवभट्ट था और माता का नाम सती देवी था जैसाकि नागेशभट्ट के शब्देन्दुशेखर के आरम्भ में लिखा है "शिवभट्टसुतो धीमान् सतीदेव्यास्तु गर्भजः", तथा "शब्देन्दुशेखर" के उत्तरार्थ की अन्तिम, तथा "परमलघुमञ्जूषा"की अन्तिम पुष्पिका में क्रमशः इस प्रकार स्पष्ट किया है" इति श्रीमदुपाध्यायोपनामक शिवभट्टसुत-सतीगर्भज-नागेशभट्टरचितलघुशब्देन्दुशेखराख्ये सिद्धान्तकौमुदीव्याख्याने उत्तरार्धं समाप्तम्", तथा इति शिवभट्टसुतसतीदेवीगर्भजनागोजीभट्टकृता परमलघुमञ्जूषा समाप्ता"। नागेशभट्ट को ही "नागोजीभट्ट" कहा जाता था यह परमलघुमन्जूषा की उपर्युक्त पुष्पिका से सिद्ध है।

नागेशभट्ट के जन्मस्थान का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। ये ऋग्वेदीय महाराष्ट्रीय ब्राहृण थे। नागेशभट्टकृत "लघुमञ्जूषा" की वैद्यनाथ उर्फ बालभट्ट पायगुण्डेकृत "कला" टीका में अपभ्रंशों में शक्ति के विचार में "प्रत्येकम्" इस प्रतीक को उदृत कर "संस्कृतवन्महाराष्ट्रभाषा अपि" इस कथन से नागेशभट्ट महाराष्ट्रीय थे यही ध्वनित होता है। अर्थात् वे मराठीभाषी थे यह भी सिद्ध है। "बृहच्छब्देन्दुशेखर" के पूर्वार्ध के अन्त में नागेशभट्ट ने अपना उपनाम "काले" लिखा है और "काले" उपनाम ही काशी के महाराष्ट्रियों में परिचित था। महाराष्ट्र में "काले" उपनाम के लोग सर्वत्र बहुत हैं। "शब्देन्दुशेखर" की समाप्ति पर पुष्पिका में नागेशभट्ट ने "उपाध्याय" उपनाम का निर्देश किया है तथा अन्य ग्रन्थों में भी कहीं कहीं वही लिखा है, इससे यह ज्ञात होता है कि नागेशभट्ट के पूर्वजों को "उपाध्याय" भी कहा जाता होगा।

नागेशभट्ट को बहुत दिनों तक सन्तति प्राप्त नहीं हुई थी इसी कारण से उन्होंने "लघुशब्देन्दुशेखर" के अन्त में "शब्देन्दुशेखरः पुत्रो मञ्जूषा चैव कन्यका। स्वमतौ सम्यगुत्पाद्य शिवयोरर्पितौ मया" इति। यही श्लोक उनकी लघुमञ्जूषा की समाप्ति में इस प्रकार है-"शब्देन्दुशेखरं पुत्रं मञ्जूषां चैव कन्यकाम्" इस श्लोक का उत्तरार्ध एक सा है।

नागेशभट्ट के उपास्य और कुलदेवता शिवपार्वती थे, यह भी उपर्युक्त श्लोक के "शिवयोरर्पितौमया" इन शब्दों से, तथा नागेशभट्ट की ही "वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा" के आरम्भ के "नागेशभट्टविदुषा नत्वा साम्बं शिवं लघुः। वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते।। "इस कथन से और "लघुशब्देन्दुशेखर" के आरम्भ के नत्वा फणीशं नागेशस्तनुतेऽर्थप्रकाशकम्। मनोरमोमार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरम्।। "और उनकी "परमलघुमञ्जूषा" के आरम्भ के "शिवं नत्वा हि नागेशेनानिन्द्या परमा लघुः। वैयाकरण-सिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते।।" इन श्लोकों से सिद्ध है।

नागेशभट्ट के व्याकरणशास्त्र के गुरु, भट्टोजीदीक्षित के पौत्र हरिदीक्षित थे तथा न्यायशास्त्र के गुरु रामराम थे। लघुमञ्जूषा की समाप्ति में उन्होंने कहा है **"अधीत्य फणिभाषाऽब्धिं सुधीन्द्रहरिदीक्षितात्। न्यायतन्त्रं रामरामाद् वादिरक्षोघ्नरामतः।।"**

नागेशभट्ट महान् विद्वान् थे किन्तु अति निर्धन थे। क्योंकि वे किसी से धनादि मांगते नहीं थे और दोषयुक्त धन किसी से लेते भी नहीं थे। ऐसा उनका संङ्कल्प था। उन्होंने "क्षेत्र संन्यास" व्रत भी धारण किया हुआ था। नागेशभट्ट के समय के विषय में महामहोपाध्याय दुर्गाप्रसाद द्विवेदी की रसगङ्गाधर की भूमिका के अनुसार महाराज सवाई जयसिंह सन् १६८८ से सन् १७१४ तक जयपुरमण्डल के शासक थे। उन्होंने नागेशभट्ट को अश्वमेध कराने के लिऐ निमन्त्रित किया था। अर्थात् ईसवी की सत्रहवी शताब्दी में नागेशभट्ट थे, ऐसा कहा जा सकता है। म.म. हरप्रसाद शास्त्री ने लिखा है कि नागेशभट्ट की मृत्यु १०० वर्ष की आयु में हुई। "ज्ञानकोष" में केतकर ने यह सूचित किया है मृत्युसमय में नागेशभट्ट का वय ६२ वर्ष था। कुछ विद्वानों का मानना है कि नागेशभट्ट का जन्म संभवतः सन् १६७४ में हुआ होगा। नदिया विद्यापीठ के किसी ग्रन्थ में है कि नागेशभट्ट वय के सोलह वर्ष तक अनधीत थे। किसी पण्डित सभा में घुस गये तो उन्हें सभा के बाहर निकाल दिया गया। तभी उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं पण्डिताग्रणी होकर रहूंगा उन्होंने अत्यन्त परिश्रम कर सचमुच वाद में पण्डिताग्रणी पद प्राप्त किया। नागेशभट्ट पहले वैदिक याज्ञिक थे किन्तु उससे जीविका निर्वाह ठीक ठीक न होने के कारण ये फिर काशी में अध्ययनार्थ गये।

एक किंवदन्ती के अनुसार सवाई जयसिंह ने जयपुर मण्डल के अपने माण्डलिक राजाओं को सम्मिलितकर स्वयं अश्वमेध यज्ञ करना चाहा। उन्हें यह मालूम होने पर कि काशी में नागेशभट्ट सब विषयों के महान् पण्डित होते हुए भी अतिनिर्धन हैं, अतः नागेशभट्ट को बहुत धन देने का संकल्प कर अश्वमेध में निमन्त्रित किया, किन्तु नागेश तथा उनकी धर्मपत्नी ने काशी छोड़कर जयपुर जाना उचित नहीं समझा। उन्हें यह ज्ञात था भारतवर्ष के सभी राजाओं को जीतने के अनन्तर ही अश्वमेध करना वैध है। किन्तु अन्त में अपने दारिद्रय को देखकर और यह विचार कर कि अश्वमेध में जाने से सवाई जयसिंह इतना धन देगा कि फिर आजन्म जीविकानिर्वाह की चिन्ता करनी नहीं पड़ेगी, निरुपाय होकर बड़े कष्ट से जयपुर में जाने का विचार कर उन्होंने प्रस्थान किया। यह बात शृङ्गवेरपुर के राजा रामसिंह को मालूम हुई और वह रास्ते में नागेशभट्ट के पास पहुँचा और बोला कि आप इस अवैध अश्वमेध में न जाएं, मैं आजन्म आपकी जीविकानिर्वाह का प्रबन्ध करूंगा। नागेशभट्ट को यह सुनकर आनन्द हुआ और फिर वे जयपुर नहीं गये और काशी लौट आये। राजा रामसिंह नागेशभट्ट का परम भक्त और शिष्य हुआ और उसने अपनी राजसभा में राजगुरू के स्थान पर नागेशभट्ट की प्रतिष्ठा की। वे समय समय

पर उसकी सभा में जाते थे किन्तु स्थायी निवास स्थान उनका काशी ही था। शृङ्गवेरपुर काशी के उत्तर में है और अब "सिंग्रौर" नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार नागेशभट्ट रामसिंह के आश्रित और गुरु थे जैसाकि उन्होंने "लघुशब्देन्दुशेखर" के आरम्भ में और "लघुमञ्जूषा" की समाप्ति में "याचकानां कल्पतरोररिकक्षहुताशनात् शृङ्गवेरपुराधीशाद् रामतो लब्धजीविकः" इस श्लोक में स्पष्ट किया है। रामसिंह ने भी स्वयं को "भट्टनागेशशिष्येण" कहा है। नागेशभट्ट के ग्रन्थों में "गुरुमञ्जूषा" या "बृहन्मञ्जूषा" आज दुर्लभ सी है। तथापि उक्त मञ्जूषा उनकी कृति थी यह बात वैद्यनाथ पायगुण्डे के "बृहन्मञ्जूषा-विवरण" से तथा रामनाथकृत "बृहन्मञ्जूषाटिप्पण" से सिद्ध है। ये तीनों मञ्जूषायें वस्तुतः व्याकरणशास्त्र को "दर्शनशास्त्र" सिद्ध करने वाले ग्रन्थ हैं। षोडश दर्शनों में व्याकरणशास्त्र भी परिगणित है। "लघुमञ्जूषा" भी विस्तृत है और उसमें अनेक प्रकार के प्रमाणों को उद्धत कर "स्फोट" को सिद्ध किया गया है तथा स्फोट की सत्ता का तत्व जानने से ही निःश्रेयस् की प्राप्ति होती है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। "तत्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः"। "परमार्थसार" आदिशेष शेषनागविरचित माना जाता है। नागेशभट्ट ने इस पर विवरण लिखा है और इस के बहुत से श्लोक "लघुमञ्जूषा" में प्रमाणरूप से नागेशभट्ट ने उद्धृत किये हैं। "परमलघुमञ्जूषा" अतिसङ्क्षिप्त ग्रन्थ होने पर भी सिद्धान्त की बातें उसमें भी अतिसुन्दरता से स्पष्ट रूप में मंडित की गयी है कि उसके पठन से भी पूर्ण बोध हो जाता है। नागेशभट्ट ने परिष्कारों का उपक्रम "परमलघुञ्जूषा" में ही अनेकों स्थान पर किया है जिसे हम आगे विस्तृत रूप से लिखेंगे।

भट्टोजीदीक्षितविरचित "प्रौढमनोरमा" के कुछ कथनों का खण्डन पण्डितराज जगन्नाथ ने "मनोरमाकुचमर्दिनी" नामक ग्रन्थ में किया है, किन्तु उनका खण्डन नागेशभट्ट ने किया है।

"परिभाषेन्दुशेखर"

नागेशभट्ट के "परिभाषेन्दुशेखर" पर ३० से अधिक टीकायें उपलब्ध हैं, उनमें "भूति", "विजया", "गदा", "हैमवती", "भैरवी" आदि उल्लेखनीय हैं। "परिभाषेन्दुशेखर" में १३३ परिभाषायें ली गईं हैं। ये सभी विद्वन्मान्य हैं तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य में तत्तत् स्थानों पर उनका उल्लेख किया है।

नागेशभट्ट ने उनके अर्थ, तात्पर्य तथा उनकी आवश्यकता इतनी सुन्दरता तथा प्रमाणों से स्पष्ट की है कि सभी विद्वानों ने "परिभाषेन्दुशेखर" का पूर्ण आदर किया है। "परितो भाष्यते सा परिभाषा", "परितो व्यापृतां भाषां परिभाषां विदुर्बुधाः"। जो परिभाषायें पाणिनि के सूत्रों में नहीं हैं वे ही "परिभाषेन्दुशेखर" में ली गयी हैं। अतः ये परिभाषायें पाणिनि के सूत्रों तथा कात्यायन के वार्त्तिकों से अतिरिक्त है।

परिभाषा के दो भेद हैं-१. शास्त्रत्व सम्पादिका तथा २. शास्त्रत्वावच्छेदिका। परिभाषेन्दुशेखर में प्रकरणों को "तन्त्र" नाम दिया गया है। ये प्रकरण तीन है। प्रथम, शास्त्रत्व- संपादनोद्देशप्रकरण है जिसमें १ से ३७ तक परिभाषायें है। दूसरा बाधबीजप्रकरण है जिस में ३८ से ७१ तक परिभाषायें हैं और तीसरा तन्त्रशेषप्रकरण है जिस में ७२ से १३३ तक परिभाषायें हैं। परिभाषाओं के भिन्न भिन्न अनेक प्रकार हैं-वाचनिक, न्यायसिद्ध, ज्ञापकसिद्ध आदि। कुछ परिभाषायें जो "परिभाषेन्दुशेखर" में नहीं ली गई हैं- किन्तु प्रचलित हैं-उनका विचार "परिभाषेन्दुशेखर" की कुछ परिभाषाओं के विवरण में किया गया है, जैसे "लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते" इस प्रचलित परिभाषा का विचार "पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः" इस बीसवीं परिभाषा के विवरण में किया गया है। जिन परिभाषाओं को "परिभाषेन्दुशेखर" में लिया गया है, उनके विषय में स्वयं नागेशभट्ट ने आरम्भ में ही कहा है- "प्राचीनवैयाकरणतन्त्रे वाचनिकानि, अत्र पाणिनीय-तन्त्रे ज्ञापकन्यायसिद्धानि भाष्यवार्तिकयोरूपनिबद्धानि यानि परिभाषारुपाणि तानि व्याख्यास्यन्ते"। "परिभाषेन्दुशेखर" की "हैमवती" टीका जो मेरे पिता श्रीकृष्णशास्त्री थत्थे के गुरु काशी के पण्डित यागेश ओझा की कृति है अब मुद्रित हो पाई है किन्तु इसकी हस्तलिपि मेरे पास है। नागेशभट्ट के "परिभाषेन्दुशेखर" के पूर्व व्याडि ने "परिभाषापाठ" नामक संग्रह ग्रन्थ व उसके बाद सीरदेव ने "परिभाषावृत्ति" लिखी है। माधवनिर्मित "धातुवृत्ति" में "परिभाषावृत्ति" का उल्लेख है।

नागेशभट्ट के अति महत्वयुक्त व्याकरण ग्रन्थों में "बृहन्च्छब्देन्दुशेखर" की भी बहुत टीकायें हुई किन्तु "बृहच्छब्देन्दुशेखर" अतिविस्तृत होने से उसका प्रचलन उतना नहीं हो पाया जितना "लघुशब्देन्दुशेखर" का हुआ। तथापि जो शास्त्रार्थ "बृहच्छब्देन्दुशेखर" में विस्तृत रूप में हैं वे "लघुशब्देन्दुशेखर" में कुछ संक्षेप में हैं। "लघुशब्देन्दुशेखर" की भी बहुत टीकायें हैं जिनके कर्ताओं में वैधनाथ पायगुण्डे, भैरव मिश्र, मेरे संस्कृत विषय के प्रथम गुरू महामहोपाध्याय पं. नित्यानन्दपन्त पर्वतीय आदि उल्लेखनीय हैं। उपर्युक्त टीकाओ के अतिरिक्त "चन्द्रकला" "नागेशोक्तिप्रकाश", "दण्डिकृत" "क्रोडपत्र," "विषमी", "श्रैधरी" आदि टीकायें भी हैं।

"बृहच्छब्देन्दुशेखर", तथा "लघुशब्देन्दुशेखर" दोनों भट्टोजी दीक्षित की "सिद्धान्तकौमुदी" की टीकायें होने के कारण इन में "सिद्धान्तकौमुदी" का ही क्रम लिया गया है। दोनों शेखरों में तत्तत् स्थलों पर नागेशभट्ट ने विवादों का खूब मन्थन करके सिद्धान्तरत्नों को विद्वानों के सम्मुख रखा और अपनी व्याख्याओं का प्रामाण्य उनसे मान्य कराया है। कहीं कहीं वामन-जयादित्य की "काशिका" के व्याख्याकार हरदत्त आदि तथा रामचन्द्र के व्याख्याकार शेष श्रीकृष्ण, महाभाष्य के व्याख्याकार कैयट, इतना ही नहीं, शेखरों के मूल ग्रन्थ "सिद्धान्मकौमुदी" के कर्ता भट्टोजीदीक्षित को भी जहाँ जहाँ भ्रान्तियां हुई हैं। उन्हें नागेशभट्ट ने स्पष्ट शब्दों में किन्तु विनय से विद्वानों के सम्मुख रखा है। उदाहरणार्थ-

"लण्" इस माहेश्वर सूत्र के मध्य स्थित अकार को "र" प्रत्याहार की सिद्धि के लिये अनुनासिक मानने का पक्ष भी नागेशभट्ट ने बड़ी युक्तियों और प्रमाणों से अस्वीकृत किया है। ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। अनुबन्धों के अनेकान्तत्व का खण्डन कर एकान्तत्व सिद्ध किया है। व्याकरणशास्त्र की "अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः" इस परिभाषा का "परिभाषेन्दुशेखर" में स्वीकार करके भी नागेशभट्ट ने बिना हिचक के कहा कि "नहि वर्णाभिव्यक्तिजनक कण्ठाद्यभिघातगौरवमेवादरतव्यम्, न तु ज्ञानजनकमनोव्यापारगौरवमिति राजाऽऽज्ञास्ति" इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं।

परिष्कार

प्राचीन व्याकरणशास्त्र में परिष्कारों की परम्परा नहीं थी। यह नागेशभट्ट की ही महत्ता है कि उन्होंने न्यायशास्त्र की पद्धति के अनुसार व्याकरणशास्त्र में भी परिष्कारों की प्रथा अपनाकर उसे चालू किया। परिष्कारों से सिद्धान्तों की महत्ता अक्षरशः स्पष्ट हो जाती हैं तथा वादि-प्रतिवादियों को माननी ही पड़ती हैं। "लघुशब्देन्दुशेखर" में अकारादि वर्णो के स्थानों तथा प्रयत्नों के स्पष्टीकरण में नागेशभट्ट ने "कण्ठविवरादिनिष्ठविकासादे-रास्यबहिर्देशावच्छिन्नकार्यस्य", "कण्ठाद्यवच्छिन्नवायुसंयोगेन" इत्यादि परिष्कारों से वस्तुएँ स्पष्ट की है। अर्थवत्सूत्र में अर्थवत्व का परिष्कार नागेशभट्ट ने इस प्रकार किया है- "एतत्संज्ञाफलभूतविभक्तीतरसमभिव्याहारानपेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वमर्थवत्त्वम्", "त्वत्रकृत्यर्थत्वं च धातुपाठकोशादौ समुच्चार्यबोधितत्वम्", "प्रकृतित्वं प्रत्ययविधावुद्देश्यता-वच्छेदकाक्रान्तत्वम्" इत्यादि। "परिभाषेन्दुशेखर" में "येन नाप्राप्ते" इस परिभाषा में "सामान्यधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकस्य" इत्यादि परिष्कार किया है।

नागेशभट्ट ने "परमलघुमञ्जूषा" में परिष्कार बहुत स्थानों पर किये हैं। जैसे "तद्धर्मावच्छिन्नशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः", "सकर्मकत्वं च फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वम्", पूर्वोक्तपरिष्कारे "ज्ञाने वृत्तिवैशिष्ट्यं च स्वविषयकोद्बुद्धसंस्कारसामानाधिकरण्य-स्वाश्रयपदविषयकत्वोभयसंबन्धेन", "फलसमानाधिकरण-व्यापारवाचकत्वमकर्मकत्वम्", "शब्दशास्त्रीयकर्मसंज्ञकार्थान्वय्यवयर्थकत्वं सकर्मकत्वम्", "सकर्मकत्वं च स्व-स्व-समभिव्याहृतनिपातान्यतरार्थफलशालित्वम्", "परोक्षत्वं च साक्षात्कृतमित्येतादृशविषयता-शालिज्ञानविषयत्वम्", "प्रवर्तनात्वं च प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वम्", "प्रकृतधात्वर्थ-प्रधानीभूतव्यापारप्रयोज्यप्रकृतधात्वर्थफलाश्रयत्वेनोद्देश्यकयोग्यताविशेषशालित्वं कर्मत्वम्", "तत्तत्कर्तृसमवेततत्तत्क्रियाजन्यप्रकृतधात्ववाच्यविभागाश्रयत्वमपादानत्वम्" इत्यादि।

नागेशभट्ट के बाद परिष्कारों की परम्परा खूब बढ़ी। जिसका श्रेय "परिभाषेन्दुशेखर की भूति टीकाकर्ता रामकृष्ण उर्फ तात्याशास्त्री पटवर्धन, "विजया" टीकाकार जयदेव मिश्र,

वैद्यनाथ पायगुण्डे, भैरव मिश्र तथा शब्देन्दुशेखर की "दीपक" टीकाकार पं. नित्यानन्द पन्त पर्वतीय आदि विद्वानों को है। मेरे व्याकरण के मुख्य गुरू म.म. पं. हाराणचन्द्र भट्टाचार्य तो महान् परिष्कारी थे।

शेखरद्वय की टीकायें

नागेशभट्ट के द्वारा शेखरद्वय की रचना होने के पश्चात् पाणिनीय व्याकरण में एक नये अध्याय का शुभारम्भ होता है साधारणतया किसी भी नये ग्रन्थ की रचना होने के पश्चात् उसका प्रचार और प्रसार होने में कुछ विलम्ब अवश्य होता है, किन्तु नागेश इसके अपवादस्वरूप ही रहे, उनके शेखरद्वय ने व्याकरण के क्षेत्र में नई भूमिका का निर्वाह किया। तबसे "नव्यव्याकरण" नाम से व्याकरण की एक पृथक् शाखा आगे बढ़ी। "नव्य व्याकरण" पाणिनीय व्याकरण की ही एक पृथक् विधा है, न कि पाणिनीय व्याकरण से भिन्न कोई दूसरा व्याकरण। इस विधा में प्रक्रियांश के साथ-साथ पदार्थों के अर्थात् पारिभाषिक शब्दों के अर्थोन्मूलन की ओर अग्रसर होना ही इसकी विशेषता है। इस प्रकार पारिभाषिकता की ओर विचार करने हेतु व्याकरणशास्त्र के विद्वानों ने नव्य न्यायशास्त्र में प्रचलित शब्दावली प्रयोग कर एक नवीन शैली को जन्म दिया, इस नवीन शैली में नवद्वीप "नदिया" में प्रचलित शैली का अनुसरण किया गया । इसका प्रमुख कारण यह था कि न्याय शास्त्र में प्रचलित "व्युत्पत्तिवाद", शक्तिवाद " तथा "शब्दशक्तिप्रकाशिका" आदि ग्रन्थों में वर्णित विचारों का आदान-प्रदान समान शैली में होते हुए सामञ्जस्य स्थापित किया जा सके।

अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह अपेक्षित था कि "शेखरद्वय" का पाठ्यग्रन्थों में समावेश हो जाय।

सौभाग्यवश इस कार्य के सम्पादन में योगदान पण्डित गङ्गाराम शास्त्री त्रिपाठी का रहा, उनकी दृष्टि इन दोनों ग्रन्थों पर पड़ी और उन्होंने "शेखरद्वय" का पाठन आरम्भ किया, पण्डितों में इस प्रकार की एक कहावत भी प्रचलित हुई- "नागेश (सं.१७६६) ने बनाया, गङ्गाराम (सम्वत् १८१० लगभग) ने चलाया"।

नागेश के ग्रन्थों के निर्माण होने के लगभग २०-२५ वर्षों के भीतर ही पठन-पाठन के रूप में प्रचलित होना आश्चर्य घटना ही रही, केवल प्रक्रियांश को ही अभिलक्षित न करते हुए नव्य न्याय की शैली में परिष्कारों की सरणि को अपनाकर पण्डित गङ्गाराम शास्त्री ने उनकी कीर्ति सर्वत्र फैला दी।

पण्डित गंगाराम शास्त्री जी के पिता पण्डित कमलापति जी अल्मोड़ा जनपद के ज्योली ग्राम से आकर प्रयाग तथा, काशी में स्थित रहे, पण्डित गंगाराम शास्त्री का शैशव तथा किशोरावस्था कहाँ व्यतीत हुई इसका निश्चय विदित नहीं है। इन्होंने अपने गुरू का संकेत भी कहीं नहीं किया है। काशी में नागेश के समकालिक होने के कारण कदाचिद्

उनसे इन्हें विद्यालाभ हुआ हो। अन्यथा नागेश के निधन के अनन्तर २० वर्षों के अन्तराल में ही इन ग्रन्थों का प्रचार होना कठिन ही था, इनके द्वारा प्रचलित नयी परिष्कार शैली पर आधारित शास्त्रार्थ की परम्परा निकली, जिससे इस पद्धति के अभ्युदय में विशेष बल प्राप्त होता गया। नव्य व्याकरण की इस परिष्कार पद्धति के जन्मदाता के रूप में श्री गंगाराम शास्त्री त्रिपाठी की कीर्ति पताका व्याकरण के इतिहास में अक्षुण्य है।

पण्डित गंगाराम शास्त्री त्रिपाठी के तीन प्रमुख शिष्ये थे-

१. पण्डित रंगनाथ जी, जो नेपाल के महाराजा के गुरु एवं अमात्य थे।
२. पण्डित जगन्नाथ शास्त्री गाडगिल जो अन्तिम पेशवाओं के राजगुरु थे।
३. पण्डित रघुनाथ शास्त्री।

पण्डित यागेश्वर ओझा

परिभाषेन्दुशेखर की प्रसिद्धि टीकाओं में क्रमशः पुरातनता के विचार से पण्डित यागेश्वर ओझा की "हैमवती" नामक टीका उल्लेखनीय है।

इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चोल्हानचक (रूद्रपुर) गाँव में लगभग १८८५ सम्वत् में हुआ था। इनके पिता का नाम पण्डित श्री ओंकार ओझा था। अध्ययन हेतु काशी चले आये। इन्होंने पण्डित राजाराम शास्त्री कार्लेकर के चरणों में बैठकर व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया। इसके साथ ही अपने परम गुरु श्री काशीनाथ शास्त्री अष्टपुत्रे के पास भी पाणिनीय व्याकरण का पारायण किया। इनके सतीर्थ्य पण्डित बालशास्त्री रानाडे ने इन्हें भी नव्य व्याकरण की शैली को पल्लवित करने का आग्रह किया, किन्तु ये प्रक्रियांश पर ही विशेष महत्व देते रहे। इनके मत में प्रक्रिया तथा परिष्कार दोनों शैलियाँ परस्पर विरूद्ध न होकर एक दूसरे की पोषिका हैं। अलग-अलग शैली का उपयोग कर व्याकरण के मूल ग्रन्थ का अनुशीलन गम्भीरता से किया जा सकता है। प्रक्रिया प्रद्घति महाभाष्यकार पतज्जलि की व्याख्या का अनुगमन करना अपना लक्ष्य समझती है। परिष्कार पद्धति में नव्य न्याय की सम्बन्ध विषयक सूक्ष्म रीति का समावेश होता है। मूल ग्रन्थ के तथ्यों का अनुशीलन दोनों का ही लक्ष्य है।

ये अत्यधिक निःस्पृह तथा पूतात्मा थे। तथा पाण्डित्य के जङ्गमावतार होते हुए भी निरभिमानी थे, तत्कालीन राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के आह्वान किये जाने पर भी इन्होंने सेवावृत्ति स्वीकार नहीं की।

पण्डित यागेश्वर जी के पुत्र पण्डित देवकृष्ण जी तथा उनकी (देवकृष्णजी) की पुत्री श्रीमती शिवमुनी देवी सुप्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान् पद्मविभूषण आचार्य बल्देव उपाध्याय की धर्मपत्नी रहीं।

पण्डित यागेश्वर शास्त्री का देहान्त सम्वत् १६५६ में हुआ। ओझा जी की एक मात्र रचना परिभाषेन्दुशेखर की व्याख्या "हैमवती" है। उसका हस्तलेख उनके जीवनकाल में अनेक शिष्यों ने अपने पास सुरक्षित रखा था। उनके प्रमुख शिष्य जयपुर निवासी पण्डित वीरेश्वर शास्त्री द्राविड़ द्वारा सुरक्षित हस्तलेख के आधार पर इसका प्रकाशन विक्रम सम्वत् २०३२ (१६७५ ई.) में सम्भव हो सका, जिसका प्रमुख श्रेय उनके पौत्रीपति आचार्य बलदेव उपाध्याय जी को है। जिसका सम्पादन पं. कालिका प्रसाद शुक्ल ने किया है।

आधुनिक युग में लिखी गयी परिभाषेन्दुशेखर की व्याख्याओं में "हैमवती" का आश्रय सभी व्याख्या कारों ने लिया है। "हैमवती" मे यद्यपि परिष्कारों का कोटि-प्रकोटि के रूप में बाहुल्य नहीं है तथापि ग्रन्थ के स्पष्ट करने में इसका विशेष महत्त्व है कारण यह है कि परिभाषाओं का उपयोग कहाँ तथा किस रूप में किया जाय और उनकी सार्थकता पाणिनीय व्याकरण की प्रक्रिया में कहाँ-कहाँ दिखाई गयी है- उन सब का वास्तविक रहस्य हैमवती में उद्घाटित कर दिया गया है। "हैमवती" की महती विशिष्टता तो यह है कि वह नागेश के कथन का प्रत्यक्षर व्याख्यान करती हुई उसके अन्तःस्थल में विद्यमान तात्पर्यादि की विशद व्याख्या करती हैं, इसकी भाषा सरल तथा सुबोधगम्य है, ग्रन्थ की जटिलता को दूर करने में इसका विशेष महत्व है। कभी-कभी तो व्याख्याओं की भी व्याख्या करनी पड़ती है, जैसाकि म.म. पण्डित तात्याशास्त्री (सं.१६५४) द्वारा विरचित "भूति" को और अधिक स्पष्ट करने के लिए पण्डित गणपतिशास्त्री मोकाटे जी ने "तत्त्वप्रकाशिका" व्याख्या की रचना की। मोकाटे जी ने अपनी व्याख्या में स्थल विशेषों पर "केचित्तु" आदि पदों द्वारा निर्दिष्ट मत से "हैमवती" कार की ओर संकेत किया है। ओझा जी ने अपने पूज्यगुरु (परमगुरु) पण्डित काशीनाथ शास्त्री का आदर करते हुए उनके मत का उल्लेख अपनी व्याख्या के प्रमाण स्वरूप यत्र-तत्र उद्धृत किया है। इनके सतीर्थ्य पण्डित बालशास्त्री जी ने भी परिभाषेन्दुशेखर पर "सारासार विवेक" नाम्नी टिप्पणी लिखी थी।

ओझा जी परम भागवत् थे उनकी बाल्मीकीय रामायण पर अगाधश्रद्धा एवं दृढ निष्ठा थी। इसके फलस्वरूप उन्होने अनेक व्यक्तियों की मनोरथ-पूर्ति की। ये शुष्क वैयाकरण ही नहीं थे, अपितु बड़े रसिक भजनानन्दी थे। जीवन के प्रत्येक क्षण को सार्थक करते थे। व्यर्थ नहीं गवाते थे जैसाकि निम्न श्लोक से स्पष्ट है-

आयुषः क्षण एकोऽपि न लभ्यः स्वर्णकोटिभिः।
स चेन्नु व्यर्थतां नीतः का नु हानिस्ततः परा।।

इस श्लोक को वे जीवन का आदर्श वाक्य मानते थे।

इनके शिष्यों में दो शिष्य-पण्डित ठाकुर प्रसाद ओझा तथा पण्डित वीरेश्वर शास्त्री द्राविड़ प्रसिद्ध हुए। पण्डित ठाकुर प्रसाद ओझा तो इनके भ्रातुष्पुत्र ही थे। इन्होंने

पं. ठाकुर प्रसाद जी को व्याकरणशास्त्र के चूडान्त ग्रन्थों का अध्यापन कर एक प्रकाण्ड सुबुद्ध वैयाकरण बना दिया था। ठाकुर प्रसाद जी की प्रतिभा बड़ी विलक्षण थी। व्याकरण के विद्वान् होने का तो गौरव उन्हें अपने पितृव्य-चरण के अध्यापन के फलस्वरूप हुआ, परन्तु वे अपनी प्रखर बुद्धि से साहित्य एवं ज्योतिष जैसे शास्त्रों का अनुशीलन कर इन विषयों के उत्कृष्ट पण्डित हो गये थे। यागेश्वर शास्त्री के भ्रातुष्पुत्र होने के नाते बालशास्त्री जी की कृपादृष्टि इन पर सदैव बनी रहती थी। एक समय कहीं संस्कृत विद्यालय में चल रही शलाका परीक्षा में अन्य छात्रों द्वारा अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर देने से इन पर बालशास्त्री बड़े प्रसन्न हुए।

श्रीयुत् ओझा जी के दूसरे प्रमुख शिष्य जयपुर-निवासी पण्डित वीरेश्वर शास्त्री द्राविड़ थे। इन्होंने ओझा जी के चरणों में बैठकर समग्र व्याकरणशास्त्र तथा धर्मशास्त्र आदि विविध विषयों का अध्ययन किया। इसके अनन्तर वे जयपुर राज्य के संस्कृत महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त किये गये। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु-पूजन के निमित्त अवश्य आया करते थे। एक बार जयपुर जाते समय आशीर्वाद लेने के लिए यागेश्वरशास्त्री जी के आवास पर पहुँचे। यागेश्वर शास्त्री जी आशीर्वाद-स्वरूप उनके सिर पर हाथ रखकर सारे शरीर पर भी हाथ फेरा। इसके फलस्वरूप वीरेश्वर शास्त्री जी के शरीर पर बिजली का सा असर हो गया। उन्हें अचानक सब शास्त्र गुरु-कृपा के फल-स्वरूप उद्‌बुद्ध हो गये।

वीरेश्वर शास्त्री जी ने काशी में कृष्ण-यजुर्वेद की एक पाठशाला का संचालन अपने व्यय से किया था। इस पाठशाला में पण्डित चन्द्रशेखर द्राविड़ ने बहुत दिनों तक अध्यापन-कार्य किया था। दूध विनायक मुहल्ले के समीप गोविन्द जी नायक गली में यह पाठशाला चलती रही। बाद में रामघाट में एक मकान लेकर पाठशाला की व्यवस्था कर दी थी तथा उसके संचालन हेतु एक न्यास (ट्रस्ट) स्थापित किया था। पं. चन्द्रशेखर शास्त्री जी के बाद श्री रामजीशास्त्री द्राविड़ विद्यालय का संचालन अध्यापन कार्य के साथ करते रहे।

२. म.म.पं. तात्या शास्त्री

परिभाषेन्दुशेखर की परिष्कृत व्याख्याओं में कालक्रमानुसार पं. तात्या शास्त्री की "भूति" नामक व्याख्या १९ वीं शताब्दी के मध्य से आरम्भ हो २०वीं शताब्दी के मध्य तक पठन-पाठन की दृष्टि से बड़ी प्रसिद्ध रही है। परिष्कारों का आयाम इस व्याख्या की विशेषता रहा है, जिससे प्रभावित हो लगभग एक शतक तक विद्यार्थी इसका अभ्यास करने में बड़ा गौरव समझते रहे। पं. बालशास्त्री के शिष्यों में व्याकरणशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन में इनकी प्रमुखता रही।

पं. तात्या शास्त्री का वास्तविक नाम रामकृष्ण था। इनका जन्मस्थान महाराष्ट्र में नागपुर नगर रहा है। बाल्यावस्था में ही पिता की मृत्यु के कारण आप अपने चाचा श्री नागेश्वर भट्ट पटवर्धन के साथ काशी आए। इनके पूर्वजों के सम्बन्ध में यह ज्ञात है कि पटवर्धन वंश में पं. कृष्ण शास्त्री कोकण (सह्याद्रि पर्वत) के निवासी थे। कालान्तर में पं. कृष्ण शास्त्री ने सतारा को अपना कर्मक्षेत्र बनाया। भगवती पार्वती की कृपा से श्री कृष्ण शास्त्री को महाराष्ट्र साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के दरबार में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अपनी प्रखर बुद्धि तथा वैदुष्य के कारण आप शीघ्र ही शिवाजी के दरबार में राजपण्डित नियुक्त किये गए। इतना ही नहीं, इन्हें छत्रपति शिवाजी ने अपने सामन्त रघो जी भोंसले के साथ नागपुर में राजकीय व्यवस्था में सहायता देने के लिए भेजा। यह घटना १७वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की है। आप अधिक दिनों तक जीवित न रह सके और काल-कवलित हुए। इनकी पत्नी ने दुःखी होकर पति की स्मृति को सजोये रखने के लिए स्मारकस्वरूप कृष्णेश्वर मन्दिर की स्थापना कराई। पारिवारिक दुःख से संतप्त हो कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई की पत्नी नागपुर छोड़कर काशी चली आईं। इस प्रकार तात्या शास्त्री के कुछ वंशज काशी में आकर रहने लगे।

परिवार का विभाजन यहीं से आरम्भ हो गया क्योंकि शेष सदस्य नागपुर में ही रहते थे। पं. कृष्ण शास्त्री के दूसरे भाई पं. बालकृष्ण भट्ट थे जो हमारे चरित्रनायक के प्रपितामह हुए। पं. बालकृष्ण भट्ट के पुत्र पं. भट्टनारायण तात्या शास्त्री के पितामह थे। तात्या शास्त्री के पिता पं. महादेव भट्ट (बालम् भट्ट) अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। पं.महादेव भट्ट के छोटे भाई का नाम पण्डित नागेश्वर भट्ट था। ये सभी लोग नागपुर में ही रहे।

तात्या शास्त्री का जन्म सं. १९०२ वि. (१८४५ ई.) में आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी को नागपुर में हुआ। दुर्भाग्यवश पांच वर्ष के अल्पवय में ही आपके माता-पिता का असामयिक निधन हो गया। विवश हो आप अपने चाचा पं. नागेश्वर भट्ट के साथ काशी आ गये। आठ वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत सम्पन्न किया गया। इसी मध्य अपने चाचा के साथ यह पुनः नागपुर चले गए। और नागपुर में ही काव्य कोशादि का अध्ययन किया। तदनन्तर पुनः काशी वापस आकर इन्होंने पं. बालशास्त्री को अपना गुरू बनाया। कुशाग्र बुद्धि सम्पन्न होने के कारण तात्या शास्त्री ने मात्र छह वर्षों में ही व्याकरणादि अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया।

अध्ययन के पश्चात् इन्हें काशी की दरभंगा पाठशाला में अध्यापन-कार्य का अवसर प्राप्त हुआ। तदनन्तर इनके वैदुष्य से प्रभावित होकर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के तत्कालीन प्रधानाचार्य डा. थीबो ने इन्हें व्याकरण की गद्दी पर प्रतिष्ठापित किया। और तात्या शास्त्री ने वि.सं. १९३७ से वि.सं. १९७६ तक) १८८० ई. से लेकर १९१९ ई.) की लम्बी अवधि तक अध्यापन कार्य किया। इन्होंने यावत् जीवन विद्या-दान किया।

पारिवारिक जीवन

पं. तात्या शास्त्री के चार पुत्र थे-(१) पं. नारायण शास्त्री पटवर्धन, (२) पं. बालकृष्ण शास्त्री पटवर्धन, (३) दुण्ढ़िराज शास्त्री और (४) वीरेश्वर शास्त्री। इनमें से इनके ज्येष्ठ पुत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पिता से अध्ययन करने के पश्चात् इनकी भी नियुक्ति संस्कृत महाविद्यालय में हुई और इन्होंने अनेक वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। साथ ही इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना भी की। इनके प्रमुख ग्रन्थ इस प्रकार हैं- (१) बाल शास्त्री का जीवन वृत्तान्त (२) इंग्लिश गाइड (दो खंण्डों में) (३) संस्कृत सोपान (४) भाषाचन्द्रिका (हिन्दी भाषा का सरल व्याकरण) (५) ऋजु व्याकरण दीपिका (तीन भागों में) इनका निधन सन् १९०३ ई. को अकस्मात् हो गया।

तात्या शास्त्री के दूसरे पुत्र पं. बालकृष्ण शास्त्री पटवर्धन राजराजेश्वरी प्रेस के मैनेजर थे। इनका निधन सन् १९१६ ई. में हुआ। इस प्रकार प्रथम दो पुत्रों का निधन शास्त्री जी के जीवनकाल में ही हो गया और वे पुत्र के वियोग में दुःखी रहने लगे। वर्तमान में तात्या शास्त्री जी के परिवार में पौत्र, प्रपौत्र, पौत्री तथा प्रपौत्रियाँ हैं। तात्या शास्त्री ७५ वर्ष की परिपक्व आयु में फाल्गुन शुक्ल तृतीया वि.सं. १९७६ (सन् १९१९ ई.) को पञ्चतत्त्व में विलीन हो गए।

शिष्यमण्डली

देश के विभिन्न प्रान्तों से अनेक छात्र तात्या शास्त्री से व्याकरणादि शास्त्रोंका अध्ययन करने आये। इनमें से कुछ शिष्यों ने उल्लेखनीय ख्याति प्राप्त की जिनका परिचय इस प्रकार है। इनके सर्वप्रथम शिष्य थे म.म. पं. शशिनाथ झा जो कालान्तर में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय (मुजफ्फरपुर बिहार के) में प्रधानाध्यापक नियुक्त किये गए। व्याकरण वैदुष्य के कारण इन्होंने पण्डित समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की। तात्या शास्त्री के दूसरे प्रधान शिष्य थे पं. रामयशस्त्रिपाठी जो "महाशय" के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। महाशय जी ने व्याकरण शास्त्र के अध्यापन में विशेष ख्याति प्राप्त की और ये तपस्वी थे। इनके अतिरिक्त तात्या शास्त्री जी के अन्य शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं-पं. द्रव्येश झा, किशोरी झा, जयकिशोर झा, गुनोर झा, पं. रामदेव द्विवेदी, पं. राजनीति पाण्डेय, पं. मोतीराम पाण्डेय, पं. रामउदित उपाध्याय आदि। राम उदित जी अपने गुरू की भाति शास्त्र निपुण और लोक कुशल थे। व्याकरणादिशास्त्रों के अध्यापन में इन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की। बलिया में आपने शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए एक भव्य भवन का निर्माण किया।

कृतित्व

अधिकतर यह देखा गया है कि प्राचीन संस्कृत विद्वानों में पठन-पाठन की प्रवृत्ति ही रही है। ग्रन्थ लेखन की ओर ध्यान कम रहा है। पं. तात्या शास्त्री इसके अपवाद रहे।

इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की। व्याकरण शास्त्र के अतिरिक्त भी उनकी कृतियाँ उपलब्ध होती हैं। भर्तृहरि के ग्रन्थ वाक्यपदीय के हस्तलेख का संशोधन तथा प्रकाशन पं. तात्या शास्त्री के सम्पादकत्व में (वि.सं. १६४१) १८८४ ई. में प्रारम्भ ही हुआ। आपके द्वारा इस ग्रन्थ के प्रथम व द्वितीय काण्डों का संशोधन सम्भव हो सका। तत्पश्चात् म.म. गंगाधर शास्त्री के द्वारा इसके शेष काण्डों का प्रकाशन साध्य हुआ।

पं. नागेश भट्ट द्वारा विरचित परिभाषेन्दुशेखर का पाठन प्रचलित हो चला था। इनके पूर्व परम गुरूओं के द्वारा अध्यापन की सरणी में परिष्कारों का प्रचार बढ़ता जा रहा था। उन परिष्कारों में यद्यपि विशेषतः सैद्धान्तिक भेद तो कम ही था, किन्तु उसकी शैली में भाषागत वैशिष्ट्य भिन्न प्रकार से प्रकट किया जाता रहा। इस दृष्टि से अपने गुरु -परम्परागत विचारों को पल्लवित करने के लिए परिभाषेन्दुशेखर की "भूति" नामक व्याख्या लिखी। परिभाषेन्दुशेखर की व्याख्या का युग पं. योगेश्वर ओझा जी की "हैमवती" व्याख्या के समय से आरम्भ हो चुका था। इन्हें उन परिभाषाओं के व्याख्यान करने में विशेष प्रकार की शब्दावली से अनुप्राणित परिष्कारों की कोटियां लिखने का अच्छा अवसर मिला। स्वयं विरचित टीका को पढ़ाने के कारण परिभाषेन्दुशेखर के आशय को विद्यार्थियों को समझाने में विशेष असुविधा नहीं होती थी। छात्रों को भी गुरुप्रणीत व्याख्या द्वारा उनके मत का अवबोध हो जाता था। शैली में मौलिकता होते हुए भी ग्रन्थगत पदार्थो के निर्वचन करने में स्पष्टता लाने के लिए परिष्कारों की कल्पना से ग्रन्थ की जटिलता अवश्य बढ़ जाती है। इस आयाम को दूर करने के लिए लक्षण-समन्वय की दीर्घ कल्पना एकमात्र उपाय है। इसी उपाय का अवलम्बन करने से परिष्कारों की सरणी क्रमशः बढ़ती जाती है। कभी-कभी तो उसकी दीर्घता आयामजनक हो जाती है और उसकी शुष्कता से छात्र ऊब जाते हैं। व्याख्याता की सफलता इसी बात पर निर्भर है कि उसकी व्याख्या सरणी से छात्र वर्ग ऊब न जाए। पं. तात्या शास्त्री ने यथाशक्ति व्याख्या सरणि में परिष्कारों में जटिलता न आये इस बात का पूरा प्रयास किया है। फिर भी कुछ तो व्याकरण शास्त्र की शुष्कता तथा परिष्कार शैली की स्वयं सिद्ध जटिलता से कहीं-कहीं ग्रन्थ को दुरूह बनने से रोक न सके। इतना होने पर भी आप "भूति" नाम को सार्थक बनाने में पूर्णतः सफल हुए। ग्रन्थ के आरम्भ में पं. तात्या शास्त्री ने जो प्रतिज्ञा की है, उसका उन्होंने यथावत् निर्वाह किया है। उन्होंने अपने मङ्लाचरण के बाद इस प्रकार प्रतिज्ञा की है- "प्राचीनवैयाकरणानामिन्द्रादीनाम् शास्त्रे वचनरूपाणि ज्ञापकन्यायाभ्यां प्रमितानि भाष्यवार्तिककारयोरभिप्रेतानि यानि परिभाषारूपाणि तानि अत्र ग्रन्थे व्याख्यायन्ते।"

नागेश भट्ट ने अपने ग्रन्थ में यत्र तत्र कैयट की अधिकतर समीक्षा की है। काशी की वैयाकरणों की परम्परा में नागेश द्वारा प्रवर्तित कैयट की आलोचना यत्र तत्र अरूचिपूर्ण रही। बाद में शेखर-द्वय के टीकाकारों ने कैयट के मत की समीचीनता प्रतिष्ठापित की है।

इसी क्रम में पं. तात्या शास्त्री ने भी परम्परा का अनुसरण यत्र तत्र किया है। यथोद्देश्य तथा कार्यकाल पक्षों के विवरण में पं. तात्या शास्त्री ने परम्परा का निर्वाह करते हुए सामञ्जस्य उपस्थित किया है[1] पं. तात्या शास्त्री जी का अनेक शास्त्रों में अधिकार होने के कारण उनके द्वारा परिष्कृत एवं सम्पादित ग्रन्थ विभिन्न शास्त्रों में मिलते है, जिनमें से प्रसिद्ध ग्रन्थों का विवरण इस प्रकार है।

१. शब्देन्दुशेखर पर भी इन्होंने व्याख्या लिखी थी, किन्तु उपलब्ध नहीं होती।

२. साङ्ख्य-योग के अध्यापक होने के कारण आपने विज्ञान-भिक्षुकृत "योगवार्तिक" का सम्पादन कर पण्डित पत्र में प्रकाशित करवाया। प्रस्तुत ग्रन्थ पर्याप्त दुरूह है, तथापि शास्त्री जी ने बड़े परिश्रम से इसे सुलभ बनाया। "भूति" के विषम स्थलों पर म. म. पं. दामोदर शास्त्री भारद्वाज के शिष्य पं. गणपति शास्त्री मोकाटे ने टिप्पणी लिखी है, जो "भूति" के द्वितीय संस्करण (सं. २०३६ वै.) में विद्यमान है। इसी संस्करण में पं. गोविन्द नरहरि वैजापुरकर ने यत्र तत्र विकीर्ण शोधपत्रों का समावेश किया है। म.म. पं. दामोदर शास्त्रि भारद्वाज के प्रमुख शिष्यों में पं. रामभवन उपाध्याय, पं. चन्द्रधर शर्मा, पं. ठाकुर प्रसाद द्विवेदि, पं. देवनारायण त्रिपाठी, तथा पं. गया प्रसाद पाण्डेय सुविदित रहे।

म.म. पण्डित जयदेव मिश्र

परिभाषेन्दुशेखर के टीकाकारों के प्रसंग में म.म. पं. जयदेव मिश्र का नाम अविस्मरणीय है। काशी की तरह मिथिला ने भी संस्कृत के पठन-पाठन में अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त की है। यहां विशेषतः न्याय तथा व्याकरण के अनेक विद्वान् हुए। पं. जयदेव मिश्र की जन्मभूमि भी मिथिला रही। तदन्तरगत "गजहड़ा" ग्राम को आपकी जन्मभूमि होने का सौभाग्य हुआ। आपका जन्म पवित्र "सोदरपुर" विद्वत्कुल में वि.सं. १९११ (१८५४ ई.) में हुआ।

उपनयन के पश्चात् आपने वेद-वेदांगों के प्रमुख मैथिल विद्वान् पण्डितप्रवर हल्ली झा (हरिनगर निवासी) के सानिध्य में अध्ययन आरम्भ किया। तत्पश्चात् आपने गान्धवारि ग्राम में जाकर म.म. पं. रज्जोमिश्र का शिष्यत्व ग्रहण कर व्याकरणशास्त्र में प्रौढ़ि प्राप्त की।

---

१. "वस्तुतः यथोद्देश-कार्यकाल-पक्षयोर्निरूक्तबीजकत्वे विधिशास्त्रादावपि ततुसम्भवेन संज्ञापरिभाषामात्रविषयकत्वमशक्यं वक्तुम्। किञ्च यथोद्देशमित्यादेः परिभाषात्वव्यवहारप्रयोजक-विषयसंकोचत्वादेरभावेन परिभाषात्वमप्यशक्यं वक्तुम्। अत एव वाक्यसंस्कार-पदसंस्कारपक्षादीनां परिभाषत्वेन व्यवहारः शास्त्रकृच्छैलीपरिशीलितः क्वचिदपि नोपलभ्यते। भाष्ये तत्र तत्र यथोद्देशमित्याद्युल्लेखस्तु प्रकारद्वयस्यैव सम्भवाद्वस्तुस्वरूपपरिकीर्तनपरः। किन्तु प्रदर्शितमूलकैतत्पक्षद्वयोपन्यासस्य विशिष्य फलमप्यशक्यं वक्तुम्। न तावत् तस्मिन्नितीत्यादेस्त्रिपाद्यां प्रवृत्तिः कार्यकालपक्षफलम् शास्त्रत्वसम्पादकपरिभाषाणां त्रिपाद्यां प्रवृत्तेः पक्षद्वयेऽपिसूपपादत्वात्।"

फिर वहां से काशी जाकर आपने वाग्देवतावतार म.म. पं. श्री शिवकुमार शास्त्री के चरणों में व्याकरणादि शास्त्रों का विशेष अध्ययन किया। शास्त्रार्थ कला में तो आप पहले से ही निपुण थे, शिवकुमार शास्त्री जी के सान्ध्यि से शास्त्रार्थ करने में इनकी दक्षता और अधिक प्रखर हो गयी। आप काशी में "शास्त्रार्थी पण्डित" के नाम से विख्यात हो गए। जिसके फलस्वरूप इन्होंने आगे चलकर "शास्त्रार्थ रत्नावली" ग्रन्थ की रचना की। पं. शिवकुमार शास्त्रिजी के अन्य प्रमुख शिष्यों में म.म.पं. गङ्गानाथ झा, पं. मधुसूदन ओझा, पं. हाराणचन्द्र भट्टाचार्य, लाहौरस्थ पं. राजाराम शास्त्री तथा पं. रामावधि शर्मा सुविदित रहे।

कालान्तर में आपको दरभंगा नरेश श्री लक्ष्मीश्वर सिंह बहादुर ने काशीस्थ दरभंगा संस्कृत पाठशाला में अध्यापन कार्य करने का सुअवसर प्रदान किया। आपकी अध्यापन पद्धति बड़ी प्रभावशाली रही। संवत् १९७४ वि. के बाद आपने मालवीय जी के आग्रह पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राच्यविद्याविभागाध्यक्ष पद को सुशोभित किया। वहां जाकर पण्डित समाज में आपकी ख्याति और बढ़ी।

शिष्य परम्परा

अच्छे गुरूओं की ख्याति अनेक शिष्यों द्वारा होती रही। इसी उक्ति को पं. जयदेव मिश्र चरितार्थ करते हैं। आपके अनेक प्रबुद्ध शिष्य हुए जिनमें से म.म. डा. गंगानाथ झा सर्वप्रमुख रहे। इनके अतिरिक्त पं. राजनारायण शास्त्री, पं. मार्कण्डेय मिश्र, पं. दामोदर तथा आपके पुत्र म.म. पं. उमेश मिश्र उल्लेखनीय हैं। पं. उमेश जी दर्शनशास्त्र के विशेष विद्वान् रहे तथा सेवाकाल के अन्त में प्रयाग विश्वविद्यालय में आचार्य तथा संस्कृत विभागाध्यक्ष पद पर आसीन रहे। तपोनिष्ठ मिश्र जी ने आजीवन अध्ययन-अध्यापन कर वि. सं. १९८२ (१९२५ ई.) में फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को मणिकर्णिका घाट पर अपने पाञ्चभौतिक शरीर का परित्याग किया।

व्यक्तित्व एवं कृतित्व

पं. जयदेव मिश्र व्याकरण और न्याय शास्त्र के प्रखर विद्वान् हुए थे। इन्होंने अपना जीवन अधिकतर शास्त्रार्थी शिष्यों को तैयार करने में व्यतीत किया। व्याकरण व न्याय के वैदुष्य से मण्डित होने के कारण आपने छात्रों के अध्ययनार्थ अनेक ग्रन्थों का अनुशीलन कर अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया। व्याकरण के ग्रन्थों में इनके द्वारा रचित दो ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण हैं-

१. परिभाषेन्दुशेखर की विजया टीका
२. शास्त्रार्थ रत्नावली

"भूति" की रचना के अनन्तर लिखे ज.ने के कारण इन्हें अपने पूर्ववर्ती टीकाकारों

की समीक्षा करने का भी अच्छा अवसर मिला। यह समीक्षा रचनात्मक होती थी। विचारों का यह प्रकार लेखक की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। 'विजया' टीका में भी इसी शैली को स्वीकार किया है। भूति की अपेक्षा इनकी वर्णन शैली अधिक सुबोधगम्य है। कहीं कहीं पर इन्होंने परम्परागत परिष्कारों का अनुसरण करते हुए कुछ नवीनता लाने का प्रयास किया है। अतः यह स्वाभाविक है कि अपने पूर्ववर्ती परिभाषेन्दुशेखर के टीकाकार पं. तात्या शास्त्री द्वारा रचित भूति की आलोचना भी की है।

इनका दूसरा उल्लेखनीय ग्रन्थ "शास्त्रार्थ रत्नावली" है। यह ग्रन्थ अपने नामानुसार शास्त्रार्थ की पद्धति को भली भांति सिखाता है। आपने पाणिनि के सूत्रों की कोटि प्रकोटियों को लिपिबद्ध कर शास्त्रार्थ करने वाले छात्रों का पथप्रदर्शन किया है। कोटि प्रकोटियों की कल्पना में मिश्र जी ने अपनी विद्वत्ता का अच्छा निदर्शन किया है। आगे चलकर पं. जयदेव मिश्र के शिष्य पं. राजनारायण शास्त्री ने इस दिशा में "शास्त्रार्थकला कुञ्जिका" द्वारा इस शैली को पल्लवित करने का यथासम्भव प्रयास किया।

(३) व्युत्पत्तिवाद यद्यपि न्यायशास्त्र का ग्रन्थ है फिर भी इस ग्रन्थ का तात्विक अन्वेषण वैयाकरणों ने ही किया है। कारण उसका यह है कि शाब्दबोध में पद-पदार्थ का ज्ञान अपेक्षित है और पद-पदार्थ का सम्यक् ज्ञान व्याकरण के बिना असम्भव है। इस दृष्टि से व्युत्पत्तिवाद का अध्ययन-अध्यापन वैयाकरणों का कार्य-क्षेत्र बना रहा और अनेक वैयाकरणों ने उसपर व्याख्याएँ भी लिखी। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण पं. जयदेव मिश्र है, जिन्होंने व्युत्पत्तिवाद की "जया" टीका का प्रणयन किया। व्युत्पत्तिवाद की दुरूहता का अंशतः घटाने व लोकप्रिय बनाने हेतु आपने "जया" टीका की रचना की। "विजया" टीका की भांति "जया" टीका की शैली भी परिष्कार प्रधान है।

व्याकरण और न्याय शास्त्र के अतिरिक्त आप धर्मशास्त्र व कर्मकाण्ड के भी विद्वान् थे। आपने कर्मकाण्ड के भी अनेक ग्रन्थों की रचना की।

म. म. पं. नारायण शास्त्री खिस्ते ने अपने ग्रन्थ "विद्वच्चरितपञ्चकम्" में पं. शिवकुमार जी शास्त्री के शिष्यों के वर्णन प्रसङ्ग में पं. जयदेव मिश्र के व्यक्तित्व का मूल्यांकन इस प्रकार किया है जो सत्य है-

नानाग्रन्थविधानजेन यशसा व्याप्याखिलं भारत
मध्याप्य प्रचुरं विधाय बहुलान् विद्यार्थिनः पण्डितान्।
विद्वत्संसदि गीष्पतिप्रतिमतां सम्पाद्य लोकोत्तरां
सायुज्यं जयदेवमिश्रविबुधा विश्वेश्वरेणाप्नुवन्।।

लघुशब्देन्दुशेखर के टीकाकार

पं. वैद्यनाथ पायगुण्डे

सिद्धान्त कौमुदी की रचना के अनन्तर भट्टोजिदीक्षित ने उसकी प्रौढ़मनोरमा नामक व्याख्या स्वयं लिखी। फिर भी उस पर व्याख्या लिखने का क्रम थमा नहीं। हरिदीक्षित के शिष्य सुप्रसिद्ध वैयाकरण नागेश ने "लघुशब्देन्दुशेखर" की रचना की। इस अन्तराल में व्याकरण के प्रक्रिया ग्रन्थों के दृष्टिगत होने के फलस्वरूप नागेश को पूर्व ग्रन्थों का समन्वय करने का अच्छा अवसर मिला। इस क्रम में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय (काशी) तथा नागेश के मध्यवर्ती ५० वर्षों का समय उल्लेखनीय है। इसी कालखण्ड में नागेश के पट्टशिष्य "वैद्यनाथ पायगुण्डे" के व्याख्या ग्रन्थों का निर्माण हुआ-ऐसा अनुमान लगाना अनुचित नहीं है।

उनके जन्मकाल के सम्बन्ध में निश्चित तिथि यद्यपि ज्ञात नहीं है। फिर भी उनके पुत्र बालम्भट्ट के निधनकाल विक्रम सं. १८८७ तदनुसार १८३० ई. से अनुमान लगाया जा सकता है।

बालम्भट्ट की मृत्यु ९० वर्ष की अवस्था में हुई थी। तदनुसार इनका जन्मकाल वि. सं. १७७७ के आसपास होना चाहिए। वैद्यनाथ ने अपने गुरुवर्य नागेश के महनीय ग्रन्थों के ऊपर अपनी जिन टीकाओं का निर्माण किया, उनमें से कतिपय का रचनाकाल उसकाल खण्ड के आरम्भिक दशक में माना जा सकता है।

नागेशभट्ट के पट्टशिष्य वैद्यनाथ पायगुण्डे के सम्बन्धी तथा शिष्यों के द्वारा पाणिनीय व्याकरण महाराष्ट्र मण्डल में भी प्रविष्ट हो गया और वहाँ के प्रमुख वैयाकरण एक प्रकार से नागेश की शिष्य परम्परा के अन्तर्गत ही आते हैं। यह पायगुण्डे के वैदुष्य का प्रभाव है। पायगुण्डे के जामाता "देव" तथा शिष्य भैरव मिश्र दोनों ही व्याकरण के महनीय आचार्य थे। प्रसिद्ध है कि पूना के प्रख्यात वैयाकरण नीलकण्ठ शास्त्री जिस अहोबल शास्त्री के शिष्य थे उन्होने पायगुण्डे के जामाता देव के पास ही विद्याध्ययन किया था। श्री नीलकण्ठ शास्त्री के शिष्यों में राघवेन्द्राचार्य गजेन्द्रगडकर जो नागेश की जोड़ी के विद्वान् माने जाते थे। इन्होंने व्याकरण के अनेक ग्रन्थों पर व्याख्यायें लिखी जिनका यथा-स्थान वर्णन किया गया है।

इनका लेखन लघुशब्देन्दुशेखर तक ही सीमित नहीं रहा। इन्होंने वृहच्छब्देन्दुशेखर पर (भाव प्रकाशिका) व्याख्या लिखकर महनीय कार्य किया। उस ग्रन्थ पर व्याख्या लिखने का कष्ट किसी ने नहीं किया। नागेशभट्ट के प्रमुख ग्रन्थों की दुरूहता को दूर करने के उद्देश्य से वैद्यनाथ पायगुण्डे ने परिभाषेन्दुशेखर पर "गदा" व्याख्या लिखकर विशेष ख्याति प्राप्त की। इनकी रचनायें केवल व्याख्याओं तक ही सीमित नहीं रही, अपितु 'र' प्रत्याहार खण्डनम् नामक विचारोतेजक एवं शोधपूर्ण लघुकाय ग्रन्थ लिखकर ग्रन्थकारों की कोटि में भी सफलता प्राप्त की।

चिदस्थिमाला

श्री वैद्यनाथ पायगुण्डे की टीका का नाम चिदस्थिमाला है। चिदस्थिमाला में प्रमुख तथा लघुशब्देन्दुशेखर के दुरूह स्थलों को समझाने की अपूर्वशक्ति है। शेखर के व्याख्याग्रन्थ होने के कारण "कौमुदी" में प्रतीकाक्षरों की गूढ़ता तथा उसका सैद्धान्तिक विवेचन प्रत्येक अक्षर को संगत कर किया गया है। अपने गुरु नागेश द्वारा प्रारब्ध परिष्कार सरणि को अधिक विस्तृत तथा प्रशस्त रूप देने का प्रयास इन्होंने बड़ी सावधानी के साथ किया है। नव्य न्याय की भाषा से अनुप्राणित इस शैली को बोधगम्य बनाकर उस समय के विद्वानों को शास्त्रार्थ करने का स्वरूप प्रदान किया। उदाहरणार्थ कारक के लक्षण में नागेश की प्रतीक 'क्रियाजनकत्वं कारकत्वं' का विषद रूप से सरल तथा परिष्कृत बोध कराने के लिए पायगुण्डे जी ने निष्कर्ष रूप से इस प्रकार शब्दावली का प्रयोग किया है- **"क्रियानिष्ठजन्यतानिरूपकजनकत्वमखण्डोपाधिरूपं ग्राह्यम्"।**

"चिदस्थिमाला" केवल कारकान्त भाग तक ही उपलब्ध होती है।

"दण्डिभट्टकृत अभिनव चन्द्रिका"

अभिनवचन्द्रिका के रचयिता श्री दण्डी भट्ट भी परिष्कारों की सरणि को बढ़ाने में अग्रसर रहे हैं। इन्हें सुप्रसिद्ध वैयाकरण बालसरस्वती (बालशास्त्री) रानडे से विद्याध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिसके फलस्वरूप इन्होंने गुरुमुख से अधीत परिष्कारों को संकलित कर उन्हें "अभिनव चन्द्रिका" का रूप दिया।

इस व्याख्या की उपलब्धि केवल हलन्त प्रकरणमात्र तक ही प्रकाशित हुयी है। आगे का अंश अप्राप्य है। कदाचिद् इतना ही भाग यह विरचित कर पाये हों। इसके अग्रिम भाग के रूप में विद्वद्वर पं. शिवनारायण शास्त्री द्वारा विरचित विजया तथा पंडितप्रवर, श्रीगुरुप्रसाद शास्त्री द्वारा विरचित 'वरवर्णिनी' को समझा जाय।

दण्डीभट्ट ने भी परम्परागत परिष्कारों को अपनी कल्पना द्वारा ललित एवं बोधग्राह्य बनाने की यथा-साध्य चेष्टा की है।

दण्डीभट्ट ने अपने वंश तथा गुरु के सम्बन्ध में सर्वप्रथम मंगलाचरण स्वरूप निम्नलिखित श्लोक प्रस्तुत किये हैं-

सत्यव्रताच्च विजयनगराधिपसत्तमात्।
'पूस्पाटि' वंश सम्भूतादानन्दाल्लब्धवृत्तिना।।
श्रीदण्डिभट्ट कुलजवीरराघव सूनुना।
बालशास्त्रिपदाम्भोजध्यान संलब्धबुद्धिना।।
सुब्बम्मदेव्याः पुत्रेण श्वश्रूपूजारतेः सदा।

सान्नपूर्णाधर्मपत्नि विश्वनाथेन वै मुदा।।
वाराणसीपुरीवासी श्री विश्वेश्वरतुष्टये।
आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम्।।
सहस्रशिरसं नत्वा पतञ्जलिमहामुनिम्।
क्रियते कौमुदीव्याख्या-लघुशब्देन्दु-चन्द्रिका।।

उपर्युक्त श्लोकों से विदित होता है कि इनके आश्रयदाता विजयनगर के राजा रहे। इनके पिता श्री वीरराघव भट्ट तथा माता श्रीमती सुब्बाम्मा रहीं। इनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती अन्नपूर्णा था। इन्होंने अपनी व्याख्या को केवल परिष्कार परक ही नहीं बनाया, अपितु शेखर की प्रसिद्ध तथा छात्रोपयोगी प्रतीकों का अवलम्बन कर उपयोगी विषयों को भी स्पष्ट किया। अतः दण्डीभट्ट का 'क्रोटपत्र' अधिक विस्तृत तथा सामान्य जनोपयोगी भी है। उपपद विभक्तियों के प्रसंग में 'नमः' पद के अभिवाञ्छित अर्थ को दण्डीभट्ट ने निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है, जिसमें मुनित्रयं नमस्कृत्य श्लोक के दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों का समीकरण हुआ है-"नमः स्वस्तीत्यव्ययस्य नमः पदप्रयोज्यविषयतानिरूपित-विषयताप्रयोजकत्वतात्पर्यविषयीभूताच्चतुर्थीत्यर्थेन कृधात्वर्थफलेऽन्वयविवक्षायाम् उभयोः प्राप्त्याऽसङ्गत्यभावात्"।

लघुशब्देन्दुशेखर को परिष्कारों के दर्पण में देखने से दण्डीभट्ट के बुद्धि वैभव की सफलता आंकी जा सकती है। कारण यह है कि उन्होंने अपनी व्याख्यान सरणि में केवल परिष्कार कोटियों को बढ़ाने का ही श्रेय नहीं लिया, अपितु शेखर में प्रतिपादित सिद्धान्तों को स्पष्ट करने का अच्छा प्रयास किया हैं। यदि पूर्वार्ध का भी पूरा व्याख्यान मिला होता तो अध्येताओं को अधिक लाभ हुआ होता।

"सदाशिव भट्ट" (तिलक)

आज से लगभग एक सौ पचहत्तर वर्षों पूर्व वि.सं. १८७३ में विद्यमान पं. सदाशिवभट्ट ने भी लघुशब्देन्दुशेखर के अध्यापन में सुविधा प्रदान करने के लिए लेखनी उठायी। कदाचित् "शेखर" पर व्याख्यान लिखने की होड़ ने ही "शेखर" के पठन-पाठन में अधिक रुचि उत्पन्न की हो। पं. सदाशिव भट्ट ने अपनी टीका के आरम्भ में दो श्लोक मंगलाचरण स्वरूप लिखे है। जिससे उनका परिचय प्राप्त होता है। वे श्लोक इस प्रकार है-

प्राणनाथपदाम्भोजनखचन्द्रमरीचयः।
व्याकोचयन्तु सततं मम मानसकैरवम्।।
शेषं तदीशं च विनत्य लक्ष्मीमीशस्य प्रीत्याह्यचलोऽपि योऽभवत्।
लिखामि ग्रन्थं निजबुद्धिपुष्टये शिष्टार्थकं विस्तृतिसङ्ग्रहन्त्विमम्।।

इन श्लोकों के आधार पर इनके गुरू कोई प्राणनाथ नामक विद्वान रहे हों। इसके साथ ही इस टीका के लिखने के उद्देश्य को बतलाते हुए इन्होंने परम्परागत निर्वाह के साथ स्वकीय कल्पना का विकास होना भी कहा है। इसकी पुष्टि हमें ग्रन्थ के आरम्भ में ही भट्टोजिदीक्षित के मङ्गलाचरण की व्याख्या पर विचार करने से विदित होती है। इस सम्बन्ध में पं. सदाशिव भट्ट की शब्दावली उनकी शैली को स्वयं प्रमाणित करती है। "परिभाव्य" पद के विवरण की प्रस्तुति इस प्रकार है-**तिरस्कृत्येति फलितार्थकथनमिति पाठकाः। एवञ्च तिरस्कारार्थस्य परिभवतेरेव विचारार्थकत्वमिति नासङ्गतिरिति भावः। इदमेव युक्तम्। यद्वा कोशात्तिस्कारार्थस्य परिभवतेर्धातोर्विचारार्थकत्वे विषयत्वापत्यर्थकत्वे तदुत्तरणीया, तदनुकूलकृत्यमिधानाद्विषयत्वापादनरूपविचारार्थकत्वं परिभावयतेरित्यर्थः।**

ये कानपुर निवासी रहे। सदाशिव भट्टी कृतग्रन्थ स्त्रीप्रत्ययान्त तक ही उपलब्ध होता है। इतना ही अंश पं. गुरुप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित संस्करण में प्रकाशित हुआ है।

पण्डित स्नेही राम जी शास्त्री

चिवाड़ा (राजस्थान) नगर के दिव्यरत्न-आचार्यवर्य श्रीस्नेही राम शास्त्री जी का जन्म माघ-कृष्ण अमावस्या बुधवार सम्वत् १९०५ में हुआ था, आपके पूज्य पिता जी का नाम चैतराम शास्त्री (वि.सं. १८६७-१९१८) तथा माता का नाम माया देवी था। श्री चैतराम शास्त्री अत्यन्त तपस्वी, परोपकारी सदाशय एवं सहृदय विद्वान थे। व्याकरण-न्याय-शास्त्र के साथ ही साथ वे ज्योतिष शास्त्र के भी प्रकाण्ड मर्मज्ञ एवं श्री नृसिंह विद्या परमोपासक थे।

पं. स्नेहीराम शास्त्री जी लघु कौमुदी, तर्कसंग्रह श्रीप्रबोध आदि विभिन्न शास्त्रों के प्रारम्भिक ग्रन्थों का अध्ययन अपने पूज्य पिता से कर ही रहे थो कि दुर्दैववश पिता का सहसा निधन हो गया तदनन्तर दूसरी विपत्ति पुनः यह आ गयी कि एक मात्र आश्रय इनकी पूज्या माँ इन्हें असहाय छोड़कर स्वर्ग सिधार गयी, फिर भी वे अपने अध्ययन में उत्साहपूर्वक लगे रहे। इसके फलस्वरूप वे अध्ययनार्थ पैदल चलकर सम्वत् १९२३ में हरिद्वार जा पहुँचे। क्रमशः मथुरा घूमते हुए अपनी ज्ञान-पिपासा को बुझाने कि लिए सम्वत् १९२६ में ज्ञान की नगरी काशी में आ पहुँचे। तब इनकी अवस्था २१ वर्ष की थी। व्याकरणशास्त्र के गूढ़ रहस्यों का अवगाहन कर पं. स्नेहीराम शास्त्री न्यायशास्त्र का गहन अध्ययन करने के लिए महानैयायिक भट्टाचार्य महाशय के पास 'नदिया' नवद्वीप चले गये। वहाँ अध्ययन समाप्त कर वाराणसी लौटने पर पण्डित सम्राट बालशास्त्री रानाडे के चरणों का आश्रय ले आपने दश वर्षो तक महाभाष्यादि सकल व्याकरण के ग्रन्थो का विधिवत् अध्ययन कर विद्वत्ता उपार्जित की।

अपने प्रखर वैदुष्य एवं प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के कारण वाराणसी पण्डित मण्डली द्वारा "मरु मण्डल मार्तण्ड" इस महनीय उपाधि से विभूषित हुए। अब उन्हें अपने मूल स्थान "राजस्थान" जाने की प्रबल इच्छा हुई अपने ग्राम चिवाड़ा जाकर अपनी पूर्व सम्पत्ति की रक्षा करते हुए वहाँ संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की, तत्पश्चात मरुभूमि ज्ञानलोक को भासित करने हेतु राजस्थान में भ्रमण करते हुए अनेक धनिकों को प्रेरित कर अनेक विद्यालयों की स्थापना करते हुए शास्त्र रक्षा में महनीय योगदान किया। इसी मध्य इनको सम्वत् १६३६ में प्रथम पुत्ररत्न तथा सं. १६३८ में द्वितीय पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। जो आगे चलकर क्रमशः शिवनारायण शास्त्री व आचार्य परमेश्वर दत्त शास्त्री के नाम से विख्यात हुए। अब उन्हें इन दोनों मेधावी पुत्रों की अध्ययन हेतु उचित व्यवस्था के लिये वाराणसी आने की प्रबल इच्छा हुई और अन्त में काशीपुरी को अपना निवास स्थल बनाया।

पण्डित स्नेहीराम शास्त्री जी के ज्येष्ठ पुत्र पण्डित शिव नारायण शास्त्री ने अपने पूज्य पिता जी से संस्कृत कल्पतरु की सभी शाखाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ये बड़े ही शास्त्रार्थी पण्डित थे। अपनी शास्त्रार्थ कला के कारण पण्डित मण्डली ने इन्हें "प्रतिवादिभयङ्कर-भयङ्कराचार्य" की अति सम्मानित उपाधि से विभूषित किया। आचार्य श्री शिवनारायण शास्त्री कट्टर शैव-अच्छे साधक, तंत्र-मंत्र शास्त्र एवं योगशास्त्र के क्रियावान् विद्वान् थे।

पण्डित शिवनारायण के ज्येष्ठ पुत्र श्री गुरुप्रसाद शास्त्री जी का जन्म सं. १६५७ ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को हुआ था। आपकी माता जी का नाम राजलक्ष्मी था। इनका प्रारम्भिक अध्ययन सौभाग्यवश इनके पितामह जी के श्रीमुख से हुआ था, तत्पश्चात् आपने अपने पिता तथा वामाचरण भट्टाचार्य एवं पण्डित हरिनारायण त्रिपाठी सदृश लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों से व्याकरण-न्यायादि शास्त्रों का गहन अध्ययन कर ख्याति प्राप्त की। आपने गवर्नमेंट-संस्कृत कालेज, वाराणसी की सर्वोच्च व्याकरणाचार्य परीक्षा अपने बीस वर्ष की आयु में ही सर्वाधिक अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर विशिष्ट कीर्तिमान् स्थापित किया था। आपने कहीं नौकरी न करने का निश्चय कर स्वयं एक विद्यालय श्री राजस्थान संस्कृत कालेज नामक संस्था की स्थापना की। वहीं आप आजन्म प्रधानाचार्य के रूप में संस्कृत सेवा करते रहे। आपने संस्कृत- वाङ्मय के दुर्लभ ग्रन्थों की टीका-टिप्पणी की। जिनमें व्याकरण महाभाष्य (अनेक व्याख्या युक्त) तथा लघुशब्देन्दुशेखर (अनेक टीका संकलित) आदि ग्रन्थ प्रमुख है, जिनमें उनके पितामह तथा स्वयं लिखि हुई लघु व्याख्याएं संकलित है।

जीवन के अन्तिम काल में इनकी अन्तर्मुखी प्रवृत्ति हो गयी थी और वे अब गंगा स्नान, भजन-पूजन, पुराणानुशीलन, विष्णु-सहस्र नाम पाठ आदि को अपनी जीवन चर्या बना चुके थे। अन्त में वि.सं. २०२६ श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को प्रातः सदा के लिए समाधिस्थ हो गये।[1]

---

१. उपर्युक्त विवरण आचार्य सीताराम शास्त्री जी द्वारा प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम उनके आभारी है।

पण्डित स्नेही राम जी का वंश अब तक संस्कृत भाषा एवं साहित्य का भण्डार भरने में सतत प्रयत्शील है। आचार्य सीताराम शास्त्री भी अपने पितृ परम्परा के कीर्तिमान स्तम्भ है। इनका जन्म काशी में ही संवत् १६८४ श्रावण-कृष्ण-चतुर्थी को हुआ है अपने पिता श्री गुरु प्रसाद शास्त्री जी सदृश प्रखर बुद्धिमान तथा व्याकरणादि शास्त्रों में सर्वप्राथम्य प्राप्त कर स्वर्णपदक एवं अन्य पारितोषिकों से विभूषित रहे हैं। वाराणसी में इनका परिवार भी संस्कृत को मातृभाषा रूप में व्यवहृत कर अपनी विशेषता बनाये हुए है।

आचार्य सीताराम शास्त्री जी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या एवं धर्मविज्ञान संकाय मे व्याकरण विभागाध्यक्ष तथा संकाय प्रमुख रहकर अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा विशिष्ट सम्मान पुरस्कार एवं राष्ट्रपति सम्मान से भी पुरस्कृत हुए है। आपके शोध प्रबन्ध का मुख्य विषय भी व्याकरण शास्त्र रहा है।

पं. शिवनारायण शास्त्री कृत-विजया

विजयाः- इस टीका के रचयिता वैयाकरण पं. शिवनारायण शास्त्री रहे। शास्त्री जी सुप्रसिद्ध विद्वान् पं. स्नेहीराम शास्त्री जी के सुपुत्र थे। इन्हें अपने पूज्यपिता का वैदुष्य परम्परागत ढ़ंग से प्राप्त हुआ। आपने पितृचरणों के निर्देशानुसार लघुशब्देन्दुशेखर की विजया नामक लघु व्याख्या लिखी। आपको विक्रम की बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वैयाकरणों में विशिष्ट स्थान प्राप्त रहा। इनके सुपुत्र पं. गुरुप्रसाद शास्त्री ने लघुशब्देन्दुशेखर की ६ टीकाओं का संकलन कर अच्छा संस्करण प्रकाशित करवाया था। इस संस्करण में पाँच विद्वानों की टीकायें तथा छठी व्याख्या टिप्पणी के रूप में स्वयं पं. गुरुप्रसाद शास्त्री ने लिखी। इस वंश को व्याकरण शास्त्र में निष्णात होने का बढ़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस परम्परा को आगे बढ़ाने में पं. गुरुप्रसाद जी के पुत्र आचार्य पं. सीताराम शास्त्री भी अध्ययन अध्यापन करने में सतत लगे हुए हैं।

विजया टीका केवल कारक और अव्ययी भाव प्रकरण पर ही लिखी गयी है। कारक प्रकरण के आरम्भ मे शिवनारायण शास्त्री जी ने अपने पूज्यपिता पं. स्नेहीराम जी को गुरु के रूप में नमन किया है। उसी मङ्लाचरण में प्रकृत टीका का आरम्भ करते हुए अपने वंशजों को राजस्थान का निवासी बतलाया है।[1]

टीका का पर्यालोचन करने से यह विदित होता है कि इनका दृष्टिकोण, प्रकरण संगति के साथ परम्परागत परिष्कारों का सन्निवेश करना है। यह परिष्कारों की परम्परा उनके पितृचरणों से प्राप्त हुई है। व्याख्या में स्पष्टीकरण तो अवश्य परिलक्षित होता है किन्तु उसके साथ परिष्कार सरणि में शब्द बाहुल्य का होना खटकता नहीं।

---

१. नुमोऽनवद्यसद्वन्द्यविद्योद्योतितदिङ्मुखान्। मरुमण्डलमार्तण्डस्नेहिरामाभिधान् गुरुन्।।

उदाहरणार्थ कारक प्रकरण के आरम्भ में नागेश के द्वारा प्रतिपादित प्रथमा विभक्ति की प्रवृत्ति में क्रिया-योग की प्रधानता को अभिलक्षित करते हुए इन्होंने उसका स्पष्टीकरण इस रूप में किया है-ननु त्रयः कालाः इत्यादिनाम् असाधुतापत्तिः, कस्यापि क्रियायाः आध्याहारस्य तत्र कर्तुमशक्यतया क्रियापरिभावेन प्रथमायाः अप्रवृत्तेः। न च 'सन्ति' इत्यध्याहारः कर्तुं शक्यते, लड्र्थरूपवर्तमानत्वस्य भूतभविष्यतोर्बाधितत्वादिति चेन्न। 'ज्ञायन्ते' इत्यस्याध्याहारेण-वर्तमानकालिकज्ञानविषयत्वस्य कालत्रयेऽपि सम्भवेनादोषात्। वस्तुतस्तु (सन्ति) इत्यस्याध्याहारेऽपि कर्तुं शक्यते। तदनन्तर कालत्रय की अखण्ड सत्ता स्वीकार करने के उपरान्त आंशिक रूप में वर्तमान काल को परिलक्षित कर परिष्कार पद्धति की उपयोगिता बतलाई है।

छात्रोपयोगी तथा परिष्कार संकलित इस व्याख्या को प्राचीन क्रोडपत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है।

"ज्योत्स्ना" उदयङ्कर पाठक

शब्देन्दुशेखर की अंशात्मक लघु व्याख्याओं में पं. उदयङ्कर पाठक की ज्योत्स्ना भी उल्लेखनीय है। प्रस्तुत व्याख्या वि. १८५० में काशी में ही लिखी गयी। प्रकृत टीका का समादर पं. सदाशिवभट्टादि विद्वानों ने भी किया था। अतः इनकी व्याख्या सदाशिवभट्टी से कुछ पूर्व ही लिखी गयी हो। यह काल "शेखर" में पर्यालोचन के लिए प्रसिद्ध रहा। इससे इनके पाण्डित्य का तो अनुमान होता ही है तथा परम्परागत शास्त्रार्थ पद्धति के विकास पर भी प्रकाश पढ़ता है। इनका अधिक परिचय तो प्राप्त नहीं होता, किन्तु ज्योत्स्ना के आरम्भ में दिये मंगलाचरण से इनकी प्रतिभा का परिचय अवश्य मिलता है-

> **"वाग्देवी मानसे कृत्वा गंगामाध्यानमङ्गलाम्।**
> **शब्देन्दुशेखरज्योत्स्नामातनोत्युदयङ्करः।।"**

इनकी लेखन शैली में परिष्कारों को गुम्फित करने के साथ-साथ प्रत्येक लक्षण में नव्यन्याय के अनुसार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्भव आदि दोषों का उल्लेख भी हुआ है। इस प्रकार अन्य विद्वानों की अपेक्षा पं. उदयङ्कर पाठक ने दुरुह स्थलों को अधिक बोधगम्य बनाने का प्रयत्न किया है। ग्रन्थ के आरम्भ में ही इनकी निम्नलिखित पक्तियों से ही इनकी लेखन शैली का अनुमान किया जा सकता है-पातञ्जल इति- अत्र "महाभाष्य" इत्येतावदुक्तौ-शारीरकसूत्रभाष्यादावतिव्याप्तिरतः-"पातञ्जले भाष्ये" इत्युक्तावपि पाताञ्जलसूत्राणां भाष्ये-वेदव्यासकृतेऽतिव्याप्तिरतो "महत्" पदम्।

प्रस्तुत व्याख्या भी केवल हलन्तपुलिङ्गान्त ही प्रकाशित है। अधिकतर व्याख्यान अपूर्ण ही मिलते हैं। केवल शास्त्रार्थ के कुछ अंशों तक ही सीमित कल्पना करने में ही विद्वज्जन अपना समय व्यतीत कर देते हैं।

लघुशब्देन्दु शेखर की व्याख्या के अतिरिक्त इन्होंने परिभाषाओं पर भी स्वतन्त्र रूप में विचार किया है। तथा "श्रीदेवकृत" परिभाषावृत्ति पर समीक्षात्मक व्याख्या भी लिखी है। यह व्याख्या अपूर्ण ही प्राप्त होती है।

राघवेन्द्राचार्यकृत विषमा (विषमपदविवृतिः)

छः टीकायुक्त "शेखर" के प्रकाशित संस्करण में राघवेन्द्राचार्य कृत "विषमा" व्याख्या अपने नाम के अनुरूप सिद्ध हुई है। प्रस्तुत व्याख्या के रचयिता को काशी के सुप्रसिद्ध वैयाकरण पं. राजाराम शास्त्री तथा उनके शिष्य पं. बालशास्त्री रानडे का आर्शीवाद प्राप्त रहा। नागेश के बाद पं. गंगाराम शास्त्री, भी शिष्य परम्परा में चतुर्थ एवं पंचम थे दोनों विद्वान् पारम्परिक परिष्कारों की श्रृंखला उत्तरोत्तर बढ़ाने में अथक प्रयास करते रहे। इन दोनों विद्वानों के सान्निध्य का ही पूर्ण लाभ राघवेन्द्राचार्य जी को मिला। इनका रचनाकाल भी पं. सदाशिव के अवसान होने के आस-पास आंका गया है। इनकी व्याख्या शेखर के आरम्भ से लेकर षष्ठी विभक्तिपर्यन्त प्राप्त होती है। अवशिष्ट सप्तमी विभक्ति प्रकरण का व्याख्यान लिखा हो अथवा नष्ट हो गया हो- इस संबंध में निश्चयात्मक प्रमाण नहीं मिलता। कारण यह है कि शेखर का पठन-पाठन तथा प्रचार कारकान्त अथवा अव्ययीभावान्त तक ही सीमित हो चला था। केवल इतने अंश तक ही अध्यापन करने का यह कारण था कि अधिकतर सैद्धान्तिक तथा परिष्कारांश प्रक्रिया का समाकलन इतने अंश में प्रायः समाहित हो जाता था।

राघवेन्द्राचार्य के व्याख्यान की सबसे प्रमुख विशेषता ग्रन्थ के प्रक्रियांश का विवरण करना है जो "क्रोडपत्र" के रचयिताओं में कम मिलती है। प्रक्रियांश का विवरण ही सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि का आधार है, जिसे केवल क्रोडपत्र के प्रचारकों ने अध्येताओं को प्रक्रियांश के प्रति उदासीनता उत्पन्न कर दी थी। इसी कारण आगे चलकर परिष्कार सरणि भी अवरुद्ध हो गयी और प्रक्रियांश की महत्ता भी कम हो गयी। इनके वैदुष्य तथा निवास-स्थान के सम्बन्ध में विषमा के मंगलाचारण के श्लोकों से कुछ प्रकाश मिलता है-

१. ब्रह्मेशाद्यैः सुरवरगणैः स्तुयमानोऽप्यपारो
व्यक्ताव्यक्ते सृजति भरति प्रापयत्युच्चभावम्।
यदभ्रूभङ्गात्सृजतिभुवनं ब्रह्मरुद्रादि सा श्रीः
वक्षःश्लिष्टा जयति स विभुः श्रीनिवासो वृषादौ।।

२. आत्रेयवंशविधुनासकलकलापारदृश्वना सुधिया
श्रीराघवेन्द्रगुरूणा क्रियतेशब्देन्दुशेखरव्याख्या।
नवयुक्तिगुम्फिततया प्रौढ़ा तां चन्द्रिकां तु संक्षिप्य
विषमपदवाक्यविवृतिं कुर्वेऽहं बालबोधाय।।

इन्होंने स्वयं अपनी विवृति को विषमा नाम से प्रख्यात करने का कारण लघुशब्देन्दुशेखर की गहनीयता को दूर करने में समर्थ कहा है। इनके गुरू पं. नीलकण्ठ शास्त्री पूना निवासी रहे, जिन्होंने नागेश से अध्ययन किया था। राघवेन्द्राचार्य स्वयं ग्वालियर निवासी थे। अध्ययन काल पूना में व्यतीत करने के पश्चात् काशी आकर व्याकरण तथा शास्त्रान्तरों में प्रौढि प्राप्त की। जिसके फलस्वरूप परिभाशेव्दुशेखर की 'त्रिपथगा' तथा शब्दकौस्तुभ की 'प्रभा' व्याख्यायें लिखी। (त्रिपथगा) के सम्बन्ध में "केलकर" का कथन है कि यह व्याख्या पण्डितवर्ग में विशेष सम्मानित रहीं।

वरवर्णिनी

पं. गुरुप्रसाद शास्त्री ने लघुशब्देन्दुशेखर पर अपनी पितृ परम्परा प्राप्त विद्वत्ता का "वरवर्णिनी" के रूप में उपस्थापित किया है। पं. गुरुप्रसाद शास्त्री की 'वरवर्णिनी' टिप्पणी अपने पूज्य पितामह द्वारा लिखी गयी शब्देन्दुशेखर की भिन्न-भिन्न नामों से लिखी गयी व्याख्याओं भूति, त्रिपुरसुन्दरी इत्यादि का गुच्छक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने गुरू काशी के सुप्रसिद्ध वैयाकरण पं. हरिनारायण त्रिपाठी जी के अगाध पाण्डित्य से प्राप्त शब्दज्योति द्वारा "वरवर्णिनी" को आलोकित किया है। इस व्याख्या में सभी प्रसिद्ध परिष्कार, न्यास तथा प्रासंगिक शङ्का-समाधानों का प्रसंग विवेचन किया है। परिष्कारों की शैली नव्यन्याय भाषानुप्राणित होने के साथ-साथ लक्षण समन्वय करती हुई परम्परा का निर्वाह करती है।

इन्होंने न्याय एवं व्याकरण इन दोनों शास्त्रों में आचार्योपाधि प्राप्त की। अतः नव्यव्याकरण में प्रौढि प्राप्त करना स्वभावसिद्ध रहा। काशीस्थ राजस्थान संस्कृत महाविद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर आसीन हो अध्यापन कार्य में भी अच्छी ख्याति प्राप्त की। पण्डितों की प्रायः लेखन कार्य के प्रति अरुचि ही देखी गयी है। इस अपवाद से भी पं. गुरुप्रसाद जी दूर रहे और अनेक ग्रन्थों का सम्पादन कर प्रकाशनकार्य में भी अग्रसर हुए। समग्र महाभाष्य का कैयट, तथा नागेश की टीकाओं सहित संस्करण प्रकाशित कर इस ग्रन्थ के अभाव को दूर किया।

पं. भैरव मिश्र

व्याकरण शास्त्र के टीकाकारों में पण्डित भैरव मिश्र अत्यधिक प्रसिद्ध तथा लोक प्रिय रहे इसका प्रमुख कारण यह है कि इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा, वैयाकरण भूषण सार तथा शेखर-द्वय को अपनी टीकाओं से विभूषित कर उन ग्रन्थो की गुत्थियों को सुलझाने में बड़ा योग दिया है। नागेश के अनन्तर उनके शिष्यों द्वारा टीका लिखने में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ दिखलाई पड़ती है-१. मूल ग्रन्थ को प्रस्फुटित करना तथा २. परिष्कार प्रक्रिया को विकसित करना।

पं. भैरव मिश्र ने इन दोनों पद्धतियों में से प्रथम प्रकार को अपनाया तथा मूल ग्रन्थों की कठिनाईयों को दूर करना ही श्रेयस्कर समझा। यद्यपि मिश्र जी स्वतन्त्र ग्रन्थ-लेखन में पूर्णतः समर्थ रहे, फिर भी अठारहवी शती के अनन्तर स्वतन्त्र ग्रन्थ लेखन की प्रवृत्ति कम होने के कारण इन्होंने भी टीका लिखने में ही अपने वैदुष्य का परिचय दिया।

पण्डित भैरव मिश्र नागेश भट्ट के प्रशिष्य के रूप में प्रसिद्ध रहे, इनके गुरू नागेश के सुप्रसिद्ध शिष्य वैद्यनाथ पायगुण्डे (वि. सं. १८०७-१८५७ के मध्य) थे। पायगुण्डे भी परिष्कार शैली के प्रसारकों में विख्यात हैं। पं. भैरव मिश्र का आविर्भाव काल विक्रमाब्द उन्नीसवें शती का अन्तिम चरण (ई. उन्नीसवी शती का पूर्वार्द्ध) माना जाता है। इसका आधार लघुशब्देन्दु शेखर की टीका के सम्पन्न होने का समय (ई.१८२४ वि.सं.१८८१) है। उन्होंने लघुशब्देन्दुशेखर की चन्द्रकला टीका के अन्त में स्वयं इस प्रकार लिखा है-

शश्यष्टसिद्धि चन्द्राख्ये मन्मथे शुभवत्सरे।
माघे मास्यसिते पक्षे मूले काम तिथौ शुभा।।
पूर्णावारे दिनमणेरियञ्चन्द्र कलाभिधा।
शब्देन्दुशेखर व्याख्या भैरवेण यथामति।।
कल्पिता रामकृपया प्रमोदं शिवयोः सदा।
करोतु विदुषाञ्चैवमधिकं प्रीतिमङ्गलम्।।

उपर्युक्त श्लोकों से इनके इष्टदेव राम होने का प्रमाण मिलता है। आपने लघुशब्देन्दुशेखर की पुष्पिका के अन्त में अपने पिता का उल्लेख किया है। तदनुसार इनके पिता श्री भवदेव पण्डित भी निखिलविद्यानिष्णात रहे, तथा यह अगस्त्यवंश में सुविख्यात हुए। चन्द्रकला व्याख्या के अन्त में यह वर्णन अङ्कित किया गया है।[1]

पं. भैरव मिश्र ने अपने आश्रयदाता श्री दौलतराय अवन्तिनरेश का उल्लेख 'चन्द्रकला' व्याख्या के पूर्वार्द्ध के अन्त में पुष्पिका द्वारा सूचित किया है। पूर्वार्द्ध के अनुसार इस व्याख्यान का समापन १८८० विक्रम संवत्सर में हुआ है।[2]

पं. भैरव मिश्र ने अपने सभी मङ्गलाचरणों तथा समापन-सूचक श्लोकों में अपने इष्टदेव राम तथा भगवान राम के अनन्य सेवक मारुति का स्तवन तो किया ही है किन्तु

---

१. "इति श्रीमदनन्तकल्याणसदगुणनिधानाखिलपण्डितसार्वभौममण्डलसञ्चारि विमलतरानवद्यसद्यशः पार्वणपीयुषभान्वगस्त्य कुलवंशावतंस श्रीमद्भवदेवमिश्रात्मजभैरवमिश्रकल्पितायां शब्देन्दुशेखर टीकायामुत्तरार्द्ध समाप्तम्।"

२. "शब्देन्दुशेखर व्याख्या तद्धितान्तस्य सा कृता। सा वै शम्भुतिथौ वर्षे स्वाष्टभूतीन्दु सम्मिते ।। १।। आश्विनस्यासिते पक्षे भैरवेण समापिता। अस्ति दौलतरायाख्यो राजराजोऽपरः कृती।। २।। तल्लब्धजीविके नैषाऽवन्तिकायाः प्रभुर्महान्। यस्य प्रतापसिंहेन निरस्ताः शत्रुवारणा।। ३।। विदुषान्तु प्रमोदाय तेन तुष्यन्तु शङ्करः।।

लघुशब्देन्दुशेखर के पूर्वार्द्ध के अन्त में इन दोनों के अतिरिक्त 'शङ्कर' का स्तवन भी किया है। इस स्तवन का अभिप्राय उज्जयिनी स्थित "महाकालेश्वर ज्योर्तिलिङ्ग के प्रति विशेष अभिनिवेश होना है। कारण यह है कि मिश्र जी ने अपने आश्रयदाता दौलतराय के गुणों का आख्यान करते हुए उनकी प्रशस्ति में वीरता तथा शत्रु-विजेता होने का दावा किया है, साथ ही उज्जयिनी नरेश की महाकाल के प्रति भक्तिभावना तथा विद्वानों को आश्रय देते हुए कृतज्ञता स्वीकार की है। इस प्रकार के वर्णन से तत्कालीन उज्जयिनी के इतिहास पर भी पर्याप्त प्रकाश लक्षित होता है। अपने आश्रय दाता दौलतराय के साथ सम्पर्क होने से इनका निवास उज्जयिनी में रहा हो। अन्य किसी ग्रन्थ में इन्होंने अपने निवास स्थान का संकेत कहीं नहीं किया है। इनकी टीकाओं से यह अवश्य परिलक्षित होता है कि इन्होंने 'शब्द शास्त्र' का गहन अध्ययन किया हो। अन्यथा इतने अधिक ग्रन्थों पर व्याख्यान लिखना असम्भव था।

'दीपक' व्याख्या

पं. नित्यानन्द पंत पर्वतीय (१९२४ वि.- १९८८ वि.)

नागेश भट्ट विरचित शेखर द्वय के पठन पाठन में काशी की वैयाकरणपरम्परा सर्वाग्रणी रही है। इसके मूल में सन् १७९१ ई. में संस्थापित राजकीय संस्कृत पाठशाला के उत्तरोत्तर विकास के साथ उन्नीसवी शती के अन्त में परीक्षा प्रणाली को अभिलक्षित कर दोनों ग्रन्थों ने महती भूमिका का निर्वहन किया है। इसके फलस्वरूप नव्य-व्याकरण में परिष्कार सरणि के शुभारम्भ पण्डित गंगाराम त्रिपाठी शास्त्री की शिष्य परम्परा का वैभवपूर्ण अवदान चिरस्मरणीय रहेगा। उन्हीं के दौहित्र पुत्र म.म. पं. नित्यानन्द पंत तक वह परम्परा अपने मौलिक स्वरूप में स्थित रही यह कहना अत्युक्ति न होगी।

आपका जन्म काशी में ही पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत १९२४ में हुआ। आपके प्रपितामह पण्डित नीलाम्बर पंत अल्मोड़ा नगर के समीप तिलाडी ग्राम से काशी आए। वेदान्तदर्शन तथा धर्मशास्त्र के मनीषी विद्वान् होने के अतिरिक्त सिद्ध योगी पुरुष थे। पंत जी में अपनी पितृ-मातृ परम्परा से प्राप्त वैदुष्य तथा पितृ परम्परा से प्राप्त त्याग और तपस्या का अभूतपूर्व समन्वय था। पांचवें वर्ष में उपनयन संस्कार के उपरान्त आपने अपने पिता पं. नामदेव जी से शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिन संहिता का अध्ययन किया। तदुपरान्त म.म. पं गंगाधर शास्त्री तैलङ्ग जी के चरणों में बैठकर अठारह वर्षों तक विविधशास्त्रों का गहन अध्ययन किया। आपने तेरह वर्ष की अवस्था में संपूर्ण मध्यमा उत्तीर्ण की। उन्नीस वर्ष की अवस्था में व्याकरणाचार्य परीक्षा में १८८७ ई. में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। यह संस्कृत कॉलेज की परीक्षा का द्वितीय चक्र था, जिसमें आपके अतिरिक्त पं. रामभवन उपाध्याय, तथा पं. श्री नोरु सुब्रह्मण्य शास्त्री थे। प्रथम चक्र में म.म.पं. श्रीराम शास्त्री

तैलंङ्ग, म.म. पं. रघुनन्दन त्रिपाठी एवं पं. अम्बिका दत्त व्यास इस विद्वत्त्रयी ने आचार्य परीक्षा समुत्तीर्ण की। पंत जी गुरु चरणों का सतत आश्रय लेते हुए प्रत्येक शास्त्र को आत्मसात करते थे तथा परीक्षा में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते थे आप विद्वत्ता के फलस्वरूप १८६८ ई. में सेण्ट्रल हिन्दू स्कूल में उसके स्थापना दिवस में ही अध्यापक नियुक्त हुये और स्थापना दिवस से ही आपने डॉ. भगवान् दास, श्रीपरांजपे आदि के साथ वहाँ सात वर्षों तक अध्यापन किया। १६०५ ई. में केवल ढाई वर्ष के पुत्र वियोग से सन्तप्त आपने वह सेवावृत्ति छोड़ दी और आजीवन सेवा न करने की प्रतीज्ञा की। आपके जीवन ने तब एक नया मोड़ ले लिया और आपने इसके फलस्वरूप केवल सुरभारती की सेवा के रूप में आप आजीवन असंख्य छात्रों को घरपर ही विद्यादान करते रहे।

आपने 'लघुशब्देन्दुशेखर को दीपक से समुज्ज्वलित किया है। उन दिनों परिष्कार पद्धति में नव्यन्याय शैली का प्रभाव होने से विभिन्न विद्वानों ने अपने क्रोडपत्र तैयार कर रखे थे। जिन्हें गुरुपरम्पराद्वारा शिष्य मण्डली को हृदयंगम कराया जाता था। उस समय तक ये क्रोडपत्र अधिकतर उन गुरुकुलों तक ही सीमित रहे, फिर भी शास्त्रार्थ द्वारा पण्डित सभाओं में प्रचार में आते रहे। इस प्रकार विभिन्न गुरुकुलों की शाखाप्रशाखाओं में निर्धारित विषयों तक ही परिष्कार सीमित रह गए।

पंत जी इन दोनों विधाओं में परिचित रहे और उन्होंने अपने समय तक उपलब्ध प्रसिद्ध क्रोडपत्रों का अनुशीलन कर एवं अपनी गुरुपरम्परा प्राप्त परिष्कार सरणि वितान करते हुए लघुशब्देन्दुशेखर को अभिनव दीपक से समुद्भासित किया[1]।

'दीपक' व्याख्या नागेशभट्ट के गूढ़ आशयों को स्पष्ट करती हुई कैयट प्रभृति प्राचीन वैयाकरणों के मत को गुरुपरम्परा प्राप्त संस्कारों द्वारा यथावकाश पुनः प्रतिस्थापित करती है। जिससे पारम्परिक विचारों द्वारा कैयटादिके मत की समीचीनता पर प्रकाश पड़ता है। कहीं कहीं पर नागेश के अभिमत अर्थों की भी आपने समीक्षा की है। 'शेखर' के आरम्भ में नागेशभट्ट ने केवल पाणिनीयाष्टक को ही वेदाङ्ग के रूप में स्वीकार किया है, जो पंत जी के मत से विचारणीय है। अन्यथा पाणिनीय व्याकरण के पूर्व वेद की षडङ्गता कैसे सिद्ध होगी। क्योंकि इसके पूर्व भी ऐन्द्र आदि व्याकरण उपलब्ध रहे और वे भी श्रुतिमूलक हैं।[2] इस प्रकार अनेक स्थलों पर नागेश द्वारा विचारित अर्थों को उपलक्षित कर विभिन्न विद्वानों के मत-मतान्तांतरों का सङ्गमन करते हुए पंतजी ने अपने अभीष्ट अर्थ को मौलिक स्वरूप प्रदान किया है। उदाहणार्थ 'कर्तुरीप्सितमं कर्म' (१/४/४६) सूत्र का अर्थ

---

१. द्रष्टव्य लघुशब्देन्दुशेखर के अन्तिम पद्य 'शब्देन्दुशेखरस्यायं दीपकः प्रकटीकृतः'

२. 'श्रुतिमूलकत्वादस्यैव (पाणिनीयाष्टस्यैव) वेदाङ्गत्वम्। 'इस लघुशब्देन्दुशेखर के मूल पर 'दीपक' व्याख्या द्रष्टव्य 'अस्यैव वेदाङ्गत्वमिति, चिन्त्यमिदम् पाणिनीयव्याकरणोत्पत्तेः प्राग् वेदस्य पञ्चाङ्गत्वापत्तेः तैत्तिरीयशाखायामैन्द्रव्याकरणस्य प्रशंसादर्शनेन तस्यापि वेदमूलकत्वाच्च।

करते हुए नागेश भट्ट नें 'तण्डुलं पचति' आदि उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। 'फल व्यापारयोर्धातुः' इस सिद्धान्त के अनुसार धातु की शक्ति, फल और व्यापार दोनों में मानी जाती है। तदनुसार 'तण्डुलं पचति में' जहां एक ओर पच्' धातु की शक्ति अधिश्रयण रूप व्यापार में हैं, वहीं दूसरी ओर अधिश्रयण व्यापार प्रयोज्य 'विक्लिति' रूप फल में भी है। उसका आश्रय होने से तण्डुल की कर्म संज्ञा हुई है। नागेश के अनुसार यहां फल को भी 'व्यपदेशिवद्भाव' से कर्मत्व माना गया है।[1] इस पर अनेक विद्वानों ने भिन्न-भिन्न रूप में विषय उपस्थापित किया है। किन्हीं के (केचित्तु) मत में 'पच्' धातु का अर्थ 'विक्लित्ति' का प्रादुर्भाव होना है। अतः उत्पत्तिरूप फल का आश्रय दोनो से 'विक्लित्ति' को तथा 'विक्लित्ति' रूप फल का आश्रय होने के कारण तण्डुल को भी कर्म संज्ञा होती है।[2] अन्य विद्वानों (परे) के मत में 'नीलं घटम् आनय' इस वाक्य में 'नील घट' रूप फल कर्म न होने पर भी कर्मवाचक घट' समानाधिकरण (समानविभक्तिकानील' पद के कर्मत्वभिन्न करणत्वादि सम्बन्धों से अव्याप्त प्रकारता (विशेषणता) के प्रयोजक होने के कारण फल वाचक शब्दों के समान नील पद से भी द्वितीया विभक्ति होगी।[3] उपर्युक्त मतों की समीक्षा करते हुए पंत जी ने दीपक व्याख्या में उक्त विषय को सूक्ष्मता के साथ विवेचित किया है। निष्कर्ष यह है कि 'तण्डुलं पचति' इस उदाहरण में तण्डुल में 'विक्लित्ति' के रूप फल दृष्ट नहीं हैं। अतः परम्परया फल का आश्रय होने से वहां कर्म संज्ञा की जाती है। इसके अनेक कारण हैं- (१) विक्लित्ति रूपफल का साध्यत्व सम्बन्ध से तदनुकूल क्रिया में अन्वय स्वीकार किया गया है। (२) विक्लित्ति रूप फल की (पाकरूप) साध्य में रहने वाली संसर्ग संबंधी विषयता, धात्वर्थ (विक्लिव्यनुकूल व्यापार) वृत्ति विशेष्यता द्वारा निरूपित है। (३) विक्लित्ति रूप फल साध्य पाक में विद्यमान है जो धात्वर्थ प्रयोज्य रहने पर धात्वर्थ वृत्ति विशेषता द्वारा निरूपित विषयता का आश्रय है।[4] तदनन्तर कुछ ऐसे स्थलों को भी अपने 'दीपक' व्याख्यान में पण्डित जी नें स्पष्ट किया है जहां केवल क्रिया-विशेषणों का प्रयोग होता है। तथा जहाँ फल

---

१. 'फलस्यापि व्यपदेशिवद्भावेन फलसम्बन्धित्वात् कर्मत्वम्।'-लघुशब्देन्दुशेखर कारक प्रकरण टिप्पणी।

२. पच्यादेर्विक्लित्त्युत्पत्त्यनुकूलव्यापारादिरर्थ इति उत्पत्तिरूपफलाश्रयत्वेन विक्लित्यादि रूपफलाश्रयत्वे तण्डुलादेश्च कर्मत्वसिद्धिरित्याहुः-दीपकव्याख्याः नित्यानंद पंत।

३. परे तु फलस्य कर्मत्वाभावेऽपि 'नीलं' घटमानियेत्यादौ कर्मवाचक घटादिपद समानाधिकरण नीलादीनां कर्मत्वेतरकरणत्वादि सम्बन्धानवच्छिन्न प्रकारता प्रयोजकत्वात् तेभ्य इव फलवाचकपदादेर्द्वितीया सेत्स्यति इत्याहुः।-'दीपक' व्याख्या-म.म. नित्यानंद पंत।

४. वस्तुतस्तु फलस्य साध्यत्वसम्बन्धेन व्यापारेऽन्वयस्वीकारात्, साध्यत्वनिष्ठसांसर्गिकविषयतायाः धात्वर्थ-व्यापारनिष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वात्, धात्वर्थप्रयोज्यत्वे सति धात्वर्थनिष्ठविशेषयतानिरूपितविषयता श्रयत्वरूपफलत्वस्य साध्यत्वे सत्वात् तदाश्रयत्वात् विक्लित्यादीनां कर्मत्वसिद्धिमित्याहुः।

के साथ क्रिया का साक्षात् सम्बन्ध नहीं है। उदाहणार्थ शोभनं[1] पचति वाक्य में विक्लिति रूप फल में 'शोभनत्व' का अन्यत्र सम्बन्ध स्थापित करने पर आक्षेप द्वारा परंपरया क्रिया में शोभनत्व का बोध होता है, किन्तु साक्षात् तद्बोधक शब्द द्वारा प्रतिपादित नहीं है। क्योंकि विक्लिति-फल में शोभनत्व क्रिया के धर्म के रूप में ग्राह्य है। प्राचीन ग्रन्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कर्मकारक में प्रयुक्त होते हैं और वहां पर क्रिया अपने फल को स्वयं सूचित करती है। साक्षात् विशेषण वाची शब्द का क्रिया के साथ अन्वय अपेक्षित होता है परन्तु शोभनः पाकः' प्रयोग ही समीचीन होगा।

इसी प्रकार परिष्कारों की सरणि में भी सूक्ष्म विचार करते हुए पर्वतीय जी ने 'दीपक' को सार्थक किया है। आज भी शास्त्रार्थों में उसकी किरणें उद्भासित होती हुई विद्वन्मानस का तमस्' दूर कर रहीं हैं। 'शेखर' के अतिरिक्त नागेश के ही 'परमलघुमंजूषा' ग्रन्थ पर सारगर्भ टिप्पणी भी द्रष्टव्य है।

शब्दशास्त्र के अतिरिक्त धर्मशास्त्र, मीमांसा, कर्मकाण्ड आदि विषयों पर आपने अनेक ग्रन्थ लिखें हैं। तथा इसके अतिरिक्त अनेक ग्रन्थ सम्पादित किए हैं। इनमें संस्कार दीपक (तीन भाग), कातीयेष्टि दीपक, अन्त्यकर्मदीपक, वर्षकृत्यदीपक, सापिण्ड्यदीपक आदि उनकी भौतिक कृतियां हैं। अन्य संपादित ग्रन्थों में कात्यायन श्रौतसूत्र (११ अध्याय), जैमिनीय सूत्रवृत्ति, (मीमांसा), वीरमित्रोदय (आरंभिक भाग), मीमांसा परिभाषा, आदि महत्त्वपूर्ण हैं जो आवश्यकतानुसार आपकी अभिनव टिप्पणियों से अलङ्कृत हैं। पं. श्री अभ्यंकर जी ने आपके 'परिभाषेन्दुशेखर' पर भी टीका लेखन का उल्लेख किया है। उसके कुछ अंश उनके दौहित्र पं. श्रीगोपाल दत्त पाण्डेय जी के पास उपलब्ध हैं। आपके पाडित्य एवं त्याग के कारण जनवरी १९२१ ई. में आप महामहोपाध्याय पद से विभूषित हुए। आपका विद्यावंश वटवृक्ष के समान हैं, जिसमें म.म. पं. सीताराम शास्त्री शेंडे, म.म. पं. माधवशास्त्री भण्डारी, पं. श्री गोपाल शास्त्री ने पं. सरयू प्रसाद त्रिपाठी, पं. श्री तारादत्त पंत, पं. श्री श्रीपाद शास्त्रीम्हैसकर पं. कृष्णदत्त शास्त्री, पं. श्री दधिराम शर्मा, पं. श्री घनश्याम जोशी, पं. श्री दुर्गाप्रसाद लक्ष्मीशंकर भट्ट जी, पं. श्री अनन्त शास्त्री फड़के, पं. नरहरि शास्त्री, थत्ते, पं. श्रीविनायक शास्त्री टिल्लू, पं. श्री मुकुन्द पंत पुणताम्बेकर, पं. श्री अनन्तरामशास्त्री डोंगरा आदि उल्लेखनीय है।

---

१. 'अत्रेयं बोध्यम्-'शोभनं पचती' त्यादौ फले शोभनत्वाद्यन्वये फले शोभनत्वस्य व्यापारशोभनत्वापेक्षत्वात् शोभनत्वमाक्षिप्यते, नतु व्यापारे शोभनत्वाद्यन्वयः शाब्दः। तथाऽन्वयतात्पर्येण द्वितीया विभक्तिः साधुत्वस्यानुशासनतोऽलाभात्। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वमित्यभियुक्तोक्तौ क्रियापदं फलपरम्। व्यापारे शाब्दान्वयतात्पर्येण तु 'शोभनः पाकः' इत्याद्येवेति 'दीपक' व्याख्या

आपकी दो कन्याएं थीं, जिन में से ज्येष्ठ कन्या का वंश आपकी कीर्ति को उज्जवल कर रहा है। पं. श्री गोपालदत्त पाण्डेय एवं स्व. श्री शिवदत्त पाण्डेय का परिवार काशी और दिल्ली में विद्यमान है।

चौसठ वर्ष की आयु में आश्विन कृष्ण षष्ठी तदुपरान्त सप्तमी १६८८ विक्रमीय मध्याह्न वेला में काशी के ललिताघाट पर अश्वस्थ वृक्ष के नीचे प्रातः संन्यासाश्रम में प्रविष्ट हो प्रणवोच्चारण पूर्वक आप चिर समाधि में लीन हो गए। पन्त जी के सतीर्थ्यों में म.म. पं. रामावतार शर्मा, पं. दामोदर लाल गोस्वामी, म.म.पं. मुकुन्द झा बक्शी, पं. बालबोध मिश्र, पं. नागेश्वर धर्माधिकारी, तथा महाराणा प्रभुनारायण सिंह का नाम उल्लेखनीय है।

'शेखरद्वय' की अवशिष्ट टीकासम्पत्ति

पं. अभ्यंकर द्वारा उल्लिखित अनेक टीकाकारों के सम्बन्ध में विवरण प्राप्त नहीं हैं, तथापि उनका उल्लेख करना आवश्यक है। तदुनसार लघुशब्देन्दुशेखर की व्याख्याओं में पं. भास्कराचार्य अभ्यंकर (१७८३-१८७० ई.) का उल्लेख आवश्यक है। आपके द्वारा लिखित 'शब्देन्दु' विवरण का विस्तार आपके पुत्र म.म. पं. वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर जी ने किया। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनीय है कि आप के पास 'शेखरद्वय' की मूल हस्तलिखित प्रतियां नागेश्वरभट्ट तथा पं. वैद्यनाथ पायगुण्डे की स्वलिखित हस्तलेखों की प्रतिलिपियां हैं इन्हें अपने गुरु पं. नीलकण्ठ शास्त्री द्वारा उपलब्ध हुई, पं. श्री वैद्यनाथ पायगुण्डे के प्रमुख शिष्य रहे। इस सन्दर्भ में एक अन्य घटना भी प्रसिद्ध है। वह यह है कि डॉ. कीलहॉर्न द्वारा अनुरोध किये जाने पर पं. भास्कर शास्त्री ने एलिफेंस्टन कॉलेज (मुंबई) में अध्यापन करना स्वीकार नहीं किया और आपकी संस्तुति के फलस्वरूप पं. अनंतशास्त्री पेंठारकर की नियुक्ति वहाँ की गयी। डॉ. कीलहार्न परिभाषेन्दु शेखर' के अध्ययन काल में सानारा में भास्कर शास्त्री जी के पास परिभाषेन्दु के सम्बन्ध में अनेक शंकाओं के निवारणार्थ गए थे, और अभ्यंकर जी ने अपने विषय के अनुसार इन्हें पूर्ण सन्तुष्ट किया[1] आपके पुत्र पं. वासुदेव शास्त्री (१८६३-१६४२ ई.) द्वारा 'शब्देन्दु' का विस्तार 'गूढार्थप्रकाश' और 'परिभाषेन्दु' का विवरण 'तत्त्वादर्श' नाम से सुविचित हैं। इनका प्रकाशन क्रमशः १८८८ ई. और १८८६ ई. में हुआ है। तत्त्वादर्श के साथ डॉ. कीलहार्न की अग्रेंजी व्याख्या भी सम्मिलित है। द्रष्टव्य महाभाष्य प्रस्तावनाखण्ड (पृ. ४८) 'महाभाष्य' की मराठी भूमिका में पं. काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकरजी ने 'शब्देन्दु' के दो व्याख्याकारों का और उल्लेख किया है। (१) श्रीधर भट्ट (श्रीधरी) और (२) इन्दिरापति (परीक्षा) 'शब्देन्दु'

---

१. पाणिनीयस्य तन्त्रस्य भाष्यस्थं वेत्ति मर्म कः ?।
नागेशोक्तान्तरङ्गस्थान्तरङ्गो हि मर्मवित्।।"
पं. काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर व्याकरण महाभाष्य भूमिका, पृ. २८

की 'दीपक' व्याख्या की भूमिका में पर्वतीय जी के शिष्य पं. गोपाल शास्त्री नेने नें 'शब्देन्दु' की नागेशोक्ति प्रकाशिका का संकेत किया है, किन्तु वह अपूर्ण और सम्प्रति अनुपलब्ध है। इस बीच 'शब्देन्दु' पर भी हिन्दी व्याख्याएं लिखने का उपक्रम चल रहा है। तीन विद्वानों १ पं. वैकुण्ठनाथ शास्त्री, २. ब्रह्मदत्त द्विवेदी तथा डॉ. आद्याप्रसाद मिश्र ने क्रमशः अव्ययीभावान्त तथा पंचसन्ध्न्त भाग पर हिन्दी व्याख्या लिखी है। पं. बैकुण्ठनाथ शास्त्री की हिन्दी व्याख्या सुरभारती प्रकाशन कानपुर द्वारा प्रकाशित हुई जो विस्तार की दृष्टि से विषय विवेचन करने में सफल प्रयास है।

पं. श्रीब्रह्मदत्त द्विवेदी ने 'शब्देन्दु' की पंचसन्ध्यन्त हिन्दी व्याख्या के साथ संस्कृत व्याख्या का भी प्रणयन किया है। प्राचीन तथा आधुनिक छात्रों के लिए यह उपयोगी प्रकाशन है।

संस्कृत विश्वविद्यालय (वाराणसी) के व्याकरण विभाग के सेवानिवृत्त आचार्य डॉ. आद्या प्रसाद मिश्र कृत हिन्दी व्याख्या पाण्डित्यपूर्ण तथा प्रौढ है। भाषा तथा भाव की दृष्टि से नागेश के सिद्धान्तों के साथ प्राचीन वैयाकरणों की उक्तियों का पारंपरिक सामंजस्य स्थापित करते हुए डॉ. मिश्र द्वारा प्रणीत यह व्याख्या अध्येताओं का समुचित मार्गदर्शन कराएगी, इसमें संदेह नहीं है। पदार्थ तत्त्व के विवेचन में परिष्कार भाग की सिद्धान्त कोटि की प्रस्थापना इसकी अपनी विशेषता है।

'शब्देन्दु' का प्रकाश सर्वदा अनेक रूप में आलोकित तथा आभाषित करता रहेगा।

परिभाषेन्दु का विवरण

'परिभाषेन्दु के व्याख्याताओं में सर्वप्रसिद्ध पं. श्री (१) भैरव मिश्र रहें। इनका विस्तृत परिचय 'शब्देन्दु' के व्याख्याताओं में पूर्वप्रदत्त है। 'परिभाषेन्दु पर इनकी टीका (भैरवी) सुविदित है, जो मूलार्थ को हृदयंगम कराने में पूर्ण समर्थ है। नागेश के शिष्य होने के नाते इनके 'विवरण' में ग्रन्थकार की भावानाएं सन्निहित हैं। यद्यपि परिष्कारों की जटिलता का इन्होंने परित्याग किया है। फिर भी परिभाषाओं की सार्थकता पर आपने नये विचार को दर्शाया है, भविष्य में टीकाकारों ने उसे अपना उपजीव्य माना है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पं. यागेश्वर ओझा की 'हैमवती' टीका है।

इसी क्रम में (२) पं. वैद्यनाथ पायगुण्डे नें 'गदा' नाम की व्याख्या लिखकर परिभाषाओं की सार्थकता के साथ परिष्कारों की सरणि सें नयी पीढ़ी को जागरुक किया है। इसके फलस्वरूप पं. तात्या शास्त्री तथा पं. जयदेव मिश्र को परिष्कारों की कोटियों में नई प्रकल्पनाएं करने का अवसर दिया।

नव्य व्याकरण के इतिहास में 'शेखरद्वय' पर ऐसा अधिकार किया है कि इन दोनों ग्रन्थों पर विना लिखे वैदुष्य प्रकाशित नहीं होता था। अतः (३) दण्डिभट्ट विश्वनाथ नें भी

'शब्देन्दु' के समान 'परिभाषेन्दु' पर भी व्याख्या लिखी अभ्यंकर द्वारा लिखित 'महाभाष्य' के प्रस्तावना खण्ड में इसका उल्लेख है। इनकी व्याख्या भी परिष्कारों पर ही आधारित होनी चाहिए। ऐसे अन्य टीकाकारों में अभ्यंकर जी ने (४) उदयशंकर पाठक द्वारा लिखित 'पाठकी' (५) हरिनाथ कृत 'अकाण्डताण्डव' (६) देव कृत 'दोषोद्धरण' (७) भीमभट्ट की 'भैमी', (८) शंकरभट्ट की शांकरी, (९) लक्ष्मी नृसिंह की त्रिशिखा तथा (१०) अज्ञातकर्तृक 'अम्बाकर्त्री टीका सम्पत्ति का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने इनके संबंध में विशेष विवरण नहीं दिया है।

इसी विवरण में अभ्यंकर जी ने विद्वत्त्रयी को समादर पूर्वक 'परिभाषेन्दु' के व्याख्याकारों में सम्मिलित किया है- (१) अष्टपुत्रे, (२) बालसरस्वती, गोविन्दाचार्य (बालशास्त्री रानडें) और (३) म.म.पं. शिवकुमार शास्त्री। इनकी कृतियां हस्तलेखों के रूप में रह गयी हैं।

'प्रक्रिया' विषयक ग्रन्थों के समान आगे चलकर 'परिभाषेन्दु' के व्याख्याकारों नें परस्पर खण्डन-मण्डनात्मक स्वरूप देकर पारस्परिक मतभेद प्रदर्शित किये। उनमें अभ्यंकर जी के अनुसार पं. श्रीगोपालाचार्य और पं. विष्णुशास्त्री भट्ट प्रसिद्ध रहे। गोपालाचार्य कहलाड़कर के अनुसार पं. विष्णुशास्त्री भट्ट ने अपनी 'विष्णुभट्टी' लिखी, जिसका प्रत्युत्तर गोपालाचार्य जी ने दूषकरदोषभेदिनी लिखकर उस नाम को सार्थक किया। पुनश्च उसका प्रखर प्रत्युत्तर विष्णु शास्त्री भट्ट ने 'चित्तचन्द्रिका' लिखकर दिया।

आधुनिक युग में डॉ. कीलहार्न की परम्परा को बढ़ानें में परिभाषेन्दुशेखर का अंग्रेजी भाषा में भी बड़ा सफल अनुवाद किया गया है। जिसके लेखक है त्रिवेदी इन व्याख्याताओं के अतिरिक्त म.म.पं. काशीनाथ अभ्यंकर जी ने अपने 'द डिक्शनरी ऑफ संस्कृत ग्रामर' (संस्कृत व्याकरणकोष) में अनेक विद्वानों द्वारा लिखित टीकाओं टिप्पणी तथा व्याख्याओं का उल्लेख किया है। इनका नामोल्लेख करना भी आवश्यक है। इनमें से अधिकतर विद्वान् काशी के बाहर के हैं। 'संस्कृत व्याकरणकोष' के अनुसार वह विवरण इस प्रकार है- सर्वश्री हरि नाथ द्विवेदी 'मनीष्यानन्द' (काशी) हरिशास्त्री भागवत, गोविन्द शास्त्री भारद्वाज, नारायण शास्त्री गलगली, वेणीमाधव शुक्ल (बृहच्छास्त्रार्थकला), ब्रह्मानन्द सरस्वती, मनीषी शर्मा, भीमाचार्य गलगली, माधवाचार्य वाईंकर, आदि हैं। इसके अतिरिक्त 'परिभाषेन्दु' की हरिशास्त्रीकृत 'वाक्यार्थ चन्द्रिका', शेषदर्शन सूरिकृता 'सर्वमंगला' आदि संस्कृत व्याख्याएँ भी प्रकाशित हुई हैं।

इन्होंने परिभाषाओं का आशय बडे स्पष्ट रूपमें समझाया है। परिभाषाओं की उपयोगिता एवं उनके विभेदों के सम्बन्ध में अच्छा विवेचन किया है। पाणिनीय व्याकरण में परिभाषाओं की आवश्यकता के सम्बन्ध में लेखक का विवरण प्रशंसनीय है। बिना अन्तः प्रविष्ट हुए 'परिभाषेन्दु का वैदेशिक भाषान्तर सम्भव नहीं हो सकता। संस्कृत ग्रन्थों का

पठन-पाठन अधिकतर हिन्दी माध्यम से ही होता है, अतः मूल ग्रन्थों की व्याख्या हिन्दी भाषा में लिखने के लिए अच्छे विद्वानों का सहभागी होना परमावश्यक है। 'परिभाषेन्दु' सदृश कठिन ग्रन्थों की व्याख्या लिखना दुष्कर कार्य है। फिर भी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय बीकानेर के प्राध्यापक श्रीविश्वनाथ मिश्र लिखित 'सुबोधिनी' व्याख्या व्याकरण के अध्येताओं को उपयोगी सिद्ध हुई है। प्रस्तुत व्याख्या का मुख्य उद्देश्य ग्रन्थकारों के मूल आशय को हृदयंगम कराना है। वर्तमान काल में परिष्कारों की ओर अधिक अवधान न होने से मूल ग्रन्थ की ओर छात्रों का ध्यान आकृष्ट करानें हेतु हिन्दी व्याख्या लेखन आवश्यक है। एतदर्थ मिश्र जी ने मूल कों स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। साथ ही 'अनेकान्ता अनुबन्धा' निर्दिश्यमानत्व' जैसे स्थलों की परिष्कार सरणि का भी निदर्शन किया है। जहाँ कहीं दुरूह स्थल हैं, वहाँ 'विमर्श' अथवा 'सांराश' में उसे स्पष्ट किया गया है। आपने 'लघुशब्देन्दु' की भी पञ्चसन्धिपर्यन्त हिन्दी व्याखा लिखी इसके अतिरिक्त श्री हर्षनाथ मिश्र कृत 'दुर्गा' नामक संस्कृत-हिन्दी व्याख्या तथा श्री श्रीनारायणमिश्र कृत 'परिभाषाप्रकाश' हिन्दी व्याख्याएं प्रकाशित हो चुकी हैं। 'शेखरद्वय' के अध्ययनाध्यापन ने नागेश भट्ट के उद्देश्य को पूर्णतया चरितार्थ किया है। बीसवीं शताब्दी के पूर्व दो दशकों तक व्याकरण क्षेत्र में प्रक्रियाक्रम में अष्टाध्यायी के मौलिक स्वरूप की ओर अध्येताओं का ध्यान कुछ कम अवश्य रहा, फिर भी इधर प्रायः छः दशकों से उसका पुनर्जागरण हुआ है। इसका प्रतिफल स्पष्ट देखा जाता है। तथा नवीन एवं प्राचीन पाठन शैलियों में समन्वय नव प्रभात का सूचक है।[1]

संस्कृत व्याकरण एवं पाश्चात्य-जगत्

आधुनिक युग में भारत के साथ होने वालें पश्चिम के सम्पर्क ने चमत्कारी प्रभाव दिखाया है। प्रारम्भ में पाश्चात्य जन व्याकरण की दृष्टि से ही भारत भूमि पर अवश्य आये, किन्तु इस भारत की यात्रा में अनेक व्यक्ति दूसरा दृष्टिकोण लेकर पधारे। यहाँ की शिक्षा पद्धति से अपरिचित होने पर उन पाश्चात्य व्यवसायियों ने यहाँ से सम्पर्क होने पर यह आवश्यक समझा कि भारतीय धर्म तथा आचार-व्यवहार से परिचित होना सर्वथा अनिवार्य है। उन्हें तब तक यह बोध नहीं रहा कि संस्कृत भाषा ज्ञान के बिना इस कार्य में सफलता मिल नहीं सकती। अतः कुछ बुद्धि जीवियों की प्रवृत्ति संस्कृताध्ययन की ओर हुई, जिन में विलियम जोन्स का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने यह घोषित किया कि ग्रीक और लैटिन की अपेक्षा संस्कृत भाषा कहीं अधिक सुसंगठित सुमधुर और सुघटित है। उनके परवर्ती पाश्चात्य विद्वानों की भाषाविज्ञान के अध्ययन की ओर प्रवृत्ति हुई। फिर भी ऐसे विद्वानों

१. चौखम्बासुरभारती प्रकाशन वाराणसी (द्वितीय संस्करण १६६०)

ने यह अनुभव किया कि संस्कृत के किसी भी अन्य विषय की अपेक्षा उसका व्याकरण अधिक वैज्ञानिक, पूर्ण चमत्कारी और प्रभावशाली है। इन विद्वानों में गोल्डस्टुकर (१८५० से १९०० ई.) कीलहार्न डॉ. वेबर, डॉ. बर्नेल, डॉ. बोथलिंक, डॉ. फेडेगानू, डॉ. शीने, डॉ. बुइस्कूल, डॉ. एजटेन, एलन, जोशुआ हार मउ, लूइ रेनु, जे. गोण्डा आदि उल्लेखनीय है। इन विद्वानों में से ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत व्याकरण पर लेखनी उठाने वालें वेबर, गोल्डस्टुकर तथा डॉ. कीलहार्न भी मुनित्रयी के समान पाश्चात्य जगत में सम्माननीय है। तथापि गोल्डस्टुकर नें पाणिनि के सम्बन्ध में पूर्वापर दृष्टि से अपनी बुद्धि के अनुसार खुलकर विचार किया है।

डॉ. कीलहार्न का उनकी पुस्तक को आगे बढाने में प्रचुर सामग्री मिली तथा उन्होंने महाभाष्य के परिप्रेक्ष्य में तीनों महर्षियों पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि की रचनाओं पर क्रमिक प्रकाश डाला है। और कात्यायन के वार्त्तिकों, भाष्यकार की इष्टियों तथा पाणिनि सूत्रों पर महाभाष्य को स्पष्ट रूप से पृथक्-पृथक् पहचानने की पद्धति विकसित की है। इसके द्वारा यह स्पष्ट विदित कराया है कि कात्यायन का वास्तविक कार्य पाणिनीय व्याकरण है। उक्त-अनुक्त दुरुक्त (न समझने योग्य) अर्थों पर विचार करना था। पतञ्जलि ने न्यायपूर्वक उन वार्त्तिकों को क्रमशः रखते हुए पाणिनीय व्याकरण सम्बन्धी अपने मन्तव्य को तदानीन्तन अन्य सामग्री के प्रकाश में पूर्णता प्रदान की है। कीलहार्न ने इस विषय पर बल देते हुए किसी अन्य साधन को खोजने की भी मंत्रणा दी। कीलहार्न ने अष्टाध्यायी की अल्पाक्षरता और सूक्ष्मता की महत्ता को स्वीकार करते हुए उसकी बोधगम्यता पर भले ही अरुचि दिखाई हो, फिर भी 'परिष्कार' अथवा 'समन्वय' के रूप में उन्हें वह परिहार्य हैं।

डॉ. कीलहॉर्न नें अथक परिश्रम के साथ महाभाष्य तथा परिभाषेन्दुशेखर के संस्करण सम्पादित किये यद्यपि महाभाष्य के अनेक संस्करण कैयट तथा नागेश की व्याख्याओं के साथ निकल चुके हैं, फिर भी विद्वानों की यह धारणा है कि कीलहार्न द्वारा सम्पादित महाभाष्य का संस्करण सुपरिष्कृत है। इनके अतिरिक्त इन्होंने कात्यायन के वार्त्तिकों पर अपना शोध पूर्ण कार्य किया। महाभाष्य के रचयिता के सम्बन्ध में उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया। विशेषतया पतञ्जलि के निवास स्थान 'गोनर्द' तथा उनकी माता गोणिका के सम्बन्ध में निश्चयात्मक मंतव्य प्रकाशित किया। तथा काशिका पर चान्द्रव्याकरण का आनृण्य भी स्वीकार किया। किन्तु यह युक्तिसंगत नही है। क्योंकि काशिका कार ने स्ववृत्ति की रचना में जहाँ पाणिनीय प्राचीन वृत्तियों का आश्रय लिया है, वहीं चान्द्र आदि व्याकरणों के न्यूनतम उपयोगी अंश भी समाविष्ट किये हैं। इसके साथ ही चान्द्र व्याकरण, पूज्यपाद, शाकटायन प्रभृति महावैयाकरणों की भी देन को शिरोधार्य किया। पाणिनीय व्याकरण में फिट् सूत्रों की मान्यता प्राचीनकाल से चली आ रही है। इन सूत्रों पर भी

सपरिश्रम विभिन्न संस्कृत व्याख्यान, भूमिका तथा अनुवाद के साथ इनका सुन्दर संस्करण १८६६ ई. में प्रकाशित किया।

डॉ. कीलहार्न का शोधकार्य उनके शास्त्रीय ग्रन्थ का अध्ययन एवं विज्ञान का प्रतिफल है। उन्हें बम्वई के एलीफेंन्स्टन कॉलेज में अध्यापन करते समय यह अनुभव हुआ था कि बिना मौलिक ग्रन्थाध्ययन के किसी भी शास्त्र का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता अतः उन्होंने पं. भास्कर शास्त्री अभ्यंकर के चरणों का आश्रय लेकर उनसे अन्तरंग परिभाषा का मर्म हृदयंगम किया। इस परिभाषा को समझने में कठिनाई इसका हेतु थी। पश्चात् आपने पं. भास्कर शास्त्री जी के ही प्रमुख शिष्य पं. श्री अनन्त शास्त्री पेंढारकर जी से उच्च शास्त्रीय ग्रन्थों का विधिवत गहन अध्ययन किया, अतः उन्हें नयी दृष्टि मिली तथा इन्होंने परिभाषेन्दु शेखर का अंग्रेजी व्याख्यान प्रस्तुत कर ख्याति प्राप्त की।

डॉ. कील हॉर्न के अतिरिक्त अनेक पाश्चात्य विद्वानों नें व्याकरण विधा से प्रभावित होकर महनीय कार्य किया है। प्रसंगवश उनका उल्लेख यहाँ आवश्यक है। ऐसे विद्वानों में डॉ. बर्नल ने ऐन्द्रव्याकरण पर (ऐन्द्र स्कूल ऑफ संस्कृत ग्रामर) शोधपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार की। पाणिनिपूर्व व्याकरण क्षेत्र में डॉ. बर्नेल का कार्य प्रेरणाप्रद रहा। डॉ. वेबर ने इतिहास के क्षेत्र में अवश्य उल्लेखनीय कार्य किया, किंतु व्याकरण का क्षेत्र उनसे अछूता न रहा। तथा उन्होंने इंडिश स्टूडियेन भाग १ द्वारा व्याकरण सम्बन्धी विविध विषयों पर अपने महत्व पूर्ण विचार प्रकट किए हैं। इसी क्रम में डॉ. एगालिंग द्वारा सम्पादित कातंत्रव्याकरण और डॉ. आपर्ट द्वारा सम्पादित शाक्टायन व्याकरण के संस्करण उल्लेखनीय है। वर्तमान बीसवीं सदी में डॉ. फेडेगान, डॉ. एज-रटन, आदि विद्वानों ने पाणिनीय व्याकरण सम्बन्धी उद्बोधक निबन्ध लिखकर शब्दशास्त्र के प्रति निष्ठा प्रकट की। इसी परम्परा में फ्रांस देश के प्राच्य भाषा के विद्वान् डॉ. लुई रिनु द्वारा सम्पादित शरणदेवकृत 'दुर्घटवृत्ति' तथा डॉ. लीबिश द्वारा सम्पादित चान्द्रव्याकरण के सुपरिष्कृत संस्करण अविस्मरणीय हैं। इनके अतिरिक्त व्याकरण विषयक ग्रन्थकारों में डॉ. मेकडोनल, डॉ. व्हिटने, डॉ. वाकर नागल डॉ. बॉप, डॉ. पिशेल इत्यादि पाश्चात्य विद्याविदों ने भी विदेशी भाषाओं के माध्यम से शब्दशास्त्र की यथामति सेवा की है। यह क्रम अब विदेशों में भारतीय विद्वानों द्वारा अध्ययन-अध्यापन के माध्यम से विद्यमान रहेगा।

भारत में सम्प्रति, महाभाष्य के पठन-पाठन का अनेक रूपों में प्रचार है। प्राचीन व्याकरण के अध्येता समग्र महाभाष्य के मूल ग्रन्थ के अध्ययन में रुचि रखते है। पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु नें इस दिशा में अच्छा प्रयास किया और इन्होंने इसके साथ ही यह अन्वेषण किया कि स्वामी दयानन्द सरस्वती नें भी महाभाष्य के चार आह्रिकों की विस्तृत

व्याख्या की। उसमें भी अपनी मौलिकता है। महाभाष्य पर मराठी भाषा में म.म.पं. वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर नें छः भागों में विस्तृत व्याख्या लिखकर व्याकरण जगत् को जो उपहार दिया है। वह अनुपम है। इनका जन्म सतारा में अधिक श्रावण कृष्ण षष्ठी १६२० वि. तदनुसार ४ अगस्त १८६३ ई. को हुआ। आपके पिता महादेव भट्ट मूलतः वैदिक विद्वान् थे और आपके पितृव्य पं. बैजनाथ (भाऊशास्त्री) अनेक शास्त्रज्ञ थे। इनके पितामह भास्कर शास्त्री विख्यात विद्वान् थे, किन्तु उन्हें अपने जीवनकाल में पुत्रशोक देखना पड़ा, जिस कारण आपका लालन पालन मामा दुर्गाकाकू ने किया और भास्कर शास्त्री के गुरुभक्त शिष्य श्रीराम शास्त्री गोडबोले जी के चरणों में रहकर आपने शास्त्राध्ययन किया। १८६० ई. में आप गुरुजी के आज्ञा से पुणे आए और वहीं न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानाड़े की छत्रछाया में रहने लगे।

अध्यापन काल में आपने यह अनुभव किया कि महाभाष्य को हृदयंगम कराने के लिए लोक भाषा का माध्यम नितान्त आवश्यक है। इस निमित्त आपने 'महाभाष्याब्धि' सन्तरण हेतु यह 'सेतु' बांधा और १६३० ई. से इसका लेखन प्रारंभ कर १६४८ ई. में पूर्ण किया। आपके महाभाष्य पर व्याख्यान लिखने का उद्देश्य 'प्रदीप' और 'उद्योत' इन दोनों का अस्तित्व रखना है। अतः व्याख्यान की सरलता में और शैली की सरसता नें कैयट और नागेश के मतों की अभिव्यक्ति के साथ पारम्परिक विशेषताओं के समायोजन में इस व्याख्या की महनीयता प्रमाणित की है।

आपके सुयोग्य पुत्र म.म. पं. काशीनाथ शास्त्री नें इसकार्य की पूर्णता की है, जिसके फलस्वरूप आपने इसका सातवां-प्रस्तावना खण्ड लिखकर त्रिमुनिव्याकरण की समीक्षा की है। मराठी भाषा में विस्तृत सप्रमाण लिखकर संस्कृत जगत् को चेतना प्रदान की है। आपने भी अपने पिता से सकल शास्त्रों का ज्ञान अर्जन किया। आपका जन्म १६४७ वि. में हुआ। प्राच्य-प्रतीच्योभय शास्त्रज्ञ शास्त्री जी की नियुक्ति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रो. आनन्दशंकर बापू भाई ध्रुव महोदय उपकुलपति के पद पर आसीन होने के पश्चात् आप इ.सं. १६६६ में अहमदाबाद के गुजरात महाविद्यालय में संस्कृत विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए तथा १६४५ ई. में सेवानिवृत्त हुए। अनन्तर यही पर सम्मानित आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे। आपने ग्रन्थ रचनाओं में प्रस्तावना खण्ड साथ ही जैनेन्द्र परिभाषावृत्ति' 'परिभाषा संग्रह' तथा संस्कृत व्याकरण कोश पर भी लेखनी चलाई है। आपका कुलीन परिवार उग्रवादियों के भुशुण्डी प्रहार से काल-कवलित हो गया। यह अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है।

अभ्यंकर जी का अनुसरण कर राष्ट्रभाषा हिन्दी में भी महाभाष्य पर व्याख्याएं लिखना प्रारंभ हुआ है। इसका कुछ अंश तो डैक्कन सोसाइटी, पुणे से प्रकाशित हुआ है। किन्तु संस्कृत में भी महाभाष्य के उपयोगी अंशों पर सभी प्राच्य व्याख्याओं के स्वराज्य को लेकर समीक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। ऐसे व्याख्याताओं में म.मं. पं. नित्यानन्द पर्वतीय के प्रमुख शिष्य म.म.पं. माधव शास्त्री भाण्डारी का नाम उल्लेखनीय है। आपने प्रथम दो आह्निकों पर स्फोटविमर्शनी नामक व्याख्या लिखकर भाष्य के आशय को समझाने का सफल प्रयत्न किया है। इसका प्रकाशन लाहौर से सन् १९२९ ई. में हुआ है।

व्याकरण शास्त्र के इतिहास में पतञ्जलि नें जो स्थान प्राप्त किया, उसकी स्थिरता अद्यावधि बनी हुई है। पाणिनि से लेकर अपनी रचना तक आपने जो शब्दशास्त्र की लक्ष्मणरेखा खींच दी, उसकी परिधि में सबकुछ समा गया है। इन्होंने सन्देहास्पद स्थलों के सन्दर्भ में यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्' के बल पर महाभाष्य का स्थान सर्वमान्य सिद्ध कर अपनी छाप लगा दी।

व्याकरणदर्शन तथा शाब्दबोध विमर्श

(क) दार्शनिक स्वरूप

ध्यात्वा चिन्नगरीं काशीं, नत्वासाम्बं शिवं गुरूम्।
पाणिनेर्मतमाश्रित्य, तन्यते तत्त्वदर्शनम्।।

व्याकरणशास्त्र वेद का प्रधान अंग है, जिसे छान्दोग्योपनिषद् में वेदों का वेद कहा गया है-"वेदानांवेदः"। वेदों का वेद कहने का तात्पर्य यह है कि मन्त्रात्मक वेदों के अर्थ का बोध व्याकरण से अर्थात् पद के प्रकृति-प्रत्यय विभागज्ञान से ही सम्भव है। इसीलिए महर्षि पतञ्जलि ने-व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन में सर्वप्रथम वेद की रक्षा का उल्लेख किया है-"रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्"[1] वेद की रक्षा व्याकरण से होती है। इसका विवरण करते हुए उन्होनें ये कहा है कि- "लोपागमविकारज्ञो हि सम्यग् वेदान् परिपालयति"। बात यह है कि मन्त्रों के पद प्रायः वर्णलोप, वर्ण-आगम तथा वर्ण-विकार वाले होते हैं। जिनका निर्णय व्याकरण ज्ञान पर निर्भर है। इसलिए जो व्याकरणशास्त्र के ज्ञाता नहीं हैं उन्हें वेद का वास्तविक अर्थ ज्ञात नहीं होता। सायणाचार्य के वेद भाष्य को देखने से पता चलता है कि उन्हें मन्त्रों के अर्थ करने में व्याकरण की कितनी सहायता लेनी पड़ी थी। अस्तु !

व्याकरण से केवल प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान होता है- यह बात नहीं है, अपितु उसका एक दर्शन भी है। दर्शन का तात्पर्य है मूलतत्त्व का ज्ञान। जगत् के मूल में कौन सी शक्ति है, जिससे यह निरन्तर गतिशील है। उसका अन्वेषण युक्ति और प्रमाणों के द्वारा मनीषियों ने समय-समय पर किया है। जिसे दर्शनशास्त्र कहते हैं। दर्शनशास्त्र मूलतः वैदिक और अवैदिक-दर्शन के नाम से विख्यात हैं। अतः उनकी चर्चा प्रकृत-प्रबन्ध का विषय नहीं है, यहाँ तो पाणिनीयव्याकरणशास्त्र से जगत् के मूल तत्त्व का ज्ञान किस प्रकार होता है, उसी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है।

"पद प्रक्रिया का दार्शनिक पक्ष"

सर्वप्रथम जानने की बात यह है कि-व्याकरणशास्त्र के द्वारा अखण्ड पद में प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना केवल पद की रक्षा और पदार्थ की सुगमता के लिए की गई है, जो सांख्य-दर्शन के प्रकृति-पुरुष के अनुरूप है। सांख्यदर्शन में प्रकृति और पुरुष का पङ्गु-अन्धन्याय से अन्योन्याश्रय सम्बन्ध सिद्ध किया है। दोनों के सम्बन्ध से ही जगत् की उत्पत्ति होती है। एक के बिना दूसरा निकम्मा है। प्रकृति चल सकती है पर देखती

---

१. छा. उ. ६।६।१

नहीं, पुरुष चलता नहीं केवल द्रष्टा-साक्षी है, इसलिए उसे पंगु कहते हैं, किन्तु पुरुष चेतन है, अतः पथ प्रदर्शक प्रकाशरूप पुरुष के योग से प्रकृति भी चेतनावती हो जाती है। यद्यपि पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं, किन्तु ज्ञान रूप पुरुष सनातन एवं प्रकृति का अध्यक्ष है। उसकी अध्यक्षता में ही प्रकृति चराचर जगत् की सृष्टि करती है। जैसा कि भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने चिन्मय रूप का परिचय देते हुए कहा है कि-

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्।
हेतुनानेन कौन्तेय, जगद्विपरिवर्तते।।[1]

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रकृति की रचना में चेतनपुरुष का योग अनिवार्य है, जिसका निरूपण सांख्यदर्शन में प्रधानरूप से हुआ है।

व्याकरणदर्शन की पद प्रक्रिया भी- प्रकृति और प्रत्यय के योग से निष्पन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक पद की सिद्धि में जिस किसी भी प्रकार सुप्-तिङ्-प्रत्यय तथा प्रकृति का सम्बन्ध रहता ही है। इसीलिए महर्षि पाणिनि के पद की परिभाषा करते हुए कहा है "सुप्तिङन्तंपदम्"[2] इति। अर्थात् सुप् और तिङ्रूप प्रत्यय से युक्त होकर प्रकृति पद रूप में परिणत हो जाती है। भाव यह है कि पद की सिद्धि में भी प्रकृति और प्रत्यय का सम्बन्ध प्रकृति और पुरुष के सम्बन्ध के समान नित्य है। इसीलिए महर्षि पतञ्जलि ने कहा है-

"न केवला प्रकृतिः प्रोक्तव्या न च केवलःप्रत्ययः[3]" अर्थात् केवल प्रकृति और केवल प्रत्यय का उपयोग सम्भव नहीं है। जहाँ कहीं मधु,दधि,वारि, इत्यादि पदों में केवल प्रकृति का तथा "अधुना", "इयान्" आदि पदों में केवल प्रत्यय का श्रवण होता है, वहाँ भी प्रत्यय और प्रकृति के सम्बन्ध का अनुमान हो जाता है। जैसा कि महर्षि पतञ्जलि ने सिद्धान्तरूप से स्वीकार किया है कि-"प्रकृतिं दृष्ट्वा प्रत्यय ऊहितव्यः, प्रत्ययं च दृष्ट्वा प्रकृतिरूहितव्या[4]"। इस प्रकृति और प्रत्यय के अनुमान में दोनों की साहचर्यरूप व्याप्ति ही कारण है। इसलिए एक से दूसरे का अनुमान होता है। मधु, दधि, वारि आदि प्रकृति पदों से सुप् प्रत्यय का अनुमान होता है, और अधुना, इयान्, प्रत्ययों से इदंरूप प्रकृति का अनुमान किया जाता है। पदप्रक्रिया के नियमानुसार कहीं प्रत्यय का तो कहीं प्रकृति का लोप का अभिप्राय अभाव नहीं है, बल्कि अदर्शन है, क्योंकि पाणिनि के मत में अदर्शन को ही लोप कहते हैं। यहाँ भी व्याकरणदर्शन के तत्त्व का एक संकेत है कि किसी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता, उसका तिरोहित होना ही अभाव है, और इन्द्रियगोचर होना ही आविर्भाव रूप कार्य है। इसलिए व्याप्ति के द्वारा अदृष्ट का अनुमान सर्वथा सिद्ध है।

---

१. गीताः ९/१०
२. पा. सू. १/४
३. म.भा.पा.सू. १/६४
४. म.भा.पा.सू.

च, ह, वा, आदि निपात तथा प्र, परा, अप, सम् आदि उपसर्ग संज्ञा वाले शब्द-भी सुप् प्रत्यय के योग से पद कहलाते हैं। तभी वें नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, इन चार पदों की कोटि में आतें हैं। उपसर्ग-निपात की अव्ययसंज्ञा भी होती है। अव्ययसंज्ञक पद वे होते हैं जो सभी लिङ्गों, विभक्तियों एवं सभी संख्याओं में एक समान होते हैं, उनमें थोड़ा भी विकार नहीं होता। उनसे सम्बन्धित सुप् प्रत्यय का अदर्शन ही रहता है। जिसके लिए पाणिनि का सूत्र है-अव्ययादाप्सुपः[1] अर्थात् अव्यय से विहित आप् और सुप् प्रत्यय का दर्शन नहीं होता, फिर भी सुप् प्रत्यय के सम्बन्ध से ही वे पद कहलाते हैं। क्योंकि प्रत्ययकी वासना अव्यय पदो में भी बनी रहती है।

महर्षि पतञ्जलि के पूर्व आचार्य-कात्यायन ने भी प्रकृति-प्रत्यय के नित्य सम्बन्ध पर बल देते हुए कहा है-"प्रत्ययेन नित्यसम्बन्धात् केवलस्याप्रयोगः" अर्थात् प्रकृति प्रत्यय का नित्य सम्बन्ध होने के कारण केवल एक का प्रयोग नहीं होता। महाभाष्यकार ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि-"नित्यसम्बन्धावेतावर्थौ प्रकृतिः प्रत्यय इति, प्रत्ययेन नित्य-सम्बन्धात् केवलस्य प्रयोगो न भविष्यति"। भाष्य के "नित्यसम्बन्धौ" इस अंश के रहस्य को दृष्टान्त के द्वारा प्रकट करते हुए व्याकरणदर्शन के मर्मज्ञविद्वान् नागेशभट्ट ने "मायेश्वरवत्" कहा है। अर्थात् प्रकृति प्रत्यय का नित्य सम्बन्ध माया और ईश्वर के नित्य सम्बन्ध के समान है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य दर्शन के प्रकृति-पुरुष सम्बन्ध के अनुरूप ही व्याकरण की पद प्रक्रिया का दर्शन भी है।

दूसरी बात यह भी है कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद स्वीकार करता है, अर्थात् उपादान कारण में सत्तारूप से विद्यमान वस्तु ही निमित्तकारणों के संयोग से कार्यरूप में परिणत होती है। जैसा कि वट-बीज में सूक्ष्मरूप से विद्यमान वटवृक्ष ही यथासमय अपने निमित्तकारण-भूमि-जल को प्राप्त कर प्रकट हो जाता है, तथा तिल, सर्षप आदि में वर्तमान स्नेहरूप तेल का आविर्भाव होता है, क्योंकि जो वस्तु पहले से विद्यमान रहती है उसी का आविर्भाव उसके उपादान कारण से होता है। लाख उपाय करने पर भी बालू से तेल प्रकट नहीं होता। इस सत्कार्यवाद का दर्शन, व्याकरण की पदप्रक्रिया में भी है, क्योंकि पद में विद्यमान प्रकृति-प्रत्यय की व्याकृति ही पदशास्त्र के द्वारा होती है, न कि नये पदों का निर्माण। अखण्डवाक्य एवं अखण्ड पद में, क्रमशः पदो, और प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना कर, व्याकरणशास्त्र उनका अन्वाख्यान करता है।

अतः जिस प्रकार सांख्यदर्शन में प्रकृति और पुरुष के विवेक से मनुष्य भवबन्धन से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार व्याकरणदर्शन भी प्रकृति-प्रत्यय का ज्ञान प्रदान कर मोक्ष

---

१. पा. सु. २/४/८२

का मार्ग प्रदर्शित करता है। इसीलिए व्याकरण के महत्त्व को बताते हुए व्याकरण-दर्शन केसरी वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने कहा है-

> इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम्।
> इयं सा मोक्षमाणानामजिह्मा राजपद्धतिः।।[1]

अर्थात् पदशास्त्र या व्याकरणविद्या परमपुरुषार्थरूप सिद्धि की पहली सीढ़ी है, तथा मुक्ति चाहने वाले मनुष्य के लिए सरल सड़क है। भाव यह है कि आत्मदर्शन के श्रवण-मनन एवं निदिध्यासन रूप साधनों में प्रथम स्थान श्रवण का है। जिसकी सार्थकता वैदिक पदों के प्रकृति-प्रत्यय विवेक ज्ञान पर निर्भर है। इसलिए व्याकरणरूप इस पहली सीढ़ी को प्राप्तकर सरल राजमार्ग का अनुसरण करता हुआ मनुष्य-पुरुष, माया- ब्रह्म, तथा देह और आत्मा के विवेक में भी निपुण हो जाता है, जिससे वह सत्यासत्य का निर्णयकर भवबन्धन से मुक्त हो जाता है।

इस प्रकार सांख्यदर्शन के प्रकृति-प्रत्यय का विवेक, एवं सत्कार्यवाद, इन दोनों सिद्धान्तों का व्याकरण की पदप्रक्रिया में दर्शन होता है।

"अक्षरसमाम्नाय-तत्त्वदर्शन"

अक्षरसमाम्नाय अर्थात् अ इ उ ऋ लृ, ए ओ-इत्यादि वर्णात्मक चौदह सूत्र भगवान् महेश्वर के डमरू-निनाद से प्रकट हुए हैं, जिनका विवरण नन्दिकेश्वर काशिका की पहलीकारिका में इस प्रकार है-

> नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्।
> उद्धर्त्तुकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।।

अर्थात् ताण्डव के अन्त में भगवान नटराज-राजशिव ने सनक, सनन्दन आदि सिद्ध पुरुषों के उद्धार की कामना से अपना डमरू चौदह बार बजाया। वे ही चौदह निनाद शिवसूत्र के नाम से विख्यात हुए, जिनकी दार्शनिक व्याख्या के उपक्रम में यह पद्य प्रस्तुत हुआ है।

इन चौदह सूत्रों के आधार पर आचार्य पाणिनि ने व्याकरण सूत्र ग्रन्थ-अष्टाध्यायी की रचना ही है, तथा नन्दिकेश्वर ने इन सूत्रों की दार्शनिक व्याख्या की है, जिसमें शैवागम सिद्धान्त का प्रतिपादन इस अक्षर समाम्नाय से किया गया है जो रहस्यात्मक है। जैसा कि-

---

१. ब्रह्मकांड-१६

अकारः सर्ववर्णाग्र्यः प्रकाशः परमेश्वरः।
आद्यमन्त्येन संयोगादहमित्येव जायते।।[1]

इस कारिका में वर्ण समाम्नाय के आदि वर्ण अकार और अन्तिमवर्ण हकार के योग से निष्पन्न 'अहम्' पद, शैवागम दर्शन के प्रकाशरूप शिव तथा विमर्शरूप शक्ति के सामरस्य का बोधक है। जिस सामरस्य से जगत् प्रकाशित हो रहा है। प्रकाश में जो स्फुरणरूप विमर्श है, वही प्रकाश की शक्ति है जिससे प्रकाशरूप शिव, जगत् की उत्पत्ति, पालन और संहार भी करते हैं। इसका उल्लेख नैसर्गिकी स्फुरता विमर्शरूपाऽस्यवर्ततेशक्तिः तद्योगादेव शिवो जगदुत्पादयति पाति संहरति।[2] इस पद्य में स्पष्ट है। वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने तो विमर्श को परावाक् के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि-

वाग्रुपता चेदुत्क्रामेदवबोधस्यशाश्वती।
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी।।[3]

अर्थात् वाग्रूप विमर्श शक्ति यदि प्रकाशरूप बोध से अलग हो जाय तो प्रकाश में प्रकाश करने की शक्ति ही नहीं रहेगी, क्योंकि स्फुरणात्मक-विमर्शरूप शक्ति से ही प्रकाश की प्रकाशकता सिद्ध होती है। अतः प्रकाश और विमर्श का सम्बन्ध नित्य है, जो "अहं" रूप से सभी पदार्थो की प्रतीति का आधार है। इस नित्य सम्बन्ध की तुलना आकाश और वायु के सम्बन्ध के साथ की गई है। जिसका उल्लेख तन्त्रालोक के व्याख्याकार ने इस प्रकार किया है-

अकारश्च हकारश्च द्वावेतावेकतः स्थितौ।
विभक्तिर्नानयोरस्ति मारुताम्बरयोरिव।।[4]

अर्थात् जैसे आकाश और वायु का सम्बन्ध नित्य है। वैसे ही 'अ' और 'ह' का अविभक्त रूप नित्य सम्बन्ध है। भाव यह है कि जिस प्रकार आकाश में सदा वर्तमान वायु की स्फुरण रूप से प्रतीति होती रहती है, उसी तरह प्रकाशरूप "अ" में विमर्शरूप "ह" भी नित्य स्फुरित होता रहताहै। इस प्रकार अहंरूप में नित्य सम्पृक्त प्रकाश और विमर्श शक्ति से सम्पूर्ण जगत् प्रादुर्भूत होकर उसी में भासित हो रहा है। इसीलिए सभी लोग अपने आप को "अहं" रूप में प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि शिवशक्त्यात्मक व्यापक अहं अन्तःकरण

---

१. नन्दिकेश्वर काशिका-४
२. वरिवस्यारहस्य कारिका ४
३. वाक्यपदीय काण्ड १/१२४
४. तन्त्रालोक आ.३, श्लोक २००

के विषयों में प्रतिबिम्बित होकर अहंकार रूप से भी प्रतीत होने लगता है, तथापि जिस प्रकार जपाकुसुम के सम्बन्ध से स्वच्छ-स्फटिक, रक्त स्फटिक बन जाता है, किन्तु स्वभावतः उसमें रक्तता संभव नहीं है। उसी तरह विषय की स्वतन्त्ररूप से सत्ता मानने पर ही अहंकार का जन्म होता है। वस्तुतः अहंरूप व्यापक एक अद्वैत तत्त्व का बोध होने पर तो उससे अतिरिक्त दूसरी वस्तु का मान ही नहीं होता। उस समय तो केवल एक अखण्ड बोध की ही अनुभूति होती है। अनुभव करने वाला भी अहं रूप बोध ही है, दूसरा नहीं। इसी अनुभवरूप अहंब्रह्म के प्रतिपादन में निगमागम सभी शास्त्रों का परम तात्पर्य निहित है। जैसा कि भगवान् श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है-

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनंच
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदान्तकृद् वेद विदेव चाहम्।।[1]

यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण ने भी अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय अहं तत्त्व के माध्यम से ही दिया है। इस विषय में वरिवस्यारहस्य का भी वचन है कि-

अहकारौ शिवशक्ती शून्याकारौ परस्पराश्लिष्टौ।
स्फुरणप्रकाशरूपावुपनिषदुक्तं परं ब्रह्म।।[2]

अर्थात् प्रकाशस्फुरणरूप अहमात्मक शिव और शक्ति परस्पर सम्मिलित रूप में वेदान्त प्रतिपाद्य परब्रह्म ही हैं।

इस अहमात्मक शिवशक्ति से न केवल पदार्थों का प्रादुर्भाव होता है, अपितु "अ" और "ह" के सहयोग से मातृका के सम्पूर्ण वर्ण अभिव्यक्त होते हैं। इसीलिए आगमशास्त्र में "अ" और "ह" वर्ण को ही शिव और शक्ति का प्रतीक माना गया है। वस्तुतः शिवशक्त्यात्मक विश्व प्रपञ्च की भाँति शब्द संसार भी अहमात्मक ही है। इस विषय में वेद वचन है-"अकार एव सर्वा वाक् सैषास्पर्शोष्मभिर्व्यज्यमाना नानारूपा भवति" अर्थात् अकार ही सम्पूर्ण वर्णरूप वाणी है और वही स्पर्श और ऊष्मा के सहयोग से अनेक वर्णों के रूप में अभिव्यक्त होती है। मूलतः बात यह है कि अखण्ड ज्ञान, प्राणी के मूलाधार-चक्र में परावाक् के रूप में सदा विराजमान हैं। वही परावाग्रूपज्ञान अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए क्रमशः पश्यन्ती तथा मध्यमावाक् के रूप में अनुभूत होकर अन्त में सुनने योग्य वर्णात्मक वैखरी वाक् का रूप धारण कर लेता हैं। जैसा कि शब्दतत्त्व के रसिक-महाविद्वान् भर्तृहरि ने स्पष्ट कहा है-

---

१. श्रीमद्भागवद्गीता अ. १५, श्लोक १५
२. अंश २, का. ६९

अथेदमान्तरं ज्ञानं, सूक्ष्मवागात्मनास्थितम्।
व्यक्तये स्वस्यरूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते[1]।

तात्पर्य यह है कि जब प्राणी को बोलने की इच्छा होती है तब परावाग् रूप ज्ञान की ऊष्मा=वायु के सहयोग से कण्ठ, कण्ठमूल तथा तालु आदि स्थानों को प्राप्तकर अवर्ण, क वर्ग, च वर्ग, आदि सभी वर्णों के रूप से अभिव्यक्त होता है। सबसे पहले अवर्ण की अभिव्यक्ति का कारण यह है कि कण्ठस्थान सभी तालु, मूर्धा-आदि स्थानों के मूल में हैं। अतः सबसे पहले ज्ञान की अभिव्यक्ति कण्ठस्थान से अवर्ण के रूप में होती है। इसके बाद ही जिह्वामूल, तालु आदि स्थानों को प्राप्तकर क वर्ग च वर्गादि वर्णो के रूप में प्रकट होता रहता है।

ऊष्मा वायु के साथ जो अकार का सहयोग बताया गया है-उसका तात्पर्य यह है कि "ह" वर्ण ऊष्मा प्रधान है। अतः "अ" का ऊष्मा के साथ नित्य सम्बन्ध है क्योंकि प्राणवायु के बिना अवर्ण की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, और "ह" का प्रयोग भी "अ" के बिना सम्भव नहीं है। यह तो सभी व्यञ्जन वर्णो की स्थिति है कि वे स्वर की सहायता से ही प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए कहा जाता है-"नाचं विना व्यञ्जनस्योच्चारणमपिभवति"[2]

अर्थात् स्वर के बिना व्यञ्जन का उच्चारण ही नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि "अ" और "ह" का सामरस्य ही ताल्वादिस्थान विशेष को प्राप्तकर नाना वर्गों के रूप में प्रतिफलित होता है। "अ" और "ह" के नित्यसाहचर्य में दूसरा उच्चारणरूप अनुभव प्रमाण यह है कि इनकी अभिव्यक्ति एक ही स्थान से होती है। जिसका समर्थन "कण्ठ्यावहौ[3]" कहकर पाणिनीय शिक्षा भी करती है।

यद्यपि कण्ठ और जिह्वामूल स्थान में सूक्ष्मभेद होने के कारण व्याकरण शास्त्र में पदसाधन-प्रक्रिया के लिए "अवर्ण" क वर्ग, और 'ह' इन तीनों का एक स्थान मान लिया गया है, किन्तु 'अ' और 'ह' वर्ण के उच्चारण में जिह्वामूल, का स्पर्श नहीं होता, जैसा कि क वर्ग के उच्चारण में होता है। अतः अभिव्यक्तिस्थान की एकता से भी दोनो वर्णों का नित्य साहचर्य सिद्ध होता है। इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि 'अ' और 'ह' वर्ण के सामरस्य से सम्पूर्ण वर्णों की अभिव्यक्ति होने के कारण आगमशास्त्र में सभी तत्त्वों के मूल रूप में शिव तथा शक्ति के प्रतीक रूप से 'अ' और 'ह' को ही प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका सामरस्य रूप व्यापक 'अहं' पद हैं।

---

१. वाक्यय. ब्र. ११३

२. महाभाष्य म. १/२/३०

३. पाणिनीय शिक्षा, कारिका १६

इसी प्रकार अक्षर समाम्नाय के अन्य सूत्रों से सांख्य दर्शन एवं आगम शास्त्र में स्वीकृत सभी तत्त्वों के सम्बन्ध का प्रतिपादन नन्दिकेश्वर ने अपनी काशिका में किया है। जिनमें यहाँ उदाहरण के रूप में "कपय्" तथा "शषसर्" इन दो सूत्रों से सम्बन्धित कारिकाएँ प्रस्तुत की जा रही हैं, जो इस प्रकार है-

प्रकृतिं पुरुषञ्चैव सर्वेषामेव सम्मतम्।
सम्भूतिमिति विज्ञेयं क-प-यूस्यादितिनिश्चितम्
सत्त्वं रजस्तम इति गुणानां त्रितयं पुरा।
समाश्रित्य महादेवः श-ष.स-र क्रीडति प्रभुः।।
शकाराद्राजसोद्भूतिः षकारात्तामसोद्भवः।
सकारात् सत्त्वसम्भूतिरिति त्रिगुणसंम्भवः।।

अर्थात् कपय् सूत्र का क-वर्ण प्रकृति और प-वर्ण पुरुष का प्रतीक है। एवं श-ष-स ये तीन वर्ण सत्त्वरज और तम के प्रतिनिधि हैं। जिनमें दन्त्य सकार से सत्त्व गुण, तालव्यशकारसे रजोगुण एवं मूर्धन्य षकार से तमोगुण के अभिव्यक्ति होती है। इसलिए अइउण्, ऋलृक् एओङ्. ऐऔच्, हयवरट्, लण्, यमङ.णनम्, झभञ्, घढधष् जबगडदश्, खफ छठथचटतव्, कपय् शषसर् हल्, इन चौंदह सूत्रों के आधार पर निर्मित पाणिनि के व्याकरण सूत्रों से भी दार्शनिक तत्त्व की उपलब्धि होती है, क्योंकि अक्षर समाम्नाय के उपदेश में सनक, सनन्दन आदि सिद्ध पुरुषों के उद्धार की भावना मुख्य रूप से निहित है। इसीलिए लोकप्रसिद्ध वर्णमातृका की सत्ता में भी अक्षरसाम्नाय के उपदेशका अपना विशेष महत्त्व है। इस उपदेश की एक परम्परा है, जिससे ये वर्ण समूह अक्षर समाम्नाय के नाम से अभिहित हुए हैं। समाम्नाय में अभ्यासार्थक "म्ना" धातु का सम्बन्ध है। अतः जो बार बार अच्छी तरह पढ़ा और समझा जाय, उसे समाम्नाय कहते हैं। इसकी परम्परा का उल्लेख ऋक् तन्त्र व्याकरण में है। जिसका निर्देश नागेश भट्ट ने शब्देन्दुशेखर ग्रन्थ में किया है-

"ऋक्तन्त्रव्याकरणेशाकटायनोऽपि-इदमक्षछरच्छन्दो वर्णशः समनुक्रान्तं यथाऽऽचार्या ऊचुः,-ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्दाय इन्द्रोभरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषियो ब्राहमणेभ्यः, तं खल्विममक्षर समाम्नायमित्याचक्षते, न भुक्त्वा न नक्तं प्रबूयाद्ब्रह्मराशिरिति'[1]।

---

१. लघुशब्देन्दुशेखर-संज्ञाप्रकरण

इसमें "ब्रह्मराशि" शब्द ब्रह्म प्रतिपादक वर्णसमूह का बोधक है। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी इस ब्रह्मराशि के महत्त्व को प्रदर्शित करते हुए कहा है-"सोऽयमक्षर समाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः सर्ववेद पुण्यफलावाप्तिश्चाऽस्य ज्ञाने भवति माता-पितरौ चाऽस्य स्वर्गे लोके महीयेते,"[1] इति।

इन सब प्रमाणों से यह बात सिद्ध होती है कि व्याकरणदर्शन का आधारतत्त्व अक्षर समाम्नाय ही है।

विवर्तसिद्धान्त

व्याकरणशास्त्र की पद प्रक्रिया, प्रकृति-प्रत्यय के नित्य सम्बन्ध से युक्त होने के कारण सांख्यदर्शन के प्रकृति-पुरुष सम्बन्ध के अनुरूप है, किन्तु सिद्धान्त की दृष्टि से दोनों में भेद है, क्योंकि सांख्यदर्शन प्रकृति-पुरुष को अनादि और सत्य मानता है, लेकिन व्याकरणदर्शन में प्रकृति और प्रत्यय को काल्पनिक तथा असत्य माना गया है। जैसाकि व्याकरणदर्शन के आचार्य भर्तृहरि ने कहा है-

उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः।
असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते।।

अर्थात् वाक्य में पद और पद में प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना तो वास्तविक नित्य शब्द तत्त्व को जानने के लिए है, क्योंकि असत्यज्ञान के बिना सत्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता। इसलिए प्रकृति-प्रत्यय के द्वारा पदार्थ का ज्ञान केवल बालकों के लिए व्याकरणशास्त्र में प्रवृत्ति का हेतु है। बात यह है कि किसी भी सूक्ष्म तत्त्व का ज्ञान स्थूल पदार्थ ज्ञान के द्वारा ही होता है। साधन या उपाय तो साध्य तथा उपेय वस्तु को बताने के लिए होतें हैं। उनका सर्वदा बना रहना आवश्यक नहीं है। इसके लिए भी भर्तृहरि का सिद्धान्त है-

उपादायापि ये हेयास्तानुपायान्प्रचक्षते।
उपायानाञ्चनियमो नावश्यमवतिष्ठते।।[2]

वस्तुस्थिति तो यह है कि अखण्ड पद भी अखण्ड वाक्य के अंशरूप में कल्पित हैं। मूलतः बोध तो अखण्डवाक्य से ही होता है। अर्थ बोध की समस्या सुलझाने के लिए ही वैयाकरणों ने 'स्फोटवाद' स्वीकार किया है जिसे भर्तृहरि ने शब्दतत्त्व कहा है। शब्द तत्त्व के स्वरूप तथा प्रयोजन को बताते हुए उन्होनें वाक्यपदीय के प्रारम्भ में कहा है-

---

१. महाभाष्य-प्रत्याहाराह्निक
२. वाक्यपदीय काण्ड२, श्लोक ३८

अनादि निधनं ब्रह्म, शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतोयतः।।

इसका भाव यह है कि उत्पत्ति और नाश से रहित, अविनाशी एवं व्यापक एक नित्य-शब्दतत्त्व है। वही अर्थ रूप में भासित हो रहा है। उससे ही जगत् की सृष्टि होती है।

यहाँ 'विवर्तते' यह पद वेदान्तदर्शन के विवर्तवाद का स्मारक है। यह प्रसिद्धि है कि सांख्यदर्शन परिणामवादी है और वेदान्तदर्शन विवर्तवादी। दोनों में अन्तर यह है कि सांख्यदर्शन के अनुसार प्रकृति जगत् रूप में परिणत है, अर्थात् प्रकृति का परिणाम ही जगत् हैं। उदाहरण के रूप में जिस प्रकार मिट्टी घड़े के रूप में बदलकर नया नाम रूप ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार प्रकृति जगत् के रूप में बदल जाती है। उसका अपना नाम रूप नहीं रहता, जैसा कि दूध दधि के रूप में बदल जाने पर पुनः दूध नहीं रहता, उसी प्रकार प्रकृति का परिणाम जगत् है। किन्तु विवर्तवाद में मूलतः घड़ा भी मिट्टी ही है, मिट्टी से भिन्न कोई नई चीज घड़े में नहीं हैं, केवल उसमें नाम और रूप की कल्पना है। इसी प्रकार जगत् भी ब्रह्म का विवर्तरूप है, जिसे दर्शन की भाषा में अध्यास कहा गया है। अध्यास का मूलकारण अज्ञान हैं। जिस प्रकार अँधेरे में भ्रमवश रस्सी में सर्प का भान होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण ब्रह्म में जगत् का भान होता है। यह भान तभी तक रहता है, जब तक प्रकाश या ज्ञान का उदय नहीं होता। प्रकाश या ज्ञान से रस्सी या ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर तो सर्प या जगत् गायब हो जाता है। इस विवर्त में जगत् के निमित्तोपादान कारण ब्रह्म की विकृति नहीं होती है, वह अपने स्वरूप में नित्य वर्तमान रहता है-जिसे वेदान्ती-ब्रह्म, योगी-परमात्मा, तथा भक्त-भगवान् के नाम से जानते हैं। उसे ही व्याकरण-दर्शन में भी ब्रह्म तथा शब्दतत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए वेदान्तदर्शन के अनुसार व्याकरण दर्शन भी विवर्तवाद सिद्धान्त का परिपोषक है।

इस विवर्तसिद्धान्त का संकेत महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी के अन्तिम सूत्र 'अ अ' में विवृत और संवृतरूप से किया है। स्वरूपतः दोनों वर्ण एक हैं, किन्तु उच्चारण भेद से एक विवृत है तो दूसरा संवृत। इसका तात्पर्य यह है कि एक के उच्चारण में कण्ठ विवर का विकास और दूसरे के उच्चारण में संकोच अपेक्षित होता है। यही विवृत और संवृत संज्ञा की अन्वर्थकता है। प्रयत्नभेद के कारण विवृत के स्थान में संवृत का विधान होता है। अक्षर समाम्नाय में विवृत अकार का पाठ है, उस विवृत को इस सूत्र से संवृत होता है। जैसा कि इस सूत्र के भाष्य में महर्षि-पतञ्जलि ने कहा है- "अकारोऽयमक्षरसमाम्नाये विवृत उपदिष्टस्तस्य संवृतता प्रत्यापत्तिः क्रियते"।[1] किन्तु विवृत का यह संवृत रूप, पद की प्रक्रिया के समय नहीं रहता क्योंकि विवृत को संवृत करने वाला यह अन्तिम सूत्र है।

---

१. पा.सू. ८/४/६८

इसलिए अपने पूर्व सूत्रों से ज्ञात नहीं है। ज्ञात न होने के कारण उन सूत्रों की प्रवृत्ति में केवल विवृत अकार ही है, संवृत अकार नहीं। इसीलिए दण्ड+आढ़कम् में सवर्णदीर्घ की प्राप्ति होती है, जिससे दण्डाढकम् यह पद सिद्ध होता है। अन्यथा संवृत और विवृत प्रयत्न भेद से सवर्णसंज्ञा के अभाव में यहाँ दीर्घ नहीं होता।

यह तो पद प्रक्रिया की दृष्टि से इस सूत्र का व्याख्यान है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर विवृत और संवृत व्यापक और व्याप्य भाव के भी द्योतक हैं। व्यापक विवर्त ही व्याप्यरूप संवृत है। जैसाकि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी संकुचित रूप से जीवभाव में भी विद्यमान है। जीव का संवृतरूप तभी तक विद्यमान रहता है जब तक उसे अपने विवृतरूप-शिव का बोध नहीं होता। विवृतरूप का ज्ञान होने पर तो भेद दृष्टि गायब हो जाती है, केवल एक की सत्ता ही सर्वत्र व्यापकरूप से अनुभूत होने लगती है, किन्तु व्यवहारदशा में जीव संवृत रूप में ही रहता है। इसका भी संकेत महर्षि पतञ्जलि ने इस प्रकार किया है-"नैवलोके न च वेदे अकारो विवृतोऽस्ति, कस्तर्हि संवृतः"[1]। इसीलिए अकाररूप वासुदेव का दर्शन भी संवृतरूप अवतार में ही होता है। मत्स्य कूर्मादि अवतार उस व्यापक तत्त्व के संवृतरूप ही हैं। इन्हीं का दर्शन लोक में होता है। विवृत रूप तो दिव्यदृष्टि का विषय है। जैसा कि अर्जुन ने दिव्यदृष्टि से ही भगवान् कृष्ण के विवर्तरूप को देखा था। अस्तु !

प्रकृत में निष्कर्ष यह है कि जिस प्रकार वेदान्त दर्शन में जगत् को ब्रह्म का विवर्त मानकर अद्वैतसिद्धान्त की सिद्धि की जाती है, उसी प्रकार व्याकरणदर्शन में भी वर्ण पद वाक्य को परब्रह्म का बोधक-एक अक्षर तत्त्व का विवर्त माना गया है।

इस प्रकार परब्रह्म और शब्दब्रह्म के तादात्म्य सम्बन्ध से वेदान्तदर्शन और व्याकरणदर्शन की एकता सिद्ध होती है।

"सम्बुद्धि तत्त्व"

पूर्व प्रकरण में प्रतिपादित 'एक अक्षरतत्त्व' का संकेत महर्षि पाणिनि के अनेक सूत्रों में विद्यमान है। जैसाकि-एकवचनं सम्बुद्धिः[2] एकः पूर्वपरयोः[3], एकं बहुव्रीहिवत्[4], ये सूत्र एक तत्त्व के परिचायक भी हैं। इनमें यहाँ केवल "एकवचनं सम्बुद्धिः" सूत्र के तात्पर्य को प्रस्तुत किया जा रहा है।

---

१. भ.भा. प्रत्याहाराह्निक सूत्र १।
२. पा. स. २/३/४७
३. पा. स. ६/१/८४
४. पा. सव ८/१/६

महर्षि पाणिनि ने अपने व्यारणागम में "सम्बोधन" और "सम्बुद्धि" इन दो पदों का प्रयोग किया है। "सम्बोधन" पद का शाब्दिक अर्थ है-सम्यक्-बोधन अर्थात् जिस शब्द के प्रयोग से व्यक्ति, वक्ता के अभिमुख हो वह संबोधन पद है। जिसके अर्थ कि अभिव्यक्ति के लिए प्रथमाविभक्ति का प्रयोग होता है। जिसका निर्देश 'सम्बोधने च"[1] इस सूत्र से हुआ है, और प्रथमा विभक्ति में भी एक व्यक्ति का ही जहाँ सम्यगूबोधन हो उसे सम्बुद्धि कहा जाता है। इसके लिए पाणिनि का पूर्वोक्त संज्ञा सूत्र है-"एकवचनं सम्बुद्धिः[2] जैसे "आगच्छ कृष्ण ? अत्र गौश्चरति "इस वाक्य में कृष्ण पद "सम्बोधन" होते हुए सम्बुद्धि भी है। तात्पर्य यह है कि सम्बोधन में सामान्यतः प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों की उपस्थिति होती है, किन्तु सम्बुद्धि से केवल एक का ही कथन होता है अन्य वचनों का नहीं। वस्तुतः यही सम्बुद्धि का सम्बुद्धित्व है जिसमें अन्य बातें छूट जायँ, केवल एक तत्त्व का ही भान होता रहे, क्योंकि "सम्बुद्धि" यह संज्ञा है।

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने "एकश्रुतिदूरात्सम्बुद्धौ"[3] इस सूत्र के भाष्य में सम्बुद्धि पद पर प्रश्न उठाया है कि क्या यहाँ का सम्बुद्धि पद पारिभाषिक है ? या अन्वर्थक ? यदि पारिभाषिक एकवचन का ही बोधक सम्बुद्धि पद माना जाय तो "देवा ब्रह्माणः" इस बहुवचनान्त पद संयुक्त वाक्य में एकश्रुति की प्राप्ति नहीं होगी। अतः यहाँ "सम्बोधनं सम्बुद्धिः" इस अन्वर्थ का ही ग्रहण इष्ट है किन्तु इसके अतिरिक्त सर्वत्र "एड. ह्रस्वात्सम्बुद्धेः[4]" "सम्बुद्धौ च[5]" इत्यादि सूत्रों का सम्बुद्धि पद पारिभाषिक-अर्थ का बोधक होते हुए भी अपने योगज अर्थ का परित्याग नहीं करता, क्योंकि "सम्बुद्धि" यह बड़ी संज्ञा है। संज्ञा तो सबसे छोटी होनी चाहिए, जैसे टि, घु,भ, आदि संज्ञायें हैं। यदि बड़ी संज्ञा है तो उसका व्युत्पत्तिजन्य अर्थ भी उस संज्ञा से आचार्य को अभीष्ट होता है। इसके उदाहरण में-सर्वनाम संख्या आदि संज्ञाएँ अपने अन्वर्थ बोधन में प्रसिद्ध हैं। यहाँ यदि व्युत्पत्तिजन्य अर्थ अभिप्रेत न होता तो "एकवचनं सम्" यही पढ़ देते, किन्तु ऐसा नहीं किया। इससे ज्ञात होता है कि एकवचन के लिए "सम्बुद्धि" यह संज्ञा ही सार्थक है, क्योंकि साधारणबुद्धि तो लौकिक नाना विषयों से सम्बद्ध है, किन्तु एकत्त्व के लिए श्रुति का उद्घोष है-यस्मिन् द्यौः पृथिवीचान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः।

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या
वाचोविमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः।।[6]

---

१. पा. सू. २/४/४७१
२. पा. सू. २/३/४७
३. पा. सू. १/२/३३
४. पा. सू. ६/१/६६
५. पा.सू. ६/३/१०६
६. मुण्डकोपनिषद २/२/५

अर्थात् 'स्वर्ग, पृथिवी और अन्तरिक्ष तथा सब प्राणों के साथ मन जिस तत्त्व में प्रविष्ट है, तुमलोग उसी एकतत्त्व को जानो, अन्य बातों को छोड़ो, क्योंकि वही एक भवसागर से पार उतारने वाला अमृत का पुल है। किन्तु उस सजातीय विजातीय स्वगतभेदशून्य एकतत्त्वरूप आत्मा का बोध असम्भव न होते हुए भी सर्वसुलभ ही है। करोड़ो मनुष्यों में किसी एक को वास्तविक बोध होता है। जिसे आत्मबोध होता है, उसकी दृष्टि में सम्पूर्ण संसार आत्मस्वरूप एक ही हो जाता है। अतः शोक-मोह के लिए उनके चित्त में कोई स्थान ही नहीं, वहाँ तो सदा "एकमेवाद्वितीयम्" का ही भान होता रहता है। जिसके लिए श्रुति स्पष्ट कहती है-

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानतः।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः'[1]।।

महर्षि पतञ्जलि ने भी "तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः[2] इस योग सूत्र से स्पष्ट कह दिया है कि चित्त-वृत्त्यिों के निरोधरूपयोग में आधिव्याधि दुःख-दौर्मनस्य आदि विघ्न उपस्थित हो जाते हैं उनको दूर करने के लिए एकतत्त्व का अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है। एकतत्त्व का बार-बार चिन्तन करने से ही द्रष्टा की अपनी स्वरूप में दृढ़स्थिति होती है, जिसे कैवल्य अर्थात् पुरुष का अकेलापन कहा जाता है। उस अकेलेपन का भान जिस बुद्धि में हो वही "सम्बुद्धि" है।

कुछ लाघवप्रिय व्याख्याकारों ने "एकवचनं सम्बुद्धिः" के स्थान पर "सुः सम्बुद्धिः"[3] को ही उचित माना है, क्योंकि लौकिक पदों की सिद्धि "सुः सम्बुद्धिः" से भी सम्भव है। अतः सूत्र में एकवचन पद का प्रयोग वे केवल वेदांग के पारायण से पुण्य ही मानते हैं, किन्तु जिस तत्त्व की प्रतीति एकवचन के साथ सम्बुद्धि से होती है वह "सुः सम्बुद्धि" से कभी भी सम्भव नहीं है। इसीलिए आचार्य पाणिनि के सूत्रों के विषय में महर्षि पतञ्जलि का घण्टाघोष है कि-

"प्रमाणभूत आचार्यो दर्भ पवित्रपाणिः
शुचावकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता
प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयतिस्म तत्राऽशक्यं
वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं कि पुनः इयता सूत्रेण"[4]

---

१. ईशावा. उपनिषद् ६
२. योगसूत्र १/३२१
३. "शब्देन्दुशेखर" अजन्त पुल्लिङ्ग प्रकरण"
४. महाभाष्य १/१/१

इसलिए पाणिनि के सूत्रों में दर्शन के तत्त्वों का संकेत भी निहित है- यह बात सिद्ध होती है।

निष्कर्ष यह है कि ऋतम्भराप्रज्ञा से जिस प्रकार केवल एकसत्य पदार्थ का भान होता है, उसी तरह पाणिनीय सम्बुद्धि में भी एक तत्त्व की अनुभूति अभिप्रेत है जो इस सूत्र का दार्शनिक पक्ष है।

"स्फोटतत्त्व"

जिससे अर्थ का बोध होता है, उसे स्फोट शब्द कहते हैं क्योंकि "स्फुटति अर्थो यस्मात् स स्फोटः" इस निर्वचन से यह अर्थ प्रकट होता है। वर्णात्मक-पद या पदात्मकवाक्य से अर्थबोध न होने में बाधा यह है कि वर्णोत्पत्ति का एक क्रम है, जिसमें प्रथम वर्ण के उच्चारण के बाद दूसरे वर्ण के उच्चारण के समय प्रथम वर्ण की स्थिति नहीं रहती। इसलिए वर्णों का समूहरूप एक पद की सिद्धि नहीं होती अतः अर्थबोध सम्भव नहीं। नैयायिक वर्ण की उत्पत्ति मानते हैं। इसलिए वर्ण अनित्य हैं क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसका नाश भी ध्रुव सत्य है। यद्यपि मीमांसक वर्ण को नित्य मानते हैं। उन के मत में वर्ण की अभिव्यक्ति होती है उत्पत्ति नहीं। अर्थात् तालु जिह्वा आदि के व्यापार से वर्ण अभिवयक्त होते हैं इसलिए नित्य है। नित्यवर्णों के रहते हुए वर्णो से अतिरिक्त स्फोटशब्द तत्त्व को वे स्वीकार नहीं करते, किन्तु वर्णोके नित्यत्वपक्ष में भी स्फोट तत्त्व आवश्यक है।, क्योंकि जिस क्रम से वर्ण अभिव्यक्त होगें, उसी क्रम से उनका स्मरण भी हो यह नियम नहीं है। सुबह और शाम के क्रमिक अनुभव का स्मरण भी क्रमिक हो यह सम्भव नहीं। इसलिए सर शब्द रस तथा नदी शब्द का विपरीत रूप से स्मरण होकर दीन हो जाता है। इसलिए अभिप्रेत अर्थ का बोध वर्ण को नित्य मानने वाले मीमांसक के यहाँ भी सम्भव नहीं होगा। अर्थ बोध की समस्या तो तब सुलझती है, जब हम एक नित्य-शब्द स्वीकार करते हैं, जिसे व्याकरणदर्शन में स्फोट तत्त्व कहा गया है। महर्षि पाणिनि ने यद्यपि स्वतंत्र रूप से स्फोट शब्द का प्रयोग न कर "अवङ्स्फोटायनस्य"[1] इस सूत्र के द्वारा आचार्य के नाम में स्मरण किया है, फिर भी वर्णो में विराजमान एक तत्त्व का संकेत उनके 'एकः पूर्वपरयोः" "एकं बहुब्रीहिवत्" इत्यादि सूत्रों में निहित है। पाणिनि से पहले के आचार्य स्फोटायन भी हो सकता है। स्फोटसिद्धान्त के प्रवर्तक रूप में प्रसिद्ध हों, जिन का उल्लेख पाणिनि ने किया है। अस्तु।

एक पद या एक वाक्य की प्रतीति भी वर्ण और पदों से अतिरिक्त एक स्फोट तत्त्व स्वीकार करने पर हीं सम्भव है, क्योंकि पद में वर्ण अनेक हैं, तथा वाक्य में भी पद बहुत

---

१. पा.सू. ६/१/१२३

हैं, फिर एक शब्द का आधार क्या है? इसके समाधान के लिए एक नित्य शब्द है, जो वर्णों की अभिव्यक्ति का आधार है तथा वर्णों से अभिव्यक्त होता रहता है। उसी एक व्यापक नित्य शब्द के आधार पर 'एकपद या "एक वाक्य" की संगति सुलभ होती है। उस एक नित्यशब्द को महर्षि पतञ्जलि ने "स्फोट" कहा है-"स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः, कथम्? भेर्याघातवत्" तद्यथा भेर्याघातामाहत्य कश्चिद् विंशति पदानि गच्छति, कश्चित् त्रिंशत्, कश्चित् चत्वारिंशत्, स्फोटश्चतावानेव भवति ध्वनिकृता वृद्धिः।

ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते
अल्पोमहाँश्च केषाञ्चिदुभयं तत्स्वभावतः[1]।

अर्थात् स्फोट, शब्द है और ध्वनि शब्द का गुण है। जैसा कि दुन्दुभी के आघात विशेष से ध्वनि में ही ह्रास या वृद्धि होती है शब्द में नहीं। शब्द तो दुन्दुभी का ही कहा जाता है। ध्वनि उसकी अभिव्यक्ति का कारणमात्र है। जिस प्रकार सौन्दर्य, शरीर से भिन्न होते हुए भी शरीर के अवयव से व्यक्त होता है, उसी तरह स्फोट तत्त्व वर्णात्मक पदों से अभिव्यक्त होता हुआ भी उससे अतिरिक्त है। उससे ही अर्थ का बोध होता है।

यदि कोई कहे कि जिस प्रकार वृक्षों का समूह ही एक वन होता है, उसी प्रकार वर्णों का समूह ही पद है, वर्ण से अतिरिक्त स्फोट मानने की जरूरत नहीं है ? तो इसका समाधान यह है कि पद में वर्ण तथा वाक्य में पदों का आभासमात्र रहता है। वस्तुतः पद या वाक्य तो अखण्ड हैं। इस विषय में भर्तृहरि का उद्घोष है कि-

पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वयवा न च।
वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन[2]।।

स्फोट न मानने वाले की दूसरी दलील यह है कि "कमल" पद के केवल ककारध्वनि से अर्थबोधक स्फोट की अभिव्यक्ति हो जाये फिर 'म' और 'ल' की क्या आवश्यकता? इस प्रश्न का समाधान भी भर्तृहरि ने इस प्रकार किया है-

नादैराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह।
आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽवधार्यते'।।

अर्थात् प्रथमध्वनि से कुछ भावना का बीज निहित होता है, जिससे अर्थ बोध जनन-शक्ति का परिपाक प्रारम्भ होकर क्रमशः परिपुष्ट होता हुआ अन्तिम ध्वनि के साथ बुद्धि में स्फोटात्मक शब्दरूप से अर्थ का बोधक होता है। शब्द और अर्थ का पौर्वापर्य बुद्धि में होता हैं-इसका उल्लेख महर्षि पतञ्जलि ने इस प्रकार किया है-

१. महाभा. १/१/सू. ६६
२. वाक्य. १. ८५

बुद्धौ कृत्वासर्वाश्चेष्टाः कर्ता धीरस्तत्त्वन्नीतिः शब्देनार्थान् वाच्यान् दृष्ट्वा बुद्धौ कुर्यात् पौर्वापर्यम्[1] । यहाँ बुद्धि पद सामान्यतः अन्तःकरण का बोधक है, क्योंकि स्फोटात्मक शब्द में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन चारों का व्यापार होता है, इसलिए दार्शनिक विद्वान् शब्द और अर्थ के पूर्वापर का विचार अन्तःकरण में ही करते हैं।

इसका तात्त्विक अभिप्राय यह है कि जब वक्ता अर्थबोध कराने की इच्छा से अपने भीतर-अन्तःकरण में विराजमान स्फोट को कण्ठ, तालु, जिह्वा आदि के व्यापार से वर्णरूप में अभिव्यक्त करता है, तो वे वर्ण वीचितरंग न्याय से श्रोता के अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर पुनः स्फोट रूप को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे श्रोता को अर्थबोध होता है। बीच में कुछ समय के लिए हीं वह वर्णरूप में प्रतीत होता है। मूलतः वह वक्ता और श्रोता दोनों के अन्तःकरण में मध्यमा वाग् रूप से सदा वर्तमान रहता है। श्रोता और वक्ता के साथ स्फोट के सम्बन्ध को अभिव्यक्त करते हुए पतञ्जलि ने कहा है- "श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः[2] इस शब्द लक्षण के चार विशेषणों से पूर्वोक्त सिद्धान्त की पुष्टि होती है। इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि बुद्धि द्वारा गृहीत यह स्फोट व्यावहारिक है, इसका सम्बन्ध मध्यमावाक् से है। चिन्तन, मनन, तथा काव्य निर्माण आदि कार्य इससे सम्पन्न होते हैं। पारमार्थिक स्फोट तो परावाग्रूप है, जिसका अनुभव योगियों के लिए भी अगम्य बताया गया है। जिसे आगमशास्त्र में "चिच्छक्तिः एव परावाक्" कहा गया है। उससे ही जगत् की सृष्टि होती है। इस विषय में भर्तृहरि का-

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।

यह पहला श्लोक सिद्धान्तरूप से सदा स्मरणीय है। अस्तु !

उस पारमार्थिक परावाग्रूप स्फोट का विकसितरूप मध्यमा वाग्रूप स्फोट है, जो वर्ण-पद-वाक्य स्फोट तथा अखण्ड पदस्फोट, अखण्डवाक्य स्फोट एवं वर्णजाति स्फोट, पदजाति स्फोट, वाक्य जाति स्फोट इन आठ रूपों में प्रतिपादित हुआ है। इनका विवेचन भट्टोजिदीक्षित नागेशभट्ट आदि विद्वानों ने बड़े विस्तार के साथ किया है। उन सबका परिचय यहाँ केवल साररूप में ही प्रस्तुत है।

इस प्रकार व्याकरणदर्शन का तत्त्व यथामति प्रतिपादन कर, विज्ञजनों पर कामधुक् शब्दब्रह्म की प्रसन्नता के लिए पार्वती और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ।

---

१. व्या/महा. १-४-१०९
२. महाभाष्य प्र. सू. १ अइउण्

प्रकृतिः पार्वतीसाक्षात्, प्रत्ययस्तु महेश्वरः।
अर्धनारीश्वरः शब्दः कामधुग् वः प्रसीदतु।।

(ख) ऐतिहासिक परम्परा तथा शाब्दबोधसरणि

व्याकरण दर्शन का शुभारम्भ वैदिक काल से ही हो गया था। **'गोपथ ब्राह्मण'** में ऐसे अनेक उल्लेख हैं, जिनसे शब्दतत्त्वज्ञान का रहस्य स्पष्टतया उद्घाटित होता है। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि शब्द का उद्गम स्रोत नाद-बिन्दु-कला स्वरूप प्रणव है। अतः वहां शब्द के विश्लेषण पर विचार करते हुए उससे ही यह जिज्ञासा की गयी है-'ओङ्कारं पृच्छामः-को धातुः? किं प्रातिपदिकम् ? किं नामाख्यातम् ? किं लिङ्गम् ? किं वचनम् ? का विभक्तिः ? कः प्रत्ययः ? इति।' (गोपथ १।१।२४)

धातु, प्रातिपदिक, नाम, आख्यात, लिङ्ग, वचन, विभिक्ति, प्रत्यय आदि से सम्बद्ध जिज्ञासा का समाधान करने से समग्र शब्दशास्त्र का तात्त्विक स्वरूप सामने परिलक्षित हो जाता है। 'गोपथ ब्राह्मण' के अनुसार ही इस विषय के अनेकों पूर्वाचार्य प्रसिद्ध हो चुके थे-

'आख्यातोपसर्गाऽनुदात्तस्वरितलिङ्गविभक्ति वचनानि च संस्थानाध्यायिनः आचार्याः पूर्वे बभूवुः।' (१।१।२७)

इसी को अभिलक्षित कर **महर्षि यास्क** कुछ और आगे बढ़े और उन्होंने भी प्रसंगवश कतिपय पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख किया। पाणिनि से पूर्ववर्ती वैयाकरणों की सामग्री के समान उनके दार्शनिक विचार एवं पद पदार्थ विचार अन्यत्र ही सुरक्षित हैं। वर्तमान काल में आचार्य भर्तृहरि ही व्याकरणदर्शन के प्रतिष्ठापक परमाचार्य हैं, फिर भी उनके द्वारा उद्धृत अनेक प्रमाणों से पूर्वाचार्यों के सम्बन्ध में परिज्ञान होता है। इनमें इन्द्र, शाकटायन, आपिशलि, काशकृत्स्न, शाकल्य, व्याडि आदि विद्वान् पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी शब्द तत्त्व पर प्रकाश डाला है।

व्याकरण दर्शन के प्रति जनता को प्रवृत्त करने के लिए भर्तृहरि शब्दतत्त्व के निरूपण हेतु अग्रसर हुए और उन्होंने शब्दज्ञान को मोक्ष का हेतु प्रतिपादित किया। इनके समय तक जनसाधारण कर्मकाण्ड पर आधारित पूर्व मीमांसा, ज्ञानकाण्ड पर आधारित उत्तर मीमांसा (वेदान्त), सांख्ययोग न्यायवैशेषिक जैन बौद्ध आदि दर्शनों के ज्ञान को मोक्ष का हेतु समझता था।

भर्तृहरि से अनेक शतकों पूर्व प्राचीन आचार्यों ने शब्द ब्रह्म पर अपना चिन्तन किया था। शब्दशास्त्र में भी 'ऐन्द्र तन्त्र अत्यन्त प्राचीन है। पतञ्जलि ने 'अक्षर'शब्द का व्याख्यान करते हुए लोक में 'वर्ण' को भी 'अक्षर' का पर्याय वाचक मानने में पूर्वाचार्य इन्द्र का संकेत किया है-"वर्णवाहुःपूर्वसूत्रे" ऐन्द्रतन्त्र की दार्शनिक प्रक्रिया का स्वरूप विदित न होने से इस

सम्बन्ध में अधिक विस्तार नहीं मिलता। तदन्तर महर्षि पाणिनि द्वारा उल्लखित आचार्य स्फोटायन[1] नाम ही 'स्फोट' वाद के चिन्तक आचार्य का संकेत करता है। 'काशिका' के व्याख्याता 'पदमञ्जरी कार हरदत्त तथा नागेश ने स्फोट का सम्बन्ध स्फोटायन से जोड़ा है- 'स्फोटोऽयन परायणं यस्य सः स्फोट प्रतिपादनपरो वैयाकरणाचार्यः। ये त्वौकारं पठन्ति, ते नडादिषु अश्वादिषु वा (स्फोटशब्दस्य) पाठं मन्यन्ते।'-काशिका ६।१।१३३ की टीका इन्हें आचार्य का स्फौटायन नाम मानने पर 'स्फोट' शब्द से अपत्यार्थक फक् (आयन) प्रत्यय होने से रूप-निष्पत्ति होती है। तदनुसार स्फोटायन के पूर्वज स्फोट नामक आचार्य रहे हों। दोनों ही नाम स्फोटवाद के उपज्ञाता आचार्य की ओर इंगित करते हैं। स्फोटायन नाम का उल्लेख "यन्त्रसर्वस्वकार भरद्वाज ने अपने एक सूत्र[2] में वैभानिक आचार्य के रूप में किया है। इस सन्दर्भ में मीमांसक जी ने विमान के किसी विशिष्ट प्रकार के 'स्फोट' (ध्वनि) से उत्पन्न अयन (गति) का उपज्ञाता होने के कारण नामसार्थक्य का प्रतिपादन किया है[3]। इसके अतिरिक्त 'अभिधान चिन्तामणि' कार हेमचन्द्र और 'नानार्थार्णवसंक्षेपकार केशव ने ('स्फोटायनस्तु कक्षीवान्।') भी 'स्फोटायन' नाम का उल्लेख करते हुए एक स्थान पर उसका पर्याय 'कक्षीवान्' किया है। सप्तम्यन्त पाठ में स्फोटसिद्धान्त के निरूपण करने में 'कक्षीवान्' आचार्य संकेतित हैं। 'कक्षीवान्' तथा 'स्फोटायन' एक ही व्यक्ति हैं अथवा भिन्न हैं-इस सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इतना अवश्य है कि स्फोटायन 'स्फोट-प्रतिपादक आचार्य रहे, किन्तु उनके ग्रन्थ का नाम एवं स्वरूप अभी तक अज्ञात ही है।

स्फोटायन के अतिरिक्त स्फोट सिद्धान्त के सम्बन्ध में आचार्य **औदुम्बरायण** तथा **वार्ताक्ष** का निर्देश भर्तृहरि ने 'वाक्यपदीय' के द्वितीय काण्ड में किया है-

"वाक्यस्य बुद्धौ नित्यत्वमर्थयोगं च लौकिकम्।
दृष्ट्वाचतुष्ट्वं नास्तीति वार्ताक्षौदुम्बरायणौ।।" २।३४२

प्रकृत सन्दर्भ में **पं. रघुनाथ शर्मा** ने वार्ताक्ष को वृत्ताक्ष का पुत्र एवं औदुम्बरायण को उदुम्बर का युवापत्य कहा है।[4] 'निरुक्त' के टीकाकार दुर्गाचार्य ने चौदह आचार्यों में 'औदुम्बरायण' को निरुक्तकार के रूप में परिगणित किया है। यास्क के अनुसार स्वयं को छोड़कर १२ निरुक्तकारों का नामोल्लेख किया गया है तथा इनके मत को एक स्थान पर

---

१. 'अवङ्स्फोटायनस्य' ६/१/१२३
२. 'चित्तिण्येवेसि स्फोटायनः।'
३. सं. व्या. इतिहास भाग १, १.१६१
४. 'वृत्ताक्षस्यापत्यं वार्ताक्षः, उदुम्बरस्य युवापत्यमौदुम्बरायणः'-अम्बाकर्त्री (वाक्यपदीय २।३४२)

उद्धृत किया गया है।[1] औदुम्बरायण स्फोट अथवा प्रातिभज्ञान की अखण्डता के प्रबल समर्थक आचार्य हैं। उनका यह मत वाणी के ध्वनिपक्ष के लिए था। वाणी की इस अखण्डता का आधार है वाक्य। और वाक्य शब्दों और ध्वनियों का परिणाम न होकर बुद्धिस्थ किन्हीं भावनाओं का परिणाम है। भावनाएं शब्दों की धन्यात्मक अनित्यता की तुलना में अधिक नित्य और असीम होती हैं। यही सिद्धान्त भर्तृहरि की उपर्युक्त कारिका में प्रतिपादित है। इसी तत्त्व का प्रतिपादन वार्तिककार कात्यायन ने प्रथम वार्तिक "सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे" में किया है। इस सम्बन्ध में ग्रन्थाक्षरों ने दो प्रकार से 'औदुम्बरायण'-दर्शन का अन्वाख्यान किया है। इसका आधार 'वाक्यपदीय' की 'हरिवृत्ति' व्याख्या के हस्तलेख में किया गया है।[2] अखण्डवाक्य स्फोटसिद्धान्तवादी आचार्य औदुम्बरायण ने पद-प्रकृति-प्रत्ययादि विभाग को काल्पनिक माना है, जिसे 'उपोद्घात' कहकर व्याकरणदर्शन में परिभाषित किया गया है। इसकी पुष्टि महाभाष्य की अज्ञात कर्तृक टीका के हस्तलेख में की गयी है-'निर्भागस्फोटवादिनस्तु सा औदुम्बरायणमतानुसारेण एवमाहुः।-महाभाष्य व्याख्या हस्तलेख पृ. २१ मद्रास (ओरियण्टल मनुस्क्रीप्ट लाइब्रेरी नं.आर. ४४३६१।)

श्री भरत मिश्र ने 'स्फोटसिद्धि' में इस मत को पल्लवित किया है।[3] मीमांसक जी[4] तथा डॉ. सत्यकाम वर्मा ने[5] स्फोटायन और औदुम्बरायण दोनों को एक व्यक्ति माना है- यह अन्वेषणीय है, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं है।

पाणिनि पूर्ववर्ती वैयाकरणों में आपिशलि ने अपने शिक्षा ग्रन्थ मे 'शब्दनिपत्ति' के सन्दर्भ में विचार करते हुए प्रयत्न विशेष को अभिव्यञ्जित किया है। इसके द्वारा वर्णोच्चारण के पूर्व नाभिप्रदेश से प्रदत्त प्रेरित वायु ऊपर उठती हुई उदरस्थ कण्ठ आदि स्थानों में किसी स्थान पर टकराती है। वह संघर्ष ही शब्द निष्पत्ति[6] का हेतु है। 'पाणिनीय शिक्षा' में भी वर्णोत्पत्ति के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार से विचार किया गया है।

---

१. 'इन्द्रियवचनं नित्ये तत्र चतुष्ट्वं नोपपद्यते'-औदुम्बरायणः।-निरुवर्तयका दुर्गवृत्ति।

२. एतस्मादेव औदुम्बदर्थसार तत्रचतुष्टवं नोपपद्यत इत्युच्येत। यथैव तु व्याप्तित्वात् सूक्ष्मव्यवहरता विप्रकृष्टेष्वर्थेषु बहुभिरपि प्रकारैः दर्शयितुम् अशक्येत् लाघवात् शब्द व्यवहारो लोके प्रसिद्ध गतः, एवमत्यन्तसंसृष्टेष्वर्थास्मासु शब्देषु वा विभक्तेपु अपोद्धारः कल्पितः। पदव्यवहारो व्याप्तिमत्वात् लघुत्वाच्च लोकेशास्त्रे च रूढिः प्रसिद्धो व्यवस्थित इति-वाक्यपदीय २/३४३ हरिवृत्ति हस्तलेख।

३. इह कैश्चित् वर्णातिरिक्ततया पदत्वमेकाकारप्रत्ययनिर्भासमानमपि अनन्तरदृष्टार्थहेतुतया च तदाम्मे हि दृष्यते' इत्यनेन न्यायेन प्रसिद्धमपि भगवदौदुम्बरायणाद्युपपादिष्टाखण्डभावमपि"-स्फोटसिद्धिः।

४. द्रष्टव्य-सं. व्या. इतिहास भाग १, पृ.-१८६-१६१

५. द्रष्टव्य-संस्कृत व्याकरण का उद्भव और विकास, पृ. १२६

६. "नाभिप्रदेशात् प्रयत्नप्रेरितो वायुरूर्ध्वमाक्रामन्नुरस्यादीनां स्थानमभिहन्ति ततः शब्दनिष्पत्तिः।"-हरिवृत्ति वाक्यपदीय १।११५

पाणिनि ने यद्यपि अपने सूत्रों में कहीं साक्षात् शब्दनित्यता का उल्लेख नहीं किया है, वह शब्दरचना की दृष्टि से बाहर था। फिर भी अन्वेषकों ने उसको कतिपय सूत्रों के आधार पर यह अभिव्यञ्जित किया है कि पाणिनि भी शब्दनित्यत्ववाद के परिपोषक थे। इस सम्बन्ध में 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्' (६।३।१०९) तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् (१।२।५३), आदिसूत्र शब्दार्थ नित्यता के सूचक हैं। 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्' (६।३।१०९) सूत्र से यह

प्रतिध्वनित होता है कि अनादिकाल से शिष्टों द्वारा उच्चरित शब्दरूपों की यथार्थरूप में वर्ण लोप, वर्ण विपर्यय आदि विकारों का विचार नहीं होता। महाभाष्य के अनुसार ऐसे शब्दों की अनादिसाधुता सिद्ध है। और वह साधुता शब्द नित्यता से ही परिगृहीत हो सकती है। ऐसे ही शिष्टों द्वारा प्रयुक्त नित्य शब्दों का अन्वाख्यान 'अष्टाध्यायी' में है।[1]

इसी प्रकार लिङ्ग, वचन आदि के सम्बन्ध में भी अनादि परंपरा प्रमाण है। (पा. १।२।५३) उदाहरणार्थ 'दार' शब्द स्त्री अर्थ का बोधक है, वह पुंल्लिङ्ग एवं नित्य बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसे शब्द प्रयोगों में प्रक्रिया सम्बन्धी विधान सम्मत नहीं है, लौकिक व्यवहार ही प्रमाण है। इसी विषय को महाभाष्यकार ने 'लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य' (४।१।३) कह कर प्रकट किया है।

'द्वादशारनयचन्द्र' की न्यायागमानुसारिणी[2] व्याख्या में उद्धृत कारिका के अनुसार वृत्तिग्रथों में एवं वार्तिकों में प्रतिपादित दार्शनिक विचारों का मूलाधार पाणिनि सूत्र ही है।

पाणिनि के अनंतर दार्शनिक चिन्तन

पाणिनि युग के आसपास महान् वैयाकरण व्याडि (वि.पू. सप्तम शतक के लगभग) हो चुके हैं। उन्होंने अपने 'संग्रह' ग्रन्थ में पाणिनीय दर्शन का विस्तृत विवेचन किया है। 'शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृतिः'[3] इस कथन द्वारा संग्रह के गौरव को प्रकाशित किया है। संग्रह ग्रन्थ में प्राकृत ध्वनि, वैकृत ध्वनि, वर्ण पद, वाक्य, अर्थ, मुख्य-गौणभाव, संबंध, उपसर्ग, निपात, कर्मप्रवचनीय आदि विषयों पर विचार किया गया है। भर्तृहरि के अनुसार व्याडि ने शब्द की दशविध अर्थवत्ता स्वीकार की थी।[4] शब्द द्वारा द्रव्य तथा जाति का अभिधान करने के सम्बन्ध में व्याडि तथा वाजप्यायन में मतभेद है। व्याडि शब्द द्वारा

---

१. पृषोदरादीनि = पृषोदर प्रकाराणि, येषु लोपागमवर्णविकाराः श्रूयन्ते न चोच्यन्ते। उपदिष्टानि = शिष्टै उच्चरितानि। (५।३।१०९) शिष्टपरिज्ञानार्था ऽष्टाध्यायी।" (६।३।१०७)

२. "सूत्रेष्वेव हि तत् सर्वं यद् वृत्तौ यच्च वार्तिके।
उदाहरणमन्यस्य प्रत्युदाहरणं पक्षोः।।"

३. महाभाष्य-२।३।६६।

४. "तदुभयं परिगृह्य दशधा अर्थवत्ता स्वभावभेदिका इति संग्रहे"-वाक्यपदीय-२/२०७ की हरिवृत्ति (हस्तलेख)

द्रव्य का तथा वाजप्यायनजाति **अभिधान** स्वीकार करते हैं।[1] शब्दार्थ विचार के पारस्परिक सम्बन्ध में व्याडि अर्थ को प्रधान मानते हैं। भर्तृहरि ने 'वाक्यपदीय' में इसका स्पष्टीकरण करते हुए उल्लेख किया है-नहि किञ्चित् पदं नाम रूपेण नियतं क्वचित्। पदानां रूपमर्थोवा वाक्यार्थादिव जायते।।" (वाक्य पदीय १।२४ हरिवृत्ति।) 'अपभ्रंश' के विषय में सर्वप्रथम चिन्तक व्याडि ही हैं, वे मूल संस्कृत शब्द को उसकी प्रकृति मानते हैं।[2] भर्तृहरि इस मत से पूर्ण सहमत नहीं हैं।

शब्द की नित्यता अथवा अनित्यता के सम्बन्ध में 'सिद्ध' शब्द को नित्य का पर्यायवाची मानने में भाष्यकार के अनुसार व्याडि ही प्रथम आचार्य थे, यद्यपि कात्यायन ने अपने प्रथम वार्तिक में 'सिद्ध' को मंगलार्थक एवं नित्यार्थक उभयविधार्थद्योतक परिकल्पित किया है।

पतञ्जलि के अनुसार कात्यायन ने 'सिद्ध' शब्द की परिकल्पना व्याडि से ग्रहण की है।[3]

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कात्यायन ने पाणिनीय व्याकरण के दर्शन एवं पदार्थ तत्त्व को पल्लवित कर पाणिनि सूत्रस्थ अव्यक्त सिद्धान्त को प्रस्फुटित कर परवर्ती आचार्यों का पथ प्रदर्शन किया है। यद्यपि दार्शनिक व्याख्या में सैद्धान्तिक क्रम का अनुसरण वार्तिकों में अनुपलब्ध है, तथापि सूत्रव्याख्या करते हुए तदनुसार विषयों का उपन्यास किया गया है। कात्यायन के प्रथम वार्तिक 'सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे' में ही समग्र व्याकरण दर्शन प्रतिबिम्बित हुआ है। आपके वार्तिकों में प्रकृत्यर्थ विशेषणवाद, प्रत्ययार्थ विशेषणवाद, सामानाधिकरण्यवाद, अर्थ नियमवाद, प्रकृति नियमवाद आदि विषय समाविष्ट हैं।

वाक्यपदीय के व्याख्याकार हेलाराज वार्तिकों के प्रकाण्ड पण्डित भी थे, जिन्होंने 'वार्तिकोन्मेष' नामक स्वतंत्र ग्रन्थ लिखा था। हेलाराज ने 'वाक्यपदीय' के प्रकीर्ण काण्ड की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि इस काण्ड का विषय अधिकतर कात्यायन के वार्तिकों पर ही अवलंबित है। इसके साथ तृतीय काण्ड का वृत्ति समुदेश कात्यायन के कुछ वार्तिकों पर ही अवलंबित है। इसके साथ तृतीय काण्ड का वृत्ति समुद्देश कात्यायन के कुछ वार्तिकों का व्याख्या मात्र है। संस्कृत व्याकरण दर्शन, संस्कृत भाषा और संस्कृत वाङ्मय को कात्यायन की एक विशेष देन है-वाक्य की परिभाषा।

पतञ्जलि

व्याकरणदर्शन का दर्शन महाभाष्य से प्रारम्भ होता है। उसी को आधार मानकर

---

१. द्रव्याभिधानं व्याडिः इति कात्यायनः। (म. भा. १।२।६४) वाजप्यायनस्याकृतिः, व्याडेस्तु द्रव्यम्' इति महाभाष्यदीपिकायाम् भर्तृहरिः।

२. 'शब्दप्रकृतिरपभ्रंश इति संग्रहकारः'-वाक्यपदीय १।१४८ हरिवृत्ति।

३. "संग्रहे एतत् प्रस्तुतम्-किं कार्यः शब्दः, अथ सिद्ध इति"-महाभाष्यदीपिका।

भर्तृहरि ने दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार कर विचारकों को तात्त्विक स्वरूप की समष्टि अर्पित कर दी। अतः महाभाष्य को आकर-ग्रन्थ की संज्ञा दी जाती है। भर्तृहरि की दृष्टि में पतञ्जलि तीर्थदर्शी है और महाभाष्य संग्रह ग्रन्थ का प्रतिकंचुक (प्रतिनिधिकल्प) है और सभी में न्याय बीजों का अधिष्ठान है।[1] पुण्यराज ने इसका समर्थन किया है। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वे बीज 'ज्ञापक' अथवा न्यायवार्तिकों के रूप में रहे हों अथवा 'त्रिपदी' प्रोक्त परीक्षित तत्त्वों के रूप में रहे हों। व्याकरण का मुख्य कार्य केवल शब्द रचना न होकर उसका सम्यक् प्रयोग कैसे और कब करना चाहिए इसका समाधान ढूंढना है और यह जिज्ञासा ही इस महाभाष्य को इस धरातल से उठाकर दार्शनिक भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। दार्शनिक धरातल को स्थिर करने में हमें पतञ्जलि से पूर्व व्याडि द्वारा प्रेरित कात्यायन के वार्तिकों का दर्शन भी अपेक्षित है, जिनका अवलंबन कर आचार्य पतञ्जलि महान् दार्शनिक के रूप में हमारे सम्मुख अवतीर्ण होते हैं।

उन्होंने सर्वप्रथम महाभाष्य के आरम्भ में ही ''अथ शब्दानुशासनम्'' वाक्य द्वारा यह प्रतिज्ञा की कि जिसके उच्चारण से बोध्यवस्तु का पूरा संप्रत्यय हो जाय वही शब्द है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके मत में न द्रव्य शब्द है, न आकृतिशब्द है और न ही उच्चरित ध्वनि-'येनोच्चारितेन सास्नालांगूलककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति सशब्दः (महा. १.१.१)।

वह शब्द ही नित्य है, क्योंकि उच्चारण के बाद नष्ट होने वाली ध्वनि अथवा द्रव्य अनित्य है। वस्तुतः द्रव्याश्रित उस आकृति का बोध कराने वाला बुद्धिस्थ शब्द नित्य है। उसका उच्चरित रूप कार्यसापेक्ष होने से अनित्य है।

साधु तथा अपशब्दों के सम्बन्ध में भाष्यकार से पूर्व व्याडि ने भी विचार किया था। इन दोनों प्रकार के शब्दों से उत्पन्न धर्म व अधर्म पर विचार करते हुए असाधु शब्द (अपशब्दों) की अधिकता होने से अधर्म का बाहुल्य सम्भव होगा। किन्तु अपशब्द ज्ञानपूर्वक साधुशब्द का ज्ञान होने पर 'कूपखानकन्याय' के समान उस दोष का निराकरण होने से 'अधर्म' का निवारण होना ध्रुव है। साधुत्व के सम्पादन में व्याकरणशास्त्र नियामक है।[2]

लोक में शब्द का स्वरूप वर्ण संघात्मक है। वर्णों के नित्य-अनित्य होने में दार्शनिक मत-भेद चला आ रहा है। कात्यायन आदि आचार्यों के मतों के प्रकाश में पतञ्जलि इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अर्थात्मक इकाई न होने के कारण वर्ण नित्य नहीं है। किन्तु शब्द

---

१. कृतेयं पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना।
सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने।।'' आर्षे विप्लाविते ग्रन्थे संग्रहप्रतिकञ्चुके - रा.प. २।४७७
वाक्यपदीय २।४८५

२. ''नानार्थिकामिमां कश्चिद् व्यवस्थां कर्तुमर्हति।
तस्मान्निबध्यते शब्दैः साधुत्वविषया स्मृतिः।।'' वाक्य. १.२६

की उपयोगिता उसके अर्थ प्रकाशन में है। शब्द के उच्चारित होते ही अर्थ का अवबोध होने से इन दोनों के सम्बन्ध में विचार करते हुए पतञ्जलि ने शब्द और अर्थ के परस्पर सम्बन्ध को भी शब्द और अर्थ ही तरह नित्य माना है। महाकवि कालिदास ने 'रघुवंश' के मंगलाचरण में वाणी और अर्थ के संश्लेष का साक्षात्कार पार्वती-परमेश्वर के अर्धनारीश्वर स्वरूप में किया है। इसको भर्तृहरि 'नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः' (वा.१.२३) द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। इसी दार्शनिक चिन्तन को आगे चलकर पल्लवित किया गया है।

वसुरात-महर्षि पतंजलि द्वारा प्रवर्तित शब्द ब्रह्मवाद के पुनरुद्धार करने में भर्तृहरि के गुरु बौद्ध विद्वान वसुरात विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विद्वानों का मत है कि भाष्यकार के अनन्तर बहुत समय तक महाभाष्य लुप्तप्राय रहा। और उसका उद्धार कर वसुरात ने दक्षिण और **चान्द्रप्रतियों** के आधार पर उसका सम्पादन किया। वसुरात के देशकाल आदि के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख मिलते हैं जिनमें **मल्लवादि** सभाश्रमण ने सिद्धसेन दिवाकर प्रणीत 'सम्मतितर्क' की टीका **'द्वादशारनयचक्र'** में इसका स्मरण किया है। किसी आख्यायिका के आधार पर आप चान्द्रव्याकरण के प्रणेता **चन्द्रगोमी** के शिष्य थे। **चन्द्रगोमी** ने भाष्यस्थ उदाहरण **'अरुणद् यवनो मध्यमिकाम्'** का अनुसरण करते हुए **'अरुणद् गुप्तो हूणान्'** उदाहरण दिया है। प्रकृत वाक्य में **गुप्त** शब्द से **स्कन्दगुप्त** अभिप्रेत है, **हूण** पद **तोरमण** नरेश को इंगित कर रहा है। जनश्रुति के अनुसार वसुबन्धु द्वारा विरचित 'अभिधर्मकोश' पर तीव्र आक्षेप करने के कारण **वसुरात द्वारा विरचित बत्तीस अध्यायों वाला कोई व्याकरण ग्रन्थ नष्ट कर दिया गया।** इन आधारों के अतिरिक्त वसुरात के भर्तृहरि का गुरू होने में 'वाक्यपदीय' के टीकाकार **पुण्यराज** का उल्लेख निश्चित प्रमाण है।[1] **अभ्यंकर** के विचार से वसुरात का काल स्कन्दगुप्त के शासनकाल के अनुसार विक्रम सं. ४५७ (४०० ई.) के समीप होना चाहिए।

वसुरात का दर्शन-

वसुरात ने विभिन्न दर्शनों के आधार पर व्याकरण दर्शन पर विचार किया था। इनके दर्शन का कुछ रूप **द्वादशारनयचक्र'** में प्रतिबिम्बित होता है। वहां इन्होंने प्रसंगवश 'शब्दार्थ प्रत्यायन' और 'अभिजल्पदर्शन' के सम्बन्ध में वसुरात और भतृहरि के मतभेद की समीक्षा

---

१. 'न तेनाऽस्मद्गुरोस्तत्र भवतो वसुरातादन्यः' (पृ. २८४)
'प्रणीतो गुरुणाऽस्माकमयमागमसंग्रहः' की अवतरणिका
''तत्र भगवता वसुरातगुरुणा ममायमागम संज्ञाय वात्सल्यात्-प्रणीतः' (पृ. २८६)
आचार्य वसुरातेन न्यायमार्गान् विचिन्त्य सः।
प्रणीतो विधिवच्चायं मम व्याकरणागमः।।''
-वाक्यपदीय पृ. ४८५ पुण्यराजश्लोक

करते हुए स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्त किया है। शब्दार्थ प्रत्यायन के सम्बन्ध में मल्लवादि ने यह सूचित किया है कि दर्शन एवं उत्प्रेक्षा से अर्थ को 'अभिधेय' के रूप में ग्रहण कर शब्दात्मा अपनी शक्ति का नियंत्रण करते हुए बाह्य ध्वन्यात्मक श्रुत्यन्तर की प्रवृत्ति में हेतु होता है। इसके अतिरिक्त अभिजल्पशब्द विज्ञान लक्षण है और आन्तर शब्द है।[1] कारण यह है कि शब्दानुविद्धज्ञान के द्वारा वस्तु का अवभास होता है। और सुषुप्ति अवस्था मे भी जाग्रदवस्था की तरह ज्ञान वृत्ति व्यापारित रहती है। दोनों में केवल अन्तर यह है कि स्वप्नावस्था में शब्दभावना बीज अत्यन्त सूक्ष्म रूप में रहते है। अतः यह अस्पष्ट अवस्था 'तामसी' नाम से अभिहित है।२ ('न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके' (१.१२३) की व्याख्या में हरिवृषभ ने- ''तथैकेषामाचार्याणां सुप्तस्यापिजाग्रद्वृत्त्य सदृशो ज्ञानवृत्ति प्रबन्धः। केवलं तु शब्द भावना बीजानि तदा सूक्ष्मां वृत्तिं लभन्ते। तस्मात् तामसीं चेति तामवस्थामाहुः।) कहा है इस प्रकार सभी ज्ञान त्रिविध व्यावहारिक अनुभव-विषय होते हैं।-(१) स्मृति-निरूपणा, (२) **अभिजल्प** निरूपणा और (३) आकार निरूपणा के द्वारा स्मृति के द्वारा शब्दार्थ का अभेद ज्ञान **'अभिजल्पनिरूपण'** कहलाता है। 'अभिजल्प' के सम्बन्ध में भर्तृहरि का कथन यह है-

''सोऽयमित्यभिसम्बन्धादूरूपमेकीकृतं यदा।
शब्दस्याऽर्थेन तं शब्दमभिजल्पं प्रचक्षते।।'' वाक्य। २१२८

शब्द की अर्थ के साथ एकाकारिता 'अध्यास' है। और वही शब्द का 'अभिजल्प' है। कुछ विचारकों के मत में **स्मृति,** प्रत्यभिज्ञा, उत्प्रेक्षा, अनुयोगव्यवच्छेद और ये सभी विकल्प अभिजल्प के ही भेद हैं।[2] संश्लिष्ट शब्दार्थ के सम्बन्ध में शब्द का स्वातन्त्र्य अथवा अर्थ की प्रधानता का विचार मनीषियों ने भिन्न-भिन्न रूप में किया है। **वसुरात का यह कथन है कि ''अर्थ भी शक्तिसम्पन्न है एवं शब्द से उसकी नियत शक्ति का अभिधान होता है। शक्ति के द्वारा अर्थ कभी क्रिया के रूप में प्रकाशित होता है, कभी कारक के रूप में व्यक्त होता है। दोनों की सर्वथा शब्द द्वारा ही अर्थशक्ति नियत होती है।**

किन्तु भर्तृहरि के वाक्यपदीय ने इससे कुछ अधिक ज्ञात कराया है कि अर्थ **'असर्वशक्ति'** है (अर्थ में शक्ति नहीं है।) किन्तु शब्द के द्वारा अर्थ में नियत शक्ति का आघान होता है इसलिए शब्द का अर्थ स्वशक्ति से उत्थापित अर्थ है।

---

१. दर्शनोत्प्रेक्षाभ्यामर्थमभिधेयविनोपगृह्य तत्र न्यग्भूतस्वरादिः बुद्धौ परिप्लवमानः अयमित्यमनेन शब्देनोच्यते इत्यान्तरो विज्ञानलक्षणः शब्दात्मा श्रुत्यन्तरस्य बाह्यस्य ध्वन्यात्मकस्य प्रवृत्तौ हेतुः अभिजल्पाभिधेमाकारपरिग्राही बाह्यात् शब्दादन्य इति भर्तृहर्यादिमतम्। (द्रष्टव्य संस्कृत व्याकरणदर्शनः रामसुरेश त्रिपाठी द्वादशारनयचक्रः ७७८ पृ. ६६)

२. द्रष्टव्य-ईश्वर प्रत्याभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी, भाग१, पृ. ११५ ''वसुराजस्य भर्तृहर्युपाध्यायस्य मतम्। सच स्वरूपानुगतमर्थरूपमन्तरविभागेन सन्निवेशयति -''अशक्तेः सर्वशक्तेर्वा शब्दैरेव प्रकल्पिता। एकस्यार्थस्य नियता क्रियादिपरिकल्पना।।'' वाक्य. ४२।१३१

मल्लवादि समाश्रमण ने भर्तृहरि एवं उनके उपाध्याय के मतों की इस प्रकार आलोचना की है।

''निरुक्तार्थोऽप्यभिजल्पान्य तथा घटते, नान्यथा। आभिमुख्येन जल्पत्यर्थं शब्दः, तं प्रयुङ्क्तेऽर्थः। **अभिजल्पयति तद्विषय एवाभिजल्प इत्युच्यते।** (द्वादशारनयचक्र पृ. ८००-८०१) अर्थात् **मल्लवादि** के अनुसार 'अभिजल्प का पूर्वोक्त स्वरूप निर्दिष्ट नहीं है। तदनुसार शब्द प्रमुख रूप में अर्थ की अभिव्यक्ति करता है, उस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग होता है। तथा वह अर्थ उसी विषय में शब्द को अभिधान के लिए प्रेरित करता है-यही 'अभिजल्प' है। निष्कर्ष यह है कि शब्दार्थ के सम्बन्ध में शब्द को अर्थसंश्लिष्ट मानना ही युक्तकर होगा, न कि शब्दप्रेरित अर्थ परिकल्पना में। भर्तृहरि के गुरु वसुरात के अनुसार शब्द स्वरूपानुगम अर्थ को बिना विभाग के समाविष्ट किये रहता है। इससे शब्द और अर्थ दोनों का ज्ञान होता है। मल्लवादि ने इन दोनों मतों का प्रत्याख्यान करते हुए 'अभिजल्पदर्शन' को 'तैमिरिकदर्शन' कहा है, क्योंकि उनके मत में वह तात्त्विक दृष्टि पर आवरण डालता है।

वसुरात की ज्ञान मीमांसा बौद्ध दर्शन एवं तंत्रागम से प्रभावित होते हुए भी मौलिकता लिए हुए है। इस संबंध में उन्होंने व्याडि के संग्रह को आदर्श रूप स्वीकार किया था, जिससे प्रभावित होकर परवर्ती दार्शनिकों ने अपनी पीठिका सुदृढ की।

भर्तृहरि

स्थितिकाल-पतञ्जलि के अनन्तर दार्शनिक चिंतन की श्रृंखला में अनंतरवर्ती आचार्यों में भर्तृहरि केन्द्र बिन्दु बन गए, जिन्होंने महाभाष्य के सूक्ष्म आलोडन द्वारा अपने गुरु वसुरात द्वारा व्याकरणागम के आधार पर 'वाक्यपदीय' की रचना की। इनका काल निर्धारण अभी तक निश्चित नहीं हो सका है, **इत्सिंग** इत्यादि के कथनानुसार तो भर्तृहरि धर्मपाल के समकालीन हैं, किन्तु उनका समय अनेक प्रमाणों के आधार पर इससे लगभग एक शताब्दी पूर्व ही ठहरता है। **आचार्य बलदेव उपाध्याय जी** ने इस सम्बन्ध में सयुक्तिक अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। तदनुसार भर्तृहरि का काल काशिकाकार से पूर्व अवश्य रहा हो, क्योंकि काशिका में **वाक्यपदीय का नामतः निर्देश है।**[1] इसके अतिरिक्त **'शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार**[2] **हरिस्वामी** (६३९ ई. ५७ = ६९६ वि.) ने 'वाग् वा अनुष्टुप् वाचो 'द्वा इदं सर्व प्रभवति' (श.प. ब्रा. १।३।२।६) के व्याख्या प्रसंग में **''तस्माद् वा एतस्माद्वा**

१. शिशुक्रन्दयमान द्वन्द्वेन्द्रजवनादिभ्यश्छः सूत्रोदाहरण के रूप में 'काशिका' में प्राप्त है।

२. ''यदाब्दानां कलेर्जग्मुःसप्तत्रिंशच्छतानि वै।
चत्वारिंशतसमाश्चान्या तदाभाष्यमिदं कृतम्।।'

आकाशः सम्भूतः'' **तैत्तिरीयोपनिषद्** के इस वाक्य को प्रमाणस्वरूप उद्धृत करते हुए 'वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड की-**''अनादि निधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्। विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः''** इस प्रथम कारिका का आधार माना है। यही कारिका **आचार्य दिङ्नाग** द्वारा **'त्रैकाल्य परीक्षा'** नामक ग्रन्थ में छाया रूप में प्रस्तुत की गयी है। इसका संस्कृत रूप स्व. प्रो. को. अ. सुब्रह्मण्य अय्यर ने स्वसंपादित 'वाक्यपदीय' के संस्करण में इस प्रकार परिवर्तित किया है-

> **''अथ विशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्लुतो जनः।**
> **सङ्कीर्णमिव मात्राभिश्चित्राभिरभिमन्यते।।**
> **तदेवममृतं ब्रह्म निर्विकारमविद्यया।**
> **कलुषत्वमिवापन्नं भेदरूपं विवर्तते।।''**

अतः आचार्य भर्तृहरि की विद्यमानता ४५७ वि. से ५०७ वि. सन् (४०० ई. से ४५० ई. तक) निःसंदिग्ध है। इस सम्बन्ध में अनेक विकल्प **महाभाष्य के टीकाकार भर्तृहरि से सम्बद्ध प्रकरण में** दिये जा चुके हैं।

जीवन परिचय-इनके जीवनादि के सम्बन्ध में निश्चित रूप से प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। इनके मातृ-पितृ कुल के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान नहीं है। इत्सिंग और मैक्समूलर ने इन्हें बौद्ध दार्शनिक कहा है। साथ ही तत्त्वबिन्दुकार वाचस्पति मिश्र इनकी कारिका उद्धृत करते हुए इन्हें 'बाह्य' (वेद बाह्य) शब्द से सम्बोधित करते हैं। किन्तु व्याकरण सम्प्रदाय भर्तृहरि को वैदिक धर्मानुयायी ही मानता है। 'वाक्यपदीय' का समग्र कलेवर आस्तिक दर्शन की ही अभिव्यक्ति है। इनके कश्मीर देश निवासी होने में पुष्कल प्रमाण हैं। वामन-जयादित्य, सोमानन्द (८८० ई.) और उनके प्रमुख शिष्य उत्पलाचार्य (९२५-९५० ई.) आदि विद्वान् हैं। अपने-अपने ग्रन्थों में 'वाक्यपदीय' का नामोल्लेख तथा ग्रन्थों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं।[1] सभी आचार्य कश्मीर निवासी रहे, अतः इनके प्रति सबका अभिनिवेश स्वाभाविक है।

विशेषता-भर्तृहरि स्वतंत्र विचारक थे, और साथ ही वे उदार भी थे। उन्हें व्यर्थ का ऊहापोह प्रिय नहीं था। उनका यह मानना था कि भिन्न-भिन्न आगमों के चिन्तन से प्रज्ञा और विवेक की प्राप्ति होती है तथा बुद्धि विशद होती है। जो लोग विभिन्न प्राचीन दर्शनों की उपेक्षा करते हैं, विद्या ग्रहण के लिए मिथ्याभिमान में पड़कर वृद्धों की सेवा नहीं करते, उनकी विद्या पूर्णतः सफल नहीं होती।'' -

---

१. आचार्य सोमानन्द द्वारा अपने 'शिवदृष्टि ग्रन्थ में 'अनादिनिधनं ब्रह्म. (वा.प. १।१) और 'न सोऽस्ति प्रत्ययोलोके' (१।१२३) ये दो कारिकाएँ उद्धृत की है। उत्पलाचार्य 'शिवदृष्टि' की व्याख्या में स्वोपज्ञवृत्ति में उपन्यस्त 'विवर्त' लक्षण उद्धृत करते हैं।

"प्रज्ञाविवेकं लभते भिन्नैरागमदर्शनैः।
कियद् वा शक्यमुन्नेतुं स्वतर्कमनुधावता।।" वा.प. २।४८४
(सं.सं.वि.वि. संस्करण)

इस सम्बन्ध में आचार्य अभिनवगुप्त का मंतव्य मननीय है। उन्होंने यह निरूपित किया है कि 'अधिकतर जनता प्रसिद्धि के आधार पर विश्वास करती है तब उसकी ओर आकृष्ट होती है। उन्होंने इसका प्रतीक भर्तृहरि को ही माना है।[1]

भर्तृहरि के ग्रन्थ-वैयाकरण भर्तृहरि के महाभाष्य त्रिपादी (महाभाष्य दीपिका), वाक्यपदीय और वाक्यपदीय (१-२ पर) की स्वोपज्ञवृत्ति उपलब्ध ग्रन्थ हैं। उनका 'शब्दधातुसमीक्षा' ग्रन्थ अप्राप्त है किन्तु 'वाक्यपदीय' ने ही इन्हें अजरता एवं अमरता प्रदान की है।

'महाभाष्यदीपिका' का परिचय 'महाभाष्य' की व्याख्याओं के प्रसङ्ग में दिया जा चुका है। इत्सिंग ने इसे 'भर्तृहरिशास्त्र' तथा चूर्णिका व्याख्या ठीक ही कहा है। भर्तृहरि ने महर्षि पतञ्जलि को 'चूर्णिकाकार' संज्ञा दी है। इन चार ग्रन्थों के अतिरिक्त हस्तलेख उद्धरणों में भर्तृहरि द्वारा विरचित 'शब्दतत्त्वाद्वैत का भी उल्लेख मिलता है। 'शिवदृष्टि के रचयिता उत्पलाचार्य की दृष्टि में 'नीतिशतक' कार भर्तृहरि तथा 'वाक्यपदीय' कार भर्तृहरि ये दोनो अभिन्न है। क्योंकि 'शिवदृष्टि' में भर्तृहरि के अनुपलब्ध ग्रन्थ 'शब्दधातुसमीक्षा' में 'नीतिशतक' का मंगलाचरण उपलब्ध हुआ है।[2]

वाक्यपदीय-भर्तृहरि की सुप्रसिद्ध रचना 'वाक्यपदीय' है। यह तीन काण्डों में विभक्त है-(१) आगमकाण्ड (ब्रह्मकाण्ड) (२) वाक्य काण्ड (३) पदकाण्ड (प्रकीर्ण काण्ड)। परम्परानुसार अद्यावधि 'वाक्यपदीय' का यही स्वरूप विदित है। 'वाक्यपदीय' शब्द को अभिलक्षित कर शब्द रचना की दृष्टि से (वाक्यानि पदानि च कृतो ग्रन्थः) प्रथम ब्रह्मकाण्ड में अखण्ड वाक्य स्वरूप स्फोट विमर्श, द्वितीय काण्ड में दार्शनिक दृष्टि से वाक्य विषयक विचार तथा तृतीय काण्ड में पद-विषयक विचार है। कतिपय विद्वानों के मतानुसार 'वाक्यपदीय' शब्द से प्रथम दो काण्ड अभिलक्षित होते थे। 'प्रकीर्ण काण्ड' उससे भिन्न स्वतंत्र रहा, जो पुण्यराज के अनुसार दोनो काण्डों का निष्पंद स्वरूप है। प्रकीर्ण काण्ड में

---

१. इह बाहुल्येन लोको लोकप्रसिद्धया सम्भावनाप्रत्ययबलेन प्रवर्तते तथाहि, भर्तृहरिणेदं कृतम् यस्यायमौदार्यमहिमा, यस्यास्मिन् शास्त्रे सारो दृश्यते, तस्यायं श्लोकप्रबन्धः, तस्मादादरणीयममेतदिति लोकः प्रवर्तमानो दृश्यते इति।।-ध्वन्यालोकलोचन चौखम्बा संस्करण, पृ. ५५३

२. 'न केवल' चात्रैव पश्यन्त्यभिधाने सम्यगृज्ञानाभास एव उक्तो यावच्छब्दधातुसमीक्षायामपि विद्वद्भर्तृहरिणा-
"दिक्कालादिलक्षणेन व्यापकत्वं विहन्यते। अवश्यं व्यापको योहि सर्वादिषु प्रवर्तते।।
दिक्कालाद्यनवच्छिन्नाऽनन्तचिन्मात्रमूर्तये। स्वानुभूत्येकमानाय नमःशान्ताय तेजसे।।
शिवदृष्टि-संस्कृतव्याकरणादर्शन रामसुरेशत्रिपाठी पृ-२२

व्याकरण दर्शन की अनेक मान्यताओं पर अन्य दर्शनों के सिद्धान्तों के संकेत के साथ विचार किया गया है। 'प्रकीर्ण' नाम ही इस भाग का द्योतक है जिसमें निर्विभाग विषय विवेचन किया जाता था।[1] इत्सिंग ने इसी को 'पे-इन्' कहा जिसकी पहचान सर्वप्रथम कीलहार्न ने 'प्रकीर्णक' से की।[2] 'वाक्यपदीय' के तीनों काण्डों के विभाजन के सम्बन्ध में उनके नाम निर्देश को लेकर उसके पुरातन व्याख्याओं ने शङ्का-समाधान प्रस्तुत किये हैं। इसी कारण तीनों काण्डों के अंश विशेषों में विभिन्न टीकाकारों ने व्याख्या लिखकर इस ग्रन्थ की एकरूपता में विकल्प प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में हेलाराज का अभिप्राय ध्यातव्य है-'त्रैलोक्यगामिनी येन त्रिकाण्डी त्रिपदी कृता' 'पदकाण्ड' (प्रकीर्ण काण्ड) अनेक समुद्देशों में विभक्त है, जिसमें चार समुद्देश (जाति, द्रव्य सम्बन्ध तथा वृत्ति संज्ञक) उपलब्ध है तथा लक्षण समुद्देश तथा बाधसमुद्देश का उल्लेख क्रमशः 'वाक्यपदीय' की हरिवृत्ति तथा पुण्यराज की टीकाओं में मिलता है। परन्तु उनके अंश उपलब्ध नहीं है। उन उल्लेखों से यह भी ज्ञात होता है। कि वे अंश इन दोनों टीकाकारों को दृष्टिगोचर नहीं हुए[3]। यद्यपि हरिवृत्ति के अनुसार १२, ६, और २४ लक्षणों की 'लक्षणसमुद्देश' में सविस्तार व्याख्या प्रतिज्ञात थी।

विषय वस्तु-काण्डत्रयात्मक वाक्यपदीय के प्रथमकाण्ड (ब्रह्मकाण्ड) में 'महाभाष्य' के पस्पशाह्निक और द्वितीयाह्निक के सारे विषय संग्रहीत हैं। शब्द, शब्दानुशासन शब्दार्थसम्बन्ध, शब्दध्वनिसम्बन्ध शब्द का नित्यानित्यत्व तथा उसकी साधुता-असाधुता, व्याकरण का प्रयोजन, शब्दोत्पत्ति में आन्तरिक और बाह्यप्रयत्नों का योगदान, इत्यादि सभी प्रमुख विषय समाकलित हैं। द्वितीयकाण्ड (वाक्यकाण्ड) में वाक्य की अखण्डता स्थापित करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। जिसे आधुनिक भाषा विज्ञान की उपलब्धि कहा जाता है। इस काण्ड में उन तत्त्वों पर विचार किया गया है, जो मीमांसा और न्यायदर्शन में निरूपित थे, उनका तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने तथा सैद्धान्तिक स्वरूप विवेचित करने के कारण उसका महत्त्व सर्वातिशायी हो गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस खण्ड का महत्त्व है, जिसके अन्तिम दस श्लोकों में महाभाष्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पुनरुद्धार तथा स्वतः भर्तृहरि के अध्ययन की पीठिका का परिचय हमें प्राप्त होता है।[4] इसके साथ ही इस काण्ड में वाक्य की परिभाषा प्रमुख रूप से निरूपित है। तदनुसार वाक्य को एक अविभाज्य

---

१. प्रकीर्णं कालं च ग्रन्थस्य विषमविभागेन विना प्रवृतत्वमुच्यते-कालिनाथ, संगीत रत्नाकर ३/१

२. द्रष्टव्य-संस्कृत व्याकरण दर्शन, ५-२३

३. यस्मादुक्तम् सेयमपरिणामविकल्पना बाधविस्तरेण बाधसमुद्देशे समर्थयिस्यते 'इति'-पुण्यराज (वाक्यपदीय २/७७)

४. प्रायेण संक्षेपरुचीनल्प विद्यापरिग्रहान्। संप्राप्य वैयाकरणान् संग्रहेऽस्तमुपागते।। इत्यादि।। वा.प. २/४७६

इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रथम काण्ड में वर्णपद वाक्य की पारस्परिक स्थिति पर जो विचार प्रकट किये गये है उनके सापेक्ष मूल्यों को यहां पुनः प्रतिष्ठापित किया गया है। तदनुसार सुविधा की दृष्टि से वर्ण-पद आदि अष्टधा कल्पित स्फोट परमार्थतः अखण्ड वाक्यस्फोट ही है। नित्य शब्दार्थ सम्बद्ध वाह्य स्फोट द्वारा अवभासिक आंतरिक संघटित अर्थानुभूति ही आन्तरस्फोट और वह दिक्-काल आदि उपाधि से विनिर्मुक्त है। ब्रह्मस्वरूप है। इससे भी अधिक अर्थ विचार पर प्रकाश डाला गया है। अर्थ की परिभाषा, उसके भेद, शब्दशक्ति, गौण और मुख्य अर्थ तथा उन दोनों में तादात्म्य, वाक्यगत अर्थ की एकता तथा अखण्डता इत्यादि विषय सविस्तार परामृष्ट है। इस प्रसंग में विशेष रूप से वार्ताक्ष तथा औदुम्बरायण का शब्द दर्शन (स्फोटवाद) प्रथमबार अवभासित होता है। तृतीयकाण्ड (पदकाण्ड या प्रकीर्ण) में व्याकरण से सम्बद्ध स्फुट विषय चर्चित है, जिसके अन्तर्गत जातिव्यक्ति, द्रव्य और पदार्थ शब्दार्थ सम्बन्ध, गुण संख्या वचन, दिक्, कारक आदि विषय आते है। काल, दिक् क्रिया और लिंग के सम्बन्ध में उनके विचार उत्प्रेरक है। इस काण्ड में कुल चौदह समुद्देश है, जिनमें चौदहवां वृत्तिसमुद्देश है। संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित संस्करण में प्रकीर्णकाण्ड को दो भागों में विभक्त किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रथम भाग में पदकाण्ड के तीन समुद्देश (जाति-द्रव्य तथा सम्बन्ध) और द्वितीय भाग में वृत्ति समुद्देश प्रकाशित है। इसके उपोद्घात में प्रोफेसर को.अ. सुब्रह्मण्य ऐयर ने कई महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की है। हेलाराज के अनुसार वाक्यपदीय के तीनों काण्डों में प्रतिपाद्य दार्शनिक स्वरूप के अन्तर्गत क्रमशः तीनों 'वाक्' पश्यन्ती, मध्यमा, तथा वैखरी अवस्था विशेष का प्रतीक है। हेलाराज की 'प्रकाश' व्याख्या के अंत में प्रशंसित वैखरी वाक् के संदर्भ में वह प्रतिध्वनित होता है-

> "निराकांक्षेण वपुषा गता विश्वजनीनताम्।
> तृतीया वागनाथेयं प्रतिष्ठामुपया कवितः।।"

संक्षेप में प्रकीर्णकाण्ड 'पाणिनीयाष्टक' तथा 'महाभाष्य' की व्याख्या ही है।

'वाक्यपदीय' के टीकाकार-

(१) **भर्तृहरि**-स्वयं भर्तृहरि ने भी वाक्यपदीय का विवरण प्रस्तुत किया, उसे 'स्वोपज्ञ' सज्ञा दी गयी। आचार्य मम्मट ने 'काव्य प्रकाश' में इसी का नामकरण 'वाक्यपदीय' किया है। स्वोपज्ञ व्याख्या (२/२४) के अनुसार यह वृत्ति तृतीय काण्ड पर भी रही होगी, क्योंकि उसमें काल समुद्देश के व्याख्या की प्रतिज्ञा मिलती है।[1] हेलाराज के समय दो काण्डों पर

१. कालस्यैव चोपाधिविशिष्टस्य परिमाणत्वात् कुतोऽस्वापरं परिमाणमित्येतत् कालसमुद्देशे व्याख्यास्यते पृ. २४

यह वृत्ति उपलब्ध रही।[1] पं. चारुदेव शास्त्री नें यह वृत्ति लाहौर में प्रथम काण्ड तथा द्वितीयकाण्ड की १८४ कारिका तक संपादित कर १६३५ ई, में प्रकाशित करवायी। इसके दो पाठ है, द्वितीय पाठ का नाम लघ्वीवृत्ति है, जो (बनारस संस्कृत सीरिज) काशी से प्रकाशित है। किन्तु वह 'स्वोपज्ञ' वृत्ति से भिन्न है। पं. चारुदेव शास्त्री ने अपनी भूमिका में इस तथ्य को उद्घाटित किया है। 'स्वोपज्ञ'वृत्ति के भी अनेक व्याख्याता हुए, जिसका उल्लेख वृषभदेव ने अपनी व्याख्या में किया है। वर्तमान में स्वोपज्ञवृत्ति सहित 'ब्रह्मकाण्ड' संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से पं. रघुनाथ शर्मा द्वारा संपादित होकर प्रकाशित है। पण्डित जी ने इस वृत्ति को 'हरिवृषभ' कर्तृक स्वीकार किया है। पं. बलदेव उपाध्याय भर्तृहरि को ही हरि तथा हरि बृषभ संज्ञा देते है डा. सत्यकाम वर्मा के अनुसार वृषभ देव की वृत्ति ही हरिवृषभ नाम से परिचित है। जो भर्तृहरि से अभिन्न है।

२. वृषभदेव-'वाक्यपदीय' और उसकी स्वोपज्ञ वृत्ति के पुरातन टीकाकार वृषभदेव-देवयश के पुत्र और विष्णुगुप्त नरेश के भृत्य थे। इस सम्बन्ध में प्रमाण भी उपलब्ध हैं। स्वयं ग्रन्थकार ने मंगलाचरण करते हुए इसका संकेत किया है-

"विमलचरितस्य राज्ञो विदुषः श्रीविष्णुगुप्तदेवस्य।
भृत्येन तदनुभावाच्छ्रीदेवयशस्तनूजेन।।
बन्धेन विनोदार्थं श्रीवृषभेण स्फुटाक्षरं नाम।
क्रियते पद्धतिरेषा वाक्यपदीयोदधेः सुषमा।।

ऐतिहासिक दृष्टि से विष्णुगुप्त का समय वि.सं. ५६२ (५३५ ई.) और ६०० वि. (५५० ई.) के मध्यवर्ती है। यह विष्णुगुप्त गुप्तवंशीय सम्राट नरसिहं गुप्त के पौत्र तथा कुमार गुप्त तृतीय के पुत्र थे। नालन्दा में उपलब्ध विष्णुगुप्त की मुद्रा इनके काल निर्णय की पुष्टि करती है। वृषभदेव वृत्तिकार लेखन पद्धति से अनेक बातों पर प्रकाश मिलता है। तदनुसार प्रथम वे वाक्यपदीय की कारिका का भाव प्रस्तुत करते है तथा अनन्तर हरिवृत्ति की प्रतिपद व्याख्या करते हैं। ट्रावन्कोर पुस्तकालय के हस्तलेख के अनुसार इस वृत्ति का नाम वाक्यपदीय पद्धति है। इसकी पुष्पिका इस प्रकार उपलब्ध होती है-"इति वृषभरचितायां वाक्यपदीयपद्धतौ प्रथमकाण्डं समाप्तम्।"

इस व्याख्या की विशेषता यह है कि टीकाकार ने अपनी पूर्ववर्ती अनेक टीकाओं की उपलब्धि का निर्देश किया है।[2] अतः इस आधार पर भी भर्तृहरि का स्थितिकाल विक्रम की पंचम शती के आस-पास अथवा पूर्व होना निम्श्चितप्राय है।

---

१. काण्डद्वये यथा वृत्ति सिद्धान्तार्थस्य तत्त्वतः-हेलराज।
२. 'यद्यपि टीका मह्यां पूर्वाचार्यैः सुनिर्मला रचिताः। सन्तः परिश्रमज्ञास्तथापि चैनां ग्रहीष्यति।।'

३. पुण्यराज-'वाक्यपदीय' के प्रसिद्ध व्याख्याताओं में पुण्यराज (पुञ्जराज) महनीय हैं। किन्तु इत्सिंग ने इनके पूर्व प्रकीर्णकाण्ड पर 'धर्मपाल' की व्याख्या होने का उल्लेख किया है। इत्सिंग का यात्रा विवरण ७४६ विक्रमी (६९२ ई.) में लिखित है। तदनुसार भर्तृहरि और धर्मपाल समकालिक थे। धर्मपाल कपिल भट्ट के गुरु थे धर्मपाल नालन्दा विश्वविद्यालय के कुलगुरू थे इनकी मृत्यु ५७० ई.+५७-६२७ वि. में हुई। पुण्यराज ने वाक्यपदीय के अन्त में स्वयं अपना परिचय देते हुए अपना अपर नाम राजानक शूरवर्मा लिखा है। उसने शशाङ्क नामक विद्वद्वरेण्य के किसी शिष्य से अध्ययन कर यह टीका लिखी-

> **"विद्वज्जनानां यः खलु सर्वत्र गीयते जगति।**
> **तत उपसृत्य विरचिता राजानकशूरवर्मनाम्ना वै।।**
> **शशाङ्कशिष्याच्छ्रुत्वैतद् वाक्यकाण्डं समासतः।**
> **पुण्यराजेन तस्योक्ता संङ्गतिः कारिकाश्रिता।। ५७, ५८।।**

पुण्यराज द्वारा स्मृत शशाङ्कधर है जिनका वचन क्षीरस्वामी ने इस प्रकार उद्धृत किया है[1] "भट्ट शशाङ्कधरस्त्वत्रैवं गुरुसृष्टिं समादिशत-द्विरूपो धात्वर्थः-भावः क्रिया च।"

वाक्यपदीय के लाहौर संस्करण के उपोद्घात में पं. चारूदेव शास्त्री ने वामनीय अलंकार शास्त्र पर टीका लिखने वाले शशाङ्कधर के शिष्य सहदेव को पुण्यराजका गुरू सूचित किया है।

पुण्यराज की व्याख्या के अनुसार लक्षणा के दो भेद है।- अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य।[2] किन्तु आनन्दवर्द्धनाचार्य ने इन्हें ध्वनिभेदों के रूप में स्वीकार किया है, जिनका अन्तर्भाव मुकुलभट्ट ने अपनी 'अभिधावृत्तिमातृका' में लक्षणा के भेदों के रूप में पदर्शित किया है।[3]

मुकुलभट्ट भट्ट कल्लट के पुत्र तथा प्रतिहारेन्दुराज के गुरू थे। भट्ट कल्लट अवन्ति वर्मा (८५५-८८३ ई.) के समकालिक थे। अतः मुकुल भट्ट की विद्यमानता वि.दशम शतक का पूर्वार्ध है। तदनन्तर पुण्यराज का समय निश्चित किया जा सकता है। भर्तृहरि के समान ये मीमासां दर्शन के प्रकाण्ड पाण्डित थे। विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि पुण्यराज की 'प्रकाश' व्याख्या भर्तृहरि की स्वोपज्ञवृत्ति पर आधारित है, यद्यपि यह वृत्ति अनुपलब्ध है।

---

१. ए. द्रष्टव्य-संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास-पं. युधिष्ठिर मीमांसक पृ. ४४५

२. एतेन श्लोकेन प्रकारद्वयेन लक्षणप्रदर्शिता। कदाचिन्मुख्यार्थत्यागेनैवाऽन्यस्योपलक्षणमे तदेवाविवक्षितवाच्यमुच्यते। कदाचिन्मुख्यार्थाविरामोपायपूर्वकमन्यार्थोपलक्षणम्, एतदेव विवक्षितान्यपरवाच्यमुक्तविज्ञेयम्। पुण्यराज वाक्यपदीय २/२१५

३. समवायसम्बन्धनिबन्धनायां तुलक्षणायाम् अविवक्षितवाच्यता छत्रिणो यान्तीत्यत्रैवोदाहार्या, अभिधा वृ.मा. द्रष्टव्य सं. वा० द. पृ. २६

पुण्यराज ने अपनी व्याख्या के अन्त में उन कारिकाओं में स्वयं कृत विशेषताओं का निदर्शन किया है। इनमें से कतिपय कारिकाओं में वाक्य सम्बन्धी सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न दार्शनिक प्रक्रियाओं का[1] उल्लेख करते हुए व्याकरण दर्शन सम्मत स्फोट की प्रतिष्ठा की है। इसके पूर्व 'वाक्यपदीय' कार ने शब्द के 'निरवयवदर्शन' पर विचार किया है, यद्यपि ऐसे स्थलों में भर्तृहरि ने 'स्फोट' शब्द का व्यवहार नही किया है। किन्तु पुण्यराज ने निरवयव शब्द को स्फोट से अभिन्न माना है। इसके साथ ही उन्होंने स्फोट के दो भेद प्रदर्शित किये है- वाह्य और आभ्यन्तर। वाह्य स्फोट द्विविध है- जाति स्फोट और व्यक्ति स्फोट। शब्द का अनवयव स्वरूप व्यक्तिस्फोट और संघातवर्तिनी जाति जातिस्फोट का प्रतीक है। भर्तृहरि का बुद्ध्यनुसंहार लक्षण शब्द पुण्यराज का आन्तर स्फोट है और एक अखण्ड व्यक्ति स्फोट अथवा जाति स्फोट के वाचक के रूप में स्वीकार किया है।[2] "स्फोट एव तु सिद्धान्ते वाक्यं वाक्येषु साधितम्।" (पुण्यराज का-३) इसी प्रकार पुण्यराज ने शब्द विषयक प्रक्रियांश पर भी प्रकाश डाला है।

हेलाराज-'वाक्यप्रदीय' के द्वितीय प्रख्यात व्याख्याता हेलाराज हैं। इनके देशकाल आदि की स्थिति के सम्बन्ध में निश्चित प्रमाण मिलते हैं। तदनुसार हेलाराज कश्मीर[3] निवासी तथा मुक्तापीड के मंत्री लक्ष्मण के वंशज थे। उनके पिता का नाम भूतिराज था। अभिनव गुप्तपाद के साहित्य गुरू भी भूतिराज थे इन्दुराज के पिता का नाम भी भूतिराज था। यदि यह इन्दुराज और हेलराज दोनो भाई हों, तो हेलाराज का स्थिति काल ६०५ ई. +५७=१०५२ वि. होना चाहिए।[4]

'वाक्यपदीय' (वृत्तिसमुद्देश) के सम्पादक श्री रविवर्मा के अनुसार हेलाराज कैयट के परवर्ती हैं, क्योंकि विना नामोल्लेख के कैयट के कतिपय सिद्धान्तों का उन्होंने खण्डन किया है। दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने अपनी 'परिभाषावृत्ति की भूमिका में कैयट का समय ६५७ वि. (६००ई.) के आसपास स्वीकार किया है। तदनुसार हेलाराज और भट्ट इन्दुराज को सहोदर भाई माना जा सकता है, क्योंकि इन्दुराज का भी यही समय है।

कृतित्व-'वाक्यपदीय' (प्रकीर्ण काण्ड) पर उपलब्ध 'प्रकीर्ण प्रकाश' के अतिरिक्त उसके प्रथम तथा द्वितीय काण्ड पर लिखित 'शब्द प्रभा' व्याख्या संप्रति अनुपलब्ध है।

---

१. ततोऽन्विताभिधानस्याऽभिहितान्वयकस्यचितु, शब्दभागार्थभागाभ्यां दूषणव्रातकीर्तनम्।। पुण्यराजकारिका ४, ५

२. स्फोटश्च द्विविधो वाह्य आभ्यन्तरश्चेति। वाह्योऽपि जाति-व्यक्ति भदेन द्विविधः (वाक्य २/१), अनेन एकोऽनवयवः शब्दः इत्युद्दिष्टस्य व्यक्तिस्फोटस्य स्वरूपमुक्तमितिबोद्धव्यम्।। वा.प.२/१६ आभ्यन्तरस्य तु बुद्धिः इत्यनेनोद्देश।। वा.प.२/१।। सर्वत्र पुण्यराज

३. 'मुक्तापीड इति प्रसिद्धिमगमत् काश्मीर देशे नृपः। श्रीमान् ख्यातयशा बभूव नृपतेस्तस्यप्रभानानुगः।। मंत्री लक्ष्मण इत्युदारचरितस्तस्यान्ववाये भवो हेलाराज इयं प्रकाशनमकरोच्छ्रीभूतिराजात्मजः।।

४. "श्री भूतराजतनयः स्वपितृप्रसादः"-तंत्रालोक ३७, ६०

उसका उन्होंने अनेक स्थलों पर यथा प्रसङ्ग उल्लेख किया है। संस्कृत विश्वविद्यालय संस्करण के पूर्व भी इसका प्रकाशन काशी से तथा साधनक्रिया समुद्देश से लेकर वृत्ति समुद्देश तक ट्रावनकोर से दो भागों में शुद्धरूप में प्रकाशित हो चुका था। इनकी टीका में उल्लिखित उद्धरणों के अनुसार 'क्रियाविवेक' 'वार्तिकोन्मेष' और 'अद्वयसिद्धि' ग्रन्थरत्न भी इनके रचे होने चाहिए।

विशेषता-इनकी लेखनी में अद्‌भुत प्रतिभाशक्ति है। वे महाभाष्य, वाक्यपदीय, आगमशास्त्र तथा विभिन्न दर्शनों के प्रकाण्ड पण्डित थे। मौलिकता तथा चारूता इनकी अन्य विशेषताए हैं। पदार्थ का विवेचन करते हुए हेलाराज ने 'अपोद्धार' पदार्थ पर प्रकाश डाला है। भर्तृहरि दर्शन में पदार्थ एक ही है और वह है शक्ति। शक्ति के रूपान्तर ही साधन, क्रिया, दिक्, काल, आदि हैं। परन्तु भर्तृहरि ने आठ पदार्थों की कल्पना की है। वृषभदेव के अनुसार ये आठ पदार्थ शब्द, अर्थ, सम्बन्ध और फल के द्विधा विभाजन से उनके आठ भेद है, और वे शास्त्र का शरीर हैं। हेलाराज और वृषभदेव के वचन इसमें यथाक्रम प्रमाण हैं-(इह पदार्थाष्टकविचारपरत्वात् वाक्यपदीयस्य) (वा.प.३/१ हेलाराज) (तदेवं शब्दार्थसम्बन्धफलानां प्रत्येकं द्वैविध्यात् अष्टौ पदार्था भवन्ति' ।। वा.प.१/२४ वृषभ।।) ये आठ पदार्थ इस प्रकार परिगणित है-(१) अपोद्धार (२) स्थित लक्षण (३) अन्वाख्येय (४) प्रतिपादक (५) कार्यकारणभाव, (६) योग्यभाव (संबंध) (७) धर्म तथा (८) साधु-असाधु ज्ञान (अर्थ प्रतिपादन-प्रयोजन) इन आठों में एक अखण्ड वाक्य के पृथक्-पृथक् शब्दों पर विचार करने की पद्धति 'अपोद्धार' नाम से अभिहित थी। परन्तु इसके अर्थ के संबंध में टीकाकारों में परस्पर वैषम्य है। हेलाराज ने इसके विषय में वाक्यवादी और पदवादी उभय मतों का प्रतिपादन किया है। वाक्यवादी वाक्य को अखण्ड स्वीकार करते हैं। तदनुसार इस संदर्भ में पदव्युत्पत्ति काल्पनिक हैं। पदवादी पद को अखण्ड मानते हैं। पदसिद्धि में आवश्यक प्रकृति, प्रत्यय, आगम, आदेश, सभी काल्पनिक हैं पदवादियों के मत से वाक्यों की अनन्तता के कारण पद व्युत्पत्ति करना सहज नहीं है, किन्तु अनके मत से सदृश पद के द्वारा पदव्युत्पत्ति का बोध सहज है।

दोनों के मत में एक साम्य यह है कि दोनों ही 'अपोद्धार' को असत्य मानते हैं। अपोद्धार पदार्थ-शब्द अपोद्धार और अर्थ अपोद्धार-द्विधा विभक्त है। हेलाराज के मत में अर्थ अपोद्धार ही अधिक उपयुक्त है। क्योंकि वाक्य में उद्धृत पद की वाक्यार्थान्तर के रूप में कल्पना की जाती है। अर्थ अपोद्धार ही पद अपोद्धार का निमित्त है यदि वर्ण अपोद्धार को पद अपोद्धार का निमित्त न माना जाय, तो वर्ण अपोद्धार भी संभावित होगा, और उसकी व्युत्पत्ति की चिन्ता करनी पड़ेगी।[1]

---

१. अर्थापोद्धार एवं पदापोद्धार निमित्तम् अनिमित्ते हि तस्मिन् वर्णा पदोद्धारस्यापि प्रसंगात् तेषामपि व्युत्पाद्यता स्यात्। हेलराज, वा.प. ३ जातिसमुद्देश। द्रष्टव्य-विस्तार संस्कृतव्याकरण दर्शन डा. रामसुरेश त्रिपाठी ।। पृ. १२७-१२६।।

भर्तृहरि द्वारा विरचित व्याकरण दर्शन पद्धति को व्यापक बनाने में हेलाराज तथा इसके पूर्ववर्त्ती पुण्यराज, वृषभदेव तथा ज्ञात-अज्ञात टीकाकरों का योगदान अविस्मरणीय है।

परवर्ती प्रभाव-इनकी प्रेरणा से परवर्त्ती विभिन्न दार्शनिक चिन्तन धारा प्रभावित हुई। इसके फलस्वरूप छठी शताब्दी से लेकर ग्यारहवी शती तक सभी दार्शनिक भर्तृहरि दर्शन से प्रभावित हुए। बौद्ध दार्शनिकों में सर्वश्री धर्मकीर्ति, कणकगोमी, प्रज्ञाकरगुप्त, शान्तरक्षित, कमलशील आदि नाम भर्तृहरि के समीक्षकों में अग्रगण्य है, जिन्होंने कारिका-उद्धरणपूर्वक स्वमतानुसार यथास्थान विश्लेषण किया है। इसी प्रकार मल्लवादि समाश्रमण,वादिदेव सूरि, प्रभाचन्द्र, आदि ने वाक्यपदीय के सिद्धान्तो पर विचार किया है।

मीमांसकों में अग्रगण्य कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक तथा तंत्रवार्तिक में विना नामोल्लेख के भर्तृहरि दर्शन से सम्बद्ध वर्ण, पद, वाक्य स्फोट आदि विषयों की आलोचना की है। भट्ट उम्वेक, सुचरित मिश्र, पार्थसारथि आदि मीमांसक भी कुमारिल भट्ट का अनुसरण करते हैं। किन्तु मण्डन मिश्र की दृष्टि उनके व्याकरण सम्मत दार्शनिक सिद्धान्तों पर उदार है। प्राचीन नैयायिको में जयन्त भट्ट ने 'न्यायमञ्जरी-में भर्तृहरि दर्शन की मान्यताओं को न्याय दर्शन सम्मत सिद्धान्तों की कसौटी पर कसा है।

'वाक्यपदीय' के परवर्ती व्याख्याता- 'वाक्यपदीय' के कुछ हस्तलेखों में हेलाराज के साथ फुल्लराज का भी नाम निर्देश है।[1] इस आधार पर 'वाक्यपदीय' के तृतीय काण्ड पर फुल्लराज की टीका संभावित है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है। युधिष्ठिर मीमांसक जी ने एक दूसरे विद्वान् गङ्गादास को भी 'वाक्यपदीय' व्याख्याता कहा है। इसका आधार भण्डारकर शोध संस्थान पुणे की व्याकरण ग्रन्थ सूची (पृ. ३५२-५३) है। इस टीका के केवल नौ पृष्ठ वहां सुरक्षित हैं जिसकी पुष्पिका में यह उल्लेख है-"इति पण्डित गंगादास विरचिते सम्बन्धोद्देशः। षष्ठस्तद्धितोदेशः समाप्तः" यह टीका भी प्रकीर्णकाण्ड का संकेत करती है। इनका भी देशकालादि अज्ञात है।

वर्तमान बीसवी शताब्दी के मध्य में-'वाक्यपदीय' पर पठन-पाठन की दृष्टि से टीकाएं लिखने का उपक्रम हुआ। प्रो. के.ए.एस. अय्यर ने भर्तृहरि के मौलिक सिद्धान्तों पर व्याख्यान करना उचित समझा तथा उन्होंने वाक्यपदीय के कारिका भाग की व्याख्या की। ये कारिकाएं काशी संस्करण के आधार पर संगृहीत की गयी। कारिकाकार और स्वोपज्ञवृत्तिकार के सम्बन्ध में वे मौन रहे। ओग चलकर न्याय व्याकरणाचार्यपण्डित सूर्यनारायण शुक्ल ने परीक्षोपयोगी 'ब्रह्मकाण्ड पर १९३७ ई. में 'भावप्रदीप' नाम की

---

१. इतो ग्रन्थपातसंधानाय फुल्लराज कृतिर्लिख्यते। इहापि पतितग्रन्थहेलाराजकृतिः फुल्लराजकृत्या सन्धीयते वाक्यपदीय काण्ड-३ काशीसंस्करण, पृ. १९८, १२४। द्र. सं. व्या. सा.ई. श्री युधिष्ठिर मीमांसक ।। पृ. ४४०।।

व्याख्या लिखी। इस व्याख्या में शैवागाम, न्याय, मीमांसा आदि दर्शन सम्मत सैद्धान्तिक मतों की विवेचना करतें हुए व्याकरण सम्मत दार्शनिक सिद्धान्तों का समर्थन किया है। स्वयं इसे शुक्ल जी ने पुस्तक उपादेयता के संबंध में इसे विद्यार्थियों का उपकारक ग्रन्थ स्वीकार किया है। इसका हिन्दी संस्करण उनके सुपुत्र स्वं. पं० राम गोविन्द शुक्ल द्वारा संपादित है। इसी क्रम में 'वाक्यपदीय' के ब्रह्म काण्ड का सरल तथा हिन्दी में व्याख्यान स्व. पं. नरसिंह जी ने किया है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 'वाक्यपदीय' के प्रतिसंस्कर्ता स्व. पं. रघुनाथ शर्मा विशेषतया उल्लेखनीय है। इनके पूज्य पितृचरण पं. श्रीकाशीनाथ शास्त्री जी भी व्याकरणादि विविध शास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित रहे। अपने पिता के चरणों में बैठकर आपने विद्योपार्जन किया आप तत्कालीन राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य थे तथा व्याकरण दर्शन एवं वेदान्त के निष्णात पण्डित थे। सेवा निवृत्ति के अनन्तर अपने निवास स्थान छाता ग्राम में रहते हुए वाक्यपदीय जैसे दुरूह दर्शन ग्रन्थ की 'अम्बाकर्त्री व्याख्या रची। आपने स्वयं 'ब्रह्मकाण्ड के तृतीय संस्करण के उपोद्घात में यह स्पष्ट किया है कि 'नैषधकार श्रीहर्ष ने जिस चिन्तामणि मंत्र का उद्धार किया था, उसी को अपने पितृचरण से गंगा तटवर्तिनी कांगणी पर्वत की उपत्यका में प्राप्त कर उसे सिद्ध किया। फलतः उन्होंने 'कात्यायन तथा भाष्यवार्तिको का प्रत्याख्यान, सुन्दरच्छाम 'धम्मपद व्याख्यान' कृष्णस्तव, समस्तव आदि साठ से अधिक ग्रन्थों की रचना की। इनमें अम्बाकर्त्री का व्याकरण दर्शन ग्रन्थों में विशिष्ट योगदान है।

पद्ममभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय के शब्दों मे "शर्माजी ने अपनी व्याख्या में उन (पूर्व व्याख्यात) टीकाओं में व्याख्यात अथवा अल्प व्याख्यात अंशों की भी व्याख्या कर मूल ग्रन्थ को सुबोध, सरल, तथा बोधगम्य बनाया है।" यह व्याख्या पांच खण्डों में प्रकाशित है, तथा वाक्यपदीय के पदभेदों की मीमांसा विस्तार से दो खण्डों में की गयी है।"[1]

आपके ग्रन्थों की महनीयता के कारण अनेक सम्मान पुरस्कारों से आप मण्डित हैं, जिनमें संस्कृत विश्वभारती पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार उल्लेखनीय हैं।

पं. रघुनाथ शर्मा के अतिरिक्त भर्तृहरि दर्शन के विचारकों में स्व. प्रो. को. एस. सुब्रह्मण्यम ऐयर द्वारा दो काण्डों पर लिखित स्वोपज्ञवृत्ति का अंग्रेजी अनुवाद रघुनाथ पिल्लै का अंग्रेजी अनुवाद तथा सुश्री वियार्दो द्वारा रचित फ्रेंच अनुवाद महत्त्वपूर्ण हैं। वाक्यपदीय पर आधारित शोध ग्रन्थों में डा. प्रभात चन्द्र चक्रवर्ती कृत 'फिलासफी ऑफ संस्कृत ग्रामर म.म.पं. गोपीनाथ कविराज तथा पं. अम्बिका प्रसाद उपाध्याय के उच्चस्तरीय निबन्ध डॉ. गौरीनाथ शास्त्री का फिलासफी ऑफ वर्ड एण्ड मीनिंग, प्रो. सत्यकाम वर्मा कृत

१. काशी की पाण्डित्य परपंरा, प्रथम संस्करण पृ. ४७६

'व्याकरण की दार्शनिक पृष्ठभूमि' तथा 'भाषाशास्त्र और वाक्यपदीय', रामसुरेश त्रिपाठी विरचित संस्कृत व्याकरण दर्शन, डॉ. कपिलदेव द्विवेदी का अर्थ विज्ञान और व्याकरण दर्शन (भाषा वैज्ञानिक आधार) आदि कृतियां उल्लेखनीय है।

पदार्थ तत्त्वः-शब्दशास्त्र में प्रमुख रूप से शाब्दबोध विचार करने हेतु तत्संबंधी विवेचन करने के लिए भी महाभाष्य का आधार लिया गया। अतः पद-पदार्थ का स्पष्टीकरण भी व्याकरण दर्शन के अन्तर्गत समाविष्ट हुआ। प्रक्रिया ग्रन्थों के आरंम्भ में ही भट्टोजी दीक्षित ने शब्द कौस्तुभ की रचना कर यह मार्ग प्रशस्त किया। इस मार्ग की प्रशस्ति के लिए 'स्फोटवाद' का बीजारोपण भर्तृहरि ने अनेक शताब्दियों पूर्व कर दिया था। इस सिद्धान्त पर मीमांसकों, नैयायिकों आदि ने अपने-अपने दृष्टिकोण को उपस्थापित कर वैयाकरण दार्शनिकों के लिए अपने अपने सिद्धान्तों की पुष्टी करने का अवसर दिया। इसी मध्य 'वाक्यपदीय' की प्रसिद्ध टीकाओं की रचना के अनन्तर विभिन्न दार्शनिकों ने 'स्फोटसिद्धान्त' पर विचार-विमर्श प्रारंम्भ किया, जिनमें मीमांसा शास्त्र आदि के अनेक दार्शनिक प्रसिद्ध रहे, जिनमें सर्वप्रथम (१) मण्डनमिश्र (वि. से. ६७५ के पूर्व) उल्लेखनीय हैं। इनकी "स्फोटसिद्धि" में छत्तीस टीकाएं संगृहीत हैं, जिसकी स्वोपज्ञ व्याख्या भी है। आपकी 'स्फोटसिद्धि' पर ऋषि पुत्र परमेश्वर वि. षोडश शतक की उत्कृष्ट गोपालिका व्याख्या है, जों शेष कृष्ण रामनाथशास्त्री के सम्पादकत्व में मद्रास विश्वविद्यालय ग्रन्थमाला से प्रकाशित हो चुकी है।[1] तदनंतर (२) श्रीभरतमिश्र ने भी 'स्फोटसिद्धि' की रचना की है वह १९२७ ई. में त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित हैं। पं. गणपति शर्मा ने इस पुस्तक की भूमिका में यह उल्लेख किया है कि इसका अन्य हस्तलेख प्रायः दो तीन सौ वर्ष प्राचीन है। इसका अन्य अध्यालेख मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह में विद्यमान है। प्रकृत ग्रन्थ कारिकाओं में निबद्ध है तथा उसकी स्वोपज्ञवृत्ति भी है। यह ग्रन्थ तीन परिच्छेदों में विभक्त हैं। प्रत्यक्ष, अर्थ और आगम परिच्छेद। पं. भरतमिश्र ने अनेकत्र वर्ण भिन्नता आदि के विषय में विचार प्रस्तुत करते हुए अपना मौलिक पक्ष प्रस्तुत किया है। एक स्थान पर उन्होंने औदुम्बरायण द्वारा उपस्थापित अखण्ड वाक्यस्फोट में शबरस्वामी की ओर संकेत किया है। मीमांसा दर्शन के अनुसार प्रत्येक शब्द में पूर्व वर्ण जनित संस्कार अर्थ ज्ञान में कारण हैं। अपने सिद्धान्त के समर्थन में शबरस्वामी ने भगवान् उपवर्षाचार्य का उद्धरण दिया है जो संगत नहीं है। क्योंकि यह भेद तात्त्विक न होकर व्यावहारिक है।[2] इनके विषय में अधिक कुछ ज्ञात नहीं है। म.म. पृ. गणपति शर्मा ने अज्ञातकर्तृक 'स्फोटसिद्धिन्यायविचार' नामक ग्रन्थ को १९१७ ई. में त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित किया था जिसके मङ्गलाचरण में भरतमिश्र

---

१. दृष्टव्य सं.व्या. इतिहास, भाग-२, युधिष्ठिर मीमांसक/पृ. ४५०-४५१

२. द्रष्टव्य-संख्या इतिहास, भाग-२, युधिष्ठिर मीमांसक, पृ. ४५३-४५४

का उल्लेख उपलब्ध है। इस ग्रन्थ में २४५ कारिकाएं हैं। इसके अतिरिक्त मीमांसक जी ने अपने इतिहास में (४) केशव कवि (स्फोटप्रतिष्ठा), (५) शेष कृष्ण (स्फोटतत्त्व निरूपण, २२ कारिकाओं में निबध), (६) श्रीकृष्ण भट्ट (स्फोट चन्द्रिका (७) आपदेव (स्फोटनिरूपण), और (८) कुन्दभट्ट (स्फोटवाद) का भी उल्लेख है।

कौण्डभट्ट

शाब्दबोध के अंन्तर्गत पदार्थ तत्त्व का विवेचन करने में कौण्डभट्ट प्रमुख माने जाते हैं। वैसे तो आपकी परिवारिक परंपरा से आपको व्याकरण के विद्वान् बनने का वरदान प्राप्त था, पुनरपि आपने दार्शनिक परंपरा में अपनी गणना कराना अधिक उचित समझा। अतः इन्हें अपने ज्येष्ठ पितृव्यचरण भट्टोजिदीक्षित की दार्शनिक विचारसरणि की ओर अग्रसर होने का अवसर मिला[1] इसके फलस्वरूप आपने अपने ज्येष्ठ पिता भट्टोजीदीक्षित विरचित शब्दकौस्तुभ की शरण ली और उसमें विकीर्ण सामग्री को आलोडित कर पदार्थ तत्त्व को उन्मेषित किया। शब्दकौस्तुभ भाष्यानुसारी आकर ग्रन्थ है, उसे केवल महाभाष्य का व्याख्यान ग्रन्थ ही न समझा जाय। शब्दकौस्तुभ की विवेचन पद्धति भाष्यानुसार है। शब्द विवेचन प्रसंग में भट्टोजिदीक्षित ने स्फोटसिद्धान्त को स्वीकार करते हुऐ भर्तृहरि सम्मत शब्दसम्बन्धी जाति द्रव्य आदि विषयक मतों की समीक्षा की है। साथ ही शब्दों की साधुता-असाधुता को दृष्टि में रखते हुए वस्तु विभाग द्वारा अभिनव शैली में विषय को समझाने का प्रयास किया है। अतः 'शब्दकौस्तुभ' को उपजीव्य बनाकर कौण्डभट्ट ने अपने दो ग्रन्थों- वैयाकरणभूषण तथा 'वैयाकरणभूषणसार' की रचना की।

व्यक्तित्व और कृत्तित्व-कौण्ड भट्ट के पिता रङ्गोजी भट्ट लक्ष्मीधर के पुत्र तथा भट्टोजीदीक्षित के भाई थे। आप भी उस समय की सारस्वत परंपरा में मान्य थे। आपने वेदान्त विषयक दो प्रसिद्ध ग्रन्थों-अद्वैतचिंतामणि तथा अद्वैतशास्त्रसारोद्धार की रचना की थी। कौण्डभट्ट ने अपने पिता से भी शास्त्राध्ययन किया था। इनके स्थितिकाल के संबंध में कोई विवाद नही है। इनमें वैयाकरणभूषण (हस्तलेख १७६२ वि.स.) तथा वैयाकरणभूषणसार (हस्तलेख १७०६ वि.सं.) में मिलें हैं। कौण्डभट्ट विरचित 'तर्कप्रदीप' की खण्डित प्रति डॉ. हाल को मिली थी। हॉल के अनुसार यह ग्रन्थ राजा भवेन्द्र के पुत्र राजा वीरभ्रद के आदेश से लिखा गया। यह वीरभद्र (१६२७ ई.-१६४५ ई.) भद्रप नायक के पुत्र तथा मूलतः इक्केरि के शासक थे। अनन्तर वे ही वेदनूर नामक स्थान में रहने लगे तथा वहां के राजा कहलाएं। यह स्थान मैसूर प्रांत में था। इस स्थान के शासक वीरशैव मतानुयायी तथा केलदीनायक की आख्या से प्रख्यात थे। इस राजपरिवार से भट्टोजी वंश का घनिष्ठ

---

१. भट्टोजिदीक्षितमहं पितृव्यं नौमि सिद्धये।।

संपर्क रहा और इन्हें आश्रय भी इसी राजपरिवार से मिलता रहा।[1] अतः इनका स्थितिकाल विक्रम की सत्रहवीं सदी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। भट्टोजीदीक्षित के शिष्य होने के कारण आप उनके समकालिक तथा अवस्था में कनिष्ठ रहे। आपका प्रमुख ग्रन्थ वैयाकरणभूषण है और उसका आधार 'शब्दकौस्तुभस्थ 'वैयाकरणसिद्धान्तकारिकावली' है। आचार्य उपाध्यायजी के मत से 'यह श्लोकसप्तति' व्याकरण दर्शन का नवनीत है। इसका वर्गीकरण चौदह विषयों में किया गया है। (१) धात्वर्थ, (२) लकारार्थ, (३) सुबर्थ (४) नामार्थ (५) समासशक्ति (६) शक्ति (७) नञर्थ, (८) निपातार्थ, (९) त्वादिभावप्रत्ययार्थ (१०) देवता प्रत्ययार्थ, (११) अभेदैकत्व संख्या (१२) संख्या विवक्षा, (१३) क्त्वाद्यर्थनिर्णय, तथा (१४) स्फोट निर्णय था। इस प्रकार व्याकरण सम्मत प्रत्येक समुच्चय परिभाषित कर उनपर विस्तृत मीमांसा की गयी है। समग्र अर्थ विचार में क्रिया की प्रधानता के होने के कारण उन्होंने अपने वर्गीकरण में धात्वर्थ को प्रथम स्थान दिया है। तदनन्तर क्रिया के उपजीव्य उद्देश्यभूत सुबर्थ तथा उसके विस्तारोपयोगी अन्य उपकरणों का विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ में प्रथम बार व्याकरण दर्शन की दृष्टि से मीमांसा न्याय तथा वेदान्त दर्शन के मतभेदों का समुचित निराकरण किया गया है।[2] वैयाकरणभूषणसार आपाततः 'वैयाकरणभूषण' का साररूप प्रतीत होता है। किन्तु वह उसका लघु रूप होने के साथ साथ मौलिकता कोमलता को समाश्रित किए हुए है। (२) दोनों ग्रन्थों में वैयाकरणभूषणसार अधिक लोकप्रिय है और उसका प्रमाण पठन-पाठन तथा टीका संपत्ति है।

'भूषणसार' की टीका सम्पत्ति में भट्टोजिदीक्षित के शिष्यों में अन्यतम वनमाली मिश्र द्वारा रचित वैयाकरण मतोन्मज्जिनी' नामक टीका का उल्लेख बलदेव उपाध्याय जीने अपने ग्रन्थ में किया है। मतोन्मज्जिनि में मिश्र जीने सुबोध, सरल एवं सक्षिप्त शैली का आश्रय लिया है। साथ ही अभिनव विषयों का प्रतिपादन कर तुलनात्मक स्वरूप दिया गया है। आप कुरुक्षेत्र निवासी श्री महेश मिश्र के पुत्र थे। यह इनके द्वारा विरचित 'ब्रह्मप्रकाशिका' की पुष्पिका से ज्ञात होता है। इनके स्थितिकाल का ज्ञान इनके द्वारा लिपीकृत 'दिव्यानुष्ठान-पद्धति' से होता है, जिसमें १६७८ वि. (१६२१ ई.) अंकित है। अतः इसी के समकालीन अथवा कुछ पूर्व कौण्डभट्ट का स्थितिकाल संभावित है। (२) दूसरे टीकाकार स्वयं कौण्डभट्ट के ही शिष्य श्रीवीरतारामणि राव पण्डितेन्द्र हैं। आप श्रीरामचन्द्र के पुत्र थे। आपने वैयाकरणमतोन्मज्जनटीका का प्रणयन किया था। जिसे म.म. पं. गोपीनाथ कविराजजी ने श्रीकृष्ण जोशी के पुस्तक संग्रह में देखा था। (३) इसी श्रृंखला में भूषणसार की सर्वप्रथम एवं सुविस्तृत व्याख्या के रचियता मूलतः कूर्माचल निवासी श्रीवल्लभात्मज श्रीहरिवल्लभ उत्प्रभातीय उप्रेती द्वारा उद्भावित 'दर्पण' में व्याकरण दर्शन एवं पद पदार्थ तत्त्व निर्मल

१. द्रष्टव्य-संस्कृतशास्त्रों का इतिहास पद्मभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय। १९८३ ई., प-५१८

२. द्रष्टव्य-काशिकी सारत्व साधना, पृ. ५०

प्रतिबिबित हैं। आपके पिता श्रीवल्लभ नें 'विनोद मञ्जरी' नामक वेदांत विषयक ग्रन्थ रचना की थी। यह अनेकशास्त्रों में पारङ्गत थे। इन्होंने अपने सम्बन्ध में अधिक परिचय नहीं दिया है।[1] यह १८०० वि. में काशी में विद्यमान थे। तदनन्तर (४) हरिभट्ट काले १८५४ वि. विरचित अन्य टीका 'काशिका में दर्पण टीका को वारंवार उद्धृत किया गया है। इनके पिता केशव दीक्षित तथा इनकी माता श्रीमती सखी देवी थी। इन्होनें अपना काल टीका के अन्त में १८५४ वि. स्पष्ट किया है।[2] ये धनराज के अग्रज थे।

टीका संपत्ति की बहुलता में (५) पं. मनुदेव ने भी 'भूषणसार' को विभूषित किया और उसे 'लघुभूषण कान्ति' आख्या दी। आप नागोजीभट्ट के प्रशिष्य एवं पं. वैद्यनाथ पायगुण्डे के पट्टशिष्य थे। मनुदेव के स्थितिकाल के संदर्भ में पं. बालम्भट्ट पायगुण्डे, पं. वैद्यनाथ पायगुण्डे के पुत्र कृत 'धर्मशास्त्रसंग्रह' ग्रन्थ सहायक है। पं. मनुदेव तथा महादेव की सहायता से प्रख्यात प्राच्य पाश्चात्य विद्या वेत्ता डॉ. हेनरी टॉम्स कोल ब्रुक (१६६५ ई-१८३७ ई.=१८४० वि.सं. १८१५ वि.) की आज्ञानुसार लिखा गया था।

अतः पं. मनुदेव का स्थिति काल विक्रम संवत की उन्नीसवी शती है। पुरातन प्रथा के अनुसार नूतन ग्रन्थरचना की अपेक्षा व्याख्या लिखने की सरणि में सुप्रसिद्ध वैयाकरण (६) पं. भैरव मिश्र सर्वाग्रणी रहे। इसी उद्देश्य से श्री मिश्र जी ने वैयाकरण भूषणसार को सारगर्भित 'परीक्षा' निकषा पर कसा। आपने अपने अन्य ग्रन्थ लिंगानुशासन विवरण' में स्वयं अपने पिता पं. भवदेव मिश्र तथा अगस्त्य गोत्र का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त 'लघु शब्देन्दुशेखर' की 'चन्द्रकला' टीका के अन्त में उसका रचनाकाल, सं. १८८१ वि. अंकित किया है।[3] 'भूषणसार की टीका संपत्ति में पं. मीमांसक जी ने सन्. का रुद्रनाथ कृत, 'विवृति' उल्लेख मात्र किया है। इसके अतिरिक्त (८) कृष्ण मिश्र विरचित 'रत्नप्रभा' वृत्ति का संकेत मिलता है। इन का अपरनाम कृष्णाचार्य था। आपके पिता रामसेवक तथा पितामह देवीदत्त थे। आपके पिता पं. रामसेवक का स्थिति काल १६५०-१७०० वि. है। अतः कृष्ण मिश्र का समय तत्सम एवं उत्तरवर्ती संभावित है। इनके अन्य ग्रन्थों में 'सिद्धान्तकौमुदी' की रत्नार्णव टीका के अतिरिक्त 'युक्तिरत्नाकर वादचूडामणि तथा 'वादसुधाकर' जम्मू स्थित रघुनाथ मन्दिर पुस्तकालय में सुरक्षित हैं।[4] 'भूषणसार' की

---

१. आसीत् कूर्मगिरौ धरासुरवरः श्रीवल्लभः कोविदो वेदान्तेषु विनोदमंजरिरिति ख्यातास्ति यन्निर्मितिः। तत्सूनुर्हरिवल्लभः समकरोत् सद्युतिमण्युज्वनम् श्रीमद्भूषणसार दर्पणमिमं मोदाय विद्यावताम्।। १।।"

२. "युगभूतदिगात्मसम्मिते वत्सरे गते। मार्गशुक्लपक्षे पौर्णमास्या विधोर्दिने १/१ रोहिणीस्थे चन्द्रमसि वृश्चिकस्थे दिवाकरे। समाप्ति गमत ग्रन्थस्तेन तुष्यतु नः शिवः।। २।।

३. काश्यष्टसिद्धि चंद्राख्ये मन्मथे शुभवत्सरे माघे मास्यसिते पक्षे मूले कामतिथौ शुभा।। पूर्णा वारे दिनमणेरियं चंद्रकलाऽभिधा। शब्देन्दुशेखर व्याख्या भैरवेण यथामति।।"

४. द्रष्टव्य-सूर्यापत्र प. ४५, ४६ (संदर्भ-पं. मीमांसकजी, भाग १, पृ. ५३४

टीकाओं में पठन-पाठन की दृष्टि से पदार्थ तत्त्व के विवेचन एवं शाब्दबोध के स्वरूप को दृष्टिपथ में रखतें हुए (२) पं. गोपाल शास्त्री नेने द्वारा प्रणीत 'सरलाटीका' छात्रों तथा विद्वानों के लिए लोकप्रिय सिद्ध हुई। पं. जी का जन्म १८६२ ई. ५७ =१६४६ वि. में काशी में हुआ आपने म.म. नित्यानन्द पर्वतीय जीके चरणों में बैठकर व्याकरण, धर्मशास्त्र-वेदान्तादि शास्त्रों में वैदुष्यलाभ किया। आपके अध्यापन क्षेत्र यथाक्रम ऋषिकुल, ब्रह्मचार्याश्रम हरिद्वार, राजकीय हाईस्कूल उरई (जालौन) तथा राजकीय सं. महाविद्यालय, वाराणसी थे। १६२८ ई. से १६५७ ई. तक आप वाराणसी में अध्यापनरत थे। तथा उस समय में सरस्वती भवन पुस्तकालय से प्रकाशित होने वाले अनेक ग्रन्थों का सम्पादन किया। 'सरलाटीका' में शाब्दबोध प्रक्रिया के सरल रीति से स्वरूप विवेचन के साथ ही नैयायिकों और वैयाकरणों के सिद्धान्त में अन्तर एवं उनकी सूक्ष्मता पारंपरिक रीति से विशद की गयी है। इसके पूर्व आपने लघुशब्देन्दुशेखर की भैरवी टीका का तत्पुरुषादि-स्वर प्रक्रियान्त का सम्पादन किया था। तथा कृष्णम्भट्टी टीका सहित निर्णय 'सिन्धु' का आद्योपान्त संपादन आपके द्वारा किया गया एवं उसे चौखम्भा संस्कृत सीरिज नें प्रकाशित किया। अंतिम वर्षों में आपको ज्योतिष से विशेष अनुराग हो गया था फलतः पञ्चाङ्ग निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ की तथा शुद्धता के संबंध में प्रायोगिक आख्या संकलन करने में बराबर तत्पर रहते थे। पचहत्तर वर्ष की आयु में आपका निधन ३ मार्च सन् १६६७ ई. को काशी में हुआ।

'वैयाकरणभूषणसार' की टीकासंपत्ति संस्कृत जगत तक ही सीमित नहीं रही, किन्तु उसका विस्तार भारतीय तथा विदेशी भाषाओं के माध्यम से प्रचलित रहा। भारतीय भाषाओं में विद्वद्रत्न पं. शंकर शास्त्री मारूलकर द्वारा विरचित मराठी व्याख्या 'शाङ्करी' अपने गुरु देव म. म. पं. वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर की विवेचन पद्धति का अनुसरण करती है। यह व्याख्या प्रमुख रूप से दर्शनान्तरों के अन्तर को विशद कर व्याकरण सम्मत सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने में पूर्ण समर्थ है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रभाषा में भी व्याख्या लिखनें में लोगों की रुचि हुई। फलतः १६८६ ई.+५७ =२०४६ वि. में रीवां स्थित शासकीय वेंकट संस्कृत महाविद्यालय के अवकाश प्राप्त व्याकरण विभागाध्यक्ष डॉ. चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी नें 'भूषणसार' को 'सुबोधिनी' से बोधगम्य बना दिया। इसके अतिरिक्त 'भूषण सार' के अन्य व्याख्याताओं में पं. भीमसेन शास्त्री तथा पं. प्रभाकर मिश्र उल्लेखनीय है। व्याकरण के क्षेत्र में भूषणसार के 'शब्दकौस्तुभ' की उपजीव्य प्रामाणिकता तथा प्रभावशालिता पर प्रश्नचिह्न लगाने वाले तन्त्रादि शास्त्रों के विख्यात विद्वान् तथा उपासक श्रीभास्करराय द्वारा विरचित 'शब्दकौस्तुभदूषण' का उल्लेख म.म.पं. गोपीनाथ कविराज ने अपनी 'काशी की सारस्वत साधना' में किया है। इन्होंने 'सिद्धान्तकौमुदी विकास' नाम से भट्टोजिदीक्षित विरचित सिद्धान्तकौमुदी की विवेचना की है। 'भूषण' शब्द का प्रयोग होने से 'शब्दकौस्तुभ' का खण्डनात्मक ग्रन्थ का आभास होता है यद्यपि पूज्य कविराज जी ने इस संबंध में और कुछ

नहीं लिखा है। आपकी महती वैदुषी तथा कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धेय कविराज जीनें सादर सम्मान प्रकट किया है। इनके सम्बन्ध में उपनिषद्, तंत्र, वेदांत, छन्दःशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि विषयक विपुल ग्रन्थ-संपत्ति का विस्तारपूर्वक परिचय दिया है। आपके स्थिति काल के संबंध में ललितासहस्रनाम की व्याख्या-'सौभाग्यभास्कर' प्रमाण है। उसका रचनाकाल १७२८ ई. + ५७ = १७८५ वि. स. है। भास्कर राय, भास्करराज दीक्षित, भासुरानन्द, भास्करानन्द नाथ आदि अनेक नामों से आप विदित रहे। आप के जनक एवं जननी यथाक्रम गंभीर राय दीक्षित तथा कोनाम्बिका एवं गुरु नृसिंहाध्वरीन्द्र भी सुविदित रहे। 'भास्कर विलास' प्रशस्ति इसका प्रमाण है- शृण्वन्नेत्रस्य वीप्सा खलुपरविषये पश्यदङ्घेर्विभाषा न्याये नव्येऽप्यनव्येऽप्यथ परिणतिके जैमिनिर्वाक्यजाते। छन्दोंऽशे पिङ्गलोऽयं श्रुतिशिखरमतिः सत्यवत्यातनूजस्तंत्रेष्वेव स्वतंत्रा गिरिशगुणनिका कीर्त्यते कीर्तनीया।। -भास्करविलास १.१. (निर्णय सागर प्रेस, बंबई से प्रकाशित ललितासहस्रनाम सौभाग्यभास्कर संहिता की प्रस्तावना के अंतर्गत द्रष्टव्य।)

इनके अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं तथा कतिपय ग्रन्थ प्रकाशनाधीन हैं। शब्दशक्ति विचार-व्याकरण दर्शन में शब्द की नित्यताप्रतिपादन होने के साथ ही शब्द शक्ति पर विचार होना स्वाभाविक था। 'नित्य-शब्द' का विवेचन शब्द की शक्तिसम्पन्नता का ही प्रतिफल है। 'नित्य शब्द' के स्फोटात्मक स्वीकार किये जाने से उसकी शक्तियां स्वयं प्रतिध्वनित हो जाती हैं। इस हेतु स्फोट स्वरूप शब्द के समानान्तर ध्वनिस्वरूप शब्द का विवरण प्रस्तुत करना भी वैयाकरणों का लक्ष्य हो गया। इस सिद्धान्त को अग्रसर करने में नागेशभट्ट को अपने पूर्वाचार्यों से अच्छी प्रेरणा मिली और उन्होंने सर्वप्रथम वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा' में शब्दशक्ति के सम्बन्ध में सविस्तार विवेचना प्रस्तुत की। शब्द शक्ति की परिकल्पना 'वाक्यपदीय' के आविर्भाव के साथ ही उद्भूत हुई। इस परिकल्पना में शैवागम के अन्तर्गत और उत्तर भारत में काश्मीर का अद्वैतवादी त्रिकदर्शन तथा दक्षिण भारत में शैव सिद्धान्त समाविष्ट किये गऐ हैं। व्याकरण दर्शन का भी शैवागम के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। किन्तु आलोचकों के चित्त में यह सन्देह जागरूक है कि उन्होंने शैवागम की अन्वेषणा अद्वैतवेदान्त के प्रकाश में ही पाणिनीय दर्शन की व्याख्या प्रस्तुत की है। कहीं-कहीं पर सैद्धान्तिक विवेचन में नागेश ने 'शिवदृष्टि' को उपजीव्य बनाया है।

शब्दशक्ति का विचार बौद्ध दर्शन के अपोहसिद्धान्त की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। उसकी चरम परिणति नव्यन्याय के रूप में हुई। इसके समानान्तर शब्द और अर्थ का यह विषय काव्यशास्त्रीय अनुशीलन के रूप में मीमांसापद्धति पर किया गया। उसके द्वारा शब्दशक्तियों के सिद्धान्त की स्थापना हुई। नागेशभट्ट द्वारा 'मञ्जूषा' के तीनों संस्करणों-१ (तीनों का रचना काल-१७०० ई.-१७०८ ई. प्रायः) वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषा लघुमञ्जूषा और परमलघुमंजूषा में मम्मटादि काव्यशास्त्रियों द्वारा उस समय तक उपलब्ध प्रगति का

भी ध्यान रखा गया है। तथा वैयाकरण कौण्डभट्ट प्रभृति विचारकों की उपलब्धियों पर नागेश की दृष्टि रही है। फिर भी नागेश का चिंतन मौलिक है।

तीनों मंजूषाओं में समाहित विषयों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नागेश भट्ट ने चतुर्दशविषय-रत्नों को सुरक्षित रखा है। इन रत्नों की आभा में मीमांसक नैयायिकों आदि के पद-पदार्थ सम्बन्धी विचार भी अभिभूत हो गए। इस प्रकार मञ्जूषाओं में शब्द की शक्तता-शक्ति, लक्षणा, व्यञ्जना, स्फोट, आकाङ्क्षा, योग्यता, आसत्ति, तात्पर्य, धात्वर्थ, निपातार्थ लादेशार्थ, कारक, नामार्थ तथा समासादिवृत्त्यर्थ विचारित हैं।

टीकारत्न 'मंजूषा' में समाहित रत्नों को विकीर्ण करने में अनेक विद्वानों ने प्रयास किया है। इन में सर्वप्रथम दुर्बलाचार्य अपनी कुञ्जिका से 'मंजूषा' के उद्‌घाटन में सफल हुए। इस 'कुञ्जिका' का प्रकाशन वर्षो पूर्व हो चुका है। पं. अभ्यंकर शास्त्री जीने अपने व्याकरण कोष में उनके अत्यन्त स्वतंत्र ग्रन्थ दुर्बलीय व्याकरण का उल्लेख किया है। आफ्रेक्ट की वृहत्‌सूची के अनुसार यद्यपि मंजूषा का टीकासप्तक वर्णित है, तथापि टीका चतुष्टय की प्राप्ति पं. सभापति उपाध्याय ने अपनी 'रत्नप्रभा' टीका भी भूमिका में दर्शाया हैं। आफ्रेक्ट की सूची में कृष्णमित्र का भी नाम समाविष्ट है, जिन्हें, दुर्बलाचार्य से अभिन्न कहा जाता है। लघुमञ्जूषा की 'कुञ्जिका' अथवा 'कुञ्चिका' टीका के विषय में कुछ भ्रान्तियां हैं, जिनका निराकरण स्पष्ट रूप से किसी ने भी नहीं किया है। इस टीका के कर्ता श्रीदुर्बलाचार्य, पं. श्रीकृष्ण मिश्र तथा पं. श्रीकृष्ण मित्र के नामों से पृथक् पृथक् बतलाए गए हैं। 'मित्र' एवं 'मिश्र' शब्दों में पं. अभ्यंकर जी साम्य खोजते हैं। इस साम्य में हेतु लिपिकार की लेखनी में अंतर का होना है। जो पाठकों को 'त्र' तथा 'श्र' भ्रम उत्पन्न कर जाते हैं। फिर भी विद्वानों ने इनके आफ्रेक्ट की सूची के अनुसार कृष्ण मित्र (श्र) कुञ्जिका कार हैं जो कृष्णाचार्य नाम से भी प्रसिद्ध रहे। पं. सभापति उपाध्याय जी उन्हें दुर्बलाचार्य से अभिन्न मानतें है। 'श्रीयुत' अभ्यंकर के व्याकरण कोष के अनुसार दुर्बलाचार्य एवं श्रीकृष्ण मिश्र भिन्न व्यक्ति हैं तथा दोनों ने ही 'कुञ्चिका' नाम से टीकाएं लिखी हैं। परन्तु दुर्बलाचार्य की कुञ्चिका नागेशकृत परिभाषेन्दुशेखर पर है, जबकि कृष्ण मिश्र का टीका उनकी लघुमंजूषा पर विरचित हैं। पं. कृष्ण मिश्र का काल पं. अभ्यंकर के अनुसार सत्रहवीं शदी है। इनकी अन्य ग्रन्थसंम्पत्ति में (१) रत्नार्णव (सिद्धान्तकौमुदीव्याख्या), (२) कल्पलता (प्रौढमानोरमा व्याख्या) (३) भावदीप (शब्द की व्याख्या) तथा (४) वैयाकरण भूषण की व्याख्याएं भी परिगणित है। पं. सभापति जी ने एक विशेष बात की ओर ध्यान दिया है, जो विचारणीय है। उनके अनुसार 'गुरुमञ्जूषा' ग्रन्थ भी होना चाहिये, जिसकी टीकाद्वयी (१) श्रीरामनाथ विरचित 'बृहन्मंजूषाटिप्पण' तथा वैद्यनाथ भट्टविचरित बृहन्मंजूषा विवरण-है। अतः इसका अस्तित्व नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पायगुण्डे कृत 'मंजूषा' 'सिद्धान्तलघुमंजूषा' की कलाटीका के 'निपातार्थनिर्णय' और व्यंजनानिरूपण' के अन्त में

गुरुमंजूषा' का उल्लेख है।[1] कला टीका की प्रसिद्धि पं. वैद्यनाथ पायगुण्डे की कृति के रूप में सुविदित है। कुछ विद्वान् इनकी कृतियों को इनके पुत्र बालभट्ट की रचनायें मानतें हैं यद्यपि इस में कोई साधक-बाधक प्रमाण नहीं है।[2] पं. मीमांसकजी बालभट्ट को ही वैद्यनाथ का नामान्तर मानते हैं, जो चिन्तनीय हैं। बालभट्ट प्रसिद्धि तो धर्मशास्त्र के निबन्धकारों एवं टीकाकारों में सर्वमान्य है। वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषा' नाम से ही स्व. ब्रह्मदेव की कृति मद्रास राजकीय हस्त लेख संग्रह में सुरक्षित है। कदाचित् यह स्वतन्त्र ग्रंथ न होकर उसकी टीका भी हो सकता है। पठन-पाठन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सुप्रसिद्ध शब्द शास्त्रज्ञ पं. सभापति उपाध्याय ने लघुमंजूषा के स्फोट निर्णयान्त ग्रन्थ भाग पर रत्न प्रभा व्याख्या लिखी हैं। उत्तर प्रदेश के बलियामण्डल के पूर्वीय भाग के गंगा तटस्थित उदयीछपरा ग्राम में संवत् १९३७ विक्रम की भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनसुखी देवी के कुक्षि से पं. रामपटल उपाध्याय के पुत्ररत्न के रूप में आपका जन्म हुआ। आप प्रथम सेण्ट्रल हिन्दू स्कूल वाराणसी और लण्डन मिशन हाईस्कूल में कतिपय वर्ष पर्यंत अध्यापन करने के उपरान्त बिरला संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी के स्थापना काल के एकवर्ष के अनन्तर १९१४ ई. में प्रधानाचार्य पद पर आसीन हो आजीवन कार्यरत रहे।

न्याय वेदान्तादि दर्शन शास्त्रों पर इनका पूर्ण अधिकार था, जिसके फलस्वरूप 'रत्नप्रभा' व्याख्या में 'मञ्जूषा' की दुरूहता तथा शास्त्रीय गंभीरता को समझाते हुए ग्रन्थ-ग्रन्थि को सफलतापर्वूक सुलझाया गया है। इसके साथ ही यह व्याख्या छात्रोंपकारिणी भी सिद्ध हुई है इनके प्रधान शिष्यों में पण्डित बाल कृष्ण पंचोली के अतिरिक्त पंडित कालिका प्रसाद शुक्ल प्रमुख है। माननीय संपूर्णानन्द जी के मुख्यमंत्रित्व काल में आपने वर्षो तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का संस्कृत विशिष्ट विद्वान्-सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया। आपके कार्यकाल में संस्कृत विद्या की उन्नति एवं काशी के घाटों के जीर्णोद्धार विषयक प्रस्तावों पर संपूर्णानंद जी ने सहर्ष सहमति दी। यह पहला अवसर था कि स्वतंत्र भारत में संस्कृत के एक विद्वान् को प्रांत की महनीय सभा में मनोनीत कर संस्कृत विद्या का गौरव बढ़ाया गया था। भगवत् कृपासे दीर्घायुष्यलाभकर ८४ वर्ष की अवस्था में आपने 'काशीलाभ' किया।

कला और **कुञ्जिका** टीकाद्वयी से संवलित सुप्रसिद्ध वैयाकरण आचार्य राम प्रसाद त्रिपाठी द्वारा सम्पादित 'लघुमंजूषा का शोधपरक संस्करण संस्कृत विश्वविद्यालय (वाराणसी) से प्रकाशित किया गया है। डॉ. त्रिपाठी को संस्कृत जगत् अभिनव पाणिनि के नाम से सम्बोधित कर सादर स्मरण करता हैं आप प्रक्रिया एवं परिष्कार के चूडान्त निर्देशक रहे।

---

१. 'इत्यन्यत्र' = गुरुमंजूषादौ इत्यर्थः।' अन्यत्र=गुरुमंजूषादौ इत्यर्थः।-कलाटीका।

२. 'पायगुण्डो वैद्यनाथ भट्टः कुर्वे स्वबुद्धये-टीका प्रारंभ

शब्दानुशासन के अतिरिक्त मीमांसा, धर्मशास्त्र, वेदान्त आदि शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन सर्वश्री पं. गोपाल शास्त्री नेने तथा पं. देवनारायण त्रिपाठी (तिवारी जी) के चरणों मे होने के कारण आपकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रकाश चारो ओर फैला है, जिसे आपकी शिष्य मंडली भी आगे बढा रही है। संस्कृत विश्वविद्यालय व्याकरण विभाग के विभागाध्यक्ष एवं आचार्य पद से सेवा निवृत्ति के उपरान्त भी आपका निरन्तर चिन्तन मनन युवकों को भी प्रेरित करता है। इस दृष्टि से आप आज भी युवा है। आपकी संपादित ग्रन्थराशि विपुल है। अनेक विशिष्ट पुरस्कारों के अतिरिक्त राष्ट्रपति सम्मान, विशिष्ट पुरस्कारों से आप विभूषित है। अतः इनका विशिष्ट शोधप्रबन्ध 'पाणिनीय व्याकरणे प्रमाण समीक्षा है जिसके प्रकाश में आप संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा 'वाचस्पति' उपाधि से विभूषित हुए हैं यह प्रबन्ध १६७२ ई. में वहीं से प्रकाशित हुआ है प्रकृत प्रबन्ध में महर्षि पतञ्जलि से लेकर महावैयाकरण नागेश भट्ट तक के विचार दर्शन की समीक्षा करते हुए व्याकरण दर्शन के प्रमेय तथा प्रमाण दोनो का विवेचन पुंखानुपुंख किया गया है।

मंजूषा के लघु संस्करण परमलघुमंजूषा को अधिक सरल बनाने तथा नागेशोक्त परिष्कारों के स्वरूप को विकसित करने में म.म.प. नित्यानन्द पंत ने विषमस्थलों पर टिप्पणी लिखकर अध्येताओं पर उपकार किया वर्तमान कालिक प्रवृत्ति को देखते हुए पं. सदाशिव शास्त्री जोशी ने सरल ग्रन्थ को सरलन्तर बनाने के लिए 'अर्थदीपिका' की रचना (१६६२ वि. में प्रकाशित) की। उनकी भूमिका के अनुसार प्रधान रूप से विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण तथा प्रतिकूल मतों का प्रत्याख्यान सहित सिद्धान्त पक्ष का समर्थन किया गया है। श्री जोशी म.म.पं. माधव शास्त्री भाण्डारी के शिष्य थें आपने मनोरमा कुचमर्दन सहित पंचसंध्यन्त प्रौढमनोरमा का संपादन स्वटिप्पणी सहित किया था। इनके अतिरिक्त श्री अलखदेव शर्मा की 'अर्थदीपिका' सहित हिन्दी टीका, पं. कालिकाप्रसाद शुल्क विरचित 'ज्योत्सना' व्याख्या, पं. श्री लोकमणिदहाल कृत 'किरणावली' हिन्दी-संस्कृत व्याख्या आदि व्याख्याए भी सुलभ तथा छात्रोपयोगी है।

स्फोट सिद्धान्त

कतिपय विद्वानों ने 'स्फोट' शब्द को अभिलक्षित कर स्फोटवाद पर ही लेखनी उठायी है। इसके मूल में भर्तृहरि की विचार धारा ही प्रेरक रही। बौद्ध विद्वानों में धर्मकीर्ति के अनन्तर मीमांसकों तथा वेदांतियों नैयायिको के भी विचार इस संबध में वैयाकरणों को स्फोट सिद्धान्त की प्रतिष्ठा में उत्प्रेरक रहे। इस प्रकार के ग्रन्थों में विभिन्नरूपों में स्फोटवाद का विवेचन किया गया है। इस विवेचन में स्फोट को 'शब्दरूप में' 'शब्दनित्यत्व' के रूप में जातिरूप में 'वाक्' के रूप में तथा शब्द ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार किया गया है। इस प्रकार स्फोट का स्वरूप प्राचीनकाल से ही चर्चित रहा है। स्फोट सिद्धान्त के प्राचीन

आलोचकों में उल्लेखनीय धर्मकीर्ति, कुमारिल, शंकर, मण्डन मिश्र, भामह, वादिदेव सूरि, जयंत भट्ट आदि हैं। इन आलोचकों में धर्मकीर्ति ने संभवतः मीमांसा दर्शन के अपौरुषेय और वैयाकरणों के एक वर्ण विचार का एक में मंथन कर स्फोट की चिंता की है, इसलिए वह चिन्त्य है। मीमांसको में मण्डन मिश्र व्याकरण दर्शन के प्रति उदारचेता रहे। फलतः उन्होंने अपनी 'स्फोटसिद्धि' में वैयाकरण सिद्धान्तों के समर्थन की अपेक्षा 'धर्मकीर्ति कृत प्रमाणवार्तिक' का खण्डन किया है। कुमारिल भट्ट ने स्फोट की आलोचना वैयाकरणों की चिकित्सा के रूप में की है। आचार्य शंकर ने वर्णो में क्रम के आधार पर स्फोट पक्ष में गरीयसी कल्पना, दृष्ट-हानि और अदृष्ट कल्पना मानी है। इसकी समीक्षा अपने स्फोटतत्वनिरूपण में शेष श्रीकृष्ण ने[1] नित्य और विभु के अभाव को दिखाकर की है जो भर्तृहरि सम्मत हे। 'अक्रमः क्रमरूपेण भेदवानिवजायते'।

भामह के अनुसार स्फोटवाद आकाश कुसुम सदृश है। उनके मत में वह कूटस्थ, अनपायी नाद से भिन्न शब्द के रूप में मान्य है। (काव्यालंकार- ६/११-१४) इसी प्रकार जैन विद्वान्, वादिदेव सूरि के अनुसार अर्थ प्रत्यायकाकार के आधार पर स्फोट सिद्धान्त की मान्यता आपातरमणीय है, प्रत्यायक घूम में भी शब्दत्व की कल्पना संभावित होगी तथा संकेतित अर्थ ज्ञानाभाव में गवादिशब्द वाच्य नहीं ही सकते। (स्याद्वाद रत्नाकर-५-६६१)।

शक्तिग्रह को अभिलक्षित कर दार्शनिक प्रवर जयंतभट्ट ने स्फोट को प्रत्यक्षगम्य अथवा अनुमेय नही माना है। यदि उनके अनुसार ध्वनि से संसृष्ट रूप में ही स्फोट की उपलब्धि स्वीकार्य हो, तो ध्वनि के सदृश स्फोट का भी श्रावण प्रत्यक्ष होना चाहिए।

व्याकरण दर्शन के कतिपय विद्वानों ने भी केवल स्फोट सिद्धान्त पर ही लेखनी उठायी है। इन विद्वानों में कौण्डभट्ट विरचित स्फोटवाद सुविदित है। तदनंतर नागेश भट्ट प्रणीत स्फोटवाद पर ग्रन्थ अडयार से प्रकाशित हुआ।[2]

इसी संदर्भ में भरतमिश्र कृत 'स्फोटसिद्धि' भी उपादेय रही। क्योंकि अखण्ड वाक्यवादी औदुम्बरायण (स्फोटायन)-दर्शन की मान्यता उससे विदित होती है।[3] इसी क्रम में मौनी वंश के विख्यात वैयाकरण पं. जयकृष्ण मौनी (अपरनाम- कृष्णभट्ट) ने 'स्फोट चन्द्रिका' की रचना की। अभ्यंकर के व्याकरण कोषानुसार स्फोटसिद्धान्त का यह लघुकाय ग्रन्थ है। इसी कोष के अनुसार ई. उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में काशीवासी पं. श्री कृष्णशास्त्री आरडे ने 'स्फोट चटक' नामक लघु पुस्तिका में वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाते

---

१. नित्यानां च विभूनां च क्रमो नास्त्येव वास्तवः। उपलब्धिनिमित्तोऽस्ति साचेदैक्षाकुलाक्रमः।।-स्फोटतत्वनिरूपण-७

२. व्याकरण-दर्शन-रामसुरेश त्रिपाठी, पृ.३२

३. द्रष्टव्य-भरतमिश्र कृत स्फोटसिद्धि का प्रारम्भिक अंश। रामसुरेश त्रिपाठी-व्याकरण दर्शन, पृ. १३९ से उद्धृत है।

हुए स्फोट के संदर्भ में ध्वनि की नित्यता पर विचार किया है। इसी शृखला में प्रसिद्ध मीमांसक आपदेव ने भी स्फोट सिद्धान्त पर 'स्फोटनिरूपण' नामक ग्रन्थ युक्तियुक्त प्रस्तुत किया था।

वर्तमान वीसवी शताब्दी में व्याकरण की दार्शनिक प्रवृत्तियों की सभी विधाओं में कार्य करने के अतिरिक्त श्रीरामाज्ञा पाण्डेय जी ने प्रमुख रूप में स्फोटतत्त्व पर विस्तार के साथ आजीवन मनन-चिन्तन किया, फलस्वरूप आपके द्वारा विरचित व्याकरण दर्शन तीन भागों में प्रकाश में आया। उसका तृतीय भाग प्रतिभा दर्शन आपके मरणोपरान्त १६७८ ई. में संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ। उसके पूर्व भूमिका तथा पीठिका भाग क्रमशः १६६४ ई. तथा १६६५ ई में प्रकाशित हो चुके थे। श्री पाण्डेय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के पूर्वी मण्डल में बलिया जनपद के रतसड़ ग्राम में सदाचारी श्री वैष्णवमतानुयायी ब्राह्मण परम्परा में हुआ था। आप प्रमुख रूप से पं. देव नारायण त्रिपाठी जी के शिष्य रहे। साथ ही सर्व श्री पं. दामोदर शास्त्री भारद्वाज, पं. श्री गंगाधर शास्त्री तैलङ्ग एवं पं. श्री शिवकुमार शास्त्री के भी अन्तेवासी होने का आपने लाभ लिया। साधोलाल स्कालर के रूप में डा. वेनिस के भी कृपा-पात्र रहे। काशी में प्रारम्भ में अध्यापनोपरान्त १६२१-२२ ई. में जगन्नाथपुरी के राजकीय संस्कृत कालेज के व्याकरण की गद्दी पर आसीन होकर प्रचुरसमय तक वहां अध्यापनरत रहे। पाणिनीय व्याकरण के प्रथम प्रचारक के रूप में प्रत्येक उत्कलीय विद्वान् आज भी आपका सादर स्मरण करता है। अन्तिम दिनों में मुजफ्फरपुर (बिहार) स्थित राजकीय संस्कृत कालेज में व्याकरणाध्यापक पद पर रहकर वहीं से सेवा निवृत्त हुए। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री डॉ. संपूर्णानन्द जी आपका अत्यन्त सम्मान करते थे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पण्डित सभापति उपाध्याय के साथ ही आपको विशिष्ट सदस्य के रूप में मनोनीत किया था। आपके द्वारा विरचित प्रतिभा दर्शन में वैदिककाल से आरम्भ की प्रातिशाख्य निरुक्त, वाक्यपदीय एवं मंजूषा तक की प्रतिभा -यात्रा प्राप्त होती है। इस यात्रा में व्याकरण का दार्शनिक स्वरूप विवेच्य सिद्धान्त, पदार्थ-चिन्तन का सामंजस्य प्रतिफलित हुआ है। श्री पाण्डेय ने परा, पश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी वाक् सम्बन्धी विचार-सरणि में भर्तृहरि सम्मत परावाक् को अभिलक्षित कर पश्यन्ती आदि तीनों वाग् विशेषों को ही व्याकरण सम्मत प्रतिपादित किया है-[1] यद्यपि परावाक् सच्चिदानन्द स्वरूपा है, किन्तु वह अव्याकृत होने से केवल योगिगम्य ही है। अतः उसके माध्यम से व्याकृत वाणी का विश्लेषण नहीं किया जा सकता।[2] इसके फलस्वरूप पश्यन्ती प्रतिभा तथा प्रणव के शब्द व्याकृत वाणी के पर्यायवाची माने गये है।

---

१. वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतदद्भुतम्। अनेक तीर्थभेदायास्त्रय्यावाचः परं पदम्। वाक्यपदीय, ब्रह्म का. १४३

२. स्वरूपज्योतिरेवान्तः परा वागनपायिनी

पश्यन्ती के दो रूप है-(१) मातृस्थानीय प्रकृतिरूप (उपादान कारण) तथा (२) पितृस्थानीय प्रत्यय रूप (निमित्त कारण) है। इन्हीं दो परम्पराओं की समष्टि कामधेनुस्वरूपा 'पश्यंती' वाक् है। वही पश्यन्ती शब्द ब्रह्म (शब्दबीज) स्वरूप तथा वहीं 'प्रतिभा' रूप से अर्थ सृष्टि करती है।[1]

शब्दशक्ति पर नैयायिक दृष्टि-पाणिनीय दर्शन पर 'न्यायदृष्टि' की विचारसरणि १७०१ विक्रम सं. से आविर्भूत हुई। यह विचार सरणि नवद्वीप के पंडितों द्वारा वैशेषिक न्याय में परिष्कार पद्धति के आविर्भाव से पल्लवित हुई। इसके प्रादुर्भाव में स्फोट वाद की विचार धारा ही कारण बनी। इस महनीय कार्य में तर्कालंकार पं. जगदीश भट्टाचार्य अग्रसर हुए और आपने 'शब्दशक्ति प्रकाशिका' की रचना की। बंगदेश निवासी तर्कालंकार जी के पितामह पं. सनातनमिश्र चैतन्य महाप्रभु के श्वशुर थे। आपके पिता पं. यादव चन्द्र विद्यावागीश, आपके दो अग्रजों और एक अनुज का उल्लेख भी पं. मीमांसक जी ने अपने इतिहास में किया है। पं. श्री रामभद्र सार्वभौम तथा पं. श्री भवानन्द सिद्धान्त बागीश के चरणों पर बैठकर न्याय-वैशेषेकादि विविध दर्शनों का चूडांत अध्ययन किया था। आपके गुरू भवानन्द उन दिनों काशीवास करते थे अतः जगदीश तर्कालंकार को काशी में अध्ययन करने का सुअवसर मिला। काशी में नैयायिक प्रवर पं. महादेव पंत पुणताम्बेकर प्रभृत्ति महाराष्ट्रीय पण्डित मण्डली के द्वारा भवानन्द सिद्धान्त वागीश को पूर्ण समादर मिला। पं. भवानन्द की कालस्थिति के सम्बन्ध में म. म.पं. गोपीनाथ कविराज ने निश्चित रूप से यह उल्लेख किया है कि पुणताम्बेकर द्वारा लिपिकृत पुस्तकों में प्राचीनतम काल १७२७ वि. (१६७० ई.) है।[2] इन्हीं के शिष्य पं. जगदीश तर्कालंकार ने १७१० वि. (१६५३ ई.) में शब्दशक्ति प्रकाशिका की रचना की भी। प्रकृत ग्रन्थ में नव्यन्याय की शैली में शब्द व्युत्पत्ति के संदर्भ में भिन्न सरणि से विचार किया गया है। आपकी रचना शैली से प्रभावित होकर पं. श्री गोकुलनाथ उपाध्याय ने 'पदवाक्यरत्नाकर' का प्रणयन किया। उपाध्याय जी ने न्याय दर्शन के अनुसार पद, पदार्थ, कारक आदि विषयों का उसी प्रकार विवेचन किया है जिस प्रकार इनके पूर्ववर्ती तर्कालंकार जी ने अपनी 'शब्दशक्ति प्रकाशिका' में किया था। 'पदवाक्यरत्नाकर' में स्फोट के निरूपण प्रसंग में पाणिनीय सूत्रों का यथावसर उपन्यास शब्द शक्ति प्रकाशिका की अपेक्षा उसकी विशेषता दर्शाता है।

'शब्दशक्ति प्रकाशिका' पर दो व्याख्याए उपलब्ध होती है। (१) कृष्णकान्त विद्यावागीश प्रणीत (रचना काल शक सं. १७२३)[3] + तदनुसार १८५८ वि.–५७ -१८०१ ई.।

---

१. "शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिर्विश्वस्यास्य निबन्धनी। यन्नेत्रः प्रतिभात्मायं भेदरूपः प्रतीयते।।"-वाक्यप.१-११८

२. काशी की सारस्वत साधना-पृ. ५८-५६

३. शाके रामाक्षिशैलक्षितिपरिगणिते कर्कटे यातिभानौ

(२) रामभद्र सिद्धान्तवागीश विरचित 'सुबोधिनी' पं. युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार दोनो टीकाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह विदित होता है कि द्वितीय (सुबोधिनी) पूर्वोल्लिखित टीका से प्राचीन प्रतीत होती है। इसका रचनाकाल अज्ञात है।

वाक्यार्थ एवं शब्दशक्ति- नैयायिकों ने वाक्यार्थ को अभिलक्षित कर पद संपत्ति में क्रिया और कारक की प्रधानता स्वीकार की है। इस संदर्भ में विशेषतया व्युत्पत्ति प्रदर्शन हेतु पं. हरिराम तर्कवागीश के शिष्य तथा सुप्रसिद्ध नैयायिक काशी वाशी न्यायालंकार के सतीर्थ पं. गदाधर भट्टाचार्य (१७ वीं सदी का मध्य) ने 'व्युत्पत्तिवाद' नाम के ग्रन्थ का प्रणयन किया। ग्रन्थारंभ के विषय में सर्वप्रथम नव्य व्याकरण के परिष्कार प्रवर्तक पं. गंगाराम शास्त्री त्रिपाटी ने अपनी टिप्पणी में[1] यह सूचित किया है कि प्रकृत ग्रन्थ चतुःषष्टिवादात्मक ग्रन्थसमूह (६४) का शब्दखण्ड निरूपणात्मक एक अंश है अतएव उसके प्रारम्भ में मंगलाचरण का न होना युक्तियुक्त है। 'शक्तिवाद' भी उसी ग्रन्थ समूह का द्वितीय अंश होना स्वतः सिद्ध है। प्रकृतग्रन्थ में कारकों के अर्थ की व्याख्या करते हुए सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन के साथ न्यायसरणि के अनुसार कारकों तथा विभक्तियों के पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डाला है। यह ग्रन्थ भले ही न्यायशास्त्र के विद्वानों द्वारा विरचित हो, फिर भी वैयाकरणों का यह कण्ठहार है। आज भी इस ग्रन्थ की इतनी मान्यता तथा उपयोगिता है कि काशी की पण्डित परंपरा में परिष्कारों की भूमिका के साथ व्युत्पत्तिवाद को व्याकरण शास्त्र का अंङ्ग बना दिया है। तब से यह ग्रन्थ आचार्य (अन्तिम वर्ष) के पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। विना इसके अध्ययन के वाक्यार्थ का बोध सम्भव नही है। माना जाता है कि उसमें भी कुछ अंश शास्त्रार्थ की परिपाटी में आज भी सुरक्षित है। 'घटोघटः' 'मल्लो मल्लं गच्छति' इत्यादि प्रयोग शास्त्रार्थों में श्रुतिगोचर होते है। व्युत्पत्तिवाद का प्रथम वाक्य ही- 'शाब्दबोधे चैकपदार्थेऽपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते'-ही स्वयं ग्रन्थ का परिचायक है।

इनके द्वितीय ग्रन्थ का नाम 'शक्तिवाद' है। उसका नामकरण भी भट्टाचार्य महाशय ने अन्वर्थक ही रखा है। इस ग्रन्थ की रचना में नामतः यह विदित होता है कि तर्कालंकार जी की रचना शब्दशक्तिप्रकाशिका' भट्टाचार्य जी के सम्भवतः सर्वप्रथम देखने को मिली तथा शब्द शक्ति के संबंध में विचारों का विकास क्रम श्री भट्टाचार्य जी ने शक्तिवाद में परिवर्तित किया इसके कल्पना में नव्य नैयायिकों का प्रभाव अधिक अभिलक्षित होता है। फिर भी वैयाकरणों ने इस संदर्भमें अधिक अध्ययन किया तथा इसमें वर्णित सिद्धान्तों को व्याकरण के निकष पर कसते हुए इस प्रकार से इसे व्याकरण शास्त्राध्ययन का अभिन्न अङ्ग बना

---

१. 'श्रीमदग्रन्थकर्ता चतुःषष्टिवादात्मकग्रन्थसमूहमेकं विरचयामास। तद्घटकोऽयं व्युत्पत्तिवादात्मकशब्द खण्डः १ अतोऽत्र मङ्गलाभावेऽपि न क्षतिः'।। पं. गोपालदत्त पाण्डेय के पुस्तकसंग्रह में उपलब्ध हस्तलेख से।।

दिया फलतः यह ग्रन्थ भी 'व्युत्पत्तिवाद के समान ही पठन-पाठन में समाविष्ट हो गया। प्रकृत ग्रन्थ तीन काण्डों में विभक्त (१) सामान्यकाण्ड, (२) विशेष काण्ड तथा (३) परिशिष्ट काण्ड। इन तीनों काण्डों में क्रमशः (१) पदगत अनुगत शक्ति का प्रतिपादन (२) विवादास्पद शक्ति सम्बन्धी कतिपय विशिष्ट पदों का व्यवस्थापन तथा (३) कुमारिलभट्ट, श्रीकर, मण्डन मिश्र, गुरू प्रभाकर आदि मीमांसक धुरीणों के शक्ति संबंधी विचारों को प्रतिपादित किया गया है। इसके साथ ही परमत निरसनपूर्वक स्वमतस्थापन इस ग्रन्थ का वैशिष्ट्य है।

इनके सतीर्थ्य पं. रघुदेव न्यायालंकार विरचित प्रचुर ग्रन्थ सम्पत्ति में 'आख्यातवाद' की टीका मननीय है। इनके स्थितिकाल के सम्बन्ध में प्रसिद्ध जैन पण्डित का आगमन एवं इनसे अध्ययन करना एक महनीय घटना है। ऐसी किंवदन्ती है कि जैन मुनि यशोविजय मणि (१६०८ ई-१६८८ ई.) १८ वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण वेष में काशी आये थे तथा बारह वर्षो तक (१६२६-१६३८ ई.) रहकर पं. रघुदेव जी से नव्यन्याय शास्त्र का अध्ययन किया था।[1] ग्रन्थ-ग्रन्थि को सुलझाने के लिए कतिपय टीकाकारों ने मूल ग्रन्थ के आशय को स्पष्ट करने में सहयोग किया। इनमें श्री हरिनाथ तर्कसिद्धान्त भट्टाचार्य निर्मित तथा माधव तर्कसिद्धान्त भट्टाचार्य कृत पृथक्-पृथक् विवृतियां, कृष्णभट्ट प्रणीत मञ्जूषा, पञ्चनदीय पंण्डित श्री सुदर्शनाचार्य विरचित 'आदर्श' टीका एवं सर्वतंत्रस्वतंत्र न्यायरत्न पं. श्री दामोदर लाल गोस्वामी द्वारा विरचित विनोदिनी' समाविष्ट है। पं. दामोदर लाल गोस्वामी जी नें अपने संपादित संस्करण की भूमिका में पं. गदाधर भट्टाचार्य तथा दो व्याख्याकारों के संबंध में विशेष सूचना दी है। तदनुसार पं. गदाधर भट्टाचार्य के पूर्वज पूर्व बंगाल के पावनाप्रान्तान्तर्गत लक्ष्मी चापरा ग्राम के निवासी वीरेन्द्र श्रेणिभुक्त विप्रवंश के थे। किसी कारण वश आपने अपने पिता के साथ कृष्ण नगर (गोयारी) राज्य के अन्तर्गत नवद्वीप में आकर हरिराम तर्कवागीश से न्यायशास्त्र का अध्ययन किया। उनके दिवंगत होने पर गुरूपत्नी की आज्ञा से गुरू जी की इच्छानुसार गुरुकुल में अध्यापन प्रारम्भ किया। गुरूवर के प्रशस्ति पद के अभाव में वहां छात्रों की विरति को देखकर भी आपने उत्साह का परित्याग नहीं किया और वृक्ष के नीचे अध्यापन करने लगे। उनकी विलक्षण प्रतिभा, अध्यापन-पाटव आदि गुणों से आकृष्ट शिष्यों का आगमन अविच्छिन्न रूप से होने लगा। इस वृत्तांत को गोस्वामीजी ने स्वयं अध्ययनकाल में नवद्वीप निवासी उनके वंशजों से सुना था। शक्तिवाद को टीका 'मञ्जूषा के रचनाकार पं. श्रीकृष्ण भट्ट दाक्षिणात्य विद्वान् पं. श्री रंगनाथ के आत्मज थे। तथा आपके द्वारा गंगाधरभट्ट के ग्रन्थों की व्याख्याएं उपलब्ध हैं। इसके टीकाकार पं. श्री माधव तर्क सिद्धान्त भट्टाचार्य के संबंध में केवल उनके निवास स्थान नवद्वीप तथा स्थितिकाल सं. १६३४ वि. का संकेत किया है। 'आदर्श व्याख्याकार

---

१. द्रष्टव्यः- काशी की सारस्वत साधनाः म.प.पं. गोपीनाथ कविराज पृ. ६६

पं. श्री सुदर्शनाचार्य म.म.पं. गंगाधर शास्त्री तैलंग के शिष्य तथा श्री गोस्वामी जी के सतीर्थ्य थे। वे अच्छे संगीतज्ञ तथा वीणावादक थे। संगीत शास्त्र पर आपका 'संगीतसुदर्शन' ग्रन्थ ख्याति प्राप्त है। वस्तुतः 'आदर्श' टीका शक्तिवाद के ग्रन्थरहस्योद्घाटन में निःसंकोच आदर्श स्वरूप ही है। प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए पं. श्री सुदर्शनाचार्य जी ने ग्रन्थ को शक्ति सम्पन्न बना दिया है। 'शक्तिवाद' के अतिरिक्त 'व्युत्पत्तिवाद' में भी पं. श्री सुदर्शनाचार्य जी ने आदर्श व्याख्या प्रस्तुत की है। पं. श्री गोस्वामी जी ने अपनी लघुटीका विदो-दिनीं में उन्हीं विषयों का स्पष्ट किया, जो उन्हें अपने विद्यागुरु म.म.पं. गंगाधर शास्त्री से अध्ययन कार्य में विशेषतया सर्वप्रथम अधिगत हुए। तदनंतर अनुमानखण्ड का अध्ययन करते हुए म.म. पं. श्री राखालदास न्यायरत्न भट्टाचार्य से प्रसंगवश श्रुतिगोचर तथा नवद्वीप के अध्ययन काल में पं. यदुनाथ न्यायसार्वभौम से प्राप्त क्रोड पत्राध्ययन से सुविदित हुए। उल्लेखनीय है कि आपके गुरु पं. श्री राखालदास न्यायरत्न की रचनाओं में 'शक्तिवाद-रहस्य' भी समाविष्ट है। विस्तारभय से स्वतंत्रक्रोडपत्रों का समावेश 'विनोदिनी' में नहीं किया गया। व्याकरणदर्शन के मौलिक ग्रन्थ 'वाक्यपदीय' संपादन से आपको इन ग्रन्थों की व्याख्या की प्रेरणा मिली।

'शक्तिवाद' के सदृश 'व्युत्पत्तिवाद' में भी अनेक व्याख्याएं लिखी गयी। व्याख्याकारों में सर्वाग्रणी मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान् पं. श्रीबच्चा झा (१६१७-१६७८वि.) द्वारा विरचित 'गुढार्थतत्त्वालोक' पण्डितमण्डली के लिए गंभीर चिंतन का विषय बन गया। प्रकृतटीका ने शब्दशास्त्रज्ञों को इसका उत्तर देने के लिए आकृष्ट किया। नव्यन्यायमण्डित कठिन परिष्कारों से संश्लिष्ट प्रस्तुत टीका ने तत्कालीन नैयायिकों एवं वैयाकरणों में प्रतिस्पर्धा जागरित की। यहाँ तक की म.म. पं. श्री दामोदरशास्त्री भारद्वाज जी के साथ संकठा मंदिर में आपका शास्त्रार्थ का आयोजन अविस्मरणीय ऐतिहासिक घटनायें थी। जिसमें म.म. प. शिवकुमार शास्त्री तथा म.म. पं. कैलासचन्द्र शिरामणि मध्यस्थ हुए। शास्त्रार्थ 'राजपुरुषः' पद को अभिलक्षित कर संपन्न हुआ। वृद्धावस्था में आपने पण्डित लक्ष्मीकान्त झा को दर्शनों का रहस्य आत्मसात कराया। फलतः पं. लक्ष्मीकान्त ने व्युत्पत्तिवाद की 'प्रकाश' व्याख्या की सर्जना की। आपकी द्वितीय कृति भामती चतुःसूत्री व्याख्या का रचनाकाल १६५२ ई. है। आपके वैदुष्य से प्रभावित हो पं. महामना मालवीय जी नें प्राच्य महाविद्यालय में आपकी नियुक्ति की। पं. बच्चा झा की टीका के दो संस्करण प्रकाशित हैं-(१) स्वतंत्र वृहत्तमभूमिका सहित, (२) पं. शशिनाथ झा कृत 'अर्थदीपिका' सहित। पं. बच्चा झा नें 'व्युत्पत्तिवाद' के अतिरिक्त 'शक्तिवाद' का टिप्पण भी समुद्भावित किया है। 'व्युत्पत्तिवाद' के विवरणकारों में सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थी विद्वान् म.म. पं. श्री जयदेव मिश्र (वि.स. १६११-१६८२) द्वारा विरचित 'जया' शास्त्रार्थ सरणि को अभिलक्षित कर अवतीर्ण हुई। व्युत्पत्तिवाद की दुरुह ग्रन्थग्रंथियों को व्याकरण की दृष्टि से सुगम करने में

'जया' अत्यंत सबल है। व्युत्पत्त्विाद में शात्रार्थ करने वाले विद्वानों नें 'जया' टीका का बहुत आश्रय लिया है। इस शतक के अन्य सुप्रसिद्ध नैयायिक एवं गवर्न्मेण्ट संस्कृत कॉलेज, बनारस के न्याय शास्त्राध्यापक पं. शिवदत्त मिश्र ने भी व्युत्पत्तिवाद की व्याख्या लिखी, जिसका सम्पादन पं. ज्वाला प्रसाद गौड़ ने किया है वे पं. मिश्र म.म. पं. श्री वामाचरण भट्टाचार्य के प्रमुख शिष्य रहे। आपके पिता म.म.पं. श्री प्रभुदत्त मिश्र श्रौत स्मार्त पारदृश्वा वैदिक विद्वान थे। आपके ज्येष्ठ भ्राता म.म. पं. विद्याधर मिश्र भी वेदमीमांसाके प्रख्यात विद्वान् थे। श्री जगदीश तर्कालंकार तथा पं. श्री गदाधर भट्टाचार्य के अतिरिक्त सोलह से १८ वें ई. शतक के मध्य न्यायशास्त्र के कतिपय विद्वानों ने वाक्य एवं शब्दशक्तिसंबन्धी विषयों को अभिलक्षित कर स्फुट रचनाएं प्रस्तुत कीं। इन विद्वानों में (१) पं. विश्वनाथ सिद्धान्तपंचानन (२) उनके भ्राता रूद्र न्यायवाचस्पति तथा (३) पं. श्री जयराम न्यायपंचानन का उल्लेख म.म.पं. श्री गोपीनाथ कविराज ने अपनी पुस्तक 'काशी की सारस्वत साधना' में किया है। इनमें से पं. विश्वनाथ सिद्धान्तपंचानन सोलहवीं शती में नवद्वीप (बंगाल) से काशी में समागत पं. नरहरि विशारद के प्रपौत्र, पं. श्री विद्यावाचस्पति के पौत्र तथा 'मुग्धबोधटीका' कार पं. श्री विद्यानिवास भट्टाचार्य के पुत्र थे। आपकी ग्रन्थ सम्पत्ति में 'आख्यातवाद' तथा 'नञ्वाद' की टीकाएं तथा सुबर्थतत्त्वालोक उल्लेखनीय हैं। आपने वृन्दावन में न्यायसूत्र वृत्ति की रचना १५५६ शकाब्द में की थी। 'नञ्वाद टीका' का लिपिकाल सं. १७०६ वि. अथवा १६५१ ई.है। आपके पुत्र पं. रामदेव भट्टाचार्य औरंगजेब द्वारा विश्वनाथ मन्दिर के ध्वस्त किये जाने पर सन् १६६१ ई. में काशी छोड़कर ढाका चले गए थे। पं. श्री विश्वनाथ सिद्धान्तवागीश के ज्येष्ठ भ्राता श्री रुद्र न्यायवाचस्पति ने भी आख्यातवाद की व्याख्या लिखी थी। तदनन्तर पं. श्री जयराम न्यायपञ्चानन ने भी कारकवाद समासवाद, तथा आख्यातवाद-नञ्वाद की टीकाओं का प्रणयन किया। आप बंगदेश से काशी आए पं. रघुदेव न्यायलंकार के समकालिक पं. रामभद्र भट्टाचार्य (संभवतः रामभद्र सार्वभौम) के चरणों में बैठकर विद्याध्ययन किया था। १६५७ ई. के व्यवस्थापत्र में आपके हस्ताक्षर इसके प्रमाण हैं।

व्याकरणदर्शन की सुदीर्घयात्रा में गंगा-यमुना प्रवाह के सदृश न्याय एवं शब्दानुशासन के धारा-युगल में अन्तःसलिला सरस्वती ने परिष्कार के रूप में प्रकट होकर 'त्रिवेणी' का रूप धारण किया। इसमें अवगाहन कर शब्द शास्त्रज्ञों ने शब्द ब्रह्म का अभिनव दर्शन किया।

परिशिष्ट

(क) पाणिनीय खिल ग्रन्थ

(१) पाणिनीय शिक्षा

वेदार्थ की निष्पत्ति के लिए वेदपुरुष के छह अङ्गों की कल्पना की गयी है। इन छहों अङ्गों में शिक्षा नासिका के रूप में परिगृहीत है-**"शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य"**।

मानवीय शरीर में शारीरिक सौन्दर्य नासिका के विना प्रस्फुटित नहीं होता-उसी प्रकार वेदार्थ भी शिक्षा के बिना परिपूर्ण नहीं होता। लोक में शब्द का आधार वर्ण हैं तथा उनका बाह्य स्वरूप उच्चारण पर निर्भर है। वर्णोच्चारण सम्बन्धी स्वर, स्थान, प्रयत्न आदि का मौलिक स्वरूप बतलाना शिक्षा ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य है। **"शिक्ष्यतेऽनया इति शिक्षा"**।

शिक्षा ग्रन्थ प्रत्येक वेद से सम्बद्ध सर्वविदित है किन्तु पाणिनीय शिक्षा व्याकरण सम्बद्ध होते हुए वेदोपयोगी भी है। अतः पाणिनीय व्याकरण के साथ पाणिनीय शिक्षा का सामञ्जस्य निर्विवाद है।

पाणिनीय-शिक्षा के सम्बन्ध में पाणिनि की कृति पर विद्वानों में दो प्रकार के मत हैं। कुछ विद्वान् इसे पाणिनि की ही रचना मानते हैं तथा अन्य विद्वान् उनके भाई पिङ्गल की रचना मानते हैं।[1] पाणिनीय शिक्षा को अन्यकर्तृक मानने में पाणिनीय शिक्षा के ही कुछ श्लोक प्रमाणस्वरूप दिये जाते हैं।[2]

शिक्षा का स्वरूप-वर्तमान समय में पाणिनीय शिक्षा दो स्वरूपों में प्राप्त होती है - (१) सूत्रात्मक तथा (२) श्लोकात्मक। श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने सूत्रात्मक शिक्षा के सम्बन्ध में विदित कराया है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसे महान् परिश्रम से उपलब्ध कराया है। इसे 'वर्णोच्चारण शिक्षा' के नाम से संवत् १६३६ (विक्रम) के अन्त में प्रकाशित किया गया था। छोटे बालकों के लाभार्थ सूत्रों का भाषानुवाद भी साथ में किया है। स्वामी दयानन्द जी को इसका हस्तलेख सन् १८७६ के अन्त में मिला था। उन्होंने इसकी भूमिका में स्वयं लिखा है कि जनता के भ्रमों को दूर करने के लिए बड़े परिश्रम से पाणिनिमुनिकृत शिक्षा की पुस्तक प्राप्त कर उन सूत्रों की सुगम भाषा में व्याख्या करके वर्णोच्चारण विद्या की प्रसिद्धि करता हूँ। स्वामीजी को पाणिनीय शिक्षा का हस्तलेख अपूर्ण मिला था। पाणिनीय-शिक्षा

---

१. ज्येष्ठभ्रातृभिर्विहिते व्याकरणेऽनुजस्तत्र भगवान् पिङ्गलाचार्यस्तन्मतमनुभाष्य शिक्षां वक्तुं प्रतिजानीते। -शिक्षा प्रकाश टीका

२. (क) अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा (पा.शि. १)
(ख) शंकरः शांकरीं प्रादात् दाक्षीपुत्राय धीमते (पा.शि. ५६)
(ग) येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्।
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।। (पा.शि. ५७)

तथा आपिशल-शिक्षा के सूत्रों में अध्याय-गत समानता है। दोनों में ही आठ-आठ प्रकरण हैं। इन सूत्रों के अष्टाध्यायी के समान लघु और वृहत् दो पाठ हैं।

स्वामीजी द्वारा प्रकाशित 'शिक्षा' लघुपाठ पर आधारित रही। इसका दूसरा एक वृद्ध पाठ भी है, जिसमें कुछ सूत्र और सूत्रांश अधिक हैं। इन दोनों को मीमांसक जी ने सम्पादित कर 'शिक्षा-सूत्राणि' में प्रकाशित करवाया।

इन सूत्रों के अतिरिक्त पाणिनीय शिक्षा श्लोकबद्ध भी प्राप्त होती है। यही अधिकतर प्रचलित है। इस ग्रन्थ का अच्छा संस्करण डॉ. मनमोहन घोष ने अंग्रेजी अनुवाद सहित सन् १९३८ में प्रकाशित करवाया था। इसमें ६० श्लोक हैं जिसमें उच्चारण विधि से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का सक्षेप में बड़ा ही उपादेय विवरण प्रस्तुत किया गया है। श्लोकात्मक शिक्षा के अन्त में पाणिनि का उल्लेख 'दाक्षिपुत्र' के नाम से किया गया है तथा इसके अनन्तर उनकी प्रशंसा में कुछ श्लोक भी विद्यमान हैं।[1] श्लोकात्मक शिक्षा के अन्त के वर्णन से ही इस ग्रन्थ के रचयिता के सम्बन्ध में संदेह हो जाता है। यह कहा जा चुका है कि कुछ लोग इस स्वरूप को पिङ्गल[3] द्वारा रचित मानते हैं, जिन्हें पाणिनि का भाई कहा गया है। दूसरी ओर डा. घोष ने अपनी भूमिका में यह भी लिखा है कि स्वामीजी द्वारा प्रस्तुत 'सूत्रात्मक शिक्षा'-शिक्षा-सूत्र वास्तविक न होकर कल्पित हैं। डा. घोष का तर्क अस्वीकार करते हुए मीमांसक जी ने 'मूल पाणिनीय शिक्षा' शीर्षक लेख में इन सूत्रों की प्रामाणिकता सिद्ध की है। मीमांसक जी ने यह भी उल्लेख किया है कि इन 'शिक्षा सूत्रों' के अनेक ग्रन्थों में उद्धरण मिलते हैं।[4] इसके अतिरिक्त मीमांसक जी का यह कथन है कि बाद में उन्हें पाणिनीय शिक्षा सूत्रों का एक कोश और उपलब्ध हो गया, जिसके अनुसार स्वामीजी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा सूत्र मौलिक हैं, कल्पित नहीं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 'श्लोकात्मक शिक्षा' का प्रचार प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। वैदिक सम्प्रदाय भी इस स्वरूप को शिक्षा के रूप में व्यवहार करता है। व्याकरण के प्राचीन ग्रन्थों में 'श्लोकात्मक शिक्षा' को प्रमाणस्वरूप मानकर भर्तृहरि सदृश विद्वान् भी शब्द की नित्यता को सिद्ध करने में सफल हुए।

---

१. शङ्करः शाङ्करीं प्रादात् दाक्षीपुत्राय धीमते।
वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य दैवीवाचमिति स्थितिः।। पा.शि. ५६

२. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्।
कृत्स्नं व्याकणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।। पा.शि. ५७
येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः
तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः पा.शि. ५८

३. 'जेष्ठभ्रातृभिर्विहिते व्याकरणेऽनुजस्तत्र भगवान् पिङ्गलाचार्यस्तन्मत-मनुभाष्य शिक्षां वक्तुं प्रतिजानीते।' (आरम्भ में) - शिक्षा प्रकाश टीका।

४. द्रष्टव्य - 'साहित्य' पत्रिका, (पटना) - वर्ष सात - अंक ४ - १९५७ ई.

प्रचलित 'श्लोकात्मक शिक्षा' के अतिरिक्त दो प्रकार के पाठों का निर्देश भी मीमांसक जी ने किया है। तदनुसार यह शिक्षा 'लघु' तथा 'वृद्ध' इन दो रूपों में व्यवहृत है। 'लघु' याजुष तथा 'वृद्ध' आर्च पाठ के रूप में प्रसिद्ध हैं। याजुष पाठ में ३५ श्लोक तथा आर्च पाठ में ६० श्लोक हैं। आर्च पाठ ११ वर्ग अथवा खण्डों में विभक्त है तथा 'शिक्षाप्रकाश' और 'शिक्षापञ्जिका' टीकाएं लघु पाठ पर ही हैं। इस प्रकार काशी से प्रकाशित 'शिक्षा संग्रह' में पृष्ठ ३७८-३८४ तक मुद्रित सस्वर आर्च पाठ में स्वर सम्बन्धी अनेक त्रुटियां हैं, फिर भी यह कहने में संकोच नहीं होता कि मूल पाठ सस्वर था। इस प्रकार 'पाणिनीय शिक्षा' लोक तथा वेद-उभय शास्त्रों के लिये उपकारी होने के कारण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

(२) धातु पाठ

पाणिनीय व्याकरण की सम्पूर्ति सूत्र, धातु, गण तथा उणादि पाठ एवं लिङ्गानुशासन द्वारा होती है। सर्वप्रथम धातुपाठ पर विचार किया जाता है। पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी धातुपाठ का आश्रय लिया था। इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं। आपिशलि का धातुपाठ सम्बन्धी प्रमाण जिनेन्द्र बुद्धि ने अपने न्यास ग्रन्थ में स्वीकार किया है। काशिका के दूसरे व्याख्याकार हरदत्त ने भी इस बात को स्वीकार किया है[1]। इसी प्रकार शाकटायन ने भी अवश्य धातुपाठ लिखा होगा क्योंकि उनके अनुसार सभी शब्द धातुज रहे हैं (नामान्याख्यातजानि)। प्रायः सभी पूर्ववर्ती वैयाकरणों ने धातुपाठ लिखने में अपनी लेखनी उठायी है, अतः काशकृत्स्न भी इसमें पीछे नहीं रहे। उनका धातुपाठ कातन्त्र धातु पाठ में अनुकृत हुआ है। काशकृत्स्न धातु पाठ पर कन्नड़ देश के विद्वान् चिन्न वीर ने विस्तृत वृत्ति लिखी है। इस वृत्ति को कन्नड़ भाषा से रूपान्तर कराकर पं. युधिष्ठिर मीमांसक ने सम्पादित किया है। इस धातु पाठ में केवल नौ गण ही हैं, अदादि को भ्वादि में समाविष्ट किया गया है। इसमें पाणिनीय धातु पाठ की अपेक्षा ४५२ धातुएँ अधिक हैं। किन्तु पाणिनि का धातुपाठ "चान्द्रादि" परवर्ती व्याकरणों में अनुकृत हुआ है। किन्तु पाणिनि ने अपना धातु पाठ पूर्व परम्परा तथा वैशिष्ट्य इन दोनों के सामञ्जस्य से प्रतिष्ठापित किया। पाणिनि के धातुपाठ के दो स्वरूप देखे जाते हैं - प्रथत तो आत्मकृत अंश के रूप में है, जो उनकी मौलिक दृष्टि को सूचित करता है, तथा दूसरा स्वरूप जो पूर्व परम्परा प्राप्त रहा उसे उन्होंने परिष्कृत कर नया अभिधान दिया।

धातु पाठ के सार्थक स्वरूप के सम्बन्ध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। तदनुसार वे लोग केवल धातु स्वरूप को तो पाणिनि कृत समझते हैं तथा उसके अर्थ भाग को

---

१. सकारमात्रमस्ति धातुमपिशलिराचार्यः प्रतिजानीते, तथाहि न तस्य पाणिनेरिव अस् भुवि इति" गणपाठः। किं तर्हि स भुवि पठतीति।

भीमसेनकृत मानते हैं। काशकृत्स्न ने "सिंह हिंसायां" आदि कुछ नवीन धातुओं को निविष्ट किया है, जिस कारण उन्हें लोपागम, वर्णविकार आदि व्यत्ययों की कल्पना नहीं करनी पड़ती। इस मत के उद्‌भावक नागेश हैं। किन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि नागेश के पूर्व किसी वैयाकरण ने इस द्वैधी भावना का उल्लेख क्यों नहीं किया ?

सार्थक धातु पाठ के सम्बन्ध में महाभाष्यकार का कथन प्रबल समर्थक है। उनका कथन है कि जब भी पाणिनि का मत प्रदर्शित करने के लिए कोई धातु पढ़ा गया है उसका अर्थ निर्देश भी "आचार्य प्रवृत्ति के निर्देशन" के लिए साथ ही पढ़ा गया है। आगे चलकर क्षीरस्वामीकृत क्षीरतरंगिणी और माधवाचार्य की धातु वृत्ति में तो पाणिनि के धात्वर्थ पाठ को सूत्रपाठ के समान प्रामाणिकता दी गयी है। वेदभाष्यकार सायण भी इस मत के परिपोषक हैं। उदाहरणार्थ अदादि गण पठित "वेवीङ्वीतिना तुल्ये" धातु के व्याख्यान में सायण ने यह स्पष्ट किया है कि गत्यर्थ वी-धातु के समान ही वेवीङ् धातु का भी अर्थ है। पाणिनि के मत में अदादिगण पठित वेवीङ्धातु वैदिक है।

विवरण

पाणिनि ने धातुओं को दश गणों में विभक्त किया है। इन धातुओं की संख्या लगभग २००० है। पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने पाणिनीय धातु पाठ की प्रचुर मीमांसा की है। भाषा की दृष्टि में शब्द का मूल स्वरूप धातु ही है। क्योंकि धातु और प्रत्ययों के योग से शब्द निष्पन्न होते हैं। अमेरिकी भाषाशास्त्री डॉ. ह्विटनी ने केवल ६०० धातुओं को भाषा के प्रचलन में उपयोगी माना है। शेष धातुएं अप्रयुक्त होने के कारण गौण हो गयी हैं। ह्विटनी का यह कथन एकांगी है, क्योंकि संस्कृत धातुओं का प्रयोग दैनन्दिन प्रयोग में ही सीमित नहीं है। अपितु उनका प्रयोग आर्ष साहित्य, पुराणादि तथा भारतीय लोक भाषाओं में भी व्यवहृत हुआ है।

धातु-वृत्तियाँ

पाणिनीय धातुओं पर अनेक विद्वानों ने वृत्ति ग्रन्थ लिखे हैं। उनमें **क्षीरस्वामी, मैत्रेय रक्षित, देव माधव, भीमसेन** तथा **जैन विद्वान् उमास्वाति** आदि प्रसिद्ध हुए हैं।

(१) **क्षीरतरंगिणी** - का उपयोग बहुधा आगे के आचार्यों ने किया है। उसकी विशेषता यह है कि उसमें धातु के विशिष्ट रूप के अतिरिक्त उससे अधिक यह बात दर्शायी है तथा उन शब्दों की परस्पर तुलना भी की गयी है। क्षीरस्वामी का समय ११वीं शती का उत्तरार्ध माना गया है।

(२) मैत्रेय रक्षित द्वारा विरचित धातु प्रदीप भी उल्लेखनीय है। इसमें एक प्रकार से धातुओं के अर्थ पर संक्षेप में विचार किया गया है। इनकी वृत्ति में क्षीर स्वामी का

मत 'परे तु' 'अन्ये तु' आदि शब्दों द्वारा संकेतित मिलता है, अतः ये क्षीरस्वामी के अनन्तर रहे। अमरकोश के टीकाकार सर्वानन्द ने धातु प्रदीप का उल्लेख किया है। उनके अनुसार सम्वत् १२१५ (सन् ११५८) बताया है। फलतः ये क्षीर स्वामी और सर्वानन्द के मध्यस्थ रहे। इनके वृत्ति ग्रन्थ से इनके वैदुष्य का परिचय मिलता है। इनकी वृत्ति में चान्द्रव्याकरण तथा कालाप व्याकरण का प्रभाव भी परिलक्षित होता है।

(३) देव द्वारा विरचित देव नामक ग्रन्थ भी धातुओं के सम्बन्ध में अपनी एक विशिष्टता रखता है। स्वयं ग्रन्थकार ने अपने इस ग्रन्थ को 'सरूपधातु-व्याख्यान' कहा है। पाणिनीय धातुपाठ में भिन्न भिन्न गणों में पठित अनेक धातु समान आकार वाले उपलब्ध होते हैं। कभी-कभी अर्थ की एकता रहती है तथा कभी-कभी अर्थ की विभिन्नता। ऐसे ही सरूप धातुओं का यह श्लोकबद्ध व्याख्यान है। श्लोकों की संख्या २०० है। इस पर **लीलाशुक** द्वारा लिखी गयी व्याख्या **"पुरुषकार"** के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्याख्या ग्रन्थ का प्रभाव वेद भाष्यकार "सायण" पर भी परिलक्षित होता है। **पुरुषकार** में धातुओं के रूप तथा वर्ण के विषय में तुलनात्मक आलोचना की गयी है। "देव" का समय १२वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। **पुरुषकार लीलाशुक** नामक "देव" ग्रन्थ के व्याख्याकार काञ्ची निवासी वैष्णव आचार्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी टीका के अन्त में काञ्ची नगरी के उत्सवों का वर्णन किया है। देव व्याख्याकार लीलाशुक का समय (१४७६ ई. से १५३३ ई. सम्वत् १५३३ से १५६०) के मध्य रहा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बंगाल में लाये जाने के कारण उपर्युक्त चैतन्य के समय से अवश्य प्राचीन रहे हों। इसके साथ ही पुरुषकार में हेमचन्द्र का उल्लेख होने से यह हेमचन्द्र से भी पूर्व अवश्य रहे हों (१२वीं शती) सायणाचार्य ने भी पुरूषकार का उल्लेख किया है। अतः लीलाशुक का समय हेमचन्द्र तथा सायणाचार्य के मध्य स्थित होना चाहिए।

(४) **माधवीया धातुवृत्ति** : इस वृत्ति के रचयिता वस्तुतः सायणाचार्य ही हैं। उन्होंने अपने अग्रज श्री माधवाचार्य की स्मृति में उनके नाम से ही इस रचना की प्रसिद्धि की। पाणिनि का मत प्रदर्शन करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी। माधवीय धातुवृत्ति में विस्तार के साथ गाम्भीर्य भी पर्याप्त मात्रा में है। धातुओं की पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में सायण की यह वृत्ति प्रामाणिकता तथा प्रमेय बाहुल्य की पर्याप्त परिचायिका है। इस वृत्ति में अनेक ग्रन्थकारों के मत भी उद्धृत किये गये हैं। इस वृत्ति का रचनाकाल विजय नगर साम्राज्य के अधिपति सङ्गम के राज्यकाल में (१४१२ वि.स. से १४२० वि.स.) माना गया है। इस मध्य सायण सङ्गम के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे। कुछ लोग "माधवीया धातुवृत्ति" को "यज्ञनारायण

कृत मानते हैं, किन्तु इसका समाधान विद्वानों ने सायण के नाक्षत्रिक नाम का रूप देकर किया है।

(५) **भीमसेन** :-इनके द्वारा रचित "धातुपाठ" के हस्तलेखों के उपलब्ध होने के कारण व्याकरण जगत् में सार्थक धातुपाठ सम्बन्धी मौलिकता के विषय में मतभेद विद्यमान है। फिर भी भीमसेन की स्थिति तथा उनके द्वारा धातु पाठ सम्बन्धी विचार किये जाने पर कोई सन्देह नहीं है। ऐसा विदित होता है कि भीमसेन ने सर्व प्रथम धातुपाठ पर विचार कर उसे परिष्कृत किया हो, तभी बाद में इन्हें विद्वानों ने सार्थक धातु पाठ अग्रणी मान लिया हो, इनका स्थितिकाल क्षीर स्वामी से बहुत पूर्व माना जाता है। पद्मभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने इनका स्थितिकाल जैन ग्रन्थों के आधार पर लगभग (६५७ वि.सं. (६०० ई.)) माना है।

धातु पाठ समीक्षा
पं. श्री भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी
(जन्म सं. १९६१ वि.)

व्याकरण शास्त्र के वैज्ञानिक विचारक पं. श्री भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी का जन्म मध्य प्रदेश स्थित सागर जिले के बिलइयाग्राम में वि.सं. १९६१ में हुआ। बाल्यकाल से मेधावी होने के कारण इन्होंने प्रारम्भ में संस्कृत साहित्य वेदान्त और संगीत का अध्ययन किया। अनन्तर काशी आकर पाणिनीय व्याकरण, भाषा विज्ञान तथा वेदादि अन्य विषयों और आंग्ल-जर्मन भाषा का अध्ययन कर नव्यव्याकरणाचार्य विद्यावारिधि और विद्यावाचस्पति उपाधियाँ प्राप्त कीं। विशेष योग्यता के फलस्वरूप अल्पावस्था में ही १९७० ई. में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित अनुसन्धान संस्थान के निदेशक पद पर नियुक्त होकर आपने परिश्रम पूर्वक कार्य करते हुए अनेक गवेषकों से मौलिक शोध कार्य सम्पादित कराये। इसके पूर्व इनका स्वयं शोध प्रबन्धात्मक ग्रन्थरूप 'धातुपाठसमीक्षा' का प्रकाशन १९६५ ई. में हो चुका था। संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित होने वाले **ग्रन्थों** तथा **'सारस्वती-सुषमा'** पत्रिका के सम्पादन द्वारा विविध विषयों के दुर्लभ प्राचीन ग्रन्थों का प्रकाशन कराते हुए आपने ख्याति अर्जित की।

पं. वागीश शास्त्रीजी ने धातुपाठ के सम्बन्ध मे आधुनिक दृष्टिकोण भी अपनाया है। आपके मत से कुछ धातु ऐसे भी परिगणित हैं, जिनका स्वरूप भारतीयेत्तर विदेशी भाषाओं में विद्यमान है। और जिसका बीज महाभाष्यस्थ 'सर्वे देशान्तरे' वचन के गर्भ में है।[1] इसी संदर्भ में भाष्यकार ने एक ही धातु के विभिन्न स्थानों में प्रवर्तित विभिन्न अर्थों की ओर संकेत

---

१. एतस्मिंश्चातिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये तेते शब्दास्तत्र तत्र प्रयुज्यन्ते नियतविषया' दृश्यन्ते। तद्यथा-शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति विकार एवैनमार्या भाषन्ते 'शव' इति। रंहतिः सुराष्ट्रेषु रंहतिः प्राच्यमध्यमेषु दातिर्लवनार्थे प्राच्येषु दात्रमुदीच्येषु'-निरुक्त २.२.८

किया है। भाष्यकार द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न प्रदेश प्रायः प्राचीन बृहत्तर भारत के अंग रहे'। विशेषता यह है कि ग्रन्थकार ने प्रत्येक धातु के साथ देशान्तर प्रयुक्त धातुओं की अर्थसंगति की है। आधुनिक भाषा विज्ञान के साथ प्रस्तुत विषय का समीकरण करते हुए शास्त्रीजी ने भारोपीय तथा भारत-ईरानी भाषा परिवार के 'नाम' तथा 'आख्यात' शब्दों का विवेचन किया है। इसके अतिरिक्त वेदों से लेकर नाटकों तक प्राप्त संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश काश्मीर हिन्दी तथा उसकी उप भाषाओं के प्रयोगों की ओर प्रमाण पुरस्सर ध्यान आकृष्ट कराया है।

इस बीच आपने बृहत्काय ग्रन्थ 'संस्कृतवाङ्मयमन्थनम्' लिखकर समस्त शैक्षणिक जीवन का नवनीत उपन्यस्त किया है। छः कल्लोलों में विभक्त इस ग्रन्थ में वेद-वेदांगों तथा दर्शनादि का समावेश है। इसके शब्द शास्त्र विषयक कल्लोल में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आदि भाषाशास्त्रीय तथा नागेशभट्ट कृत द्विविध उपदेश, महाभाष्य का महाभाष्यत्व आदि व्याकरण शास्त्रीय बीस विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सारस्वत साधना के फलस्वरूप आप कालिदास पुरस्कार (१९९६ ई.) तथा अन्य संस्थाओं से विविध पुरस्कार प्राप्त कर गौरवान्वित हुए हैं। सुर भारती के प्रचार-प्रसार हेतु आपने अनेक बार विदेश यात्रा की है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात् आप 'वाग्योगचेतनापीठम्' स्थापित कर उसके अभ्युत्थान में अग्रसर होकर संस्था को चरितार्थ कर रहे हैं।

३. गणपाठ-व्याकरण में सामुदायिक लाघव दिखलाने के लिए गणपाठ विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। अन्यथा सूत्रों में इतना गौरव हो जाता कि उनका स्मरण मेधावी जनों को भी कठिन हो जाता। यह शास्त्रकार की सूझ-बूझ है जिसने गणपाठ द्वारा सामुदायिक इयत्ता को निश्चित कर दिया। यह परम्परा भी पाणिनि से पूर्व वैयाकरणों के समय से चली आ रही है। डा. पावेल का यह मत है कि पाणिनि ने गणपाठ को सम्भवतः अपने आचार्य से प्राप्त किया था। गणपाठ के विना व्याकरण का बहुत बड़ा भाग निरर्थक हो जाता। इसलिए पाणिनि ने गणपाठ को अनेक रूपों में परिगृहीत किया है। इस कारण पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक ने गणपाठ के दो रूप स्वीकार किये हैं-१. लघु, २. बृहद्। दूसरे विद्वान् पं. कपिल देव शास्त्री ने गणपाठ का परिष्कृत संस्करण तैयार किया है, उन्होंने यह भी बतलाया है कि प्रातिशाख्यों तक में भी गणपाठ के संङ्केत उपलब्ध होते हैं।[1] गणपाठ के सम्बन्ध में पं. बलदेव उपाध्याय का यह विचार है कि पाणिनि ने सूत्रों की रचना के पूर्व ही इन गणों का निर्धारण कर लिया था और फिर उन गणों को यथा-स्थान सूत्रों में सन्निवेश किया। गणों के सन्निवेश करने की पद्धति पाणिनि सूत्रों में अनेक प्रकार से देखी जाती है। कहीं-कहीं तो महर्षि ने गण के प्रारम्भिक शब्द को लेकर आदि तथा प्रभृति शब्दों से संयुक्त कर गण की पूर्णता का निर्वाह किया है।

---

१. द्र. संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा तथा पाणिनि। डा. कपिलदेव शास्त्री पृ. ४६-४७

पतञ्जलि ने सूत्रपाठ के समान ही गण पाठ की प्रामाणिकता स्वीकार की है। कुछ विद्वान् गणों को पठित (लघु) तथा आकृति (बृहद्) रूपों से अभिहित कर उन्हें सीमित कर देते हैं। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में २५६ सूत्रों में गण-पाठ का सन्निवेश किया है, जिन सूत्रों में 'आदि' शब्द द्वारा गण को प्रारम्भ किया है वहाँ 'आदि' शब्द का अभिधान चार रूपों में किया गया है। १. सामीप्य, २. व्यवस्था, ३. प्रकार तथा ४. अवयव।

पठित गणों में 'आदि' शब्द कहीं-कहीं व्यवस्था तथा कहीं पर आकृति गणों में प्रयुक्त आदि शब्द 'प्रकार का वाचक होता है।'

गणपाठ प्रत्येक व्याकरण का अविभाज्य अङ्ग है- पञ्चाङ्गान्तर्गतोऽन्यतमोऽङ्गः।

गणपाठ की प्रमुख उपादेयता यह है कि अनेक शब्दों के परस्पर भिन्न होते हुए भी उनकी समानता सूचित करने हेतु व्याकरण के नियमों के अन्तर्गत व्यवस्थित किया जाय। इस शैली के द्वारा शब्दों की विखरी हुई सामग्री एक सरल व्यवस्था और नियम में बँध जाती है। यदि पाणिनि ने गणपाठ की युक्ति न अपनायी होती तो ग्राम, जनपद, संघ, गोत्र, चरण आदि से सम्बन्धित भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामग्री का जैसा उपयोग अष्टाध्यायी में उसके संक्षिप्तरूप की रक्षा करते हुए भी हो सका है, कदापि न हो पाता। व्याकरण-नियमों की रचना में सहायक गणपाठ की शैली पाणिनि के हाथों में सांस्कृतिक सामग्री का भण्डार बन गयी। काशिका वृत्ति में प्रत्येक गण के शब्द की सूची मिलती है। इसके पूर्व भी पतञ्जलि ने महाभाष्य में गण पाठो की सम्यक् विवेचना की थी। उदाहरणार्थ-उन्होंने खण्डिकादि गण में 'उलूक' और 'क्षुद्रगालव' शब्दों के पाठ पर यह विचार किया है। डा. रामकृष्ण भाण्डरकर का यह मत था कि गणपाठ के अधिकांश शब्द पाणिनि के समय के ही हैं। इनमें से अधिकांश शब्दों की चर्चा पतञ्जलि ने की है। पाणिनि ने लम्बी जो गोत्र सूचियाँ दी है, इतिहास की दृष्टि से भी उनका महत्त्व है। भौगोलिक नाम तो सर्वथा पाणिनि की ही देन है। अकेले, 'वुञ्छण्कठजिल (४/२/८०) आदि सूत्र में पढ़े गये १७ गण लगभग सवा दो सौ स्थान नामों का परिचय देते है। प्रो. वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि द्वारा सङ्कलित सामग्री का इस सूत्र में अत्यन्त मौलिक अद्भुत और समृद्ध उदाहरण पाया जाता है।

गणपाठ के व्याख्याकार

गणपाठ में समाविष्ट शब्दों की व्याख्या करने के लिए वर्धमान अग्रसर हुए और उन्होंने 'गणरत्नमहोदधि' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया। इस ग्रन्थ का रचनाकाल ११९७

---

१. (क)-अयमादिशब्दोऽस्त्येव व्यवस्थायां वर्तते। तद् यथा देवदत्तादीन् समुपविष्टानाह-'देवदत्ताय आनीयन्ताम्'। त उत्थाय आनीयन्ताम्। (ख)-अस्ति च प्रकारे वर्तते। तद् यथा 'देवदत्तादयः आढ्या अभिरूपा दर्शनीयाः पक्षवन्तः। देवदत्तप्रकाराः इति गम्यते। महाभाष्य १/३

वि.सं. का अन्त है, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रन्थ में जैन विद्वान् हेमचन्द्र (११०० ई.पू.) का उल्लेख किया हे। वर्धमान ने अपने व्याख्या ग्रन्थ में अप्रचलित तथा अज्ञात शब्दों के अर्थों का विन्यास बड़ी सुन्दरता के साथ किया है। वर्धमान सिद्धराज जय सिंह के आश्रय में रहा। गणरत्नमहोदधि की ऐतिहासिक उपयोगिता भी मननीय है। इसका उल्लेख उनके तद्धित प्रकरण के गणों की व्याख्या में सिंहगर्जना से ही ध्यातव्य है उनका कथन है कि जिन तद्धित-सिंहों से वैयाकरण रूपी हाथी भागते-फिरते थे। उनके गणों के सिर पर मैंने पैर रख दिया, यद्यपि मैं गव्य हूँ।[1]

किवंदती के अनुसार वर्धमान ने किसी काव्य से प्रचुर उद्धरण लिये हैं। जिनमें परमारवंशीय राजा भोज की स्तुति की गयी है। इस काव्य में व्याकरण के प्रयोग भी प्रदर्शित किये गये हैं। तदनुसार यह काव्य द्वयाश्रय शैली पर अवलम्बित हैं कुछ लोगों के अनुसार राजा भोज का एक उपनाम त्रिभुवन नारायण भी था, जो इतः पूर्व किसी ग्रन्थ से ज्ञात न था। भोज राजा की 'त्रिभुवन-नारायण' उपाधि अन्य किसी ग्रन्थ से ज्ञात नहीं है।

४. उणादिगण :-

व्याकरणशास्त्र में सिद्ध तथा निपातित शब्दों के विचार-सन्दर्भ में अयोगिक शब्दों को भी प्रकृति-प्रत्ययानुकूल बनाने हेतु उणादि प्रकरण का समायोजन किया गया है। इस प्रकार के प्रतिपादन की अवतारणा पाणिनि से पूर्ववर्ती नैरुक्त सिद्धान्त के प्रवर्तकों यास्क आदि ने भी वैदिक शब्दों की सिद्धि हेतु उणादि प्रत्ययों के सम्बन्ध में की है। इस तरह वैदिक युग में भी उणादि प्रत्ययों का समावेश रहा हो। वैयाकरणों में शाकटायन पाणिनि के पूर्ववर्ती होने से पतञ्जलि ने उनके नाम का महाभाष्य में उल्लेख किया है। यद्यपि पतञ्जलि ने शाकटायन शब्द का 'साक्षात्' उल्लेख नहीं किया है तथा 'शकटस्य तोकम्' कहकर उनके पिता का नाम भी सूचित किया है अपत्य-वाचक अनेक प्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग न करते हुए 'अप्रसिद्ध' तोक शब्द का प्रयोग करने से उनके प्रति विशेष अभिनिवेश विदित नहीं होता किन्त उणादि के संबंध में शाकटायन का मत पाणिनि के पूर्व अवश्य प्रचलित रहा हो।

उणादि प्रत्ययों का सन्निवेश कृदन्त-प्रकरण के अन्तर्गत समाविष्ट रहा अथवा उसका निर्वचन पृथक् किया गया हो- इस सम्बन्ध में विचारकों में कुछ भिन्नता है। पुरातन काल में उणादि सूत्र शब्दानुशासन के कृदन्त प्रकरण अन्तर्गत ही थे। किन्तु आगे चलकर जब किसी कारण वश यौगिक शब्दों के धातु-प्रत्यय-सम्बन्धी यौगिकार्थ की अप्रतीति होने लगी,

---

१. येभ्यस्तद्धित-सिंहेभ्यः शाब्दिकेभ्यः पलायितम्। गव्येनापि मया दत्तं पदं तद्गणमूर्धसु।।
वर्धमान रचित सिंह राजवर्णन राज प्रशस्ति में।।

तब यौगिकार्थ की अप्रतीति तथा स्वर वर्णन पूर्वी विशिष्ट समुदाय से अर्थ विशेष की प्रतीति होने के कारण संस्कृत भाषा के असंख्य शब्द वैयाकरणों द्वारा रूढ़ मान लिए गये। इस स्थिति में भी वैयाकरणों में शाकटायन तथा नैरुक्तों में गार्ग्य भिन्न सभी आचार्य तथाकथित रूढ़ शब्दों को भी यौगिक ही मानते रहे। यास्कीय निरुक्त के प्रथमाध्याय के २२/२३/२४ वें खण्डों में इस विषय की गम्भीर विवेचना की गई है, और अन्त में तथाकथित रूढ़ शब्दों के यौगिकत्व पक्ष की स्थापना की है।

शाकटायन के अतिरिक्त प्रायः सभी वैयाकरणों द्वारा असङ्ख्य शब्दों को रूढ़ मान लेने पर भी उन्होंने यौगिक स्वरूप प्राचीन पक्ष की रक्षा तथा नैरुक्त आचार्यों के सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए ऐसे शब्दों के धातु-प्रत्यय निदर्शन के लिए उणादि सूत्र रूपी कृदन्त भाग को शब्दानुशासन से पृथक् करके उसे शब्दानुशासन के खिल पाठ अथवा परिशिष्ट का रूप दिया।

उणादि-सूत्रों के पार्थक्य का कारण

जब शब्दों के एक बड़े अंश के विषय में यौगिकत्व और रूढत्व सम्बन्धी मतभेद उत्पन्न हो गया, तब तात्कालिक वैयाकरणों ने उन विवादास्पद शब्दों के साधुत्व-ज्ञापन के लिए ऐसा ऋजु मार्ग निकाला, जिससे दोनों मतों का समन्वय हो सके। इस हेतु उणादिपाठ की कल्पना की गई। आगे चलकर उणादि पाठ को कृदन्त से भिन्न अंग मानकर 'खिल' प्रकरण में समाविष्ट कर लिया गया। खिलपाठ द्वारा उणादि प्रत्ययों में भेदाभेद की कल्पना कर यौगिक तथा रूढ-दोनों में सामञ्जस्य स्थापित कर वैयाकरणों ने एक नई दिशा दी, जिसके फलस्वरूप वर्तमान काल में प्रायः सभी उणादि आरम्भकारों ने औणादिक शब्दों को रूढ़ मानते हुए वर्णानुपूर्वी के परिज्ञानमात्र के लिए उनमें प्रकृति-प्रत्यय विभाग की कल्पना स्वीकार कर धातुज-शब्द सिद्धान्त की रक्षा की है।

भाष्यकार द्वारा सङ्केतित उणादि प्रत्ययों के सन्दर्भ में शाकटायन[1] का उल्लेख करने मात्र से यह विवाद उत्पन्न हो गया था कि पाणिनि ने स्वतन्त्र रूप में उणादि प्रकरण का निर्वचन नहीं किया, इस विवाद को और अधिक दृढ़ करके नागेश ने भी "लघुशब्देन्दुशेखर" में तन्मूलक व्याख्यान कर सहायता दी। वस्तुतः पतञ्जलि का उद्देश्य यही रहा कि नैरुक्त आचार्य वैयाकरणों में शाकटायन सभी नाम शब्दों को धातुज मानते हैं, वर्तमान पञ्चपादी उणादिसूत्र शाकटायन-प्रोक्त हैं। यह महाभाष्यकार के किसी भी वचन से इंगित नहीं होता कि पाणिनि ने उणादि सूत्र का प्रणयन नहीं किया। उनकी वाक्यावलि से यह अभिव्यञ्जित

१. नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे च तोकम्.. वैयाकरणानां च शाकटायन आह धातुजं नामेति। म.भा.

होता है कि पतञ्जलि के समय में शाकटायन प्रोक्त उणादि सूत्रों का प्रभाव रहा हो, इसके साथ ही यह भी सम्भाव्य है कि पाणिनि से पूर्ववर्ती वैयाकरणों ने उणादि प्रत्ययों पर अवश्य विचार किया हो, किन्तु शाकटायन ने इस सम्बन्ध में कितना विस्तार किया,यह अविदित है। यदि शाकटायन प्रोक्त प्रकरण को समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप में महत्त्व प्रदर्शित करता होता तो पाणिनि अष्टाध्यायी में उनके नाम का उल्लेख कर कोई सूत्र अवश्य प्रणयन करते, जैसाकि उन्होंने अन्यत्र शाकटायन के नाम का उल्लेख किया है। पाणिनि के अनन्तर भी अन्य व्याकरण शास्त्र के प्रवक्ताओं ने पृथक्-पृथक् निर्वचन किया है। यह परम्परा इस प्रकार चलती रही।

औणादि शब्दों के सम्बन्ध में पाणिनि का अभिप्रेत

उणादि प्रकरण के विवेचन से यह प्रतीत होता है कि अव्युत्पन्न शब्दों का धातुज सम्बन्ध स्थिर करने में पाणिनि समन्वयवादी रहे। उनके अनुसार शन्तनु द्वारा प्रतिपादित अव्युत्पन्न प्रातिपदिकों के स्वर ज्ञान के लिये प्रातिपदिक स्वर बोधक लक्षणों को न किये जाने से विभेद उत्पन्न होता। अतः पाणिनि को यदि यह अभीष्ट होता कि उणादि-निष्पन्न शब्द अव्युत्पन्न होते तो वे भी आचार्य शन्तनु के फिट्-सूत्रों के समान प्रातिपदिक स्वर के बोधक लक्षणों की रचना करते, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। आगे चलकर इस समन्वय की भावना को पुष्ट करने में कात्यायन और पतञ्जलि ने सैद्धान्तिक स्वरूप देकर इसे चरितार्थ किया है। उनका यह कथन है कि जहाँ शास्त्रीय दोष उपस्थित होता हो वहाँ उसकी निवृत्ति के लिये अन्य उपाय का आश्रय लिया जाय[1]।

आधुनिक मतमतान्तर

पण्डित **युधिष्ठिर मीमांसक** ने उणादि प्रत्ययों के सम्बन्ध में स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचार विमर्श को अभिव्यक्त करते हुए यह लिखा है कि वे उणादि-निष्पन्न किसी भी शब्द को रूढ़ नहीं मानते, तथा प्रत्येक औणादिक शब्दों को मूलतः शुद्ध यौगिक मानते हैं, और औत्तरकालिक प्रसिद्धि के अनुसार उन्हें योगरूढ़ स्वीकार करते हैं। इसी कारण स्वामी जी ने प्रत्येक औणादिक शब्द की व्युत्पत्ति दिखाते हुए द्विविध अर्थों को दर्शाया है। उनका यह सिद्धान्त उणादि के सम्बन्ध में व्युत्पत्ति पक्ष की ग्राह्यता में अभिनिवेश रखता है।

उणादि प्रत्ययों की सार्थकता

अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय में प्रवचन किये जाने से उणादि प्रत्ययों का सम्बन्ध धातु वाचक शब्दों से निष्पन्न होना विदित होता है, इसी कारण उणादयो बहुलम्

---

१. पक्षान्तरैरपि परिहारा भवन्ति ।। ऋलृक् सूत्र भाष्य।।

(३.३.२) सूत्र कृदन्त प्रकरण से सम्बद्ध होकर धातुज सिद्धान्त की ओर सङ्केत करता है। शाकटायनादि प्राचीन वैयाकरणों ने इसे पृथक् करते हुए स्वतन्त्र रूप में विकसित कर पाणिनि प्रभृति अनेक वैयाकरणों को प्रेरित किया। जिसके फलस्वरूप उणादि प्रकरण भी रूढ़ शब्दों को अभिलक्षित कर उनके अर्थगाम्भीर्य को प्रकाशित करने में समर्थ हुए। इस उपादेयता की सिद्धि के संबंध में पतञ्जलि ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। उणादि का रहस्य 'बहुलम्'[1] पद पर आधारित है। तदनुसार जिन शब्दों का प्रकृति प्रत्यय आदि विशिष्ट स्वरूप लक्षणों से ज्ञात नहीं है, उनमें प्रकृति को देखकर प्रत्यय की ऊहा करनी चाहिये, और प्रत्यय को देखकर प्रकृति की। इसी प्रकार धातु-प्रत्यय-गत कार्य विशेष को देखकर अनुबन्धों का ज्ञान करना चाहिए।

उणादि का स्वरूप :-

उपलभ्यमान सामग्री के अनुसार पञ्चपादी को स्वीकार कर प्रक्रिया ग्रन्थकारों ने उसकी विवेचना की है। तदनुसार उणादि सूत्रों की संख्या ७४७ है, पञ्चपादी में क्रम इस प्रकार है-प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, पञ्चम पाद।

उणादि नामकरण यथार्थ-बोधक है। उसका कारण 'कृवापाजिमिस्वदि साध्यशूभ्य उण्' (उ.१/१) सूत्र मे उण् प्रत्यय का निर्देश होने से समग्र प्रकरण का बोध कराया गया है। आदि ग्रहण करने से अग्रिम प्रत्ययों का अनाम निर्देश हुआ है। उणादि सूत्र प्रत्येक शब्द की साधुता प्रत्यय के योग से सिद्ध करते है। फलतः उनकी दृष्टि में सभी शब्द व्युत्पन्न मान लिए जाते हैं। पाणिनि सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य सभी सम्प्रदायों के प्रवर्तकों ने उणादि पर अपनी लेखनी उठाई है। पाणिनीय व्याकरण में 'पञ्चपादी' के अतिरिक्त दशपादी स्वरूप भी उपलब्ध है। यह विस्तार कालान्तर में हुआ है। व्याख्याताओं के समाकलन में बुद्धि वैशद्य के कारण विस्तार की अपेक्षा विदित हुई हो। अतः प्रङ्गानुसार विषयों के वर्गीकरण द्वारा विभाजन के कारण दशपादी का स्वरूप सामने आया। प्राचीन अविदित व्याख्याताओं ने पञ्चपादी को आधार मानकर दन्त्य वर्ण एवं मूर्धन्य वर्ण के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् विचार कर अध्यायों में वृद्धि कर दशपादी संज्ञा को चरित्रार्थ किया है। वस्तुतः पञ्चपादी के निर्वचन के अतिरिक्त नवीन प्रत्ययों आदि की कल्पना नहीं की गई है।[2] स्पष्ट है कि दशपादी उणादि सूत्रों का पाठ किसी अन्य पुराने पाठ पर आश्रित हो यदि दशपादी का अपना स्वतन्त्र पाठ होता, तो उसका प्रवक्ता

---

१. बाहुलकं प्रकृतेस्तनुदृष्टेः प्रायः समुच्चयनादपि तेषाम्, कार्यसशेषविधेश्च तदुक्तं नैगमरूढिभवं हि सुसाधु, नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम् यन्न पदार्थविशेषसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम् कार्याद्विद्यादनुबन्धमेतत् शास्त्रमुणादिषु/म.भा.३/३/२

२. द्रष्टव्य पं. युधिष्ठिर मीमांसक का संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास।। द्वितीय भाग, पृ. २४६।।

णकारान्त और नकारान्त शब्दों के साधन के लिए पृथक्-पृथक् सूत्रों का ही प्रवचन करता, दोनो का साङ्कर्य न करता।

इससे अतिरिक्त दशमपाद में ऐसे सूत्रों का संकलन है, जिनमें अनेक प्रत्ययों का पाठ उपलब्ध होता है, और वह साधु भी है। यदि दशपादी का भिन्न प्रवचन किया जाता है तो ऐसे अमिश्रित वर्णान्त प्रत्ययों के लिये प्रकीर्ण संग्रह करने की आवश्यकता न पड़ती। अतः, निष्कर्ष यह है कि दशपादी का आधार पञ्चपादी ही है।

दशपादी की विशेषता

पञ्चपादी पाठ को द्विगुणित करने के लिए मूल पाठ कर्ता ने प्रमुख रूप से दो उपायों का अवलम्बन किया है। इन उपायों में से प्रथम के द्वारा कुछ सूत्रों में पाठन्तर की कल्पना की गई है। इस परिकल्पना में अनुवृत्ति दोष का परिहार करने के लिये विस्तार का होना स्वतः सिद्ध है। किन्तु दोष निवारण के लिए सूत्र में न्यासान्तर का आश्रय लिया गया है। इसी प्रकार द्वितीय उपाय के द्वारा अनेक प्रचलित महत्त्वपूर्ण शब्दों के सम्बन्ध में विशेष दृष्टिकोण अपनाया गया है। लोक-प्रचलित 'घर' शब्द प्रायः संस्कृत के 'गृह' शब्द का अपभ्रंश माना जाता है। दशपादी के अनुसार 'घर' शब्द स्वतः व्युत्पन्न होते हुए शुद्ध संस्कृत का ही रूप है।[1] इसके अतिरिक्त क्षीर स्वामी ने 'घर' शब्द को उपायान्तर से भी संस्कृत-मूलक माना है। उन्होंने दुर्गाचार्य का उल्लेख करते हुऐ उणादि परिकल्पित प्रकृति-प्रत्यय की अवधारणा न करते हुए 'घर' को धातु पाठ के अन्तर्गत माना है।[2] केवल इतना ही नहीं कुछ फारसी के शब्द भी शुद्ध संस्कृत से निष्पन्न है। उदाहरणार्थ 'पाक' (पवित्र) जङ्ग (युद्ध)[3] शब्दों के निर्दिष्ट अर्थ में वैदिक प्रयोगों की उपलब्धि होती है। इनके अतिरिक्त पञ्जावी भाषा में प्रयुक्त बरात के अर्थ में जञ्ज शब्द भी युद्ध समानार्थक जजि धातु से ही कुत्वाभाव निपातन से सिद्ध होता है। इसी तरह से 'मच्छ' शब्द संस्कृत का 'मत्स्य' शब्द का अपभ्रंश माना जाता हुआ भी मौलिक सिद्ध किया जा सकता है।[4]

वृत्ति ग्रन्थ

प्रचलित व्याख्या ग्रन्थों में केवल तीन ही व्याख्याकार सम्प्रति प्रसिद्ध हैं। अन्य टीकाकारों के ग्रन्थ अनुपलब्ध होने के कारण लुप्त है। दूसरे टीका ग्रन्थों में कहीं-कहीं

---

१. हन्ते रन् घ च ८/११४. हन् + रन् ।। र-ह = घ।।

२. घर स्रवणे इति दुर्गः घर् + अच् ।। अ।।

३. द्र. युधिष्ठिर मीमांसक कृत 'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग-१ पृ. ५० यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनृतेभिर्वचोभिः ऋग्वेद ७/१०४/८ जङ्ग-जजि(युद्धे) घञ् (अ) नुम आगम तथा कुत्व।

४. क्षीरतरङ्गिणी ४/१०१

उनका नाम उल्लेख होने से इस बात की पुष्टि होती है। उनका परिचय क्रमशः इस प्रकार है -

१. माणिक्यदेव :-

इनका निश्चित समय तो अज्ञात है। किस दशपादी के व्याख्याता माणिक्यदेव हैं ? यह कहना तो कठिन है, किन्तु इसके अन्तिम तीन पादों में उज्जवलदत्त का नाम अङ्कित है। इस आधार पर अधिकतर विद्वान् इस टीका को उज्जवलदत्त की कृति मानते हे। माणिक्यदेव को इस वृत्ति का टीकाकार मानने में सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् आफ्रेक्ट का बृहद्-लेख-सूची ग्रन्थ है। इस आधार को मानकर भिन्न भिन्न मतों के निराकरणार्थ प्राचीन हस्त लेखों का आश्रय लिया गया है। पूना के डेक्कन कालेज के पुस्तकालय में भी सूचीपत्र पर इसका नाम माणिक्यदेव ही उल्लिखित है। प्रथम सप्त पादों के अन्त में लिथो प्रेस द्वारा प्रकाशित संस्करण से भी भ्रान्ति का निराकरण नहीं हो पाया, उसमें भी केवल अन्तिम तीन पादों को उज्जवलदत्त की कृति मानी गई है। किन्तु तञ्जौर के पुस्तकालय में विद्यमान हस्तलेख के आधार पर तथा आफ्रेक्ट के उल्लेखानुसार सूचीपत्र सम्पादक ने इस वृत्ति को माणिक्यदेव की रचना माना है। यद्यपि हस्तलेख के ग्रन्थान्त में कुछ स्थान रिक्त छोड़कर उज्जवलदत्त का नाम उल्लिखित है। फिर भी इतना अवश्य निश्चित है कि दशपादी वृत्ति के रचयिता माणिक्यदेव हैं। उज्ज्वलदत्त की उणादि वृत्ति के व्याख्याता के रूप में भट्टोजिदीक्षित के पूर्व उज्ज्वलदत्त की प्रसिद्धि हो चुकी थी। अतः हस्तलेख की लिपियों तथा लिथो प्रेस ग्रन्थ सम्पादकों ने उज्ज्वलदत्त का नाम जोड़ दिया। मीमांसक जी ने अपने ग्रन्थ में यह भी उल्लेख किया है कि अन्य ग्रन्थ में निर्दिष्ट दशपादी के उदाहरणों के साथ माणिक्यदेव का नाम देखने में नहीं आया परन्तु उसके अभाव में यह नही कहा जा सकता कि दशपादी के वृत्तिकार माणिक्यदेव नहीं हैं। निःसन्देह आफ्रेक्ट के सूची ग्रन्थ में उल्लिखित माणिक्यदेव विश्वासजनक है। इसी प्रकार भाण्डारकर शोध संस्थान के संङ्ग्रह में दशपादी वृत्ति की पुष्पिका में यह स्पष्ट उल्लेख है कि इस वृत्ति के रचयिता माणिक्यदेव हैं। इसमें प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं[१]।

माणिक्यदेव का स्थिति काल भी अनिश्चित ही है। श्री मीमांसक जी ने इनका स्थिति काल ७०० वि.पू. अंकित किया है। किन्तु उन्होंने कोई प्रवल प्रमाण इस सम्बन्ध में नहीं दिया है। माणिक्यदेव के मत का उल्लेख करने में अन्तिम विद्वान् प्रसिद्ध भट्टोजिदीक्षित हैं (वि.सं.१५१०-१५७५), उनसे पूर्व कृष्णलीला शुक मुनि (वि. सं. १३००) तथा हेमचन्द्र (१२वीं शती उत्तरार्ध) एवं क्षीरस्वामी ने भी माणिक्यदेव का उल्लेख किया है। किन्तु

---

१. व्याकरण विषयक सूची (१८३८) संख्या २६३ नं. ग्रन्थ के अनत में निम्न पाठ है-इति उणादिवृत्ती विप्रकीर्णको दशमः पादः, समाप्तावेयमुणादिवृत्तिः, कृतिराचार्यमाणिक्यस्येति, शुभमस्तु।

क्षीरस्वामी के पूर्व किसी विद्वान् की रचना में माणिक्यदेव की वृत्ति की कोई चर्चा नहीं की गयी है। इन ग्रन्थकारों से पूर्व किन्हीं वृत्तिकारों का निर्देश न होने से अत्यधिक प्रचीनता होने में सन्देह बना रहता है। यदि पाणिनि पूर्व शाकटायनादि वैयाकरणों की उणादि सूत्र की वृत्तियों के रचयिता माणिक्यदेव को माना जाय तब इनका स्थिति काल ७०० वि.पू. के लगभग स्थिर किया जा सकता है, किन्तु इसमें कोई प्रबल प्रमाण नहीं मिला है। अतः यह आलोचकों के लिये विचारणीय है।

२. कोई अज्ञात व्याख्याकार-माणिक्यदेव के अतिरिक्त दशपादी वृत्ति के द्वितीय वृत्तिकार अज्ञातनामा है। इस वृत्ति का आधार सरस्वती भवन पुस्तकालय (काशी) में उपलब्ध जीर्ण खण्डित प्रति की विद्यमानता है। मीमांसक जी ने तत्कालीन पुस्तकालय के अध्यक्ष, म.म. पण्डित नारायण शास्त्री खिस्ते के निर्देशानुसार उस प्रति का आज से लगभग २०० वर्ष पूर्व लिपिबद्ध होना स्वीकार किया गया है। इस वृत्ति के रचना के सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि इसका आविर्भाव हेमचन्द्रीय वृत्ति (१२ वीं शती उत्तरार्ध) से पूर्व हो चुका था।

३. विट्ठलार्य-दशपादी वृत्ति के व्याख्याताओं में विट्ठलार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह सुप्रसिद्ध वैयाकरण प्रक्रियाकौमुदी के रचनाकार रामचन्द्र के पौत्र रहे। परम्परागत वैदुष्य का इन पर प्रभाव पड़ना स्वतः सिद्ध है। इनका स्थितिकाल निश्चित[1] है, तथा इनकी दशपादी व्याख्या प्रक्रिया कौमुदी के व्याख्यान का एक अंश हैं यह अंश इस ग्रन्थ के मध्य आये उणादि प्रकरण की व्याख्या है। प्रसाद टीका की एक हस्तलेख प्रति इण्डिया आफिस लाइब्रेरी में सुरक्षित है जिसमें उसका लिपिकाल १५३६ वि.सं. अंकित है। इस आधार पर १५२० वि.सं. से १५३० वि. सं. के मध्य इसकी रचना की गई हो, इनके पिता नृसिंह रहे। विट्ठल ने व्याकरणशास्त्र का अध्ययन शेषकृष्ण के पुत्र रामेश्वर (अपरनाम वीरेश्वर) से किया था। इस प्रसिद्ध रचना के अतिरिक्त इन्होंने दो लघु कृतियाँ 'अव्ययार्थ निरूपणम्' तथा "पाणिनिसूत्रवृत्तिः" भी निर्मित की है।

पञ्चपादी-उणादिपाठ

पञ्चपादी के विवरण-पञ्चपादी की शैली पर विचार करते हुए विद्वानों में दो मत प्रचलित हैं:-

(क) प्रथम शैली में पूर्व पाद के अन्तिम प्रत्यय के साथ द्वितीय पाद के प्रारम्भिक प्रत्यय का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) द्वितीय शैली के अनुसार पूर्व पाद के अन्तिम प्रत्यय का उत्तर पाद के प्रारम्भिक

---

१. वि.सं. १५२०

प्रत्यय के साथ सम्बन्ध रहता है। शतपथ तथा निरुक्त में द्वितीय शैली को ही अपनाया गया है। वह युक्तिसंगत भी है। क्योंकि पूर्व-पर सम्बन्ध के साम्य बिना प्रक्रिया में एकरूपता सम्भव नहीं हो सकती। इस शैली की दृष्टि से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि पञ्चपादी उणादि का स्वरूप मूलरूप में त्रिपादीरूप कभी रहा हो। तदनुसार पहला पाद वर्तमान द्वितीय पाद पर समाप्त होता था, और द्वितीय पाद वर्तमान तृतीय पाद पर अर्थात् पूर्वपाठ के प्रथम में वर्तमान के प्रथम, द्वितीय पाद थे। द्वितीय पाद में वर्तमान तृतीय पाद और तृतीय पाद में वर्तमान चतुर्थ पञ्चम पाद थे।

पञ्चपादी के पाठभेद

पञ्चपादी के व्याख्याताओं के संस्करणों में पाठगत एकरूपता विद्यमान नहीं है। अतः पाठ भेदों के अनुसार पञ्चपादी का सामान्यतः तीन प्रकार का पाठ मिलता है (१) प्राच्य पाठ (२) औदिच्य पाठ (३) दाक्षिणात्य पाठ।

प्राच्य पाठ-इन तीनों में प्राच्य पाठ के प्रसिद्ध टीकाकार उज्जवलदत्त, भट्टोजिदीक्षित, स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रसिद्ध हैं। प्राच्य पाठ का अनुगमन काशिका वृत्ति के द्वारा किया गया है। वहाँ "सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन्" (७/२/६), सूत्र उद्धृत किया गया है। जिसके अनुसार प्राच्य पाठ में "सर्वधातुभ्यः" अंश पाठस्थ है। न्यासकार हरदत्त ने भी प्राच्य पाठ का समर्थन करते हुए सर्वधातुभ्योऽसुन् (६/१/१५७) पाठ द्वारा प्रतिपादित किया।

औदीच्य पाठ- अनुपलब्ध होने के कारण औदीच्य पाठ के सम्बन्ध में विद्वानों ने कुछ नहीं लिखा। केवल क्षीरस्वामी के अमरकोश की टीका तथा क्षीरतरंगिणी के आधार पर प्राप्त उणादि सूत्रों से इतना ही कहा जा सकता है कि काश्मीर निवासी होने से उनका लगाव औदीच्य पाठ से रहा हो।

दाक्षिणात्य पाठ- उपर्युक्त दोनों पाठों के अतिरिक्त दाक्षिणात्य पाठ भी उपलब्ध है। इसके प्रमाण स्वरूप श्वेतवनवासी तथा नारायणभट्ट कृत पञ्चपादी की वृत्तियाँ हैं। ये दोनों महानुभाव दाक्षिणात्य रहे तथा औदिच्य और दाक्षिणात्य वृत्तियों में यत्र तत्र पाठभेद भी विद्यमान है। प्राच्य वृत्तियों में "सर्वधातुभ्य इन्" पाठ है इसके स्थान पर दाक्षिणात्य वृत्तियों में उद्देश्य विधेय गत अन्तर के साथ "इन् सर्वधातुभ्यः" पढ़ा गया है।

प्रमुख व्याख्याता

पञ्चपादी के व्याख्याताओं में पाँच व्याख्याता तो सर्वविदित है इनके अतिरिक्त और भी १३ वृत्तिकार विदित अवश्य हैं, किन्तु उनकी वृत्ति आंशिक रूप में ही विदित हुई है। वे भी प्रसिद्ध वृत्तिकारों के ग्रन्थों में उद्धरण रूप से विद्यमान हैं। उनके स्वतंत्र ग्रन्थ उपलब्ध

नहीं है। इन विद्वानों में गोवर्धन[1] का उल्लेख उज्जवलदत्त तथा भट्टोजिदीक्षित (प्रौढ़मनोरमा) ने अपने ग्रन्थ में किया है।

इनके अतिरिक्त अमरकोश के टीकाकार किसी सुभूतिचन्द्र ने गोवर्धन और पुरुषोत्तमदेव के साथ दामोदर कृत (सं. १२०० वि. से पूर्व) पञ्चपादी व्याख्या का उल्लेख किया है[2]।

दामोदर का उल्लेख भाषावृत्ति के व्याख्याता सृष्टिधराचार्य ने दामोदर सेन के नाम से किया है[3]। इस लेख से इनका बंगवासी होना निश्चित-प्राय है।

उज्जवलदत्त तथा शरणदेव द्वारा दुर्घटवृत्ति में उल्लिखित होने से पुरुषोत्तमदेव की व्याख्या के अस्तित्व के सम्बन्ध में पता चलता है।

विश्वदेव, शब्द की उत्पत्ति की समीचीनता को विचार में रखते हुए विद्याशील (वि.सं. १२५० के निकट) का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है[4]।

पञ्चपादी के अपूर्ण वृत्तिकारों में रामभद्र दीक्षित का परिचय आफ्रेक्ट के बृहत् सूचीपत्र तथा तञ्जौर के पुस्तकालय में प्राप्त हस्तलेख से विदित होता है। यद्यपि प्राप्य अपूर्ण हस्तलेख की सहायता से मुद्रित (१६७२ मद्रास विश्वविद्यालय) अंश के सम्पादक डा. के. कुञ्जनी राजा ने इसकी पूर्णता के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है फिर भी उनके द्वारा सम्पादित संस्करण (केवल दूसरे पाद के ५० वें सूत्र तक) से रामभद्र दीक्षित का अस्तित्व उणादि वृत्तिकारों के संदर्भ में निखरा हुआ दिखाई पड़ता है। तदनुसार उनकी व्याख्या का नाम मणिदीपिका है। उनके पिता यज्ञराम दीक्षित तथा गुरू चोक्कनाथ मखी थे।[5] परिभाषावृत्ति की व्याख्या में रामभद्र ने अपना परिचय दिया है कि वह शाहपुर नाम के अग्रहार का निवासी है।

इस आधार पर इनका समय १७२०-१७६० वि. के लगभग माना जाता है। आफ्रेक्ट ने इनका नाम रामचन्द्र दीक्षित लिखा है। रामभद्र के शिष्य वेङ्कटेश्वर ने भी उणादिनिघण्टुनामक पञ्चपादी वृत्ति लिखकर अपनी गुरू परम्परा को मण्डित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने गुरू द्वारा लिखित पतञ्जलि चरित पर व्याख्या लिखकर पतञ्जलि की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। अतः इनका समय वि.सं. १७६० के आप-पास है।

---

१. सं. १२० वि. से पूर्व.

२. तत्रैव पारायणपरायणेगोवर्धन-दामोदर-पुरुषोत्तमादिभिः विदिभुजिभ्यां विश्वे इति वृत्तिं पठित्वा विश्वं वेत्ति विश्वेवेदाः इति

३. तथा च इह मूर्धन्यान्त एव दामोदरसेनस्य शाब्दिकसिद्धत्वात् ।। ५.१.१..।।

४. यत्तु विद्याशील असिविधौ दिविभुजिभ्यां विश्वे इति पठित्वा विश्वे इति सप्तम्या अलुकि दीव्यतेरसि विश्वेदेवाः इति

५. शेषं द्वितीयमिव शाब्दिकसार्वभौमम्। श्री चोक्कनाथमखिनं गुरुमानतोऽस्मि ।।

इसी प्रसङ्ग में पेरुसूरि (वि.सं. १७६०-१८००) का नाम लेना उचित होगा। इन्होंने अपनी वृत्ति की श्लोकबद्ध रचना की है। कदाचिद् इन्होंने पाणिनीय व्याकरण के "काव्यशास्त्र" (लक्ष्यप्रधान व्याकरण) की शैली का निदर्शन इस पद्यमयी रचना में किया हो। अतः यह रचना "औणादिक पदार्णव" नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने अपने ग्रन्थ में अपना परिचय स्वयं देकर किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखी। सबसे विचित्र बात तो यह है कि इनके माता और पिता दोनों ही "वेङ्कटेश्वर" नाम से अभिहित है। यह वासुदेव अध्वरी के शिष्य रहे। अपनी कृति में इन्होंने अधिकतर भट्टोजिदीक्षित विरचित प्रौढ़मनोरमा तथा सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्या का अनुसरण किया है किन्तु इन्होंने दोनो ग्रन्थकारों का नाम उल्लेख नहीं किया।

पञ्चपादी उणादि वृत्ति के वर्तमान काल में अप्राप्य एवं अप्रसिद्ध रचनाकारों में शिवराम ही ऐसे विद्वान् हैं जिनके सम्बन्ध में अन्तः साक्ष्य ही स्वतः प्रमाण स्वरूप हैं। इन्होंने " उणादि कोष" नामक वृत्ति लिखकर इस परम्परा को विराम दिया है। फिर भी इनकी वृत्ति से उणादि की महत्ता पर प्रकाश पड़ता है। इस संन्दर्भ में इन्होने अपने "उणादिकोष" का उल्लेख कर अपना परिचय दिया है[1]।

आफ्रेक्ट तथा अलवर राज्य के बृहत् सूची पत्र में इनके ग्रन्थ एवं स्थितिकाल निर्दिष्ट हैं। दोनों महानुभावों के अनुसार शिवराम का समय १८५० वि.सं. के निकट है। अलवर सूची के अनुसार इनके पिता का नाम कृष्णराम एवं इनके तीन अग्रज गोविन्दराम, मुकुन्दराम, केशवराम थे।

व्याकरण के अतिरिक्त शिवराम का अन्य शास्त्रों में पाण्डित्य भी अन्तःसाक्ष्य से ही विदित होता है। श्री मीमांसक जी ने उल्लेख किया है कि शिवराम की उणादिवृत्ति (उणादिकोष) काशी से प्रकाशित षट्-कोश-संग्रह में छप चुकी है[2]।

प्रसिद्ध एवं विदित व्याख्याता :

१-सम्प्रति सर्व-विदित पञ्चपादी के व्याख्याताओं में उज्ज्वलदत्त सर्वाग्रणी हैं। उज्ज्वलदत्त का समय १२५० वि.सं. के आसपास निश्चित किया है। इसके प्रमाण स्वरूप सायणाचार्य (वि.सं.१३७२-१४४४) मेदिनीकोषकार (१२ वीं वि. सं. के प्रथम चरण), पुरुषकार कृष्ण लीलाशुक मुनि (सं. १२२५-१३५० सं. के मध्य) आदि विद्वानों द्वारा निर्देश किया जाना ही पर्याप्त है।

---

१. काव्यानि पञ्च नुतयोऽपिः पञ्चसंख्याः टीकाश्च सप्तदश चैक उणादिकोशः।।

२. आफ्रेक्ट अपनी सूची में यह बताते हैं कि यह वृत्ति सन् १८७४ में बनारस में छप चुकी हैं

स्वयं उज्जवलदत्त अपने सम्बन्ध में मौन ही दिखाई पड़ते हैं। यह वंगवासी थे। भट्टोजिदीक्षित के अनुसार वंगदेश में दन्त्योष्ठ उच्चारण भ्रमात्मक होने से अधिकतर "व" के स्थान पर "ब" का ही प्रयोग मिलता है। इसी भ्रम में उज्जवलदत्त ने "वल्गु" शब्द को 'बल्गु' मानकर बल प्राणने धातु से उसे सिद्ध किया है।

इनका अपर नाम जाजलि तथा जेजिलि भी मिलता है। उज्जवलदत्त ने पञ्चपादी पर विस्तृत वृत्ति लिखी है। आफ्रेक्ट ने सर्वप्रथम इस वृत्ति का सम्पादन किया था। यह सम्प्रति उपलब्ध होती है।

२. पञ्चपादी के उत्कृष्ट व्याख्याताओं में श्वेतवनवासी ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है। इन्होंने अपने पूर्वजों के सम्बन्ध में उणादि वृत्ति में उल्लेख किया है। वह स्वयं लिखते हैं कि उनके पूर्वज उत्तर मेरू के निवासी थे। उनके पिता आर्यभट्ट थे, और उनका गोत्र गार्ग्य था। इनका निवास स्थान इन्द्रग्राम समीपवर्ती अग्रहार माना जाता है। प्रकृत ग्रन्थ के सम्पादक टी.आर.चिन्तामणि के अनुसार उत्तर मेरू ग्राम मद्रास के चंगलपट जिले में स्थित है। श्वेतवनवासी का स्थितिकाल अद्यावधि अनिश्चित है। यद्यपि इनके स्थितिकाल के समबन्ध में विक्रम की ११वीं शती से १६ वीं शती का मध्य अंकित किया जाता है। फिर भी मीमांसक जी श्वेतवनवासी को विक्रम की १३वीं शती में स्थिर करते हैं। इस संदर्भ में मीमांसक जी ने श्वेतवनवासी द्वारा कैयट को उद्धृत करना ही प्रवल प्रमाण माना है। उनकी मध्यसीमा सायण (वि.सं. १३७२ - १४४४) तथा अन्तिम सीमा नारायण भट्ट (सं. १६१७ -१७३२ वि.) के ग्रन्थ हैं।

श्वेतवनवासी की वृत्ति दाक्षिणात्य पाठ पर आधारित है यह वृत्ति मद्रास विश्वविद्यालय की संस्कृत ग्रन्थमाला में प्रकाशित हो चुकी है।

३. प्रक्रिया ग्रन्थ के रचयिताओं में भट्टोजिदीक्षित सर्वप्रमुख हैं। सिद्धान्तकौमुदी-प्रकरण- विभाजन का आधार वाक्य है तदनुसार पूर्वार्ध के अन्तर्गत उद्‌देश्य-विधान किये जाने से "नाम" शब्दों की सिद्धि की गई हैं उत्तरार्ध में विधेयगत क्रियावाची शब्दों की निष्पत्ति हुई है। उसी सन्दर्भ में पूर्वकृदन्त तथा उत्तर- कृदन्त के मध्य "उणादयो बहुलम्" सूत्र के आधार पर उणादिपाठ को अभिलक्षित कर भट्टोजिदीक्षित ने प्राच्य पाठ को आधार मानकर व्याख्या की है। इनका समय वि.सं. १५७०-१६५० के मध्य विद्यमान रहा। भट्टोजिदीक्षित ने उणादि प्रत्ययों के सम्बन्ध में अपने "पूर्ववर्ती" वैयाकरणों के विचारों पर दृष्टिपात करते हुए कुछ सिद्धान्तों की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने भाष्यकार पतञ्जलि द्वारा निर्दिष्ट शाकटायन के द्वारा पाणिनि के पूर्व लिखित उणादि प्रकरण के सम्बन्ध में काशिका में उल्लिखित उणादि प्रत्ययों की उपयोगिता को मान्यता दी है। दीक्षित ने उणादि प्रत्ययों के सम्बन्ध में प्रकृति बोधक शब्दों की ओर उदारता व्यक्त करते हुए तत्सदृश समानार्थक अन्य शब्दों की सिद्धि की ओर संकेत किया है। दीक्षित जी के

अनुसार "बहुल" पद की व्यापकता के कारण शब्दमहार्णव को पार करने का यही एक मात्र साधन है। इस सिद्धान्त को वामन जयादित्य ने उनसे पूर्व प्रतिपादित कर दिया था[1]।

४. आगे चलकर विचारकों में श्रेष्ठ नागेश भट्ट ने शेखर में शब्द-शक्ति के अनुसार दीक्षित के सिद्धान्त को पुष्पित कर हृदयग्राही बना दिया है। नागेश का कथन है कि अधिकतर उणादि शब्द रूढ़ एवं अवयव शून्य होते हुए भी काल्पनिक प्रकृति प्रत्ययार्थ मानकर साधु समझे जाते हैं। इन प्रत्ययों में कालगत प्रतिबन्ध भी आने नहीं पाया। इस प्रकार उणादि शब्द स्वार्थ को छोड़ते हुये भी स्वगत मौलिकता को नहीं छोड़ते। अतः उनकी स्थिति जहदजहल्लक्षणा के समान है। नागेश भट्ट ने वामन जयादित्य के अनन्तर विद्यमान महाभाष्य व्याख्याता कैयट के मत की ओर संकेत करते हुये उणादि प्रत्ययों के प्रवचनकर्ता को शास्त्रान्तर का कर्ता स्वीकार किया है। यह संकेत शाकटायन की ओर है। इस हेतु उनके अनुसार उणादि प्रत्ययों के मूलकर्ता शाकटायन रहे हो। किन्तु अष्टाध्यायी के समानान्तर उणादि प्रकरण पाणिनि द्वारा ही पठित है। उसकी व्याख्या पञ्चपादी के अनुसार भट्टोजिदीक्षित ने की है। उनकी व्याख्या में सूत्र को अभिलक्षित कर प्रकृति प्रत्यय की समष्टि से रूप सिद्धि समाविष्ट है। जहां कहीं प्रक्रिया में अपूर्णता रहती है वहां निपातन आदि से उसकी पूर्ति कर शब्द सिद्धि की गई है। उन्होंने अपनी प्रौढ़मनोरमा में इसका विस्तार किया है, जिसका अधिकांश भाग ज्ञानेन्द्र सरस्वती (१५५०-१६००) ने सिद्धान्तकौमुदी की टीका में व्याख्यान रूप से ग्रहण किया है। इस प्रसंङ्ग में मीमांसक जी द्वारा उल्लिखित नीलकण्ठ वाजपेयी का नाम भी स्मरणीय है। वाजपेयी जी (सं. १६००-१६७५) ने सुखबोधिनी नामक वृत्ति लिखी, जिसका अपर नाम वैयाकरणसिद्धान्तरहस्य भी है। इस वृत्ति का उल्लेख स्वयं ग्रन्थकार ने परिभाषावृत्ति में किया है। अन्य रामानन्दादि व्याख्याताओं के सम्बन्ध में सिद्धान्तकौमुदी के प्रकरण में यथास्थान निर्देश किया गया है।

५. पञ्चपादी के साम्प्रतिक व्याख्याकार स्वामी दयानन्द सरस्वती का मत भी अवश्य विचारणीय है। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर वृत्ति लिखी है। उसी प्रसङ्ग में "उणादिकोष" भी लिखा है। इसका आधार पञ्चपादी है। सरस्वती जी ने उणादयो बहुलम् (३.३.१) सूत्रस्थ "बहुल" शब्द के सम्बन्ध में पतञ्जलि द्वारा अभिप्रेत व्याख्यान को ग्रहण कर अपना विचार प्रारम्भ किया है। उन्होंने इस पर विवेचना करते हुये विषय को इस रूप में व्यक्त किया है। उनका कथन है कि महाभाष्यकार के मत में वेद में रूढ़ शब्द नहीं है। दूसरों शब्दों में पतञ्जलि वैदिक शब्दों को यौगिक तथा योगरूढ़ मानते है। इसी प्रसङ्ग में पतञ्जलि ने शाकटायन के मत में सभी शब्दों को धातु से निष्पन्न माना है। यास्क का मत भी यही है। महाभाष्यकार के इस निर्देश के अनुसार सभी औणादिक शब्द यौगिक अथवा

---

१. संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे। कार्याद्विद्यादनुबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु।। काशिका ३.३.१

योगरूढ़ भी है। इतना ही नहीं, उणादिपाठ में स्थान स्थान पर संज्ञायाम् पद का निर्देश होने से अन्तःसाक्ष्य से भी यही विदित होता है कि समपूर्ण औणादिक पद रूढ़ नहीं हैं अन्यथा स्थान-स्थान पर 'संज्ञायाम्' पद का निर्देश न करके उणादयो बहुलम् (३.३.१) सूत्र मे ही संज्ञायाम् पद पढ़ दिया जाता। इसलिए उणादिवृत्तिकार का कर्तव्य है कि वह दोनो पक्षों का समन्वय करता हुआ प्रत्येक औणादिक पद का यौगिक, योगरूढ़ तथा रूढ़ अर्थों का निर्देश करें। प्राचीन सभी वृत्तियों में औणादिक शब्दों को रूढ़ मानकर ही अर्थ निर्देश किया है।

लेकिन सरस्वती जी ने प्राचीन उणादि शब्दों को केवल रूढ़ न मानकर यौगिक तथा रूढ़ दोनों प्रकार के अर्थों का निर्देश किया है। तदनुसार वेद में प्रयुक्त "कारू" "पायु" आदि शब्दों के अर्थ क्रमशः "कर्ता" रक्षक भी है। पतञ्जलि तथा यास्क के अनुसार यौगिक हैं न कि केवल रूढ़ अर्थ शिल्पी, गुदेन्द्रिय हैं। इस प्रकार का अभिप्राय स्वामी जी ने भी दर्शाया है।

स्वामी जी ने उणादि वृत्ति को वैदिक एवं लौकिक उभयरूपात्मक निर्वाचित किया है। इस दृष्टि से उनका दृष्टिकोण इसके सम्बन्ध में व्यापक रहा है। उन्होंने तो इसे स्वल्पाक्षरा ग्रहण किया है किन्तु उपयोगिता की दृष्टि से इसका महत्त्व बहुत अधिक है।

इस वृत्ति का सम्पादन संवत् २००२ में मीमांसक जी ने स्वयं किया था, २०३१ में धमार्थ ट्रस्ट (करनाल) द्वारा इसका फिर प्रकाशन हुआ था।

उणादि की परिक्रमा

लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व शाकटायन प्रभृति विचारकों द्वारा शब्द निष्पत्ति की इस यात्रा ने उणादि रूप में प्रारम्भ होकर अनेक वृत्तिकारों द्वारा परिचरित होती हुई शाब्दिक प्रक्रिया को समर्थ बनाने में अपनी सार्थकता सिद्ध की है। सार्थक शब्दों के लिए यौगिक एवं धातुज सिद्धान्तों को मानने हेतु यही एक मात्र समन्वय मार्ग है। पाणिनि ने इसी हेतु अपनी अष्टाध्यायी के खिलपाठ के रूप में इसे समाविष्ट करना सर्वथा युक्तिसंगत माना। इस कारण उनके बाद विभिन्न साम्प्रदायिक वैयाकरणों ने इस परम्परा का अनुसरण करने में श्रेयस् समझा।

५. लिङ्गानुशासन-प्रक्रम

शब्दानुशासन के साथ ही लिङ्गानुशासन भी जुड़ा हुआ है। आरम्भ में प्राणियों के मिथुन को आधार मानकर लोक में पुंस्त्व तथा स्त्रीत्व विषयक जिज्ञासा के निवारणार्थ शब्दशास्त्र में लिङ्ग विषयक निर्णय करने हेतु प्रयास समुचित रहा। व्याकरण शास्त्र में स्त्रीत्व बोधक कतिपय प्रत्ययों का समावेश कर इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से नहीं हो सका। इस संबंध में "स्त्रियाम्" (४.१.३) अधिकार को अभिलक्षित कर पतञ्जलि

ने महाभाष्य में लिङ्ग विषयक विचार किया है। उन्होंने यह कहा है कि शब्दरूप- प्रक्रिया में 'ङीप्' प्रत्ययान्त तथा प्रातिपदिकों से विभक्तियाँ संयुक्त होती है। ङीबन्त तथा आबन्त शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिङ्ग में ही होता है।

अतः यह जिज्ञासा होती है कि व्याकरण शास्त्र में शब्दों की लिङ्ग व्यवस्था का विनिगमक क्या है ? प्राचीन वैयाकरणों ने इस विषय पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया है। भाषा के विकास के साथ ही आरम्भ में शब्दों का लिङ्ग निर्धारण लौकिक लिङ्ग के आधार पर ही हुआ होगा। लोक में शारीरिक विशेषतायें (अवयवसंस्थान) ही पुरुष और स्त्री के भेद को बतलाते है। इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए "स्त्रियाम्" (४.१.३) सूत्र के आरम्भ में महाभाष्यकार ने इन श्लोकवार्तिकों पर विचार किया है।-

स्तनकेशवती स्त्री स्याल्लोमशः पुरुषः स्मृतः ।
उभयोरन्तरं यच्च तदभावे नपुंसकम् ।।
लिङ्गात् स्त्रीपुंसयोर्ज्ञाने भ्रूकुंसे टाप् प्रसज्यते ।
नत्वं खरकुटीः पश्य खट्वावृक्षौ न सिध्यतः ।।
नापुंसकं भवेत् तस्मिन् तदभावे नंपुसकम् ।
असत्तु मृगतृष्णावत् गन्धर्वनगरं यथा ।
आदित्यगतिवत्सन्न वस्त्रान्तर्हितवच्च तत् ।
तयोस्तु तत्कृतं दृष्टवा यथाकाशेन ज्योतिषः ।।
अन्योन्यसंश्रयं त्वेतत् प्रत्यक्षेण विरुद्ध्यते ।
तटे च सर्वलिङ्गानि दृष्टवा कोऽध्यवसास्यति ।।
संस्त्यानप्रसवौ लिङ्गमास्थेयौ स्वकृतान्ततः ।
संस्त्याने स्त्यायतेर्ड्रट् स्त्री सूतेः सप् प्रसवे पुमान् ।
तस्योक्तौ लोकतो नाम गुणो वा लुपि युक्तवत् ।।

इसके अनुसार स्तन, केश आदि स्त्रीत्व के प्रतीक हैं, तथा रोम आदि पुंस्त्व के प्रतीक हैं। इन दोनों के सादृश्य का अभाव नपुंसकत्व का लक्षण माना जा सकता है। किन्तु स्त्री और पुरुष के विशेष शारीरिक चिन्हों के आधार पर भाषा में लिङ्ग व्यवस्था का सर्वथा निर्वाह होना सम्भव नहीं है। उदाहरणार्थ भ्रकुंस (स्त्रीवेशधारी नट) में स्तन आदि शारीरिक चिह्न देखे जाते है। इस आधार पर स्त्रीत्व-बोधक प्रत्यय होना चाहिये। इसी तरह "खरकुटी" (नापितगृह) में लोमसम्बन्ध के कारण पुंस्त्वद्योतक प्रत्यय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन विशेष चिह्नों के आधार पर लिङ्ग व्यवस्था मानने से अचेतन पदार्थो में लिङ्ग व्यवहार का कोई रास्ता नहीं रह जाता। "खट्वा" में कौन सी स्त्रीगत विशेषता है कि स्त्रीत्व माना जाय ?

इसी प्रकार "मृगतृष्णा" में जल नहीं है, किन्तु जिस तरह वहाँ जल की सत्ता न रहते हुए भी चेतनगत लिङ्ग का अध्यास हो जाता है, उसी तरह अचेतन पदार्थों में लिङ्ग चिह्न न रहते हुए भी चेतन गत लिङ्ग का अध्यास क्यों न हो ? मृगमरीचिका में तो सादृश्य के आधार पर जल का आरोप हो जाता है किन्तु खट्वा आदि अचेतन पदार्थो में स्त्री-पुरुषगत लिङ्ग का कोई सादृश्य न होने से आरोप भी सम्भव नहीं है। इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि जिस तरह वस्त्र से ढकी वस्तु का ज्ञान नहीं होता उसी तरह खट्वा आदि अचेतन पदार्थो में भी लिङ्ग का प्रत्यक्ष नहीं होता। इस विषय पर पतञ्जलि ने भी कहा है- कभी-कभी वस्तु की सत्ता होने पर भी उसकी अनुपलब्धि रहती है। इसके अनेक कारण हैं-(१) अत्यधिक सामीप्य (२) अति विप्रकर्ष, (३) मूर्त्यन्तर व्यवधान, (४) तमसावृत, (५) इन्द्रिय दौर्बल्य, तथा (६) अति प्रमाद आदि। अतः वैयाकरण लौकिक स्त्री-पुरुष लिङ्गबोधक चिह्नों के आधार पर शास्त्रीय लिङ्ग की व्यवस्था स्वीकार नहीं करते।

इस प्रकार शाब्दिकों के लिङ्ग विषय के सिद्धान्त के प्रतिपादन की आवश्यकता को देखकर शब्दतत्त्वदर्शी विद्वानों ने अपनी लेखनी उठाई। महर्षि पाणिनि ने इस अंग की पूर्ति के लिए प्रकृति तथा प्रत्ययों के आधार पर लिङ्ग निर्णय कर इस विषय को सर्वाङ्गपूर्ण बनाया है। अधिकतर यौगिक शब्दों में प्रत्ययार्थ ही प्रधान होता है। लिङ्गानुशासन का इतिहास भी उतना ही पुराना है। जितना आकाशदेशस्थ शब्द इस हेतु प्रायः प्रत्येक शब्दानुशासन के प्रवक्ता की लिङ्गानुशासन के सिद्धान्त को प्रतिपादन करने की प्रवृत्ति हुई। कहीं-कहीं इसका अपवाद भी देखा गया है। इनमें वामन और हर्षवर्धन प्रमुख है। इन दोनों ने शब्दशास्त्र का प्रवचन न करते हुए भी केवल लिङ्गानुशासन का ही प्रवचन किया है।

लिङ्गानुशासन का प्रवचन पाणिनि पूर्व भी कुछ आचार्यो ने भी किया था। उनमें शन्तनु और व्याडि उल्लेखनीय है। शन्तनु का अपर नाम शन्तनवाचार्य भी विदित होता है। इस नाम से उनके द्वारा प्रवर्तित "फिट् सूत्र" भी प्रसिद्ध हैं। जिनकी उपयोगिता वैदिक स्वरों में अधिक देखी गई है[1] इनकी प्राचीनता के सम्बन्ध में मदभेद है। अभ्यकंकर जी ने शान्तनव के सन्देह का केवल एक कारण यह दिया है कि पाणिनि का उल्लेख शान्तनव द्वारा कहीं कहीं हुआ है। मीमांसक जी के मतानुसार इनका समय वि. सं. १००० पूर्व के लगभग है। इनके ग्रन्थ का स्वरूप ज्ञात नहीं है।

व्याडि :

लक्षश्लोकात्मक सङ्ग्रह ग्रन्थ के कर्ता व्याडि का लिङ्गानुशासन भी अति विस्तृत होना स्वाभाविक है। इनके परवर्ती तीन प्रवक्ताओं हेमचन्द्र, वामन तथा हर्षवर्धन ने

---

१. इसकी पुष्टि हर्षवर्धनीय-लिङ्गानुशासन के सम्पादक वे. वेङ्कटराम शर्मा के उपोद्घात (पृ. ३४) में की गई है।। मी. इ. पृ. २७४।।

अपने-अपने ग्रन्थ में प्रमाण पूर्वक इनका उल्लेख किया है। इनका ग्रन्थ सूत्रात्मक होते हुए भी विस्तृत रहा[1] ये सभी विद्वान् व्याडि की बहुज्ञता पर सहमत हैं[2]।

पाणिनि :

पाणिनीय तन्त्र में पञ्चाधिकारों में लिङ्गानुशासन सर्वान्त में समाविष्ट हुआ है। लिङ्गानुशासन में पाँच अधिकार वर्णित है। इनके नाम क्रमशः (१) स्त्र्यधिकारः (२) पुंलिङ्गाधिकारः (३) नपुंसकाधिकारः (४) स्त्रीपुंसाधिकारः (५) पुंनपुसंकाधिकारः है। ये सभी अधिकार सूत्ररूपात्मक हैं तथा इनका विस्तार क्रमशः ३४, ८३, ५२, ५ तथा १४ सूत्रों में किया गया है। कुल संख्या १८८ है। पाणिनीय लिङ्गानुशासन का आधार उनकी अष्टाध्यायी है। सर्वप्रथम स्त्रीलिङ्गवाची शब्दों का निर्वचन करने में पाणिनि ने स्त्रियाम् (४.१.३) अधिकार को उपलक्षण माना है। इस प्रकरण के अन्तर्गत स्त्रीत्वद्योतक रहते जिन प्रत्ययों का वर्णन किया है, उन प्रत्ययों को सभी प्रकृति वाचक शब्दों के साथ समाविष्ट कर उसकी पूर्ति की है। अष्टाध्यायी में दीर्घ आकारान्त स्त्रीप्रत्यय 'टाप्' 'डाप्' तथा 'चाप्' हैं। इसी प्रकार दीर्घ ईकारान्त प्रत्यय भी तीन ही हैं- ङीप्, ङीष्, ङीन्। इनके अतिरिक्त दीर्घ ऊकारान्त प्रत्यय केवल एक ही है ऊङ् इन प्रत्ययों के साथ ही अन्त में युवन् शब्द से 'ति' प्रत्यय कर केवल युवति शब्द को सिद्ध कर विशेष विधान किया हैं इस समाकलन के अतिरिक्त 'तद्धित' तथा कृत्प्रत्ययान्त शब्दों के स्त्रीवाची शब्द का उन प्रकरणों में कोई विधान न होने से इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए लिङ्गानुशासन प्रकरणों में उनका समावेश कर स्त्रीलिङ्गवाची शब्दों को सीमित कर दिया है। अन्यथा वाग्धारा शब्दों को कहाँ बहा ले जाती। स्त्रीवाची प्रत्ययान्त शब्दों के समान आकृति-परक शब्दों के अपवादस्वरूप पुल्लिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग वाची शब्दों का पार्थक्य दिखलाकर पाणिनि ने अनेक स्थलों पर सन्देह का निराकरण कर दिया है।

पुंलिङ्ग विधान में पाणिनि ने पुमान् अधिकार सूत्रों द्वारा अष्टाध्यायी के अन्तर्गत अधिकतर कृदन्त प्रत्ययों तथा तद्धित प्रत्ययों को पृथक्-पृथक् समाकलित कर पुलिंङ्गवाची शब्दों की मर्यादा स्थापित की हैं। पुंलिङ्गवाची शब्द अधिकतर नामबोधक तथा भावबोधक होते हैं। उनमें विशेषता बतलाने के लिए जिन प्रत्ययों का समावेश होता है। कभी कभी वे प्रत्यय असमर्थ होते हुए उसके विपरीत बोध कराते हैं। इस पार्थक्य का पुलिङ्गाधिकार में निर्वचन कर पाणिनि ने पुलिंङ्गवाची शब्दों का निर्धारण कर दिया है।

---

१. वामनीय लिङ्गानुशासन ।। पृ.२।। -पूर्वाचार्यैः व्याडिप्रमुखैः लिङ्गानुशासनसूत्रैरुक्तं ग्रन्थविस्तारेण च।। द्र. मीमांसक जी का इतिहास प्रकृतप्रकरण।।

२. व्याडेः शंकर-चन्द्रयोर्वररुचेर्विद्यानिधेः पाणिनेः हर्षवर्धन द्रष्टव्य-सस्कृत शास्त्रों का इतिहास पृ. ५६१ (शङ्कु) पुंसि व्याडिः, स्त्रियां वामनः, पुन्नपुंसकोऽयमिति बुद्धिसागरः-हेमचन्द्राचार्यः।

क्रमप्राप्त 'नपुंसकम्' (११८) के अन्तर्गत लगभग ५१ सूत्रों में आये हुए कृत्प्रत्ययान्त तथा संज्ञा शब्दों के अतिरिक्त अन्य तद्धित प्रत्ययान्त शब्दों के नपुंसक-लिङ्ग स्वरूप का परिचय दिया गया है। इस प्रकरण में भी अपवाद स्वरूप लिङ्ग का विधान करते हुए यत्र-तत्र उभय लिङ्गवाची शब्दों का भी यथा नियम प्रवचन हुआ है।

लिङ्गानुशासन निर्वचन करने की एक विशेष विधा और देखी गई हैं। उस विधा के अनुसार कुछ ऐसे शब्द भी लोक में प्रचलित हुए है जो उभय लिङ्गों में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को स्त्रीपुंस तथा पुंनपुंसक की द्वन्द्वात्मक संज्ञा दी गई है। अतः स्त्रीपुंसाधिकार में सङ्कलित शब्द प्रधान रूप में स्त्रीलिङ्गवाची होते हुए भी पुंलिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं। अतः इसी विधान के अनुसार प्रधानार्थ में प्रयुक्त क्लीबवाची शब्द पुलिङ्ग में भी अपना स्थान बनाये रखते है।

लिङ्गानुशासन की रीति का अनुसरण कोषकारों ने किया है। उन्हें इस प्रकरण से बड़ी प्रेरणा मिली है। अमरकोषादि ग्रन्थों के निर्माताओं ने अपने ग्रन्थ में उन पूर्व आचार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है[1]।

व्याख्याकार :

सूत्र रूप में प्रवचन होने के कारण पाणिनि कृत लिङ्गानुशासन की व्याख्या करने के लिये अनेक विद्वान् अग्रसर हुए। प्रयोगविधि का बाहुल्य प्रदर्शन करना व्याख्याकारों का प्रमुख उद्देश्य रहा। अतः प्रक्रिया ग्रन्थ की परम्परा में लिङ्गानुशासन के व्याख्याता सफल हुए। अधिकतर उन्हीं व्याख्याताओं ने ही विशद रूप में इस प्रकरण पर सफलता पाई। उनमें कुछ व्याख्याताओं का नाम शेष ही रह गया है। उनकी कृतियां उपलब्ध नहीं है। ऐसे व्याख्याताओं में भट्ट उत्पल तथा रामानन्द (वि.सं. १६८०-१७२०) उल्लेखनीय हैं। इनमें से भट्ट उत्पल के सम्बन्ध में व्याख्याता होने का उल्लेख हर्षवर्धन के लिङ्गानुशासन के सम्पादक वे. वेंकटराम शर्मा ने अपनी भूमिका में किया है। इनकी कृति अप्राप्य ही है। दूसरे विद्वान् रामानन्द की कृति सिद्धान्तकौमुदी की टीका का एक भाग है। इनकी सिद्धान्तकौमुदी की टीका केवल हलन्त स्त्रीलिंग तक लिपिबद्ध मिलती है। रामानन्द त्रिपाठी के पिता मधुकर त्रिपाठी भी उत्कृष्ट शैव-दर्शन के विद्वान् थे। रामानन्द जी दाराशिकोह के गुरू थे। दाराशिकोह ने इन्हें विविधविद्याचमत्कारपारङ्गत पदवी से विभूषित किया था। इनके उपदेशानुसार दाराशिकोह ने उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। रामानन्द ने संस्कृत तथा हिन्दी में अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया। दाराशिकोह की मृत्यु के बाद

---

१. समाहृत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः। सम्पूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम्।।
प्रतिज्ञा श्लोक अ.को.।।

विह्लचेता त्रिपाठी जी ने पद्यचतुष्टयी के द्वारा अपना शोक प्रकट किया था। शाहजहाँ के समकालीन होने के कारण त्रिपाठी जी पण्डितराज जगन्नाथ के समकालीन थे। इनके प्रपितामह पण्डित दिवाकर त्रिपाठी गोरखपुर मण्डल से विद्याध्ययन के निमित्त काशी आये और काशी में ही पाण्डित्य अर्जन कर यहीं के निवासी बन गये। इनका पूरा परिवार ही सरस्वती का आराधक एवं लक्ष्मी का अनुग्रहभाजन था। इन्होंने वृद्धावस्था में संन्यास ले लिया था। तब इनका नाम पड़ गया-ज्ञानानन्द। इन्होंने काशी में लक्ष्मीकुण्ड के समीप ही कालीमठ की स्थापना की। जहां आज भी भगवती काली जी की दिव्य मूर्ति विराजमान है। तन्त्रविषयक स्तोत्रों में आद्यास्तवराज, श्यामास्तवराज तथा बगलामुखीस्तवराज पूर्णतः उपलब्ध होते हैं। इनके तन्त्रविषयक अन्य ग्रन्थों के नाम है आकाशवासिनी-सपर्या, असितादिविद्यापद्धति, कालरात्रि-विधानम् (१७३५ विक्रमी -१६७८ ई. में लिखित) तथा गुह्यसोढा-विवरणम्। तन्त्र शास्त्र के अतिरिक्त आपकी रचनायें विविध शास्त्र में उपलब्ध हैं। साहित्यिक रचना में (१) रसिक-जीवनम् (२) पद्यपीयूषम् (३) रामचरितम् (४) शशाङ्क शतकम् तथा काशी-कौतूहल अधिक प्रसिद्ध है। हास्यरस के भी आप सिद्ध कवि थे। इनका वंश काशी में आज भी विराजमान है। इस वंश में पण्डित कमलापति त्रिपाठी राजनीति एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध हुए तथा करुणापति त्रिपाठी ने संस्कृत परम्परा को अक्षुण्ण रखा।

लिङ्गानुशासन की व्याख्याओं के सातत्य में प्रक्रिया कौमुदी कार रामचन्द्राचार्य भी सहभागी रहे। अष्टाध्यायी के उपांगस्वरूप लिंगानुशासन को अभिव्यक्त किये बिना प्रक्रिया कौमुदी अपूर्ण ही रह जाती। इनका समय वि.सं. १४८० के लगभग हैं।

प्रक्रिया ग्रन्थकारों में भट्टोजिदीक्षित ने लिङ्गानुशासन की व्याख्या दो ग्रन्थों में की है। इनमें से प्रथम शब्दकौस्तुभ में द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के लिङ्ग प्रकरण में की हैं। दूसरे सिद्धान्तकौमुदी के अन्त में। इन दोनों में से सिद्धान्तकौमुदी की अपेक्षा शब्दकौस्तुभ की व्याख्या अधिक विस्तृत है। सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्या में शब्दकौस्तुभ के साथ साम्य दिखाई पड़ता है। शब्दकौस्तुभ में तो अधिकतर व्याकरणशास्त्र के प्राचीन मौलिक ग्रन्थों का प्रभाव विद्यमान है। महाभाष्य के उद्धरणों द्वारा विभिन्न लिङ्गगत ग्रन्थियों को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है। भाष्यकार के अतिरिक्त अष्टाध्यायी के वृत्तिग्रन्थों में प्रसिद्ध काशिका ग्रन्थ की छाया दीक्षित जी की व्याख्या में प्रतिबिम्बित हुई है। सिद्धान्तकौमुदी की पूर्णता लिङ्गानुशासन प्रकरण के साथ हुई है।

भट्टोजिदीक्षित के अनन्तर उनके समानान्तर विद्वान् नारायण भट्ट ने अपने प्रक्रिया सर्वस्व में लिङ्गानुशासन पर अच्छा विचार किया। उनकी वृत्ति, रामचन्द्राचार्य तथा भट्टोजिदीक्षित की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तृत है। नारायण भट्ट ने प्रायः उभयलिङ्ग तथा त्रिलिङ्गात्मक शब्दो के सम्बन्ध में पार्थक्य की भूमिका पर अधिक विचार किया है। दीक्षित

जी की अपेक्षा शब्दों के लौकिक स्वरूप की झाँकी नारायण भट्ट ने अधिक विन्यस्त की है। इसका कारण यह है कि नारायण भट्ट ने पाणिनीयेतर शब्दों की परिक्रमा कर अपनी इस वृत्ति को अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया है।

आधुनिक विद्वानों में न्यायशास्त्र के सुप्रसिद्ध विद्वान् पं. तारानाथ तर्कवाचस्पति भी पाणिनीय लिङ्गानुशासन की वृत्ति लिखने में प्रवृत हुए। स्वभावतः इनकी शैली न्यायशास्त्र से अनुप्राणित है। विश्लेषण करने की क्षमता स्वभावतः होने में कोई आश्चर्य नहीं। विभिन्न लिङ्गों के शब्दों में लौकिक प्रयोगों की अधिकता पर बल देते हुए वाचस्पति महाशय ने न्यायशास्त्रानुसार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्भव दोषों का निराकरण करते हुए निर्दोष लक्षण की प्रवृत्ति द्वारा शब्दों में सङ्गति सिद्ध की है।

केवल पाणिनीय लिङ्गानुशासन की वृत्ति लिखने से ही विद्वानों को परितोष नहीं हुआ। वह युग ऐसा था कि वृत्तियों पर व्याख्या लिखी जाय। अतः पण्डित भैरव मिश्र इस लोभ का संवरण न कर सके और उन्होंने भट्टोजी की वृत्ति पर पृथक् व्याख्या लिख दी। इनके पिता भवदेव मिश्र थे। इन्होंने स्वयं को अगस्त्य वंशज बताया है। इनका काल वि. स. १८५०-१६०० के मध्य में था। इनके पिता भी बड़े विद्वान् रहे। भैरव मिश्र की वृत्ति भट्टोजिदीक्षित के आशय को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वृत्ति के आरम्भ में और अन्त में भैरव मिश्र ने इस बात का निदर्शन प्रस्तुत किया है। उन्होंने शब्दों के भिन्न लिङ्गों में अनेक तर्क प्रस्तुत किये है। जिनका आधार लौकिक भूमि है[1] लिङ्गानुशासन की वृत्ति का उपसंहार करते हुए भैरव मिश्र ने बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने महाभाष्य का आधार लेकर यौगिक शब्दों के लिङ्ग संबंधी निर्णय करने में लोक प्रामाण्य पर बल दिया है। इसके सिवाय एक शब्द विभिन्न लिङ्गो की प्राप्ति होने पर लिङ्ग नियामक कोई दूसरा नहीं हो सकता था[2]।

अन्यलिङ्गानुशासन प्रवक्ता

पाणिनीय लिङ्गानुशासन के अतिरिक्त अन्य विद्वानों द्वारा प्रोक्त लिङ्गानुशासन-सम्बन्धी ग्रन्थों का विवरण भी प्राप्त है। इनमें सर्वप्रथम अमरसिंह का अवदान उल्लेखनीय है। पारम्परिक आठ वैयाकरणों में अमरसिंह का नाम तो अवश्य विदित है। किन्तु इनके द्वारा रचित व्याकरण का पूर्णरूप देखने में नहीं आता। अमरसिंह का नामलिङ्गानुशासन संस्कृत जगत में प्रख्यात है। एक पारम्परिक श्लोक के अनुसार अमरसिंह विक्रमादित्य के

---

१. शब्दशक्तिस्वभावेन कस्यचित्सर्वलिङ्गप्रतिपादकता, कस्यचिदेकलिङ्गकता, कस्यचिदद्विलिङ्गयुक्तार्थ प्रतिपादकता चेति।। लिङ्गानुशासनम् सि.कौ. भैरव मिश्र टीका।।

२. लोकव्युत्पत्यैव तत्तल्लिङ्गाभिधानसिद्धत्वात् अत एव "लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य" इति भगवता भाष्यकृतोक्तम्।

नवरत्नों में समाविष्ट रहे हैं। किन्तु उनकी कोई रचना अभी तक सामने नहीं आई है। वर्तमान प्रसिद्ध कोषकार अमर सिंह का बौद्धमतावलम्बी होना विख्यात है। उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध को ही मंगलाचरण के रूप में स्मरण किया हे। आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार अमरसिंह का समय लगभग २२५ इस्वी (वि. सं. २८२) है। अमरसिंह ने स्वकीय अमरकोष के तृतीय काण्ड के पाँचवे वर्ग में लिङ्गादिसंग्रह किया हे। अमरसिंह ने सर्वप्रथम इस वर्ग के आरम्भ में प्रथम श्लोक द्वारा ही यह अवबोध कराया है कि सन् आदि प्रत्यय, कृत् प्रत्यय तद्धित प्रत्यय समासान्त प्रत्ययों से प्रभावित होते हैं। विभिन्न लिङ्गों के बोधक शब्दों का चयन इस वर्ग में किया गया है।

"सलिङ्गशास्त्रैः सन्नादिकृत्तद्धितसमासजैः।
अनुक्तैः संग्रहे लिङ्गं संकीर्णवदिहोन्नयेत्।।'

इस कथन के अनन्तर अमरसिंह के क्रम प्राप्त स्त्रियाम् अधिकार के प्रतीकात्मक स्त्रीप्रत्ययान्त शब्दों का निर्वचन आठ श्लोकों में करने के उपरान्त पुलिङ्ग अधिकार के अन्तर्गत शब्दसाम्य होने पर विविध प्रत्ययों के साथ वैषम्य दिखलाते हुए लिङ्ग पार्थक्य का सुष्ठु विवेचन दश श्लोकों में किया है।

उपान्त में पुंनपुंसक अधिकार के विवेचन में उभयलिङ्ग शब्दों का स्वरूप समान होने पर भी विभेद का कारण भानुदीक्षित ने स्पष्ट करते हुए अमर सिंह की पाणिनीय परम्परा को विदित कराया है। यह विधान अमर सिंह ने १५ श्लोकों में सम्पुटित कर दिया है। इसी के मध्य शुद्ध नपुंसकलिङ्ग का अनुसरण भी सम्मिलित कर दिया है। सर्वान्त में स्त्रीपुंस तथा स्त्रीनपुंसक शब्दों पर प्रकाश डालते हुए तृतीय काण्ड का समापन किया है। इस काण्ड के अन्त में षट्संज्ञक शब्द, सर्वनामवाची युष्मद्‌अस्मद् शब्दों तथा तिङन्त शब्दों में तीनों लिङ्ग समानरूप में ही प्रयुक्त होते हैं। अवशिष्ट शब्दों में भी शिष्ट परम्परा के अनुसार लिङ्गो के प्रयोग की प्रामाणिकता स्वीकार की गई है। यही महाभाष्यकार सम्मत सिद्धान्त है "लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य"।

अमरसिंह के कोष को यदि व्याकरण के स्वरूप में देखा जाय तो उन्हें वैयाकरण कहने में कोई संकोच नहीं। कोष ग्रन्थों में समानार्थक शब्दों का तात्त्विक दृष्टि से निर्वचन किया जाता है। प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची अन्य शब्दों का समाकलन सिद्ध शब्दों की प्रकृति

---

१. लिङ्गविधानसहितानि यानि सूत्राणि ।। शास्त्राणि।। स्त्रियांक्तिन् ।। ३.३.९४।। पुंसि संज्ञायां घः प्राणेय ।। ३.३.११८।। नपुंसके भावे क्तः ।। ३.३.११४।। स नपुंसकम्।। २.४.१७।। अदन्तोत्तरपदोद्विगुः स्त्रियाम्।। वा.२.४.३०।। इत्यादीनि सन्नादिर्येषां क्यजादीनां ते सन्नादयश्च कृतश्च तद्धिताश्च समासाश्च जायन्ते येभ्यो यैर्वा, तानि शास्त्राणि तैरिहास्मिन्वर्गे, संगृह्यन्ते लिङ्गान्यस्मिन्-प्रकृत श्लोक पर भानुदीक्षित की टीका।

प्रत्ययात्मक विश्लेषण करना है। केवल पर्यायवाची शब्दों के संकलनमात्र से ही कोषकार सन्तुष्ट नहीं होता, अपितु उन शब्दों का लिङ्ग विषयक निश्चयात्मक ज्ञान कराना भी है। इस दृष्टि से अमर कोष ने व्याकरण शास्त्र की परम्परा को श्लोकबद्ध कर एक मौलिक स्वरूप दिया है। इस बात का संकेत अमरसिंह ने अमर कोष में ही दे दिया है:-

> समाहृत्याऽन्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः।
> संपूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम्।।
> प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित्।
> स्त्रीपुंनपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविधेः क्वच्चित्।।

लिङ्गानुशासन के अन्यप्रवचनकर्ता

लिङ्गानुशासन के प्रवचन की परम्परा चलती रही। इनमें से अधिकतर विद्वानों ने पद्यबद्ध रचनायें भी की है। जिनमें से कुछ रचनायें पूर्ण मिलती हैं किन्तु अधिकतर रचनायें संक्षिप्त एवं अपूर्ण ही प्राप्त होती हैं ऐसे विद्वानों में (१) देवनन्दी, (२) शंकर (३) हर्षवर्धन (४) दुर्गसिंह (५) वामन (६) पाल्यकीर्ति (७) बुद्धिसागर (८) हेमचन्द्रसूरि (६) वोपदेव (१०) हेलाराज (११) रामसूरि (१२) वेङ्कटरङ्ग आदि उल्लेखनीय है। इन ग्रन्थकारों की रचनायें क्रमशः इस प्रकार विदित है।

(१) **देवनन्दी**- इनका उल्लेख वामन ने अपने लिङ्गानुशासन में किया है व्याडिप्रणीतमथ वाररूचं सचान्द्रम् जैनेन्द्रलक्षणगतं विविधं तथाऽन्यत् (लोक)।

(२) **शङ्कर**- हर्ष ने अपने लिङ्गानुशासन के अन्त में शंकर के नाम का इस प्रकार उल्लेख किया है-

> व्याडेः शङ्करचन्द्रयोवररूचेर्विद्यानिधेः पाणिनेः।
> सूक्ताँल्लिङ्गविधीन् विचार्य सुगमं श्रीवर्धनस्यात्मजः।।

(३) **हर्षवर्धन**-इनका लिङ्गानुशासन जर्मन भाषा में अनुदित हो चुका है और अनुवादक डा. फ्राङ्के (डी.एम. फ्राके) है। हर्षवर्धन का मूलग्रन्थ अनुवादक होने के पश्चात् पं. वेङ्कटराम शर्मा द्वारा सम्पादित होकर मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ। प्रकृतग्रन्थकार महाराज हर्ष से भिन्न व्यक्ति है। नाम साम्य से भ्रम अवश्य होता है, किन्तु हर्षवर्धन कृत लिङ्गानुशासन के टीकाकर्ता को प्रेरित करने में ग्रन्थकार की अभ्यर्थना किये जाने के यत्न स्वरूप इनका भिन्न व्यक्ति होना ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में मीमांसक जी ने सम्पादक का यह तर्क प्रस्तुत किया है। फिर भी मीमांसक जी इससे सहमत नहीं हैं।

(४) **दुर्गसिंह**-दुर्गसिंह का लिङ्गानुशासन कातन्त्र व्याकरण पर आधारित है। स्वयं ग्रन्थकार ने ही इसकी व्याख्या रची है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन डेक्कन कालेज पूना से हुआ है। इनका काल वि.सं. ७०० के आसपास है।

(५) **वामन**-वामनकृत लिङ्गानुशासन ३३ कारिकाओं में गुम्फित है। स्वोपज्ञ व्याख्या से विभूषित यह रचना अतिसङ्क्षिप्त है। अलंकार सूत्र के प्रणेता वामन से यह भिन्न है। लिङ्गानुशासनकार वामन ने अपने ग्रन्थ में वि.सं. के नवम शतक के अनन्तर किसी विद्वान् का उद्धरण नहीं दिया है।

(६) **पाल्यकीर्ति**- पाल्यकीर्ति का लिङ्गानुशासन भी पद्यबद्ध है। इसके ७० श्लोक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें शाकटायन वृत्ति के अन्त में सम्मिलित कर प्रकाशित किया है। (मद्रास) मीमांसक जी ने इनका काल वि.सं. ८०१-६२४ तक दिया है।

(७) **बुद्धिसागर**-इनके अस्तित्व के सम्बन्ध में आचार्य हेमचन्द्र ही प्रमाण स्वरूप है। उन्होंने स्वयं लिङ्गानुशासन स्वोपज्ञ विवरण में अनेकत्र बुद्धिसागर का मत उद्धृत किया है[1]।

(८) **हेमचन्द्र सूरि**-हेमचन्द्रसूरि का लिङ्गानुशासन सबसे विस्तृत है। इसमें भिन्न भिन्न छन्द युक्त १३८ श्लोक हैं इनके लिङ्गानुशासन पर अनेक विद्वानों ने व्याख्याएँ लिखी है। जिनमें स्वयं हेमचन्द्र, कनकप्रभ, जयनन्द सूरि, केसरविजय तथा वल्लभमणि प्रमुख है।

(९) **वोपदेव**- वोपदेव के मुग्धबोध पर शोध प्रबन्ध सम्पादिका डा. शन्नोदवी ने अपने प्रबन्ध में वोपदेव कृत लिङ्गानुशासन पर विस्तार के साथ विचार किया है। उनके अनुसार वोपदेव कृत लिङ्गानुशासन-सम्बन्धी सूत्रों का संकलन गिरीशचन्द्र विद्यारत्न ने किया है।

(१०) **हेलाराज**-हेलाराज नामक विद्वान् का उल्लेख सायणाचार्य कृत माधवीय धातुवृत्ति में मिलता है। इसके अतिरिक्त भट्टोजिदीक्षित ने भी प्रौढ़मनोरमा में हेलाराज को लिङ्गानुशासन के प्रवक्ता के रूप में स्मरण किया है।[2] प्रकृत ग्रन्थकार वाक्यपदीय के टीकाकार से भिन्न है।

(११) **रामसूरि**-रामसूरि ने भी इस दिशा में प्रयास किया है। विदित होता है कि बालकौमुदी नामक ग्रन्थ के अन्त में क्रम प्राप्त लिङ्गानुशासन पर भी विचार किया है। इस भाग को रामसूरि ने लिङ्गनिर्णयभूषण नाम से पृथक् रूप दिया है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन् १६०६ इस्वी (वि.सं.१६६६) में श्री अनन्ताचार्य ने सम्पादित कर सुलभ कराया (सुदर्शन प्रेस, काञ्ची)।

---

१. मन्थः गण्डः पुन्नपुंसकोऽयमिति बुद्धिसागरः। जठरं त्रिलिङ्गोऽयमिति बुद्धिसागरः।

२. प्रौढ़ मनोरमा चौखम्भा (प्र.) भाग-२,पृ५७६ मीमांसक जी द्वारा व्या. शा० का इति. पृ. २६७

(१२) **वेङ्कटरङ्ग**-वेंकटरङ्ग ही एक मात्र ऐसे विद्वान् हैं जिनका ग्रन्थ "लिङ्गप्रबोध" प्रकाश में नहीं आया है किन्तु उनकी यह रचना अडीयार पुस्तकालय में सुरक्षित है। व्याकरण के पाँच पादों में लिङ्गानुशासन का निर्वचन सर्वान्त में किये जाने की परम्परा युक्तिसंगत है। पद-सिद्धि होने पर ही अर्थ की दृष्टि से लिंग बोध उसका अनुगमन करता है। अतः सन्देह का निराकरण करने के लिए शास्त्रीय दृष्टि से एवं लोकाश्रय का अविरोध सूचित करते हुए प्रवचन कर्ताओं ने इस समस्या का समाधान विभिन्न रूप में दर्शाया है।

(ख) लक्ष्य-प्रधान काव्यशास्त्रकार

संस्कृत वाङ्मय में काव्य के माध्यम से शास्त्रीय पदार्थों का निर्वचन करने की परम्परा रामायण एवं महाभारत काल से चली आ रही है। इस परंपरा को परिष्कृत एवं उज्जीवित रखने के लिए व्याकरण-शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाने की दृष्टि से संस्कृत-भाषा के अनेक कवियों ने व्याकरणात्मक-काव्यों की रचना की है। इन कवियों का प्रमुख उद्देश्य व्याकरणशास्त्र के नियमों की जटिलता को दूर कर सरल एवं बोधगम्य बनाना रहा है। इसके विपरीत पाश्चात्य शिक्षाविद् व्याकरण को काव्य से सर्वथा दूर रखते हैं। उनकी सम्मति में व्याकरण की शिक्षा का माध्यम गद्यात्मक भाषा ही हो सकती है, काव्य नहीं। वे उसका कारण यह बतलाते हैं कि व्याकरण के शिक्षण से काव्य की सरसता और मधुरिमा लुप्त हो जाती हैं। काव्य को माध्यम बनाकर व्याकरण शास्त्र की शिक्षा देने वाले काव्यों को क्षेमेन्द्र ने अपने 'सुवृत्त तिलक' में "काव्यशास्त्र" की संज्ञा दी है। यह नाम ऐसे काव्यों के लिए सार्थक है, क्योंकि एक ओर तो इन काव्यों में वास्तविक काव्य गुणों का समावेश किया गया है। तो दूसरी ओर शास्त्रीय नियमों का प्रयोगों द्वारा निर्वचन किया गया है।

विद्वानों ने इस परम्परा का प्रवर्तन करने में पाणिनि का ही स्मरण किया है। उनके द्वारा लिखित "जाम्बवती विजय" काव्य ही व्याकरणात्मक काव्यों की परम्परा को प्रशस्त करने में अग्रसर हुआ है। इसके कतिपय प्राप्त श्लोकों को आधार मानकर विद्वानों को यह कहने का साहस हुआ है। पाणिनि ने इस महाकाव्य में श्रीकृष्ण के पाताल लोक में जाकर जाम्बवती के विजय और विवाह की कथा का वर्णन किया है। यद्यपि पीटर्सन तथा भाण्डारकर प्रभृति विद्वान् इसे पाणिनि की रचना नहीं मानते किन्तु जाम्बवती-विजय निःसन्देह पाणिनि की ही रचना है। इस सम्बन्ध में राजशेखर, श्रीधरदास, क्षेमेन्द्र आदि विद्वानों द्वारा कवि के रूप में पाणिनि का नाम उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा। तथापि इनसे भी प्राचीन महाराज समुद्रगुप्त द्वारा विरचित "कृष्णचरित्र" में वाररूच काव्य के सन्दर्भ में वररूचि कात्यायन को पाणिनि कवि का अनुसरण करने वाला कहा गया है:-

न केवलं व्याकरणं पुपोष दाक्षीसुतस्येरितवार्तिकैर्यः।
काव्येऽपि भूयोऽनुचकार तं वै कात्यायनोऽसौकविकर्मदक्षः

इसके अतिरिक्त पतञ्जलि ने भी पाणिनि को कवि स्वीकार किया है। (महाभाष्य १.४.५१)

"ब्रु विशासिगुणेन च यत् सचते तदकीतितमाचरितं कविना।"

आगे चलकर बारहवीं शताब्दी के विद्वान् पुरुषोत्तम देव ने "भाष्यवृत्ति" एवं उनके बाद शरणदेव ने अपने ग्रन्थ "दुर्घटवृत्ति" में भी जाम्बवतीविजय को सूत्रकार पाणिनि का काव्य मानकर उद्धृत किया है। "जाम्बवतीविजय" में कम से कम १८ सर्ग रहे होगें सम्प्रति २६ ग्रन्थों में इस महाकाव्य के उद्धरण प्राप्त हुए हैं जिनका संकलन पं. रामचन्द्र शर्मा गुलेरी ने "दुर्घटवृत्ति, भाषावृत्ति", गणरत्न महोदधि, सुभाषितावली में उपलब्ध नयें छः उद्धरणों के साथ २८ उद्धरण "नागरी प्रचारिणी पत्रिका काशी"[1] में भाषानुवाद सहित प्रकाशित किया था। क्रमबद्ध रचना न मिलने के कारण प्रकृत महाकाव्य के गठन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। तदनन्तर अनेक प्राचीन वैयाकरण इस दिशा में अग्रसर रहे। इनमें सर्वप्रथम व्याडि हैं -

व्याडि

यह महामुनि व्याकरणशास्त्र में संग्रहकार के रूप में सुविदित हैं। फिर भी अनेक प्रमाणों से इन्हें भी व्याकरणात्मक काव्य का रचयिता माना गया है। इस सम्बन्ध में भी समुद्रगुप्त के कृष्ण चरित काव्य की उक्ति स्मरणीय है जिसके अनुसार व्याडि ने भी "बलरामचरित" काव्य की रचना की थी -

रसाचार्यः कविर्व्याडिः शब्दब्रह्मैकवाङ्मुनिः।
दाक्षीपुत्रवचोव्याख्यापटुर्मीमांसकाग्रणीः (१६)
बलचरितंकृत्वा यो जिगाय भारतं व्यासं च।
महाकाव्यविनिर्माणे तन्मार्गस्य प्रदीपमिव (१७)

वररूचि कात्यायन

उपर्युक्त परम्परा को पल्लवित करने में कात्यायन भी पीछे नहीं रहे। कृष्णचरित के अनुसार इनकी रचना **"स्वर्गारोहण"** काव्य के नाम से प्रसिद्ध रही। आचार्य वररूचि के अनेक श्लोक शार्ङ्गधर पद्धति, सदुक्तिकर्णामृत और सुभाषितरत्नावली आदि अनेक ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं।

पतञ्जलि

इनकी काव्यमयी रचना "महानन्द" काव्य के नाम से कृष्णचरित में उल्लिखित है। उसकी प्रशंसा करते हुए वहाँ इस प्रकार कहा गया है -

महानन्दमयं काव्यं योगदर्शनमदभुतम्।
योगव्याख्यानभूतं तद् रचितं चिन्त्तदोषहम्।।

---

१. नया संस्करण भाग १, खण्ड।

भट्टि

काव्यशास्त्र की परम्परा में सर्वाग्रणी महाकवि भट्टि की रचना भट्टिकाव्य के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है। इसकाव्य का मुख्य नाम "रावणवध" है। इसकी रचना स्वयं ग्रन्थकार के अनुसार श्रीधरसेन के राज्यकाल में सौराष्ट्र की वल्लभी नगरी में हुई। गुप्त साम्राज्य के पतन होने पर वल्लभी के नरेशों ने पण्डितों को आश्रय दिया। यद्यपि वल्लभी में श्रीधर सेन नामक चार नरेश हो चुके हैं फिर भी अधिकतर विद्वानों के मतानुसार श्रीधर सेन द्वितीय (५७१ ई.) महाकवि भट्टि के आश्रयदाता रहे। इसके अनुसार भट्टिमहाकाव्य का रचना-काल वि.सं.६४५-४६ (५८८-८६ ई.) के पूर्व माना जाता है। इसमें यह प्रमाण दिया जाता है कि श्रीधरसेन द्वितीय के द्वारा प्रसारित एक शिलालेख में किसी "भट्टि" नामक विद्वान् को कुछ भूमिदान देने का उल्लेख किया गया है। किन्तु ध्रुवसेन प्रथम के ताम्रपत्रों में राज्य के विरूद्ध-वर्णन-प्रसङ्ग में "दीनानाथोपजीव्यमानविभवः परममाहेश्वरः सेनापतिर्धरसेनः" उल्लेख मिलता है। इसकी पुष्टि भट्टिकाव्य के अन्तिम पद्य द्वारा होती है। उक्त पद्य में राजा श्रीधर सेन को "प्रजानां क्षेमकरः" उपाधि से मण्डित किया गया है। अतः अधिकतर विद्वान् अब भट्टि को श्रीधरसेन प्रथम (लगभग ४६० ई.) का समकालीन मानते हैं।

इस काव्य का आधार वाल्मीकि रामायण है। राम के जन्म से राम के राज्याभिषेक तक रामायण-कथा को भट्टि ने २२ सर्गों में निबद्ध किया है। भट्टि का ध्येय काव्य के इतिवृत्त पर विशेष ध्यान देना नहीं है, किन्तु व्याकरणसम्मत शुद्ध प्रयोगों का निदर्शन करना है। महाकवि ने इस २२ सर्गों को चार काण्डों में विभक्त किया है-(१) प्रकीर्ण काण्ड, (२) अधिकार काण्ड, (३) प्रसन्न काण्ड एवं (४) तिङन्त काण्ड।

(१) इनमें से पाँच सर्ग प्रकीर्णकाण्ड के नाम से विख्यात हैं। इस काण्ड में रामजन्म से लेकर राम प्रवास तथा सीताहरण तक कथा वर्णित है। व्याकरण के नियमों की दृष्टि से प्रथम चार सर्ग योजनाबद्ध नहीं हैं। इस भाग में तथा प्रसन्नकाण्ड में भट्टि की कवित्वशक्ति का अच्छा परिचय मिलता है। पञ्चम सर्ग के अधिकतर पद्य प्रकीर्ण हैं। केवल दो स्थलों पर क्रमशः "ट" प्रत्यय (टाधिकार ९७-१००) तथा आम् अधिकार (१०४-१०७) के प्रयोगों का संकेत मिलता है।

(२) अग्रिम ६, ७, ८ तथा ९ सर्ग अधिकारकाण्ड के नाम से प्रख्यात हैं। इन चार सर्गों में सुग्रीवाभिषेक, सीतान्वेषण, अशोकवाटिकाभङ्ग तथा मारूतिसंगम की कथा वर्णित है। इस भाग में भी अनेक पद्य प्रकीर्ण हैं। अधिकारकाण्ड में प्रमुख रूप से क्रियाओं के प्रयोग सम्बन्धी नियमों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(३) तीसरा प्रसन्नकाण्ड अलङ्कारशास्त्र से सम्बद्ध होने से सर्वथा सार्थक है। इसके अन्तर्गत १०, ११, १२, तथा १३ सर्ग आतें हैं।

(४) चौथे तिङन्तकाण्ड में यथानाम संस्कृत व्याकरण के लौकिक (वैदिक रहित) नौ लकारों का विरूपण है। इस संदर्भ में १४वें सर्ग से लेकर २२ वें सर्ग तक एक-एक सर्ग में एक-एक लकार का प्रायोगिक दिग्दर्शन है।

उपर्युक्त निर्वचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि (१) भट्टि ने प्रतिपाद्य विषय न होने से वैदिक प्रकरण को बिल्कुल छोड़ दिया है। (२) लौकिक प्रयोगों में भी लोक में प्रचलित महत्त्वपूर्ण उदाहरणों तक ही उन्होंने अपने काव्य को सीमित रखा है। (३) इसी प्रकार उन्होंने सूत्रों के प्रत्युदाहरणों एवं वार्तिकों पर भी विचार नहीं किया है। (४) इन बातों के साथ ही संज्ञा तथा प्रत्याहारों के सूत्रों का निदर्शन न कर भट्टि ने लाघव दिखाया है। (५) इसीप्रकार उदाहरणों की पुनरावृत्ति के भय से अध्याहार-सूत्रों को भी यथा-सम्भव छोड़ दिया गया है। (६) निपातन-शब्दों का प्रयोग भी अधिकतर छोड़ दिया गया है। (७) धातुओं के प्रयोग करने में भी लोक-प्रचलन पर अधिक ध्यान दिया गया है। समानार्थक अनेक धातुओं में एकका उदाहरण देकर गौरव से बचने का पूरा प्रयास किया गया है। (८) एक ही धातु में समानार्थक अनेक प्रत्ययों के विधान-स्थलों में केवल एक प्रत्यय के वर्णन तक ही सीमित रखा है। (९) अनेक उपपदों के साथ एक धातु में एक अथवा अनेक प्रत्यय संयुक्त होने की स्थिति में अधिकतर प्रसंगोचित एक उपपद का उदाहरण देकर उस सूत्र की सार्थकता सिद्ध की गई है। (१०) इसी प्रकार धातुओं की लम्बी सूची में भी लोकोपयोगी धातुओं के उदाहरणों का प्रदर्शन किया गया है। (११) कारक स्थलों में भी अनेक पदों का आश्रय लेकर होने वाली विभक्तियों में केवल एक पद को अभिलक्षित कर विभक्ति का उदाहरण देकर शेष पदों के प्रयोग की सार्थकता अध्येता व्युत्पत्ति-परीक्षण के लिये छोड़ दी गई हैं।

भट्टि के अनन्तर अनेक वैयाकरणों ने अपने प्रक्रिया-ग्रन्थों में भट्टि द्वारा दिये गये उदाहरणों की युक्तता एवम् अयुक्तता पर विचार किया है। अधिकतर विद्वानों ने उनके उदाहरणों को प्रमाणभूत मानकर उन्हें सार्थक बताया है। इस प्रकार भट्टि ने "काव्यशास्त्र" द्वारा पाणिनि-व्याकरण की शिक्षा देने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। महाकवि भट्टि इस परम्परा के प्रवर्तक माने जाते हैं। भट्टिकाव्य के बाइस सर्गों में १६२४ श्लोक हैं। वैदर्भी रीति एवं प्रसादगुणोपेत कविता से कवि ने काव्य की उपादेयता सिद्ध की है। भट्टिकाव्य संस्कृत की उस महाकाव्य-परम्परा की ओर संकेत करता है, जिसमें महाकाव्यों के द्वारा व्याकरण के नियमों का प्रदर्शन करना ही कवि का ध्येय रहा है।

भट्टिकाव्य को और सरल बनाने के लिये प्राचीन और नवीन विद्वानों ने इस पर टीकाग्रन्थ लिखे। प्राचीन टीकाकारों में व्याख्यासार टीकाकार अज्ञातनामा है और नौ टीकाकार ज्ञातनामा हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है-

१. जयमङ्गला टीका के रचयिता-जटीश्वर-जयदेव-जयमंगल (सं. १२२६ से पूर्व)
२. सुप्रसिद्ध मल्लिनाथी के रचयिता मल्लिनाथ (सं. १२६४ वि. आसपास)
३. दीपिका अथवा जयमंगला के टीकाकार जयमंगल।
४. व्याख्यानन्द नाम्नी टीका रामचन्द्र शर्मा नामक विद्वान् ने स्वोपद्य व्याकरण के अनुसार लिखी है।
५. भट्टिचन्द्रिका व्याख्या के रचयिता विद्याविनोद।
६. सौपद्म व्याकरण के अनुसार भट्टिकाव्य के दूसरे टीकाकार कन्दर्प नामक विद्वान् भी प्रसिद्ध हुए हैं।
७. कलाप व्याकरण के अनुसार भट्टिकाव्य की व्याख्या लिखने में पुण्डरीकाक्ष-विद्यासागर अग्रसर हुए।
८. भट्टिबोधिनी नामक व्याख्या के कर्त्ता हरिहर ने भी अपना योगदान किया।
९. भरतसेन ने मुग्धबोध व्याकरण का आश्रय ले भट्टिकाव्य को पल्लवित किया।

इन नौ टीकाकारों के अतिरिक्त वर्तमान काल में तीन टीकाकार प्रसिद्ध हैं, जिनमें से जीवानन्द विद्यासागर ने संस्कृत में अपनी टीका लिखी। वर्तमान युग में छात्रों की सुविधा को देखते हुए पं. शेषराज शर्मा (१९७० ई. के आसापास) तथा पं. गोपाल शास्त्री "दर्शनकेशरी" ने संस्कृत एवं हिन्दी-दोनों भाषाओं में टीकाऐं लिखकर इस ग्रन्थ को सरल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि उदाहरणों की सिद्धि सूत्रों का उल्लेख करते हुए वाच्य-परिवर्तन का भी समावेश कर दिया। (१९४७ ई. के आसापास)।

भट्ट भौम/भट्ट भूम/भूमक

इस परम्परा को विकसित करने में भट्टि के बाद वर्तमान शताब्दी के मध्य तक अनेक कवि हो चुके हैं जिनमें भट्ट भौम या भूमक (७०० ई.) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके द्वारा विरचित रावणार्जुनीय महाकाव्य में २७ सर्ग हैं। प्रकृत महाकाव्य में कार्तवीर्य तथा रावण के युद्ध का वर्णन विद्यमान है। इस महाकाव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अष्टाध्यायी के सूत्रों का यथाक्रम अनुसरण कर उदाहरणों का प्रदर्शन किया गया है। वैदिक प्रकरण के उदाहरणों को इन्होंने भी छोड़ दिया है। इस महाकाव्य का प्रकाशन १९००ई. में निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से हुआ था।

हलायुध

भट्ट भौमक के अनन्तर इस परम्परा को पल्लवित करने का श्रेय हलायुध कवि को मिला। इनकी रचना का नाम कविरहस्य है। इस काव्य में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय

की प्रशस्ति के व्याज से धातु रूपों का प्रदर्शन किया गया है।[1] प्रकृत काव्य में लगभग ३०० श्लोक हैं। कवि हलायुध राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय (९४४-९५३) के समकालिक थे। क्षेमेन्द्र के द्वारा उल्लिखित होने के कारण इनका समय दसवीं शताब्दी का मध्यभाग निश्चितप्राय है।

हेमचन्द्र (सं. ११४५-१२२९ वि.)

व्याकरणात्मक महाकाव्य केवल पाणिनि, सौपद्म, मुग्धबोध आदि व्याकरणों को अभिलक्षित कर ही संकुचित नहीं रह सके, किन्तु प्राकृत व्याकरण की सीमा में भी प्रविष्ट हुए। ऐसे लेखकों में हेमचन्द्राचार्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने कुमारपाल चरित काव्य की रचना की है। चालुक्यवंशी नरेश कुमारपाल के चरित को निबद्ध कर व्याकरणात्मक काव्य के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की। आचार्य हेमचन्द्र ने स्वीय शब्दानुसाशन के संस्कृत और प्राकृत दोनों प्रकार के लक्षणों के लक्ष्यों को दर्शानें के लिए यह महाकाव्य लिखा है। इसके प्रारम्भ के २० सर्ग संस्कृत में हैं, और अन्त में ८ सर्ग प्राकृत में, इसलिए इसे द्वयाश्रय काव्य भी कहते हैं। आचार्य हेमचन्द्र का निर्वाण सं. १२२९ में ८४ वर्ष की आयु में हुआ। इनके देशकाल के सम्बन्ध में ऐतिहासिक अभिव्यक्ति अन्यत्र प्रसिद्ध है।

व्याकरण के क्षेत्र में हेमचन्द्र ने पाणिनि, भट्टोजिदीक्षित और भट्टि का कार्य अकेले ही किया है। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, के साथ प्रक्रिया और उदाहरण के द्वारा संस्कृत शब्दानुशासन सात अध्यायों में और प्राकृत शब्दानुशासन एक अध्याय में, इस प्रकार कुल आठ अध्यायों में अपने अष्टाध्यायीशब्दानुशासन को समाप्त किया है।

वासुदेव

वासुदेव कवि द्वारा विरचित वासुदेवविजय काव्य लघु होते हुए भी उपादेय है। इनमें केवल तीन सर्गों में ही पाणिनीय अष्टाध्यायी के क्रम को अभिलक्षित कर लौकिक उदाहरणों के सिद्ध रूप प्रदर्शित किये गए हैं। समग्र अष्टाध्यायी के सूत्रों को चार भागों में विभक्त किया गया है।

(१) प्रथम तथा द्वितीयाध्यायात्मक,
२. तृतीयाध्यायात्मक
३. चतुर्थ-पञ्चमाध्यायात्मक
४. षष्ठ, सप्तम एवं अष्टमाध्यायात्मक।

---

१. एक उदाहरण द्रष्टव्य है-धूनोति चम्पकवनानि धुनोत्यशोकं चूतं धुनाति धुवति स्फुटितातिमुक्तम्। वायुर्विधूनयति चम्पकपुष्परेणून् यत्कानने धवति चन्दनमञ्जरीव।। इसी प्रकार समग्रग्रन्थ में सभी धातुओं के रूपों का प्रदर्शन किया गया हैं।

कवि के सम्बन्ध में प्रकृत काव्य के उत्तरभाग-स्वरूप धातुकाव्य की टीका के आरम्भ में नारेरी नारायण भट्ट ने सूचित किया है कि वासुदेव कवि ने केरल प्रदेश के पुरवन ग्राम में जन्म लिया था। केवल तीन सर्गों में समग्र लोकोपयोगी अष्टाध्यायी के सूत्रों का समावेश करने से इनके व्याकरण शास्त्र के पाण्डित्य का सहज अनुमान किया जा सकता है। प्रकृत ग्रन्थ भी "काव्यमाला" अष्टम गुच्छक (निर्णय सागर प्रेस, बम्बई) में प्रकाशित हो चुका है (१९१५ ई.)। इनका समय निर्धारण करने में कठिनाईयाँ हैं। ग्रन्थकार ने किसी भी प्रकार से कोई संकेत नहीं दिया है। किन्तु अनेक विद्वानों का मत है कि "युधिष्ठिर विजय" और "वासुदेव विजय" दोनों काव्यों के प्रणेता एक ही व्यक्ति हैं। तदनुसार ये दोनों काव्य एक दूसरे के पूरक हैं राजानक रत्नकण्ठ द्वारा विरचित युधिष्ठिर विजय की टीका का समय १६७१ ई. है। अतः वासुदेवकवि इनसे प्राचीन हैं। १६०० ई. के आसपास इनकी स्थिति रही होगी।

नारायण भट्ट

धातुकाव्य में नारायण भट्ट ने धातुपाठ (भीमसेन प्रणीत) के क्रमानुसार (माधवीय धातुवृत्ति) १९४४ धातुओं के उदाहरण अत्यन्त चमत्कारिक ढंग से प्रदर्शित किये हैं।[1]

यह काव्य चार सर्गो में विभक्त है। कथानक भागवत से लिया गया है। अक्रूर की यात्रा का वर्णन करते हुए कंसवध पर्यन्त कथानक के व्याज से नारायण भट्ट ने धातुरूपों का आदर्श प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। ये नारायण भट्ट प्रक्रियासर्वस्वकार से अभिन्न हैं, ऐसा अधिकतर विद्वान् मानते हैं।

मोहन भट्ट

इन प्रकाशित ग्रन्थों के अतिरिक्त भट्टिमहाकाव्य के समान मोहन भट्ट ने भी "कंसवध" महाकाव्य की रचना की है, जो अद्यावधि अप्रकाशित है। इसकी लिखित प्रति "रॉयल एशियाटिक सोसायटी" पुस्तकालय (बम्बई) में सुरक्षित है। अन्तिम सर्ग का कुछ अंश खंडित है। इस महाकाव्य में प्रक्रिया ग्रन्थानुसारी वर्गीकरण करते हुए प्रकरण विभाग के अनुसार व्याकरण-शास्त्र का निर्वचन किया गया है। प्रकृत महाकाव्य में भी २१ सर्ग हैं, जिनमें श्रीकृष्ण की जीवनकथा आरम्भ से लेकर कंसवध-पर्यन्त वर्णित है। कथानक के व्याज से सन्धि (६२ श्लोक) सुबन्त, (२३३ श्लोक) कारक (१२५ श्लोक) समास (६० श्लोक तद्धितप्रकरण (२३३ श्लोक) समाविष्ट है।

---

१. स गान्दिनीभूरथगोकुलैषितं स्पर्धालुधीगाधित कार्यबाधितम्।
द्रक्ष्यन् हरिं नाथितलोकनाधकं देधे मुदा स्कन्दितमन्तरिन्द्रियम्।। (आरम्भिक श्लोक)

२१वाँ सर्ग अपूर्ण है। उपान्त्य पृष्ठ के १५० वें श्लोक के बाद अन्तिम पृष्ठ न होने से कुछ श्लोक उपलब्ध नहीं हैं। अन्त में पुष्पिका देकर कवि ने स्वयं अपना एवं अपने आश्रयदाता का उल्लेख किया है। वह भी अपूर्ण है, जो इस प्रकार है -

"इति श्री महाराजदेवीसिंहाज्ञानुवर्तिनः कविपण्डितापरनाम्नो मोहनभट्टस्य कृतौ आनन्दाङ्कपदसमुच्चये कंसवधे महाकाव्ये"।

इसके साथ ही सबके अन्त में मोहनभट्ट ने अपने आश्रयदाता के पूर्वजों का नामोल्लेख कर उनके पिता भारत साह तक राजाओं की इस प्रकार गणना की है-महीपाल-कर्णसहजाग्रदेव-राम-पृथ्वीराज-तमाल्ह-रामचन्द्र-अर्जुनदेव-मल्लखान-प्रतापरुद्र-मधुकरसाह (१५५४- १५९२ ई. ओरछा नरेश) -राम साह-(दक्षिणतटवर्ती शासकों को आतंकित करने वाला) संग्राम सिंह- भारत साह। तदनन्तर सर्वान्त में अपने आश्रयदाता का उल्लेख कर अपनी कृतज्ञता प्रकट की है-वेदीसिंह इति क्षितीशतिलकस्तस्याभवन्नन्दनः"। यहीं पर पुस्तक खण्डित हो गई है।

देवीसिंह चन्देरी नरेश थे। इनका समय निर्धारण करने में मतैक्य नहीं है। श्रीयुत् एम. वी. गर्दे के अनुसार देवीसिंह ने (१६५४-१६६३ ई.) १७११-१७२० वि. तक शासन किया। किन्तु इसके विपरीत "इम्पीरियल गजेटियर" (मध्यभारत खण्ड) के अनुसार देवीसिंह को औरंगजेब ने १७३७ वि. (सन् १६८० ई.) में चन्देरी का शासक नियुक्त किया था। इन दोनों में से प्रथम मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है क्योंकि इनके आश्रित दूसरे विद्वान् श्री शिवानन्द भट्ट ने अपने ग्रन्थ "सिंह सिद्धान्त सिन्धु" में देवीसिंह के चार पूर्व पुरुषों का वर्णन कर अन्त में देवीसिंह की प्रशस्ति की है। इस ग्रंथ की समाप्ति वि. सम्वत् १७३१ तदनुसार १६७४ ई. में हुई। उस समय प्रकृत ग्रंथकार के अनुसार देवीसिंह चन्देरी में शासन कर रहे थे।

यह महाकाव्य अष्टाध्यायी को अभिलक्षित कर प्रक्रियाग्रन्थों की रचना हो जाने के बाद रचा गया है। भागवत से कथानक लेकर कवि ने अपने उद्‌देश्य की पूर्ति सुचारू रूप में की है। महाकाव्यचरित प्रसङ्गों का वर्णन भी यथास्थान किया गया है। भाषा के लौकिक पक्ष का निदर्शन होने के कारण वैदिक प्रक्रिया का न होना स्वतः सिद्ध है।

इन काव्यशास्त्रों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में अन्य काव्यों का भी उल्लेख मिलता है।

(१) दशाननवध काव्यम्

इसके रचयिता योगीन्द्रनाथ तर्क चूड़ामणि हैं। प्रकृत काव्य "रावणार्जुनीयम्" की रीति का अवलम्बन कर लिखा गया है।

(२) लक्षणादर्श

इसके रचयिता महापण्डित दिवाकर हैं। १४ सर्गो में निबद्ध इस रचना में महाभारत की कथा का आश्रय ले व्याकरणशास्त्र के नियमों को स्पष्ट किया गया है। (वैद्येश्वर के पुत्र कवीन्द्राचार्य भी दिवाकर के नाम से विख्यात हुए। इन्होंने भारतामृतम् ग्रन्थ २० सर्गो में लिखा है)। यह विजयनगर के कृष्णार्य नामक राजा के दरबारी कवि थे। (२) यदुवंश काव्यम् के रचयिता काशीनाथ ने यदुवंश का (यादवों) आख्यान प्रस्तुत करते हुए पाणिनीयसूत्रों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। (४) सुभद्राहरणम् में ब्रह्मदत्त के पुत्र नारायण ने २० सर्गो में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह वर्णन करते हुए व्याकरण के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार इसकी पाण्डुलिपि मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह में सुरक्षित है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह रचना प्रक्रिया सर्वस्व के रचयिता नारायण भट्ट की है। लक्ष्य प्रधान काव्य पर भी अपनी लेखनी उठाना तर्क संगत प्रतीत होता है।[1] (५) वर्तमान शताब्दी के मध्य में म. म. पं. देवी प्रसाद शुक्ल कवि चक्रवर्ती ने कौमुदी के क्रम को अभिलक्षित कर "पाणिनि प्रकाश" नाम से काव्यात्मक रचना के कुछ अंश तत्कालीन सुप्रभातम् नामक संस्कृत मासिक पत्र में प्रकाशित करवाये थे। जिसमें उदाहरण द्वारा सूत्रों की सार्थकता बताई गई है। (६) इसी क्रम को अभिलक्षित कर सिद्धान्तकौमुदी की फक्किकाओं (पङ्क्तियों-दुरूह स्थलों) को काव्यबद्ध कर उसे सरल बनाने की दिशा में स्व. पं. केशवदत्त पाण्डेय साहित्याचार्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी कुछ काव्यमयी सरसता इस शताब्दी के मध्य में प्रकाशित होने वाली सुप्रसिद्ध संस्कृत मासिक पत्रिका "सुप्रभातम्" में देखी जा सकती है। पण्डित जी ने अपनी यह रचना अपने सहारनपुरस्थ मित्र पं. माधव प्रसाद जी को दे दी थी।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है। कि व्याकरण-शिक्षण को सरल बनाने की दिशा में अनेक कवियों ने प्रयत्न किया है तथा वे इस कार्य में सफल भी हुए हैं।

---

१. द्र. सूची भाग ३, खण्ड १८, पृ. ५८८२ सं. २७२० भाग ५

(ग) पाणिनीयेतर व्याकरण

१- कातन्त्र व्याकरण

गुरूपद हालदार ने "व्याकरण दर्शनेर इतिहास" नामक ग्रन्थ में (पृ. ४५५-५६) पाणिनीय तथा उससे परवर्ती व्याकरणों को दो भागों में विभक्त किया है- प्रचलित तथा अप्रचलित। प्रचलित व्याकरणों में १३ नाम हैं-१. पाणिनीय, २. कातन्त्र, ३. चान्द्र, ४. जैनेन्द्र, ५. शाकटायन, ६. सरस्वतीकाण्ठाभरण, ७. संक्षिप्तसार, ८. हैमशब्दानुशासन, ९. सारस्वत, १०. मुग्धबोध, ११. सौपद्म, १२. हरिनामामृत एवं १३. प्रयोगरत्नमाला।

अप्रचलित व्याकरणों को भी दो वर्गों में रखा गया है- क्षीणसंप्रदाय तथा हीनसंप्रदाय। क्षीणसम्प्रदाय में ३ व्याकरण हैं-१. काश्यप या महाकाश्यप का बालावबोधन, २. मलयगिरिशब्दानुशासन एवं ३. रूपगोस्वामी का हरिनामामृत व्याकरण।

संस्कृतवाङ्मय में उल्लिखित ८-६ प्रकार के व्याकरणों के अन्तर्गत प्रमुख रूप से प्रचलित दो धाराओं में से माहेश्वर व्याकरण की परम्परा में पाणिनीय-चान्द्र-सारस्वत आदि अनेक व्याकरणों की गणना की जा सकती है, जबकि ऐन्द्र परम्परा का निर्वाह करने वाला केवल कातन्त्रव्याकरण ही माना जाता है। कुछ विद्वान् इसका संबन्ध बौद्ध तन्त्रों तथा श्रीविद्या के भी साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। पाणिनीय परवर्ती लगभग ४०-४५ व्याकरणों में से कातन्त्रव्याकरण न केवल कालक्रम की ही दृष्टि से प्रथम माना जाता है प्रत्युत सरलता संक्षेप आदि की भी दृष्टि से उसे प्रथम कह सकते हैं। इसका अध्ययन-अध्यापन अङ्ग-वङ्ग-कलिङ्ग-कश्मीर-राजस्थान आदि प्रदेशों में तथा तिब्बत-श्रीलङ्का आदि देशों में भी प्रचलित रहा है। सम्प्रति यह आसाम-कलकत्ता-रीवाँ (म.प्र.) में अंशतः पढ़ाया जाता है। जैनसमाज इसे जैनव्याकरण मानता रहा है, जबकि कुछ आधार बौद्ध व्याकरण माने जाने के भी पक्ष में प्राप्त होते हैं। यहाँ इसका संक्षिप्त इतिहास और कुछ विशेषताएँ प्रस्तुत की जा रही हैं -

रचना की पृष्ठभूमि तथा विविध नाम

कविराज सुषेण विद्याभूषण की कलापचन्द्र (१.१.१) नामक व्याख्या तथा सोमदेवभट्ट के कथासरित्सागर (१.६.७) के अनुसार राजा सातवाहन (आन्ध्रदेशीय) या शालिवाहन एक दिन अपनी रानियों के साथ जलक्रीडा कर रहे थे, उससे श्रान्त होकर उनकी कनिष्ठ विदुषी रानी ने प्रार्थना की-"हे देव। मोदकं देहि"। उसके कहने का आशय था कि अब मैं

जलक्रीडा से अत्यन्त श्रान्त हो गई हूँ, अतः आप मेरे ऊपर जल न उछालें-"उदकं मा देहि"। व्याकरण ज्ञान से वञ्चिज होने के कारण राजा उसके उक्त अभिप्राय को नहीं समझ पाये और मोदक का अर्थ-लड्डू समझकर उसी समय मोदक मँगवाए और रानी को समर्पित किए। इस अनभिज्ञता पर रानी ने राजा का उपहास किया।[1] अपनी अन्य अनेक रानियों के समक्ष किए गए उपहास से राजा को मानसिक कष्ट हुआ। इसके फलस्वरूप राजा ने संकल्प किया कि जब तक मैं व्याकरण का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लूँगा तब तक राज्यकार्य नहीं करूँगा। वे इस निर्णय के कारण जब राजसभा में नहीं गए तो राजपण्डित गुणाढ्य तथा शर्ववर्मा उनसे मिले और उनकी चिन्ता से अवगत हुए। गुणाढ्य ने आश्वासन देते हुए कहा कि यद्यपि व्याकरणज्ञान के लिए १२ वर्षों का समय अपेक्षित होता है, तथापि मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि आप छह वर्षों में ही व्याकरण जान सकेंगे। इस पर शर्ववर्मा ने विशेष उत्साह दिखाया और छ मास में ही व्याकरणज्ञान करा देने की प्रतिज्ञा की।

शर्ववर्मा की इस प्रतिज्ञा पर गुणाढ्य को आश्चर्य हुआ। शर्ववर्मा रात्रि के समय स्वामिकार्तिकेय के मन्दिर में गए और व्याकरणज्ञान प्रदान करने के लिए उनसे प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर स्वामिकार्तिकेय ने अपने व्याकरण के प्रथम सूत्र का उपदेश किया-**"सिद्धो वर्णसमाम्नायः"**। इसके बाद विना ही देवानुमति के शर्ववर्मा ने द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर दिया-**"तत्रादौ चतुर्दश स्वराः"**। देवोल्लूघन से स्वामिकार्तिकेय ने कुपित होकर शाप दिया कि अब यह व्याकरण पाणिनीय व्याकरण का उपमर्दक नहीं हो सकेगा, किन्तु एक लघु व्याकरण के रूप में ही रहेगा और इसीलिए इसे कातन्त्र के नाम से अभिहित किया जाएगा[2]।

ईषत् = संक्षिप्तं तन्त्रं व्याकरणं कातन्त्रम्। ईषदर्थक (अल्पार्थक)-**"कु"** के स्थान में "का" आदेश हुआ है-**"का त्वीषदर्थेऽक्षे"** (कात. २.५.२५) आचार्य काशकृत्स्न के व्याकरण में तीन अध्याय थे-**"त्रिकं काशकृत्स्नम्"** (काशिका ५.१.५८)। इस व्याकरण में भी मूलतः ३ ही अध्याय हैं इस साम्य के आधार पर तथा काशकृत्स्नतन्त्र का संक्षित कल्पित किए जाने के कारण भी इसे कुछ विचारक कातन्त्र कहते हैं।

अन्य उल्लेख के अनुसार शर्ववर्मा ने व्याकरण प्राप्त करने के लिए भगवान् शङ्कर की आराधना की थी, उनके प्रसन्न होने पर जिस व्याकरण का उपदेश दिया गया, उसे

---

१. "राजा कश्चिन्महिष्या सह सलिलगतः खेलयन् पाणितोयैः
सिञ्चंस्तां व्याहृतोऽसावतिसलिलतया मोदकं देहि देव।
मूर्खत्वात् तन्न बुद्ध्वा स्वरघटितपदं मोदकस्तेन दत्तो
राज्ञी प्राज्ञी ततः सा नृपतिमपि पतिं मूर्खमेनं जगर्ह।। -क.च. १,१,१

२. अधुना स्वल्पतन्त्रत्वात् कातन्त्राख्यं भविष्यति"। (कथा. सं. सा. १.६ = ७)

षडानन कार्तिकेय ने अपने वाहन मयूर के पुच्छ से लिखा था और इसीलिए उसका नाम "कलाप" पड़ा[1]।

कला = अंश, अर्थात् पूर्ववर्ती व्याकरणों के संक्षिप्तरूप (सार) को पाति = सुरक्षित रखता है, इसलिए भी इसे कलाप कहते हैं। युधिष्ठिर मीमांसक के विवेचनानुसार काशकृत्स्न के व्याकरण का नाम शब्दकलाप था, उसी का संक्षेप होने के कारण कातन्त्र को कलाप कहते हैं।

कुमार = कार्त्तिकेय ने इसका उपदेश किया था, यह कुमार = सुकुमार मति वाले बालकों के लिए अत्यन्त हितकर है या कुमारी = सरस्वती से संबद्ध है, अतः इसे कौमार व्याकरण भी कहते हैं। शर्ववर्मा द्वारा प्रोक्त होने के कारण "शार्ववर्मिक" नाम से भी इसका व्यवहार होता है। आचार्य दुर्गसिंह ने इसका परिष्कार करने के साथ वृत्ति-टीका-उणादि-लिङ्गानुशासन आदि की रचना से इसे सुगम बनाने का पर्याप्त प्रयत्न किया है, अतः कहीं इसके दौर्ग तथा दुर्गसिंहीय भी नाम मिलते हैं।

काश्मीर-राजस्थान आदि प्रदेशों तथा नेपाल-कम्बोडिया आदि कुछ अन्य देशों में कातन्त्र नाम का व्यवहार अधिक है, जबकि बङ्गाल-आसाम आदि प्रदेशों में तथा तिब्बत देश में प्रायः कलाप नाम ही प्रचलित रहा है। ९ व्याकरणों में कौमार नाम का उल्लेख मिलता हैं-"ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनम्"। अन्य नामों का प्रयोग प्रायः परवर्ती है।

आचार्य शर्ववर्मा-कृत विषय-विभाजन

"मोदकं देहि" वचन के अनुसार आचार्य शर्ववर्मा ने सर्वप्रथम "मा + उदकम्" को आधार मानकर सन्धिप्रकरण की रचना की हैं इस अध्याय के ५ पादों तथा ७६ सूत्रों में स्वर-व्यञ्जन प्रकृतिभाव-अनुस्वार तथा विसर्गसन्धिविषयक नियम बताए गए हैं। "मोदकम्" स्याद्यन्त पद है, तदनुसार यहाँ द्वितीय अध्याय में नामचतुष्टय की रचना की गई है। इसके प्रारम्भिक ३ पादों में षड्लिङ्ग वाले शब्दों की सिद्धि, चतुर्थपाद में कारकों का विवेचन, पंचम पाद में तद्धित तथा षष्ठ पाद में समास का वर्णन किया गया है। कारक शब्द का न तो प्रयोग हुआ है और न ही उसकी कोई परिभाषा ही की गई है। इसके लिए विभक्ति शब्द का प्रयोग है। संभवतः इसी आधार पर तिब्बतीभाषा के भी व्याकरण में विभक्ति का ही प्रयोग मिलता है। तद्धित और समास पादों के सूत्र श्लोकबद्ध हैं। इस नामचतुष्टय नामक द्वितीय अध्याय के ६ पादों में कुल ३३७ सूत्र हैं। व्याख्याकारों के अनुसार

---

१. ज्ञातव्य है कि कलाप का अर्थ मयूरपिच्छ भी होता है-
शङ्करस्य मुखाद् वाणी श्रुत्वा चैव षडाननः।
लिलेख शिखिनः पुच्छे कलापमिति कथ्यते।। (द्र.-वङ्गभाष्य)

चतुर्थीविधायक "तादर्थ्ये" (२.४.२७) सूत्र दुर्गसिंह ने चान्द्रव्याकरण से लेकर इसमें समाविष्ट कर दिया है। उक्त वचन में "देहि" क्रियापद (आख्यात) है, इस अभिप्राय से नामचतुष्टय के बाद शर्ववर्मा ने आख्यात नामक तृतीय अध्याय की रचना की है, जिसमें ८ पाद तथा ४३६ सूत्र हैं। प्रथम पाद में परस्मैपद आदि आख्यातप्रकरणोपयोगिनी कुछ संज्ञाएँ, द्वितीय पाद में वे प्रत्यय, जिनसे नामधातुएँ निष्पन्न होती हैं, तृतीय पाद में द्विर्वचनविधि, चतुर्थ में संप्रसारणादि विधियाँ, पंचम में गुण आदि आदेश, षष्ठ में अनुषङ्गलोपादि, सप्तम में इडागमादि तथा अष्टम में प्रथम वर्ण आदि आदेश निर्दिष्ट हैं। इस प्रकार आचार्य शर्ववर्मा- द्वारा रचित सूत्रों की कुल संख्या ८५५ है। इसमें एक सूत्र दुर्गसिंह- द्वारा योजित भी सम्मिलित है।

"वृक्ष" आदि शब्दों की तरह कृत्प्रत्ययसाधित अन्य शब्दों को भी आचार्य शर्ववर्मा रूढ मानते थे, अतः उन्होंने कृत् सूत्र नहीं बनाए। उनकी रचना वररूचि कात्यायन ने की है। इन सूत्रों की वृत्ति के प्रारम्भ में दुर्गसिंह का कथन है-

"वृक्षादिवदमी रूढाः कृतिना न कृताः कृतः।
कात्यायनेन ते सृष्टा विबुद्धिप्रतिबुद्धये।।"

इस चतुर्थ कृत् नामक अध्याय में ६ पाद तथा ५४६ सूत्र हैं। इन दोनों आचार्यों द्वारा रचित कुल १४०१ सूत्र कातन्त्रव्याकरण के मूल सूत्र माने जाते हैं।

श्रीपतिदत्त ने कातन्त्रपरिशिष्ट तथा चन्द्रकान्ततर्कालङ्कार ने छन्दःसूत्रों की रचना इसे सर्वाङ्गपूर्ण बनाने के लिए की है। सम्प्रति इसके धातुपाठ में १३४७ धातुसूत्र तथा लगभग १८०० धातुएँ प्राप्त हैं। गणपाठ केवल "वृत्ति" आदि ग्रन्थों में ही मिलता है। उणादिसूत्रों की रचना दुर्गसिंह ने की है, इसमें ६ पाद तथा ३६६ सूत्र हैं। उणादि सूत्रों का तिब्बती-अनुवाद के साथ एक उत्कृष्ट अध्ययन डा. धर्मदत्त चतुर्वेदी तथा आ. लोसङ् नोर्बू ने किया है। यह ग्रन्थ सम्प्रति मुद्रित हो रहा है। व ८७ कारिकाओं में निबद्ध इसका लिङ्गानुशासन आचार्य दुर्गसिंहरचित प्राप्त होता है। परिभाषापाठ पर दुर्गसिंह तथा भावशर्मा ने वृत्तियाँ लिखी हैं। शिक्षासूत्र तथा उपसर्गसूत्र भी प्राप्त हो जाते हैं।

इस व्याकरण के आधार पर बालशिक्षाव्याकरण तथा गान्धर्वकलापव्याकरण की रचना की गई है। इसका वाङ्मय अत्यन्त समृद्ध है, परन्तु अधिकांश अद्यावधि मुद्रित नहीं हुआ है। मुद्रित अंश बँगला-शारदा-उत्कल-देवनागरी-मैथिली तथा नेवारी लिपियों वाले हस्तलेखों में सुरक्षित है। भोट लिपि में इसके ग्रन्थों का अनुवाद किया गया है तथा भोटभाषा में २३ से भी अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं। इसकी शब्दसाधनप्रक्रिया अत्यन्त संक्षिप्त तथा सरल है। संभवतः इसी कारण तिब्बतीय विद्वान् आनन्दध्वज (कुङ्गाग्यल्छन) ने अपने तिब्बतीग्रन्थ अहमष्टक की व्याख्या में इसे संस्कृतव्याकरणों में शिखामणि के समान कहा है।

रचना के प्रयोजन

पृष्ठभूमि के उक्त विवरण से इसकी रचना का मुख्य प्रयोजन सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त आचार्य शशिदेव ने इसके अनेक प्रयोजन बताए हैं। जिसका तात्पर्य जनसाधारण को व्याकरण का ज्ञान कराना है।[1]

कातन्त्रकार का देश-काल

विद्वानों ने इनके काल के संबन्ध में अनेक मत व्यक्त किए हैं।

१. कथासरित्सागर (ल.१, त.६-७) के अनुसार शर्ववर्मा ने राजा शालिवाहन के लिए कातन्त्रव्याकरण की रचना की थी। सुषेण विद्याभूषण ने कलापचन्द्र नामक व्याख्या में राजा का नाम शालिवाहन तथा ए रीडर आन दी संस्कृत ग्रामरस् (पेज २२) में जे. एफ. स्टाल ने समलवाहन लिखा है, जो उचित प्रतीत नहीं होता। सातवाहन को आन्ध्र का राजा माना जाता है। कुछ विद्वान् इन्हें विक्रम के बाद में तथा भगवद्दत्त और युधिष्ठिर मीमांसक विक्रम के पूर्व रखते हैं।

२. शूद्रक ने अपने पद्मप्राभृतक भाण में कातन्त्रव्याकरण जानने वालों की चर्चा की है। उन पर आक्षेप करते हुए कहा गया है कि वे वैयाकरण पारशव हैं, अतः उनमें मेरी आस्था नहीं हो सकती।[2] अस्तु, शूद्रक और हाल नामक आन्ध्रदेशीय राजा सातवाहन-समकालिक थे।

३. पाणिनीय व्याकरण के द्वितीय मुनि कात्यायन ने वार्त्तिकों में तथा तृतीय मुनि पतञ्जलि ने महाभाष्य में पूर्वाचार्यो की अनेक संज्ञाएँ उद्धृत की हैं। जैसे-अद्यतनी, श्वस्तनी, भविष्यन्ती, परोक्षा, कारित, विकरण और समानाक्षर आदि। ये सभी संज्ञाएँ कलाप-व्याकरण में प्रयुक्त हैं। ह्यस्तनी, वर्तमाना तथा चेक्रीयित आदि अन्य भी प्राचीन संज्ञाएँ कातन्त्रव्याकरण में मिलती है। इससे कातन्त्रव्याकरण की पर्याप्त प्राचीनता सिद्ध होती है।

४. "सूत्राच्च कोपधात्" (पा. ४.२.६५) सूत्र द्वारा संख्या-प्रकृतिक, सूत्रवाची तथा ककारोपध शब्द से अध्येतृ अर्थ में होने वाले प्रत्यय का लुक् होता है। इसके

---

१. छान्दसाः स्वल्पमतयः शास्त्रान्तररताश्च ये।
ईश्वरा वाच्यनिरतास्तथालस्ययुताश्च ये।।
वणिजस्तृष्णया युक्ता लोकयात्रादिषु स्थिताः।
तेषां क्षिप्रं प्रबोधार्थमनेकार्थं कलापकम्।। (व्या. प्र. १.१५-१६)

२. एषोऽस्मि वलिभुग्भिरिव संघातवलिभिः कातन्त्रिकैरवस्कन्दितः इति। हन्त। प्रवृत्तं काकोलूकम्। सखे दिष्ट्या त्वामलूनपक्षं पश्यामि। किं ब्रवीषि का चेदानीं मम वैयाकरणपारशवेषु कातन्त्रिकेष्वास्था"-पद्मप्राभृतक भाग पृ. १८

अनुसार "अष्टौ अध्यायाः परिमाणम् अस्य" इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न जो "अष्टक" शब्द, उससे "अध्येतृ वेदितृ" अर्थ में (अष्टकम् अधीयते विदन्ति वा) प्राप्त "अण्" प्रत्यय का लुक् हो जाने पर "अष्टकाः पाणिनीयाः" शब्दरूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार "त्रयोऽध्यायाः परिमाणमस्येति त्रिकं काशकृत्स्नम् तदधीयते विदन्ति वा त्रिकाः काशकृत्स्नाः का साधुत्व उपपन्न होता है। यहाँ "अष्टक, त्रिक" शब्द संख्याप्रकृतिक, सूत्रवाची तथा कोपध हैं। अर्थात् सूत्राच्च कोपधात् इस सूत्र में तथा कात्यायन के 'संख्याप्रकृतेरिति वक्तव्यम्' इस वार्त्तिक में जो लक्षण निर्दिष्ट हैं, वे सभी यहाँ प्राप्त होते हैं। फलतः सूत्रनिर्दिष्ट कार्य भी प्रवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार "दशका वैयाघ्रपद्याः" भी निष्पन्न होगा। महाभाष्य में पतञ्जलि ने संख्याप्रकृतेरिति वक्तव्यम् इस वार्त्तिक के दो प्रत्युदाहरण भी दिए हैं-माहावार्त्तिकः, कालापकः। इनके मूल शब्द (प्रातिपदिक) हैं-महावार्त्तिक और कलापक। इनमें "महावार्त्तिक" शब्द सूत्रवाची और कोपध तो है, परन्तु संख्याप्रकृतिक नहीं है ! इसीलिए यहाँ "अध्येतृ" प्रत्यय अण् का लुक् नहीं होता।

कलापक शब्द को भी इसी प्रकार सूत्रवाची तथा कोपध मानना ही पड़ेगा, केवल संख्याप्रकृतिक न होने के कारण उससे होने वाले अध्येतृप्रत्यय का लुक् कार्य प्रवृत्त नहीं होगा और कालापकः प्रयोग बनेगा। कलापक शब्द कातन्त्र का ही एक नामान्तर है। महर्षि पतञ्जलि द्वारा दर्शित होने से इसका रचनाकाल पतञ्जलि से पूर्व ही मानना पड़ेगा। युधिष्ठिर मीमांसक का अभिमत है कि पतञ्जलि का काल विक्रम से २००० वर्ष पूर्व है। यह काल यदि वस्तुतः सिद्ध हो जाए तो कातन्त्र के रचयिता शर्ववर्मा का भी काल विक्रम पूर्व २००० वर्षों से भी पूर्ववर्ती मानना पड़ेगा। यदि पतञ्जलि का अधिक प्रचलित काल = यीशुपूर्व ३५० वर्ष भी मान्य हो तो भी कम से कम शर्ववर्मा का काल यीशुपूर्व लगभग ४०० वर्ष तो मानना ही होगा। सामान्य धारणा के अनुसार कातन्त्र का रचनाकाल यीशवीय सन् के प्रारम्भिक वर्षों में दिखाया जाता है।

आन्ध्रदेशीय राजा सातवाहन के सभापण्डित होने के कारण शर्ववर्मा का देश आन्ध्र (या महाराष्ट्र) कहा जा सकता है। इस विषय में विशेष विवरण प्राप्त न होने से यथार्थ जन्मस्थान और उनके द्वारा किए गए अन्य कार्यों के संबन्ध में निश्चयेन कुछ भी कहना संभव नहीं है।

कृत्सूत्रों की रचना और वररूचि

वररूचि कात्यायन ने कातन्त्र के अनुसार कृत् सूत्रों की रचना की थी। आचार्य शर्ववर्मा ने इनकी रचना इसलिए नहीं की थी कि उनके मत में वृक्ष आदि शब्दों की ही तरह कृत्प्रत्ययान्त अन्य शब्द भी रूढ थे। इसका स्पष्ट निर्देश दुर्गसिंह ने अपनी कृत्प्रकरणवृत्ति के प्रारम्भ में किया है।

कात्यायन नाम के अनेक आचार्य संस्कृतसाहित्य में उपलब्ध होते हैं। पाणिनीय व्याकरण के वार्त्तिककार तथा शुक्लयजुःप्रातिशाख्यकार भी कात्यायन ही थे। कविराज सुषेण विद्याभूषण ने कातन्त्र के एकदेशीय आचार्य को वररुचि कहा है। अतः कृत्सूत्रों के रचयिता वररुचि कात्यायन कहे जा सकते हैं। कविराज ने "कैश्चित्" शब्द की व्याख्या में कहा है कि कातन्त्रव्याकरण को जानने वाले सभी विद्वान् "कातन्त्र" शब्द से ग्राह्य हैं, उनके एकदेशीय आचार्य वररुचि माने जाते हैं[1]।

एक अन्य स्थल में कलापचन्द्रकार ने "तृन्" आदि कृत्प्रत्ययों के रचयिता का नाम स्पष्टरूप में "वररुचि" ही लिया है और यह भी कहा है कि "तृन्" आदि प्रत्ययों (विधिसूत्रों) के रचयिता वररुचि को तथा शर्ववर्मा को एक मानकर दुर्गसिंह ने उनकी व्याख्या की है। यहाँ "एकबुद्धि" शब्द का तात्पर्य प्रक्रियानिर्देशों की समानता से है[2]।

युधिष्ठिर मीमांसक ने संभावना की है कि महाराज विक्रम के पुरोहित कात्यायन गोत्रज वररुचि ने कृदन्त भाग की रचना की होगी। वररुचि नामक एक अन्य विद्वान् ने कृत्सूत्रों की वृत्ति लिखी है। इस ग्रन्थ का हस्तलेख लालभाई-दलपतभाई भारती संस्कृतिविद्यामन्दिर अहमदाबाद में उपलब्ध है। इस वृत्ति के अन्त में पाठ है-"इति पण्डितवररुचिविरचितायां कृद्वृत्तौ षष्ठः पादः समाप्तः"।

कृत्सूत्रकार वररुचि से इनका भिन्न होना इसलिए भी प्रमाणित होता है कि इन्होंने दुर्गसिंह की तरह वृत्ति के प्रारम्भ में "वृक्षादिवदमी" आदि श्लोक को भी उद्धृत किया है।

कातन्त्रपरिशिष्ट और श्रीपतिदत्त

लाघव अभिप्रेत होने के कारण शर्ववर्मा ने जिन शब्दों का साधुत्व नहीं दिखाया, परन्तु दुर्गसिंह ने अपनी वृत्ति में तथा टीका में "च-वा-तु- अपि" शब्दों के व्याख्यानबल से उन्हें सिद्ध किया है, उन शब्दों के तथा उनसे भिन्न भी कुछ शब्दों के साधनार्थ श्रीपतिदत्त ने जो सूत्र बनाए, उन्हें कातन्त्रपरिशिष्ट के नाम से जाना जाता है। इन सूत्रों पर ग्रन्थकार ने वृत्ति भी लिखी है। इसके प्रारम्भ में उन्होंने महेश विष्णु को नमस्कार किया, है जिससे उन्हें वैष्णवमतानुयायी कहना उचित होगा-

"संसारतिमिरमिहिर महेशमजमक्षरं हरिं नत्वा।
विविधमुनितन्त्रदृष्टं ब्रूमः कातन्त्रपरिशिष्टम्।।"

---

१. कैश्चित् कातन्त्रैकदेशीयैरिति पञ्जी। कातन्त्रशब्दोऽत्र सकलवैयाकरणपरः। कातन्त्रं ये विदन्ति सूरयः इत्यर्थेऽण्प्रत्ययविधानात् तदेकदेशीयैर्वररुचिप्रभृतिभिरित्यर्थः" (क.च.२.१.४१)

२. वररुचिना तृनादिकं पृथगेवोक्तम्, ततश्च वररुचिशर्ववर्मणोरेकबुद्ध्या दुर्गसिंहेनोक्तम् इति"। (क.च.२.१.६८

इस ग्रन्थ में केवल ७ प्रकरण और ७३० सूत्र हैं-१. सन्धिप्रकरण में १४२, २. नामप्रकरण में १०१ ३. कारकप्रकरण में ११२, ४. षत्वप्रकरण में ५१, ५. णत्वप्रकरणं में ३७, ६. स्त्रीत्वप्रकरण में १०५ तथा ७. समासप्रकरण में १८२। ऐसी मान्यता है कि समास प्रकरण की रचना करने के बाद श्रीपतिदत्त का निधन हो गया, जिससे अग्रिम प्रकरणों की रचना नहीं हो सकी।

कातन्त्रपरिशिष्ट के सम्पादक श्रीगुरूनाथ विद्यानिधि भट्टाचार्य के अनुसार श्रीपतिदत्त के संबन्ध में एक किंवदन्ती प्रचलित है कि किसी समय श्रीपतिदत्त ने कलापतन्त्र के परमज्ञाता दुर्गसिंह के समीप जाकर अध्यापनार्थ उनसे आग्रह किया। दुर्गसिंह ने अब्राह्मण समझकर उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। फिर भी गुरूभक्त श्रीपतिदत्त ने दुर्गसिंह की मृत्तिकामयी मूर्ति बनाकर प्रतिदिन एकान्त में उनका पूजन और उनके समझ अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया। जब उन्होंने इस प्रकार कलापव्याकरण के रहस्य को समझ लिया तो इसकी सूचना दुर्गसिंह को दी। प्रसन्न होकर दुर्गसिंह ने कहा कि तुम अपने ग्रन्थ में कभी मेरे मत का खण्डन नहीं करना नहीं तो व्याघ्र तुम्हें खा जायगा। श्रीपतिदत्त ने एक स्थान में "इति दुर्गमतं निरस्तम्" लिखा, इसके फलस्वरूप उन्हें व्याघ्र खा गया। इसके विपरीत जो विद्वान् श्रीपतिदत्त को ब्राह्मण मानते हैं, उनके अनुसार उक्त किंवदन्ती निराधार है (द्र. कात.परि.भूमिका, प्र. २)।

यदि दुर्गसिंह के साथ कातन्त्रपरिशिष्टकार का कोई घनिष्ठ सम्बन्ध प्रमाणित हो जाए तो इन्हें दुर्गसिंह का समकालिक कहना होगा। दुर्गसिंह का समय ६-७ वीं शताब्दी माना जाता है। (द्र."संस्कृत के बौद्ध वैयाकरण, पृ. १५६-१६६)।

परिशिष्टसूत्रों पर श्रीपतिदत्त के अतिरिक्त भी कुछ आचार्यो ने वृत्तिग्रन्थ लिखे हैं। इनमें गोपीनाथ की प्रबोध नाम्नी वृत्ति मुद्रित है। रामचन्द्र ने कलापतन्त्रतत्त्वबोधिनी, शिवरामचक्रवर्ती ने परिशेषसिद्धान्तरत्न्[कर, गोविन्द पण्डित ने परिशिष्टटीका तथा विद्यासागर ने भी कोई व्याख्या लिखी थी। रामचन्द्र नें अपनी व्याख्या विकृत = विरूद्ध या विरल मति वालों के बोधनार्थ लिखी थी। अतः उसका नाम तत्त्वबोधिनी' रखा। विद्यासागर ने कातन्त्रपरिशिष्ट के पूर्ववर्ती व्याख्यानों को तारागण तथा अपने व्याख्यान को चन्द्र बताया है[२]।

---

१. प्रणम्य श्रीनाथपदारविन्दमज्ञानसंमोहतमोभिदापहम्।
कलापतन्त्रस्य च तत्त्वबोधिनीं कुर्वे कृती श्रीद्विजरामचन्द्रः।।

२. कातन्त्रे बहवो निबन्धनिवहाः सन्त्येव किं तैर्यतो,
मद्वाक्यामृतमन्तरेण विलसन्त्यस्मिन्न विद्वज्जनाः।
ताराः किं शतशो न सन्ति गगने दोषान्धकारावली-
व्याकीर्णे तदपीन्दुनैव लभते मोदं चकोरावली।।

कातन्त्रोत्तरपरिशिष्ट और आचार्य विजयानन्द (विद्यानन्द)

आचार्य विजयानन्द अथवा विद्यानन्द ने कातनत्रोत्तर या कातन्त्रोत्तरपरिशिष्ट नामक ग्रन्थ की रचना की थी। इसका दूसरा नाम लेखक के नाम पर विद्यानन्द भी था। कातन्त्रीय परिभाषाओं के व्याख्याकार भावशर्मा ने विद्यानन्द को प्रकीर्णककर्ता कहा है। चर्करीतरहस्य में कवि कण्ठहार ने त्रिलोचन को कातन्त्रोत्तरपरिशिष्ट का कर्ता लिखा है और संभवतः इसी आधार पर डॉ. बेल्वल्कर ने सिस्ट्म्स आफ संस्कृत ग्रामर (पेज ६६) में त्रिलोचन को ही कातन्त्रोत्तरपरिशिष्ट का कर्ता बताया है। ग्रन्थकार ने अन्त में कहा है-इसकी रचना से मुझे जो पुण्य मिला हो, उससे मनुष्यों के त्रिविध दुःख नष्ट हो जाएँ और उनकी भावना शिव = कल्याणमयी हो जाएँ[1]।

पाटनस्थ जैनग्रन्थागारों के हस्तलिखित ग्रन्थों के सूची पत्र (पृ. २६१) पर कातन्त्रोत्तर का उल्लेख है। इसकी प्रतिलिपि सं. १२०८ पौष षष्ठी, शनिवार को जल्हण नामक वणिक् ने अपने पुत्र के अध्ययनार्थ की थी। इससे कातनत्रोत्तरकार का समय उससे पूर्व ही होना चाहिए।

कातन्त्र धातुपाठ

तृतीय आख्यात अध्याय में आचार्य शर्ववर्मा के कुछ सूत्र इस प्रकार हैं-"दिवादेर्यन्, नुः ष्वादेः, तनादेरूः, ना क्र्यादेः, कर्तरि रूचादिडानुबन्धेभ्यः, इन्-ञ् यजादेरूभयम्" (३.२.३३, ३४, ३७, ३८, ४२, ४५)। इनमें दिवादि-प्रभृति धातुगणों का तथा "ङ्.-ञ्,"अनुबन्ध वाली धातुओं का निर्देश है। इससे यह कहा जा सकता है कि शर्ववर्मा ने धातुपाठ की रचना अवश्य ही की होगी और उसमें गणों तथा अनुबन्धों का निर्धारण भी अवश्य ही किया होगा। अपने धातुपाठ के अभाव में सूत्रपठित उक्त निर्देश सङ्गत नहीं हो सकते। पाणिनीय या काशकृत्स्नव्याकरण के धातुपाठ को आधार मानकर उक्त निर्देशों की सङ्गति नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि उपलब्ध कलापधातुपाठ की अपेक्षा पाणिनीय-काशकृत्स्न के धातुपाठ पर्याप्त भिन्न है।

न्यू कॉटेलॉगस कैटेलॉगरम (Vok.) वॉल्यूम IX में शर्ववर्मरचित धातुकोश नामक ग्रन्थ से उद्धृत हैं, जिससे यह संभावना की जा सकती है कि दुर्गसिंह-द्वारा परिष्कृत धातुपाठ का यह आधार रहा होगा।

---

१. सहेतुकमिहाशेषं लिखितं साधु सङ्गतम्।
अतः श्रृण्वन्तु धीमन्तः कौतुकोत्तालमानसाः।।
कातन्त्रोत्तरनामायं विद्यानन्दापराह्वयः
मानं चास्य सहस्राणि स्वर्वैद्यगुणिता रसाः।।
निर्माय सद्ग्रन्थमिमं प्रयासादासादितः पुण्यलवो मया यः।
तेन त्रिदुःखापहरो नराणां कुर्याद् विवेकं शिवभावनायाम्।।

धातुविषयक अनेक मत दुर्ग-दौर्ग नामों से उद्धृत मिलतें हैं। जैसे क्षीरस्वामी ने "क्लेश" धातु पर कहा है कि "क्लेश भाषणे इति चान्द्रं सूत्रम्, क्लेश बाधने इति दौर्गम् "(क्षीरत १.६३७-३८)। "ग्रन्थ विलोडने" धातु को दुर्ग के मतानुसार स्वीकार्य कहा गया है[1] इस प्रकार के अनेक उद्धरणों से दुर्गसिंह द्वारा कलापधातुपाठ को परिष्कृत किया जाना प्रमाणित होता है। इसमें १३४७ धातुसूत्र तथा लगभग १८०० धातुएँ हैं।

धातुपाठ पर स्वयं आचार्य शर्ववर्मा ने कोई वृत्ति भी लिखी थी, इसमें कोई प्रामाणिक वचन प्राप्त नहीं होता। कातन्त्रैकदेशीय आचार्य वररूचि ने अवश्य ही इसका कोई व्याख्यान किया था, यह मनोरमाटीकाकार रमानाथ के एक वचन से ज्ञात होता है-"ह्रस्ववानयम्, उतोऽयुरूनु" (३.७.१५) इत्यत्रास्यापि ग्रहणमिति कात्यायनव्याख्यानात्" (मनोरमा, पुं स्तवने तु. १०४)। शर्ववर्मा ने ज्वलादि, रधादि, ल्वादि गणों का निर्देश सूत्रों में नहीं किया है, किन्तु कात्यायन ने इन्हें कृत्सूत्रों में पढ़ा है। सम्प्रति उपलब्ध धातुपाठ में इन गणों की समाप्ति के अवबोधार्थ जो "वृत्" पाठ किया गया है, वह कात्यायन ने ही किया होगा। मनोरमा टीका के अनेक वचनों से यह भी सिद्ध होता है कि दुर्गसिंह ने शार्ववर्मिक धातुपाठ का परिष्कार किया था तथा अपनी वृत्ति भी लिखी थी।[2]

तिब्बती विद्वान् इसे कलापधातुसूत्र और धातुकाय कहते हैं। इस धातुपाठ पर दुर्गसिंह द्वारा रचित वृत्ति को "गणवृत्ति" भी नाम दिया गया है। आचार्य त्रिलोचन ने भी कोई वृत्ति लिखी थी (द्र. मनोरमा १.६०, १८०, ५२२, २.२५)। त्रिलोचनकृत वृत्ति को धातुपारायण कहते हैं। इसे कातन्त्रगणमाला भी नाम दिया गया है।

रमानाथशर्मा ने मनोरमा नामक वृत्ति लिखी है, परन्तु यह शर्ववर्मकृत धातुपाठ पर नहीं लिखी गई है, जैसा कि रमानाथ के अनेक वचनों से ज्ञात होता है। "चुरादेश्च" सूत्र पर टीकाकार ने युजादिगण में युज से लेकर च्रीत् तक ४२ धातुएँ मानी हैं, जबकि वर्तमान धातुपाठ में "दृभ" सन्दर्भे यह एक धातु अधिक प्राप्त होती है। इससे प्रतीत होता है कि शार्ववर्मिक धातुपाठ में ४२ ही धातुएँ रही होंगी। उपलब्ध धातुपाठ में कुछ वचन ऐसे भी प्राप्त होते हैं, जिनसे यह कहा जा सकता है कि इसमें दुर्गसिंह के सभी मतों का यथार्थ पालन नहीं किया गया है। संभवतः परवर्ती व्याख्याकारों ने इसमें कुछ अपने निवेश-प्रवेश किए होगें। रमानाथ के कथन से यह जाना जाता है कि उनसे पूर्व अनेक आचार्यो ने

---

१. "अत्रायं धातुर्यद्यपि क्षीरस्वाम्यादिभिर्न पठ्यते, तथापि मैत्रेय चन्द्र दुर्गैः पठितत्वात् "शमीगर्भादग्निं मन्थति" इत्यादिदर्शनाच्चास्त्येव" १.३७

२. दुर्गसिंहस्त्वमुनेकयोगं कृत्वा वैक्लव्ये पठति, नाह्वानरोदनयोः" (कद क्रद आह्वाने रोदने च १.४६६)। "दन्दशनमिह दन्तशूककर्तृका क्रियाऽभिधीयते इति दुर्गसिंहव्याख्यानाद् दन्दशन इति पाठोऽनुमीयते"-मनोरमा, दशने। १.२०

कलापधातुपाठ के व्याख्यान किए थे, परन्तु उनके व्याख्यानों में धातुओं का निश्चय नहीं किया जा सका, अतः उनके निश्चयार्थ मैंने इस पर टीका लिखी है[1]।

इस धातुपाठ के हस्तलेख जम्मू-श्रीनगर तथा वाराणसी में सुरक्षित हैं, जिसके अन्तर्गत अदादिगण में ह्वादि धातुओं को पढ़ दिए जाने से ६ ही गण माने गए है। इन ६ गणों में २६ अन्तर्गण और २० अनुबन्ध हैं। मनोरमा टीका में लगभग ७६ विशेषताएं देखी जाती हैं। इनका विवरण कातन्त्रव्याकरणविमर्शः (पृ. १०६-१२२) में द्रष्टव्य हैं।

कातन्त्रगणपाठ

प्रातिपदिक (लिङ्ग) पाठ के रूप में कलापव्याकरण का गणपाठ स्वतन्त्ररूप में उपलब्ध नहीं होता, तथापि "स्वस्रादीनां च, त्यदादीनामविभक्तौ, मुहादीनां वा, बाह्वादेश्च विधीयते" (२.१.६६, ३.२६, ४६,६.६) आदि सूत्रों में जिन गणों का नाम लिया गया है, उनके शब्दसमूह का बिना निश्चय किए कोई भी आचार्य सूत्रों में निर्देश नहीं कर सकता। फलतः शर्ववर्मा ने जिन गणों का सूत्रों में निर्देश किया है, उनके शब्दसमूह का भी निश्चय अवश्य ही किया होगा, उनका निश्चय करने के बाद ही सूत्ररचना की होगी। वृत्ति-टीकादि व्याख्यानों में गणपाठ दिया गया है, किन्हीं गणों की शब्दसंख्या में पर्याप्त विषमता है। मैंने जो संग्रह किया है, उसमें अधिकतम शब्द आ गए हैं, जिन्हें परवर्ती आचार्यो ने अपनी ओर से भी जोड़ दिया है। गणों की कुल संख्या २६ है। कलापव्याकरण के गणों का निर्देश केवल "आदि" शब्द को जोड़कर किया गया है, जबकि पाणिनीय व्याकरण में आदि-प्रभृति और बहुवचनान्त शब्दों द्वारा कपिलादि-शिवादि-हरीतक्यादि गणों को व्याख्याकारों ने दिखाया है, सूत्रकार ने नहीं। अतः उन गणों का संग्रह नहीं किया गया है, परन्तु कृत्प्रकरण के गणों का संग्रह इसलिए कर लिया गया है कि वररूचि कात्यायन द्वारा प्रणीत कृत्भाग को दुर्गसिंह कातन्त्रव्याकरण ही मानते हैं। गणों की यह संख्या शर्ववर्मा और आचार्य कात्यायन द्वारा प्रणीत सूत्रों के ही अन्तर्गत समझनी चाहिए।

उणादिसूत्र

उणादिसूत्रों से निष्पन्न होने वाले शब्द प्रायः संज्ञा शब्द होते हैं और वे प्रायः रूढ भी माने जाते हैं। अतः उणादिप्रत्ययान्त शब्दों को व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न दोनों प्रकार का माना जाता है। महर्षि शाकटायन सभी शब्दों को व्युत्पन्न मानते थे, जबकि गार्ग्य किन्हीं

---

१. प्रायेण धातुवैषम्यात् सर्वेषां घूर्णते शिरः।
या तत्क्रियायै प्रभवेत् सैव वृत्तिर्मनोरमा।।
भूरि सूरिकृता वृत्तिर्भूयसी युक्तयुक्तिका।
निश्चेतुं धातवस्तस्यां न शक्यास्तेन मे श्रमः।।

शब्दों को अव्युत्पन्न भी। उणादि प्रत्यय यद्यपि कृत्प्रकरण के ही अन्तर्गत माने जाते हैं, तथापि उक्त वैशिष्ट्य के कारण उन्हें पृथक् पढ़ा जाता है। आचार्य शर्ववर्मा ने कृत्सूत्र नहीं बनाए, (कृत्प्रत्ययान्त शब्दों को वृक्षादि शब्दवत् रूढ मानकर)। उनकी रचना वररुचि कात्यायन ने की है। इससे यह भी कहा जा सकता है कि शर्ववर्मा ने उणादिसूत्र भी नहीं बनाए थे। सम्प्रति दुर्गसिंहविरचित उणादिसूत्र प्राप्त होते हैं, इन सूत्रों पर उनकी स्वोपज्ञ-वृत्ति भी है। मद्रास से प्रकाशित पुस्तक में छ पाद तथा ३९९ सूत्र हैं और बँगला-संस्करण में ५ पाद तथा केवल २६७ सूत्र। सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयीय सरस्वतीभवन वाले हस्तलेख में तो ४ ही पाद एवं २५३ सूत्र हैं।

विमलसरस्वती के वचनानुसार उणादिसूत्रों के रचयिता वररुचि कात्यायन हैं, परन्तु यह कथन प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दुर्गसिंह ने ग्रन्थारम्भ में किसी दूसरे कर्ता का नामोल्लेख नहीं किया है। उन्होंने केवल उणादि के अभिधान की ही बात कही है-

"नमस्कृत्य गिरं (शिवम्) भूरि शब्दसन्तानकारणम्।
उणादयोऽभिधास्यान्ते बालव्युत्पत्तिहेतवे।।"

कलापव्याकरणम् (१९८८) में मद्रास-संस्करण का ही अधिक उपयोग किया गया हे, लेकिन कुछ पाठ बँगला- संस्करण से भी लिए गए हैं। इन सूत्रों में आए २५५ प्रत्यय तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी कातन्त्रव्याकरणविमर्शः तथा कलापव्याकरणम् (१९८८) में संकलित किया गया है। इसके अनेक हस्तलेख भी प्राप्त होते हैं। कुलटा-तस्कर-छात्र-मुख आदि शब्दों की साधन-प्रक्रिया द्रष्टव्य है। २५५ प्रत्ययों में १२ अनुबन्ध तथा २५ लिङ्गगणों की योजना की गई है। ११ सौत्र धातुएँ भी प्रयुक्त हुई हैं।

उणादि के विस्तृत अध्ययन के लिए डॉ. धर्मदत्त चतुर्वेदी तथा आ. लोसङ् नोर्बू शास्त्री द्वारा सम्पादित कातन्त्रोणादिसूत्र द्रष्टव्य है।

लिङ्गानुशासन

लिङ्गविचार को शब्दानुशासन रूप व्याकरण का एक अवयव स्वीकार किया गया है। इसके द्वारा किसी भी शब्द के अर्थ, को निश्चित करने में सहायता मिलती है[1] तथा पुंस्त्वादि लिंगोंका निर्धारण भी होता है। कलापव्याकरण में लिङ्गानुशासन की रचना आचार्य दुर्गसिंह ने की है। बीकानेर तथा अहमदाबाद के हस्तलेखों में इस लिङ्गानुशासन की केवल ८६

---

१. अर्थात् प्रकरणाल्लिङ्गादौचित्याद् देशकालतः।
शब्दार्थास्तु विभज्यन्ते न रूपादेव केवलात्।।
कवि.,कृत्. मङ्गलाचरण
(वाक्यात् प्रकरणादर्थात्-पाठा.-वा.प.२.३१४)

कारिकाएँ मिलती हैं, उनमें वृत्ति नहीं है। पुण्यपत्तन (पूना) से १९५२ ई. में जो कातन्त्रलिङ्गानुशासन प्रकाशित हुआ है, उसमें ८७ कारिकाएँ तथा दुर्गसिंह की वृत्ति भी है। इस लिङ्गानुशासन में ७ प्रमुख प्रकरण हैं- १. स्त्रीलिङ्गप्रकरण, २. पुंल्लिगङ्गप्रकरण, ३. नपुंसकलिङ्ग प्रकरण, ४. उभयलिङ्गप्रकरण, ५. स्त्रीनरलिङ्गप्रकरण, ६. स्त्रीनपुंसकलिङ्गप्रकरण और ७. सर्वलिङ्गप्रकरण। गुरूपदहालदार के लेखानुसार इस लिङ्गानुशासन का उल्लेख कश्मीर के ग्रन्थों में पाया जाता है। (द्र., व्या. द. इति, पृ.४२६-२७)

आचार्य शर्ववर्मा या कात्यायन ने लिङ्गानुशासन लिखा था, इसमें कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता, परन्तु कलापपञ्जिकाकार त्रिलोचन ने श्वसुर शब्द पर दुर्गसिंह का जो अभिमत लिखा है उससे दुर्गसिंह-द्वारा लिङ्गानुशासन का बनाया जाना प्रमाणित होता है। मुद्रित लिङ्गानुशासन के अन्त में एक श्लोक है-

दुर्गसिंहोऽथ दुर्गात्मा दुर्गो दुर्गप इत्यपि।
यस्य नामानि तेनैव लिङ्गवृत्तिरियं कृता।
(पाठा.-तेनेदं चक्रे लिङ्गानुशासनम्)

इस आधार पर लिङ्गानुशासन तथा उसकी वृत्ति के रचयिता दुर्गसिंह माने जाते हैं। गुरूपद हालदार ने तीन दुर्गसिंह माने हैं-१. वृत्तिकार, २. टीकाकार तथा ३. लिङ्गानुशासनकार। कुछ विद्वान् इन्हें अभिन्न भी मानते हैं। इनका समय ६-७वीं शताब्दी माना जाता है। इनका देश-कालादि-विस्तृत परिचय वृत्तिकार प्रकरण में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्कृत के बौद्धवैयाकरण (पृ.१५९-१८६) ग्रन्थ भी एतदर्थ द्रष्टव्य है।

कातन्त्रव्याकरण के वृत्तिकार

गुरूपद हालदार मानते हैं कि शर्ववर्मा ने ही सर्वप्रथम अपने व्याकरण की वृत्ति बनाई थी (द्र., व्या. द. इति., पृ. ४३७)। इसमें अन्य प्रमाण प्राप्त नहीं हैं। इसके बाद वररुचि कात्यायन ने दुर्घट नामक वृत्ति की रचना की थी, इस वृत्ति का ही यह मङ्गलश्लोक माना जाता है, जिसे दुर्गसिंह ने अपनी वृत्ति में भी पढ़ा है-

देवदेवं प्रणम्यादौ सर्वज्ञं सर्वदर्शिनम्।
कातन्त्रस्य प्रवक्ष्यामि व्याख्यानं शार्ववर्मिकम्।।

हरिराम ने व्याख्यासार नामक व्याख्या में इसका स्पष्टीकरण किया है। (व्या. सा. -मङ्गलाचरण)। कविराज सुषेण विद्याभूषण ने भी कलापचन्द्र में उक्त श्लोक को

वररूचिकृत ही माना है। कविराज ने वररुचिवृत्ति के नाम से उसके अनेक अभिमत उद्धृत किए हैं, जिनसे असन्दिग्ध रूप में यही कहा जा सकता है कि शर्ववर्मरचित सूत्रों पर वररूचि ने वृत्ति अवश्य ही बनाई थी। इनमें से एक अभिमत इस प्रकार है-"अर्थः पदमैन्द्राः, विभक्त्यन्तं पदमाहुरापिशलीयाः, सुप्तिङन्तं पदं पाणिनीयाः, इहार्थोपलब्धौ पदमिति वररूचिः" (१.१.२०)[1]।

उपलब्ध वृत्तियों में प्राचीन और प्रौढ़ दुर्गसिंहकृत वृत्ति है। वररूचि एवं दुर्गसिंह की वृत्तियों के मध्यकाल में भी अनेक वृत्तियों की रचना हुई होगी। दुर्गवृत्ति में 'केचित्-अन्ये' शब्दों से उद्धृत आचार्यमतों के बल पर ऐसा कहा जा सकता है। गुरूपद हालदार ने कहा है कि दुर्गवृत्ति की रचना वररूचिवृत्ति की रचना से ३ सौ वर्षो बाद हुई थी[2]।

वृत्तिकार दुर्गसिंह का परिचय

कहा जाता है कि कातन्त्ररूपी दुर्ग में सिंह की तरह निर्भय होकर विचरण करने के कारण ही इन्हें दुर्गसिंह कहते थे। कातन्त्रलिङ्गानुशासन के अन्त में दुर्गसिंह के तीन नाम बताए गए हैं-दुगात्मा, दुर्ग, दुर्गप। गुरूपद हालदार ने कातन्त्रवृत्तिकार को नवम-दशम शताब्दी का माना है। युधिष्ठिर मीमांसक अनेक प्रमाण देकर निरूक्तवृत्तिकार तथा कातन्त्रवृत्तिकार को एक ही व्यक्ति तथा उनका समय वि.सं. ६००-६८० के मध्य सिद्ध करतें हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि दुर्गाचार्यविरचित निरूक्तवृत्ति के अनेक हस्तलेखों के अन्त में दुर्गसिंह अथवा दुर्गसिंह्म नाम उपलब्ध होता है। दोनों ग्रन्थकारों ने अपने ग्रन्थ को वृत्ति कहा है। दोनों ग्रन्थों के रचयिताओं के लिए "भगवत्" शब्द का व्यवहार मिलता है। हरिस्वामी ने सं. ६९५ में शतपथब्राह्मण के प्रथम काण्ड का भाष्य लिखा था। उनके गुरू स्कन्दस्वामी ने अपनी निरूक्तटीका में दुर्गाचार्य का उल्लेख किया है। इस प्रकार निरूक्तवृत्तिकार से कातन्त्रवृत्तिकार अभिन्न व्यक्ति सिद्ध होते हैं।

दुर्गसिंह का कोई निश्चित देश अभी तक ज्ञात नहीं है। "सिद्धो वर्णसमाम्नायः" (कात. १.१.१) सूत्र की व्याख्या में दुर्गसिंह ने तीन अर्थों के उदाहरण दिए हैं- "सिद्धमाकाशम्, सिद्ध ओदनः, सिद्धः काम्पिल्लः"। ज्ञातव्य है कि "सिद्ध" शब्द के नित्य, निष्पन्न और प्रसिद्ध ये तीन अर्थ होते हैं। इन्हीं अर्थों के क्रमानुसार उदाहरण भी दिए गए हैं। प्रसिद्ध अर्थ का उदाहरण है- काम्पिल्लः। इस शब्द की दो व्याख्याएँ मिलती हैं- १. उत्तर देश में बहने वाली कम्पिला नदी के समीपवर्ती देश को काम्पिल्ल कहते हैं।

---

१. अन्य अभिमतों के लिए द्रष्टव्य स्थल हैं- १.१.६, २३, ५.८, ३.२. ३८ सम्प्रति ये दोनों ही वृत्तियाँ अनुपलब्ध हैं।

२. वाररूचिक वृत्तिर प्राय ३०० वत्सर परे दौर्गवृत्ति एवं काश्मीरैचिच्छुवृत्ति रचित हइयाछे। वर्धमानेर कातन्त्रविस्तरवृत्ति चिच्छुवृत्तिर परवर्ती (व्या. द. इति., पृ. ३९५)

विक्रमादित्य के मङ्गल हाथी का नाम काम्पिल्ल था। प्रथम व्याख्या को प्रामाणिक मान लेने पर दुर्गसिंह को उत्तर भारतीय काम्पिल्ल देश से सम्बद्ध मानना पड़ेगा, क्योंकि साक्षात् उसी देश में या उसके समीप बिना निवास किए काम्पिल्ल की प्रसिद्धि से वे सुपरिचित नहीं हो सकते और ऐसा न होने पर प्रसिद्ध अर्थ का वे यह उदाहरण भी नहीं देते। दूसरी व्याख्या के अनुसार दुर्गसिंह को उज्जयिनी-निवासी कहा जा सकता है। प्रो. के.वी. अभ्यङ्कर ने 'डिक्सनरी आफ संस्कृत ग्रामर' में कहा है कि कुछ विद्वान् अमरसिंह तथा दुर्गसिंह को अभिन्न मानते हैं। कलापव्याकरण (बंगला संस्करण, शक सं. १८११) के इतिवृत्त (पृ. ६) में सम्पादक ने भी जो लिखा है, उससे उक्त का समर्थन होता है। उनके अनुसार पाणिनीय व्याकरण में असाधारण वैदुष्य प्राप्त कर दुर्गसिंह ने नामलिङ्गानुशासन की रचना की, इससे प्रसन्न होकर विक्रमादित्य ने उन्हें अमरसिंह की उपाधि दी थी। इससे दुर्गसिंह का ही परवर्ती नाम अमरसिंह हुआ था और वे विक्रमादित्य के नव रत्नों में भी अन्यतम रत्न थे'।

कलाप के बंगलालिपि वाले ग्रन्थों में एक प्राचीन श्लोक उद्धृत मिलता है, जिसमें कहा गया है-शबरस्वामी की शूद्रजातीया पत्नी से अमरसिंह का जन्म हुआ था। ये विक्रमादित्य के भाई थे। यह इतिहास से प्रमाणित न भी हो सके तो भी दुर्गसिंह और अमरसिंह को अभिन्न मानकर उनका देश उज्जयिनी कहा जा सकता है, क्योंकि अमरसिंह विक्रमादित्य के अन्यतम सभारत्न थे और विक्रमादित्य की राजधानी उज्जयिनी अत्यन्त प्रसिद्ध है। इनके नामैकदेश "सिंह" के स्थान पर कहीं कहीं "सिह्म" पाठ मिलता है, जो कश्मीरी भाषा के अनुसार माना जाता है। इसलिए कुछ विद्वान् दुर्गसिंह को काश्मीरदेशीय मानना चाहते हैं।

इन्हें बौद्ध और शैव दोनों ही सिद्ध किया जाता है। सीतानाथ सिद्धान्तवागीश के मतानुसार ये शैव थे (द्र. नमस्कार-संजीवनी, पृ. २४२-४३)। युधिष्ठिर मीमांसक के विवेचनानुसार इन्हें वैदिक भी कहा जा सकता है।

निरुक्तवृत्तिकार आदि को अभिन्न मान लेने पर इनकी १० रचनायें कही जा सकती हैं-१. निरुक्तवृत्ति या निरुक्तभाष्य, २. कातन्त्रवृत्ति (नामान्तर सिद्धान्तकौमुदी), ३. कातन्त्रवृत्तिटीका, ४. कातन्त्रधातुपाठ, ५. कातन्त्रोणादिवृत्ति, ६. कातन्त्रलिङ्गानुशासन, ७. कातन्त्रपरिभाषावृत्ति, ८. षट्कारककारिका, ६. कारकरत्न या षट्कारकरत्न तथा १०. कलापरत्न।

---

१. दुर्गसिंहप्रचारिते नामलिङ्गानुशासने।
लभते ह्यमरोपाधिं राजेन्द्रविक्रमेण सः।।
यथाकीर्तिप्रभावेणामरत्वं लभते नरः।
स रत्नं नवरत्नानां तद्गुणेन सुशोभितः।।

वैदिक शब्दकोशात्मक निघण्टु में आए वैदिक शब्दों का महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त में जो निर्वचन आदि किया है, वह संक्षिप्त होने के कारण सद्यः बोधगम्य नहीं हो पाता। दुर्गसिंह ने उस पर भाष्य या वृत्ति लिखकर उसे बोधगम्य बनाने का प्रयत्न किया है। प्रसंगतः विविध प्रकार की महत्त्वपूर्ण बातें भी कहीं हैं।

१. कातन्त्रवृत्ति का परिचय

आचार्य शर्ववर्मा तथा वररुचि द्वारा रचित कातन्त्र के १४०० सूत्रों की यह प्रौढ व्याख्या है। इसमें पूर्ववर्ती अनेक शाब्दिक आचार्यों के मत उद्धृत हैं। चान्द्रव्याकरण का एक सूत्र तादर्थ्ये (चा० २.१.७९) भी दुर्गसिंह ने कातन्त्रव्याकरण में स्वीकार कर लिया है, जिससे कातन्त्रव्याकरण में सूत्रसंख्या १४०१ हो जाती है। व्याकरण की उपलब्ध अनेक वृत्तियों में से यही वृत्ति प्राचीनतम है। इसके प्रारम्भ के मङ्गश्लोक को वररुचि ने अपनी दुर्घटवृत्ति में पहले ही कहा है।

किसी-किसी हस्तलेख में एक दूसरा भी श्लोक उपलब्ध होता है, जिसमें ओङ्काररूप देवविशेष को नमस्कार किया गया है-

ऊँकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः।
कामदं मोक्षदं देवमोङ्काराय नमो नमः।।

यह श्लोक दुर्गसिंहकर्तृक कहा जा सकता है। इस वृत्ति का अपर नाम सिद्धान्तकौमुदी भी मिलता है ('ए डिस्क्रिप्टिव कैटलाग आफ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट,' गुजरात विद्यासंघ, अहमदाबाद पार्ट २, १९६४, पेज ७३४, २३९१) वृत्ति पर अनेक आचार्यों ने टीकाएँ लिखी हैं।

दुर्गसिंह ने इसमें पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ग्रन्थों के मतों की व्याख्या की है। कहीं कहीं पूर्ववर्ती व्याख्याओं में दिए गए आक्षेपों का समाधान भी किया गया है। सूत्रों में अपठित परन्तु अपेक्षित कुछ अंशों की पूर्ति की है। उन्होंने अद्यतन की व्याख्या करते हुए कहा है कि गत रात्रि का अवशिष्ट प्रहर, आगामिनी रात्रि का प्रथम प्रहर तथा दिन के चार प्रहर, कुल मिलाकर छ प्रहरों के काल को अद्यतन कहते हैं[1]।

स्वरचित कृत्सूत्रों पर स्वयं वररुचि कात्यायन ने भी चैत्र-कूटी नामक वृत्ति बनाई थी। कविराज सुषेण विद्याभूषण ने बृंहेः स्वरेऽनिटि वा (कात.४.१.६८) सूत्र की व्याख्या में वररुचि का एक मत प्रस्तुत किया है-

---

१. शेषो गतायाः प्रहरो निशाया आगामिनी या प्रहरश्च तस्याः।
दिनस्य चत्वार इमे च यामाः कालं बुधा ह्यद्यतनं वदन्ति।। (३.१.२२)

"तथा च वररूचिः",
बृंहबृह्योरमी साध्या बृंहबहादयो यदि।
तदा सूत्रेण वैयर्थ्य न बर्हा भावके स्त्रियाम्।।"

गुरूपद हालदार ने 'व्याकरण दर्शनेर इतिहास' (पृ. ७ ५७६) में कृत्सूत्रों पर वररूचिरचित टीका का नाम चैत्रकूटी लिखा है। संभवतः किसी हस्तलेख में टीका का नाम भी दिया गया हो। पण्डित वररूचिविरचित कृत्सूत्रवृत्ति का एक हस्तलेख लालभाई-दलपतभाई भारतीय संस्कृतिविद्यामन्दिर, अहमदाबाद में सुरिक्षित है। परन्तु यह वृत्ति चैत्रकूटी वृत्ति से भिन्न प्रतीत होती है। इस प्रकार कातन्त्रसूत्रों के प्रमुख और प्राचीन वृत्तिकार शर्ववर्मा, वररूचि और दुर्गसिंह हैं, परन्तु वर्तमान में शर्ववर्मा और वररूचि की वृत्तियाँ प्राप्त नहीं होती, केवल दुर्गसिंह की ही वृत्ति देवनागरी तथा वङ्गलिपि में मुद्रित प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वृत्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। जैसे-१. कातन्त्रविस्तर। इसके रचयिता कर्णदेवोपाध्याय श्रीवर्धमान हैं और यह वङ्ग- उत्कललिपियों में प्राप्त हैं। अद्यावधि इसका मुद्रण नहीं हुआ है, केवल कारकप्रकरण का कुछ अंश मञ्जूषापत्रिका (व. १२, अ.६) में छपा हुआ है। प्रतिज्ञावचन के अनुसार काव्यशास्त्र आदि में शिष्टजनों द्वारा प्रयुक्त सभी शब्दों का साधुत्व बताने के लिए वृत्तिकार ने प्रयत्न किया है[1]।

इसके तात्पर्यार्थ को प्रकाशित करने के लिए वामदेव ने मनोरमा टीका लिखी थी। कातन्त्रविस्तर में टीकाकारों द्वारा किए गए आक्षेपों का समाधान रघुनाथदास से वर्धमानप्रकाश नामक टीका में किया है।

वर्धमान के मतों और विचारों का एक व्याख्यान वर्धमानसंग्रह नामक श्रीकृष्ण आचार्य ने लिखा था वर्धमान का अनुसारी एक ऐसा भी प्रक्रियाग्रन्थ प्राप्त होता है, जिसमें ग्रन्थकार का नामोल्लेख नहीं किया गया है। संभवतः इसी प्रक्रियाग्रन्थ के सार का संग्रह श्रीगोविन्ददास ने वर्धमानसारव्याकरण में किया है।

२. व्याख्यासार

इस वृत्तिग्रन्थ की रचना हरिराम आचार्य ने की है। इसका चन्द्रिका भी नामान्तर मिलता है। यद्यपि यह वृत्ति सम्प्रति कारक-समास-तद्धित प्रकरणों पर उपलब्ध नहीं होती, तथापि अग्रिम आख्यात-कृत्प्रकरणों पर प्राप्त होने के कारण इन प्रकरणों पर भी उसे अवश्य ही लिखा गया होगा। इसमें कुछ सूत्रों की व्याख्या नहीं की गई है।

---

१. महेश्वरं नमस्कृत्य कुमारं तदनन्तरम्।
सुगमः क्रियतेऽस्माभिरयं कातन्त्रविस्तरः।
अभियोगपराः पूर्वे भाषायां यद् बभाषिरे।
प्रायेण तदिहास्माभिः परित्यक्तं न किञ्चन।।

३. बालबोधिनी

स्तुतिकुसुमाञ्जलिकार जगद्धरभट्ट ने अपने पुत्र यशोधर के अध्ययनार्थ यह वृत्ति लिखी है। यह वृत्ति कश्मीर में प्रचलित रही हैं।

जगद्धरभट्ट का लघुललितवृत्ति नामक एक अन्य ग्रन्थ भी प्राप्त होता है, जो उक्त बालबोधिनी वृत्ति से भिन्न है। बालबोधिनी पर राजानक शितिकण्ठ ने १४७८ ई. में न्यास की रचना की थी।

४. कातन्त्रलघुवृत्ति

इसके रचयिता छुच्छुकभट्ट हैं। इसका ३७८ पत्रों का एक देवनागरीलिपिबद्ध हस्तलेख दिल्ली के प्राचीनग्रन्थसंग्रहालय में सुरक्षित है। १९वीं शताब्दी के अन्त तक कश्मीर की प्रत्येक पाठशाला में इसका अध्ययन होता था।

५. कातन्त्रकौमुदी

कृपालु कोकिल गुरू नामक आचार्य ने इसे लिखा था। कुछ अन्य वृत्तियों के नाम इस प्रकार हैं-१. बालावबोधवृत्ति (मेरूतुङ्गसूरि), २. कालापप्रक्रिया (आचार्य बलदेव), ३. कातन्त्रमन्त्रप्रकाश (कर्मधर), ४. चतुष्कव्यव्हारढुण्ढिका (धनप्रभसूरि), ५. कातन्त्रदीपक (मुनिश्रीहर्ष) ६, बालावबोधवृत्ति (हरिकलशोपाध्याय) ७. क्रियाकलाप (विजयानन्द) ८. क्रियाकलाप (जिनदेवसूरि) ९. कातन्त्ररूपमाला (वादिपर्वतवज्र भावसेन)। १०. कातन्त्रवाक्यविस्तर (आचार्य राम), ११. कातन्त्रप्रदीप (पुण्डरीकाक्ष विद्यासागर)।

कातन्त्रवृत्तिटीका

इसके भी रचयिता दुर्ग या दुर्ग सिंह ही हैं इससे इनका बौद्धमतावलम्बी होना सिद्ध होता है। सामान्यतया वृत्तिकार और टीकाकार दुर्गसिंह को अभिन्न व्यक्ति नहीं माना जाता, क्योंकि टीकाकार दुर्गसिंह ने वृत्तिकार के लिए "भगवान्" शब्द का प्रयोग किया है-"इति भगवान् वृत्तिकारः श्लोकमेकं कृतवान्-देवदेवमित्यादि"। "देवदेवम्" इत्यादि श्लोक दुर्गसिंह द्वारा वृत्ति के प्रारम्भ में दिया गया है। अतः यहाँ वृत्तिकार पद से दुर्गसिंह का ग्रहण करने के कारण वृत्तिकार और टीकाकार में भेद माना जाता है, क्योंकि टीकाकार अपने ही लिए "भगवान्" शब्द का व्यवहार कैसे करते ? ऐसा विचार वर्तमान समीक्षकों का है, परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि उक्त श्लोक दुर्गसिंह का नहीं, किं च उसे दुर्घटवृत्ति के प्रारम्भ में वररूचि ने कहा है। अतः वररूचि के लिए "भगवान्" शब्द का व्यवहार मान लेने पर वृत्तिकार और टीकाकार में एकत्व स्थापित किया जा सकता है। टीका में वृत्ति के गूढ़ और प्रौढ़ अंशों को स्पष्ट किया गया है। विस्तार के लिए "कातन्त्रव्याकरणविमर्शः तथा "संस्कृत के बौद्ध वैयाकरण" ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं।

श्रीगौतम पण्डित ने दुर्गसिंहवृत्ति पर कलापदीपिका, कुलचन्द्र ने दुर्गवाक्यप्रबोध, रामदासचक्रवर्ती ने कातन्त्रचन्द्रिका, गोवर्धन ने वृत्तिटिप्पणी, रामकिशोर ने मङ्गला, प्रबोधमूर्तिगणि ने दुर्गपदप्रबोध तथा गोल्हण ने दुर्गवृत्तिटिप्पणी की रचना की है।

इस टीका पर विजयानन्द ने एक कातन्त्रोत्तर (विद्यानन्द) नामक तथा विद्यासागर ने आख्यातमञ्जरी व्याख्या लिखी है। कृत्सूत्रों पर शिवरामशर्मा ने एक मञ्जरी नामक टीका, रघुनन्दन भट्टाचार्य शिरोमणि ने कलापतत्वार्णव अथवा कृत्-शिरोमणि की रचना की है।

कातन्त्रवृत्तिपञ्जिका

दुर्गवृत्तिगत शब्दों के तात्पर्यार्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए त्रिलोचनदास ने इसकी रचना की है।

एक अन्य त्रिलोचन ने कातन्त्रोत्तरपरिशिष्ट की रचना की थी। इन दोनें की एकता या भिन्नता के विषय में निश्चयेन कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पर किए गए आक्षेपों का समाधान करने के लिए कविराज सुषेण विद्याभूषण ने कलापचन्द्र नामक एक विस्तृत व्याख्या लिखी है। इसमें वृत्तिकार-टीकाकार-हेमकर-कुलचन्द्र आदि के भी मत दिखाए गए हैं। जिस अंश पर कलापचन्द्र उपलब्ध नहीं होता, उस पर आचार्य बिल्वेश्वर की टीका मुद्रित रूप में प्राप्त होती है। इसकी अनेक व्याख्याएँ उपलब्ध हैं। जैसे कर्णोपाध्याय की उद्‌द्योत व्याख्या, मणिकण्ठ भट्टाचार्य की त्रिलोचनचन्द्रिका, सीतानाथ सिद्धान्तवागीश की संजीवनी टीका, पीताम्बर विद्याभूषण की पत्रिका, प्रबोधमूर्तिगणि की दुर्गपदप्रबोध और देशल की पञ्जिकाप्रदीप

अन्य उपयोगी ग्रन्थ

१. किसी अज्ञातनामा ग्रन्थकार ने कातन्त्रविभ्रम नामक एक ग्रन्थ की रचना की थी। इसकी व्याख्या क्षेमेन्द्र, चारित्रसिंह तथा गोपालाचार्य ने लिखी है। क्षेमेन्द्रकृत व्याख्या की टीका मण्डन ने बनाई थी। कातन्त्रविभ्रम पर अवचूरि नामक टीका का उल्लेख प्राप्त होता है, परन्तु उसका रचयिता ज्ञात नहीं है। कातन्त्रविभ्रम में मूल २१ कारिकाएँ तथा १५० शब्द हैं। जो शब्द किन्हीं काव्य-शास्त्रों में अर्थविशेष में प्रयुक्त रहे होगें, परन्तु आज वे उन अर्थो में प्रसिद्ध नहीं रहे, ऐसे ही शब्दों को यहाँ प्रश्नोत्तररूप में प्रस्तुत किया गया है। श्रीजिनप्रभसूरि द्वारा रचित कातन्त्रविभ्रम नामक ग्रन्थ इससे भिन्न प्रतीत होता है।

२. यङ्लुक् की एक संज्ञा है- "चर्करीत"। चर्करीत प्रयोगों की सिद्धि चर्करीतरहस्य की २० कारिकाओं में कविकण्ठहार ने दिखाई है। इस पर स्वोपज्ञ टीका भी है।

३. परिभाषासूत्रों से अतिरिक्त कातन्त्रव्याकरण में कुछ परिभाषाएँ भी हैं। ६५

परिभाषाओं की व्याख्या दुर्गसिंह ने की तथा ६२ परिभाषाओं की भावशर्मा ने की है। कवीन्दु जयदेव ने भी ५५ परिभाषाओं की व्याख्या करने का संकल्प किया था और प्रतापरूद्रीयपुर की यात्रा करते हुए उन्होंने इस संकल्प को पूरा भी कर लिया। परिभाषासंग्रह में ६७ कातन्त्रपरिभाषासूत्र, २६ बलाबलसूत्र तथा ११८ कालापपरिभाषासूत्र भी दिये गए हैं। इनके रचयिता का नाम उल्लिखित नहीं है।

४. हस्तलेखों में ११ कातन्त्रशिक्षासूत्र मिलते है, रचयिता का नाम नहीं दिया गया है। इसमें अवर्ण का केवल कण्ठस्थान ही नहीं, किन्तु मुखस्थित सभी स्थान बताए गए हैं- "अवर्णः सर्वमुखस्थानमित्येके"।

५. कातन्त्र के सन्धिप्रकरण में ५ पाद तथा ७६ सूत्र हैं। इनके विकृतरूप राजस्थान की प्रारम्भिक पाठशालाओं में पढ़ाए जाते रहे हैं। इन्हें सीदी पाटी कहा जाता है, जिसका मूलरूप सिद्धपाठ है।

इसके अतिरिक्त विदित ग्रन्थ इस प्रकार हैं- १. कातन्त्रोपसर्गसूत्र (पुरुषोत्तमदेव) २. कलापव्याकरणोत्पत्तिप्रस्ताव-(वनमाली) ३. पादप्रकरणसंगति (जोगराज) ४. दशबलकारिका (दुर्ग) ५. बालशिक्षाव्याकरण (ठक्कुर संग्रामसिंह) ६. शब्दरत्न (जनार्दनशर्मा) ७. गान्धर्वकलापव्याकरण (सौरीन्द्रमोहन ठाकुर) ८. कलापदीपिका-कलापव्याकरणानुसारिणी भट्टिकाव्यटीका (पुण्डरीकाक्ष विद्यासागर)

शब्दरूपकल्पद्रुम, रत्नबोध आदि कुछ ग्रन्थ कलापव्याकरणानुसारी रचे गए हैं। दी 'ऐन्द्रा स्कूल आफ संस्कृत ग्रामर्स' में भी कातन्त्रव्याकरण पर विस्तार से चर्चा है। तिब्बतीभाषा में इस पर कम से कम २३ टीकाएँ लिखी गई हैं। जर्मनी में विद्यमान तुर्फान हस्तलेखों के विवरण में निम्नाङ्कित प्रविष्टियाँ कातन्त्र से संबद्ध हैं[१]।

1. Grammer related to the Katantra 1,633;
2. Katantra 1.64, 246, 489, 534, 644;
3. Katantra Kat. Gr. 1,208

भोट भाषा में अनूदित कातन्त्रग्रन्थों का परिचय

१. **कलापसूत्रम्** ग्रन्थसंख्या ४२८२ (Le, 1.b - 20a7) रचयिता- राजदेव (rGyal-PohiLha) अनुवादक-स्थिरमति (blo-Gross br TanPa) तिब्बतीय विद्वान्।

२. कलापसूत्रवृत्ति : ग्र. सं. ४२८३, पत्र-सं. Le २१ b[1] . 3ib[६] रचयिता दुर्गसिंह। अनुवादक-कीर्तिध्वज (Grags -Pa rGyal-mTshan) तिब्बतदेशीय आचार्य।

१. Sanskrit hand schriften Aus Den Turbanfunden wiesbaden west Germany

३. कलापलघुवृत्तिः शिष्यहिता ग्र. सं. ४२८४, पत्र सं. Le. ३१b^{1}-६३a^{3} रचयिता-मुक्तेश्वर (rGrol-Bahi dBani-Phyug), अनुवादक-शान्तिप्रभ (Shi-Ba Hod)

४. शिष्यहिता कलापव्यारणसूत्रवृत्तिः ग्र. सं. ४२८६, पत्र-सं. (Le ७५b१-३१७a७; रचयिता रूद्रभूति या उग्रभूति (Jo-Bo -Drag-h Byor) अनुवादक-बोधिशेखर (Byari-Chub -rTse-Mo)

५. कलापसूत्रवृत्तिः स्यादिविभक्तिप्रक्रिया ग्र. सं. ४२८८, पत्र-सं. Se. 54b^{5}-६७a^{7} रचयिता Mani-hi-ka-wi (?) अनुवादक-१. स्थिरमति (bho-Gross-be Tan-Pa) २. धर्मकीर्तिश्रीभद्र (Chos-Grags-d Pal-bZari-Po)

६. स्याद्यन्तप्रक्रिया ग्र. सं. ४२८७, पत्र-सं. (Se-1b^{1} -54a^{7}) रचयिता-मञ्जुश्रीकीर्ति (b Jam-dPal-Grags.Pa) अनुवादक स्थिरमति (bho-Gros-brtan-Pa)।

७. त्याद्यन्तप्रक्रियाविचारितम् ग्र.सं. ४२८६, पत्र-सं. Se. ६७६b^{1}-२३a^{6}) रचयिता-सर्वधर। अनुवादक-वज्रध्वज (rDo- rJe-rGyal-m Tshan)

८. त्याद्यन्तक्रियापदरोहरणम् ग्र.सं. ४४५२, पत्र संत्र (Po.1.b^{1}-70a^{7}) रचयिता नन्दकीर्ति (Dgah-Bah-Grags-Pa) अनुवादक-१. (बु-स्तोन) रत्नसिद्ध; Bu-sTon Rin-chen-Grub) २. धर्मपालश्रीभद्र।

६. कलापधातुसूत्रम् ग्र.सं. ४४२२, पत्र-सं. (No-1 b^{1}-10 a^{7}) रचयिता अनुल्लिखित। अनुवादक-१. बोधिशेखर (Byari -Chub-rT3e-Ma) २. मञ्जुघोष खड्ग (b Jam-d Byaris-ral-Gri)

१०. धातुकायः ग्र.सं. ४२८५, पत्र-सं. (Le. 63 a^{3}-75a^{7}) रचयिता दुर्गसिंह; bgrod-dkah-Seri-Ge) अनुवादक (बु-स्तोन) रत्नसिद्ध); Bu-sTon Rinchen-Grub)।

११. कलापोणादिसूत्राणि ग्र.सं. ४४२५, पत्र-सं. (No 31b^{4}-34b^{1}) रचयिता दुर्गसिंह। अनुवादक-गगनभद्र या आकाशभद्र; Nam-m khalr-bZari-Po)

१२. उणादिवृत्तिः ग्र.सं. ४४२६, पत्र-सं. (No. 34b^{1}-67b^{5}) रचियता दुर्गसिंह। अनुवादक-१. श्रीमणिक (भारतीय विद्वान्) २. श्रीमान् पुण्यभद्र (dPal-lDan-bsod-Nams-bzari-Po) तिब्बतदेशीय आचार्य, ३. वज्रध्वज (rDo-rJe rGyal-m tshan)

भोटभाषा में लिखित टीकाएँ

१. कलापसूत्रवृत्ति स-सङ्-मति-पण्-छेन्।

२.	कलापपंचसन्धिटीका	बु-तोन।
३.	कलापटीका	बुतोन
४.	कलापसोदाहरणा-ख्यातसिद्धिटीका	बुतोन।
५.	कलापस्य सोदाहरणकृत्‌सिद्धिटीका-	बुतोन।
६.	कलापसन्धिभाष्य	लोडोस्‌-तेनपा।
७.	कलापटीका	लोडोस्‌-तेनपा।
८.	कलापसूत्रवृत्ति	लोडोस्‌-तेनपा।
९.	कलापवृत्ति	धर्मपालभद्र।
१०.	कलापबृहद्‌टीका	कुन्‌-वख्येन्‌-ऽजम्‌-दब्यङ्‌स्‌-ब्शद्‌-प।
११.	कलापपञ्चसन्धिटीका	नरथङ्‌ सङ्घश्री।
१२.	कलापसूत्रभाष्य	लोसङ्ग्यच्छन।
१३.	कलापपञ्चसन्धिप्रयोग-	से-छेन-जमयङ्‌-लोडोस्‌।
१४.	ससङ्‌मति पण्छेंनकृत कलापसूत्रवृत्ति-	भाष्य -श-लु-लोचावा।
१५.	कलापपञ्चसन्धिवृत्ति	लोचावा शेरब्‌ रिनछेन ग्यलछन।
१६.	कलापसन्धि-नामटीका	तेनजिन ग्यलछन।
१७.	कलापधातुसूत्रव्याख्या	बोदोङ्‌ छोग-ल-नम्‌-ग्यल।
१८.	कलापसूत्रव्याख्या-सन्धि	तदेव („ „) दे सन्धि
१९.	कलापसूत्र-उत्तरार्थ (पाद२-६)	तदेव („ „) दे
२०.	कलापोणादिसूत्रव्याख्या	तदेव („ „) दे
२१.	कलापसन्धिसूत्रव्याख्या	तेनजिन-ग्यलछन।
२२.	कलापनामसूत्रव्याख्या	-

इनके अतिरिक्त देवनागरी और वंगाक्षरों में मुद्रित ४१ ग्रन्थ उपलब्ध हैं। इसके साथ ही विविध संस्थाओं में लगभग ७६ ग्रन्थों की कम से कम २६८ हस्तलिखित प्रतियाँ सुरक्षित हैं।

पाणिनीयेतर मान्यताएँ (अपाणिनीय वर्ण) ऌ, ˙ ˘ (अनुस्वार); : (विसर्ग); X (जिह्वामूलीय) उपध्मानीय); क्ष्‌ (क्‌ + ष्‌)।

अपाणिनीय साधुशब्द

अतिजरस्य (षष्ठी ए.व.), उदधिष्य (षष्ठी ए. व.), पितरः (द्वितीया ब.व.), भिक्षुष्य (ष. ए.व.), वातोऽपि तापपरितो सिञ्चति (उकारादेश)।

अपाणिनीय धातुएँ

ढुढि अन्वेषणे (चु.), मृग अन्वेषणे (दि.)।

अपाणिनीय संज्ञाशब्द

अघोष, अनुवन्ध, अनुषङ्ग, उपध्मानीय, कारित, घोषवत्, जिह्वामूलीय, धुट्, नामी, वर्ग, विकरण, शिट्, श्रद्धा, सन्ध्यक्षर, समान।

अपाणिनीय गण

दृगादि, धेन्वनडुहादि, नदादि, यजादि, राजादि, सद्यआदि।

अपाणिनीय प्रातिपदिक

अनड्वाह (अनडुह), चत्वार, (चतुर), पुमनस् (पुम्स्), भवन्त् (भवत्)

अपाणिनीय प्रत्यय

आयि (क्यङ्) इच् (चिण्), इन् (णिच्), यण् (यक्), यिन् (काच्) सण् (क्स), सि (सु)।

अपाणिनीय विकरण

अन् (शप्), न (श्नम्), ना (श्ना), नु (श्नु), यन् (श्यन्)

अपाणिनीय संज्ञाएँ

अग्नि (घि), अन्तस्था (यण्), आशीः (लिङ्-लोट्), क्रियातिपत्ति (लृङ्), चक्रीयित (यङ्प्रत्यय), धुट् (सि-आदिप्रत्यय), पञ्चमी (लोट्), परोक्षा (लिट्), भविष्यन्ती (लृट्), लिङ्ग (प्रातिपदिक), अद्यतनी (लुङ्) ऊष्मन् (शल्), व्यञ्जन (हल्), वर्तमान (लट्), श्वस्तनी (लुट्), सप्तमी (लिङ्) स्वर (अच्), ह्यस्तनी (लङ्)।

अपाणिनीय गण

यजादि (स्वरितानुबन्ध धातुएँ), रूचादि (अनुदात्तानुबन्ध धातुएँ)।

कातन्त्रव्याकरणीय चार अध्यायों के २५ पादों की सूत्रसंख्या १४०१ है।

०२. चान्द्रव्याकरण का इतिहास और विशेषताएँ

संस्कृत के ८-९ प्रमुख व्याकरणों में आचार्य चन्द्रगोमी का चान्द्रव्याकरण भी सम्मिलित है, जैसाकि "इन्द्रश्चन्द्रः" तथा "ऐन्द्रं चान्द्रम्" इत्यादि वचनों से सिद्ध होता है। यद्यपि कात्यायन तथा पतञ्जलि द्वारा प्रस्तुत संशोधनों के अनुसार पाणिनीय व्याकरण का जो एक परिष्कृत संस्करण तैयार किया जा सकता था, उसी रूप में आचार्य चन्द्रगोमी ने अपना व्याकरण बनाया, तथापि लाघव, विस्पष्टता, सम्पूर्णता एवं संज्ञासूत्रों का अभाव आदि विशेषताओं के कारण चान्द्रव्याकरण अपना एक स्वतन्त्र विशिष्ट स्थान रखता है।

भारतीय वैयाकरण चन्द्रगोमी द्वारा भारत में रचित व्याकरण (वृत्तिसहित) का सर्वप्रथम जर्मनी के लिपजिग शहर से डॉ. ब्रूणो लिबिश के सम्पादकत्व में हुआ। लिबिश द्वारा सम्पादित प्रथम संस्करण में केवल सूत्रपाठ हैं, जबकि द्वितीय संस्करण में सूत्रपाठ के साथ वृत्ति आदि का भी सन्निवेश किया गया है। तृतीय संस्करण श्रीक्षितीशचन्द्र चटर्जी द्वारा सम्पादित है, जो पूना के डेक्कन कॉलेज से दो भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग (१९५३ ई.) में सूत्रों के साथ वृत्ति (अ०१-३) तथा द्वितीय भाग में भी सूत्र-वृत्ति (अ०४-६) मुद्रित है। चान्द्रव्याकरण के सूत्रों का चतुर्थ संस्करण पं. बेचरदास जीवराज दोशी के सम्पादकत्व में राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान, जोधपुर से १९६७ ई. में धातुगण-उणादि-वर्णसूत्रों के साथ प्रकाशित हुआ है। इस व्याकरण के सूत्रों की कुल संख्या ३०९९ धातुओं की १६३७, गणों की १९३, उणादिसूत्रों की ३२८ (३ पाद), परिभाषासूत्रों की ८६ तथा वर्णसूत्रों की ४९ या ५१ है।

यद्यपि सम्प्रति इस व्याकरण में छह अध्याय प्राप्त होते हैं, परन्तु वैदिकशब्दसिद्धि के रूप में सप्तम और अष्टम अध्यायों की भी रचना की गई थी। इसमें २७ अन्तःसाक्ष्य और छह अन्य प्रमाण मिलतें हैं। जैसे- तव्यस्य वा स्वरितत्वं वक्ष्यामः अनौ वस इति प्रतिषेधान्नाद्युदात्तत्वं भवति" (चा.वृ.१.१.१०५, १३४) इत्यादि। बु-स्तोन रिन-छेन-ग्रुब (डुपु) ने अपने हिस्ट्री आफ बुद्धिज्म, पार्ट २, पेज ७३३ में कहा है कि चान्द्रव्याकरण का परिमाण ३२ पाद और ७०० श्लोक था, जबकि वर्तमान में २४ ही पाद उपलब्ध हैं।

चन्द्राचार्य का जीवन-परिचय

चान्द्र व्याकरण के प्रणेता चन्द्राचार्य अथवा आचार्य चन्द्रगोमी एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। कुछ विद्वान् इन्हें चन्द्राचार्य के नाम से तो कुछ विद्वान् चन्द्रगोमी के नाम से अभिहित करते हैं। वाक्यपदीयकार भर्तृहरि तथा राजतरङ्गिणीकार कल्हण ने चन्द्राचार्य नाम का व्यवहार किया है।[1]

---

१. पर्वतादागमं लब्ध्वा भाष्यबीजानुसारिभिः।
स नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचार्यादिभिः पुनः।। (वा.प.२.४८३)
चन्द्राचार्यादिभिर्लब्ध्वादेशं तस्मात् तदागमम्।
प्रवर्तितं महाभाष्यं स्वं च व्याकरणं कृतम्।। (राजत०१.१७६)

चन्द्रगोमी नाम का उल्लेख पुरुषोत्तमदेव की भाषावृत्ति (७.२.६६), उज्जवलदत्त की उणादिसूत्रवृत्ति (पृ. १६२, १६३), पृथिवीश्वर की सर्वलक्षणा (पृ. ३), वर्धमान की गणरत्नमहोदधि (श्लो० २), शरणदेव की दुर्घटवृत्ति (६.३.६७, ७.३.८३, ८.४.१३) तथा सर्वानन्द की अमरकोशटीका (पृ० १३८-१८२) आदि में मिलता है। इसके अतिरिक्त (न्यू कैटेलॉगस कैटेलागरम Vol. ६ पृ. ३४६-३५०) में जो चन्द्रयोगिन् वज्रचन्द्रगोमिन्, चन्द्रगोपिन् तथा 'व्याकरण दर्शनेर इतिहास' (पृ. ४१७) में जो भद्रगोमी नाम उल्लिखित है, वे सभी संभवतः आचार्य चन्द्रगोमी से अभिन्नता ही रखते हैं। यह निश्चित है कि उनका मुख्य नाम चन्द्र ही था, **गोमिन् की उपासना** करने या विशेष पूज्य होने के कारण चन्द्रगोमी नाम से तथा संस्कृतव्याकरण आदि के प्रौढ़ पण्डित अथ च व्याकरणकार होने के कारण चन्द्राचार्य के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। चन्द्रयोगी आदि नामों में भी उनके विशेष विद्याज्ञान या गुणविशेष को कारण माना जा सकता है। कहीं पर केवल "चन्द्र" नाम का भी प्रयोग मिलता है। बौद्ध सम्प्रदाय में इन्हें अद्भुत आचार्य कहा गया है।

देश

लामा तारानाथ के अनुसार ये प्राच्यदेशीय विशेषक नामक क्षत्रिय पण्डित के घर उत्पन्न हुए थे। बाल्यावस्था में ही किसी तैर्थिक पण्डित से शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की थी। व्याकरण के अतिरिक्त वैद्यक, छन्द तथा विद्यासम्बन्धी अनेक ग्रन्थों की रचना की है। इनका विवाह तारा नामक राजकन्या से हुआ था। आर्या तारा के अनुग्रह से ये गङ्गा समुद्रसङ्गम पर स्थित एक ऐसे विशालद्वीप पर पहुँचे, जहाँ पर रहने के कारण उस द्वीप का नाम चन्द्रद्वीप पड़ गया। आर्य अवलोकित की प्रेरणा से उन्होंने "गोमिन्" की उपासना की, तबसे इनका नाम "चन्द्रगोमिन्" पड़ा। डॉ. हर्षनाथमिश्र ने "गोमिन्" शब्द के सादृश्य से यह भी संभावना की है कि चन्द्रगोमी उस वंश के हो सकते हैं जिस वंश में काव्यालंकार के कर्ता भामह के पिता रक्रिलगोमी उत्पन्न हुए थे।

अधिकांश विद्वान् चन्द्रगोमी को वङ्गदेशीय ही मानते हैं, परन्तु डॉ. हर्षनाथ मिश्र गोमिन् वंश की सत्ता कश्मीर में स्वीकार करते हुए इन्हें कश्मीरी मानना चाहते हैं। लामा तारानाथ के अनुसार ये वंग प्रान्त के वरेन्द्र नामक स्थान (राजशाही-बँगलादेश) में या उसके आसपास कहीं विशेषक नामक क्षत्रिय पण्डित के घर उत्पन्न हुए थे। इन्होंने सिंहलद्वीप आदि की भी यात्राएँ की थीं। नालन्दा आने पर इनका चन्द्रकीर्ति के साथ शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें विजयश्री इन्हें ही मिली। चन्द्रकीर्ति के समन्तभद्र नामक व्याकरण को देखने पर इन्होंने अपने व्याकरण को जगत्कल्याणकारी न समझकर कुएँ में फेंक दिया, परन्तु बाद में भट्टारिका तारा के आदेशानुसार उसे बाहर निकाल लिया। कहा जाता है कि इन्होंने ४३२ ग्रन्थों की रचना की थी इस प्रकार चिरकाल तक वे प्राणिमात्र का हित संपादित कर

अन्त में पोतल चले गए। कल्हणद्वारा स्मृत महाभाष्य के उद्धारक चन्द्राचार्य को चान्द्रव्याकरणकार चन्द्रगोमी से भिन्न व्यक्ति मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता।

काल

इनके काल के विषय में अनेक मत हैं, जैसे-१ विक्रमपूर्व १०००वर्ष, यीशु-पूर्व प्रथम-द्वितीय शताब्दी, यीशवीय प्रथम, पंचम तथा सप्तम शताब्दी आदि। युधिष्ठिर मीमांसक अपने (१००० वर्ष विक्रमपूर्व) के समर्थन में दो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं- एक तो राजतरंगिणी का, जिसमें कश्मीरनरेश अभिमन्यु के निर्देशानुसार चन्द्राचार्य ने महाभाष्य का उद्धार किया था और अन्य-चान्द्रव्याकरण के "अजयज्जर्तो हूणान्" इस उदाहरण का (चा. वृ.१.२. ८१)। मीमांसक जी ने पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निर्धारित कालक्रम की अपेक्षा भारतीय पौराणिक और राजतरंगिणी की कालगणना को अधिक विश्वसनीय माना है। इनके अनुसार प्रतापादित्य और विक्रमादित्य अभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने मातृगुप्त को कश्मीर का राजा बनाया था। मातृगुप्त और अभिमन्यु में कम से कम १००० वर्षों का अन्तर है, अतः मीमांसक जी चन्द्राचार्य का काल विक्रम से १००० वर्ष पूर्व मानते हैं।

एक विवेचन के अनुसार व्याडि-पतञ्जलि-चन्द्राचार्य-वसुरात-भर्तृहरि उत्तरोत्तरवर्ती आचार्य हैं। चीनी यात्री इत्सिङ् ने भर्तृहरि का मृत्युसमय (वि. सं. ७०८) ६५१ ई. माना है। अतः चन्द्राचार्य का काल सप्तम शताब्दी भी सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार कश्मीरनरेश अभिमन्यु के काल पर चन्द्राचार्य का काल आधारित होने तथा अभिमन्यु के काल में विविध मान्यताएँ होने के कारण चन्द्राचार्य का समय असन्दिग्ध रूप में निर्णीत नहीं किया जा सकता फिर भी पाणिनीय-परवर्ती व्याकरणों में कातन्त्र के बाद चान्द्र व्याकरण की ही गणना की जाती है, जो अष्टधा-नवधा व्याकरणों में उल्लिखित है तथा संज्ञासूत्ररहित है-"चान्द्रमसंज्ञकं व्याकरणम्" (द्र.चा. वृ.२.२.६८, वाम. लि.-पृ. ७, सर.क.-ह. हा. ४. ३/२४५)।

बौद्ध आचार्य

इनके बौद्ध होने में १२ प्रमाण उपलब्ध होते हैं, जिनमें मुख्य वचन इस प्रकार हैं- सिद्धं प्रणम्य सर्वज्ञम्- (प्रतिज्ञावचन)। नमो बुद्धाय नमो मञ्जुघोषाय नमो मृत्युजिते (चा.धा. पा.-चा.व.सू.)। नमो मञ्जुघोषाय (चा.उ.सू.)। निर्वाणो भिक्षुः (चा.वृ.६.३.८६)। जिनो भगवान् बुद्धः (चा.उ.सू. १.६५)। तारा भगवती (चा.उ. सूत्र १.६४)। वरणा नदी (चा. उ.सू.२.६७)। रूद्रो विश्वेश्वरो देवो युष्माकं कुलदेवता। मारजिद् भगवान बुद्धस्त्वस्माकं कुलनन्दनः ११ (चा.वृ. ६.३.१६)

रचनाएँ

कहा जाता है कि इन्होंने १०८ स्तोत्र, १०८ आध्यात्मिकशास्त्र, १०८ लौकिकशास्त्र तथा १०८ शिल्पशास्त्र के ग्रन्थ लिखे थे। दश भूमक, चन्द्रप्रदीप गण्डालंकार, लङ्कावतार और जिनमातृसूत्रों की एक एक विषयसूची भी लिखी थी। प्रदीपमाला नामक एक अन्य शास्त्र का भी प्रणयन किया था, जिसमें बोधिसत्व के समस्त पराक्रम की देशना की गई है। तनू-ग्युर-देगे संस्करण के अनुसार तिब्बती में इनके नाम से ५३ ग्रन्थ उल्लिखित हैं। कुछ नाम इस प्रकार है-

१. (स्तव)-देशनास्तव (सं. ११५६)। २. (तन्त्र)-ताराबलिविधि (सं. १७३८) ३. आर्यमञ्जुश्रीनाम संगीतिनाम महाटीका (सं. २०६०) ४. भगवद् आर्य मञ्जुश्रीसाधिष्ठानस्तुति (२७२०)। ५. हयग्रीवसाधन (सं.३०३५) ६. रक्षाचक्र (सं. ३०८६) ७. आर्यतथागतोष्णीषसितातपत्रनाम धारणीविधि (सं. ३०६६) ८. अष्टशतसाधन (सं. ३६६५) ६. आयुर्वर्धनविधि (सं ३६६६) १०. श्रीमहातारास्तोत्र (सं.३६६७) ११. आर्यतारास्तोत्र- कर्मसाधन (सं३६६८) १२. आर्यतारादेवीस्तोत्र-पुष्पमाला (सं.३६७०) (बौद्धदर्शन) १३. बोधिसत्वसंवरविंशक (सं.४०८१) (जातक= साहित्य) १४. लोकानन्दनाटक (सं. ४१५३) (लेख) १५. शिष्यलेख (४१८३) १६. शिष्यलेख (सं. ४४६७) प्रमाण १७. न्यायसिद्ध्यालोक (सं. ४२४२) (व्याकरण) १८. चान्द्रव्याकरणसूत्र (४२६६) (उपासना या पूजा) १६. चन्द्रगोमिप्रणिधान (सं. ४३८६)

चान्द्र व्याकरण का परिचय

संस्कृत के ८-६ प्रधान व्याकरणों में आचार्य चन्द्रगोमिप्रणीत चान्द्रव्याकरण भी सम्मिलित है।

इस व्याकरण में छह अध्याय तथा चौबीस पाद हैं। स्वरवैदिक प्रकारण के रूप में सप्तम-अष्टम अध्यायों की भी सत्ता इसमें स्वीकार की जाती है। इसकी तीन अन्य भी विशेषताएँ हैं-१. लाघव, २. विस्पष्टता तथा ३. सम्पूर्णता। ग्रन्थ के प्रारम्भ में कहा गया है-

सिद्धं प्रणम्य सर्वज्ञं सर्वीयं जगतो गुरूम्।
लघुविस्पष्टसम्पूर्णमुच्यते शब्दलक्षणम्।।

स्वरचित सूत्रों पर चन्द्रगोमी ने एक वृत्ति भी लिखी थी। इसके अतिरिक्त इनके शिष्य धर्मदास द्वारा भी वृत्तिग्रन्थ लिखे जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। नेपाल में इसके हस्तलेख सुरक्षित हैं। प्रकाशित वृत्ति यद्यपि चन्द्रगोमी की ही सिद्ध की जाती है, परन्तु यह विषय विवादास्पद भी हो सकता है। सिंहलदेशीय बौद्ध भिक्षु महाकाश्यप ने बालावबोधन नामक चान्द्रसूत्रवृत्ति, विद्वत्प्रतापसिंह ने चान्द्रभाष्यव्याख्यान, पूर्णचन्द्र तथा भिक्षु रत्नमति ने

चान्द्रपञ्जिका, पूर्णचन्द्र ने चान्द्रपारायण नामक धातुवृत्ति, आनन्ददत्त ने चान्द्रपद्धति, गुणाकर नामक बौद्ध विद्वान् ने पात्रीकरण, बुद्धनाग स्थविर ने लीनार्थदीप, तिब्बतीय विद्वान् सूर्यगर्भ ने सम्बन्धसिद्धाभिधानप्रक्रिया एवं चन्द्रगोमी ने चान्द्रलिङ्गवृत्ति की रचना की थी। इस व्याकरण पर १५ से भी अधिक वृत्ति-व्याख्यान लिखे जाने के कुछ आधार प्राप्त होते हैं।

वङ्गदेशीय सिल्हेट मण्डल के पश्चिम ओर मिले ताम्रपट्ट के लेखानुसार श्रीचन्द्र नामक राजा ने नौ विद्याकेन्द्र स्थापित किए थे। उनमें से आठ में वेदाध्ययन होता था और एक में चान्द्रव्याकरण का अध्यापन। सिंहल देश में चान्द्रव्याकरण के अध्ययन को सुविधाजनक (सरल) बनाने के उद्देश्य से महाकाश्यप ने बालावबोध नामक ग्रन्थ लिखा था। इस प्रकार उपरिदर्शित अनेक विशेषताओं के कारण चान्द्रव्याकरण संस्कृत-व्याकरण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। विशेषताओं का संक्षिप्त स्पष्टीकरण इस प्रकार है।

चन्द्रोपज्ञम् असंज्ञकं व्याकरणम्

शब्दों के प्रयोग से लोकव्यवहार में लाघव, सरलता अथ च असन्दिग्धबोध होता है। उनमें भी संज्ञाशब्दों का प्रयोग अतिशय लाघवकारक होता है। लोक में संज्ञाकरण के तीन मुख्य प्रयोजन होते हैं-१. पापराशि का विनाश, २. सरलता से व्यवहार-सम्पादन तथा ३. विशेष गुण या क्रिया आदि का प्रकाशन। परन्तु व्याकरणशास्त्र में इसके आठ प्रयोजन कहे जा सकते हैं-

१. शीघ्रता या लघु उपाय से अभीष्ट अर्थ (सञ्ज्ञियों) का अवबोध। २. अन्वर्थता का बोध, ३. सुखपूर्वक अर्थावबोध, ४. शब्दशक्ति का नियमन, ५. धर्मप्राप्ति, ६. मङ्गलाचरण, ७. पूर्वाचार्यों की कीर्ति का रक्षण एवं ८. अन्य अभीष्ट कार्यों का संपादन।

प्रायः सभी शास्त्रों में संज्ञाओं का महत्त्व स्वीकार किया गया है। वैदिक नामों के ज्ञान पर विशेष बल देते हुए कहा गया है-

अवश्यं वेदितव्यो हि नाम्नां सर्वस्य विस्तरः।
न हि नामान्यविज्ञाय मन्त्राः शक्या हि वेदितुम।। (बृ.दे. १.८०)

कुछ संज्ञाएँ अन्वर्थ होती हैं तो कुछ सांकेतिक। चन्द्रगोमी ने संभवतः इन्हीं असुविधाओं से बचने के लिए संज्ञासूत्रों का बहिष्कार किया, लेकिन संज्ञा-शब्दों का प्रयोग किए बिना व्याकरणशास्त्र नहीं बनाया जा सकता, अतः उन्हें भी कारक, समास, सङ्ख्या जैसी लोकप्रसिद्ध अनेक संज्ञाओं का प्रयोग तो करना ही पड़ा है। चन्द्रगोमी ने लोक में प्रसिद्ध होने के कारण इन संज्ञाओं के अर्थ बताने की आवश्यकता सूत्रों द्वारा नहीं समझी और इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपने व्याकरण में संज्ञा सूत्र नहीं बनाए। इस प्रकार उनका व्याकरण असंज्ञक कहा जाता है-

चन्द्रोपज्ञमसंज्ञकं व्याकरणम् (चा. वृ० २.२. ६८, बाम. लि. पृ. १)
चान्द्रमसंज्ञकं व्याकरणम् (सर.क. ह.हा. ०४.३.२४५)

पाणिनीय व्याकरण में संज्ञाविषयक जिन २४ प्रकार की दुरूहताओं का अनुभव किया जाता है, चन्द्राचार्य ने गद्यरचना आदि के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया है। जिन संज्ञाशब्दों का प्रयोग विधिसूत्रों में किया गया है, उनका अर्थ प्रायः यौगिक बल से ही ज्ञात हो जाता है। जैसे-अनुनासिक, दीर्घ, पद, धातु, समास, लोप इत्यादि।

लाघव

एक ही अर्थ को कभी अल्प शब्दों में तथा कभी विपुल शब्दों में कहने का मनुष्य का स्वभाव होता है। कृष्णद्वैपायन व्यास ने कहा है-

विस्तीर्य हि महज्ज्ञानमृषिः संक्षेपतोऽब्रवीत्।
इष्टं हि विदुषां लोके समासव्यासधारणम्।। (म.भा. १.१.५१)

अर्थात् एक ही विषय के वर्णन में कभी लाघव तो कभी गौरव का आश्रय लिया जाता है। लाघव दो प्रकार का होता है-१. शब्दलाघव तथा २. अर्थलाघव। शब्दलाघव में कम से कम शब्दों द्वारा विवक्षित अर्थ को कहने का प्रयास किया जाता है, परन्तु शब्दों के कम से कम प्रयोग पर ध्यान अधिक केन्द्रित रहने के कारण कभी-कभी अर्थ में अस्पष्टता-दुरूहता आदि आ जाती है। अर्थलाघव में शब्दों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है। प्रत्याहारों के प्रयोग से पाणिनीय व्याकरण में शब्दलाघव का तथा अर्थ के स्पष्टावबोध से कातन्त्रव्याकरण में अर्थलाघव का समादर हुआ है। चान्द्रव्याकरण में रचनाशैली आदि के कारण यह लाघव कम से कम २६ प्रकार का देखा जा सकता है। जैसे-

१. **मात्रा-वर्णकृत-लाघव**

पाणिनीय	चान्द्र
अकः सवर्णे दीर्घः (६.१.१०१)	अकोऽकि दीर्घः (५.१.१०६)
तस्माच्छसो नः पुंसि (६.१.१०३)	शसो नः पुंसि (५.१.११०)
तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य (१.१.६६)	सप्तम्यां पूर्वस्य (१.१.७)

२. क्रमविशेषाङ्गीकार-लाघव, ३. सूत्र-वार्त्तिकपाठजन्य लाघव।
४. सूत्र-वार्त्तिक-भाष्यप्रयुक्त लाघव, ५. प्रपञ्चार्थकशब्दावली-परित्यागजन्य लाघव। आदि।

विस्पष्टता

भारवि के अनुसार वाग्मी पुरुष की वाणी के चार गुण होते हैं-१. स्फुटता, २. अर्थगौरव, ३. पृथगर्थता तथा ४. सामर्थ्ययोग।

स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थगौरवम्।
रचिता पृथगर्थता गिरां न च सामर्थ्यमपोहितं क्वचित्।।

(किराता. २.२७)

सूत्र के लक्षणों में सर्वप्रथम अल्पाक्षर होना कहा गया है, परन्तु उसे असन्दिग्ध-सारवान्-विश्वतोमुख-अस्तोभ तथा अनवद्य भी होना चाहिए। सन्देह होने पर व्याख्यान से विशेष निर्णय किया जाना सम्भव होने पर भी सन्देह का अवसर यथासम्भव उपस्थित नहीं होने देना चाहिए। सारवान् अर्थ ही शब्द का प्राण होता है और विस्पष्टता ही अर्थ का जीवन। चन्द्राचार्य ने मङ्गलश्लोक में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार विस्पष्टार्थाभिधायक सूत्रों की रचना का प्रयास किया है। इस विस्पष्टता के आधान कि लिए चन्द्राचार्य ने पाणिनीय सूत्रों की अपेक्षा जो परिवर्तन किए, उन्हें निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है-

१. क्लिष्टार्थक शब्दों का परित्याग, २. योगविभाग का आश्रय।
३. प्रसिद्ध अर्थों का प्रयोग, ४. ज्ञानगौरव का अभाव।

विस्पष्टार्थक कुछ सरल शब्दों का प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिए-

पाणिनीय	चान्द्र
प्रत्यवसान (३.४.७२)	आहार (१.२.७१)
अकृच्छ (३.२.१३०)	शक्ति (१.२.७५)
अनवनम् (१.३.६६)	अपालनम् (१.४.११६)
शालीनीकरण (१.३.७०)	अभिभव (१.४.१२२)
निगरण (१.३.८७)	आहार (१.४.३६)
श्रद्धाप्रतीघात (१.४.६६)	तृप्ति (२.२.२६)
अविप्रकृष्टाख्यानम् (२.४.५)	सन्निकृष्टपाठ (२.२.५२)
तदाद्याचिख्यासा (२.४.२१)	तदादित्व (२.२.६८)
उपसर्जन (४.१.५४)	अप्रधान (२.३.६१)
व्याहृतार्था (५.४.३५)	सन्देश (४.४.१८)
गन्धन (१.२.१५)	सूचन (५.३.४७)

सम्पूर्णता की संभावना

लौकिक शब्दों की सिद्धि दर्शाने वाले सूत्र तो इस व्याकरण में उपलब्ध, ही हैं, ऐसा भी माना जाता है कि वैदिक शब्दों की सिद्धि के लिए भी चन्द्रगोमी ने सूत्र बनाए थे। वैदिक सूत्रों वाले सप्तम-अष्टम अध्याय उस समय नष्ट हो गए थे, जब चन्द्राचार्य ने अपना व्याकरण कुएँ में फेंक दिया था, या फिर कट्टरपन्थी बौद्धों ने उन्हें बाद में नष्ट कर दिया। स्वरवैदिक सूत्रों की संभावना में अनेक प्रमाण प्रस्तुत हैं। चान्द्रपञ्जिका में उद्धृत वचनों से उक्त का समर्थन होता है- जैसे-"तव्यानीयर्केलिमरः" (चा.सू. १.१.१०५) सूत्र की स्वोपज्ञवृत्ति में आचार्य चन्द्रगोमी ने कहा है-"तव्यस्य वा स्वरितत्वं वक्ष्यामः"। इस प्रतीक पर पञ्जिका में कहा गया है- "तव्यस्य तकारानुबन्धकोऽपि स्वरितो यथा स्यादितीष्टः। स कथं स्यादित्याह-तव्येत्यादि इ्यतव्यौ स्वरिताविन्यनेन।" ज्ञातव्य है कि पाणिनि ने स्वरभेद दिखाने के लिए तव्यत्-तव्य (तव्यत्-तव्यानीयरः ३.१.९६) तथा ड्यत्-ड्य (वामदेवाड् डयड्डयौ ४.२.८) प्रत्ययों में एक त्-अनुबन्धविशिष्ट तथा दूसरा त्-अनुबन्धरहित किया है। तकारानुबन्धविशिष्ट प्रत्ययवाले शब्दों में तित् स्वरितम्" (पा. ६.१.१८५) से स्वरित स्वर का विधान दिखाया है। चन्द्रगोमी ने दो-दो प्रत्यय नहीं माने है। उन्होंने अपने व्याकरण में "तव्य" और "ड्य" प्रत्यय (३.१.९) किए हैं और उनसे सिद्ध होने वाले शब्दों में स्वरित स्वर का विधान विकल्प से करने की प्रतिज्ञा की है। पञ्जिकाकार ने "ड्यतव्यौ स्वरितो" यह सूत्र देकर चान्द्रव्याकरण में स्वरप्रकरणसंबन्धी सूत्रों की संभावना को प्रमाणित कर दिया है। स्वरविधायक अन्य भी ३ सूत्र इस प्रकार दिए गए हैं-१. इगुपान्त्य-तृ-वृ-समु-दुह-जन-वधो ण्यतः, २. यावदुपात्तस्य, ३. तित्। चान्द्रवृत्ति के "ञमङणनम्" इस प्रत्याहारसूत्र (६) में "म्" अनुबन्ध से पाँच प्रत्याहार माने गए हैं-अम्, यम्, ञम्, मम्, तथा ङम्। मम् प्रत्याहार का विधिसूत्र दिया है- "विन्मतोर्मम्"। परन्तु यह सूत्र चान्द्रव्याकरण के भाषाभाग में दृष्ट नहीं है। चान्द्रपञ्जिकाकार पूर्णचन्द्र ने इस सूत्र को भी उदृत किया है। संभवतः यह सूत्र चान्द्रव्याकरण के सप्तम अध्याय (वैदिक प्रकरण) में रहा होगा इस प्रकार वैदिक-लौकिक उभयविध शब्दों का साधुत्व बताने वाला यह व्याकरण पूर्ण भी कहा जा सकता है।

कुछ मुख्य व्याख्याकारों का संक्षिप्त परिचय

चान्द्रवृत्तिकार आचार्य धर्मदास

चान्द्रव्याकरण के सूत्रों पर सर्वप्रथम चन्द्रगोमी ने ही वृत्ति की रचना की थी और धर्मदास ने उसके आधार पर एक स्वतन्त्र वृत्ति ग्रन्थ लिखा था। उसमें उनके भी विचारों का प्रदर्शन हुआ होगा, जिनका स्पष्टीकरण नेपाल में सुरक्षित धर्मदासकृत वृत्ति के प्रकाशित हो जाने पर ही हो सकेगा। डॉ. ब्रूणो लिबिश द्वारा तिब्बती से अनूदित तथा संपादित

चान्द्रवृत्ति लिपजिग-जर्मनी, १९१८ ई. के पृ. ५१ पर "श्रीमदाचार्य धर्मदासस्य कृतिरियम्" पाठ उपलब्ध होता है। नेपाल राजकीय वीर पुस्तकालयस्थ हस्तलिखित पुस्तकों के बृहत् सूची पत्र (व्याकरणविषयक, भाग ६ पृ.२१-२२) में पूर्वलिच्छवी तथा नेवारी लिपियों में आठ हस्तलेख चान्द्रवृत्ति के उल्लिखित हैं, जिनके रचयिता धर्मदास हैं। इस वृत्ति के प्रकाशित हो जाने पर यह ठीक से ज्ञात हो सकेगा कि जर्मनी तथा पूना से प्रकाशित चान्द्रवृत्ति चन्द्रगोमी की स्वोपज्ञवृत्ति है अथवा ऊपर के लेखानुसार धर्मदास की। जर्नल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी मार्च १९३७ Vol. २३ भाग १ में चान्द्रव्याकरणवृत्ति के दो ग्रन्थों का उल्लेख है, परन्तु सम्प्रति वे उक्त संस्था में प्राप्त नहीं होते। संभवतः ये ग्रन्थ राहुल सांस्कृत्यायन के अपने व्यक्तिगत पुस्तकालय में सुरक्षित हों ग्र.सं. २९५ चान्द्रव्याकरणवृत्ति रचयिता चन्द्रगोमी, लिपि मागधी। ग्र.सं. २९४ चान्द्रव्याकरणवृत्ति, रचयिता चन्द्रगोमी, लिपि कुटिला।

तिब्बतीसंस्थान, सारनाथ से प्रकाशित तम्-ग्यु-सेर-ग्यी-थङ्-मा (लेखक-प्रो. गेदुन् छोस् फेल) नामक पुस्तक के अनुसार चान्द्रवृत्ति मूल संस्कृत में तिब्बत के किसी स-स्वच विहार में संगृहीत थी।

जर्मन पण्डित डॉ. ब्रूर्णो लिबिश ने कहा है कि चन्द्रगोमी रचित वृत्ति को उनके शिष्य धर्मदास-द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार चन्द्रगोमी के शिष्य होने के कारण धर्मदास को बौद्धमतावलम्बी कहना पड़ेगा। इनके मतों का उल्लेख प्रकाशित चान्द्रवृत्ति तथा गोपीचन्द्र की संक्षिप्तसार-टीका में हुआ है।

चान्द्रपञ्जिकाकार पूर्णचन्द्र

इन्होंने चान्द्रधातुपाठ पर चान्द्रधातुपारायण नामक व्याख्या लिखी थी। इसके अनेक उद्धरण पूर्णचन्द्र तथा पारायण के नाम से प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। जैसे "दैवम्" के व्याख्याता लीलाशुकमुनि तथा अमरकोश के टीकासर्वस्वकार ने वर्णन किया है-

"तथैव चन्द्रेण पूर्णचन्द्रेण ऋणु गतौ .... (दैवम्-पुरूषकारः, पृ.२४)
"ऋभुक्षो वज्रः इति धातुपारायणे पूर्णचन्द्रः" (अ.को.टी.सं. १.१.४४)

धातुपारायण ग्रन्थ प्रकाशित नहीं है, अतः इसकी विविध विशेषताओं का पर्याप्त परिचय तो नहीं दिया जा सकता, तथापि गुरुपद हालदार के लेखानुसार यह तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि पूर्णचन्द्र ने पाणिनीय सम्प्रदाय के भीमसेनपरिष्कृत धातुपाठ को आधार मानकर उक्त व्याख्या लिखी थी (द्र. व्या. द. इति., पृ. ४०७, ४०९, ४११)। न्यू कैटेलागस कैटे. (Vol. ९ पृ. २९५) के अनुसार पूर्णचन्द्र ने चान्द्रधातुसूत्रों की भी रचना की थी। यह भी कहा जाता है-कि चान्द्रधातुपाठ के अनुसार दुर्गसिंह ने कातन्त्रीय धातुपाठ की रचना की थी।

इनका काल निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, तथापि ११-१२वीं शताब्दी में होने वाले (सं० १११५-११६५ के मध्य) क्षीरस्वामी ने क्षीरतरंगिणी में पारायण को उद्धृत किया है, उससे पूर्णचन्द्र को ११वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पूर्ववर्ती ही कहा जा सकता है। क्षीरस्वामी द्वारा दो स्थानों में चन्द्र या चान्द्रविशेषण के साथ पारायण को उद्धृत किया गया है। जैसे-

१. यम चम इति चन्द्रः पारायणे (क्षीर ०१०.७५)।

२. वन श्रद्धोपहिंसनयोरिति चान्द्रं पारायणम् (क्षीर ०१०.२२६)

आचार्य पूर्णचन्द्र ने चान्द्रव्याकरण की पञ्जिका नामक व्याख्या भी लिखी है, जिसका हस्तलेख JBORS २३.१ पेज ४३ पर अंकित है परन्तु यह वृत्ति इस हस्तलेख में अन्तिम पादमात्र है। (Now c.c. Vol-7p 18) चान्द्रपञ्जिका का एक हस्तलेख महापण्डित राहुल सांकृतत्यायन तिब्बत से ले आए थे, जिसका अंशतः अध्ययन कर डॉ. हर्षनाथमिश्र ने उसका सारसंक्षेप तथा विषयपरिचय प्रस्तुत किया है। तिब्बत से प्राप्त इस टीका के प्रारम्भ में-

नमो बुद्धाय। वदाताय अनन्तगुणशालिने।
परानुग्रहदक्षाय बुद्धायास्तु नमः सदा।।"
जयति ख्यातसत्कीर्तिपुत्रो लक्ष्मण (पक्ष्मण) रत्नभूः।
पूर्णचन्द्रः ....वाचस्पतिरिवापरः।।

तथा अन्त में-"पूर्णायां पूर्णचन्द्रविरचितायां पंजिकायां षष्ठोऽध्यायः समाप्तः" इन प्राप्त वचनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस टीका के लेखक का नाम पूर्णचन्द्र है, जिनके पिता का नाम लक्ष्मणरत्न तथा माता का नाम सत्कीर्ति था। लेखक ने ग्रन्थ के आरम्भ में बुद्ध को नमस्कार किया है, इससे लेखक का बौद्धमतावलम्बी होना सिद्ध होता है। टीका का एक विशेषण "पूर्णा" दिया गया है, इससे आठों अध्यायों पर इसके लिखे जाने की संभावना की जा सकती है। प्राप्त हस्तलेख के अन्त में षष्ठ अध्याय की ही समाप्ति का उल्लेख किया गया है, न कि ग्रन्थ की समाप्ति का। इससे भी उक्त विचार की संभावना संपुष्ट होती है। यदि ग्रन्थ यहीं पर समाप्त हो जाता तो "समाप्ता चेयं पञ्जिका" ऐसा भी पाठ होना चाहिए था। इस अंश की अनुपलब्धि के वही कारण कहे जा सकते हैं, जो मूल चान्द्रव्याकरण के ७-८ अध्यायों की अनुपलब्धि में कहे जाते हैं।

इस हस्तलेख में लेखक के काल के संबन्ध में यद्यपि कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, तथापि लिपिविकासविशेषज्ञों द्वारा इसकी लिपि का स्वरूप ८वीं या ९वीं शताब्दी का माना जाता है। कुछ अन्तःसाक्ष्यों के आधार पर डॉ. मिश्र ने इसे जिनेन्द्रबुद्धिप्रणीत न्यास से पूर्ववर्ती सिद्ध किया है। इसमें कुछ ऐसे भी सूत्र प्राप्त है, जिनसे चान्द्रव्याकरण में

स्वर-वैदिक दो अध्यायों के होने की सत्ता प्रमाणित होती है। चार सूत्र इस प्रकार हैं-१. ड्यतव्यौ स्वरितौ. २. इगुपान्त्य-तृ-वृ-समु-दुह-जन-वधोण्यतः ३. यावदुपात्तस्य ४. तित्।

चान्द्रसूत्रों के प्रचुर प्रचार का अभाव समझकर पञ्जिकाकार ने चान्द्रव्याकरण के अधिकांश सूत्रों को उद्धृत किया है। सामान्यतः यह पञ्जिका अतिसरल रीति से लिखी गई है। इसकी अर्थप्रतिपादन शैली परिपुष्ट है। डॉ. हर्षनाथ मिश्र के अनुसार इसमें पद-पदांश-पदांशांश एवं वर्ण को भी आवश्यकतानुसार प्रतीक बनाया है, जबकि न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि ने काशिकावृत्ति के सार्थक पदों को ही प्रतीक रूप में स्वीकार किया है। भाषाटीका की तरह सरल शब्दों वाली तथा विषमस्थलभञ्जिका टीका को पञ्जिका कहते हैं-"पिञ्ज्यते भाष्यते अर्थोऽस्याम्"। अथवा "पिञ्जयति (अर्थम्)" पिजि-क्वुन्+ अक + इकारादेश + टाप् (द्र., अ.को.-रामाश्रमी ३.५.७)। चान्द्र के अनुसार पचि या पिजि धातु से पञ्जिका शब्द निष्पन्न होता है।

चान्द्रपद्धतिकार आचार्य आनन्ददत्त

व्याकरण के विविध सम्प्रदायों में जो आकर ग्रन्थ लिखे गए उनमें वर्णित विषयों का विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से विद्वान् आचार्यों ने टीकाग्रन्थों की रचना की। जैसे पाणिनीय सम्प्रदाय में पतञ्जलिरचित महाभाष्य पर पर भर्तृहरिरचित महाभाष्यदीपिका, कैयटरचित महाभाष्यप्रदीप। कातन्त्रसम्प्रदाय में दुर्गसिंहरचित कातन्त्रवृत्तिटीका, जगद्धरभट्ट की बालबोधिनी। जैनशाकटायन-सम्प्रदाय में अजितसेन की मणिप्रकाशिका। जौमरसम्प्रदाय में गोपीचन्द्र की विवरणी। सारस्वतसम्प्रदाय में चन्द्रकीर्तिटीका। मुग्धबोध-सम्प्रदाय में रामतर्कवागीश की प्रमोदजननी, दुर्गादासटीका। सौपद्म-सम्प्रदाय में विष्णुमिश्र की सुपद्यविवरणमकरन्द तथा वैष्णवसम्प्रदाय में हरेकृष्ण आचार्य की बालतोषणी टीका महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे ही चान्द्रसम्प्रदाय में आनन्ददत्तकृत चान्द्रव्याकरणपद्धति नामक टीका की मान्यता है। इसका उल्लेख पं. गुरुपद हालदार ने 'व्याकरण दर्शनेर इतिहास' "(पृ. ३६६) में किया है-"[1]

आनन्ददत्त का अन्य जीवनवृत्त ज्ञात नहीं है। प्रो. काशीनाथ वासुदेव अभ्यंकर ने इन्हें बौद्धमतावलम्बी कहा है-"आनन्ददत्त Name of a Buddhist grammarian, the author of the work named chandra Vyakaranapaddhati." (Dic.

१. टीकार मध्ये एइ सकल ग्रन्थ सुप्रसिद्ध। पाणिनिसम्प्रदाये महाभाष्येर उपर भाष्यटीका अर्थात् भर्तृहरिर दीपिका एवं कैयटेर प्रदीप। कौमारसम्प्रदाये दौर्गटीका एवं काश्मीरक जगद्धरभट्टेर बालबोधिनी। चान्द्रसम्प्रदाये आनन्ददत्तेर टीका व पद्धति ....।"

Skt. Gr. P. 60) इसके हस्तलेख कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राप्त हैं-"चान्द्रव्याकरण C. Paddhati by Anandadatta. Cambri. Uni, Bud. pp. 158 (Fr). (180 (Fr.), 198 (Fr.), Go "thin gen 2.8 (b) (Fr.)" (New C.C., Vol. Vii, P. 18).

चान्द्रपञ्जिकाकार आचार्य भिक्षु रत्नमति

पं. गुरुपद हालदार के उल्लेखानुसार इन्होंने चान्द्रव्याकरण पर पञ्जिका नामक व्याख्या लिखी थी। भिक्षु रत्नमति बौद्धमतावलम्बी थे-"चान्द्रव्याकरणेर उपर भिक्षु रत्नमतिर पंजिका।" रत्नमति एक जन बौद्ध" (व्या.द. इति., पृ. ३६६)। गणरत्नमहोदधिकार वर्धमान ने हरितादिगण के विचारप्रसंग में लिखा है कि आचार्य रत्नमति हरितादि शब्दों को गण (अध्याय) समाप्तिपर्यन्त मानते हैं, तदनुसार मैंने भी उसे उसी रूप में दिखाया है-[1]। चान्द्रव्याकरण के "हरितादिभ्योऽञः (२.४.३६) इस फक्प्रत्ययविधायक सूत्र में हरितादिगण का उल्लेख हुआ है, परन्तु चान्द्रवृत्ति में एतद्गणान्तर्गत अभीष्ट शब्दों को पढ़ा नहीं गया है। गणरत्नमहोदधि में रत्नमति के नाम से अन्य भी उद्धरणवचन प्राप्त होते हैं-

१. "क्रोडशब्दः स्त्रीलिंगः। ....कल्याणी क्रोडा यस्याः सा कल्याणक्रोडा गौः। ...... रत्नमतिस्तु कल्याणः क्रोडो यस्या इति विग्रहं दर्शयन् पुंल्लिंगतां ख्यापयति" (ग.र. १.४३)।
२. "कृष्णवर्णेऽर्थे काली। .... रत्नमतिस्तु कालशब्दस्य संज्ञावाचिनोङ्ी"। (ग.र. ०१.५४)।
३. देवाम्नाताः। वेदेति रत्नमतिः (ग.र. २.१०६)।
४. "कन्दुः पाकस्थानम्। तस्मिन् मिनोतीति कन्दुमः। अकन्दुमाः कन्दुमाः कृताः कन्दुमकृताः शालयः। कुङ्कुमेति रत्नमतिः" (ग.र.०२.१०६)। New.c.c. के अनुसार रत्नमति ने चान्द्रव्याकरण पर एक टीका लिखी थी, जिसके हस्तलेख RASB vi/4413 or JBORS 23,1, p. 43 (inc) में उपलब्ध हैं।

चान्द्रव्याकरण के खिलपाठों का संक्षिप्त परिचय

धातुपाठ

व्याकरण के पाँच अंग होते हैं- सूत्र, धातु, गण, उणादि और लिंगानुशासन। अतः जब तक किसी व्याकरण में धातुपाठ नहीं किया जाता, तब तक व्याकरण की रचना अपूर्ण ही मानी जाती है। तन्त्रप्रदीपकार मैत्रेयरक्षित चान्द्रधातुओं के तत्त्वज्ञ थे।

---

१. "चन्द्राचार्येण यञञोर्बहुष्वस्त्रियाम्"(२.४.१०७) इत्यत्र सूत्रेऽपत्यमात्र इत्येव बाह्या उत्सा इत्युदाहृतम्। रत्नमतिना तु हरितादयो गणसमाप्तिं यावद् इति व्याख्यातम्। तन्मतानुसारिणा मयाऽप्येते किलनिबद्धाः। इति हरितादिः" (ग.र.म.३.२३८, पृ.२८१)

चान्द्र धातुपाठ को काशकृत्स्नधातुपाठ पर आधारित माना जाता है। इस धातुपाठ के प्रत्येक गण में अतङनाः (परस्मैपदी) तङानिनः (आत्मनेपदी) तथा विभाषिताः (उभयपदी) के क्रम से धातुएँ पठित हैं। यही क्रम काशकृत्स्नधातुपाठ में भी उपलब्ध है। चान्द्रव्याकरण में गणसङ्ख्या-सूत्र-वर्णसूत्र-परिभाषासूत्रों के पाणिनीय वचनों पर आधारित होने के कारण इसे पाणिनीय व्याकरणानुसारी भी माना जाता है।

पाणिनि आदि शाब्दिक आचार्यों ने मुख्यतः दो प्रकार के पद स्वीकार किए हैं- सुबन्त तथा तिङन्त। इनमें सुबन्त पदों की प्रकृति प्रातिपदिक तथा तिङन्त पदों की प्रकृति धातु होती है। विविध शब्दरूपों या अर्थों को धारण करने के कारण "भू" आदि को धातु कहते हैं। धातुएँ सामान्यतया तीन प्रकार की होती हैं-१. भ्वादि प्रभृति १० गणों में पठित २. विशेष अभीष्ट शब्दरूपों की सिद्धि के लिए सूत्रों में पठित (सौत्र धातु) तथा ३. सन् आदि १०-१२ प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्दरूप (नाम धातु)। पाणिनीय व्याकरण में दशगणी-पठित धातुएँ लगभग दो सहस्र (१९४३) है। "ऋति-जु-शु" आदि २० सौत्र धातुएँ हैं। इनसे सभी तिङन्त शब्दरूप निष्पन्न नहीं होते, कुछ विशेष ईप्सित शब्दरूप ही सिद्ध होते हैं। जैसे "शु" से "शव"। डूकृञ् करणे" धातु के सनूप्रत्ययान्त रूप "चिकीर्ष" की धातुसंज्ञा होती है। पाणिनीय व्याकरण में गणपठित धातुओं से "सन्-क्यच्-काम्यच्-क्यङ्-क्यष्-क्विप्-णिच्-यङ्-यक्-आय्-ईयङ्.-णिङ्." इन बारह प्रत्ययों से बनने वाले शब्दरूपों की "सनाद्यन्ता धातवः" (पा.३.१.३२) से धातुसंज्ञा की गई है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, जो धातु और प्रातिपदिक दोनों ही माने हैं। ऐसे शब्दों को कण्ड्वादि गण में पढ़ा गया है।

सम्प्रति उपलब्ध चान्द्रधातुपाठ को समीक्षक विद्वान् चन्द्राचार्यकर्तृक ही कहते हैं। धातुपाठ-निर्दिष्ट अर्थों वाले शब्दों को प्रमाण मानकर उन्हें निपातन से सिद्ध बताया गया है-"कथम् उद्यम उपरम इति ? अड उद्यमे, यम उपरमे (धातुसूत्र १.२३१, २९६) इति निपातनात् सिद्धम्" (चा.वृ. ६.१.४२)। पाणिनि के "चिन्तिपूजि-कथिकुम्बिचर्चश्च" (३.३. १०५) के स्थान पर केवल "कुम्बिचर्चिभ्याम्" (चा०१.३.९८) सूत्र बनाकर "चिन्ता-पूजा-कथा" शब्दों को "स्मृचिन्तायाम्" (१.२६५) "पूजायां स्वतेः" (४.४.९४) "सूचनावक्षेपणसेवनसाहस-यलकथोपयोगेषु" (१.४.७८) सूत्रों में पठित होने के कारण निपातनसिद्ध माना है। "जृश्विस्तम्भुमुचुग्लुचुग्लुचः" (१.१.७५) सूत्र की वृत्ति के अन्त में जो अनेकार्था हि धातवः उल्लिखित है, यह धातुपाठ के अन्त में उक्त-

क्रियावाचित्वमाख्यातुमेकैकोऽर्थः प्रदर्शितः।

प्रयोगतोऽनुसर्तव्या अनेकार्था हि धातवः।। इस श्लोक का अन्तिम अंश है।

चान्द्रधातुपाठ में विना ही छान्दसशब्द-निर्देश के कुछ छान्दस धातुएँ भी पढ़ी गई हैं- षस स्वप्ने (अ.२), वश कान्तौ (अ.३), दीधीङ् दीप्तौ (अ.५३), वेवीङ् गतौ (अ.५४), ऋ

क्षरणे, ऋ-सृ गतौ, भस भर्त्सने, तुर त्वरणे, धिष शब्दे, धन धान्ये, जन जनने, गा स्तुतौ (जु.६-१४), क्षि क्षये (स्वा०१२), ऋ क्षि चिरि जिरि (स्वा. ०२२), इन्धी दीप्तौ (रु०२१)"।

पाणिनीय धातुपाठ में लगभग १९६० धातुएँ पढ़ी गई हैं, परन्तु चान्द्रधातुपाठ में १६३७ धातुएँ एवं ११७४ धातुसूत्र हैं-सर्वप्रथम डॉ. ब्रूणो लिबिश के सम्पादकत्व में जर्मनी के लिपजिग शहर से सन् १९०२ में रोमनलिपि में चान्द्रधातुपाठ प्रकाशित हुआ था। सम्प्रति इसका देवनागरी-संस्करण भी जोधपुर से प्राप्त है। चान्द्रधातुसूत्र या चान्द्रधातुकाय की रचना आचार्य पूर्णचन्द्र ने भी की है। धातुकाय के तिब्बती-अनुवादक (Thugs Je d Ral) तथा धातुसूत्र के तिब्बती-अनुवादक (Byan-Chab-rtse, Mo) हैं। गुरूपद हालदार ने पूर्णचन्द्रकृत ग्रन्थ का नाम धातुपारायण कहा है और उसे चान्द्रधातुओं का व्याख्यान भी बताया है (द्र. व्या.द. इति., पृ. ४११)। New C.C. Vol ६ p. 295 में पूर्णचन्द्रपाद को चान्द्रधातुकार के रूप में दिखाया गया है। युधिष्ठिर मीमांसक ने चान्द्रधातु के व्याख्याकारों में आचार्य चन्द्र, पूर्णचन्द्र के अतिरिक्त कश्यप मिश्र (सं १२५७) को दिखाया है, जिसने चान्द्रसूत्रों की भी एक वृत्ति लिखी थी। इन सभी ग्रन्थों का प्रकाशन तथा उनकी समीक्षा हो जाने पर चान्द्रधातुओं के विषय में कुछ और विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकती है। सामान्यतया उपलब्ध चान्द्रधातुपाठ से तिब्बती में अनूदित तथा आचार्य पूर्णचन्द्रकृत या चन्द्रपूर्णकृत चान्द्रधातुसूत्र का पाठ प्रायः समान ही है। इससे अधिक संभावना तो यही हो सकती है कि सम्प्रति उपलब्ध चान्द्रधातुपाठ आचार्य पूर्णचन्द्रकृत ही हो।

गणपाठ

व्याकरण के पाँच अंगों में से अन्यतम अंग है- गणपाठ। अतः व्याकरण की पूर्णता के लिए सर्वप्रथम चान्द्रव्याकरणकार चन्द्रगोमी ने ही गणपाठ की भी रचना की थी-ऐसा कहा जा सकता है। चान्द्रव्याकरण का गणपाठ चान्द्रव्याकरण की वृत्ति में उपलब्ध होता है। वररुचि कात्यायन के प्रायः सभी गणों का समावेश चन्द्रगोमी ने अपने सूत्रपाठ में ही कर लिया है। जैसे- "कम्बोजाल्लुक्" (पा.४.१.१७५) इस पाणिनीय सूत्र पर "कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्" कहकर वार्तिककार ने "कम्बोजादि" गण की उद्भावना की है। तदनुसार चन्द्राचार्य ने सूत्र बनाया है-"कम्बोजादिभ्यो लुक्" (चा. २.४.१०४)। इसी प्रकार देवासुरादि गण (चा. ३.३.५७, ८६), स्वर्गादिगण (४.१.१३३), उत्थापनादिगण (४.१.१३२), पुण्याहवाचनादिगण (४.१.१३४) तथा नवयज्ञादिगण (४.२.१२४)।

पाणिनी तथा कात्यायन दोनों के ही द्वारा पठित शब्दों को चन्द्राचार्य ने गण के रूप में स्वीकार किया है। जैसे-ऊषादिगण (४.२.१११) इत्यादि। चन्द्रगोमी ने कुछ नवीन गणों की भी योजना की है-ऋत्वादि (चा.३.१.१२४), वेणुकादि (३.२.६१), हिमादि (४.२.१३६)। कुछ पाणिनीय गणों के नामों में चन्द्रगोमी ने परिवर्तन भी किया है। जैसे-

पा. व्या	चा. व्या.
अनुप्रवचनादि (५.१.१११)	उत्तथापनादि (४.१.१३२)
इन्द्रजननादि (४.३.८८)	शिशुक्रन्दादि (३.३.५६)।
बह्वादि (४.१.४५)	शोणादि (२.३.४१)
सपत्न्यादि (४.१.३५)	समानादि (२.३.३३)

पाणिनीय तथा कात्यायनीय कुछ गण चान्द्रव्याकरण में छोड़ दिए गए हैं। जैसे- शौण्डादि (२.१.४०), पात्रेसंमितादि (२.१.४८), व्याघ्रादि (२.१.५६), श्रेण्यादि (२.१.५९), श्रमणादि (२.१.७०), मयूरव्यंसकादि (२.१.७२), याजकादि (२.२.९), राजदन्तादि (३.२.३१), पत्राशादि (४.३.१३६), रसादि (५.२.९५), प्लक्षादि (४.३.१६४) तथा देवपथादि (५.३.१०००) आदि।

चान्द्रगणों का अनुसरण शाकटायनव्याकरण के अमोघावृत्तिकार पाल्यकीर्ति जैनेन्द्रव्याकरणकार देवनन्दी, सरस्वतीकण्ठाभरणकार भोजराज, गणरत्नमहोदधिकार वर्धमान सारस्वतव्याकरणकार आचार्य नरेन्द्र तथा मुग्धबोधव्याकरणकार बोपदेव आदि ने किया है। चान्द्रगणपाठ में समस्त् गणों की संख्या १६३ है। इनमें से प्रादि-शरादि-सर्वादि" प्रभृति कुछ गण एकाधिक स्थानों में प्रयुक्त हुए हैं। चान्द्रगणपाठ उपलब्ध चान्द्रवृत्ति में पठित है। चान्द्रगणपाठ के विषय में 'दि इन्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरलि' (१९३८ टवस १४,p. २५६ Fm ४) द्रष्टव्य है।

चान्द्र उणादिसूत्र

उणादि-प्रत्यय-निष्पन्न प्रातिपदिक व्युत्पन्न तथा अव्युत्पन्न दोनों प्रकार के माने जाते हैं। इसका मूल निरुक्त के अन्तर्गत गार्ग्य-शाकटायन-संवाद में मिलता है। शाकटायन का सिद्धान्त है-सर्वं नाम धातुजम्"। आचार्य गार्ग्य सभी प्रातिपदिकों को धातुज नहीं मानते। शाकटायन-मत के दोषों का समाधान करते हुए चन्द्रगोमी ने कहा है-संज्ञाशब्देषु च यथाकथञ्चिद् व्युत्पत्तिमात्रं कर्तव्यम्" (चा. ०५.२.९५)। पाणिनि ने व्युत्पन्न तथा अव्युत्पन्न दोनों ही पक्ष स्वीकार किए हैं। नागेशभट्ट के अनुसार तो पाणिनि को केवल अव्युत्पत्तिपक्ष ही संमत है। उन्होंने "ण्वुल्तृचौ" (पा.३.१.३३) सूत्र के भाष्य की चर्चा करते हुए परिभाषेन्दुशेखर में अपना उक्त विचार व्यक्त किया है-

"ण्वुल्-तृचावित्यादौ भाष्ये व्युत्पन्नानीत्यपि। इदं शाकटायनरीत्या पाणिनेस्त्वव्युत्पत्तिपक्ष एव" (परि.शे., परि. २२)।

वस्तुतः उपादिनिष्पन्न प्रातिपदिकों को लक्ष्यानुरोध से ही व्युत्पन्न या अव्युत्पन्न मानना चाहिए। कैयट आदि आचार्य उणादिसूत्रों को शाकटायनप्रणीत मानते हैं। इसका आधार यह भाष्यवचन है-

नाम च धातुजमाह निरूक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्।
यन्न पदार्थविशेषसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम्।। (म.भा. ३.३.१)

चान्द्रव्याकरण के उणादिपाठ में ३ पाद तथा ३२८ सूत्र हैं। इससें लगभग ११०० शब्दों की सिद्धि दिखाई गई है। शब्दों का उपस्थापन अन्त में प्रायः वर्णानुक्रम से किया गया है। प्रथम पाद में क्रमशः उकारान्त-ऊकारान्त-ऋकारान्त-इकारान्त-ईकारान्त-ऐकारान्त-औकारान्त-अकारान्त तथा आकारान्त शब्द निष्पन्न किए गए हैं।

त्रिपादी उणादिसूत्र चन्द्रगोमी द्वारा रचित हैं। चन्द्राचार्य ने "उणादयः" (१.३.१) सूत्र की सार्थकता के लिए "कृवापा०" (१.१) आदि उणादि सूत्र बनाने आवश्यक समझे होगें। "शीलसाधुधर्मेषु तृन्" (१.१.८६) सूत्र की वृत्ति में चन्द्राचार्य ने कहा है कि-"कथं होता पोता नेष्टा त्वष्टा क्षत्तेति ? औणादिका एवैते" (१.५०)। चान्द्र उणादिसूत्र तथा उसकी वृत्ति के अनुवाद तिब्बती में उपलब्ध हैं। उणादिसूत्र के अनुवादक हैं-Nama -Kha Sain Po तथा उणादिवृत्ति के अनुवादक हैं Rin Chen Chos-Skyom-Po (द्र. तञ्जर Page edtn No. 670-71^4 a Re 106 a^5 142a^2 - rte d pal (No 71a^4 -112) चान्द्र उणादिसूत्रों के लिए उणादिकोश और उणादिनिघण्टु शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।

चान्द्र लिंगानुशासन

जिससे पुंस्त्व आदि धर्मों का ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं-"लिङ्ग्यते ज्ञायते पुंस्त्वादिधर्मोऽनेनति लिङ्गम्"। संसार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ जैसे लिंग का संबन्ध है, वैसे ही प्रत्येक नाम शब्द का यह अविभाज्य अंग है। किं च इससे अर्थ का भी निर्णय होता है। अतः प्रत्येक सूत्रकार शाब्दिक आचार्य ने धातुगण उणादि की तरह उसका भी प्रवचन किया था।

सर्वानन्द ने अमरटीकासर्वस्व में अनेकत्र चन्द्रगोमी के लिंगानुशासन के वचन उद्धृत किए हैं।[1] इसके अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में भी इनके उद्धरण मिलते हैं। (द्र.-सं.व्या. शा. इति.-युधि., भाग २, पृ. २२८-२९)। उक्त पाठों से विदित होता है कि चान्द्रलिंगानुशासन छन्दोबद्ध था। हर्षवर्धन ने अपने लिंगानुशासन के प्रारम्भ में चान्द्रलिंगानुशासन का स्मरण किया है-

"व्याडेः शङ्करचन्द्रयोर्वररूचेर्विद्यानिधेः पाणिनेः।
व्याडिप्रणीतमथ वाररूचं सचान्द्रम्..........।।"

---

१. "धारान्धकारशिखरसहस्रागारतोरणा इति पुंनपुंसकाधिकारे चन्द्रगोमी। तथा च चन्द्रगोमी-ईदूदन्ता य एकाच इदन्तांगानिदेहिनः" (भाग २, पृ. ४७, भाग ४, पृ. १७४)

सर्वलक्षणा नामक ग्रन्थ में पृथिवीश्वर ने स्पष्टरूप में चन्द्रगोमिप्रोक्त लिंगानुशासन का उल्लेख किया है-"ननु सन्ति व्याडिवररूचिचन्द्रगोमिप्रभृतिमहापुरूषविरचितानि लिंगानुशासनानि तत् किमस्य करणस्य प्रयोजनमित्याह ...."। इसी प्रकार पुरूषोत्तमदेव ने वर्णदेशना में, उज्जवलदत्त ने उणादिकोश में तथा राममुकुट ने पदचन्द्रिका में चान्द्रलिंगानुशासन का स्मरण किया है। चान्द्रलिंगानुशासन का नाम चान्द्रलिंगकारिका था। इस पर चन्द्रगोमी ने एक वृत्ति भी लिखी थी जिसे चान्द्रलिंगवृत्ति कहतें हैं (द्र-व्या.द.इति., पृ. ४१६-१६, ४२१, ४२३)। सम्प्रति यह ग्रन्थ भोट-अनुवाद में भी प्राप्त नहीं है।

चान्द्र परिभाषासूत्र

परिभाषासूत्रों के अतिरिक्त प्रत्येक व्याकरण में कुछ परिभाषावचन या न्यायवचन होते हैं, जो सूत्र-वार्तिक-भाष्य आदि के वचनों द्वारा ज्ञापित माने जाते हैं। चान्द्रगोमी ने भी अपने व्याकरण की परिभाषाएँ लिखी थीं। इसके ८६ सूत्र काशीनाथ-वासुदेव अभ्यंकर-सम्पादित परिभाषा संग्रह में पृ. ४७-४८ में प्रकाशित हैं। ये परिभाषासूत्र "अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्" से प्रारम्भ होकर "स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत्" तक हैं। अन्तिम परिभाषासूत्र से चान्द्रव्याकरण में स्वरप्रकरण के होने का समर्थन प्राप्त होता है। काशीनाथ अभ्यंकर ने व्याडिकृत परिभाषासूचन के चान्द्रपरिभाषासूत्रों का आधार माना है, क्योंकि अधिकांश परिभाषाएँ उसी के अनुसार मिलती हैं। यह परिभाषापाठ चान्द्रव्याकरण के अन्त में सर्वप्रथम संभवतः जर्मन-संस्करण में प्रकाशित हुआ था। इस पर कोई वृत्ति उपलब्ध नहीं हैं। New C.C. Vol. 7 पृ. १८ के अनुसार दामोदर नामक किसी आचार्य ने चान्द्रपरिभाषाओं की रचना की थी।

परिभाषाओं में कोई कार्य प्रवृत्त नहीं होता, कि च इनकी प्रवृत्ति परार्थ मानी जाती है। जो लक्ष्यानुसार कहीं पर भी उपस्थित हो उसे परिभाषा कहा गया है- (१) परितो भाष्यते या सा परिभाषा। (२) परितो व्यापृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते। (३) सर्वतोगामिव्यापारवत्त्वे सति विधिशास्त्रप्रवृत्तिनिवृत्तिसंकोचादिफलवत्वे सति तथा विख्यातत्वं परिभाषात्वम्"। परिभाषाओं के मुख्यतः ५ भेद होते हैं-

१. वाचनिकी, २. ज्ञापकसिद्धा, ३. न्यायसिद्धा, ४. ज्ञापकन्यायोभयसिद्धा तथा ५. ज्ञापितैकदेशा।

पाणिनीय सम्प्रदाय में पुरूषोत्तमदेव की वृत्ति को लघुवृत्ति या ललितावृत्ति कहते हैं। पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति का आधार व्याडिपरिभाषा वृत्ति माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कालक्रम से व्याडिपरिभाषापाठ के तीन पाठभेद हो गए। एक का आश्रय पुरुषोत्तमदेव ने, द्वितीय का सीरदेव ने और तृतीय का आश्रय नागेशभट्ट ने लिया। पुरुषोत्तमदेवीय, सीरदेवीय तथा चान्द्रपरिभाषासूत्र में प्रथम परिभाषा "अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य"

है। कुछ अन्य चान्द्रपरिभाषाओं के पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति में उपलब्ध होने से यह कहना निराधार नहीं होगा कि पुरुषोत्तमदेव ने चान्द्रपरिभाषाओं का अनुसरण किया है।

डॉ. हर्षनाथ मिश्र के अनुसार चान्द्रपरिभाषासूत्र में "व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः" तथा "नहि सन्देहादलक्षणम्" (चा.परि०६६,६७) दो परिभाषाएँ हैं, परन्तु परिभाषासंग्रह में मुद्रित चान्द्रपरिभाषासूत्र में यह एक ही परिभाषा है। पाणिनीय अतिदेशसूत्र" "स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ" (पा०१.१.५६) को चन्द्रगोमी ने परिभाषापाठ में रखा है। संभवतः उनकी दृष्टि में अतिदेश तथा परिभाषा में कोई मुख्य भेद स्वीकार न किया जाता रहा हो।

चान्द्र वर्णसूत्र

आचार्य चन्द्रगोमी ने अपने व्याकरण की सम्पूर्णता के लिए व्याकरण के अंगभूत वर्णसूत्रों की रचना की है। ज्ञातव्य है कि छह वेदांगों में सर्वप्रथम नासिकास्थानीय शिक्षा की गणना होती है। इससे वर्णोच्चारण के स्थान- प्रयत्नों की जानकारी की जाती है। संस्कृत में वर्णो-स्वरों के अविकल स्पष्टोच्चारण को अधिक महत्त्व दिया गया है।[1]

पाणिनि ने भी वेदांग के रूप में शिक्षासूत्र बनाए थे, जिनके आधार पर पिंगल या किसी अन्य आचार्य ने श्लोकबद्ध पाणिनिशिक्षा बनाई है। संभवतः प्रथम शिक्षाग्रन्थ आपिशलि का ही माना जाता है। आचार्य चन्द्रगोमिप्रोक्त शिक्षासूत्र अधिकांश आपिशलि तथा पाणिनि के शिक्षासूत्रों पर आधारित हैं। कुछ नवीनता भी इसमें देखी जाती हैं। जैसे-ए-ऐ" वर्णो का कण्ठ-तालु स्थान तो प्रसिद्ध है, परन्तु "इ" (ह्रस्वेकार) का केवल चन्द्राचार्य ही कण्ठतालु दोनों स्थान मानते हैं-"कण्ठतालुकम् इदेदैताम्" (सू.४) इसी प्रकार इन्होंने ह्रस्व उकार का भी कण्ठ-ओष्ठ स्थान माना है-"कण्ठोष्ठम् उदोदौताम्" (सू.५)।

आपिशलि-पाणिनि की शिक्षाओं के वर्णोच्चारणप्रक्रिया आदि कुछ विषय चन्द्रगोमी ने छोड़ दिए हैं। चान्द्रवर्णसूत्रों की संख्या में संस्करणभेद से भेद भी देखा जाता है। किसी संस्करण में ४६ तो किसी संस्करण में ५१ सूत्र हैं। (द्र.-जोधपुर सं., पृ.८१)। इन सूत्रों के तीन विभाग हैं- १. स्थान, २. करण तथा ३. प्रयत्न। स्थानाधिकार में १२ सूत्र हैं, जिनके द्वारा अवर्णादि के स्थान निरूपित हैं। करणाधिकार में ५, प्रयत्नाधिकार के अन्तर्गत आभ्यन्तरप्रयत्ननिर्देशक १०, बाह्यप्रयत्ननिर्देशक ८ तथा अवर्णादि के संज्ञाभेद निर्देशक १३ सूत्र हैं। इन ४८ सूत्रों के अतिरिक्त वर्णोत्पत्तिविषयक प्रथम सूत्र, प्रयत्नभेद निरूपक १६ वाँ सूत्र तथा बाह्यप्रयत्न की समाप्ति का सूचक ३८ वाँ सूत्र जोड़ लेने से ५१ सूत्र हो जाते

---

१. दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्।। (म.भा.-पस्पशा.)

हैं। चन्द्रगोमी के ये वर्णसूत्र शिक्षासूत्र के रूप में हैं। युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पादित चान्द्रशिक्षा में ४८ सूत्र हैं (सं० २००६) प्रो. काशीनाथ वासुदेव अभ्यंकर ने इसमें केवल २३ सूत्रों के होने का उल्लेख किया है (Die. Skt gr. p. ३४२)। अवर्ण के उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित आदि भेदों के बताए जाने से चान्द्र व्याकरण में वैदिक-स्वरप्रकरण की संभावना पुष्ट होती है।

चान्द्र व्याकरण की भोट-टीकाएँ

१. चान्द्रव्याकरणसूत्रव्याख्या (कार्मा सितु-चुगलगं छोस् क्यि नड्वा)।

२. चान्द्रव्याकरणसटिप्पणीकभाष्य।

३. चान्द्रव्याकरणसूत्रव्याख्या (थुग्जेपल)।

शाकटायन व्याकरण : इतिहास और विशेषताएँ

शाकटायन नाम के दो व्याकरण प्रसिद्ध हैं। एक पाणिनि से पूर्ववर्ती तथा द्वितीय जैन व्याकरण। जैन शाकटायन व्याकरण के रचयिता का वास्तविक नाम **पाल्यकीर्ति** है[१]। ये दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों के अन्तरालवर्ती यापनीय सम्प्रदाय के आचार्य थे। इनके नाम के साथ शाकटायन शब्द का व्यवहार किये जाने में दो कारणों की कल्पना की जाती है-१. उत्कर्ष द्योतन के लिए वैदिक व्याकरणों में सर्वोत्कृष्ट तथा पाणिनि पूर्ववर्ती शाकटायन का नाम पाल्यकीर्ति के साथ जोड़ दिया गया एवं २. पाल्यकीर्ति मूलतः तैत्तिरीय शाखाध्येता शाकटायन गोत्रीय ब्राह्मण रहे होंगे। जिन्होंने बाद मे जैन धर्म स्वीकार कर लिया, परन्तु उनके साथ शाकटायन गोत्रनाम का व्यवहार होता रहा[२]।

इनका समय वि.सं. ८७१ से वि.सं. ९२४ के मध्य माना जाता है, क्योंकि पाल्यकीर्ति ने अपनी अमोघा वृत्ति में एक उदाहरण दिया है ''अदहद् अमोघवर्षोऽरातीन्[३] ''। इसमें राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष प्रथम के द्वारा शत्रुओं को नष्ट करने की घटना का उल्लेख है। इसका वर्णन राष्ट्रकूट के एक शिलालेख में भी पाया जाता है। महाराज अमोघदेव वि. सं. ८७१ में सिंहासनारूढ़ हुए थे और उसका एक दानपत्र सं. ९२४ का उपलब्ध हुआ है। पाल्यकीर्ति ने इन्हीं अमोघदेव के नाम पर अपनी स्वोपज्ञवृत्ति का नाम ''अमोघवृत्ति'' रखा और उक्त उदाहरण में इन्हीं अमोघदेव द्वारा शत्रुदाह की घटना का उल्लेख किया। अतः बहुत संभव है कि पाल्यकीर्ति महाराज अमोघदेव की सभा में भी रहे हों और उन्हीं के समय व्याकरण तथा अमोघा वृत्ति की रचना भी की हो[४]।

इस व्याकरण को पूर्ण बनाने के लिए उन त्रुटियों को दूर कर दिया गया है, जो जैनेन्द्र व्याकरण में देखी जाती हैं। इसमें चार अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। समग्र सूत्र-संख्या ३२३६ है-प्रथम अध्याय-७२१, द्वितीय अध्याय-७५३, तृतीय अध्याय-७५५ तथा चतुर्थ अध्याय-१००७ शाकटायन ने ''पाणिनीय सम्प्रदाय की सामग्री का पर्याप्त उपयोग किया है। कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

---

१. वादिराज सूरि ने पार्श्वनाथचरित में लिखा है-
कुतस्त्या तस्य सा शक्तिः पाल्यकीर्तेर्महौजसः।
श्रीपदश्रवणं यस्य शाब्दिकान् कुरुते जनान्।।
इस श्लोक में ''श्रीपदश्रवणं यस्य'' का संकेत शाकटायन व्याकरण की स्वोपज्ञ अमोघा वृत्ति की ओर है। इस वृत्ति के मंगलाचरण का प्रारम्भ ''श्री वीरममृतं ज्योतिः'' वचन से होता है। (द्र.-संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास प्र.भा., युधिष्ठिर मी., द्वि. सं. पृ. ५४७-४८)

२. द्र. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास-द्वि. भा. प्र.सं.-युधि.मी.पृ.१०७-१०८

३. ''ख्याते दृश्ये'' (शाकटायन व्याकरण ४.३.२०७) सूत्र की व्याख्या

४. द्र.सं. व्या.शा.इ. प्र.भा. द्वि.सं. पृ. ५४८

१. इष्टिवचनों का अभाव[1]

पाल्यकीर्ति की स्वोपज्ञ अमोघा वृत्ति पर यक्षवर्मा ने ''चिन्तामणि'' नामक एक संक्षिप्त टीका की रचना की है। तदनुसार इस व्याकरण में इष्टियों को पृथक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अमोघा वृत्ति से ही उसका कार्य निष्पन्न हो जाता है।

२. वार्तिकसूत्रों का अभाव[2]

शब्दानुशासन के सूत्रों पर उक्त-अनुक्त-दुरुक्त चिन्ता के फलस्वरूप वार्तिक सूत्र बनाये जाते हैं, परन्तु अमोघावृत्ति की योजना के अनुसार इस व्याकरण में इन्हें पृथक् बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। ज्ञातव्य है कि ''उपसंख्यान'' शब्द का प्रयोग वार्तिकों में किया जाता है[3]। यक्षवर्मा ने ''उपसंख्यात'' शब्द से वार्तिकों को ही लक्षित किया है।

३. इन्द्र-चन्द्र आदि आचार्यों के शब्दलक्षणों का अनुसरण

ऐन्द्र तथा चान्द्र व्याकरणों की सभी प्रमुख विशेषताओं को पाल्यकीर्ति ने अपने व्याकरण में संगृहीत कर लिया है। इसी आधार पर कहा गया है कि जो यहाँ नहीं है, वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा[4]।

४. खिलपाठों के अतिरिक्त सभी व्याकरणकार्यों का समावेश

अमोघावृत्ति में शब्दसाधन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके अनुसार धातुपाठ-गणपाठ-उणादिपाठ तथा लिंगानुशासन के अतिरिक्त समस्त व्याकरणशास्त्रीय कार्य इस वृत्ति के अन्तर्गत माना जाता है[5]।

५. समास-प्रकरण में समासान्त सूत्रों का पाठ

पाणिनीय व्याकरण के द्वितीय अध्याय (पाद-१-२) में समास-सूत्रों तथा पांचवे

---

१. इष्टिर्नेष्टा न वक्तव्यं वक्तव्यं सूत्रतः पृथक् (चिन्तामणि, श्लोक ६)
२. संख्यातं नोपसंख्यातं यस्य शब्दानुशासने (चिन्तामणि, श्लो.६)
३. वप्रकरणे मणिहिरण्याभ्यामुपसंख्यानम् (पा. ५.२.१०६)
अणप्रकरणे ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम् (पा. ५.२.१.३)
४. इन्द्रचन्द्रादिभिः शाब्दैर्यदुक्तं शब्दलक्षणम्।
तदिहास्ति समस्तं च यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्।। (चिन्तामणि, श्लोक १०)
५. गण-धातुपाठयोगेन धातून् लिंगानुशासने लिंगगतम्।
औणादिकान् उणादौ शेषं निश्शेषमत्र वृत्तौ विद्यात्।।
(चिन्तामणि, श्लोक।।)

अध्याय (५.४.६८-१६०) में समासान्तप्रकरण पठित है, परन्तु पाल्यकीर्ति ने समासप्रकरण में ही समासान्त-प्रत्ययविधायक सूत्र पढ़कर प्रक्रिया में एकरूपता सिद्ध करने का प्रयत्न किया है।

६. द्वन्द्व समास के अन्तर्गत एकशेष सूत्रों का पाठ

पाणिनीय व्याकरण में एकशेषविधायक सूत्र प्रथम अध्याय (१.२.६४-७३) में तथा द्वन्द्वसमास-सूत्र द्वितीय अध्याय (२.२.२६) में पठित हैं, परन्तु शाकटायन व्याकरण में द्वन्द्व समास से सम्बद्ध होने के कारण एकशेषप्रकरण को साथ ही पढ़ दिया गया है।

७. वर्णसमाम्नाय सूत्रों में संक्षेप

इसमें ऋवर्ण की ऌवर्ण के साथ सवर्णसंज्ञा होने के कारण "ऌ" को स्वतन्त्र वर्ण नहीं माना गया है, अतः ऋऌक्" के स्थान में "ऋक्" सूत्र ही पठित है। इसके अतिरिक्त "लण्" सूत्र को पृथक् न पढ़ने से १३ ही वर्णसमाम्नाय-सूत्र इसमें मान्य हुए हैं।

८. कात्यायनवार्त्तिक आदि के आधार पर सूत्ररचना

श्रीरामकृष्णपुरोहित ने विद्यावारिधि (पी.एच.डी.) के अपने शोध प्रबन्ध "पाणिनीयशाकटायनव्याकरणयोस्तुलनात्मकं परिशीलनम्" (वि.सं. २०१६ = १६५६ ई. में प्रस्तुत) में इस प्रकार के आकलन का एक प्रयास किया है। उन्होंने इस व्याकरण में पाणिनीय तन्त्र पर आश्रित १६१, वार्त्तिकों पर आधारित ३०५, भाष्यवचनों पर आश्रित २६ तथा काशिकावचनों पर आधारित ४८ सूत्र परिगणित किए हैं।

६. सूत्रों के ६ विभाग

पाणिनीय व्याकरण में "संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश तथा अधिकार" ये छः" स्वीकृत हैं। यहाँ विधि के ही अन्तर्गत निषेध, अपवाद एवं विकल्पविधियों का समावेश है, परन्तु शाकटायन में उनकी स्वतन्त्र गणना की गई है -

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

संज्ञा-नियम-निषेधाधिकार-नित्यापवाद-विधि-परिभाषाः।

८ ६

अतिदेश-विकल्पाविति गतयश्शब्दानुशासने सूत्राणाम्।।

१०. श्लोकबद्ध उदाहरण

पाल्यीकीर्ति ने अपनी अमोघा वृत्ति में अनेक उदाहरण श्लोकों में प्रस्तुत किये हैं, जिससे उन्हें समझने में सरलता के साथ ग्रन्थकार की अन्य योजना का भी परिज्ञान प्रसंगतः हो जाता है। जैसे-

वीरो विश्वेश्वरो देवो युष्माकं कुलदेवता।
स एष नाथो भगवानस्माकं पापनाशनः।।
(पादाद्योः १.२.१६८)

११. अर्थावबोध में विस्पष्टता

अनेक संज्ञाशब्दों की व्याख्या में स्पष्टार्थबोधक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे-"क्रियार्थो धातुः[१]।

इससे धातु का क्रियावाचकत्व सरलता से ज्ञात हो जाता है, जबकि पाणिनि के "भूवादयो धातवः" (१.३.१) सूत्र से धातु का क्रियावाचकत्व विस्तृत व्याख्या के बाद ही सिद्ध हो पाता है।

शाकटायन व्याकरण की व्याख्याएँ

पाल्यकीर्ति ने स्वयं व्याकरण की एक विस्तृत व्याख्या लिखी है, जो उनके आश्रयदाता अमोघवर्ष के नाम पर प्रसिद्ध है-अमोघावृत्ति। इसका परिमाण लगभग १८ हजार श्लोकों का है। गणरत्नमहोदधि[२] में शाकटायन के नाम से उद्धरण प्राप्त होते हैं उनमें से अधिकांश इसी वृत्ति के हैं। चिन्तामणिवृत्ति[३] तथा जैन साहित्य और इतिहास[४] एवं अमरटीकासर्वस्व[५] के भी वचनों से भी सूत्रकार का ही वृत्तिकार होना सिद्ध होता है।

इस अमोघावृत्ति पर आचार्य प्रभाचन्द्र ने एक "न्यास" नामक टीका की रचना की थी, इसके सम्प्रति केवल दो ही अध्याय उपलब्ध होते हैं[६]।

आचार्य **यक्षवर्मा** ने भी इस व्याकरण पर एक वृत्तिग्रन्थ लिखा है, जिसे अमोघा वृत्ति का संक्षेप होने के कारण लघुवृत्ति कहा जाता है और जिसका परिमाण छह हजार श्लोकों का है।

रचनाकार की मान्यता के अनुसार इसके अभ्यास से समस्त वाङ्मय को एक वर्ष में जाना जा सकता है[७]।

---

१. क्रिया प्रवृत्तिः पूर्वापरीभूता साध्यमानरूपा, सा अर्थोऽभिधेयं यस्य स शब्दो धातु संज्ञो भवति (वृत्ति)"
२. द्र.-गणरत्नमहोदधि - पृ. ८२, अमोघावृत्ति २.१.५७
गणरत्नमहोदधि - पृ. ६०, अमोघावृत्ति २.१.७६।
३. चिन्तामणिवृत्ति -श्लोक ६, ७ की व्याख्या।
४. जैन साहित्य और इतिहास, द्वि.सं.पृ. १६१-१६५
५. अमरटीकासर्वस्व भा. ४, पृ. ७२
६. जैन साहित्य और इतिहास, द्वि.सं.पृ. १६०, दैवम् पुरुषकार टीका, पृ. ६१ युधि.मी.सं.
७. बालाबलाजनोऽप्यस्या वृत्तेरभ्यासवृत्तितः।
समस्तं वाङ्मयं वेत्ति वर्षेणैकेन निश्चयात् (ग्रन्थारम्भश्लोक १२)

इस व्याकरण पर तीन प्रक्रिया ग्रन्थों की भी रचना की गई है। जिनमें सर्वप्रथम है-"प्रक्रियासंग्रह"। यह शाकटायनव्याकरण में प्रवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से आचार्य प्रभाचन्द्र ने लिखा है, अतः इसमें सभी सूत्रों की व्याख्या नहीं है। वादिपर्वतवज्र भावसेन ने शाकटायनटीका नामक एक प्रक्रियानुसारी ग्रन्थ लिखा है। संभवतः इन्हीं आचार्य का एक कातन्त्ररूपमाला नामक ग्रन्थ कातन्त्र सम्प्रदाय में बहुत प्रसिद्ध है, जिसके अनेक संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। वि.सं. १०८२ में दयालपाल मुनि ने "रूपसिद्धि" नामक एक लघु प्रक्रिया-ग्रन्थ लिखा था, जो प्रकाशित हो चुका है।

शाकटायन धातुपाठ

शाकटायन व्याकरण का धातुपाठ काशीसे मुद्रित लघुवृत्ति के अन्त में छपा है। पाणिनीय धातुपाठ से इसमें पर्याप्त समानता है। संभवतः पाल्यकीर्ति ने ही इसका प्रवचन किया होगा। माधवीया धातुवृत्ति आदि में इस धातुपाठ के अनेक मत उद्धृत हैं। अभयचन्द्राचार्य के प्रक्रियासंग्रह, भावसेन त्रैविद्यदेव की शाकटायन टीका तथा दयालपालमुनि के रूपसिद्धि नामक प्रक्रियाग्रन्थ में प्रसंगतः धातुपाठ का कुछ अंश व्याख्यात है।

शाकटायन गणपाठ

पाल्यकीर्ति ने स्वतन्त्र संबद्ध गणपाठ का प्रवचन किया था। यह अमोघावृत्ति की लघुवृत्ति के अन्त में छपा उपलब्ध होता है। प्राचीन गणपाठों की अपेक्षा इसमें भिन्नताएं देखी जाती हैं। जैसे-

१. गणनामों में संक्षेप

आहिताग्न्यादि के लिए भार्योढादि (२.१.११५)।

लोहितादि के लिए निद्रादि (४.१.२७)।

अश्वपत्यादि के लिए धनादि (२.४.१७४)।

सन्धिवेलादि के लिए सन्ध्यादि (३.१.१७६)।

ऋगयनादि के लिए शिक्षादि (३.१.१३६)।

२. कुछ गणों को हटा देना

पाणिनि ने जिन गणों में दो-चार ही शब्द पढ़े थे, उन्हें पाल्यकीर्ति ने सूत्रों में ही पढ़ दिया है और इस प्रकार उन्हें स्वतन्त्र गण नहीं माना है।

३. नए गणों की रचना

पाणिनि ने जिन सूत्रों में अनेक पद पढ़े हैं, उन्हें पाल्यकीर्ति ने गण के रूप में स्वीकार किया है। जैसे-

"द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नै" (पा. २.१.२४) के स्थान में श्रितादि गण (२.३.३३)

"देवमनुष्य पुरूष पुरूमर्त्येभ्यः (पा. ५/४/५६) के स्थान में देवादिगण (३/४/६३)

४. **सन्देहनिवारण**

पाणिनि ने जहाँ एक नाम वाले दो गण बनाए हैं, उनमें सन्देह की निवृत्ति के लिए भिन्न-भिन्न नामों का उपयोग किया गया है। जैसे पाणिनि ने सूत्र ४.२.८० में दो कुमुदादिगण पढ़े हैं। पाल्यकीर्ति ने प्रथम कुमुदादि गण को यथावत् स्वीकार कर द्वितीय कुमुदादि के स्थान में "अश्वत्थादि" गण स्वीकार किया है (२.४.२०२)।

इसी प्रकार शाकटायन धातुपाठ में कहीं पर पाणिनीय अनेक गणों को परस्पर मिलाकर लाघव करने का प्रयास किया गया है। कहीं गणसूत्रों को गणपाठ से हटाकर उन्हें शब्दानुशासन के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से पढ़ा है। **चन्द्रगोमी** द्वारा स्वीकृत कुछ गणनामों के स्थान में नए गणनाम दिए हैं।

शाकटायनीय उणादि पाठ

यह सम्प्रति उपलब्ध नहीं है, परन्तु उनके कुछ सूत्रनिर्देशों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पाल्यकीर्ति ने अपने व्याकरण से संबद्ध उणादिसूत्रों का भी प्रवचन किया था।

जैसे-

"संप्रदानाच्चोणादयः, उणादयः" (४.३.५७, २८०)।

चिन्तामणि नामक लघुवृत्ति में भी इसका समर्थक एक वचन द्रष्टव्य है-

"उणादिकान् उणादौ -" (श्लोक ११)।

शाकटायनीय लिङ्गानुशासन

यह लिंगानुशासन श्लोकबद्ध है। हर्षवर्धन कृत लिंगानुशासन के अन्त में इसके ७० श्लोक मुद्रित हैं (मद्रास सं.) जिसमें एक संक्षिप्त वृत्ति भी है। शाकटायनीय लिंगानुशासन लघुवृत्ति के अन्त में भी मुद्रित है। इसमें समास के लिए "स" तथा संख्या के लिए "वचन" संज्ञा का प्रयोग किया गया है।

मद्रास संस्करण के अंत में जो वृत्ति छपी है, उसके रचयिता का नाम अज्ञात है, परन्तु यह मूल ग्रन्थकार अथवा यक्षवर्मा की हो सकती है।

शाकटायनीय परिभाषा पाठ

पं. काशीनाथ अभ्यंकर ने परिभाषा संग्रह में इसका एक परिभाषा पाठ प्रकाशित किया है, जो दो हस्तलेखों पर आधारित है। अमोघावृत्ति में पाल्यकीर्ति ने ये परिभाषाएँ बहुत्र उद्धृत की हैं। अतः इस परिभाषा पाठ के प्रवक्ता पाल्यकीर्ति ही हो सकते हैं। यह ज्ञातव्य है कि पाल्यकीर्ति ने अपने व्याकरण में स्वरशास्त्र का विधान नहीं किया है और न उन अनुबन्धों की ही योजना की है जो पाणिनि ने स्वरार्थ किए हैं, तथापि इनकी एक परिभाषा है-"स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत्" (परि. ३७)। शाकटायनीय परिभाषापाठ में इस परिभाषा का होना आश्चर्यजनक प्रतीत होता है।

४. जैनेन्द्र व्याकरण : इतिहास और विशेषताएँ

रचनाकार का परिचय

जैन व्याकरण परम्परा के उपलब्ध समस्त व्याकरणों में सबसे प्राचीन देवनन्दी अपरनाम पूज्यपाद का जैनेन्द्र व्याकरण है। जैनेन्द्र-व्याकरण का आधारभूत ग्रन्थ पाणिनीय व्याकरण ही है। कहीं कहीं पर चान्द्र व्याकरण से भी सहायता ली गई है। जैन धर्मावलम्बी होने के कारण देवनन्दी ने अपनी रचना में स्वर और वैदिक प्रकरणों को स्थान नहीं दिया है। इसमें ६ प्राचीन जैन आचार्यों का उल्लेख मिलता है-**श्रीदत्त, यशोभद्र, भूतबलि, प्रभाचन्द्र, सिद्धसेन तथा समन्तभद्र**[1]।

चन्द्रय्य कवि ने कन्नड (कनाड़ी)[2] भाषा में पूज्यपाद का जीवनचरित लिखा है। चरित का सारांश इस प्रकार है-**देवनन्दी** के पिता का नाम माधवभट्ट और माता का नाम श्रीदेवी था। ये दोनों ही वैदिक मतानुयायी थे। इनका जन्म कर्नाटक देश के "कोले" नामक ग्राम में हुआ था। माता **श्रीदेवी** के आग्रह पर पिता **माधवभट्ट** जैन हो गये थे। पूज्यपाद ने किसी बगीचे में एक मेढक को सर्प के मुख में फँसा हुआ देखा- इससे उन्हें वैराग्य हो गया और वे जैन साधु बन गए। देवनन्दी जैन मत के प्रामाणिक आचार्य हैं। जैन लेखक इन्हें पूज्यपाद और जिनेन्द्रबुद्धि के नाम से स्मरण करते हैं। **गणरत्नमहोदधि** के कर्ता वर्धमान ने इन्हें "दिग्वस्त्र" के नाम से स्मरण किया है[3]।

नाथूराम प्रेमी तथा युधिष्ठिर मीमांसक आदि इतिहासकारों ने देवनन्दी का समय यीशवीय छठी शताब्दी का पूर्वार्द्ध माना है (लगभग वि. सं. ५५७) इसमें अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किये हैं। जैसे-

१. वर्धमान ने गणरत्नमहोदधि में आचार्य देवनन्दी को दिग्वस्त्र के नाम से स्मरण किया है। गणरत्नमहोदधि की रचना वि.सं. ११५७ (११४० ई.) में हुई थी।[4]
२. वामन ने अपने लिंगानुशासन में **जैनेन्द्र** लिंगानुशासन को उद्धृत किया है[5]। वामन को राष्ट्रकूट के राजा जगत्तुंग का समकालिक माना जाता है। **जगत्तुंग** का राज्यकाल वि.सं. ८५१-८७१ तक था।

---

१. गुणेश्रीदत्तस्यास्त्रियाम् (१.४.३४) कृवृषिमृजां यशोभद्रस्य (२.१.९९) रादभूतबलेः (३.४.८३) रात्रेः कृति प्रभाचन्द्रस्य (४.३.१८०) वेत्तेः सिद्धसेनस्य (५.१.७) चतुष्टयं समन्तभद्रस्य (५.४.१४०)
२. द्र.- जैन साहित्य और इतिहास, पृ. ५०, पाणिनीय सूत्र पाठ और जैनेन्द्र सूत्र पाठ का तुलनात्मक अध्ययन (इन्दु दवेसर), अनु. बुक्स, मेरठ, १९८५, प्र. संस्क. पृ. १५
३. शालातुरीयशकटांगजचन्द्रगोमिदिग्वस्त्रभर्तृहरिवामन भोजमुख्याः। दिग्वस्त्रो देवनन्दी (पृ. १, २)
४. सप्तनवत्यधिकेष्वेकादशसु शतेष्वतीतेषु।
वर्षाणां विक्रमतो गणरत्नमहोदधिर्विहितः।। (ग्रन्थ के अन्त में)
५. व्याडिप्रणीतमथ वाररुचं सचान्द्रं। जैनेन्द्रलक्षणगतं विविधं तथान्यत्। (३१)

३. कर्नाटककविचरित के कर्ता ने **गंगवंशीय** राजा **दुर्विनीत** को पूज्यपाद का शिष्य लिखा है। दुर्विनीत के पिता महाराज अविनीत का मर्करा (कुर्ग) से शकाब्द ३८८ का एक ताम्रपत्र मिला है, तदनुसार अविनीत वि.सं. ५२३ में राज्य कर रहे थे। 'हिस्ट्री आफ कनाड़ी लिटरेचर' और कर्नाटककविचरित के अनुसार दुर्विनीत का राज्यकाल वि. सं. ५३६-५६६ रहा है[1]।

४. पूज्यपाद के शिष्य वज्रनन्दी ने वि.सं. ५२६ में दक्षिण मथुरा या मदुरा में द्रविडसंघ की स्थापना की थी। इसकी सूचना वि.सं. ६६० में रचित प्रकृत ग्रन्थ "दर्शनसार" से प्राप्त होती है[2]।

जिनेन्द्र नाम के आधार पर इनके व्याकरण को "जैनेन्द्र" व्याकरण कहते हैं- "जिनेन्द्रेण प्रोक्तं जैनेन्द्रम्"। सम्प्रति इस व्याकरण के दो संस्करण उपलब्ध होते हैं- औदीच्य और दाक्षिणात्य। औदीच्य संस्करण में ३००० सूत्र हैं, जबकि दाक्षिणात्य संस्करण में ७०० सूत्र अधिक हैं। दाक्षिणात्य संस्करण के सम्पादक पं. श्रीलाल शास्त्री ने एक मुख्य प्रमाण के आधार पर दाक्षिणात्य संस्करण को पूज्यपाद विरचित माना है। उन्होंने लिखा है कि "तत्वार्थसूत्र" (१.६) की "सर्वार्थसिद्धि" नाम्नी व्याख्या में पूज्यपाद "प्रमाणनयैरधिगमः" सूत्र में अभ्यर्हित होने के कारण प्रमाण शब्द का पूर्वनिपात मानते हैं अन्यथा अल्पाच्तर होने से नय शब्द का पूर्वनिपात होना चाहिए था। यतः दाक्षिणात्य संस्करण में इस अर्थ का प्रतिपादक "अर्च्यम्" (शब्दार्णवचन्द्रिका १.३.१५) सूत्र उपलब्ध होता है, अतः दाक्षिणात्य संस्करण ही मूल सूत्रपाठ है। परन्तु यह विवेचन यथार्थ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यदि दाक्षिणात्य संस्करण ही पूज्यपाद विरचित होता तो वे "अभ्यर्हितत्त्वात्" ऐसा न लिखकर सूत्र के अनुसार "अर्च्यत्वात्" ऐसा लिखते। इससे यह कहा जा सकता है कि "अर्च्यम्" सूत्र उनकी दृष्टि में नहीं था। उन्होंने पाणिनीय व्याकरण के वार्तिक सूत्र "अभ्यर्हितं च" (२.२ ३४-४) को ध्यान में रखकर ही "अभ्यर्हितत्वात्" कहा है, जैसे-सर्वार्थसिद्धि में अन्यत्र भी (४.२२, ५.४) कई स्थानों में अन्य वैयाकरणों के लक्षण उद्धृत किए हैं।

औदीच्य संस्करण ही पूज्यपाद-विरचित है- इसमें एक मुख्य प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है कि **शब्दार्णवचन्द्रिका** टीका में एक उदाहरण उपलब्ध होता- "देवोपज्ञमनेकशेषव्याकरणम्"[3] यह उदाहरण अभयनन्दी ने अपनी महावृत्ति में भी दिया है। इससे यह सिद्ध होता है कि देवनन्दी-रचित व्याकरण में एकशेष प्रकरण नहीं था।

---

१. द्र.-(१) जैन साहित्य और इतिहास, प्र.सं.पृ. ११६
(२) संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास द्वि.सं.पृ. ४१४

२. सिरि पुज्जपादसीसो द्राविडसंघस्य कारगो दुट्ठोणमेण वज्रबन्दी पाहुड़देवी महासत्थो।
पञ्चसये छब्बीसे विपक्कमरायस्स मरणपत्तस्स दक्षिणमहुरो जादो द्रविडसंघो महामोहो।।
(जैन साहित्य और इतिहास प्र.सं. पृ. ११७ द्वि.सं. पृ. ४३)

३. आदावुपज्ञोपक्रमम् (१.४.६७ औदी.सं., १.४.११४-दा.सं.)

दाक्षिणात्य संस्करण में "चार्थे द्वन्द्वः" (१.३.६८) सूत्र के अनन्तर द्वादश सूत्रात्मक एकशेषप्रकरण उपलब्ध होता है। औदीच्यसंस्करण में उसका सर्वथा अभाव है। अथ च उसकी अनावश्यकता का द्योतक यह वचन भी पढ़ा गया है-

"स्वाभाविकत्वादभिधानस्यैकशेषानारम्भः[1]। अर्थात् अभिधानशक्ति के स्वाभाविक होने से एकशेषप्रकरण छोड़ दिया गया। इस प्रकार औदीच्य संस्करण को ही पूज्यपादविरचित जैनेन्द्रव्याकरण कहा जा सकता है। दाक्षिणात्य संस्करण तो वस्तुतः जैनेन्द्रव्याकरण का परिष्कृत रूपान्तर है, जिसका परिष्कार गुणनन्दी ने किया था, इसका वास्तविक नाम शब्दार्णवव्याकरण है। देवनन्दी-रचित अन्य भी पांच ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं-सवार्थसिद्धि, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश, दशभक्ति तथा सिद्धप्रियस्तोत्र। इन्होंने जन्माभिषेक, शब्दावतारन्यास, जैनेन्द्रन्यास, सारसंग्रह एवं जैनाभिषेक नामक ग्रन्थ भी लिखे थे, जो आज प्राप्त नहीं हैं[2]।

जैनेन्द्र व्याकरण की विशेषताएँ

१. एकशेषप्रकरण का अभाव

उभय संस्करणों की टीकाओं में यह वचन उपलब्ध होता है -देवोपज्ञमनेकशेषव्याकरणम्"। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आचार्य देवनन्दी ने एकशेषप्रकरणरहित व्याकरण की रचना सर्वप्रथम की थी। वस्तुतः चन्द्रगोमी ने भी अपने व्याकरण में एकशेषप्रकरण की रचना नहीं की है, जो इससे पूर्ववर्ती है। उन्होंने संभवतः महाभाष्य के वचन को ध्यान में रखकर ऐसा किया था। वचन इस प्रकार है-अशिष्य एकशेषः, एकेनोक्तत्वात्। अर्थाभिधाने पुनः स्वाभाविकम्" (म.भा. १.२.६४)।

ज्ञातव्य है कि पाणिनि ने एकशेष का विधान अनेक सूत्रों (१.२.६४-७३) द्वारा किया है, परन्तु देवनन्दी की मान्यता है कि लोकव्यवहार में प्रचलित तथ्यों के लिए सूत्रों का निर्माणशास्त्र को विस्तृत करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अतः उन्होंने इस प्रकरण को बनाने की आवश्यकता नहीं समझी। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि देवनन्दी की प्रवृत्ति पाणिनीय सामग्री के निराकरण में है, क्योंकि दोनों व्याकरणों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि देवनन्दी की दृष्टि निराकरण की अपेक्षा पाणिनीय सामग्री के अधिकाधिक संरक्षण में है। एकशेषप्रकरण को छोड़ देने आदि का उद्देश्य पाणिनीय व्याकरण को संक्षिप्त करना और जैनधर्म सम्बन्धी तत्त्वों को इसके माध्यम से स्पष्ट करना हो सकता है।

---

१. औदीच्य सं.१.१.९७ युधिष्ठिर मीमांसक इसे सूत्र मानते हैं जो संपादक के प्रमाद से मुद्रित ग्रन्थ में वृत्ति के अन्तर्गत छपा है। (द्र.- टि. ४, सं. व्या.शा. इति., द्वि.सं., पृ. ५३३)

२. द्र.-पाणिनीय और जैनेन्द्र सूत्रपाठ का तुलनात्मक अध्ययन प्र.सं. पृ. १६

२. अल्पाक्षरी संज्ञाएँ

इसमें बीजगणित की तरह अतिसंक्षिप्त संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। देवनन्दी ने संज्ञाओं के विधान में पाणिनीय संज्ञाओं के आदि, मध्य, अन्त्य, आदि-मध्य तथा आदि-अन्त्य अक्षर स्वीकार किये हैं। कुछ पाणिनीय संज्ञाओं को यथावत् ले लिया गया है तो कुछ संज्ञाएँ स्वैच्छिक रूप में प्रयुक्त हुई हैं। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-

पाणिनीय संज्ञाओं के आदि अक्षर पर आधारित

दी (दीर्घ), बहु (बहुवचन), द्वि (द्विवचन), एक (एकवचन), नि (निपात), स (समास)।

पाणिनीय संज्ञाओं के मध्यवर्ती अक्षर पर आधारित

त्य (प्रत्यय), म्रि (आम्रेडित)।

अन्तिम अक्षरों पर आधारित

य (कर्मधारय), रू (गुरू), ति (गति), द (आत्मनेपद) ष (तत्पुरुष)।

आदि-मध्य अक्षर पर आधारित

स्व (सवर्ण)।

आदि-अन्त्य अक्षरों पर आधारित

प (प्लुत), धु (धातु)।

स्वेच्छया वर्णचयन पर आधारित

दि (प्रगृह्य), ग (सार्वधातुक), मृत् (प्रातिपदिक), बोध्य (आमन्त्रित), न्यक् (उपसर्जन)।

यथावत् स्वीकृत पाणिनीय संज्ञाएँ

संख्या (१.१.३३), सर्वनाम (१.१.३५), उदात्त-अनुदात्त-स्वरित (१.१.१३-१५), इत् (१.२.३), पद (१.२.१०३), अपादान (१.२.११०), सम्प्रदान (१.२.१११), करण (१.२.११४), अधिकरण (१.२.११६), कर्म (१.२.१२०), कर्ता (१.२.१२४), हेतु (१.२.१२६), द्वन्द्व (१.३.९२) आदि।

इस प्रकार संज्ञाओं के निर्धारण में देवनन्दी ने पाणिनि की अपेक्षा शब्दलाघव पर अधिक ध्यान दिया है, जबकि पाणिनि ने अधिकांश महती संज्ञाएँ की हैं और इस कारण वे अन्वर्थ मानी जाती हैं। देवनन्दी-कृत संज्ञाओं की एक विशेषता यह भी है कि कहीं उन्होंने संज्ञी वर्णों के आधार पर संज्ञाओं का चयन किया है। जैसे ऐप् (वृद्धि), एप् (गुण), ङ (अनुनासिक), स्फ (संयोग)।

३. प्रथमादि विभक्तियों की नवीन कल्पना

पाणिनीय सूत्रपाठ में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि शब्दों का विभक्तियों के लिए प्रयोग हुआ है, परन्तु यहां विभक्ति के लिए दीर्घ ईकारान्त विभक्ती संज्ञाशब्द के सात वर्णों में अनुबन्ध लगाकर प्रथमादिक विभक्तियों का बोध कराया गया है। स्वर वर्ण में प् तथा व्यंजन वर्ण में आ अनुबन्ध है। जैसे-"विभक्ती" शब्द के सात वर्ण हैं- व् इ भ् अ क् त् ई। व् + आ = वा (प्रथमा), इ + प् = इप् (द्वितीया), भ् + आ = भा (तृतीया) अ + प् = अप् (चतुर्थी), क् + आ = का (पंचमी), त् + आ = ता (षष्ठी) तथा ई + प् = ईप् (सप्तमी)।

४. अनुबन्ध योजना

अनुबन्ध के लिए "इत्" संज्ञा की गई है, परन्तु पाणिनि ने इत्संज्ञक वर्णों के लोपार्थ जैसे "तस्य लोपः" (पा.१.३.९) सूत्र बनाया है, उस प्रकार देवनन्दी ने नहीं किया है, वे इत् को अन्वर्थ संज्ञाशब्द मानकर लोपार्थ सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं समझते-"एति गच्छति नश्यतीति इत्" (जैनेन्द्र-महावृत्ति १.२.३)। जैनेन्द्र व्याकरण में इत्-संज्ञाविधायक सूत्र है-"कार्यार्थोऽप्रयोगीत्" (१.२.३)। इस प्रकार पाणिनि की तरह यहाँ = "उपदेशेऽजनुनासिक इत्, हलन्त्यम्" (१.३.२-८) आदि सात सूत्रों की कल्पना नहीं की गई है।

देवनन्दी ने तद्धित प्रत्ययों में पाणिनीय के "अनुबन्ध के स्थान पर "ण्" अनुवन्ध का प्रयोग किया है। पाणिनीय तद्धित प्रत्ययों में क् अनुबन्ध का प्रयोग "किति च" (पा. ७.२.११८) सूत्र से आदिवृद्धि के विधानार्थ किया गया है, परन्तु यहाँ केवल ण् अनुवन्ध से ही कार्यनिर्वाह किया गया है।

पाणिनीय ङीप् ङीष् तथा ङीन के स्थान पर ङी-प्रत्यय का, चङ् के स्थान पर "कव्" आदेश तथा ष्ट्रन के स्थान पर "त्रट्" प्रत्यय का विधान है। पाणिनि ने स्वरार्थ जिन अनुवन्धों की योजना की है उन्हें स्वरनिरपेक्ष देवनन्दी ने छोड़ दिया है।

कुछ अनुबन्धों का परिचय इस प्रकार है -

अ. पाणिनि तथा देवनन्दी ने अपने सूत्र पाठ में उच्चारणसौकर्यहेतु अनेक स्थलों पर 'अ' अनुबन्ध का प्रयोग किया है। धातुपाठ में अ-अनुबन्ध धातुपाठ की अनुदात्तेत् तथा स्वरितेत् बनाने के लिए है। ध्यातव्य है कि अनुदात्तेत धातुएँ आत्मनेपदी होती हैं और स्वरितेत् धातुएँ उभयपदी।

आ. इसका प्रयोग केवल धातुओं में देखा जाता है। जैसे-ञिमिदा, ञिष्विदा। ऐसी धातुओं से निष्ठासंज्ञक प्रत्यय करने पर इडागम नहीं होता (जै. ५.१.१२२)।

इ देवनन्दी ने कुछ प्रत्ययों में उच्चारणसौविध्य की दृष्टि से इकार का प्रयोग किया है। जैसे-ण्वि (२.२.६५), डसि (३.१.२) धातुओं में इ अनुबन्ध का प्रयोग नुमागम के लिए

हुआ है।

ई. ''ओ लजी-ओ विजी'' आदि धातुओं में इसका प्रयोग निष्ठासंज्ञक क्त-क्तवतु प्रत्ययों में इडागम के निषेधार्थ किया गया है।

क्. इसके अनेक प्रयोजन हैं। जैसे-गुण-वृद्धि का निषेध (स्तुतः, चितः), सम्प्रसारण (उक्तः), नलोप (स्रस्तः), उपधा को इकारादेश (शिष्टः), आकारादेश (जातः), उपधालोप (जग्मतुः), अजन्त अंग को दीर्घ (चीयते) तथा धा को ''हि'' आदेश (हितः)।

ञ्-आत्मनेपद (कृञ्- कुरुते), अंगवृद्धि (कारः, हारः), उपधावृद्धि (पाकः, त्यागः), तथा आदि अच् को वृद्धि (गार्ग्यः) आदि इसके प्रयोजन हैं।

अनुबन्ध-संग्रह

अ, आ, इ, इर्, ई, उ, ऊ, ऋ, लृ, ए, ओ, क्, ख्, घ्, ङ्, च्, ज्, ञ्, ट् ड्, ण्, त्, न्, प्, म्, य्, र्, ल्, व्, श्, ष्, तथा स्।

यह ज्ञातव्य है कि कुछ अनुबन्ध तो सूत्र, धातु, प्रत्यय आदि अनेक विधियों में प्रयुक्त हुए हैं, और कुछ का प्रयोग एक-दो विधियों में ही हुआ है। प्रत्ययों में उन अनुबन्धों को छोड़ दिया गया है, जिनकी योजना पाणिनि ने स्वरविधानार्थ की है। विस्तार के लिए ''पाणिनीय और जैनेन्द्र का सूत्रपाठ का तुलनात्मक अध्ययन'' (अनु.कुक्स, मेरठ, प्र.सं. १६८५, पृ. १२५-२०५) द्रष्टव्य है।

५. प्रत्याहार सूत्र

यद्यपि सम्प्रति उपलब्ध जैनेन्द्र व्याकरण में प्रत्याहारसूत्र नहीं पढ़े गए हैं तथापि प्रत्याहार-बोधक सूत्र ''अन्त्येनेतादिः'' (१.१.४) उपलब्ध है और पाणिनीय प्रत्याहारों के समान अच्, अक्, इक्, एङ्, ऐच् तथा यण् आदि प्रत्याहारों का प्रयोग देवनन्दी ने भी किया है। अतः इसके मूलपाठ में प्रत्याहारसूत्रों के विद्यमान होने की संभावना की जाती है।

व्याख्याग्रन्थ

(१) जैनेन्द्रन्यास

एक शिलालेख के अनुसार देवनन्दी ने ही सर्वप्रथम अपने व्याकरण की ''न्यास'' नामक टीका लिखी थी, जो सम्प्रति अनुपलब्ध है। शिलालेख का वचन इस प्रकार है-

न्यासं जैनेन्द्रसंज्ञं सकलबुधनतं पाणिनीयस्य भूयो
न्यासं शब्दावतारंमनुजततिहितं वैद्यशास्त्रं च कृत्वा[1]

---

१. जैन साहित्य और इतिहास, पृ. १०७, टि. १, द्वि.सं.-पृ.३३-टि. २, संस्कृतव्याकरणशास्त्र का इतिहास, द्वि सं. पृ. ४१३।

२. जैनेन्द्र महावृत्ति

इस वृत्ति के रचयिता अभयनन्दी हैं जिसका समय वि.सं. ९७५-१०३५ माना जाता है। यतः चन्द्रप्रभचरित महाकाव्य के रचयिता वीरनन्दी के गुरु अभयनन्दी हैं, वीरनन्दी का समय वि.सं. १०३५ है, अतः अभयनन्दी का उक्त काल मानना उचित प्रतीत होता है। इस वृत्ति में महाभाष्य तथा काशिका की सामग्री का पर्याप्त उपयोग किया गया है। उदाहरणों में जैन तीर्थङ्करों, आचार्यों, दार्शनिकों तथा ग्रन्थकारों का उल्लेख मिलता है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं-

''अनुसमन्तभद्रं तार्किकाः, उपसिंहनन्दिनं कवयः उपसिद्धसेनं वैयाकरणाः, आकुमारेभ्यो यशः समन्तभद्रस्य, शरदं मथुरा रमणीया, मासं कल्याणी काञ्ची, क्षीरपाणा आन्ध्राः[1]।''

३. शब्दाम्भोजभास्करन्यास

आचार्य प्रभाचन्द्र ने यह व्याख्या लिखी थी, यह अभयनन्दी की महावृत्ति से भी विस्तृत थी, परन्तु सम्प्रति यह प्राप्त नहीं है। इसके तृतीय अध्याय के अन्त में अभयनन्दी को नमस्कार किया गया है। प्रमेयकमलमार्तण्ड के अन्तिम लेख से विदित होता है कि प्रभाचन्द्र ने यह ग्रन्थ महाराज भोज के काल में रचा है। महाराज भोज का राज्यकाल वि. सं. १०७८-१११० है। प्रमेयकमलमार्तण्ड का लेख इस प्रकार है-**''श्रीमद्भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना, परापरपरमेष्ठिपदप्रमाणार्जितामपुण्यनिराकृतान्यखिमकलङ्केन श्रीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेन निखिलप्रमाण-प्रमेयस्वरूपोद्द्योतपरीक्षामुखपदमिदं विवृतमिति''**।

४. लघु जैनेन्द्र

इसके लेखक पं. महाचन्द्र हैं, जिनका समय विक्रम की २०वीं शताब्दी माना जाता है। इसे अभयनन्दी की महावृत्ति के आधार पर लिखा गया था, परन्तु यह सम्प्रति उपलब्ध नहीं है।

इनके अतिरिक्त आर्य श्रुतकीर्ति ने ''पञ्चवस्तु'' नामक प्रक्रिया ग्रन्थ वि.सं. ११२५ या १२२५ में और पं. वंशीधर ने जैनेन्द्र प्रक्रिया नामक ग्रन्थ विक्रम की २०वीं शताब्दी में लिखा है।

जैनेन्द्र व्याकरण के दाक्षिणात्य संस्करण का वास्तविक नाम ''शब्दार्णव'' माना जाता है, जिसके परिष्कारक आचार्य गुणनन्दी हैं, इनका समय वि.सं. ९१० से वि.सं. ९६० है। इस पर भी दो टीकाएं लिखी गयीं-१. शब्दार्णवचन्द्रिका (सोमदेव सूरि[2]। २. जैनेन्द्रप्रक्रिया[3]।

---

१. द्र.-पाणिनीय और जैनेन्द्र सूत्रपाठ का तुलनात्मक अध्ययन, प्र. सं., पृ. १७

२. श्री सोमदेवयतिनिर्मितमादधाति या नौः प्रतीतगुणनन्दितशब्दवार्धौ। (ग्रन्थ के अन्त में)।)

३. सैषा श्रीगुणनन्दितानितवपुः शब्दार्णवे निर्णयं।
नावात्याश्रयतां विविक्षुमनसां साक्षात् स्वयं प्रक्रिया।। (अन्तिम श्लोक)

जैनेन्द्र धातुपाठ

इसका मूलपाठ सम्प्रति उपलब्ध नहीं है। आचार्य गुणनन्दी द्वारा परिष्कृत शब्दार्णव का जो संस्करण काशी से प्रकाशित हुआ है उसके अन्त में जैनेन्द्र धातुपाठ छपा है, उसके अन्तिम श्लोक से विदित होता है कि यह धातुपाठ गुणनन्दी द्वारा संशोधित है। इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि आचार्य देवनन्दी ने धातुपारायण नामक कोई व्याख्या अपने धातुपाठ पर लिखी थी। विक्रम की नवम शती में श्रुतपाल द्वारा भी किसी व्याख्या के लिखे जाने का अनुमान है। आर्य श्रुतकीर्ति ने पञ्चवस्तु नामक प्रक्रियाग्रन्थ के अन्तर्गत जैनेन्द्र धातुपाठ का भी व्याख्यान किया है।

जैनेन्द्र गणपाठ

यह अभयनन्दी की महावृत्ति में उपलब्ध होता है। इसमें पिच्छादि और तुन्दादि गणों को एक कर दिया गया है। आकृतिगणों में प्रयोगानुसार कतिपय शब्दों की वृद्धि की गई है। काशिका तथा चान्द्रवृत्ति दोनों के भिन्न-भिन्न पाठों का इसमें संग्रह है और प्रायः सर्वत्र तालव्य श् को दन्त्य स् के रूप में पढ़ा गया है।

जैनेन्द्र उणादिसूत्र

यह स्वतन्त्र रूप से सम्प्रति प्राप्त नहीं है। अभयनन्दी की महावृत्ति में इसके अनेक सूत्र उद्धृत हैं। यह पञ्चपादी उणादिपाठ पर आधारित है।

जैनेन्द्र लिङ्गानुशासन

''जैनेन्द्रलक्षणगतं विविधं तथाऽन्यत्'' (श्लोक ३१) इस वामनीय लिंगानुशासन के वचन के आधार पर यह निश्चयेन कहा जा सकता है कि देवनन्दी ने लिंगानुशासन का प्रवचन अवश्य किया था, परन्तु सम्प्रति यह प्राप्त नहीं है।

५. सिद्धहैमशब्दानुशासन इतिहास और विशेषताएँ

इस व्याकरण की रचना जैन आचार्य **हेमचन्द्र** ने की है। इन्हें **कलिकालसर्वज्ञ** भी कहते हैं। सिद्धराज जयसिंह ने जब मालव देश के राजा यशोवर्मा को पराजित किया और उसके फलस्वरूप उन्हें पर्याप्त हस्तलेख-सम्पत्ति प्राप्त हुई, तब उनमें राजा भोज के "सरस्वतीकण्ठाभरण" नामक व्याकरण को देखकर उनके भी मन में एक नवीन व्याकरण की रचना कराने का विचार हुआ। इसकी पूर्ति हेमचन्द्र ने की। अतः इस व्याकरण के नाम में "सिद्ध" शब्द जोड़ा गया। इस व्याकरण का रचनाकाल वि.सं. १२ वीं शती का अन्तिम दशक माना जाता है।

यह व्याकरण पाँचों अङ्गों से मण्डित होने के कारण सांगोपांग है। पाँचों अंगों पर हेमचन्द्र की स्वोपज्ञ वृत्ति भी प्राप्त होती है। सवृत्तिक इस व्याकरण का परिमाण एक लाख पचीस हजार लोकात्मक कहा जाता है[1]।

हेमचन्द्र के पिता का नाम "चाचिग अथवा चाच" एव माता का नाम पाहिनी था। पिता वैदिक मतानुयायी थे, जबकि माता का झुकाव जैन मत की ओर था। इनका जन्म अहमदाबाद में कार्तिक पूर्णिमा वि.सं. ११४५ में हुआ। हेमचन्द्र का बाल्यावस्था का नाम चांगदेव था। श्वेताम्बर सम्प्रदायान्तर्गत वज्रशाखा के आचार्य चन्द्रदेव सूरि ने इन्हें अपना शिष्य बनाया उस समय इनका नाम 'सोमचन्द्र' रखा गया। 'सूरि' पद की प्राप्ति के समय इनका नाम 'हेमचन्द्र' हुआ।[2]

गुजरात के महाराज सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल की सहायता से हेमचन्द्र ने व्याकरण, न्याय, छन्द, काव्य और धर्मविषयक अनेक ग्रन्थों की रचना कर जैनमत का पर्याप्त प्रचार किया। जैन लेखकों में हेमचन्द्र का स्थान प्रमुख है। ८४ वर्ष की दीर्घायु में वि.सं. १२२९ में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

"सिद्धहैमशब्दानुशासन" संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का व्याकरण है। प्रारम्भिक ७ अध्यायों के २८ पादों में संस्कृत का व्याकरण है। इसमें ३५६६ सूत्र है, जिनसे केवल लौकिक शब्दों की सिद्धि की गई है। आठवें अध्याय में प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका पैशाची और अपभ्रंश आदि का अनुशासन १११९ सूत्रों में किया गया है।

---

१. श्री हेमचन्द्राचार्यैः श्रीसिद्धहैमाभिधानमभिनवं व्याकरणं सपादलक्षप्रमाणं संवत्सरेण रचयाञ्चक्रे ।। प्रबन्धचिन्तामणि, पृ. ६०।।

२. द्र. जैनसत्यप्रकाश, वर्ष ७ दीपोत्सवी अंक- १९४१, पृ. ६३-६४, ६१-१०८, प्रबन्धचिन्तामणि, पृ.८३-६५

हैमव्याकरण की रचना कातन्त्र के समान प्रकरणानुसारी है। इसमें क्रमशः संज्ञा, स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, नाम, कारक, षत्व, णत्व, स्त्रीप्रत्यय, समास, आख्यात, कृदन्त और तद्धित प्रकरण उपलब्ध होते है।

हैम व्याकरण की विशेषताएँ

(१) कातन्त्र व्याकरण का प्रभाव

१. **लोकव्यवहार के अनुसार शब्दों का साधुत्व** [१]:-कातन्त्र में स्पष्टतः कहा गया है कि जो इस व्याकरण से सिद्धि नहीं किए गये है उनकी सिद्धि लोक (शिष्ट तथा अन्य व्याकरण ग्रन्थ) व्यवहार से समझ लेनी चाहिए-"लोकोपचाराद् ग्रहणसिद्धिः"।। १.१.२३।। हेमचन्द्र ने भी शब्दतः यह स्वीकार किया है-"सिद्धिः स्याद्वादात् लोकात्"।। १.१.३।।

२. **स्वरवर्णो में साम्य** कातन्त्रकार ने १४ स्वरवर्ण माने हैं- "अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ॠ, ल लृ, ए ऐ, ओ औ, जबकि पाणिनीय वर्णसमाम्नाय में दीर्घ अकारादि का पाठ न होने से ६ ही अच् हैं हेमचन्द्र ने कातन्त्र के ही १४ स्वरों को स्वीकार किया है"-औदन्ताः स्वराः (१.१.४)।

३. **संज्ञाओं में साम्य**-कातन्त्रव्याकरण के प्रथम पाद में स्वर-समान-सवर्ण-ह्रस्व-दीर्घ-नामी-सन्ध्यक्षर-व्यन्जन-वर्ग-अघोष-अन्तःस्था आदि संज्ञाएँ संगृहीत हैं। हेमचन्द्र ने भी प्रायः इन्हीं संज्ञाओं को स्वीकार किया है। कातन्त्रकार ने वज्राकृति वर्ण को जिह्वामूलीय तथा गजकुम्भाकृति को उपध्मानीय कहा है। हेमचन्द्र को भी यही अभिमत है। ज्ञातव्य है कि पाणिनीय व्याकरण में अर्ध-विसर्ग की आकृति वाले वर्ण जिह्वामूलीय-उपध्मानीय माने गए है।

४. **स्यादि-त्यादि प्रत्ययों में साम्य** कातन्त्रव्याकरण में 'सि' आदि प्रत्यय परिगणित हैं, जिनके लिए पाणिनीय व्याकरण में 'सुप्' का प्रयोग किया जाता है। पाणिनीय प्रत्याहारों की मान्यता न होने के कारण कातन्त्रकार ने सुप् के लिए 'स्यादि' तथा तिङ् के लिए 'त्यादि' शब्दों का व्यवहार किया है। "अथ च स्याद्यन्तत्याद्यन्त शब्दों की पदसंज्ञा भी मानी है- "पूर्वपरयोरर्थोपलब्धौपदम्" ।। कात. १.१.२०।।। हेमचन्द्र ने कातन्त्र के ही अनुसार स्यादि-त्यादि प्रत्ययों का चयन तथा तदन्त की पदसंज्ञा की है- "स्त्यादिर्विभक्तिः, तदन्तं पदम्"[२] ।। १.१.१६-२०।।

१. पाणिनि ने एतदर्थ "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्"।।६.३.१०८।। सूत्र बनाया है।
२. एतदर्थ पाणिनि का सूत्र है 'सूप्तिङन्तं पदम्'।। १.४.१४।। २. कातन्त्रीय प्रकरणक्रम का आधार है-"मोदकं देहि" यह वचन। इसमें सर्वप्रथम "मा+उदकम्" यह सन्धि है। तदनु मोदकम् यह स्याद्यन्त पद तथा "देहि" यह त्याद्यन्त पद है, इसी क्रम से इसमें प्रकरणों का उपस्थापन किया गया है- सन्ध्यादिक्रममादाय यत् कलापं विनिर्मितम्। मोदकं देहि देवेति वचनं तन्निदर्शनम्।।क.च.मंगलाचरण।।

५. **आख्यातप्रकरणीय संज्ञाओं में साम्य** पाणिनि ने वर्तमानादि अर्थों के अवबोधार्थ 'लट्-लिट्' आदि १० लकारें स्वीकार की है, परन्तु कातन्त्रकार ने एतदर्थ "वर्तमाना-सप्तमी-पञ्चमी-ह्यस्तनी-अद्यतनी-परोक्षा-आशीः-स्वस्तनी-भविष्यन्ती-क्रियातिपत्ति" ये १० संज्ञाएं मानी हैं। हेमचन्द्र ने अविकल रूप में कातन्त्रीय इन संज्ञाओं को तथा उनके परस्मैपद-आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्ययों को स्वीकार कर लिया है।। है. श. ३.१.१६।।

६. **प्रकरणों में साम्य** हेमचन्द्र ने प्राचीन शब्दानुशासनों के अनुसार सूत्ररचना नहीं की है, बल्कि कातन्त्र के प्रकरणों का प्रायः अनुसरण किया है। इसके क्रमिक प्रकरण हैं- संज्ञा, स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, नाम, कारक, षत्व, णत्व, स्त्रीप्रत्यय, समास, आख्यात, कृदन्त और तद्धित, जो अधिकांश कातन्त्रीय[२] प्रकरणों से समानता रखते हैं।

(२) अन्यव्याकरणों का प्रभाव

कातन्त्र के अतिरिक्त हेमचन्द्र ने पाणिनीय-सरस्वतीकण्ठाभरण, जैनेन्द्र तथा शाकटायन व्याकरण का भी कुछ स्थलों में अनुगमन किया है।

(३) धातुपाठ में अनुबन्धकृत विशेषता

भ्वादिगण की ६४३ धातुओं में विविध अनुबन्ध आवश्यकतानुसार लगाए गए हैं या फिर कुछ धातुएँ निरनुबन्ध ही है परन्तु किसी एक गण की समस्त धातुओं में एक ही अनुबन्ध की योजना की गई है। इसे इस प्रकार जानना चाहिए-

१. अदादिगण- धातुसंख्या ८०, अनुबन्ध 'क्'।

२. दिवादिगण- धातुसंख्या १३३, अनुबन्ध 'च्'।

३. स्वादिगण- धातुसंख्या २६, अनुबन्ध 'ट्'।

४. तुदादिगण- धातुसंख्या १२६, अनुबन्ध 'त्'।

५. रुधादिगण- धातुसंख्या २४, अनुबन्ध 'प्'।

६. तनादिगण- धातुसंख्या ८, अनुबन्ध 'य्'।

७. क्रयादिगण- धातुसंख्या ५६, अनुबन्ध 'श्'।

८. चुरादिगण- धातुसंख्या ३२३, अनुबन्ध 'ण्'।

योग ७७६

४. संस्कृतभाषा के साथ प्राकृतभाषा का व्याकरण

हेमचन्द्र के समय प्राकृतसाहित्य अपने उत्कर्ष पर पहुँच गया था तथा अपभ्रश ने

भी साहित्यिक भाषा का एक रूप ग्रहण कर लिया था। अतः हेमचन्द्र ने इनका भी व्याकरण बनाना आवश्यक समझा और अपने शब्दानुशासन के अष्टम् अध्याय में प्राकृत-अपभ्रश भाषाओं का व्याकरण बनाया। इससे उनका त्रिविध भाषाविद् होना सिद्ध होता है। इस अध्याय के १११६ सूत्रों द्वारा प्राकृत-शौरसेनी-मागधी-पैशाची-चूलिका-पैशाची तथा अपभ्रंश भाषाओं के शब्द सिद्ध किये गये हैं।

हैमव्याकरण की व्याख्याएँ

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण पर तीन व्याख्याएं लिखी हैं-**लघ्वी वृत्ति**-यह शास्त्र में प्रवेश करने वाले बालकों के लिए उपयोगी है, इसका परिमाण लगभग छह सहस्र श्लोक है। **मध्य वृत्ति**-इसकी रचना मध्यम स्तर की बुद्धि वालों के हितार्थ की गई है। यह वृत्ति बारह सहस्र श्लोकात्क परिमाण की है।

बृहती वृत्ति

कुशाग्रबुद्धि वाले प्रौढ़ व्यक्तियों के उपयोगार्थ इसकी रचना की गई है। इसका परिमाण अठारह-सहस्र श्लोकों का है।

इन तीन वृत्तिग्रन्थों के अतिरिक्त एक न्यासग्रन्थ की रचना हेमचन्द्र ने की थी, जिसका नाम शब्दमहार्णवन्यास या बृहन्न्यास था, नाम के अनुसार यह पर्याप्त विस्तृत था। इसका परिमाण ९० सहस्र श्लोकों का माना जाता है। श्रीविजयलावण्य सूरि के विशेष प्रयत्न से तृतीय अध्याय के प्रथम पाद-पर्यन्त तीन भागों में इसका प्रकाशन हुआ है।

हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण तथा वृत्तिग्रन्थों में आपिशालि, यास्क, शाकटायन, पाणिनि, पतञ्जलि आदि प्राचीन आचार्यों का एवं देवनन्दी, जयादित्य, वामन, विश्रान्तविद्याधिकार, जैन शाकटायन, दुर्ग सिंह आदि अर्वाचीन आचार्यों का स्मरण किया है।

हेमचन्द्र के अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों ने टीकाएं लिखी थी, परन्तु उनके ग्रन्थ प्राप्त नहीं है। 'सिस्टम्स् ऑफ संस्कृतग्रामर'।। डा. बेल्वल्कर।। के अनुसार **धनचन्द्र, जिनसागर, उदयसौभाग्य, देवेन्द्रसूरि, विनयविजयगणि तथा मेघविजय** इस व्याकरण के व्याख्याकार थे।[1] इस विषय में यह ध्यातव्य है कि हेमचन्द्र द्वारा पर्याप्त विस्तृत व्याख्याएँ लिखे जाने के बाद सामान्यतया अन्य व्याख्याओं की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि मूल ग्रन्थकार तात्पर्य को जितने सरल ढ़ंग से स्पष्ट करने में समर्थ होता है, अन्य व्याख्याकार उतने नहीं हो सकते। संभवतः यही कारण है कि अन्य व्याख्याएं सम्प्रति इस

---

१. भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान ।। डा. हीरालाल जैन, भोपाल,१९६२ ई.।। पृ. १८८ भी विशेष द्रष्टव्य है। इसमें व्याख्या तथा व्याख्याकारों के कुछ परिवर्तित नाम मिलते हैं।

पर उपलब्ध नहीं होती। हैमबृहद्वृत्ति की चन्द्रसागरसूरि कृत व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।

धातुपाठ

हेमचन्द्र ने स्वयं अपने व्याकरण के धातुपाठ का प्रवचन किया था और उस पर स्वोपज्ञ **धातु-विवरण (धातुपारायण)** नामक विस्तृत व्याख्या भी लिखी थी। इस धातुपाठ की धातुएं ९ गणों में विभक्त हैं। जुहोत्यादि गण को अदादि गण में ही पढ़ दिया गया है। धातुओं में लगाए गए अनुबन्ध विशेष द्रष्टव्य हैं एक गण की समग्र धातुओं में एक ही अनुबन्ध की योजना की गई है। जिससे गण की पहिचान सरलता से हो जाती है। अनिट् धातुओं में अनुस्वार को ही अनुबन्ध स्वीकार किया गया है। जैसे पां पाने, ब्रूँ व्यक्तायां वाचि आदि। व्याख्या में क्रियापदों के उदाहरण पद्यों में देकर सरलता की गई है।

गुणरत्नसूरि ने भी हैम धातुपाठ पर **"क्रियारत्नसमुच्चय"** नाम की व्याख्या वि.स. १४६६ में लिखी थी। इसकी रचना इन्होंने अपने गुरू श्रीदेवसुन्दर के आदेशानुसार की थी। इसका निर्देश व्याख्या के अन्त में किया गया है-

काले षड्रसपूर्ववत्सरमिते श्री विक्रमार्काद् गते
गुर्वादिशवशाद् विमृश्य च सदा स्वान्योपकारं परम्।
ग्रन्थं श्रीगुणरत्नसूरिरतनोत् प्रज्ञाविहीनोऽप्यमुं
निर्हेतूपकृतिप्रधानजननैः शोध्यस्त्वयं धीधनैः।।

इस ग्रन्थ में धातु रूपसम्बन्धी अनेक प्राचीन मतों का उल्लेख हुआ है।

गणपाठ

हेमचन्द्र के स्वोपज्ञ बृहद्वृत्ति में यथास्थान गण शब्दों का संग्रह किया है। इसमें पाल्यकीर्ति-रचित शाकटायन व्याकरण का अत्यधिक अनुकरण है। कतिपय नए गणों की उद्भावना की गई है तो कहीं पूर्वाचार्यो द्वारा निधारित गणनामों में परिवर्तन भी किया गया है।

उणादिसूत्र

हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण से संबद्ध उणादिसूत्रों की स्वयं ही रचना की थी। इनके उणादिपाठ में १००६ सूत्र हैं। इन सूत्रों पर इनकी स्वोपज्ञ वृत्ति भी है। इसमें कर्कर (कंकण) गर्गरी (महाकुम्भ, गागर) पटाका (वैजयन्ती, पताका) जैसे अनेक हिन्दी-गुजराती भाषाओं से संबद्ध शब्दों को भी सिद्ध किया गया है। पन्द्रहवी शती के उत्तरार्ध में शुभशील आचार्य ने भी उणादिनाममाला नामक एक वृत्तिग्रन्थ की रचना की है।

लिंङ्गानुशासन

आचार्य हेमचन्द्र ने १३९ श्लोकों में विस्तृत लिंङ्गानुशासन का प्रवचन किया है। उन्होंने इस पर विवरण नामक स्वोपज्ञ टीका भी लिखी है, इसके अतिरिक्त कनकप्रभ, जयानन्दसूरि, केसरविजय द्वारा रचित टीकाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अपने व्याकरण के उपयोगार्थ हेमचन्द्र ने न्यायसूत्र के नाम से ५७ परिभाषाएं निश्चित की है परन्तु हेमहंसगणि ने ८४ अन्य परिभाषाओं का योगदान कर इस खिलपाठ को भी विस्तृत बना दिया है।

६. सारस्वत व्याकरण :- इतिहास और विशेषताएं

अनुभूतिस्वरूपाचार्य- द्वारा प्रोक्त सारस्वत व्याकरण में मूल सूत्र ७०० माने जाते हैं। इस व्याकरण की रचना विद्याधिष्ठात्री देवी सरस्वती की विशेष अनुकम्पा से की गई थी। इसके अनेक रूपान्तर भी किये गये हैं, जिनमें रामाश्रम-प्रणीत सिद्धान्तचन्द्रिका प्रमुख हैं।

कहा जाता है कि 'पुंक्षु' प्रयोग का साधुत्व दिखाने की प्रतिज्ञा से विवश होकर आचार्य ने देवी की आराधना की और उन्हें प्रसन्न कर उनसे व्याकरणसूत्र प्राप्त किए। प्रारम्भिक श्लोक इस प्रकार है-

प्रणम्य परमात्मानं बालधीवृद्धिसिद्धये।
सारस्वतीमृजुं कुर्वे प्रक्रियां नातिविस्तराम्।।

इससे विदित होता है कि अनुभूतिस्वरूपाचार्य इस व्याकरण के मूल लेखक नहीं हैं, उन्होंने तो उसकी प्रक्रिया को सरल करने की प्रतिज्ञा की है। सारस्वतप्रक्रिया नामक (सारस्वतटिप्पण) ग्रन्थ के अन्त में क्षेमेन्द्र ने लिखा है- **"इति श्रीनरेन्द्राचार्य कृते सारस्वते क्षेमेन्द्रटिप्पणं समाप्तम्"**।

इस वचन के अनुसार सारस्वतसूत्रों के मूल रचयिता तो नरेन्द्राचार्य ही कहे जा सकते हैं। परन्तु इनके द्वारा रचित सारस्वत व्याकरण अभी तक मूल रूप में प्राप्त नहीं हुआ है।

इस व्याकरण की कुछ ऐसी व्याख्याएं हैं जो इसके रूपान्तर को उपस्थित करती हैं। **रामाश्रम या रामचन्द्राश्रम** की सिद्धान्त-चन्द्रिका में तो रूपान्तर इतना अधिक हुआ है कि वह एक स्वतन्त्र व्याकरण के रूप में मान्य हो गया है। यदि भट्टोजिदीक्षित के पुत्र भानुदीक्षित का ही संन्यासाश्रम का नाम रामाश्रम मान लिया जाए, तो सिद्धान्त-चन्द्रिका की रचना १७ वीं शताब्दी में की गई होगी। इसका अध्यापन पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अधिक होता रहा है। सिद्धान्त-चन्द्रिका पर लोकेशकर ने तत्त्वदीपिका नामक टीका सं. १७४१ में लिखी थी-

चन्द्रवेदहयभूमिसंयुते वत्सरे नभसि मासि शोभने।
शुक्लपक्षदशमीतिथावियं दीपिका बुधप्रदीपिका कृता।।

इसके अतिरिक्त सं. १७९९ में सदानन्द ने इस पर सुबोधिनी नामक टीका की रचना की थी। इस व्याकरण पर जैनाचार्यों ने २५ टीकाएं लिखी हैं। कुछ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-

१. सुबोधिका

इसके रचयिता आचार्य चन्द्रकीर्ति सूरि हैं। यह सरल सुबोध होने से सुबोधिका तथा

अपेक्षित अर्थ-उदाहरण आदि द्वारा सूत्रों के तात्पर्य को प्रकाशित करने से दीपिका नाम से भी प्रसिद्ध है। आचार्य चन्द्रकीर्ति ने अपने को नागपुरीय तपागच्छाधिराज भट्टारक कहा है। १६१६ ई. में निर्णयसागर से प्रकाशित सारस्वत व्याकरण की प्रथमवृत्ति के अन्त में कहा गया है।-

> **सुबोधिकायां क्लृप्तायां सूरिश्रीचन्द्रकीर्तिभिः।**
> **स्यादीनां प्रक्रिया पूर्णा बभूवेत्थं मनोहरा।।**
> **तेषामेव हि सच्छिष्यो हर्षकीर्त्याहृवपाठकः।**
> **लिखनोपक्रमं चास्याः प्रपेदे प्रीतिमानसः।।**

इसके अनुसार चन्द्रकीर्ति के शिष्य हर्षकीर्ति ने इसे लिखा था। इसकी रचना पद्मचन्द्र उपाध्याय की अभ्यर्थना पर की गई थी। प्रामाणिक रचनाकाल का तो उल्लेख प्राप्त नहीं होता, फिर भी युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा दर्शित समय १६ वीं शती का अन्त या १७ वीं शती का आरम्भ मान्य प्रतीत होता है।

ग्रन्थकार ने सुबोधक सूत्रों के भी विषय को इसमें सरलता से समझाने का प्रयास किया है-

> **स्वल्पस्य सिद्धस्य सुबोधकस्य सारस्वतव्याकरणस्य टीकाम्।**
> **सुबोधिकाख्यां रचयाञ्चकार सूरीश्वरः श्रीप्रभुचन्द्रकीर्तिः।।**
> **(व्याख्यातृप्रशस्ति३ श्लोक १०)**

इसमें खण्डन-मण्डन के पक्ष प्रायः नहीं दिखाए गए हैं। कुछ स्थलों में पूर्वाचार्यों के भ्रम का स्पष्टीकरण है। कुछ शब्दों की व्युत्पत्ति या समासादि को बालबोधार्थ ही दर्शित किया है। प्रामाणिकता के लिए कुमारसम्भव, चन्द्रिका, प्रक्रियाकौमुदी, सरस्वतीकण्ठाभरण, भट्टि, श्रीमद्भागवत् आदि ग्रन्थों तथा पाणिनीय, वृत्तिकार, ग्रन्थकार, माघ, आदि आचार्यो का उल्लेख किया है। दो या तीन कारकों के युगपत् प्राप्त होने पर किसकी प्रवृत्ति होगी- इसके निर्णय के लिए कातन्त्रसूत्र उद्धृत किया है- "व्याकरणान्तरे तु-युगपदवचने परः पुरुषाणाम्" (उत्तरार्ध १. १६) 'अ' 'प्' आदि अनुबन्धों का प्रयोजन स्पष्ट किया हैं किन्हीं धातुओं के उकारादि अनुबन्धों का प्रयोजन उच्चारणसौकर्य भी बताया गया है। उभयपदी धातुओं के प्रकरण में कुछ ऐसी भी धातुएं पढ़ी गई है, जिन्हें अन्य आचार्य केवल आत्मनेपदी या केवल परस्मैपदी ही मानते हैं। टीकाकार ने ऐसे स्थलों में 'एके आचार्याः आदि वचनों से मतान्तरों का संकेत किया है।

२. क्रिया-चन्द्रिका

खरतरगच्छीय गुणरत्न ने वि.सं. १६४१ में इसकी रचना की थी। इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर में है।

३. दीपिका

विनय सुन्दर के शिष्य मेघरत्न ने वि.सं०१५३६ में इसे बनाया था। ६८ तथा १६२ पत्रों का हस्तलेख लालभाई दलपतभाई संस्कृति विद्या मन्दिर, अहमदाबाद में सुरक्षित है। प्ररम्भिक श्लोक इस प्रकार है-

नत्वा पार्श्व गुरूमपि तथा मेघरत्नाभिधोऽहम्।
टीकां कुर्वे विमलमनसं भारतीप्रक्रियां ताम्।।

४. धातुतरंगिणी

इसकी रचना नागोरी तपागच्छीय आचार्य हर्षकीर्ति सूरि ने की है। इसमें १८६१ धातुओं के रूप बताए गए हैं। टीकाकार का निर्देशवचन इस प्रकार है-

धातुपाठस्य टीकेयं नाम्ना धातुतरङ्गिणी।
प्रक्षालयतु विज्ञानामज्ञानमलमान्तरम्।।

५. रूपरत्नमाला

तपागच्छीय भानुमेरू के शिष्य मुनि नयसुन्दर ने वि. सं. १७७६ में इसकी रचना की थी। ग्रन्थ में प्रयोगों की साधनिका है। ग्रन्थ का परिमाण १४००० श्लोक कहा जाता है। इसमें पाणिनि तथा हेमचन्द्र के भी मतों का समादर किया गया है। अधोदर्शित परिचय के आधार पर नयसुन्दर ने सारस्वत व्याकरण वार्त्तिकों की भी रचना की थी-

ग्रथिता नयसुन्दर इति नाम्ना वाचकवरेण च तस्याम्।
सारस्वतस्थितानां सूत्राणां वार्तिकं त्वलिखत् ।। ३७।।
श्रीसिद्धहेमपाणिनिसम्मतिमाधाय सार्थका लिखिताः।
ये साधवः प्रयोगास्ते शिशुहितहेतवे सन्तु ।। ३८।।

६. विद्वच्चिन्तामणिः

अञ्चलगच्छीय कल्याणसागर के शिष्य मुनि विनयसागर सूरि ने इसकी रचना पद्यों में की थी। ग्रन्थकार ने स्वयं परिचय दिया है-

श्री विधिपक्षगच्छेशः सूरिकल्याणसागरः।
तेषां शिष्यैर्वराचार्यैः सूरिविनयसागरैः।। ३४।।
सारस्वतस्य सूत्राणां पद्यबन्धैर्विनिर्मितः।
विद्वच्चिन्तामणिग्रन्थः कण्ठपाठस्य हेतवे।। २५।।

७. **सारस्वतमण्डनम्**

श्रीमालज्ञातीय मन्त्री मण्डन ने १५ वीं शती में इसकी रचना की थी।

८. **सारस्वतवृत्तिः**

क्षेमेन्द्ररचित सारस्वतटिप्पण पर तपागच्छीय उपाध्याय भानुचन्द्र ने १७ वीं शताब्दी में इसे बनाया था। हस्तलेख की प्रतियाँ पाटन तथा छाणी के ज्ञानभण्डारों में प्राप्त हैं।

९. **सारस्वतवृत्तिः**

खरतरगच्छीय मुनि सहजकीर्ति ने वि.सं. १६८१ में इसकी रचना की थी। इसकी हस्तलिखित एक प्रति बीकानेर के श्री पूजा जी के भण्डार में तथा दूसरी प्रति श्री चतुर्भुज जी के भण्डार में प्राप्त है। ग्रन्थकार ने रचनाकाल का निर्देशन इन शब्दों में किया है-

वत्सरे भूमिसिद्धयङ्गकाश्यपीप्रमितिश्रिते।
माघस्य शुक्लपञ्चम्यां दिवसे पूर्णतामगात्।।

१०. **सारस्वतवृत्तिः**

इस वृत्ति के लेखक हर्षकीर्तिसूरि हैं। संभवतः इस वृत्ति का नाम दीपिका था।

११. **सिद्धान्तरत्नम्**

युधिष्ठिर मीमांसक ने सारस्वत के रूपान्तरकारों में जिनेन्द्र या जिनरत्न का नाम गिनाया है। तदनुसार जिनरत्न ने यह टीका लिखी थी, जो बहुत अर्वाचीन मानी जाती है।

इन टीकाओं के अतिरिक्त १. क्षेमेन्द्र का टिप्पण, २. धनेश्वर का टिप्पणखण्डन, ३. अमृतभारती की सुबोधिनी, ४. पुञ्जराज की सारस्वतप्रक्रिया, ५. सत्यप्रबोध की दीपिका, ६. माधव की सिद्धान्तरत्नावली, ७. रघुनाथ का लघुभाष्य, ८. मण्डन की सारस्वतटीका, ९. वासुदेवभट्ट की प्रसाद, १०. रामभट्ट की विद्वत्प्रबोधिनी, ११. काशीनाथ भट्ट का भाष्य १२. भट्ट गोपाल की सारस्वतव्याख्या तथा जगन्नाथ की सारप्रदीपिका नामक टीकाओं की भी रचना का उल्लेख प्राप्त होता है।

धातुपाठ

युधिष्ठिर मीमांसक इस व्याकरण के धातुपाठ की रचना सं. १३०० के लगभग स्वीकार करते हैं। संभवतः अनुभूतिस्वरूपाचार्य ने ही इसकी रचना की होगी।

गणपाठ

अनुभूतिस्वरूपाचार्य ने अपने सूत्रों में अनेक गणों का निर्देश किया है। इसकी कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

१. पाणिनीय स्वरादि और चादि गणों का एक ही में समावेश।
२. श्रत् और अन्तर शब्दों का प्रादिगण में पाठ, जिन्हें वार्त्तिककार कात्यायन ने विशेष प्रयोजन की सिद्धि के ही लिए उपसर्ग माना है।
३. पाणिनीय गणनाम कहीं परिवर्तित किये गये है। जैसे गौरादि को नदादि में, बाह्वादि को पद्धत्यादि में सपत्न्यादि को पत्न्यादि में तथा शुभ्रादि को अत्र्यादि में रखा है। पाणिनि द्वारा सूत्रों में पढ़े गये शब्दों के लिए गणनिर्देश जैसे–

"इन्द्रवरूणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्" सूत्र-पठित शब्दों के लिये इन्द्रादिगण।

सारस्वत व्याकरण के गणों का पाठ चन्द्रिका टीका में उपलब्ध होता है।

उणादिपाठ

सारस्वत व्याकरण के उणादिपाठ में ५ पाद तथा ३८१ सूत्र हैं। इनके प्रवक्ता अनुभूतिस्वरूपाचार्य अथवा रामाश्रम हैं। इन उणादिसूत्रों पर ४ विद्वानों की टीकाएं उपलब्ध होती हैं-

१. सिद्धान्तचन्द्रिका

सारस्वत व्याकरण की अपनी इस टीका में रामाश्रम ने यथास्थान व्याख्या की है। सारस्वतचन्द्रिका की भूमिका के अनुसार रामाश्रम भट्टोजिदीक्षित के पुत्र भानुजिदीक्षित ही हैं। इनका समय सं १६०० के लगभग होगा।

२. तत्त्वदीपिका

क्षेमकर के पुत्र लोकेशकर ने सिद्धान्तचन्द्रिका पर तत्वदीपिका टीका लिखी है, जिसमें उणादिसूत्र भी यथास्थान व्याख्यात है।

३. सुबोधिनी

सदानन्द के सिद्धान्तचन्द्रिका पर सं. १७६६ में इस टीका की रचना की थी। इसमें उणादिसूत्रों की भी व्याख्या है।

४. व्युत्पत्तिसार

पंजाब प्रांत के निवासी किसी अज्ञातनामा विद्वान् ने इसे लिखा था। यह निर्णीत नहीं है कि यह टीका सम्पूर्ण सिद्धान्तचन्द्रिका पर लिखी गयी थी अथवा केवल उणादिभाग पर ही। इस व्याकरण का लिङ्गानुशासन, परिभाषापाठ तथा शिक्षापाठ उपलब्ध नहीं होता है।

सारस्वत व्याकरण के भोट् (ट) अनुवाद का परिचय

१. सारस्वतव्याकरणम्, ग्रन्थसंख्या ४४२३, पत्र-सं. No. 10q[7]-21b2 अनुवादक-कृष्णभट्ट (भारतीय पण्डित) तारानाथ (जोनङ् सम्प्रदाय के संस्थापक तिब्बती लामा आचार्य)।
२. सरस्वतीव्याकरणसूत्राणि, ग्रन्थसंख्या ४२६७, पत्र सं. Se1b[1]-9a[7] अनुवादक-बलभद्र (भारतीय पण्डित) गोकुलनाथ मिश्र (भारतीय पण्डित) वागीश्वरलक्ष्मी निराभोग
३. व्याकरणमहाशास्त्रसरस्वतीव्याकरणवृत्तिः प्रक्रियाचतुरा ग्रन्थ संख्या ४२६८ प.सं. Se 10b[1]-125a[7] अनुवादक- बलभद्र (भारतीय पण्डित) गोकुलनाथ मिश्र (भारतीय पण्डित) वागीश्वरलक्ष्मीनिराभोग

सारस्वत व्याकरण पर रचित तिब्बती टीकाएँ

१. पञ्चसन्धिमहाभाष्य (देसिद् संग्यस् ग्यात्सो)
२. पञ्चसन्धिवृत्ति (डक्पा शेडुब)
३. पञ्चसन्धिवृत्ति (अख्युङ्ङ
४. पञ्चसन्धि टिप्पणी (मेगन खेनपो)
५. व्याकरणवृत्ति-प्रक्रियाचतुरा-टिप्पणी (देसिद् संग्यस ग्यात्सो)
६. कृदादिदुर्बोधस्थलस्मृतिलेख (शेरब् ग्यात्सो)
७. सारस्वतव्याकरणटीकाटिप्पणी (शेरब् ग्यात्सो)
८. युष्मद्-अस्मद्-स्थूलटीका (शेरब् ग्यात्सो)
९. कारकविस्तृतव्यवस्था (अक्य-योङ्-जिन)
१०. कारकवृत्ति (शलु लोचावा)
११. कारकप्रयोगसिद्धि (उग् गोनपा तनपा रबग्यस)
१२. सारस्वतव्याकरणप्रयोगसिद्धि (यङ्.चन-श्दपे-दोर्जे)
१३. सारस्वतव्याकरणसूत्रवृत्ति (अखु ऊँखिल-जमयङ लेगशद)
१४. समासप्रयोगसिद्धिस्मृतिलेख (छोजुङ अेमये लोदन)
१५. सारस्वतव्याकरणटीकास्थक्लिष्टशब्दटिप्पणी (चोनडुस)
१६. सन्धिटीका, विभक्तिसिद्धि (कुन् गा छोजोर)
१७. पंचसन्धिवृत्ति (तारानाथ)
१८. विभक्तिवृत्ति (तारानाथ)
१९. सारस्वतव्याकरणप्रकरण (कार्मा सितु तनपे अनजेद)
२०. सारस्वतव्याकरणटिप्पणी (जेजोर रङ्शिन)
२१. सारस्वतव्याकरणटीका (खुङ् टुल जिग्मेद नम्चो दोर्जे)

सारस्वत व्याकरण के रूपान्तर "सिद्धान्तचन्द्रिका" आदि

इसके तीन रूपान्तर माने जाते हैं-१. वि.सं. १६७२ में तर्कतिलक भट्टाचार्य द्वारा

लिखित २. भट्टोजिदीक्षित के पुत्र रामाश्रम द्वारा रचित सिद्धान्त चन्द्रिका तथा ३. जिनरत्न का सिद्धान्तरत्न टीका। तर्कतिलक भट्टाचार्य ने अपने रूपान्तर को क्षीर में नीर की तरह कहा है। इस रूपान्तर की अपेक्षा रामाश्रम की सिद्धान्तचन्द्रिका अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसका परिचय इस प्रकार है-रामाश्रम या रामचन्द्राश्रम ने महाभाष्यकार पतञ्जलि के मत का सम्यक् अनुशीलन करके सिद्धान्तचन्द्रिका नामक ग्रन्थ लिखा था। "मतं बुद्ध्वा पतञ्जलेः" इसमें लगभग २३०० सूत्र है। इस पर १० टीकाएं लिखी गई थीं। ८ टीकाएं तो जैनाचार्यों की हैं और अन्य आचार्यो की। इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ ज्ञातव्य है-

१. **सुबोधिनी** इसका रचनाकाल १७९९ वर्ष उल्लिखित है। ग्रन्थकार सदानन्द ने इसकी रचना का प्रयोजन बुधजनानुरञ्जन कहा है।

निधिनन्दार्वभूवर्षे सदानन्दः सुधीमुदे।
सिद्धान्तचन्द्रिकावृत्तिं कृदन्ते कृतवानृजुम्।।

विषयविवेचन में किसी पूवाचार्य के मत का सामान्यतया खण्डन नहीं किया गया है। विरोध उपस्थित होन पर उसे लोकमान्यता या शिष्टसम्मत पक्ष प्रस्तुत करते हुए हेय या उपादेय कहने का प्रयास किया है। कहीं-कहीं समन्वयार्थ तृतीय मत को भी दिखाया है। इसमें प्रसंगतः अनेक आवश्यक अवशिष्ट अंशों की पूर्ति के लिए विशेष वचन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनसे सिद्धान्तचन्द्रिका का अर्थ सुबोध हो जाता है और इस प्रकार "सुबोधिनी" नाम की अन्वर्थता भी सिद्ध हो जाती है। मेदिनी, धरणि, विश्वप्रकाश तथा द्विरूपकोश आदि से अनेक वचन उद्धृत किए गए है।

२. **अनिट्कारिकावचूरिः**-इसे मुनि क्षमामाणिक्य ने लिखा था। इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर के श्रीपूज्य जी के भण्डार से सुरक्षित हैं।

३. **अनिट्कारिकास्वोपज्ञवृत्तिः** नागपुरीय तपागच्छ के हर्षकीर्तिसूरि ने इसकी रचना की है। अनिट्कारिका का रचनाकाल सं. १६६२ तथा स्वोपज्ञवृत्ति का सं. १६६६ है।

४. **भूधातुवृत्तिः** वि.सं. १८२८ में खरतरगच्छीय क्षमाकल्याणमुनि ने इस वृत्ति की रचना की थी। इसका हस्तलेख राजनगर के महिमाभक्तिभण्डार में है।

५. **मुग्धावबोध-औक्तिकम्** तपागच्छीय आचार्य देवसुन्दर के शिष्य कुलमण्डनसूरि ने १५ वीं शताब्दी में इसे बनाया है।

६. **सिद्धान्तचन्द्रिका-टीका** :- इसके रचयिता आचार्य जिनरत्नसूरि हैं।

७. **सिद्धान्तचन्द्रिकावृत्तिः** खरतरगच्छीय मुनि विजयवर्धन के शिष्य ज्ञानतिलक ने १८ वीं शताब्दी में इसे लिखा है। इसके हस्तलेख बीकानेर के महिमाभक्तिभण्डार और अवीर जी के भण्डार में है।

८. **सुबोधिनी** खरतरगच्छीय रूपचन्द्र ने १८ वीं शताब्दी में इसका प्रणयन किया था।

इसका परिमाण ३४६४ श्लोक बताया गया है। बीकानेर के किसी भण्डार में इसकी प्रतियाँ है।

७. मुग्धबोध व्याकरण का संक्षिप्त परिचय

वोपदेव ने मुग्धबोध व्याकरण की रचना की थी। ये केशव के पुत्र धनेश्वर के शिष्य थे। व्याकरण ग्रन्थ के अन्त में ग्रन्थकार का परिचय इस प्रकार उल्लिखित मिलता है-

विद्वद्धनेश्वरच्छात्रो भिषक्केशवनन्दनः।
वोपदेवश्चकारेदं विप्रो वेदपदास्पदम्।।

वोपदेव की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जैसे बृहस्पति से स्वर्गलोक और पन्नगपति शेष से पाताल लोक शब्दविद्याविभूषित रहता है, उसी प्रकार यह भूलोक एक मात्र विद्वान् वोपदेव के शब्दविद्यारूपी ज्ञान से आलोकित हुआ है-

द्यौर्वाचस्पतिनेव पन्नगपुरी शेषाहिनेवाभवद्
येनैकेन विदुष्मती वसुमती मुख्येन संख्यावताम्।
सोऽयं व्याकरणार्णवैकतरणिश्चातुर्यचिन्तामणि-
र्जीयात् कोविदगर्वपर्वतपविः श्रीवोपदेवः कविः।।

इस व्याकरणाध्ययन के दो प्रयोजन बताए गए हैं- व्याकरणप्रक्रिया का ज्ञान तथा मुकुन्द का सङ्कीर्तन-

गीर्वाणवाणीवदनं मुकुन्दसङ्कीर्तनं चेत्युभयं हि लोके।
सुदुर्लभं तच्च न मुग्धबोधान्न लभ्यतेऽतः पठनीयमेतत्।।

इसमें निम्नाङ्कित विषयों का क्रमिक विचार हुआ है- सन्धि, अजन्त, हलन्त, स्याद्यन्त, त्याद्यन्त (भ्वादि, अदादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रयादि, चुरादि) चतुर्गण कृदन्त। इसमें कुल ११८४ सूत्र देखे जाते हैं। प्रारम्भिक सूत्र में भगवान् शिव को नमस्कार किया गया है "ओं नमः शिवाय"। वोपदेव ने व्याकरणसिद्ध शब्दों से ही मङ्गलाचरण माना है- "शं शब्दैः। शब्दैर्मंगलं स्यादिति प्रयोजनाभिधेय-सम्बन्धाः। ये मुख्यतः वैष्णवमतानुयायी थे या शैवमतानुयायी इसका निर्णय विद्वानों को करना चाहिए। मङ्गल-श्लोक इस प्रकार है-

मुकुन्द सच्चिदानन्दं प्रणिपत्य प्रणीयते।
मुग्धबोधं व्याकरणं परोपकृतये मया।।

इसमें प्रत्याहार-सूत्र पढ़े गये है। और अनेक प्रत्याहारों का भी प्रयोग हुआ है, परन्तु पाणिनीय व्याकरण की तरह सभी प्रत्याहारों के अन्तिम वर्ण इत्संज्ञक नहीं हैं। जैसे 'अच्' प्रत्याहार का 'च्' वर्ण तो इत्संज्ञक है परन्तु 'हस्' प्रत्याहार का 'स्' वर्ण इत्संज्ञक नहीं है यहाँ पाणिनीय प्रत्याहार के लिए 'समाहार' संज्ञाशब्द का प्रयोग किया गया है।

इसमें वैदिक शब्दों की सिद्धि के लिए सूत्र नहीं बनाए गए हैं अन्त में कहा गया है कि लौकिक प्रयोगों की व्युत्पत्ति के लिए यहाँ जो लक्षण बनाए गए हैं, उन्हें वैदिक प्रयोगों की व्युत्पत्ति के लिए बाहुलक विधि से उपयुक्त मानना चाहिए-

"बहुलं ब्रह्मणि"। यदिदं लौकिकप्रयोगव्युत्पत्तये लक्षणमुक्तं तद् वैदिकप्रयोगव्युत्पत्तौ बहुलं ज्ञेयम्। क्वचिद् विहितम्, क्वचिद् विहितं न स्यात्। क्वचिन्निषिद्धं स्यात्। क्वचिद् वा स्यात्। क्वचित्ततोऽन्यत्रापि इत्यर्थः यथा- पूर्वेभिः, ब्राह्मणास इत्यादौ वेदसिद्धेः।

इस व्याकरण की मुख्य विशेषता है- प्रायः एक अक्षर वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग। जैसे-व्रि (वृद्धि), पु (गुण), हस् (हल्), र्ण (सवर्ण), दो (घु), स्रि (सर्वनाम), व्य (अव्यय), जि (सम्प्रसारण) समाहार (प्रत्याहार), स्व (ह्रस्व), र्घ (दीर्घ), प्लु (प्लुत), च (द्वन्द्व), ह (बहुव्रीहि), य (कर्मधारय), ष (तत्पुरुष), ग (द्विगु), व (अव्ययीभाव), लि (प्रातिपदिक), धु (धातु), दी (नदी), घु (लघु), रू (गुरू), द (पद), क (कारक) इत्यादि।

यद्यपि इस व्याकरण का अध्ययन-अध्यापन सम्मानपूर्वक वङ्गप्रदेश में कुछ समय तक प्रचलित रहा, परन्तु बीजगणित की तरह प्रायः साङ्केतिक एकाक्षरी संज्ञाओं के कारण उच्चारण तथा प्रक्रिया में असुविधा का अनुभव अवश्य होता है। जैसे "मुरारिः लक्ष्मीश" इत्यादि में दीर्घविधान के लिए सूत्र है- "सह णे र्घः"। र्णे परे पूर्वस्य र्णेन सह र्घः स्यात्। गुण वृद्धि विधायक सूत्र- "आदिगेचोर्णुव्री"। अवर्णात् परयोरिगेचोरवर्णेन सह क्रमात् पुश्री स्तः। हृषीकेशः। दामोदरः। कृष्णैकत्वम्। भवौषधम्।

ग्रन्थकार बोपदेव की जन्मभूमि आधुनिक दौलताबाद (दक्षिण) के समीप मानी जाती है, ये हेमाद्रि के मन्त्री थे। मल्लिनाथ ने कुमारसम्भव की टीका में इन्हें उद्धृत किया है। मल्लिनाथ का समय वि.सं. १४०० यदि निश्चित हो तो वोपदेव की स्थिति उससे कुछ पूर्व वि.सं. १३५० के आसपास कही जा सकती है।

मुग्धबोध व्याकरण के टीकाकारों में मुग्धबोध प्रदीपकार, रामानन्द, विद्यावागीश, रामभद्रविद्यालङ्कार, विद्यानिवास, दुर्गादास, विद्यावागीश, तथा रामतर्कवागीश आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें से अनेक टीकाकारों का स्मरण दुर्गादास ने अपनी आशुबोध टीका में किया है। इस टीका का आरम्भ और अन्त इस प्रकार है-

लक्ष्मीकान्तं निखिलजगतां सर्गसंहारहेतुं
दुर्गादासो धरणिपतितः कोटिकृत्वा प्रणम्य।
पर्यालोच्याखिलबुधमतं धीमतां पाठकानां
संतोषार्थं रचयतितरां मुग्धबोधस्य टीकाम्।।१।।
श्रीमद्विद्यानिवासाद्यैराद्यैर्यद्यपि सूरिभिः।
भूरिभिर्विहिता व्याख्या तथाप्याख्यायते मया।। २।
अयुक्तं यदिह प्रोक्तं प्रमादेन भ्रमेण वा।
वचो मया दयावन्तः सन्तः संशोधयन्तु तत्।।३।।

अन्ते

दुर्गादासो व्यरचयदिमां मुग्धबोधस्य टीकां
नानाविद्वन्मतविलसितामाशुबोधां सुबोधाम्।
आलोकन्तामपिशुनबुधाः स्तूयमानाः स्वभावात्
दोषं त्यक्त्वा लवमपि गुणं भूरिवद् भावयन्तु।।१।।

वोपदेव ने अपने व्याकरण का धातुपाठ कविकल्पदुम के नाम से पद्यों में लिखा है और दूसरी व्याख्या कविकामधेनु में की है। रमानाथ या रामनाथ तथा दुर्गादास विद्यावागीश ने भी धातुपाठ पर वृत्तिग्रन्थ लिखे हैं। इस व्याकरण के गणपाठ में अनेक पाणिनीय गणों को अपरिवर्तित रूप में स्वीकार कर लिया गया है। कल्याणादि, शरत्प्रभृति तथा द्वारादि गणों के शब्द सूत्रों में ही पढ़ दिये गये हैं। इसमें तन्वादिगण की नवीन उद्भावना द्रष्टव्य है। सर्वादिगण में पूर्व आदि शब्दों का निर्देश द्वि शब्द के बाद उपलब्ध होता है। यही क्रम संभवतः आचार्य आपिशलि के गणपाठ में भी था। इस व्याकरण की परिभाषाओं पर एक वृत्ति रामचन्द्र विद्याभूषण ने लिखी है। इसका रचनाकाल सं. १७४५ (शक १६१०) है। (द्र. सूचीपत्र-भाग-१, पृ. २१६, ग्रन्थांक २२२-हरप्रसादशास्त्री)।

८. हरिनामामृत व्याकरण

रूपगोस्वामी नामक वैयाकरण ने १६ वीं शताब्दी में **हरिनामामृत** नामक एक क्षुद्र वैष्णव व्याकरण की रचना की थी। यह वैष्णव-सम्प्रदाय में भी प्रचलित नहीं हो सका। कदाचित् ही कोई वैष्णव इसे देखता हो। इसके बाद १७ वीं शताब्दी में **जीवगोस्वामी** ने एक विस्तृत हरिनामामृत नामक व्याकरण की रचना की। यह अध्ययन-अध्यापन में कभी प्रचलित रहा था। इसमें ३१९२ सूत्र उपलब्ध होते हैं। १९७२ में चैतन्य रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता ने इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया था। इस पर आचार्य हरेकृष्ण की बालतोषणी टीका तथा गोपीचरणदास की तद्धितोद्दीपनी टीका प्राप्त होती है। इसकी स्थूल विषयसूत्री इस प्रकार है-

		पृष्ठ संख्या
१.	संज्ञा-सन्धि प्रकरणम्	६-६४
२.	विष्णुपदप्रकरण् (नाम-नामभेदाः) कृष्णनाम (अव्ययशब्दाः)	६५-१६०
३.	आख्यात प्रकरणम् (परपद-आत्मपद-उभयपदसंज्ञाः)	१६१-३५८
४.	कारकप्रकरणम्	३६३-५३४
५.	कृदन्तप्रकरणम्	५३५-७३०
६.	समासप्रकरणम्	७३१-६२७
७.	तद्धितप्रकरणम्	६२८-१३८५

वर्णसमाम्नाय में ५० वर्णों का पाठ इस प्रकार है अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ॠ, ए ऐ, ओ औ, अं अः, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। य र ल व । श ष स ह क्ष। (१६ + २५ + ८ + १ = ५०)

ये ही ५० वर्ण कातन्त्रसम्प्रदाय में भी मान्य हैं। किसी किसी संस्करण में जिह्वामूलीय- उपाध्मानीय का भी समावेश कर लिए जाने से कातन्त्र में यह संख्या ५२ हो जाती है। इन वर्णों को जीवगोस्वामी नारायण से समुद्भूत मानते हैं-**"नारायणाद् उद्भूतोऽयं वर्णक्रमः"** (सूत्र-सं. १)

इन्होंने संज्ञाशब्दों के निर्धारण में वैष्णवसंप्रदाय के शब्दों का ही उपयोग किया है। कुछ सूत्र उदाहरणार्थ द्रष्टव्य हैं- २. तत्रादौ चतुर्दश सर्वेश्वराः ३. दश दशावताराः ४. तेषां द्वौ द्वावेकात्मकौ ५. पूर्वो वामनः ६. परस्त्रिविक्रमः ७. त्रिमात्रो महापुरुषः १४. अं इति विष्णुवक्त्रम्। १५. अँ इति विष्णुवापः १६. अः इति विष्णुसर्गः।

परस्मैपद के लिए परपद, आत्मनेपद के लिए आत्मपद का तथा लट् या वर्तमान के लिए अच्युत जैसे संज्ञाशब्दों का व्यवहार किया गया है। सार्वधातुक के लिए कृष्णधातुक (३८७) तथा आर्धधातुक के लिए रामधातुक (३८८) शब्द का प्रयोग है।

वर्णसमाम्नाय के अनुसार अद्वय, इद्वय, उद्वय शब्दों का तो प्रयोग उचित प्रतीत होता है, क्योंकि "अद्वय" से "अ-आ" इन दो वर्णो का बोध हो जाता है, परन्तु "ए-ऐ" के बोधार्थ "एद्वय" का प्रयोग कितना सार्थक है- विद्वानों को इस पर विचार करना चाहिए। सूत्र रचना अत्यन्त सरल है जैसे "अद्वयमिद्वये ए" (सूत्र ४८)। "यादव + इन्द्रः, गोकुल + ईशः" इत्यादि में अवर्ण को "ए" गुण आदेश हो जाता है। "उद्वये ओ" (सूत्र ५०) "पुरुष + उत्तमः, सुपर्ण + ऊढः" में ओ आदेश होकर "पुरुषोत्तमः, सुपर्णोढः" शब्दरूप निष्पन्न होते है। लट् आदि लकारों के लिए इनके संज्ञाशब्द इस प्रकार हैं-

पाणिनीय	कातन्त्र	मुग्धबोध	हरिनाममृत
लट्	वर्तमाना	की	अच्युत
लिट्	परोक्षा	ठी	अधोक्षज
लुट्	श्वस्तनी	डी	बालकल्कि
लृट्	भविष्यन्ती	ती	कल्कि
लोट्	पञ्चमी	गी	विधाता
लङ्	ह्यस्तनी	घी	भूतेश्वर
लिङ्	सप्तमी, आशीः	खी, ढी.	विधि, कामपाल
लुङ्	अद्यतनी	टी	भूतेश
लृङ्	क्रियातिपत्ति	थी	अजित

श्री जीवगोस्वामी ने इस व्याकरण को विशेषतः वैष्णवों के लिए बनाए जाने की प्रतिज्ञा की है। उन्होंने हरि के नामों से इसे संवलित किया है। इस व्याकरण के अध्ययन से कृष्ण की उपासना भी हो जाती है-

कृष्णमुपासितुमस्य स्रजमिव नामावलिं तनवै।
त्वरितं वितरेदेषा तत्साहित्यादिजामोदम्।। १।।
आहत-जल्पित-जटितं दृष्ट्वा शब्दानुशासनस्तोमम्।
हरिनामावलि-वलितं व्याकरणं वैष्णवार्थमाचिन्मः।। ग्रन्थारम्भ।।

द्वितीय संस्करण के प्रकाशक ने परिचय दिया है कि जीवगोस्वामी ने सुकुमार बुद्धि वालों को भी व्याकरण का ज्ञान कराने के उद्देश्य से इस व्याकरण की रचना की है। इसमें प्रयुक्त हरिनामों के अनुशीलन से सभी पाप-तापों का शमन होकर प्रेमामृत तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। जीवगोस्वामी गौडीय वैष्णव आचार्य परमहंसकुल के मुकुटमणि,

वैष्णव-सिद्धान्तों के रक्षक सेनापति तथा वेद-वेदान्त-वेदांग-षड्दर्शन इतिहास पुराण-काव्य अलंकार संगीतशास्त्र में परांगत थे।[1]

ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए उन्होंने अपनी भावना को इस प्रकार व्यक्त किया है कि यदि मै गोविन्दनामों से रहित वाणी का प्रयोग करूँ तो मुझे पाणिनीय व्याकरण परित्याग करने योग्य, रसवती वृत्ति रसहीन, कलापव्याकरण काक-कौओं का आलापमात्र, सारस्वत व्याकरण सारहीन तथा चान्द्र व्याकरण भी क्लेशकर प्रतीत होता है। अधिक क्या कहा जाए-कोई भी शास्त्र सार्थक प्रतीत नहीं होता। परन्तु इसके विपरीत यदि गोविन्दनाम से संयुक्त करके मैं वाणी का प्रयोग करता हूँ तो पाणिनीय व्याकरण भी पेय पदार्थ के रूप में, रसवती वृत्ति अत्यन्त सरस, कलाप व्याकरण प्रमोद का आगार, सारस्वत-परम सारमय, वर्धमानकृत कातन्त्रविस्तर-मधुमयी वाणी का विस्तार तथा चान्द्रव्याकरण-परम सुखमय हो जाता है-[2]

आचार्य हरेकृष्ण ने बालतोषणी नामक टीका के प्रारम्भ में कहा है कि भाष्यकार, भर्तृहरि आदि कुशाग्रबुद्धि वाले आचार्य भी जब शब्दशास्त्र को पार नहीं कर सके तो मुझ जैसे जड़बुद्धि इसे कैसे पार कर सकते हैं। फिर भी श्रीजीवगोस्वामी के चरणकमलों के आश्रय से मैं हरिनामामृत नामक व्याकरणसमुद्र के पार अवश्य पहुँच जाऊँगा-

---

१. "कुमारेभ्योऽपि व्याकरण-वेदांगानुशीलनव्यपदेशेन सर्वपापहर-सर्वतापहर प्रेमामृतप्रद- नित्यकल्याणकर-हरिनामग्रहणसौभाग्य-प्रदानार्थ निखिलवेदवेदान्तवेदांग षड्दर्शनेतिहासपुराणकाव्यालंकार-सङ्गीतशास्त्रादिपारावारपारीणेन महामहोपाध्यायाध्यापकनिकरैः परमबृहत्तमसिद्धिसंघैश्च निषेवितपदपंकजेन वैष्णवसिद्धान्तराज्यरक्षणैक-सेनापतिना श्रीमत्सनातनरूपानुगवरेण परमहंसकुलमुकुटमणिना श्रीगौडीयवैष्णवाचार्यवर्येण श्रीहरिनामामृतव्याकरणमिदं प्रणीतम्" (द्वितीयसंस्करणप्रकाशकनिवेदनम्)

२. हानीयं पाणिनीयं रसवदरसवत् काकलापः कलापः
सारप्रत्यागि सारस्वतमपहृतगीर्विस्तरो विस्तरोऽपि।
चान्द्र दुःखेन सान्द्रं सकलमविकलं शास्त्रमन्यन्न धन्यं
गोविन्दं विन्दमानां भगवति। भवता वाणि नो चेद् ब्रवाणि।।
पानीयं पाणिनीयं रसमृदु रसवन्मुत्कलापः कलापः
सारश्रीसारिसारस्वतमधिमधुगीर्विस्तरो विस्तरोऽपि।
चान्द्रंसौख्येन सान्द्रं सकलमविकलं शास्त्रमन्यत् प्रशस्तं
गोविन्दं विन्दतीं त्वां यदि भगवति। गीर्वाणि!वाणि! ब्रवाणि।।
भगवन्नामवलिता भगवदभक्तितत्परैः।
वृन्दावनस्थजीवस्य कृतिरेषा तु गृह्यताम्।। ५।।

अहं च भाष्यकारश्च कुशाग्रीयधियावुभौ।
नैव शब्दाम्बुधेः पारं किमन्ये जड़बुद्धयः।।
इति यदुक्तम्, तथापि-
श्रीलश्रीजीवगोस्वामिचरणाब्जाग्रमाश्रितः।
बालोऽप्यहं तितीर्षामि हरिनामामृतार्णवम्।।

इस व्याकरण के खिलपाठ-धातुपाठ[1] गणपाठ- उणादि लिंगानुशासन पृथक् उपलब्ध नहीं होते। आख्यातप्रकरण में लगभग ३०० धातुओं का व्यवहार किया गया है।

६. भोजव्याकरण सरस्वतीकण्ठाभरण

सरस्वतीकण्ठाभरण नामक व्याकरण के रचनाकार विद्वानों के आश्रय परमारवंशीय धाराधीश्वर भोज थे। इन्होंने इस व्याकरण के अतिरिक्त योगसूत्रवृत्ति और राजमृगाङ्क ग्रन्थ की भी रचना की थी, इसकी पुष्टि योगसूत्रवृत्ति के प्रारम्भिक लेख से होती है।[2]

इनके पिता का नाम सिंन्धुल (सिन्धुराज) था। ६२३ शकाब्द के एक उल्लेख (दानपत्र या शिलालेख) के अनुसार इनका राज्यकाल यीशवीय ग्यारहवी शताब्दी का पूर्वार्द्ध सिद्ध होता है।[3]

बल्लभदवेकृत भोजप्रबन्ध के अनुसार राजा भोज ने लुप्तप्राय संस्कृत भाषा का उद्धार किया था। इनकी घोषणा थी कि चाण्डाल भी यदि विद्वान् हो तो मेरे राज्य में रह सकता है, परन्तु मूर्ख ब्राह्मण नहीं।[4] इस कारण इनके राज्य में जुलाहे और लकड़हारे भी संस्कृत भाषा के अच्छे मर्मज्ञ बन गए थे। इनकी उक्तियाँ संस्कृतसाहित्य में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं-

काव्यं करोमि नहि चारूतरं करोमि
यत्नात् करोमि यदि चारूतरं करोमि।
भूपालमौलिमणिमण्डितपादपीठ
हे साहसाङ्क! कवयामि वयामि यामि।। तन्तुवाय-जुलाहा।।

---

१. समीक्षक के अनुसार सम्पादकीय टिप्पणी

२. शब्दानामनुशासनं विदधता पातञ्जले कुर्वता
वृत्तिं राजमृगाङ्कसंज्ञकमपि व्याजन्वता वैद्यके।
वाक्चेतोश्वपुषां मलः फणिभृतां भर्त्रेव येनोद्धृत
स्तस्य श्रीरणरङ्गमल्लनृपतेर्वाचो जयन्त्युज्जवलाः।।

३. धाराधीशो धराधीशो धारायां धनदोपमः
बभार राज्यं भोजाख्यो दानमानैश्च पण्डितान्।
लोकाक्षिरससख्याक (६२३) शाकाब्दे पूर्णमातिथौ
श्रावणे मासि विप्रेभ्यः कविभ्यो व्यतरन्मुदा।। १९१७-युगादिसंचिका पुष्पान्जलि, पृ.२२४।।

४. चाण्डालोऽपि भवेद् विद्वान् यः स तिष्ठतु मे पुरि।
विप्रोऽपि यो भवेन्मूर्खः स पुराद् बहिरस्तु मे।।

राजा भोज के प्रश्न

भूरिभारभराक्रान्त ! बाधति स्कन्ध एष ते ?

काष्टभारवाहक का उत्तर

न तथा बाधते राजन्। यथा बाधति बाधते।।

इस व्याकरण-ग्रन्थ में भी अष्टाध्यायी के समान ८ अध्याय तथा प्रति-अध्याय ४ पादों के अनुसार ३२ पाद हैं। इसकी सूत्रसंख्या इस प्रकार है-

	अध्याय	पाद	सूत्रसंख्या	अध्याय	पाद	सूत्रसंख्या
	१	१	२१२	५	१	१८०
	१	२	१३५	५	२	२२४
	१	३	२३१	५	३	१५६
	१	४	२७७	५	४	१८६
	२	१	३४८	६	१	१७५
	२	२	२५५	६	२	१८०
	२	३	१९१	६	३	१८३
	२	४	२८३	६	४	१९२
	३	१	३०४	७	१	१४०
	३	२	१६१	७	२	१५१
	३	३	१४८	७	३	१५०
	३	४	१३५	७	४	१७८
	४	१	२१२	८	१	१७४
	४	२	१४७	८	२	१४६
	४	३	२६६	८	३	२८३
	४	४	२०७	८	४	२३२
योग	४	१६	३५१५	४	१६	२९१६

कुल योग अध्याय ८ पाद ३२ **सूत्र** ६४३१

इस व्याकरण के मुख्य आधार पाणिनीय और चान्द्र व्याकरण माने जाते हैं। सूत्ररचना और प्रकरणभेद जैसे कुछ विषयों में पाणिनीय अष्टाध्यायी की अपेक्षा चान्द्र व्याकरण का आश्रय अधिक लिया गया है। पाणिनीय व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन जैसे चान्द्र व्याकरण के साथ आवश्यक माना जाता है, वैसे ही सरस्वतीकण्ठाभरण के भी साथ इसका तुलनात्क अध्ययन आवश्यक है।

ग्रन्थ के प्रारम्भ में भगवती पार्वती तथा भगवान् शिव को इन्होंने प्रणाम किया है, अतः ये शैव कहे जा सकते हैं-

प्रणम्यैकात्मतां यातौ प्रकृतिप्रत्ययाविव।
श्रेयःपदमुमेशानौ पदलक्ष्म प्रचक्ष्महे।।

मंगलाचरण के अनन्तर १४ माहेश्वरसूत्र वर्णसमाम्नाय के रूप में पढ़े गए हैं। व्याकरण में धातु तथा धातुरूप आदि को लोकव्यवहार के अनुसार ही प्रामाणिक माना जाता है, अतः इनका प्रारम्भिक सूत्र है-**"सिद्धि क्रियादेर्लोकात्"**।। १.१.१।।

सरस्वतीकण्ठाभरण की वृत्तियाँ

राजाभोज ने अपने व्याकरण की वृत्ति भी लिखी थी, जो पर्याप्त विस्तृत थी। सम्प्रति यह प्राप्त नहीं है। भोजीय वृत्ति के आधार पर दण्डनाथ नारायण ने १२वीं शताब्दी में हृदयहारिणी नामक वृत्ति लिखी थी, जो सम्प्रति उपलब्ध होती है। सवृत्तिक सरस्वतीकण्ठाभरण के सम्पादक साम्बशास्त्री "दण्डनाथ" इस नाम से संभावना करते हैं कि नारायणभट्ट भोजराज के सेनापति या न्यायाधीश थे।

कहा जा सकता है कि सरस्वतीकण्ठाभरण पर ''पदसिन्धुसेतु'' नामक प्रक्रियाग्रन्थ की भी रचना की गई थी। प्रसाद टीकाकार विट्ठल-द्वारा उद्धृत होने से पदसिन्धुसेतुकार का समय पन्द्रहवीं शताब्दी से पूर्व माना जा सकता है।

धातुपाठ

भोज ने अपने शब्दानुशासन में धातुपाठ को छोड़कर अन्य सभी अंगों का यथास्थान सन्निवेश कर दिया है, केवल धातुपाठ का ही प्रवचन पृथक् किया है। इनके धातुपाठ के उद्धरण क्षीर-तरङ्गिणी, माधवीया धातुवृत्ति आदि में पर्याप्त मिलते हैं। इस धातुपाठ की वृत्ति का कोई साक्षात् उल्लेख तो प्राप्त नहीं होता, परन्तु क्षीरस्वामी और सायण ने भोजीय धातुविषयक जो मत उद्धृत किए हैं, वे संभवतः किसी वृत्तिग्रन्थ के ही हो सकते हैं। सर्वानन्द की अमरटीकासर्वस्व ।। २.६.१००।। में एक नाथीय धातुवृत्ति का मत उद्धृत किया गया है-"नाथीयधातुवृत्तावपि कोषवन्मूर्धन्यषत्वं तालव्यशत्वं चोक्तम्" (भाग-२, पृष्ठ ३६०)। पदैकदेशन्याय से पं. युधिष्ठिर मीमांसक दण्डनाथ की भोजीयव्याकरणधातुवृत्ति की संभावना करते हैं।

गणपाठ

पूर्ववर्ती आचार्यों ने गणपाठ को शब्दानुशासन से भिन्न रखा था, जिससे इसकी प्रायः उपेक्षा होने लगी थी, इसे दूर करने के लिए भोज ने गणपाठ का सन्निवेश अपने शब्दानुशासन में ही कर दिया, परन्तु इसका अधिक लाभ इसलिए नहीं हो सका कि सरस्वतीकण्ठाभरण अध्ययन-अध्यापन में अधिक प्रचलित नही रहा। इस गणपाठ की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं -

१. पाणिनि आदि प्राचीन आचार्यों ने जिन्हें आकृतिगण माना था, उनमें समाविष्ट होने वाले शब्दों को भोज ने यथासंभव पढ़ दिया है और अन्तिम शब्द के साथ आदि पद का निर्देश किया है।
२. आचार्य चन्द्रगोमी ने जिस प्रकार कात्यायन के वार्त्तिकों में निर्दिष्ट गण अपने सूत्रपाठ में समाविष्ट कर लिए, उसी प्रकार आचार्य भोज ने भी अपने सूत्रपाठ में स्थान दिया है।
३. पूर्व वैयाकरणों द्वारा अपठित कतिपय नवीन गणों को भी भोज ने पढ़ा है। जैसे- १. किंशुकादि (३.२.९८) २. वृन्दारकादि (३.२.८६) ३. मतल्लिकादि (३.२.८८) ४. खसूच्यादि (३.२.८३) ५. जपादि (७.३.६२) इनमें से प्रथम चार गणों का निर्देश वर्धमान ने गणरत्नमहोदधि में भोज के नाम से किया है।
४. आचार्य चन्द्रगोमी के अनुकरण पर भोज ने पाणिनीय अपूपादि के लिए यूपादि (४.४.१८८) का तथा बल्वादि के लिए शोणादि (३.४.७५) का व्यवहार किया है।
५. कहीं-कहीं चान्द्र व्याकरण का परित्याग कर भोज ने अपनी स्वतन्त्र मनीषा का भी परिचय दिया है।
६. कहीं-कहीं पाठान्तरों को भी स्वीकार किया गया है।

उणादिपाठ

भोज ने अपने सरस्वतीकण्ठाभरण व्याकरण के द्वितीय अध्याय, पाद १-३ में उणादिसूत्रों को पढ़ा है, इनमें क्रमशः ३४८, २५५ तथा १६१ सूत्र हैं (कुल सूत्र सं. ७६४)। इन सूत्रों पर सर्वप्रथम भोज ने ही वृत्ति लिखी थी। दण्डनाथकृत उणादिवृत्ति त्रिवेन्द्रम तथा मद्रास से प्रकाशित है रामसिंह ने भी रत्नदर्पण नामक व्याख्या लिखी थी।

लिंगानुशासन

यद्यपि इस व्याकरण का लिंगानुशासन उपलब्ध नहीं है, फिर भी भोजदेव ने लिङ्गानुशासन का प्रवचन किया था-इसका निर्देश हर्षलिङ्गानुशासन के संपादक श्री वेंकटराम शर्मा ने किया है (निवेदना पृ. ३४)।

परिभाषापाठ

भोजदेव ने सरस्वतीकण्ठाभरण में गणपाठ-उणादिपाठ के समान परिभाषापाठ को भी स्वीकार किया है। यह प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में सूत्र-सं. १८ से १३५ तक पठित है। विशिष्टपरिभाषासूत्रों का स्वरूप निम्नाङ्कित है-

१. स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा (१.२.१८)।
२. येन विधिस्तदन्तस्य (१.२.१६)।
३. स्थानेऽन्तरतमः (१.२.३६)।
४. एकदेशविकृतमनन्यवत् (१.२.५४)।
५. विवक्षातः कारकाणि (१.२.६३)
६. समर्थः पदविधिः (१.२.७३)
७. असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे (१.२.८५)
८. उक्तार्थानामप्रयोगः (१.२.६४)
६. मानिष्टार्था शास्त्रप्रवृत्तिः (१.२.१२४)
१०. अभिधानलक्षणाः कृत्-तद्धित-समासाः (१.२.१३४)

१०. संक्षिप्तसार या जौमर व्याकरण

इसके रचयिता आचार्य क्रमदीश्वर हैं और परिष्कर्ता आचार्य जुमरनन्दी। परिष्कर्ता के नाम पर इसे जौमर व्याकरण भी कहते हैं। इस पर क्रमदीश्वर ने रसवती नामक वृत्ति लिखी और शोधन जुमरनन्दी ने किया है[1]।

आचार्य क्रमदीश्वर का काल वि.सं. १३०० से पूर्व माना जाता है। इस व्याकरण का प्रचलन बंग प्रदेश में रहा है। क्रमदीश्वर तथा जुमरनन्दी के अतिरिक्त इस व्याकरणसम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं-"गोयीचन्द्र"। इन औत्थासनिक गोयीचन्द्र ने सूत्रपाठ, उणादि और परिभाषा पाठ पर टीकाएँ तो लिखी ही हैं जौमर व्याकरण के परिशिष्टों की रचना भी की है।

गोयीचन्द्र की टीका पर न्यायपञ्चानन, तारकपञ्चानन, चन्द्रशेखर विद्यालंकार, वंशीवादन, हरिनाम तथा गोपाल चक्रवर्ती ने व्याख्याएँ लिखी हैं। तारक पञ्चानन-कृत टीका का नाम "दुर्घटोद्घाट" है, जिसके अन्त में कहा गया है-

गोयीचन्द्रमतं सम्यग्बुद्ध्वा दूषितं तु यत्।
अन्यथा विवृतं यद् वा तन्मया प्रकटीकृतम्।।

---

१. "इति वादीन्द्रचक्रचूडामणिमहापण्डितश्रीक्रमदीश्वरकृतौ संक्षिप्तसारे महाराजाधिराजजुमरनन्दिशोधितायां वृत्तौ रसवत्यां-"

गुरुपद हालदार ने प्रचलित व्याकरणों में इसे सप्तम स्थान में रखा है और इसके रचयिता क्रमदीश्वर को विप्रवंशीय तथा वङ्गदेशीय माना है।[2]

उदाहरणार्थ इस व्याकरण के कुछ सूत्र और वचन निम्नांकित है-"क्रियाहेतोः कर्मयुक्तात्" (पा. व्या. वा.-निर्मित्तात् कर्मयोगे "क्रियातिसाधनं करणम्" (पा. व्या. -साधकतमं करणम्)। व्यवहारार्थं शास्त्रे कृतः सङ्केतः संज्ञा। नाम च तद् धातुश्चेति नामधातुः। नाम्नो धातुत्वासंभवाद् धात्वैकदेशे धातुशब्दप्रयोगः। अथवा नाम्नो धातुर्नामधातुर्नाम्नो निष्पन्न इत्यिर्थः।

इस व्याकरण के धातुपाठ, गणपाठ, उणादि तथा परिभाषापाठ का भी उल्लेख प्राप्त होता है। कुछ आचार्यों ने इस पर टीकाएँ भी लिखी थीं।

---

२. क्रमदीश्वरविप्रेण वङ्गीयेन ततः परम्। संक्षिप्तसारनाम्ना तु महद् व्याकरणं कृतम्।। व्या.द. इति. पृ. ४५५।।

ग्रन्थानुक्रमणिका

श

विश्व की समस्त भाषाओं के व्याकरणों में संस्कृत भाषा के व्याकरण का स्थान सर्वोपरि है। कारण यह है कि उसकी मौलिकता सर्वमान्य तथा वैज्ञानिक है। "संस्कृत वाङ्मय का बृहत् इतिहास" का यह पन्द्रहवां खण्ड परिशिष्ट सहित आठ अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में पाणिनि द्वारा उल्लिखित पूर्व वैयाकरणों का विशद विवेचन समाहित हुआ है तथा द्वितीय अध्याय में पाणिनि द्वारा अनुल्लिखित पूर्वाचार्यों का विस्तृत विवरण विद्यमान है। तृतीय अध्याय में महर्षि पाणिनि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ ही अष्टाध्यायी पर प्राचीन तथा नवीन वृत्तियों तथा व्याख्यानों का सविस्तर सर्वेक्षण है। चतुर्थ एवं पञ्चम अध्याय में क्रमशः कात्यायन एवं पतञ्जलि के मूल ग्रंथ एवं व्याख्या संपत्ति पर प्रकाश डाला गया है। षष्ठ अध्याय में क्रमप्राप्त अष्टाध्यायी के वृत्तिकारों तथा सप्तमाध्याय में प्रक्रियाग्रन्थों के अभ्युदय, उत्कर्ष तथा तदुत्तर व्याख्या संपत्ति का यथाप्राप्त विवरण प्रस्तुत है। इसी अध्याय में संस्कृत व्याकरण एवं पाश्चात्य जगत् सम्बन्धी विमर्श प्रस्तुत किया गया है। अष्टमाध्याय में शब्दानुशासन के तात्त्विक विवेचन स्वरूप दर्शन सरणि तथा शाब्दबोध-विचार की सामग्री समाहित है। पाणिनीय व्याकरण के अङ्गभूत खिलग्रन्थों का विवेचन, लक्ष्यप्रधान काव्यशास्त्रकार तथा कातन्त्रचान्द्रादिपाणिनीयेतर व्याकरणों का सविमर्श विवरण परिशिष्ट में समाहित है।

इसके अतिरिक्त ग्रन्थारम्भ में प्रधान सम्पादक पद्मभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय तथा सम्पादक प्रो. गोपालदत्त पाण्डेय की संस्कृत हिन्दी भाषाओं में निबद्ध सारगर्भित भूमिकाएं समाविष्ट हैं। इस प्रकार संस्कृत व्याकरणेतिहास के जिज्ञासुओं के लिए प्रकृत ग्रन्थ की उपादेयता सुनिश्चित है।